

पिछले चालीस सालों से उर्दू भाषा में लाखों
की तादाद में प्रकाशित होकर क़ुरआनी उलूम को
वेशुमार अफ़राद तक पहुँचाने वाली बेनज़ीर तफ़सीर

मअरिफ़ुल क़ुरआन

علماء دیوبند کے علوم کا پاسبان
دینی و علمی کتابوں کا عظیم مرکز ٹیلیگرام چینل

حقی کتب خانہ محمد معاذ خان

درس نظامی کیلئے ایک مفید ترین
ٹیلیگرام چینل ہے

3

تفّسیر

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी देवबन्दी रह०

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान व दारुल-उलूम देवबन्द)



पिछले चालीस सालों से उर्दू भाषा में लाखों की तादाद में
प्रकाशित होकर कुरआनी उलूम को बेशुमार अफ़राद तक
पहुँचाने वाली बेनज़ीर तफ़सीर

मआरिफ़ुल-कुरआन

जिल्द (3)

उर्दू तफ़सीर

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी देवबन्दी रह.

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान व दारुल-उलूम देवबन्द)

हिन्दी अनुवादक

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी (एम. ए. अलीग.)

रीडर अल्लामा इकबाल यूनानी मैडिकल कॉलेज मुज़फ़्फ़र नगर (उ.प्र.)

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज

नई दिल्ली-110002

सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित हैं

तफ़सीर मअारिफ़ुल-कुरआन

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफी साहिब रह.

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान)

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी एम. ए. (अलीग.)

मौहल्ला महमूद नगर, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 09456095608

जिल्द (3) सूर: मायदा, सूर: अन्आम, सूर: आराफ़

(पारा 6, रूकूअ 5 से पारा 9 रूकूअ 1 तक)

अक्टूबर 2012

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَجَعَلَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
فِی الْکِتٰبِ الْحَقِیْقِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَجَعَلَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
فِی الْکِتٰبِ الْحَقِیْقِ



وَأَتَّخِذُوا لِلَّهِ جُمُعَةً
وَأْتُوا الْجُمُعَةَ
وَأَتَّخِذُوا لِلَّهِ جُمُعَةً
وَأْتُوا الْجُمُعَةَ

WA'A TASIMOG BIHAB LILLAH I JAMEE'AN WA LAA TAFARRAQOO

1975

PRINTED

समर्पित

○ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम कुरआन मजीद के प्रथम व्याख्यापक, हदी-ए-आलम, आखिरी पैग़म्बर, तमाम नबियों में अफ़ज़ल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नाम, जिनका एक-एक क़ौल व अमल कलामे रब्बानी और मन्शा-ए-इलाही की अमली तफ़सीर था।

○ दारुल-उलूम देवबन्द के नाम, जो कुरआन मजीद और उसकी तफ़सीर (हदीसे पाक) की अज़ीमुशान ख़िदमत और दीनी रहनुमाई के सबब पूरी इस्लामी दुनिया में एक मिसाली संस्था है। जिसके इल्मी फ़ैज़ से मुस्तफ़ीद (लाभान्वित) होने के सबब इस नाचीज़ को इल्मी समझ और कुरआन मजीद की इस ख़िदमत की तौफ़ीक़ नसीब हुई।

○ उन तमाम नेक रूहों और हक़ के तलाश करने वालों के नाम, जो हर तरह के पक्षपात से दूर रहकर और हर प्रकार की कठिनाईयों का सामना करके अपने असल मालिक व ख़ालिक के पैग़ाम को कुबूल करने वाले और दूसरों को कामयाबी व निजात के रास्ते पर लाने के लिये प्रयासरत हैं।

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी



प्रकाशक के कलम से

अल्लाह तआला का लाख-लाख शुक्र व एहसान है कि उसने मुझे और मेरे इदारे (फरीद बुक डिपो नई दिल्ली) को इस्लामी, दीनी और तारीखी किताबों के प्रकाशन के जरिये दीनी व दुनियावी उलूम की खिदमत की तौफीक अता फरमाई।

अल्हम्दु लिल्लाह हमारे इदारे से कुरआन पाक, हदीस मुबारक और दीनी विषयों पर बेशुमार किताबें शायी हो चुकी हैं। बल्कि अगर यह कहा जाये कि आजाद हिन्दुस्तान में हर इल्म व फन के अन्दर जिस कद्र किताबें फरीद बुक डिपो देहली को प्रकाशित करने का सौभाग्य नसीब हुआ है उतना किसी और इदारे के हिस्से में नहीं आया तो यह बेजा न होगा। कोई इदारा फरीद बुक डिपो के मुकाबले में पेश नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ अल्लाह के फज़ल व करम और उसकी इनायतों का फल है।

फरीद बुक डिपो देहली ने उर्दू, अरबी, फ़ारसी, गुजराती, हिन्दी और बंगाली अनेक भाषाओं में किताबें पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हिन्दी ज़बान में अनेक किताबें इदारे से शायी हो चुकी हैं। हिन्दी भाषा हमारी मुल्की ज़बान है। पढ़ने वालों की माँग और तलब देखते हुए तफसीरे कुरआन के उस अहम ज़खीरे को हिन्दी ज़बान में लाने का फैसला किया गया जो पिछले कई दशकों से इल्मी जगत में धूम मचाये हुए है। मेरी मुराद तफसीर मआरिफुल-कुरआन से है। इस तफसीर के परिचय की आवश्यकता नहीं, दुनिया भर में यह एक मोतबर और विश्वसनीय तफसीर मानी जाती है।

मौलाना गुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी ने फरीद बुक डिपो के लिये बहुत सी मुफ़ीद और कारामद किताबों का हिन्दी में तर्जुमा किया है। हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तकी उस्मानी के इस्लाही ख़ुतबात की 15 जिल्दें और तफसीर तौज़ीहुल-कुरआन उन्होंने हिन्दी में मुन्तकिल की हैं जो इदारे से छपकर मकबूल हो चुकी हैं। उन्हीं से यह काम करने का आग्रह किया गया जिसे उन्होंने कुबूल कर लिया और अब अल्हम्दु लिल्लाह यह शानदार तफसीर आपके हाथों में पहुँच रही है। हिन्दी भाषा में कुरआनी खिदमत की यह अहम कड़ी आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको पसन्द आयेगी और कुरआन पाक के पैग़ाम को समझने और उसको आम करने में एक अहम रोल अंदा करेगी।

मैं अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि वह इस खिदमत को कुबूल फरमाये और हमारे लिये इसे ज़खीरा-ए-आखिरत और रहमत व बरकत का सबब बनाये आमीन।

खादिम-ए-कुरआन

मुहम्मद नासिर ख़ान

मैनेजिंग-डायरेक्टर, फरीद बुक डिपो, देहली

अनुवादक की ओर से

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم. وعلى آله وصحبه اجمعين.

برحمتك يا ارحم الراحمين.

तमाम तारीफ़ों की असल हकदार अल्लाह तआला की पाक ज़ात है जो तमाम-जहानों की पालनहार है। वह बेहद मेहरबान और बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला है। और बेशुमार दुरूद व सलाम हों उस ज़ाते पाक पर जो अल्लाह तआला की तमाम मख़्लूक में सब से बेहतर है, यानी हमारे आका व सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। और आपकी आल पर और आपके सहाबा किराम पर और आपके तमाम पैरोकारों पर।

अल्लाह करीम का बेहद फज़ल व करम है कि उसने मुझ नाचीज़ को अपने पाक कलाम की एक और ख़िदमत की तौफ़ीक़ बख़्शी। उसकी ज़ात तमाम ख़ूबियों, कमालात, तारीफ़ों और बन्दगी की हकदार है।

इससे पहले सन् 2003 ईसवी में नाचीज़ ने हकीमुल-उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह. का तर्जुमा हिन्दी भाषा में पेश किया जिसको काफ़ी मक़बूलियत मिली, यह तर्जुमा इस्लामिक बुक सर्विस देहली ने प्रकाशित किया। उसके बाद तफ़्सीर इब्ने कसीर मुकम्मल हिन्दी भाषा में पेश करने की सआदत नसीब हुई, जो रमज़ान (अगस्त 2011) में प्रकाशित होकर मन्ज़रे आम पर आ चुकी है। इसके अलावा फ़रीद बुक डिपो ही से मौजूदा ज़माने के मशहूर आलिम शैख़ुल-इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम की मुज़्तसर तफ़्सीर तौज़ीहुल-कुरआन शायो होकर पाठकों तक पहुँच रही है।

उर्दू भाषा में जो मक़बूलियत कुरआनी तफ़्सीरों में तफ़्सीर मआरिफ़ुल-कुरआन के हिस्से में आयी शायद ही कोई तफ़्सीर उस मक़ाम तक पहुँची हो। यह तफ़्सीर हज़ारों की संख्या में हर साल छपती और पढ़ने वालों तक पहुँचती है, और यह सिलसिला तक़रीबन चालीस सालों से चल रहा है मगर आज तक कोई तफ़्सीर इतनी मक़बूलियत हासिल नहीं कर सकी।

हिन्द महाद्वीप की जानी-मानी इल्मी शख़्सियत हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफी साहिब देवबन्दी (मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान) की यह तफ़्सीर कुरआनी तफ़्सीरों में एक बड़ा कीमती सरमाया है। दिल चाहता था कि हिन्दी जानने वाले हज़रात तक भी यह उलूमा और कुरआनी मतलिव पहुँचें मगर काम इतना बड़ा और अहम था कि शुरू करने की हिम्मत न होती थी।

जो हज़रात इल्मी काम करते हैं उनको मालूम है कि एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा करना कितना मुश्किल काम है, और सही बात तो यह है कि इस काम का पूरा हक़ अदा होना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि इबारात का मफ़हूम व मतलब तर्जुमे में उतर जाये। कहीं-कहीं ब्रेकिट बड़ाकर भी इबारात को आसान बनाने की कोशिश की है। तर्जुमे में जहाँ तक संभव हुआ कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी क्योंकि उलेमा-ए-मुहक़कीन ने इस तर्जुमे को इल्हामी तर्जुमा करार

दिया है। जहाँ बहुत ही ज़रूरी महसूस हुआ वहाँ आसानी के लिये कोई लफ़्ज़ बदला गया या ब्रकित के अन्दर मायनों को लिख दिया गया।

अरबी और फ़ारसी के शेरों का मफ़हूम अगर पुसन्निफ़ की इबारत में आ गया है और हिन्दी पाठकों के लिये ज़रूरी न समझा तो कुछ अशुआर को निकाल दिया गया है, और जहाँ ज़रूरत समझी वहाँ अरबी, फ़ारसी शेरों का तर्जुमा लिख दिया है। ऐसे मौकों पर अहक़र ने उस तर्जुमे के अपनी तरफ़ से होने की चज़ाहत कर दी है ताकि अगर तर्जुमा करने में ग़लती हुई हो तो उसकी निस्वत साहिबे तफ़सीर की तरफ़ न हो बल्कि उसे मुझ नाचीज़ की इल्मी कोताही गरदाना जाये।

हल्ले लुगात और किराअतों का इख़्तिलाफ़ चूँकि इल्मे तफ़सीर पर निगाह न रखने वाले, किराअतों के फ़न से ना-आशना और अरबी ग्रामर से नाचाकिफ़ शख्स एक हिन्दी जानने वाले के लिये कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं, बल्कि बहुत सी बार कम-इल्मी के सबब इससे उलझन पैदा हो जाती है लिहाज़ा तफ़सीर के इस हिस्से को हिन्दी अनुवाद में शामिल नहीं किया गया।

हिन्दी जानने वाले हज़रात के लिये यह हिन्दी तफ़सीर एक नायाब तोहफ़ा है। अगर खुद अपने मुताले से वह इसे पूरी तरह न समझ सकें तब भी कम से कम इतना मौका तो है कि किसी आलिम से सबकन् सबकन् इस तफ़सीर को पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। जिस तरह उर्दू तफ़सीरें भी सिर्फ़ उर्दू पढ़ लेने से पूरी तरह समझ में नहीं आती बल्कि बहुत सी जगह किसी आलिम से रुजू करके पेश आने वाली मुश्किल को हल किया जाता है, इसी तरह अगर हिन्दी जानने वाले हज़रात पूरी तरह इस तफ़सीर से फ़ायदा न उठा पायें तो हिम्मत न हारें, हिन्दी की इस तफ़सीर के ज़रिये उन्हें कुरआन पाक के तालिब-इल्म बनने का मौका तो हाथ आ ही जायेगा। जो बात समझ में न आये वह किसी मोतबर आलिम से मालूम कर लें और इस तफ़सीरी तोहफ़े से अपनी इल्मी प्यास बुझायें। अल्लाह का शुक्र भेजिये कि आप तफ़सीर के तालिब-इल्म बनने के अहल हो गये वरना उर्दू न जानने की हालत में तो आप इस मौके से भी मेहरूम थे।

फ़रीद बुक डिपो से मेरी वाबस्तगी पच्चीस सालों से है। इस दौरान बहुत सी किताबें लिखने, प्रूफ़ रीडिंग करने और हिन्दी में तर्जुमा करने का मुझ नाचीज़ को मौका मिला है। इदारे के संस्थापक जनाब मुहम्मद फ़रीद ख़ाँ मरहूम से लेकर मौजूदा मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अल-हाज़ मुहम्मद नासिर ख़ाँ तक सब ही की खास इनायतें मुझ नाचीज़ पर रही हैं। मैंने इस इदारे के लिये बहुत सी किताबों का हिन्दी तर्जुमा किया है, हज़रत भौलाना क़ारी मुहम्मद तैयब साहिब मोहम्मिम दारुल-उलूम देवबन्द की किताबों और मज़ामीन पर किया हुआ मेस काम सात जिल्दों में इसी इदारे से प्रकाशित हुआ है, इसके अलावा "मालूमात का समन्दर" और "तजक़िरा अल्लामा मुहम्मद इब्राहीम बलियावी" वगैरह किताबें भी यहीं से शायी हुई हैं। जो किताबें मैंने उर्दू से हिन्दी में इस इदारे के लिये की हैं उनकी तायदाद भी पचास से अधिक है, इसी सिलसिले में एक और कड़ी यह जुड़ने जा रही है।

इस तफ़सीर को उर्दू से मिलती-जुलती हिन्दी भाषा (यानी हिन्दुस्तानी ज़बान) में पेश करने की कोशिश की गयी, हिन्दी के संस्कृत युक्त अलफ़ाज़ से परहेज़ किया गया है। कोशिश यह की है कि मजभूई तौर पर मजमून का मफ़हूम व मतलब समझ में आ जाये। फिर भी अगर कोई लफ़्ज़ या

किसी जगह का कोई मज़हब समझ में न आये तो उसको नोट करके किसी आलिम से मालूम कर लेना चाहिये।

तफ़सीर की यह तीसरी जिल्द आपके हाथों में है इन्शा-अल्लाह तआला बाकी की जिल्दें भी बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश की जायेंगी। इस तफ़सीर की तैयारी में कितनी मेहनत से काम लिया गया है इसका कुछ अन्दाज़ा उसी वक़्त हो सकता है जबकि उर्दू तफ़सीर को सामने रखकर मुकाबला किया जाये। तब मालूम होगा कि पढ़ने वालों के लिये इसे कितना आसान करने की कोशिश की गयी है। अल्लाह तआला हमारी इस मेहनत को कुबूल फ़रमाये और अपने बन्दों को इससे ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये आमीन।

इस तफ़सीर से फ़ायदा उठाने वालों से आजिज़ी और विनम्रता के साथ दरख़्वास्त है कि वे मुझ नाचीज़ के ईमान पर ख़ात्मे और दुनिया व आख़िरत में कामयाबी के लिये दुआ फ़रमायें। अल्लाह करीम इस खिदमत को मेरे माँ-बाप और उस्ताज़ों के लिये भी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाये, आमीन।

आख़िर में बहुत ही आजिज़ी के साथ अपनी कम-इल्मी और सलाहियत के अभाव का एतिराफ़ करते हुए यह अर्ज़ है कि बेऐब अल्लाह तआला की ज़ात है। कोई भी इनसानी कोशिश ऐसी नहीं जिसके बारे में सौ फ़ीसद यकीन के साथ कहा जा सके कि उसके अन्दर कोई ख़ामी और कमी नहीं रह गयी है। मैंने भी यह एक मामूली कोशिश की है, अगर मुझे इसमें कोई कामयाबी मिली है तो यह महज़ अल्लाह तआला का फ़ज़ल व करम, उसके पाक नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़रिये लाये हुए पैग़ाम (कुरआन व हदीस) की रोशनी का फ़ैज़, अपनी मादरे इल्मी दारुल-उलूम देवबन्द की निस्वत और मेरे असातिज़ा हज़रत की मेहनत का फल है, मुझ नाचीज़ का इसमें कोई कमाल नहीं। हाँ इन इल्मी जवाहर-पांरों को समेटने, तरतीब देने और पेश करने में जो ग़लती, ख़ामी और कोताही हुई हो वह यकीनन मेरी कम-इल्मी और नाकिस सलाहियत के सबब है। अहले नज़र हज़रत से गुज़ारिश है कि अपनी राय, मशिवरों और नज़र में आने वाली ग़लतियों व कोताहियों से मुत्तला फ़रमायें ताकि आईन्दा किये जाने वाले इल्मी कामों में उनसे लाभ उठाया जा सके। वस्तलाह

ताल्लिबे दुआ

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

79, महमूद नगर, गली नम्बर 6, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 251001

15 सितम्बर 2012

फ़ोन:- 0131-2442408, 09456095608, 09012122788

E-mail: imranqasmialig@yahoo.com

एक अहम बात

कुरआन मजीद के मतन को अरबी के अलावा हिन्दी या किसी दूसरी भाषा के रस्मुलख़त (लिपि) में बदलने पर अक्सर उलेमा की राय इसके विरोध में है। कुछ उलेमा का ख्याल है कि इस तरह करने से कुरआन मजीद के हफ़ों की अदायगी में तहरीफ़ (कमी-बेशी और रद्दोबदल) हो जाती है और उनको भय (डर) है कि जिस तरह इन्जील और तौरात तहरीफ़ का शिकार हो गईं वैसे ही खुदा न करे इसका भी वही हाल हो। यह तो ख़ैर नामुम्किन है, इसकी हिफ़ाज़त का वायदा अल्लाह तआला ने खुद किया है और करोड़ों हाफ़िज़ों को कुरआन मजीद मुँह-ज़बानी याद है।

इस सिलसिले में नाचीज़ मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी (इस तफसीर का हिन्दी अनुवादक) अर्ज़ करता है कि हकीकत यह है कि अरबी रस्मुलख़त के अलावा दूसरी किसी भी भाषा में कुरआन मजीद को कतई तौर पर सौ फ़ीसद सही नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए कि हफ़ों की बनावट के एतिबार से भी किसी दूसरी भाषा में यह गुंजाईश नहीं कि वह अरबी ज़बान के तमाम हुरूफ़ का मुतबादिल (विकल्प) पेश कर सके। फिर अगर किसी तरह कोई निशानी मुक़रर करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश भी की जाए तो 'मज़ारिजे हुरूफ़' यानी हुरूफ़ के निकालने का जो तरीका, मक़ाम और इल्म है वह उस वैकल्पिक तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। जबकि यह सब को मालूम है कि सिर्फ़ अलफ़ाज़ के निकालने में फ़र्क होने से अरबी ज़बान में मायने बदल जाते हैं। इसलिये अरबी मतन की जो हिन्दी दी गयी है उसको सिर्फ़ यह समझें कि वह आपके अन्दर अरबी कुरआन पढ़ने का शौक पैदा करने के लिये है। तिलावत के लिये अरबी ही पढ़िये और उसी को सीखिये। वरना हो सकता है कि किसी जगह गुलत उच्चारण के सबब पढ़ने में सवाब के बजाय अज़ाब के हक़दार न बन जायें।

मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना मुझसे हो सके इस तफसीर को आसान बनाऊँ मगर फिर भी बहुत से मक़ामात पर ऐसे इल्मी मज़ामीन आये हैं कि उनको पूरी तरह आसान नहीं किया जा सका, मगर ऐसी जगहें बहुत कम हैं, उनके सबब इस अहम और कीमती सरमाये से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर कोई मक़ाम समझ में न आये तो उस पर निशान लगाकर बाद में किसी आलिम से मालूम कर लें। तफसीर पढ़ने के लिये यक्सूई और इल्मीनान का एक वक़्त मुक़रर करना चाहिये, चाहें-बहु थोड़ा सा ही हो। अगर इस लंगन के साथ इसका मुताला जारी रखा जायेगा तो उम्मीद है कि आप इस कीमती

खज़ाने से इल्म व मालूमात का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर सकेंगे। यह बात एक बार फिर अर्ज किये देता हूँ कि असल मतन को अरबी ही में पढ़िये तभी आप उसका किसी कद्र हक अदा कर सकेंगे। यह खालिके कायनात का कलाम है अगर इसको सीखने में थोड़ा वक्त और पैसा भी खर्च हो जाये तो इस सौदे को सस्ता और लाभदायक समझिये। कल जब आखिरत का आलम सामने होगा और कुरआन पाक पढ़ने वालों को इनामात व सम्मान से नवाजा जायेगा तो मालूम होगा कि अगर पूरी दुनिया की दौलत और तमाम उम्र खर्च करके भी इसको हासिल कर लिया जाता तो भी इसकी कीमत अदा न हो पाती।

हमने रुकूअ, पाव, आधा, तीन पाव और सज्दे के निशानात मुकरर किये हैं इनको ध्यान से देख लीजिये।

रुकूअ	●	पाव	◆
आधा	●	तीन पाव	▲
सज्दा	●		

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी (मुज़फ़्फ़र नगर उ. प्र.)



बिस्मिल्लाहिररह्मानिररहीम

पेश-लफ्ज

वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद शफी साहिब मह जिल्लुहुम की तफसीर 'मआरिफुल-कुरआन' को अल्लाह तआला ने अयाम व इबास में असाधारण मकबूलियत अता फरमाई, और जिल्दे अब्बल का पहला संस्करण हाथों हाथ खत्म हो गया। दूसरे संस्करण की छपाई के वक्त हजरत मुसनिफ मह जिल्लुहुम ने पहली जिल्द पर मुकम्मल तौर से दोबारा नज़र डाली और उसमें काफी तरमीम व इजाफा अमल में आया। इसी के साथ हजरते वाला की इच्छा थी कि दूसरी बार छपने के वक्त पहली जिल्द के शुरू में कुरआनी उलूम और उसूल तफसीर से मुताल्लिक एक मुकद्दिमा भी तहरीर फरमायें, ताकि तफसीर के मुताले (अध्ययन) से पहले पढ़ने वाले हजरत उन ज़रूरी मालूमात से लाभान्वित हो सकें, लेकिन लगातार बीमारी और कमजोरी की बिना पर हजरत के लिये बजाते खुद मुकद्दिमे का लिखना और तैयार करना मुशिकल था, चुनौचे हजरते वाला ने यह जिम्मेदारी अहकर के सुपर्द फरमाई।

अहकर ने हुक्म के पालन में और इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिये यह काम शुरू किया तो यह मुकद्दिमा बहुत लम्बा हो गया, और कुरआनी उलूम के विषय पर खास मुफस्सल किताब की सूरत बन गई। इस पूरी किताब को 'मआरिफुल-कुरआन' के शुरू में बतौर मुकद्दिमा शामिल करना मुशिकल था, इसलिये हजरत वालिद साहिब के इशारे और राय से अहकर ने इस मुफस्सल किताब का खुलासा तैयार किया और सिर्फ वे चीजें बाकी रखीं जिनका मुताला तफसीर मआरिफुल-कुरआन के मुताला करने वाले के लिये ज़रूरी था, और जो एक आम पाठक के लिये दिलचस्पी का सबब हो सकती थी। उस बड़े मज़मून का यह खुलासा 'मआरिफुल-कुरआन' पहली जिल्द के इस संस्करण में मुकद्दिमे के तौर पर शामिल किया जा रहा है, अल्लाह तआला इसे मुसलमानों के लिये नाफे और मुफ़ीद (लाभदायक) बनाये और इस नाचीज़ के लिये अखिरत का ज़खीरा साबित हो।

इन विषयों पर तफसीली इल्मी मबाहिस (बहसों) अहकर की उस विस्तृत और तफसीली किताब में मिल सकेंगे जो इन्शा-अल्लाह तआला जल्द ही एक मुस्तकिल किताब की सूरत में प्रकाशित होगी (अब यह किताब 'उलूमुल-कुरआन' के नाम से प्रकाशित हो चुकी है)। लिहाज़ा जो हजरत तहकीक और तफसील के तालिब हों वे उस किताब की तरफ-रजू फरमायें। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तयक्कलु व इलैहि उनीब।

अहकर

मुहम्मद तक़ी उस्मानी

दारुल-उलूम कोरंगी, कराची- 14

23 रबीउल-अब्बल 1394 हिजरी

الاسماء الحسنى فادعوه بها ..

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
 وَاجْعَلْ لِي يَا رَبِّ
 اسْمًا حَسَنًا مِثْلَ
 اسْمِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
 وَاجْعَلْ لِي يَا رَبِّ
 اسْمًا حَسَنًا مِثْلَ
 اسْمِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

١٣٩٢

Wa lilahi asma ulhusna fad udu biha

मुख्तसर विषय-सूची

मज़ारिफुल-कुरआन जिल्द नम्बर (3)

उनवान	पेज
★ समर्पित	5
★ दिल की गहराईयों से शुक्रिया	6
★ प्रकाशक के कलम से	7
★ अनुवादक की ओर से	8
★ एक अहम बात	11
★ पेश लफ्ज़	13
सूर: मायदा	
★ आयत नम्बर 1	33
★ सूरत का शाने-नुज़ूल और मज़ामीन का खुलासा	33
★ खुलासा-ए-तफसीर	35
★ मज़ारिफ व मसाईल	35
★ आयत नम्बर 2	39
★ इस आयत के मज़मून का पीछे से सम्बन्ध	39
★ खुलासा-ए-तफसीर	41
★ मज़ारिफ व मसाईल	42
★ आपसी सहयोग व मदद का कुरआनी उसूल	44
★ कौमियतों की तकसीम	47
★ कौमियत और संगठन व एकता के लिये कुरआनी तालीम	47
★ आयत नम्बर 3 मय खुलासा-ए-तफसीर	51
★ मज़ारिफ व मसाईल	53
★ ईद और त्यौहार मनाने का इस्लामी उसूल	58
★ आयत नम्बर 4	63
★ इस आयत के मज़मून का पीछे से सम्बन्ध	64
★ खुलासा-ए-तफसीर	64
★ मज़ारिफ व मसाईल	65

उनवान	पेज
आयत नम्बर 5 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	66
मज़ारिफ़ व मसाईल	67
सिर्फ़ नाम के यहूदी व ईसाई जो वास्तव में दहरिये हैं वे इसमें दाख़िल नहीं	73
अहले किताब के खाने से क्या मुराद है?	74
अहले किताब का ज़बीहा हलाल होने की हिम्मत और वजह	75
खुलासा-ए-कलाम	80
आयत नम्बर 6-7	88
इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध	89
खुलासा-ए-तफ़सीर	89
आयत नम्बर 8-10 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	90
मज़ारिफ़ व मसाईल	91
परीक्षाओं के नम्बर, सनद व सर्टिफ़िकेट और चुनाव के वोट	
सब गवाही कें हुक्म में दाख़िल हैं	94
आयत नम्बर 11-12 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	96
मज़ारिफ़ व मसाईल	97
आयत नम्बर 13-14 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	103
मज़ारिफ़ व मसाईल	105
ईसाई फ़िर्कों में आपसी दुश्मनी	108
आयत नम्बर 15-18 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	108
मज़ारिफ़ व मसाईल	112
आयत नम्बर 19 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	113
मज़ारिफ़ व मसाईल	114
जमाना-ए-फ़तूरत की तहकीक	114
जमाना-ए-फ़तूरत के अहकाम	115
एक सवाल और उसका जवाब	115
खातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के विशेष कमालात की तरफ़ इशारा	116
आयत नम्बर 20-26 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	117
मज़ारिफ़ व मसाईल	120
पवित्र ज़मीन से कौनसी ज़मीन मुराद है?	123
कौम की इन्तिहाई बेवफ़ाई और भूसा अलौहिस्सलाम का बेइन्तिहा जमाव और हिम्मत	127
आयत नम्बर 27-32 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	131

उन्वान	पेज
✪ मज़ारिफ़ व मसाईल	135
✪ हाबील और काबील का फ़िस्सा	135
✪ ऐतिहासिक रिवायतों के नक़ल करने में एहतियात और सच्चाई वाजिब है	136
✪ अमल के कुबूल होने का मदार इख़लास और परहेज़गारी पर है	159
✪ आयत नम्बर 33-34 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	140
✪ जुर्म व सज़ा के चन्द कुरआनी नियम	140
✪ मज़ारिफ़ व मसाईल	141
✪ कुरआनी क़वानीन का अज़ीब व ग़रीब क्रातिकारी अन्दाज़	141
✪ शरई सज़ाओं की तीन किस्में	142
✪ आयत नम्बर 35-40 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	150
✪ मज़ारिफ़ व मसाईल	152
✪ आयत नम्बर 41-43	168
✪ इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध	165
✪ इन आयतों के नाज़िल होने का सबब व मौक़ा	165
✪ खुलासा-ए-तफ़सीर	169
✪ मज़ारिफ़ व मसाईल	171
✪ इस्लामी हुकूमत में ग़ैर-मुस्लिमों के मुक़द्दिमों का क़ानून	172
✪ यहूदियों की एक बुरी ख़स्तत	174
✪ अ़वाम के लिये उलेमा की पैरवी का उसूल	174
✪ यहूदियों की एक दूसरी बुरी ख़स्तत	176
✪ तीसरी बुरी ख़स्तत	176
✪ 'अल्लाह की किताब में रद्दोबदल करना'	176
✪ चौथी बुरी ख़स्तत रिश्तत ख़ोरी	177
✪ आयत नम्बर 44-50 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	178
✪ इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक	181
✪ मज़ारिफ़ व मसाईल	186
✪ कुरआन, तौरात और इंजील का भी मुहाफ़िज़ है	189
✪ नबियों की शरीअतों में आंशिक भिन्नता और उसकी हिक्मत	189
✪ मज़क़ूर आयतों में आये हुए स्पष्ट और ज़िम्नी अहक़ाम का खुलासा	191
✪ आयत नम्बर 51-58 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	192
✪ मज़ारिफ़ व मसाईल	197

उन्वान	पेज
★ शाने नुजूल	197
★ आयत नम्बर 59-61 मय खुलासा-ए-तफसीर	208
★ मअरिफ व मसाईल	210
★ दावत व तब्लीग में मुख्तब की रियायत	210
★ आयत नम्बर 62-63 मय खुलासा-ए-तफसीर	211
★ मअरिफ व मसाईल	211
★ यहूदियों की अख्लाकी हालत की तबाही	211
★ आमाल को सुधारने का तरीका	212
★ उलेमा पर अ़वाम के आमाल की जिम्मेदारी	213
★ उलेमा व बुजुर्गों के लिये एक चेतावनी	213
★ उम्मत के सुधार का तरीका	215
★ गुनाहों पर नफरत का इज़हार न करने पर सज़ा की धमकी	215
★ आयत नम्बर 64-67 मय खुलासा-ए-तफसीर	216
★ इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध	217
★ मअरिफ व मसाईल	219
★ यहूदियों की एक गुस्ताखी का जवाब	219
★ अल्लाह के अहकाम पर पूरा अ़मल दुनिया में भी बरकतों का सबब है	220
★ अल्लाह के अहकाम पर पूरा अ़मल किस तरह होता है	220
★ एक शुब्हा और उसका जवाब	221
★ तब्लीग की ताकीद और हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली	222
★ हज़्जतुल-यिदा के मौके पर हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक नसीहत	223
★ आयत नम्बर 68-69 मय खुलासा-ए-तफसीर	224
★ इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक	225
★ मअरिफ व मसाईल	225
★ अहले किताब को अल्लाह की शरीअत की पैरवी की हिदायत	225
★ अहकाम की तीन किस्में	227
★ हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को एक तसल्ली	228
★ चार कौमों को ईमान और नेक अ़मल की तरा़ीब और आख़िरत में निजात का बायदा	228
★ अल्लाह तआला के नज़दीक सम्मान व विशेषता का मदार नेक आमाल पर है	229
★ रिसालत पर ईमान लाये बग़ैर निजात नहीं	230

उन्वान

पेज

⊙ आयत नम्बर 70-71 मय खुलासा-ए-तफसीर	232
⊙ मआरिफ व मसाईल	233
⊙ बनी इस्राईल का अहद तोड़ना	233
⊙ आयत नम्बर 72-76 मय खुलासा-ए-तफसीर	234
⊙ मआरिफ व मसाईल	236
⊙ हजरत मसीह अलैहिससलाम के खुदा होने की तरदीद	237
⊙ हजरत मरियम अलैहिससलाम नबी थीं या वली?	237
⊙ आयत नम्बर 77-81 मय खुलासा-ए-तफसीर	238
⊙ मआरिफ व मसाईल	240
⊙ बनी इस्राईल के ग़लत चलन का एक दूसरा पहलू	240
⊙ बनी इस्राईल की इफ़रात व तफ़सीत	241
⊙ अल्लाह जल्ल शानुहू तक पहुँचने का तरीका	241
⊙ इल्मी तहकीक और गहन अध्ययन गुलू नहीं	242
⊙ बनी इस्राईल को दरमियानी रास्ते की हिदायत	243
⊙ बनी इस्राईल का बुरा अन्जाम	243
⊙ आयत नम्बर 82-86 मय खुलासा-ए-तफसीर	244
⊙ इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध	245

सातवाँ पारा (व इज़ा समिज़ू)

246

⊙ मआरिफ व मसाईल	247
⊙ यहूदियों व ईसाईयों में से कुछ लोगों की हक़-परस्ती	247
⊙ हजरत जाफ़र बिन अबी तालिब की तक़रीर का हब्शा के बादशाह पर असर	248
⊙ हब्शा के बादशाह के वफ़द की दरबारे नबी में हाज़िरी	248
⊙ कौम व मिल्लत की असली सह, इक़-परस्त उलेमा और बुजुर्ग हज़रात हैं	250
⊙ इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध	250
⊙ आयत नम्बर 87-88 मय खुलासा-ए-तफसीर	250
⊙ मआरिफ व मसाईल	251
⊙ दुनिया से बेताल्लुकी अगर अल्लाह की बताई हुई हदों के अन्दर हो तो जायज़, घरना हराम है	251
⊙ किसी हलाल चीज़ को हराम करार देने के तीन दर्जे	251
⊙ आयत नम्बर 89 मय खुलासा-ए-तफसीर	253

उनवान	पेज
इन आयतों के मजमून का पीछे से ताल्लुक	253
मआरिफ व मसाईल	254
कसम खाने की चन्द सूतों और उनसे संबन्धित अहकाम	254
कसम टूटने से पहले कफ़ारे की अदायेगी मोतबर नहीं	256
आयत नम्बर 90-92 मय खुलासा-ए-तफसीर	256
इन आयतों के मजमून का पीछे से जोड़	257
मआरिफ व मसाईल	258
कायनात की पैदाईश इनसान के लाभ उठाने के लिये है	258
'अज़लाम' की बज़ाहत	258
कुर्आ डालने की जायज़ सूत	259
शराब और जुए की जिस्मानी और रूहानी खराबियाँ	259
आयत नम्बर 93-96 मय खुलासा-ए-तफसीर	263
इन आयतों के मजमून का पीछे से संबन्ध	264
मआरिफ व मसाईल	266
आयत नम्बर 97-100 मय खुलासा-ए-तफसीर	268
मआरिफ व मसाईल	270
अमन व इत्मीनान के चार असबाब	270
बैतुल्लाह पूरे आलम का सुतून है	271
बैतुल्लाह का वजूद विश्व-शाति का सबब है	271
आयत के उतरने का मौका व सबब	275
आयत नम्बर 101-103 मय खुलासा-ए-तफसीर	277
मआरिफ व मसाईल	278
बेज़रूरत सवाल करने की मनाही	278
शाने नुज़ूल	279
हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद नुबुव्वत और वही का	279
सिलसिला खत्म है	279
बहीरा, सायबा वगैरह की तफसील	280
आयत नम्बर 104-105 मय खुलासा-ए-तफसीर	281
इन आयतों के मजमून का पीछे से ताल्लुक	281
मआरिफ व मसाईल	282
इन आयतों के उतरने का मौका और सबब	282

उन्वान	पेज.
ना-अहल को मुक्तदा बनाना तबाही को दायत देना है	283
पैरवी करने का मेयार	284
किसी की आलोचना करने का असरदार तरीका	284
मख्लूक के सुधार की फिक्र करने वालों को एक तसल्ली	284
गुनाहों की रोक-थाम के बारे में हज़रत सिदीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक खुतबा	285
मारूफ और मुन्कर के मायने	286
कुरआन व हदीस में ग़ौर व फिक्र करने वालों के विभिन्न अक़वाल में कोई शरई बुराई नहीं होती	286
आयत नम्बर 106-108	287
इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध	289
इन आयतों के नाज़िल होने का मौका व सबब	289
खुलासा-ए-तफसीर	289
मआरिफ व मसाईल	292
एक काफिर की गवाही दूसरे काफिर के मामले में माननीय है	293
जिस शख्स पर किसी का हक हो वह उसको कैद कर सकता है	293
आयत नम्बर 109-110	294
इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध	295
खुलासा-ए-तफसीर	295
मआरिफ व मसाईल	296
कियामत में अम्बिया अलैहिस्सलाम से सबसे पहले सवाल होगा	296
एक शुक्ल और उसका जवाब	297
एक सवाल और उसका जवाब	298
अम्बिया हज़रत की इन्तिहाई शफ़क्त का ज़हूर	298
मेहशर में पाँच चीज़ों का सवाल	299
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से विशेष सवाल व जवाब	299
अल्लाह की बारगाह में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब	300
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कुछ विशेष इनामों का जिक्र	300
आयत नम्बर 11-115 मय खुलासा-ए-तफसीर	301
मआरिफ व मसाईल	303

उन्वान	पेज
★ जब नेमत असाधारण और बड़ी हो तो नाशुकी का क्याल भी बड़ा होता है	304
★ आयत नम्बर 116-118 मय खुलासा-ए-तफसीर	307
★ मजारिफ व मसाईल	307
★ इन आयतों से मालूम होने वाली घन्द अहम बातें	307
★ आयत नम्बर 119-120	309
★ इन आयतों के मजमून का पीछे से ताल्लुक	309
★ खुलासा-ए-तफसीर	309
★ मजारिफ व मसाईल	311
सूर: अन्आम	
	315
★ आयत नम्बर 1-5 मय खुलासा-ए-तफसीर	315
★ मजारिफ व मसाईल	316
★ आयत नम्बर 6-11 मय खुलासा-ए-तफसीर	321
★ मजारिफ व मसाईल	323
★ आयत नम्बर 12-14 मय खुलासा-ए-तफसीर	328
★ मजारिफ व मसाईल	329
★ आयत नम्बर 15-21 मय खुलासा-ए-तफसीर	330
★ मजारिफ व मसाईल	333
★ आयत नम्बर 22-26 मय खुलासा-ए-तफसीर	338
★ मुशिरक लोगों के कामयाब न होने की कैफियत	339
★ मजारिफ व मसाईल	340
★ आयत नम्बर 27-32 मय खुलासा-ए-तफसीर	345
★ मजारिफ व मसाईल	348
★ आयत नम्बर 33-41 मय खुलासा-ए-तफसीर	352
★ काफिरों की बेहूदा बातों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह की तरफ से तसल्ली	354
★ मजारिफ व मसाईल	357
★ मख्रूक के हुकूक की हद से ज्यादा अहमियत	358
★ आयत नम्बर 42-45 मय खुलासा-ए-तफसीर	359
★ मजारिफ व मसाईल	360
★ आयत नम्बर 46-49 मय खुलासा-ए-तफसीर	365

उन्वान	पेज
आयत नम्बर 50-51 मय खुलासा-ए-तफसीर	366
मआरिफ व मसाईल	367
अरब के काफिरों की तरफ से दुश्मनी के तौर पर फरमाईशी मौजिजों का मुतालवा	367
आयत नम्बर 52-55 मय खुलासा-ए-तफसीर	373
मआरिफ व मसाईल	375
घमण्ड व जाहिलीयत का खात्मा और इज्जत व जिल्लत का इस्लामी मेयार इस्लाम में अमीर व गरीब का कोई भेदभाव नहीं	375
चन्द अहकाम और हिदायतें	379
तौबा से हर गुनाह माफ हो जाता है	382
आयत नम्बर 56-58 मय खुलासा-ए-तफसीर	384
इन आयतों के मजमून का पीछे से सम्बन्ध	385
आयत नम्बर 59-62 मय खुलासा-ए-तफसीर	387
मआरिफ व मसाईल	387
गुनाहों से बचने का बेहतरीन नुस्खा	387
कुरआनी परिभाषा में इल्म-ए-गैब और आम मुतलक कुदरत सिर्फ अल्लाह तआला की खास सिफत है, कोई मख्लूक इसमें शरीक नहीं	388
आयत नम्बर 63-64 मय खुलासा-ए-तफसीर	396
मआरिफ व मसाईल	397
अल्लाह के इल्म और उसकी कामिल कुदरत की कुछ निशानियाँ	397
एक सबक लेने वाली बात	398
हादसों और मुसीबतों का असली इलाज	398
आयत नम्बर 65-67 मय खुलासा-ए-तफसीर	401
मआरिफ व मसाईल	402
अल्लाह के अजाब की तीन किस्में	403
आयत नम्बर 68-73 मय खुलासा-ए-तफसीर	412
मआरिफ व मसाईल	415
बेदीन और गलत लोगों की मज्लिसों से परहेज का हुक्म	415
आयत नम्बर 74-81 मय खुलासा-ए-तफसीर	421
मआरिफ व मसाईल	423
अक़यद व आमाल के सुधार की दावत अपने घर और अपने खानदान से शुरू करनी चाहिये	424


उनवान	पेज
दो कौमी दृष्टिकोण, मुसलमान एक कौम और काफिर दूसरी कौम है	421
तक्लीफ व दावत में हिक्मत व तदबीर से काम लेना नबियों का तरीका और सुन्नत है	426
इस्लाम के प्रचारकों के लिये चन्द हिदायतें	428
आयत नम्बर 82-89 मय खुलासा-ए-तफसीर	430
मआरिफ व मसाईल	432
आयत नम्बर 90-94 मय खुलासा-ए-तफसीर	437
मआरिफ व मसाईल	440
आयत नम्बर 95-98 मय खुलासा-ए-तफसीर	445
मआरिफ व मसाईल	446
मख्लूक़ात के आराम के लिये रात की क़ुदरती और ज़बरी निर्धारण एक अज़ीम नेमत है	447
सूरज और चाँद का हिसाब	449
आयत नम्बर 99-102 मय खुलासा-ए-तफसीर	453
मआरिफ व मसाईल	454
आयत नम्बर 103-107 मय खुलासा-ए-तफसीर	456
मआरिफ व मसाईल	457
अल्लाह तआला के दीदार का मसला	458
आयत नम्बर 108-113 मय खुलासा-ए-तफसीर	464
आठवाँ पारा (व लौ अन्नना)	465
मआरिफ व मसाईल	466
किसी गुनाह का सबब बनना भी गुनाह है	469
आयत नम्बर 114-117 मय खुलासा-ए-तफसीर	474
मआरिफ व मसाईल	475
आयत नम्बर 118-121 मय खुलासा-ए-तफसीर	480
इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध	481
मआरिफ व मसाईल	483
आयत नम्बर 122 मय खुलासा-ए-तफसीर	484
मआरिफ व मसाईल	484
मोमिन जिन्दा है और काफिर मुदा	485

- उनवान		पेज
★	इंमान नूर है और कुफ्र अंधेरी	487
★	इंमान के नूर का फायदा दूसरों को भी पहुँचता है	489
★	आयत नम्बर 123-125 मय खुलासा-ए-तफसीर	490
★	मआरिफ व मसाईल	491
★	नुबुव्वत व रिस्सालत मेहनत से हासिल की जाने वाली और इख्तियारी चीज नहीं, बल्कि एक ओहदा है.....	493
★	दीन में दिली इत्मीनान और उसकी पहचान	494
★	सहाबा किराम को दीन में दिली इत्मीनान हासिल था, इसलिये शक व शुब्हात बहुत कम पेश आये	495
★	शक व शुब्हात के दूर करने का असली तरीका बहस व मुवाहसा नहीं दिली इत्मीनान को हासिल करना है	495
★	आयत नम्बर 126-128 मय खुलासा-ए-तफसीर	496
★	मआरिफ व मसाईल	497
★	आयत नम्बर 129-132 मय खुलासा-ए-तफसीर	502
★	मआरिफ व मसाईल	503
★	मेहशर में लोगों की जमाअतें आमाल व अख्लाक की बुनियाद पर होंगी, दुनियावी ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं	503
★	दुनिया में भी आमाल व अख्लाक का सामूहिक मामलात में असर	504
★	एक ज़ालिम को दूसरे ज़ालिम के हाथ से सजा मिलती है	505
★	क्या जिन्नात में भी रसूल होते हैं?	507
★	हिन्दुओं के अवतार भी उमूमन जिन्नात हैं, उनमें किसी रसूल व नबी होने का गुमान व संभावना है	508
★	आयत नम्बर 133-136 मय खुलासा-ए-तफसीर	509
★	मआरिफ व मसाईल	511
★	अल्लाह तआला सबसे बेनियाज है, कायनात की पैदाईश सिर्फ उसकी रहमत का नतीजा है	512
★	किसी इनसान को अल्लाह ने बेनियाज नहीं बनाया, इसमें बड़ी हिक्मत है, इनसान बेनियाज हो जाये तो जुल्म करता है	512
★	काफिरों की इस चेतावनी में मुसलमानों के लिये सबक	515
★	आयत नम्बर 137-140 मय खुलासा-ए-तफसीर	516
★	इन आयतों के मज़मून का पोछे से ताल्लुक	517

उनवान	पेज
★ आयत नम्बर 141-142 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	519
★ मआरिफ़ व मसाईल	521
★ ज़मीन का उशर	523
★ आयत नम्बर 143-144 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	526
★ आयत नम्बर 145-147 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	528
★ आयत नम्बर 148-150 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	530
★ आयत नम्बर 151-153 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	532
★ मआरिफ़ व मसाईल	534
★ ज़िक्र हुई आयतों की अहम विशेषतायें	535
★ ये आयतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वसीयत नामा हैं	536
★ सबसे पहला बड़ा गुनाह शिर्क है जिसको हराम किया गया है	537
★ शिर्क का मतलब और उसकी किस्में	537
★ दूसरा गुनाह माँ-बाप से बदसलूकी है	538
★ तीसरा हराम, औलाद का क़त्ल करना	539
★ औलाद की तालीमी अख़्लाकी तरबियत न करना और बेदीनी के लिये आज़ाद छोड़ देना भी एक तरह से औलाद का क़त्ल है	541
★ चौथा हराम बेहयाई का काम है	541
★ पाँचवाँ हराम नाहक किसी को क़त्ल करना है	543
★ छठा हराम, यतीम का माल नाजायज़ तौर पर खाना	544
★ सातवाँ हराम नाप-तौल में कमी	545
★ अफ़सरों, मुलाज़िमों, मज़दूरों का अपनी तयशुदा इयूटी और ज़िम्मेदारी में कोताही करना भी नाप-तौल में कमी करने के हुक्म में है	545
★ आठवाँ हुक्म अदल व इन्साफ़ है इसके खिलाफ़ करना हराम है	547
★ नवाँ हुक्म अल्लाह के अहद को पूरा करना, यानी अहद तोड़ने का हराम होना	548
★ आयत नम्बर 154-157 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	551
★ मआरिफ़ व मसाईल	553
★ आयत नम्बर 158 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	554
★ मआरिफ़ व मसाईल	555
★ आयत नम्बर 159-160 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	559
★ मआरिफ़ व मसाईल	560
★ दीन में बिदअत ईजाद करने पर सख्त चेहरे	561

उनवान	पेज
आयत नम्बर 161-165 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	565
मआरिफ़ व मसाईल	567
किसी के गुनाह का भार दूसरा नहीं उठा सकता	569
सूर: आराफ़	
	573
आयत नम्बर 1-7	575
सूरत के मजामीन का खुलासा	576
खुलासा-ए-तफ़सीर	576
मआरिफ़ व मसाईल	577
आयत नम्बर 8-10 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	579
मआरिफ़ व मसाईल	579
आमाल का वज़न होने के बारे में एक शुब्हा और जवाब	581
आमाल का वज़न किस तरह होगा?	583
आयत नम्बर 11-18 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	586
मआरिफ़ व मसाईल	589
शैतान की दुआ कियामत तक जिन्दगी की कुबूल हुई या नहीं, कुबूल होने की	
सूरत में दो आयतों के आपस में टकराने वाले अलफ़ाज़ की आपस में मुवाफ़क़त	589
क्या काफ़िर की दुआ भी कुबूल हो सकती है?	590
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान के वाक़िए के विभिन्न अलफ़ाज़	591
शैतान को यह ज़ुरत कैसे हुई कि अल्लाह की बारगाह में ऐसी बेधड़क गुफ़्तगू की	591
शैतान का हमला इनसान पर चार दिशाओं में सीमित नहीं, आम है	591
आयत नम्बर 19-25 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	592
मआरिफ़ व मसाईल	594
आयत नम्बर 26-27 मय खुलासा-ए-तफ़सीर	595
मआरिफ़ व मसाईल	596
लिबास के दो फ़ायदे	597
इनसान पर शैतान का पहला हमला	597
ईमान के बाद सबसे पहला फ़र्ज़ सतर का ढाँकना है	598
नया लिबास बनाने के वक़्त पुराने लिबास को सदाक़ा कर देने का बड़ा सवाब	598
सतर ढाँकना पहले दिन से इनसान का फ़ितरी अमल है, तरकी का	
नया फ़ल्सफ़ा ग़लत है	598

उनवान	पेज
☆ लिबास की एक तीसरी किस्म	598
☆ जाहिरी लिबास का भी असल मकसद तक़वा हासिल करना है	599
☆ आयत नम्बर 28-31 मय खुलासा-ए-तफसीर	601
☆ मआरिफ व मसाईल	602
☆ नमाज़ में सतर ढाँकना फर्ज़ है उसके बगैर नमाज़ नहीं होती	607
☆ नमाज़ के लिये अच्छा लिबास	607
☆ नमाज़ में लिबास के मुताल्लिक़ चन्द मसाईल	608
☆ खाना पीना ज़रूरत के मुताबिक़ फर्ज़ है	609
☆ दुनिया की चीज़ों में असल उनका जायज़ व मुवाह होना है	609
☆ खाने-पीने में हद से बढ़ना जायज़ नहीं	609
☆ खाने-पीने में दरमियानी रह ही दीन व दुनिया के लिये लाभदायक है	610
☆ एक आयत से आठ शरई मसाईल	611
☆ आयत नम्बर 32-34 मय खुलासा-ए-तफसीर	612
☆ मआरिफ व मसाईल	614
☆ उम्दा लिबास और लज़ीज़ खाने से परहेज़ इस्लाम की तालीम नहीं.	615
☆ खाने और पहनने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत	616
☆ आयत नम्बर 35-39 मय खुलासा-ए-तफसीर	619
☆ आयत नम्बर 40-43 मय खुलासा-ए-तफसीर	622
☆ मआरिफ व मसाईल	624
☆ शरीअत के अहक़ाम में आसानी की रियायत	627
☆ जन्नत वालों के दिलों से आपसी मन-मुटाव निकाल दिये जायेंगे	627
☆ हिदायत के विभिन्न दर्जे हैं जिसका आख़िरी दर्जा जन्नत में दाख़िल होना है	629
☆ आयत नम्बर 44-49 मय खुलासा-ए-तफसीर	629
☆ मआरिफ व मसाईल	632
☆ आराफ़ वाले कौन लोग हैं?	633
☆ सलाम का मसून लफ़्ज़	635
☆ आयत नम्बर 50-53 मय खुलासा-ए-तफसीर	637
☆ आयत नम्बर 54 मय खुलासा-ए-तफसीर	639
☆ मआरिफ व मसाईल	640
☆ आसमान व ज़मीन की पैदाईश में छह दिन की मुद्दत क्यों हुई	640
☆ ज़मीन व आसमान और सितारों की पैदाईश से पहले दिन रात कैसे पहचाने गये?	641

उनवान	पेज
★ आयत नम्बर 55-56 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	644
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	
★ ज़मीन की दुरुस्ती और ख़राबी क्या है और लोगों के गुनाहों का इसमें क्या दख़ल है	650
★ आयत नम्बर 57-58 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	655
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	655
★ आयत नम्बर 59-64 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	661
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	662
★ आयत नम्बर 65-72 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	669
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	670
★ आद और समूद कौमों का मुख्तार इतिहास	670
★ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का नसब-नामा और कुछ हालत	671
★ आयत नम्बर 73-76 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	675
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	676
★ अहकाम व मसाईल	680
★ आयत नम्बर 77-79 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	681
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	682
★ आयत नम्बर 80-84 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	685
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	687
★ आयत नम्बर 85-87 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	691
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	693
नवाँ पारा (क़ाल्लू म-लउ)	698
★ आयत नम्बर 88-93 मय खुलासा-ए-तफ़्सीर	698
★ मज़ारिफ़ व मसाईल	701
	




Derived from the works of Emin Barin (12)

"Lō ilāha illā Allāh"

* सूरः मायदा *

यह सूरत मदनी है। इसमें 120 आयतें
और 16 रुकूअ हैं।



Small, faint text or markings located below the main illustration, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

सूर: मायदा

أَيَّانَهَا ۱۱۰ (۵) سُورَةُ الْمَائِدَةِ مَدِينَتُهُ ۱۱۱ وَكُنُوزُهَا ۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمَةٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

सूर: मायदा मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 120 आयतें और 16 रकूअ हैं।

बिस्मिल्लाहिररहमानिररहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

या अय्युहल्लजी-न आमनू औफू बिल्-
अुकूदि, उहिल्लत् लकुम् बहीमतुल्-
अनुआमि इल्ला मा युत्ता अलैकुम्
गै-र मुहिल्लिस्सैदि व अन्तुम् हुरुमुन्,
इन्नल्ला-ह यस्कुम् मा युरीद (1)

ऐ ईमान वालो! पूरा करो अहदों को,
हलाल हुए तुम्हारे लिये चौपाये भवेशी
सिवाय उनके जो तुमको आगे सुनाये
जायेंगे, मगर हलाल न जानो शिकार को
एहराम की हालत में, अल्लाह हुक्म करता
है जो चाहे। (1)

सूरत का शाने-नुज़ूल और मज़ामीन का खुलासा

यह सूर: मायदा की शुरू की आयत है। सूर: मायदा सब के नज़दीक मदीनी सूरत है और मदीनी सूरतों में भी आखिर की सूरत है। यहाँ तक कि कुछ हज़रत ने इसको कुरआन पाक की आखिरी सूरत भी कहा है। मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अस्मा बिनते यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत से नकल किया गया है कि सूर: मायदा रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उस वक़्त नाज़िल हुई जबकि आप सफ़र में अज़बा नाम की ऊँटनी पर सवार थे। वही उतरते वक़्त जो असाधारण भार और बोझ हुआ करता था दस्तूर के अनुसार उस वक़्त भी हुआ, यहाँ तक कि ऊँटनी आजिज़ हो गयी तो आप ऊँटनी से नीचे उतर आये। यह सफ़र बज़ाहिर हज्जतुल-विदा (आखिरी हज) का सफ़र है जैसा कि कुछ रिवायतों से इसकी ताईद होती है। हज्जतुल-विदा हिजरत के दसवें साल में हुआ, और इससे वापसी के बाद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुनियावी हयात (ज़िन्दगी) तफ़रीबन अस्सी दिन

रही। इब्ने हब्बान ने बहरे मुहीत में फरमाया कि सूर: मायदा के कुछ हिस्से सफ़रे हुदैविया में और कुछ फ़त्हे-मयका के सफ़र में और कुछ हज्जतुल-विदा के सफ़र में नाज़िल हुए हैं। इससे मालूम हुआ कि यह सूरत कुरआन उतरने के आखिरी मरहलों में नाज़िल हुई है, चाहे विल्फुल आखिरी सूरत न हो।

तफसीर रूहुल-मअज़नी में अबू उवेद हज़रत हमज़ा बिन हबीब और अतीया बिन कैस के हवाले से यह रिवायत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मन्कूल है:

المائدة من آخر القرآن تنزيلاً فاحلوا حلالها وحرموا حرمها.

यानी सूर: मायदा उन चीज़ों में से है जो कुरआन नाज़िल होने के आखिरी दौर में नाज़िल की गयी हैं। इसमें जो चीज़ हलाल की गयी है उसको हमेशा के लिये हलाल और जो चीज़ हराम की गयी है उसको हमेशा के लिये हराम समझो।

इसी किस्म की एक रिवायत इब्ने कसीर ने मुस्तद्रक हाकिम के हवाले से हज़रत जुबैर बिन नुफैर रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल की है कि वह हज के बाद हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के पास हाज़िर हुए तो आपने फरमाया- जुबैर तुम सूर: मायदा पढ़ते हो? इन्होंने अर्ज़ किया हाँ पढ़ता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि यह कुरआन पाक की आखिरी सूरत है, इसमें जो अहकाम हलाल व हराम के आये हैं वह मोहकम (स्थिर) हैं। उनमें नसब (रद्दोबदल) का शुक्क नहीं है, उनका ख़ास एहतिमाम करो।

सूर: मायदा में भी सूर: निसा की तरह फुरुई अहकाम, मामलात, मुआहदे वगैरह के ज़्यादा बयान किये गये हैं। इसी लिये रूहुल-मअज़नी के लेखक ने फरमाया है कि सूर: ब-क़रह और सूर: आले इमरान मज़ामीन के एतिबार से एक जैसी हैं। क्योंकि इनमें ज़्यादातर अक्कीदों के बुनियादी अहकाम- तौहीद, रिसालत, क़ियामत वगैरह के आये हैं। फुरुई अहकाम ज़िमनी हैं, और सूर: निसा और सूर: मायदा मज़ामीन के एतिबार से एक जैसी हैं कि इन दोनों में ज़्यादातर फुरुई अहकाम का बयान है, उसूल का बयान ज़िमनी है। सूर: निसा में आपसी मामलात और बन्दों के हुक्क पर जोर दिया गया है। शौहर-बीवी के हुक्क, यतीमों के हुक्क, माँ-बाप और दूसरे रिश्तेदारों के हुक्क की तफसील बयान हुई है। सूर: मायदा की पहली आयत में भी इन तमाम मामलात और मुआहदों की पाबन्दी और उनके पूरा करने की हिदायत आई है:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

इसीलिये सूर: मायदा का दूसरा नाम सूर: उकूद (मुआहदों वाली सूरत) भी है। (बहरे मुहीत) मुआहदों और मामलात के बारे में यह सूरत और ख़ास तौर पर इसकी शुरू की आयत एक ख़ास हैसियत रखती है। इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब हज़रत अमर बिन हज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन का आपिल (गवर्नर) बनाकर भेजा और एक फ़रमान लिखकर उनके हवाले किया तो उस फ़रमान के शुरू में आपने यह आयत तहरीर फ़रमाई थी।

खुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालों! (तुम्हारे ईमान का तकाज़ा यह है कि अपने) अहदों को (जो कि अपने ईमान के तहत तुमने अल्लाह तआला से किये हैं) पूरा करो (यानी शरीअत के अहकाम पर अमल करो, क्योंकि ईमान लाने से सब का पूरा करना लाज़िम हो गया और उनके लाज़िम होने का तकाज़ा यह है कि उनको पूरा किया जाये)। तुम्हारे लिए तमाम चौपाये "यानी चार पैरों पर चलने वाले चरने वाले जानवर" (जैसे ऊँट, बकरी, गाय वगैरह जिनका हलाल होना इससे पहले सूर: अन्जाम में है जो कि मक्की सूरात है, मालूम हो चुका है, पर उनके जैसे जितने चौपाये हैं सब) हलाल किये गये हैं (जैसे हिरन, नील गाय वगैरह, कि ये भी ऊँट बकरी गाये के जैसे हैं, कि दरिन्दे और शिकारी नहीं, सिवाय उन जानवरों के जो कि शरीअत की दूसरी दलीलों हदीस वगैरह से मख़सूस और अलग हो चुके हैं, जैसे गधा, खच्चर वगैरह। इन अलग किये हुए जानवरों के अलावा और सब जानवर जंगली व पालतू हलाल हैं) मगर जिनका जिक्र आगे (आयत नम्बर 3 में) आता है, (कि वो मवेशी चौपायों में दाख़िल होने और हदीस वगैरह से खास किये गये जानवरों से ख़ारिज होने के बावजूद भी हराम हैं, और बाकी तुम्हारे लिये हलाल हैं), लेकिन (उनमें जो) शिकार (हैं उन) को हलाल मत समझना जिस हालत में कि तुम एहराम (या हरम) में हो, (जैसे हज व उमरे का एहराम बाँधे हुए हो अगरचे हरम से बाहर हो, या यह कि हरम के अन्दर हो कि ग़ालिबन शिकार भी हरम के अन्दर होगा, क्योंकि हुक्म का असल मदार शिकार का हरम के अन्दर होना है चाहे एहराम बाँधे हुए न होओ दोनों हालतों में शिकार यानी खुशकी व जंगली का हराम है)। बेशक अल्लाह तआला जो चाहें हुक्म करें (यानी वही मस्तेहत होता है। पर जिस जानवर को चाहा हमेशा के लिये उसकी जात ही के एतिबार से हराम कर दिया, मजबूरी और बेक़रारी की बात अलग है। और जिसको चाहा हमेशा के लिये हलाल कर दिया। जिसको चाहा किसी हालत में हलाल कर दिया, किसी हालत में हराम कर दिया। तुमको हर हाल में हुक्म का पालन करना लाज़िमी है।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इस सूरात की पहली आयत का पहला जुमला एक ऐसा जामे जुमला है कि उसकी तशरीह व तफ़सीर (बयान व व्याख्या) में हजारों पृष्ठ लिखे जा सकते हैं, और लिखे गये हैं। इरशाद है:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ لُوا بِالْعُرْدِ

यानी ऐ ईमान वालों! अपने मुआहदों (वायदों और समझौतों) को पूरा किया करो। इसमें पहले:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

(ऐ ईमान वालों!) से ख़िताब फ़रमाकर मजमून की अहमियत की तरफ़ मुतवज्जह कर दिया

गया कि इसमें जो हुक्म है वह पूरी तरह ईमान का तकाज़ा है। इसके बाद हुक्म फ़रमाया:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

(अपने अहदों को पूरा करो) लफ्ज़ उक़ूद अक़द की जमा (बहुवचन) है जिसके लफ्ज़ी में बाँधने के हैं। और जो मुआहदा दो शख्सों या दो जमाअतों में बंध जाये उसको भी अक़द जाता है। इसलिये वह भी अहद व समझौते के मायने में हो गया।

इमामे तफ्सीर इब्ने जरीर ने मुफ़स्सरीन सहाबा व ताबिईन का इस पर इजमा (एक होना) नक़ल किया है। इमाम जस्तास ने फ़रमाया कि अक़द कहा जाये या अहद व मुआहदा इसका हुक्म ऐसे मामले पर होता है जिसमें दो फ़रीकों ने आने वाले ज़माने में कोई काम या छोड़ने की पाबन्दी एक दूसरे पर डाली हो। और दोनों मुत्ताफ़िक़ (सहमत) होकर उपाबन्द हो गये हों। हमारे उर्फ़ (बोलचाल) में इसी का नाम मुआहदा है। इसी लिये इस जुमहे मजमून का खुलासा यह हो गया कि आपसी मुआहदों का पूरा करना लाज़िम व ज़रूरी समझो।

अब यह देखना है कि इन मुआहदों (समझौतों और अहदों) से कौनसे मुआहदे मुराद इसमें हज़राते मुफ़स्सरीन के अक़वाल बज़ाहिर भिन्न नज़र आते हैं। किसी ने कहा है कि इन्हीं मुराद वो मुआहदे हैं जो अल्लाह तआला ने अपने बन्दों से ईमान व फ़रमाँबरदारी के मुताल्लिक़ लिये हैं। या वो मुआहदे जो अल्लाह तआला ने अपने नाज़िल किये हुए अहकाम हलाल व हारम से मुताल्लिक़ अपने बन्दों से लिये हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह मन्कूल है, और कुछ ने फ़रमाया कि मुआहदों से इस जगह वो मुआहदे मुराद हैं जो लोग आपसी में एक दूसरे से कर लिया करते हैं- जैसे निकाह का मुआहदा, ख़रीद व बेच का मुआहदा वगैरह। मुफ़स्सरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) में से इब्ने ज़ैद और ज़ैद बिन असलम इसी तरफ़ गये हैं और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि मुआहदों से वह हलफ़ और मुआहदे मुराद हैं जो ज़माना-जाहिलीयत (इस्लाम से पहले ज़माने) में एक दूसरे से आपसी सहयोग के लिये कर लिया करते थे। इमाम मुजाहिद, रबीअ, कतादा वगैरह मुफ़स्सरीन ने भी यही फ़रमाया है, लेकिन सही यह है कि इनमें कोई टकराव या भिन्नता नहीं, बल्कि ये सब किस्म के मुआहदे लफ्ज़ उक़ूद तहत में दाख़िल हैं, और सभी को पूरा करने के लिये कुरआने करीम ने हिदायत दी है।

इसी लिये इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने फ़रमाया कि मुआहदों की जितनी किस्में हैं सब लफ्ज़ के हुक्म में दाख़िल हैं, और फिर फ़रमाया कि इसकी प्रारंभिक़ तीन किस्में हैं- एक मुआहदा (समझौता और अहद) जो इनसान का रब्बुल-आलमीन (यानी अल्लाह तआला) के साथ है। मसलन् ईमान, नेकी करने और फ़रमाँबरदारी का अहद या हलाल व हारम की पाबन्दी अहद। दूसरे वह मुआहदा जो एक इनसान का खुद अपने नफ़्स के साथ है, जैसे किसी चीज़ नज़र (मन्त) अपने ज़िम्मे मान ले, या शपथ लेकर कोई चीज़ अपने ज़िम्मे लाज़िम कर ले। तीसरे वह मुआहदा जो एक इनसान का दूसरे इनसान के साथ है। और इस तीसरी किस्म में तमाम मुआहदे शामिल हैं जो दो शख्सों या दो जमाअतों या दो हुक्मतों के बीच होते हैं।

हुक्मतों के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते या आपसी समझौते। जमाअतों के आपसी अहद

समझाते और दो इनसानों के बीच हर तरह के मामूलात- निकाह, तिजारत, साझेदारी, मजदूरी व नौकरी, हिबा वगैरह इन तमाम मुआहदों में जो जायज शर्तें आपस में तय हो जायें इस आयत की रू से उनकी पाबन्दी हर फरीक पर लाजिम व वाजिब है। और जायज की कैद (शर्त) इसलिये लगाई कि खिलाफे शरीअत शर्त लगाना या उसका कुबूल करना किसी के लिये जायज नहीं।

इसके बाद आयत के दूसरे जुमले में इस आम ज़ाव्ते के खास अंशों और हिस्सों का जिक्र फरमाया गया है। इरशाद है:

أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ

लफ्ज बहीमा उन जानवरों के लिये बोला जाता है जिनको आदतन बिना अक्ल वाले समझा जाता है। क्योंकि लोग उनकी बोली को आदतन नहीं समझते तो उनकी मुराद अस्पष्ट रहती है। और इमाम शेअरानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि बहीमा को बहीमा इसलिये नहीं कहते कि उसको अक्ल नहीं और अक्ल की बातें उस पर गैर-वाजेह रहती हैं, जैसा कि लोगों का आम ख्याल है, बल्कि हकीकत यह है कि अक्ल व समझ से कोई जानवर बल्कि कोई पेड़-पौधा और पत्थर भी खाली नहीं। हाँ दर्जों का फर्क जरूर है। इन चीजों में उतनी अक्ल नहीं है जितनी इनसान में, इसी लिये इनसान को अहकाम का मुकल्लफ (पाबन्द) बनाया गया है, जानवरों को मुकल्लफ नहीं बनाया गया। वरना अपनी जिन्दगी की जरूरतों की हद तक हर जानवर बल्कि हर पेड़-पत्थर को हक तअला ने अक्ल व समझ बख्शी है। यही तो वजह है कि हर चीज अल्लाह तअला की तस्बीह करती है। कुरआन में इसकी वज़ाहत है:

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

अक्ल न होती तो अपने खालिक व मालिक को किस तरह पहचानती और किस तरह तस्बीह करती।

इमाम शेअरानी के फरमाने का खुलासा यह है कि बहीमा को बहीमा इसलिये नहीं कहते कि उसकी बेअक्ली के सबब मालूमात उस पर मुह्रम (अस्पष्ट) रहते हैं, बल्कि इसलिये कि उसकी बोली लोग नहीं समझते, उसका कलाम लोगों पर मुह्रम (अस्पष्ट) रहता है। बहरहाल लफ्जे बहीमा हर जानदार के लिये बोला जाता है और कुछ हज़रात ने फरमाया कि चौपाये जानदारों के लिये यह लफ्ज इस्तेमाल होता है।

और लफ्जे "अन्आम" नअम की जमा (बहुवचन) है। पालतू जानवर जैसे ऊँट, गाय, भैंस, बकरी वगैरह जिनकी आठ किस्में सूर: अन्आम में बयान फरमाई गयी हैं उनको अन्आम कहा जाता है। बहीमा का लफ्ज आम था, अन्आम के लफ्ज ने इसको खास कर दिया। मुराद आयत की यह हो गयी कि धरेलू जानवरों की आठ किस्में तुम्हारे लिये हलाल कर दी गयीं। लफ्ज उक्लू के तहत में अभी आप पढ़ चुके हैं कि तमाम मुआहदे दाखिल हैं। उनमें से एक मुआहदा वह भी है जो अल्लाह तअला ने अपने बन्दों से हलाल व हराम की पाबन्दी के मुताल्लिक लिया है। इस

जुमलें में इस खास मुआहदे का बयान आया है कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये ऊँट, बकरी, गाय, भैंस वगैरह को हलाल कर दिया है, इनको शरई कायदे के मुवाफिक़ जिबह करके खा सकते हैं।

अल्लाह तआला के इस हुक्म की इन हदों के अन्दर रखकर पाबन्दी करो। न तो मजूसी और बुत-परस्तों की तरह बिल्कुल ही इन जानवरों के जिबह करने ही को हराम करार दो कि यह अल्लाह की हिक्मत पर एतिराज करना और उसकी नेमत की नाशुकी है। और न दूसरे गोशु खाने वाले फिकों की तरह बेक़ैद होकर हर तरह के जानवर को खा जाओ। बल्कि अल्लाह तआला के दिये हुए क़ानून के तहत जिन जानवरों को उसने हलाल किया है उनको खाओ, और जिन जानवरों को हराम करार दिया है उनसे बचो। क्योंकि अल्लाह तआला ही ख़ालिके कायनात हैं। वह हर जानवर की हकीकत और ख़्यास (गुणों व ख़ासियतों) से और इनसान के अन्दर उनसे पैदा होने वाले असरात से वाकिफ़ हैं। वह पाक और सुथरी चीज़ों को इनसान के लिये हलाल कर देते हैं। जिनके खाने से इनसान की जिस्मानी सेहत पर या रूहानी अख़्लाक पर बुरा असर पड़े, और गन्दे नापाक जानवरों से मना फ़रमाते हैं जो इनसानी सेहत के लिये घातक और नुक़सानदेह हैं या उनके अख़्लाक ख़राब करने वाले हैं। इसी लिये इस आम हुक्म से चन्द चीज़ों को अलग किया और बाहर रखा।

हुक्म से बाहर रखी गयी पहली चीज़ यह है:

إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ

यानी सिवाय उन जानवरों के जिनका हराम होना कुरआन में बयान कर दिया गया है मसलन मुर्दार जानवर या सुअर वगैरह। दूसरी चीज़ जो हुक्म से अलग रखी गयी यह है:

غَيْرِ مُجَلَّبِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

जिसका मतलब यह है कि चौपाये जानवर तुम्हारे लिये हलाल हैं और जंगल का शिकार भी हलाल है मगर जबकि तुमने हज या उमरे का एहराम बाँधना हुआ हो तो उस वक़्त शिकार करना जुर्म व गुनाह है, उससे बचो। आयत के आख़िर में इरशाद फ़रमाया:

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

यानी अल्लाह तआला जो चाहता है हुक्म देता है, किसी को हक़ नहीं कि उसके मानने में आना-कानी (क्यों और कैसे का सवाल) करे। इसमें शायद इस हिक्मत की तरफ़ इशारा है कि इनसान के लिये कुछ जानवरों को जिबह करके खाने की इजाज़त कोई जुल्म नहीं। जिस मालिक ने ये सब जानें बनाई हैं उसी ने पूरी हिक्मत व समझदारी के साथ यह क़ानून भी बनाया है कि अदना को आला के लिये ग़िज़ा बनाया है, ज़मीन की मिट्टी दरख़्तों की ग़िज़ा है, दरख़्त जानवरों की ग़िज़ा और जानवर इनसान की ग़िज़ा। इनसान से आला (ऊँचे रूतबे वाली) कोई मख़्लूक इस दुनिया में नहीं है इसलिये इनसान किसी की ग़िज़ा नहीं बन सकता।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّعْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَيَرْضَوْنَ إِذَا حَلَّتْكُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاَنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ سَوَاءً لَّيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

अच्छे से

या अय्युहल्लजी-न आमनू ला तुहिल्लू
 शआ-इरल्लाहि व लश्शहरल्-हरा-म
 व लल्-हद्-य व लल्फ़लाइ-द व ला
 आम्मीनल् बैतल्-हरा-म यब्तरगू-न
 फज़लम् मिरिब्बिहिम् व रिज़्वानन्, व
 इज़ा हलल्लतुम् फस्तादू व ला
 यज़िमन्नकुम श-नआनु कौमिन् अन्
 सददूकुम् अनिल् मस्जिदिल्-हरामि
 अन् तअत्तदू। व तआवनू अलल्-
 बिरि वत्तक्वा व ला तआवनू अलल्-
 इस्मि वल्-अुद्वानि वत्तकुल्ला-ह,
 इन्नल्ला-ह शदीदुल्-अिकाब (2) ❖

ऐ ईमान वाले! हलाल न समझो अल्लाह
 की निशानियों को और न अदब वाले
 महीने को और न उस जानवर को जो
 नियाज़ काबे की हो, और न जिनके गले
 (में) पट्टा डालकर ले जायें काबा, और
 न जाने वालों को सम्मान वाले घर की
 तरफ, जो ढूँढते हैं फज़ल अपने रब का
 और उसकी खुशी, और जब एहराम से
 निकलो तो शिकार कर लो, और सबब न
 हो तुमको उस कौम की दुश्मनी जो कि
 तुमको रोकती थी सम्मान वाली मस्जिद
 से इस पर कि ज्यादाती करने लगे। और
 आपस में मदद करो नेक काम पर और
 परहेज़गारी पर, और मदद न करो गुनाह
 पर और जुल्म पर, और डरते रहो
 अल्लाह से, बेशक अल्लाह का अज़ाब
 सख्त है। (2) ❖

इस आयत के मज़मून का पीछे से सम्बन्ध

सूर: मायदा की पहली आयत में मुआहदों (संधियों, समझौतों और वायदों) के पूरा करने की ताकीद थी। उन मुआहदों (समझौतों) में से एक मुआहदा यह भी है कि अल्लाह तआला के मुकरर किये हुए हलाल व हराम की पाबन्दी की जाये। इस दूसरी आयत में इस मुआहदे की दो अहम दफ़आत (बातों और धाराओं) का बयान है। एक अल्लाह के निशानात का सम्मान व एहराम और उनकी बेहुर्मती से बचने की हिदायत, दूसरी अपने और गैर, दोस्त और दुश्मन सब के साथ अदल व इन्साफ़ का मामला और जुल्म का बदला जुल्म से लेने की मनाही।

इस आयत के उतरने का संबंध चन्द वाक़िआत हैं। पहले उनको सुन लीजिए ताकि आयत

का मजमून पूरी तरह दिल में बैठ सके। एक वाकिया हुदैबिया का है जिसकी तफसील कुरआन ने दूसरी जगह बयान फरमाई है। वह यह कि हिजरत के छठे साल में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम ने इरादा किया कि उमरा करें। हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक हजार से अधिक सहाबा के साथ एहराम उमरा बाँधकर मक्का मुअज्जमा के इरादे से रवाना हुए। मक्का के करीब हुदैबिया के स्थान में पहुँचकर मक्का वालों को इत्तिला दी कि हम किसी जंग या जंगी मकसद के लिये नहीं, बल्कि सिर्फ उमरा करने के लिये आ रहे हैं, हमें उसकी इजाजत दो। मक्का के मुशिरकों ने इजाजत न दी और बड़ी सख्त और कड़ी शर्तों के साथ यह मुआहदा किया कि इस वक्त सब अपने एहराम खोल दें और वापस जायें। अगले साल उमरा के लिये इस तरह आयें कि हथियार साथ न हों, सिर्फ तीन रोज़ ठहरें और उमरा करके चले जायें। और भी बहुत सी ऐसी शर्तें थीं जिनका तस्लीम कर लेना बज़ाहिर मुसलमानों के वकार व इज्जत के मनाफ़ी था। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म पर सब मुत्मईन होकर वापस हो गये। फिर सन् 7 हिजरी में दोबारा जीकादा के महीने में उन्हें शर्तों की पाबन्दी के साथ यह उमरा कज़ा किया गया।

बहरहाल हुदैबिया के वाकिए और इन अपमान जनक शर्तों ने सहाबा किराम के दिलों में मक्का के मुशिरकों की तरफ से इन्तिहाई नफ़रत व बुग़ज़ का बीज बो दिया था। दूसरा वाकिया यह पेश आया कि मक्का के मुशिरकों में से हतीम बिन हिन्द अपना तिजारत का माल लेकर मदीना तय्यिबा आया और माल बेचने के बाद अपना सामान और आदमी मदीना से बाहर छोड़कर हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और मुनाफ़िकाना (धोखा देने के लिये झूठ) तौर पर अपना इस्लाम लाने का इरादा ज़ाहिर किया ताकि मुसलमान उससे मुत्मईन हो जायें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके आने से पहले ही वही के ज़रिये ख़बर पाकर सहाबा किराम को बतला दिया था कि हमारे पास एक शख्स आने वाला है जो शैतान की ज़बान से कलाम करेगा। और जब यह वापस गया तो आपने फरमाया कि यह शख्स कुफ़्र के साथ आया और धोखे व ग़दारी के साथ लौटा है। यह शख्स हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मजलिस से निकल कर सीधा मदीना से बाहर पहुँचा, जहाँ मदीना वालों के जानवर चर रहे थे, उनको हंका कर साथ ले गया। सहाबा किराम को इसकी इत्तिला कुछ देर में हुई। पीछा करने के लिये निकले तो वह उनकी पहुँच से बाहर हो चुका था। फिर जब हिजरत के सातवें साल हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहाबा किराम के साथ हुदैबिया के उमरे की कज़ा के लिये जा रहे थे तो दूर से तबले की आवाज़ सुनी और देखा कि वही हतीम बिन हिन्द मदीना वालों के उन जानवरों को जो मदीना से लाया था कुरबानी के लिये अपने साथ लिये हुए उमरा करने जा रहा है। उस वक्त सहाबा किराम का इरादा हुआ कि उस पर हमला करके अपने जानवर छीन लें और उसको यहीं ख़त्म कर दें।

तीसरा वाकिया यह हुआ कि हिजरत के आठवें साल रमज़ान मुबारक में मक्का मुकर्रमा फ़तह हुआ और तकरीबन पूरे अरब पर इस्लामी क़ब्ज़ा हो गया। और मक्का के मुशिरकों को

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वू सल्लम ने वगैर किसी इन्तिकाम के (बदला लिये हुए) आजाद फरमा दिया। वे आजादी के साथ अपने सब काम करते रहे, यहाँ तक कि अपने जाहिलाना (इस्लाम से पहले के) तरीके पर हज व उमरे की रस्में भी अदा करते रहे। उस वक्त कुछ सहाबा किराम के दिलों में हुदैबिया के वाकिए का इन्तिकाम (बदला) लेने का ख्याल आया कि इन्होंने हमें जायज और हक तरीके पर उमरा करने से रोक दिया था, हम इनके नाजायज और ग़लत तरीके के उमरे व हज को क्यों आजाद छोड़ें, इन पर हमला करें, इनके जानवर छीन लें और इनको खत्म कर दें।

ये वाकिआत इमाम इब्ने जरीर ने हज़रत इकिमा व सुदी की रिवायत से नक़ल किये हैं। ये चन्द वाकिआत थे जिनकी बिना पर यह आयत नाज़िल हुई। जिसमें मुसलमानों को यह हिदायत दी गयी कि अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम (सम्मान) तुम्हारा अपना फर्ज है, किसी दुश्मन के बुग़ज़ व दुश्मनी की वजह से इसमें ख़लल डालने की क़तई इजाज़त नहीं। अशहुरे-हुरुम (सम्मानित महीनों) में क़त्ल व क़िताल भी जायज नहीं। कुरबानी के जानवरों को हरम तक जाने से रोकना या उनका छीन लेना भी जायज नहीं, और जो मुशिरक लोग एहराम बाँधकर अपने ख्याल के मुताबिक अल्लाह तआला के फ़ज़ल व रज़ा हासिल करने के इरादे से चले हैं (अगरचे कुरा की वजह से उनका यह ख्याल ग़लत और बुरा है लेकिन) अल्लाह के शआइर (निशानों और मक़ामात) की हिफ़ाज़त व एहतिसाम का तकाज़ा यह है कि उनसे कोई टकराव न किया जाये। तथा वे लोग जिन्होंने तुम्हें उमरा करने से रोक दिया था, उनके बुग़ज़ व दुश्मनी का इन्तिकाम इस तरह लेना जायज नहीं कि मुसलमान उनको मक्का में दाख़िल होने या हज के शआइर (अरकान) अदा करने से रोक दें। क्योंकि उनके जुल्म के बदले में हमारी तरफ़ से जुल्म हो जायेगा, जो इस्लाम में जायज़ और सही नहीं। अब आयत की पूरी तफ़सीर देखिये।

खुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! खुदा तआला (के दीन) की निशानियों की (यानी जिन चीज़ों के अदब की हिफ़ाज़त के दास्ते खुदा तआला ने कुछ अहकाम मुक़रर किये हैं, उन अहकाम के खिलाफ़ करके उनकी बेअदबी न करो। मसलन हरम और एहराम का यह अदब मुक़रर किया है कि उसमें शिकार न करो तो शिकार करना बेअदबी और हराम होगा) और सम्मान वाले महीने की (बेअदबी करो कि उसमें काफ़िरों से लड़ने लगो) और न (हरम में) कुरबानी होने वाले जानवर की (बेअदबी करो कि उससे छेड़छाड़ करने लगो) और न उन (जानवरों) की (बेअदबी करो) जिनके गले में (इस निशानी के लिये) पट्टे पड़े हुए हों (कि यह अल्लाह की नियामत है, हरम में जिबह होंगे) और न उन लोगों की (बेअदबी करो) जो कि बैतुल-हराम (यानी बैतुल्लाह) के इरादे से जा रहे हों (और) अपने रब के फ़ज़ल और रज़ामन्दी के तालिब हों। (यानी इन चीज़ों के अदब के सबब काफ़िरों के साथ भी छेड़छाड़ और टकराव मत करो) और (ऊपर की आयत में जो एहराम के अदब के सबब शिकार को हराम फ़रमाया गया है वह एहराम ही तक है करना)

जिस वक्त तुम एहराम से बाहर आ जाओ तो (इजाज़त है कि) शिकार किया करो (वशत कि वह शिकार हरम में न हो) और (ऊपर जिन चीजों से टकराव और छेड़ से मना किया गया है इसमें) ऐसा न हो कि तुमको किसी कौम से जो इस सबब से बुग़ज़ व नफ़रत है कि उन्होंने तुमको (हुदैविया के साल में) मस्जिदे-हराम (में जाने) से रोक दिया था, (मुराद कुरैश के काफ़िर हैं) वह (बुग़ज़) तुम्हारे लिए इसका सबब हो जाए कि तुम (शरीअत की) हद से निकल जाओ (यानी वयान हुए अहकाम के खिलाफ़ कर बैठो। ऐसा न करना) और नकी और परहेजगारों (की बातों) में एक-दूसरे की मदद किया करो, (जैसे यह अहकाम हैं कि इनमें दूसरों को भी अमल करने को तरग़ीब दो) और गुनाह और "जुल्म व" ज्यादतों (की बातों में) एक-दूसरे की मदद मत करो, (जैसे यही अहकाम हैं अगर कोई इनके खिलाफ़ करने लगे तो तुम उसकी मदद मत करो) और अल्लाह तआला से डरा करो (कि इससे सब अहकाम की पाबन्दी आसान हो जाती है) बेशक अल्लाह तआला (अहकाम की मुखालफ़त करने वाले को) सख़्त सज़ा देने वाले है।

मआरिफ़ व मसाईल

आयत के पहले जुमले में इरशाद है:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ

यानी ऐ इमान वाले अल्लाह की निशानियों की बेकद्री न करो।

इसमें लफ़्ज़ शआइर जिसका तर्जुमा निशानियों से किया गया है, शईरा की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं अलामत (पहचान और निशानी), इसी लिये शआइर और शईरा उस महसूस चीज़ को कहा जाता है जो किसी चीज़ की अलामत हो। शआइरे इस्लाम उन आमाल व अफ़आल को कहा जायेगा जो उर्फ़ में (आम बोल-चाल और सामाजिक तौर पर मुसलमान होने की अलामत समझे जाते हैं और देखे व महसूस किये जाते हैं, जैसे नमाज़ अज़ान, हज, ख़तना और सुन्नत के मुयाफ़िक़ दाढ़ी वगैरह। शआइरल्लाह की तफ़सीर इस आयत में मुख़लिफ़ अलफ़ाज़ से निकल की गयी है मगर साफ़ बात यह है जो तफ़सीर बहने मुहीत और रुहुल-मआनी में हज़रत हसन बसरी और हज़रत अता रह. से मन्कूल है, और इमाम जस्सास ने इसको तमाम अक़वाल के लिये जामे (जमा करने वाली) फ़रमाया है, और वह यह कि शआइरल्लाह से मुराद तमाम शरई और दीन के मुकरर किये हुए वाजिबात व फ़राईज़ और उनकी हदें हैं। इस आयत में ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि के इरशाद का यही हासिल है कि अल्लाह के शआइर की बेकद्री न करो। और शआइरल्लाह की बेकद्री एक तो यह है कि सिर-से उन अहकाम को नज़र-अन्दाज़ कर दिया जाये, दूसरे यह है कि उन पर अमल तो करें मगर अधूरा करें, पूरा न करें। तीसरे यह कि मुकरर की हुई हदों (सीमाओं) से निकल करके आगे बढ़ने लगे। ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि में इन तीनों सूतों से मना फ़रमाया गया है।

यही हिदायत धुरआने करीम ने दूसरे उनवान से इस तरह इरशाद फ़रमाई है:

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

यानी जो शख्स अल्लाह की अदब व सम्मान वाली चीजों का सम्मान व आदर करे तो वह दिलों के तक़वे का असर है। आयत के दूसरे जुमले में शआइरुल्लाह की एक खास किस्म यानी शआइरे हज (हज की निशानियों) की कुछ तफसीलात बताई गयी हैं। इरशाद है:

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَمَرْضَانًا

यानी सम्मानित महीने में क़त्ल व क़िताल (लड़ाई और क़त्ल) करके उसकी बेहर्मती न करो। सम्मानित महीने वो चार महीने हैं जिनमें आपसी जंग करना शरअन हराम था। जोक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब (यानी इस्लामिक कैलेंडर का ग्यारहवाँ, बारहवाँ, पहला और सातवाँ महीना) बाद में यह हुक्म जमहूर उलेमा के नज़दीक मन्सूख (निरस्त और रद्द) हो गया, तथा मक्का के हरम में कुरबान होने वाले जानवर और खुसूसन जिनके गले में कुरबानी की निशानी के तौर पर क़लादा डाला गया है, उनकी बेक़द्री न करो। उन जानवरों की बेक़द्री की एक सूरत तो यह है कि उनको हरम तक पहुँचने से रोक दिया जाये या छीन लिया जाये। दूसरी सूरत यह है कि उनसे कुरबानी के अलावा कोई दूसरा काम सवारी या दूध हासिल करने वगैरह का लिया जाये। आयत ने इन सब सूरतों को नाजायज़ करार दे दिया।

फिर फ़रमाया:

وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَمَرْضَانًا

यानी उन लोगों की बेक़द्री व अपमान न करो जो हज के लिये मस्जिदे हराम का इरादा करके घर से निकले हैं, और इस सफ़र से उनका मक़सद यह है कि वे अपने रब का फ़ज़ल और रज़ा हासिल करें। उन लोगों की बेक़द्री न करने का मतलब यह है कि इस सफ़र में उनसे टकराव या रुकावट का मामला न किया जाये। न कोई तकलीफ़ पहुँचाई जाये। इसके बाद इरशाद फ़रमाया:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

यानी पहली आयत में एहराम की हालत में शिकार की जो मनाही की गयी है उसकी हद बतलाई गयी कि जब तुम एहराम से फ़ारिग हो जाओ तो शिकार करने की मनाही खत्म हो गयी। अब शिकार कर सकते हो।

ऊपर ज़िक्र हुई आयत में उस मुआहदे के अहम भाग का बयान हो रहा है जो हर इंसान और रब्बुल-आलमीन के बीच है। उसके चन्द्र हिस्सों का यहाँ तक बयान हुआ है। जिसमें अब्बल मुतलक़ तौर पर अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम (सम्मान) करना और उनकी बेक़द्री व अनादर करने से बचने की हिदायत है, और फिर खास तौर पर उन अल्लाह की निशानियों की कुछ तफसीलात हैं जो हज से मुताल्लिक़ हैं। उनमें हज के इरादे से आने वाले मुसाफ़िरों और उनके साथ आने वाले कुरबानी के जानवरों से किसी किस्म की रुकावट डालने और उनकी बेहर्मती से बचने की हिदायत की है।

इसके बाद मुआहदे का दूसरा भाग इस तरह इरशाद फरमाया:

وَلَا يَجْرِتْكُمْ شَأْنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا.

यानी जिस कौम ने तुमको हुदैबिया के वाकिए के वक्त मक्का में दाखिल होने और उमरा करने से रोक दिया था और तुम सख्त गुम व गुस्से के साथ नाकाम वापस आ रहे थे। अब जबकि तुमको कुव्वत और ताकत हासिल है तो ऐसा न होना चाहिये कि पिछले वाकिए के गुम व गुस्से और नफरत का इन्तिकाम इस तरह लिया जाये कि तुम उनको बैतुल्लाह और मस्जिदे हराम में दाखिल होने और हज करने से रोकने लगे। क्योंकि यह जुल्म है, और इस्लाम जुल्म का इन्तिकाम जुल्म से लेना नहीं चाहता बल्कि जुल्म के बदले में इन्साफ़ करना और इन्साफ़ पर कायम रहना सिखलाता है। उन्होंने अपनी कुव्वत व सत्ता के वक्त मुसलमानों को मस्जिदे हराम में दाखिल होने और उमरा करने से जुल्मन रोक दिया था, तो उसका जवाब यह न होना चाहिये कि अब मुसलमान अपने इक्तिदार (ताकत व इख्तियार) के वक्त उनको हज के उन अरकान से रोक दें।

कुरआने करीम की तालीम यह है कि अदल व इन्साफ़ में दोस्त व दुश्मन सब बराबर होने चाहिये, तुम्हारा दुश्मन कैसा ही सख्त हो और उसने तुम्हें कैसी ही तकलीफ़ पहुँचाई हो, उसके मामले में इन्साफ़ ही करना तुम्हारा फ़र्ज है।

यह इस्लाम ही की विशेषताओं में से है कि वह दुश्मनों के हुक्क की हिफाज़त करता है और उनके जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं बल्कि इन्साफ़ से देना सिखलाता है।

आपसी सहयोग व मदद का कुरआनी उसूल

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

यह सूर: मायदा की दूसरी आयत का आखिरी जुमला है। इसमें कुरआन हकीम ने एक ऐसे उसूली और बुनियादी मसले के बारे में एक हकीमाना फैसला दिया है जो पूरे वैश्विक निज़ाम की रूह है, और जिस पर इनसान की हर बेहतरी व कामयाबी बल्कि खुद उसकी जिन्दगी और बका मौकूफ़ है। वह मसला है आपसी सहयोग व मदद का। हर समझ व होश रखने वाला इनसान जानता है कि इस दुनिया का पूरा इन्तिज़ाम इनसानों के आपसी सहयोग व मदद पर कायम है। अगर एक इनसान दूसरे इनसान की मदद न करे तो कोई अकेला इनसान चाहे वह कितना ही अक्लमन्द या कितना ही जोरावर या मालदार हो, अपनी जिन्दगी की जरूरतों को तन्हा हासिल नहीं कर सकता। अकेला इनसान न अपनी गिज़ा के लिये गुल्ला उगाने से लेकर खाने के काबिल बनाने तक के तमाम मराहिल को तय कर सकता है, न लिबास वगैरह के लिये रूई की काश्त से लेकर अपने बदन के मुवाफ़िक कपड़ा तैयार करने तक बेशुमार समस्याओं को हल कर सकता है, और न अपने बोझ को एक जगह से दूसरी जगह मुत्तकिल कर सकता है। गर्ज़ कि हर इनसान अपनी जिन्दगी के हर क्षेत्र और मैदान में दूसरे हजारों, लाखों इनसानों का मोहताज

है। उनके आपसी सहयोग व मदद से ही सारी दुनिया का निज़ाम चलता है। और अगर गौर किया जाये तो यह मदद व सहयोग दुनियावी ज़िन्दगी ही में ज़रूरी नहीं, मरने से लेकर कब्र में दफ़न होने तक के सारे मराहिल भी इसी मदद व सहयोग के मोहताज हैं। बल्कि उसके बाद भी अपने पीछे रहने वालों की दुआ-ए-मंगुफ़िरत और ईसाले-सवाब का मोहताज रहता है।

हक जल्ल शानुहू ने अपनी हिक्मत बालिगा और कामिल कुदरत से इस जहान का ऐसा स्थिर निज़ाम बनाया है कि हर इनसान को दूसरे का मोहताज बना दिया। ग़रीब आदमी पैसों के लिये मालदार का मोहताज तो बड़े से बड़ा मालदार भी मेहनत व मशक्कत के लिये ग़रीब मज़दूर का मोहताज है। सौदागर ग्राहकों का मोहताज है और ग्राहक सौदागरों का। मकान बनाने वाला राज मिस्त्री, लुहार, बढई का मोहताज है और ये सब उसके मोहताज हैं। अगर यह सब को शामिल ज़रूरत व एहतियाज न होती और मदद व सहयोग महज़ अख़्लाकी बरतरी पर रह जाता तो कौन किसका काम करता। इसका वही हश्र होता जो आम अख़्लाकी मूल्यों का इस दुनिया में हो रहा है, और अगर कामों की यह तकसीम किसी हुक्मत या अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की तरफ़ से कानून की शकल में लागू कर भी दी जाती तो इसका भी वही अन्जाम होता जो आज पूरी दुनिया में दुनिया के कानून का हो रहा है, कि कानून रजिस्ट्रों में महफूज़ है और बाज़ार और दफ़्तरों में रिश्तत, बेजा रियायत, जिम्मेदारी से बेपरवाही और बेअमली का कानून चल रहा है। यह सिर्फ़ तमाम हिक्मत वालों से ज़्यादा हकीम और कादिर मुतलक का खुदाई निज़ाम है कि मुख़लिफ़ लोगों के दिलों में मुख़लिफ़ कारोबार की उमंग और सलाहियत पैदा कर दी। उन्होंने अपनी-अपनी ज़िन्दगी की धुरी व मक़सद उसी काम को बना लिया:

हर यके रा बहरे कारे साख़्तन्द मैले ऊ रा दर दिलश अन्दाख़्तन्द

तर्जुमा:- अल्लाह तआला ने हर किसी को किसी खास काम के लिये पैदा किया है और फिर उस काम की दिलचस्पी व रुज़ान उसके दिल में डाल दिया है। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

वरना अगर कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था या कोई हुक्मत लोगों में कामों की तकसीम करती और किसी जमाअत को बढई के काम के लिये, किसी को लुहार के काम के लिये, किसी को झाड़ू देने और सफ़ाई करने के लिये, किसी को पानी के लिये, किसी को खुराक के लिये मुक़रर करती तो कौन उसके हुक्म की ऐसी इताअत (पालन) करता कि दिन का चैन और रात की नींद ख़राब करके उस काम में लग जाता।

अल्लाह तआला जल्ल शानुहू ने हर इनसान को जिस काम के लिये पैदा किया है उस काम की रुबत (रुचि व-दिलचस्पी) उसके दिल में डाल दी। यह बग़ैर किसी कानूनी मजबूरी के उस ख़िदमत ही को अपनी ज़िन्दगी का काम समझता है, उसके ज़रिये अपनी रोज़ी हासिल करता है। इस स्थिर निज़ाम का यह नतीजा होता है कि इनसान की सारी ज़रूरतें चन्द टके (रुपये) ख़र्च करने से आसानी के साथ हासिल हो जाती हैं। पका-पकाया खाना, सिला-सिलाया कपड़ा, बना-बनाया फ़र्नीचर, तैयार शुदा मकान सब कुछ एक इनसान कुछ पैसे ख़र्च करके हासिल कर लेता है। अगर यह निज़ाम न होता तो एक करोड़पति इनसान अपनी पूरी दौलत लुटाकर भी गेहूँ

का एक दाना हासिल न कर सकता। इसी कुदरती निज़ाम का नतीजा है कि आप होटल में ठहरकर जिस-जिस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं अगर उनकी छानबीन करें तो मालूम होगा कि आटा अमेरिका का, घी पंजाब का, गोश्त सिंध का, मसाले विभिन्न मुल्कों के, बरतन और फ़र्नीचर मुज़ल्लिफ़ मुल्कों का, काम करने वाले बड़े चावर्ची विभिन्न शहरों के आपकी ख़िदमत में लगे हुए हैं, और एक लुक्मा जो आपके मुँह तक पहुँचा है उसमें लाखों मशीनों, जानवरों और इनसानों ने काम किया है, तब यह आपके ज़ायके को संचार सका है। आप सुबह घर से निकले, तीन चार मील जाना है जिसकी ताक़त या फ़ुर्सत आपको नहीं। आपको अपने किसी करीबी मक़ाम में टैक्सी और रिक्शा या बस खड़ी हुई मिलेगी, जिसका लोहा ऑस्ट्रेलिया का, लकड़ी बर्मा की, मशीनरी अमेरिका की, ड्राइवर फ़्रिन्टियर का, कंडेक्टर यू. पी. का, यह कहाँ-कहाँ के सामान और कहाँ-कहाँ की मज़दूर आपकी ख़िदमत के लिये खड़ी है कि सिर्फ़ चन्द पैसे देकर आप इन सबसे ख़िदमत ले लें। उनको किस हुक्मत ने मजबूर किया है या किसने पाबन्द किया है कि ये सारी चीज़ें आपके लिये मुहैया कर दें, सिवाय उस क़ानून कुदरत के जो दिलों के मालिक ने कुदरती तौर पर हर एक के दिल पर जारी फ़रमा दिया है।

आजकल सोशलिस्ट मुल्कों ने इस कुदरती निज़ाम को बदलकर इन चीज़ों को हुक्मत की ज़िम्मेदारी बना लिया कि कौन इनसान क्या काम करे। इसके लिये उनको सबसे पहले जबर व जुल्म के ज़रिये इनसानों की आज़ादी छीननी पड़ी जिसके नतीजे में हजारों इनसानों को क़त्ल किया गया, हजारों को कैद किया गया, बाकी बचे इनसानों को सख़्त जबर व जुल्म के ज़रिये मशीन के पुर्जों की तरह इस्तेमाल किया। जिसके नतीजे में अगर किसी जगह कुछ चीज़ों की पैदावार बढ़ भी गयी तो इनसानों की इनसानियत ख़त्म करके बढ़ी, तो यह सौदा सस्ता नहीं पड़ा। कुदरती निज़ाम में हर इनसान आज़ाद भी है और कुदरती तक्सीम तबीयतों की बिना पर ख़ास-ख़ास कामों के लिये मजबूर भी, और वह मजबूरी भी चूँकि अपनी तबीयत से है इसलिये उसको कोई भी जबर (दबाव) महसूस नहीं करता। सख़्त से सख़्त मेहनत और घटिया से घटिया काम के लिये खुद आगे बढ़ने वाले और कोशिश करके हासिल करने वाले हर जगह हर ज़माने में मिलते हैं। और अगर कोई हुक्मत उनको इस काम के लिये मजबूर करने लगे तो ये सब उससे भागने लगेंगे।

खुलासा यह है कि सारी दुनिया का निज़ाम आपसी मदद व सहयोग पर कायम है। लेकिन इस तसव्वुर का एक दूसरा रुख़ भी है कि अगर अपराध, चोरी, डाका, क़त्ल व ग़ारतगरी वगैरह के लिये यह आपसी मदद व सहयोग होने लगे, चोर और डाकुओं की बड़ी-बड़ी और संगठित ताक़तवर जमाअतें बन जायें तो यही मदद व सहयोग इस दुनिया के सारे निज़ाम को तबाह भी कर सकता है। मालूम हुआ कि यह आपसी मदद व सहयोग एक दो धारी तंतुवार है जो अपने ऊपर भी चल सकती है और दुनिया के निज़ाम (ब्यवस्था) को बरबाद भी कर सकती है। इसलिये इसमें ऐसा होना कुछ दूर की बात भी न थी कि अपराध और क़त्ल व ग़ारत या नुक़सान पहुँचाने के लिये आपसी मदद व सहयोग की कुव्वत इस्तेमाल करने लगें। और यह

तिफ्र आशंका नहीं बल्कि वास्तविकता बनकर दुनिया के सामने आ गया तो उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर दुनिया के बुद्धिजीवियों ने अपनी सुरक्षा के लिये विभिन्न और अनेक नज़रियों पर खास-खास जमाअतों पर कौमों की बुनियाद डाली, कि एक जमाअत या एक कौम के खिलाफ जब कोई दूसरी जमाअत या कौम हमलावर हो तो ये सब उनके मुकाबले में आपसी मदद व सहयोग की कुव्वत को इस्तेमाल करके बचाव और सुरक्षा कर सकें।

कौमियतों की तकसीम

अब्दुल-करीम शहरिस्तानी की किताब "मिलल व नहल" में है कि शुरू में जब तक इनसानी आबादी ज्यादा नहीं थी तो दुनिया की चार दिशाओं के एतिवार से चार कौमों बन गयीं। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। इनमें से हर एक दिशा के लोग अपने आपको एक कौम और दूसरों को दूसरी कौम समझने लगे। और इसी बुनियाद पर मदद व सहयोग कायम कर लिया। इसके बाद जब आबादी ज्यादा फैली तो हर दिशा के लोगों में नसबी और खानदानी बुनियादों पर कौमियत और संगठन का तसब्बुर एक उसूल बन गया। अरब का सारा निज़ाम इसी नसबी और कबाईली बुनियाद पर था। इसी पर जंगें लड़ी जाती थीं। वनू हाशिम एक कौम, वनू तमीम दूसरी कौम, वनू खुज़ाआ तीसरी कौम। हिन्दुस्तान के हिन्दुओं में तो आज तक ऊँची जात और नीची जात का भेदभाव और फर्क इसी तरह चल रहा है।

यूरोपियन कौमों के नये दौर ने न कोई अपना नसब बाकी रखा न दुनिया के नसबों को कुछ समझा। जब दुनिया में उनकी तरक्की हुई तो नसबी और कबाईली कौमियतें और तकसीमें खत्म करके फिर इलाकाई और सूबाई (क्षेत्रीय), वतनी और लिसानी (भाषाई) बुनियादों पर इनसानियत के टुकड़े-टुकड़े करके अलग-अलग कौमों खड़ी कर दी गयीं। और आज यही सिक्का तकरीबन सारी दुनिया में चल रहा है। यहाँ तक कि यह जादू मुसलमानों पर भी चल गया। अरबी, तुर्की, इराकी, सिन्धी की तकसीमें ही नहीं बल्कि उनमें भी तकसीम दर तकसीम होकर भिली, शामी, हिजाजी, नजदी और पंजावी, बंगाली, सिन्धी, हिन्दी वगैरह की अलग-अलग कौम बन गयीं। हुक्ूमत के सब कारोबार इन्हीं बुनियादों पर चलाये गये। यहाँ तक कि यह क्षेत्रीय भेदभाव उनके रग व खून में शामिल हो गया और हर राज्य के लोगों का सहयोग व मदद इसी बुनियाद पर होने लगी।

कौमियत और संगठन व एकता के लिये

कुरआनी तालीम

कुरआने करीम ने इनसान को फिर भूला हुआ सबक याद दिलाया। सूर: निसा की शुरु की आयतों में यह वाज़ेह कर दिया कि तुम सब इनसान एक माँ-बाप की औलाद हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लिम ने इसको बजाहती करते हुए हज़जतुल-विदा के खुतबे (संबोधन) में

ऐलान कर दिया कि किसी अरबी को अजमी (गैर-अरबी) पर या गोरे को काले पर फजीलत नहीं। फजीलत (बड़ाई) का मदार सिर्फ तक्वे और अल्लाह तआला की इताअत पर इस कुरआनी तालीम ने:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ.

(तमाम ईमान वाले आपस में भाई-भाई हैं) का ऐलान करके हब्शा के काले भजंग को तुर्की और रूमी का, अजम की निचली जात के इनसानों को अरब के कुरैशी और हाशमी भाई बना दिया। कौमियत और बिरादरी इस बुनियाद पर कायम की कि अल्लाह तआला उसके रसूल को मानने वाले एक कौम, और न मानने वाले दूसरी कौम हैं। यही वह बुनियाद जिसने अबू जहल और अबू लहब के खानदानी रिश्तों को रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम से तोड़ दिया, और बिलाल हब्शी और सुहैब रूमी का रिश्ता जोड़ दिया।

हसन ज-बसरा बिलाल ज-हब्शा सुहैब अज रूम

ज-खाके मक्का अबू जहल ई चे बुल-अजबीस्त

खुदा की कुदरत और शान देखिये कि बसरे की मिट्टी से हसन बसरी, हब्शा की मिट्टी हजरत बिलाल हब्शी और मुल्क रूम से हजरत सुहैब रूमी पैदा हों और मक्का की पाक जमीन से अबू जहल जैसा दुश्मने दीन पैदा हो। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

यहाँ तक कि कुरआने करीम ने ऐलान कर दिया:

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ.

यानी अल्लाह तआला ने तुम सब को पैदा किया, फिर तुम दो हिस्सों में बंट गये। काफिर हो गये, कुछ मोमिन।

बदर व उहुद और अहज़ाब व हुनैन की जंगों और मुहिमों में इसी कुरआनी तफसीम अमली प्रदर्शन हुआ था, कि नसबी भाई जब खुदा तआला और उसके रसूल की इताअत बाहर हुआ तो मुसलमान भाई का भाईचारे और मदद का रिश्ता उससे कट गया और वह इस तलवार की ज़द में आ गया। नसबी भाई तलवार लेकर मुकाबले पर आया तो इस्लामी इमदाद के लिये पहुँचा। बदर व उहुद और खन्दक की जंगों के वाकिआत इस पर गवाह सुबूत हैं:

हज़ार ख़ेश कि बेगाना अज खुदा-बाशद

फ़िदाई यक तने बेगाना कि आशना बाशद

हज़ारों अपने जो कि खुदा तआला से बेगाने हों उस एक जान पर निसार व कुरबान हैं कि अल्लाह तआला की फरमाँबरदार है। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

मज़कूरा आयत में कुरआने हकीम ने मदद व सहयोग का यही माकूल और सही उदाहरण बतलाया है। फरमाया:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

यानी नेकी और खुदा-तरसी पर मदद व सहयोग करो, बदी और जुल्म पर मदद न करो।

गौर कोज़िए कि इसमें क़ुरआने करीम ने यह उनवान भी इख़्तियार नहीं फ़रमाया कि मुसलमान भाईयों के साथ मदद व सहयोग का मामला करो और गैरों के साथ न करो, बल्कि मुसलमानों के साथ मदद व सहयोग करने की जो असल बुनियाद है यानी नेकी और खुदा से इरसा उसी को मदद व सहयोग करने की बुनियाद करार दिया। जिसका साफ़ मतलब यह है कि मुसलमान भाई भी अगर हक़ के खिलाफ़ या जुल्म व ज्यादती की तरफ़ चल रहा हो तो नाहक और जुल्म पर उसकी भी मदद न करो, बल्कि इसकी कोशिश करो कि नाहक और जुल्म से उसका हाथ रोको। क्योंकि दर हकीकत यही उसकी सही इमदाद है, ताकि जुल्म व ज्यादती से उसकी दुनिया और आख़िरत तवाह न हो।

सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फ़रमाया:

انصر احواك ظالما او مظلوما.

यानी अपने भाई की मदद करो चाहे वह ज़ालिम हो या मज़लूम।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो कुरआनी तालीम में रंगे जा चुके थे, उन्होंने हैरत से पूछा कि या रसूलुल्लाह! मज़लूम भाई की इमदाद तो हम समझा गये, मगर ज़ालिम की इमदाद का क्या मतलब है? आपने फ़रमाया कि उसको जुल्म से रोको, यही उसकी इमदाद है।

क़ुरआने करीम की इस तालीम ने नेकी व तक़वा और खुदा-तरसी को असल मेयार बनाया। इसी पर कौमियत की तामीर खड़ी की। इस पर मदद व सहयोग की दावत दी। इसके मुक़ाबले में 'इस्म व उदवान' (गुनाह और जुल्म व ज्यादती) को सख़्त जुर्म करार दिया। उस पर मदद व सहयोग करने से रोका। 'बिर् व तक़वा' (नेकी व परहेज़गारी) के दो तफ़ज़ इख़्तियार फ़रमाये। जमहूर मुफ़सिरीन ने बिर्-के मायने इस जगह नेक अमल करार दिये हैं, और तक़वा के मायने बुराईयों का छोड़ना बतलाये हैं। और तफ़ज़ इस्म मुतलक़ गुनाह और नाफ़रमानी के मायने में है, चाहे वह हुक्क़ से मुताल्लिक़ हो या इबादतों से, और उदवान के तफ़ज़ी मायने हद से निकलने के हैं। मुराद इससे जुल्म व ज्यादती है।

बिर् व तक़वा पर मदद व सहयोग करने के लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने इरशाद फ़रमाया:

وَالَّذِي عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ.

यानी जो शख़्त किसी को नेकी का रास्ता बंता दे तो उसको सवाब ऐसा ही है जैसे उस नेकी को उसने खुद किया हो।

यह हदीस इमाम इब्ने कसीर ने बज़्ज़ार के हवाले से नक़ल फ़रमाई है। और सही बुख़ारी में है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फ़रमाया- जो शख़्त लोगों को हिदायत और नेकी की तरफ़ दावत दे तो जितने आदमी उसकी दावत पर नेक अमल करेंगे, उन सब के

बराबर उसको भी सवाब मिलेगा, बगैर इसके कि उन लोगों के सवाब में से कुछ कम कट जाये। और जिस शख्स ने लोगों को किसी गुमराही या गुनाह की तरफ बुलाया, तो जितने लोग उसके बुलाने से गुनाह में मुक्तला हुए उन सब के गुनाहों के बराबर उसको भी गुनाह होगा, बागैर इसके कि उनके गुनाहों में कुछ कमी की जाये।

और इन्ने कसीर ने तबरानी की रिवायत से नकूल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी ज़ालिम के साथ उसकी मदद करने के लिये चला वह इस्लाम से निकल गया। इसी पर पुराने बुजुर्गों ने ज़ालिम बादशाहों की नौकरी और कोई ओहदा कुबूल करने से सख्त परहेज किया है, कि इसमें उनके जुल्म की इमदाद व सहयोग है। तफसीर रुहुल-मआनी में आयते करीमा:

فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ

के तहत यह हदीस नकूल की है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कियामत के दिन आवाज़ दी जायेगी कि कहाँ हैं ज़ालिम लोग और उनके मददगार, यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ज़ालिमों की दवात कलम को दुरुस्त किया है, वे भी सब एक लोहे के ताबूत में जमा करके जहन्नम में फेंक दिये जायेंगे।

यह है कुरआन व सुन्नत की वह तालीम जिसने दुनिया में नेकी, इन्साफ, हमदर्दी और अच्छा बर्ताव फैलाने के लिये मिल्तत के हर फर्द को एक दाई (प्रचारक) बनाकर खड़ा कर दिया था। और अपराध व जुल्म और ज़्यादती की रोकथाम के लिये मिल्तत के हर फर्द को एक ऐसा सिपाही बना दिया था जो छुपे और खुले तौर पर अपनी ड्यूटी बजा लाने पर खौफे खुदा तआला की बजह से मजबूर था। इसी हकीमाना तालीम व तरबियत का नतीजा था जो दुनिया ने सहाबा व ताबिईन के दौर में देखा। आज भी जब किसी मुल्क में जंग का खतरा मंडराता है तो शहरी सुरक्षा के महकमे कायम करके कौम के हर फर्द को कुछ फुनून की तालीम का तो एहतिमाम किया जाता है मगर अपराधों की रोकथाम और ख़ात्मे के लिये इसका कहीं एहतिमाम नहीं है कि लोगों को खैर का दाई (दावत देने वाला) और शर (बुराई) को रोकने वाला सिपाही बनाने की कोशिश करें। और जाहिर है कि इसकी मशक न फौजी प्रेड से होती है न शहरी सुरक्षा के तरीकों से। यह हुनर तो शिक्षा स्थानों में सीखने सिखाने का है जो आजकल बदकिस्मती से इन चीजों के नाम से नावाक़िफ़ है। 'बिर् व तक़वा' और उनकी तालीमात का दाख़िला आजकल के आम शिक्षा स्थानों में वर्जित और मना है। और 'इस्स व उदवान' (गुनाह और जुल्म व ज़्यादती) का हर रास्ता खुला हुआ है। फिर यह बेचारी पुलिस कहाँ तक अपराधों की रोकथाम करे। जब सारी कौम हलाल व हराम और और हक़ व नाहक से बेग़पना होकर अपराध की आदी बन जाये। आज जो अपराधों की अधिकता, चोरी, डाका, बुराईयों, क़त्ल व ग़ारतगरी की कसरत हर जगह और हर मुल्क में रोज़-बरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है, और क़ानूनी मशीनरी उनकी रोकथाम से लाचार है, इसके यही दो सबब हैं कि एक तरफ़ तो हुकूमतें इस कुरआनी निज़ाम से दूर हैं, सत्ता में बैठे लोग अपनी ज़न्दगी को 'बिर् व तक़वा' के उसूल पर डालते हुए शिक्षकतें

हैं। अगरचे इसके नतीजे में हजारों परेशानियाँ और कड़वाहटें झेलनी पड़ती हैं। काश वे इस कड़वे घूट को एक दफा तजुर्बे के लिये ही पी जायें, और खुदा तआला की कुदरत का तमाशा देखें कि किस तरह उनको और अ़वाम को अमन व सुकून और चैन व राहत की बेहतरीन और उम्दा जिन्दगी नसीब होती है।

दूसरी तरफ़ अ़वाम ने यह समझ लिया कि जराईम व अपराध की रोकथाम सिर्फ़ हुक्मत का काम है। वह हर अपराधी के अपराध पर पर्दा डालने के आदी हो गये हैं। महज हक़ को जाहिर करने और अपराधों की रोकथाम के लिये सच्ची गवाही देने का रिवाज ही उनमें न रहा। उनको यह समझना चाहिये कि मुजरिम के जुर्म पर पर्दा डालना और गवाही से दूर भागना जुर्म की मदद करना है जो कुरआने करीम की तालीम के अनुसार हराम और सख्त गुनाह है। और:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

(और मदद न करो गुनाह पर और जुल्म पर) के हुक्म से बगावत है।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَيْزُرِيِّ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ
أَنْ تَشْتَقِسُوا بِالْأَرْئَامِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبِيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تُحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا قَسِيمًا اضْطُرَّ
فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

हुरिमत् अलैकुमुल्मैततु वददमु व
लस्मुल्-खिन्जीरि व मा उहिल्-ल
लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुन्खनि-कतु
वल्मौकूजतु वल्मु-तरदियतु वन्नती-हतु
व मा अ-कलस्सबुअु इल्ला मा
जुकैतुम्, व मा जुबि-ह अलन्नुसुबि
व अन् तस्तक्सिस्मू बिल्अज्लामि,
जालिकुम् फिस्कुन्, अल्यौ-म
य-इसल्लजी-न क-फरु मिन् दीनिकुम्
फला तदशौहुम् वदशौनि, अल्यौ-म

हराम हुआ तुम पर मुदा जानवर और लहू
और गोश्त सुअर का, और जिस जानवर
पर नाम पुकारा जाये किसी और का और
जो मर गया हो गला घोटने से या चीट
से या ऊँचे से गिरकर या सींग मारने से,
और जिसको खाया नहो दरिन्दे ने, मगर
जिसको तुमने जिबह कर लिया, और
हराम है जो जिबह हुआ किसी धान पर,
और यह कि तकसीम करो जुए के तीरों
से, यह गुनाह का काम है, आज नाउम्मीद
हो गये काफिर तुम्हारे दीन से, सो उनसे
भते डरो और मुझसे डरो, आज मैं पूरा

अकमल्लु लकुम् दीनकुम् व अतूमस्तु
अलैकुम् निअमती व रजीतु लकुमुल्-
इस्ला-म दीनन्, फ़-मनिज़तुर-र फी
मख़्म-सतिन् गै-र मु-तजानिफ़िल्-
लिइस्मिन् फ़-इन्नल्ला-ह ग़फ़ूर-
रहीम (3)

कर चुका हूँ तुम्हारे लिये दीन तुम्हारा
और पूरा किया तुम पर मैंने एहसास
अपना और पसन्द किया मैंने तुम्हारा
वास्ते इस्लाम को दीन, फिर जो को
लाचार हो जाये भूख में लेकिन गुनाह प
माईल न हो तो अल्लाह बख़्शने र ल
मेहरबान है। (3)

खुलासा-ए-तफसीर

तुम पर (ये जानवर वगैरह) हराम किए गए हैं मुर्दार (जानवर जो कि बावजूद जिबह
लिये वाजिब होने के बिना शरई तरीके के मर जाये) और खून (जो बहता हो) और सुअ
गोश्त (इसी तरह उसके सब अंग), और जो (जानवर) कि (रज़ा व खुशनुदी हासिल करने
इरादे से) अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नामित कर दिया गया हो, और जो गला घु
से मर जाये, और जो किसी चोट से मर जाये, और जो गिरकर मर जाये (जैसे पहाड़ से या व
में), और जो किसी की टक्कर से मर जाये, और जिसको कोई दरिन्दा (पकड़कर) खाने ल
(और उसके सदमे से मर जाये) लेकिन (गला घोटने से दरिन्दे के खाने तक जिनका जिक्र
उनमें से) जिसको तुम (दम निकलने से पहले शरई कायदे के मुताबिक) जिबह कर डालो (व
इस हराम होने से अलग है)। और (साथ ही) जो (जानवर) (गैरुल्लाह की) इबादत गार्ह
जिबह किया जाये (हराम है अगरचे ज़बान से गैरुल्लाह के लिये नामित न करे। क्योंकि हरा
होने का मदार बुरी तरह मरने पर है इसका ज़हूर कभी कौल से होता है कि नामजद करे, क
अपल से होता है कि ऐसे स्थानों पर जिबह करे), और यह (भी हराम है) कि (गोश्त वगैर
तक़सीम करो तीरों के कुरा डालने के ज़रिये, ये सब गुनाह (और हराम) हैं।

आज के दिन (यानी अब) ना-उम्मीद हो गये काफिर लोग तुम्हारे दीन (के मग़लूब व मु
हो जाने) से, (क्योंकि माशा-अल्लाह इस्लाम खूब फैल गया) सो इन (काफिरों) से मत डरना (कि
तुम्हारे दीन को गुम कर सकें) और मुझसे डरते रहना, (यानी मेरे अहकाम की मुखालफत म
करना)। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को (हल्के-तरह) काभिल कर दिया, (कुव्वत
भी जिससे काफिरों को मायूसी हुई और अहकाम व क़वायद में भी) और (इस मुकम्मल कर
से) मैंने तुम पर अपना इनाम मुकम्मल कर दिया (दीनी इनाम भी कि अहकाम की तकमील हुई
और दुनियावी इनाम भी कि कुव्वत हासिल हुई, और दीन के काभिल करने में दोनों आ गये)
और मैंने इस्लाम को तुम्हारा दीन बनने के लिए (हमेशा को) पसन्द कर लिया, (यानी किया
तक तुम्हारा यही दीन रहेगा, इसको निरस्त व रद्द करके दूसरा दीन तजवीज़ न किया जायगा

पस तुमको चाहिये कि मेरी नेमत का शुक्र करके इस दीन पर पूरे-पूरे कायम रहो) फिर (उपर्युक्त चीजों का हराम होना मालूम कर लेने के बाद यह भी मालूम कर लो कि) पस जो शख्स शिद्दत की भूख में बेताब हो जाए (और इस वजह से ऊपर बयान हुई चीजों को खा ले) शर्त यह है कि किसी गुनाह की तरफ उसका मैलान "यानी रुझान" न हो (यानी न ज़रूरत की मात्रा से ज्यादा खाये और न मज़ा लेना मकसूद हो, जिसको सूर: ब-करह में:

غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

से ताबीर फरमाया है) तो यकीनन अल्लाह तआला माफ़ करने वाले हैं (अगर ज़रूरत की मात्रा का पूरा अन्दाज़ा न हुआ और एक आध लुक़मा ज्यादा भी खा गया, और) रहमत वाले हैं (कि ऐसी हालत में इजाज़त दे दी)।

मआरिफ़ व मसाईल

यह सूर: मायदा की तीसरी आयत है। जिसमें बहुत से उसूल और उनसे निकलने वाले अहकाम व मसाईल बयान किये गये हैं। पहला मसला हलाल व हराम जानवरों का है जिन जानवरों का गोश्त इनसान के लिये नुकसानदेह है, चाहे जिस्मानी तौर पर कि उससे इनसान के बदन में बीमारी का खतरा है, या रुहानी तौर पर कि उससे इनसान के अख़्लाक और दिली हालत व कैफ़ियत ख़राब होने का खतरा है, उनको कुरआन ने ख़वाईस (गन्दगी और बुरी) करार दिया और हराम कर दिया, और जिन जानवरों में कोई जिस्मानी या रुहानी नुकसान नहीं है, उनको पाक और हलाल करार दिया।

इस आयत में फरमाया है कि हराम किये गये तुम पर मुर्दार जानवर। मुर्दार से मुराद वह जानवर हैं जो बग़ैर जिबह के किसी बीमारी के सबब या तबई मौत से मर जायें। ऐसे मुर्दार जानवरों का गोश्त "तिब्बी" तौर पर भी इनसान के लिये सख़्त नुकसान देने वाला है और रुहानी तौर पर भी।

अलबत्ता हदीस शरीफ़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दो चीजों को इस हुक्म से अलग करार दिया है- एक "मछली" दूसरे "टिड्डी।" यह हदीस मुस्तद अहमद, इब्ने माजा, दारे कुत्ली, बैहकी वगैरह ने रिवायत की है।

दूसरी चीज़ जिसको इस आयत ने हराम करार दिया है वह खून है, और कुरआने करीम की दूसरी आयत में 'औ दमम् मस्फूहन्' फरमाकर यह बतला दिया गया कि खून से मुराद बहने वाला खून है। इसलिये जिगर और तिल्ली बावजूद खून होने के इस हुक्म से अलग और बाहर है। उक्त हदीस में जहाँ "मैता" (मुर्दार) से मछली और टिड्डी को अलग और बाहर फरमाया है, उसी में जिगर और तिल्ली को खून से अलग करार दिया है।

तीसरी चीज़ "सुअर का गोश्त" है जिसको हराम फरमाया है। लहम (गोश्त) से मुराद उसका पूरा बदन है जिसमें चर्बी, पट्ठे वगैरह सब ही दाख़िल हैं।

चौथे वह जानवर जो गैरुल्लाह (अल्लाह के अलावा किसी और) के लिये नामज़द कर दिया

गया हो। फिर अगर जिबह के वक्त भी उस पर गैरुल्लाह का नाम लिया है तो वह खुला है और यह जानवर सब के नजदीक मुर्दार के हुक्म में है।

जैसा कि अरब के मुशिक लोग अपने बुत्तों के नाम पर जिबह किया करते थे। या जाहिल किसी पीर-फर्कार के नाम पर। और अगर जिबह के वक्त नाम तो अल्लाह तआला लिया मगर जानवर किसी गैरुल्लाह के नाम पर भेंट किया हो और उसकी रजामन्दी के कुरबान किया हो तो जमहूर फुकहा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा की अक्सरियत) ने इस भी:

مَا أَهْلَ لِقَبْرِ اللَّهِ بِهِ

(जिस जानवर पर नाम पुकारा गया हो अल्लाह के अलावा किसी और का) के तहत ह करार दिया है।

पाँचवे वह जानवर हराम है जो गला घोटकर हलाक किया गया हो या खुद ही किसी वगैरह में फंसकर दम घुट गया हो। अगरचे गला घोटे हुए और चोट लगने से मरने वाले मुर्दार के अन्दर दाखिल हैं मगर जाहिलीयत के जमाने के लोग इनको जायज समझते इसलिये खास तौर पर इनका जिफ्र किया गया।

छठे वह जानवर जो सख्त चोट के जरिये हलाक हुआ हो। जैसे लाठी या पत्थर पगैर मारा गया हो। और जो तीर किसी शिकार को इस तरह कल्ल कर दे कि धार की तरफ लगे जैसे ही चोट से मर जाये वह भी मौकूज़ा (चोट से मरने) में दाखिल होकर हराम है।

हजरत अदी बिन हातिम रजियल्लाहु अन्हु ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम अर्ज किया कि मैं कई बार "मेराज" तीर से शिकार करता हूँ। अगर शिकार उससे मर जाये क्या खा सकता हूँ? आपने फरमाया कि अगर वह जानवर तीर के अर्ज (चौड़ाई वाले हिस्से) चोट से मरा है तो वह मौकूज़ा (चोट से मरे हुए) में दाखिल है उसको मत खा, (और अगर तीर की तरफ से लगा है और उसने जख्म कर दिया है तो खा सकते हो। यह रिवायत इमाम जर ने "अहकामुल-कुरआन" में अप्जी सनदों से नकल की है। इसमें शर्त यह है कि तीर फेंकने के वक्त बिस्मिल्लाह कहकर फेंका गया हो)।

जो शिकार बन्दूक की गोली से हलाक हो गया उसको भी फुकहा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) ने "मौकूज़ा" में दाखिल और हराम करार दिया है। इमाम जस्सास रह. ने ह अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु से नकल किया है कि वह फरमाते थे:

المقتولة بالبنادقة تلك الموقوذه.

यानी बन्दूक के जरिये जो जानवर कल्ल किया गया है वह भी मौकूज़ा (चोट से मरने वाला) में दाखिल है इसलिये हराम है। इमामे आजम अबू हनीफा, इमाम शफई, इमाम मालिक रह. वगैरह सब पर मुत्ताफिक हैं। (तफसीरे कुरुबी)

सातवें वह जानवर जो किसी पहाड़, टीले, ऊँची इमारत या कुएँ वगैरह में गिरकर मर

वह भी हुराम है। इसी लिये हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अगर कोई शिकार पहाड़ पर खड़ा है और तुमने तीर बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पर फेंका और वह तीर की ज़द (मार) से नीचे गिरकर मर गया तो सको न खाओ।

क्योंकि इसमें भी सदेह है कि उसकी मौत तीर की ज़द (चोट) से न हो, गिरने के सदमे से हो, तो वह गिरकर मरने वाले में दाखिल हो जायेगा। इसी तरह अगर किसी परिन्दे पर तीर फेंका, वह पानी में गिर गया तो उसके खाने को भी इसी बिना पर मना फ़रमाया है कि यह भी सदेह है कि उसकी मौत डूबने से वाक़े हुई हो। (जस्सास)

और हजरत अदी बिन हातिम रजियल्लाहु अन्हु ने यही मज़मून रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम से भी रिवायत फ़रमाया है। (जस्सास)

आठवें वह जानवर जो किसी टक्कर और भिड़ंत से हलाक हो गया हो। जैसे रेल, मोटर वगैरह की चपेट में आकर मर जाये या किसी दूसरे जानवर की टक्कर से मर जाये।

नवें वह जानवर जिसको किसी दरिन्दे जानवर ने फाड़ दिया हो उससे मर गया हो।

इन नौ किस्मों की हुर्मत (हराम होना) बयान फ़रमाने के बाद एक बात को इनसे अलग और बाहर बयान किया गया। फ़रमाया: 'इल्ला मा जक्कैतुम' यानी अगर इन जानवरों में से तुमने किसी को जिन्दा पा लिया और जिबह कर लिया तो वह हलाल हो गया। उसका खाना जायज़ है।

यह इस्तिस्ना (हुक्म से अलग करना) शुरू की चार किस्मों से मुताल्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि मुर्दार और खून में तो इसकी संभावना ही नहीं। और सुअर और जो अल्लाह के अलावा के लिये नामज़द कर दिया गया हो वो अपनी ज़ात से हुराम हैं, जिबह करना न करना उनमें बराबर है। इसी लिये हजरत अली, हजरत इब्ने अब्बास, हजरत हसन बसरी, हजरत क़तादा वगैरह पहले बुजुर्गों का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि यह हुक्म से अलग करना शुरू की चार के बाद यानी गला घोटने और उसके बाद बालों से संबन्धित है। इसलिये मतलब इसका यह हो गया कि इन तमाम सूरतों में अगर जानवर जिन्दा पाया गया, जिन्दगी की निशानियाँ उसमें महसूस की गयीं और इसी हालत में उसको अल्लाह के नाम पर जिबह कर दिया गया तो वह हलाल है। चाहे वह गला घोंटा हुआ हो, या सख्त चोट लगा हुआ या ऊपर से गिरा हुआ या किसी टक्कर की चपेट में आया हुआ या जिसको दरिन्दे ने फाड़ डाला है। इनमें से जिसको भी जिन्दगी की निशानियाँ महसूस करते हुए जिबह कर लिया वह हलाल हो गया।

दसवें वह जानवर हुराम है जो नुसुब पर जिबह किया गया हो। नुसुब वह पत्थर हैं जो काबा के गिर्द खड़े किये हुए थे और जाहिलीयत के ज़माने के लोग उनकी पूजा करते और उनके पास लाकर जानवरों की कुरबानी उनके लिये करते थे। और इसको इबादत समझते थे।

जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) ज़माने के लोग इन सब किस्म के जानवरों को खाने के आदी थे जो ख़बाईस (बुरी और गन्दी चीज़ों) में दाखिल हैं। कुरआने करीम ने इन सब को हुराम करार दिया।

ग्यारहवीं चीज़ जिसको इस आयत में हराम करार दिया है। वह 'इस्तिस्क़ाम बिल्अज़लाम' है। अज़लाम उन तीरों को कहते हैं जो अरब के जाहिली (इस्लाम जाहिर होने से पहले के) दौर में इस काम के लिये मुकर्र था कि उसके ज़रिये किस्मत आजुमाई की जाती थी, और ये सात तीर थे जिनमें से एक पर नअम (हाँ) एक पर ला (नहीं) और इस तरह के दूसरे अलफ़ाज़ लिखे होते थे। और ये तीर वेतुल्लाह के ख़ादिम के पास रहते थे।

जिस किसी शख्स को अपनी किस्मत या आईन्दा के किसी काम का लाभदायक या नुक़सानदेह होना मालूम करना होता तो काबा के ख़ादिम के पास जाते और सौ रुपये उसको भेंट में देते, वह उन तीरों को तरक़श से एक-एक करके निकालता। अगर उस पर लफ़ज़ 'नअम' (हाँ) निकल आया तो समझते थे कि यह काम मुफ़ीद है, और अगर 'ला' (नहीं) निकल आया तो समझते थे कि यह काम न करना चाहिये। हराम जानवरों के सिलसिले में इसका जिक्र करने की वजह यह है कि अरब वालों को यह भी आदत थी कि चन्द आदमी शरीक होकर कोई ऊँट वगैरह ज़िबह करते मगर गोश्त की तफ़्सीम हर एक के साझे के हिस्से के मुताबिक़ करने के बजाय उन जुए के तीरों से करते थे। जिसमें कोई बिल्कुल मेहरूम रहता, किसी को बहुत ज्यादा किसी को हक़ से कम मिलता था। इसलिये जानवरों की हुर्मत (हराम होने) के साथ इस तरीक़ा-ए-कार की हुर्मत को भी बयान कर दिया गया।

उलेमा ने फ़रमाया कि आईन्दा (भविष्य) के हालात और ग़ैब की चीज़ें मालूम करने के जितने तरीक़े राईज (प्रचलित) हैं, चाहे सितारों के ज़रिये या हाथ की लकीरें देखकर या फ़ाल वगैरह निकाल कर, यह सब तरीक़े 'जुए के तीरों के ज़रिये कुर्आ निकालने' के हुक्म में हैं।

और 'इस्तिस्क़ाम बिल्अज़लाम' का लफ़ज़ कभी जुए के लिये भी बोला जाता है। जिसमें कुर्आ अन्दाज़ी या लॉट्री के तरीक़ों से हुक्क़ का निर्धारण किया जाये। यह भी कुरआनी हुक्म के मुताबिक़ हराम है जिसको कुरआने करीम ने मैसर (जुए) के नाम से वर्जित और मना करार दिया है। इसी लिये हज़रत सईद बिन जुबैर, इमाम मुजाहिद और इमाम शअबी ने फ़रमाया कि जिस तरह अरब के लोग 'अज़लाम' (तीरों) के ज़रिये हिस्से निकालते इसी तरह फ़ारस (प्राचीन ईरान) व रोम में शतरंज, चौसर वगैरह के मोहरों से यह काम लिया जाता है। यह भी अज़लाम के हुक्म में हैं। (तफ़्सीरे मजहरी)

'इस्तिस्क़ाम बिल्अज़लाम' (जुए के तीरों को डालने) की हुर्मत के साथ इरशाद फ़रमाया:

ذَلِكُمْ فِسْقٌ

यानी यह तरीक़ा किस्मत मालूम करने या हिस्सा मुकर्र करने का फ़िस्क़ (गुनाह) और गुमराही है। उसके बाद इरशाद फ़रमाया:

الْيَوْمَ يَسِّرُ الْاٰلِهِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَحْشُرُوْهُمْ وَاخْشَوْا

आज के दिन काफ़िर तुम्हारे दीन (पर ग़ालिब आने) से मायूस हो चुके हैं। इसलिये अब तुम उनसे कोई खौफ़ न रखो। अलवत्ता मुझसे डरते रहो।

यह आयत हिजरत के दसवें साल हज्जतुल-विदा में अरफे के दिन रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नाज़िल हुई। जबकि मक्का और तकरीबन सास अरब फतह हो चुका था। पूरे अरब खिल्ले पर इस्लामी कानून जारी था। इस पर फरमाया कि अब से पहले जो काफ़िर यह मन्सूबे बनाया करते थे कि मुसलमानों की जमाअत हमारे मुकाबले में कम भी है और कमज़ोर भी, उनको खत्म कर दिया जाये। अब न उनमें यह हौसले बाकी रहे, न उनकी वह ताकत रही। इसलिये मुसलमान उनसे मुल्मईन होकर अपने रब की इताअत व इबादत में लग जायें।

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

इस आयत के नाज़िल होने की खास शान है। अरफा का दिन है जो तमाम साल के दिनों में एक सरदार की हैसियत रखता है और इतिफ़ाक़ से यह अरफा जुमा के दिन पड़ा, जिसके फ़ज़ाईल मशहूर व मारूफ़ हैं। मैदान-ए-अरफ़ात का मक़ाम जबल-ए-रहमत के करीब है, जो अरफ़ा के दिन अल्लाह तआला की तरफ़ से रहमत के उतरने का खास मक़ाम है। वक़्त असर के बाद का है, जो आम दिनों में भी मुबारक वक़्त है और खुसूसन जुमा के दिन में कि दुआ की कुबूलियत की घड़ी बहुत सी रिवायतों के मुताबिक़ इसी वक़्त आई है, और अरफ़ा के दिन और ज़्यादा खुसूसियत के साथ दुआयें कुबूल होने का खास वक़्त है।

हज के लिये मुसलमानों का सबसे बड़ा पहला अज़ीम इज्तिमा है, जिसमें तकरीबन डेढ़ लाख सहाबा-ए-किराम शरीक हैं। रहमतुल-लिअलमीन सहाबा-ए-किराम के साथ जबले-रहमत के नीचे अपनी ऊँटनी 'अज़बा' पर सवार हैं और हज के सबसे बड़े रुकन यानी वक़ूफ़े अरफ़ात में मशगूल हैं।

इन फ़ज़ाईल व बरकात और रहमतों के साथे में यह आयते करीम रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नाज़िल होती है। सहाबा-ए-किराम का बयान है कि जब आप पर यह आयत वही के ज़रिये नाज़िल हुई तो दस्तूर के मुताबिक़ वही का भार और बोझ इतना महसूस हुआ कि ऊँटनी उससे दबी जा रही थी, यहाँ तक कि मजबूर होकर बैठ गयी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि यह आयत कुरआन की तकरीबन आख़िरी आयत है। इसके बाद कोई आयत अहक़ाम से मुताल्लिक़ नाज़िल नहीं हुई। सिर्फ़ तरहीब व तरहीब (शौक़ दिलाने और डराने) की चन्द आयतें हैं जिनका उतरना इस आयत के बाद बतलाया गया है। इस आयत के नाज़िल होने के बाद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस दुनिया में सिर्फ़ इक्यासी दिन ज़िन्दा रहे, क्योंकि सन् दस हिजरी की नवीं ज़िलहिज्जा में यह आयत नाज़िल हुई और सन् ग्यारह हिजरी की बारहवीं रबीउल-अव्वल (1) को हुज़ुरे पाक़ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात हो गयी।

(1) यह मशहूर कौल की बिना पर लिख दिया गया है वरना खुद हज़रत मुअल्लिफ़ (यानी तफ़सीर मआरिफुल-कुरआन के लेखक) ने अपने रिसाले "सीरते ख़ातमुल-अम्बिया" पेज 144 पर हाफ़िज़ इब्ने हज़र अस्कलानी रह. और हाफ़िज़ मुग़लताई रह. के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तारीख़े वफ़ात दो रबीउल-अव्वल को सही करार दिया है और 81 दिन इसी हिसाब से घनते हैं। मुहम्मद तक़ी उस्मानी

यह आयत जो इस खास शान और एहतिमाम से नाज़िल हुई इसका मफ़हूम भी मिल्लते इस्लाम और मुसलमानों के लिये एक बहुत बड़ी खुशख़बरी, भारी इनाम और इस्लाम का इम्तियाज़ी निशान है। जिसका खुलासा यह है कि दीने हक़ और नेमते इलाही का इन्तिहाई मेयार जो इस आलम में पूरी इन्सानियत को अता होने वाला था, आज वह मुकम्मल कर दिया गया। गोया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जो दीने हक़ और नेमते इलाही का उतरना और रिवाज व चलन शुरू किया गया था और हर ज़माने और हर ख़िल्ते के मुनासिबे हाल इस नेमत का एक हिस्सा आदम की औलाद (यानी इन्सानों) को अता होता रहा, आज वह दीन और नेमत मुकम्मल सूरत में ख़ातमुल-अम्बिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपकी उम्मत को अता कर दी गयी।

इसमें तमाम अम्बिया व रसूलों की जमाअत में सय्यिदुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सआदत और विशेष दर्जे का तो इज़हार है ही इसके साथ तमाम उम्मतों के मुकाबले में उम्मते पुहम्मदिया की भी एक खास इम्तियाज़ी शान का वाज़ेह सुबूत है।

यही वजह है कि एक मर्तबा यहूद के चन्द उलेमा हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि तुम्हारे कुरआन में एक ऐसी आयत है जो अगर यहूदियों पर नाज़िल होती तो वे उसके नाज़िल होने का एक जश्ने ईद (खुशी का जश्न) मनाते। हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया कि वह कौनसी आयत है? उन्होंने यही आयत पढ़ दी:

الرَّومُ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

हज़रत फ़ारूके आजम ने उनके जवाब में फ़रमाया कि हाँ हम जानते हैं कि यह आयत किस जगह और किस दिन नाज़िल हुई। इशारा इसी बात की तरफ़ था कि वह दिन हमारे लिये दोहरी ईद का दिन था, एक अरफ़ा दूसरे जुमा।

ईद और त्यौहार मनाने का इस्लामी उसूल

हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के इस जवाब में एक इस्लामी उसूल की तरफ़ भी इशारा है जो तमाम दुनिया की कौमों व धर्मों में सिर्फ़ इस्लाम ही की विशेषता है। वह यह कि दुनिया में हर कौम और हर मज़हब व मिल्लत के लोग अपने-अपने हालात व खुसूसियात के मातहत अपने खास-खास तारीख़ी वाकिआत के दिनों की यादगारें मनाते हैं, और उन दिनों को उनके यहाँ एक-ईद या त्यौहार की हैसियत हासिल होती है।

कहीं कौम के बड़े आदमी की पैदाईश या मौत का या सत्ता संभालने का दिन मनाया जाता है और कहीं किसी खास मुल्क या शहर की फ़तह या और किसी अज़ीम तारीख़ी वाकिए का, जिसका हासिल कुछ विशेष व्यक्तियों की इज्जत अफ़ज़ाई के सिवा कुछ नहीं। इस्लाम व्यक्ति परस्ती का कायल नहीं है, उसने जाहिलीयत के ज़माने की इन तमाम रस्मों और व्यक्तिगत

यादगारों को छोड़कर उसूल और मक़ासिद की यादगारें कायम करने का उसूल बना दिया।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को "ख़लीलुल्लाह" का खिताब दिया गया और कुरआने करीम में उनके इम्तिहानात और सब में मुकम्मल कामयाबी को सराहा गया। जैसा कि फ़रमाया:

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ.

लेकिन न उनकी पैदाईश या मौत का दिन मनाया गया न उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा की पैदाईश व मौत या दूसरे हालात की कोई यादगार कायम की गयी। हाँ उनके आमाल में जो चीज़ें मक़ासिदे दीन से मुताल्लिक थीं, उनकी यादगारों को न सिर्फ़ महफूज़ रखा गया बल्कि बाद में आने वाली नस्तों के दीन व मज़हब का हिस्सा और फ़र्ज़ व वाजिब करार दे दिया गया। कुरबानी, ख़तना, सफ़ा मरवा के बीच दौड़ना, मिना में तीन जगह कंकरियाँ मारना, यह सब उन्हें बुजुर्गों के ऐसे अफ़आल (कामों) की यादगार हैं जो उन्होंने अपने नफ़्सानी जज़्बात और इनसान के तबई तक़ज़ों को अल्लाह तआला की रज़ा तलाशने के मुक़ाबले में कुचलते हुए अदा किये। और जिनमें हर दौर और हर ज़माने के लोगों को इसका सबक़ मिलता है कि इनसानों को अल्लाह तआला की रज़ा हासिल करने के लिये अपनी महबूब से महबूब चीज़ को कुरबान कर देनी चाहिये।

इसी तरह इस्लाम में किसी बड़े से बड़े आदमी की मौत व ज़िन्दगी या व्यक्तिगत हालात का कोई दिन मनाने के बजाय उनके आमाल के दिन मनाये गये। जो किसी ख़ास इबादत से मुताल्लिक हैं जैसे शबे बरअत, रमज़ान मुबारक, शबे क़द्र, अरफ़ा का दिन, आशूरा का दिन वगैरह। ईदें सिर्फ़ दो रखी गयीं, वह भी ख़ालिस दीनी लिहाज़ से। पहली ईद रमज़ान मुबारक के समापन और हज के महीनों के शुरू होने पर रखी गयी, और दूसरी ईद हज की इबादत से फ़राग़त के बाद रखी गयी।

ख़ुलासा यह है कि हज़रत फारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के इस जवाब ने यह बतला दिया कि यहूदियों व ईसाईयों की तरह हमारी ईदें ऐतिहासिक वाकिआत के ताबे नहीं, कि जिस तारीख़ में कोई अहम वाकिआ पेश आ गया उसको ईद मनायें, जैसा कि पहली जाहिलीयत (इस्लाम से पहले ज़माने) की रस्म थी, और आजकल की नई जाहिलीयत ने तो इसको बहुत ही फ़ैला दिया है, यहाँ तक कि दूसरी कौमों की नक़ल करके मुसलमान भी इसमें मुब्तला होने लगे।

ईसाईयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म-दिवस की ईदे मीलाद मनाई। उनको देखकर कुछ मुसलमानों ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाईश पर ईदे मीलादुन्नबी के नाम से एक ईद बना दी। उसी रोज़ बाज़ारों में जलूस निकालने और उसमें तरह-तरह की खुराफ़ात को और रात में रोशनियों को इबादत समझकर करने लगे। जिसकी कोई असल सहाबा किराम, ताबिईन हज़रात और उम्मत के पहले पुराने बुजुर्गों के अमल में नहीं मिलती।

और हक़ीक़त यह है कि यह दिन मनाने का तरीका उन कौमों में तो चल सकता है जो कि कमाल वाले अफ़राद और उनके हैदत-अंगेज़ कारनामों के लिहाज़ से मुफ़लिस हैं (यानी उनमें ऐसे

हज़रत नहीं पाये जाते), पूरी कौम में दो-चार शख्सियतें इस काबिल होती हैं, और उनके भी कुछ मख़सूस काम ऐसे होते हैं जिनकी यादगार मनाने को कौमी फ़ख़ समझते हैं।

इस्लाम में यह दिन मनाने की रस्म चले तो एक लाख बीस हजार से जायद तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं, जिनमें से हर एक की न सिर्फ़ पैदाईश बल्कि उनके हैरत-अंगेज कारनामों की लम्बी फ़ेहरिस्त है, जिनके दिन मनाने चाहियें। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बाद ख़ातमुल-अम्बिया "सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम" की पाक जिन्दगी को देखा जायें तो आपकी जिन्दगी का शायद कोई दिन भी ऐसे कारनामों से ख़ाली नहीं जिनका दिन मनाना चाहिये। बचपन से लेकर जवानी तक के वो कमालात जिन्होंने पूरे अरब में आपको अमीन का लक़ब दिया था, क्या वह ऐसे नहीं हैं कि मुसलमान उनकी यादगार मनायें? फिर कुरआन का नाज़िल होना, हिजरत, ग़ज़वा-ए-बदर, जंगे-उहुद, जंगे-ख़न्दक, फ़त्हे-मक्का, जंगे-हुनैन, जंगे-तबूक और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम की तमाम जंगें व मुहिमें हैं। एक भी ऐसा नहीं कि जिसकी यादगार न मनाई जाये। इसी तरह आपके हजारों भोजिजे यादगार मनाने की चीजें हैं, और अगर दिल की समझ के साथ हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम की जिन्दगी पर नज़र डालें तो आपकी पाक जिन्दगी का हर दिन नहीं हर घण्टा एक यादगार मनाने का तकाज़ा रखता है।

हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के बाद तक़रीबन डेढ़ लाख सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम वह हैं जिनमें से हर एक दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम का जिन्दा भोजिजा है। क्या यह बेइन्साफी नहीं होगी कि उनकी यादगारें न मनाई जायें। और यह रस्म चल पड़े तो फिर सहाबा-ए-किराम के बाद उम्मत के बुजुर्गों, औलिया-अल्लाह और उलेमा व मशाईख़ पर नज़र डालो जो करोड़ों की तायदाद में होंगे। अगर यादगारी दिन मनाये जायें तो उनको छोड़ देना क्या उनके हक़ में बेइन्साफी और उनकी क़द्र न पहचानना नहीं होगा? और अगर यह तय कर लिया जाये कि सभी के यादगारी दिन मनाये जायें तो साल भर में एक दिन भी हमारा यादगार मनाने से ख़ाली न रहे बल्कि हर दिन के हर घण्टे में कई-कई यादगारें और कई-कई इदें मनानी पड़ेंगी।

यही वजह है कि रसूले करीम "सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम" और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस रस्म को जाहिलीयत की रस्म क़रार देकर नज़र-अन्दाज़ किया है, हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के इस फ़रमान में इसी की तरफ़ इशारा है।

अब इस आयत के मायने व मतलब की तफ़्थील सुनिये। इसमें हक़ तआला शानुह ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम और आपकी उम्मत मरहूमा को तीन खुसूसी इनाम अता फ़रमाने की खुशख़बरी दी है- एक दीन के मुक़म्मल करने, दूसरे नेमत के पूरा करने, तीसरे इस्लामी शरीअत का इस उम्मत के लिये इन्तिखाब (चुनना और पसन्द किया जाना)।

दीन को कामिल करने के मायने तर्जुमाने कुरआन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वग़ैरह ने यह बयान फ़रमाये हैं कि आज दीने हक़ की तमाम हदों, सीमाओं, फ़राईज़ और अहक़ाम व आदाब मुक़म्मल कर दिये गये हैं। अब इसमें न किसी इज़ाफ़े और

ज्यादती की ज़रूरत बाकी है और न कमी का शुब्हा व गुंजाईश। (रुहुल-मआनी)

यही वजह है कि इसके बाद इस्लामी अहकाम में से कोई नया हुक्म नाज़िल नहीं हुआ, जो चन्द आयतों इसके बाद नाज़िल हुईं उनमें या तो तरगीब व तरहीब (शौक दिलाने और डराने) के मज़ामीन हैं या उन्हीं अहकाम की ताकीद है जिनका बयान पहले हो चुका था।

और यह बात इसके मनाफ़ी (विरुद्ध) नहीं कि इज्तिहादी उसूल के मातहत इमाम हज़रत नये-नये पेश आने वाले वाकिआत व हालात के मुताल्लिक अपने इज्तिहाद (कोशिश व मेहनत) से शरीअत के अहकाम बयान करें, क्योंकि कुरआने करीम ने जिस तरह शरई अहकाम की हदें व फ़राईज़ व ग़ैरह बयान फ़रमाये हैं इसी तरह इज्तिहाद के उसूल भी कुरआन ही ने मुतयन फ़रमा दिये हैं। उनके ज़रिये जो अहकाम क़ियामत तक निकाले जायें वो सब एक हैसियत से कुरआन ही के बयान किये हुए अहकाम हैं। क्योंकि उन उसूल के मातहत हैं जो कुरआन ने बयान किये।

खुलासा यह है कि दीन को कामिल करने का मतलब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तफ़सीर के मुताबिक यह है कि दीन के तमाम अहकाम को मुकम्मल कर दिया गया। अब न इसमें किसी ज्यादती की ज़रूरत बाकी है न मन्सूख (रद्द व निरस्त) होकर कमी का शुब्हा व गुंजाईश। क्योंकि इसके बाद ही निरन्तर वही का सिलसिला रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के साथ ख़त्म होने वाला था, और अल्लाह की वही के बग़ैर कुरआन का कोई हुक्म मन्सूख नहीं हो सकता। और बज़ाहिर अहकाम की जो ज्यादती इज्तिहाद के उसूल के तहत फ़ुक़हा व मुज्तिहिदीन (कुरआन व हदीस में ग़ौर करके अहकाम निकालने वाले उलेमा व इमामों) की तरफ़ से हुई वह वास्तव में ज्यादती नहीं बल्कि कुरआनी अहकाम की तशरीह व बयान है।

और नेमत पूरा करने से मुराद मुसलमानों का ग़लबा, तरक्की और उनके मुखालिफ़ों का दबना व हार जाना है, जिसका ज़हूर मक्का मुकर्रमा की फ़तह और ज़ाहिलीयत (इस्लाम से पहले के ज़माने) की रस्मों के मिटाने से और उस साल हज में किसी मुश्रिक के शरीक न होने के ज़रिये हुआ।

यहाँ कुरआनी अलफ़ाज़ में यह बात भी ध्यान देने के काबिल है कि दीन के साथ कामिल करने का लफ़ज़ इस्तेमाल फ़रमाया गया और नेमत के साथ पूरा करने का लफ़ज़, हालाँकि ये दोनों लफ़ज़ बज़ाहिर एक दूसरे के जैसे और एक ही मायनों वाले समझे जाते हैं, लेकिन दर हकीकत इन दोनों के मफ़हूम में एक फ़र्क है जिसको मुफ़रदातुल-कुरआन में इमाम राग़िब अस्फ़हानी रस्मतुल्लाहि अलैहि ने इस तरह बयान फ़रमाया है कि किसी चीज़ का "पूरा करना और तकमील" इसको कहते हैं कि उस चीज़ से जो गर्ज़ और उद्देश्य था वह पूरा हो गया, और पूरा करने के लफ़ज़ के मायने यह हैं कि अब दूसरी चीज़ की ज़रूरत और हाजत नहीं रही। इसलिये "दीन को कामिल करने" का हासिल यह हुआ कि क़ानूने इलाही और अहकामे दीन के इस दुनिया में भेजने का जो मक़सद था वह आज पूरा कर दिया गया, और नेमत के पूरा करने

का मतलब यह हुआ कि अब मुसलमान किसी के मोहताज नहीं, उनको खुद हक तआला जन् शानुहू ने ग़लबा, कुव्वत और इख्तियार अता फ़रमा दिया, जिसके ज़रिये वे इस दीने हक अहकाम को जारी और नाफ़िज़ (लागू) कर सकें।

यहाँ यह बात भी काबिले गौर है कि इस आयत में दीन की निस्बत तो मुसलमानों की तरफ़ फ़रमाई गयी है और नेमत की निस्बत हक तआला की तरफ़। वजह यह है कि दीन का ज़हूर उन आमाल और कामों के ज़रिये होता है जो उम्मत के अफ़राद करते हैं और नेमत तकमिल (पूरा करना) डायरेक्ट हक तआला की तरफ़ से है। (इब्ने क़य्यिम, तफ़सीरुल-क़य्यिम)।

इस तकरीर से यह भी स्पष्ट हो गया कि दीन को कामिल करना आज होने का यह मतलब नहीं कि पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का दीन नाकिस था, बल्कि जैसा कि तफ़सीर बह मुहीत में क़फ़ाल मरूज़ी रह. के हवाले से नक़ल किया है कि दीन तो हर नबी व रसूल व उसके ज़माने के एतिबार से कामिल व मुकम्मल था। यानी जिस ज़माने में जिस पैग़म्बर पर कोई शरीअत और दीन अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल किया गया उस ज़माने और उस क़ौम के लिहाज़ से वही कामिल व मुकम्मल था, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहू के इल्म में यह तफ़सील पहले ही थी कि जो दीन इस ज़माने और इस क़ौम के लिये मुकम्मल है वह बाद के ज़माने और आवाली क़ौमों के लिये मुकम्मल न होगा, बल्कि इसको मन्सूख (रद्द और निरस्त) करके दूसरा दीन व शरीअत नाफ़िज़ की जायेगी। बख़िलाफ़ शरीअते इस्लाम के जो सबसे आख़िर में नाज़िल की गयी कि वह हर दिशा और हर लिहाज़ से कामिल व मुकम्मल है। न वह किसी विशेष ज़माने के साथ मख़सूस है और न किसी ख़ास क्षेत्र, मुल्क या क़ौम के साथ, बल्कि क़ियामत तक हर ज़माने, हर ख़िल्ते और हर क़ौम के लिये यह शरीअत (अल्लाह का क़ानून) कामिल व मुकम्मल है।

तीसरा इनाम जो इस उम्मते मरहूमा के लिये इस आयत में बयान फ़रमाया गया वह यह है कि इस उम्मत के बाद अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने तकदीरी चयन के ज़रिये दीने इस्लाम का मुन्तख़ब (चुना और पसन्द) फ़रमाया जो हर हैसियत से कामिल व मुकम्मल है, और जिस पर निजात का दारोमदार है।

कलाम का खुलासा यह है कि इस आयत ने यह बतला दिया कि उम्मते मरहूमा के लिये दीने इस्लाम एक बड़ी नेमत है जो उनको बरझी गयी है। और यही दीन है जो हर हैसियत और दिशा से कामिल व मुकम्मल है, न इसके बाद कोई नया दीन आयेगा और न इसमें कमी-बेशी की जायेगी।

यही वजह थी कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो आम मुसलमान इसको सुनकर खुश रहे थे मगर हज़रत फ़ारूक़े आजम रज़ियल्लाहु अन्हु पर रोना तारी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लु अलैहि व सल्लम ने उनसे रोने की वजह पूछी तो अर्ज़ किया कि इस आयत से इसकी तर इशारा मालूम होता है कि अब आपका क़ियाम (ठहरना) इस दुनिया में बहुत कम है। क्योंकि पूरा और मुकम्मल होने के साथ रसूल को भेजने की ज़रूरत भी पूरी हो चुकी। रसूलो को

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसकी तस्दीक (पुष्टि) फ़रमाई। (ताफसीर इब्ने कसीर, बहरे मुहीत बौरह) चुनाँचे आने वाले वक़्त ने बतला दिया कि इसके सिर्फ़ इक्यासी दिन बाद हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस दुनिया से रुख़्त हो गये।
आयत के आख़िर में:

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ

(फिर जो कोई लाचार हो जाये भूख में) का ताल्लुक उन जानवरों से है जिनके हराम होने का बयान आयत के शुरू में आया है। और इस जुमले का मतलब एक खास हालत को आम कायदे से अलग और बाहर करना है कि अगर कोई शख्स भूख की सख़्ती से बेकरार हो जाये और खतरा मौत का लाहिक हो जाये, ऐसी हालत में अगर वह ऊपर बयान हुए हराम जानवरों में से कुछ खा ले तो उसके लिये गुनाह नहीं। मगर शर्त यह है कि पेट भरना और मज़ा लेना मकसद न हो, बल्कि सिर्फ़ इतना खा ले जिससे बेकरारी व बेवैनी की हालत दूर हो जाये। आयत में "गैर मुतजानिफ़िल् लिइस्मिन्" का यही मतलब है कि उस खाने में उसका मैलान गुनाह की तरफ़ न हो, बल्कि सिर्फ़ बेकरारी, मजबूरी और जान पर बन आने वाली हालत को दूर करना हो।

आख़िर में "फ़-इन्नल्ला-ह ग़फ़ूररहीम" से इस तरफ़ इशारा है कि ये हराम चीज़ें उस वक़्त भी अपनी जगह हराम व नाजायज़ ही हैं, सिर्फ़ उस शख्स की बेकरारी व सख़्त भूख की वजह से उसके लिये माफ़ कर दिया गया है।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَهُمْ

الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا

اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَقْرَأُوا اللَّهَ مَرَّانًا اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

यस्अलून-क मा जा उहिल्-ल लहुम्
कुल् उहिल्-ल लकुमुत्तयिबातु व मा
अ ल्लम्तुम् मिनल्-जवारिहि
मुकल्लिबी-न तुअल्लिमूनहुन्-न मिम्मा
अल्ल-मकुमुल्लाहु फ़-कुलू मिम्मा
अम्सक्-न अलैकुम् वज़्कुरुस्सल्लाहि
अलैहि वत्तकुल्ला-ह इन्नल्ला-ह
सरीअुल्-हिसाब (4)

तुझसे पूछते हैं कि क्या चीज़ उनके लिये हलाल है? कह दे तुमको हलाल हैं सुथरी चीज़ें, और जो सधाओ शिकारी जानवर शिकार पर दौड़ाने को कि उनको सिखाते हो उसमें से जो अल्लाह ने तुमको सिखाया है, सो खाओ उसमें से जो पकड़ रखें तुम्हारे वास्ते, और अल्लाह का नाम लो उसपर, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह जल्द लेने वाला है हिसाब। (4)

इस आयत के मज़मून का पीछे से संबन्ध

पहली आयत में हलाल व हराम जानवरों का जिक्र था, इस आयत में इसी मामले में मुताल्लिक एक सवाल का जवाब है। कुछ सहाबा-ए-किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम से शिकारी कुत्ते और बाज़ से शिकार करने का हुक्म मालूम किया था, इस आयत उसका जवाब जिक्र हुआ है।

खुलासा-ए-तफ़सीर

लोग आप से पूछते हैं कि (कुत्ते और बाज़ के शिकार किये हुए जानवरों में से) क्या-क्या (जानवर) उनके लिए हलाल किए गये हैं (यानी जितने हलाल शिकार ज़िबह करने से हलाल जाते हैं क्या कुत्ते और बाज़ के शिकार करने से वे सब हलाल रहते हैं या उनमें से कुछ खास जानवर हलाल होते हैं, या बिल्कुल कोई हलाल नहीं होता। और जो हलाल होते हैं तो क्या उनके लिये कुछ शर्त भी है?) आप (जवाब में) फ़रमा दीजिए कि तुम्हारे लिये तमाम हलाल जानवर (जो शिकार के ज़रिये पहले से हलाल हैं, वे सब कुत्ते और बाज़ के ज़रिये शिकार करने से भी) हलाल रखे हैं। (यह सवाल के पहले भाग का जवाब है, आगे दूसरे भाग का जवाब यह है कि कुत्ते और बाज़ के ज़रिये किये हुए शिकार हलाल होने के लिये कुछ शर्तें हैं, वो यह हैं कि जिन शिकारी जानवरों को (जैसे कुत्ता, बाज़ वगैरह) तुम (खास तौर पर जिसका बयान आता है) तालीम दो (यह एक शर्त है), और तुम उनको (शिकार पर) छोड़ो भी (यह दूसरी शर्त है), और उनको (जो तालीम देना ऊपर जिक्र किया गया है) उस तरीके से तालीम दो जो तुम्हारे अल्लाह तआला ने (शरीअत में) तालीम दिया है, (यह तरीका यह है कि कुत्ते को तालीम दी जाये कि शिकार पकड़कर खाये नहीं, और बाज़ को यह तालीम दी जाये कि उसको बुलाओ अगरचे वह शिकार के पीछे जा रहा हो फ़ौरन वापस आ जाये, यह पहली शर्त का बयान है) तो ऐसे शिकारी जानवर जिस (शिकार) को तुम्हारे लिए पकड़ें उसको खा लो (यह तीसरी शर्त है जिसकी पहचान और निशानी तालीम देने के तरीके में बयान हो चुकी है, अगर कुत्ता उस शिकार को खाने लगे या बाज़ बुलाने से वापस न आये तो समझा जायेगा, जब यह जानवर इसके कहने में नहीं तो इन्होंने शिकार भी इसके लिये नहीं पकड़ा बल्कि अपने लिये पकड़ा है) और (जब शिकार पर उस शिकारी जानवर को छोड़ने लगे तो) उस (जानवर) पर (यानी उसके छोड़ने के वक़्त) अल्लाह का नाम भी लिया करो (यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ो। यह चौथी शर्त है) और (तमाम बातों में) अल्लाह से डरते रहा करो, (जैसे शिकार में ऐसे व्यस्त मत हो जाओ कि नमाज़ वगैरह से ग़फलत हो जाये, या इतनी हिंसा मत करो कि शिकार के हलाल होने की शर्तों के बगैर भी उस जानवर को खा जाओ) वेशक अल्लाह तआला जल्दी हिसाब लेने वाले हैं।

मअरिफ व मसाईल

ऊपर बयान हुए जवाब व सवाल में शिकारी कुत्ते और बाज़ वगैरह के जरिये शिकार हलाल होने के लिये चार शर्तें जिक्र की गयीं हैं:

अव्वल यह कि कुत्ता या बाज़ सिखाया और सधाया हुआ हो और सिखाने सधाने का यह उसूल करार दिया है कि जब तुम कुत्ते को शिकार पर छोड़ो तो वह शिकार पकड़कर तुम्हारे पास ले आये, खुद उसको खाने न लगे। और बाज़ के लिये यह उसूल मुकरर किया कि जब तुम उसको वापस बुलाओ तो वह फौरन आ जाये अगरचे वह शिकार के पीछे जा रहा हो। जब यह शिकारी जानवर ऐसे सध जायें तो इससे साबित होगा कि वो जो शिकार करते हैं तुम्हारे लिये करते हैं, अपने लिये नहीं। अब उन शिकारी जानवरों का शिकार खुद तुम्हारा शिकार समझा जायेगा। और अगर किसी वक्त वे इस तामील (हुक्म मानने) के खिलाफ करें, मसलन कुत्ता खुद शिकार को खाने लगे या बाज़ तुम्हारे बुलाने पर वापस न आये तो यह शिकार तुम्हारा नहीं रहा, इसलिये इसका खाना जायज़ नहीं।

दूसरी शर्त यह है कि तुम फौरन अपने इरादे से कुत्ते को या बाज़ को शिकार के पीछे छोड़ो। यह न हो कि वे खुद-बखुद किसी शिकार के पीछे दौड़कर उसको शिकार कर लें। उक्त आयत में इस शर्त का बयान लफज़ मुकल्लिबी-न से किया गया है। यह लफज़ दर अस्त तकलीब से निकला है जिसके असली मायने कुत्तों को सिखलाने के हैं। फिर आम शिकारी जानवरों को सिखलाने और शिकार पर छोड़ने के मायने में भी इस्तेमाल होने लगा। जलालैन के लेखक इस जगह मुकल्लिबीन की तफसीर इरसाल से करते हैं, जिसके मायने हैं शिकार पर छोड़ना। और तफसीरे कुर्तुबी में भी यह कौल नकल किया गया है।

तीसरी शर्त यह है कि शिकारी जानवर शिकार को खुद न खानें लगे बल्कि तुम्हारे पास ले आयें। इस शर्त का बयान "मिम्या अमूसक्न अलैकुम" (जो पकड़ रखें तुम्हारे वास्ते) से हुआ है।

चौथी शर्त यह है कि जब शिकारी कुत्ते या बाज़ को शिकार पर छोड़ो तो बिस्मिल्लाह कहकर छोड़ो। जब ये चारों शर्तें पूरी हों तो अगर जानवर तुम्हारे पास आने तक दम तोड़ चुका हो तो भी हलाल है, ज़िबह करने की ज़रूरत नहीं, वरना बगैर ज़िबह के तुम्हारे लिये हलाल न होगा।

इमामे आजम अबू हनीफा रस्मतुल्लाहि अलैहि के तजदीक एक पाँचवीं शर्त यह भी है कि वह शिकारी जानवर शिकार को ज़ख्मी भी कर दे। इस शर्त की तरफ लफज़ "जवारिहि" में इशारा मौजूद है।

मसला:- यह हुक्म उन जंगली और गैर-मालतू जानवरों का है जो अपने कब्जे में न हों, और अगर किसी जंगली जानवर को अपने काबू में कर लिया गया है तो वह बगैर बाकायदा ज़िबह के हलाल नहीं होगा।

आयत के आखिर में यह हिदायत भी कर दी गयी है कि शिकार जानवर के जरिये अल्लाह तआला जल्ल शानुहू ने हलाल तो कर दिया है, मगर शिकार के पीछे लगकर नमाज़ और ज़रूरी शरई अहकाम से ग़फ़लत बरतना जायज़ नहीं।

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ وَلَا تُخَذِّبُوا أَعْدَاءَ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

अल्यौ-म उहिल्-ल लकुमुत्तय्यिबातु,
व तआमुल्लजी-न ऊतुल्-किता-ब
हिल्लुल्-लकुम् व तआमुकुम् हिल्लुल्-
लहुम् वल्मुस्सनातु भिनल्-मुअ्मिनाति
वल्मुस्सनातु भिनल्लजी-न ऊतुल्-
किता-ब भिन् क़ब्लिकुम् इज़ा
आतैतुमूहुन्-न उजूरहुन्-न मुस्सिनी-न
गै-र मुसाफिही-न व ला मुत्तख़िज़ी
अख़्दानिन्, व मय्यक्फ़ूर् बिर्द्भानि
फ़-कद् हबि-त्त अ-मलुहू व हु-व फिल्-
आख़ि-रति भिनल्-खासिरीन (5) ❀

आज हलाल हुई तुमको सब सुथरी चीज़ें,
और अहले किताब का खाना तुमको
हलाल है और तुम्हारा खाना उनको हलाल
है, और हलाल हैं तुमको पाकदामन औरतें
मुसलमान और पाकदामन औरतें उनमें से
जिनको दी गई किताब तुमसे पहले जब
दो उनको मेहर उनके कैद में लाने को, न
मस्ती निकालने को और न छुपी आशनाई
करने को, और जो मुन्किर हुआ ईमान से
तो ज़ाया हुई मेहनत उसकी और आख़िरत
में वह घाटे वालों में है। (5) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

आज (तुम पर जैसे हमेशा के लिये दीनी इनाम हुआ कि दीन को मुकम्मल करने में सम्मानित किये गये इसी तरह हमेशा के लिये एक माकूल बहुत बड़ा दुनियावी इनाम भी हुआ कि) तुम्हारे लिए हलाल चीज़ें (जो कि इससे पहले हलाल कर दी गयी थीं हमेशा के लिये) हलाल रखी गई (कि कभी निरस्त न होंगी) और जो लोग (तुमसे पहले आसमानी) किताब दिये गये हैं (यानी यहूदी व ईसाई) उनका खाना (यानी जिबह किया हुआ जानवर) तुमको हलाल है, और (उसका हलाल होना ऐसा ही यकीनी है जैसा कि) तुम्हारा खाना (यानी जिबह किया हुआ)

उनको हलाल है। और पारसा औरतें भी जो मुसलमान हों (तुमको हलाल हैं) और (जैसा कि मुसलमान औरतों का हलाल होना यकीनी है इसी तरह) पारसा औरतें उन लोगों में से भी जो तुमसे पहले (आसमानी) किताब दिये गये हैं (तुमको हलाल हैं) जबकि तुम उनका मुआवज़ा दे दो, (यानी मेहर देना अगरचे शर्त नहीं मगर वजिब है, और उक्त औरतें जो हलाल की गयी हैं तो) इस तरह से कि तुम (उनको) बीवी बनाओ (यानी निकाह में लाओ, जिनकी शर्तें शरीअत में बयान हुई हैं) न तो ऐलानिया बदकारी करो न खुफिया ताल्लुकात पैदा करो, (ये सब शरीअत के अहकाम हैं जिन पर ईमान लाना फर्ज है) और जो शख्स ईमान (लाने की चीजों) के साथ कुफ़ करेगा (जैसे निश्चित हलाल चीजों के हलाल होने या निश्चित हराम चीजों के हराम होने का इनकार करेगा) तो उस शख्स का (हर नेक) अमल बरबाद (और अकारत) हो जाएगा और वह आखिरत में बिल्कुल घाटा उठाने वाला में होगा (बस हलाल को हलाल समझो और हराम को हराम समझो)।

मआरिफ़ व मसाईल

सूर: मायदा की पहली आयत में बहीमतुल-अन्आम यानी पालतू जानवर, बकरी, गाय, भैंस वगैरह का हलाल होना बयान फ़रमाया गया है और तीसरी आयत में नौ किस्म के हराम जानवरों की तफ़सील है, मगर इस तफ़सील से इसके शुरूआती जुमले में इस पूरे बाब का खुलासा इस तरह बयान फ़रमा दिया है कि इसमें जानवरों के हलाल व हराम होने का खासा भी मालूम हो गया, और इसका एक मेयार व उसूल भी। इरशाद है:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

यानी आज तुम्हारे लिये हलाल हुई सब साफ़ सुथरी चीजें।

आज से मुराद वह दिन है जिसमें यह आयत और इससे पहली आयत नाज़िल हुई हैं, यानी हज्जतुल-विदा सन् 10 हिजरी का अरफ़े का दिन। मतलब यह है कि जैसे आज तुम्हारे लिये दीने का मिल मुकम्मल कर दिया गया और अल्लाह तआला की नेमत तुम पर मुकम्मल हो गयी, इसी तरह अल्लाह तआला की पाकीज़ा चीजें जो पहले भी तुम्हारे लिये हलाल थीं, हमेशा के लिये हलाल रखी गयीं और उनके मन्सूख़ (रद्द व निरस्त) होने का गुमान व संदेह ख़त्म हुआ। क्योंकि वही का सिलसिला ख़त्म होने वाला है।

इस जुमले में तय्यिबात (पाक चीजों) के हलाल होने का बयान है और एक दूसरी आयत में इरशाद है:

يُحِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الْخَبَائِثَ

यानी हलाल करता है उनके लिये तय्यिबात को और हराम करता है उन पर ख़बीस और चीजें। इसमें तय्यिबात के मुकाबले में ख़बाईस लाकर इन दोनों लफ़्ज़ों की हकीकत वाजेह कर दी गयी।

- लुगत में तय्यिबात साफ-सुथरी और पसन्दीदा चीजों को कहा जाता है और खबाईस इस मुक़ाबिल की गन्दी और क़ाबिले नफ़रत चीजों के लिये बोला जाता है। इसलिये आयत के इ जुमले ने यह बतला दिया कि जितनी चीज़ें साफ-सुथरी मुफ़ीद और पाकीज़ा हैं वो इनसान के लिये हलाल की गयीं, और जो गन्दी क़ाबिले नफ़रत और नुक़सानदेह हैं वो हराम की गयी हैं। वजह यह है कि इनसान दूसरे जानवरों की तरह नहीं है कि इसका मक़सद ज़िन्दगी दुनिया खाने, पीने, सोने, जागने और जीने मरने तक सीमित हो, इसको क़ुदरत ने कायनात का मख़रूफ़ किसी खास मक़सद से बनाया है, और वह आला मक़सद पाकीज़ा अख़्लाक के बग़ैर हासिल नहीं हो सकता। इसी लिये बद-अख़्लाक़ इनसान दर हक़ीक़त इनसान कहलाने के क़ाबिल नहीं।

इसी लिये क़ुरआने करीम ने ऐसे लोगों के मुताल्लिक़ फ़रमाया "बल् हुम् अज़ल्लु" यानी पशुओं से भी ज़्यादा गुमराह हैं। और जब इनसान की इनसानियत का मदार अख़्लाक़ के सुध्म और बेहतरी पर हो तो ज़रूरी है कि जितनी चीज़ें इनसानी अख़्लाक़ को गन्दा और ख़राब करने वाली हैं उनसे इसका मुक़म्मल परहेज़ कराया जाये। इनसान के अख़्लाक़ पर उसके आस-पास की चीज़ों और उसके समाज का असर पड़ना आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है जिसको हर शख़्स जानता है। और यह ज़ाहिर है कि जब आस-पास की चीज़ों से इनसानी अख़्लाक़ प्रभावित होते हैं तो जो चीज़ें इनसान के बदन का हिस्सा और अंग बनती हैं उनसे अख़्लाक़ किस क़द्र प्रभावित होंगे। इसलिये खाने पीने की सारी चीज़ों में इसकी एहतियात लाज़िमी हुई। चोरी, डाका, रिश्वत, सूद, जुए वग़ैरह की हराम आमदनी जिसके बदन का हिस्सा बनेगी तब लाज़िमी तौर पर उसको इनसानियत से दूर और शैतानियत से करीब कर देगी। इसी लिये क़ुरआने करीम का इरशाद है:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

नेक अमल के साथ हलाल रोज़ी खाने का हुक्म दिया गया है। क्योंकि हलाल खाने के बारे में नेक अमल के बारे में सोचा नहीं जा सकता। खास तौर पर गोश्त जो इनसान के बदन का अहम अंग बनता है उसमें इसकी एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई ऐसा गोश्त उसकी गिज़ा में दाख़िल न हो जो उसके अख़्लाक़ को ख़राब करे। इसी तरह वह गोश्त जो जिस्माणी तौर पर इनसान के लिये नुक़सानदेह है कि बीमारी और हलाक़त के ज़रासीम उसमें हैं, उसमें इनसान के परहेज़ का ज़रूरी होना तो सभी जानते हैं। जितनी चीज़ें शरीअत ने खबाईस (बगी और गन्दी) करार दी हैं वो यकीनी तौर पर इनसान के जिस्म या रूह या दोनों को ख़राब करने वाली और इनसानी जानियाँ अख़्लाक़ को तबाह करने वाली हैं। इसलिये उनको हराम कर दिया गया। उसके मुक़ाबले में तय्यिबात (पाक और अच्छी चीज़ों) से इनसान के जिस्म व रूह की तरबियत और उम्दा अख़्लाक़ का जन्म व तरक्की होती है, उनको हलाल करार दिया गया। गुर्ज कि क़ुरआने पाक के जुमले "उहिल्ल-ल लकुमुल्लतय्यिबातु" ने हलाल व हराम होने का फ़ल्सफ़ा भी बतला दिया और उसूल भी।

अब यह बात कि कौनसी चीज़ें तय्यिबात यानी साफ-सुथरी, मुफ़ीद और पसन्दीदा हैं और

कौनसी खबाईस यानी गन्दी, नुकसानदेह और काबिले नफरत हैं, इसका असल फैसला सलीम तबीयतों की रुचि व नफरत पर है। यही वजह है कि जिन जानवरों को इस्लाम ने हARAM करार दिया है, हर ज़माने के सही तबीयत वाले इन्सान उनको गन्दा और काबिले नफरत समझते रहे हैं, जैसे मुर्दार जानवर, खून। अलबत्ता कई बार जाहिलाना रस्में तबीयत पर ग़ालिब आ जाती हैं तो अच्छे-बुरे की तमीज़ उठ जाती है, या बाज़ चीज़ों की गंदगी व बुराई छुपी होती है, ऐसे मामलात में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का फैसला सब के लिये हुज्जत है, क्योंकि इन्सानी अफ़राद में सबसे ज्यादा सही व सलीम तबीयत वाले इन्सान अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं जिनको हक़ तआला ने मख़सूस तौर पर सलीम फ़ितरत से नवाज़ा और उनकी तरबियत की खुद जिम्मेदारी उठाई है। उनके आस-पास अपने फ़रिश्तों के पहरे लगाये जिससे उनके दिल व दिमाग़ और अज़्लाक किसी ग़लत माहौल से मुतास्सिर (प्रभावित) नहीं हो सकते। उन्होंने जिन चीज़ों को ख़बाईस (बुरी और गन्दी) करार दिया वो हकीकत में ख़बाईस हैं और जिनको तय्यिबात (पाक और अच्छी) समझा वो हकीकत में तय्यिबात हैं।

चुनाँचे नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक ज़माने तक हर पैग़म्बर ने मुर्दार जानवर और सुअर वग़ैरह को हARAM करने का अपने अपने वक़्त में ऐलान फ़रमाया है। जिससे मालूम हुआ कि ये चीज़ें ऐसी ख़बाईस (गन्दी, ख़राब और बुरी) हैं कि हर ज़माने के सही व सलामती वाली तबीयत रखने वाले हज़रात ने इन्को गन्दी और नुक़सानदेह चीज़ समझा है।

हज़रत शाह वलीयुल्लाह कुद्वि-स सिरुहू देहलवी ने हुज्जतुल्लाहिल-बालिगा में बयान फ़रमाया है कि जितने जानवर इस्लामी शरीअत ने हARAM करार दिये हैं, इन सब पर ग़ौर किया जाये तो सिमट कर ये सब दो उसूलों के तहत आ जाते हैं। एक यह कि कोई जानवर अपनी फ़ितरत व तबीयत के एतबार से ख़बीस (बुरा, नुक़सानदेह और गन्दा) हो। दूसरे यह कि उसके जिबह का तरीक़ा ग़लत हो, जिसका नतीजा यह होगा कि वह ज़बीहा (जिबह किए हुए) के बजाय मैता यानी मुर्दार करार दिया जायेगा।

सूरः मायदा की तीसरी आयत में नौ चीज़ों को हARAM बतलाया है। उनमें ख़िन्ज़ीर (सुअर) पहली किस्म में दाख़िल है। बाकी आठ चीज़ें दूसरी किस्म में। क़ुरआने करीम ने "व युहरिनु अलैहिमुल-ख़बाइ-स" फ़रमाकर संक्षिप्त तौर पर तमाम ख़बीस जानवरों के हARAM होने का हुक्म दिया और इसकी तफ़सील में से चन्द चीज़ें क़ुरआन के स्पष्ट रूप से बयान फ़रमा दीं। जैसे सुअर का गोश्त और बहता खून वग़ैरह। बाकी चीज़ों का बयान रसूलें करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी जानवर के ख़बीस होने की एक निशानी यह बतलाई कि किसी कौम के बतौर अज़ाब के जिस जानवर की शक़्त में बिगाड़ और तब्दील कर दिया गया हो तो यह निशानी इसकी है कि यह जानवर तबई तौर पर ख़बीस है कि जिन लोगों पर हक़ तआला का ग़ज़ब नाज़िल हुआ उनको इस जानवर की शक़्त दी गयी। मसलन क़ुरआने करीम में है:

وَجَعَلْ مِنْهُمْ الْفِرْدَاةَ وَالْخَنَازِيرَ

यानी कुछ क़ौमों को खिन्ज़ीर (सुअर) और बन्दर की शक्ल में बतौर अज़ाब के बदला गया है। जिससे साबित हुआ कि जानवरों की ये दोनों किस्में अपनी तबीयत के हिसाब से ख़बाईस (बुरी और गन्दी चीज़ों) में दाख़िल हैं। उनको बाक़ायदा जिबह भी कर दिया जाये तो भी हलाल नहीं हो सकते। और बहुत से जानवर ऐसे भी हैं कि कामों और निशानियों से उनका ख़बीस होना आम तबीयतें खुद भी महसूस कर लेती हैं। मसलन दरिन्दे जानवर, जिनका काम ही दूसरे जानवरों को ज़ख़्मी करना, फाड़ना, खाना और सख़्त-दिली है।

इसी लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भेड़िये के मुताल्लिक किसी ने मालूम किया तो फ़रमाया कि क्या कोई इनसान उसको खा सकता है? इसी तरह बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनकी ख़सलत दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाना, चीज़ों को उचक लेना है। जैसे साँप, बिच्छु, मक्खी या चील और बाज़ वगैरह।

इसी लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक ज़ाबते (उसूल और नियम) के तौर पर बयान फ़रमाया कि हर दरिन्दा जानवर जो दाँतों से फाड़ खाता है, जैसे शेर, भेड़िया वगैरह, और परिन्दों में वह जानवर जो अपने पंजे से शिकार करते हैं जैसे बाज़, शकरा वगैरह ये सब हराम हैं। या ऐसे जानवर जिनकी तबीयत में कमीनगी, जिल्लत या गंदगियों के साथ मुलव्वस होना है, जैसे चूहा या मुर्दार खाने वाला जानवर या गधा वगैरह, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इन जानवरों के तबई गुण और उनका नुक़सानदेह होना हर इनसान जो तबीयत की मामूली सलामती रखता हो, महसूस करता है।

खुलासा यह है कि जिन जानवरों को इस्लामी शरीअत ने हराम करार दिया है उनमें से एक किस्म तो वह है जिनमें ज़ाती तौर पर बुराई और गंदगी पाई जाती है। दूसरी किस्म वह है कि उनकी ज़ात में कोई बुराई और गंदगी नहीं, मगर जानवरों के जिबह करने का जो तरीका अल्लाह तआला ने मुकरर फ़रमा दिया है उस तरीके पर उसको जिबह नहीं किया गया, चाहे सिरे से जिबह ही नहीं किया गया हो, जैसे झटका करके मारा हो या चोट के ज़रिये मारा हुआ जानवर, या जिबह तो किया मगर उस पर अल्लाह के नाम के बजाय किसी ग़ैरुल्लाह का नाम लिया, या किसी का भी न लिया और जान-बूझकर अल्लाह के नाम को जिबह के वक़्त छोड़ दिया तो यह जिबह भी शरई तौर पर मोतबर नहीं, बल्कि ऐसा ही है जैसे किसी जानवर को बगैर जिबह के मार दिया हो।

यहाँ एक बात ख़ास तौर से काबिले गौर है कि इनसान जो कुछ खाता-पीता है वह सब अल्लाह तआला की दी हुई नेमतें हैं। मगर जानवरों के सिवा और किसी चीज़ के खाने पकाने पर यह पाबन्दी नहीं है कि 'अल्लाहु अकबर' या 'बिस्मिल्लाह' कहकर ही खाया पकाया जाये, इसके बगैर वह हलाल ही न हो। ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि हर चीज़ खाने-पीने के वक़्त 'बिस्मिल्लाह' कहना मुस्तहब करार दिया गया और जान-बूझकर कोई इस वक़्त अल्लाह का नाम छोड़ दे तो जानवर को मुर्दार और हराम करार दिया गया इसमें क्या हिक्मत है।

गौर किया जाये तो फ़र्क स्पष्ट है कि जानदारों की जानें एक हैसियत से सब बराबर हैं।

इसलिये एक जानदार के लिये दूसरे जानदार को फना करना और ज़िबह करके खा लेना बजाहिर जायज़ न होना चाहिये। अब जिनके लिये यह जायज़ किया गया तो उन पर अल्लाह तआला का एक भारी इनाम है। इसलिये जानवर को ज़िबह करने के वक़्त उस खुदाई नेमत का ध्यान व ख्याल और शुक्र का अदा करना ज़रूरी करार दिया गया। बख़िलाफ़ ग़ल्ला, दाना, फल वगैरह कि उनकी पैदाईश ही इसलिये है कि इनसान उनको फना करके अपनी ज़रूरतें पूरी करे। इसलिये उन पर सिर्फ़ बिस्मिल्लाह कहना मुस्तहब के दर्जे में रखा गया है, वाजिब और ज़रूरी नहीं किया गया।

इसके अलावा एक वंजह यह भी है कि ज़माना-ए-जाहिलीयत (इस्लाम आने से पहले के दौर) से यह रस्म जारी थी कि मुशिक लोग जानवरों के ज़िबह के वक़्त अपने बुतों के नाम लिया करते थे। इस्लामी शरीअत ने उनकी इस काफ़िराना रस्म को एक बेहतरीन इबादत में तब्दील कर दिया कि अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी करार दिया। और इस मुशिकाना रस्म को मिटाने की मुनासिब सूरत यही थी कि ग़लत नाम के बजाय कोई सही नाम तजवीज़ कर दिया जाये, वरना चली हुई रस्म व आदत का छूटना मुशिकल होता। यहाँ तक आयत के पहले जुमले की वज़ाहत थी। दूसरा जुमला यह है:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ

यानी अहले किताब का खाना तुम्हारे लिये हलाल है, और तुम्हारा खाना अहले किताब के लिये हलाल।

इस जगह सहाबा व ताबिईन की बहुत बड़ी जमाअत के नज़दीक खाने से मुराद ज़बीहा (ज़िबह किये हुए) जानवर हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अबू ददा, इब्राहीम, क़तादा, सुदी, ज़ह्राक, मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हुम से यही मन्कूल है। (तफसीर रूहुल-मअानी व जस्सास)

क्योंकि दूसरी किस्म के खानों में अहले किताब (ईसाई व यहूदी), मूर्ति पूजक और मुशिक लोग सब बराबर हैं कि रोटी, आटा, दाल, चावल, फल वगैरह जिनमें ज़िबह की ज़रूरत नहीं, वह किसी भी जायज़ तरीके पर हासिल हो तो मुसलमान को उसका खाना जायज़ है और मुसलमानों से उनको मिले तो उनके लिये हलाल है। इसलिये खुलासा-ए-मज़मून इस जुमले का यह हुआ कि अहले किताब का ज़बीहा मुसलमाना के लिये और मुसलमान का ज़बीहा अहले किताब के लिये हलाल है।

अब इस जगह चन्द मसाले काबिले गौर हैं- अव्वल यह कि अहले किताब कुरआन व सुन्नत की परिभाषा में कौन लोग हैं? किताब से क्या मुराद है? और क्या अहले किताब होने के लिये यह भी ज़रूरी है कि वे लोग अपनी किताब पर सही तौर से इमान व अमल रखते हों। इसमें यह तो ज़ाहिर है कि किताब के तुग़वी मायने यानी हर लिखा हुआ वर्क तो मुराद हो नहीं सकता। वही किताब मुराद हो सकती है जो अल्लाह की तरफ़ से आई हो। इसलिये उम्मत की सर्वसम्पत्ति से किताब से मुराद वह आसमानी किताब है जिसका किताबुल्लाह होना कुरआन की तस्दीक से यकीनी हो। जैसे तौरात, इंजील, ज़बूर, हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम पर उतरने

वालों कुछ छोटी आसमानी किताबें वगैरह। इसलिये वे कौमें जो किसी ऐसी किताब पर ईमान रखती और उसको अल्लाह की वही करार देती हों जिसका किताबुल्लाह होना कुरआन व सुन्ना के यकीनी माध्यमों से साबित नहीं। वे कौमें अहले किताब में दाखिल नहीं होंगी, जैसे मक्का के मुशिक, आग के पुजारी, बुतों की पूजा करने वाले, हिन्दू, बोध, आर्य, सिख वगैरह।

इससे मालूम हुआ कि यहूद व ईसाई जो तौरात व इंजील पर ईमान रखने वाले हैं व कुरआन की इस्तिहाह में अहले किताब में दाखिल हैं। तीसरी एक कौम जिसको साबिर्इन कहा है उनके हालात संदिग्ध और अस्पष्ट हैं। जिन हज़रत के नजदीक ये लोग हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर पर ईमान रखते हैं वे इनको भी अहले किताब में शामिल करार देते हैं और जिनकी तहकीक यह है कि ज़बूर से इनका कोई ताल्लुक नहीं, यह सितारों की पुजारी काम है, वे इनको बुत परस्तों और मजूस के साथ शरीक करार देते हैं। बहरहाल यकीनी तौर पर जिनको सर्वसम्मति से अहले किताब कहा जाता है वे यहूदी व ईसाई हैं। तो कुरआने हकीम के इस हुक्म का हासिल यह हुआ कि यहूद व ईसाईयों का ज़बीहा (ज़िबह किया हुआ हलाल जानवर) मुसलमानों के लिये और मुसलमानों का ज़बीहा उनके लिये हलाल है।

अब रहा यह मामला कि यहूदियों व ईसाईयों को अहले किताब कहने और समझने के लिये क्या यह शर्त है कि वे सही तौर पर असली तौरात व इंजील पर अमल रखते हों, या कमी-बेशी को गयी और असल हालत से बदली हुई तौरात और इंजील का इत्तिबा करने वाले और ईसा व मरियम को खुदा का शरीक करार देने वाले भी अहले किताब में दाखिल हैं। सो कुरआने कराम की बेशुमार वज़ाहतों से स्पष्ट है कि अहले किताब होने के लिये सिर्फ इतनी बात काफी है कि वे किसी आसमानी किताब के कायल हों और उसकी इत्तिबा (पैरवी और अनुसरण) करने के दावेदार हों। चाहे वे उसके इत्तिबा में कितनी ही गुमराहियों में जा पड़े हों।

कुरआने करीम ने जिनको अहले किताब का लकब दिया उन्हीं के बारे में यह भी जगह-जगह इरशाद फरमाया कि ये लोग अपनी आसमानी किताबों में रद्दोबदल करते हैं। फरमाया:

يَحْرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ.

और यह भी फरमाया कि यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दे दिया और ईसाईयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। फरमाया:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزْرًا ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ.

इन हालात व सिफ़ात के बावजूद जब कुरआन ने उनको अहले किताब करार दिया है तो मालूम हुआ कि यहूदी व ईसाई जब तक यहूदियत व ईसाईयत को बिल्कुल न छोड़ दें वे अहले किताब में दाखिल हैं। चाहे वे कितने ही बुरे अक़ीदों और ग़लत आमाल में मुब्तला हों।

इमाम जस्सास रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब अहकामुल-कुरआन में नक़ल किया है कि हज़रत फ़ारुक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे ख़िलाफ़त में आपके किसी आमिल या गवर्नर

ने एक खत लिखकर यह मालूम किया कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो तौरात पढ़ते हैं और हफ्ते के दिन की ताज़ीम (सम्मान) भी यहूद की तरह करते हैं, मगर क़ियामत पर उनका ईमान नहीं, ऐसे लोगों के साथ क्या मामला किया जाये। हज़रत फारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में लिखा कि वे अहले किताब ही का एक फ़िरक़ा समझे जायेंगे।

सिर्फ़ नाम के यहूदी व ईसाई जो वास्तव में दहरिये हैं वे इसमें दाख़िल नहीं

आजकल यूरोप के ईसाईयों और यहूदियों में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो अपनी जनगणना के एतिबार से यहूदी या ईसाई कहलाते हैं मगर हकीकत में वे खुदा के वजूद और किसी मज़हब ही के कायल नहीं। न तौरात व इंजील को खुदा की किताब मानते हैं और न मूसा व ईसा अलैहिमस्सलाम को अल्लाह का नबी व पैग़म्बर तस्लीम करते हैं। यह जाहिर है कि वह शख्स मुदुम-शुमारी के नाम की वजह से अहले किताब के हुक्म में दाख़िल नहीं हो सकते।

ईसाईयों के बारे में जो हज़रत अली करमल्लाहु वन्हू ने फ़रमाया कि उनका ज़बीहा (ज़िबह किया हुआ) हलाल नहीं। इसकी वजह यह बतलाई कि ये लोग ईसाई दीन में से सिवाय शराब पीने के और किसी चीज़ के कायल नहीं। हज़रत अली करमल्लाहु वन्हू का इरशाद यह है कि:

روى ابن الجوزى بسنده عن عليّ قال لا تأكلوا من ذبائح نصارى بنى تغلب فانهم لم يتمسكوا من

النصرانية بشيء الا شربهم الخمر ورواه الشافعى بسنده صحيح عنه. (تفسير مظهرى ص 24، جلد 3 ماده)

इब्ने जोज़ी ने सही सनद के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का यह क़ौल नक़ल किया है कि ईसाई बनी तग़लिब के ज़िबह किये हुए को न खाओ। क्योंकि उन्होंने ईसाई मज़हब में से शराब पीने के सिवा कुछ नहीं लिया। इमाम शफ़ई ने भी सही सनद के साथ यह रिवायत नक़ल की है।

हज़रत अली करमल्लाहु वन्हू को बनी तग़लिब के मुताल्लिक यही मालूमात थीं कि वे बेदीन हैं, ईसाई नहीं, अगरचे ईसाई कहलाते हैं। इसलिये उनके ज़बीहे (ज़िबह किये हुए जानवर) से मना फ़रमाया। सहाबा व ताबिईन की एक बड़ी जमाअत की तहकीक़ यह थी कि ये भी आम ईसाईयों की तरह हैं, दीन के पूरी तरह मुन्किर नहीं, इसलिये उन्होंने इनका ज़बीहा भी हलाल करार दिया।

وقال جمهور الامة ان ذبيحة كل نصرانى حلال سواء كان من بنى تغلب او غيرهم وكذلك اليهود.

(تفسير قرطبي ص 78، جلد 6)

और उम्मत की एक बड़ी जमाअत कहती है कि ईसाईयों का ज़बीहा हलाल है। चाहे बनी तग़लिब में से हो, या उनके अलावा किसी दूसरे क़बीले और जमाअत से हो। इसी तरह हर

यहूदी का ज़वीहा भी हलाल है।

खुलासा यह है कि जिन ईसाईयों के मुताल्लिक यह बात यकीनी तौर पर मालूम हो जाये कि वे खुदा के वजूद ही को नहीं मानते या हज़रत मूसा व ईसा अलैहिमस्सलाम को अल्लाह का नबी नहीं मानते, वे अहले किताब के हुक्म में नहीं।

अहले किताब के खाने से क्या मुराद है?

तअ़ाम के लुगवी मायने खाने की चीज़ के हैं। जिसमें अरबी लुगत के हिसाब से हर किस की खाने की चीज़ें दाख़िल हैं। लेकिन जम्हूरे उम्मत के नज़दीक इस जगह तअ़ाम (खाने) से मुराद सिर्फ़ अहले किताब के जिबह किये हुए जानवरों का गोश्त है। क्योंकि गोश्त के अलावा खाने की दूसरी चीज़ों में अहले किताब और दूसरे काफ़िरों में कोई इम्तियाज़ और फ़र्क नहीं। खाने पीने की खुश्क चीज़ें- गेहूँ, चना, चावल और फल वगैरह हर काफ़िर के हाथ का हलाल व जायज़ है, इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं, और जिस खाने में इनसानी कारीगरी का दख़ल है उसमें चूँकि काफ़िरों के बर्तनों और हाथों की पाकी का कोई भरोसा नहीं इसलिये एहतियात इसमें है कि उससे परहेज़ किया जाये। बिना सख़्त ज़रूरत के इस्तेमाल न करें। मगर इसमें जो हाल मुशिरकों, बुत-परस्तों का है वही अहले किताब का भी है कि नापाकी का संदेह दोनों में बराबर है।

खुलासा यह है कि अहले किताब और दूसरे काफ़िरों के खाने में जो फ़र्क शरअन हो सकता है वह सिर्फ़ उनके जिबह किये हुए जानवरों के गोश्त में है। इसलिये उक्त आयत में उम्मत की सर्वसम्मति से अहले किताब के तअ़ाम (खाने) से मुराद उनके जिबह किये हुए जानवर हैं। इमामे तफ़सीर अल्लामा कुर्तबी ने लिखा है:

والطعام اسم لما يؤكل والذبائح منه وهو ههنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل وإنما حرم

من طعامهم فليس بداخل في عموم الخطاب. (فرطی ص ۱۷۷، جلد ۶)

तर्जुमा: लफ़्जे तअ़ाम हर खाने की चीज़ के लिये बोला जाता है जिसमें जिबह किये हुए जानवरों का गोश्त भी दाख़िल है। और इस आयत में तअ़ाम का लफ़्ज़ खास जिबह किये हुए जानवरों के गोश्त के लिये इस्तेमाल किया गया है, अक्सर उलेमा-ए-तफ़सीर के नज़दीक। और अहले किताब के तअ़ाम (खाने) में से जो चीज़ें मुसलमानों के लिये हराम हैं वे इस उम्मी ख़िताब में दाख़िल नहीं।

इसके बाद इमाम कुर्तबी ने अधिक तफ़सील इस तरह बयान फ़रमाई है:

لاخلاف بين العلماء ان ما لا يحتاج الى ذبح كالطعام الذي لا محاولة فيه كالفاكهة والبرجائز اكله اذ لا يضر فيه تملك احد والطعام الذي تقع فيه المحاربة على ضربين احدهما ما فيه محاولة صنعة لا تعلق لها بالدين كخبزة الدقيق وعصره الزيت ونحوه. فهذا ان تجنب من الذمي فعلى وجه التقدير. والضرب الثاني

التذكية التي ذكرنا انها هي التي تحتاج الى الدين والنية فلما كان القياس ان لا تجوز ذبائحهم كما نقول انهم لا صلاة لهم ولا عبادة مقبولة له رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الامة واخرجها النص عن القياس على ما ذكرنا من قول ابن عباس. (قرطبي سورة مائدة ص ٧٧، جلد ٦)

तर्जुमा: उलेमा के दरमियान इसमें कोई इख़िलाफ़ (मतभेद) नहीं किं वे चीज़ें जिनमें जिबह की ज़रूरत नहीं होती मसलन वह खाना जिसमें तसरुफ़ (उलट-फेर और कारीगरी) नहीं करना पड़ता जैसे मेवा और गन्दुम वगैरह, उसका खाना जायज़ है। इसलिये कि उसमें किसी का मालिक बनना बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। अलबत्ता वह खाना जिसमें इनसान को कुछ अमल करना पड़ता है उसकी दो किस्में हैं- एक वह जिसमें कोई ऐसा काम करना पड़े जिसका दीन से कोई ताल्लुक न हो, मसलन आटे से रोटी बनाना, जैतून से तेल निकालना वगैरह, तो काफ़िर जिम्मी की ऐसी चीज़ों से अगर कोई बचना चाहे तो वह महज़ तबीयत के नापसन्द करने की बिना पर होगा। और दूसरी किस्म वह है जिसमें जिबह का अमल करना पड़ता है जिसके लिये दीन और नीयत की ज़रूरत है। तो अगरचे क़ियास का तकाज़ा यह था कि वह काफ़िर की नमाज़ और इबादतों की तरह उसका जिबह का अमल भी कुबूल न होना चाहिये था, लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत के लिये खास तौर पर उनके जिबह किये हुए को हलाल कर दिया और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत ने इस मसले को ख़िलाफ़े क़ियास साबित किया है।

खुलासा यह है कि इस आयत में अहले किताब के खाने से मुराद उलेमा-ए-तफ़सीर की सर्वसम्मति से वह खाना है जिसका हलाल होना मज़हब और अक़ीदे पर मौकूफ़ (निर्भर) है। यानी ज़बीहा। इसी लिये इस खाने में अहले किताब के साथ विशेषता का मामला किया गया, क्योंकि वे भी अल्लाह की भेजी हुई किताबों और पैग़म्बरों पर इमान के दावेदार हैं अगरचे अपने दीन में उनकी रद्दोबदल ने उनके दावे की सच्चाई को खो दिया। यहाँ तक कि शिर्क व कुफ़्र में मुब्तला हो गये। बख़िलाफ़ बुतों के पुजारी मुशिरकों के कि वे किसी आसमानी किताब या नबी या रसूल पर इमान लाने का दावा भी नहीं रखते और जिन किताबों या शख़्सियतों पर उनका इमान है वे न अल्लाह की भेजी हुई किताबें हैं और न उनका रसूल व नबी होना अल्लाह के किसी कलाम से साबित है।

अहले किताब का ज़बीहा हलाल होने की हिक्मत और वजह

जिस मसले पर बहस चल रही है उसका यह तीसरा सवाल है। इसका जवाब अक्तर सहाबा व ताबिईन हज़रत और तफ़सीर के उलेमा की तरफ़ से यह है कि तमाम काफ़िरों में से अहले किताब (यहूदी व ईसाईयों) का ज़बीहा (जिबह किये हुए जानवरों का गोشت) और उनकी औरतों

से निकाह हलाल करार देने की वजह यह है कि उनके दीन में सैंकड़ों रद्दोबदल और कमी होने के बावजूद इन दो मसलों में उनका मज़हब भी इस्लाम के बिल्कुल मुताबिक है। या ज़बीहे पर अल्लाह का नाम लेना अक़ीदे के तौर पर ज़रूरी समझते हैं। इसके बग़ैर जानवर को मुर्दार और नापाक व हराम करार देते हैं।

इसी तरह निकाह के मसले में जिन औरतों से इस्लाम में निकाह हराम है उनके मज़हब भी हराम है, और जिस तरह इस्लाम में निकाह का ऐलान और गवाहों के सामने होना ज़रूरी है इसी तरह उनके मौजूदा मज़हब में भी यही अहकाम हैं।

इमामे तफ़सीर अल्लामा इब्ने कसीर ने यही कौल अक्सर सहाबा व ताबिईन का नज़्दिक फ़रमाया है। उनकी इबारत यह है:

(وطعام اهل الكتاب) قال ابن عباس وابوامامة ومجاهدوسعيدبن جبیر وعكرمة وعطاء والحسن

مكحول و ابراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان يعنى ذبائحهم حلال للمسلمين لانهم يعتقدون تحريم

البح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم الا اسم الله وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزله عند تعالى وتقدس.

(ابن کثیر: سورة مائدة 19 جلد 4)

तर्जुमा: हज़रत इब्ने अब्बास, अबू उमामा, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, इक्रिमा, अता हसन, मकहूल, इब्राहीम नख़ई, सुदी और मुक़ातिल बिन हय्यान रह. ने अहले किताब के खाने की तफ़सीर उनके ज़बीहों के साथ की है। और यह मसला मुसलमानों के लिये यहाँ सर्वसम्मति प्राप्त है कि उनके ज़बीहे मुसलमानों के लिये हलाल हैं। क्योंकि वे ग़ैरुल्लाह के लिये जिबह करने को हराम समझते हैं और अपने ज़बीहों पर खुदा के सिवा और किसी का नाम नहीं लेते। अगरचे वे अल्लाह के बारे में ऐसी बातों के मोतकिद हों जिनसे बारी तआला पाक और बुलन्द व बाला है।

इमाम इब्ने कसीर के इस बयान में एक तो यह बात मालूम हुई कि ऊपर बयान हुए तम हज़रत सहाबा व ताबिईन के नज़दीक अहले किताब के खाने से उनके ज़बीहे मुराद हैं। और उनके हलाल होने पर उम्मत का इजमा (एक राय) है।

दूसरी बात यह मालूम हुई कि इन सब हज़रत के नज़दीक अहले किताब के ज़बीहों (जिब किये हुए जानवरों के गोश्त) के हलाल होने की वजह यह है कि यहूदियों व ईसाईयों के मज़हब में बहुत सी रद्दोबदल और उलट-फेर के बावजूद ज़बीहे का मसला इस्लामी शरीअत के मुताबिक बाकी है कि ग़ैरुल्लाह के नाम पर जिबह किये हुए जानवर को वे भी हराम कहते हैं और ज़बीहे पर अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी समझते हैं। यह दूसरी बात है कि अल्लाह तआला की शान में ये तस्लीस (खुदाई में तीन हिस्सेदारों) के मुशिकाना अक़ीदे के कायल हो गये और अल्लाह और मसीह इब्ने मरियम को एक ही कहने लगे। जिसका कुरआने करीम ने इन अलफ़ाज़ में ज़िक्र फ़रमाया है:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

तर्जुमा: बेशक काफिर हो गये वे लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह तो मसीह बिन मरियम हैं। इसका हासिल यह हुआ कि ज़बीहे के बारे में तमाम कुरआनी आयतें जो सूर: ब-करह और सूर: अन्आम में आई हैं, जिनमें गैरुल्लाह के नाम पर जिबह किये हुए जानवर को भी और उस जानवर को भी जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, हराम करार दिया है, ये सब आयतें अपनी जगह पर अटल हैं और इन पर अमल जारी है। सूर: मायदा की आयत जिसमें अहले किताब के खाने को हलाल करार दिया है, वे भी इन आयतों के हुक्म से अलग और भिन्न नहीं, क्योंकि अहले किताब के खाने को हलाल करार देने की वजह ही यह है कि उनके मौजूदा मज़हब में भी गैरुल्लाह के नाम पर जिबह किया हुआ जानवर, और वह जानवर जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया हराम है। मौजूदा ज़माने में तौरात व इंजील के जो नुस्खे (प्रतियाँ) अब भी मौजूद हैं उनमें भी ज़बीहे और निकाह के अहकाम तक़रीबन वही हैं जो कुरआने करीम और इस्लाम में हैं। जिनकी तफ्सील आगे जिक्र की जायेगी।

हाँ यह हो सकता है कि बाजे जाहिल अ़वाम अपने मज़हब के इस हुक्म के खिलाफ़ कुछ अमल करते हों, जैसा कि खुद मुसलमानों के जाहिल अ़वाम में भी बहुत सी जाहिलाना रस्में शामिल हो गयी हैं, मगर उनको मज़हबे इस्लाम नहीं कहा जा सकता। ईसाई लोगों में के जाहिल अ़वाम के तर्जुमा अमल को देखकर ही कुछ हज़राते ताबिईन ने यह फ़रमाया कि जब अल्लाह तआला ने अहले किताब के खाने को हलाल करार दिया और अल्लाह तआला जानता है कि वे अपने ज़बीहों के साथ क्या मामला करते हैं, कोई उस पर मसीह या उज़ैर का नाम लेता है, कोई बग़ैर बिस्मिल्लाह के जिबह करता है, तो मालूम हुआ कि सूर: मायदा वाली आयत जिसमें अहले किताब के खाने को हलाल करार दिया है, इस आयत ने अहले किताब के ज़बीहों के हुक्म में सूर: ब-करह और सूर: अन्आम की उन आयतों को विशेष कर दिया या एक किस्म का नस्ख (उनके हुक्म को निरस्त व स्थगित) करार दिया है जिनमें गैरुल्लाह के नाम पर जिबह करने को या बग़ैर अल्लाह के नाम के जिबह करने को हराम करार दिया है।

कुछ बड़े उलेमा के कलाम से मालूम होता है कि जिन हज़राते ताबिईन ने अहले किताब के उस जिबह किये हुए जानवर को हलाल फ़रमाया है जिस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी गयी हो या जिसको गैरुल्लाह के नाम पर जिबह किया गया हो, उनके नज़दीक भी अहले किताब का असल मज़हब तो इस्लामी अहकाम से अलग नहीं है मगर उनके जाहिल अ़वाम यह ग़लतियाँ करते हैं। इसके बावजूद उन हज़रात ने जाहिल अहले किताब को भी आम अहले किताब के हुक्म से अलग नहीं किया और ज़बीहे और निकाह के मामले में उनका भी वही हुक्म रखा जो उनके पुर्खों, बड़ों और असल मज़हब की पैरवी करने वालों का है कि उनका ज़बीहा और उनकी औरतों से निकाह जायज़ है।

अल्लामा इब्ने अरबी ने अपनी किताब अहकामुल-कुरआन में लिखा है कि मैंने अपने उस्ताद अबुल-फ़तह मक्दसी से सवाल किया कि मौजूदा ईसाई तो गैरुल्लाह के नाम पर जिबह

करते हैं, मसलान मसीह या उज़ैर का नाम जिबह के वक़्त लेते हैं तो उनका ज़बीहा कैसे हलाल हो सकता है? इस पर अबुल-फ़तह मक़दसी ने फ़रमाया:

هم من ابايهم وقد جعلهم الله تعالى تعالى تعالمن كان قبلهم مع علمه بحالهم. (احكام ابن عربي ص ۲۲۹ جلد اول)

तर्जुमा: उनका हुक्म अपने पूर्वजों और बड़ों के जैसा है (अजके अहले किताब का) यह हाल अल्लाह को मालूम था, लेकिन अल्लाह ने इनको इनके बड़ों के ताबे बना दिया है।

इसका हासिल यह हुआ कि उम्मत के बुजुर्गों में जिन हज़राते उलेमा ने अहले किताब के ऐसे ज़बीहों की इजाज़त दे दी है जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया बल्कि ग़ैरुल्लाह का लिया गया, उनके नज़दीक भी असल मज़हब अहले किताब का यही है कि ये चीज़ें उनके मज़हब में भी हराम हैं मगर उन हज़रात ने ग़लत काम करने वाले अ़वाम को भी उस हुक्म में शामिल रखा जो असल अहले किताब का हुक्म है। इसलिये उनके ज़बीहे को भी हलाल करार दे दिया। और सहाबा व ताबिईन और मुत्तहिद इमामों की एक बड़ी जमाअत ने इस पर नज़र फ़रमाई कि अहले किताब के जाहिल अ़वाम जो ग़ैरुल्लाह के नाम या बग़ैर अल्लाह के नाम के जिबह करते हैं, यह इस्लामी हुक्म के तो खिलाफ़ है ही, खुद ईसाईयों के मौजूदा मज़हब के भी खिलाफ़ है। इसलिये उनके अ़मल का अहक़ाम पर कोई असर नहीं होना चाहिये। उन्होंने यह फ़ैसला दिया कि उन लोगों का ज़बीहा अहले किताब के खाने में दाख़िल ही नहीं। इसलिये उसके हलाल होने की कोई वज़ह नहीं और उनके ग़लत अ़मल की वज़ह से कुरआनी आयतों के हुक्म में तब्दीली या विशेष दर्जे में रखने का कौल इख़्तियार करना किसी तरह सही नहीं।

इसी लिये तफ़सीर के तमाम इमाम- इब्ने जरीर, इब्ने कसीर, अबू हय्यान वग़ैरह इस पर सहमत हैं कि सूर: ब-क़रह और सूर: अन्आम की आयतों में कोई नसख़ (हुक्म का रद्द या बदलना) वाक़े नहीं हुआ। यही जम्हूर सहाबा व ताबिईन का मज़हब है जैसा कि इब्ने कसीर के हवाले से ऊपर नक़ल हो चुका है और तफ़सीर "बहरे मुहीत" में नीचे लिखे अलफ़ाज़ में मज़कूर है।

وذهب الى ان الكتابي اذا لم يذكر الله على اللبحة وذكر غير الله لم توكل وبه قال ابو الدرداء وعبادة بن

الصامت وجماعة من الصحابة وبه قال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر ومالك وكراه النخعي والثوري اكل

ما ذبح واهل به لغير الله. (بحر محيط ص ۴۱ جلد ۴)

तर्जुमा: उनका मज़हब यह है कि किताबी अगर ज़बीहे पर अल्लाह का नाम न ले और अल्लाह के सिवा कोई नाम ले तो उसका खाना जायज़ नहीं। यही कौल है अबू दर्दा, उबादा बिन सामित और सहाबा किराम की एक जमाअत का। और यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद, जुफ़र और मालिक का मज़हब है। इमाम नख़ई और सुफ़ियान सौरी उसके खाने को मक्रूह करार देते हैं।

कलाम का हासिल यह है कि सहाबा व ताबिईन और उम्मत के बुजुर्गों का इसमें कोई मतभेद नहीं है कि अहले किताब का असल मज़हब कुरआन नाज़िल होने के ज़माने में भी यही

था कि जिस जानवर पर ग़ैरुल्लाह का नाम लिया जाये या जान-बूझकर अल्लाह का नाम छोड़ा जाये वह हराम है। इसी तरह निकाह के हलाल व हराम होने में भी अहले किताब का असल मज़हब मौजूदा ज़माने तक अक्सर चीज़ों में इस्लामी शरीअत के मुताबिक है, उसके खिलाफ़ जो कुछ अहले किताब में पाया गया वह जाहिल अ़वाम की ग़लतियाँ हैं, उनका मज़हब नहीं है।

मौजूदा तौरात व इंजील जो अनेक भाषाओं में छपी हुई मिलती हैं, उनसे भी इसकी ताईद (पुष्टि) होती है। मुलाहिज़ा हों उनके निम्नलिखित अक़वाल। बाइबिल के अहद नामा क़दीम में जो मौजूदा ज़माने के यहूदियों व ईसाईयों दोनों के नज़दीक मुसल्लम (माना हुआ) है, ज़बीहे के मुताल्लिक ये अहकाम हैं:

1. जो जानवर खुद-बखुद मर गया हो और जिसको दरिन्दों ने फाड़ा हो, उनकी चर्बी और काम में लाओ तो लाओ, तुम उसे किसी हाल में न खाना। (अहबारे 24)

2. पर गोश्त को तो अपने सब फाटकों के अन्दर अपने दिल की रुचि और खुदावन्द अपने दी हुई बरकत के मुवाफ़िक़ जिबह करके खा सकेगा.....लेकिन तुम खून को बिल्कुल न खाना। (इस्तिस्ना 12-15)

3. तुम बुतों की क़ुरबानियों के गोश्त और लहू और गला घोंटे हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज़ करो। (अहद नामा जदीद किताबुल-आमाल 15-29)

4. ईसाईयों के सबसे बड़ा पेशवा (धर्मगुरु) पोलिस करंथियून के नाम पहले ख़त में लिखता है कि जो क़ुरबानी ग़ैर-क़ौमें करती हैं शैतानों के लिये करती हैं न कि खुदा के लिये, और मैं नहीं चाहता कि तुम शैतानों के शरीक हो। तुम खुदावन्द के प्याले और शैतानों के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। (करंथियून 10-20-20)

5. किताबे आमाल हवारिथीन में है- हमने यह फैसला करके लिखा था कि वे सिर्फ़ बुतों की क़ुरबानी के गोश्त से और लहू और गला घोंटे हुए जानवरों और हरामकारी से अपने आपको बचाये रखें। (आमाल 21-25)

यह तौरात व इंजील के वो स्पष्ट अहकाम व बयानात हैं जो आजकल की बाइबिल सोसाइटियों ने छपी हुई हैं, जिनमें सैकड़ों रद्दोबदल और संशोधनों के बाद भी बिल्कुल क़ुरआने करीम के अहकाम के मुताबिक़ ये चीज़ें बाकी हैं। क़ुरआने करीम की आयत यह है:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالنَّمُ وَالْحِمِّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيعَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (سورة المائدة - 4)

तुम पर हराम कर दिया गया मुर्दार और खून और खिन्ज़ीर (सुअर) का गोश्त। और जिस पर अल्लाह के सिवा और किसी का नाम पुकारा गया हो। और गला घोंटा हुआ, और चोट खाकर मरा हुआ। और गिरकर मरा हुआ। और सींग खाकर मरा हुआ। और जिसे दरिन्दे ने खाया हो, हाँ मगर यह कि तुमने उसको पाक कर लिया हो। और वह जानवर जो बुतों के नाम पर जिबह किया जाये।

इस आयत ने मैता यानी खुद मरा हुआ जानवर, और खून और खिन्जीर का गोشت ओ-जिस पर गैरुल्लाह (अल्लाह के अलावा) का नाम लिया गया हो, और गला घोंटा हुआ जानवर और चोट से मारा या और ऊँची जगह से गिरकर मरा हुआ, या सींगों की चोट से मारा हुआ और जिसको दरिन्दों ने फाड़ा हो सब हराम करार दिये हैं। तौसल व इंजील की बयान हु-वजाहतों में भी "खिन्जीर के गोشت" के अलावा तकरीबन सभी को हराम करार दिया है, सिर्फ चोट से या ऊँची जगह से गिरकर सींगों से मरने वाले जानवर की तफसील अगरचे मजकूर नहीं है मगर वह सब तकरीबन खुद मरे या गला घोंटकर मारे हुए के हुक्म में दाखिल हैं।

इसी तरह कुरआने करीम ने ज़बीहे पर अल्लाह का नाम लेने की ताकीद फरमाई है:

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

और जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो उसको हराम किया है:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذَكَرَاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

बाईबिल में किताब इस्तिस्ना की मजकूर इबारत 2 से भी इसकी ताकीद समझ में आती कि जानवर को अल्लाह के नाम से जिबह किया जाये। इसी तरह निकाह के मामलात में भी अहले किताब का मजहब अक्सर चीजों में इस्लामी शरीअत के मुताबिक है।

मुलाहिजा हो- अहबार, 18, 6 से 19 तक। जिसमें एक लम्बी फेहरिस्त मुहरमात (हराम होने वाले रिश्तों) की दी गयी है और जिनमें ज्यादातर वही हैं जिनको कुरआन ने हराम किया है, यह तक कि दो बहनों को एक साथ निकाह में जमा करने की हुर्मत (हराम होना) और माहवारी की हालत में सोहबत (हमबिस्तरी) का हराम होना भी उसमें स्पष्ट रूप से बयान हुआ है। साथ ही बाईबिल में इसकी भी वजाहत है कि बुत-परस्त और मुश्रिक कौमों से निकाह जायज़ नहीं मौजूदा तौरात के अलफाज़ ये हैं।

"तू उनसे ब्याह-शादी भी न करना। न उनके बेटों को अपनी बेटियाँ देना और न अपने बेटों के लिये उनकी बेटियाँ लेना। क्योंकि वे मेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे, ताकि वे दूसरे माबूदों की इबादत करें।" (इस्तिस्ना 7-3-4)

खुलासा-ए-कलाम

कलाम का हासिल और निचोड़ यह है कि कुरआन में अहले किताब के ज़बीहे और उनकी औरतों से निकाह को हलाल और दूसरे काफिरों के ज़बीहों और औरतों को हराम करार देने की वजह ही यह है कि इन दोनों मसलों में अहले किताब का असल मजहब आज तक भी इस्लामी कानून के मुताबिक है और जो कुछ इसके खिलाफ उनके अ़वाम में पाया जाता है वह जाहिलों की बदकारियाँ और गलतियाँ हैं, उनका मजहब नहीं है। इसी लिये सहाबा व ताबिईन और मुज्ताहिद इमामों की अक्सरियत और बड़ी जमाअत के नज़दीक सूर: ब-करह, सूर: अन्आम और सूर: मायदा की तमाम आयतों में कोई टकराव, तस्मीम या तख़सीस नहीं है। और जिन उलेमा व ताबिईन ने ग़लत काम करने वाले अ़वाम के अमल को भी अहले किताब के ताबे करके उनके

हुकूम में शामिल रखा और सूर: ब-करह व सूर: अन्आम की आयतों में तरमीम व रद्दोवदल या खास (विशेष) होने का कौल इख्तियार किया है, उसकी भी बुनियाद यह है कि ईसाई जिनका कौल यह है कि:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ.

(यानी अल्लाह तो ईसा बिन मरियम ही हैं।)

ये लोग अगर अल्लाह का नाम भी लें तो उससे मुराद ईसा बिन मरियम ही लेंते हैं। इसलिये उनके ज़बीहे में अल्लाह का नाम लेना या मसीह का नाम लेना बराबर हो गया। इस विना पर उन हज़रते ताबिईन ने अहले किताब के ज़बीहे में इसकी इजाज़त दे दी है। अल्लामा इब्ने अरबी ने अहकामुल-कुरआन में इस बुनियाद की वज़ाहत फरमाई है।

(अहकाम, इब्ने अरबी पेज 229, जिल्द 1)

मगर उम्मत की अक्सरियत ने इसको कुबूल नहीं किया जैसा कि तफसीर इब्ने कसीर और तफसीर बहरे मुहीत के हवाले से अभी गुज़र चुका है। और तफसीरे मज़हरी में अनेक अक़वाल नकल करने के बाद लिखा है:

والصحيح المختار عندنا هو القول الأول. يعني ذبائح اهل الكتاب تاركًا للتسمية عامدًا او على غير اسم الله تعالى لا يوكّل ان علم ذلك يقينا او كان غالب حالهم ذلك وهو محمل النهي عن اكل ذبائح نصارى العرب ومحمل قول علي لا تاكوا من ذبائح نصارى بنى تغلب فانهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء الا بشربهم الخمر فلعل عليا علم من حالهم انهم لا يسمون الله عند الذبح او يذبحون على غير اسم الله هكذا حكم نصارى العجم ان كان عاداتهم الذبح على غير اسم الله تعالى غالبا لا يوكّل ذبيحتهم ولا شك ان نصارى في هذا الزمان لا يذبحون بل يقتلون بالوقد غالبا فلا يحل طعامهم. (تفسير مظہری ص ۳۹ جلد ۳)

तर्जुमा: और सही और पसन्दीदा हमारे नज़दीक वह पहला ही कौल है यानी यह कि अहले किताब के ज़बीहे जिन पर जान-बूझकर अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया हो, या ग़ैरुल्लाह के नाम पर जिबह किये गये हों वो हलाल नहीं, अगर यकीनी तौर पर इसका इल्म हो जाये कि उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया या ग़ैरुल्लाह का लिया है, या अहले किताब की आम आदत यह हो जाये। जिन बुजुर्गों ने अरब के ईसाईयों के ज़बीहों को मना किया है उनके कौल का मकसद भी यही है। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो यह फरमाया कि "ईसाई बनी तग़लिब के ज़बीहे खाना जायज़ नहीं, क्योंकि उन्होंने ईसाई मज़हब में से सिवाय शराब पीने के और कुछ नहीं लिया, इसको भी इसी पर महमूल किया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को यह साबित हुआ होगा कि बनी तग़लिब अपने ज़बीहों पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, या फिर ग़ैरुल्लाह का नाम लेते हैं। पर यही हुकूम अज़मी ईसाईयों का भी है कि अगर उनकी आदत यही हो जाये कि आम तौर पर ग़ैरुल्लाह के नाम पर जिबह करते हैं, तो उनका ज़बीह खाना जायज़ नहीं। और इसमें शक नहीं कि आजकल

के इसाई तो जिबह ही नहीं करते बल्कि आम तौर पर चोट मारकर हलाक करते हैं। इसलिये उनका ज़बीहा हलाल नहीं है।

यह तफसीली बहस यहाँ इसलिये नक़ल की गयी कि इस मक़ाम पर मिस्त्र के मशहूर आलिम मुफ़्ती अब्दुहू से एक सख़्त चूक हो गयी है जिसके ग़लत, किताब व सुन्नत और उम्मत की अक्सरियत के खिलाफ़ होने में कोई शक व शुब्हा नहीं। उनसे तफ़सीर 'अल-मिनार' में इस जगह दोहरी ग़लती हुई है।

अब्वल तो अहले किताब के मफ़हूम (मतलब) में दुनिया के काफ़िर, मजूस, हिन्दू, सिख वगैरह सब को दाखिल करके इतना आम कर दिया कि पूरे कुरआन में जो काफ़िर अहले किताब और ग़ैर-अहले किताब की तक़सीम और फ़र्क किया गया है वह बिल्कुल बेमानी और बेहकीकत हो जाता है।

और दूसरी ग़लती इससे बड़ी यह हुई कि अहले किताब के खाने के मफ़हूम में अहले किताब के हर खाने को बिना किसी शर्त के हलाल कर दिया। चाहे वे जानवर को जिबह करें या न करें और उस पर अल्लाह का नाम लें या न लें, हर हाल में वे जानवर को जिस तरह खाते हैं उसका मुसलमानों के लिये हलाल कर दिया।

जिस वक़्त उनका यह फ़तवा मिस्त्र में प्रकाशित हुआ उस वक़्त खुद मिस्त्र के और दुनिया के तमाम बड़े उलेमा ने इसको ग़लत करार दिया। इस पर बहुत से लेख और पुस्तकें लिखे गये। मुफ़्ती अब्दुहू को फ़तवा देने के पद से हटाने के मुतालबे हर तरफ़ से हुए। उधर मुफ़्ती साहिब मौसूफ़ के शागिदों और कुछ पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित और यूरोपियन समाज के शौकीन आदमियों के पसन्द करने वाले लोगों ने बहस चलाई। क्योंकि यह फ़तवा उनके रास्ते की तमाम मुश्किलों का हल था कि यूरोप के यहूदी व ईसाई बल्कि बेदीनों का हर खाना उनके लिये हलाल हो गया।

लेकिन इस्लाम का यह भी मोजिज़ा (कमाल व चमत्कार) है कि खिलाफ़े शरीअत काम चलाने ही बड़े आलिम से क्यों न हो जाये, आम मुसलमानों के दिल उससे कभी मुल्मईन नहीं होते। इस मामले में भी यही हुआ और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इसको गुमराही करार दिया और उस वक़्त यह मामला दबकर रह गया, मगर मौजूदा ज़माने के बेदीन जिनका मक़सद यह है कि इस्लाम का नया स्वरूप तैयार किया जाये कि जिसमें यूरोप की हर बेहूदगी खप जाये और नौजवानों की नफ़्सानी इच्छाओं को पूरा करे, उन्होंने फिर 'इंस' बहस को इस अन्दाज़ में निकाला कि गोया वे खुद कोई अपनी तहकीक़ (शोध) पेश कर रहे हैं, हालाँकि वह सब नक़ल मुफ़्ती अब्दुहू के मज़कूर लेख की है। इसी लिये ज़रूरत हुई कि इस बहस को किसी बड़े तफ़सील से लिखा जाये।

अब अल्हम्दु लिल्लाह ज़रूरत के मुताबिक़ इसका बयान हो गया और इसकी पूरी तफ़सील मेरे रिंसाळे "इस्लामी ज़बीहे" में है। वहाँ देखी जा सकती है।

दूसरा मसला इस जगह यह है कि कुरआने करीम के इस इरशाद में एक हुक्म के मुसलमानों के लिये बयान फ़रमाया कि अहले किताब का खाना जो तुम्हारे लिये जायज़ है, यह

तो जाहिर है, मगर इसका दूसरा हिस्सा यानी मुसलमानों का खाना अहले किताब के लिये जायज़ है, इसका क्या मकसद है? क्योंकि अहले किताब जो कुरआनी इरशादात के कायल ही नहीं, उनके लिये क्या हलाल है क्या हराम, इसके बयान से क्या फायदा।

तफसीर बहरे मुहीत वगैरह में इसके मुताल्लिक़ फ़रमाया कि दर असल यह हुक्म भी मुसलमानों ही को बतलाना मन्ज़ूर है कि तुम्हारा ज़बीहा उनके लिये जायज़ है। इस वास्ते तुम अपने ज़बीहे में से किसी गैर-मुस्लिम अहले किताब को खिला दो तो कोई गुनाह नहीं। यानी अपनी कुरबानी में से किसी किताबी शख्स को दे सकते हो। और अगर हमारा ज़बीहा उनके लिये हराम होता तो हमारे लिये जायज़ न होता कि हम उनको उसमें से खिलायें। इसलिये अगरचे यह हुक्म बजाहिर अहले किताब का है मगर हकीकत में इसके मुखातब मुसलमान ही हैं। और तफसीर रुहुल-मअानी में इमाम सुदी के हवाले से इस जुमले का एक और मन्शा जिक्र किया है, वह यह कि अहले किताब (यहूदी व ईसाई लोगों) के मज़हब में बाज़ हलाल जानवर या उनके कुछ हिस्से (अंग) सज़ा के तौर पर हराम कर दिये गये थे, इसलिये वह जानवर या जानवर का हिस्सा अहले किताब के खाने में बजाहिर दाख़िल नहीं, लेकिन आयत के इस जुमले ने बतला दिया कि जो जानवर तुम्हारे लिये हलाल है चाहे अहले किताब उसको हलाल न जानते हों, अगर अहले किताब के ज़िबह किये हुए मिलें तो वे भी मुसलमानों के लिये हलाल ही समझे जायेंगे। 'य तअमुकुम हिल्लुल-लहुम' में इस तरफ़ इशारा किया गया है। अगर यह मतलब मुराद लिया जाये तो भी आख़िरकार इस जुमले का ताल्लुक़ खुद मुसलमानों के साथ हो गया।

और तफसीरे मज़हरी में फ़रमाया कि फायदा इस जुमले का फ़र्क़ बयान करना है ज़बीहों के मामले में और निकाह के मामले में। वह फ़र्क़ यह है कि ज़बीहे तो दोनों तरफ़ से हलाल हैं, अहले किताब का ज़बीहा मुसलमानों के लिये और मुसलमानों का ज़बीहा अहले किताब के लिये, मगर औरतों के निकाह का यह मामला नहीं। अहले किताब की औरतें मुसलमानों के लिये हलाल हैं मगर मुसलमानों की औरतें अहले किताब के लिये हलाल नहीं।

तीसरा मसला यह है कि अगर कोई मुसलमान (अल्लाह की पनाह) मुर्तद होकर यहूदी या ईसाई बन जाये तो वह अहले किताब में दाख़िल नहीं बल्कि वह मुर्तद है, उसका ज़बीहा पूरी उम्मत के नज़दीक़ हराम है। इसी तरह जो मुसलमान इस्लाम की ज़रूरी और कतई चीज़ों में से किसी चीज़ का इनकार करने की वजह से मुर्तद हो गया है, अगरचे वह कुरआन और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मानने का दावा भी करता हो वह भी मुर्तद (इस्लाम से ख़ारिज) है, उसका ज़बीहा हलाल नहीं। सिर्फ़ कुरआन पढ़ने या कुरआन पर अमल करने का दावा करने से वह अहले किताब में दाख़िल नहीं हो सकता। हाँ किसी दूसरे मज़हब व मिल्लत का आदमी अगर अपना मज़हब छोड़कर यहूदी व ईसाई बन जाये तो वह अहले किताब में शुमार होगा और उसका ज़बीहा हलाल करार पायेगा।

आयत का तीसरा जुमला यह है:-

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُتَفَجِّحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ.

यानी तुम्हारे लिये मुसलमान आबरू वाली और पाकदामन औरतों से निकाह हलाल है। इसी तरह अहले किताब की आबरू वाली और पाकदामन औरतों से भी निकाह हलाल है।

इसमें दोनों जगह मुहसनात का लफ्ज़ आया है जिसके मायने अरबी लुगत व मुहावरे के एतिबार दो हो सकते हैं- एक आज़ाद जिसका मुक़ाबिल बाँदियाँ हैं, दूसरे आबरू वाली व पाकदामन औरतें हैं, लुगत के एतिबार से इस जगह भी दोनों मायने मुराद हो सकते हैं।

इसी लिये उलेमा-ए-तफसीर में से मुजाहिद ने इस जगह मुहसनात की तफसीर आज़ाद से की है जिसका हासिल यह हुआ कि अहले किताब की आज़ाद औरतें मुसलमानों के लिये हलाल हैं, बाँदियाँ हलाल नहीं। (तफसीरे मज़हरी)

लेकिन उलेमा-ए-सहाबा और ताबिईन की एक बड़ी जमाअत के नज़दीक इस जगह मुहसनात के मायने आबरू वाली और पाकदामन औरतों के हैं और मुराद आयत की यह है कि जिस तरह आबरू वाली और पाकदामन मुसलमान औरतों से निकाह जायज़ है इसी तरह अहले किताब की आबरू वाली व पाकदामन औरतों से भी जायज़ है। (अहकामुल-कुरआन, जस्तास व मज़हरी)

लेकिन अक्सर उलेमा इस पर सहमत हैं कि इस जगह आबरू वाली व पाकदामन औरतों की कैद (शर्त) के यह मायने नहीं कि जो पाकदामन न हों उन औरतों से निकाह ही हराम है। बल्कि इस कैद का फायदा बेहतर और मुनासिब सूरत की तरफ तवज्जोह दिलाना है कि चाहे मुसलमान औरत से निकाह करो या अहले किताब से, बहरहाल यह बात पेशे नज़र रहनी चाहिये कि पाकदामन आबरू वाली औरत से निकाह हो। बदकार और फ़ासिक औरतों से निकाह का रिश्ता जोड़ना किसी शरीफ़ मुसलमान का काम नहीं। (तफसीरे मज़हरी वगैरह)

इसलिये इस जुमले का खुलासा-ए-मज़मून यह हुआ कि मुसलमान के लिये हलाल है कि किसी मुसलमान औरत से निकाह करे या अहले किताब की औरत से। अलबत्ता दोनों सूरतों में इसका लिहाज़ रखना चाहिये कि आबरूदार और पाकदामन औरत से निकाह करे। बदकार, नाक़ाबिले एतिबार औरत से निकाह का रिश्ता जोड़ना दीन व दुनिया-दोनों की तबाही है, इससे बचना चाहिये। इस आयत में अहले किताब की कैद (शर्त) से उम्मत की सर्वसम्मति से यह साबित हो गया कि जो गैर-मुस्लिम अहले किताब में दाखिल नहीं, उनकी औरतों से निकाह हलाल नहीं।

पहले गुज़रे बयान में यह स्पष्ट हो चुका कि इस ज़माने में जितने फिर्के और जमाअतें गैर-मुस्लिमों की मौजूद हैं उनमें सिर्फ़ यहूदी व ईसाई ही दो कौमों हैं जो अहले किताब में शुमार हो सकती हैं, बाकी मौजूदा धर्मों में से कोई भी अहले किताब में दाखिल नहीं। आग के पुजारी, या बुत-परस्त (मूर्ति पूजक) हिन्दू या सिख, आर्य, बुद्ध वगैरह सब इसी आम हुक्म में दाखिल हैं। क्योंकि यह बात बयान हो चुकी है कि अहले किताब से मुराद वे लोग हैं जो किसी ऐसी किताब के मानने वाले और उसकी पैरवी के दावेदार हों जिसका आसमानी किताब और अल्लाह की वही

होना कुरआन व सुन्नत की दलीलों और बयानात से साबित है, और ज़ाहिर है कि वह तो तौरात व इंजील ही हैं, जिनकी मानने वाली कुछ कौमों इस वक़्त दुनिया में मौजूद हैं, बाकी ज़बूर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उतरी किताबें न कहीं महफूज़ व मौजूद हैं, न कोई कौम उनके मानने और उन पर अमल करने की दावेदार है, और "वेद" और "ग्रन्थ" या "ज़र्दश्त" वगैरह किताबें जो दुनिया में पवित्र कही जाती हैं उनके अल्लाह की वही और आसमानी किताब होने का कोई सबूत किसी शर्ई दलील से नहीं है। और सिर्फ़ यह संभावना कि शायद ज़बूर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उतरी आसमानी पुस्तकों ही की बदली हुई वह सूरत हो जिसको बुद्धमत की किताब या वेद या ग्रन्थ वगैरह के नामों से नामित किया जाता है, सिर्फ़ एक संभावना और खाली गुमान है जो सबूत के लिये काफी नहीं। इसलिये तमाम उम्मत की राय के मुताबिक़ यह साबित हो गया कि मौजूदा ज़माने की विभिन्न धर्मों में से सिर्फ़ यहूदी व ईसाईयों की औरतों से मुसलमानों का निकाह हलाल है और किसी कौम की औरत से जब तक कि वह मुसलमान न हो जाये निकाह हराम है।

कुरआने करीम की आयत:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

(यानी सूर: ब-क़रह की आयत नम्बर 221) इसी मज़मून के लिये आई है जिसके मायने यह हैं कि मुश्रिक औरतों से उस वक़्त तक निकाह न करो जब तक कि वे मुसलमान न हो जायें। और अहले किताब के सिवा दूसरी कौमों सब मुश्रिकात (शिरक करने वालियों) में दाख़िल हैं।

ग़र्ज़ कि कुरआन मर्जीद की दो आयतें इस मसले में बयान हुई हैं- एक में यह है कि मुश्रिक औरतों से उस वक़्त तक निकाह हलाल नहीं जब तक कि वे मुसलमान न हो जायें। दूसरी यह आयत सूर: मायदा की जिससे मालूम हुआ कि अहले किताब की औरतों से निकाह जायज़ है।

इसलिये उल्लेमा, सहाबा व ताबिईन की अक्सरियत ने दोनों आयतों का मफ़हूम और मतलब यह करार दिया कि उसूलों तौर पर गैर-मुस्लिम औरत से मुसलमान का निकाह न होना चाहिये, लेकिन सूर: मायदा की इस आयत ने अहले किताब की औरतों को इस उमूमी हुक्म से अलग कर दिया है, इसी लिये यहूदी व ईसाई औरतों के सिवा किसी दूसरी कौम की औरत से बगैर इस्लाम लाये हुए मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता।

अब रहा मसला अहले किताब यानी यहूदी व ईसाई औरतों का तो बाज़ सहाबा किराम के नज़दीक यह भी जायज़ नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का यही मज़हब है। उनसे जब कोई पूछता तो वह फ़रमाते थे कि अल्लाह तआला का इरशाद कुरआने करीम में स्पष्ट है:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

यानी मुश्रिक औरतों से उस वक़्त तक निकाह न करो जब तक कि वे मुसलमान न हो जायें। और मैं नहीं जानता कि इससे बड़ा कौनसा शिरक होगा कि वह ईसा बिन मरियम या

किसी दूसरे बन्दा-ए-खुदा को अपना स्व और खुदा करार दे। (अहकामुल-कुरआन, जस्सास)

एक मर्तबा मैमून बिन मेहरान ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया कि हम एक ऐसे मुल्क में आबाद हैं जहाँ अहले किताब ज्यादा रहते हैं, तो क्या हम उनकी औरतों से निकाह कर सकते हैं और उनका ज़बीहा खा सकते हैं? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको जवाब में ये दोनों आयतें पढ़कर सुना दीं। एक वह जिसमें मुशरिक औरतों से निकाह को हराम फ़रमाया है, दूसरे यह सूर: मायदा की आयत जिसमें अहले किताब की औरतों से निकाह का हलाल होना बयान किया है।

मैमून बिन मेहरान ने कहा ये दोनों आयतें तो मैं भी कुरआन में पढ़ता हूँ और जानता हूँ। मेरा सवाल तो यह है कि इन दोनों को सामने रखकर मेरे लिये शरीअत का हुक्म क्या है? इसके जवाब में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर यही दोनों आयतें पढ़कर सुना दीं और अपनी तरफ़ से कुछ नहीं फ़रमाया। जिसका मतलब उम्मत के उलेमा ने यह करार दिया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अहले किताब की औरतों से निकाह हलाल होने पर भी इत्मीनान नहीं था।

और सहाबा व त़ाबिईन की एक बड़ी जमाअत के नज़दीक अगरचे कुरआन के मुताबिक अहले किताब की औरतों से निकाह हलाल है लेकिन उनसे निकाह करने से तज़ुब के आधार पर जो दूसरी ख़राबियाँ और बुराईयाँ अपने लिये और अपनी औलाद के लिये बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिये लाजिमी तौर से पैदा होंगी, उनकी बिना पर अहले किताब की औरतों से निकाह को वे भी मक्रूह (बुरा और नापसन्दीदा) समझते थे।

इमाम जस्सास ने अहकामुल-कुरआन में शकीक बिन सलमा की रिवायत से नक़ल किया है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु जब मदायन पहुँचे तो वहाँ एक यहूदी औरत से निकाह कर लिया। हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को इसकी इत्तिला मिली तो उनको ख़त लिखा कि उसको तलाक़ दे दो। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में लिखा कि क्या वह मेरे लिये हराम है? अमीरुल-मोमिनीन फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में तहरीर फ़रमाया कि मैं हराम नहीं कहता लेकिन उन लोगों की औरतों में आम तौर पर आबरू व पाक़दामनी नहीं है इसलिये मुझे ख़तरा है कि आप लोगों के घराने में इस रास्ते से बुराई व बदकारी दाख़िल न हो जाये। और इमाम मुहम्मद बिन हसन रह. ने किताबुल-आसार में इस याक़िए को इमाम अबू हनीफ़ा रह. की रिवायत से इस तरह नक़ल किया है कि दूसरी मर्तबा फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा तो उसके ये अलंफ़ाज़ थे:

اعزم عليك ان لا تضع كتابي حتى تخلى سبيلها فاني اخاف ان يقتديك المسلمون ليختاروا النساء اهل

الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنه لنساء المسلمين. (كتاب الآثار ص 106)

यानी आपको क़सम देता हूँ कि मेरा यह ख़त अपने हाथ से रखने से पहले ही उसको

तलाक़ देकर आज़ाद कर दो। क्योंकि मुझे यह ख़तरा है कि दूसरे मुसलमान भी आपकी पैरवी और अनुसरण करें और जिम्मियों व अहले किताब की औरतों को उनके हुस्न व सुन्दरता की वजह से मुसलमान औरतों पर तरजीह देने लगे, तो मुसलमान औरतों के लिये इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी।

इस वाकिए को नक़ल करके इमाम मुहम्मद बिन हसन रह. ने फ़रमाया कि हनफी फ़ुक़हा इसी को इस्तिथार करते हैं कि उस निकाह को हराम तो नहीं कहते लेकिन दूसरी ख़राबियों और बुराईयों की वजह से मक्रूह (बुरा और नापसन्दीदा) समझते हैं। और अल्लामा इब्ने हम्माम ने फ़तहुल-क़दीर में नक़ल किया है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा हज़रत तल्हा और हज़रत कअब बिन मालिक को भी ऐसा ही वाकिए पेश आया कि उन्होंने सूर: मायदा की आयत की बिना पर अहले किताब की औरतों से निकाह कर लिया तो जब फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को इसकी इत्तिला मिली तो सख़्त नाराज़ हुए और उनको हुक्म दिया कि तलाक़ दे दें। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना खैरुल-कुसून (खैर) का ज़माना है। जब इसका कोई सदेह तक न था कि कोई यहूदी, ईसाई औरत किसी मुसलमान की बीवी बनकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ़ कोई साज़िश कर सके, उस वक़्त तो सिर्फ़ यह शंकायें सामने थीं कि कहीं उनमें बदकारी हो तो उनकी वजह से हमारे घराने गन्दे हो जायें, या उनके हुस्न व खूबसूरती की वजह से लोग उनको तरजीह देने लगे। जिसका नतीजा यह हो कि मुसलमान औरतें तकलीफ़ में पड़ जायें। मगर फ़ारूकी नज़र दूर तक देखने वाली इतनी ही ख़राबियों को सामने रखकर उन हज़रात को तलाक़ पर मजबूर करती है। अगर आज का नक्शा उन हज़रात के सामने होता तो अन्दाज़ा कीजिए कि उनका इसके बारे में क्या अमल होता। अब्बल तो वे लोग जो आज अपने नाम के साथ मर्दुम शुमारी के रजिस्ट्रों में यहूदी या ईसाई लिखवाते हैं, उनमें बहुत से वे लोग हैं जो अपने अक़ीदे के एतिबार से यहूदियत व ईसाईयत को एक लानत समझते हैं। न उनका तौरात व इंजील पर अक़ीदा है न हज़रत मूसा व हज़रत ईसा अलैहिमसलाम पर। वे अक़ीदे के एतिबार से बिल्कुल अधर्मी और बद्दीन हैं। महज़ कौमी या रस्मी तौर पर अपने आपको यहूदी और ईसाई कहते हैं।

ज़ाहिर है कि उन लोगों की औरतें मुसलमानों के लिये किसी तरह हलाल नहीं। और अगर मान लो वे अपने मज़हब के पाबन्द भी हों तो उनको किसी मुसलमान घराने में जगह देना अपने पूरे ख़ानदान के लिये दीनी और दुनियावी तबाही को दावत देना है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ़ जो साज़िशें इस रास्ते से इस आखिरी दौर में हुई और होती रहती हैं, जिनके इबरत लेने वाले वाकिएत रोज़ आँखों के सामने आते हैं, कि एक लड़की ने पूरी मुस्लिम कौम और सलतनत को तबाह कर दिया। ये ऐसी चीज़ें हैं कि हलाल व हराम को नज़र अन्दाज़ करते हुए भी कोई अक्ल व समझ वाला इन्सान इसके करीब जाने के लिये तैयार नहीं हो सकता।

ग़र्ज़ कि कुरआन व सुन्नत और सहाबा के अमल व तालीम की रू से मुसलमानों पर लाज़िम है कि आजकल की किताबी औरतों को निकाह में लाने से पूरी तरह परहेज़ करें। आयत

के आखिर में यह हिदायत भी कर दी गयी है कि अहले किताब की औरतों को अगर रखना है तो बाकायदा निकाह करके बीबी की हैसियत से रखें, उनके मेहर वगैरह के हुक्क अदा करें, उनको खेल के तौर पर रखना और खुले तौर पर बदकारी करना ये सब चीजें हराम हैं।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

وَأَسْجُرُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمْ تُسْتَمِ الْأُنثَىٰ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَإِذْ كَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَاتَّقَاكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

या अद्युहल्लजी-न आमनू इजा कुन्तुम् इलस्सलाति फरिसलू वुजूहकुम् व ऐदि-यकुम् इलल्-मराफिकि वमसहू बिरुऊसिकुम् व अरजु-लकुम् इलल्-कजूबैनि, व इन् कुन्तुम् जुनुबन् फत्तहुरू, व इन् कुन्तुम् मरजा औ अला स-फरिन् औ जा-अ अ-हदुम् मिन्कुम् मिनल्गा-इति औ लामस्तु-मुन्निसा-अ फ-लम् तजिदू माअन् फ-तयम्म-मू सअदिन् तय्यिबन् फमसहू विवुजूहिकुम् व ऐदीकुम् मिन्हु, मा युरीदुल्लाहु लि-यजू-ल अलैकुम् मिन् ह-रजिन्-व लाकिंयुरीदु लियुतहिह-रकुम् व लियुतिम्-म निअ-म-तहू अलैकुम् लअल्लकुम् तश्कुरुन (6)

ऐ ईमान वालो! जब तुम उठो नमाज़ को तो धो लो अपने मुँह और हाथ कोहनियों तक और मल लो अपने सर को, और पाँव को टखनों तक, और अगर तुमको जनाबत हो तो खूब तरह पाक हो, और अगर तुम बीमार हो या सफर में या कोई तुम में आया है ज़रूरत की जगह से (यानी पेशाब-पाखाने की ज़रूरत पूरी कर के) या पास गये हो औरतों के फिर न पाओ तुम पानी तो इरादा करो पाक मिट्टी का, और मल लो अपने मुँह और हाथ उससे, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर तंगी करे व लेकिन चाहता है कि तुमको पाक करे और पूरा करे अपना एहसान तुम पर ताकि तुम एहसान मानो। (6)

वज्कुरु निअ-मतल्लाहि अलैकुम् व
मीसाकहुल्लाजी वास-ककुम् बिही इज्
कुल्लुम् समिअना व अतअना
वतकुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह अलीमुम्
बिजातिस्सुदूर (7)

और याद करो एहसान अल्लाह का अपने ऊपर और अहद उसका जो तुमसे ठहराया (लिया गया) था जब तुमने कहा था हमने सुना और माना और डरते रहे अल्लाह से, अल्लाह खूब जानता है दिलों की बात। (7)

इन आयतों के मजमून का पीछे से संबन्ध

पिछली आयतों में शरीअत के कुछ वो अहकाम जिक्र किये गये हैं जिनका तात्लुक इनसान की दुनियावी ज़िन्दगी और खाने-पीने से है। इस आयत में इबादत से संबन्धित शरीअत के कुछ अहकाम जिक्र किये गये हैं।

खुलासा-ए-तफसीर

ऐ ईमान वालो! जब तुम नमाज़ को उठने लगे (यानी नमाज़ पढ़ने का इरादा करो और तुमको उस वक़्त वुजू न हो) तो (वुजू कर लो, यानी) अपने चेहरों को धोओ और अपने हाथों को कोहनियों समेत (धोओ), और अपने सरों पर (भीगा) हाथ फेरो, और अपने पैरों को भी टख़नों समेत (धोओ), और अगर तुम नापाकी की हालत में हो तो (नमाज़ से पहले) सारा बदन पाक करो, और अगर तुम बीमार हो (और पानी का इस्तेमाल नुक़सानदेह हो) या सफ़र की हालत में हो (और पानी नहीं मिलता जैसा कि आगे आता है, यह तो उज़्र की हालत हुई) या (अगर बीमारी व सफ़र का उज़्र भी न हो बल्कि वैसे ही वुजू या गुस्ल टूट जाये, इस तरह से कि जैसे) तुम में से कोई शख़्स (पेशाब या पाख़ाने के) इस्तिन्जे से (फ़ारिग होकर) आया हो (जिससे वुजू टूट जाता है) या तुमने बीवियों से निकटता की हो (जिससे गुस्ल टूट गया हो और) फिर (इन सारी सूरतों में) तुमको पानी (के इस्तेमाल का मौक़ा) न मिले (चाहे उसके नुक़सान देने की वजह से या पानी न मिलने के सबब) तो (इन सब हालतों में) तुम फ़क़ ज़मीन से तयम्मूम (कर लिया) करो, यानी अपने चेहरों और हाथों पर हाथ फेर लिया करो इस ज़मीन (की जिन्स) पर से (हाथ मारकर), अल्लाह तआला को (इन अहक़ाम के मुफ़रर फ़रमानों से) यह मन्ज़ूर नहीं कि तुम पर कोई तंगी डालें, (यानी यह मन्ज़ूर है कि तुम पर कोई तंगी न रहे, चुनाँचे बयान हुए अहक़ाम में खुसूसन और शरीअत के तमाम अहक़ाम में उमूमन सहूलत और बेहतरी की रियायत ज़ाहिर है) लेकिन उसको (यानी अल्लाह तआला को) यह मन्ज़ूर है कि तुमको पाक साफ़ रखे, (इसलिये तह़रत के कायदों और इन्साफ़ का हुक्म दिया और किसी एक तरीके पर बस नहीं किया गया कि अगर वह न हो एक अफ़ मुन्किन ही न हो, जैसे सिर्फ़ पानी का पाक करने वाला रखा जाता तो पानी न हो तबत। सूर: नह़रत हासिल न हो सकती, वह तह़रत और पाकी बदनो को

तो खास तहारत के अहकाम ही में है, और दिलों की पाकी तमाम नेकियों में आम है। पस यह पाक करना दोनों को शामिल है, और अगर ये अहकाम न होते तो कोई तहारत हासिल न होती। और यह (मन्जूर है) कि तुम पर अपना इनाम पूरा फरमाये (इसलिये अहकाम की तकमील फरमाई ताकि हर हाल में बदनी व दिली तहारत जिसका फल व परिणाम अल्लाह की रज़ा व निकटता है, जो सबसे बड़ी नेमत है, हासिल कर सको) ताकि तुम (इस इनायत का) शुक्र अदा करो (शुक्र में हुक्मों का पालन करना भी दाखिल है)।

और तुम लोग अल्लाह तआला के इनाम को जो तुम पर हुआ है याद करो (जिसमें बड़ा इनाम यह है कि तुम्हारी कामयाबी के तरीके तुम्हारे लिये अल्लाह की तरफ से बता दिये गये) और उसके उस अहद को भी (याद करो) जिसका तुमसे मुआहिदा किया है, जबकि तुमने (उसको अपने ऊपर लाजिम भी कर लिया था कि अहद लेने के वक़्त तुमने) कहा था कि हमने (इन अहकाम को) सुना और मान लिया, (क्योंकि इस्लाम लाने के वक़्त हर शख्स इसी मज़मून का अहद करता है) और अल्लाह तआला (की मुखालफ़त) से डरो, बिला शुब्हा अल्लाह तआला दिलों तक की बातों की पूरी ख़बर रखते हैं (इसलिये जो काम करो उसमें सही नीयत व अक़ीदा भी होना चाहिये, सिर्फ़ दिखावे के लिये अमल करना काफी नहीं। मतलब यह है कि इन अहकाम में अब्वल तो तुम्हारा ही फ़ायदा है फिर तुमने इन्हें अपने सर भी रख लिया है। फिर मुखालफ़त में नुक़सान भी है इस वजह से फरमाँबरदारी करना और हुक्म बजा लाना ही ज़रूरी हुआ, और यह भी दिल से होना चाहिये वरना अगर दिखावे के लिये हुआ तो यह भी एक तरह से हुक्म न मानना ही है)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَتَانُ قَوْمٍ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

या अद्युहल्लजी-न आमनू कूनू	ऐ इमान वालो! खड़े हो जाया करो
क़वामी-न लिल्लाहि शु-हदा-अ	अल्लाह के वास्ते गवाही देने को इन्साफ़
बिल्किस्ति व ता यज़िरमन्नकुम्	की, और किसी कौम की दुश्मनी के
श-नआनु कौमिन् अला अल्ला	सबब इन्साफ़ को दिरगिज़ न छोड़ो, अदल
तअदिलू, इअदिलू, हु-व अकरबु	करो यही बात र ^{है} नज़दीक है तक़वे
लित्तक्वा वत्तकुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह	से, और डरतेके ^{अल्लाह} से, अल्लाह

रहो

खाबीरुम्-बिमा तअमलून (8)
 व-अदल्लाहुल्लजी-न आमनू व
 अमिलुस्सालिहाति लहुम् मग़फ़ि-रतुव
 -व अजरुन् अज़ीम (9) वल्लजी-न
 क-फ़रू व कज़ज़बू बिआयातिना
 उलाइ-क अस्हाबुल्ल-जहीम (10)

को-ख़ूब ख़बर है जो तुम करते हो। (8)
 वायदा किया अल्लाह ने ईमान वालों से
 और जो नेक अमल करते हैं कि उनके
 वास्ते बड़िश और बड़ा सवाब है। (9)
 और जिन लोगों ने कुफ़ किया और
 झुठलाई हमारी आयतों वे हैं दोज़ख़
 वाले। (10)

खुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वाले! अल्लाह तआला (की रज़ा) के लिए (अहकाम की) पूरी पाबन्दी करने वाले (और गवाही की नौबत आये तो) इन्साफ़ के साथ गवाही अदा करने वाले रहो, और किसी खास कौम की दुश्मनी तुम्हारे लिए इसका सबब न हो जाए कि तुम (उनके मामलात में) अदल "यानी इन्साफ़" न करो। (ज़रूर हर मामले में) इन्साफ़ किया करो कि वह (यानी अदल करना) तक़वे "यानी परहेज़गारी" से ज्यादा करीब है (यानी इससे तक़वे वाला कहलाता है) और (तक़वा इख़्तियार करना तुम पर फ़र्ज़ है, चुनाँचे हुक्म हुआ है कि) अल्लाह तआला (की मुख़ालफ़त) से डरो (यही हकीक़त है तक़वे की)। पस अदल जिस पर कि यह फ़र्ज़ तक़वा टिका हुआ है वह भी फ़र्ज़ होगा) बिला शुब्हा अल्लाह तआला को तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर है। (पस अहकाम के ख़िलाफ़ करने वालों को सज़ा हो जाये तो कुछ दूर की बात नहीं)। अल्लाह तआला ने ऐसे लोगों से जो ईमान ले आए और उन्होंने अच्छे काम किए वायदा किया है कि उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा सवाब है। और जिन लोगों ने कुफ़ किया और हमारे अहकाम को झूठा ठहराया ऐसे लोग दोज़ख़ में रहने वाले हैं।

मज़ारिफ़ व मसाईल

ज़िक्र हुई तीन आयतों में से पहली आयत का मज़मून तक़रीबन इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ सूर: निसा में भी गुज़र चुका है। फ़र्क़ इतना है कि वहाँ "कूनु क़वामी-न बिल्किस्ति शु-हदा-अ लिल्लाहि" इरशाद हुआ था और यहाँ "कूनु क़वामी-न लिल्लाहि शु-हदा-अ बिल्किस्ति" फ़रमाया गया है। इन दोनों आयतों में अलफ़ाज़ के आगे-पीछे करने की एक लतीफ़ वजह अबू हय्यान रह. ने तफ़सीर बहरे मुहीत में ज़िक्र की है, जिसका खुलासा यह है कि:-

इनसान को अदल व इन्साफ़ से रोकने और जुल्म व ज्यादती में मुब्तला करने के आदतन दो सबब हुआ करते हैं- एक अपने नफ़्स या अपने दोस्तों, रिश्तेदारों की तरफ़दारी, दूसरे किसी शख़्स की दुश्मनी व अदावत। सूर: निसा की आयत का इशारा पहले मज़मून की तरफ़ है और

सूर: मायदा की इस आयत का इशारा दूसरे मज्नून की तरफ।

इसी लिये सूर: निसा में इसके बाद इरशाद है:

وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

यानी अदल व इन्साफ़ पर कायम रहो चाहे वह अदल व इन्साफ़ का हुक्म खुद तुम्हारे खुद के या तुम्हारे माँ-बाप और रिश्तेदारों व दोस्तों के खिलाफ़ पड़े। और सूर: मायदा की इस आयत में उक्त जुमले के बाद यह इरशाद है:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوا

यानी किसी कौम की अदावत व दुश्मनी तुम्हें इस पर आमादा न कर दे कि तुम इन्साफ़ के खिलाफ़ करने लगे।

इसलिये सूर: निसा की आयत का हासिल यह हुआ कि अदल व इन्साफ़ के मामले में अपने नफ़्स और माँ-बाप और अजीजों की भी परवाह न करो। अगर इन्साफ़ का हुक्म उनके खिलाफ़ है तो खिलाफ़ ही पर कायम रहो। और सूर: मायदा की आयत का खुलासा यह हुआ कि अदल व इन्साफ़ के मामले में किसी दुश्मन की दुश्मनी की वजह से सही राह से न भटक जाओ कि उसको नुक़सान पहुँचाने के लिये खिलाफ़े इन्साफ़ काम करने लगे।

यही वजह है कि सूर: निसा की आयत में "किस्त" यानी इन्साफ़ को पहले बयान फ़रमाया

كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شَهَادَةً لِلَّهِ

और सूर: मायदा की आयत में लिह्लाह को पहले बयान फ़रमाया:

كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شَهَادَةً بِالْقِسْطِ

अगरचे अन्जाम और नतीजे के एतिबार से ये दोनों उनवान एक ही मक़सद को अदा करते हैं। क्योंकि जो शख़्स इन्साफ़ पर खड़ा होगा वह अल्लाह ही के लिये खड़ा होगा, और जो शख़्स अल्लाह ही के लिये खड़ा हुआ है वह ज़रूर इन्साफ़ ही करेगा। लेकिन अपने नफ़्स और दो अजीजों की रियायत के मक़ाम में यह ख़याल गुज़र सकता है कि इन ताल्लुकात की रियायत तो अल्लाह ही के लिये है, इसलिये वहाँ लफ़ज़ किस्त को पहले लाकर इसकी तरफ़ हिदायत दी कि वह रियायत अल्लाह के लिये नहीं हो सकती जो अदल व इन्साफ़ के खिलाफ़ हो। और सूर: मायदा में दुश्मनों के साथ अदल व इन्साफ़ बरतने का हुक्म देना था तो वहाँ लफ़ज़ लिह्लाह को पहले लाकर इन्सानी फ़ितरत को भावनाओं के आगे झुक जाने से निकाल दिया कि तुम लोग अल्लाह के लिये खड़े हो, जिसका लाज़िमी नतीजा यह है कि दुश्मनों के साथ इन्साफ़ करो।

खुलासा यह है कि सूर: निसा और सूर: मायदा की दोनों आयतों में दो चीज़ों की तरफ़ हिदायत है- एक यह कि चाहे मामला दोस्तों से हो या दुश्मनों से, अदल व इन्साफ़ के हुक्म पर कायम रहो। न किसी ताल्लुक की रियायत से इसमें क़मज़ोरी आनी चाहिये और न किसी दुश्मनी व अदावत से। दूसरी हिदायत इन दोनों आयतों में इसकी भी है कि सच्ची गवाही और हक़ बात

कं वधान करने से बचना न चाहिये, ताकि फैसला करने वालों को हक और सही फैसला करने में दुश्चारी पेश न आये।

कुरआने करीम ने इस मजमून पर कई आयतों में विभिन्न उनवानों से जोर दिया है और इसकी ताकीद फरमाई है कि लोग सच्ची गवाही देने में कोताही और सुस्ती न बरतें। एक आयत में बहुत ही स्पष्टता के साथ यह हुक्म दिया:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبًا.

यानी गवाही को छुपाओ नहीं, और जो शख्स छुपायेगा उसका दिल गुनाहगार होगा।

जिससे सच्ची गवाही देना वाजिब और उसका छुपाना सख्त गुनाह साबित हुआ।

लेकिन इसके साथ ही कुरआने हकीम ने इस पर भी नज़र रखी है कि लोगों को सच्ची गवाही देने से रोकने वाली चीज़ दर असल यह है कि गवाह को बार-बार अदालतों की हाज़िरी और फुजूल किस्म की बकीलाना जिरह से वास्ते पड़ते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि जिस शख्स का नाम किसी गवाही में आ गया वह एक भुसीबत में मुब्तला हो गया। अपने कारोबार से गया, मुफ्त की परेशानी में मुब्तला हुआ।

इसलिये कुरआने करीम ने जहाँ सच्ची गवाही देने को लाज़िम व वाजिब करार दिया वहीं यह भी इरशाद फरमाया:

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ.

यानी मामले की तहरीर लिखने वालों और गवाहों को नुकसान न पहुँचाया जाये।

आज की अदालतों और उनमें पेश होने वाले मुकद्दिमों की अगर सही तहकीक की जाये तो मालूम होगा कि मौके के और सच्चे गवाह बहुत ही कम मिलते हैं। समझदार शरीफ़ आदमी जहाँ कोई ऐसा वाकिआ देखता है वहाँ से भागता है कि कहीं गवाही में नाम न आ जाये। पुलिस इधर-उधर के गवाहों से खाना पुरी करती है और नतीजा इसका वही हो सकता है जो रात-दिन देखने और अनुभव में आ रहा है कि पाँच-दस प्रतिशत मुकद्दिमों में भी हक व इन्साफ़ पर फैसला नहीं हो सकता और अदालतें भी मजबूर हैं जैसी गवाहियाँ उनके पास पहुँचती हैं वो उन्हीं के ज़रिये कोई नतीजा निकाल सकती हैं और उन्हीं की बुनियाद पर फैसला कर सकती हैं।

मगर इस बुनियादी ग़लती को कोई नहीं देखता कि अगर गवाहों के साथ शरीफ़ाना मामला किया जाये और उनको बार-बार परेशान न किया जाये तो अच्छे भले, नेक और सच्चे आदमी कुरआनी तालीमात के पेशे नज़र गवाही में आने से पीछे न रहेये। मगर जो कुछ हो रहा है वह यह है कि मामले की शुरूआती तहकीक जो पुलिस करती है वही बार-बार बुलाकर गवाह को इतना परेशान कर देती है कि वह आईन्दा के लिये अपनी औलाद को कह मरता है कि कभी किसी मामले के गवाह न बनना। फिर अगर मामला अदालत में पहुँचता है तो वहाँ तारीखों पर तारीखें लगती हैं। हर तारीख पर उस बेकसूर गवाह को हाज़िरी की सज़ा भुगतनी पड़ती है। कानून की इस लम्बी प्रक्रिया ने जो अंग्रेज़ अपनी यादगार छोड़ गया है, हमारी सारी अदालतों

और महकमों को गन्दा किया हुआ है। पुराने सादे अन्दाज़ पर जो आज भी हिजाज़ (अरब) और कुछ दूसरे मुल्कों में प्रचलित है न मुक़द्दिमों की इतनी अधिकता हो सकती है और उनमें इतनी लम्बी प्रक्रिया हो सकती है, न गवाहों को गवाही देना मुसीबत बन सकता है।

खुलासा यह है कि गवाही का ज़ाबता और कार्रवाई का क़ानून अगर कुरआनी तालीम मुताबिक़ बनाया जाये तो उसकी बरकतें आज भी आँखों से साफ़ नज़र आने लगे। कुरआन एक तरफ़ घटना से बाख़बर लोगों पर सच्ची गवाही अदा करने को लाज़िम व वाज़िब कर दिया है तो दूसरी तरफ़ लोगों को ऐसी हिदायतें दे दी हैं कि गवाहों को बिना यजह परे न किया जाये। कम से कम वक़्त में उनका बयान लेकर फ़ारिग़ कर दिया जाये।

परीक्षाओं के नम्बर, सनद व सर्टिफिकेट

और चुनाव के वोट सब गवाही के हुक्म में दाख़िल हैं

आख़िर में एक और अहम बात भी यहाँ जानना ज़रूरी है, वह यह कि लफ़्ज़े शहादत (गवाही) का जो मफ़हूम आजकल उर्फ़ में मशहूर हो गया है वह तो सिर्फ़ मुक़द्दिमों व झग़नों किसी हाकिम के सामने गवाही देने के लिये मख़सूस समझा जाता है, मगर कुरआन व सुन्नत इस्तिलाह (परिभाषा) में लफ़्ज़ शहादत इससे ज़्यादा बड़ा और विस्तृत मफ़हूम रखता है। मफ़हूम किसी बीमार को डॉक्टरी सर्टिफिकेट देना कि यह झूठी अदा करने के काबिल नहीं या नैक करने के काबिल नहीं, यह भी एक शहादत (गवाही) है। अगर इसमें हकीकत के खिलाफ़ किया गया तो वह झूठी शहादत होकर बड़ा गुनाह हो गया।

इसी तरह परीक्षाओं में छात्रों के पर्चों पर नम्बर लगाना भी एक शहादत (गवाही) है। ग़लत जान-बूझकर या बेपरवाही से नम्बरों में कमी-बेशी कर दी तो वह भी झूठी शहादत है, और बड़ा व सख़्त गुनाह है।

कामयाब होने वाले और तालीम पूरी करने वाले तालिब-इल्मों को सनद या सर्टिफिकेट देना इसकी शहादत (गवाही) है कि वह संबन्धित काम की क्षमता व योग्यता रखता है। अगर वास्तव में ऐसा नहीं है तो उस सर्टिफिकेट या सनद पर दस्तख़त करने वाले सब के सख़्त झूठी गवाही देने के मुजरिम हो जाते हैं।

इसी तरह विधान सभा, लोक सभा और दूसरे ओहदों व ग़ैरह के चुनाव में किसी उम्मीदवार को वोट देना भी एक गवाही है, जिसमें वोट देने वाले की तरफ़ से इसकी गवाही है कि हम नज़दीक यह शख्स अपनी सलाहियत और काबलियत के एतिबार से और दियानत व अमानत के एतिबार से भी कौमी प्रतिनिधि बनने के काबिल है।

अब ग़ौर कीजिए कि हमारे नुमाइन्दों (प्रतिनिधियों) में कितने ऐसे होते हैं जिनके हक़ में गवाही सच्ची और सही साबित हो सके। मगर हमारे अ़वाम हैं कि उन्होंने इसको सिर्फ़ हार-जो का खेल समझ रखा है, इसलिये वोट का हक़ कभी पैसों के बदले में फ़रोख़्त होता है, क

किसी दवाब के तहत इस्तेमाल किया जाता है, कभी नापायदार दोस्तों और घटिया वायदों के भरोसे पर उसको इस्तेमाल किया जाता है।

और तो और लिखे-पढ़े दीनदार मुसलमान भी ना-अहल (अयोग्य) लोगों को वोट देते वक़्त कभी यह महसूस नहीं करते कि हम यह झूठी गवाही देकर लानत व अज़ाब के पात्र बन रहे हैं।

नुमाइन्दों के चुनाव के लिये वोट देने की कुरआन की तालीमात के मुताबिक़ एक दूसरी हैसियत भी है जिसको शफ़ाअत या सिफ़ारिश कहा जाता है, कि वोट देने वाला गोया यह सिफ़ारिश करता है कि फ़ुलों उम्मीदवार को नुमाइन्दगी दी जाये। इसका हुक्म कुरआन करीम के अलफ़ाज़ में पहले बयान हो चुका है, इरशाद है:

وَمَنْ يُّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يُّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا.

यानी जो शख्स अच्छी और सच्ची सिफ़ारिश करेगा, तो जिसके हक़ में सिफ़ारिश की है उसके नेक अमल का हिस्सा उसको भी मिलेगा। और जो शख्स बुरी सिफ़ारिश करता है, यानी किसी ना-अहल और बुरे शख्स को कामयाब बनाने की कोशिश करता है, उसको उसके बुरे आमाल का हिस्सा मिलेगा।

इसका नतीजा यह है कि यह उम्मीदवार अपने कार्यकाल के पाँच साला दौर में जो गुलत और नाजायज़ काम करेगा उन सब का बबाल वोट देने वाले को भी पहुँचेगा।

वोट की एक तीसरी शर्इ हैसियत वक़ालत की है कि वोट देने वाला उस उम्मीदवार को अपनी नुमाइन्दगी के लिये वकील बनाता है। लेकिन अगर यह वक़ालत उसके किसी व्यक्तिगत हक़ से संबन्धित होती और उसका नफ़ा नुक़सान सिर्फ़ उसकी ज़ात को पहुँचता तो उसका यह खुद जिम्मेदार होता, मगर यहाँ ऐसा नहीं। क्योंकि यह वक़ालत ऐसे अधिकारों से संबन्धित है जिनमें उसके साथ पूरी क़ौम शरीक है। इसलिये अगर किसी ना-अहल को अपनी नुमाइन्दगी के लिये वोट देकर कामयाब बनाया तो पूरी क़ौम के हुक्क को बरबाद करने का गुनाह भी इसकी गर्दन पर रहा।

ख़ुलासा यह कि हमारा वोट तीन हैसियतें रखता है- एक गवाही, दूसरे सिफ़ारिश और तीसरे संयुक्त अधिकारों में वक़ालत। तीनों हैसियतों में जिस तरह नेक-सालेह काबिल आदमी को वोट देना बहुत बड़े सवाब का ज़रिया है और उसके फल और परिणाम उसको मिलने वाले हैं, इसी तरह ना-अहल या बेईमान शख्स को वोट देना झूठी गवाही भी है और बुरी सिफ़ारिश भी और नाजायज़ वक़ालत भी, और उसके तब़ाह करने वाले परिणाम भी उसके नामा-ए-आमाल में लिखे जायेंगे।

इसलिये हर मुसलमान वोटर पर फ़र्ज है कि वोट देने से पहले इसकी पूरी तहकीक़ कर ले कि जिसको वोट दे रहा है वह काम की योग्यता रखता है या नहीं, और ईमानदार है या नहीं, महज़ गुफ़लत व बेपरवाही से बिना वजह इन बड़े गुनाहों का करने वाला न हो।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ
 لَنْ يَسْطُورَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾
 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ
 لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
 لَأُضَاعِفَ مِنْكُمْ سِتِّينَ أَلْفًا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
 مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

या अय्युहल्लजी-न आमनुज़्कुरु
 निज़्म-तल्लाहि अलैकुम् इज़् हम्-म
 कौमुन् अय्यब्सुतू इलैकुम् ऐदि-यहुम्
 फ-कफ-फ ऐदि-यहुम् अन्कुम्
 वत्तकुल्ला-ह, व अलल्लाहि
 फल्य-तवक्कलिल्-मुअ्मिनून (11) ﴿
 व ल-कद् अ-खज़ल्लाहु मीसा-क
 बनी इस्राई-ल व बअसना मिन्हुमुस्नै
 अ-श-र नकीबन्, व कालल्लाहु इन्नी
 म-अकुम्, ल-इन् अकस्तुमुस्सला-त
 व आतैतुमुज़्ज़का-त व आमन्तुम्
 बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम् व
 अकरज़्तुमुल्ला-ह करज़न् ह-सनल्
 -ल-उकफिफरन्-न अन्कुम्
 सय्यिआतिकुम् व ल-उदख़िलन्नकुम्
 जन्नातिन् तज़ी मिन् तहिहल्-
 अन्हारु फ-मन् क-फ-र बअ-द
 ज़ालि-क मिन्कुम् फ-कद् ज़ल्-ल

ऐ इमान वालो याद रखो एहसान अल्लाह
 का अपने ऊपर जब इरादा किया लोगों ने
 कि तुम पर हाथ चलायें, फिर रोक दिया
 तुमसे उनके हाथ, और डरते रहो अल्लाह
 से और अल्लाह ही पर चाहिए भरोसा
 इमान वालों को। (11) ﴿
 और ले चुका है अल्लाह अहद बना
 इस्राईल से और मुकरर किये हमने उनमें
 बारह सरदार और कहा अल्लाह ने मैं
 तुम्हारे साथ हूँ अगर कायम रखोगे तुम्हारे
 नमाज़ और देते रहोगे ज़कात और यकीन
 लाओगे मेरे रसूलों पर और मदद करोगे
 उनकी और कर्ज़ दोगे अल्लाह को अच्छी
 तरह का कर्ज़ तो यकीनन दूर कर दूंगा
 मैं तुमसे गुनाह तुम्हारे और दाख़िल कर
 दूंगा तुमको बाग़ों में कि जिनके नीचे
 बहती हैं नहरें, फिर जो कोई काफ़िर
 हुआ तुम में से इसके बाद तो वह बेशक

सवाअस्सबील (12)

गुमराह हुआ सीधे रास्ते से। (12)

खुलासा-ए-तफसीर

ऐ ईमान वाले! अल्लाह तआला के इनाम को याद करो जो तुम पर हुआ है, जबकि एक कौम (यानी कुरैश के काफिर शुरू इस्लाम में जबकि मुसलमान कमजोर थे) इस फिक्र में थे कि तुम पर (इस तरह) हाथ डाल दें (कि तुम्हारा खात्मा ही कर दें) सो अल्लाह तआला ने तुम पर उनका काबू (इस कद्र) न चलने दिया (और आखिर में तुमको ग़ालिब कर दिया। पस इस नेमत को याद करो) और (अहकाम के मानने और हुक्मों के पालन में) अल्लाह तआला से डरो (कि इस नेमत का यह शुक्रिया है) और (आईन्दा भी) ईमान वालों को हक़ तआला ही पर भरोसा रखना चाहिए। (जिसने पहले तुम्हारे सब काम बनाये हैं आईन्दा भी आखिरत तक उम्मीद रखो "इत्तकुल्लाह" में यानी अल्लाह से डरो फ़रमाकर ख़ौफ़ दिलाया और तवक्कुल का हुक्म फ़रमाकर उम्मीद, और यही दो अमल इताअत व फ़रमाँबरदारी में मददगार हैं)।

और अल्लाह तआला ने (हज़रत पूसा अलैहिस्सलाम के माध्यम से) बनी इस्राईल से (भी) अहद लिया था (जिसका बयान आगे जल्दी ही आता है) और (उन अहदों की ताकीद के लिये) हमने उनमें से (उनके कबीलों की संख्या के हिसाब से) बारह सरदार मुकरर किए (कि हर-हर कबीले पर एक-एक सरदार रहे जो अपने मातहतों पर हमेशा अहदों के पूरा करने की ताकीद रखे) और (अहद के पूरा करने की और ज्यादा ताकीद के लिये उनसे) अल्लाह तआला ने (यूँ) फ़रमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ (तुम्हारे बुरे-भले की सब मुझको ख़बर रहेगी, मतलब यह है कि अहद लिया फिर उसकी ताकीद दर ताकीद फ़रमाई और उस अहद के मज़मून का खुलासा यह था कि)- अगर तुम नमाज़ की पाबन्दी रखोगे और ज़कात अदा करते रहोगे और मेरे सब रसूलों पर (जो आईन्दा भी नये-नये आते रहेंगे) ईमान लाते रहोगे और (दुश्मनों के मुकाबले में) उनकी मदद करते रहोगे और (ज़कात के अलावा और दूसरी ख़ैर की जगहों में भी ख़र्च करके) अल्लाह तआला को अच्छे तौर पर (यानी इख़्लास के साथ) कर्ज़ देते रहोगे, तो मैं ज़रूर तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूँगा और ज़रूर तुमको (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाख़िल करूँगा जिनके (महलों के) नीचे नहरें जारी होंगी। और जो शख्स इस (अहद व पैमान लेने) के बाद भी कुफ़ करेगा तो बेशक वह सही रास्ते से दूर जा पड़ा।

मआरिफ व मसाईल

सूर: मायदा की सातवीं आयत जो पहले गुज़र चुकी है उसमें हक़ तआला ने मुसलमान से एक अहद व वायदा लेने और उनके मानने और तस्लीम कर लेने का ज़िक्र फ़रमाया है:

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَاتَّقُوا اللَّهَ

यह अहद खुदा और रसूल की इताअत (फ़रमाँबरदारी) और शरई-अहकाम की पैरवी का

वायदा व इकरार है। जिसका इस्तिलाही उनवान कलिमा-ए-तथ्यिवा यानी "ला इला-ह इल्ला मुहम्मदुरसूलुल्लाह" है। और हर कलिमा पढ़ने वाला मुसलमान इस अहद और वायदे का गवाह है। इसके बाद की आयत में अहद की कुछ अहम धाराओं यानी खास-खास शर्इ अहक का बयान फरमाया है। जिसमें दोस्त व दुश्मन सब के लिये अदल व इन्साफ़ के कायम कर्न और ताक़त व सत्ता पाने के बाद दुश्मनों से बदला लेने की भावना के बजाय इन्साफ़ व रवादारी (सद्भावना) की तालीम दी गयी है। यह अहद खुद भी अल्लाह तआला का एक व इनाम है, इसी लिये इसको "उज़कुरु नेअमतल्लाहि अलैकुम" (अपने ऊपर अल्लाह को इनाम याद करो) से शुरू किया गया है।

उक्त आयत को फिर इसी जुमले "उज़कुरु नेअमतल्लाहि अलैकुम" (अपने ऊपर अल्लाह के इनाम को याद करो) से शुरू करके यह बतलाना मन्जूर है कि मुसलमानों ने अपने इस अहद व वायदे की पाबन्दी की तो अल्लाह तआला ने उनको दुनिया व आखिरत में कुव्वत व ताक़त और बुलन्द दर्जे अता फरमाये और दुश्मनों के हर मुक़ाबले में उनकी इमदाद फरमाई। दुश्मनों का काबू उन पर न चलने दिया।

इस आयत में खास तौर पर इसका फ़िक्र है कि दुश्मनों ने कई बार रसूले करीम सल्लु अलैहि व सल्लम और मुसलमानों के मिटा देने और क़त्ल व ग़ारत कर देने के मन्सूबे रक्खे और तैयारियाँ कीं, मगर अल्लाह तआला ने सब को नाकाम व मायूस कर दिया। इरशाद है कि "एक कौम इस फ़िक्र में थी कि तुम पर हाथ डाले, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हाथ तुमसे रोक दिये!"

कुल मिलाकर तो ऐसे वाकिआत तारीख़े इस्लाम में बेशुमार हैं कि काफ़िरों के मन्सूबे अल्लाह के फज़ल से ख़ाक में मिल गये, लेकिन कुछ खास-खास अहम वाकिआत भी हैं जिन्होंने हज़रते मुफ़सिरीन ने इस आयत का मिस्दाक़ क़रार दिया है। मसलन मुसन्दे अब्दुरज़्ज़ाब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि:

किसी जिहाद में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम मन्ज़िल पर ठहरे, सहाबा-ए-किराम मुख़लिफ़ हिस्सों में अपने-अपने ठिकानों पर आराम करने लगे। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बिल्कुल अकेले एक पेड़ के नीचे ठहर गये। अपने हथियार एक पेड़ पर लटका दिये। दुश्मनों में से एक गाँव वाला मौक़ा ग़नीमत जानकर झपटा और आते ही रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तलवार पर कब्ज़ा कर लिया और आप पर तलवार खींचकर बोला:

مَنْ يَمْنَعُ مِنِّي

"अब बतलाइये कि आपको मेरे हाथ से कौन बचा सकता है?"

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बेधड़क़ फरमाया कि "अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल" गाँव वाले ने फिर वही कलिमा दोहराया:

مَنْ يَمْنَعْكُمْنِي

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फिर इसी बेफिक्री के साथ फरमाया "अल्लाह अज्ज व जल्ल।" दो तीन मर्तबा इसी तरह की गुफ्तगू होती रही, यहाँ तक कि गैबी कुदरत के रौब ने उसको मजबूर किया उसने तलवार को म्यान में दाखिल करके रख दिया। उस वक्त रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम को बुलाया और यह वाकिआ सुनाया। यह गाँव ताला अभी तक आपके बराबर में बैठा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसको कुछ नहीं कहा। (इब्ने कसीर)

इसी तरह कुछ सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम से इस आयत की तफसीर में मन्कूल है कि कअब बिन अशरफ़ यहूदी ने एक मर्तबा रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने घर में बुलाकर कत्ल करने की साजिश की थी। अल्लाह तआला ने आपको इसकी इत्तिला कर दी और उनकी सारी साजिश खाक में मिल गयी। (इब्ने कसीर) और हज़रत मुजाहिद, हज़रत इक्रिमा वगैरह से मन्कूल है कि एक मर्तबा रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी मामले के लिये बनू नजीर के यहूदियों के पास तशरीफ़ ले गये। उन्होंने हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को एक दीवार के नीचे बैठाकर बातों में लगा लिया और दूसरी तरफ़ अंमर बिन जहश को इस काम पर मुकरर कर दिया कि दीवार के पीछे से ऊपर चढ़कर पत्थर की एक चट्टान आपके ऊपर डाल दे। अल्लाह तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उनके इरादे पर बाख़बर फरमाया और आप फौरन वहाँ से उठ गये। (इब्ने कसीर)

इन वाकिआत में कोई टकराव नहीं, सब के सब आयते मजकूर का मिस्ताक हो सकते हैं। आयते मजकूर में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमानों की गैबी हिफ़ाज़त का जिक्र करने के बाद फरमाया:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

इसमें एक इरशाद तो यह है कि अल्लाह का यह इनाम सिर्फ़ रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मख्सूस नहीं बल्कि इस नुसरत व मदद और गैबी हिफ़ाज़त का असली सबब तफ़वा और तक्वुकूल है। जो कौम या फ़र्द जिस ज़माने और जिस जगह में इन दो गुणों को इस्तियार करेगा उसकी भी इसी तरह अल्लाह तआला की तरफ़ से हिफ़ाज़त व हिमायत होगी। किसी ने ख़ूब कहा है:

फिज़ा-ए-बदर पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को

उतर सकते हैं गरदूँ से क़तार अन्दर क़तार अब भी

और यह भी हो सकता है कि इस जुमले को पहली आयतों के मजमूए के साथ लगाया जाये। जिनमें बदतरीन दुश्मनों के साथ अच्छे सुलूक और अदल व इन्साफ़ के अहकाम दिये गये हैं, तो फिर इस जुमले में इस तरफ़ इशारा होगा कि ऐसे सख्त दुश्मनों के साथ अच्छा सुलूक और ख़ादारी की तालीम बजाहिर एक सियासी ग़लती और दुश्मनों की ज़रत व हिम्मत बढ़ाने के

जैसा है, इसलिये इस जुमले में मुसलमानों को इस पर सचेत किया गया कि अगर तुम तक़वा वाले और अल्लाह तआला पर भरोसा करने वाले रहो तो यह स्वादारी और अच्छा वर्ताव तुम्हारे लिये बिल्कुल भी नुक़सानदेह न होगा और मुखालिफ़ों को जुरत के बजाय तुम्हारे ताबे करने और इस्लाम से करीब करने का सबब बनेगा। तथा तक़वा और ख़ौफ़े खुदा ही वह चीज़ है जो किताब इन्सान को, वायदे व अहद की पाबन्दी पर ज़ाहिरन व बातिनन मजबूर कर सकता है। जहाँ यह तक़वा यानी ख़ौफ़े खुदा नहीं होता वहाँ वायदे व अहद का वही हशर होता है जो आजकल अनेक लोगों में देखा जाता है, इसलिये ऊपर की जिस आयत में मीसाक (अहद) का जिक्र है वहाँ आयत के आख़िर में "वल्लकुल्ला-ह" (और अल्लाह से डरो) फ़रमाया गया था। और यहाँ इसको दोहराया गया, तथा इस पूरी आयत में इस तरफ़ भी इशारा फ़रमाया गया है कि मुसलमानों की फ़तह व नुसरत सिर्फ़ ज़ाहिरी साज़ व सामान (संसाधनों और माददी कुव्वत) मोहताज नहीं है, बल्कि उनकी असल ताक़त का राज़ तक़वे और तवक्कुल में छुपा हुआ है।

इस आयत में मुसलमानों से वायदा व अहद लेने और उनके पूरा करने पर दुनिया आख़िरत में उसके बेहतरीन फल और अच्छे परिणामों का जिक्र करने के बाद मामले का दूसरा रुख़ सामने लाने के लिये दूसरी आयत में यह बतलाया गया है कि यह अहद व मीसाक लेना सिर्फ़ मुसलमानों के लिये मख़सूस नहीं, बल्कि इनसे पहले दूसरी उम्मतों से भी इसी किस्म के मीसाक (अहद) लिये गये थे। मगर वे अपने अहद व मीसाक में पूरे न उतरे इसलिये उन पर तरह-तरह के अज़ाब मुसल्लत किये गये। इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल से भी एक अहद लिया था, और उनसे अहद लेने की यह सूरत इख़्तियार की गयी थी कि बनी इस्राईल की पूरी क़ौम जो बारह ख़ानदानों पर मुश्तमिल थी उन्हीं में से हर ख़ानदान से एक सरदार चुना गया, और हर ख़ानदान की तरफ़ से उसके हर सरदार ने ज़िम्मेदारी उठाई कि मैं और मेरा पूरा ख़ानदान अल्लाह के इस अहद की पाबन्दी करेगा। इस तरह उन बारह सरदारों ने पूरी क़ौम बनी इस्राईल की ज़िम्मेदारी ले ली। उनके ज़िम्मे यह था कि खुद भी इस मीसाक (अहद) की पाबन्दी करें और अपने ख़ानदान से भी करायें। यहाँ यह बात भी काबिले जिक्र है कि इज़्ज़त व फ़ज़ीलत के मामले में इस्लाम का असल उसूल तो यह है कि:

बन्दा-ए-इश्क़ शुदी तर्कें नसब कुन जामी

कि दर्री-राह फ़ुलॉ बिन फ़ुलॉ चीजे नेस्त

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज्जतुल्ल-विदा (अपने आख़िरी हज) के ऐतिहासिक खुतबे में पूरी वंजाहत के साथ इसका ऐलान फ़रमाया है कि इस्लाम में अरब व अजम, काले गोरे और ऊँची-नीची जात पात का कोई एतिबार नहीं। जो इस्लाम में दाख़िल हो गया वह सारे मुसलमानों का भाई हो गया। हसब नसब, रंग वतन, भाषा का भेद व विशेषता जो ज़ाहिरीयत के बुत थे इन सब को इस्लाम ने तोड़ डाला। लेकिन इसके मायने यह नहीं कि इन्तिज़ामी मामलात में व्यवस्था कायम रखने के लिये भी ख़ानदानी विशेषताओं का लिहाज़ न किया जाये।

यह फितरी चीज है कि एक खानदान के लोग दूसरों के मुकाबले में अपने खानदान के जाने पहचाने आदमी पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। और यह शख्स उनकी पूरी नफ़्तियात से वाकिफ़ होने की बिना पर उनके ज़बात व ख्यालात की ज्यादा रियायत कर सकता है। इसी रणनीति पर आधारित था कि बनी इस्राईल के बारह खानदानों से जब अहद लिया गया तो हर खानदान के एक-एक सरदार को जिम्मेदार ठहराया गया।

और इसी इन्तिजामी मस्लेहत और मुकम्मल इत्मीनान व सुकून की रियायत उस वक्त भी की गयी जबकि बनी इस्राईल की कौम पानी न होने की वजह से सख्त परेशानी व बेकरारी में थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपना असा (डंडा) एक पत्थर पर मारा तो अल्लाह तआला ने उस पत्थर से बारह चश्मे बारह खानदानों के लिये अलग-अलग जारी कर दिये।

सूर: आराफ़ में कुरआने करीम ने अल्लाह तआला के इस एहसाने अज़ीम का इस तरह जिक्र फरमाया है:

وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِطًا مُّغَا.

فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَا عَشْرَةَ عَيْنًا.

हमने बाँट दिये उनके बारह खानदान बारह जमाअतों में। फिर फूट निकले पत्थर से बारह चश्मे (हर एक खानदान के लिये अलग-अलग)।

और यह बारह की संख्या भी कुछ अजीब खुसूसियत और मकबूलियत रखती है।

जिस वक्त मदीना के अन्सार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मदीना के लिये दायत देने हाज़िर हुए और आपने उनसे बैअत के ज़रिये इकरार लिया तो उस मुआहदे में भी अन्सार के बारह सरदारों ने जिम्मेदारी लेकर हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ मुबारक पर बैअत की थी, उनमें तीन सरदार कबीला औस के और नौ कबीला खज़रज के थे।

(तफ्सीर इब्ने कसीर)

और सहीहैन (बुखारी व मुस्लिम) में हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रियायत है कि रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- लोगों का काम और निज़ाम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि बारह खलीफ़ा उनकी क्यादत (नितृत्व) करेंगे। इमाम इब्ने कसीर ने इस रियायत को अनकल करके फरमाया कि इस हदीस के किसी लफ़्ज़ से यह साबित नहीं होता कि यह बारह इमाम एक के बाद एक लगातार होंगे, बल्कि उनके बीच फासला भी हो सकता है। चूनाँचे चार खलीफ़ा- हज़रत सिद्दीक अकबर, फारूक़े आज़म, उस्माने मनी, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम लगातार हुए और बीच की कुछ मुदत के बाद फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ उम्मत के सर्वसम्पति से पाँचवे खलीफ़ा-ए-बरहक़ माने गये।

खुलासा-ए-कलाम यह है कि बनी इस्राईल से इकरार (अहद) लेने के लिये अल्लाह तआला ने उनके बारह खानदानों के बारह सरदारों को जिम्मेदार ठहराया और उनसे इरशाद फरमाया

“इन्नी म-अकुम” यानी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब यह है कि अगर तुमने मीसाक (अहद) की पाबन्दी की और दूसरों से पाबन्दी कराने का पक्का इरादा किया तो मेरी इमदाद व नुस्खा तुम्हारे साथ होगी। इसके बाद आयते मजकूर में इस अहद की चन्द अहम धाराओं और बनी इस्राईल के अहद तोड़ने और उन पर अजाबे इलाही आने का जिक्र है।

मीसाक (अहद) की धाराओं का जिक्र करने से पहले एक जुमला यह इरशाद फरमाया “इन्नी म-अकुम” (बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ) जिसमें दो बातें बतला दी गयी हैं- एक यह कि अगर तुम मीसाक पर कायम रहे तो मेरी इमदाद तुम्हारे साथ रहेगी और तुम हर कदम पर उसको अपनी आँखों से देखोगे। दूसरे यह कि अल्लाह तआला हर वक्त और हर जगह तुम्हारे साथ है और इस मीसाक (अहद) की निगरानी फरमा रहा है। तुम्हारा कोई अज़्म व इरादा और फिक्र व ख्याल या हरकत व अमल उसके इल्म से बाहर नहीं है। वह तुम्हारी तन्हाईयों के राजों को भी देखता और सुनता है, वह तुम्हारे दिलों की नीयतों और इरादों से भी वाकिफ़ है। मीसाक (अहद) की खिलाफवर्जी करके तुम किसी तरह भी उसकी गिरफ्त से नहीं बच सकते।

इसके बाद अहद की धाराओं में सबसे पहले “नमाज़ को कायम करने” का जिक्र है और फिर “ज़कात के अदा करने” का। इससे मालूम हुआ कि नमाज़ और ज़कात के फ़राईज़ इस्लाम से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर भी आयद थे। और दूसरे कुरआनी इशारों व रियायतों से साबित होता है कि ये फ़राईज़ बनी इस्राईल ही के साथ मख्सूस नहीं बल्कि हर पैग़म्बर और हर शरीअत में हमेशा लागू रहे हैं।

तीसरा नम्बर मीसाक (अहद) में यह है कि अल्लाह तआला के सब रसूलों पर ईमान लाये और उनका जो मक़सद है यानी मख़्लूक को सही राह दिखाना उसमें उनकी इमदाद करें। बनी इस्राईल में चूँकी बहुत से रसूल आने वाले थे, इसलिये उनको खुसूसियत से इसकी ताकीद फ़रमाई गयी। और अगरचे ईमानी चीज़ों (यानी अकीदों) का दर्जा अमली चीज़ों (अहकाम) यानी नमाज़, ज़कात वगैरह से दर्जे में पहले और ऊपर है मगर मीसाक (अहद) में पहले उसको रखा गया जिस पर फ़िलहाल अमल करना था। आने वाले रसूल तो बाद में आयेंगे, उन पर ईमान लाने और उनकी इमदाद करने की नौबत भी बाद में आने वाली थी इसलिये इसको बाद में बयान फ़रमाया गया।

चौथा नम्बर मीसाक (अहद) में यह है कि:

الْقَرْضِ الْمَلِكِ قَرْضًا حَسَنًا

(यानी तुम अल्लाह तआला को कर्ज़ दो, अच्छी तरह का कर्ज़)। अच्छी तरह के कर्ज़ का मतलब यह है कि इख़्तास के साथ हो, कोई दुनियावी ग़र्ज़ उसमें शामिल न हो, और अल्लाह की राह में अपनी महबूब (पसन्दीदा और प्यारी) चीज़ खर्च करे, रद्दी और बेकार चीज़ें देकर न टाले। इसमें अल्लाह तआला की राह में खर्च करने को कर्ज़ देने से इसलिये ताबीर किया गया है कि कर्ज़ का बदला कानूनी, समाजी और अख़्लाकी तौर पर वाजिबुल-अदा समझा जाता है। इसी तरह यह यकीन करते हुए अल्लाह की राह में खर्च करें कि इसका बदला जरूर मिलेगा।

और फर्ज जकात का जिक्र मुस्तकिल तौर पर करने के बाद इस जगह अच्छे कर्ज का जिक्र यह बतला रहा है कि इससे मुराद जकात के अलावा दूसरे सदके व खैरात हैं। इससे यह भी मालूम हुआ कि मुसलमान सिर्फ जकात अदा करके सारी माली जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाता, जकात के अलावा भी कुछ और माली हुकूक इनसान के जिम्मे लाजिम हैं। किसी जगह मस्जिद नहीं तो मस्जिद की तामीर, और दीनी तालीम के लिये हुकूमत जिम्मेदारी नहीं उठा रही है तो दीनी तालीम का इन्तिजाम मुसलमानों ही पर लाजिम है। फर्क इतना है कि जकात फर्ज-ऐन और यह फर्ज-काफिया हैं।

फर्ज-काफिया के मायने यह हैं कि कौम के चन्द अफराद या किसी जमाअत ने उन ज़रूरतों को पूरा कर दिया तो दूसरे मुसलमान जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं और अगर किसी ने भी न किया तो सब गुनाहगार होते हैं। आजकल दीनी तालीम और उसके मदरसे जिस बेकसी और दुर्दशा की हालत में हैं इसको वही लोग जानते हैं जिन्होंने उनको दीन की अहम खिदमत समझकर कायम किया हुआ है। जकात अदा करने की हद तक मुसलमान जानते हैं कि हमारे जिम्मे फर्ज है और यह जानने के बावजूद बहुत कम अफराद हैं जो जकात अदा करते हैं। और अदा करने वालों में भी बहुत कम अफराद हैं जो पूरा हिसाब करके पूरी जकात अदा करते हैं, और जो कहीं-कहीं पूरी जकात अदा करने वाले भी हैं तो वे बिल्कुल यह समझे हुए हैं कि अब हमारे जिम्मे और कुछ नहीं। उनके सामने मस्जिद की ज़रूरत आये तो जकात का माल पेश करते हैं, और दीनी मदरसों की ज़रूरत पेश आये तो सिर्फ जकात का माल दिया जाता है, हालाँकि ये फराईज जकात के अलावा मुसलमानों पर आयद हैं और कुरआने करीम की इस आयत और इसके जैसी बहुत सी आयतों ने इसको स्पष्ट कर दिया है।

मीसाक (अहद) की अहम धारारें बयान करने के बाद भी यह बतला दिया कि अगर तुमने मीसाक की पाबन्दी की तो उसकी जज़ा यह होगी कि तुम्हारे पिछले गुनाह भी माफ कर दिये जायेंगे और हमेशा की राहत व आफियत की बेमिसाल जन्नत में रखा जायेगा! और आखिर में यह भी बतला दिया कि इन तमाम स्पष्ट बयानात व इरशादात के बाद भी अगर किसी ने कुफ्र व नाफरमानी इख्तियार की तो वह एक साफ सीधी राह छोड़कर अपने हाथों तबाही के गढ़े में जा गिरा।

فَمَا نَقِضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً
 يُخَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ يَنْسَوْنَ حَتَّىٰ إِذَا ذُكِرُوا بِاللَّهِ لَآ تَذَكَّرُونَ
 إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا تَصَدَّقُوا
 أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ
 يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

फ़बिमा नक्विज़हिम् मीसाक़हुम्
 लअन्नाहुम् व जअल्ला कुलूबहुम्
 कासि-यतन् युहरिफ़ूनल्कलि-म अम्-
 मवाज़िअिही व नसू हज़्ज़म् मिम्मा
 जुविकरू बिही व ला तज़ालु ततलिअु
 अला ख़ाइ-नतिम् मिन्हुम् इल्ला
 कलीलम् मिन्हुम् फ़अफ़ु अन्हुम्
 वस्फ़ह, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल्
 मुहिसनीन (13) व मिनल्लजी-न
 कालू इन्ना नसारा अख़ाज़्ना
 मीसाक़हुम् फ़-नसू हज़्ज़म् मिम्मा
 जुविकरू बिही फ़-अग्रैना बैनहुमुल्
 अदा-व-त वल्बग्ज़ा-अ इला यौमिल्-
 कियामति, व सौ-फ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु
 बिमा कानू यस्नअून (14)

सो उनके अहद तोड़ने पर हमने उन र
 लानत की और कर दिया हमने उनके
 दिलों को सख़्त, फेरते हैं कलाम को
 उसके ठिकाने से और भूल गये नफ़ा
 उठाना उस नसीहत से जो उनको की गई
 थी और हमेशा तू बाख़बर होता रहता है
 उनकी किसी दगा पर मगर थोड़े लोग
 उनमें से, सो माफ़ कर और दरगुज़र
 उनसे, अल्लाह दोस्त रखता है एहसान
 करने वालों को। (13) और वे जो कहते
 हैं अपने को नसारा (यानी ईसाई) उनसे
 भी लिया था हमने अहद उनका, फिर भंग
 गये नफ़ा उठाना उस नसीहत से जो उनको
 की गई थी, फिर हमने लगा दी आपस में
 उनके दुश्मनी और कीना कियामत
 दिन तक, और आख़िर जता देगा उनको
 अल्लाह जो कुछ करते थे। (14)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(लेकिन बनी इस्राईल ने तो उक्त अहद को तोड़ डाला, और तोड़ने के बाद तरह-तरह को
 सजाओं में जैसे सूरतों का बदल जाना और ज़िल्लत व रुस्वाई वगैरह, गिरफ़्तार हुए। पस
 अल्लाह की इनायतों और मेहरबानियों के बाद यह जो उनके साथ हुआ) तो सिर्फ़ उनके अहद
 तोड़ने की वजह से हमने उनको अपनी रहमत (यानी उसके आसार) से दूर कर दिया, (और यह
 हकीकत है लानत की) और (इसी लानत के आसार में से यह है कि) हमने उनके दिलों को
 कठोर कर दिया (कि हक़ बात को उन पर असर ही नहीं होता, और इस सख़्त दिली के आसार
 में से यह है कि) वे लोग (यानी उनमें के उलेमा अल्लाह के) कलाम (यानी तौरात) को उस
 (अलफ़ाज़ या मतलब के) मौकों से बदलते हैं (यानी लफ़्ज़ी या मानवी रद्दोबदल करते हैं) अं
 (उस रद्दोबदल का असर यह हुआ कि) वे लोग जो कुछ उनको (तौरात में) नसीहत की गई
 उसमें से एक बड़ा हिस्सा (नफ़े का जो कि उनको अमल करने से नसीब होता) जाया कर बै
 (क्योंकि ज्यादा मशक़ उनकी इस मज़ामीन के बदले में हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल

को रिसालत की तस्दीक से संबन्धित हिस्से में होती थी, और ज़ाहिर है कि ईमान से ज्यादा बड़ा हिस्सा क्या होगा। गर्ज कि अहद के तोड़ने पर लानत मुरत्तब हुई और लानत पर दिल की सख्ती वगैरह, और दिल की सख्ती पर अल्लाह के कलाम में रद्दोबदल और रद्दोबदल पर बड़े फायदे का हाथ से जाना, और तरतीब की वजह ज़ाहिर है) और (फिर यह भी तो नहीं कि जितना कर चुके उस पर बस करें बल्कि हालत यह है कि) आपको आये दिन (यानी हमेशा दीन के बारे में) किसी न किसी (नई) ख़ियानत की इतिला होती रहती है जो उनसे सादिर होती है सिवाय उनमें के गिने-चुने चन्द शख्सों के (जो कि मुसलमान हो गये थे) सो आप उनको माफ़ कीजिए और उनसे दरगुज़र कीजिए (यानी जब तक शर्ई ज़रूरत न हो उनकी ख़ियानतों का इज़हार और उनको रुस्वा व ज़लील न कीजिए) विला शुक्क अल्लाह तआला अच्छा मामला करने वाले लोगों से मुहब्बत करता है।

(और बिना ज़रूरत रुस्वा न करना एक तरह का अच्छा बर्ताव है) और जो लोग (दीन की मदद के दावे के तौर पर) कहते हैं कि हम ईसाई हैं, हमने उनसे भी उनका अहद (यहूदियों के अहद की तरह) लिया था, सो वे भी जो कुछ उनको (इंजील वगैरह में) नसीहत की गई उसमें से अपना एक बड़ा हिस्सा (नफ़े का जो कि उनको अमल करने से नसीब होता) ज़ाया कर बैठे, (क्योंकि वह चीज़ जिसको खो बैठे तौहीद है और ईमान लाना है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जिसका हुक्म उनको भी हुआ था और इसका बड़े फायदे की चीज़ होना ज़ाहिर है, जब तौहीद को छोड़ बैठे) तो हमने उनमें आपस में क़ियामत तक के लिए बुग़ज़ और दुश्मनी डाल दी, (यह तो दुनियावी सज़ा हुई) और जल्द ही (आख़िरत में कि वह भी करीब ही है) उनको अल्लाह तआला उनका किया हुआ जतला देंगे (फिर सज़ा देंगे)।

मआरिफ़ व मसाईल

आयत में यह बतलाया गया है कि बनी इस्राईल ने अपनी बदबख्ती से इन वाज़ेह हिदायतों पर कान न धरे और मीसाक (अहद व इकरार) की मुख़ालफ़त की तो अल्लाह तआला ने उनको तरह-तरह के अज़ाबों में मुब्तला कर दिया।

बनी इस्राईल पर उनके बुरे आमाल और सरकशी की सज़ा में दो तरह के अज़ाब आये- एक ज़ाहिरी और अहसूस जैसे पथराव या ज़मीन का तख़्ता उलट देना वगैरह, जिनका जिक्र कुरआने करीम की आयतों में अनेक मक़ामात पर आया है।

दूसरी किस्म अज़ाब की मानवी और रूहानी है कि सरकशी की सज़ा में उनके दिल व दिमाग़ मस्ख़ हो गये। उनमें सोचने समझने की सलाहियत न रही। वे अपने गुनाहों के वबाल में और ज्यादा गुनाहों में मुब्तला होते चले गये।

इरशाद है:

فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً

यानी हमने उनके अहद तोड़ने और मीसाक के उल्लंघन की सज़ा में उनको अपनी रहमत से

दूर कर दिया, और उनके दिलों को सख्त कर दिया कि अब उनमें किसी चीज़ की गुंजाईश नहीं रही। इसी रहमत से दूरी और दिलों की सख्ती को कुरआने करीम ने सूर: मुतफ़िफ़ीन में 'रान' के सफ़ज़ से ताबीर फ़रमाया है:

كُلًّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْبُرُونَ.

यानी स्पष्ट कुरआनी आयतों और खुली हुई निशानियों से इनकार की वजह यह है कि उनके दिलों पर उनके गुनाहों की वजह से जंग बैठ गया है।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक हदीस में इरशाद फ़रमाया है कि इन्सा जब पहली बार कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता (काला धब्बा) लग जाता है, जिसकी बुराई को वह हर वक़्त ऐसा महसूस करता है जैसे किसी साफ़ सफ़ेद कपड़े पर एक सियाह दाग़ लग जाये, वह हर वक़्त नज़र को तकलीफ़ देता है। फिर अगर उसने सचेत होकर तौबा कर ली और आईन्दा गुनाह से बाज़ आ गया तो वह नुक्ता मिटा दिया जाता है और अगर उसने परवाह न की बल्कि दूसरे गुनाहों में मुब्तला होता चला गया तो हर गुनाह पर एक सियाह नुक्ते का इज़ाफ़ा होता रहेगा यहाँ तक कि उसके दिल का पन्ना उन नुक्तों से बिल्कुल सियाह हो जायेगा। उस वक़्त उसके दिल की यह हालत हो जायेगी जैसे कोई बर्तन अँधा रखा हो कि उसमें कोई चीज़ डाली जाये तो फ़ौरन बाहर आ जाती है, इसलिये कोई ख़ैर और नेकी की बात उसके दिल में नहीं जमती, उस वक़्त उसके दिल की यह कैफ़ियत हो जाती है कि:

لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكراً.

यानी अब न वह किसी नेकी को नेक समझता है न बुराई को बुरा बल्कि मामला उल्टट होने लगता है कि ऐब को हुनर, बदी को नेकी, गुनाह को सवाब समझने लगता है और अपनी नाफ़रमानी व बद-अमली में बढ़ता चला जाता है। यह उसके गुनाह की नक़द सज़ा है जो उसको दुनिया ही में मिल जाती है।

कुछ बुजुर्गों ने फ़रमाया है:

ان من جزاء الحسنه الحسنه بعد ها وان من جزاء السيئه السيئه بعدها.

यानी नेकी की एक नक़द जज़ा यह है कि उसके बाद उसको दूसरी नेकी की तौफ़ीक़ होती है। इसी तरह गुनाह की नक़द सज़ा यह है कि एक गुनाह के बाद उसका दिल दूसरे गुनाहों की तरफ़ माईल होने लगता है।

मालूम हुआ कि नेकियों और गुनाहों में अपनी तरफ़ खींचना और कशिश है कि एक नेकी दूसरी नेकी को दावत देती है, और एक बदी दूसरी बदी और गुनाह को साथ ले आती है।

बनी इस्राईल को अहद तोड़ने की नक़द सज़ा नियमानुसार यह मिली कि वे रहमते खुदावन्दी से दूर हो गये, जो निजात का सब से बड़ा वसीला है और उनके दिल सख्त हो गये जिसकी नौबत यहाँ तक पहुँच गयी कि:

يُخَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

यानी ये लोग कलामे इलाही को उसके ठिकाने से फेर देते हैं। यानी खुदा के कलाम में कमी-वेशी और रद्दोबदल करते हैं। कभी उसके अलफाज़ में और कभी मायने में, कभी तिलावत (पढ़ने) में। तहरीफ (रद्दोबदल) की ये सब किस्में कुरआने करीम और हदीस की किताबों में बयान की गयी हैं जिसका किसी कद्र एतिराफ़ आजकल कुछ यूरोपियन ईसाईयों को भी करना पड़ा है। (तफसीरे उस्मानी)

इस मानवी सज़ा का यह नतीजा हुआ कि:

وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

यानी नसीहत जो उनको की गयी थी उससे नफ़ा उठाना भूल गये। और फिर फ़रमाया कि उनकी यह सज़ा उनके गले का ऐसा हार बन गयी:

وَلَا تَرَأَىٰ تُغْلَبُ عَلَىٰ خَائِبَةٍ مِّنْهُمْ

यानी आप हमेशा उनकी किसी दगा फ़रेब पर अवगत होते रहेंगे:

إِلَّا لِقَلِيلٍ مِّنْهُمْ

सिवाय थोड़े लोगों के, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह जो पहले अहले किताब के दीन पर थे फिर सच्चे मुसलमान हो गये।

यहाँ तक बनी इस्राईल के बुरे आमाल और बुरे अज़्लाक का जो बयान आया बज़ाहिर इसका तकाज़ा यह था कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनसे इन्तिहाई नफ़रत और अपमान का मामला करें, उनको पास न आने दें। इसलिये आयत के आखिरी जुमले में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह हिदायत दी गयी कि:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

यानी आप उनको माफ़ करें और उनके बुरे आमाल से दरगुज़र करें। उनसे नफ़रत व दूरी की सूत न रखें। क्योंकि अल्लाह तआला एहसान करने वालों को पसन्द करता है।

मतलब यह है कि उनके ऐसे हालात के बावजूद अपने तबई तकाज़े पर अमल न करें, यानी उनसे नफ़रत घृणा का बर्ताव न करें। क्योंकि उनकी सख्त-दिली और बेहिंसी के बाद अगरचें किसी वज़ह व नसीहत का उनके लिये असरदार होना बहुत दूर की बात है लेकिन ख़ादारी और अच्छे अज़्लाक का मामला ऐसा कीमिया है कि उसके ज़रिये उन बेहिंसों में हिंस (समझ) पैदा हो सकती है। और उनमें हिंस पैदा हो या न हो, बहरहाल अपने अज़्लाक व मामलात को दुरुस्त रखना तो ज़रूरी है, एहसान का मामला अल्लाह तआला को पसन्द है, उसके ज़रिये मुसलमानों को तो अल्लाह तआला की और निकटता हासिल हो ही जायेगी।

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي

इस आयत से पहली आयत में यहूदियों के अहद तोड़ने और अज़ाब का ज़िक्र था, इस

आयत में कुछ ईसाईयों का हाल बयान फरमाया है।

ईसाई फिर्कों में आपसी दुश्मनी

इस आयत में हक् तआला ने ईसाईयों के अहद तोड़ने की यह सजा बयान की है कि उनमें आपस में फूट, नफरत और दुश्मनी डाल दी गयी है जो कियामत तक चलती रहेगी।

इस पर आजकल के ईसाईयों के हालात से यह शुब्हा पैदा हो सकता है कि वे तो आपस में सब एकजुट नज़र आते हैं। जवाब यह है कि यह हाल उन लोगों का बयान किया गया है जो वाकई ईसाई हैं और ईसाई मज़हब के पाबन्द हैं, और जो खुद अपने मज़हब को भी छोड़कर बेदीन बन गये वे दर हकीकत ईसाईयों की फेहरिस्त से खारिज हैं, चाहे वे कौमी तौर पर अपन आपको ईसाई कहते हों। ऐसे लोगों में अगर वह मज़हबी फूट और आपसी दुश्मनी न हो तो वह इस आयत के विरुद्ध नहीं। क्योंकि फूट और विवाद तो मज़हब की बुनियाद पर था, जब मज़हब ही न रहा तो इख़िलाफ़ (विवाद) भी न रहा और आयत में बयान उन लोगों का है जो मज़हबी तौर पर नसारा और ईसाई हैं, उनका विवाद और फूट मशहूर व परिचित है।

तफ्सीरे बैजायी के हाशिये में तैसीर से नक़ल किया है कि नसारा (ईसाईयों) में असल तीन फिर्के थे- एक निस्तूरिया जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे। दूसरा याकूबिया जो खुद ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के साथ मिला हुआ और उनमें रचा हुआ मानते थे। तीसरा मलकाईया जो ईसा अलैहिस्सलाम को तीन खुदाओं में से एक मानते थे। और ज़ाहिर है कि अक़ीदों में इतने बड़े विवाद व फ़र्क के साथ आपस में दुश्मनी होना लाज़िमी है।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ

تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْقُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ

مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَقَالَتِ

الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُ

بَشَرٍ خَلَقَ دَعِيفِينَ ۚ يَخْلُقُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَإِلَيْهِ

الرُّجُوعُ ۝

या अह्लल-किताबि कद् जाअकुम्
 रसूलुना युबय्यिनु लकुम् कसीरम्-
 मिम्मा कुन्तुम् तुख्रफू-न मिनल्-
 किताबि व य़अफू अन् कसीरिन्,
 कद् जाअकुम् मिनल्लाहि नूरुव-व
 किताबुम् मुबीन (15) यहदी
 बिहिल्लाहु मनित्त-ब-अ रिज़्वानहू
 सुबुलस्सलामि व युख़िरजुहुम्
 मिनज़्जुलुमाति इलन्नूरि बि-इज़्निही
 व यहदीहिम् इला सिरातिम्
 मुस्तकीम (16) ल-क द
 क-फरल्लज़ी-न कालू इन्नल्ला-ह
 हुवल-मसीहुब्नु मर्य-म, कुल्
 फ-मय्यम्लिकु मिनल्लाहि शैअन् इन्
 अरा-द अय्युह्लिकल्-मसीहब्-न
 मर्य-म व उम्म-हू व मन् फिल्अर्जि
 जमीअन्, व लिल्लाहि
 मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि व मा
 बैनहुमा, यज़्ज़ुकु मा यशा-उ, वल्लाहु
 अला कुल्लि शैइन् कदीर (17) व
 कालतिल्-यहूदु वन्नसारा नहनु
 अबूनाउल्लाहि व अहिब्बाउहू, कुल्
 फलि-म युअज़्ज़िबुकुम् बिजुनूबिकुम्,
 बल् अन्तुम् व-शरुम् मिम्-मन्

ऐ किताब-वालो तहकीक (कि) आया है
 तुम्हारे पास रसूल हमारा, जाहिर करता है
 तुम पर बहुत सी चीज़ें जिनको तुम छुपाते
 थे किताब में से, और दरगुज़र करता है
 बहुत सी चीज़ों से, बेशक तुम्हारे पास
 आई है अल्लाह की तरफ से रोशनी और
 किताब जाहिर करने वाली। (15) जिससे
 अल्लाह हिदायत करता है उसको जो ताबे
 हुआ उसकी रज़ा का, सलामती की राहें,
 और निकालता है उनको अंधेरों से अपने
 हुक्म से और उनको चलाता है सीधी
 राह। (16) बेशक काफिर हुए जिन्होंने
 कहा कि अल्लाह वही मसीह है मरियम
 का बेटा, तू कह दे फिर किसका बस चल
 सकता है अल्लाह के आगे अगर वह चाहे
 कि हलाक करे मसीह मरियम के बेटे को
 और उसकी माँ को और जितने लोग हैं
 ज़मीन में सब को, और अल्लाह ही के
 लिये है सल्लत आसमानों और ज़मीन
 की और जो कुछ दरमियान इन दोनों के
 है, पैदा करता है जो चाहे और अल्लाह
 हर चीज़ पर कादिर है। (17) और कहते
 हैं यहूदी और ईसाई- हमें बेटे हैं अल्लाह
 के और-उसके प्यारे, तू कह फिर क्यों
 अज़ाब है तुमको तुम्हारे गुनाहों पर, कोई
 नहीं, बल्कि तुम भी एक आदमी हो
 उसकी मख़लूक में बख़शो-जिसको चाहे
 और अज़ाब करे जिसको चाहे और

ख-ल-क, यग्फिरु लिमंय्यशा-उ व युअज़िज़बु मंय्यशा-उ, व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि व मा बैनहुमा व इलैहिल्-मसीर (18)	अल्लाह ही के लिये है सल्लनत आसमान और ज़मीन की और जो कुछ दोनों के बीच में है, और उसी की तरफ़ लौटव जाना है। (18)
--	---

खुलासा-ए-तफसीर

ऐ किताब वालो (यानी यहूदियों व ईसाईयों)! तुम्हारे पास हमारे (ये) रसूल (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आए हैं (जिनके इल्मी कमाल का तो यह हाल है कि) किताब (के मजामीन) में से जिन चीजों को तुम छुपाते हो उनमें से बहुत-सी बातों को (जिनके इज़हार में कोई शर्ई मस्लेहत हो जाहिरी तौर पर उलूम का न सीखने के बावजूद ख़ालिस वही के ज़रिये वाकिफ़ होकर) तुम्हारे सामने साफ़-साफ़ खोल देते हैं और (अमली व अख़्लाकी कमाल का यह आलम है कि जिन चीजों को तुमने छुपा लिया था उनमें से) बहुत-सी चीजों को (जानने और बाख़बर होने के बावजूद अख़्लाक के सबब उनके इज़हार से) दरगुज़र कर देते हैं। (जबकि उनके इज़हार में कोई शर्ई मस्लेहत न हो, सिर्फ़ तुम्हारी रुस्वाई ही होती हो। और यह इल्मी कमाल नुबुव्वत की दलील है। और अख़्लाकी कमाल उसकी पुष्टि करने वाला और ताकीद करने वाला है। इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दूसरे मोजिज़ों के अलावा खुद तुम्हारे साथ आपका यह बर्ताव आपकी नुबुव्वत साबित करने के लिये काफी है। और इसी रसूल के ज़रिये) तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ़ से एक रोशन चीज़ आई है और (यह) एक स्पष्ट किताब (है) कि उसके ज़रिये से अल्लाह तआला ऐसे शख्सों को जो हक़ की रज़ा के तालिब हैं सलामती की राहें बतलाते हैं (यानी जन्नत में जाने के तरीके जो ख़ास अक़ीदे व आमाल के तालीम फ़रमाते हैं, क्योंकि दर हक़ीकत मुकम्मल सलामती तो जन्नत ही में हो सकती है, उसमें कोई कमी होती है और न छिन जाने और ख़त्म होने का ख़तरा) और उनको अपना तौफीक से (कुफ़्र व नाफ़रमानी की) अंधेरियों से निकाल कर (ईमान व नेक अंमल के) नूर की तरफ़ ले आते हैं, और उनको (हमेशा) सही रास्ते पर कायम रखते हैं।

बिला शुब्हा ये लोग काफ़िर हैं जो (यूँ) कहते हैं कि अल्लाह तआला मसीह इब्ने मरियम है। आप (यूँ) पूछिए (कि अगर ऐसा है तो यह बतलाओ) कि अगर अल्लाह तआला हज़रत मसीह इब्ने मरियम (जिनको तुम अल्लाह और खुदा समझते हो) को और उनकी माँ (हज़रत मरियम) को और जितने ज़मीन में आबाद हैं उन सब को (मौत से) हलाक करना चाहें तो (क्या कोई शख्स ऐसा है जो खुदा तआला से उनको ज़रा भी बचा सके, (यानी इतनी बात को तो तुम भी मानते हो कि उनको हलाक करना अल्लाह की कुदरत में है, तो जिस ज़ात का हलाक करना दूसरे के कब्जे में हो वह खुदा कैसे हो सकता है। इससे मसीह अलैहिस्सलाम के खुदा होने का

अक़ीदा वातिल हो गया) और (जो वास्तव में खुदा और सब का माबूद है यानी) अल्लाह तआला (उसकी यह शान है कि उस) ही के लिए खास है हुकूमत आसमानों पर और ज़मीन पर और जितनी चीज़ें इन दोनों के बीच हैं उन पर, और वह जिस चीज़ को चाहे पैदा कर दे, और अल्लाह तआला को हर चीज़ पर पूरी कुदरत है।

और यहूदी व ईसाई (दोनों फ़रीक) दावा करते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके महबूब (प्यारे) हैं (मतलब यह मालूम होता है कि हम चूँकि अम्बिया की औलाद हैं इसलिये अल्लाह तआला के यहाँ हमारी एक खुसूसियत है कि हम गुनाह भी करें तो उस पर इतनी नाराज़ी नहीं होती जितनी दूसरों पर होती है, जैसे बाप पर अपने बेटे की नाफ़रमानी का इतना असर नहीं होता जितना किसी ग़ैर आदमी के वैसे ही काम पर होता है। उनके इस ख्याल के बातिल और ग़लत होने के लिये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिताब है कि) आप (उनसे) यह पूछिए कि (अच्छा तो) फिर तुमको तुम्हारे गुनाहों के बदले (आख़िरत में) अज़ाब क्यों देंगे (जिसके तुम भी कायल हो, जैसा कि यहूदियों का कौल था:

لَنْ نَمَسَّ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً.

यानी अगर हमें जहन्नम का अज़ाब हुआ भी तो चन्द रोज़ ही होगा। और खुद हुज़ूरत मसीह अलैहिस्सलाम का कौल कुरआन पाक में जिक्र किया गया है:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

यानी जिस शख्स ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो अल्लाह तआला उस पर जन्नत इराम कर देते हैं। जिससे स्पष्ट है कि वास्तव में जो ईसाई हैं वे भी इसके इकरारी हैं कि आख़िरत में गुनाहों पर उन्हें भी अज़ाब होगा।

खुलासा यह है कि आख़िरत के अज़ाब का जब तुम्हें खुद भी इकरार है तो यह बतलाओ कि क्या कोई बाप अपने बेटे या महबूब (प्यारे) को अज़ाब भी दिया करता है? इसलिये अपने आपको खुदा की औलाद कहना बातिल (ग़लत और झूठ) है।

यहाँ यह शुद्धा नहीं किया जा सकता कि कई बार बाप भी अपनी औलाद के सुधार व तर्बियत के लिये अदब सिखाने के लिये सज़ा देता है तो सज़ा होना बेटा होने के खिलाफ़ नहीं। क्योंकि बाप की सज़ा अदब सिखाने के लिये होती है ताकि वह आईन्दा ऐसा काम न करे। और आख़िरत में अदब सिखाने का कोई मक़ाम नहीं। क्योंकि वह दारुल-अमल (अमल करने की जगह) नहीं दारुल-जज़ा (बदले की जगह) है। वहाँ आगे कोई काम करने, या किसी काम से रोकने का कोई गुमान व ख्याल नहीं, जिसको अदब सिखाना कहा जाये। इसलिये वहाँ जो सज़ा होगी वह ख़ालिस सज़ा और अज़ाब देना ही हो सकता है, जो औलाद या महबूब होने के क़तई मनाफ़ी (खिलाफ़ और विरुद्ध) है, इसलिये मालूम हुआ कि तुम्हारी कोई विशेषता अल्लाह के यहाँ नहीं, बल्कि तुम भी और सब मख़बूक़ ही की तरह के एक (मामूली) आदमी हो, अल्लाह तआला जिसको चाहेगा बढ़ावे और जिसको चाहेगा सज़ा देगा, और अल्लाह तआला ही की है सब

हुकूमत आसमानों में भी ओर ज़मीन में भी और जो कुछ उनके बीच में है (उनमें भी)। उसी (यानी अल्लाह ही की) तरफ़ सब को लौटकर जाना है (उसके सिवा कोई पनाह की जगह नहीं)

मआरिफ़ व मसाईल

इस आयत में ईसाईयों के एक ही कौल की तरदीद की गयी है जो उनके एक फिके का अकीदा है, यानी यह कि हज़रत मसीह (मआज़ल्लाह) अल्लाह तआला ही हैं। मगर तरदीद इस दलील से की गयी है वह तमाम फिकों के बातिल अकीदों को शामिल है जो भी तौहीद के खिलाफ़ हैं। चाहे खुदा का बेटा होने का अकीदा हो या तीन खुदाओं में से एक खुदा होने का ग़लत अकीदा, इससे सब का रद्द और ग़लत होना ज़ाहिर हो गया।

और इस जगह हज़रत मसीह और उनकी वालिदा का जिक्र करने में दो हिक्मतें हो सकती हैं- अव्वल तो यह कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का हक़ तआला के सामने यह आजिज़ व बेबस होना कि न वह अपने आपको अल्लाह से बचा सकते हैं न अपनी माँ को जिनकी खिदत व हिफ़ाज़त को शरीफ़ बेटा अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ रखता है। दूसरे यह कि इसमें अल्लाह के फिके के ख्याल की भी तरदीद (रद्द) हो गयी जो हज़रत मरियम को तीन खुदाओं में से एक खुदा मानते हैं।

और इस जगह हज़रत मसीह और हज़रत मरियम अलैहिमस्सलाम की मौत को बतौर फ़र्ज के जिक्र फ़रमाया है, हालाँकि कुरआन नाज़िल होने के वक़्त हज़रत मरियम की मौत महज़ फ़र्ज नहीं थी बल्कि वाक़े हो चुकी थी। इसकी वजह या तो तग़लीब है यानी असल में तो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत को बतौर फ़र्ज (मान लेने) के बयान करना था, माँ का जिक्र भी इसी उन्वान के तहत में कर दिया गया अगरचे उनकी मौत वाक़े हो चुकी थी। और यह भी कहा जा सकता है कि मुराद यह है कि जिस तरह हज़रत मरियम पर हम मौत मुसल्लत कर चुके हैं, हज़रत मसीह और दूसरी सब मख़्लूक पर भी इसी तरह मुसल्लत कर देना हमारे कब्ज़े में है और "यख़्लुकु मा यशा-उ" में ईसाईयों के इसी ग़लत अकीदे के मन्शा को बातिल करना है क्योंकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा बनाने का असल मन्शा उनके यहाँ यह है कि उनकी पैदाईश सारी दुनिया के कायदों (दस्तूर और तरीकों) के खिलाफ़ बग़ैर बाप के सिर्फ़ माँ से हुई है। अगर वह भी इन्सान होते तो कायदे के मुताबिक़ माँ और बाप दोनों के ज़रिये पैदाईश होती।

इस जुमले में इसका जवाब दे दिया कि अल्लाह तआला को सब तरह की कामिल कुदरत हासिल है कि जो चाहे जिस तरह चाहे पैदा कर दे। जैसा कि आयत:

إِنَّمَا مَثَلُ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ.

में इसी शुब्हे को दूर फ़रमाया है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाईश कुदरत के आम क़ानून से अलग होना उनकी खुदाई की दलील नहीं हो सकती। देखो हज़रत आदम

अलैहिस्सलाम को तो हक तआला ने माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा फरमा दिया था। उनको सब कुदरत है, वही खालिक व मालिक और इबादत के लायक हैं। दूसरा कोई उनका शरीक नहीं हो सकता।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى قُرَّةٍ مِّنَ الرَّسُولِ أَنْ تَقُولُوا مَا
جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

या अस्तल्ल-किताबि कद् जाअकुम्
रसूलुना युबय्यिनु लकुम् अला
फतरतिम् मिनरूसुलि अन् तकूलू मा
जाअना मिम्-बशीरिं व-व ला
नजीरिन् फ-कद् जा-अकुम् बशीरुं-
व नजीरुन्, वल्लाहु अला कुल्लि
शैइन् कदीर (19) ❀

ऐ किताब वालो! आया है तुम्हारे पास
रसूल हमारा खोलता है तुम पर रसूलों के
सिलसिला टूटने के बाद, कभी तुम कहने
लगो कि हमारे पास न आया कोई खुशी
या डर सुनाने वाला, सो आ चुका तुम्हारे
पास खुशी और डर सुनाने वाला और
अल्लाह हर चीज पर कादिर है। (19) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

ऐ अहले किताब! तुम्हारे पास हमारे (ये) रसूल (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आ पहुँचे जो कि तुमको (शरीअत की बातें) साफ-साफ बतलाते हैं, ऐसे वक़्त में कि रसूलों (के आने का) सिलसिला (मुद्दत से) मौकूफ "यानी रुका हुआ और बन्द" था, (और पहली शरीअतें नापैद और गुम हो चुकी थीं और अम्बिया का सिलसिला लम्बे समय तक बन्द रहने से उन गुमशुदा शरीअतों के दोबारा भालूम होने की संभावना भी न रही थी। इसलिये अब किसी रसूल के आने की सख्त ज़रूरत थी, तो ऐसे वक़्त आपका तशरीफ़ लाना बड़ी नेमत और ग़नीमत समझना चाहिये) ताकि तुम (कियामत में) (यूँ न) कहने लगो (कि दीन के मामले में ग़लती और कोताही में हम इसलिये माज़ूर हैं कि) हमारे पास (कोई रसूल जो कि) खुशख़बरी देने वाला और डराने वाला (हो जिससे हमको दीन का सही इल्म और अमल पर उधार पैदा होता) नहीं आया, सो (अब इस उज़्र की गुंजाईश नहीं रही क्योंकि) तुम्हारे पास खुशख़बरी देने वाले और डराने वाले (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आ चुके हैं, (अब न मानो तो अपने अन्जाम को खुद समझ लो) और अल्लाह तआला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं (कि जब चाहें रहमत से अपने अम्बिया भेज दें, जब चाहें अपनी हिक्मत से उनको रोक लें, इसलिये किसी को यह हक़ नहीं है कि जब लम्बे समय से अम्बिया का सिलसिला बन्द है तो अब कोई रसूल नहीं आ सकता। क्योंकि यह सिलसिला एक मुद्दत तक बन्द रखना हक़ तआला की हिक्मत से था, उसने

नुबुव्वत का सिलसिला बन्द और ख़त्म कर देने का कोई ऐलान उस वक़्त तक नहीं किया। बल्कि पिछले तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ज़रिये ये ख़बरें भी दे दी थीं कि आखिरी ज़माने में एक खास रसूल खास शान और खास सिफ़ात के साथ आने वाले हैं। जिन पर नुबुव्वत समाप्त होगा। इस ऐलान के मुताबिक़ ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ आये।

मज़ारिफ़ व मसाईल

عَلَىٰ فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُولِ

फ़तरत के लफ़्ज़ी मायने सुस्त होने, ठहर जाने और किसी काम को निलंबित और बन्द कर देने के आते हैं। इस आयत में तफ़सीर के उलेमा ने फ़तरत के यही मायने बयान फ़रमाये हैं। और मुराद इससे कुछ अरसे के लिये नुबुव्वत व अम्बिया के सिलसिले का बन्द रहना है ज़ाहिरत ईसा के बाद ख़ातमुल-अम्बिया हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनकर तशरीफ़ लाने तक का ज़माना है।

ज़माना-ए-फ़तरत की तहकीक़

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम के बीच एक हज़ार सात सौ साल का ज़माना है। इस तमाम मुद्दत में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के भेजने का सिलसिला बराबर जारी रहा। इसमें कभी फ़तरत नहीं हुई। सिर्फ़ बनी इस्राईल में से एक हज़ार अम्बिया इस अरसे में भेजे गये, और ग़ैर बनी इस्राईल में से जो अम्बिया हुए वह उनके अलावा हैं। फिर हज़रत ईसा की पैदाईश और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनकर तशरीफ़ लाने के बीच सिर्फ़ पाँच सौ साल का समय है। इसमें नबियों के आने का सिलसिला बन्द रहा, इसी लिये इस ज़माने को ज़माना-ए-फ़तरत कहा जाता है। इससे पहले कभी इतना ज़माना अम्बिया के भेजे जाने से ख़ाली नहीं रहा।

(तफ़सीरे कुतुबी वज़ाहत के साथ)

हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम के बीच की मुद्दत, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम से ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बीच की मुद्दत में और भी अनेक रिवायतें हैं जिनमें इससे कम व ज़्यादा मुद्दतें बयान हुई हैं। मगर असल मक़सद पर इससे कोई असर नहीं पड़ता।

इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत किया है कि हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम और ख़ातमुल-अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बीच का ज़माना छह सौ साल का था। और इस पूरी मुद्दत में कोई नबी नहीं भेजे गए जैसा कि सही बुख़ारी व मुस्लिम के हवाले से मिशक़ात शरीफ़ में हदीस आई है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى

यानी मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ लोगों से ज़्यादा करीब हूँ। और इसका मतलब हदीस के आख़िर में यह बयान फ़रमाया:

لَيْسَ بَيْنَنَا

यानी हम दोनों के बीच कोई नबी नहीं भेजा गया।

और सूर: यासीन में जो तीन रसूलों का जिक्र है वे दर हकीकत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए कासिद थे जिनको लुगवी (शाब्दिक) मायने के एतिबार से रसूल (पैग़ाम लाने वाला) कहा गया है। और ख़ालिद बिन सनान अरबी का जो कुछ हज़रत ने इस फ़तूरत के ज़माने में होना बयान किया है उसके मुताल्लिक तफ़सीर रुहुल-मज़ानी में शिहाब के हवाले से बयान किया है कि उनका नबी होना तो सही है मगर उनका ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले है, बाद में नहीं।

ज़माना-ए-फ़तूरत के अहकाम

उक्त आयत से बज़ाहिर यह मालूम होता है कि अगर मान लो कोई क़ौम ऐसी हो कि उनके पास न कोई रसूल और न कोई पैग़म्बर आया और न उनके नायब (प्रतिनिधि) पहुँचे, और न पिछले नबियों की शरीअत उनके पास महफ़ूज़ थी, तो ये लोग अगर शिर्क के अलावा किसी ग़लत काम और गुमराही में मुब्तला हो जायें तो वे माज़ूर समझे जायेंगे। वे अज़ाब के हक़दार नहीं होंगे। इसी लिये हज़रते फ़ुक़हा (दीनी मसाल्ल के माहिर उलेमा) का अहले फ़तूरत के मामले में मतभेद है कि वे बख़्शे जायेंगे या नहीं।

उलेमा की अक्सरियत का रुझान यह है कि उम्मीद इसी की है कि वे बख़्श दिये जायेंगे जबकि वे अपने उस मज़हब के पाबन्द रहे हों जो ग़लत-सलत उनके पास हज़रत मूसा या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ मन्सूब होकर मौजूद था। बशर्ते कि वे तौहीद (एक खुदा को मानने के अक़ीदे) के मुख़ालिफ़ और शिर्क में मुब्तला न हों। क्योंकि तौहीद का मसला (यानी अल्लाह को एक मानने का अक़ीदा) किसी नक़ल का मोहताज नहीं। वह हर इन्सान ज़रा सा ग़ौर करे तो अपनी ही अक़ल से मालूम कर सकता है।

..... एक सवाल और उसका जवाब

यहाँ यह सवाल पैदा हो सकता है कि जिन अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) को इस आयत में ख़िताब है उनके लिये अगरचे फ़तूरत के ज़माने में कोई रसूल नहीं पहुँचा मगर उनके पास तौरात और इंजील तो मौजूद थीं। उनके उलेमा भी थे, तो फिर क़ियामत में उनके लिये यह उज़्र करने का क्या मौका था कि हमारे पास कोई हिदायत नहीं पहुँची थी। जवाब यह है कि हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के मुबारक दौर तक असल तौरात व इंजील बाकी नहीं

रही थीं, रूदोबदल और कमी-बेशी होकर उनमें झूठे किस्से कहानियाँ दाखिल हो गयीं। इसलिये उनका होना और न होना बराबर था। और इतिफाक से कहीं कोई असली नुस्खा (प्रति) किसी के पास गुमनाम जगह में महफूज रहा भी हो तो वह इसके खिलाफ नहीं। जैसा कि तु उलेमा जैसे इमाम इब्ने तैमिया बगैरह ने लिखा है कि तौरात व इंजील के असली नुस्खे (प्रति) कहीं-कहीं मौजूद थे।

ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के

विशेष कमालात की तरफ़ इशारा

इस आयत में अहले किताब को मुख़ातब करके यह इरशाद फ़रमाना कि हमारे रहु मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक लम्बे अंतराल के बाद आये हैं, इसमें एक इशारा इस तरफ़ भी है कि तुम लोगों को चाहिये कि आपके वजूद को बड़ी ग़नीमत और बनेमत समझें, लम्बे समय से यह सिलसिला बन्द था अब तुम्हारे लिये फिर खोला गया है।

दूसरा इशारा इस तरफ़ भी है कि आपका तशरीफ़ लाना ऐसे ज़माने और ऐसे मक़ाम हुआ है जहाँ इल्म और दीन की कोई रोशनी मौजूद न थी। अल्लाह की मख़्लूक अल्लाह का ना-आशना होकर बुत-परस्ती में लग गयी थी। ऐसे ज़माने में ऐसी क़ौम की इस्त्लाह (सुधार) कोई आसान काम न था। ऐसे जाहिलीयत के ज़माने में ऐसी बिगड़ी हुई क़ौम आपके हवालात हुई। आपकी सोहबत के फ़ैज़ और नुबुव्वत के नूर से थोड़े ही अरसे में यह क़ौम सारी दुनिया के लिये इल्म, अमल, अज़्लाक, मामलात, रहन-सहन, बर्ताव और जिन्दगी के तमाम क्षेत्रों में उस्ताद और पैरवी के क़बिल करार दी गयी, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत और आपकी पैग़म्बराना तालीम का पहले तमाम अम्बिया में अफ़ज़ल व आला होना देखने और अनुभव से साबित हो गया। जो डॉक्टर किसी ऐसे मरीज़ का इलाज करे जो इलाज से मायूस हो चुका हो और ऐसी जगह में करे जहाँ डाक्टरी यंत्र व उपकरण और दवायें भी मौजूद न हों, और फिर वह उसके इलाज में इतना कामयाब हो कि यह मरने के करीब मरीज़ र सिर्फ़ यह कि तन्दुरुस्त हो गया बल्कि एक विशेषज्ञ और माहिर डॉक्टर भी बन गया, तो उस डॉक्टर के कमाल में किसी को क्या शुक्ल रह सकता है।

इसी तरह फ़त़रत के लम्बे ज़माने के बाद जबकि हर तरफ़ कुफ़्र व नाफ़रमानी की अंधेरी ही अंधेरी छाई हुई थी, आपकी तालीमात और तरबियत ने ऐसा उजाला कर दिया कि उसकी नज़ीर किसी पिछले दौर में नज़र नहीं आती तो सारे मोजिजे एक तरफ़, तन्हा यह मोजिजा (चमत्कार) इनसान को आप पर ईमान लाने के लिये मजबूर कर सकता है।

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

إِذْ جَعَلْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ يَقَوْمِ ادْخُلُوا
 الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خُسِرِينَ ۝ قَالُوا
 لِمَوْسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۝ وَإِنَّا لَنُدْخِلُهَا حَتَّىٰ يُخْرِجُوا مِنْهَا فَإِنَّا
 دَاخِلُونَ ۝ قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ
 فَإِنَّكُمُ عَلَيْهِمْ ۝ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ قَالُوا لِمَوْسَىٰ إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا
 مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا
 نَفْسِي وَإِنِّي فَاقِرٌ إِلَىٰ رَبِّي رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ بَدَأَهُ سَاءً لِّمَنْ يَشَاءُ ۝ قَالَ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ
 فَاتَّبِعُونِي فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝

ع ४

व इज़् का-ल मूसा लिकौमिही या
 कौमिज़्कुरु निज़्-मतल्लाहि अलैकुम्
 इज़् ज-अ-ल फीकुम् अम्बिया-अ व
 ज-अ-लकुम् मुलूकव्-व आताकुम् मा
 लम् युअति अ-हदम् मिनल्-आलमीन
 (20) या कौमिदखुलुल् अरज़ल्
 मुकद्द-सतल्लती क-तबल्लाहु लकुम्
 व ता तरतद्दू अला अद्बारिकुम्
 फ-तन्कलिबू ख़ासिरीन (21) कालू
 या मूसा इन्-न फीहा कौमन्
 जब्बारी-न व इन्ना लन् नदखु-लहा
 हत्ता यदखु-मिन्हा फ-इय्यखुरुजू
 मिन्हा फ-इन्ना दाख़िलून (22)
 का-ल रजुलानि मिनल्लजी-न

और जब कहा मूसा ने अपनी कौम को
 ऐ कौम याद करो एहसान अल्लाह का
 अपने ऊपर जब पैदा किये तुम में नबी
 और कर दिया तुमको बादशाह और दिया
 तुमको जो नहीं दिया था किसी को जहान
 में। (20) ऐ कौम दाख़िल हो पाक ज़मीन
 में जो मुकर्रर कर दी अल्लाह ने तुम्हारे
 वास्ते और न लौटो अपनी पीठ की तरफ
 फिर जा पड़ोगे नुक़सान में। (21) बोलें
 ऐ मूसा वहाँ एक कौम है ज़बरदस्त और
 हम हरगिज़ वहाँ न जायेंगे यहाँ तक कि
 वे निकल जायें उसमें से; फिर अगर वे
 निकल जायेंगे उसमें से तो हम ज़रूर
 दाख़िल होंगे। (22) कहा दो मर्दों ने
 अल्लाह से डरने वालों में से कि खुदा की

यखाफू-न अन्अमल्लाहु अलैहिमदखुलू
 अलैहिमुल्बा-ब फ-इजा दखल्लुमूहु
 फइन्नकुम् गालिबू-न, व अलल्लाहि
 फ-तचक्कलू इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन
 (23) कालू या मूसा इन्ना लन्
 नदखु-लहा अ-बदम् मा दामू फीहा
 फज्हब् अन्-त व रब्बु-क फकातिला
 इन्ना हाहुना काज़िदून (24) का-ल
 रब्बि इन्नी ला अम्लिकु इल्ला नफ्सी
 व अख्दी फफ़रुक् बैनना व बैनल्
 कौमिल् फासिकीन (25) का-ल
 फ-इन्नहा मुहर-मतुन् अलैहिम्
 अर्बअी-न स-नतन् यतीहू-न
 फिल्अर्जि, फला तअ-स अलल्
 कौमिल्-फासिकीन (26) ❀

नवाज़िश थीं उन दो पर, घुस जाओगे तो
 तुम ही ग़ालिब होगे और अल्लाह प-
 मरोसा करो अगर यकीन रखते हो। (23)
 बोले ऐ मूसा हम हरगिज़ न जायेंगे साथ-
 उम्र जब तक वे रहेंगे उसमें सो तू ज-
 और तेरा रब और तुम दोनों लड़ो हम तो
 यहीं बैठे हैं। (24) बोला ऐ रब मेरे मेरे
 इख्तियार में नहीं मगर मेरी जान औ-
 मेरा भाई, सो जुदाई कर दे तू हम में
 और इस नाफ़रमान क़ौम में। (25)
 फ़रमाया तहकीक़ वह ज़मीन हराम का
 गई है इन पर चालीस साल, सर मारते
 फिरेंगे मुल्क में, सो तू अफ़सोस न कर
 नाफ़रमान लोगों पर। (26) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (वह वक़्त भी ज़िक्र के काबिल है) जब मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपनी क़ौम (यानी
 बनी इस्राईल) से (पहले जिहाद का शौक दिलाने की भूमिका में यह) फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम
 तुम अल्लाह तआला के इनाम को जो कि तुम पर हुआ है याद करो, जबकि अल्लाह तआला ने
 तुम में से बहुत-से पैग़म्बर बनाये (जैसे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़
 अलैहिस्सलाम और खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आदि-और
 किसी क़ौम में पैग़म्बरों का होना उनका दुनियावी और दीनी शर्फ़ है, यह तो बातिनी व ख़हानी
 नेमत दी) और (ज़ाहिरी नेमत यह दी कि) तुमको मुल्क वाला बनाया (चुनाँचे फिरऔन के मुल्क
 पर अभी काबिज़ हो चुके हो) और तुमको (कुछ-कुछ) वे चीज़ें दीं जो दुनिया ज़हान वालों में से
 किसी को नहीं दीं (जैसा कि दरिया में रास्ता देना, दुश्मन को अजीब अन्दाज़ से गुर्क करना,
 जिसके बाद एक दम से हृद से ज़्यादा ज़िल्लत व मुसीबत से निकलकर बहुत ही बुलन्दी व राहत
 में पहुँच गये, यानी इसमें तुमको खास खुसूसियत दी। फिर इस भूमिका के बाद असली मक़सद

के साथ उनको खिताब फरमाया कि) ऐ मेरी कौम! (इन नेमतों और एहसानों का तकाज़ा यह है कि तुमको जो इस जिहाद के बारे में अल्लाह का हुक्म हुआ है उस पर आमादा रहो और) वरकत वाले मुल्क (यानी शाम की राजधानी) में (जहाँ ये अमालिका शासक हैं, जिहाद के इरादे से) दाखिल होओ, कि इसको अल्लाह तआला ने तुम्हारे हिस्से में लिख दिया है (इसलिये इरादा करते ही फ़तह होगी) और पीछे (वतन की तरफ) वापस मत चलो कि फिर बिल्कुल घाटे और नुक़सान में पड़ जाओगे (दुनिया में भी कि मुल्की विस्तार से मेहरूम रहोगे और आखिरत में कि जिहाद के फ़रीजे को छोड़ने से गुनाहगार रहोगे)।

कहने लगे कि ऐ मूसा! वहाँ तो बड़े-बड़े ज़बरदस्त आदमी (रहते) हैं, और हम तो वहाँ हरगिज़ क़दम न रखेंगे जब तक कि वे (किसी तरह) वहाँ से (न) निकल जाएँ। (हाँ) अगर वे वहाँ से (कहीं और) चले जाएँ तो हम बेशक जाने को तैयार हैं। (मूसा अलैहिस्सलाम की बात की ताईद के लिये) उन दो शख्सों ने (भी) जो कि (अल्लाह से) डरने वालों (यानी मुत्तकियों) में से थे, (और) जिन पर अल्लाह तआला ने फज़ल किया था (कि अपने अहद पर जमे रहे थे उन कम-हिम्मतों को समझाने के तौर पर) कहा कि तुम उन पर (चढ़ाई करके उस शहर के) दरवाज़े तक तो चलो, सो जिस वक़्त तुम दरवाज़े में क़दम रखोगे उसी वक़्त ग़ालिब आ जाओगे (मतलब यह है कि जल्दी फ़तह हो जायेगा, चाहे रौब से भाग जायें या थोड़ा ही मुकाबला करना पड़े) और अल्लाह तआला पर नज़र रखो अगर तुम ईमान रखते हो (यानी तुम उनके जिस्मानी तौर पर ज़बरदस्त और डीलडोल वाले होने पर नज़र मत करो। मगर उन लोगों पर इस समझाने-बुझाने का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और उन दो बुजुर्गों को तो उन्होंने क़ाबिले खिताब भी न समझा बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत ही बेपरवाई और गुस्ताखी के साथ) कहने लगे कि ऐ मूसा! हम तो (एक बात कह चुके हैं कि हम) हरगिज़ कभी भी वहाँ क़दम न रखेंगे जब तक वे लोग वहाँ मौजूद हैं, (अगर लड़ना ऐसा ही ज़रूरी है) तो आप और आपके अल्लाह मियाँ चले जाईए और दोनों (जाकर) लड़-भिड़ लीजिए, हम तो यहाँ से सरकते नहीं।

(मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही परेशान हुए और तंग आकर) दुआ करने लगे कि ऐ मेरे परवर्दिगार! (मैं क्या करूँ इन पर कुछ बस नहीं चलता) हाँ मैं अपनी जान और अपने भाई पर अलबत्ता (पूरा) इख्तियार रखता हूँ। सो आप हम दोनों (भाईयों) के और इस नाफरमान कौम के बीच (मुनासिब) फैसला फरमा दीजिए (यानी जिसकी हालत का जो तकाज़ा हो वह हर एक के लिये तजवीज़ फरमा दीजिए)। इरशाद हुआ (बेहतर) तो (हम यह फैसला करते हैं कि) यह (मुल्क) तो उनके हाथ चालीस साल तक न लगेगा, (और घर जाना भी नसीब न होगा, रास्ता ही न मिलेगा) यही (चालीस साल तक) ज़मीन में सर मारते फिरते रहेंगे। (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो यह फैसला सुना जिसका गुमान न था, ख्याल यह था कि कोई मामूली तंबीह हो जायेगी तो तबई तौर पर गुमगीन होने लगे। इरशाद हुआ कि ऐ मूसा! जब इन नाफरमान लोगों के लिये हमने यह तजवीज़ किया तो यही मुनासिब है) सो आप इस नाफरमान कौम (की दुर्दशा) पर (ज़रा भी) गुम न कीजिए।

मज़ारिफ़ व मसाईल

ज़िक्र हुई आयतों में से पहली आयत में उस मीसाक (अहद) का ज़िक्र था जो अल्लाह तआला और उसके रसूलों की इताअत के बारे में बनी इस्राईल से लिया गया था, और उसके साथ उनके सार्वजनिक रूप से अहद तोड़ने और अहद के खिलाफ़ करने और उसपर सज़ाओं का बयान था। इन ज़िक्र हुई आयतों में उनके अहद तोड़ने का एक खास वाक़िआ बयान हुआ है।

वह यह है कि जब फिरऔन और उसके लश्कर दरिया में गर्क हो गये और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी क़ौम बनी इस्राईल फिरऔन की गुलामी से निजात पाकर मिस्र के हुकूमत के मालिक बन गये तो अल्लाह तआला ने अपना अतिरिक्त इनाम और उनके बाप-दादा के वतन मुल्के शाम को भी उनके क़र्बों में वापस दिलाने के लिये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिये उनको यह हुक्म दिया कि वे जिहाद की नीयत से पवित्र ज़मीन यानी मुल्के शाम में दाख़िल हों, और साथ ही उनको यह खुशख़बरी भी सुना दी कि इस जिहाद में फ़तह उनकी ही होगी। अल्लाह तआला ने उस पवित्र ज़मीन को उनके हिस्से में लिख दिया है, वह ज़रूर उनका मिलकर रहेगी। मगर बनी इस्राईल अपनी तबई खुसूसियतों की वजह से अल्लाह तआला के इनामात- फिरऔन के गर्क होने और मिस्र के फ़तह होने वग़ैरह को आँखों से देख लेने के बावजूद यहाँ भी अहद व मीसाक पर पूरे न उतरे और मुल्क शाम के जिहाद के इस हुक्मे इलाही के खिलाफ़ ज़िद करके बैठ गये। जिसकी सज़ा उनको कुदरत की तरफ़ से इस तरह मिली कि चालीस साल तक एक सीमित इलाके में कैद और बन्दी होकर रह गये कि बज़ाहिर न उनके गिर्द कोई हिसार (घेरा) था, न उनके हाथ-पाँव किसी कैद में जकड़े हुए थे, बल्कि खुले मैदान में थे और अपने वतन मिस्र की तरफ़ वापस चले जाने के लिये हर दिन सुबह से शाम तक सफ़र करते थे, मगर शाम को फिर वहीं नज़र आते थे जहाँ से सुबह चले थे। इसी दौरान हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिमस्सलाम की वफ़ात हो गयी और ये लोग इसी तरह तीह की वादी में हैरान व परेशान फिरते रहे। उनके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे पैग़म्बर इनकी हिदायत के लिये भेजे।

चालीस बरस इसी तरह पूरे होने के बाद फिर उनकी बाकी बची नस्ल ने उस वक़्त के पैग़म्बर के नेतृत्व में शाम ब्र बैतुल-मुक़दस के जिहाद का इरादा किया और अल्लाह तआला का वह वायदा पूरा हुआ कि यह पवित्र ज़मीन तुम्हारे हिस्से में लिख दी गयी है। यह मुख्यतर बयान है उस वाक़िआ का जो उपरोक्त आयतों में बयान हुआ है। अब इसकी तफ़सील कुरआनी अलफ़ाज़ में देखिये।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब यह हिदायत मिली कि अपनी क़ौम को बैतुल-मुक़दस और मुल्के शाम को फ़तह करने के लिये जिहाद का हुक्म दें तो उन्होंने पैग़म्बर वाली हियमत व नसीहत को सामने रखते हुए यह हुक्म सुनाने से पहले उनको अल्लाह तआला के वो इनामात याद दिलाये जो बनी इस्राईल पर अब तक हो चुके थे। इरशाद फ़रमाया:

أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَأَنْتُمْ مَأْمُومُونَ أَحْنَا مِنَ الْعَالَمِينَ

यानी अल्लाह तआला का वह फज़ल व इनाम याद करो जो तुम पर हुआ है कि तुम्हारी क़ौम में बहुत से नबी भेजे और तुमको मुल्क वाला बना दिया और तुम्हें वो नेमतें बख़्शी जो दुनिया जहान में किसी को नहीं मिलीं।

इसमें तीन नेमतों का बयान है जिनमें से पहली नेमत एक सहानी और मानवी नेमत है कि उनकी क़ौम में लगातार अम्बिया (नबी) ख़ूब ज़्यादा भेजे गये, जिससे बढ़कर आख़िरत का और मानवी सम्मान कोई नहीं हो सकता। तफ़सीरे मज़हरी में नक़ल किया है कि किसी क़ौम और किसी उम्मत में अम्बिया (नबियों) की कसरत इतनी नहीं हुई कि जितनी बनी इस्राईल में हुई है।

इमामे हदीस इब्ने अबी हातिम ने इमाम आमश की रिवायत से नक़ल किया है कि क़ौम बनी इस्राईल के आख़िरी दौर में जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक है सिर्फ़ उस दौर में एक हज़ार अम्बिया बनी इस्राईल में भेजे गये। दूसरी नेमत जिसका ज़िक्र इस आयत में है वह दुनियावी और ज़ाहिरी नेमत है कि उनको बादशाह यानी मुल्क व सल्तनत वाला बना दिया गया। इसमें इसकी तरफ़ इशारा है कि यह बनी इस्राईल जो मुदत से फिरज़ौन और क़ौमे फिरज़ौन के गुलाम बने हुए दिन रात उनके जुल्मों का शिकार रहते थे, आज अल्लाह तआला ने इनके दुश्मन को नेस्त व नाबूद करके इनको उनकी हुकूमत व सल्तनत का मालिक बना दिया। यहाँ यह बात काबिले गौर है कि अम्बिया के मामले में तो इरशाद हुआ कि:

جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ

यानी तुम्हारी क़ौम में से बहुत से लोगों को अम्बिया (नबी) बना दिया गया।

जिसका मफ़हूम यह है कि पूरी क़ौम नबी नहीं थी। और यही हकीकत भी है कि अम्बिया (नबी) कुछ ही होते हैं और पूरी क़ौम उनकी उम्मत और पैरोकार होती है। और जहाँ दुनिया के मुल्क व सल्तनत का ज़िक्र आया तो वहाँ फ़रमाया:

وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا

यानी बना दिया तुमको बादशाह और हुकूमत वाला।

जिसका ज़ाहिरी मफ़हूम यही है कि तुम सब को बादशाह और सल्तनत वाला बना दिया। लफ़्ज़े मुल्क मलिक की ज़मा (बहुवचन) है, जिसके मायने आम बोल-चाल में बादशाह के हैं, और यह ज़ाहिर है कि जिस तरह पूरी क़ौम नबी और पैग़म्बर नहीं होती इसी तरह किसी मुल्क में पूरी क़ौम बादशाह भी नहीं होती, बल्कि क़ौम का एक फ़र्द या चन्द अफ़राद शासक होते हैं, बाकी क़ौम उनके ताबे होती है। लेकिन कुरआनी अलफ़ाज़ ने इन सब को मुल्क करार दिया।

इसकी एक वजह तो यह है जो तफ़सीर बयानुल-कुरआन में कुछ उल्लेख व बुजुर्गों के हवाले से बयान की गयी है कि आम बोल-चाल में जिस क़ौम का बादशाह होता है उसकी सल्तनत व हुकूमत को उस पूरी क़ौम की तरफ़ मन्सूब किया जाता है। जैसे इस्लाम के

मध्यकाल में बनू उमैया और बनू अब्बास की हुकूमत कहलाती थी। इसी तरह हिन्दुस्तान गज़नवी और गौरियों की हुकूमत फिर मुग़लों की हुकूमत फिर अंग्रेजों की हुकूमत, पूरी कौम अफ़राद की तरफ़ मन्सूब की जाती थी। इसलिये जिस कौम का एक हाकिम व बादशाह हो वही पूरी कौम हुक्मराँ और बादशाह कहलाती है।

इस मुहावरे के मुताबिक़ बनी इस्राईल की पूरी कौम को कुरआने करीम ने मुलूक (बादशाह और शासक) करार दिया। इसमें इशारा इस तरफ़ भी हो सकता है कि इस्लामी हुकूमत र हकीकत अ़वामी हुकूमत होती है, अ़वाम ही को अपना अमीर व इमाम चुनने का हक़ होता और अ़वाम ही अपनी इज्तिमाई राय से उसको पदमुक्त भी कर सकते हैं। इसलिये देखने अगरचे एक व्यक्ति शासक होता है मगर दर हकीकत वह हुकूमत अ़वाम ही की होती है।

दूसरी वजह वह है जो तफ़सीर इब्ने कसीर और तफ़सीरे मज़हरी-यग़ैरह में कुछ बुजुर्ग और पहले उलेमा से नक़ल की है कि लफ़्ज़ मलिक बादशाह के मफ़हूम से ज़्यादा आम है। ऐं शख्स को मलिक कह दिया जाता है जो खुशहाल और मालदार हो। मकान, जायदाद, नौक़ चाकर रखता हो। इस मफ़हूम के एतिबार से उस वक़्त बनी इस्राईल में से हर फ़र्द मलिक व मिस्दाक़ था। इसलिये उन सब को मुलूक फ़रमाया गया।

तीसरी नेमत जिसका ज़िक्र इस आयत में है कि वह मानवी और ज़ाहिरी दोनों किस्म की नेमतों का मजमूआ है। फ़रमाया:

وَأَنْتُمْ مَّا تَمَّ يَوْمَ تَوَاتَا مِنَ الْمُحْسِنِينَ

यानी तुमको वो नेमतें अता फ़रमायीं जो दुनिया जहान में किसी को नहीं दी गयीं। इन नेमतों में रुहानी व बातिनी सम्मान और नुबुव्वत व रिसालत भी दाख़िल है और ज़ाहिरी हुकूमत व सल्लनत और माल व दौलत भी, अलबत्ता यहाँ यह सवाल हो सकता है कि कुरआनी वज़ाहत के अनुसार उम्मत मुहम्मदिया सारी उम्मतों से अफ़ज़ल है। कुरआन याक की आयतें:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

और:

كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

इस पर शाहिद (गवाह और सुबूत) हैं और हदीसे नबी की बेशुमार रिवायतें इसकी ताईद में हैं। जवाब यह है कि इस आयत में दुनिया के उन लोगों का ज़िक्र है जो बनी इस्राईल के मूसवी दौर में मौजूद थे, कि उस वक़्त पूरे आलम में किसी को वो नेमतें नहीं दी गयी थीं जो बनी इस्राईल को मिली थीं। आने वाले ज़माने में किसी उम्मत को उनसे भी ज़्यादा नेमतें मिल जायें यह इसके मनाफ़ी (विरुद्ध) नहीं।

इस पहली आयत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो कौल नक़ल फ़रमाया गया है यह तम्हीद (भूमिका) थी उस हुक्म के बयान करने की जो अगली आयत में इस तरह बयान हुआ है:

يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

यानी ऐ मेरी कौम तुम उस पवित्र ज़मीन दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में लिख रखी है।

पवित्र ज़मीन से कौनसी ज़मीन मुराद है?

पवित्र ज़मीन से कौनसी ज़मीन मुराद है? इसमें मुफ़्तिरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) के अक़वाल बज़ाहिर एक-दूसरे के विपरीत हैं। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि बैतुल-मुक़द्दस मुराद है। कुछ हज़रात ने कुदुस शहर और इलिया को पवित्र ज़मीन का मिस्ताक़ बतलाया है। कुछ ने शहर अरीहा को जो उर्दुन की नहर और बैतुल-मुक़द्दस के बीच दुनिया का बहुत पुराना शहर था और आज तक मौजूद है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उसकी शान व विशालता के अजीब व ग़रीब हालात नक़ल किये जाते हैं।

कुछ रिवायतों में है कि इस शहर के एक हज़ार हिस्से (वाडी) थे। हर हिस्से में एक-एक हज़ार बाग़ थे। और कुछ रिवायतों में है कि पवित्र ज़मीन से मुराद दमिश्क़, फ़िलिस्तीन और कुछ के नज़दीक उर्दुन है। और हज़रत क़तादा ने फ़रमाया कि पूरा मुल्के शाम पवित्र ज़मीन है। हज़रत क़अबे अहबार ने फ़रमाया कि मैंने अल्लाह की किताब (ग़ालिबन तौरात) में देखा है कि मुल्के शाम पूरी ज़मीन में अल्लाह का खास ख़ज़ाना है, और इसमें अल्लाह के मख़सूस मक़बूल बन्दे हैं। इस ज़मीन को मुक़द्दस (पवित्र) इसलिये कहा गया है कि वह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का वतन और ठिकाना (केन्द्र) रहा है।

कुछ रिवायतों में है कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लबनान के पहाड़ पर चढ़े। अल्लाह तआला ने इरशाद फ़रमाया कि ऐ इब्राहीम! यहाँ से आप नज़र डालो, जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचेगी हमने उसको पवित्र ज़मीन बना दिया। ये सब रिवायतें तफ़्सीर इब्ने कसीर और तफ़्सीरे मज़हरी से नक़ल की गयी हैं। और साफ़ बात यह है कि इन अक़वाल में टकराव कुछ नहीं, पूरा मुल्के शाम आखिरी रिवायतों के मुताबिक़ पवित्र ज़मीन है। बयान करने में कुछ हज़रात ने मुल्के शाम के किसी हिस्से को बयान कर-दिया; किसी ने पूरे को।

“कालू या मूसा.....” इससे पहले आयत में अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के द्वारा अमालिका कौम से जिहाद करके मुल्क शाम फ़तह करने का हुक्म दिया था, और साथ ही यह खुशख़बरी भी दी थी कि मुल्क शाम की ज़मीन अल्लाह तआला ने उनके लिये लिख दी है। इसलिये उनकी फ़तह यकीनी है।

इस ज़िक्र हुई आयत में इसका बयान है कि इसके बावजूद बनी इस्राईल ने अपनी जानी-पहचानी सरकशी व नाफ़रमानी और टेढ़ी चाल की वजह से इस हुक्म को भी तस्लीम न किया, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मूसा! उस मुल्क पर तो बड़े ज़बरदस्त ताक़तवर लोगों का कब्ज़ा है, हम तो उस ज़मीन में उस वक़्त तक दाखिल न होंगे जब तक वे लोग वहाँ

काबिज़ हैं। हाँ वे कहीं चले जायें तो वेशक हम वहाँ जा सकते हैं।

इस वाकिए की तफसील जो तफसीर के इमामों हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और इक्रिमा और अली बिन अबी तल्हा वगैरह से मन्कूल है, यह है कि उस वक़्त मुल्के शाम और बैतुल-मुक़द्दस पर अमालिका कौम का कब्ज़ा था, जो कौमे आद की कोई शाखा और बड़े डीलडोल और आश्चर्य जनक क़द-क़ठी के लोग थे, जिनसे जिहाद करके बैतुल-मुक़द्दस फ़तह करने का हुक्म हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को मिला था।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की तामील के लिये अपनी कौम बनी इस्राईल को साथ लेकर मुल्क शाम की तरफ़ ख़ाना हुए। जाना बैतुल-मुक़द्दस पर था। जब नहर उर्दुन से पार होकर दुनिया के प्राचीन शहर अरीहा पर पहुँचे तो यहाँ क़ियाम फ़रमाया और बनी इस्राईल के इन्तिज़ाम के लिये बारह सरदारों का चयन करना कुरआने करीम की पिछली आयतों में बयान हो चुका है। उन सरदारों को आगे भेजा ताकि वे उन लोगों के हालात और जंग के मोर्चे की कौफ़ियतें मालूम करके आयें जो बैतुल-मुक़द्दस पर काबिज़ हैं और जिनसे जिहाद करने का हुक्म मिला है। यह हज़रत बैतुल-मुक़द्दस पहुँचे तो शहर से बाहर ही अमालिका कौम का कोई आदमी मिल गया और वह अकेला इन सब को गिरफ़्तार करके ले गया और अपने बादशाह के सामने पेश किया कि ये लोग हमसे जंग करने के इरादे से आये हैं। शाही दरबार में मश्विरा हुआ कि इन सबको क़त्ल कर दिया जाये या कोई दूसरी सज़ा दी जाये। आख़िरकार राय इस पर ठहरी कि इनको आज़ाद कर दें ताकि ये अपनी कौम में जाकर अमालिका की कुव्वत व दबदबे के ऐसे गैबी गवाह साबित हों कि कभी उनकी तरफ़ रुख़ करने का ख़्याल भी दिल में न लायें।

इस मौक़े पर तफ़सीर की अक्सर किताबों में इस्राईली रिवायतों की लम्बी चौड़ी कहानियाँ दर्ज हैं जिनमें इसू मिलने वाले शख़्स का नाम अज़िज बिन उनुक़ बलताया है। और उसकी बेपनाह क़द व क़ामत और कुव्वत व ताक़त को ऐसा बढ़ा-चढ़ाकर बयान किया है कि किसी समझदार आदमी को उसका नक़ल करना भी भारी है।

इमामे तफ़सीर इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि अज़िज बिन उनुक़ के जो किस्से इन इस्राईली रिवायतों में मज़कूर हैं, न अक़ल उनको कुबूल कर सकती है और न शरीअत में उनका कोई जवाज़ है, बल्कि यह सब झूठ व बोहतान है। बात सिर्फ़ इतनी है कि अमालिका कौम के लोग चूँकि कौमे आद के बचे हुए लोग हैं, जिनके डरावने और आश्चर्यजनक क़द व क़ामत का खुद कुरआने करीम ने जिक़र फ़रमाया है। इस कौम का डील-डोल और कुव्वत व ताक़त एक मिसाल थी। उनमें का एक आदमी कौमे बनी इस्राईल के बारह आदमियों को गिरफ़्तार करके ले जाने पर कादिर हो गया।

बहरहाल बनी इस्राईल के बारह सरदार अमालिका की क़ैद से रिहा होकर अपनी कौम के पास अरीहा स्थान पर पहुँचे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उस अजीब व ग़रीब कौम और उसकी नाक़बिले अन्दाज़ा कुव्वत व शौक़त का जिक़र किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल पर तो इन सब बातों का ज़रा बराबर भी असर न हुआ, क्योंकि अल्लाह तआला ने वही के

जरिये फ़तह व कामयाबी की खुशख़बरी सुना दी थी। बक़ौल अक़बर:

मुझको बेदिल कर दे ऐसा कौन है

याद मुझको 'अन्तुमुल-अज़्लौन' है

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो उनकी कुव्वत व शौक़त (ग़ुलबे, दबदबे और वर्चस्व) का हाल सुनकर अपनी जगह हिम्मत व मज़बूती का पहाड़ बने हुए जिहाद के लिये आगे बढ़ने की फ़िक्र में लगे रहे, मगर ख़तरा यह हो गया कि बनी इस्राईल को अगर सामने वाले दुश्मन की इस वेपनाह ताक़त का इल्म हो गया तो ये लोग फ़िसल जायेंगे। इसलिये इन बारह सरदारों को हिदायत फ़रमाई कि अमालिका क़ौम के ये हालात बनी इस्राईल को हरगिज़ न बतायें, बल्कि राज़ रखें। मगर हुआ यह कि उनमें से हर एक ने अपने-अपने दोस्तों से खुफ़िया तौर पर इसका तज़क़िरा कर दिया, सिर्फ़ दो आदमी जिनमें से एक का नाम यूशा बिन नून और दूसरे का कालिब बिन यूक़न्ना था, उन्होंने हज़रत मूसा की हिदायत पर अमल करते हुए इस राज़ को किसी पर ज़ाहिर नहीं किया।

और ज़ाहिर है कि बारह में से जब दस ने राज़ खोल दिया तो उसका फैल जाना कुंदरती मामला था। बनी इस्राईल में जब इन हालात की ख़बरें फैलने लगीं तो वे रोने-पीटने लगे और कहने लगे कि इससे तो अच्छा यही था कि क़ौमे फ़िरऔन की तरह हम भी दरिया में ग़र्क हो जाते। वहाँ से बचा लाकर हमें यहाँ मरवाया जा रहा है। उन्हीं हालात में बनी इस्राईल ने ये अलफ़ाज़ कहे:

يَوْمَئِذٍ إِن فِيهَا قَوْمًا جَارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا.

यानी ऐ मूसा उस शहर में तो बड़ी ज़बरदस्त क़ौम आबाद है, जिनका मुकाबला हम से नहीं हो सकता। इसलिये जब तक वे लोग आबाद और मौजूद हैं हम वहाँ जाने का नाम न लेंगे।

अगली आयत में है कि दो शख्स जो डरने वाले थे और जिन पर अल्लाह तआला ने इनाम फ़रमाया था उन्होंने बनी इस्राईल की यह गुफ़्तगू सुनकर बतौर नसीहत उनको कहा कि तुम पहले ही डर के मारे मरे जाते हो, ज़रा क़दम उठाकर शहर बैतुल-मुक़द्दस के दरवाज़े तक तो चलो। हमें यकीन है कि तुम्हारा इतना ही अमल तुम्हारी फ़तह का सबब बन जायेगा। बैतुल-मुक़द्दस के दरवाज़े में दाख़िल होते ही तुम ग़ालिब हो जाओगे और दुश्मन शिकस्त खाकर भाग जायेगा। ये दो शख्स जिनका इस आयत में ज़िक्र है, अक्सर मुफ़सिरीन के नज़दीक वही बारह में से दो सरदार हैं जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिदायत पर अमल करते हुए अमालिका क़ौम का पूरा हाल बनी इस्राईल को न बताया था। यानी यूशा बिन नून और कालिब बिन यूक़न्ना।

कुरआने करीम ने इस जगह उन दोनों बुजुर्गों की दो सिफ़तें खास तौर पर ज़िक्र फ़रमाई हैं। एक "अल्लज़ी-न यखाफू-न" यानी ये लोग जो डरते हैं। इसमें यह ज़िक्र नहीं फ़रमाया कि किससे डरते हैं। इशारा इस बात की तरफ़ है कि डरने के लायक़ सारे जहान में सिर्फ़ एक ही

जात है, यानी अल्लाह जल्ल शानुहू। क्योंकि सारी कायनात उसी के कब्ज़ा-ए-कुदरत में है उसकी मर्जी व इजाजत के बगैर कोई न किसी को मामूली सा भी नफ़ा पहुँचा सकता है, न ज़ा सा भी नुक़सान। और जब डरने के लायक एक ही जात है और वह मुतैयन है तो फिर उसके मुतैयन करने की ज़रूरत न रही।

दूसरी सिफ़त उन बुजुर्गों की कुरआने करीम ने यह बतलाई कि "अन्अमल्लाहु अलैहिमा" यानी अल्लाह तआला ने उन पर इनाम फ़रमाया। इसमें इस बात की तरफ़ इशारा है कि जिस शख्स में जहाँ कोई खूबी और भलाई है वह सब अल्लाह तआला का इनाम व अज़ा है। वरन उन बारह सरदारों में जाहिरी कुव्वतें हाथ, पाँव, आँख, कान और अन्दरूनी कुव्वतें अक़ल व होश और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत व साथ ये सारी ही चीज़ें सभी को हासिल थीं इसके बावजूद और सब फिसल गये और यही दो अपनी जगह जमे रहे। तो मालूम हुआ कि असल हिदायत इनसान की जाहिरी व बातिनी कुव्वतों, उसकी कोशिश व अमल के ताबे (अधीन) नहीं बल्कि अल्लाह तआला का इनाम है। अलबत्ता इस इनाम के लिये कोशिश व अमल शर्त ज़रूर है।

इससे मालूम हुआ कि जिस शख्स को अल्लाह तआला ने अक़ल व होश और समझदारी व होशियारी अज़ा फ़रमाई हो वह अपनी इन ताकतों पर नाज़ न करे, बल्कि अल्लाह तआला ही से रहनुमाई व हिदायत तलब करे। मौलाना रूमी ने इस बात को बहुत ही अच्छे अन्दाज़ में बयान फ़रमाया है:

फ़हम व ख़ातिर तेज़ करदन् नेस्त राह
जुज़् शिकस्ता मी नगीरद् फज़ले शाह

यानी अक़ल व होश और समझदारी के बढ़ा लेने ही से इस रास्ते की कामयाबी हासिल नहीं होती, बल्कि आजिज़ी व इन्किसारी इख़्तियार करने वाला ही अल्लाह तआला के फज़ल व करम को हासिल कर पाता है। मुहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी

कलाम का खुलासा यह है कि उन दोनों बुजुर्गों ने अपनी बिरादरी को यह नसीहत फ़रमाई कि अमालिका कौम की जाहिरी कुव्वत व शान से न घबरायें, अल्लाह पर तयक्कुल करके बैतुल-मुक़दस के दरवाज़े तक चले चले तो फ़तह और ग़लबा उनका है। उन बुजुर्गों का यह फैसला कि दरवाज़े तक पहुँचने के बाद उनको ग़लबा ज़रूर हासिल हो जायेगा और दुश्मन शिकस्त खाका भाग जायेगा, हो सकता है कि अमालिका कौम के जायज़ा लेने की बिना पर हो कि वे लोग बड़े डील-डोल और ताक़त व कुव्वत के बावजूद दिल के कच्चे हैं। जब हमले की ख़बर पायेंगे तो ठहर न सकेंगे। और यह भी मुम्किन है कि अल्लाह का फ़रमान जो फ़तह की खुशख़बरी के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम से सुन चुके थे, उस पर कामिल यकीन होने की वजह से यह फ़रमाया हो। मगर बनी इस्राईल ने जब अपने पैग़म्बर मूसा अलैहिस्सलाम की बात न सुनी तो इन दोनों बुजुर्गों की क्या सुनते। फिर वही जवाब और ज़्यादा भौंड़े अन्दाज़ से दिया कि:

فَأَذْمَبَتْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَالَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِلُونَ

यानी आप और आपके अल्लाह मियाँ ही जाकर उनसे मुकाबला कर लें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बनी इस्राईल का यह कलिमा अगर मजाक उड़ाने के तौर पर होता तो खुला कुफ़ था, और इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उनके साथ रहना, उनके लिये मैदाने तीह में दुआयें करना, जिसका जिक्र अगली आयत में आ रहा है, इसकी संभावना न थी।

इसलिये तफसीर के इमामों ने इस कलिमे का मतलब यह करार दिया है कि आप जाइये और उनसे जंग कीजिए, आपका रब आपकी मदद करेगा, हम तो मदद करने की हिम्मत नहीं रखते। इस मायने के एतिबार से यह कलिमा कुफ़ की हद से निकल गया, अगरचे यह जवाब बहुत ही धौंडा और दिल को तकलीफ़ देने वाला है। यही वजह है कि बनी इस्राईल का यह कलिमा एक कहावत बन गया।

बदर की जंग में निहत्ते और भूखे मुसलमानों के मुकाबले पर एक हज़ार हथियार बन्द नौजवानों का लश्कर आ खड़ा हुआ और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह देखकर अपने रब से दुआयें फरमाने लगे, तो हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद सहाबी आगे बढ़े और अर्ज किया या रसूलल्लाह! खुदा की कसम है हम हरगिज़ वह बात न कहेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी, कि:

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ

यानी आप और आपके अल्लाह मियाँ ही जाकर उनसे मुकाबला कर लें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बल्कि हम आपके दायें और बायें से और सामने से और पीछे से रक्षा करेंगे। आप बेफ़िक्र होकर मुकाबले की तैयारी फरमायें।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह सुनकर बेहद खुश हुए और सहाबा किराम में भी जिहाद के जोश की एक नई लहर पैदा हो गयी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा फरमाया करते थे कि मिक़दाद बिन अस्वद के इस कारनामे पर मुझे बड़ा रश्क (ईर्ष्या) है। काश यह सआदत मुझे भी हासिल होती।

कलाम का खुलासा यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ऐसे नाजुक मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोरा जवाब देकर अपने सब अहद व मीसाक तोड़ डाले।

कौम की इन्तिहाई बेवफ़ाई और मूसा अलैहिस्सलाम

का बेइन्तिहा जमाव और हिम्मत

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي

कौमे बनी इस्राईल के पिछले हालात व वाकिआत और उनके साथ अल्लाह तआला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मामलात का ज़ायजा लेने वाला अगर सरसरी तौर पर भी इसको सामने रखे कि जो कौम बनी इस्राईल सदियों से फिरऔन की गुलामी में तरह-तरह की ज़िल्लतें

और यातनायें बरदाश्त कर रही थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम और उनकी बरकत ने उनको खुदा तआला ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। उनकी आँखों के सामने अल्लाह जल्ल शानुहू का मिल कुदरत के कैसे-कैसे दृश्य आये। फिरऔन और कौमे फिरऔन को हज़रत मूसा व हान अलैहिस्सलाम के हाथों अपने कायम किये हुए दरबार में खुली शिकस्त हुई। जिन जादूगरों का उनका भरोसा था वही अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आये और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दम भरने लगे। फिर खुदाई का दावा करने वाला फिरऔन और शाही महलों में बसने वाले फिरऔन वालों से खुदा तआला की ज़बरदस्त कुदरत ने किस तरह तमाम महलों के मकानों और उनके सज़ व सामान को एक दम से खाली करा लिया, और किस तरह नदी इस्राईल की आँखों के सामने उसे दरिया में गर्क कर दिया, और किस तरह चमत्कारी अन्दाज़ में बनी इस्राईल को दरिया से पार कर दिया, और किस तरह वह दौलत जिस पर फिरऔन ग़व कहकर फ़ख्र किया करता था:

أَلَيْسَ لِي مَلِكٌ بِمِصْرَ وَهَلِيهِ الْآنْهَرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي.

अल्लाह तआला ने पूरा मुल्क और उसकी पूरी मिल्क बग़ैर किसी जंग व लड़ाई के इस्राईल को अता फरमा दी।

इन तमाम वाकिआत में अल्लाह जल्ल शानुहू की ज़बरदस्त कुदरत के प्रदर्शन निशानियाँ इस कौम के सामने आये। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कौम को पहले गुफ़ व जहालत से फिर फिरऔन की गुलामी से निजात दिलाने में क्या-क्या रूह को तड़पा देने व मुसीबतों बरदाश्त कीं। इन सब चीज़ों के बाद जब उसी कौम को खुदाई इमदाद व इनामात वायदों के साथ मुल्क शाम पर जिहाद करने का हुक्म मिला तो उन लोगों ने अपनी कम-हिम्मती और खबासत का इज़हार किया और कहने लगे:

إِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ.

यानी आप और आपके अल्लाह मियाँ ही जाकर उनसे मुकाबला कर लें, हम तो यहीं रहेंगे।

दुनिया का बड़े से बड़ा सुधारक दिल पर हाथ रखकर देखे कि इन हालात और इसके कौम की इन हरकतों का उस पर क्या असर होगा। मगर यहाँ तो अल्लाह तआला बुलन्द-हिम्मत रसूल हैं, कि हिम्मत व जमाव के पहलू बने हुए अपनी धुन में लगे हैं।

कौम की निरन्तर अहद-शिकनी और वायदा-फ़रामोशी से अज़िज़ आकर अपने स्व सामने सिर्फ़ इतना अर्ज करते हैं:

إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي.

यानी मुझे तो अपनी जान और अपने भाई के सिवा किसी पर इख्तियार नहीं। अमाति कौम पर जिहाद की मुहिम को किस तरह सर किया जाये। यहाँ यह बात भी काबिले ग़ौर है। कौमे बनी इस्राईल में से कम से कम दो सरदार यूशा बिन नून और कालिब बिन यूफ़

जिन्होंने पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी का सुबूत दिया था और कौम को समझाने और सही रास्ते पर लाने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लगातार कोशिश की थी, उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका भी ज़िक्र नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपना और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का तज़क़िरा फ़रमाया। इसका सबब वही कौम बनी इस्राईल का अहद तोड़ना और नाफ़रमानी करना था, कि सिर्फ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नबी व पैग़म्बर होने के सबब मासूम थे, और उनका हक़ रास्ते पर कायम रहना यकीनी था। बाकी ये दोनों सरदार मासूम भी न थे। इस इन्तिहाई गुम व गुस्से के आलम में सिर्फ उसका ज़िक्र किया जिसका हक़ पर कायम रहना यकीनी था। इस इज़हार के साथ कि मुझे अपनी जान और अपने भाई के सिवा किसी पर इख़्तियार नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह दुआ फ़रमाई:

فَأَفْرَقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

यानी हम दोनों और हमारी कौम के दरमियान आप ही फैसला फ़रमा दीजिए। इस दुआ का हासिल हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तफ़सीर के मुताबिक़ यह था कि ये लोग जिस सज़ा के मुस्तहिक़ हैं उनको वह सज़ा दी जाये और हम दोनों जिस सूरतेहाल के मुस्तहिक़ हैं हमको वह अता फ़रमाया जाये।

अल्लाह तआला ने इस दुआ को इस तरह कुबूल फ़रमाया कि इरशाद हुआ:

فَإِنَّمَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ

यानी मुल्क शाम की ज़मीन उन पर चालीस साल के लिये हराम करार दे दी गयी। अब अगर वे वहाँ जाना भी चाहें तो न जा सकेंगे। और फिर यह नहीं कि मुल्क शाम न जा सकेंगे बल्कि वे अगर अपने वतन मिस्र की तरफ़ लौटना चाहेंगे तो वहाँ भी न जा सकेंगे बल्कि इस मैदान में उनको नज़रबन्द कर दिया जायेगा।

खुदा तआला की सज़ाओं के लिये न पुलिस और उनकी हथकड़ियाँ शर्त हैं और न जेलखाने की मज़बूत दीवारें और लोहे के दरवाज़े, बल्कि जब वह किसी को बन्दी और नज़र बन्द करना चाहें तो खुले मैदान में भी कैद कर सकते हैं। सबब जाहिर है कि सारी कायनात उसी की मख़्लूक और महकूम है। जब कायनात को किसी की कैद का हुक्म हो जाता है तो सारी हवा और फ़िज़ा ज़मीन व मकान उसके लिये जेलर बन जाते हैं:

خَافِكُ وَبَادٍ وَآبٌ وَآتِشٌ بِنْدًا أُنْدٌ

बा-सज़्-व-तू मुर्दा बा-हक़ जिन्दा अज़्द

"कि मिट्टी, हवा, पानी और आग़ फ़रमाँवरदार हैं। अगरचे हमें तुम्हें ये बेजान और मुर्दा मालूम होते हैं मगर अल्लाह तआला के साथ इनका जो मामला है वह जिन्दों की तरह है, कि जिन्दों की तरह उसके हुक्म की तामील करते हैं।" मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

चुनाँचे यह छोटा सा मैदान जो मिस्र और बैतुल-मुक़द्दस के बीच है, जिसकी पैमाईश हज़रत मुक़ातिल की तफ़सीर के मुताबिक़ तीस फ़र्सख़ लम्बाई और नौ फ़र्सख़ चौड़ाई है। एक फ़र्सख़

अगर तीन मील का करार दिया जाये तो नब्बे मील की लम्बाई और सत्ताईस मील की चौड़ाई का कुल रकबा हो जाता है। और कुछ रिवायतों के मुताबिक सिर्फ तीस मील गुणा अष्टादह मील का रकबा है, अल्लाह तआला ने इस पूरी कौम को जिसकी तायदाद हज़रत मुक़ातिल के बयान के मुताबिक छह लाख अफ़राद थी, इस छोटे से खुले मैदानी रक़बे के अन्दर इस तरह कैद कर दिया कि चालीस साल लगातार इस दौड़-धूप में रहे कि किसी तरह उस मैदान से निकल कर मिस्र वापस चले जायें, या आगे बढ़कर बैतुल-मुक़दस पर पहुँच जायें। मगर होता यह था कि सारे दिन के सफ़र के बाद जब शाम होती तो यह मालूम होता कि फिर-फिराकर वह उसी जगह पर पहुँच गये हैं जहाँ से सुबह चले थे।

तफ़सीर के उलेमा ने फ़रमाया कि अल्लाह जल्द शानुहू किसी कौम को जो सज़ा देते हैं उनके बुरे आमाल की मुनासबत से होती है। इस नाफ़रमान कौम ने चूँकि यह कलिमा बोला कि 'इन्ना हाहुना काअिदून्' यानी हम तो यहीं बैठे हैं। अल्लाह तआला ने इनको इस सज़ा चालीस साल तक के लिये वहीं कैद कर दिया। ऐतिहासिक रिवायतों इसमें मुख़लिफ़ हैं कि चालीस साल के अरसे में बनी इस्राईल की मौजूदा नस्ल जिसने नाफ़रमानी की थी, सभी फ़ना गये, और उनकी अगली नस्ल बाकी रह गयी, जो इस चालीस साल की कैद से निजात पाने बाद बैतुल-मुक़दस में दाख़िल हुई, या उनमें से भी कुछ लोग बाकी थे। बहरहाल कुरआने करी ने एक तो यह वायदा किया था कि 'क-तबल्लाहु लकुम' यानी मुल्के शाम बनी इस्राईल के हिस्से में लिख दिया है, वह वायदा पूरा होना ज़रूरी था, कि कौमे बनी इस्राईल इस मुल्क पर काबि व मुसल्लत हों, मगर बनी इस्राईल के मौजूदा अफ़राद ने नाफ़रमानी करके अल्लाह के इस इनाम से मुँह मोड़ा तो उनको यह सज़ा मिल गयी कि:

مَحْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

यानी चालीस साल तक वे पवित्र ज़मीन फ़तह करने से मेहरूम कर दिये गये। फिर उनकी नस्ल में जो लोग पैदा हुए उनके हाथों यह मुल्क फ़तह हुआ और अल्लाह तआला का वायदा पूरा हुआ।

तीह की इस वादी में हज़रत मूसा व हारून अलैहिमस्सलाम भी अपनी कौम के साथ थे मगर यह वादी उनके लिये कैद और सज़ा थी और इन दोनों हज़रत के लिये अल्लाह की नेमतों का प्रतीक।

यही वजह है कि चालीस साल का यह दौर जो बनी इस्राईल पर अल्लाह की नाराज़गी का का गुज़रा इसमें भी अल्लाह तआला ने उनको हज़रत मूसा व हज़रत हारून अलैहिमस्सलाम की बरकत से तरह-तरह की नेमतों से नवाज़ा। खुले मैदान की धूप से आजिज़ आये तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह तआला ने उन पर बादलों की छतरी लगा दी, जिस तरफ़ वे लोग चलते थे बादल इनके साथ-साथ साया करते हुए चलते थे। प्यास और पानी की किल्लत की शिकायत पेश आई तो अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसा पत्थर अता फ़रमा दिया कि वह हर जगह उनके साथ-साथ रहता था, और जब पानी की ज़रूरत होती

थी तो मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा (लाठी) उस पर मारते थे तो वारह चश्मे उसमें से जारी हो जाते थे। भूख की तकलीफ पेश आती तो आसमानो गिजा मन्न व सलवा उन पर नोजिल कर दी गयी, रात को अंधेरे की शिकायत हुई तो अल्लाह तआला ने रोशनी का एक मीनार उनके लिये खड़ा कर दिया जिसकी रोशनी में ये सब काम-काज करते थे।

गर्ज कि इस मैदाने तीह में सिर्फ अल्लाह की नाराजगी का शिकार लोग ही न थे बल्कि अल्लाह तआला के दो महबूब पैगम्बर और उनके साथ दो मकबूल युजुर्ग यूशा बिन नून और कालिब बिन यूफन्ना भी थे, इनके तुफैल में इस कैद व सजा के जमाने में भी ये इनामात उन पर होते रहे, और अल्लाह तआला तमाम रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाले हैं, मुम्किन है कि बनी इस्राईल के इन अफ़राद ने भी इन हालात को देखने के बाद अपने जुर्म से तौबा कर ली हो, उसके बदले में ये इनामात उनको मिल रहे हों।

सही रियायतों के मुताबिक इसी चालीस साल के दौर में पहले हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई और उसके एक साल या छह महीने बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गयी। इनके बाद हज़रत यूशा बिन नून को अल्लाह तआला ने नबी बनाकर बनी इस्राईल की ह्दयात के लिये मामूर फ़रमाया, और चालीस साल की कैद ख़त्म होने के बाद बनी इस्राईल की बाकी बची क़ौम हज़रत यूशा बिन नून के नेतृत्व में बैतुल-मुक़द्दस के जिहाद के लिये ख़ाना हुई, अल्लाह तआला के वायदे के मुताबिक मुल्के शाम उनके हाथ पर फ़तह हुआ और इस मुल्क की बेहिस्ताब दौलत उनके हाथ में आई।

आयत के आख़िर में जो इरशाद फ़रमाया:

فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

यानी इस नाफ़रमान क़ौम पर आप तरस न ख़ायें। यह इस बिना पर कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अपनी तबीयत और फ़ितरत से ऐसे होते हैं कि अपनी उम्मत की तकलीफ़ व परेशानी को बरदाश्त नहीं कर सकते, अगर उनको सजा मिले तो ये भी उससे ग़मगीन व मुतास्सिर हुआ करते हैं, इसलिये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह तसल्ली दी गयी कि आप उनकी सजा से दुखी और परेशान न हों।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِذْ سَأَلْتَهُمْ لَنْ نَدْعِيَ الْإِسْمَ الَّذِي اسْمُ رَبِّنَا إِذْ نُسَبِّحُكَ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُكَ بِكَرَمِكَ وَأَنْ نَقُولَ لَكَ عِذًّا مُبَرَّئًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَنزَلْنَا فِيهِ الْوَيْلَ وَالْآسَافَ وَالْأَلْهَافَ

وَأَنْ تَقُولَ لَنْ نَدْعِيَ الْإِسْمَ الَّذِي اسْمُ رَبِّنَا إِذْ نُسَبِّحُكَ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُكَ بِكَرَمِكَ وَأَنْ نَقُولَ لَكَ عِذًّا مُبَرَّئًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَنزَلْنَا فِيهِ الْوَيْلَ وَالْآسَافَ وَالْأَلْهَافَ

وَأَنْ تَقُولَ لَنْ نَدْعِيَ الْإِسْمَ الَّذِي اسْمُ رَبِّنَا إِذْ نُسَبِّحُكَ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُكَ بِكَرَمِكَ وَأَنْ نَقُولَ لَكَ عِذًّا مُبَرَّئًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَنزَلْنَا فِيهِ الْوَيْلَ وَالْآسَافَ وَالْأَلْهَافَ

وَأَنْ تَقُولَ لَنْ نَدْعِيَ الْإِسْمَ الَّذِي اسْمُ رَبِّنَا إِذْ نُسَبِّحُكَ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُكَ بِكَرَمِكَ وَأَنْ نَقُولَ لَكَ عِذًّا مُبَرَّئًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَنزَلْنَا فِيهِ الْوَيْلَ وَالْآسَافَ وَالْأَلْهَافَ

وَأَنْ تَقُولَ لَنْ نَدْعِيَ الْإِسْمَ الَّذِي اسْمُ رَبِّنَا إِذْ نُسَبِّحُكَ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُكَ بِكَرَمِكَ وَأَنْ نَقُولَ لَكَ عِذًّا مُبَرَّئًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَنزَلْنَا فِيهِ الْوَيْلَ وَالْآسَافَ وَالْأَلْهَافَ

كَيْفَ يُؤَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُؤَيَّتِي أُعْجِزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُؤَارِي سَوْءَةَ
 أَخِي، فَأَصِيحُّ مِنَ الْقَدَمِينَ ۗ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
 يَغْتَرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
 النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
 لَكٰسِرُونَ ۝

वल्तु अलैहिम् न-बअब्नै आद-म
 बिल्हविक। इज़् कर्बा कुरबानन्
 फतुकुब्बि-ल मिन् अ-हदिहिमा व
 लम् यु-तकब्बल् मिनल्-आखारि,
 का-ल लअक्तुलन्न-क, का-ल इन्नमा
 य-तकब्बलुल्लाहु मिनल् मुत्तकीन।
 (27) ● ल-इम् बसत्-त इलय्-य
 य-द-क लितक्तु-लनी मा अ-न
 बिबासिति य्-यदि-य इलै-क
 लि-अक्तु-ल-क इन्नी अखाफुल्ला-ह
 रब्बल्-अलमीन (28) इन्नी उरीदु
 अन् तबू-अ बि-इस्मी व इस्मि-क
 फ-तकू-न मिन् अस्हाबिन्नारि व
 जालि-क जजाउज्जालिमीन (29)
 फतव्व-अत् लहू नफ्सुहू कत्-ल
 अखीहि फ-क-त-लहू फ-अस्ब-ह
 मिनल् खासिरीन (30) फ-ब-असल्लाहु
 मुराबय्यब्सु फिल्अर्जि लियुरि-यहू

और सुना उनको वास्तविक हाल आदम के
 दो बेटों का जब नियाज़ की दोनों ने कुछ
 नियाज़ और मकबूल हुई एक की और न
 मकबूल हुई दूसरे की। कहा मैं तुझको
 मार डालूँगा, वह बोला अल्लाह कुबूल
 करता है तो परहेजगारों से। (27) ●
 अगर तू हाथ चलायेगा मुझपर मारने को,
 मैं न हाथ चलाऊँगा तुझपर मारने को, मैं
 डरता हूँ अल्लाह से जो परवर्दियार है सब
 जहानों का। (28) मैं चाहता हूँ कि तू
 हासिल करे मेरा गुनाह और अपना गुनाह
 फिर हो जाये तू दोज़ख वालों में, और
 यही है सजा ज़ालिमों की। (29) फिर
 उसको राज़ी किया उसके नफ़स ने खून
 पर अपने भाई के, फिर उसको मार
 डाला, सो हो गया वह नुक़सान उठाने
 वालों में। (30) फिर भेजा अल्लाह
 तआला ने एक कौआ जो कुरेदता था
 ज़मीन को ताकि उसको दिखाये किस
 तरह छुपाना है लाश अपने भाई की,

कै-फ़ युवारी सौअ-त अख़ीहि,
 का-ल या वै-लता अ-अज़ज़तु अन्
 अकू-न मिस-ल हाज़ल्-गुराबि
 फ़-उवारि-य- सौअ-त अख़ी
 फ़-अस्ब-ह मिनन्नादिमीन (31) मिन्
 अज़्लि ज़ालि-क, कतब्ना अला बनी
 इस्राई-ल अन्नहू मन् क-त-ल
 नफ़सम् बिगैरि नफ़िसन् औ फ़सादिन्
 फ़िल्अर्जि फ़-कअन्नमा क-तलन्ना-स
 जमीअन् व मन् अहयाहा
 फ़-कअन्नमा अह्यन्ना-स जमीअन्,
 व ल-कद् जाअत्हुम् रुसुलुना
 बिल्बयिनाति सुम्-म इन्-न कसीरम्
 मिन्हुम् बअ-द ज़ालि-क फ़िल्अर्जि
 ल-मुस्लिफ़ून (32)

बोला हाय अफ़सोस मुझसे इतना न हो
 सका कि हूँ बराबर उस कौए के, कि मैं
 छुपाऊँ लाश अपने भाई की, फिर लगा
 पछताने। (31) इसी सबब से लिखा हमने
 बनी इस्राईल पर कि जो कोई क़त्ल करे
 एक जान को बिना बदले जान के, या
 बग़ैर फ़साद करने के मुल्क में, तो गोया
 क़त्ल कर डाला उसने सब लोगों को,
 और जिसने जिन्दा रखा एक जान को तो
 गोया जिन्दा कर दिया सब लोगों को,
 और ला चुके हैं उनके पास रसूल हमारे
 खुले हुए हुक्म, बहुत लोग उनमें से इस
 पर भी मुल्क में दस्त-दराज़ी (नाफ़रमानी
 व ज़्यादती) करते हैं। (32)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आप इन अहले किताब को (हज़रत) आदम
 (अलैहिस्सलाम) के दो बेटों का (यानी हाबील व काबील का) किस्सा सही तौर पर पढ़कर
 सुनाइये (ताकि इनका अपने को नेक लोगों के साथ जोड़ने का घमण्ड जाता रहे, जिसका "हम
 अल्लाह के प्यारे हैं" में इज़हार हो रहा है। और यह किस्सा उस वक़्त हुआ था) जबकि दोनों ने
 (अल्लाह तआला के नाम-की) एक-एक नियाज़ पेश की और उनमें से एक की (यानी हाबील
 की) तो मकबूल हो गई और दूसरे की (यानी काबील की) मकबूल न हुई (क्योंकि जिस मामले
 के फैसले के लिये यह नियाज़ घड़ाई गयी थी उसमें हाबील हक़ पर था, इसलिये उसकी नियाज़
 कुबूल हो गयी, और काबील हक़ पर न था उसकी कुबूल न हुई, वरना फिर फैसला न होता,
 बल्कि और धोखा व शक हो जाता। जब) वह दूसरा (यानी काबील उसमें भी हारा तो इल्लाकर)
 कहने लगा कि मैं तुझको ज़रूर क़त्ल करूँगा, उस एक ने (यानी हाबील ने) जवाब दिया (कि
 तेरा हारना तो तेरे ही ग़लत रास्ते पर होने की वजह से है, मेरी क्या ख़ता, क्योंकि) खुदा तआला

मुत्तकियों का ही अमल कुवूल करते हैं (मैंने तो तक्वा इख्तियार किया और खुदा के हुक्म पर रहा, खुदा तअला ने मेरी नियाज कुवूल की, तूने तक्वा छोड़ दिया और खुदा के हुक्म से मुँ मोड़ा, तेरी नियाज कुवूल नहीं की। सो इसमें तेरी ख़ता है या मेरी? इन्साफ़ कर, लेकिन अगर फिर भी तेरा यही इरादा है तो तू जान, मैंने तो पुख़्ता अहद कर लिया है कि) अगर तू मुझ पर मेरे क़त्ल करने के लिए हाथ बढ़ायेगा तब भी मैं तुझ पर तेरे क़त्ल करने के लिए हरगिज़ हाथ डालने वाला नहीं, (क्योंकि) मैं तो खुदा परवर्दिगारे आलम से डरता हूँ (कि इसके बावजूद कि तेरा क़त्ल जायज़ होने का वज़ाहिर एक सबब मौजूद है, यानी यह कि तू मुझको क़त्ल करना चाहता है, मगर इस वजह से कि इस जवाज़ का अब तक किसी दलील व हुक्म से मुझको इला नहीं हुआ इसलिये मैं इस पर अमल करने का एहतियात के खिलाफ़ समझता हूँ। और इस शुब्हे की वजह से खुदा से डरता हूँ और यह हिम्मत तुझी को है कि इसके बावजूद कि कोई ऐसी बात नहीं जिसकी वजह से मेरा क़त्ल किया जाना जायज़ हो, बल्कि एक रुकावट मौजूद है, लेकिन फिर भी तू खुदा से नहीं डरता)।

मैं (यूँ) चाहता हूँ कि (मुझसे कोई गुनाह का काम न हो चाहे तू मुझ पर कितना ही जुल्म क्यों न करे, जिससे कि) तू मेरे गुनाह और अपने गुनाह सब अपने सर रख ले, फिर तू दोख़िख़ों में शामिल हो जाए। और यही सज़ा होती है जुल्म करने वालों की। सो (यूँ तो वह पहले ही मेरे क़त्ल करने का इरादा कर चुका था, जब यह सुना कि यह विरोध भी न करेगा, चाहिये तो यह था कि नर्म पड़ जाता मगर बेफ़िक्र होकर और भी) उसके जी ने उसको अपने भाई के क़त्ल पर आमादा कर दिया, फिर आख़िर उसको क़त्ल ही कर डाला जिससे (कमबख़्त) बड़े नुक़सान उठाने वालों में शामिल हो गया (दुनिया में तो यह नुक़सान कि अपने बाजू की कुव्वत यानी भाई और दिल के चैन को गुम कर बैठा और आख़िरत में यह नुक़सान कि सख़्त अज़ाब में मुब्तला होगा। अब जब क़त्ल से फ़ारिग़ हुआ तो हैरान है कि लाश को क्या करूँ जिससे यह राज़ पोशीदा रहे कुछ समझ में न आया तो) फिर (आख़िर) अल्लाह तअला ने एक कौआ (यहाँ) भेजा कि यह (चोंच और पंजों से) ज़मीन की खोदता था (और खोदकर एक दूसरे कौए को कि वह मरा हुआ था उस गढ़े में ढकेल कर उस पर मिट्टी डालता था) ताकि वह (कौआ) उस (यानी काबील) को तालीम कर दे कि अपने भाई (हावील) की लाश को किस तरीक़े से छुपाए। (काबील यह वाकिआ देखकर अपने जी में बड़ा शर्मिन्दा और ज़लील हुआ कि मुझको कौए के बराबर भी समझ नहीं, और बहुत ज्यादा हसरत से) कहने लगा कि अफ़सोस मेरी हालत पर! क्या मैं इससे भी ग़या-गुज़रा हूँ कि इस कौए ही के बराबर होता और अपने भाई की लाश को छुपा देता। (सो इस बदहली पर) बड़ा शर्मिन्दा हुआ।

इसी (वाकिए की) वजह से (जिससे नाहक क़त्ल की ख़राबियाँ साबित होती हैं) हमने (अल्लाह के अहक़ाम के पाबन्द तमाम लोगों पर उमूमन और) बनी इस्राईल पर (खुसूसन) यह (हुक्म) लिख दिया (यानी मुकरर कर दिया) कि (नाहक क़त्ल करना इतना बड़ा गुनाह है कि) जो शख्स किसी शख्स को बिना दूसरे शख्स के बदले के (जो नाहक क़त्ल किया गया हो) या

बिना किसी (बुराई व) फ़साद के जो ज़मीन में उससे फैला हो (ख़्वाह-मख़्वाह) क़त्ल कर डाले तो (उसको बाज़ एतिबार से ऐसा गुनाह होगा कि) गोया उसने तमाम आदमियों को क़त्ल कर डाला, (यह बाज़ एतिबार यह है कि इस गुनाह का दुस्ताहस किया, खुदा तआला की नाफ़रमानी की, खुदा तआला उससे नाराज़ हुआ, दुनिया में क़त्ल के बदले क़त्ल का पात्र ठहरा, आख़िरत में दोज़ख़ का हक़दार हुआ। ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक-को क़त्ल करो या हज़ार को सब में मुशतरक हैं, यह अलग बात है कि सख़्त और बहुत सख़्त का फ़र्क हो। और ये दो कैदें "यानी शर्तें" इसलिये लगायीं कि कि़सास में क़त्ल करना जायज़ है, इसी तरह क़त्ल जायज़ होने के दूसरे असबाब भी जिसमें रास्ते में लूटमार करना जिसका ज़िक्र आगे आ रहा है, और मुसलमानों के साथ लड़ने वाला काफ़िर जिसका ज़िक्र जिहाद के अहकाम में आ चुका है, सब दाख़िल है, इन सूरतों में क़त्ल करना जायज़ बल्कि कुछ सूरतों में वाजिब है) और (यह भी लिख दिया था कि जैसे नाहक़ क़त्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है इसी तरह किसी को ग़ैर-वाजिब क़त्ल से बचा लेना भी बड़े सवाब का काम है, कि) जो शख़्स किसी शख़्स को बचा ले तो (उसका ऐसा सवाब मिलेगा कि) गोया उसने तमाम आदमियों को बचा लिया। (ग़ैर-वाजिब की कैद इसलिये लगाई कि जिस शख़्स का क़त्ल शर्ई तौर पर वाजिब हो उसकी इमदाद या सिफ़ारिश हराभ है, और इस बचा लेने के मज़मून से भी क़त्ल करने की हद से ज़्यादा बुराई ज़ाहिर हो गयी कि जब बचाना ऐसा अच्छा और पसन्दीदा अमल है तो लाज़िमी तौर पर क़त्ल करना बहुत बुरा और नापसन्दीदा फ़ैल होगा।) और उनके (यानी बनी इस्राईल के) पास (इस मज़मून के लिख देने के बाद) हमारे बहुत-से पैग़म्बर भी (नुबुव्वत की) स्पष्ट दलीलें लेकर आए और वक़्त वक़्त पर इस मज़मून की ताकीद करते रहे) मगर इस (ताकीद व एहतिमाम) के बाद भी उनमें से बहुत-से दुनिया में ज़्यादती करने वाले ही रहे (और उन पर कुछ असर न हुआ, यहाँ तक कि कुछ ने खुद उन नबियों ही को क़त्ल कर दिया)।

मअारिफ़ व मसाईल

हाबील और काबील का किस्सा

इन आयतों में हक़ तआला ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह हिदायत फ़रमाई है कि आप अहले किताब को या पूरी उम्मत को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा सही-सही सुना दीजिए।

कुरआन मजीद पर नज़र रखने वाले जानते हैं कि कुरआने करीम कोई किस्से कहांनी या तारीख़ की किताब नहीं, जिसका मक़सद किसी वाक़िए को अव्वल से आख़िर तक बयान करना हो, लेकिन गुज़रे ज़माने के वाक़िआत और पहले गुज़री कौमों के हालत अपने दामन में बहुत सी इबरतें और नसीहतें रखते हैं, वही तारीख़ की असली रूह है, और उनमें बहुत से हालत व वाक़िआत ऐसे भी होते हैं जिन पर शरीअत के विभिन्न अहकाम की बुनियाद होती है। इन्हीं

फायदों को सामने रखते हुए कुरआने करीम का अन्दाज़ हर जगह यह है कि मौक़े-मौक़े पर वाक़िआ बयान करता है, और अक्सर पूरा वाक़िआ भी एक जगह बयान नहीं करता, बल्कि उसके जितने हिस्से से उस जगह कोई पक़सद जुड़ा होता है उसका वही टुकड़ा वहाँ बयान दिया जाता है।

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का यह किस्सा भी इसी हिक्मत भरे अन्दाज़ नक़ल किया जा रहा है, इसमें मौजूदा और आईन्दा नस्लों के लिये बहुत सी इबर्तें और नसीहें हैं, और उसके अन्तर्गत बहुत से शरई अहक़ाम की तरफ़ इशारा किया गया है।

अब पहले कुरआनी अलफ़ाज़ की व्याख्या और उसके तहत में असल किस्सा देखिये, उसके बाद उससे संबन्धित अहक़ाम व मसाल्ल का बयान होगा।

इससे पहली आयतों में बनी इस्राईल को जिहाद का हुक्म और उसमें उनकी कम-हिम्मत और बुज़दिली का ज़िक्र था, इस किस्से में उसके मुक़ाबले में नाहक़ क़त्ल करने की बुराई और उसकी तबाहकारी का बयान करके कौम को इस एतिदाल (सही राह) पर लाना मक़सूद है कि जिस तरह हक़ की हिमायत और बातिल को मिटाने में क़त्ल व क़िताल से दम चुराना ग़लती है, इसी तरह नाहक़ क़त्ल व क़िताल पर क़दम बढ़ाना दीन व दुनिया की तबाही है।

ऐतिहासिक रिवायतों के नक़ल करने में एहतियात और सच्चाई वाजिब है

पहली आयत में 'इब्ने आद-म' का लफ़ज़ ज़िक्र हुआ है। यूँ तो हर इन्सान, आदमी आदम की औलाद है, हर एक को इब्ने आदम (आदम की औलाद) कहा जा सकता है, लेकिन तफ़सीर के उलेमा की एक बड़ी जमाअत के नज़दीक इस जगह 'इब्ने आद-म' से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो सगे और डायरेक्ट उनकी पुश्त के बेटे मुराद हैं, यानी हाबील व काशील। इन दोनों का किस्सा बयान करने के लिये इरशाद हुआ:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ

यानी इन लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा सही-सही हकीकत के मुताबिक़ सुना दीजिए। इसमें 'बिल्हकिफ़' के लफ़ज़ से तारीख़ी रिवायतों की नक़ल में एक अहम उसूल की तालीम फ़रमाई गयी है कि तारीख़ी रिवायतों के नक़ल करने में बड़ी एहतियात लाज़िम है, जिसमें न कोई झूठ हो न कोई मिलावट और धोखा, और न असल वाक़िए में किसी किसम की तब्दीली या कमी-ज्यादती। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

कुरआने करीम ने सिर्फ़ इसी जगह नहीं बल्कि दूसरे मौक़ों में भी इस उसूल पर कायम रहने की हिदायतें दी हैं। एक जगह इरशाद है:

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ

दूसरी जगह इरशाद है:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ

तीसरी जगह इरशाद है:

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ

इन तमाम मौकों में ऐतिहासिक वाक़िआत के साथ लफ़्ज़ हक़ लाकर इस बात की अहमियत को वाज़ेह किया गया है कि वाक़िआत को नक़ल करने में हक़ और सच्चाई की रियायत लाज़िमी है। रिवायात व हिकायात की बिना पर जिस क़द्र ख़राबियाँ दुनिया में होती हैं उन सब की बुनियाद आम तौर पर वाक़िआत के नक़ल करने में बेएहतियाती होती है। ज़रा सा लफ़्ज़ और उनवान बदल देने से वाक़िआ की हकीकत ही बदल और बिगड़ जाती है। पिछली क़ौमों के धर्म और शरीअतें इसी बेएहतियाती की राह से ज़ाया हो गये, और उनकी मज़हबी किताबें चन्द बेसनद और बेतहकीक कहानियों का मजमूआ बनकर रह गयीं। इस जगह एक लफ़्ज़ "बिल्हक़ि" का इज़ाफ़ा करके इस अहम मक़सद की तरफ़ इशारा फ़रमा दिया गया।

इसके अलावा इसी लफ़्ज़ में कुरआने करीम के मुख़ातब लोगों की इस तरफ़ भी रहनुमाई करना है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो बिना पढ़े-लिखे हैं और हजारों साल पहले के वाक़िआत बिल्कुल सच्चे और सही बयान फ़रमा रहे हैं, तो इसका माध्यम सिवाय अल्लाह की वही और नुबुव्वत के क्या हो सकता है।

इस भूमिका के बाद उन दोनों बेटों का वाक़िआ कुरआने करीम ने यह बयान फ़रमाया:

إِذْ قَرَّبْنَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ

यानी उन दोनों ने अल्लाह तआला के लिये अपनी अपनी कुरबानी पेश की, मगर एक की कुरबानी कुबूल हो गयी और दूसरे की कुबूल न हुई।

लफ़्ज़ कुरबान, अरबी लुग़त के एतिबार से हर उस चीज़ को कहा जाता है जिसको किसी के कुर्ब (निकटता) का ज़रिया बनाया जाये, और शरीअत की इस्तिलाह में उस ज़बीहे वगैरह को कहा जाता है जो अल्लाह तआला की रज़ा और निकटता हासिल करने के लिये किया जाये।

इस कुरबानी के पेश करने का वाक़िआ जो सही और मज़बूत सनदों के साथ मन्कूल है और इब्ने कसीर ने इसको पहले और बाद के उलेमा का मुत्तफ़िका कौल करार दिया है, यह है कि जब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिमस्सलाम दुनिया में आये और बच्चों की पैदाईश व नस्ल बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो हर एक हमल (गर्भ) से उनको दो बच्चे जुड़वाँ पैदा हुए, एक लड़का और दूसरी लड़की। उस वक़्त जबकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सिवाय बहन-भाईयों के कोई और न था, और भाई-बहन का आपस में निकाह नहीं हो सकता, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने उस वक़्त की ज़रूरत के लिहाज़ से आदम अलैहिस्सलाम की शरीअत में यह खुसूसी हुक्म जारी फ़रमा दिया था कि एक हमल (गर्भ और पेट) से जो लड़का और

लड़की पैदा हो वह तो आपस में सगे बहन-भाई समझे जायें, और उनके बीच निकाह हराम करार पाये, लेकिन दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के लिये पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की सगी बहन के हुक्म में नहीं होगी, बल्कि उनके बीच निकाह का रिश्ता जायज़ होगा।

लेकिन हुआ यह कि पहले लड़के काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वह हसीन व जमील थी और दूसरे लड़के हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की बद-शक्ल थी। जब निकाह का वक़्त आया तो दस्तूर के अनुसार हाबील के साथ पैदा होने वाली बद-शक्ल लड़की काबील के हिस्से में आई, इस पर काबील नाराज़ होकर हाबील का दुश्मन हो गया और यह ज़िद करने लगा कि मेरे साथ जो लड़की पैदा हुई है वही मेरे निकाह में दी जाये। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई कायदे के मुवाफ़िक़ इसको कुबूल न फ़रमाया और हाबील व काबील के बीच के विवाद को दूर करने के लिये यह सूरात तजवीज़ फ़रमाई कि तुम दोनों अपनी-अपनी क़ुरबानी अल्लाह के लिये पेश करो, जिसकी क़ुरबानी कुबूल हो जायेगी यह लड़की उसको दी जायेगी। क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यकीन था कि क़ुरबानी उसी की कुबूल होगी जिसका हक़ है, यानी हाबील की।

उस ज़माने में क़ुरबानी कुबूल होने की एक वाज़ेह और खुली हुई निशानी यह थी कि आसमान से एक आग आती और क़ुरबानी को खा जाती थी, और जिस क़ुरबानी को आग न खाये तो यह उसके नामकुबूल होने की निशानी होती थी।

अब सूरात यह पेश आई कि हाबील के पास भेड़-बकरियाँ थीं, उसने एक उम्दा टुंबे की क़ुरबानी की। काबील किसान आदमी था, उसने कुछ ग़ल्ला, गन्दुम वगैरह क़ुरबानी के लिये पेश किया, और हुआ यह कि दस्तूर के मुताबिक़ आसमान से आग आई, हाबील की क़ुरबानी को खा गयी और काबील की क़ुरबानी ज्यों-की-त्यों पड़ी रह गयी। इसी पर काबील को अपनी नाकामी के साथ रुस्वाई का गुम व गुस्सा और बढ़ गया तो उससे रहा न गया और खुले तौर पर अपने भाई से कह दिया:

لَا أَقْبَلُكَ

यानी मैं तुझे क़त्ल कर डालूँगा।

हाबील ने उस वक़्त भी गुस्से की बात का जवाब गुस्से के साथ देने के बजाय एक ठण्डी और उसूली बात कही, जिसमें उसकी हमदर्दी व खैरख्वाही भी थी कि:

إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

यानी "अल्लाह तआला का दस्तूर यही है कि मुत्तकी परहेज़गार का अमल कुबूल फ़रमाया करते हैं।"

अगर तुम तक्वा व परहेज़गारी इख़्तियार करते तो तुम्हारी क़ुरबानी भी कुबूल होती, तुमने ऐसा नहीं किया तो क़ुरबानी कुबूल न हुई, इसमें मेरा क्या क़सूर है?

इस कलाम में हासिद (जलने वाले) के हसद का इलाज भी ज़िक्र कर दिया गया है कि

हासिल को जब यह नज़र आये कि किसी शख्स को अल्लाह तआला ने कोई खास नेमत अता फ़रमाई है जो उसको हासिल नहीं, तो उसको चाहिये कि अपनी मेहरुमी को अपनी अमली कोताही और गुनाहों के सबब से समझकर उनसे तौबा करने की फ़िक्र करे, न यह कि दूसरे से उस नेमत के छिन जाने की फ़िक्र में पड़ जाये। क्योंकि यह उसके फ़ायदे के बजाय नुक़सान का सबब है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ मक़बूलियत का मदार तक़वे पर है। (तफ़सीरे मज़हरी)

अमल के कुबूल होने का मदार इख़्तास और परहेज़गारी पर है

यहाँ हाबील व काबील की आपसी गुफ़्तगू में एक ऐसा जुमला आ गया जो एक अहम उसूल की हैसियत रखता है, कि आमाल व इबादात की कुबूलियत तक़वे और खौफ़े खुदा पर मौक़ूफ़ है। जिसमें तक़वा (अल्लाह का डर और परहेज़गारी) नहीं उसका अमल मक़बूल नहीं। इसी वजह से पहले बुजुर्गों व उलेमा ने फ़रमाया है कि यह आयत इबादात गुज़ारों और अमल करने वालों के लिये बड़ी चेतावनी है। यही वजह थी कि हज़रत आमिर बिन अब्दुल्लाह अपनी यफ़ात के वक़्त रो रहे थे, लोगों ने अर्ज़ किया कि आप तो उग्रभर नेक आमाल और इबादातों में मशगूल रहे, फिर रोने की क्या वजह है? फ़रमाया तुम यह कहते हो और मेरे कानों में अल्लाह तआला का यह इरशाद गूँज रहा है:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

मुझे कुछ मालूम नहीं कि मेरी कोई इबादात कुबूल भी होगी या नहीं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि अगर मुझे यह यकीन हो जाये कि मेरा कोई अमल अल्लाह तआला ने कुबूल फ़रमा लिया तो यह वह नेमत है कि सारी ज़मीन सोना बनकर अपने कब्जे में आ जाये तो भी उसके मुक़ाबले में कुछ न समझूँ।

इसी तरह हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि अगर यह बात यकीनी तौर पर तय हो जाये कि मेरी एक नमाज़ अल्लाह तआला के नज़दीक कुबूल हो गयी तो मेरे लिये वह सारी दुनिया और इसकी नेमतों से ज़्यादा है।

हज़रत उमर बिन अब्दुल-अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक शख्स को ख़त में ये नसीहतें लिखीं कि:

“मैं तुझे तक़वे की ताकीद करता हूँ जिसके बग़ैर कोई अमल कुबूल नहीं होता, और तक़वे वालों के सिवा किसी पर रहम नहीं किया जाता, और उसके बग़ैर किसी चीज़ पर सहाब नहीं मिलता। इस बात का वज़ह कहने (बयान करने) वाले तो बहुत हैं मगर अमल करने वाले बहुत कम हैं।”

और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि तक़वे के साथ कोई छोटा सा

अमल भी छोटा नहीं है, और जो अमल मकबूल हो जाये वह छोटा कैसे कहा जा सकता है।

(तफ़सीर इब्ने कसीर)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا
عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

इन्ना जज़ाउल्लाज़ी-न युहारिबूनल्ला-ह
व रसूलहू व यस्औ-न फ़िल्अर्ज़ि
फ़सादन् अय्युकत्तलू औ युसल्लबू
औ तुकत्त-अ ऐदीहिम् व अर्जुलुहुम्
मिन् ख़िलाफिन् औ युन्फौ मिनल्-
अर्ज़ि, ज़ालि-क लहुम् ख़िज़युन्
फिददुन्या व लहुम् फ़िल्-आख़िरति
अज़ाबुन् अज़ीम (33) इल्लल्लाज़ी-न
ताबू मिन् कब्बि अन् तकिदरू
अलैहिम् फ़अलमू अन्नल्ला-ह
ग़फ़ूर-रहीम (34) ❀

यही सज़ा है उनकी जो लड़ते हैं अल्लाह
से और उसके रसूल से, और दौड़ते हैं
मुल्क में फ़साद करने को, कि उनको
कल्ल किया जाये या सूली चढ़ाये जायें या
काटे जायें उनके हाथ और पाँव विपरीत
दिशा से, या दूर कर दिये जायें इस जगह
से, यह उनकी रुस्वाई है दुनिया में, और
उनके लिये आख़िरत में बड़ा अज़ाब है।
(33) मगर बिन्होंने तौबा की तुम्हारे
काबू पाने से पहले तो जान लो कि
अल्लाह तआला बख़्शने वाला मेहरबान
है। (34) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जुर्म व सज़ा के चन्द कुरआनी नियम

जो लोग अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम) से लड़ते हैं और (इसे
लड़ने का मतलब यह है कि) मुल्क में फ़साद (यानी अशांति) फैलाते फिरते हैं (मुराद इसका
रास्तों की लूट-पाट यानी डकैती है, ऐसे शख्स पर जिसको अल्लाह ने शरई कानून से जिसका
इज़हार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के ज़रिये से हुआ है अमन दिया हो, यानी
मुसलमान पर और जिम्मी पर और इसी लिये इसको अल्लाह और रसूल से लड़ना कहा गया है,
कि उसने अल्लाह के दिये हुए अमन को तोड़ा, और चूँकि रसूल के ज़रिये से इसका ज़हूर हुआ

इसलिये रसूल का ताल्लुक भी बड़ा दिया। गर्ज कि जो लोग ऐसी हरकत करते हैं उनकी यही सजा है कि (एक हालत में तो) कत्ल किए जाएँ (यह हालत यह है कि उन रास्ते में लूटने वालों ने किसी को सिर्फ कत्ल किया हो और माल लेने की नौबत न आई हो) या (अगर दूसरी हालत हुई हो तो) सूली दिए जाएँ (यह वह हालत है कि उन्होंने माल भी लिया हो और कत्ल भी किया हो) या (अगर तीसरी हालत हुई हो तो) उनके हाथ और पाँव विपरीत दिशा से (यानी दाहिना हाथ और बायाँ पाँव) काट दिए जाएँ (यह वह हालत है कि सिर्फ माल लिया और कत्ल न किया हो) या (अगर चौथी हालत हुई हो तो) ज़मीन पर (आजादाना आबाद रहने) से निकाल (कर जेल में भेज) दिए जाएँ (यह वह हालत है कि न माल लिया हो न कत्ल किया हो, इरादा करने के बाद ही गिरफ्तार हो गये हों)। यह (बयान हुई सजा तो) उनके लिए दुनिया में सख्त रुस्वाई (और जिल्लत) है, और उनको आखिरत में (जो) बड़ा अज़ाब होगा (सो अलग)।

हाँ मगर जो लोग इससे पहले कि तुम उनको गिरफ्तार करो तौबा कर लें तो (इस हालत में) जान लो कि बेशक अल्लाह तआला (अपने हुक्क) बख्श देंगे (और तौबा कुबूल करने में) मेहरबानी फरमा देंगे। (मतलब यह कि ऊपर जो सजा बयान हुई है वह सजा और अल्लाह के हक्क के तौर पर है जो कि बन्दे के माफ़ करने से माफ़ नहीं होती, कितास और बन्दे के हक्क के तौर पर नहीं जो कि बन्दे के माफ़ करने से माफ़ हो जाता है। पस जबकि गिरफ्तारी से पहले उन लोगों का तौबा करने वाला होना साबित हो जाये तो सजा खत्म हो जायेगी, जो कि अल्लाह का हक्क था, अलबत्ता बन्दे का हक्क बाकी रहेगा। पस अगर माल लिया होगा तो उसका जिमान देना होगा, और अगर कत्ल किया होगा तो उसका कितास लिया जायेगा, लेकिन इस जिमान व कितास के माफ़ करने का हक्क माल वाले और कत्ल किये गये शख्स के वली को हासिल होगा)।

मआरिफ़ व मसाइल

कुरआनी क़वानीन का अजीब व ग़रीब क्रांतिकारी अन्दाज़

पहली आयतों में हाबील के कत्ल होने का वाकिआ और उसका ज़बरदस्त जुर्म होना जिक्र हुआ था, अब बयान हुई आयतों में और इनके बाद कत्ल व ग़ारतगरी, डाका डालने और चोरी की शरई सजाओं का बयान है। डाके और चोरी की सजाओं के बीच ख़ौफ़े खुदा और नेक काम करने के ज़रिये उसकी सजा व निकटता हासिल करने की हिदायत है। कुरआने करीम का यह अन्दाज़ बहुत ही लतीफ़ तरीके पर जेहनी इन्क़िलाब पैदा करने वाला है, कि वह दुनिया की सजाओं की किताबों की तरह सिर्फ़ जुर्म व सजा के बयान पर बस नहीं करता, बल्कि हर जुर्म व सजा के साथ ख़ौफ़े खुदा और आखिरत को याद दिला कर इन्सान का रुख़ एक ऐसे आलम की तरफ़ मोड़ देता है जिसका तराव्वुर उसको हर ऐब व गुनाह से पाक कर देता है। और अगर हालात व वाकिआत पर गौर किया जाये तो साबित होगा कि खुदा व आखिरत के डर के बग़ैर

दुनिया का कोई कानून, पुलिस और फौज दुनिया में अपराधों की रोक-थाम की शक्ति रखती। कुरआन करीम का यही अन्दाज़ हकीमाना और मुरबिबयाना है, जिसने शरीफ़ इन्क़िलाब (क्रांति) बरपा किया, और ऐसे इंसानों का एक समाज पैदा किया जो पाकीज़गी व पवित्रता में फ़रिश्तों से भी ऊँचा मक़ाम रखते हैं।

शरई सज़ाओं की तीन किस्में

डक़े और चोरी की शरई सज़ायें जिनका जिक्र उक्त आयतों में है, उनकी तफ़्सील संबंधित आयतों की तफ़्सीर बयान करने से पहले मुनासिब है कि इन सज़ाओं से संदर्भ इस्तिलाहों (परिभाषाओं) की कुछ बज़ाहत कर दी जाये जिनसे अज्ञानता की वजह से से लिखे-पढ़े लोगों को भी शुद्धता पेश आते हैं। दुनिया के आम क़वानीन में अपराधों का सज़ाओं को मुतलक़ तौर पर ताज़ीरात का नाम दिया जाता है, चाहे वह किसी जुर्म से संबन्धित हो। ताज़ीराते हिन्द, ताज़ीराते पाकिस्तान वगैरह के नामों से जो किताबें प्रकाशित हो रही हैं, हर किस्म के अपराधों और हर तरह की सज़ाओं पर आधारित हैं। लेकिन इस्लामी शराअत सामला ऐसा नहीं, बल्कि अपराध की सज़ाओं की तीन किस्में करार दी गयीं।

1. हुदूद। 2. कि़सास। 3. ताज़ीरात।

इन तीनों किस्मों की परिभाषा और मुतलब समझने से पहले यह बात जान लेना ज़रूरी है कि जिन अपराधों से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ या नुक़सान पहुँचता है उसमें मख़्लूक भी जुल्म होता है और ख़ालिफ़ की भी नाफ़रमानी होती है, इसलिये हर ऐसे जुर्म में अल्लाह का हक़ और बन्दे का हक़ दोनों शामिल होते हैं, और इंसान दोनों का मुजरिम बनता है।

लेकिन कुछ जुर्मों में बन्दे के हक़ की हैसियत को ज़्यादा अहमियत हासिल है, और कुछ अल्लाह के हक़ की हैसियत ज़्यादा ज़ाहिर है, और अहक़ाम में कामों का मदार इसी हैसियत पर रखा गया है।

दूसरी बात यह जानना ज़रूरी है कि इस्लामी शरीअत ने ख़ास-ख़ास अपराधों के अलावा बाकी ज़राईम की सज़ाओं के लिये कोई पैमाना मुतय्यन नहीं किया, बल्कि काज़ी के इख़्तियार दिया है कि हर ज़माने, हर जगह और हर माहौल के लिहाज़ से जैसी और जितनी सज़ा जुर्म को रोकने के लिये ज़रूरी समझे वह जारी करे। यह भी जायज़ है कि हर जगह और हर ज़माने में इस्लामी हुकूमत शरई नियमों का लिहाज़ रखते हुए काज़ियों के इख़्तियारात पर कोई पाबन्दी लगाये और ज़राईम की सज़ाओं का कोई ख़ास पैमाना बनाकर उसका पाबन्द कर दे, जैसा बाद के ज़मानों में ऐसा होता रहा है, और इस वक़्त तमाम मुल्कों में त़क़रीबन यही सूरत (प्रचलित और जारी) है।

अब समझिये कि जिन ज़राईम (अपराधों) की कोई सज़ा कुरआन व हदीस ने मुतय्यन की बल्कि अमीर व हाकिम की राय पर रखा है, उन सज़ाओं को शरई इस्तिलाह में "ताज़ीरात" कहा जाता है, और जिन ज़राईम की सज़ायें कुरआन व सुन्नत ने मुतय्यन कर दी हैं वे दो किस्म

पर हैं- एक वो जिनमें अल्लाह के हक को गालिब करार दिया गया है उनकी सज़ा को "हद" कहा जाता है, जिसकी जमा "हुदूद" है। दूसरे वह जिनमें बन्दे के हक को शरई तालीम के मुताबिक गालिब माना गया है, उसकी सज़ा को "किसास" कहा जाता है। कुरआने करीम ने हुदूद व किसास का बयान पूरी तफ़्सील व तशरीह के साथ खुद कर दिया है, बाकी ताज़ीरी ज़राईम की तफ़्सीलतात को रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और वक़्त के हाकिमों की राय पर छोड़ दिया है कि वे जो बेहतर समझें इस बारे में फैसला करें।

खुलासा यह है कि कुरआने करीम ने जिन ज़राईम (अपराधों) की सज़ा को अल्लाह के हक के तौर पर मुतयन करके जारी किया है उनको हुदूद कहते हैं, और जिनको बन्दे के हक के तौर पर जारी फ़रमाया है उनको किसास कहते हैं, और जिन ज़राईम की सज़ा का निर्धारण नहीं फ़रमाया उसको ताज़ीर कहते हैं। सज़ा की इन तीनों किस्मों के अहकाम बहुत सी चीज़ों में अलग-अलग हैं, जो लोग अपने उर्फ़ में आम बोल-चाल की बिना पर हर जुर्म की सज़ा को ताज़ीर कहते हैं और शरई इस्तिलाहों के फ़र्क पर नज़र नहीं करते उनको शरई अहकाम में बहुत ज्यादा धोखे और शुब्हात पेश आते हैं।

ताज़ीरी सज़ायें हालात के मातहत हल्की से हल्की भी की जा सकती हैं, सख़्त से सख़्त भी और माफ़ भी की जा सकती हैं। उनमें हाकिमों के इख़्तियारात बहुत विस्तृत हैं, और हुदूद में किसी हुकूमत या किसी हाकिम व अमीर को अदना तब्दीली या कमी-बेशी की इजाज़त नहीं है, और न वक़्त और जगह के बदलने का उन पर कोई असर पड़ता है। न किसी अमीर व हाकिम को उसके माफ़ करने का हक़ है। इस्लामी शरीअत में हुदूद सिर्फ़ पाँच हैं- डाका, चोरी, जिना, जिना की तोहमत की सज़ायें। ये सज़ायें कुरआने करीम में स्पष्ट बयान हुई हैं। पाँचवीं शराब पीने की सज़ा है, जो सल्लबा-ए-किराम की सर्वसम्पत्ति से साबित हुई है। इस तरह कुल पाँच ज़राईम की सज़ायें निर्धारित हो गयीं, जिनको "हुदूद" कहा जाता है। (1)

ये सज़ायें जिस तरह कोई हाकिम व अमीर कम या माफ़ नहीं कर सकता, इसी तरह तौबा कर लेने से भी दुनियावी सज़ा के हक़ में माफ़ी नहीं होती, हाँ आख़िरत का गुनाह सच्ची तौबा से माफ़ होकर वहाँ का खाता बेबाक़ हो जाता है। इनमें से सिर्फ़ डाके की सज़ा में एक सूस्त हुक्म से बाहर यह है कि डाकू अगर गिरफ़्तारी से पहले तौबा करे और मामलात से उसकी तौबा पर इल्मीनान हो जाये तो भी यह हद उससे ख़त्म हो जायेगी। गिरफ़्तारी के बाद की तौबा मोतबर नहीं। इसके अलावा दूसरी हुदूद तौबा से भी दुनिया के हक़ में माफ़ नहीं होतीं, चाहे यह तौबा गिरफ़्तारी से पहले हो या बाद में। तमाम ताज़ीरी अपराधों में हक़ के मुवाफ़िक सिफ़ारिशें सुनी जा सकती हैं, अल्लाह की हुदूद में सिफ़ारिश करना भी जायज़ नहीं, और उनका सुनना भी जायज़ नहीं। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसकी सख़्त मनाही फ़रमाई है। हुदूद की सज़ायें आम तौर पर सख़्त हैं, और उनके लागू और जारी करने का कानून भी सख़्त है, कि

(1) इतिदाद (यानी इस्लाम लाने के बाद उससे फिर जाने और कुफ़्र में दाख़िल हो जाने) की सज़ा को मिलाकर अक्सर फुकहा ने हुदूद की तायदाद छह बयान की है। मुहम्मद तक़ी उस्मानी 1.1.1423 हिजरी

उनमें किसी को किसी कमी-बेशी की किसी हाल में इजाजत नहीं, न कोई उनको माफ कर सकता है, जहाँ सज़ा और क़ानून की यह सख़्ती रखी गयी है वहीं मामले को मोतदिल (नॉमली) करने के लिये अपराध के पूरा करने और अपराध के सुबूत के पूरी तरह हासिल होने के लिये शर्तें भी बहुत ही कड़ी रखी गयी हैं। उन शर्तों में से कोई एक शर्त भी न पाई जाये तो हद (सज़ा) जारी नहीं होगी, बल्कि मामूली सा शुब्हा भी सुबूत में पाया जाये तो हद ख़त्म हो जाती है। इस बारे में इस्लाम का तयशुदा क़ानून यह है:

الْحُدُودُ تَنْذِرٌ بِالْأَشْيَاءِ

यानी हुदूद (सज़ाओं) को मामूली शुब्हे से ख़त्म और निरस्त कर दिया जाता है।

यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि जिन सूरतों में शरई सज़ा किसी शुब्हे या किसी शर्त की कमी की वजह से जारी न की जाये तो यह ज़रूरी नहीं कि मुजरिम को खुली छूट मिल जाये जिससे उसको जुर्म पर और जुरत पैदा हो, बल्कि हाकिम उसके हाल के मुनासिब उसको तान्ज़िरी सज़ा देगा, और शरीअत की ताज़ीरी सज़ायें भी उमूमन बढ़नी और जिस्मानी सज़ायें हैं, जिन्हें सबक लेने वाली होने की वजह से अपराधों की रोक-थाम का मुकम्मल इन्तिज़ाम है। कीजिए कि ज़िना के सुबूत पर सिर्फ़ तीन गवाह मिले, और गवाह मोतबर और सही हैं जिन पर झूठ का शुब्हा नहीं हो सकता, मगर शरई क़ानून के हिसाब से चौथा गवाह न होने की वजह से उस पर शरई सज़ा जारी नहीं होगी, लेकिन इसके यह मायने नहीं कि उसको खुली छूट दे दी जाये, बल्कि हाकिमे वक़्त उसको मुनासिब ताज़ीरी सज़ा देगा जो कोड़े लगाने की सूरत में हो या चोरी के सुबूत के लिये जो शर्तें मुकरर हैं उनमें कोई कमी या शुब्हा पैदा होने की वजह से उस पर शरई सज़ा हाथ काटने की जारी नहीं हो सकती, तो इसका यह मतलब नहीं कि बिल्कुल आज़ाद हो गया, बल्कि उसको दूसरी ताज़ीरी सज़ायें उसकी हालत के मुताबिक दी जायेंगी।

क़िसास की सज़ा भी हुदूद की तरह कुरआन में मुतैयन है, कि जान के बदले में जान जाये, ज़ख़्मों के बदले में उसके जैसे ज़ख़्म की सज़ा दी जाये। लेकिन फ़र्क यह है कि हुदूद अल्लाह के हक़ की हैसियत से नाफ़िज़ किया गया है, अगर हक़ वाला इन्सान माफ़ भी व चाहे तो माफ़ न होगा, और सज़ा ख़त्म न होगी। मंसलन जिसका माल चोरी किया है वह भी कर दे तो चोरी की शरई सज़ा माफ़ न होगी, बख़िलाफ़ क़िसास के कि इसमें बन्दे का होने की हैसियत को कुरआन व सुन्नत ने ग़ालिब करार दिया है, यही वजह है कि क़ातिल क़त्ल का जुर्म साबित हो जाने के बाद उसको मक्तूल (क़त्ल होने वाले) के बली के हवाले दिया जाता है, वह चाहे तो क़िसास ले ले और उसको क़त्ल करा दे, और चाहे माफ़ कर दे।

इसी तरह ज़ख़्मों के क़िसास का भी यही हाल है। यह बात आप पहले जान चुके हैं हुदूद या क़िसास के जारी न होने से यह लाज़िम नहीं आता कि मुजरिम को खुली छूट मिल जाये बल्कि हाकिमे वक़्त ताज़ीरी सज़ा जितनी और जैसी मुनासिब समझे दे सकता है। इसलिये

शुक्का न होना चाहिये कि अगर खून के मुजरिम को मक्तूल के वारिसों के माफ़ करने पर ज़ेद दिया जाये तो कातिलों की जुरत बढ़ जायेगी, और कत्ल की वारदात आम हो जायेंगी, क्योंकि उस शख्त की जान लेना तो मक्तूल के वली-वारिस का हक था, वह उसने माफ़ कर दिया, लेकिन दूसरे लोगों की जानों की हिफ़ाज़त हुक्मत का हक है, वह इस हक की सुरक्षा के लिये उसको उग्रकैद की या दूसरी किस्य की सज़ायें देकर इस ख़तरे की रोकथाम कर सकती है।

यहाँ तक शरई सज़ाओं- हुदूद, किसास, और ताज़ीरात की शरई इस्तिलाहों और उनसे संबन्धित ज़रूरी मालूमात का बयान हुआ, अब इनके मुताल्लिक आयतों की तफ़सीर और हुदूद की तफ़सील देखिये। पहली आयत में उन लोगों की सज़ा का बयान है जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ जंग व मुक़ाबला करते हैं, और ज़मीन में फ़साद मचाते हैं।

यहाँ पहली बात काबिले ग़ौर यह है कि अल्लाह व रसूल के साथ लड़ाई व मुक़ाबला और ज़मीन में फ़साद का क्या मतलब है, और कौन लोग इसके मिस्दाक हैं। लफ़ज़ "मुहारबा" हर्ब से लिया गया है और इसके असली मायने सत्ब करने और छीन लेने के हैं, और मुहावरों में यह लफ़ज़ सलम् के मुक़ाबले में इस्तेमाल होता है, जिसके मायने अमन और सलामती के हैं। तो मालूम हुआ कि हर्ब का मफ़हूम बद-अमनी (अशांति) फैलाना है। और ज़ाहिर है कि इक्का इक्का चोरी या कत्ल व ग़ारतगरी से सार्वजनिक शांति सत्ब नहीं होती, बल्कि यह सूरत तभी होती है जबकि कोई ताक़तवर जमाअत रास्तों की लूट-मार और कत्ल व ग़ारतगरी पर खड़ी हो गये। इसी लिये हज़रते फ़ुक़हा (दीनी मस्राईल के माहिर उलेमा) ने इस सज़ा का मुस्तहिक़ सिर्फ़ जमाअत या व्यक्ति को करार दिया है जो हथियार बन्द होकर अ़वाम पर डाके डाले, और हुक्मत के क़ानून को कुव्वत के साथ तोड़ना चाहे, जिसको दूसरे लफ़्ज़ों में डाकू या बागी कहा जा सकता है। आम व्यक्तिगत ज़राईम करने वाले चोर, जेब-कतरे वगैरह इसमें दाख़िल नहीं हैं।

(तफ़सीरे मज़हरी)

दूसरी बात यहाँ यह काबिले ग़ौर है कि इस आयत में मुहारबे (लड़ने और मुक़ाबला करने) को अल्लाह और रसूल की तरफ़ मन्सूब किया है, हालाँकि डाकू या बगावत करने वाले जो मुक़ाबला या लड़ाई करते हैं वह इनसानों के साथ होता है। वजह यह है कि कोई ताक़तवर जमाअत जब ताक़त के साथ अल्लाह और उसके रसूल के क़ानून को तोड़ना चाहे तो अगरचे पहिले में उसका मुक़ाबला अ़वाम और इनसानों के साथ होता है लेकिन वास्तव में उसकी जंग हुक्मत के साथ है, और इस्लामी हुक्मत में जब क़ानून अल्लाह और रसूल का नाफ़िज़ हो तो मुहारबा (जंग) भी अल्लाह व रसूल ही के मुक़ाबले में कहा जायेगा।

खुलासा यह है कि पहली आयत में जिस सज़ा का ज़िक्र है यह उन डाकूओं और बागियों को आयद होती है जो सामूहिक कुव्वत के साथ हमला करें, सार्वजनिक अमन को बरबाद करें, हुक्मत के क़ानून को खुल्लम-खुल्ला तोड़ने की कोशिश करें। और ज़ाहिर है कि इसकी ज़रूरी सूरतें हो सकती हैं- माल लूटने, आबरू पर हमला करने से लेकर कत्ल व खून बहाने तक सब इसके मफ़हूम में शामिल हैं। इसी से मुक़ाबला और मुहारबा में फ़र्क मालूम हो गया कि

लफ़्ज़ मुकातला खूँ बहने वाली लड़ाई के लिये बोला जाता है अगरचे कोई कत्ल हो या न हो, और चाहे ज़िमनन् माल भी लूटा जाये, और लफ़्ज़ मुहारबा ताक़त के साथ बद-अमनी फैलाने और सलामती को तबाह करने के मायने में है। इसी लिये यह लफ़्ज़ सामूहिक ताक़त के साथ अ़वाम की जान व माल और आबरू में से किसी चीज़ पर हाथ डालने के लिये इस्तेमाल होता है, जिसको रास्ते की लूट-पाट, डाक़े और बगावत से ताबीर किया जाता है।

इस जुर्म की सज़ा कुरआने करीम ने खुद मुतयन फ़रमा दी और अल्लाह के हक़ यानी सरकारी जुर्म के तौर पर नाफ़िज़ किया, जिसको शरीअत की इस्तिलाह में हद कहा जाता है। अब सुनिये कि डाका और रहज़नी (रास्ते में लूट-पाट करने) की शरई सज़ा क्या है। ज़िक्र हुई आयत में रहज़नी की चार सज़ायें बयान हुई हैं:

أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يَصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

“यानी उनको कत्ल किया जाये या सूली चढ़ाया जाये या उनके हाथ और पाँव विपरीत दिशाओं से काट दिये जायें या उनको ज़मीन से निकाल दिया जाये।”

इनमें से पहली तीन सज़ाओं में मुबालग़े का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया जो किसी काम के बार-बार करने और सख़्ती पर दलालत करता है। इसमें बहुवचन का कलिमा इस्तेमाल फ़रमा कर इस तरफ़ भी इशारा फ़रमा दिया कि उनका कत्ल करना या सूली चढ़ाना या हाथ पाँव काटना आम सज़ाओं की तरह नहीं कि जिस फ़र्द (व्यक्ति) पर जुर्म साबित हो सिर्फ़ उसी फ़र्द पर सज़ा जारी की जाये, बल्कि यह जुर्म जमाअत में से एक फ़र्द से भी सादिर हो गया तो पूरी जमाअत को कत्ल या सूली, या हाथ पाँव काटने की सज़ा दी जायेगी।

साथ ही इस तरफ़ भी इशारा कर दिया गया कि यह कत्ल और सूली चढ़ाना वगैरह किसास (बदले) के तौर पर नहीं, कि कत्ल होने वाले के वारिसों के माफ़ कर देने से माफ़ हो जाये, बल्कि यह शरई हद (सज़ा) अल्लाह के हक़ की हैसियत के नाफ़िज़ की गयी है। जिन लोगों को नुक़सान पहुँचा है ये माफ़ भी कर दें तो भी शरई तौर पर सज़ा माफ़ न होगी। ये दोनों हुक्म मुबालग़े का कलिमा ज़िक्र करने से मालूम हुए। (तफ़सीरे मज़हरी वगैरह)

रहज़नी (रास्ते में लूट-पाट करने) की ये चार सज़ायें हर्फ़ “औ” (या) के साथ ज़िक्र की गयी हैं, जो चन्द चीज़ों में इख़्तियार देने के लिये भी इस्तेमाल किया जाता है, और काम की तक़सीम के लिये भी। इसी लिये उस्मत के उलेमा, सहाबा और ताबिईन की एक जमाअत हर्फ़ “औ” को इख़्तियार देने के लिये करार देकर इस तरफ़ गई है कि इन चार सज़ाओं में इमाम व हाकिम को शरअन् इख़्तियार दिया गया है कि डाकुओं की ताक़त व दबदबे और ज़राईम के हल्का या भारी होने पर नज़र करके उनके हाल के मुताबिक़ ये चारों सज़ायें या इनमें से कोई एक जारी करे।

हज़रत सईद बिन मुसैयब, हज़रत अता, हज़रत दाऊद, हज़रत हसन बसरी, हज़रत ज़ह्राक, हज़रत इब्राहीम नख़ई, इमाम मुजाहिद और चारों इमामों में से इमाम मालिक रह. का यही

मजहब है। और इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल रह. और सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम व ताबिईन की एक जमाअत ने हर्फ "औ" को इस जगह काम की तकसीम के मायने में लेकर आयत का मफहूम यह करार दिया कि रहजनों और रहजनी के विभिन्न हालात पर विभिन्न सजायें मुकरर हैं। इसकी ताईद एक हदीस से भी होती है जिसमें हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अबू बरदा असलमी से सुलह का समझौता फरमाया था, मगर उसने अहद का उल्लंघन किया और कुछ लोग मुसलमान होने के लिये मदीना तय्यिबा आ रहे थे, उन पर डाका डाला। इस बाकिए में हजरत जिब्रीले अमीन सजा का यह हुक्म लेकर नाज़िल हुए कि जिस शख्स ने किसी को कत्ल भी किया और माल भी लूटा उसको सूली चढ़ाया जाये, और जिसने सिर्फ कत्ल किया माल नहीं लूटा उसको कत्ल किया जाये, और जिसने कोई कत्ल नहीं किया सिर्फ माल लूटा है उसके हाथ-पाँव विपरीत दिशाओं से काट दिये जायें। और जो उनमें से मुसलमान हो जाये उसका जुर्म माफ़ कर दिया जाये, और जिसने कत्ल व गारतगरी कुछ नहीं किया सिर्फ लोगों को डराया जिससे आम शांति में खलल पड़ा उसको देस निकाला दिया जाये। अगर उन लोगों ने दारुल-इस्लाम (इस्लामी हुक्मत) के किसी मुस्लिम या गैर-मुस्लिम नागरिक को कत्ल किया है मगर माल नहीं लूटा तो उनकी सजा यह है उन सब को कत्ल कर दिया जाये। अगरचे कत्ल करने का फेल अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ कुछ अफ़राद से सादिर हुआ हो। और अगर किसी को कत्ल भी किया, माल भी लूटा तो उनकी सजा यह है कि उनको सूली चढ़ाया जाये, जिसकी सूरत यह है कि उनको जिन्दा सूली पर लटकाया जाये, फिर नेजे वगैरह से पेट फाड़ दिया जाये। और अगर उन लोगों ने सिर्फ माल लूटा है किसी को कत्ल नहीं किया तो उनकी सजा यह है कि उनके दाहिने हाथ गट्टों पर से और बायें पाँव टख़्नों पर से काट दिये जायें, और इसमें भी यह माल लूटने का अमल डायरेक्ट तौर पर अगरचे कुछ अफ़राद से सादिर हुआ हो, मगर सजा सबके लिये यही होगी। क्योंकि करने वालों ने जो कुछ किया है अपने साथियों के सहयोग और मदद के भरोसे पर किया है, इसलिये सब के सब जुर्म में शरीक हैं। और अगर अभी तक कत्ल व गारतगरी का कोई जुर्म उनसे सादिर नहीं हुआ था कि पहले ही गिरफ़्तार कर लिये गये तो उनकी सजा यह है कि उनको ज़मीन से निकाल दिया जाये।

ज़मीन से निकालने का मफहूम उलेमा की एक जमाअत के नज़दीक यह है कि उनको दारुल-इस्लाम (इस्लामी हुक्मत की सरहदों) से निकाल दिया जाये। और कुछ हज़रात के नज़दीक यह है कि जिस जगह पर डाका डाला है वहाँ से निकाल दिया जाये। हज़रत फारुके आजम रजियल्लाहु अन्हु ने इस किस्म के मामलात में यह फैसला फरमाया कि अगर मुजरिम को यहाँ से निकालकर दूसरे शहरों में आजाद छोड़ दिया जाये तो वहाँ के लोगों को सतायेगा, इसलिये ऐसे मुजरिम को कैदखाने में बन्द कर दिया जाये। यही उसका ज़मीन से निकालना है कि ज़मीन में कहीं चल-फिर नहीं सकता। इमामे आजम अबू हनीफा रह. ने भी यही इख़्तियार फरमाया है।

रहा वह सज्जन कि इस तरह के सशत्रु हमलों में आजकल आम तौर पर सिर्फ माल को नष्ट खसोट या कत्ल व खूँरजी ही पर बस नहीं होता, बल्कि अक्सर औरतों की अस्मत् लूटने और अपहरण वगैरह के वाकिआत भी पेश आते हैं और कुरआन मजीद का जुमला:

وَيَسْفُونَ فِي الْأَرْضِ مُنَادًا.

इस किस्म के तमाम अपराधों को शामिल भी है, तो वे किस सजा के मुस्तहिक होंगे। इसमें ज़ाहिर यही है कि इमाम व हाकिम को इख्तियार होगा कि इन चारों सजाओं में से जो उनके हाल के मुनासिब देखे वह जारी करे, और बदकारी का शरई सुबूत मिल जाये तो जिना की सजा जारी करे।

इसी तरह अगर सूरत यह हो कि न किसी को कत्ल किया न माल लूटा, मगर कुछ लोगो को जख्मी कर दिया, तो जख्मों के किसास (बदले) का कानून नाफिज़ किया जायेगा।

(तफसीरे मजहरी)

आयत के आखिर में फरमाया:

ذَلِكَ لَهُمْ جزى في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

यानी ये शरई सजायें जो दुनिया में उन पर जारी की गयी हैं, यह तो दुनिया की रुस्वात और सजा का एक नमूना है, और आखिरत की सजा इससे भी सख्त और लम्बी है।

इससे मालूम हुआ कि दुनियावी सजाओं हुदूद व किसास या ताज़ीरात से बगैर तौबा के आखिरत की सजा माफ़ नहीं होती, हाँ सजा पाने वाला शख्स दिल से तौबा कर ले तो आखिरत की सजा माफ़ हो जायेगी।

दूसरी आयत:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ.

में हुक्म से अलग रहने वाली एक सूरत का जिक्र किया गया है, वह यह है कि डाकू उबागी अगर हुक्मत के घेरे में आने और उन पर काबू पाने से पहले-पहले जबकि उनकी कुबूरा व ताकत बहाल है, इस हालत में अगर तौबा करके रास्ते में लूट-पाट से खुद ही बाज़ आ जं तो उनके की यह शरई सजा उनसे खत्म हो जायेगी। हुक्म से अलग की यह सूरत सजाओं आम कानून से अलग है, क्योंकि दूसरे अपराध चोरी जिना वगैरह में जुर्म करने और काज़ी अदालत में जुर्म साबित हो जाने के बाद अगर मुजरिम सच्चे दिल से तौबा करे तो अगरचे तौबा से आखिरत की सजा माफ़ हो जायेगी मगर दुनिया में शरई सजा माफ़ न होगी, जैसा कि चन्द आयतों के बाद चोरी की सजा के तहत में इसका तफसीली बयान आयेगा।

आम हुक्म में से इस सूरत के अलग करने की हिक्मत यह है कि एक तरफ़ डाकूओं की सजा में यह सख्ती इख्तियार की गयी है कि पूरी जमाअत में से किसी एक से भी जुर्म हो तो सजा पूरी जमाअत को दी जाती है, इसलिये दूसरी तरफ़ हुक्म से अलग करने की इस सूरत में जरिये मामले को हल्का कर दिया गया, कि तौबा कर लें तो दुनिया की सजा भी माफ़ हो जाये।

इसके अलावा इसमें एक सियासी मस्लेहत भी है कि एक ताकतवर जमाअत पर हर-वक्त काबू पाना आसान नहीं होता, इसलिये उनके चास्ते तरगीब (शौक व लालच) का दरवाजा खुला रखा गया, कि वे तौबा की तरफ माईल हो जायें।

साथ ही इसमें यह भी मस्लेहत है कि किसी की जान को क़त्ल करने की सज़ा एक इन्तिहाई और आखिरी सज़ा है, इसमें इस्लामी क़ानून का रुख यह है कि इसकी नौबत कम से कम आये और डाके की सूस्त में एक जमाअत का क़त्ल लाज़िम आता है इसलिये तरगीबी पहलू से उनको सुधार की दावत भी साथ-साथ जारी रखी गयी, इसी का यह असर था कि अली असदी जो मदीना तय्यिबा के निकट एक गिरोह बना करके आने-जाने वालों पर डाका डालता था, एक रोज़ काफ़िले में किसी क़ारी की ज़बान से यह आयत उसके कान में पड़ गयी:

يَعَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ

वह क़ारी (पढ़ने वाले) के पास पहुँचे और दोबारा पढ़ने की दरख्वास्त की। दूसरी मर्तबा आयत सुनते ही अपनी तलवार म्यान में दाखिल की और रहज़नी से तौबा करके मदीना तय्यिबा पहुँचे। उस वक्त मदीना पर मरवान बिन हकम हाकिम थे, हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु उनका हाथ पकड़कर अमीरे मदीना के पास ले गये और कुरआन की उक्त आयत पढ़कर फ़रमाया कि आप इसको कोई सज़ा नहीं दे सकते। हुक्मत भी उनके फ़साद व रहज़नी से आज़िज़ हो रही थी, सब को खुशी हुई।

इसी तरह हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हू के ज़माने में हारिसा बिन बदर बगावत करके निकल गया और क़त्ल व ग़ारतगरी को पेशा बना लिया, मगर फिर अल्लाह तआला ने तौफीक दी और तौबा करके वापस आया तो हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हू ने उस पर शरई हद (सज़ा) जारी नहीं फ़रमाई।

यहाँ यह बात याद रखने के काबिल है कि शरई सज़ा के माफ़ हो जाने से यह लाज़िम नहीं आता कि जिन बन्दों के हुक्क़ उसने ज़ाया किये हैं वे भी माफ़ हो जायें, बल्कि अगर किसी का माल लिया है और वह मौजूद है तो उसका वापस करना ज़रूरी है, और किसी को क़त्ल किया है या ज़ख्मी किया है तो उसका कि़सास (बदला) उस पर लाज़िम है; अलबत्ता चूँकि कि़सास बन्दे का हक़ है तो क़त्ल किये गये शख्स के बली-वारिस या हक़ वाले के माफ़ करने से माफ़ हो जायेगा, और जो कोई माली नुक़सान किसी को पहुँचाया है उसका जिमान अदा करना या उससे माफ़ कराना लाज़िम है। इमामे आजम अबू हनीफ़ा रह. और फ़ुक़हा की एक बड़ी जमाअत का यही मस्लक है, और अगर ग़ौर किया जाये तो यह बात यूँ भी ज़ाहिर है कि बन्दों के हुक्क़ से हुक्कार और मुक्ति हासिल करना खुद तौबा का एक हिस्सा है, बग़ैर इसके तौबा ही मुकम्मल नहीं होती। इसलिये किसी डाकू को तौबा करने वाला उसी वक्त माना जायेगा जब वह बन्दों के हुक्क़ को अदा या माफ़ करा ले।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
 وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَنَّ لَهُمْ مَتَاعَ
 الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ
 بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
 إِذَا قُطِعُوا أَيْدِيُهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ فَمَنْ تَابَ
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لِيهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ
 اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

या अय्युहल्लजी-न आमनुत्तकुल्ला-ह
 वब्तगू इलैहिल्-वसील-त व जाहिदू
 फी सबीलिही लअल्लकुम् तुफिलहून
 (35) इन्नल्लजी-न क-फरू लौ अन्-न
 लहुम् मा फिल्लअर्जि जमीअव्-व
 मिस्लहू म-अहू लियफ्तदू बिही मिन्
 अजाबि यौमिल्-कियामति मा
 तुकुब्बिल मिन्हुम् व लहुम् अजाबुन्
 अलीम (36) युरीदू-न अय्यखरूजू
 मिनन्नारि व मा हुम् बिखारिजी-न
 मिन्हा व लहुम् अजाबुम् मुकीम (37)
 वस्सारिकु वस्सारि-कतु फक्तअ
 ऐदि-यहुमा जजाअम् बिमा क-सबा
 नकालम् मिनल्लाहि, वल्लाहु अजीजुन्
 हकीम (38) फ-मन् ता-ब मिम्बअदि
 जुल्मिही व अस्त-ह फ-इन्नाल्ला-ह

ऐ ईमान वालो डरते रहो अल्लाह से और
 ढूँढो उस तक वसीला, और जिहाद का
 उसकी राह में ताकि तुम्हारा भला हो।
 (35) जो लोग काफिर हैं अगर उनके
 पास हो जो कुछ ज़मीन में है सारा और
 उसके साथ इतना ही और हो ताकि बदले
 में दें अपने कियामत के दिन अज़ाब से
 तो उनसे कुबूल न होगा और उनके वार
 दर्दनाक अज़ाब है। (36) चाहेंगे कि
 निकल जायें आग से और वे उस
 निकलने वाले नहीं, और उनके लिए
 हमेशा का अज़ाब है। (37) और चोरी
 करने वाला मर्द और चोरी करने वाला
 औरत काँट डाली, उनके हाथ सज़ा में
 उनकी कमाई के, चैतावनी है अल्लाह की
 तरफ से और अल्लाह ग़ालिब है हिक्म
 वाला। (38) फिर जिसने तौबा की अपने
 जुल्म करने के बाद और सुधार किया तो
 अल्लाह कुबूल करता है उसकी तौबा,

यतूबु अलैहि, इन्नल्ला-ह गुफूरुर्हीम
 (39) अलम् तअलम् अन्नल्ला-ह लहू
 मुल्कुस्समावाति वलुअर्जि, युअज़िबु
 मय्यशा-उ व यगिफुरु लिमय्यशा-उ,
 वल्लाहु अला कुल्लि शैइन् कदीर (40)

बेशक अल्लाह बख्शने वाला मैहरबान है।
 (39) तुझको मालूम नहीं कि अल्लाह ही
 के वास्ते है सल्लनत आसमान और ज़मीन
 की, अज़ाब करे जिसको चाहे और बख्शे
 जिसको चाहे, और अल्लाह सब चीज़ पर
 कादिर है। (40)

खुलासा-ए-तफसीर

ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला (के अहकाम की मुखालफत) से डरो (यानी गुनाहों को छोड़ दो) और (नेकी के ज़रिये) अल्लाह तआला की निकटता "और रज़ा" ढूँढो (यानी ज़रूरी कामों और नेकियों के पाबन्द रहो), और (उन ज़रूरी नेक कामों में से खास तौर पर) अल्लाह तआला की राह में जिहाद किया करो, उम्मीद है कि (इस तरीके से) तुम (पूरे) कामयाब हो जाओगे (और कामयाबी अल्लाह तआला की रज़ामन्दी का हासिल होना और दोज़ख से निजात है)। यकीनन जो लोग काफिर हैं अगर (मान लो) उन (में से हर एक) के पास तमाम दुनिया भर की चीज़ें हों (जिसमें ज़मीन में से निकलने वाले तमाम दफ़ीने व ख़ज़ाने भी आ गये) और (उन्हीं चीज़ों पर क्या बस है बल्कि) उन चीज़ों के साथ उतनी चीज़ें और भी हों ताकि वे उसको देकर कियामत के दिन के अज़ाब से छूट जाँएँ तब भी वे चीज़ें उनसे कुबूल न की जाएँगी (और अज़ाब से न बचेंगे, बल्कि) उनको दर्दनाक अज़ाब होगा। (फिर अज़ाब में दाखिल हो जाने के बाद) इस बात की इच्छा (व तमन्ना) करेंगे कि दोज़ख से (किसी तरह) निकल आँएँ और (यह इच्छा कभी पूरी न होगी और) वे उससे (कभी) न निकलेंगे और उनको हमेशा का अज़ाब होगा (यानी किसी तदबीर से न सज़ा टलेगी न सज़ा का हमेशा के लिये होना कम होगा)।

और जो मर्द चोरी करे (इसी तरह) और जो औरत चोरी करे सो (उनका हुक्म यह है कि ऐ हाकिमो!) उन दोनों के (दाहिने) हाथ (गड़े पर से) काट डालो उनके (इस) किरदार के बदले में (और यह बदला) बतौर सज़ा के (है) अल्लाह तआला की तरफ से, और अल्लाह तआला बड़े कुबूलत वाले हैं (जो सज़ा चाहें मुकरर फरमाँएँ) और बड़ी हिक्मत वाले हैं (कि मुनासिब ही सज़ा मुकरर फरमाते हैं)। फिर जो शख्स (शरई कानून के मुवाफिक) अपनी (इस) ज्यादती के बाद तौबा करे (चोरी के बाद) और (आँमाल की) दुरुस्ती रखे (यानी चोरी वगैरह न करे, अपनी तौबा पर कायम रहे) तो बेशक अल्लाह तआला उस (के हाल) पर (रहमत के साथ) तवज्जोह फरमाँगे (कि तौबा से पिछला गुनाह माफ़ फरमायेंगे, और तौबा पर जमे रहने की तौफीक से मज़ीद इनायत फरमा देंगे) बेशक अल्लाह तआला बड़ी मग़फ़िरत वाले हैं (कि उसका गुनाह माफ़ कर दिया) बड़ी रहमत वाले हैं (कि आईन्दा भी और ज्यादा इनायत की। ऐ मुखातब!) क्या तुम नहीं जानते (यानी सब जानते हैं) कि अल्लाह ही के लिए (साबित) है हुक्मत सब आसमानों की

और ज़मीन की, वह जिसको चाहें सज़ा दें और जिसको चाहें माफ़ कर दें, और अल्लाह तआला को हर चीज़ पर पूरी कुदरत है।

मअरिफ़ व मसाईल

ज़िक्र की गयी आयतों में से पहली आयत में डाके और बगावत की शरई सज़ा और उसके अहकाम की तफ़सील मज़कूर थी, और आगे तीन आयतों के बाद चोरी की शरई सज़ा का बयान आने वाला है। इसके बीच की तीन आयतों में परहेज़गारी, नेकी व इबादत, जिहाद की तरगीब और कुफ़्र व दुश्मनी और नाफ़रमानी की तबाहकारी का बयान फ़रमाया गया है। कुरआने करीम के इस खास तरीके और अन्दाज़ में गौर करो तो मालूम होगा कि कुरआने करीम का आम अन्दाज़ यह है कि वह सिर्फ़ हाकिमाना तौर पर ताज़ीर व सज़ा का क़ानून बयान करके नहीं छोड़ देता बल्कि शफ़क़त भरे अन्दाज़ में ज़ेहनों को अपराधों से बाज़ रहने के लिये हमवार भी करता है। खुदा तआला और आख़िरत के ख़ौफ़ और जन्नत की हमेशा रहने वाली नेमतों और राहतों को याद दिलाकर उनके दिलों को जुर्म से नफ़रत करने वाला बनाता है। यही वजह है कि अक्सर जुर्म व सज़ा के क़ानून के बाद 'इत्तकुल्लाह' (अल्लाह से डरो) वग़ैरह को दोहराया जाता है। यहाँ भी पहली आयत में तीन चीज़ों का हुक्म दिया गया है, पहले 'इत्तकुल्लाह' यानी अल्लाह तआला से डरो, क्योंकि ख़ौफ़े खुदा ही वह चीज़ है जो इन्सान को वास्तविक रूप से ख़ुफ़िया व ऐलानिया अपराधों से रोक सकती है।

दूसरा इरशाद है 'वब्तगू इलैहिल् वसील-त' यानी अल्लाह की निकटता तलाश करो। लफ़ज़ वसीला "वसलुन्" से निकला है, जिसके मायने मिलने और जुड़ने के हैं। यह लफ़ज़ सीन और सौद दोनों से तफ़रीबन एक ही मायने में आता है, फ़र्क इतना है कि "वसलुन्" सौद के साथ मुतलक़न् मिलने और जुड़ने के मायने में है, और सीन के साथ दिलचस्पी व मुहब्बत के साथ मिलने के लिये इस्तेमाल होता है।

'सिहाहे जोहरी' और 'मुफ़रदातुल-कुरआन' राग़िब अस्फ़हानी में इसकी वज़ाहत है। इसलिये सौद के साथ "वुस्ला" और "वसीला" हर उस चीज़ को कहा जाता है जो दो चीज़ों के बीच मेल और जोड़ पैदा कर दे, चाहे वह मेल और जोड़ रुचि व मुहब्बत से हो या किसी दूसरी सूरत से। और सीन के साथ लफ़ज़ वसीला के मायने उस चीज़ के हैं जो किसी को किसी दूसरे से मुहब्बत व चाहत के साथ मिला दे। (लिसानुल-अरब, मुफ़रदाते राग़िब)

अल्लाह तआला की तरफ़ वसीला हर वह चीज़ है जो बन्दे को दिलचस्पी व मुहब्बत के साथ अपने माबूद के करीब कर दे। इसलिये पहले के बुजुर्गों, सहाबा व ताबिईन ने इस आयत में वसीला की तफ़सीर नेकी, अल्लाह की निकटता और इमान व नेक अमल से की है, हाकिम की रिवायत में हज़रत हुजैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि वसीला से मुराद निकटता व इताअत है। और इब्ने जरीर रह. ने हज़रत अता, मुजाहिद और हसन बसरी रह. वग़ैरह से भी यही नक़ल किया है। और इब्ने जरीर रह. वग़ैरह ने हज़रत क़तादा रह. से इस आयत की

तफ़्सीर यह नक़ल की है:

تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بَطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا رُزِيَ

यानी अल्लाह तआला की तरफ़ निकटता हासिल करो, उसकी फ़रमाँबरदारी और रज़ामन्दी के काम करके। इसलिये आयत की तफ़्सीर का खुलासा यह हुआ कि अल्लाह तआला की नज़दीकी तलाश करो ईमान और नेक अमल के ज़रिये।

और मुस्नद अहमद की एक सही हदीस में है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि वसीला एक आला दर्जा है जन्नत का, जिसके ऊपर कोई दर्जा नहीं है। तुम अल्लाह तआला से दुआ करो कि वह दर्जा मुझे अता फ़रमा दे।

और सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान कहे तो तुम भी वही कलिमात कहते रहो जो मुअज़्ज़िन कहता है, उसके बाद मुझ पर दुरुद पढ़ो और मेरे लिये वसीला की दुआ करो।

इन हदीसों से मालूम हुआ कि वसीला एक खास दर्जा है जन्नत का जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मख़सूस है। और जिक्र हुई आयत में हर मोमिन को वसीला तलब करने और ढूँढने का हुक्म बज़ाहिर इस खुसूसियत के मनाफ़ी है (यानी जब यह दर्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये खास है तो औरों को उसे तलब करने के क्या मायने), मगर जवाब ज़ाहिर है कि जिस तरह हिदायत का आला मक़ाम रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये मख़सूस है और आप हमेशा उसके लिये दुआ किया करते थे, मगर उसके शुरू के और दरमियानी दर्जे तमाम मोमिनों के लिये आम हैं, इसी तरह वसीला का आला दर्जा रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये मख़सूस है और उसके नीचे के दर्जे सब मोमिनों के लिये आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही के वास्ते और ज़रिये से आम हैं।

हज़रत मुजद्दिद अल्फे सानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने पत्रों में और काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि अलैहि ने तफ़्सीरे मज़हरी में इस पर सचेत किया है कि लफ़्ज़ वसीला में मुहब्बत व दिलचस्पी का मफ़हूम शामिल होने से इस तरफ़ इशारा है कि वसीला के दर्जों में तरक्की अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत पर निर्भर है, और मुहब्बत पैदा होती है सुन्नत की पैरवी करने से, क्योंकि हक़ तआला का इरशाद है:

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

(अगर तुम मुहब्बत रखते हो अल्लाह की तो मेरी राह चलो ताकि मुहब्बत करे तुमसे अल्लाह) इसलिये जितना कोई अपनी इबादतों, मामलात, अख़्लाक, रहन-सहन और ज़िन्दगी के तमाम क्षेत्रों में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत की पैरवी करेगा उतना ही अल्लाह तआला की मुहब्बत उसके हासिल होगी और वह खुद अल्लाह तआला के नज़दीक मुहब्बूब हो जायेगा। और जितनी ज़्यादा मुहब्बत बढ़ेगी उतनी ही अल्लाह तआला की नज़दीकी हासिल होगी।

लफ्ज वसीला की लुगवी तशरूह (बजाइत व बयान) और सहावा व ताविईन की तफसीर है। जब यह मालूम हो गया कि हर वह चीज जो अल्लाह तआला की रज़ा और निकटता का इलाक़ा बने वह इनसान के लिये अल्लाह तआला के करीब होने का वसीला है। इसमें जिस तरह इमान और नेक अमल दाखिल हैं इसी तरह नवियों और नेक लोगों की सोहबत व मुहब्बत भी दाखिल है कि वह भी अल्लाह की रज़ा के असबाब में से है, और इसी लिये उनको वसीला बनाकर अल्लाह तआला से दुआ करना दुरुस्त हुआ, जैसा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने (सूखे) के ज़माने में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को वसीला बनाकर अल्लाह तआला से बारिश की दुआ माँगी, अल्लाह तआला ने कुबूल फरमाई।

और एक रिवायत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुद एक नाबीना सल्लम को इस तरह दुआ माँगने की तालीम फरमाई:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ. (منار)

मज़कूरा आयत में पहले तक़वे (परहेज़गारी) की हिदायत फरमाई गयी, फिर अल्लाह तआला से इमान और नेक आमाल के ज़रिये उसकी निकटता हासिल करने की। आखिर में इरशाद फरमाया:

رَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ.

यानी जिहाद करो अल्लाह की राह में।

अगरचे नेक आमाल में जिहाद भी दाखिल था लेकिन नेक आमाल में जिहाद का आला मक़ाम बतलाने के लिये इसको अलग करके बयान फरमा दिया गया, जैसा कि हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

وَدِرْرَةٌ بِسَابِغِ الْجِهَادِ.

यानी इस्लाम का आला मक़ाम जिहाद है।

दूसरे इस जगह जिहाद को अहमियत के साथ जिक्र करने की यह हिक्मत भी है कि पिछली आयतों में ज़मीन में फ़साद (ख़राबी और बिगाड़) फैलाने का हराम व नाजायज़ होना और उसकी दुनियावी व आख़िरत की सज़ाओं का बयान आया था, जिहाद भी ज़ाहिर के एतिबार से ज़मीन में फ़साद फैलाने की तुरंत मख़्लूम होती है, इसलिये मुम्किन था कि कोई नावाकिफ़ जिहाद और फ़साद में फर्क न समझे, इसलिये ज़मीन में फ़साद की मनाही के बाद जिहाद का हुक्म अहमियत के साथ जिक्र करके दोनों के फर्क की तरफ लफ्ज "फी सबीलिही" से इरशाद फरमा दिया। क्योंकि डाका, बगावत व ग़ैरह में जो क़त्ल व लड़ाई और माल लूटा जाता है वह महज़ अपने ज़ाती स्वार्थों, इच्छाओं और घटिया मक़ासिद के लिये होता है, और जिहाद में अगर इसकी नौबत आये भी तो महज़ अल्लाह का कलिमा बुलन्द करने और जुल्म व ज़्यादती को मिटाने के लिये है जिनमें ज़मीन-आसमान का फर्क है। दूसरी और तीसरी आयत में कुफ़्र व शिर्क और नाफरमानी का बड़ा वबाल होना ऐसे अन्दाज़ में बतलाया गया है कि उस पर ज़रा भी ग़ौर किया जाये तो

वह इन्सान की जिन्दगी में एक इन्किलाबे अजीम (बड़ा बदलाव और भारी क्रांति) पैदा कर दे, और कुफ़ व शिर्क और नाफरमानी सब को छोड़ने पर मजबूर कर दे।

वह यह है कि आम तौर पर इन्सान जिन गुनाहों में मुब्तला होता है वह अपनी इच्छाओं, ज़रूरतों या बाल-बच्चों व घर वालों की इच्छाओं के लिये होता है, और उन सब को पाना माल व दौलत जमा करने से होता है, इसलिये माल व दौलत जमा करने में हलाल व हराम का फ़र्क किये बग़ैर लग जाता है। इस आयत में अल्लाह ज़ल्ल शानुहू ने उनकी इस बदमस्ती के इलाज के लिये फ़रमाया कि आज चन्द दिन की जिन्दगी और इसकी राहत के लिये जिन चीज़ों को तुम हजारों मेहनतों और कौशिशों के ज़रिये जमा करते हो और फिर भी सब जमा नहीं होतीं, इस नाजायज़ हवस का अन्जाम यह है कि कियामत का अज़ाब जब सामने आयेगा तो उस वक़्त अगर ये लोग चाहें कि दुनिया में हासिल किये हुए माल व दौलत और साज़ व सामान सब को फ़िदया (बदले में) देकर अपने आपको अज़ाब से बचा लें तो यह नामुम्किन है, बल्कि फ़र्ज कर लो कि सारी दुनिया का माल व दौलत और पूरा सामान इसी एक शख्स को मिल जाये, और फिर इसी पर बस नहीं, इतना ही और भी मिल जाये, और यह सब को अपने अज़ाब से बचने के लिये फ़िदया बनाना चाहे तो कोई चीज़ कुबूल न होगी, और इसको आख़िरत के अज़ाब से निजात न होगी।

तीसरी आयत में यह भी ब़ाज़ेह कर दिया कि काफ़िरों का यह अज़ाब हमेशा के लिये होगा, जिससे वे कभी निजात न पायेंगे।

चौथी आयत में फिर ज़राईम (अपराधों) की सज़ाओं की तरफ़ वापसी की गयी और चोरी की शरई सज़ा का बयान फ़रमाया गया। शरई सज़ाओं की तीन किस्में जो पहले बयान हो चुकी हैं, चोरी की सज़ा उनकी हुदूद वाली किस्म में दाख़िल है, क्योंकि कुरआने करीम ने इस सज़ा को खुद मुतैयन फ़रमाया, हाकिम की मर्ज़ी और बेहतर समझने पर नहीं छोड़ा, और अल्लाह के हक़ के तौर पर मुतैयन फ़रमाया है, इसलिये इसको चोरी की हद (सज़ा) कहा जाता है। आयत में इरशाद है:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

यानी "चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ काट दो उनके किरदार के बदले में, और अल्लाह ज़बरदस्त हिक्मत वाला है।"

यहाँ यह बात काबिले गौर है कि कुरआनी अहक़ाम में ख़िताब आम तौर पर मर्दों को होता है और औरतें भी उसमें उनके ताबे होकर शामिल होती हैं। नमाज़, रोज़ा, हज़, ज़कात और तमाम अहक़ाम में कुरआन व सुन्नत का यही उसूल है, लेकिन चोरी की सज़ा और जिना की सज़ा से सिर्फ़ मर्दों के ज़िक्र पर बस नहीं फ़रमाया, बल्कि दोनों जातियों (औरत जात और मर्द जात) को अलग-अलग करके हुक्म दिया।

इसकी वजह यह है कि मामला हुदूद (सज़ाओं) का है, जिनमें ज़रा सा भी शुब्हा पड़ जाये

तो खत्म हो जाती हैं, इसलिये औरतों के लिये मर्दों के तहत खिताब करने को काफी नहीं समझा बल्कि स्पष्ट रूप से जिक्र फ़रमाया।

दूसरी बात इस जगह क़ाविले गौर यह है कि लफ़्ज़ सरक़ा के लुग़वी मायने और शर्ह परिभाषा क्या है? लुग़त की मशहूर किताब कामूस में है कि कोई शख्स किसी दूसरे का माल किसी सुरक्षित जगह से बग़ैर उसकी इजाज़त के छुपकर ले ले, इसको सरक़ा (चोरी) कहते हैं, यही उसकी शर्ह परिभाषा है, और इस परिभाषा के हिसाब से सरक़ा (चोरी) साबित होने लिये चन्द चीज़ें ज़रूरी हुईं:

पहली यह कि वह माल किसी व्यक्ति या समूह की जाती मिल्कियत हो, चुराने वाले का उसमें न मिल्कियत हो न मिल्कियत का शुब्हा हो, और न ऐसी चीज़ें हों जिनमें अ़वाम के हुक्म बराबर हैं। जैसे आम लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की संस्था और उनकी चीज़ें। इससे मालूम हुआ कि अगर किसी शख्स ने कोई ऐसी चीज़ ले ली जिसमें उसकी मिल्कियत या मिल्कियत का शुब्हा है, या जिसमें अ़वाम के हुक्म बराबर हैं तो सरक़ा की हद (चोरी की सज़ा) उस पर जारी न की जायेगी, हाकिम जो बेहतर समझे उसके मुताबिक़ ताज़ीरी सज़ा जारी कर सकता है।

दूसरी चीज़ सरक़े (चोरी) की परिभाषा में सुरक्षित माल होता है, यानी ताला लगे हुए बन्द मकान के ज़रिये या किसी निगराँ चौकीदार के ज़रिये सुरक्षित होना। जो माल किसी महफूज जगह में न हो उसको कोई शख्स उठा ले तो वह भी चोरी की सज़ा को वाजिब करने वाला नहीं होगा, और माल के सुरक्षित होने में शुब्हा भी हो जाये तो भी सज़ा नहीं दी जायेगी, गुनाह और ताज़ीरी सज़ा का मामला अलग है।

तीसरी शर्त बिना इजाज़त होना है। जिस माल के लेने या उठाकर इस्तेमाल करने की किसी को इजाज़त दे रखी हो, वह उसको बिल्कुल ले जाये तो चोरी की सज़ा आयद नहीं होगी, और इजाज़त का शुब्हा भी पैदा हो जाये तो सज़ा खत्म हो जायेगी।

चौथी शर्त छुपाकर लेना है। क्योंकि दूसरे का माल खुले तौर पर लूटा जाये तो वह सरक़ा (चोरी) नहीं बल्कि डाका है, जिसकी सज़ा पहले बयान हो चुकी है। गर्ज़ कि खुफ़िया न हो तो चोरी की सज़ा उस पर जारी न होगी।

इन तमाम शर्तों की तफ़सील सुनने से आपको यह मालूम हो गया कि हमारे उर्फ़ में जिसको चोरी कहा जाता है वह एक आम और विस्तृत मफ़हूम है, उसकी तमाम सूरतों में चोरी की सज़ा यानी हाथ-काटना शरअून आयद नहीं है, बल्कि चोरी की सिर्फ़ उस सूरत पर यह शर्ह सज़ा जारी होगी जिसमें ये तमाम शर्तें मौजूद हों।

इसके साथ ही यह भी आप मालूम कर चुके हैं कि जिन सूरतों में चोरी की शर्ह सज़ा नहीं दी जाती, तो यह लाज़िम नहीं है कि मुजरिम को खुली छूट मिल जाये, बल्कि हाकिम वक़्त अपने तौर पर जो बेहतर समझे उसके मुताबिक़ उसको ताज़ीरी सज़ा दे सकता है, जो जिस्मानी कौड़ों की सज़ा भी हो सकती है।

इसी तरह यह भी न समझा जाये कि जिन सूरतों में चोरी की कोई शर्त न पाये जाने की

वजह से शरई सजा जारी न हो तो वह शरअन जायज़ व हलाल है, क्योंकि ऊपर बतलाया जा चुका है कि यहाँ गुनाह और आखिरत के अज़ाब का जिक्र नहीं, दुनियाकी सजा और वह भी खास किस्म की सजा का जिक्र है। जैसे किसी शख्स का माल बगैर उसकी दिली मर्जी के किसी तरह भी ले लिया जाये तो वह हराम और आखिरत के अज़ाब का सबब है, जैसा कि कुरआने करीम की आयत:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

में इसकी वज़ाहत मौजूद है।

यहाँ यह बात भी काबिले जिक्र है कि चोरी में जो अलफ़ाज़ कुरआने करीम के आते हैं वही जिना की सजा में हैं, मगर चोरी के मामले में मर्द का जिक्र पहले औरत का बाद में है, और जिना में इसके उल्ट औरत का जिक्र पहले किया गया। चोरी की सजा में इरशाद है:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ.

और जिना की सजा में फरमाया है:

الرَّايَةِ وَالرَّايَةِ.

इस तरतीब के उल्टा करने की कई हिक्मतेँ मुफस्सिरीन हज़रात ने लिखी हैं। उनमें से दिल को ज्यादा लगने वाली बात यह है कि चोरी का जुर्म मर्द के लिये औरत की तुलना में ज्यादा सख्त है, क्योंकि उसको अल्लाह तआला ने माल कमाने की वह कुव्वत बख़्शी है जो औरत को हासिल नहीं। उस पर माल कमाने के इतने दरवाज़े खुले होने के बावजूद चोरी के ज़लील जुर्म में मुब्तला हो, यह उसके जुर्म को बढ़ा देता है। और जिना के मामले में औरत को हक़ तआला तबई हया व शर्म के साथ ऐसा माहौल बख़्शाता है कि इन सब चीज़ों के होते हुए इस बेहयाई पर उतरना उसके लिये बहुत ही सख्त जुर्म है, इसलिये चोरी में मर्द का जिक्र पहले है और जिना में औरत का।

मज़कूर आयत के अलफ़ाज़ में चोरी की शरई सजा बयान करने के बाद दो जुमले इरशाद फरमाये हैं। एक:

جَزَاءُ أَيَّمَا كَسْبًا.

यानी यह सजा बदला है उनकी बँद-किरदारी का। दूसरा जुमला फरमाया:

نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ.

इसमें दो लफ़्ज़ हैं 'नकाल' और 'मिनल्लाहि'। लफ़्ज़ 'नकाल' के मायने अरबी लुग़त में ऐसी सजा के हैं जिसको देखकर दूसरों को भी सबक मिले, और वे जुर्म करने से बाज़ आ जायें। इसलिये 'नकाल' का तर्जुमा हमारे पुहाबरे के मुवाफ़िक़ सीख लेने वाली सजा का हो गया। इसमें इशारा है कि हाथ काटने की सख्त सजा खास हिक्मत पर आधारित है, कि एक पर सजा जारी हो तो सब के सब कौंप उठें, और इस बुरे जुर्म का खात्मा हो जाये। दूसरा लफ़्ज़

“मिनल्लाहि” का बढ़ाकर एक अहम मज़मून की तरफ़ इशारा फ़रमाया जो यह है कि चोरी के जुर्म की दो हैसियतें हैं- एक यह कि उसने किसी दूसरे इन्सान का माल बग़ैर हक़ के लिया, जिससे उस पर जुल्म हुआ। दूसरी यह कि उसने अल्लाह तआला के हुक्म के खिलाफ़ किया, पहली हैसियत से यह सज़ा मज़लूम का हक़ है, और उसका तकाज़ा यह है कि जिसका हक़ है अगर वह सज़ा को माफ़ कर दे तो माफ़ हो जायेगी, जैसा कि किसास (बदले) के तमाम मसालों में यही मामूल है। दूसरी हैसियत से यह सज़ा अल्लाह के हक़ की खिलाफ़वर्ज़ी करने की है, उसका तकाज़ा यह है कि जिस शख्स की चोरी की है अगर वह माफ़ भी कर दे तो माफ़ न हो, जब तक खुद अल्लाह तआला माफ़ न फ़रमा दें, जिसको शरीअत की परिभाषा में हद या हुदूद कहा जाता है। लफ़ज़ “मिनल्लाहि” से इस दूसरी हैसियत को मुतयन करके इस तरफ़ इशारा फ़रमा दिया कि यह सज़ा हद है, किसास नहीं है। यानी सरकारी जुर्म की हैसियत से यह सज़ा दी गयी है, इसलिये जिसकी चोरी की है उसके माफ़ करने से भी सज़ा खत्म नहीं होगी।

आयत के आख़िर में ‘वल्लाहु अज़ीजुन् हकीम’ फ़रमाकर उस शुब्हे का जवाब दे दिया जो आजकल आम तौर पर ज़बानों पर है कि यह सज़ा बड़ी सख़्त है, और कुछ गुस्ताख़ या नावाक़िफ़ तो यूँ कहने से भी नहीं झिझकते कि यह सज़ा वहशियाना (बेरहमी की) है, नऊजु बिल्लाह मिन्हा। इशारा इसकी तरफ़ फ़रमाया कि इस सख़्त सज़ा की तजवीज़ महज़ अल्लाह तआला के क़वी और ज़बरदस्त होने का नतीजा नहीं, बल्कि उनके हकीम होने पर भी आधारित है। जिन शरई सज़ाओं को आजकल के यूरोप के अक्लमन्द सख़्त और वहशियाना कहते हैं उनकी हिक्मत, ज़रूरत और फ़ायदों की बहस उन्हीं आयतों की तफ़सीर के बाद तफ़सील के साथ आयेगी।

दूसरी आयत में इरशाद फ़रमाया:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

यानी “जो शख्स अपनी बद-किरदारी (ग़लत आचरण) और चोरी से बाज़ आ गया और अपने अमल की इस्लाह कर ली तो अल्लाह तआला उसको माफ़ फ़रमा देंगे, क्योंकि अल्लाह बहुत बख़्शाने वाले और मेहरबान हैं।”

डाका डालने की शरई सज़ा जिसका बयान चन्द आयतों पहले आया है, उसमें भी माफ़ी का ज़िक्र है, और चोरी की सज़ा के बाद भी माफ़ी का ज़िक्र है। लेकिन दोनों जगह की माफ़ी के बयान में एक खास फ़र्क़ है, और उसी फ़र्क़ की बिना पर दोनों सज़ाओं में माफ़ी का मतलब फ़ुकहा (दीनी मसालों के माहिर उलेमा) के नज़दीक विभिन्न है। डाका डालने की सज़ा में तो हक़ तआला ने सज़ा से अलग करते हुए यह हुक्म ज़िक्र फ़रमाया:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ

जिसका हासिल यह है कि डाका डालने की शरई सज़ा आयत में मज़कूर है उससे यह सूरात अलग और ख़ारिज हैं कि डाकुओं पर हुक्ूमत का काबू चलने और गिरफ़्तार होने से पहले

जो तौबा करे उसको यह शर्ई सजा माफ़ कर दी जायेगी। और चोरी की सजा के बाद जो माफी का जिक्र है उसमें इस दुनियावी सजा से कोई हुक्म अलग नहीं रखा, बल्कि आखिरत के एतिबार से उनकी तौबा मक़वूल होने का बयान है, जिसकी तरफ़ 'फ-इल्लल्ला-ह यतुबु अलैहि' में इशारा मौजूद है, कि हक़िमे वक़्त इस तौबा की वजह से शर्ई सजा न छोड़ेंगे, बल्कि अल्लाह तआला उनके जुर्म को माफ़ फ़रमाकर आखिरत की सजा से निजात देंगे। इसी लिये फुकहा हज़रात इस पर तकररीबन सहमत हैं कि डाकू अगर गिरफ़्तार होने से पहले तौबा कर लें तो डाके की शर्ई सजा उन पर जारी न होगी, मगर चोर अगर चोरी करने के वाद चाहे गिरफ़्तारी से पहले या बाद में चोरी से तौबा करे तो चोरी की सजा जो दुनियावी सजा है वह माफ़ न होगी, गुनाह की माफी होकर आखिरत के अज़ाब से निजात पा जाना इसके खिलाफ़ नहीं।

वाद वाली आयत में इरशाद फ़रमाया:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ.

“यानी क्या आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन की सल्तनत व हुकूमत सिर्फ़ अल्लाह की है, और उसकी यह शान है कि जिसको चाहता है अज़ाब देता है, जिसको चाहता है बख़्शा देता है, और अल्लाह तआला हर चीज़ पर कादिर है।”

इस आयत का जोड़ और संबन्ध पिछली आयतों से यह है कि पिछली आयतों में डाके और चोरी की शर्ई सजाओं जिनमें हाथ-पाँव या सिर्फ़ हाथ काट डालने के सख़्त अहकाम हैं, ज़ाहिरी एतिबार से देखने में यह अहकाम इनसानी सम्मान और उसके तमाम मख़्लूक़ात में सम्मानीय होने के खिलाफ़ हैं। इस शुब्हे को दूर करने के लिये इस आयत में अल्लाह जल्ल शानुहु ने पहले सारे ज़हान के लिये अपना मालिके हकीकी होना बयान फ़रमाया, फिर अपने मुकम्मल इख़्तियार वाला होने का जिक्र फ़रमाया, और इनके बीच में यह इरशाद फ़रमाया कि वह सिर्फ़ सजा या अज़ाब ही नहीं देते बल्कि माफ़ भी फ़रमाते हैं, और उस माफी और सजा का मदार उनकी हिकमत पर है। क्योंकि वह जिस तरह हर चीज़ के मालिक और मुकम्मल इख़्तियार वाले हैं इसी तरह हकीमे मुतलक़ भी हैं, जिस तरह उनकी कुदरत व सल्तनत का इहता कोई इनसानी ताक़त नहीं कर सकती, इसी तरह उनकी हिकमतों का पूरा इहता भी इनसानी अक़ल व दिमाग़ नहीं कर सकते। और उसूल के साथ गौर व फ़िक्र करने वालों को ज़रूरत के मुताबिक़ कुछ इल्म हो भी जाता है जिससे उनके दिल मुत्मईन हो जाते हैं।

इस्लामी सजाओं के बारे में यूरोप वालों और उनकी तालीम व तहज़ीब से प्रभावित लोगों का यह आम एतिराज़ है कि ये सजायें सख़्त हैं, और अन्जाम से नावाक़िफ़ कुछ लोग तो यह कहने से भी बाज़ नहीं रहते कि ये सजायें वहशियाना और इनसानी शरफ़त के खिलाफ़ हैं।

इसके बारे में पहले तो वह सामने रखिये जो इससे पहले बयान हो चुका है कि कुरआने करीम ने सिर्फ़ चार जुर्मों की सजायें खुद मुकरर और निर्धारित कर दी हैं, जिनको शर्ई परिभाषा में हद कहा जाता है। डाके की सजा दाहिना हाथ और बायाँ पैर, चोरी की सजा दाहिना हाथ

पहुँच पर से काटना, जिना की सजा कुछ सूतों में सौ कोड़े लगाना और कुछ में संगसार कल कर देना, जिना की झूठी तोहमत किसी पर लगाने की सजा अस्सी कोड़े। पाँचवीं सजा शराब पीने की है, जो सहाबा किराम की सर्वसम्मति से अस्सी कोड़े मुकर्रर किये गये। इन पाँच अपराधों के अलावा तमाम जराईम की सजा हाकिमे वक्त की मर्जी और राय पर कि जुर्म, मुजरिम और उसके माहौल पर नज़र करके जितनी और जैसी चाहे सजा दे। इसमें भी हो सकता है कि सजाओं के निर्धारण और सीमित करने का कोई खास निज़ाम इत्म रखने वालों के मशिवरे से मुकर्रर करके काज़ी या जज को उनका पाबन्द कर दिया जाये, कि आजकल उमूमन विधान सभाओं और लोक सभाओं के जरिये ताज़ीरी क़वानीन मुतैयन जाते हैं, और काज़ी या जज मुकर्रर हदों के अन्दर सजा जारी करते हैं। अलबत्ता इन अपराधों में जिनकी सजायें कुरआन या मुल्तफ़िका राय से मुतैयन कर दी गयी हैं, और किसी व्यक्ति या समूह या लोकसभा को तब्दीली करने का कोई इख़्तियार नहीं है। मगर भी अगर जुर्म का सुबूत शरीअत के तय किये हुए गवाही के नियमों से न हो सके, या जुर्म सुबूत तो मिले मगर उस जुर्म पर जिन शर्तों के साथ यह सजा जारी की जाती है वो मुकम्मल न हों, और जुर्म काज़ी या जज के नज़दीक साबित हो, तो इस सूत में भी शरई जारी न होगी बल्कि ताज़ीरी सजा दी जायेगी। इसी के साथ यह शरई उसूल और क़ानून मुकर्रर और माना हुआ है कि शुब्हे का फ़ायदा मुजरिम को पहुँचता है, जुर्म के साबित होने जुर्म की शर्तों में से किसी चीज़ में शुब्हा पड़ जाये तो शरई सजा ख़त्म हो जाती है, मगर ख़ुर् जुर्म का सुबूत हो जाये तो ताज़ीरी सजा दी जायेगी।

इससे मालूम हुआ कि इन पाँच अपराधों में बहुत सी सूतें ऐसी निकलेंगी कि उनमें शरई सजाओं का निफ़ाज़ नहीं होगा, बल्कि ताज़ीरी सजायें हाकिम जो बेहतर समझे उसके मुताबिक दी जायेंगी। ताज़ीरी सजायें चूँकि इस्लामी शरीअत ने मुतैयन नहीं कीं बल्कि हर ज़माने और माहौल के मुताबिक मुल्कों के आम क़वानीन की तरह उनमें तब्दीली व संशोधन और कमी-बढ़ाई की जा सकती है, इसलिये उन पर तो किसी को किसी एतिराज़ की गुंजाईश नहीं। अब बन्द सिर्फ पाँच जराईम की सजाओं में और उनकी भी मख़सूस सूतों में रह गयी। मिसाल के तौर पर चोरी को ले लीजिए और देखिये कि इस्लामी शरीअत में हाथ काटने की सजा बिना किसी शर्त के हर चोरी पर अज़ाब नहीं, कि जिसको उर्फ़े आम में चोरी कहा जाता है, बल्कि वह चोरी जिम पर चौर का हाथ काटा जाता है उसकी एक मख़सूस परिभाषा है, जिसकी तफ़सील ऊपर गुज़र चुकी है, कि किसी का माल महफूज़ जगह से हिफ़ाज़त का सामान तोड़कर नाजायज़ तौर पर खुफ़िया तरीके से निकाल लिया जाये। इस परिभाषा की रू से बहुत सी सूतें जिनको आम बोल-चाल में चोरी कहा जाता है, वो चोरी की सजा की परिभाषा से निकल जाती हैं।

मिसाल के तौर पर सुरक्षित जगह की शर्त से मालूम हुआ कि आम सार्वजनिक मक़ामात जैसे मस्जिद, ईदगाह, पार्क, क्लब, स्टेशन, वेटिंग रूम, रेल, जहाज़ वगैरह में आम जगहों पर रखे हुए माल की कोई चोरी करे, या पेड़ों पर लगे हुए फल चुरा ले, या शहद की चोरी करे तो उस

पर चोरी की सज़ा जारी नहीं होगी, बल्कि आम मुल्की कानून की तरह ताज़ीरी सज़ा दी जायेगी। इसी तरह वह आदमी जिसको आपने अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त दे रखी है, चाहे वह आपका नौकर हो या मजदूर व मिस्त्री हो, या कोई दोस्त अज़ीज़ हो, वह अगर आपके मकान से कोई चीज़ ले जाये तो वह अगरचे आम बोलचाल में चोरी में दाखिल और ताज़ीरी सज़ा का मुस्तहक़ है, मगर हाथ काटने की शर्ई सज़ा उस पर जारी न होगी, क्योंकि वह आपके घर में आपकी इजाज़त से दाखिल हुआ, उसके हक में हिफ़ाज़त मुकम्मल नहीं।

इसी तरह अगर किसी ने किसी के हाथ में से ज़ेवर या नक़दी छीन ली, या धोखा देकर कुछ बसूल कर लिया, या अमानत लेकर मुकर गया, ये सब चीज़ें हराम व नाजायज़ और आम बोलचाल में चोरी में ज़रूर दाखिल हैं, मगर इन सब की सज़ा ताज़ीरी है, जो हाकिम की मर्ज़ी और बेहतर समझने पर मौकूफ़ है, शर्ई चोरी की परिभाषा में दाखिल नहीं। इसलिये इस पर हाथ न काटा जायेगा।

इसी तरह कफ़न की चोरी करने वाले का हाथ न काटा जायेगा, क्योंकि अव्वल तो वह सुरक्षित जगह नहीं, दूसरे कफ़न मध्यित की मिल्कियत नहीं, हाँ उसका यह फ़ैल सख़्त हराम है, इस पर ताज़ीरी सज़ा हाकिम जो बेहतर समझे वह जारी की जायेगी। इसी तरह अगर किसी ने एक साझे के माल में चोरी कर ली जिसमें उसका भी कुछ हिस्सा है, चाहे मीरास का साझे का माल था या कारोबारी शिर्कत का माल था, तो इस सूरत में चूँकि लेने वाले की मिल्कियत का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल है, उस मिल्कियत की वजह से शर्ई सज़ा उसके जिम्मे से खत्म हो जायेगी, ताज़ीरी सज़ा दी जायेगी।

ये सब शर्तें तो जुर्म के मुकम्मल होने के तहत में हैं, जिनका मुख़्तसर सा ख़ाका आपने देखा है। अब दूसरी चीज़ यानी सुबूत का मुकम्मल होना है। सज़ाओं के नाफ़िज़ (लागू और जारी करने) में इस्लामी शरीअत ने गवाही का नियम भी आम मामलात से अलग और बहुत मोहतात बनाया है। जिना की सज़ा में तो दो गवाहों के बजाय चार गवाहों को शर्त क़रार दे दिया, और वह भी जबकि वे ऐसी आँखों देखी गवाही दें जिसमें कोई लफ़ज़ संदिग्ध न रहे। चोरी वगैरह के मामले में अगरचे दो ही गवाह काफी हैं मगर उन दो के लिये गवाही की आम शर्तों के अलावा कुछ और शर्तें आयद की गयी हैं। मसलन दूसरे मामलात में ज़रूरत के मौकों में काज़ी को यह इख़्तियार दिया गया है कि किसी फ़ासिक (खुले तौर पर गुनाहों में मुब्तला) आदमी के बारे में अगर काज़ी को यह इत्मीनान हो जाये कि अमली फ़ासिक होने के बावजूद यह झूठ नहीं बोलता तो काज़ी उसकी गवाही को कुबूल कर सकता है, लेकिन हुदूद में काज़ी को उसकी गवाही कुबूल करने का इख़्तियार नहीं। आम मामलात में एक मर्द और दो औरतों की गवाही पर फैसला किया जा सकता है मगर हुदूद में दो मर्दों की गवाही ज़रूरी है। आम मामलात में इस्लामी शरीअत ने लम्बी मुद्दत गुज़र जाने को कोई उज़्र नहीं क़रार दिया, बाकिए के कितने ही अरसे के बाद कोई गवाही दे तो कुबूल की जा सकती है, लेकिन हुदूद में अगर फ़ौरी गवाही न दी बल्कि एक महीने या इससे जायद देर करके गवाही दी तो वह काबिले कुबूल नहीं।

चोरी की सज़ा के लागू और जारी करने की शर्तों का मुख्तसर सा ख़ाका जो इस वक़्त ववान किया गया है यह सब इनफी फ़िका की बहुत ही मोतबर किताब 'बदाईउस्सनाए' से लिया गया है।

इन तमाम शर्तों का हासिल यह है कि शर्ई सज़ा सिर्फ़ उस सूरत में जारी होगी जबकि शरीअते पाक के मुकरर किये हुए ज़ाबे (नियम और उसूल) के मुताबिक़ जुर्म भी मुकम्मल हो और उसका सुबूत भी मुकम्मल, और मुकम्मल भी ऐसा कि उसका कोई पहलू संदिग्ध न रहे। इससे मालूम हुआ कि इस्लामी शरीअत ने जहाँ मस्लेहत के सबब इन अपराधों की सज़ायें सख्त मुकरर की हैं, वहीं शर्ई सज़ाओं के लागू और जारी करने में बहुत ही ज़्यादा एहतियात भी ध्यान में रखी है। सज़ाओं की गवाही का उसूल व नियम भी आम मामलात की गवाही के उसूल व नियम से अलग और इन्तिहाई एहतियात पर आधारित है। उसमें ज़रा सी कमी रह जाये तो शर्ई सज़ा ताज़ीरी सज़ा में तब्दील हो जाती है। इसी तरह जुर्म के मुकम्मल होने के सिलसिले में कोई कमी पाई जाये तब भी शर्ई सज़ा ख़त्म होकर ताज़ीरी सज़ा रह जाती है, जिसका अमल रुख़ यह होता है कि शर्ई सज़ाओं के लागू और जारी होने की नौबत बहुत ही कम और इत्तिफ़ाक़ ही से कभी पेश आती है। आम हालात में शर्ई सज़ाओं वाले जुर्मों में भी ताज़ीरी सज़ायें जारी की जाती हैं, लेकिन जब कहीं जुर्म का मुकम्मल होना पूरे सुबूत के साथ पाया जाये चाहे वह एक फ़ीसदी ही हो तो सज़ा बहुत ही सख्त सबक़ लेने वाली दी जाती है, जिसका डर और ख़ौफ़ लोगों के दिल व दिमाग़ पर मुसल्लत हो जाये, और उस जुर्म के पास जाते हुए भी बदन पर कपकपी पड़ने लगे, जो हमेशा के लिये अपराधों को रोकने और उन पर बन्दिश आम शांति कायम होने का ज़रिया बनती है, बख़िलाफ़ रिवाजी ताज़ीरी क़वानीन के कि वो अपराध पेशा लोगों की नज़र में एक खेल हैं, जिसको वे बड़ी खुशी से खेलते हैं। जेलख़ाने में बैठे हुए भी आईन्दा उस जुर्म को ख़ूबसूरती से करने के प्रोग्राम बनाते रहते हैं।

जिन मुल्कों में शर्ई सज़ाएँ नाफ़िज़ की जाती हैं उनके हालात का जायज़ा लिया जाये तो हकीकत सामने आ जायेगी, कि वहाँ न आपको बहुत से लोग हाथ कटे हुए नज़र आयेंगे, न सालों साल में आपको कोई संगसारी का वाकिआ नज़र पड़ता है। मगर इन शर्ई सज़ाओं की धाक (दहशत) दिलों पर ऐसी है कि वहाँ चोरी, डाके और बेहयाई का नाम नज़र नहीं आता। सऊदी अरब के हालात से आम मुसलमान डायरेक्ट वाकिफ़ हैं, क्योंकि हज़ व उमरे के सिलसिले में हर तब्के और हर मुल्क के लोगों की वहाँ हाज़िरी रहती है, दिन में पाँच मर्तबा हर शख्स यह देखता है कि दुकानें खुली हुई हैं, लाखों का सामान उनमें पड़ा हुआ है और उनका मालिक बग़ैर दुकान बन्द किये हुए नमाज़ के वक़्त हरम शरीफ़ में पहुँच जाता है, और बहुत ही इत्मीनान के साथ नमाज़ अदा करने के बाद आता है। उसको कभी यह बख़्सा (दिल में ख़्याल) भी पेश नहीं आता कि उसकी दुकान से कोई चीज़ ग़ायब हो गयी होगी। फिर यह एक दिन की बात नहीं, उम्र यूँ ही गुज़रती है। दुनिया के किसी सभ्य और विकसित मुल्क में ऐसा करके देखिये तो एक दिन में सैंकड़ों चोरियाँ और डाके पड़ जायेंगे। इनसानी तहज़ीब और मानव अधिकारों के दावेदार

अजीब हैं कि अपराध पेशा लोगों पर तो रहम खाते हैं मगर पूरी इन्सानी दुनिया पर रहम नहीं खाते, जिनकी जिन्दगी उन अपराध पेशा लोगों ने अजीब बना रखी है।

हकीकत यह है कि एक मुजरिम पर तरस खाना पूरी इन्सानियत पर जुल्म करने के जैसा और आम शांति को भंग करने का सबसे बड़ा सबब है। यही वजह है कि रब्बुल-आलमीन जो नेकों, बंदों, परहेज़गारों, औलिया और काफ़िरों व बदकारों सब को रिज़्क देता है, सौंपों, बिच्छुओं, शेरों, भेड़ियों को रिज़्क देता है, और जिसकी रहमत सब पर फैली हुई है, उसने जब शरई सज़ाओं के अहकाम कुरआन में नाज़िल फ़रमाये तो साथ ही यह भी फ़रमाया:

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمْ آفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ.

यानी अल्लाह की हुदूद (सज़ायें) जारी करने में उन मुजरिमों पर हरगिज़ तरस न खाना चाहिये। और दूसरी तरफ़ कि़सास (बदले और खून के बदले खून) को इन्सानी दुनिया की जिन्दगी करार दिया। फ़रमाया:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.

मालूम होता है कि इस्लामी सज़ाओं के खिलाफ़ करने वाले यह चाहते ही नहीं कि अपराधों पर अंकुश लगे, वरना जहाँ तक रहमत व शफ़क़त का मामला है वह इस्लामी शरीअत (खुदाई कानून) से ज्यादा कौन सिखा सकता है। जिसने ऐन मैदाने जंग में अपने कातिल दुश्मनों का हक़ पहचाना और हुक्म दिया है कि औरत सामने आ जाये तो हाथ रोक लो, बच्चा सामने आ जाये तो हाथ रोक लो, बूढ़ा सामने आ जाये तो हाथ रोक लो, मज़हबी आलिम जो तुम्हारे मुकाबले पर जंग में शरीक न हो अपने तर्ज़ की इबादत में मशगूल हो तो उसको क़त्ल न करो।

और सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि इन इस्लामी सज़ाओं पर एतिराज़ के लिये उन लोगों की ज़बानें उठती हैं जिनके हाथ अभी तक हिरोशिमा के लाखों बेगुनाह, बेकसूर इन्सानों के खून से रंगे हुए हैं, जिनके दिल में शायद कभी जंग और मुकाबला करने का तसव्वुर भी न आया हो। उनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब ही दाख़िल हैं। और जिनके गुस्से की आग हिरोशिमा के हादसे से भी ठण्डी नहीं हुई बल्कि रोज़ किसी ख़तरनाक से ख़तरनाक नये बम के बनाने और तज़ुर्बा करने में मशगूल हैं। हम इसके अलावा क्या कहें कि अल्लाह तआला उनकी आँखों से खुदग़ज़ी के पर्दे हटा दे और दुनिया में अमन कायम करने के सही इस्लामी तरीकों की तरफ़ उनको हिदायत करे।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ

مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَامِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۗ سَتَكُونُ

لِلْكَذِبِ سَتَعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ ۗ لَمْ يَأْتُواكَ ۗ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۗ يَقُولُونَ

إِنْ أَوْتَيْنَا هَذَا فَعَدَاوَةٌ وَإِنْ لَمْ نُؤْتِوْهُ فَعَادُوا ۗ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ

اِنَّ مِنْ اللّٰهِ شَيْءًا اَوْلَيْكَ الَّذِيْنَ كُمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ لَٰمُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ
 لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ سَمِعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكْثُوْنَ لِلْحَقِّ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاَحْكَمْ
 بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوْكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاَحْكَمْ بَيْنَهُمْ
 الْقِسْطَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ وَكَيْفَ يُحْكِمُوْكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيْهَا حُكْمٌ اللّٰهُ
 ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا اَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

या अय्युहरसूलु ला यस्जुन्कल्लजी-न
 युसारिजू-न फिल्कुफिर मिनल्लजी-न
 कालू आमन्ना बिअफ्वाहिहिम् व लम्
 तुअमिन् कुलूबुहुम् व मिनल्लजी-न
 हादू सम्माजू-न लिक्जिबि
 सम्माजू-न लिकौमिन् आखरी-न लम्
 यअतू-क, युहरिफूनल्-कलि-म मिम्-
 बअदि मवाजिअिही यकूलू-न इन्
 ऊतीतुम् हाजा फखुजूहु व इल्लम्
 तुअतौहु फस्जू, व मय्युरिदिल्लाहु
 फिल्न-तहू फ-लन् तम्लि-क लहू
 मिनल्लाहि शैअन्, उला-इकल्लजी-न
 लम् युरिदिल्लाहु अय्युतहिह-र
 कुलूबहुम्, लहुम् फिद्दुन्या
 खिजयुव्-व लहुम् फिल्-आखि-रति
 अजाबुन् अजीम (41) सम्माजू-न
 लिक्जिबि अक्कालू-न लिस्सुहि,ि
 फ-इन् जाऊ-क फस्कुम् बैनुहुम् औ
 अअरिजू अन्हुम् व इन् तुअरिजू

ऐ रसूल यम न कर उनका जो दौड़क
 गिरते हैं कुफ्र में, वे लोग जो कहते हैं
 कि हम मुसलमान हैं अपने मुँह से और
 उनके दिल मुसलमान नहीं, और वे ज
 यहूदी हैं जासूसी करते हैं झूठ बोलने के
 लिये, वे जासूस हैं दूसरी जमाअत के जो
 तुझ तक नहीं आती, बदल डालते हैं बात
 को उसका ठिकाना छोड़कर, कहते हैं
 अगर तुमको यह हुक्म मिले तो कुबूल
 कर लेना और अगर यह हुक्म न मिले तो
 बचते रहना, और जिसको अल्लाह ने
 गुमराह करना चाहा सो तू उसके लिये
 कुछ नहीं कर सकता अल्लाह के यहाँ, ये
 वही लोग हैं जिनको अल्लाह ने न चाहा
 कि दिल पाक करे उनके, उनको दुनिया
 में जिल्लत है और उनको आखिरत में
 बड़ा अजाब है। (41) जासूसी करने वाले
 झूठ बोलने के लिये और बड़े हराम खाने
 वाले सो अगर आये वे तेरे पास तो
 फैसला कर दे उनमें या मुँह फेर ले उनसे,
 और अगर तू मुँह फेर लेगा उनसे तो वे
 तेरा कुछ न बिगाड़ सकेंगे, और अगर तू

अन्हुम् फ-लंय्यजुर्ह-क शैअन्, व
 इन् हकम्-त फस्कुम् बैनहुम्
 बिल्किस्ति, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल्
 मुक्सितीन (42) व कै-फ
 युहक्किमून-क व अिन्दहुमुत्तौरातु
 फीहा हुक्मुल्लाहि सुम्-म य-तवल्लौ-न
 मिम्-बअदि जालि-क, व मा उलाइ-क
 बिल्-मुअ्पिनीन (43) ❀

फैसला करे तो फैसला कर उनमें इन्साफ
 से, बेशक अल्लाह दोस्त रखता है इन्साफ
 करने वालों को। (42) और वे तुझको
 किस तरह न्याय करने वाला बनायेंगे
 और उनके पास तो तौरात है जिसमें
 हुक्म है अल्लाह का, फिर उसके पीछे
 फिरे जाते हैं, और वे हरगिज मानने वाले
 नहीं हैं। (43) ❀

इन आयतों के मजमून का पीछे से संबन्ध

सूर: मायदा के तीसरे रूकूअ से अहले किताब का जिक्र चला आ रहा था, बीच में जूरत व मुनासबत के सबब थोड़ा सा जिक्र दूसरी चीजों और खास-खास मजामीन का आ गया था। अब आगे फिर अहले किताब ही का जिक्र दूर तक चला गया है। अहले किताब में यहूदियों व ईसाईयों के दो फिर्के तो थे ही, एक तीसरा फिर्का और शामिल हो गया था, जो हकीकत में यहूदी थे मगर झूठे तौर पर मुसलमान हो गये थे। मुसलमानों के सामने अपना इस्लाम जाहिर करते थे और अपने मजहब वाले यहूदियों में बैठते तो इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे। उक्त तीन आयतें इन्हीं तीनों फिर्कों के ऐसे आमाल और हालात से संबन्धित हैं जिनसे जाहिर होता है कि ये लोग अल्लाह तआला के अहकाम और हिदायतों के मुकाबले में अपनी इच्छाओं और रायों को आगे रखते हैं, और अहकाम व हिदायतों में उल्टा-सीधा मतलब बयान करके अपनी इच्छाओं के मुताबिक बनाने के फिक्र में रहते हैं। मजकूरा आयतों में ऐसे लोगों की दुनिया व आखिरत में रुस्वाई और बुरे अन्जाम का बयान है। इसी के साथ-साथ मुसलमानों के लिये चन्द उसूली हिदायतें और शरीअत के अहकाम का बयान है।

इन आयतों के नाजिल होने का सबब व मौका

जिक्र हुई आयतों के नाजिल होने का सबब दो वाकिए हैं, जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के मुबारक जमाने में मदीना के आस-पास में रहने-वाले यहूदी कबीलों में पेश आये। एक वाकिआ कल्ल व किसास का और दूसरा वाकिआ जिना और उसकी सजा का है।

यह बात तो विश्व इतिहास के जानने वाले किसी शख्स पर छुपी नहीं कि इस्लाम से पहले हर जगह, हर इलाके और हर तब्के में जुल्म व ज्यादती की हुक्मत थी। ताकतवर कमजोर को, इज्जत वाला बेइज्जत को गुलाम बनाये रखता था, ताकतवर और इज्जत वाले के लिये कानून और था और कमजोर व बेइज्जत के लिये कानून दूसरा था। जैसे कि आज भी अपने आपको

सभ्य और तरक्की याफ़ता (विकसित) कहने वाले बहुत से मुल्कों में काले और गोरे का क़ानून अलग-अलग है। इनसानियत के मोहसिन रसूले अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ही आका इन भेदभावों को मिटाया। इनसानों के हुक्क की बराबरी का ऐलान किया और इनसान के इनसानियत और आदमियत का सबक दिया।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मदीना तय्यिबा तशरीफ़ लाने से पहले मदीना के आस-पास के इलाकों में यहूदियों के दो कबीले बन्नु कुरैज़ा और बन्नु नज़ीर आबाद थे। उनमें से बन्नु नज़ीर ताक़त व शौक़त और दौलत व इज़्ज़त में बन्नु कुरैज़ा से ज़्यादा थे, ये लोग आठ दिन बन्नु कुरैज़ा पर जुल्म करते रहते थे और वे चाहे न चाहे इसको सहते थे, यहाँ तक कि बन्नु नज़ीर ने बन्नु कुरैज़ा को इस ज़िल्लत भरे समझौते पर मजबूर किया कि अगर बन्नु नज़ीर का कोई आदमी बन्नु कुरैज़ा के किसी शख्स को क़त्ल कर दे तो उसका किसास यानी जान के बदले में जान लेने का उनको हक़ न होगा, बल्कि सिर्फ़ सत्तर वसक़ खजूरें उसके खून बहा के तौर पर अदा की जायेंगी (वसक़ अरबी वज़न का एक पैमाना है जो हमारे वज़न के हिसाब से तकरीबन पाँच मन दस सैर का होता है)। और अगर मामला इसके विपरीत हो कि बन्नु कुरैज़ा का कोई आदमी बन्नु नज़ीर के किसी शख्स को क़त्ल कर दे तो क़ानून यह होगा कि उसके क़ातिल को क़त्ल भी किया जायेगा और उनसे खून बहा भी लिया जायेगा, और वह भी बन्नु नज़ीर के खून बहा से दो गुना, यानी एक सौ चालीस वसक़ खजूरें। और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि इसके साथ यह भी कि उनका मक्तूल अगर औरत होगी तो उसके बदले में बन्नु कुरैज़ा के एक मर्द को क़त्ल किया जायेगा, और अगर मक्तूल मर्द है तो उसके बदले में बन्नु कुरैज़ा के दो मर्दों को क़त्ल किया जायेगा, और अगर बन्नु नज़ीर के गुलाम को क़त्ल किया है तो उसके बदले में बन्नु कुरैज़ा के आज़ाद को क़त्ल किया जायेगा, और अगर बन्नु नज़ीर के आदमी का किसी ने एक हाथ काटा है तो बन्नु कुरैज़ा के आदमी के दो हाथ काटे जायेंगे। एक कान काटा है तो उनके दो कान काटे जायेंगे। यह क़ानून था जो इस्लाम से पहले इन दोनों कबीलों के बीच राईज था और बन्नु कुरैज़ा अपनी कमज़ोरी की बिना पर इसके मानने पर मजबूर थे।

जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाये और मदीना एक दारुल-इस्लाम बन गया। ये दोनों कबीले न अभी तक इस्लाम में दाख़िल हुए थे न किसी समझौते की रू से इस्लामी अहक़ाम के पाबन्द थे, मगर इस्लामी क़ानून की न्यायपूर्ण और आम सहूलतों को दूर से देख रहे थे। इसी दौरान यह वाकिआ पेश आया कि बन्नु कुरैज़ा के एक आदमी ने बन्नु नज़ीर के किसी आदमी को मार डाला, तो बन्नु नज़ीर ने उक्त समझौते के मुताबिक़ बन्नु कुरैज़ा से दोगुनी दियत यानी खून बहा का मुतालबा किया। बन्नु कुरैज़ा अगरचे न इस्लाम में दाख़िल थे, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उस वक़्त तक कोई समझौता था, लेकिन ये लोग यहूदी थे, इनमें बहुत से लिखे-पढ़े लोग भी थे, जो तौरात की भविष्यवाणियों के मुताबिक़ जानते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही आखिरी ज़माने के नबी हैं, जिनके आने की खुशख़बरी तौरात ने दी है, मगर धार्मिक तास्सुब या दुनियावी

लालच की वजह से ईमान न लाये थे। और यह भी देख रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मजहब इनसानी बराबरी और अदल व इन्साफ़ का झण्डा उठाये हुए है, इसलिये बनू नजीर के जुल्म से बचने के लिये उनको एक सहारा मिला और उन्होंने दोगुनी दियत देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि हम तुम एक ही खानदान से हैं, एक ही वतन के रहने वाले हैं, और हम दोनों का मजहब भी एक यानी यहूदियत है, यह अन्याय पूर्ण मामला जो आज तक तुम्हारी जबरदस्ती और हमारी कमजोरी के सबब होता रहा, अब हम इसको गवारा न करेंगे।

इस जवाब पर बनू नजीर में आक्रोश व गुस्सा पैदा हुआ, और क़रीब था कि जंग खिड़ जाये, मगर फिर कुछ बड़े बूढ़ों के मशियरे से यह तय पाया कि इस मामले का फैसला हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कराया जाये। बनू कुरैज़ा तो चाहते ही यह थे, क्योंकि वे जानते थे कि हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बनू नजीर के जुल्म को बरकरार न रखेंगे। बनू नजीर भी आपसी बातचीत और सलाह व मशियरे और सुलह की बिना पर इसके लिये मजबूर तो हो गये, मगर इसमें यह साजिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास मुक़दिमा ले जाने से पहले कुछ ऐसे लोगों को आगे भेजा जो असल में तो उन्हीं के मजहब वाले यहूदी थे, मगर मुनाफ़िक़ाना तौर पर इस्लाम का इज़हार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आते जाते थे, और मतलब उनका यह था कि ये लोग किसी तरह मुक़दिमे और उसके फैसले से पहले इस मामले में हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इशारा और नज़रिया मालूम कर लें, और यही ताकीद उन लोगों को कर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमारे मुतालबे के मुवाफ़िक़ फैसला फ़रमा दिया तो उसको कुबूल कर लेना और उसके खिलाफ़ कोई हुक्म आया तो मानने का वायदा न करना।

इन आयतों के उतरने का सबब यह वाक़िआ होने को तफ़सील के साथ अल्लामा बग़वी ने नक़ल किया है, और मुस्नद अहमद व अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इसका खुलासा मन्कूल है। (तफ़सीरे मज़हरी)

इसी तरह एक दूसरा वाक़िआ जिना का है, जिसकी तफ़सील अल्लामा बग़वी रह. ने इस तरह नक़ल की है कि ख़ैबर के यहूदियों में यह वाक़िआ पेश आया और तौरात की मुकरर की हुई सज़ा के अनुसार उन दोनों को संगसार करना लाज़िम था, मगर वे दोनों किसी बड़े खानदान के आदमी थे, यहूदियों ने अपनी पुरानी आदत के मुवाफ़िक़ यह चाहा कि उनके लिये सज़ा में नर्मी की जाये, और उनको यह मालूम था कि इस्लामी मजहब में बड़ी सहूलतें दी गयी हैं। इस बिना पर अपने नज़दीक यह समझा कि इस्लाम में इस सज़ा भी कमी और आसानी होगी। ख़ैबर के लोगों ने अपनी बिरादरी बनू कुरैज़ा के लोगों के पास पैग़ाम भेजा कि इस मामले का फैसला मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से करायें, और दोनों मुजरिमों को भी साथ भेज दिया। मन्शा उनका भी यह था कि अगर आप कोई हल्की सज़ा जारी कर दें तो मान लिया जाये वरना इनकार कर दिया जाये। बनू कुरैज़ा को पहले तो संकोच हुआ कि मालूम नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कैसा फैसला करें और वहाँ जाने के बाद हमें मानना पड़े, मगर कुछ

देर गुप्तगू के बाद यही फैसला रहा कि उनके चन्द सरदार हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में इन मुजरिमों को ले जायें और आप ही से उसका फैसला करायें।

चुनाँचे कअब इब्ने अशरफ़ वगैरह का एक वफ़द (प्रतिनिधि मण्डल) उनको साथ लेकर हुजुरे सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और सवाल किया कि शादीशुदा मर्द व औरत अगर बदकारी में मुब्तला हों तो उनकी सज़ा क्या है? आपने फ़रमाया कि क्या तुम मेरा फैसला मानोगे? उन्होंने इकरार किया, उस वक़्त जिब्रीले अमीन अल्लाह तआला का यह हुक्म लेकर नाज़िल हुए कि उनकी सज़ा संगसार करके क़त्ल कर देना है। उन लोगों ने जब यह फैसला सुना तो बौखला गये और मानने से इनकार कर दिया।

हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मशिवरा दिया कि आप उन लोगों से यह कहें कि मेरे इस फैसले को मानने या न मानने के लिये इब्ने सूरिया को जज बना लो और इब्ने सूरिया के हालात व सिफ़ात रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बतला दिये। आपने आने वाले वफ़द से कहा कि क्या तुम उस नौजवान को पहचानते हो जो सफ़ेद रंग का मगर एक आँख से माज़ूर है। फ़दक में रहता है जिसको इब्ने सूरिया कहा जाता है। सब ने इकरार किया, आपने मालूम किया कि आप लोग उसको कैसा समझते हैं? उन्होंने कहा कि यहूदी उलेमा में पूरी दुनिया में उससे बड़ा कोई अज़लिम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया उसको बुलाओ।

चुनाँचे वह आ गया। आपने उसको क़सम देकर पूछा कि इस सूरत में तौरात का हुक्म क्या है? वह बोला कि क़सम है उस ज़ात की जिसकी क़सम आपने मुझे दी है। अगर आप क़सम न देते और मुझे यह ख़तरा न होता कि ग़लत बात कहने की सूरत में तौरात मुझे जला डालेगी तो मैं यह हकीक़त ज़ाहिर न करता। हकीक़त यह है कि इस्लामी हुक्म की तरह तौरात में भी यही हुक्म है कि उन दोनों को संगसार करके क़त्ल कराया जाये।

हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि फिर तुम पर क्या आफ़त आई है कि तुम तौरात के हुक्म की ख़िलाफ़वर्जी (उल्लंघन) करते हो। इब्ने सूरिया ने बतलाया कि असल बात यह है कि जिना की शर्ई सज़ा तो हमारे मज़हब में यही है, मगर हमारा एक शहज़ादा इस जुर्म में मुब्तला हो गया, हमने उसकी रियायत करके छोड़ दिया, संगसार नहीं किया। फिर यही जुर्म एक मामूली आदमी से हुआ और ज़िम्मेदारों ने उसको संगसार करना चाहा तो मुजरिम के जत्ये के लोगों ने प्रतिराज जतारया और विरोध किया कि अगर शर्ई सज़ा इसको देनी है तो इससे पहले शहज़ादे को दो, वरना हम इस पर यह सज़ा जारी न होने देंगे। यह बात बढ़ी तो सब ने मिलकर सुलह कर ली कि सब के लिये एक ही हल्की सज़ा तजवीज़ कर दी जाये, और तौरात का हुक्म छोड़ दिया जाये। चुनाँचे हमने कुछ मारपीट और मुँह काला करके जुलूस निकालने की सज़ा तजवीज़ कर दी, और अब यही सब में रिवाज हो गया।

खुलासा-ए-तफसीर

ऐ रसूल! (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जो लोग कुफ्र (की बातों) में दौड़-दौड़ गिरते हैं (यानी बेतकल्लुफ रुचि के साथ उन बातों को करते हैं) आपको वे गमगीन न करें (यानी आप उनकी कुफ्रिया बातों से रंजीदा और अफसोस करने वाले न हों) चाहे वे उन लोगों में से हों जो अपने मुँह से तो (झूठ-मूट) कहते हैं कि हम ईमान ले आए और उनके दिल यकीन (यानी ईमान) नहीं लाये (इससे मुराद मुनाफिक लोग हैं जो कि एक वाकिए में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे), और चाहे वे उन लोगों में से हों जो यहूदी हैं (जैसा कि दूसरे वाकिए में ये लोग हाजिर हुए थे)। ये (दोनों किस्म के) लोग (पहले से दीन के बारे में अपने उन उलेमा से जो दीनी बातों में रद्दोबदल और कमी-बेशी करते हैं) ग़लत बातों के सुनने के आदी हैं (और उन्हीं ग़लत बातों की ताईद की जुस्तजू में यहाँ आकर) आपकी बातें दूसरी कौम की खातिर कान धर-धर सुनते हैं। जिस कौम के ये हज़लात हैं कि (एक तो) वे आपके पास (तकब्बुर व अदावत की वजह से खुद) नहीं आए (बल्कि दूसरों को भेजा, और दूसरों को भेजा भी तो हक़ की तलब के लिये नहीं बल्कि शायद अपने बदले हुए अहकाम के मुवाफिक़ कोई बात मिल जाये, क्योंकि पहले से अल्लाह के) कलाम को बाद इसके कि वह (कलाम) अपने (सही) मौक़े पर (कायम) होता है (लफ़्ज़ी एतिबार से या मायने के लिहाज़ से या दोनों तरह) बदलते रहते हैं। (चुनाँचे इसी आदत के मुवाफिक़ खून बहा और संगसारी के हुक्म को भी अपने गढ़े हुए तरीक़े से बदल दिया, फिर इस संभावना से कि शायद इस्लामी शरीअत से इस रस्म को सहारा लग जाये, यहाँ अपने जासूसों को भेजा। तीसरे सिर्फ़ यही नहीं कि अपनी खुद गढ़ी हुई रस्म के मुवाफिक़ बात की तलाश ही तक रहते बल्कि इस पर अतिरिक्त यह है कि जाने वालों से) कहते हैं कि अगर तुमको (यहाँ जाकर) यह (हमारा खुद बदला हुआ) हुक्म मिले तब तो उसको कुबूल कर लेना (यानी उसके मुवाफिक़ अमल करने का इक़रार कर लेना) और अगर तुमको यह (बदला हुआ) हुक्म न मिले तो (उसके कुबूल करने से) एहतियात रखना। (पस इस भेजने वाली कौम में जिनकी जासूसी करने ये लोग आये हैं चन्द ख़राबियाँ हुई- अब्बल तकब्बुर व दुश्मनी, जो सबब है खुद हाजिर न होने का। दूसरे हक़ की तलब न होना बल्कि हक़ को बदल कर उसकी ताईद की फ़िक्र होना। तीसरे औरों को भी हक़ के कुबूल करने से रोकना। यहाँ तक आने वालों और भेजने वालों की अलग-अलग बुराई और निंदा थी, आगे इन सब की बुराई है) और (असल यह है कि) जिसका ख़राब (और गुमराह) होना खुदा तआला ही को मन्ज़ूर हो (अगरचे यह तकदीरी मन्ज़ूरी उस गुमराह के गुमराही के इरादे के बाद होती है) तो (ऐ आम मुखातब!) उसके लिए अल्लाह से तेरा कुछ जोर नहीं चल सकता (कि उस गुमराही को न पैदा होने दे। यह तो एक आम कायदा हुआ, अब यह समझो कि) ये लोग ऐसे (ही) हैं कि अल्लाह को इनके दिलों का (कुफ़्रिया बातों और अक़ीदों से) पाक करना मन्ज़ूर नहीं हुआ, (क्योंकि ये इरादा और हिम्मत ही नहीं करते, इसलिये अल्लाह तआला उनको पैदाईशी पवित्र नहीं फ़रमाते

बल्कि उनके गुमराही के इरादे की वजह से पैदाईशी और तकदीरी तौर पर उनका खराब ही होना मन्जूर है। पर उक्त कायदे के मुवाफिक कोई शख्स उनको हिदायत नहीं कर सकता। मतलब यह है कि जब ये खुद खराब रहने का इरादा रखते हैं और इरादे के बाद उस फेल को बजुद में लाना अल्लाह की आदत है, और अल्लाह के किसी चीज को बजुद में लाने से कोई रोक नहीं सकता, फिर उनके ऊपर आने की क्या उम्मीद की जाये। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ज्यादा तसल्ली हो सकती है, जिससे कलाम-शुरू भी हुआ था। पर कलाम का आगाज व अन्जाग तसल्ली के गजमून से हुआ। आगे उन आमाल का फल बयान फरमाते हैं कि) इन (सब) लोगों के लिए दुनिया में रुस्वाई है और आखिरत में उन (सब) के लिए बड़ी सजा है (यानी दोज़ख़। चुनाँचे मुनाफिकों की यह रुस्वाई हुई कि मुसलमानों को उनका निफाक यानी दिल से मुसलमान न होना मालूम हो गया, और सब जिल्लत से देखते थे, और यहूदियों के कत्ल होने, बन्दी बनने और देश निकाला दिये जाने का जिक्र रिवायतों में मशहूर है, और आखिरत का अज़ाब ज़ाहिर ही है)।

ये लोग (दीन के बारे में) ग़लत बातों के सुनने के आदी हैं (जैसा कि पहले आ चुका), बड़े हराम (माल) के खाने वाले हैं (इसी हिर्स ने इनको अहकाम में ग़लत-बयानी का जिसके बदले में कुछ नज़राना वगैरह मिलता है, आदी बना दिया। जब इन लोगों की यह हालत है) तो अगर ये लोग (अपना कोई मुकद्दिमा लेकर) आपके पास (फैसला कराने) आँ तो (आप मुख्तार हैं) चाहें आप उन (के मामले) में फैसला कर दीजिए या उनको टाल दीजिए। और अगर आप (की यहाँ राय करार पाये कि आप) उनको टाल दें तो (यह अन्देशा न कीजिए कि शायद नाराज़ होकर कोई दुश्मनी निकालें, क्योंकि) उनकी मजाल नहीं कि वे आपको ज़रा भी नुक़स्तान पहुँचा सकें (क्योंकि अल्लाह तआला आपकी हिफाज़त करने वाले हैं)।

और अगर (फैसला करने पर राय करार पाये और) आप फैसला करें तो उनमें इन्साफ़ (यानी इस्लामी क़ानून) के मुवाफिक़ फैसला कीजिए। बेशक अल्लाह इन्साफ़ करने वालों से मुहब्बत करते हैं। (और अब वह इन्साफ़ सीमित हो गया है इस्लामी क़ानून में, पर यही लोग महबूब होंगे जो इस क़ानून के मुवाफिक़ फैसला करें) और (ताज्जुब की बात है कि) वे (दीन के मामले में) आप से कैसे फैसला कराते हैं हालाँकि उनके पास तौरात (मौजूद) है, जिसमें अल्लाह का हुक्म (लिखा) है, (जिसके मानने का उनको दावा है। अब्बल तो यही बात बहुत दूर की है) फिर (यह ताज्जुब इससे और पुख़्ता हो गया कि) उस (फैसला लाने) के बाद (जब आपका फैसला सुनते हैं तो उस फैसले से भी) हट जाते हैं; (यानी अब्बल तो इस हाल में फैसला लाना ही से ताज्जुब होता था, लेकिन इस संदेह से वह दूर हो सकता था कि शायद आपका हुक्म पर होना उन पर स्पष्ट हो गया हो इसलिये आ गये हों, लेकिन जब उस फैसले को न माना तो वह ताज्जुब फिर ताज़ा हो गया कि अब तो वह संदेह भी न रहा, फिर क्या बात हो गयी जिसके वास्ते ये फैसला लाये हैं)। और (इसी से हर समझदार को अन्दाज़ा हो गया कि) ये लोग हरगिज़ एतिक़ाद वाले नहीं (यहाँ एतिक़ाद से नहीं आये, अपने मतलब के वास्ते आये थे, और जब

मानना एतिकाद के न होने के दलील हैं तो इससे यह भी मालूम हुआ कि जैसे हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ उनकी एतिकाद नहीं इसी तरह अपनी किताब के साथ भी पूरा एतिकाद नहीं, वरना उसको छोड़कर क्यों आते। गुर्ज कि दोनों तरफ से गये, कि जिससे इनकार है उससे भी एतिकाद नहीं और जिससे एतिकाद व ईमान का दावा है उससे भी नहीं।

मआरिफ व मसाईल

ये तीन आयतें और इनके बाद की आयतें जिन कारणों और घटनाओं के मातहत नाजिल हुई हैं उनका तफसीली बयान पहले आ चुका है। जिसका खुलासा यह है कि यहूदियों की यह पुरानी खस्लत थी कि कभी अपनों को फायदा पहुँचाने के लिये, कभी माल व इज्जत के लालच में लोगों की इच्छाओं के मुताबिक फतवा बना दिया करते थे। खासकर सजाओं के मामले में यह आम रिवाज हो गया था कि जब किसी बड़े आदमी से जुर्म हो जाता तो तौरात की सख्त सजा को मामूली सजा में तब्दील कर देते थे, उनके इसी हाल को मजकूर आयत में इन अलफाज से बयान फरमाया है:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ مَوَاضِعِهِ.

जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना तय्यिबा तशरीफ ले गये और इस्लामी शरीअत का अजीब व गरीब निज़ाम उनके सामने आया, जिसमें सहूलत व आसानी की बड़ी रियायतें भी थीं और अपराधों की रोकथाम और खात्मे के लिये सजाओं का एक माकूल इन्तिज़ाम भी। उस वक़्त उन लोगों को जो तौरात की सख्त सजाओं को बदल कर आसान कर लिया करते थे, यह मौका भी हाथ आया कि ऐसे मामलात में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हकम (फैसला करने वाला) बना दें, ताकि आपकी शरीअत के आसान और नर्म अहकाम से फायदा भी उठा लें, और तौरात के अहकाम में तब्दीली करने के मुजरिम भी न बनें। मगर इसमें भी यह शरारत रहती थी कि बाकायदा हकम बनाने से पहले किसी ज़रिये से अपने मामले का हुक्म बतौर फतवे के मालूम कर लें, फिर आपका वह हुक्म अगर अपनी इच्छाओं के मुवाफिक हो तो हकम (जज) बनाकर फैसला करा लें वरना छोड़ दें। इस सिलसिले के जो बाकिअत जिक्र किये गये हैं उनमें चूँकि हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ पहुँची थी इसलिये आयत के शुरू में सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली दी कि इस पर आप गमगीन न हों, ये अन्जाम के एतिबार से आपके लिये खैर है।

फिर यह इत्तिला दी कि ये लोगों सच्चे दिल से आपको हकम (जज) नहीं बना रहे, बल्कि इनकी नीयतों में खराबी है। फिर बाद की आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इख्तियार दिया कि आप चाहें तो इनके मामले का फैसला फरमा दें या टल दें, आपको इख्तियार है। और यह भी इत्तिला दे दी कि अगर आप टलना चाहें तो ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे, आयत:

فَأَحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ.....الح

का यही मज़मून है। और इसके बाद की आयत में इरशाद है कि अगर आप फैसला देना ही पसन्द करें तो उसमें आपको यह हिदायत दी गयी कि फैसला अदल व इन्साफ़ के मुताबिक़ होना चाहिये। जिसका मतलब यह था कि फैसला अपनी शरीअत के मुताबिक़ फ़रमायें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनने के बाद तमाम पहली शरीअतें और उनके कवानीन मन्सूख़ (रद्द और निरस्त) हो चुके हैं, सिवाय उनके जिनको कुरआने करीम और इस्लामी शरीअत में बाकी रखा गया है। इसी लिये बाद की आयतों में क़ानूने इलाही के खिलाफ़ किसी दूसरे क़ानून या रस्म व रिवाज पर फैसला सादिर करने को जुल्म और कुफ़्र व गुनाह करार दिया गया है।

इस्लामी हुकूमत में गैर-मुस्लिमों के मुक़द्दिमों का क़ानून

यहाँ यह बात याद रखने के काबिल है कि ये यहूदी जिन्होंने अपने मुक़द्दिमों को रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अदालत में भेजा, न उनका रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपकी शरीअत पर ईमान था, न यह कि मुसलमानों के हुक्म के ताबे जिम्मी थे, अलबत्ता रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उनका जंग न करने का समझौता हो गया था, यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इख़्तियार दिया गया कि चाहें टाल दें और चाहें फैसला अपनी शरीअत के मुताबिक़ फ़रमा दें। क्योंकि इन लोगों की कोई जिम्मेदारी इस्लामी हुकूमत पर नहीं है, और अगर ये जिम्मी (यानी मुस्लिम हुकूमत की जिम्मेदारी में रहने वाले काफ़िर) होते और इस्लामी हुकूमत की तरफ़ रुजू करते तो मुस्लिम हाकिम पर फैसला करना फ़र्ज़ होता, टाल देना जायज़ न होता, क्योंकि उनके हुक्म की निगरानी और उनको जुल्म से बचाना इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जैसे कि मुसलमानों के हुक्म और उनसे जुल्म को दूर करना इस्लामी हुकूमत का फ़र्ज़ है। इसी लिये आगे आने वाली एक आयत में यह भी इरशाद है:

وَأِنْ أَحْكَم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

यानी अगर ये लोग अपना मामला आपके पास लायें तो आप उसका फैसला अपनी शरीअत के मुताबिक़ फ़रमा दें।

इस आयत में इख़्तियार देने के बजाय एक मुतैयन फैसला, हुक्म करने का इरशाद है। इमाम अबू बक्र जस्तास ने अहकामुल-कुरआन में इन दोनों में मुवाफकत इसी तरह की है कि पहली आयत जिसमें इख़्तियार दिया गया है वह उन गैर-मुस्लिमों के बारे में है जो हमारी हुकूमत के बाशिन्दे या जिम्मी नहीं बल्कि अपनी जगह रहते हुए उनसे कोई समझौता हो गया है, जैसे बनु कुरैज़ा व बनु नज़ीर का हाल था, कि इस्लामी हुकूमत से उनका इसके सिवा कोई ताल्लुक न था कि एक समझौते के जरिये वे जंग न करने के पाबन्द हो गये थे।

और दूसरी आयत उन गैर-मुस्लिमों के बारे में है जो मुसलमानों के जिम्मी इस्लामी मुल्कों के शहरी और हुक्मत के ताबे रहते हैं।

अब यहाँ यह बात काबिले गौर है कि पहली इख्तियार वाली आयत और दूसरी आयत दोनों में हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हिदायत यह है कि जब उन गैर-मुस्लिमों के मामले में फैसला करें तो अल्लाह तआला के उतारे हुए हुक्म यानी अपनी शरीअत के मुताबिक करें, उन गैर-मुस्लिमों की इच्छाओं या उनके मजहब के मुताबिक फैसला न दें।

इसकी तफसील यह है कि यह हुक्म उन मामलों के बारे में है जिनका जिक्र इन आयतों के उतारने के सबब में आप सुन चुके हैं कि एक कत्ल की सजा और खून-बहा का मामला था, दूसरा जिना और उसकी सजा का। इन जैसे मामलात यानी अपराधों की सजाओं में सारी दुनिया का यही दस्तूर है कि पूरे मुल्क का एक ही कानून होता है, जिसको आम कानून कहते हैं। उस आम कानून में वर्गों या धर्मों की वजह से कोई फर्क नहीं किया जाता। मसलन चोर की सजा हाथ काटना है, तो यह सिर्फ मुसलमानों के लिये मख्सूस नहीं, बल्कि मुल्क में रहने वाले हर शख्स के लिये यही सजा होगी। इसी तरह कत्ल व जिना की सजायें भी सब के लिये आम होंगी, लेकिन इससे यह लाजिम नहीं आता कि गैर-मुस्लिमों के जाती और खालिस धार्मिक मामलों का फैसला भी इस्लामी शरीअत के मुताबिक करना जरूरी हो।

खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शराब और खिनजीर (सुअर) को मुसलमानों के लिये हराम करार दिया और इस पर सजा मुकरर फरमाई, मगर गैर-मुस्लिमों को इसमें आजाद रखा। गैर-मुस्लिमों के निकाह, शादी वगैरह जाती मामलात में कभी हस्तक्षेप नहीं फरमाया, उनके मजहब के मुताबिक जो निकाह सही हैं उनको कायम रखा।

हिब्र मकाम के मजूसी और नजरान और वादी-ए-कुरा के यहूदी व ईसाई इस्लामी हुक्मत के जिम्मी बने और हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह मालूम था कि मजूसियों के नजदीक अपनी माँ-बहन से भी निकाह हलाल है, इसी तरह यहूदियों व ईसाईयों में बगैर इहत गुजारे या बगैर गवाहों के निकाह मोतबर है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके जाती मामलात में कोई दखल-अन्दाजी नहीं फरमाई, और उनके निकाहों को बरकरार तस्लीम किया।

खुलासा यह है कि गैर-मुस्लिम जो इस्लामी हुक्मत के नागरिक हैं उनके व्यक्तिगत व जाती और मजहबी मामलात का फैसला उन्हीं के मजहब व ख्याल पर छोड़ा जायेगा, और अगर मुकद्दिमों में फैसला करने की जरूरत पेश आयेगी तो उन्हीं के मजहब का हाकिम मुकरर करके फैसला कराया जायेगा।

अतबत्ता अगर ये लोग मुस्लिम हाकिम के पास रुजू हों और उसके फैसले पर दोनों फरीक लज़ामन्द हों तो फिर मुस्लिम हाकिम फैसला अपनी शरीअत के मुताबिक ही करेगा, क्योंकि अब यह दोनों फरीकों की तरफ से बनाये हुए मध्यस्थ का हुक्म रखता है। कुरआन पाक की आयत 'व अनिहकुम् बैनहुम् बिमा अन्जलल्लाहु' जो आगे आने वाली है, उसमें इस्लामी शरीअत के

मुताबिक़ फैसला देने का हुक्म जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम को दिया गया है या तो इस बिना पर कि मामला कानूने आम यानी सार्वजनिक कानून का है, जिसमें किसी फ़िक्र को कोई अलग रियायत नहीं दी जा सकती, और या इस बिना पर कि ये लोग खुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम को फैसला करने वाला तस्लीम करके आप ही से फैसला कराने के लिये आये तो ज़ाहिर है कि आपका फैसला वही होना चाहिये जिस पर आपका इमान और आपकी शरीअत का हुक्म है।

बहरहाल जिक्र हुई आयतों में से पहली आयत में अब्बल हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम को तस्ल्ली दी गयी, उसके बाद यहूदियों की साजिश से आपको बाख़बर किया गया। चुनाँचे आयत नम्बर 41-43 (जिन आयतों की यह तफ़सीर बयान हो रही है) में इसी का बयान है, जिससे इस राज़ से पर्दा उठाया गया है कि आपकी ख़िदमत में आने वाली जमाअत मुनाफ़िकों की है, जिनका खुफ़िया गठजोड़ यहूदियों के साथ है और उन्हीं की भेजी हुई आ रही है। उसके बाद आने वाली जमाअत की चन्द बुरी ख़स्लतों का बयान फ़रमाकर मुसलमानों को उसकी बुराई पर चेताया गया और इसी के तहत यह हिदायत फ़रमा दी कि ये ख़स्लतें (आदतें और तौर-तरीक़े) काफ़िरों के हैं, इनसे बचने और दूर रहने का एहतिमाम किया जाये।

यहूदियों की एक बुरी ख़स्लत

पहली ख़स्लत (तरीक़ा और आदत) यह बतलाई 'सम्माऊन लिक्कज़िबि' यानी ये लोग झूठी और ग़लत बातें सुनने के आदी हैं। अपने को आलिम कहलाने वाले ग़द्दर यहूदियों के ऐसे अन्धे पैरोकार हैं कि तौरात के हुक्मों की खुली ख़िलाफ़वर्ज़ी (उल्लंघन) देखने के बावजूद उनकी पैरवी करते रहते हैं और उनकी ग़लत-सलत बयान की हुई कहानियाँ सुनते रहते हैं।

अवाम के लिये उलेमा की पैरवी का उसूल

इसमें जिस तरह रद्दोबदल करने वालों और अल्लाह व रसूल के अहकाम में ग़लत चीज़ें शामिल करने वालों के लिये सज़ा का ऐलाना है, इसी तरह उन लोगों को भी सख़्त मुजरिम करार दिया है जो ऐसे लोगों को इमाम बनाकर खुद ग़द्दी हुई और ग़लत रिवायतें सुनने के आदी हो गये हैं। इसमें मुसलमानों के लिये एक अहम उसूली हिदायत यह है कि अगरचे जाहिल अवाम के लिये दीन पर अमल करने का रास्ता सिर्फ़ यही है कि उलेमा के फ़तवे और तालीम पर अमल करें, लेकिन इस ज़िम्मेदारी से अवाम भी बरी नहीं कि फ़तवा लेने और अमल करने से पहले अपने मुक्त्तदाओं (यानी जिनकी वे पैरवी कर रहे हैं) के बारे में इतनी तहकीक़ तो कर लें जितनी कोई बीमार किसी डॉक्टर या हकीम से रूजू करने से पहले किया करता है, कि जानने वालों से तहकीक़ करता है कि इस बीमारी के लिये कौनसा डॉक्टर माहिर है, कौनसा हकीम अच्छा है, उसकी डिग्रियाँ क्या क्या हैं, उसकी क्लीनिक में जाने वाले और इलाज कराने वाले लोगों पर क्या गुज़रती है। अपनी संभव तहकीक़ के बाद भी अगर वह किसी ग़लत डॉक्टर या

हकीम के जाल में फंस गया या उसने कोई गलती कर दी तो समझदारों के नज़दीक वह काबिले मसलमत नहीं होता, लेकिन जो शख्स बिना तहकीक किसी गैर-माहिर और अताई हकीम के जाल में जा फंसा और फिर किसी मुबीसत में गिरफ्तार हुआ तो वह अक्लमन्दों के नज़दीक खुद अपने आपको तबाह करने का जिम्मेदार है।

यही हाल अवाम के लिये दीनी मामलों के बारे में है कि अगर उन्होंने अपनी बस्ती के इल्म व फन रखने वालों और तजुर्बेकार लोगों से तहकीके हाल करने के बाद किसी आलिम को अपना मुक्तदा बनाया और उसके फतवे पर अमल किया तो वह लोगों की निगाह में भी माज़ूर समझा जायेगा और अल्लाह के यहाँ भी। ऐसे ही मामले के मुताल्लिक हदीस में हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

فَإِنَّ أَيْمَةَ عَلَى مَنْ أَفْتَى.

यानी ऐसी सूरत में अगर आलिम और मुफ्ती ने गलती कर ली और किसी मुसलमान ने उनके ग़लत फतवे पर अमल कर लिया तो उसका गुनाह इस पर नहीं बल्कि उस आलिम और मुफ्ती पर है, और वह भी उस वक़्त जबकि इस आलिम ने जान-बूझकर ऐसी गलती की हो, या संभवतः तलाश व तहकीक और सोच-विचार में कमी की हो, या यह कि वह आलिम ही न था और लोगों को फ़रेब देकर इस पद पर मुसल्लत (काबिज़) हो गया।

लेकिन अगर कोई शख्स बिल्कुल बिना तहकीक किये अपने ख्याल से किसी को आलिम व मुक्तदा करार देकर उसके कौल पर अमल करे, और वह वास्तव में उसका अहल नहीं तो उसका बख़ाल अकेले उस मुफ्ती और आलिम पर नहीं है बल्कि यह शख्स भी बराबर का मुजरिम है जिसने तहकीक किये बग़ैर अपने इमान की बागडोर किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दी, ऐसे ही लोगों के बारे में कुरआने करीम में यह इरशाद आया है 'सम्पाऊन लिक्कज़िबि' यानी ये लोग झूठी बातें सुनने के आदी हैं। अपने मुक्तदाओं (धर्मगुरुओं) के इल्म व अमल और अमानत व दीनदारी की तहकीक के बग़ैर उनके पीछे लगे हुए हैं, और उनसे बेबुनियाद और ग़लत रिवायतें सुनने और मानने के आदी हो गये हैं।

कुरआने करीम ने यह हाल यहूदियों का बयान किया है, और मुसलमानों को सुनाया है कि वे इससे बचकर रहें। लेकिन आजकी दुनिया में मुसलमानों की बहुत बड़ी बरबादी का एक सबब यह भी है कि वे दुनिया के मामलों में तो बड़े होशियार, चुस्त व चालाक हैं, बीमार होते हैं तो बेहतर से बेहतर डॉक्टर हकीम को तलाश करते हैं, कोई मुक़द्दिमा पेश आता है तो अच्छे से अच्छा वकील बेरिस्टर ढूँढ लाते हैं, कोई मकान बनाना है तो आला से आला इंजीनियर का सुराग लगा लेते हैं, लेकिन दीन के मामले में ऐसे सखी हैं कि जिसकी दाढ़ी और कूर्ता देखा और कुछ अलफ़ाज़ बोलते हुए सुन लिया, उसको मुक्तदा, आलिम, मुफ्ती, रहबर बना लिया, बग़ैर इस तहकीक के कि उसने बाकायदा किसी मदरसे में भी तालीम पाई है या नहीं? माहिर उलेमा की ख़िदमत में रहकर इल्मे दीन का कुछ ज़ौक पैदा किया है या नहीं, कुछ इल्मी ख़िदमत अन्जाम दी है या नहीं, सच्चे बुजुर्गों और अल्लाह वालों की सोहबत में रहकर कुछ तक्वा व तदारत पैदा

की है या नहीं?

इसका यह नतीजा है कि मुसलमानों में जो लोग दीन की तरफ मुतवज्जह भी होते हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा जाहिल वाईजों और दुकानदार पीरों के जाल में फंसकर दीन के सही रास्ते से दूर जा पड़ता है। उनका इल्मे दीन सिर्फ वो कहानियाँ रह जाती हैं जिनमें नफ़्स की इच्छाओं पर चोट न पड़े। वे खुश हैं कि हम दीन पर चल रहे हैं और बड़ी इबादत कर रहे हैं, मगर हकीकत यह होती है जिसको कुरआने करीम ने इन अलफ़ाज़ में बयान फ़रमाया है:

الَّذِينَ ضَلَّ مَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

यानी वे लोग हैं जिनकी कोशिश व अमल दुनिया ही में बरबाद हो चुकी है, और वे अपने नज़दीक यह समझ रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा अमल किया है।

खुलासा यह है कि कुरआने करीम ने उन मुनाफ़िक यहूदियों का हाल 'सम्माऊ-लिल्कज़िबि' के लफ़्ज़ों में बयान करके एक अहम और बड़ा उसूल बतला दिया कि जाहि-अवाम को उलेमा की पैरवी तो लाज़िमी और अनिवार्य है मगर उन पर लाज़िम है कि बिना तहकीक के किसी को आलिम व मुक्ताद न बना लें, और नावाक़िफ़ लोगों से गुलत-सलत न सुनने के आदी न हों जायें।

यहूदियों की एक दूसरी बुरी ख़स्तत

इन मुनाफ़िकों की दूसरी बुरी ख़स्तत यह बतलाई कि:

سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ

यानी ये लोग बज़ाहिर तो आप से एक दीनी मामले का हुक्म पूछने आये हैं लेकिन वास्तव में इनका मकसद न दीन है, न दीनी मामले का हुक्म मालूम करना है, बल्कि ये एक ऐसी यहूदी कौम के जासूस हैं जो अपने तकब्बुर की वजह से आप तक खुद नहीं आये। उनकी इच्छा का मुताबिक सिर्फ यह चाहते हैं कि जिना की सज़ा के बारे में आपका नज़रिया मालूम करके उनको बतला दें, फिर मानने न मानने का फैसला खुद करेंगे। इसमें मुसलमानों को इस पर तंबीह है कि किसी आलिमे दीन से फ़तवा मालूम करने के लिये ज़रूरी है कि मालूम करने वाले की नीयत अल्लाह और रसूल के हुक्म को मालूम करके उस पर अमल करना हो; महज़ मुफ़्तिदों की इच्छा के मुवाफ़िक हुक्म तलाश करना नफ़्स व शैतान की खुली हुई पैरवी है, इससे बचना चाहिये।

तीसरी बुरी ख़स्तत

'अल्लाह की किताब में रद्दोबदल करना'

तीसरी बुरी ख़स्तत उन लोगों की यह बयान फ़रमाई कि ये लोग अल्लाह के कलाम

उसके मौके से हटाकर ग़लत मायने पहनाते और खुदा तआला के अहकाम में तहरीफ (रद्दोबदल और कमी-बेशी) करते हैं। इसमें यह सूत भी दाखिल है कि तौरात के अलफ़ाज़ में कुछ रद्दोबदल कर दें, और यह भी कि अलफ़ाज़ तो वही रहें उनके मायने में ग़लत किस्म का हे-फेर और असल मायनों से हटाकर बयान करें। यहूदी लोग इन दोनों किस्मों की तहरीफ (रद्दोबदल) के आदी हैं।

मुसलमानों के लिये इसमें यह तंबीह (चेतावनी) है कि कुरआने करीम की हिफ़ाज़त का अल्लाह तआला ने खुद जिम्मा लिया है, इसमें लफ़्ज़ी कमी-बेशी की तो कोई ज़ुरत नहीं कर सकता, कि लिखे हुए सहीफ़ों के अलावा लाखों इनसानों के सीनों में महफूज़ कलाम में एक ज़ेर व ज़बर की ग़लती कोई करता है तो फ़ौरन पकड़ा जाता है। मायने के एतिबार से रद्दोबदल बजाहिर की जा सकती है और करने वालों ने की भी है, मगर उसकी हिफ़ाज़त के लिये अल्लाह तआला ने यह इन्तिज़ाम फ़रमा दिया है कि इस उम्मत में कियामत तक एक ऐसी जमाअत कायम रहेगी जो कुरआन व सुन्नत के सही मफ़हूम की हामिल होगी, और तहरीफ़ करने वालों की कलाई खोल देगी।

चौथी बुरी ख़स्तत रिश्वत ख़ोरी

दूसरी आयत में उनकी एक और बुरी ख़स्तत यह बयान फ़रमाई है:

اَكْلُوْنَ لِلسُّخْتِ.

यानी ये लोग सुहत खाने के आदी हैं। सुहत के लफ़्ज़ी मायने किसी चीज़ को जड़ बुनियाद ख़ोदकर बरबाद करने के हैं, इसी मायने में कुरआने करीम ने फ़रमाया है:

لَسِيحَتِكُمْ بِعَذَابٍ.

यानी अगर तुम अपनी हरकत से बाज़ न आओगे तो अल्लाह तआला अपने अज़ाब से तुम्हारा ख़ाल्मा कर देगा, यानी तुम्हारी जड़ बुनियाद ख़त्म कर दी जायेगी। कुरआन मजीद में इस अंगह लफ़्ज़ सुहत से मुराद रिश्वत है। हज़रत अली कर्म्मल्लाहु बर्रहू, इब्राहीम नख़ई रह., हसन मारी रह., मुजाहिद रह., कतादा रह., ज़ह्राक रह. वगैरह तफ़्सीर के इमामों ने इसकी तफ़्सीर रिश्वत से की है।

रिश्वत को सुहत कहने की वजह यह है कि वह न सिर्फ़ लेने-देने वालों को बरबाद करती है बल्कि पूरे मुल्क व मिल््लत की जड़ बुनियाद और आम शान्ति को तबाह करने वाली है। जिस मुल्क या जिस महकमे में रिश्वत चल जाये वहाँ काज़ून बेकार होकर रह जाता है, और मुल्क का काज़ून ही वह चीज़ है जिससे मुल्क व मिल््लत का अमन बरकरार रखा जाता है, वह बेकार हो जाये तो न किसी की जान महफूज़ रहती है न आबरू न माल, इसलिये इस्लामी शरीअत में इसको सुहत फ़रमाकर सख़्त हराम करार दिया है, और इसके दरवाज़े को बन्द करने के लिये अमीरों और हाकिमों को जो इदिये और तोहफे पेश किये जाते हैं उनको भी सही हदीस में

रिश्वत करार देकर हराम कर दिया गया है। (तफसीरे जस्सास)

और एक हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तआला रिश्वत लेने वाले और देने वाले पर लानत करते हैं, और उस शख्स पर भी जो उन दोनों के बीच दलाल और वास्ता बने। (तफसीरे जस्सास)

शरीअत में रिश्वत का मतलब यह है कि जिसका मुआवजा और बदला लेना शरअन दुख्त न हो उसका मुआवजा लिया जावे। मुसलमन जो काम किसी शख्स के फराईज (जिम्मेदारी और इयूटी) में दाखिल है और उसका पूरा करना उसके जिम्मे लाजिम हो उस पर किसी फरीक से मुआवजा लेना। जैसे हुकूमत के अफसर और क्लर्क सरकारी नौकरी की रू से अपने फराईज अदा करने के जिम्मेदार हैं, वे मामले वाले से कुछ लें तो यह रिश्वत है। या लड़की के माँ-बाप उसकी शादी करने के जिम्मेदार हैं, किसी से उसका मुआवजा नहीं ले सकते, वे जिसको रिश्ता दान उससे कुछ मुआवजा लें तो वह रिश्वत है। या नमाज, रोजा, हज और कुरआन की तिलावत इबादतें हैं जो मुसलमान के जिम्मे हैं, इन पर किसी से कोई मुआवजा लिया जाये तो वह रिश्वत है। कुरआन की तालीम देना और इमामत इस हुक्म से खारिज हैं (जैसा कि बाद के उल्लेख हजरात ने इसी पर फतवा दिया है)।

फिर जो शख्स रिश्वत लेकर किसी का काम हक के मुताबिक करता है वह रिश्वत लेने का गुनाहगार है, और यह माल उसके लिये सुहत और हराम है। और अगर रिश्वत की वजह से हक के खिलाफ काम किया तो यह दूसरा सख्त जुर्म, हक-तल्फी और अल्लाह के हुक्म को बदल देना का उसके अलावा हो गया। अल्लाह तआला मुसलमानों को इससे बचाये। आमीन

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هُمْ أَزْوَاجُ
وَالرَّشِيدُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ
وَإِحْسُونَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْكٰفِرُونَ ۝ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۚ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ وَقَفِينَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَأَتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۚ وَمُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ۚ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۚ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ جَاءَتْكُم مِّنَ الرِّجَالِ بَعْضُهَا مِنكُم بَشْرًا وَمِنْهَا جَاءَهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ وَإِن آتَاكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَن يَغْتَابَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيئُهُمُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ۝ أَلْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُونَ ۖ وَمِنَ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

इन्ना अन्जलूनतौरा-त फीहा हुदव-व
नूरुन् यस्कुमु बिहन्नबिय्यूनल्लजी-न
अस्लमू लिल्लजी-न हादू
वर्रब्बानिर्यू-न वल्-अहबारु
बिमस्तुस्फिजू मिन् किताबिल्लाहि व
कानू अलैहि शु-हदा-अ फ़ला
तख़शान्ना-स वख़शौनि व ला तशतरु
बिआयाती स-मनन् कलीलन्, व
मल्लम् यस्कुम् बिमा अन्जलल्लाहु
फ-उलाइ-क हुमुल-काफिरून (44) व
कतब्ना अलैहिम् फीहा अन्नन्-
नफ़-स बिन्नफ़िस वलज़ै-न बिलज़ैनि
वलअन्-फ़ बिलअन्फ़ि वलज़ुज़ु-न
बिल्-उज़ुनि वसिसन्-न बिसिसन्नि
वलज़ुरू-ह किसासुन्, फ़मन् तसह-क
बिही फ़हु-व कफ़रतुल्लहू, व मल्लम्
यस्कुम् बिमा अन्जलल्लाहु फ-उलाइ-क
हुमुज़्ज़ालिमून (45) व कफ़ैना अला

हमने नाज़िल की तौरात कि उसमें
हिदायत और रोशनी है, उस पर हुक्म
करते थे पैग़म्बर जो कि हुक्म मानने वाले
थे अल्लाह के यहूद को, और हुक्म करते
थे दुर्वेश और अज़लिम इस वास्ते कि वे
निगहबान ठहराये गये थे अल्लाह की
किताब पर और उसकी ख़बरगीरी करने
पर मुकर्रर थे, सो तुम न डरो लोगों से
और मुझसे डरो और मत ख़रीदो मेरी
आयतों पर मोल थोड़ा, और जो कोई
हुक्म न करे उसके मुवाफ़िक़ जो कि
अल्लाह ने उतारा सो वही लोग हैं काफ़िर।
(44) और लिख दिया हमने उन पर इस
किताब में कि ज़ी के बदले जी, और आँख
के बदले आँख, और नाक के बदले नाक
और कान के बदले कान और दाँत के
बदले दाँत और ज़ख़्मों के बदला उनके
बराबर, फिर जिसने माफ़ कर दिया तो
वह गुनाह से माफ़ हो गया और जो कोई
हुक्म न करे इसके मुवाफ़िक़ जो कि
अल्लाह ने उतारा सो वही लोग हैं
ज़ालिम। (45) और पीछे भेजा हमने उन्हें

आसारिहिम् बिअीसब्नि मर्य-म
मुसदिकल्लिमा बै-न यदैहि मिनत्-
तौराति व आतैनाहुल् इन्जी-ल फीहि
हुदंव-व नूरुंव-व मुसदिकल्-लिमा
बै-न यदैहि मिनत्तौराति व हुदंव-व
मौअि-जतल् लिन्मुत्तकीन (46)

वलयस्कुम् अह्लुल्-इन्जीलि बिमा
अन्जलल्लाहु फीहि व मल्लम् यस्कुम्
बिमा अन्जलल्लाहु फ-उलाइ-क
हुमुल्-फासिकून (47) व अन्जल्ला
इलै कल्-किता-ब बिल्हदि क
मुसदिकल्लिमा बै-न यदैहि मिनल्-
किताबि व मुहैमिनन् अलैहि फस्कुम्
बैनहुम् बिमा अन्जलल्लाहु व ला
तत्तबिअ् अस्वा-अहुम् अम्मा जाअ-क
मिनल्-हदिक, लिक्ुल्लिन् जअल्ला
मिन्कुम् शिर-अतंव-व मिन्हाजन, व
लौ शाअल्लाहु ल-ज-अ-लकुम्
उम्मतंव-वाहि-दतंव-व लाकिल्-
-लियब्नु-वकुम् फी मा आताकुम्
फस्तबिकुल्-खौराति, इलल्लाहि
मजिअुकुम् जमीअन् फयुनब्बिउकुम्
बिमा कुन्तुम् फीहि तख्तलिफून (48)
व अनिस्कुम् बैनहुम् बिमा
अन्जलल्लाहु व ला तत्तबिअ्

के कदमों पर ईसा मरियम के बेटे को
तस्दीक करने वाला तौरात की जो आगे से
थी, और उसको दी हमने इंजील जिसमें
हिदायत और रोशनी थी और तस्दीक
करती थी अपने से अगली किताब तौरात
की, और सह बतलाने वाली और नसीहत
थी डरने वालों को। (46) और चाहिए
कि हुक्म करें इंजील वाले मुवाफिक उसके
जो कि उतारा अल्लाह ने उसमें और जो
कोई हुक्म न करे मुवाफिक उसके जो कि
उतारा अल्लाह ने सो वही लोग हैं
नाफरमान। (47) और तुझ पर उतारी
हमने किताब सच्ची तस्दीक करने वाली
पहली किताबों की और उनके मजामीन
पर निगहबान, सो तू हुक्म कर उनमें
मुवाफिक उसके जो कि उतारा अल्लाह ने
और उनकी खुशी पर मत चल छोड़कर
सीधा रास्ता जो तेरे पास आया, हर एक
को तुम में से दिया हमने एक दस्तूर और
सह, और अल्लाह चाहता तो तुमको एक
दीन पर कर देता लेकिन तुमको
आजमाना चाहता है अपने दिये हुए
हुक्मों में, सो तुम दौड़कर लो खूबियाँ,
अल्लाह के पास तुम सब को पहुँचना है,
फिर जता देगा जिस बात में तुमको
इख्तलाफ (विवाद) था। (48) और यह
फरमाया कि हुक्म कर उनमें मुवाफिक
उसके जो कि उतारा अल्लाह ने, और मत

अस्वा-अहुम् वस्जरहुम् अय्यफित्तनू-क
अम्बअजि मा अन्जल्लाहु इलै-क,
फ-इन् तवल्लौ फअलम् अन्नमा
युरीदुल्लाहु अय्युसीबहुम् बि-बअजि
नुनूबिहिम्, व इन्-न कसीरम्
मिनन्नासि लफासिकून (49)
अ-फहुक्मल् जाहिलिय्यति यब्गू-न,
व मन् अहसनु मिनल्लाहि हुक्मल्
लिकौमियू-यूकिनून (50) ❀

चल उनकी खुशी पर और बचता रह उनसे
कि तुझको बहका न दें किसी ऐसे हुक्म
से जो अल्लाह ने उतारा तुझ पर, फिर
अगर न मारें तो जान ले कि अल्लाह ने
यही चाहा है कि पहुँचा दे उनको कुछ
सजा उनके गुनाहों की, और लोगों में
बहुत हैं नाफरमान। (49) अब क्या हुक्म
चाहते हैं कुफ़्र के वक्त का? और अल्लाह
से बेहतर कौन है हुक्म करने वाला
यकीन करने वालों के वास्ते। (50) ❀

इन आयतों के मजमून का पीछे से ताल्लुक

यह सूर: मायदा का सातवाँ रुकूअ है। इसमें हक् तआला ने यहूदियों, ईसाईयों और मुसलमानों को इकट्ठे तौर पर एक अहम और खास शरीअत के हुक्म पर सचेत फरमाया है, जिसका जिक्र सूर: मायदा में अलग-अलग तौर पर ऊपर से चला आया है। और वह मामला है अल्लाह जल्ल शानुहू से किये हुए अहद व पैमान के खिलाफ़ करने का, और उसके भेजे हुए अहकाम में बदलाव और कमी-बेशी करने और अलफाज या मायनों में हेर-फेर करने का, जो यहूदियों व ईसाईयों की हमेशा की खस्लत व आदत बन गया था।

इस रुकूअ में हक् तआला ने पहले तौरात वाले यहूदियों को मुखातब फरमा कर उनको इस टेढ़ी और ग़लत चाल और उसके बुरे अन्जाम पर शुरू की दो आयतों में सचेत फरमाया, और उसके जिमन में किसास के बारे में कुछ अहकाम भी इस मुनासबत से जिक्र फरमा दिये कि पिछली आयतों में जो यहूद की साजिश के वाकिए का जिक्र किया गया है वह किसास के मुताल्लिक़ था, कि बनू नज़ीर दियत और किसास में बराबरी के कायल न थे बल्कि बनू कुरैज़ा को अपने से कम दियत लेने पर मजबूर कर रखा था। इन दोनों आयतों में यहूदियों को अल्लाह-तआला के नाज़िल किये हुए कानून के खिलाफ़ अपना कानून जारी करने पर सख्त चेतावनी दी, और ऐसा करने वालों को काफ़िर और ज़ालिम करार दिया।

उसके बाद तीसरी आयत में इंजील वाले ईसाईयों को इसी मजमून का खिताब फरमाकर अल्लाह के नाज़िल किये हुए कानून के खिलाफ़ कोई कानून जारी करने पर सख्त तंबीह फरमाई, और ऐसा करने वालों को सरकश व नाफरमान करार दिया।

उसके बाद चौथी, पाँचवीं और छठी आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम को मुखातब बनाकर मुसलमानों को इसी मजमून के बारे में हिदायतें दी गयीं कि वे पहले किताब

कों इस बीमारी में मुक्ता न हो-जायें, कि माल व पद के लालच में अल्लाह तआला के अहकाम को बदलने लगे, या उसके क़ानून के खिलाफ़ कोई क़ानून अपनी तरफ़ से जारी करने लगे।

इसके तहत में एक और अहम बुनियादी मसला यह भी बयान फ़रमा दिया कि अगरचे अक़ीदों के उसूल और अल्लाह तआला की इताअत के मामले में तमाम अम्बिया-ए-क़िराम एक ही अक़ीदे और एक ही तरीके के पाबन्द हैं, लेकिन हिक्मत के तकाज़े के सबब हर पैग़म्बर को उसके ज़माने के मुनासिब शरीअत दी गयी है, जिसमें बहुत से ऊपर के और आंशिक अहकाम भिन्न और अलग हैं। और यह बतलाया कि हर पैग़म्बर को जो शरीअत दी गयी, उसके ज़माने में वही हिक्मत व मस्लेहत का तकाज़ा और पैरवी के लिये ज़रूरी थी, और जब उसको मन्सूख़ (ख़त्म और निरस्त) करके दूसरी शरीअत लाई गयी तो उस वक़्त वही हिक्मत व मस्लेहत के पूरी तरह मुताबिक़ और अनुसरणीय हो गयी। इसमें शरीअतों के विभिन्न होते रहने और बदलते रहने की एक खास हिक्मत की तरफ़ भी इशारा फ़रमा दिया।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हमने (मूसा अलैहिस्सलाम पर) तौरात नाज़िल फ़रमाई थी जिसमें (सही अक़ीदों की भी) हिदायत थी और (अमली अहकाम की भी) वज़ाहत थी। (बनी इस्राईल के) अम्बिया जो कि (यावजूद लाखों आदमियों के मुक्तादा व पेशवा होने के) अल्लाह तआला के फ़रमाँबरदार थे, उस (तौरात) के मुवाफ़िक़ यहूदियों को हुक्म दिया करते थे, और (इसी तरह उनमें के) अल्लाह वाले और उलेमा भी (उसी के मुवाफ़िक़, कि वही उस वक़्त की शरीअत थी हुक्म देते थे) इस वजह से कि उन (अल्लाह वालों और उलेमा) को उस अल्लाह की किताब (पर अमल करने और कराने) की हिफ़ाज़त का हुक्म (अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ज़रिये से) दिया गया था और वे उसके (यानी उस पर अमल करने कराने के) इक़रारी हो गये थे। (यानी चूँकि उनको उसका हुक्म हुआ था और उन्होंने उस हुक्म को कुबूल कर लिया था, इसलिये हमेशा उसके पाबन्द रहे) सो (ऐ इस ज़माने के सरदार और यहूद के उलेमा जब हमेशा से तुम्हारे सब मुक्तादा तौरात को मानते आये हैं तो) तुम भी! (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तस्दीक़ के बारे में जिसका हुक्म तौरात में है) लोगों से (यह) अन्देशा मत करो (कि हम तस्दीक़ कर लेंगे तो आम लोगों की नज़र में हमारे रुतबे में फ़र्क़ आयेगा) और (सिर्फ़) मुझसे डरो (कि तस्दीक़ न करने पर सज़ा दूँगा), और मेरे अहकाम के बदले में (दुनिया की) मता-ए-क़लील "यानी मामूली फ़ायदा" (जो कि तुमको अपने अ़वाम से वसूल होती है) मत लो, (कि यही माल व पद की मुहब्बत तुम्हारे लिये तस्दीक़ न करने की सबब बनती है) और (याद रखो कि) जो शख्स अल्लाह के नाज़िल किए हुए के मुवाफ़िक़ हुक्म न करे (बल्कि शरई हुक्म के अलावा को जान-बूझकर शरई हुक्म बतलाकर उसके मुवाफ़िक़ हुक्म करे) सो ऐसे लोग बिल्कुल काफ़िर हैं (जैसा ऐ यहूदिया! तुम कर रहे हो कि अक़ीदों में भी, जैसे कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत के अक़ीदे में, और आमत में भी जैसे रजम वगैरह के हुक्म में अपने बनाये और गढ़े हुए क़ा

अल्लाह का हुक्म बतला कर गुमराह होने और दूसरों को गुमराह करने में मुब्तला हो रहे हों।

और हमने उन (यहूदियों) पर उस (तौरात) में यह बात फर्ज की थी कि (अगर कोई किसी को नाहक जान-बूझकर कत्ल या जख्मी करे और हक वाला दावा करे तो) जान बदले जान के, और आँख बदले आँख के, और नाक बदले नाक के, और कान बदले कान के, और दाँत बदले दाँत के, और (इसी तरह दूसरे) खास जख्मों का भी बदला है। फिर जो शख्स (इस किताब यानी बदला लेने का हकदार होकर भी) उस (किताब) को माफ़ कर दे तो वह (माफ़ करना) उस (माफ़ करने वाले) के लिए (उसके गुनाहों का) कफ़ारा (यानी गुनाहों के दूर होने का सबब) हो जाएगा (यानी माफ़ करना सवाब का जरिया है)। और (चूँकि यहूदियों ने इन अहकाम को छोड़ रखा था इसलिये दोबारा फिर बर्इद सुनाते हैं कि) जो शख्स खुदा के नाज़िल किए हुए के मुवाफ़िक़ हुक्म न करे, (जिसके मायने ऊपर गुज़रे) तो ऐसे लोग बिल्कुल सितम कर रहे हैं (यानी बहुत बुरा काम कर रहे हैं)।

और हमने उन (नबियों) के बाद (जिनका जिक्र 'यहकुमु बिहन्नबियू-न' में आया है) ईसा इब्ने मरियम (अलैहिमस्सलाम) को इस हालत में (पैग़म्बर बनाकर) भेजा कि वह अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक़ फ़रमाते थे (जो कि रसूल होने की लाज़िमी सिफ़त है कि अल्लाह तआला की तरफ़ से आई हुई तमाम किताबों की तस्दीक़ करे) और हमने उनको इन्जील दी जिसमें (तौरात ही की तरह सही अक़ीदों की भी) हिदायत थी और (अमली अहकाम की भी) वज़ाहत थी और (इन्जील) अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक़ (भी) करती थी, (कि यह भी अल्लाह की किताब की लाज़िमी सिफ़तों में से है) और वह (सरासर) हिदायत और नसीहत थी (खुदा से) डरने वालों के लिए।

और (हमने इन्जील देकर हुक्म किया था कि) इन्जील वालों को चाहिए कि अल्लाह तआला ने जो कुछ उसमें नाज़िल फ़रमाया है उसके मुवाफ़िक़ हुक्म किया करें, और (ऐ इस ज़माने के ईसाईयो! सुन रखो कि) जो शख्स खुदा तआला के नाज़िल किए हुए के मुवाफ़िक़ हुक्म न करे (और इसका मतलब ऊपर गुज़र चुका है) तो ऐसे लोग बिल्कुल नाफ़रमानी करने वाले हैं। (और इन्जील हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रसूल होने की ख़बर दे रही है, तो तुम उसके खिलाफ़ क्यों चल रहे हो)।

और (तौरात व इन्जील के बाद) हमने (यह) किताब (जिसको कुरआन कहा जाता है) आपके पास भेजी है जो (खुद भी) सच्चाई (व रास्ती) वाली है और इससे पहले जो (आसमानी) किताबें (आ चुकी) हैं (जैसे तौरात, इन्जील और ज़बूर) उनकी तस्दीक़ करती है, (कि वे अल्लाह तआला की तरफ़ से उतरी हुई हैं) और (चूँकि वह किताब जिसको कुरआन कहा जाता है, कियामत तक महफूज़ व अमल की जाने वाली है, और उसमें उन आसमानी किताबों की तस्दीक़ मौजूद है, इसलिये वह किताब उन (किताबों) के सच्चा होने के मज़मून की (हमेशा के लिये) मुहाफ़िज़ है। (क्योंकि कुरआन में हमेशा यह महफूज़ रहेगा कि वे किताबें अल्लाह तआला की तरफ़ से उतरी हुई हैं। जब कुरआन ऐसी किताब है) तो इन (अहले किताब) के आपसी मामलात में

(जबकि आपके सामने पेश हों) इस भेजी हुई (किताब) के मुवाफिक़ फैसला फ़रमाया कीजिए और यह जो सच्ची किताब आपको मिली है इससे दूर होकर उनकी (शरीअत के खिलाफ़) इच्छाओं (और फ़रमाईशों) पर (आईन्दा भी) अमल दरामद न कीजिए (जैसा कि अब तक बावजूद उनकी दरख्वास्त व प्रार्थना के आपने साफ़ इनकार फ़रमाया। यानी यह आपकी राय निहायत ही दुरुस्त है, इसी पर हमेशा कायम रहिये। और ऐ अहले किताब! तुमको इस कुरआन को हक़ जानने से और इसके फैसले को मानने से क्यों इनकार है? क्या नये दीन का आना कुताब्जुब की बात है? आखिर) तुम में से हर एक (उम्मत) के लिए (इससे पहले) हमने (खास) शरीअत और (खास) तरीक़ा तजवीज़ किया था। (जैसे यहूदियों की शरीअत व अमली तरीक़े की तालीम तौरात थी, और ईसाईयों की शरीअत और सही रास्ते की रहनुमाई इंजील थी। फिर आगे उम्मते मुहम्मदिया के लिये शरीअत व तरीक़त कुरआन मुकरर किया गया, जिसका हक़ होना भी दलीलों से साबित है तो इनकार करने की वजह क्या है) और अगर अल्लाह तआला को (सब) का एक ही तरीक़े पर रखना) मन्ज़ूर होता तो (वह इस पर भी कुदरत रखते थे कि) तुम सब (यहूदियों व ईसाईयों और मुसलमानों) को (एक ही शरीअत देकर) एक ही उम्मत कर देते, (और नई शरीअत न आती, जिससे तुमको घबराहट होती है) लेकिन (अपनी हिक्मत से) ऐसा नहीं किया (बल्कि हर उम्मत को अलग-अलग तरीक़ा दिया) ताकि जो दीन तुमको (हर ज़माने में नया-नया) दिया है उसमें तुम सब का (तुम्हारे इताअत के इज़हार के लिये) इम्तिहान फ़रमाए (क्योंकि अक्सर यह तबई चीज़ है कि नये तरीक़े से घबराहट और मुखालफ़त की तरफ़ हरकत होती है, लेकिन जो शख्स सही अक़ल और इन्साफ़ से काम लेता है वह इस हकीक़त के सामने आने के बाद अपनी तबीयत को मुवाफ़क़त पर मजबूर कर देता है, और यह एक बड़ा इम्तिहान है। पस अगर सब की एक ही शरीअत होती तो उस शरीअत की शुरूआत के वक़्त जो लोग होते उनका इम्तिहान तो हो जाता, लेकिन दूसरे जो उनके पैरोकार और उस तरीक़े से जुड़े होते उनका इम्तिहान न होता। और अब हर उम्मत का इम्तिहान हो गया। और इम्तिहान की एक सूरत यह होती है कि इनसान को जिस चीज़ से रोका जाये चाहे उस पर उसका अमल हो या छोड़ी हुई यानी अमल से बाहर हो, उस पर हिर्स होती है। और यह इम्तिहान शरीअतों को अलग-अलग और भिन्न होने में ज्यादा क़बी है, कि मन्सूख से रोका जाता है, और शरीअत एक होने की हालत में अगरचे गुनाहों से रोकते, लेकिन उनमें हकीक़त का तो शुब्हा नहीं होता, इसलिये इम्तिहान इस दर्जे का नहीं। इन दोनों इम्तिहानों का मजमूआ हर उम्मत के पहले वाले और बाद वालों सब को आम हो गया, जैसा कि पहली सूरत को सिर्फ़ पहले वाले और शुरू लोगों के साथ विशेषता हासिल है। पस जब नयी शरीअत में यह हिक्मत है तो (भेदभाव को छोड़कर) मुफ़ीद बातों की तरफ़ (यानी उन अक़ीदों, आमाल और अहक़ाम की तरफ़ जिन पर कुरआन मुश्तमिल है) दौड़ो, (यानी कुरआन पर ईमान लाकर इस पर चलो, एक दिन) तुम रुको खुदा ही के पास जाना है, फिर वह तुम सब को जतला देगा, जिसमें तुम (बावजूद हक़ स्पष्ट होने के दुनिया में ख़्वाह-मख़्वाह) झगड़ा किया करते थे। (इसलिये इस बेजा झगड़े को छोड़कर

हक को जो कि अब सीमित है कुरआन में, कुबूल कर लो)।

और (चूँकि इन अहले किताब ने ऐसी ऊँची उड़ान उड़ी कि अपने मुवाफिक मुकद्दमे का फैसला करने की आप से दरख्वास्त करते हैं, जहाँ कि इसकी संभावना और शुब्हा ही नहीं, इसलिये उनके हौसले पस्त करने को और इसको सुनाकर हमेशा-हमेशा के लिये उनको नाउम्मीद कर देने को) हम (एक बार फिर) हुक्म देते हैं कि आप इन (अहले किताब) के आपसी मामलात में (जबकि आपके इजलास में पेश हों) इस भेजी हुई (किताब) के मुवाफिक फैसला फरमाया कीजिए और उनकी (खिलाफे शरीअत) इच्छाओं (और फरमाईशों) पर (आईन्दा भी) अमल इरामद न कीजिए (जैसा कि अब तक भी नहीं किया)। और उनसे यानी उनकी इस बात से (आईन्दा भी अब तक की तरह) एहतियात रखिए कि वे आपको खुदा तआला के भेजे हुए किसी हुक्म से भी बिचला दें (यानी अगरचे इसकी संभावना और गुमान नहीं लेकिन इसका इरादा भी रहे तो सवाब का जुरिया भी है) फिर (कुरआन के स्पष्ट होने और उसके फैसले के हक होने के बावजूद भी) अगर ये लोग (कुरआन से और आपके फैसले से जो कुरआन के मुवाफिक होगा) मुँह मोड़ें तो (यह) यकीन कर लीजिए कि बस खुदा ही को मन्जूर है कि उनके बाजे जुर्मों पर (दुनिया ही में) उनको सजा दें (और वह बाजे जुर्म फैसला न मानना है, और कुरआन के हक और सच्चा होने को न मानने की पूरी सजा आखिरत में मिलेगी। क्योंकि पहला जुर्म जिम्मी होने के खिलाफ है, और दूसरा जुर्म ईमान के खिलाफ। मुक़ाबले पर आने और जंग की सजा दुनिया में होती है और कुफ़ की सजा आखिरत में। चुनाँचे यहूद की नाफरमानी और अहद तोड़ना जब हद से गुजर गया तो उनको कल्ल किये जाने, कैद करने और बतन से निकालने की सजा दी गयी)।

और (ऐ मुहम्मद! उनके ये हालात सुनकर आपको रंज जरूर होगा, लेकिन आप ज्यादा गम न कीजिए, क्योंकि) ज्यादा आदमी तो (दुनिया में हमेशा से) नाफरमान ही होते (आये) हैं। (कुरआनी फैसले से जो कि पूरी तरह इन्साफ है मुँह मोड़कर) क्या ये लोग जाहिलीयत के जमाने का फैसला चाहते हैं (जिसको इन्होंने आसमानी शरीअतों के खिलाफ खुद तैयार कर लिया था, जिसका जिक्र दो वाकियों के तहत में इस रकूअ से पहले रकूअ (या अयुहरसूलु....) की तैमहीद में गुजर चुका है। हालाँकि वह पूरी तरह इन्साफ और दलील के खिलाफ है, लेकिन जानकार होकर इल्म से मुँह मोड़ना और जहल (अज्ञानता) का इच्छुक होना बहुत ही ताज्जुब की बात है)। और फैसला करने में अल्लाह से अच्छा कौन (फैसला देने वाला) होगा, (बल्कि अच्छा तो क्या कोई उसके बराबर भी नहीं। पर खुदाई फैसले छोड़कर दूसरे के फैसले का इच्छुक होना पूरी तरह जहालत नहीं तो क्या है, लेकिन यह भी) यकीन (व ईमान) रखने वालों (ही) के नजदीक है (क्योंकि इसका समझना मौकूफ़ अफली कुव्वत के सही होने पर, और वे काफिर इससे मेहरूम हैं)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

ज़िक्र हुई आयतों में से पहली आयत में इशारा फ़रमाया:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

यानी "हमने अपनी किताब तौरात भेजी जिसमें हक़ की तरफ़ रहनुमाई और एक खास नूर था।" इसमें इस बात की तरफ़ इशारा कर दिया कि आज जो तौरात की शरीअत को मन्सूख़ (रद्द और ख़त्म) किया जा रहा है तो इसमें तौरात की कोई कमी या शान में फ़र्क़ आने वाली बात नहीं, बल्कि ज़माने की तब्दीली के कारण अहक़ाम में तब्दीली की ज़रूरत ताज़िमी होने के सबब ऐसा किया गया, वरना तौरात भी हमारी नाज़िल की हुई किताब है। उसमें बनी इसाईल के लिये हिदायत के उसूल भी ज़िक्र हुए हैं और एक खास नूर भी है, जो रूहानी तौर पर उनके दिलों पर असर-अन्दाज़ होता है।

इसके बाद इशारा फ़रमाया:

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَالرَّيْبِيُّونَ وَالْأَحْزَابُ

यानी तौरात को हमने इसलिये नाज़िल किया था कि जब तक उसकी शरीअत को मन्सूख़ न किया जाये उस वक़्त तक आने वाले अम्बिया और उनके नायब (उत्तराधिकारी) अल्लाह वाले और उलेमा सब उसी तौरात के मुताबिक़ फैसले किया करें। उसी क़ानून को दुनिया में चलाया करें। इसमें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के नायब हज़रात को दो किस्मों में ज़िक्र फ़रमाया है, पहले 'रब्बानिय्यून' दूसरे 'अहबार'। लफ़ज़ रब्बानी रब की तरफ़ मन्सूब है, जिसके मायने हैं अल्लाह वाला। और अहबार हिब्र की जमा (बहुवचन) है। यहूदियों के मुहावरे में अ़लिम को हिब्र कहा जाता था। अगरचे यह बात ज़ाहिर है कि जो अल्लाह वाला होगा ज़रूरी है कि उसको अल्लाह तआला के ज़रूरी अहक़ाम का इल्म भी हो, वरना बग़ैर इल्म के अमल नहीं हो सकता, और अल्लाह तआला के अहक़ाम की इताअत और उन पर अमल के बग़ैर कोई शख्स अल्लाह वाला नहीं हो सकता। इसी तरह अल्लाह के नज़दीक अ़लिम उसी को कहा जाता है जो अपने इल्म पर अमल भी करता हो, वरना वह अ़लिम जो अल्लाह के अहक़ाम से वाकिफ़ होने के बावजूद ज़रूरी फ़रईज़ व वाजिबात पर भी अमल नहीं करता, न इसकी तरफ़ कोई ध्यान देता है वह अल्लाह तआला के नज़दीक ज़ाहिल से बदतर है। इसका नतीजा यह हुआ कि हर अल्लाह वाला अ़लिम होता है, और हर अ़लिम अल्लाह वाला होता है, मगर इस जगह इन दोनों को अलग-अलग बयान फ़रमाकर इस बात पर आगाह फ़रमा दिया कि अगरचे अल्लाह वाले के लिए इल्म ज़रूरी और अ़लिम के लिये अमल ज़रूरी है, लेकिन जिस पर जिस रंग का गुलबंद उसके एतिबार से उसका नाम रखा जाता है। जिस शख्स की तबज्जोह ज़्यादातर इबादत अमल और ज़िक्रुल्लाह में मसरूफ़ है, और इल्मे दीन सिर्फ़ ज़रूरत के मुताबिक़ हासिल कर लेता है वह रब्बानी यानी अल्लाह वाला कहलाता है, जिसको आजकल की बोलचाल में शैख़, मुशिरी और वग़ैरह के नाम दिये जाते हैं। और जो शख्स इल्मी महारत पैदा करके लोगों की शरीअत

अहकाम बतलाने और सिखलाने की खिदमत में ज्यादा मशगूल है और फ़राईज़ व वाजिबात और मुअक़दा सुन्नतों के अलावा दूसरी नफ़ली इबादतों में ज्यादा वक़्त नहीं लगा सकता उसको हिब्र या आलिम कहा जाता है।

खुलासा यह है कि इसमें शरीअत व तरीक़त और उलेमा व बुजुर्गों की असली एकता को भी बतला दिया, और काम के तरीके और ग़ालिब मशग़ले के एतिबार से उनमें फ़र्क को भी स्पष्ट कर दिया, जिससे मालूम हो गया कि उलेमा और सूफ़िया कोई दो फ़िर्के या दो गिरोह नहीं, बल्कि दोनों की जिन्दगी का मक़सद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत व फ़रमाँवरदारी है। अलबत्ता इस मक़सद के पाने के लिये उनके काम करने के तरीके होने में अलग-अलग नज़र आते हैं।

इसके बाद इरशाद फ़रमाया:

بِمَا تَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ.

यानी ये अम्बिया (नबी हज़रात) और इनके दोनों किस्म के नायब हज़रात- उलेमा व बुजुर्ग, शरीअत के अहकाम जारी करने के पाबन्द इसलिये थे कि अल्लाह तआला ने तौरात की हिफ़ाज़त के जिम्मे लगा दी थी और उन्होंने उसकी हिफ़ाज़त का अहद व पैमान कर लिया था।

यहाँ तक तौरात के अल्लाह की किताब होने और हिदायत व नूर होने का और इसका ज़िक्र कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनके सच्चे नायब हज़रात- अल्लाह वालों और उलेमा ने की हिफ़ाज़त फ़रमाई। उसके बाद मौजूदा ज़माने के यहूदियों को उनके ग़लत राह पर चलने और उस ग़लत और टेढ़ी राह चलने के असली सबब पर सचेत फ़रमाया गया कि तुमने इसको कि अपने बुजुर्गों और पूर्वजों के नक़्शे क़दम पर चलकर तौरात की हिफ़ाज़त करते, कि अहकाम में तब्दीली और कमी-बेशी कर दी, कि तौरात में बड़ी वज़ाहत और तफ़सील के आखिरी ज़माने के नबी हज़रात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आने की ख़बर और लोगों को उनपर ईमान लाने की हिदायत बयान हुई थी। उन लोगों ने इसकी ख़िलाफ़ वर्जों की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाने के बजाय आपकी मुख़ालफ़त शुरू की, और साथ ही उनकी इस भयंकर ग़लती का सबब भी बयान फ़रमा दिया, कि वे तुम्हारी व रसूल की मुहब्बत है। तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सच्चा रसूल के बावजूद आपकी पैरवी से इसलिये घबराते हो कि अब तो तुम अपनी क़ौम के मुक़्तदा बन जाते हो, यहूदी अज़ास तुम्हारे पीछे चलते हैं, अगर तुमने इस्लाम कुबूल कर लिया तो तुम इस्लाम फ़र्द की हैसियत में आ जाओगे, यह चौधराहद ख़त्म हो जायेगी।

अब उन लोगों ने यह पेशा बना लिया था कि बड़े लोगों से रिश्तत लेकर उनके लिये तौरात के काम में रद्दोबदल करके आसानियाँ पैदा कर दी थीं, इस पर चेताने के लिये मौजूदा के यहूदियों को फ़रमाया कि:

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْرَوْا بِمَا يَأْتِي تَمَنَّا قَلِيلًا.

यानी तुम लोगों से न डरो कि वे तुम्हारी पैरवी करना छोड़ देंगे या मुखालिफ़ हो जायें और तुम दुनिया का मामूली फ़ायदा लेकर उनके लिये अल्लाह के अहक़ाम में गड़बड़ न करो। यह तुम्हारे लिये दीन व दुनिया की बरबादी है, क्योंकि:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

यानी जो लोग अल्लाह के नाज़िल किये हुए अहक़ाम को वाजिब नहीं समझते और उनका फ़ैसला नहीं देते, बल्कि उनके खिलाफ़ फ़ैसला करते हैं, वे काफ़िर व मुन्किर हैं, जिनकी सज़ा हमेशा के लिये जहन्नम का अज़ाब है।

इसके बाद दूसरी आयत में कि़सास (बदले और खून के बदले खून) के अहक़ाम इस हक़ से बयान किये गये हैं कि हमने ये अहक़ाम तौरात में नाज़िल किये हैं। इरशाद है:

وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ نَفْسٍ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا.

यानी हमने यहूदियों के लिये तौरात में यह कि़सास का हुक्म नाज़िल कर दिया था कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दाँत के बदले दाँत और ख़ास ज़ख़्मों का बदला है।

बनू कुरैज़ा और बनू नज़ीर का जो मुक़द्दिमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने पेश हुआ था कि बनू नज़ीर ने अपनी कुव्वत व दबदबे के बल बूते पर बनू कुरैज़ा को इस पर मजबूर कर रखा था कि बनू नज़ीर के किसी आदमी को उनका आदमी क़त्ल कर दे तो उसका कि़सास (बदला) भी जान के बदले जान से लिया जाये, और उसके अलावा खून बहा या न दिया जाये। और अगर मामला इसके उलट हो कि बनू नज़ीर का आदमी बनू कुरैज़ा के आदमी को मार डाले तो कोई कि़सास नहीं, सिर्फ़ दियत यानी खून बहा दिया जाये, यह भी बनू नज़ीर से आधा।

इस आयत में हक़ तआला ने उन लोगों की इस चोरी का पर्दा चाक कर दिया कि तौरात में भी कि़सास और दियत की बराबरी के अहक़ाम मौजूद हैं। ये लोग जान-बूझकर उनका मुँह मोड़ते हैं, और सिर्फ़ बहाना ढूँढने के लिये अपना मुक़द्दिमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास लाते हैं।

आयत के आख़िर में इरशाद फ़रमाया:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

यानी जो अल्लाह के नाज़िल किये हुए अहक़ाम पर हुक्म (फ़ैसला) न दें वे ज़ालिम हैं, क्योंकि अल्लाह के अहक़ाम के इनकारी और बागी हैं। तीसरी आयत में पहले हज़रत मुहम्मद सल्लम के भेजे जाने का जिक्र है कि वह पिछली किताब यानी तौरात की तस्दीक के लिये भेजे गये थे, फिर इंजील का जिक्र है कि वह भी तौरात की तरह हिदायत और नूर के लिये भेजे गये थे, फिर चौथी आयत में इरशाद फ़रमाया कि इंजील वालों (यानी ईसाईयों) को चाहिये कि जो क़ाय

अल्लाह तआला ने इंजील में नाज़िल फ़रमाया है उसके मुताबिक़ अहकाम नाफ़िज़ (लागू और जारी) करें, और जो लोग अल्लाह के नाज़िल किये हुए अहकाम के खिलाफ़ हुक्म जारी करें वे नाफ़रमान और सरकश हैं।

कुरआन तौरात और इंजील का भी मुहाफ़िज़ है

पाँचवीं और छठी आयतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिताब है कि हमने आप पर कुरआन नाज़िल किया जो अपने से पहली किताबों तौरात व इंजील की तस्दीक भी करता है और उनका मुहाफ़िज़ (रक्षक) भी है, क्योंकि जब तौरात वालों ने तौरात में और इंजील वालों ने इंजील में रद्दोबदल और कमी-बेशी की तो कुरआन ही वह मुहाफ़िज़ व निगराँ साबित हुआ जिसने उनकी रद्दोबदल और तस्वीमों का पर्दा चाक करके हक़ और हक़ीक़त को रोशन कर दिया और तौरात व इंजील की असल तालीमात आज भी कुरआन ही के ज़रिये दुनिया में बाकी हैं, जबकि उन किताबों के वारिसों और उनकी पैरवी के दावेदारों ने उनका हुलिया ऐसा बिगाड़ दिया है कि हक़ व बातिल का फ़र्क़ करना नामुम्किन हो गया।

आयत के आख़िर में हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वही हुक्म दिया गया जो तौरात और इंजील वालों को दिया गया था, कि आपके अहकाम और फैसले सब अल्लाह के नाज़िल किये हुए अहकाम के मुताबिक़ होने चाहियें। और ये लोग जो आप से अपनी इच्छाओं के मुताबिक़ फैसला कराना चाहते हैं इनके मक्र व फ़रेब से बाख़बर रहें। इस इरशाद की एक वजह यह थी कि यहूद में के चन्द उलेमा हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इदमत में हाज़िर हुए और अज़ु किया कि आप जानते हैं कि हम यहूद के उलेमा और पेशवा अगर हम मुसलमान हो गये तो वे भी सब मुसलमान हो जायेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त यह कि हमारा एक मुक़द्दिमा आपकी कौम के लोगों के साथ है, हम वह मुक़द्दिमा आपके पास रखेंगे, आप उसमें फैसला हमारे मुवाफ़िक़ फ़रमा दें तो हम मुसलमान हो जायेंगे। हक़ तआला ने पर सचेत फ़रमाया कि आप उन लोगों के मुसलमान हो जाने को ध्यान में रखते हुए अदल इन्साफ़ और अल्लाह तआला के नाज़िल किये हुए कानून के खिलाफ़ फैसला हरगिज़ न दें, इसकी परवाह न करें कि ये मुसलमान होंगे या नहीं।

अबियों की शरीअतों में आंशिक भिन्नता और उसकी हिक्मत

इस आयत में दूसरी हिदायत के साथ एक अहम उसूली सवाल का जवाब भी बयान किया गया है। वह यह कि जब तमाम नबी अल्लाह तआला ही की तरफ़ से भेजे हुए हैं, और पर नाज़िल होने वाली किताबें और सहीफ़ें और उनकी शरीअतें सब अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ़ से हैं, तो फिर उनकी किताबों और शरीअतों में भिन्नता क्यों है? और आने वाली किताब व किताब पिछली शरीअत व किताब को मन्सूख़ (ख़त्म और निरस्त) क्यों करती है। जवाब मय हिक्मते खुदावन्दी के इस आयत में बयान किया गया:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُونَ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا

المرتب

यानी हमने तुम में से हर तब्के के लिये एक खास शरीअत और अमल का खास तबका बनाया है जिसमें संयुक्त उसूल और सर्वसम्मत होने के बावजूद ऊपर के अहकाम में मस्तेहल के सबब कुछ इखिलाफात—(यानी कुछ अहकाम भिन्न और अलग) होते हैं। और अगर अल्लाह तआला चाहता तो उसके लिये कुछ मुश्किल न था कि तुम सब को एक ही उम्मत, एक ही मिलात बना देता, सब की एक ही किताब एक ही शरीअत होती, लेकिन अल्लाह तआला ने इसको इसलिये पसन्द नहीं किया कि लोगों की आजमाईश मकसूद थी, कि कौन लोग है इबादत की हकीकत से वाकिफ़ होकर हर वक़्त अमल के लिये तैयार रहते हैं कि जो हुक्म उसकी तामील करें, जो नई किताब या शरीअत आये उसकी पैरवी करें, और पहली शरीअत किताब उनको कितनी ही महबूब हो, और बाप-दादा का मज़हब होने के सबब उसका छे उन पर कितना ही भारी हो, मगर वे हर वक़्त फ़रमाँबरदारी के लिये तैयार रहते हैं। और जो जो इस हकीकत से गाफ़िल होकर किसी खास शरीअत या किताब को मकसूद बना बैठे उसको एक बाप-दादा के मज़हब की हैसियत से लिये हुए हैं, उसके खिलाफ़ अल्लाह के हुक्म पर कान नहीं धरते।

शरीअतों के अलग-अलग और भिन्न होने में यह एक बड़ी हिक्मत है, जिसके जरिये ज़माने हर तब्के के लोगों को सही इबादत व बन्दगी की हकीकत से आगाह किया जाता है। दर हकीकत इबादत नाम है बन्दगी और इताअत व पैरवी का, जो नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात ज़िक्र व तिलावत में सीमित नहीं और न ये चीज़ें अपनी जात में मक़सिद हैं, बल्कि इन सब मक़सद सिर्फ़ एक है यानी अल्लाह तआला के हुक्म का पालन। यही वजह है कि जिन वक़्त नमाज़ की मनाही फ़रमाई गयी है, उनमें नमाज़ कोई सवाब का काम नहीं बल्कि उल्टा गुनाह वाजिब करने वाला है। इदों के दिन वगैरह जिनमें रोज़ा रखना मना (वर्जित) है, तो उस रोज़ा रखना गुनाह है। ज़िलहिज्जा के महीने की नवीं तारीख़ के अलावा किसी दिन किसी मक़द में मैदाने अरफ़ात में जमा होकर दुआ व इबादत करना सवाब का काम नहीं, जबकि ज़िलहिज्जा में सबसे बड़ी इबादत यही है। इसी तरह तमाम दूसरी इबादतों का हाल है, जब उनके करने का हुक्म है तो वे इबादत हैं और जब और जिस हद पर उनको रोक दिया जाये वे भी हराम व नाजायज़ हो जाती हैं।

जाहिल अ़वाम इस हकीकत से आगाह नहीं होते, जो इबादत उनकी आदतें बन जाते हैं बल्कि जिन क़ौमी रस्मों को वे इबादतें समझकर इख़्तियार कर लेते हैं, खुदा और रसूल के अहकाम को भी उनके पीछे नज़र-अन्दाज़ कर देते हैं। यहीं से बिदाअतों और दीन में निकाली बेबुनियाद चीज़ें दीन का हिस्सा बन जाती हैं, जो पिछली शरीअतों और किताबों में रद्दोद खिये जाने का सबब हुई हैं। अल्लाह जल्ल शानुहू ने मुख़लिफ़ पैग़म्बरों पर मुख़लिफ़ कि

और शरीअतों नाजिल फरमाकर इनसानों को यही सिखलाया है कि किसी एक अमल या एक किस्म की इवादात को मकसूद न बना लें, बल्कि सही मायने में अल्लाह के फरमाँबरदार बन्दे बनें। और जिस वक्त पिछले अमल को छोड़ देने का हुक्म हो फौरन छोड़ दें, और जिस अमल के करने का इरशाद हो फौरन उस पर अमल करने वाले हो जायें।

इसके अलावा शरीअतों में फुर्क और भिन्नता की एक बड़ी हिक्मत यह भी है कि दुनिया के हर दौर और हर तब्क़े के इनसानों के मिजाज और तबीयतें अलग-अलग और भिन्न होती हैं। ज़माने का बदलाव और भिन्नता इनसानी तबीयतों पर बहुत ज्यादा असर-अन्दाज़ होती है, अगर सब के लिये ऊपर के अहक़ाम एक ही कर दिये जायें तो इनसान बड़ी मुश्किल में मुब्तला हो जाये। इसलिये अल्लाह की हिक्मत का तकाज़ा यह हुआ कि हर ज़माने और हर मिजाज की भावनाओं की रियायत रखकर ऊपर के अहक़ाम में मुनासिब तब्दीली की जाये। यहाँ नासिख व मन्सूख (पहले हुक्म को निरस्त करने वाले और निरस्त होने वाले) के यह मायने नहीं होते कि हुक्म देने वाले को पहले हालात मालूम न थे तो एक हुक्म दे दिया, फिर नये हालात सामने आये तो उसको मन्सूख कर दिया। या पहले ग़फलत व ग़लती से कोई हुक्म सादिर कर दिया था फिर एहसास हुआ तो बदल दिया। बल्कि शरीअतों में नासिख व मन्सूख की मिसाल बिल्कुल एक हकीम या डॉक्टर के नुस्खे की मिसाल है, कि जिसमें दवायें धीरे-धीरे बदल जाती हैं। हकीम व डॉक्टर को पहले से यह अन्दाज़ा होता है कि तीन रोज़ इस दवा का इस्तेमाल करने के बाद परीज़ पर यह कैफ़ियतें तारी हो जायेंगी उस वक्त फुल्लाँ दवा दी जायेगी, जब वह पिछला नुस्खा मन्सूख करके दूसरा देता है तो यह कहना सही नहीं होता कि पिछला नुस्खा ग़लत था, इसलिये मन्सूख किया गया। बल्कि हकीकत यह होती है कि पिछले दिनों में वही नुस्खा सही और ज़रूरी था, और बाद के हालात में यही दूसरा नुस्खा सही और ज़रूरी है।

मज़कूरा आयतों में आये हुए स्पष्ट और ज़िमनी अहक़ाम

का खुलासा

अव्वल शुरु की आयतों से मालूम हुआ कि यहूदियों का मुक़द्दिमा जो हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने पेश हुआ था और आपने उसका फैसला फरमाया तो यह फैसला आप के कानून के मुताबिक था। इससे साबित हुआ कि पिछली शरीअतों में अल्लाह के जो अहक़ाम नाफ़िज़ थे जब तक कुरआन या अल्लाह की वही ने उनको मन्सूख (निरस्त) न किया वह बदस्तूर बाकी रहते हैं, जैसा कि यहूदी लोगों के मुक़द्दिमों में किसास में बराबरी और की सज़ा में सग़सारी का हुक्म तौरात में भी था, फिर कुरआन ने भी उसको उसी हालत में रखा।

इसी तरह दूसरी आयत में ज़ख्मों के किसास (बदले) का हुक्म जो तौरात के हवाले से किया गया है, इस्लाम में भी यही हुक्म हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जारी

फरमाया। इसी बिना पर उलेमा-ए-इस्लाम की अक्सरियत के नजदीक जाता यह है कि पिछले शरीअतों के वो अहकाम जिनको कुरआन ने मन्सूख न किया हो, वो हमारी शरीअत में भी नाफिज और अमल किये जाने के लिये जरूरी हैं। यही वजह है कि उक्त आयतों में तौरात वालों को तौरात के मुताबिक और इंजील वालों को इंजील के मुताबिक हुक्म देने और अमल करने का हुक्म दिया गया है, हालाँकि ये दोनों किताबें और इनकी शरीअतें हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद मन्सूख (नाफ़ाबिले अमल और खत्म) हो चुकी हैं। मतलब यह है कि तौरात व इंजील के जो अहकाम कुरआन ने मन्सूख नहीं किये वे आज भी अमल के लिये जरूरी हैं।

तीसरा हुक्म इन आयतों में यह साबित हुआ कि अल्लाह तआला के नाज़िल किये हुए अहकाम के खिलाफ हुक्म देना कुछ सूरतों में कुफ़्र है जबकि एतिकाद में भी उसको हक मानना हो, और कुछ सूरतों में जुल्म व गुनाह है जबकि अक़ीदे की रू से तो उन अहकाम को हक मानता है मगर अमली तौर पर उसके खिलाफ़ करता है।

चौथा हुक्म इन आयतों में यह आया है कि रिश्वत लेना हर हाल में हाराम है, और खुसूसत अदालती फैसले पर रिश्वत लेना तो और भी ज्यादा सख्त जुर्म है।

पाँचवाँ हुक्म इन आयतों से यह बाज़ेह हुआ कि तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी शरीअतें उसूल (बुनियादी बातों) में तो बिल्कुल मुत्तफ़िक और एकजुट हैं, मगर आशिक तौर पर और ऊपर के अहकाम उनमें भी भिन्नता और इख़िलाफ़ है, और यह भिन्नता बड़ी हिक्मतों पर आधारित है।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ

الْأَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَبِئْسَ مَا كَانَتْ مِنْهُمْ إِذَا لَفِئَتِ الْقَوْمِ

الظَّالِمِينَ ۝ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا

بِئْرَةٌ أَوْ كَيْفَ يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَضْحَكُوا عَلَيْهِ مَا اسْتَرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ

بِأَيِّنٍ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۖ إِنَّهُمْ

مَعَكُمْ حَبِطَتِ أَنْعَامُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِ ۚ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

يَهْدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ

اللَّهُ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَ
 لَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنُوفَكُمْ
 مُّؤْمِنِينَ ۝ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۝

या अय्युहल्लजी-न आमनू ला
 तत्ताछिाजुल् यहू-द वन्नसारा
 औलिया-अ । बअजुहुमू औलिया-उ
 बअजिनु, व मय्य-तवल्लहुमू मिन्कुमू
 फ-इन्नहू मिन्हुमू, इन्नल्ला-ह ला
 यहिदल्-कौमज्जालिमीन (51)
 फ-तरल्लजी-न फी कुलूबिहिमू
 म-रजुंय्युसारिअ-न फीहिमू यकूलू-न
 नखशा अन् तुसीबना दा-इ-रतुन्,
 फ-असल्लाहु अय्यअति-य बिल्फहि
 औ अमिम् मिन् जिन्दिही फयुस्बिहू
 अला मा असरू फी अन्फुसिहिमू
 नादिमीन (52) व यकूलुल्लजी-न
 आमनू अ-हाउला-इल्लजी-न अक्समू
 बिल्लाहि जहू-द ऐमानिहिमू इन्नहुमू
 ल-म-अकुमू, हबितत् अअमालुहुमू
 फ-अस्बहू ख़ासिरीन (53) ▲ या
 अय्युहल्लजी-न आमनू मय्यरतद्-द
 मिन्कुमू अज् दीजिही फ-सौ-फ
 यअतिल्लाहु बिकौमिंय्युहिब्बुहुमू व

ऐ ईमान वालो! मत बनाओ यहूदियों और
 ईसाईयों को दोस्त, वे आपस में दोस्त हैं
 एक दूसरे के, और जो कोई तुम में से
 दोस्ती करे उनसे तो वह उन्हीं में है।
 अल्लाह हिदायत नहीं करता ज़ालिम लोगों
 को। (51) अब तू देखेगा उनको जिनके
 दिल में बीमारी है, दौड़कर मिलते हैं उन
 में, कहते हैं कि हमको डर है कि न आ
 जाये हम पर गर्दिश ज़माने की, सो करीब
 है कि अल्लाह जल्द ज़ाहिर फ़रमा दे
 फ़तह या कोई हुक्म अपने पास से तो
 लगे अपने जी की छुपी बात पर पछताने।
 (52) और कहते हैं मुसलमान क्या ये
 वही लोग हैं जो कसमें खाते थे अल्लाह
 की ताकीद से, कि हम तुम्हारे साथ हैं,
 बरबाद गये उनके अमल, फिर रह गये
 नुक़सान में। (53) ▲ ऐ ईमान वालो!
 जो कोई तुम में फिरेगा अपने दीन से तो
 अल्लाह जल्द ही लायेगा ऐसी कौम को
 कि अल्लाह उनको चाहता है और वे
 उसको चाहते हैं, नर्म-दिल हैं मुसलमानों
 पर, ज़बरदस्त हैं काफ़िरों पर, लड़ते हैं
 अल्लाह की राह में, और डरते नहीं किसी
 के इज़ाम से, यह फज़ल है अल्लाह का

युहिब्बूनहू अजिल्लतिन् अलल्-
 मुअ्मिनी-न अजिज्जतिन् अलल्-
 काफिरी-न युजाहिदू-न फी
 सबीलिल्लाहि व ला यद्दाफू-न
 लौम-त लाइमिन्, जालि-क
 फज़लुल्लाहि युअ्तीहि मंयशा-उ,
 वल्लाहु वासिअुन् अलीम (54)
 इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहू
 वल्लज्जी-न आमनुल्लज्जी-न
 युकीमूनस्सला-त व युअ्तूनज़्जका-त
 व हुम् राकिअून (55) व
 मंय-तवल्लल्ला-ह व रसूलहू
 वल्लज्जी-न आमनू फ-इन्-न
 हिब्बल्लाहि हुमुल्-गालिबून (56) ❁
 या अय्युहल्लज्जी-न आमनू ला
 तत्तख़िज़्जुल्लज्जीनत्त-ख़ाज़ू दीनकुम्
 हुज़ुवंव-व लअ़िबम् मिनल्लज्जी-न
 ऊतुल्-किता-ब मिन् क़ब्लिकुम्
 वल्कुफ़ार-र औलिया-अ वत्तकुल्ला-ह
 इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन (57) व इज़ा
 नादैतुम् इलस्सलातित्त-ख़ाज़ूहा
 हुज़ुवंव-व लअ़िबन्, जालि-क
 बिअन्नहुम् कौमुल्-ला यअ़किलून (58)

देगा जिसको चाहे, और अल्लाह कशाइश
 (आसानियाँ और वुस्लत) करने वाला
 खबर रखने वाला। (54) तुम्हारा रफ़ीक
 (साथी) तो वही अल्लाह है और उसका
 रसूल और जो ईमान वाले हैं जो कि
 कायम हैं नमाज़ पर और देते हैं ज़कात
 और अज़िज़ी करने वाले हैं। (55) और
 जो कोई दोस्त रखे अल्लाह और उसके
 रसूल को और ईमान वालों को तो अल्लाह
 की जमाअत सब पर गालिब है। (56) ❁
 ऐ ईमान वाले! मत बनाओ उन लोगों
 को (दोस्त) जो ठहराते हैं तुम्हारे दीन का
 हंसी और खेल, वे लोग जो किताब दिखी
 गये तुम से पहले, और न काफ़िरों का
 अपना दोस्त (बनाओ), और डरो अल्लाह
 से अगर हो तुम ईमान वाले। (57) और
 जब तुम पुकारते हो नमाज़ के लिये तो
 वे ठहराते (बनाते) हैं उसको हंसी और
 खेल, यह इस वास्ते कि वे लोग बेअक़ल
 हैं। (58)

खुलासा-ए-तफसीर

बयान हुई आयतों में तीन अहम उसूली (बुनियादी) मज़ामीन का बयान है, जो मुसलमानों

की सामूहिक और मिली एकता और एकजुट होने के बुनियादी उसूल हैं:

अव्वल यह कि मुसलमान गैर-मुस्लिमों से खादारी, हमदर्दी, खैरखाही, अदल व इन्साफ और एहसान व सुलूक सब कुछ कर सकते हैं, और ऐसा करना चाहिये कि उनको इसकी तालीम दी गयी है, लेकिन उनसे ऐसी गहरी दोस्ती और मेलजोल जिससे इस्लाम के विशेष और खुसूसी निशानात गड-मड हो जायें, इसकी इजाजत नहीं। यही वह मसला है जो "तर्क मवालात" के नाम से परिचित है।

दूसरा मजमून यह है कि अगर किसी वक़्त किसी जगह मुसलमान इसी बुनियादी उसूल से हटकर गैर-मुस्लिमों से ऐसा मेलजोल कर लें तो यह न समझें कि इससे इस्लाम को कोई नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि इस्लाम की हिफ़ाज़त और बाकी रखने की जिम्मेदारी हक तआला ने ली है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। अगर कोई कौम बिस्ट जाये और मान लो कि शरीअत की हदों को तोड़कर इस्लाम ही को छोड़ बैठे तो अल्लाह तआला किसी दूसरी कौम को खड़ा कर देगे जो इस्लाम के उसूल व क़ानून को कायम करेगी।

तीसरा मजमून यह है कि जब एक तरफ़ नकारात्मक पहलू मालूम हो गया तो मुसलमान की गहरी दोस्ती तो सिर्फ़ अल्लाह तआला और उसके रसूल और उन पर ईमान लाने वालों ही के साथ हो सकती है। यह मुख़्तसर बयान है उन मजामीन का जो ऊपर ज़िक्र हुई पाँच आयतों में बयान हुए हैं। अब इन आयतों की मुख़्तसर तफ्सीर देखिये:

ऐ ईमान वाले! तुम (मुनाफ़िकों की तरह) यहूदियों और ईसाईयों को (अपना) दोस्त मत बनाना। वे (खुद ही) एक दूसरे के दोस्त हैं (यानी यहूदी यहूदी आपस में और ईसाई ईसाई आपस में)। मतलब यह है कि दोस्ती होती है मुनासबत से, सो उनमें आपस में तो मुनासबत है, मगर तुम में और उनमें क्या मुनासबत और (जब मज़कूरा जुमले से मालूम हुआ कि दोस्ती होती है मुनासबत और ताल्लुक होने से तो) जो शख़्त तुम में से उनके साथ दोस्ती करेगा बेशक वह (किसी खास मुनासबत के एतिबार से) उन्हीं में से होगा, (और अगरचे यह बात जाहिर है लेकिन) बेशक अल्लाह तआला (इस बात की) समझ नहीं देते उन लोगों को जो (काफ़िरों से दोस्ती कर करके) अपना नुक़सान कर रहे हैं (यानी दोस्ती में मशगूल होने की वजह से यह बात उनकी समझ ही में नहीं आती, और चूँकि ऐसे लोग इस बात को नहीं समझते) इसी लिए (ऐ देखने वाले) तुम ऐसों लोगों को जिनके दिल में (निफ़ाक का) रोग है देखते हो कि दौड़-दौड़कर उन (काफ़िरों) में घुसते हैं (और कोई मलामत करे तो बहाने बाजी और बातें बनाने के लिये यूँ कहते हैं कि (हमारा मिलना उनके साथ दिल से नहीं, बल्कि दिल से तो हम तुम्हारे साथ हैं, सिर्फ़ एक मस्लेहत से उनके साथ मिलते हैं, वह यह कि) हमको अन्देशा है कि (शायद ज़माने के बदलते हालात से) हम पर कोई हादसा पड़ जाए (जैसे सूखा है, तंगी है, और ये यहूदी हमारे साथकार हैं, इनसे कर्ज़ उधार मिल जाता है, अगर जाहिरी मेलजोल ख़त्म कर देंगे तो वक़्त पर हमको तकलीफ़ होगी। दिखाने के लिये 'नख़्शा अन् तुसीबना दाइ-रतुन' का यह मतलब लेते थे, लेकिन दिल में दूसरा मतलब लेते कि शायद आख़िर में मुसलमानों पर काफ़िरों के ग़ालिब आ

जाने से फिर हमको उनकी जरूरत पड़े, इसलिये उनसे दोस्ती रखनी चाहिये)। 'मा अस्रू' (यानी वायदा) है कि अल्लाह तआला (मुसलमानों की) का मिल फतह (उन का मुक़ाबले में जिनसे ये दोस्ती कर रहे हैं) फ़रमा दे (जिसमें मुसलमानों की कोशिश का भ्रम होगा) या किसी और बात का ख़ास अपनी तरफ़ से ज़हूर फ़रमा दे, यानी उनके निष्पत्तयन करके वही के जरिये सार्वजनिक रूप से जाहिर फ़रमा दें जिसमें मुसलमानों की का बिल्कुल भी दखल नहीं। मतलब यह कि मुसलमानों की फतह और इनका पर्दा ख़त्म बातें करीब ही होने वाली हैं) फिर (उस वक़्त) अपने (पिछले) छुपे हुए दिली ख़ास शर्मिन्दा होंगे (कि हम क्या समझते थे कि काफ़िर ग़ालिब आयेंगे और यह क्या उल्टा हो एक शर्मिन्दागी तो अपने ख़्याल की ग़लती पर जो कि एक तबई चीज़ है, दूसरी शर्मिन्दागी निफ़ाक़ पर जिसकी बदौलत आज रुखा हुए। 'मा अस्रू' में ये दोनों दाख़िल हैं। औ तीसरी शर्मिन्दागी कि काफ़िरों के साथ दोस्ती करना बेकार ही गया और मुसलमानों से बने, चूँकि दोस्ती 'मा अस्रू' (छुपी बात) पर आधारित थी, लिहाज़ा इन दो शर्मिन्दागियों के से यह तीसरी शर्मिन्दागी बिना स्पष्ट ज़िक्र किये खुद ही समझ में आ गयी)।

और (जब उस फतह के ज़माने में इन लोगों का निफ़ाक़ भी खुल जायेगा तो अपार मुसलमान लोग (ताज्जुब से) कहेंगे- (अरे) क्या ये वही लोग हैं कि बड़े मुबालगे से "बढ़-बढ़कर" (हमारे सामने) अल्लाह तआला की क़समें खाया करते थे कि हम (दिल से) तु साथ हैं, (यह तो कुछ और ही साबित हुआ। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि) इन लोगों की कार्यवाहियाँ (कि दोनों फ़रीकों का भला रहना चाहते थे) बेकार गई, जिससे (दोनों तरफ़ नाकाम रहे (क्योंकि काफ़िर तो मग़लूब हो गये, उनका साथ देना बिल्कुल बेकार है मुसलमानों के सामने इनकी क़लई खुल गयी, उनसे अब भला बनना दुश्वार है, यह तो व मिसाल हो गयी कि "न इधर के रहे और न उधर के")।

ऐ ईमान वाले! (यानी जो लोग इस आयत के नाज़िल होने के वक़्त ईमान वाले हैं) शख़्स तुममें से अपने (इस) दीन से फिर जाए तो (इस्लाम का कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि इस्लामी ख़िदमात अन्जाम देने के लिये) अल्लाह बहुत जल्दी (उनकी जगह) ऐसी क़ौम पैदा देगा जिससे उसको (यानी अल्लाह तआला को) मुहब्बत होगी और उनको उससे (यानी अल्लाह तआला से) मुहब्बत होगी। वे मुसलमानों पर मेहरबान होंगे और काफ़िरों पर तेज़ होंगे (कि उनसे) जिहाद करते होंगे अल्लाह की राह में, और (दीन और जिहाद के मुक़द्दमे में) वे किसी मलामत करने वाले की मलामत का अन्देशा न करेंगे (जैसे कि मुनाफ़िक़ीन का हाल कि दबे-दबाये जिहाद के लिये जाते थे, मगर अन्देशा लगा रहता था कि काफ़िर जिनसे दिल दोस्ती है मलामत करेंगे, या इतिफ़ाक़ से जिनके मुक़ाबले में जिहाद है वही अपने दोस्त अज़ीज़ हों तो सब देखते सुनते बुरा-भला कहेंगे कि ऐसों को मारने गये थे)। ये (ज़िक्र सिफ़ात) अल्लाह तआला का फ़ज़ल है जिसको चाहें अता फ़रमाएँ और अल्लाह तआला बे-बुस्अत वाले हैं (कि अगर चाहें तो सब को ये सिफ़तें दे सकते हैं, लेकिन) बड़े इल्म वाले (कि

हरी (उनके इल्म में जिसको देना मस्तेहत होता है उसको देते हैं)।
 फिरो तुम्हारे दोस्त तो (जिनसे तुम्हको दोस्ती रखनी चाहिये) अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु
 नी अलैहि व सल्लम) और ईमान वाले लोग हैं जो कि इस हालत से नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं
 और ज़कात देते हैं कि उन (के दिलों) में खुशुअ "यानी अजिज़ी और गिड़गिड़ाना" होता है।
 तद (यानी अक़ीदे, अख़्लाक और बदनी व माली आमाल सब के जामे हैं) और जो शख्स (जिक्र हुए
 ग मज़मून के मुवाफ़िक) अल्लाह से दोस्ती रखेगा और उसके रसूल से और ईमान वाले लोगों से, सो
 ता (यह अल्लाह के गिरोह में दाख़िल हो गया और) अल्लाह का गिरोह निःसंदेह ग़ालिब है (और
 ग काफ़िर लोग मग़लूब हैं। ग़ालिब से मग़लूब का बनाकर रखना और दोस्ती की फ़िक्र करना पूरी
 अल्लाह नामुनासिब है)।

रे ईमान वालो! जिन लोगों को तुमसे पहले (आसमानी) किताब (यानी तौरात व इंजील)
 मिल चुकी है (मुराद यहूदी व ईसाई हैं) जो ऐसे हैं कि जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल
 बना रखा है (जो निशानी है झुठलाने की), उनको और (इसी तरह) दूसरे काफ़िरो को (भी जैसे
 मुश्रिक लोग वगैरह) दोस्त मत बनाओ, (क्योंकि असल सबब कुफ़्र व झुठलाना तो दोनों में
 मौजूद है) और अल्लाह तआला से डरो अगर तुम ईमान वाले हो (यानी ईमान वाले तो हो ही
 पस जिस चीज़ से अल्लाह तआला ने मना किया है उसको मत करो)। और (जैसे दीन के उसूल
 के साथ हंसी मज़ाक़ करते हैं इसी तरह अहक़ाम के साथ भी। चुनाँचे) जब तुम नमाज़ के लिए
 (अज़ान के ज़रिये से) ऐलान करते हो तो वे लोग (तुम्हारी) उस (इबादत) के साथ (जिसमें
 अज़ान और नमाज़ दोनों आ गयीं) हंसी और खेल करते हैं, (और) यह (हरकत) इस सबब से है
 कि वे लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल अक़ल नहीं रखते (वरना हक़ बात को समझते और उसके साथ
 हंसी व दिल्लगी न करते)।

मजारिफ़ व मसाईल

पहली आयत में मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वे यहूदियों व ईसाईयों से मवालात
 (यानी गहरी दोस्ती) न करें जैसा कि आम गैर-मुस्लिमों का और यहूदियों व ईसाईयों का खुद
 यही दस्तूर है कि वे गहरी दोस्ती को सिर्फ़ अपनी कौम के लिये मख़सूस रखते हैं, मुसलमानों से
 यह मामला नहीं करते। फिर अगर किसी मुसलमान ने इसकी ख़िलाफ़वर्जी करके किसी यहूदी या
 ईसाई से गहरी दोस्ती कर ली तो वह इस्लाम की नज़र में बजाय मुसलमान के उसी कौम का
 अर्ध शूमार होने के काबिल है।

शाने नुज़ूल

तफ़सीर के इमाम अल्लामा इब्ने जरीर ने हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से
 यथान फ़रमाया है कि यह आयत एक ख़ास वाकिए के बारे में नाज़िल हुई है। वह यह कि रसूल
 करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना तय्यिबा में तशरीफ़ लाने के बाद उसके आस-पास
 के यहूदियों व ईसाईयों से एक समझौता इस पर कर लिया था कि वे मुसलमानों के ख़िलाफ़ न

खुद जंग करेंगे, न किसी जंग करने वाली कौम का सहयोग करेंगे, बल्कि मुसलमानों के साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इसी तरह मुसलमान न उन लोगों से जंग करेंगे न उनसे खिलाफ किसी कौम की इमदाद करेंगे बल्कि मुखालिफ का मुकाबला करेंगे। कुछ अरसे तक यह समझौता दोनों पक्षों की तरफ से कायम रहा, लेकिन यहूदी अपनी साजिश फितरत और इस्लाम विरोधी तबीयत की वजह से इस समझौते पर ज्यादा कायम न रह सके और मुसलमानों ने खिलाफ मक्का के मुशिरकों से साजिश करके उनको अपने किले में बुलाने के लिये खत लिख दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जब इस साजिश का भेद खुला तो आपने उनके मुकाबले के लिये मुजाहिदीन का एक दस्ता भेज दिया। बन्ू कुरैजा के ये यहूदी एक तारफ तो मक्का के मुशिरकों से यह साजिश कर रहे थे और दूसरी तरफ मुसलमानों में घुसे हुए बन्ू से मुसलमानों से दोस्ती के समझौते किये हुए थे, और इस तरह मुसलमानों के खिलाफ मुशिरकों के लिये जासूसी का काम अन्जाम देते थे। इसलिये यह मज़कूरा आयत नाजिल हुई जिम्मे मुसलमानों को यहूदियों व ईसाईयों की गहरी दोस्ती से रोक दिया, ताकि मुसलमानों की खबरें मालूम न कर सकें। उस वक़्त कुछ सहाबा-ए-किराम हज़रत उबादा बिन सामित वगैरह तो खुले तौर पर उन लोगों से अपना समझौता और दोस्ती का ताल्लुक खत्म करने का ऐलान कर दिया, और कुछ लोग जो मुनाफिकाना तौर पर मुसलमानों से मिले हुए थे या अभी इमान उनके दिलों में अच्छी तरह जमा नहीं था, उन लोगों से ताल्लुक खत्म कर देने में यह खतरा महसूस करते थे कि मुम्किन है कि मुशिरकों और यहूदियों की साजिश कामयाब हो जाये और मुसलमान मग़लूब हो जायें तो हमें इन लोगों से भी ऐसा मामला रखना चाहिये कि उस वक़्त हमारे लिये मुसीबत न हो जाये। अब्दुल्लाह बिन उबाई बिन सलूल ने इसी बिना पर कहा कि उन लोगों से ताल्लुक तोड़ने में तो मुझे खतरा है, इसलिये मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस पर दूसरी आयत नाजिल हुई:

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا آيَةٌ ۚ

यानी दोस्ती खत्म करने का शर्ई हुक्म सुनकर वे लोग जिनके दिलों में निफाक का रोग है अपने काफिर दोस्तों की तरफ दौड़ने लगे और कहने लगे कि उनसे ताल्लुक खत्म करने में तो हमारे लिये खतरे हैं।

अल्लाह जल्ल शानुहु ने उनके जवाब में फरमाया:

فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصِيبَهُمْ أَوْ يَكْفُرْ بِهِمْ فِي الْمَوْتِ كَمَا كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ ۗ

यानी ये लोग तो इस ख्याल में हैं कि मुशिरक और यहूदी लोग मुसलमानों पर गालिब आ जायेंगे, मगर अल्लाह तआला फ़ैसला फरमा चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि करीब है कि मक्का फतह हो जाये, या मक्का फतह होने से पहले अल्लाह तआला इन मुनाफिकों के निफाक (यानी दिल से मुसलमान न होने) का पर्दा चाक करके इनको रुखा कर दे। तो उस वक़्त वे लोग अपने छुपे ख्यालात पर शर्मिन्दा होंगे।

तीसरी आयत में इसकी और अधिक तफसील इस तरह बयान फरमाई कि जब मुनाफिकों के निफाक (दिल से मोमिन न होने) का पर्दा चाक होगा और उनकी दोस्ती के दावों और कसमों की हकीकत खुलेगी तो मुसलमान हैरत में रह जायेंगे और कहेंगे कि क्या ये वही हैं जो हमसे अल्लाह तआला की गाढ़ी कसमें खाकर दोस्ती का दावा करते थे और आज इनका यह हशर हुआ कि इनके सब इस्लामी आमाल जो महज़ दिखलावे के लिये किया करते थे जाया हो गये। और अल्लाह जल्ल शानुहू ने इन आयतों में जो मक्का के फतह होने और मुनाफिकों की रुस्वाई का जिक्र फरमाया है वह कुछ दिन के बाद सब ने आँखों से देख लिया।

चौथी आयत में यह बतलाया गया है कि गैर-मुस्लिमों के साथ गहरी दोस्ती और ज्यादा मेलजोल की जो मनाही की गयी है यह खुद मुसलमानों ही की बेहतरी की खातिर है, वरना इस्लाम यह देने हक है जिसकी हिफाज़त का जिम्मा हक तआला ने खुद लिया है, किसी फ़र्द या जमाअत की देढ़ी चाल या नाफरमानी तो अपनी जगह है, अगर मुसलमानों का कोई फ़र्द या जमाअत सचमुच इस्लाम ही को छोड़ बैठे और बिल्कुल ही मुर्तद (बेदीन) होकर गैर-मुस्लिमों में मिल जाये, इससे भी इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। क्योंकि कादिर मुतलक जो इसकी हिफाज़त का जिम्मेदार है, फौरन कोई दूसरी कौम अमली मैदान में ले आयेगा जो अल्लाह तआला के दीन की हिफाज़त और प्रसार के फ़रईज़ अन्जाम देगी। उसके काम न किसी जात पर निर्भर हैं न किसी बड़ी से बड़ी जमाअत या इदारे पर। वह जब चाहते हैं तो तिनकों से शहतीर का काम ले लेते हैं, वरना शहतीर पड़े खाद होते रहते हैं, किसी ने ख़ूब कहा है:

إِنَّ الْمَقَادِيرَ إِذَا سَاعَدَتْ
الْحَقَّ الْعَاجِزَ بِالْقَادِرِ

“यानी तफदीरे इलाही जब किसी की मददगार हो जाती है तो एक आजिज़ व बेकार से कादिर व ताक़तवर का काम ले लेती है।”

इस आयत में जहाँ यह जिक्र फरमाया कि मुसलमान अगर मुर्तद हो जायें तो परवाह नहीं, अल्लाह तआला एक दूसरी जमाअत खड़ी कर देगा, वहाँ इस पाकबाज़ जमाअत के कुछ गुण भी बयान फरमाते हैं कि यह जमाअत ऐसे गुणों वाली होगी, दीन की ख़िदमत करने वालों को इन गुणों का ख़्याल रखना चाहिये, क्योंकि आयत से मालूम हुआ कि इन गुणों व आदतों को अपने अन्दर रखने वाले लोग अल्लाह तआला के नज़दीक मक़बूल व महबूब हैं।

उनकी पहली सिफ़त (गुण) कुरआने करीम ने यह बयान फरमाई है कि अल्लाह तआला उनसे मुहब्बत रखेगा और वे अल्लाह तआला से मुहब्बत रखेंगे। इस सिफ़त के दो हिस्से हैं- एक उन लोगों की मुहब्बत अल्लाह तआला के साथ, यह तो किसी न किसी दर्जे में इंसान के इख़्तियार में समझी जा सकती है कि एक इंसान को किसी के साथ अगर तबई मुहब्बत न हो तो कम से कम अक्ली मुहब्बत अपने अज़्म व इरादे के तबे रख सकता है, और तबई मुहब्बत भी अगरचे इख़्तियार में नहीं मगर उसके भी असबाब इख़्तियारी हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह तआला की बड़ाई, जलाल, कामिल कुदरत और इंसान पर उसके इख़्तियारात व इनामात का ध्यान और तसव्वुर लाजिमी तौर पर इंसान के दिल में अल्लाह तआला की तबई मुहब्बत भी

पैदा कर देता है।

लेकिन दूसरा भाग यानी अल्लाह तआला की मुहब्बत उन लोगों के साथ होगी, इसमें तो बज़ाहिर यह मालूम होता है कि इनसान के इख़्तियार व अमल का कोई दख़ल इसमें नहीं, और जो चीज़ हमारी ताक़त व इख़्तियार से बाहर है उसे सुनाने और बतलाने का भी बज़ाहिर कोई हासिल नहीं निकलता। लेकिन कुरआने करीम की दूसरी आयतों में ग़ौर करें तो मालूम होगा कि मुहब्बत के इस हिस्से के असबाब भी इनसान के इख़्तियार में हैं, अगर वह उन असबाब का इस्तेमाल करे तो अल्लाह तआला की मुहब्बत उसके साथ लाज़िमी होगी। और ये असबाब कुरआन पाक की इस आयत:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

(सूर: आले इमरान की आयत 31) में ज़िक्र हुए हैं। यानी ऐ रसूल! आप लोगों को बतला दीजिए कि अगर तुमको अल्लाह तआला से मुहब्बत है तो मेरी पैरवी करो, इसका नतीजा यह होगा कि अल्लाह तआला तुमसे मुहब्बत फ़रमाने लगेंगे।

इस आयत से मालूम हुआ कि जो शख्स यह चाहे कि अल्लाह तआला उससे मुहब्बत फ़रमाये उसको चाहिये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िन्दगी का ओढ़ना बिछौना बनाने और ज़िन्दगी के हर क्षेत्र और हर काम में सुन्नत की पैरवी की पाबन्दी करे, तो अल्लाह तआला का वायदा है कि वह उससे मुहब्बत फ़रमायेंगे। और इसी आयत से यह भी मालूम हो गया कि कुफ़्र व बेदीनी का मुक़ाबला वही जमाअत कर सकेगी जो सुन्नत की पैरवी करने वाली हो। न शरीअत के अहक़ाम की तामील में कोताही करे और न अपनी तरफ़ से ख़िलाफ़े सुन्नत आमाल और बिद्अतों को जारी करे।

दूसरी सिफ़त इस जमाअत की यह बतलाई गयी है कि:

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُرْمِيْنَ أَعْرَءٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

इसमें लफ़्ज़ अज़िल्लतुन लुग़त की किताब कामूस के मुताबिक़ ज़लील या ज़लूल दोनों का जमा (बहुवचन) हो सकती है। ज़लील के मायने अरबी ज़बान में वही हैं जो उर्दू वगैरह में परिचित हैं, और ज़लूल के मायने हैं नर्म और आसानी से काबू में आने वाला। मुफ़स्सिरीन अक्सरियत के नज़दीक इस जगह यही मायने मुराद हैं, यानी ये लोग मुसलमानों के सामने न होंगे, अगर किसी मामले में इख़्तिलाफ़ (मतभेद व विवाद) भी हुआ तो आसानी से काबू में जायेंगे, झगड़ा छोड़ देंगे, अगरचे वे अपने झगड़े में हक़ पर भी हों, जैसा कि एक सही हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है:

أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو معق.

यानी “मैं उस शख्स को जन्नत के बीचों-बीच घर दिलवाने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे।”

तो हासिल इस लफ़्ज़ का यह हुआ कि ये लोग मुसलमानों से अपने हुकूक और मामलात

कोई झगड़ा न रखेंगे। दूसरा लफ्ज़ 'अज़िज़तिन अल्लु काफ़िरी-न' आया। इसमें भी अ-इज़ज़त अज़ीज़ की जमा (बहुवचन) है, जिसके मायने ग़ालिब, ताक़तवर और सख़्त के आते हैं। मुराद यह है कि ये लोग अल्लाह और उसके दीन के मुखालिफ़ों के मुकाबले में सख़्त और मज़बूत हैं और वे इन पर काबू न पा सकेंगे।

और दोनों जुमलों को मिलाने का हासिल यह निकल आया कि यह एक ऐसी कौम होगी जिसकी मुहब्बत व नफ़रत और दोस्ती व दुश्मनी अपनी जात और जाती हुक्क़ व मामलात के बजाय सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन की खातिर होगी। इसी लिये उनकी लड़ाई का रुख़ अल्लाह व रसूल के फ़रमाँबरदारों की तरफ़ नहीं बल्कि उसके दुश्मनों और नाफ़रमानों की तरफ़ होगा। यही मज़मून है सूर: फ़तह की इस आयत का:

أَشِدُّ أَعْلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءَ بَيْنَهُمْ

कि वे काफ़िरोँ पर सख़्त और आपस में मेहरबान व नर्म हैं।

पहली सिफ़त का हासिल हुक्क़ की तकमील (पूरा करना) था, और दूसरी सिफ़त का हासिल बन्दों के हुक्क़ और मामलात में एक दरमियानी रास्ता इख़्तियार करना है। तीसरी सिफ़त इस जमाअत की यह बयान फ़रमाई:

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

यानी ये लोग दीने हक़ के फैलाने और उसको बुलन्द करने के लिये जिहाद करते रहेंगे। इसका हासिल यह है कि कुफ़ व बेदीनी (इस्लाम से फिरने) के मुकाबले के लिये सिर्फ़ परिचित किस्म की इबादत-गुज़ारी और नर्म व सख़्त होना काफी नहीं, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि दीन को मज़बूत करने का ज़ब्बा भी हो। इसी ज़ब्बे की तकमील के लिये चौथी सिफ़त यह बतलाई गयी:

وَلَا يَخَافُونَ أُولَئِكَ

यानी दीन को कायम करने और हक़ के कलिमे को ऊँचा करने की कोशिश में ये लोग किसी मलामत (किसी के बुरा-भला कहने) की परवाह न करेंगे।

गौर किया जाये तो मालूम होगा कि किसी तहरीक को चलाने वाले की राह में दो किस्म की चीज़ें बाधा हुआ करती हैं- एक मुखालिफ़ कुव्वत का जोर, दूसरे अपनों के लान-तान और बुरा-भला कहना। और तजुर्बा गवाह है कि जो लोग तहरीक चलाने के लिये इरादा लेकर खड़े होते हैं और अक्सर हालात में मुखालिफ़ कुव्वत से तो मग़लूब नहीं होते, कैद व बन्द और ज़ख़म व खून सब कुछ बरदाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपनों के तानों और बुरा-भला कहने से बड़े-बड़े पुज़्ता इरादे वालों के कदमों में लड़खड़ाहट आ जाती है। शायद इसी लिये हक़ तआला ने इस जगह इसकी अहमियत जाहिर करने के लिये इस पर बस फ़रमाया, कि ये लोग किसी की मलामत की परवाह किये बग़ैर अपना जिहाद जारी रखते हैं।

आयत के आख़िर में यह भी बतला दिया कि ये सिफ़तें और अच्छे गुण अल्लाह तआला ही

के इनाम हैं, वही जिसको चाहते हैं अता फ़रमाते हैं, इनसान सिर्फ़ अपनी कोशिश व अमल से अल्लाह के फज़ल व मेहरबानी के बग़ैर इनको हासिल नहीं कर सकता।

आयत के अलफ़ाज़ की वज़ाहत से यह स्पष्ट हो चुका कि अगर मुसलमानों में कुछ लोग मुर्तद भी हो (इस्लाम से फिर) जायें तो दीने इस्लाम को कोई नुक़सान न पहुँचेंगा, बल्कि इसकी हिफ़ाज़त व हिमायत के लिये अल्लाह जल्ल शानुहू एक बुलन्द अख़्लाक़ व आमाल वाली जमाअत को खड़ा कर देंगे।

मुफ़सिरीन की अक्सरियत ने फ़रमाया है कि यह आयत दर हकीकत आने वाले फ़ितने की भविष्यवाणी और उसका हिम्मत के साथ मुक़ाबला करके कामयाब होने वाली जमाअत के लिये खुशख़बरी है। आने वाला वह फ़ितना-ए-इर्तिदाद (यानी जो सच्चे दिल से इस्लाम नहीं लायें थे उनका इस्लाम से फिर जाना) है जिसके कुछ जरासीम तो हुज़ुरे पाक के दौर के बिल्कुल आख़िरी दिनों में फैलने लगे थे, और फिर हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद आम होकर पूरे अरब ख़िल्ले में इसका तूफ़ान खड़ा हो गया। और खुशख़बरी पाने वाली वह जमाअत सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की है, जिसने पहले ख़लीफ़ा हज़रत सिद्दीक़े अक़बरे रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मिलकर इस फ़ितना-ए-इर्तिदाद का मुक़ाबला किया।

वाकिआत ये थे कि सबसे पहले तो मुसैलमा-ए-कज़़ाब ने हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ नुबुव्वत में शरीक होने का दावा किया, और यहाँ तक जुरत की कि आपको कासिदों को यह कहकर वापस कर दिया कि अगर तब्लीग़ व सुधार की मस्तेहत के सबब यह दस्तूर आम न होता कि कासिदों और नुमाईन्दों को क़त्ल नहीं किया जाता, तो मैं तुम्हें क़त्ल कर देता। मुसैलमा अपने दावे में कज़़ाब (झूठा) था, फिर आपको उसके खिलाफ़ जिहाद का मौक़ा नहीं मिला, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गयी।

इसी तरह यमन में क़बीला मुज्जज के सरदार अस्वद अनसी ने अपनी नुबुव्वत का ऐलान कर दिया। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी तरफ़ से मुक़रर किये हुए यमन का हाकिम को उसका मुक़ाबला करने का हुक्म दे दिया, मगर जिस रात में उसको क़त्ल किया गया उसके अगले दिन ही हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात हो गयी। सहाबा-ए-किराम को इसकी ख़बर रबीउल-अव्वल के आख़िर में पहुँची। इसी तरह का वाकिआत क़बीला बनू असद में पेश आया, कि उनका सरदार तलीहा बिन खुवैलद खुद अपनी नुबुव्वत का दावेदार बन गया।

ये तीन क़बीलों की जमाअतें तो हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के बीमारी ही में मुर्तद हो (इस्लाम से फिर) चुकी थीं। आपकी वफ़ात की ख़बर ने इ फ़ितना-ए-इर्तिदाद (इस्लाम को छोड़ने और बेदीन होने की वबा) को एक तूफ़ानी शक्त मुत्तकिल कर दिया। अरब के सात क़बीले विभिन्न स्थानों पर इस्लाम और उसकी हुक्मत विमुख हो गये और ख़लीफ़ा-ए-वक़्त हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़े रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम के क़ानून के मुताबिक़ ज़कात अदा करने से इन्कार कर दिया।

हुजूरें पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफात के बाद मुल्क व मिल्त की जिम्मेदारी खलीफा-ए-अव्वल हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु पर आन पड़ी। एक तरफ़ इन हज़रत पर इस ज़बरदस्त हादसे (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफात और जुदाई) का ज़न को घुला देने वाला सदमा और दूसरी तरफ़ ये फ़ितनों और बग़ावतों के सैलाब। हज़रत आवशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफात के बाद जो सदमा मेरे वालिद हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ पर पड़ा अगर वह मज़बूत पहाड़ों पर भी पड़ जाता तो वे टुकड़े-टुकड़े हो जाते। मगर अल्लाह तआला ने आपको सब्र व जमाव का वह आला मुक़ाम अता फ़रमाया था कि तमाम आफ़तों व मुसीबतों का पूरी मज़बूती व हिम्मत के साथ मुक़ाबला किया और आख़िरकार कामयाब हुए।

बग़ावतों का मुक़ाबला जाहिर है कि ताक़त इस्तेमाल करके ही किया जा सकता है, मगर हालात की नज़ाकत इस हद को पहुँच गयी थी कि सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा-ए-किराम से मश्विरा किया तो किसी की राय न हुई कि इस वक़्त बग़ावतों के मुक़ाबले में कोई सख़्त क़दम उठाया जाये। ख़तरा यह था कि सहाबा हज़रत अगर अन्दरूनी जंग में मशगूल हो जायें तो बाहरी ताक़तें इस नये वजूद में आने वाले इस्लामी मुल्क पर दौड़ पड़ेंगी। लेकिन अल्लाह तआला ने अपने सिद्दीक़ के दिल को इस जिहाद के लिये मज़बूत फ़रमा दिया और आपने एक ऐसा बलीग़ (दिलों में उतर जाने वाला) ख़ुतबा सहाबा किराम के सामने दिया कि इस जिहाद के लिये उनको भी दिली इत्मीनान हो गया। उस ख़ुतबे (भाषण और संबोधन) में अपने पूरे इरादे व हिम्मत को इन अलफ़ाज़ में बयान फ़रमाया कि:

“जो लोग मुसलमान होने के बाद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिये हुए अहक़ाम और इस्लामी क़ानून का इनकार करें तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके खिलाफ़ जिहाद करूँ। अगर मेरे मुक़ाबले पर तमाम इनसान व जिन्नात और दुनिया के पेड़-पत्थर सब को जमा कर लायें और कोई मेरा साथी न हो, तब भी मैं तन्हा अपनी गर्दन से इस जिहाद को अन्जाम दूँगा।”

और यह फ़रमाकर घोड़े पर सवार हुए और चलने लगे। उस वक़्त सहाबा-ए-किराम आगे आये और सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी जगह बैठाकर विभिन्न मोर्चों पर विभिन्न हज़रत की ख़ानगी का नक्शा बन गया।

इसी लिये हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत हसन बसरी, इमामे जह्हाक, इमाम क़तादा वगैरह तफ़सीर के बड़े इमामों ने बयान फ़रमाया है कि यह आयत हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों के बारे में आई है। वही सबसे पहले उस क़ौम का मिस्दाक़ साबित हुए जिनके अल्लाह की ओर से अमल के मैदान में लाये जाने का उक्त आयत में इरशाद है।

“मगर यह इसके विरुद्ध नहीं कि कोई दूसरी जमाअत भी इस आयत की मिस्दाक़ हो। इसलिये जिन हज़रत ने इस आयत का मिस्दाक़ हज़रत अबू मूसा अश्शरी रज़ियल्लाहु अन्हु या दूसरे सहाबा-ए-किराम को करार दिया है, वह भी इसका मुख़ालिफ़ नहीं। बल्कि सही यही है कि

ये सब हज़रात वलिक़ क़ियामत तक आने वाला वह मुसलमान जो क़ुरआनी हिदायतों के मुताबिक़ क़ुर्र व बेदीनी का मुकाबला करे इसी आयत के मिस्दाक़ में दाख़िल होंगे।

बहरहाल सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक जमाअत हज़रत सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु के नेतृत्व में इस फ़ितना-ए-इर्तिदाद (इस्लाम से फिर जाने वालों) के मुकाबले के लिये खड़ी हो गयी। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद को एक बड़ा लश्कर देकर मुसैलमा-ए-क़ज़ाब के मुकाबले पर यमामा की तरफ़ रवाना किया गया। वहाँ मुसैलमा-ए-क़ज़ाब की जमाअत ने अच्छी खासी ताक़त इक़ट्टा कर ली थी, सख़्त लड़ाईयाँ हुई, आख़िरकार मुसैलमा-ए-क़ज़ाब हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से मारा गया, और उसकी जमाअत तौबा करके फिर मुसलमानों में मिल गयी। इसी तरह तलीहा बिन खुवैलद के मुकाबले पर भी हज़रत ख़ालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ही तशरीफ़ ले गये, वह फ़रार होकर कहीं बाहर चला गया, फिर अल्लाह तआला ने उनके खुद बखुद ही इस्लाम की दोबारा तौफीक़ बख़्शी और मुसलमान होकर लौट आये।

ख़िलाफ़ते सिद्दीकी के पहले महीने रबीउल-अव्वल के आख़िर में अस्वद अनसी के क़त्ल और उसकी क़ौम के ताबेदार व फ़रमाँबरदार हो जाने की ख़बर पहुँच गयी, और यही ख़बर सबसे पहली फ़तह की ख़बर थी जो हज़रत सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु को उन हालात में पहुँची थी। इसी तरह दूसरे क़बीले जो ज़कात देने से मना कर रहे थे, के मुकाबले में भी हर मोर्चे पर अल्लाह तआला ने सहाबा-ए-किराम को खुली फ़तह नसीब फ़रमाई।

इस तरह अल्लाह तआला का यह इरशाद जो तीसरी आयत के आख़िर में ज़िक़्र हुआ है:

فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.

यानी अल्लाह वालों की जमाअत ही ग़ालिब आकर रहेगी। इसकी अमली तफ़सीर दुनिया ने आँखों से देख ली, और जबकि तारीख़ी और वाक़िआती रंग में यह बात आसानी से और स्पष्ट रूप से साबित है कि हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद अरब के क़बीलों में फ़ितना-ए-इर्तिदाद (इस्लाम से फिर जाने का फ़ितना) फैला और अल्लाह तआला ने उसका मुकाबला करने के लिये जो क़ौम खड़ी फ़रमाई वह सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी सहाबा-ए-किराम ही थे, तो इस आयत ही से यह भी साबित हो गया कि जो गुफ़ा इस जमाअत के क़ुरआने करीम ने बयान फ़रमाये हैं वो सब सिद्दीक़े अक़बर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी सहाबा-ए-किराम में मौजूद थे, यानी:

अव्वल यह कि अल्लाह तआला उनसे मुहब्बत करते हैं।

दूसरे यह कि वे अल्लाह तआला से मुहब्बत करते हैं।

तीसरे यह कि ये सब हज़रात मुसलमानों के मामलात में बहुत ही नर्म हैं और काफ़िरों के मामले में तेज़।

चौथे यह कि उनका जिहाद ठीक अल्लाह की राह में था, जिसमें उन्होंने किसी की मलामत व ग़ौरह की परवाह नहीं की।

आयत के आखिर में तमाम हकीकतों की इस हकीकत को स्पष्ट फरमा दिया कि कमाल व खूबी की ये तमाम सिफात फिर इनका हर वक्त इस्तेमाल, फिर इनके जरिये इस्लामी मुहिम में कामयाबी, ये सब चीजें केवल तदबीर, ताक़त या जमाअत के बल-बूते पर हासिल नहीं हुआ करतीं, बल्कि यह तो सिर्फ अल्लाह तआला का फज़ल है, वही जिसको चाहते हैं यह नेमत अता फरमाते हैं।

ऊपर बयान हुई चार आयतों में मुसलमानों को काफ़िरों के साथ गहरी दोस्ती रखने से मना फरमाया गया। पाँचवीं आयत में सकारात्मक तौर पर यह बतलाया गया कि मुसलमानों को गहरी दोस्ती और खास ताल्लुक जिनसे हो सकता है वे कौन हैं। उनमें सबसे पहले अल्लाह तआला और फिर उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जिक्र है, कि दर हकीकत मोमिन का दोस्त और साथी हर वक्त हर हाल में अल्लाह तआला ही है, और वही हो सकता है, और उसके ताल्लुक के सिवा हर ताल्लुक और हर दोस्ती फ़ानी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ताल्लुक भी दर हकीकत अल्लाह तआला का ताल्लुक है, उससे अलग नहीं। तीसरे नम्बर में मुसलमानों के साथी और मुख़ि़स दोस्त उन मुसलमानों को करार दिया है जो सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, बल्कि सच्चे मुसलमान हैं। जिनकी तीन सिफ़तें और निशानियाँ ये बतलाई हैं:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

अब्वल यह कि वे नमाज़ को उसके पूरे आदाब और शर्तों के साथ पाबन्दी से अदा करते हैं। दूसरे यह कि अपने माल में से ज़कात अदा करते हैं। तीसरे यह कि वे लोग तवाज़ो और आजिज़ी करने वाले हैं, अपने नेक आमाल पर नाज़ और तकब्बुर नहीं करते।

इस आयत का तीसरा जुमला 'व हुम् राकिऊन' में लफ़ज़ रुकूअ के कई मफ़हूम (मायने) हो सकते हैं। इसी लिये तफ़सीर के इमामों में से कुछ हज़रत ने फरमाया कि रुकूअ से मुराद इस जगह परिचित रुकूअ है, जो नमाज़ का एक रुकन (हिस्सा) है। और 'युकीमूनस्सलानत' के बाद 'व हुम् राकिऊन' का जुमला इस मक़सद से लाया गया कि मुसलमानों की नमाज़ को दूसरे फ़िकों की नमाज़ से अलग कर देना मक़सूद है। क्योंकि नमाज़ तो यहूदी व ईसाई भी पढ़ते हैं, मगर उसमें रुकूअ नहीं होता, रुकूअ सिर्फ इस्लामी नमाज़ की विशेष खूबी है। (तफ़सीरे मज़हरी)

मगर भुफ़सिसरीन की अक्सरियत ने फरमाया कि लफ़ज़ रुकूअ से इस जगह परिचित रुकूअ मुराद नहीं, बल्कि इसके लुग़वी मायने मुराद हैं, यानी झुकना, तवाज़ो और आजिज़ी व इन्किसारी करना। तफ़सीर बहरे मुहीत में अबू हय्यान ने और तफ़सीरे कश्शाफ़ में ज़मख़शरी ने इसी को इख़्तियार किया है। और तफ़सीरे मज़हरी व तफ़सीर बयानुल-कुरआन वग़ैरह में भी इसी को लिया गया है। तो मायने इस जुमले के ये हो गये कि उन लोगों को अपने नेक आमाल पर नाज़ नहीं, बल्कि विनम्रता और इन्किसारी उनकी ख़स्त है।

और कुछ रिवायतों में है कि यह जुमला हज़रत अली करमल्लाहु वज्हू के बारे में एक खास

वाकिए के मुताल्लिक नाज़िल हुआ है। वह यह कि एक दिन हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज़ में मशगूल थे। जब आप रुकूअ में गये तो किसी साईल (माँगने वाले) ने आपका सवाल किया, आपने उसी रुकूअ की हालत में अपनी एक उंगली से अंगूठी निकाल कर उसकी तरफ फेंक दी। ग़रीब फकीर की ज़रूरत पूरी करने में इतनी देर करना भी पसन्द नहीं फरमाया कि नमाज़ से फारिग होकर उसकी ज़रूरत पूरी करें। नेक काम में यह आगे बढ़ना अल्लाह तआला के नज़दीक पसन्द आया और इस जुमले के ज़रिये इसकी तारीफ़ फरमाई गयी।

इस रिवायत की सनद में उलेमा व मुहद्दिसीन का कलाम है, लेकिन रिवायत को सही ठहरा दिया जाये तो इसका हासिल यह होगा कि मुसलमानों की गहरी दोस्ती के लायक नमाज़ व ज़कात के पाबन्द आम मुसलमान हैं, और उनमें खुसूसियत के साथ हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हू उस दोस्ती के ज्यादा मुस्तहिक हैं, जैसा कि एक दूसरी सही हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِمَنْ عَادَاهُ.

यानी या अल्लाह! आप महबूब बना लें उस शख्स को जो मुहब्बत रखता है अली से, और दुश्मन करार दें उस शख्स को जो दुश्मनी करे अली से।

हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हू को इस खास सम्मान के साथ ग़ालिबन इसलिये नवाज़ा गया है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर आगे चलकर पेश आने वाला फितना यह हो गया था, कि कुछ लोग हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हू से अदावत व दुश्मनी रखेंगे, और उनके मुकाबले पर बगावत का झण्डा उठावेंगे जैसा कि खारजियों के फितने में इसका ज़हूर हुआ।

बहरहाल उक्त आयत का नुज़ूल (उतरना) चाहे इसी वाकिए के मुताल्लिक हुआ हो या आयत के अलफ़ाज़ आम हैं, जो तमाम सहाबा-ए-किराम और सब मुसलमानों को शामिल हैं हुक्म के एतिबार से किसी व्यक्ति विशेष की खुसूसियत नहीं, इसी लिये जब किसी ने हज़रत इमाम बाकिर रह. से पूछा कि इस आयत में 'अल्लज़ी-न आमनू' से क्या हज़रत अली कर्मल्लाहु वज्हू मुराद हैं? तो आपने फरमाया कि वह भी मोमिनों में दाखिल होने की हैसियत से इस आयत का मिस्ताक हैं।

इसके बाद दूसरी आयत में उन लोगों को फतह व मदद और दुनिया पर ग़ालिब आने की खुशख़बरी दी गयी है जो ज़िक्र की हुई क़ुरआनी आयत के अहकाम की तामील करके ग़ैर गहरी दोस्ती से बाज़ आ जायें और सिर्फ़ अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और ईमान वालों को अपना दोस्त बनायें। इरशाद फरमाया:

مَنْ يَقُولِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُغْلِبُونَ.

इसमें इरशाद फरमाया कि अल्लाह के इन अहकाम की तामील करने वाले मुसलमान अल्लाह का गिरोह हैं, और फिर यह खुशख़बरी सुना दी कि अल्लाह का गिरोह ही आख़िरत (परिणाम स्वरूप) सब पर ग़ालिब आकर रहेगा।

आने वाले वाकिआत ने इसकी ऐसी तस्दीक (पुष्टि) कर दी कि हर आँखों वाले ने देख लिया कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सब पर ग़ालिब आकर रहे। जो ताक़त उनसे टकराई टुकड़े-टुकड़े हो गयी। पहले खलीफ़ा हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के मुक़ाबले पर अन्दरूनी फ़ितने और बगावतें खड़ी हुईं तो अल्लाह तआला ने उनको सब पर ग़ालिब फ़रमाया। हज़रत फ़ारूक़े आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के मुक़ाबले पर दुनिया की सबसे बड़ी ताक़तें क़ैसर व क़िसरा (रूम व ईरान) की आ गयीं तो अल्लाह तआला ने उनका नाम व निशान मिटा दिया। और फिर उनके बाद के खलीफ़ाओं और मुसलमानों में जब तक इन अहक़ाम की पाबन्दी रही कि मुसलमानों ने ग़ैरों के साथ घुलने-मिलने और गहरी दोस्ती के ताल्लुक़ात कायम नहीं किये वे हमेशा कामयाब व विजयी नज़र आये।

छठी आयत में फिर बतौर ताकीद के इस हुक्म को दोहराया गया है जो रुकूअ के शुरू में बयान हुआ था। जिसका मफ़हूम यह है कि ऐ ईमान वाले! तुम उन लोगों को अपना साथी या गहरा दोस्त न बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी-खेल करार देते हैं। और ये दो गिरोह हैं- एक अहले किताब (यहूदी व ईसाई) दूसरे आम काफ़िर व मुशिरक लोग।

इमाम अबू हय्यान ने तफ़सीर बहरे मुहीत में फ़रमाया कि लफ़ज़ काफ़िर में तो अहले किताब भी दाख़िल थे फिर ख़ास तौर पर अहले किताब का मुस्तक़िल ज़िक़ इस जगह ग़ालिबन इसलिये फ़रमाया गया कि अहले किताब अगरचे ज़ाहिर में दूसरे काफ़िरों की तुलना में इस्लाम के साथ करीब थे, मगर तज़ुबे ने यह बतलाया कि उनमें से बहुत कम लोगों ने इस्लाम को कुबूल किया। यही वजह है कि हुज़ूरे पाक के ज़माने के बाद ईमान लाने वाले लोगों के आंकड़े देखे जायें तो उनमें अधिकता आम काफ़िरों की निकलेगी, अहले किताब में से मुसलमान होने वालों की तायदाद बहुत कम होगी।

और वजह इसकी यह है कि अहले किताब को इस पर नाज़ है कि हम खुदाई दीन और आसमानी किताब के पाबन्द हैं। इस फ़ख़्र व नाज़ ने उनको हक़ कुबूल करने से बाज़ रखा, और मुसलमानों के साथ हंसी उड़ाने और मज़ाक बनाने का मामला भी ज़्यादातर उन्होंने किया। इसी शरारत-पसन्दी का एक वाकिआ वह है जो सातवीं आयत में इस तरह बयान फ़रमाया गया है:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَاهُنَا وَأُنْيَا

यानी जब मुसलमान नमाज़ के लिये अज़ान देते हैं तो ये लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं।

इसका वाकिआ इब्ने अबी हातिम के हवाले से तफ़सीरे मज़हरी में यह चक़ल किया है कि मदीना तय्यिबा में एक ईसाई था, वह जब अज़ान में 'अशहदु अन्-न मुहम्मदरसूलुल्लाह' का लफ़ज़ सुनता तो यह कहा करता था 'अहक़ल्लाहुल काज़ि-ब' यानी झूठे को अल्लाह तआला जला दे।

आख़िरकार उसका यह कलिमा ही उसके पूरे ख़ानदान के जलकर खाक हो जाने का सबब बन गया। जिसका वाकिआ यह पेश आया कि रात को जब यह सो रहा था इसका नौकर किसी

जूरत से आग लेकर घर में आया, उसकी चिंगारी उड़कर किसी कपड़े पर गिर पड़ी और
के सो जाने के बाद वह भड़क उठी, और सब के सब जलकर खाक हो गये।

इस आयत के आखिर में फरमाया:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

यानी दीने हक के साथ इस हंसी-मजाक उड़ाने की वजह इसके सिवा नहीं हो सकती कि
लोग बेअक्ल हैं।

तफसीरे मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि अल्लाह
तआला ने उनको बेअक्ल फरमाया है, हालाँकि दुनिया के मामलात में उनकी अक्ल व समझ
मशहूर व परिचित है। इससे मालूम हुआ कि ऐसा हो सकता है कि कोई इनसान एक किस्म
कामों में होशियार अक्लमन्द हो मगर दूसरी किस्म में या तो वह अक्ल से काम नहीं लेता
उसकी अक्ल उस तरफ चलती नहीं, इसलिये उसमें बेवकूफ और बेअक्ल होना साबित होता
कुरआने करीम ने इसी मजमून को एक दूसरी आयत में इस तरह बयान फरमाया है:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ

यानी ये लोग दुनियावी जिन्दगी के हल्के और मामूली मामलात को तो खूब जानते हैं मगर
अन्जाम और आखिरत से गाफिल हैं।

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقُومُونَ مِنَّا ۖ اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ مِنَّا وَمَا اُنزِلَ
مِّن قَبْلُ ۗ وَاَنْ اَكْفُرَكُمْ فَيُقُوْنَ ۝ قُلْ هَلْ اُنْبِئُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةٌ عِنْدَ اللّٰهِ
ۗ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدٰۤءَةَ وَالْمُنٰزِرَةَ وَعَبْدَ الطَّاغُوْتِ ۗ اُولٰٓئِكَ
مَرْمٰكُنَا ۗ وَاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝ وَاِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوْا بِالْكَفْرِ
وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ۝

कुल् या अहल्लल्-किताबि हल्
तन्कि मू-न मिन्ना इल्ला अन्
आमिन्ना बिल्लाहि व मा उन्जि-ल
इलैना व मा उन्जि-ल मिन् कब्लु व
अन्-न अक्स-रकुम् फासिकून (59)
कुल् हल् उनब्बिउकुम् बि-शरिम् मिन्
जालि-क मसू-बतन् अिन्दल्लाहि,

तू कह- ऐ किताब वालो! क्या जिद
तुमको हमसे मगर यही कि हम ईमान
लाये अल्लाह पर और जो नाजिल हुआ
हम पर और जो नाजिल हो चुका पहले
और यही कि तुम में अक्सर नाफरमान
हैं। (59) तू कह- मैं तुमको बतलाए
उनमें किसकी बुरी जजा है अल्लाह व
यहाँ, वही जिस पर अल्लाह ने लानत की

मल्ल-अ-नहुल्लाहु व गज़ि-ब अलैहि
 व ज-अ-ल मिन्हुमुल् कि-र-द-त
 वल्लानाजी-र व अ-बदत्तारू-त,
 उलाइ-क शरूमू मकानव-व अज़ल्लु
 अन् सवा-इस्सबील (60) व इज़ा
 जाऊकुम् कालू आमन्ना व कद्-
 द-खलू बिल्कुफ़िर व हुम् कद् ख-रजू
 बिही, वल्लाहु अज़लमु बिमा कानू
 यक्तुमून (61)

और उस पर ग़ज़ब नाज़िल किया, और
 उनमें से कुछ को बन्दर कर दिया और
 कुछ को सुअर, और जिन्होंने बन्दगी की
 शैतान की वही लोग बदतर हैं दर्जे में,
 और बहुत बहके हुए हैं सीधी राह से।
 (60) और जब तुम्हारे पास आते हैं तो
 कहते हैं कि हम ईमान लाये हैं और
 हालत यह है कि काफ़िर ही आये थे और
 काफ़िर ही चले गये, और अल्लाह ख़ूब
 जानता है जो कुछ छुपाये हुए थे। (61)

खुलासा-ए-तफसीर

आप कह दीजिये कि ऐ अहले किताब! तुम हम में कौनसी बात ऐब वाली और बुरी पाते हो, सिवाय इसके कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर और उस किताब पर जो हमारे पास भेजी गई है (यानी कुरआन) और उस किताब पर (भी) जो (हमसे) पहले भेजी जा चुकी है (यानी तुम्हारी किताब तौरात व इंजील), इसके बावजूद कि तुममें अक्सर लोग ईमान से खारिज हैं (कि न कुरआन पर उनका ईमान है, जिसका खुद उनको भी इफ़रार है, और न तौरात व इंजील पर ईमान है, क्योंकि उन पर ईमान होता तो उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और कुरआन पर ईमान लाने की हिदायत मौजूद है, इस पर भी ज़रूर ईमान होता। कुरआन का इनकार इस पर सुबूत है कि तौरात व इंजील पर भी उनका ईमान नहीं है। यह हाल तो तुम लोगों का हुआ और हम इसके विपरीत सब किताबों पर ईमान रखते हैं, तो ऐब हम में नहीं खुद तुम में है, गौर करो)।

आप (उनसे) कह दीजिये कि (अगर इस पर भी तुम हमारे तरीके को बुरा समझते हो तो आओ) क्या मैं (अच्छे-बुरे में तुलना और फ़र्क करने के लिये) तुमको ऐसा तरीका बतलाऊँ जो (हमारे) इस (तरीके) से भी (जिसको तुम बुरा समझ रहे हो) खुदा के यहाँ पादाश "यानी नतीजा और बदला" मिलने में ज़्यादा बुरा हो। वह उन लोगों का तरीका है जिनको (इस तरीके की वजह से) अल्लाह तआला ने अपनी रहमत से दूर कर दिया हो और उन पर ग़ज़ब फ़रमाया हो और उनको बन्दर और सुअर बना दिया हो, और उन्होंने शैतान की पूजा की हो, (अब देख लो कि इनमें कौनसा तरीका बुरा है, आया वह तरीका जिसमें रसूलुल्लाह की इबादत और उस पर यह वफ़ात हो, या वह तरीका जो पूरी तरह तौहीद और नबियों की नुबुव्वत की तस्दीक हो। यकीनन

तुलना करने का नतीजा यही है कि) ऐसे लोग (जिनका तरीका अभी जिक्र किया गया है। आखिरत में) मकान के एतिबार से भी (जो उनको सजा के तौर पर मिलेगा) बहुत घुरे हैं। (क्योंकि यह मकान दोज़ख है) और (दुनिया में) सही रास्ते से भी बहुत दूर हैं (इशारा यह है कि) तुम लोग हम पर हंसते हो, हालाँकि मजाक उड़ाये जाने के क़ाबिल तुम्हारा तरीका है। क्योंकि वे सब ख़स्तते तुममें पाई जाती हैं। क्योंकि यहूदियों ने बछड़े की पूजा की और ईसाईयों ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा बना लिया, फिर अपने उलेमा व धर्मगुरुओं को खुदाई के अधिकार सौंप दिये। इसी लिये यहूदियों ने जब हफ़ते (शनिवार) के दिन के अहकाम को खिलाफ़वर्ज़ी की तो अल्लाह का अज़ाब आया, वे बन्दर बना दिये गये। और ईसाईयों की दरख़्वास्त पर आसमानी दस्तरख़्वान नाज़िल होने लगा, उन्होंने फिर भी नाशुक्री की तो उनको बन्दर और सुअर बना दिया गया। आगे उनकी एक ख़ास जमाअत का जिक्र है जो मुनाफ़िक थे कि मुसलमानों के सामने इस्लाम का इज़हार करते थे और अन्दरूनी तौर पर यहूदी ही थे) और जब ये (मुनाफ़िक) लोग तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हालाँकि वे कुफ़्र को ही लेकर (मुसलमानों की मज्लिस में) आए थे और कुफ़्र को ही लेकर चले गये। और अल्लाह तआला तो ख़ूब जानते हैं जिसको यह (अपने दिल में) छुपाते हैं (इसलिये इनका निफ़ाक (दिल में कुफ़्र रखना और ज़ाहिर में इस्लाम ज़ाहिर करना) अल्लाह तआला के सामने काम नहीं देगा, और कुफ़्र की बहुत बुरी सज़ा से साबका पड़ेगा)।

मआरिफ़ व मसाईल

'अक्सरकुम् फ़ासिक्कून' (तुम में अधिकतर नाफ़रमान हैं) में हक़ तआला ने यहूदियों व ईसाईयों के ख़िताब में सब के बजाय अक्सर को ईमान से ख़ारिज फ़रमाया है। इसकी वजह यह है कि उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर हाल में मोमिन ही रहे, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नबी बनकर तशरीफ़ नहीं लाये थे वे तौरात व इंजील के हुक्मों के ताबे और उन पर ईमान रखते थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये और कुरआन नाज़िल हुआ तो आप पर भी ईमान लाये और कुरआन के ताबे होकर अमल करने लगे।

दावत व तब्लीग़ में मुख़ातब की रियायत

यहाँ 'कुल् हल् उनब्बिउकुम्' में एक मिसाल के अन्दाज़ में जो हाल ऐसे लोगों का बयान किया है जिन पर अल्लाह की लानत व ग़ज़ब है, इसके मिस्दाक़ दर हकीकत ख़ुद यही मुख़ातब थे। मक़ाम इसका था कि उन पर ही यह इल्ज़ाम लगाया जाता कि तुम ऐसे हो, मगर कुरआन करीम ने बयान का अन्दाज़ बदलकर इसको एक मिसाल की सूरत दे दी। जिसमें पैग़म्बराना दावत का एक ख़ास अन्दाज़ व ढंग बतलाया गया कि बयान का उनवान ऐसा इख़्तियार करना चाहिये जिससे मुख़ातब (जिसको संबोधित किया जा रहा है) में उत्तेजना पैदा न हो।

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ، لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّتَتُونَ وَالْأَخْبَارُ

عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

व तरा कसीरम् मिन्हुम् युसारिअ-न
फि ल् इस्मि वल् अुद्वानि व
अक्लिहिमुस्सुह-त, लबिअ-स मा
कानू यअ्मलून (62) लौ ला
यन्हाहुमुरब्बानिय्यू-न वल्-अह्बारु
अन् कौलिहिमुल्-इस्-म व
अक्लिहिमुस्सुह-त, लबिअ-स मा
कानू यसनअून (63)

और तू देखेगा बहुतों को उनमें से कि
दौड़ते हैं गुनाह पर और जुल्म और हराम
खाने पर, बहुत बुरे काम हैं जो कर रहे
हैं। (62) क्यों नहीं मना करते उनके नेक
लोग और उलेमा गुनाह की बात कहने से
और हराम खाने से, बहुत ही बुरे अमल
हैं जो कर रहे हैं। (63)

खुलासा-ए-तफसीर

और आप उन (यहूदियों) में बहुत आदमी ऐसे देखते हैं जो दौड़-दौड़कर गुनाह (यानी झूठ) और जुल्म और हराम (माल) खाने पर गिरते हैं, बाकई उनके ये काम (बहुत) बुरे हैं। (यह तो अक्ल का हाल था, आगे ख्वास का हाल है कि) उनको नेक लोग और उलेमा गुनाह की बात कहने से (इसके बावजूद कि उनको मसले का इल्म और वास्तविकता की खबर है) और हराम माल खाने से क्यों नहीं मना करते, बाकई उनकी यह आदत बुरी है।

मअरिफ व मसाईल

यहूदियों की अख्लाकी हालत की तबाही

जिक्र की गयी आयतों में से पहली आयत में अधिकतर यहूदियों की अख्लाकी गिरावट और अमली बरबादी का जिक्र है, ताकि सुनने वालों को नसीहत हो कि इन कामों और इनके असबाब से बचते रहें।

अगरचे आम तौर पर यहूदियों का यही हाल था लेकिन उनमें कुछ अच्छे लोग भी थे, कुरआने करीम ने उनको अलग करने के लिये लफ्ज "कसीरन" इस्तेमाल फरमाया, और जुल्म व ज्यादती और हरामखोरी दोनों अगरचे लफ्ज "इस्म" (यानी गुनाह) के मफहूम में दाखिल हैं, लेकिन इन दोनों किस्म के गुनाहों की तबाहकारी और इनकी वजह से पूरे अमन व इत्मीनान की

बरबादी स्पष्ट करने के लिये खुसूसियत के साथ इनका जिक्र अलग से कर दिया। (बहरे मुहीत)

और तफसीर खुल-मआनी वगैरह में है कि उन लोगों के मुताल्लिक दौड़-दौड़कर गुनाहों पर गिरने का उनवान इख्तियार करके कुरआने करीम ने इसकी तरफ इशारा फरमाया कि ये लोग इन बुरी ख़स्तों के आदी मुजरिम हैं, और ये बुरे आमाल उनके मिजाज का एक हिस्सा बनकर उनकी रग व खून में इस तरह जम गये हैं कि बिना इरादे के भी ये लोग उसी तरफ चलते हैं।

इससे मालूम हुआ कि नेक अमल हो या बुरा, जब कोई इनसान उसको खूब ज्यादा करता है तो धीरे-धीरे वह एक पुख़्ता आदत और मिजाज बन जाता है, फिर उसके करने में उसको कोंड मशक़त और तकल्लुफ़ बाकी नहीं रहता। बुरी ख़स्तों में यहूदी इसी हद पर पहुँचे हुए थे, इसको ज़ाहिर करने के लिये इरशाद फरमाया:

يَسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ

और इसी तरह अच्छी ख़स्तों में नबियों और वलियों का हाल है, उनके बारे में भी कुरआने करीम ने:

يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ

के अलफ़ाज़ इस्तेमाल फरमाये।

आमाल को सुधारने का तरीका

आमाल को सही करने और सुधारने का सबसे ज्यादा एहतिमाम करने वाले हज़रात सूफिया-ए-किराम और औलिया-अल्लाह हैं। इन हज़रात ने कुरआन के इन्हीं इरशादात से यह अहम उसूल हासिल किया है कि जितने बुरे या भले आमाल इनसान करता है, असल में उनका असल सरचश्मा (स्रोत) वह छुपी सलाहियत, सिफ़ात और अख़्लाक होते हैं जो इनसान की तबीयत का एक हिस्सा बन जाते हैं। इसी लिये बुरे आमाल और अपराधों की रोकथाम के लिये उनकी नज़र उन्हीं छुपी सलाहियतों और सिफ़ात पर होती है और वे उनकी इस्लाह कर देते हैं। वह इसके नतीजे में रिश्वत भी लेता है, सूद भी खाता है, और मौका मिले तो चोरी और डाक तक भी नौबत पहुँच जाती है। हज़राते सूफिया-ए-किराम (बुजुर्ग हज़रात) इन अपराधों व अलग-अलग इलाज करने के बजाय वह नुस्खा इस्तेमाल करते हैं जिससे इन सब जुर्मों की बुनियाद ध्वस्त हो जाये, और वह है दुनिया की नापायेदारी (बाकी न रहने) और इसके ऐश-आराम के ज़हर भरा होने का ध्यान और पुख़्ता ख़याल।

इसी तरह किसी के दिल में तकबुर व गुरूर है, या वह गुस्ते में मग़लूब है, और दूसरों को अपमान व तौहीन करता है, दोस्तों और पड़ोसियों से लड़ता है। ये हज़रात आखिरत की फ़िद और खुदा तआला के सामने जवाबदेही को ध्यान में लाने वाला नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये बुरे आमाल खुद-बखुद खत्म हो जाते हैं।

खुलासा यह है कि इस कुरआनी इशारे से मालूम हुआ कि इनसान में कुछ सलाहियतें औ

सिफात होती हैं जो तबीयत का एक लाजिमी हिस्सा बन जाती हैं। ये सलाहियतें और सिफात खैर और भलाई की हैं तो नेक अमल खुद-बखुद होने लगते हैं, इसी तरह सलाहियतें और सिफात बुरी हैं तो बुरे आमाल की तरफ़ इनसान खुद-बखुद दौड़ने लगता है। मुकम्मल इस्लाह (सुधार) के लिये इन सिफात की इस्लाह जरूरी है।

उलेमा पर अ़वाम के आमाल की जिम्मेदारी

दूसरी आयत में यहूदियों के बुजुर्गों और उलेमा को इस पर सख्त तंबीह की गयी कि वे उन लोगों को बुरे आमाल से क्यों नहीं रोकते। कुरआन में इस जगह दो लफ़्ज़ इस्तेमाल किये गये हैं एक "रब्बानिय्यून" जिसका तर्जुमा है अल्लाह वाले, यानी आबिद, जाहिद, जिनको हमारी बोलचाल में दुर्वेश या पीर या मशाईख़ कहा जाता है। और दूसरा लफ़्ज़ "अहबार" इस्तेमाल फ़रमाया। यहूदियों के उलेमा को अहबार कहा जाता है, जिससे मालूम हुआ कि अच्छे कामों का हुक्म करने और बुरे कामों से रोकने की असल जिम्मेदारी इन दो तबकों पर है- एक बुजुर्ग, दूसरे उलेमा। और कुछ मुफ़त्सिरीन ने फ़रमाया कि रब्बानिय्यून से मुराद वे उलेमा हैं जो हुक्मत की तरफ़ से नियुक्त और ओहदे व इख़्तियार वाले हों, और अहबार से मुराद आम उलेमा हैं। इस सूरात में अपराधों और बुराईयों से रोकने की जिम्मेदारी हाकिमों और उलेमा दोनों पर आयद हो जाती है। और कुछ दूसरी आयतों में यह स्पष्टता के साथ बयान भी हुआ है।

उलेमा व बुजुर्गों के लिये एक चेतावनी

आयत के आख़िर में फ़रमाया:

لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

यानी उन मशाईख़ (बुजुर्गों) और उलेमा की यह बहुत ही बुरी आदत है कि अपना फ़र्ज मन्सबी (कर्तव्य) यानी अच्छे कामों का हुक्म करना और बुरे कामों से रोकना छोड़ बैठे, कौम को हलाकत की तरफ़ जाता हुआ देखते हैं और उनको नहीं रोकते।

उलेमा-ए-मुफ़त्सिरीन ने फ़रमाया कि पहली आयत जिसमें अ़वाम के ग़लत काम करने का जिक्र था, उसके आख़िर में तो 'ल-बिअ-स मा कानू यअमलून' इरशाद फ़रमाया गया, और दूसरी आयत जिसमें बुजुर्गों और उलेमा की ग़लती पर तंबीह की गयी है उसके आख़िर में 'ल-बिअ-स मा कानू यस्नऊन' का लफ़्ज़ इरशाद फ़रमाया गया। वजह यह है कि अरबी लुग़त के एतिबार से लफ़्ज़ 'फ़ैल' तो हर काम को शामिल है, चाहे इरादे से हो या बिना इरादे के, और लफ़्ज़ 'अमल' सिर्फ़ उस काम के लिये बोला जाता है जो क़स्द व इरादे से किया जाये, और लफ़्ज़ 'सनअ' और 'सन्अत' को ऐसे काम के लिये बोला जाता है जिसमें इरादा व इख़्तियार भी हों और उसको बार-बार बतौर आदत और मक़सद के दुस्त करके किया जाये। इसलिये अ़वाम की बद-अमली के नतीजे में तो सिर्फ़ लफ़्ज़ अमल इख़्तियार फ़रमाया:

لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

और ख्वास (यानी बुजुर्गों व उलेमा) की गलती करने के नतीजे में लफ्ज़ 'सनअ' इत्यादि फरमाया:

بَسْمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

इसमें उसकी तरफ इशारा हो सकता है कि उनके उलेमा व मशाईख (बुजुर्गों और बड़ों) यह गलत चलन कि ये जानते-बूझते हुए कि अगर हम इनको मना करेंगे तो ये हमारा कहर सुनेंगे और बाज़ आ जायेंगे, फिर भी उन लोगों के नज़रानों के लालच या अपने से कटने और विमुख हो जाने के खौफ से उनके दिलों में हक की हिमायत का कोई ज़ब्बा पैदा होता। ये उन बदकारों के बुरे आमाल से भी ज्यादा सख्त और संगीन है।

जिसका हासिल यह हुआ कि जिस कौम के लोग अपराधों और गुनाहों में मुब्तला होंगे, उन उनके बुजुर्गों व उलेमा को यह भी अन्दाज़ हो कि हम इनको रोकेंगे तो ये बाज़ आ जायेंगे, ऐं हालात में अगर ये किसी लालच या खौफ की वजह से उन अपराधों और गुनाहों को नहीं रोकें तो उनका जुर्म असल मुजरिमों, बदकारों के जुर्म से भी ज्यादा सख्त है। इसलिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि बुजुर्गों व उलेमा के लिये पूरे कुरआन में इस आयत से ज्यादा कड़ी चेतावनी कहीं नहीं, और इमामे तफसीर जह्हाक ने फरमाया कि मेरे नज़दीक बुजुर्गों व उलेमा के लिये यह आयत सबसे ज्यादा खौफनाक है।

(तफसीर इब्ने जरीर व तफसीर इब्ने कसार)

वजह यह है कि इस आयत के मुताबिक उनका जुर्म तमाम चोरों, डाकुओं और हर तरह के बदकारों के जुर्म से भी ज्यादा सख्त हो जाता है (अल्लाह की पनाह)। मगर याद रहे कि यह सख्ती और चेतावनी उसी सूरत में है जबकि बुजुर्गों व उलेमा को अन्दाज़ा भी हो कि उनकी बात सुनी और मानी जायेगी, और जिस जगह अन्दाज़े या तज़ुर्बे से यह गुमान ग़ालिब हो कि कोई सुनेगा नहीं, बल्कि उसके मुकाबले में उनको तकलीफें दी जायेंगी तो वहाँ हुक्म यह है कि उनकी जिम्मेदारी तो खत्म हो जाती है, लेकिन अफज़ल व आला फिर भी यही रहता है कि कोई माने या न माने ये हज़रत अपना फर्ज अदा करें, और इसमें किसी की मलामत (बुरा-भला कहने) या तकलीफ देने की फिक्र न करें, जैसा कि पहले चन्द आयतों में अल्लाह तआला के मक़बूल मुजाहिदीन की सिफ़ात में गुज़र चुका है:

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

यानी ये लोग अल्लाह के रास्ते में और हक़ ज़ाहिर करने में किसी मलामत करने वाले को मलामत की परवाह नहीं करते।

खुलासा यह है कि जिस जगह बात सुनने और मानने का ग़ालिब गुमान हो वहाँ बुजुर्गों व उलेमा पर बल्कि हर मुसलमान पर जिसको उस काम का जुर्म व गुनाह होना मालूम हो, फर्ज है कि गुनाह को रोकने और मना करने में अपनी ताक़त भर कोशिश करे, चाहे हाथ से या ज़बान से, या कम से कम अपने दिल की नफ़रत और मुँह फेरने से। और जिस जगह ग़ालिब गुमान

यह हो कि उसकी बात न सुनी जायेगी, या यह कि उसके खिलाफ दुश्मनी भड़क उठेगी, तो ऐसी हालत में मना करना और रोकना फर्ज तो नहीं रहता, मगर अफजल व आला बहरहाल है।

अच्छे आमाल का हुक्म करने और बुरे कामों से रोकने के बारे में ये तफसीलात सही हदीसों से ली गयी हैं, खुद नेक अमल इख्तियार करने और बुरे आमाल से बचने के साथ दूसरों को भी नेकी की तरफ हिदायत और बुराई से रोकने का फरीजा आम मुसलमानों पर और खासकर उलेमा व बुजुर्गों पर डालकर इस्लाम ने दुनिया में अमन व इत्मीनान पैदा करने का एक ऐसा सुनहरा उसूल बना दिया है कि इस पर अमल होने लगे तो पूरी कौम बहुत आसानी के साथ तमाम बुराईयों से पाक हो सकती है।

उम्मत के सुधार का तरीका

इस्लाम के शुरू के ज़मानों में और बाद के ज़मानों में भी जब तक इस पर अमल होता रहा मुसलमानों की पूरी कौम इत्म व अमल, अख्लाक व किरदार के एतिबार से पूरी दुनिया में सरबुलन्द और नुमायाँ रही। और जब से मुसलमानों ने इस फरीजे को नज़र-अन्दाज़ कर दिया और अपराधों की रोकथाम को सिर्फ हुक्मत और उसकी पुलिस का फर्ज समझकर खुद उससे अलग हो बैठे तो इसका नतीजा वही हुआ जो आज हर जगह सामने है, कि माँ-बाप और पूरा खानदान दीनदार और शरीअत का पाबन्द है मगर औलाद और संबन्धित लोग इसके उलट हैं। उनके सोचने और विचार का रुख भी और है, और अमली तरीके भी अलग हैं। इसी लिये मिल्लत के सामूहिक सुधार के लिये कुरआन व हदीस में 'अमर बिलमारुफ' और 'नही अनिल् मुन्कर' (नेकियों का हुक्म करने और बुराईयों से रोकने) पर खास तौर से जोर दिया गया है। कुरआन ने इस काम को उम्मत मुहम्मदियाँ की खुसूसियात (विशेषताओं) में शुमार फरमाया है और इसकी खिलाफवर्जी (उल्लंघन) करने को सज़ा गुनाह और अज़ाब का सबब करार दिया है। हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि जब किसी कौम में गुनाह के काम किये जायें और कोई (नेक) आदमी उस कौम में रहता है और उनको मना नहीं करता तो करीब है कि अल्लाह तआला उन सब लोगों पर अज़ाब भेज दे। (बहरे मुहीत)

गुनाहों पर नफ़रत का इज़हार न करने पर सज़ा की धमकी

मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि एक जगह अल्लाह तआला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि फुलाँ बस्ती को तबाह कर दो। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि उस बस्ती में तो आपका फुलाँ इबादत-गुज़ार बन्दा भी है। हुक्म हुआ कि उसको भी अज़ाब चखाओ, क्योंकि हमारी नाफरमानियों और गुनाहों को देखकर उसको भी गुस्सा नहीं आया, और उसका चेहरा गुस्से से कभी नहीं बदला।

हज़रत यूशा इब्ने नून अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तआला ने वही भेजी कि आपकी कौम के एक लाख आदमी अज़ाब से हलाक किये जायेंगे, जिनमें चालीस हज़ार नेक लोग हैं और साठ

हजार बुरे अमल वाले। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि रब्बुल-आलमीन बुरे किरदार वालों की हलाकत की वजह तो जाहिर है, लेकिन नेक लोगों को क्यों हलाक किया जा रहा है इरशाद हुआ कि ये नेक लोग भी उन बुरे किरदारों वालों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात रखें, उनके साथ खाने पीने और हंसी-दिल्लीगी में शरीक रहते थे। मेरी नाफरमानियाँ और उन देखकर कभी उनके चेहरों पर कोई नागवारी का असर तक न आया (ये सब रिवायतें तफसीर बहरे मुहीत से नकल की गयी हैं)।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا رَبَّنَا يَاكُفِّرْ سَوَاطِينَنَا
بَيْنَ كَيْفٍ يَشَاءُ وَلِيُرِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِئِينَ ۝ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا عَنْهُمْ
سَاهِبِينَ وَمَا أَلَمْنَا أَفْسَادَهُمْ وَكَلَّمْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ
مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْفُرُوا مِنْ فُوقِهِمْ وَمَنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا
يَدْعُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

व कालतिल्-यहूदु यदुल्लाहि
मग्लूलतुनु, गुल्लत् ऐदीहिम् व लुजिनु
बिमा कालू। बल् यदाहु मबसूततानि
युन्फिकु कै-फ यशा-उ, व ल-यज़ीदन्-न
कसीरम् मिन्दुम् मा उन्ज़ि-ल इलै-क
मिरखि-क तुग़यानव्-व कुफरन्, व
अल्कै ना बै नहु मुल्-अ दाव-त
वल्बग्ज़ा-अ इला यौमिल्-कियामति,
कुल्लमा औकदू नारल्-लिल्-हरबि
अत्-फ-अहल्लाहु व यस्जौ-न
फिल्अर्जि फ़सादन्, वल्लाहु ला

और यहूद कहते हैं- अल्लाह का हाथ बन्द हो गया। उन्हीं के हाथ बन्द हो जायें, और लानत है उनको इस कहने पर, बल्कि उसके तो दोनों हाथ खुले हुए हैं, खर्च करता है जिस तरह चाहे और उनमें बहुतों को बड़ेगी इस कलाम से जो तुझ पर उतरा तेरे सब की तरफ से, शरारत और इनकार, और हमने दृष्ट रखी है उनमें दुश्मनी और बैर किया त के दिन तक, जब कभी आग सुलगाते हैं लड़ाई के लिये अल्लाह उसको बुझा देता है, और दौड़ते हैं मुल्क में फ़साद करते हुए, और अल्लाह पसन्द नहीं करता

युहिब्बुल् मुफिसदीन (64) व लौ
अन्-न अहलल्-किताबि आमनू
वत्तकौ ल-कफ फरना अन्हुम्
सय्यिआतिहिम् व ल-अद्खाल्नाहुम्
जन्नातिन्-नअीम (65) व लौ
अन्हुम् अकामुत्तौरा-त्त वल्-इन्जी-ल
व मा उन्जि-ल इलैहिम् मिरिब्बिहिम्
ल-अ-कलू मिन् फौकिहिम् व मिन्
तस्ति अरजुलिहिम्, मिन्हुम् उम्मतुम्-
मुक्त्तसि-दतुन्, व कसीरुम् मिन्हुम्
सा-अ मा यज़्मलून (66) ❀

या अय्युहरसूलु बल्लिगू मा उन्जि-ल
इलै-क मिरिब्बि-क व इल्लम् तफ़ज़ल्
फमा बल्लिगू-त रिसाल-तहू, वल्लाहु
यज़्सिमु-क मिनन्नासि, इन्नल्ला-ह
ला यद्दिल् कौमल्-काफिरीन (67)

फसाद करने वालों को। (64) और अगर
अहले किताब ईमान लाते और डरते तो
हम दूर कर देते उनसे उनकी बुराईयाँ
और उनको दाखिल कर देते नेमत के
बागों में। (65) और अमर वे कायम
रखते तौरात और इंजील को और उसको
जो कि नाजिल हुआ उन पर उनके रब
की तरफ से तो खाते अपने ऊपर से और
अपने पाँव के नीचे से, कुछ लोग हैं उनमें
सीधी राह पर, और बहुत से उनमें बुरे
काम कर रहे हैं। (66) ❀

ऐ रसूल पहुँचा दे जो तुझ पर उतरा तेरे
रब की तरफ से, और अगर ऐसा न
किया तो तूने कुछ न पहुँचाया उसका
पैग़ाम, और अल्लाह तुझको बचा लेगा
लोगों से, बेशक अल्लाह रास्ता नहीं
दिखाता काफिरों की कौम को। (67)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

पहले गुज़री आयतों में यहूदियों के कुछ हालात का जिक्र था, अब इन आयतों से भी मज़ीद
कुछ खास हालात बयान किये गये हैं, जिनका किस्सा यह हुआ कि नबाश बिन क़ैस और क़ैनुका
के यहूदियों के सरदार फ़ख़ास ने हक़ तआला की जनाब में गुस्ताखाना अलफ़ाज़ कन्जूसी वगैरह
के कहे, जिसका बयान आगे आता है। इस पर अगली आयत नाज़िल हुई, जैसा कि तबरानी के
हवाले और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से लुबाब में नक़ल किया गया है।

खुलासा-ए-तफ़सीर

और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह तआला का हाथ बन्द हो गया है (यानी अल्लाह की
पनाह वह कन्जूसी करने लगा है। दर हकीकत) उन्हीं के हाथ बन्द हैं (यानी वास्तव में वे खुद

कन्जूसी के ऐव में मुब्तला हैं, और खुदा पर ऐव धरते हैं) और अपने इस कहने से ये (अल्लाह की) रहमत से दूर कर दिये गये, (जिसका असर दुनिया में ज़िल्लत और कैद और क़त्ल वगैरह हुआ और आख़िरत में जहन्नम का अज़ाब। और हरगिज़ नहीं कि खुदा तआला में इसका गुमान भी हो) बल्कि अल्लाह तआला के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं (यानी बड़े सखी व करीम हैं, लेकिन चूँकि हकीम भी हैं इसलिये) जिस तरह चाहते हैं खर्च करते हैं (पस यहूदियों पर जो तंगी हुई उसका सबब हिक्मत है कि उनके कुफ़्र का वयाल उनको चखाना मकसूद है, न यह कि कन्जूसी इसका कारण हो)। और (यहूदियों के कुफ़्र और नाफ़रमानी का यह हाल है कि उनको यह तौफ़ीक़ न होगी कि मसलन अपने कौल का बातिल व ग़लत होना दलील के साथ सुन लिया तो उससे तौबा कर लें, नहीं बल्कि) जो (मज़मून) आपके पास आपके परवर्दिगार की तरफ़ से भेजा जाता है वह उनमें से बहुतों की नाफ़रमानी और कुफ़्र की तरक्की का सबब हो जाता है, (इस तरह से कि वे उसका भी इनकार करते हैं, तो कुछ तो पहली सरकशी और कुफ़्र था फिर और बढ़ गया) और (उनके कुफ़्र से जो उन पर लानत, यानी रहमत से दूरी वाक़े की गयी है इस दुनियावी आसार में से एक यह है कि) हमने उनमें आपस में (दीन के बारे में) कियामत तक दुश्मनी और आपसी नफ़रत डाल दी। (चुनाँचे उनमें विभिन्न फ़िर्के हैं, और हर फ़िर्का दूसरे के दुश्मन, चुनाँचे आपसी दुश्मनी व नफ़रत की वजह से) जब कभी (मुसलमानों के साथ) लड़ाई के आग भड़काना चाहते हैं (यानी लड़ने का इरादा करते हैं) अल्लाह तआला उसको ख़त्म कर देते हैं (और बुझा देते हैं, यानी मरक़ब हो जाते हैं, या लड़कर मग़लूब हो जाते हैं, या आपस में झगड़े और विवाद की वजह से सहमति की नौबत नहीं आती) और (जब लड़ाई से रह जाते हैं तो अपनी दुश्मनी दूसरी तरह निकालते हैं कि) मुल्क में (खुफ़िया) फ़साद "यानी बिगाड़ और ख़राबी" करते फिरते हैं, (जैसे नौ-मुस्लिमों को बहकाना, लगाई बुझाई करना, अ़वाम को तौरात के बदले हुए मज़ामीन सुनाकर इस्लाम से रोकना) और अल्लाह (चूँकि) फ़साद करने वालों को महबूब नहीं रखते (यानी नापसन्द रखते हैं, इसलिये इस फ़साद की उनको ख़ूब सज़ा होगी चाहे दुनिया में भी दरना आख़िरत में तो ज़रूर)।

और अगर ये अहले किताब (यहूदी व ईसाई जिन हक़-बातों के इनकारी हैं, जैसे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत और कुरआन का हक़ होना, इन सब पर) ईमान ले आते और (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वास्ते से जिन बातों का कुफ़्र व नाफ़रमानी होना बतलाया गया है उन सबसे) तक्वा (यानी परहेज़) इख़्तियार करते तो हम ज़रूर उनकी (पिछली) तमाम बुराईयाँ (जिनमें कुफ़्र व शिर्क और नाफ़रमानी व गुनाह, सब अक़याब के अहवाल आ गये) माफ़ कर देते और (माफ़ करके) ज़रूर उनको चैन (और आराम) के बाग़ों (यानी जन्नत) में दाख़िल करते (तो ये आख़िरत की बरक़तें और फल हुए)।

और अगर ये लोग (ईमान और ज़िक्र हुई परहेज़गारी इख़्तियार करते जिसको दूसरे तरीके से) यूँ कहा जाता है कि) तौरात और इन्जील की और जो (किताब) उनके परवर्दिगार की तरफ़ से (अब) उनके पास (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के माध्यम से) भेजी गई है (यानी

कुरआन) उसकी पूरी पाबन्दी करते (यानी इनमें जिस-जिस बात पर अमल करने को लिखा है सब पर पूरा अमल करते, इसमें हुजुरे पाक के रसूल होने की तस्दीक भी आ गयी, और इससे बदले हुए और निरस्त हो चुके अहकाम निकल गये, क्योंकि इन किताबों का मजमूआ उन पर अमल करने को नहीं बतलाता बल्कि मना करता है) तो ये लोग (इस वजह से कि) ऊपर से (यानी आसमान से पानी बरसता) और नीचे से (यानी ज़मीन से पैदावार होती) ख़ूब फरागत से खाते (बरतते)। यह ईमान की दुनियावी बरकतों का जिक्र हुआ, लेकिन कुफ़्र पर अड़े रहे, इसलिये तंगी में पकड़े गये। जिस पर कुछ ने हक़ तआला की शान में कन्जूसी की निस्वत करके गुस्ताखी की, मगर फिर भी सब यहूदी व ईसाई बराबर नहीं, चुनौचे) उन (ही) में (एक जमाअत सही रास्ते पर चलने वाली (भी) है, (जैसे यहूदियों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके साथी, और ईसाईयों में हज़रत नजाशी और उनके साथी। लेकिन ऐसे बहुत कम ही हैं) और (बाकी) ज्यादा उनमें ऐसे ही हैं कि उनके किरदार बहुत बुरे हैं (क्योंकि कुफ़्र व दुश्मनी से बदतर क्या किरदार होगा)।

ऐ रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! जो-जो कुछ आपके रब की तरफ़ से आप पर नाज़िल किया गया है आप (लोगों को) सब पहुँचा दीजिए। और अगर (मान लो जबकि यह असंभव है) आप ऐसा न करेंगे तो (ऐसा समझा जायेगा जैसे) आपने अल्लाह तआला का एक पैग़ाम भी नहीं पहुँचाया, (क्योंकि यह मजमूआ फ़र्ज़ है, तो जैसे पूरे को छुपाने से यह फ़र्ज़ छूट जाता है इसी तरह कुछ के छुपाने से भी वह फ़र्ज़ रह जाता है) और (तब्लीग़ के बारे में काफ़िरों का कुछ ख़ौफ़ न कीजिए, क्योंकि) अल्लाह तआला आपको लोगों से (यानी इससे कि आपके मुक़ाबिल होकर क़त्ल व हलाक कर डालें) महफूज़ रखेगा, (और) यकीनन अल्लाह तआला उन काफ़िर लोगों को (इस तरह क़त्ल व हलाक कर डालने के वास्ते आप तक) राह न देंगे।

मआरिफ़ व मसाईल

यहूदियों की एक गुस्ताखी का जवाब

ऊपर दर्ज हुई पहली आयत (यानी आयत नम्बर 64) में यहूदियों का एक संगीन जुर्म और एक बदतरीन कलिमा यह जिक्र किया गया कि वे कमबख़्त यह कहने लगे कि (अल्लाह की मनाह) अल्लाह तआला तंगदस्त (ग़रीब) हो गया।

चाकिआ यह था, कि अल्लाह तआला ने मदीना के यहूदियों को मालदार और गुंजाईश वाला बनाया था, मगर जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना तशरीफ़ लाये और आपकी दावत उनकी पहुँची तो उन ज़ालिमों ने अपनी कौमी चौधराहट और अपनी जाहिल रस्मों से हासिल होने वाले नज़रानों की खातिर इस हक़ की दावत से मुँह फेर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुखालफ़त की, तो इसकी सज़ा में अल्लाह तआला ने उन पर दुनिया भी तंग कर दी, ये तंगदस्त हो गये। इस पर उन नालायकों की ज़बान से ऐसे कलिमात

निकलने लगे कि (अल्लाह की पनाह) खुदाई खजाने में कमी आ गयी, या अल्लाह तआला कन्जूसी इख्तियार कर ली। इसके जवाब में इस आयत में इरशाद फरमाया कि हाथ तो उकहने वालों के बंधेंगे और उन पर लानत होगी। जिसका असर आखिरत में अज़ाब और दुनिया में जिल्लत व रुस्वाई की सूरत में जाहिर होगा। अल्लाह तआला के हाथ तो हमेशा खुले हुए उसकी सखावत और अता करना तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मगर जिस तरह वह गुरुर और वुस्तअत वाले हैं इसी तरह हिक्मत वाले भी हैं। हिक्मत के साथ उसके तकार्जों के मुताबिक खर्च फरमाते हैं, जिस पर मुनासिब समझते हैं वुस्तअत फरमाते हैं और जिस पर मुनासिब समझते हैं तंगी और तंगदस्ती मुसल्लत फरमा देते हैं।

फिर फरमाया कि ये नाफरमान लोग हैं, आप पर जो कुरआनी बयानात और स्पष्ट अहकाम उतरे हैं उनसे फायदा उठाने के बजाय इनका कुफ़ व इनकार और सख़्त होता जाता है, अल्लाह तआला ने मुसलमानों को इनकी बुराई से बचाने के लिये खुद इनके फिर्कों में झगड़ और सख़्त विवाद डाल दिया है, जिसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ़ न उनको खुली आंखों से देखने का हौसला हो सकता है और न उनकी कोई साजिश चल सकती है। 'कुल्लमा औनारल् लिल्लह् बि अत्फ-अहल्लाहु' (जब कभी वे आग सुलगाते हैं लड़ाई के लिये अल्लाह उसको बुझा देता है) में जाहिरी जंग की नाकामी और 'यस्औ-न फिल्लजर्जि फसादन्' (दौड़ते हैं मुल्क फसाद करते हुए) में खुफिया साजिशों की नाकामी का जिक्र है।

अल्लाह के अहकाम पर पूरा अमल दुनिया में भी बरकतों का सबब है

आयत नम्बर 64 में यहूदियों को हिदायत दी गयी कि तौरात और इंजील के अहकामात और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के इरशादात से उन लोगों ने कोई फायदा न उठाया। दुनिया की हिर्स और लालच में मुब्तला होकर सब को भुला बैठे, जिसके नतीजे में दुनिया में भी तंगदस्ती का शिकार हुए। लेकिन अगर अब भी ये लोग ईमान और परहेजगारी व नेकी के तरीके का इख्तियार कर लें तो हम इनकी सब पिछली खतायें माफ़ कर दें, और इनको नेमतों से भरे हुए बाग़ अता कर दें।

अल्लाह के अहकाम पर पूरा अमल किस तरह होता है

आयत नम्बर 68 यानी:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ.....الخ

में उसी ईमान और तक्वे की कुछ तफ्सील जिक्र की गयी है जिस पर दुनियावी बरकतों, आराम व राहत का वायदा पिछली आयत में किया गया है। और तफ्सील यह है कि तौरात व इंजील और उनके बाद जो आखिरी किताब कुरआन भेजी गयी उसको कायम करें। यहाँ अमल

करने के बजाय लफ्ज "इकामत" यानी कायम करने का लाया गया, मुराद यह है कि उनकी तालीमात पर पूरा-पूरा सही अमल जब होगा कि न उसमें कोताही और कमी हो और न ज्यादाती, जिस तरह किसी सुतून को कायम उस वक्त कहा जा सकता है जब वह किसी तरफ को झुका हुआ न हो, सीधा खड़ा हो।

इसका हासिल यह हुआ कि यहूदी अगर आज भी तौरात व इंजील और कुरआने करीम की हिदायतों पर ईमान ले आयेँ और हिदायतों के मुताबिक उन पर पूरा-पूरा अमल करें, न अमली कोताही में मुब्तला हों न हद से निकलने और ज्यादाती में, कि अपनी बनाई हुई चीजों को दीन करार दे दें, तो आखिरत की वायदा की हुई नेमतों के पात्र और मुस्तहिक होंगे, और दुनिया में भी उन पर रिज्क के दरवाजे इस तरह खोल दिये जायेंगे कि ऊपर से रिज्क बरसेगा और नीचे से उबलेगा। नीचे ऊपर से मुराद बजाहिर यह है कि आसानी के साथ लगातार रिज्क अता होगा।

(तफसीरे कबीर)

ऊपर की आयत में तो सिर्फ आखिरत की नेमतों का वायदा था, इस आयत में दुनियावी आराम व राहत का वायदा भी बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया गया। इसकी वजह शायद यह हो कि यहूदियों की बद-अमली (बुरे आमाल) और तौरात व इंजील के अहकाम में खूब बदल, कमी-बेशी और तोड़-मरोड़ की बड़ी वजह उनकी दुनिया परस्ती और माल का लालच था, और यह वह आफत थी जिसने उनको कुरआने करीम और रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की स्पष्ट निशानियाँ देखने के बावजूद इनकी इताअत से रोका हुआ था। उनको खतरा यह था कि अगर हम मुसलमान हो जायेंगे तो हमारी यह चौधराहत खत्म हो जायेगी, और धर्मगुरु होने की हैसियत से जो नज़राने और हदिये मिलते हैं उनका सिलसिला बन्द हो जायेगा। अल्लाह तआला ने उनके इस ख्याल को दूर करने के लिये यह भी वायदा फरमा लिया कि अगर वे सच्चे दिल से ईमान और नेक अमल इख्तियार कर लें तो उनकी दुनियावी दौलत व राहत में भी कोई कमी नहीं होगी, बल्कि ज्यादाती हो जायेगी।

एक शुब्हा और उसका जवाब

इस तफसील से यह भी मालूम हो गया कि यह खास वायदा उन यहूदियों के साथ किया गया था जो हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जमाने में मौजूद और आपके मुखातब थे। वे अगर इन अहकाम को मान लेते तो दुनिया में भी उनको हर तरह की नेमत व राहत दे दी जाती। चुनाँचे उस वक्त जिन हज़रात ने ईमान और नेक अमल इख्तियार कर लिया उनको ये नेमतें पूरी मिलीं, जैसे हब्शा के बादशाह नज़ाशी और अब्दुल्लाह बिन सलाम रजियल्लाहु अन्हुमा, इससे यह लाज़िम नहीं आता कि जब कोई ईमान व नेक अमल का पाबन्द हो जाये तो दुनिया में उसके लिये रिज्क की वुस्तत जरूर होगी, और जो न हो तो उसके लिये रिज्क की तंगी जरूर होगी। क्योंकि यहाँ कोई आम कायदा और उसूल बयान फरमाना भकंसद नहीं, एक खास जमाअत से खास हालात में वायदा किया गया है।

अलवत्ता ईमान और नेक अमल पर आम कायदे और ज़ावते की सूरत से पाकीजा किन्तु अता होने का वायदा आम है, मगर वह रिज़्क में फैलाव और कसरत की सूरत में भी हो सकता है और ज़हिरी तंगदस्ती की सूरत में भी, जैसा कि अम्बिया व औलिया के हालात इस पर गवाह और सबूत हैं कि सब को हमेशा रिज़्क की वुस्त और फ़राखी तो नहीं मिली, लेकिन पाकीजा जिन्दगी सब को अता हुई।

आयत के आखिर में अदल व इन्साफ़ के तकाज़े के सबब यह भी फ़रमा दिया कि जो देवा चाल और बुरे आमाल यहूदियों के बयान किये गये हैं, यह सारे यहूदियों का हाल नहीं, बल्कि उनमें एक थोड़ी सी जमाअत सही रास्ते पर भी है, लेकिन उनकी अक्सरियत बदकार, बुरा आमाल वाली है। सही रास्तों पर होने वालों से मुराद वे लोग हैं जो पहले यहूदी या ईसाई व फिर कुरआने करीम और रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान ले आये। इन दोनों आयतों में और इनसे पहले के निरन्तर दो रूकूअ में यहूदियों व ईसाईयों की देढ़ी और गुलत चाल, जिद व हठधर्मी और इस्लाम विरोधी साज़िशों का जिक्र चला आ रहा था।

तब्लीग़ की ताकीद और हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली

इसका एक असर तबई तौर पर इनसानी तकाज़े के सबब यह भी हो सकता था कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से, मायूस होकर या मजबूर होकर तब्लीग़ व रिसालत में कमी हो जाये। और दूसरा असर यह भी हो सकता था कि आप मुखालफ़त व दुश्मनी और तकलीफ़ें पहुँचाने की परवाह किये बग़ैर रिसालत की तब्लीग़ में लगे रहें और इसके परिणामस्वरूप आपको दुश्मनों के हाथ से तकलीफ़ों व मुसीबतों का सामना हो। इसलिये तीसरी आयत में एक तरफ़ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह ताकीदी हुक्म दे दिया गया कि जो कुछ आप पर अल्लाह तआला की तरफ़ से नाज़िल किया जाये वह सब का सब बग़ैर किमी झिझक के आप लोगों को पहुँचा दें, कोई बुरा माने या भला, और मुखालफ़त करे या कुबूल करे। और दूसरी तरफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह खुशख़बरी देकर मुत्मइन भी कर दिया गया कि रिसालत की तब्लीग़ के सिलसिले में ये काफ़िर लोग आपका कुछ न बिगाड़ सकेंगे, अल्लाह तआला खुद आपकी हिफ़ाज़त फ़रमायेंगे।

इस आयत में एक जुमला (वाक्य) तो यह काबिलें गौर है कि:

فَإِنْ كُمْ تَفَعَّلَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

मुराद इसकी यह है कि अगर अल्लाह का एक हुक्म भी आपने उम्मत को न पहुँचाया तो आप अपने पैग़म्बरी के फ़र्ज़ और जिम्मेदारी से भार-मुक्त नहीं होंगे। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तमाम उम्र इस फ़रीजे की अदायेगी में अपनी पूरी हिम्मत व कुव्वत लगा दी और हज्जतुल-विदा का मशहूर ख़ुतबा (संबोधन) जो एक हैसियत से इस्लाम

का क़ानून और दस्तूर था और दूसरी हैसियत से एक मेहरवान और माँ-बाप से ज्यादा शफीक पैगम्बर की आखिरी वसीयत थी।

हज्जतुल-विदा के मौके पर हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक नसीहत

इस ख़ुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा-ए-किराम के एक भारी मजमे के सामने अहम हिदायतें इरशाद फ़रमाने के बाद मजमे से सवाल फ़रमाया:

الْأَعْلَى بَلَّغْتُ.

देखो! क्या मैंने आपको दीन पहुँचा दिया?

सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इक़रार फ़रमाया कि ज़रूर पहुँचाया। इस पर इरशाद फ़रमाया कि आप लोग इस पर गवाह रहो। इसी के साथ यह भी इरशाद फ़रमाया कि:

فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

यानी जो लोग इस मजमे में हाज़िर हैं वे अनुपस्थित लोगों तक मेरी बात पहुँचा दें।

गायब और अनुपस्थित लोगों में वे लोग भी दाख़िल हैं जो उस वक़्त दुनिया में मौजूद थे मगर मजमे में हाज़िर न थे, और वे लोग भी दाख़िल हैं जो अभी पैदा नहीं हुए। उनको पैग़ाम पहुँचाने का तरीक़ा इल्मे दीन का प्रचार व प्रसार था जिसको हज़रते सहाबा किराम और ताबिईन ने पूरी कोशिश से अन्जाम दिया।

इसी का यह असर था कि आम हालात में सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इरशादात व कलिमात को अल्लाह की एक भारी अमानत की तरह महसूस फ़रमाया, और अपनी हिम्मत भर इसकी कोशिश की कि आपकी ज़बाने मुबारक से सुना हुआ कोई जुमला (बात और वाक्या) ऐसा न रह जाये जो उम्मत को न पहुँचे। अगर किसी ख़ास सबब या मजबूरी से किसी ने किसी ख़ास हदीस को लोगों से बयान नहीं किया तो अपनी मौत से पहले दो-चार आदमियों को ज़रूर सुना दिया, ताकि वह इस अमानत से भासमुक्त हो जायें। बुख़ारी शरीफ़ में हज़रते मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस के बारे में ऐसा ही वाक़िआ बयान हुआ है कि:

اخبرني معاذ عند موته تأمنا.

यानी हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह हदीस अपनी मौत के वक़्त बयान फ़रमाई, ताकि इस अमानत के न पहुँचाने की वजह से गुनाहगार न हो जायें।

आयत के दूसरे जुमले 'वल्लाहु यअ्सिमु-क़ मिनन्नासि' में खुशख़बरी दी गयी है कि हज़ारों मुख़ालफ़तों के बावजूद दुश्मन-आपका कुछ न बिगाड़ सकेंगे।

हदीस में है कि इस आयत के नाज़िल होने से पहले चन्द सहाबा-ए-किराम हुज़ुरे पाक

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हिफाजत के लिये अम तौर पर साथ लगे रहते थे, और सफर व वतन में आपकी हिफाजत करने थे, इस आयत के उतरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन सब को रुखसत कर दिया, कि अब किसी पहरे और हिफाजत की ज़रूरत नहीं रही, अल्लाह तआला ने यह काम खुद अपने जिम्मे ले लिया है।

एक हदीस में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ११०० ह्रीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब मुझे तब्लीग व रिसालत के अहकाम मिले तो मेरे दिल में इसकी बड़ी हैबत (डर और घबराहट) थी कि हर तरफ से लोग मेरी मुखालफत करेंगे और मुझको झुठलायेंगे, फिर जब यह आयत नाजिल हुई तो सुकून व इत्मीनान हासिल हो गया।

(तफसीरे कबीर)

चुनाँचे इस आयत के उतरने के बाद किसी की मजाल नहीं हुई कि तब्लीग व रिसालत का मुकाबले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कोई तकलीफ व नुकसान पहुँचा सके। जंग व जिहाद में वक़्ती तौर से कोई तकलीफ पहुँच जाना इसके खिलाफ नहीं।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ
 بِكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلْيُذَيِّبْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَلَا تَأْسَ
 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَارَةُ مِنْ أُمَّةٍ
 بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَهِدَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

कुल या अह्लुल-किताबि लस्तुम् अला
 शैइन् हत्ता तुकीमुत्तौरा-त वल्इन्जी-ल
 व मा उन्जि-ल इलैकुम् मिरिब्बिकुम्,
 व ल-यज़ीदन्-न कसीरम्-मिन्हुम् मा
 उन्जि-ल इलै-क मिरिब्बि-क
 तुग्-यानव्-व कुफ़रन् फ़ला तअ-स
 अलल् कौमिल्-काफ़िरीन् (68)
 इन्नल्लज़ी-न आमनू वल्लज़ी-न हादू
 वस्साबिऊ-न वन्नसारा मन् आम-न
 बिल्लाहि वल्यौमिल्-आख़िरि व

कह दे- ऐ किताब वालो! तुम किसी राह
 पर नहीं जब तक न कायम करो तौरात
 और इंजील को और जो तुम पर उतरा
 तुम्हारे रब की तरफ से, और उनमें बहुतों
 को बढ़ेगी इस कलाम से जो तुझ पर
 उतरा तेरे रब की तरफ से शरारत और
 कुफ़, सो तू अफ़सोस न कर इस काफ़िरों
 की कौम पर। (68) बेशक जो मुसलमान
 हैं और जो यहूदी हैं और साबी फ़िक्क
 और ईसाई जो कोई ईमान लाये अल्लाह
 पर और क़ियामत के दिन पर और अमल

अमि-ल सालिहन् फ़ला खौफुन्
अलैहिम् व ला हुम् यहज़नून (69)

करे नेक, न उन पर डर है और न वे
ग़मगीन होंगे। (69)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक़

ऊपर अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) को इस्लाम की तरफ़ तवज्जोह और रुचि दिलायी गयी थी, आगे उनके मौजूदा तरीके का जिसके हक़ होने के वे दावेदार थे अल्लाह के नज़दीक नाकारा और निजात में नाकाफी होना और निजात का इस्लाम पर मौक़ूफ़ (निर्भर) होना मज़कूर है। और इसके बाद भी उनके कुफ़्र पर जमे और अड़े रहने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये तसल्ली का मज़मून इरशाद फ़रमाया है, और बीच में एक खास मुनासबत और ज़रूरत से तब्लीग़ का मज़मून आ गया था।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप (इन यहूदियों व ईसाईयों से) कहिए कि ऐ अहले किताब! तुम किसी भी (सही) चीज़ पर नहीं (क्योंकि ग़ैर-मक़बूल रास्ते पर होना बेराह होने की तरह है) जब तक कि तौरात की और इन्जील की और जो किताब (अब) तुम्हारे पास (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के माध्यम से) तुम्हारे रब की तरफ़ से भेजी गई है (यानी कुरआन) उसकी भी पूरी पाबन्दी न करोगे, (जिसका मतलब, तरगीब और बरकतों ऊपर बयान हुई हैं)। और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! चूँकि उनमें अक्सर लोग बुरे पक्षपात में मुब्तला हैं इसलिये ये) ज़रूर (है कि) जो (मज़मून) आपके पास आपके रब की तरफ़ से भेजा जाता है वह उनमें से बहुतों की नाफ़रमानी और कुफ़्र की तरक्की का सबब बन जाता है, (और इसमें मुम्किन है कि आपको रंज व ग़म हो, लेकिन जब यह मालूम हो गया कि ये लोग ग़लत पक्षपात रखने वाले हैं) तो आप इन काफ़िर लोगों (की इस हालत) पर ग़म न किया कीजिए। यह तहकीकी बात है कि मुसलमान और यहूदी और साबिईन का फ़िर्का और ईसाईयों (इन सब में) में से जो शख्स यकीन रखता हो अल्लाह तआला (की ज़ात व सिफ़ात) पर और क़ियामत के दिन पर, और कारगुज़ारी अच्छी करे (यानी शरीअत के क़ानून के सुवाफ़िक़ तो) ऐसों पर (आख़िरत में) न किसी तरह का अन्देशा (डर और ख़ौफ़) है और न वे ग़मगीन होंगे।

मआरिफ़ व मसाईल

अहले किताब को अल्लाह की शरीअत की पैरवी की हिदायत

पहली आयत में अहले किताब (यानी यहूदियों व ईसाईयों) को अल्लाह की शरीअत (यानी इस्लामी क़ानून) की पैरवी और उस पर अमल करने की हिदायत इस उनवान से फ़रमाई गयी थी

कि अगर तुमने शरीअत के अहकाम की पाबन्दी न की तो तुम कुछ नहीं। मतलब यह है कि इस्लामी शरीअत की पाबन्दी के बगैर तुम्हारे सारे कमालात और आमात सब बेकार हैं, क्योंकि अल्लाह तआला ने एक फ़ितरी (यानी पैदाईशी और बिना किसी मेहनत के) कमाल यह फ़रमाया है कि तुम नबियों की औलाद हो। दूसरे तौरात व इंजील के इल्मी कमालात भी हासिल हैं, तुम में से बहुत से आदमी बुजुर्ग फ़िस्म के भी हैं, मुजाहदे और तपस्यायें करते मगर इन सब चीज़ों की कीमत और वज़न अल्लाह तआला के नज़दीक सिर्फ़ इस पर टिका है कि तुम अल्लाह की शरीअत (यानी इस्लामी क़ानून) का पालन करो, उसके बगैर न कोई नम्नी फ़ज़ीलत काम आयेगी न इल्मी तहकीक़ात तुम्हारी निजात का सामान बनेगी, न तुम्हारे मुजाहदे मेहनतें और तपस्यायें।

इस इरशाद में मुसलमानों को भी यह हिदायत मिल गयी कि कोई दुर्वेशी और बुजुर्गी मुजाहदे व रियाज़तें और कश्फ़ व इल्हाम उस वक़्त तक अल्लाह के नज़दीक फ़ज़ीलत और निजात की चीज़ नहीं जब तक कि शरीअत की पूरी पाबन्दी न हो।

इस आयत में अल्लाह की शरीअत की पैरवी के लिये तीन चीज़ों की पैरवी की हिदायत की गयी है- अब्वल तौरात, दूसरे इंजील (जो यहूदियों व ईसाईयों के लिये पहले नाज़िल हो चुकी थी) तीसरे 'य मा उन्ज़िल इलैकुम मिरिब्बिकुम' यानी जो कुछ अल्लाह तआला की तरफ़ से तुम्हारे पास भेजा गया।

सहाबा किराम, ताबिईन हज़रात और मुफ़स्सिरीन साहिबान की अक्सरियत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि इससे मुराद कुरआने करीम है, जो तमाम उम्मतों के लिये जिसमें यहूदी व ईसाई भी शामिल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वास्ते से भेजा गया। इसलिये आयत के मायने यह होंगे कि जब तक तुम तौरात, इंजील और कुरआन के लाये हुए अहकामों पर सही-सही और पूरा-पूरा अमल न करोगे तुम्हारा कोई नसबी या इल्मी कमाल अल्लाह के नज़दीक मक़बूल व मोतबर नहीं होगा।

यहाँ एक बात काबिले गौर है कि इस आयत में तौरात व इंजील की तरह कुरआन को मुख़्तसर नाम ज़िक्र कर देने के बजाय एक लम्बा जुमला 'य मा उन्ज़िल इलैकुम मिरिब्बिकुम' इस्तेमाल फ़रमाया गया है। इसमें क्या हिक्मत है? हो सकता है कि इसमें उन हदीसों के मज़मूनों की तरफ़ इशारा हो जिनमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जितना तरह मुझे इल्म व हिक्मत का ख़ज़ाना कुरआने करीम दिया गया, इसी तरह दूसरे उलूम व मज़ारिफ़ भी अता किये गये हैं, जिनको एक हैसियत से कुरआने करीम की तशरीह (व्याख्या और तफ़सीर) भी कहा जा सकता है। हदीस के अलफ़ाज़ ये हैं:

الا اتي اوتيت القرآن ومثله معه الا يوشك رجل شعبان على ان يركنه يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم منه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه وان ما حرّم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما حرّم الله (ابوداود، ابن ماجه، دارمي وغيره)

“याद रखो कि मुझे कुरआन दिया गया और उसके साथ उसी के जैसे और भी उलूम दिये गये। आने वाले ज़माने में ऐसा होने वाला है कि कोई पेट भरा, राहत व आराम में मस्त यह कहने लगे कि तुमको सिर्फ़ कुरआन काफी है, जो इसमें हलाल है सिर्फ़ उसको हलाल समझो, और जो इसमें हराम है सिर्फ़ उसको हराम समझो। हालाँकि हकीकत यह है कि जिस चीज़ को अल्लाह के रसूल ने हराम ठहराया है वह भी ऐसी ही हराम है जैसी अल्लाह तआला के कलाम के ज़रिये हराम की हुई चीज़ें हराम हैं।”

(अबू दारूद, इब्ने माजा, दारमी वगैरह)

अहकाम की तीन किस्में

और खुद कुरआन भी इसी मज़मून का गवाह है। चुनौचे इरशाद है:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.

यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कोई बात अपनी तरफ़ से नहीं कहते, जो कुछ आप फरमाते हैं वह सब अल्लाह तआला की तरफ़ से वही होता है।

और जिन हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कोई बात अपने इज्तिहाद और कियास के ज़रिये फरमाते हैं और वही के ज़रिये फिर उसके खिलाफ़ आपको कोई हिदायत नहीं मिलती तो अन्जामकार वह कियास और इज्तिहाद भी वही के हुक्म में हो जाता है।

जिसका खुलासा यह हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो अहकाम उम्मत को दिये उनमें एक तो वो हैं जो कुरआने करीम में स्पष्ट रूप से बयान हुए हैं, दूसरे वो हैं जो स्पष्ट रूप से कुरआन में बयान नहीं हुए बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अलग से वही के ज़रिये नाज़िल हुए। तीसरे वो जो आपने अपने इज्तिहाद व कियास (अन्दाज़े और गौर व फ़िक्र) से कोई हुक्म दिया और फिर अल्लाह तआला ने उसके खिलाफ़ कोई हुक्म नाज़िल नहीं फ़रमाया, वह भी वही (अल्लाह तआला की तरफ़ से आये हुए पैग़ाम) के हुक्म में हो गया। ये तीनों किस्म के अहकाम पैरवी व अमल के लिये लाज़िमी हैं, और ‘व मा उन्ज़िल इलैकुम मिररिब्बिकुम’ (और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ़ से नाज़िल किया गया) में दाख़िल हैं।

शायद जिक्र की गयी आयत में कुरआन का मुख़्तसर नाम छोड़कर यह लम्बा जुमला:

وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنَ رَّبِّكُمْ

इसी तरफ़ इशारा करने के लिये लाया गया हो कि उन तमाम अहकाम पर अमल करना लाज़िमी व वाज़िब है जो स्पष्ट रूप से कुरआन में जिक्र किये गये हों, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वो अहकाम दिये हों।

दूसरी बात इस आयत में यह काबिले गौर है कि इसमें यहूदियों व ईसाईयों को तौरात, इंजील और कुरआन तीनों के अहकाम पर अमल करने की हिदायत की गयी है, हालाँकि उनमें कुछ कुछ के लिये नासिख़ (निरस्त और रद्द करने वाले) हैं। इंजील ने तौरात के कुछ

अहकाम को मन्सूख (निरस्त और खत्म हो चुके) ठहराया और कुरआन ने तौरात और इन्जिल
बहुत से अहकाम को मन्सूख करार दिया। तो फिर तीनों के मजमूए पर अमल कैसे हो?

जवाब स्पष्ट है कि हर आने वाली किताब ने पिछली किताब के जिन अहकाम को
दिया, तो बदले हुए तरीके पर अमल करना ही उन दोनों किताबों पर अमल करना है।
हुए (निरस्त और बदले हुए) अहकाम पर अमल करना दोनों किताबों के तकाजे के खिलाफ है।

हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को एक तसल्ला

आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तसल्ला के लिये इरशाद फरमाना
अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) के साथ हमारी इस रियायत व इनायत के बावजूद उन
बहुत से लोग ऐसे होंगे कि अल्लाह की इस इनायत से कोई फायदा न उठायेंगे, बल्कि उन
कुफ़ व दुश्मनी और बढ़ जायेंगे। आप इससे गमगीन न हों, और ऐसे लोगों पर तरस न रखें।

चार कौमों को ईमान और नेक अमल की तरगीब औ

आखिरत में निजात का वायदा

दूसरी आयत में हक़ तआला शानुहू ने चार कौमों को संबोधित करके ईमान और
अमल की तरगीब (शौक व प्रेरणा) और उस पर आखिरत की कामयाबी का वायदा फरमाया।
उनमें से पहले मुसलमान हैं, दूसरे यहूदी तीसरे साबिकन और चौथे ईसाई। उनमें तीसरे
मुसलमान, यहूदी और ईसाई तो परिचित, मशहूर और दुनिया के अक्सर खिल्लों में मौजूद
साबिकन या साबिआ के नाम से आजकल कोई कौम मशहूर व परिचित नहीं। इसी लिये
मुतययन करने में उल्लेमा व इमामों के अक़वाल भिन्न और अलग-अलग हैं। इमामे तफसीर
कसीर ने क़तादा रहमतुल्लाहि अलैहि के हवाले से एक कौल यह भी नक़ल किया
साबिकन वे लोग हैं जो फ़रिश्तों की इबादत करते हैं और क़िब्ले के खिलाफ़ नमाज़ पढ़ते हैं
और आसमानी किताब ज़बूर की तिलावत करते हैं (जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर
हुई थी)।

कुरआने करीम के इस मजमून से बज़ाहिर इसी की ताईद होती है कि चार आ
किताबें जिनका कुरआन मजीद में जिक्र आया है- तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरआन, इस
चार किताबों के मानने वालों का जिक्र आ गया।

इसी मजमून की एक आयत त़क़रीबन इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ सूर: ब-क़रह के
रुकूअ में गुज़र चुकी है:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

لَهُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

इसमें मौके की मुनासबत से कुछ अलफ़ाज़ के आगे या पीछे (पहले या बाद में) होत

अलावा कोई फर्क नहीं है।

अल्लाह तआला के नज़दीक सम्मान व विशेषता का मदार नेक आमाल पर है

इन दोनों आयतों के मज़मून का खुलासा यह है कि हमारे दरबार में किसी की नसबी, वतनी और कौमी खुसूसियत कुछ नहीं, जो शख्स पूरी इताअत, एतिक़ाद और नेक अमल इख़्तियार करेगा, चाहे वह पहले से कैसा ही हो, हमारे यहाँ मक़बूल और उसकी खिदमत काबिले क़द्र है। और यह ज़ाहिर है कि कुरआन के नाज़िल होने के बाद पूरी इताअत मुसलमान होने में सीमित है, क्योंकि पहली आसमानी किताबें तौरात व इंजील में भी इसकी हिदायत मौजूद हैं, और कुरआने करीम तो सरासर इसी के लिये नाज़िल हुआ। इसी लिये कुरआन के उतरने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनने के बाद कुरआन और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाये बग़ैर न तौरात व इंजील की पैखी सही हो सकती है न ज़बूर की। तो आयत का मतलब यह होगा कि इन तमाम कौमों में से जो मुसलमान हो जायेगा आख़िरत में निजात व सवाब का मुस्तहक़ होगा। इसमें उस ख़्याल का जवाब हो गया कि ये कुफ़्र व नाफ़रमानी और इस्लाम व मुसलमानों के खिलाफ़ शरारतें जो अब तक करते रहे हैं, मुसलमान हो जाने के बाद उनका क्या अन्जाम होगा। मालूम हुआ कि पिछले सब गुनाह और ख़तायें माफ़ कर दी जायेंगी और आख़िरत में न उन लोगों को अन्देशा रहेगा न कोई रंज व ग़म पेश आयेगा।

मज़मून पर गौर करने से बज़ाहिर यह मालूम होता है कि यहाँ मुसलमानों का ज़िक्र न होना चाहिये, क्योंकि वे तो ईमान व इताअत के उस मक़ाम पर हैं जिसको आयत चाहती है। यहाँ ज़िक्र सिर्फ़ उन लोगों का करना चाहिये जिनको इस मक़ाम की तरफ़ बुलाना है। मगर इस ख़ास अन्दाज़ में कि मुसलमानों का ज़िक्र भी उनके साथ मिला दिया गया एक ख़ास बलाग़त (क़लाम में ख़ूबी) पैदा हो गयी। इसकी ऐसी मिसाल है कि कोई हाकिम या बादशाह किसी ऐसे मौक़े पर यूँ कहे कि हमारा क़ानून आम है, चाहे कोई मुवाफ़िक़ हो या मुख़ालिफ़, जो शख्स इताअत करेगा वह मेहरबानी व इनाम पायेगा। अब ज़ाहिर है कि मुवाफ़िक़ तो इताअत कर ही रहा है, सुनाना तो असल में उसको है जो मुख़ालिफ़ कर रहा है। लेकिन इस जगह मुवाफ़िक़ को भी ज़िक्र करने में हिक्मत यह है कि हमारी जो मुवाफ़िक़ लोगों के साथ इनायत व मेहरबानी है वह किसी नसबी या कौमी खुसूसियत की बिना पर नहीं बल्कि उनकी इताअत की सिफ़त पर तमाम इनायत व इनाम का मदार है। अगर मुख़ालिफ़ भी इताअत (फ़रमाँबरदारी) इख़्तियार करेगा वह भी इस लुत्फ़ व इनायत का पात्र होगा।

ऊपर बयान हुई चार कौमों को ख़िताब करके जिस बात की हिदायत की गयी उसके तीन हिस्से और भाग हैं- अल्लाह पर ईमान लाना, आख़िरत के दिन पर ईमान लाना और नेक अमल।

रिसालत पर ईमान लाये बग़ैर निजात नहीं

ज़ाहिर है कि इस आयत में तमाम ईमानी बातों और इस्लामी अक़ीदों की तफ़सीलात बयान करना मन्ज़ूर नहीं, न इसका कोई मौक़ा है। इस्लाम के चन्द बुनियादी अक़ीदों को ज़िक्र तमाम इस्लामी अक़ीदों की तरफ़ इशारा करना और उसकी तरफ़ दावत देना मक़सूद है। और यह कोई ज़रूरी बात है कि हर आयत में जहाँ ईमान का ज़िक्र आये उसकी सारी तफ़सीलात वहीं ज़िक्र की जायें, इसलिये इस जगह रसूल पर ईमान लाने या नुबुव्वत पर ईमान लाने का ज़िक्र स्पष्ट रूप से न होने से किसी मामूली समझ व अक़ल और इन्साफ़ व दानिश रखने वाले को किसी शुद्धे की गुंजाईश न थी, ख़ुसूसन जबकि पूरा कुरआन और उसकी सैंकड़ों आयतें रिसालत पर ईमान लाने के स्पष्ट तज़क़िरो से भरी पड़ी हैं। जिनमें यह वज़ाहत स्पष्ट रूप मौजूद है कि रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और रसूले पाक के इरशादात पर मुकम्मल ईमान लाये बग़ैर निजात नहीं, और कोई ईमान व अमल बग़ैर इसके मक़बूल व मोतबर नहीं लेकिन बेदीन लोगों का एक ग़िरोह जो किसी न किसी तरह कुरआन में अपने बुरे नज़रियो को ठूसना चाहता है, और उन्होंने इस आयत में स्पष्ट तरीक़े से रिसालत का ज़िक्र न होने से एक नया नज़रिया कायम कर लिया, जो कुरआन व सुन्नत की बेशुमार स्पष्ट वज़ाहतों के कतई ख़िलाफ़ है। वह यह कि हर शख्स अपने-अपने मज़हब वाला यहूदी, ईसाई यहाँ तक कि हिन्दू-बुत-परस्त (मूर्ति पूजक) रहते हुए भी अगर सिर्फ़ अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखता हो और नेक काम करे तो आख़िरत की निजात का मुस्तहक़ हो सकता है, आख़िरत की निजात के लिये इस्लाम में दाख़िल होना ज़रूरी नहीं। (नज़्जु बिल्लाहि मिन्हा)

जिन लोगों को अल्लाह तआला ने कुरआन की तिलावत की तौफ़ीक़ और उस पर सदा ईमान अता फ़रमाया है, उनके लिये कुरआनी वज़ाहतों से इस मुग़ालते का दूर कर देना कि बड़े इल्म और गहरे विचार का मोहताज नहीं। कुरआने करीम का उर्दू तर्जुमा जानने वाले हज़रत भी इस फ़िक्र व ख़्याल की ग़लती को आसानी से समझ सकते हैं। चन्द आयतें मिसाल के लिये पर ये हैं:

कुरआन करीम ने जिस जगह ईमाने मुफ़स्सल का बयान फ़रमाया उसके अलफ़ाज़ ब-क़रह के आख़िर में ये हैं:

كُلُّ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ وَعَلَيْكَيْهِ وَكُتِبَ وَّرُسُلِهٖ لَا تَفْرُقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

“सब ईमान लाये अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर इस तरह कि उसके रसूलों के बीच कोई तफ़रीक़ (फ़की) नहीं करते।”

इस आयत में स्पष्ट तौर पर ईमान की जो तफ़सीलात बयान फ़रमाई हैं उनमें यह भी वाज़ेह कर दिया कि किसी एक या चन्द रसूलों पर ईमान ले आना कतई निजात के लिये काफ़ी नहीं बल्कि तमाम रसूलों पर ईमान शर्त है। अगर किसी एक रसूल पर भी ईमान न लाया तो उसका ईमान अल्लाह के नज़दीक़ मोतबर और मक़बूल नहीं।

दूसरी जगह इरशाद है:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذَ وَابِنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا.

“जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और यह चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के बीच तफरीक कर दें (कि अल्लाह पर तो ईमान लायें मगर उसके रसूलों पर ईमान न हो) और वे कहते हैं कि हम मानते हैं बाजों को और नहीं मानते बाजों को और वे चाहें कि कुफ्र व इस्लाम के बीच बीच का एक रास्ता निकाल लें तो समझ लो कि वही असल में काफिर हैं।”

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَّا وَسِعَتْهُ إِلَّا آتَايَنِي

“यानी अगर मान लो आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िन्दा होते तो उनको मेरे इत्तिबा (पैरवी) के सिवा कोई चारा न होता।”

तो अब किसी का यह कहना कि हर मजहब वाले अपने-अपने मजहब पर अमल करें तो बगैर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाये और बगैर मुसलमान हुए वे जन्नत और आखिरत की कामयाबी और भलाई पा सकते हैं, कुरआने करीम की जिक्र की हुई आयतों की खुली मुखालफत है।

इसके अलावा अगर हर मजहब व मिल्लत ऐसी चीज़ है कि उस पर हर ज़माने में अमल कर लेना निजात और कामयाबी के लिये काफी है, तो फिर खातिमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भेजना और कुरआन को नाज़िल करना ही बेमानी हो जाता है। और एक शरीअत के बाद दूसरी शरीअत भेजना फ़ुज़ूल हो जाता है। सबसे पहला रसूल एक शरीअत एक किताब ले आता, वह काफी थी, दूसरे रसूलों, किताबों शरीअतों के भेजने की क्या ज़रूरत थी। ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों का वजूद काफी होता जो उस शरीअत व किताब को बाकी रखने और उस पर अमल करने और कराने का एहतिमाम करते, जो आम तौर पर हर उम्मत के उलेमा का फ़रीज़ा रहा है, और इस सूरत में कुरआने करीम का यह इरशाद कि:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِرْقَةً وَرَسُولًا

“यानी हमने तुम में से हर उम्मत के लिये एक ख़ास शरीअत और ख़ास रास्ता बनाया है, यह सब बेमानी हो जाता है।”

और फिर इसका क्या जवाज़ (औचत्य) रह जाता है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने ऊपर और अपनी किताब कुरआन पर ईमान न रखने वाले तमाम यहूदियों व ईसाईयों से और दूसरी कौमों से न सिर्फ़ तब्लीगी जिहाद किया बल्कि क़त्ल व क़िताल और तलवारों की जंगें भी लड़ीं। और अगर इनसान के मोमिन और अल्लाह के यहाँ नक़बूल होने के लिये सिर्फ़ अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान ले आना काफी हो तो बेचारा इब्नीस

(शैतान) किस जुर्म में मर्दूद होता, क्या उसको अल्लाह पर ईमान न था, या वह आखिरत दिन और कियामत का इनकारी था? उसने तो ऐन गुस्से की हालत में भी 'इला यौमि युब्असू' कहकर आखिरत पर ईमान का इकरार किया है।

हकीकत यह है कि यह मुग़ालता सिर्फ इस नज़रिये की पैदावार है कि मजहब को बिरादरी के न्यौते की तरह किसी को तोहफे में दिया जा सकता है, और उसके ज़रिये दूसरी कौमों के रिश्ते जोड़े जा सकते हैं। हालाँकि कुरआने करीम ने खोल-खोलकर वाज़ेह कर दिया है कि ग़ैर-मुस्लिमों के साथ रवादारी, हमदर्दी, एहसान व सुलूक और मुरव्वत सब कुछ करना चाहिये लेकिन मजहब की हदों की पूरी हिफ़ाज़त और उसकी सरहदों की पूरी निगरानी के साथ।

कुरआने करीम की जिक्र की हुई आयत में अगर फ़र्ज़ कर लो रसूल पर ईमान का जिक्र बिल्कुल न होता तो कुरआन की दूसरी आयतें जिनका ऊपर जिक्र किया गया है, जिनमें इसकी बहुत सख्ती के साथ ताकीद मौजूद है, वे काफी थीं। लेकिन अगर ग़ौर किया जाये तो खुद इस आयत में भी रसूल पर ईमान की तरफ स्पष्ट इशारा है, क्योंकि कुरआनी इस्तिलाह में अल्लाह पर ईमान वही मोतबर है जिसमें अल्लाह तआला की बतलाई हुई सारी चीज़ों पर ईमान हो। कुरआने करीम ने अपनी इस इस्तिलाह को इन अलफ़ाज़ में वाज़ेह फ़रमा दिया:

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا.

यानी जिस तरह का ईमान सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का था सिर्फ वही अल्लाह पर ईमान लाना कहलाने का मुस्तहिक है। और ज़ाहिर है कि उनके ईमान का बहुत बड़ा रुकन (हिस्सा) रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाना था। इसलिये 'मन् आम-न बिल्लाहि' के लफ़्ज़ों में खुद रसूल पर ईमान लाना दाख़िल है।

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا

كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۝ وَحَسِبُوا أَن لَّكُونُوا فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَبُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَبُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۝ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

ल-कद् अख़ज़्ना मीसा-क बनी
इस्राई-ल व अरसल्ला इलैहिम्
रसूलन्, कुल्लमा जाअहुम् रसूलुम्
बिमा ला तह्वा अन्फुसुहुम् फ़रीकन्
कज़्ज़बू व फ़रीकंय्यक्तुलून (70) व

हमने लिया था पुख़्ता कौल बनी इस्राईल से और भेजे उनकी तरफ रसूल, जब लाया उनके पास कोई रसूल वह हुक्म जो पसन्द न आया उनके जी को तो बहुतों को झुठलाया और बहुतों को कत्ल कर डालते थे। (70) और ख़याल किया कि

हसिबू अल्ला तकू-न फ़ित्तनु
फ़-अमू व सम्मू सुम्-म ताबल्लाहु
अलैहिम् सुम्-म अमू व सम्मू
कसीरुम्-मिच्छुम्, वल्लाहु बसीरुम्
बिमा यज़्मलून (71)

कुछ ख़राबी न होगी सो अंधे हो गये
और बहरे, फिर तौबा कुबूल की अल्लाह
ने उनकी, फिर अंधे और बहरे हुए उनमें
से बहुत, और अल्लाह देखता है जो कुछ
वे करते हैं। (71)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हमने बनी इस्राईल से (अव्वल तौरात में तमाम पैग़म्बरों की तस्दीक व इताअत का) अहद लिया और (इस अहद को याद दिलाने को) हमने उनके पास (बहुत-से) पैग़म्बर भेजे। (लेकिन उनकी यह हालत थी कि) जब कभी उनके पास कोई पैग़म्बर वह (हुक्म) लाया जिसको उनका जी न चाहता था (तब ही उनके साथ मुख़ालफ़त से पेश आये) तो उन्होंने बाज़ों को (तो) झूठा बतलाया और बाज़ों को (बेघड़क) क़त्ल ही कर डालते थे, और (हमेशा हर शरारत पर जब चन्द दिन सज़ा से मोहलत दी गयी) (यही) गुमान किया कि कुछ सज़ा न होगी, इस (गुमान) से (और भी) अन्धे और बहरे (की तरह) बन गये, (कि न नबियों के सच्चा होने की दलीलों को देखा न उनके कलाम को सुना) फिर (एक मुद्दत के बाद) अल्लाह तआला ने उन पर (रहमत के साथ) तवज़्जोह फ़रमाई (कि और किसी पैग़म्बर को भेजा कि अब भी राह पर आये, मगर) फिर भी (इसी तरह) उनमें के बहुत-से अन्धे और बहरे बने रहे, यानी (सब तो नहीं मगर) उनमें के बहुत से, और अल्लाह तआला उनके (इन) आमाल को ख़ूब देखने वाले हैं (यानी उनका गुमान ग़लत था, चुनाँचे उनको वक़्त वक़्त पर सज़ा भी होती रही, मगर उनका यही चलन रहा, यहाँ तक कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ इसी तरह झुठलाने और मुख़ालफ़त का बर्ताब किया)।

मआरिफ़ व मसाईल

बनी इस्राईल का अहद तोड़ना

كَلِمَاتٍ هُمْ رَسُولٌ بِنَا لَا تَهْوَىٰ أُنْفُسُهُمْ

यानी जब नबी इस्राईल के पास उनका रसूल कोई हुक्म लाता जो उनकी दिली चाहत और मर्जी के मुताबिक़ न होता तो अहद व पैमान तोड़कर खुदा से ग़दारी करते फिरते। अल्लाह तआला के पैग़म्बरों में से किसी को झुठलाया, किसी को क़त्ल किया, यह तो उनके "अल्लाह पर ईमान और नेक अमल" का हाल था, "आख़िरत के दिन पर ईमान" का अन्दाज़ा इससे कर लो कि इस क़द्र सख़्त जुल्मों, अत्याचारों और बाग़ियाना अपराधों को करके बिल्कुल बेफ़िक़्र हो बैठे,

जैसे कि इन हरकतों का कोई खमियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा, और जुल्म व बगावत के खराब परिणाम कभी सामने न आयेंगे। यह ख्याल करके खुदाई निशानियों और खुदाई कलाम की तरफ से बिल्कुल ही अन्धे और बहरे हो गये। और जो काम न करने के थे वो किये, यहाँ तक कि कुछ अम्बिया को कत्ल और कुछ को कैद किया, आखिर खुदा तआला ने उन पर बुख्रो नस्सर को मुसल्लत किया, फिर एक लम्बी मुद्दत के बाद फारस (प्राचीन ईरान) के कुछ बादशाहों ने बुख्रो नस्सर की जिल्लत व रुस्वाई की कैद से छुड़ाकर बाबिल से बैतुल-मुकदस को वापस किया। उस वक्त लोगों ने तौबा की और अपनी हालत के सुधार की तरफ मुतवज्जह हुए। खुदा तआला ने तौबा क़बूल की, लेकिन कुछ ज़माने के बाद फिर वही शरारतें सूझीं और बिल्कुल अन्धे बहरे होकर हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया अलैहिमस्सलाम के कत्ल की जुरत की, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल पर तैयार हो गये। (फ़वाइदे-उस्मानी)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيحُ
يَبْنِيُّ إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
عِزَّةً وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۚ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ
ثَلَاثَةٌ ۚ وَمَنْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَلْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ
مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَأَمَّةٌ صِدْقَةً ۚ كَانَ
يَأْكُلُ الطَّعَامَ ۚ أَنْظُرْ كَيْفَ تَبَيَّنَ لَهُمُ الْآيَاتُ ثُمَّ الظَّالِمُ الْيُوفُونَ ۚ قُلْ أَعْبُدُونَ
مَنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَبْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ

ल-क़द् क-फ़रल्लजी-न क़ालू
इन्नल्ला-ह हुवल-मसीहुब्नु मर्य-म,
व क़ाल्लमसीहु या बनी इस्राइलअ-
बुदुल्ला-ह रब्बी व रब्बकुम्, इन्नहू
मय्युशिरक् बिल्लाहि फ़-क़द् हरमल्लाहु
अलैहिल्-जन्न-त व मअ्वाहुन्नारु, व
मा लिज़्जलिमी-न मिन् अन्सार
(72) ल-क़द् क-फ़रल्लजी-न क़ालू

बेशक काफिर हुए जिन्होंने कहा अल्लाह
वही मसीह है मरियम का बेटा, और
मसीह ने कहा है कि ऐ बनी इस्राइल!
बन्दगी करो अल्लाह की, रब है मेरा और
तुम्हारा, बेशक जिसने शरीक ठहराया
अल्लाह का सो हराम की अल्लाह ने उस
पर जन्नत और उसका ठिकाना दोज़ख है,
और कोई नहीं गुनाहगारों की मदद करने
वाला। (72) बेशक काफिर हुए जिन्होंने

इन्नल्ला-ह सात्सु सत्तासतिन् । व
 मा मिन् इलाहिन् इल्ला इलाहुं-
 वाहिदुन्, व इल्लम् यन्तहू अम्मा
 यकूल-न ल-यमस्सन्नल्लजी-न क-फर
 मिन्हुम् अजाबुन् अलीम (73)
 अ-फला यतूबू-न इलल्लाहि व
 यस्तगुफिरुनहू, वल्लाहु गुफूररहीम
 (74) मल्मसीहुब्नु मर्य-म इल्ला
 रसूलुन् कद् खा-लत् मिन्
 कब्लिहिरुसुलु, व उम्मुहू सिद्दीकतुन्,
 काना यअकुलानित्तआ-म, उन्जुर
 कै-फ नुबय्यिनु लहुमुल्-आयाति
 सुम्मन्जुर अन्ना युअफकून (75)
 कुल अ-तअबुदू-न मिन् दूनिल्लाहि
 मा ला यम्लिकु लकुम् जररं-व ला
 नफअन्, वल्लाहु हुवस्समीअुल्
 अलीम (76)

कहा अल्लाह है तीन का एक, हालाँकि
 कोई माबूद नहीं सिवाय एक माबूद के,
 और अगर न बाज आयेंगे इस बात से
 कि कहते हैं तो बेशक पहुँचेगा उनमें से
 कुफ़ पर कायम रहने वालों को दर्दनाक
 अजाब। (73) क्यों नहीं तौबा करते
 अल्लाह के आगे और गुनाह बख़्शवाते
 उससे और अल्लाह है बख़्शने वाला
 मेहरबान। (74) नहीं है मसीह मरियम का
 बेटा मगर रसूल, गुजर चुके उससे पहले
 बहुत रसूल, और उसकी माँ वली (अल्लाह
 की नेक बन्दी) है, दोनों खाते थे खाना,
 देख हम कैसे बतलाते हैं उनको दलीलें
 फिर देख वे कहाँ उल्टे जा रहे हैं। (75)
 तू कह दे- क्या तुम ऐसी चीज की
 बन्दगी करते हो अल्लाह को छोड़कर जो
 मालिक नहीं तुम्हारे बुरे की और न भले
 की, और अल्लाह वही है सुनने वाला
 जानने वाला। (76)

खुलासा-ए-तफसीर

बेशक वे लोग काफिर हो चुके जिन्होंने (यह) कहा कि अल्लाह तआला मरियम के बेटे
 मसीह ही हैं (यानी दोनों में कोई अलगाव नहीं) हालाँकि (हज़रत) मसीह ने खुद फरमाया (था)
 कि ऐ बनी इस्राईल! तुम अल्लाह तआला की इबादत करो जो मेरा भी और तुम्हारा भी रब है।
 (और इस काल में अपने बन्दा होने का स्पष्ट बयान है। फिर उनको इलाह और माबूद कहना
 वही बात है कि मुद्ई सुस्त गवाह चुस्त) बेशक जो शख्स अल्लाह तआला के साथ (खुदाई में या
 खुदाई सिफात में) शरीक करार देगा, सो उस पर अल्लाह तआला जन्नत को ह्राम कर देगा और
 उसका ठिकाना (हमेशा के लिये) दोज़ख है, और (ऐसे) ज़ालिमों का कोई मददगार न होगा, (कि
 दोज़ख से बचाकर जन्नत में पहुँचा सके। और जैसे एक होने का अकीदा कुफ़ है इसी तरह तीन

खुदा होने का अक़ीदा भी कुफ़्र है, पस) विला शुब्हा वे लोग भी काफ़िर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह तआला तीन (माबूदों) में का एक है, हालाँकि सिवाय एक (सच्चे) माबूद के और कोई माबूद (हक़) नहीं, (न दो और न तीन। जब यह अक़ीदा भी कुफ़्र व शिर्क है तो 'इन्ना मय्युशिरक..... "बेशक जो शिर्क करेगा....." में जो सज़ा बयान हुई है वह इस पर भी मुरत्तब होगी) और अगर ये (दोनों अक़ीदे के) लोग अपने इन (कुफ़्रिया) कौलों से बाज़ न आए तो (समझ लें कि) जो लोग उनमें काफ़िर रहेंगे उन पर (आख़िरत में) दर्दनाक अज़ाब होगा।

(इन तौहीद व सज़ा की घमकियों के मज़ामीन को सुनकर) क्या फिर भी (अपने इन अक़ीदों व कौलों से) अल्लाह तआला के सामने तौबा नहीं करते और उससे माफ़ी नहीं चाहते? हालाँकि अल्लाह तआला (जब कोई तौबा करता है तो) बड़ी मग़फ़िरत करने वाले (और) बड़ी रहमत फ़रमाने वाले हैं। (हज़रत) मरियम के बेटे मसीह (जो खुदा या खुदा का हिस्सा) कुछ भी नहीं, सिर्फ़ एक पैग़म्बर हैं, जिनसे पहले (और) भी पैग़म्बर (मोज़िज़ों वाले) गुज़र चुके हैं। (जिनको ईसाई खुदा नहीं मानते, पस अगर पैग़म्बरी या अजीब व ग़रीब चमत्कारिक बातें खुदाई की दलील हैं तो सब को इलाह "खुदा" मानना चाहिये, और अगर ये चीज़ें खुदाई की दलील नहीं हैं तो हज़रत मसीह को क्यों इलाह कहा जाये। गर्ज़ कि जब औरों को इलाह नहीं कहते तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी मत कहो) और (इसी तरह) उनकी वालिदा सिद्दीका (भी खुदा या खुदा का हिस्सा नहीं बल्कि वह) एक वली बीबी हैं (जैसी और बीबियाँ भी वली हो चुकी हैं, और दोनों हज़रत के खुदा और माबूद न होने की दलीलों में से एक आसान दलील यह है कि) दोनों (हज़रत) खाना खाया करते थे (और जो शख्स खाना खाता है वह उसका मोहताज होता है, और खाना खाना माददी चीज़ों की खासियत से है, और ज़रूरत और मादी होना यह खास्ता है किसी चीज़ के मुम्किनुल-वजूद होने का, जिसका वजूद ज़रूरी न हो, और मुम्किन यानी जिसका वजूद ही ज़रूरी न हो वह खुदा नहीं हो सकता)। देखिए तो (सही) हम उनसे कैसी (कैसी) दलीलें बयान कर रहे हैं, फिर देखिए वे उल्टे किधर जा रहे हैं। आप (उनसे) फ़रमाइये क्या खुदा के सिवा ऐसी (मख़्लूक) की इबादत करते हो जो कि तुमको न कोई नुक़सान पहुँचाने का इख़्तियार रखता हो और न नफ़ा पहुँचाने का (इख़्तियार रखता हो, और आजिज़ होना खुदा खुदाई के खिलाफ़ है) हालाँकि अल्लाह तआला सब सुनते हैं, सब जानते हैं (फिर भी खुदा से नहीं डरते और अपने कुफ़्र व शिर्क से बाज़ नहीं आते)।

मआरिफ़ व मसाईल

आयत 73 में जो यह इरशाद हुआ है:

إِنَّ اللَّهَ تَالِكٌ أَلْبَسَ

यानी हज़रत मसीह, खुदुल-कुदुस और अल्लाह, या मसीह, मरियम और अल्लाह तीनों खुदा हैं (अल्लाह की पनाह) इनमें का एक हिस्सेदार अल्लाह हुआ, फिर वे तीनों एक और वह एक तीन हैं, ईसाईयों का ज़ाम अक़ीदा यह है। और इस खिलाफ़े अक्ल व हिदायत अक़ीदे को गोल

मोल और पैचदार इवारतों से अदा करते हैं, और जब किसी की समझ में नहीं आता तो इसको अक्ल में न आने वाली दिमागों से ऊपर की हकीकत करार देते हैं। (फवाइदे उस्मानी)

हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के खुदा होने की तरदीद

आयत में बयान हुआ है:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

यानी जिस तरह और अम्बिया दुनिया में आये और कुछ दिन रहकर चल बसे, उनको हमेशा के लिये यहाँ रहना और बका हासिल न थी जो कि खुदा होने की शान है, इसी तरह हजरत मसीह अलैहिस्सलाम (जो उन्हीं की तरह एक इन्सान हैं) को हमेशगी और बका हासिल नहीं, लिहाजा वह इलाह (खुदा) नहीं हो सकते।

जरा गौर कीजिए तो मालूम होगा कि जो शख्स खाने पीने का मोहताज है वह तकरीबन दुनिया की हर चीज का मोहताज है। ज़मीन, हवा, पानी, सूरज और हैवानात से उसे इस्तिगना नहीं हो सकता। गल्ले के पेट में पहुँचने और हजम होने तक ख्याल करो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितनी चीजों की ज़रूरत है, फिर खाने से जो प्रभाव और नतीजे पैदा होंगे उनका सिलसिला कहाँ तक जाता है। ज़रूरत व आवश्यकता के इस लम्बे सिलसिले को ध्यान में रखते हुए हम हजरत मसीह व मरियम के खुदा होने के बातिल होने को तर्क की शकल में यँ बयान कर सकते हैं कि मसीह व मरियम खाने पीने की ज़रूरतों से बेज़रूरत न थे, जो देखने और निरन्तर रिवायतों से साबित है, और जो खाने और पीने की ज़रूरत से बेनियाज़ न हो वह दुनिया की किसी चीज से बेपरवाह नहीं हो सकता। फिर तुम ही कहो जो ज़ात तमाम इन्सानों की तरह अपने बाकी रहने में असबाब की दुनिया से बेपरवाह (यानी ज़रूरत से खाली) न हो वह खुदा क्योंकर बन सकती है। यह ऐसी मज़बूत और स्पष्ट दलील है जिसे आलिम व जाहिल बराबर तौर पर समझ सकते हैं, यानी खाना पीना खुदा होने के विरुद्ध है, अगरचे न खाना भी कोई खुदा होने की दलील नहीं, वरना सारे फ़रिश्ते खुदा बन जायें। (अल्लाह की पनाह) (फवाइदे उस्मानी)

हजरत मरियम अलैहस्सलाम नबी थीं या वली?

हजरत मरियम की विलायत और नुबुव्वत के बारे में मतभेद है। बयान हुई आयत में तारीफ़ के मक़ाम में लफ़्ज़ "सिद्दीका" से बज़ाहिर इशारा इसी तरफ़ मालूम होता है कि आप "वली" थीं, नबी नहीं। क्योंकि तारीफ़ की जगह में आला दर्जे को ज़िक्र किया जाता है, अगर आपको नुबुव्वत हासिल होती तो यहाँ "नब्बिया" कहा जाता, हालाँकि यहाँ "सिद्दीका" कहा गया है, जो विलायत का मक़ाम है। (रुहुल-मआनी, संक्षिप्त तौर पर)

उम्मत की अक्सरियत की तहकीक़ यही है कि औरतों में नुबुव्वत नहीं आई, यह पद मर्दों ही के लिये मख़सूस रहा है। जैसा कि सूर: यूसुफ़ के रुकूअ बारह में आया है:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

(फवाइदे उस्मानौ)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا

تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ تَرَى كَثِيرًا
مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ
هُمُ خَالِدُونَ ۝ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ
كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۝

कुल या अहल्ल-किताबि ला तग्लू
फी दीनिकुम् गैरल्-हक्कि व ला
तत्ताबिअू अह्वा-अ कौमिन् कद् जल्लू
मिन् कब्लु व अजल्लू कसीरंव-व
जल्लू अन् सवा-इस्सबील (77) ❀

लुजिनल्लजी-न क-फरू मिम्-बनी
इसाई-ल अला लिसानि दावू-द व
अीसबिन् मर्य-म, जालि-क बिमा
असव्-व कानू यअतदून (78) कानू
ला य-तनाहौ-न अमू-मुन्करिन्
फ-अलूहु, लबिअ-स मा कानू
यफअलून (79) तरा कसीरम्-मिन्हुम्
य-तवल्लौनल्लजी-न क-फरू, लबिअ-स
मा कद्-मत् लहुम् अन्फुसहुम् अन्

तू कह- ऐ अहले किताब मत मुबालगा
करो अपने दीन की बात में नाहक का,
और मत चलो ख्यालात पर उन लोगों के
जो गुमराह हो चुके पहले, और गुमराह
कर गये बहुतों को, और बहक गये सीधी
राह से। (77) ❀

लानत का शिकार हुए काफिर बनी
इसाईल में के दाऊद की और ईसा बेटे
मरियम की ज़बान पर। ये इसलिए कि वे
नाफरमान थे, और हद से गुज़र गये थे।
(78) आपस में मना न करते बुरे काम से
जो वे कर रहे थे, क्या ही बुरा काम है
जो करते थे। (79) तू देखता है उनमें
कि बहुत से लोग दोस्ती करते हैं काफिरों
से, क्या ही बुरा सामान भेजा उन्होंने
अपने वास्ते, वह यह कि अल्लाह का

सख्रितल्लाहु अलैहिम् व फिल-अजाबि
हुम् खालिदून (80) व लौ कानू
युअमिनु-न बिल्लाहि वन्नबिय्यि व
मा उन्जि-ल इलैहि मत्त-खाज़ूहुम्
औलिया-अ व लाकिनु-न कसीरम्-
मिन्दुम् फासिकून (81)

ग़ज़ब हुआ उन पर और वे हमेशा अज़ाब
में रहने वाले हैं। (80) और अगर वे
यकीन रखते अल्लाह पर और नबी पर
और जो नबी पर उतरा (उस पर) तो
काफ़िरों को दोस्त न बनाते, लेकिन उनमें
बहुत से लोग नाफ़रमान हैं। (81)

खुलासा-ए-तफसीर

आप (इन ईसाईयों से) फरमाइये कि ऐ अहले किताब! तुम अपने दीन (के मामले) में
नाहक़ का गुलू (और इफ़रात) मत करो "यानी हद से मत गुज़रो" और इस (इफ़रात के बारे) में
लोगों के ख़्यालात (यानी बेसनद बातों) पर मत चलो जो (उस वक़्त से) पहले (खुद भी) ग़लती
में पड़ चुके हैं और (अपने साथ) बहुतों को (लेकर डूबे हैं, और) ग़लती में डाल चुके हैं, और
(वह उनकी ग़लती इस वजह से नहीं हुई कि हक़ मौजूद न रहा हो उसका पता न लगता हो,
बल्कि) वे लोग सीधे रास्ते (के होते हुए जान-बूझकर उस) से बहक गए (यानी दूर हो गए) थे।
(यानी जब उनकी ग़लती दलीलों से साबित हो गयी फिर उनकी पैरवी क्यों नहीं छोड़ते)।

बनी इस्राईल में जो लोग काफ़िर थे उन पर (अल्लाह तआला की तरफ़ से सख़्त) लानत की
गई थी (ज़बूर और इंजील में, जिसका ज़हूर हज़रत) दाऊद (अलैहिस्सलाम) और (हज़रत) ईसा
इब्ने मरियम (अलैहिस्सलाम) की ज़बान से हुआ, यानी ज़बूर और इंजील में काफ़िरों पर लानत
लिखी थी, जैसे कुरआन मजीद में भी है 'फ-लअनतुल्लाहि अलल्-काफ़िरीन'। चूँकि ये किताबें
हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुईं, इसलिये यह मज़मून उनकी
ज़बान से ज़ाहिर हुआ और यह (लानत) इस सबब से हुई कि उन्होंने हुक्म की (एतिकाद के
तौर पर) मुख़ालफ़त की (जो कि कुफ़्र है) और (उस मुख़ालफ़त में) हद से (बहुत दूर) निकल
गए (यानी कुफ़्र भी सख़्त था; फिर सख़्त होने के साथ लम्बा भी था, यानी उस पर बराबर जमे
रहे, चुनाँचे) जो बुरा काम (यानी कुफ़्र) उन्होंने (इख़्तियार) कर रखा था उससे (आईन्दा को)
एक-दूसरे को मना न करते थे (बल्कि उस पर जमे और अड़े हुए थे)। उस उनके सख़्त कुफ़्र और
लम्बे समय तक उस पर जमे और अड़े रहने के सब उन पर सख़्त लानत हुई वाकई उनका
(यह जिक़्र हुआ) फेल (यानी कुफ़्र फिर वह भी सख़्त और लम्बे समय तक, बेशक) बुरा था।
(कि उस पर यह सज़ा मुरत्तब हुई)।

आप इन (यहूदियों) में बहुत से आदमी देखेंगे कि (मुशिरक) काफ़िरों से दोस्ती करते हैं।
(चुनाँचे) मदीना के यहूदियों और मक्का के मुशिरकों में मुसलमानों की दुश्मनी के ताल्लुक से

जिसका मन्शा उनका कुफ़्र में मुत्तहिद होना था, आपस में खूब ताल-मेल था) जो (काम) उन्होंने आगे (भुगतने) के लिए किया है (यानी कुफ़्र, जो सबब था काफ़िरों से दोस्ती और मोमिनों से दुश्मनी का) वह बेशक बुरा है कि (उसके सबब) अल्लाह तआला उनसे (हमेशा के लिये) नाखुश हुआ और (उस हमेशा की नाखुशी का परिणाम यह होगा कि) ये लोग अज़ाब में हमेशा रहेंगे। और अगर ये (यहूदी) लोग अल्लाह तआला पर ईमान रखते और पैग़म्बर (यानी मूम्म अलौहिस्सलाम) पर (ईमान रखते जिसका इनको दावा है) और उस (किताब) पर (ईमान रखते) जो उन (पैग़म्बर) के पास भेजी गई (यानी तौरात) तो उन (मुशिकों) को कभी दोस्त न बनाने लेकिन उनमें ज़्यादा लोग ईमान (के दायरे) से खारिज ही हैं (इसलिये काफ़िरों के साथ उनकी एकजुटता और दोस्ती हो गयी)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

बनी इस्राईल के गुलत चलन का एक दूसरा पहलू

अल्लाह तआला ने फरमाया:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.

पिछली आयात में बनी इस्राईल की सरकशी और उनके जुल्म व सित्तम को बयान किया गया था, कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल जो उनके लिये हमेशा की जिन्दगी का पैग़ाम और उनकी दुनिया व आखिरत संवारने का दस्तूरुल-अमल (संविधान) लेकर आये थे, उनकी कद्र व कीमत पहचानने और इज़्ज़त व सम्मान करने के बजाय उन्होंने उनके साथ बुरा सुलूक किया। जैसा कि कुरआन में फरमाया गया है:

فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ.

यानी कुछ नबियों को झुठलाया और कुछ को क़त्ल ही कर डाला।

उक्त आयतों से उन्हें बनी इस्राईल की टेढ़ी चाल का दूसरा रुख बतलाया गया है, कि वे जाहिल या तो सरकशी और नाफरमानी के उस किनारे पर थे कि अल्लाह के रसूलों को झुठलाया और कुछ को क़त्ल कर डाला, और या गुमराही और गुलत चलन के इस किनारे पर पहुँच गये कि रसूलों के सम्मान में गुलू (हद से बढ़) करके उनको खुदा ही बना दिया:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ.

यानी वे बनी इस्राईल काफ़िर हो गये जिन्होंने यह कहा कि अल्लाह तो ईसा इब्ने मरियम ही का नाम है।

यहाँ तो यह कौल सिर्फ़ ईसाईयों का जिक्र किया गया है, दूसरी जगह यही गुलू (हद से बढ़ना) और गुमराही यहूदियों की भी बयान फरमाई गयी है:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ.

यानी यहूदियों ने तो यह कह दिया कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाईयों ने यह कह दिया कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं।

गुलू के मायने हद से निकल जाने के हैं। दीन में गुलू का मतलब यह है कि एतिकाद व अमल में दीन ने जो हदें मुकर्रर की हैं उनसे आगे बढ़ जायें। मसलन नबियों के सम्मान की हद यह है कि उनको अल्लाह की मख्लूक में सबसे अफज़ल समझे, इस हद से आगे बढ़कर उन्हीं को खुदा या खुदा का बेटा कह देना एतिकादी गुलू है।

बनी इस्राईल की इफ़रात व तफ़रीत

नबियों और रसूलों के मामले में बनी इस्राईल के ये दो एक-दूसरे के विपरीत अमल, कि या तो उनको झूठा कहें और क़त्ल तक से न मानें, और या यह ज़्यादाती कि उनको खुद ही खुदा या खुदा का बेटा करार दे दें, यह वही इफ़रात व तफ़रीत है जो जहालत की निशानियों में से है। अरब वालों की मशहूर कहावत है:

الجاهل إما فراط أو مفراط.

यानी जाहिल आदमी कभी एतिकाद और दरमियानी चाल पर नहीं रहता, बल्कि या तो इफ़रात में मुब्तला होता है या तफ़रीत में।

इफ़रात के मायने हद से आगे बढ़ने के हैं और तफ़रीत के मायने हैं फ़र्ज की अदायेगी में कोताही और कमी करने के। और यह इफ़रात व तफ़रीत यह भी मुम्किन है कि बनी इस्राईल की दो अलग-अलग जमाअतों की तरफ़ से अमल में आई हो, और यह भी मुम्किन है कि एक ही जमाअत के ये दो अलग-अलग अमल अलग-अलग नबियों के साथ हुए हों, कि कुछ को झुठलाने और क़त्ल तक नौबत पहुँच जाये, और कुछ को खुदा के बराबर बना दिया जाये।

इन आयतों में अहले किताब को मुखातब करके जो हिदायतें उनको और क़ियामत तक आने वाली नस्तों को दी गयी हैं वो दीन व मज़हब और उसकी पैरवी में एक बुनियादी उसूल की हैसियत रखती हैं, कि उससे ज़रा इधर-उधर होना इनसान को गुमराहियों के गढ़े में धकेल देता है। इसलिये इसकी कुछ तफ़सील समझ लें।

अल्लाह जल्ल शानुहू तक पहुँचने का तरीका

हकीकत यह है कि सारे जहान और इसमें मौजूद चीज़ों का ख़ालिक व मालिक सिर्फ़ एक अल्लाह तआला है। उसी का मुल्क है और उसी का हुकम है, उसी की इताअत हर इन्सान पर लाज़िम है। लेकिन बेचार मिट्टी का पुतला इन्सान अपनी माँही अंधेरियों और पस्तियों में घिरा हुआ है। इसकी सारी पहुँच उस पाक जात तक या उसके अहकाम व हिदायतें मालूम करने तक किरा तरह हो। अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़ल से इसके लिये दो माध्यम मुकर्रर कर दिये, जिनके ज़रिये इन्सान को हक़ तआला की पसन्द व नापसन्द और अहकाम व मना की हुई बातों का इल्म हो सके, एक अपनी किताबें जो इन्सान के लिये क़ानून और हिदायत नामे की हैसियत

रखती हैं, दूसरे अपने ऐसे मखसूस व मक़वूल बन्दे जिनको अल्लाह तआला ने इनसानों में
 लिया है, और उनको अपनी पसन्द व नापसन्द का अमली नमूना और अपनी किताब की
 शरह बनाकर भेजा है, जिनको दीनी इस्तिलाह में रसूल या नबी कहा जाता है। क्योंकि
 गवाह है कि कोई किताब चाहे कितनी ही मुकम्मल और विस्तृत क्यों न हो किसी इनसान
 इस्लाह व तरबियत के लिये काफी नहीं होती, बल्कि फितरी तौर पर इनसान का मुख्य
 मुस्लेह (तरबियत करने वाला और सुधारक) सिर्फ़ इनसान ही हो सकता है, इसलिये हक़ तआला
 ने इनसान की इस्लाह व तरबियत के लिये दो सिलसिले रखे- एक किताबुल्लाह (अल्लाह व
 किताब और क़ानून) और दूसरे रिजालुल्लाह (अल्लाह वाले), जिनमें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और
 फिर उनके नायब उलेमा व बुजुर्ग सब दाख़िल हैं। रिजालुल्लाह (अल्लाह वालों) के इस सिलसिले
 के मुताल्लिक पुराने ज़माने से दुनिया इफ़रात व तफ़रीत की ग़लतियों में मुस्तला रही है और
 धर्मों में जितने विभिन्न फ़िक्रें पैदा हुए वे सब इसी एक ग़लती की पैदावार हैं, कि कहीं उनके
 हद से बढ़ाकर रिजाल परस्ती तक नौबत पहुँचा दी गयी, और कहीं उनको बिल्कुल नज़र-अन्दा
 करके 'हस्बुना किताबुल्लाहि' (हमको सिर्फ़ अल्लाह की किताब काफी है) को ग़लत मायने पढ़
 कर अपना चलन बना लिया गया। एक तरफ़ रसूल को बल्कि पीरों को भी आलिमुल-ग़ैब और
 खास खुदाई सिफ़ात का मालिक समझ लिया गया, और पीर-परस्ती बल्कि क़ब्र-परस्ती तक पहुँच
 गये। दूसरी तरफ़ अल्लाह के रसूल को भी सिर्फ़ एक कासिद और चिट्ठी पहुँचाने वाले की
 हैसियत दे दी गयी। ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में रसूलों की तौहीन करने वालों को भी काफ़ी
 क़रार दिया गया और उनको हद से बढ़ाकर खुदा तआला के बराबर कहने वालों को भी काफ़ी
 क़रार दिया गया। आयत 'ला तग़लू फ़ी दीनिकुम' (यानी ऊपर बयान हुई आयत 77) इसी
 मज़मून की तम्हीद है। जिसने वाज़ेह कर दिया कि दीन असल में चन्द सीमाओं और पारबन्दियों
 ही का नाम है, उन हदों के अन्दर कोताही करना और कमी करना जिस तरह जुर्म है इसी तरह
 उनसे आगे बढ़ना और ज़्यादाती करना भी जुर्म है। जिस तरह रसूलों और उनके नायबों की बात
 न मानना उनकी तौहीन करना ज़बरदस्त गुनाह है, इसी तरह उनको अल्लाह तआला की खास
 सिफ़ात का मालिक या बराबरी वाला समझना इससे ज़्यादा बड़ा गुनाह है।

इल्मी तहकीक़ और गहन अध्ययन गुलू नहीं

मज़क़ूर आयत में 'ला तग़लू फ़ी दीनिकुम' के साथ लफ़ज़ 'ग़ैरुल-हक्कि' लाया गया
 जिसके मायने यह है कि नाहक़ का गुलू मत करो। यह लफ़ज़ मुहक्क़ उलेमा-ए-तफ़सीर
 नज़दीक़ ताकीद के लिये इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि दीन में गुलू (हद से बढ़ना या उसके हद
 की अदायेगी में कोताही करना) हमेशा नाहक़ होता है। इसमें हक़ होने की संभावना व गुमान
 नहीं, और अल्लामा ज़मख़शरी वग़ैरह ने इस जगह गुलू की दो किस्में क़रार दी हैं- एक ना
 और बातिल जिसकी मनाही इस जगह की गयी है, दूसरे हक़ और जायज़ जिसकी मिसाल
 उन्होंने इल्मी तहकीक़ और गहरे अध्ययन को पेश किया है, जैसा कि अक़ीदों के मसाइल

मुतकलिमीन हज़रात का और फ़रही मसाईल में फ़ुकहा हज़रात का तरीका रहा है। उनके नज़दीक यह भी अंगरेचे गुलू (हद से बढ़ना) है मगर यह गुलू हक और जायज़ है। और उलेमा की अक्सरियत की तहकीक यह है कि यह गुलू की तारीफ़ (परिभाषा) में दाख़िल ही नहीं, कुरआन व सुन्नत के मसाईल में गहरी नज़र और उसकी बारीकी में जाना जिस हद तक रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा व ताबिईन से साबित है वह गुलू नहीं, और जो गुलू की हद तक पहुँचे वह इसमें भी बुरा और नापसन्दीदा है।

बनी इस्राईल को दरमियानी रास्ते की हिदायत

ज़िक्र हुई आयत के आख़िर में मौजूदा बनी इस्राईल को मुख़ातब करके इरशाद फ़रमाया:

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا

यानी उस कौम के ख़्यालात की पैरवी न करो जो तुमसे पहले खुद भी गुमराह हो चुके थे और दूसरों को भी उन्होंने गुमराह कर रखा था।

इसके बाद उनकी गुमराही की हकीकत और वजह को इन अलफ़ाज़ से बयान फ़रमाया:

ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

यानी ये लोग सीधे और सही रास्ते से हट गये थे जो इफ़रात व तफ़रीत के बीच की दरमियानी राह थी। इसी तरह इस आयत में गुलू और इफ़रात व तफ़रीत की घातक ग़लती का बयान भी आ गया, और दरमियानी राह 'सिराते मुस्तक़ीम' पर कायम रहने का भी।

बनी इस्राईल का बुरा अन्जाम

दूसरी आयत में उन बनी इस्राईल का बुरा अन्जाम ज़िक्र किया गया है, जो इस इफ़रात व तफ़रीत की गुमराही में मुब्तला थे, कि उन पर अल्लाह तआला की लानत हुई, पहले दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बान से, जिसके नतीजे में उनकी सूरतें बदलकर ख़िन्ज़ीर (सुअर) बन गये, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से यह लानत उन पर मुसल्लत हुई, जिसका असर दुनिया में यह हुआ कि सूरतें बिगड़कर बन्दर बन गये। और कुछ मुफ़सिरीन ने फ़रमाया कि इस जगह मौक़े की मुनासबत से ज़रूरत के मुताबिक़ सिर्फ़ दो पैग़म्बरों की ज़बान से उन पर लानत होने का ज़िक्र किया गया है, मगर हकीकत यह है कि उन पर लानत की शुरूआत हज़रत-मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, और इन्तिहा हज़रत ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर हुई। इस तरह लगातार चार पैग़म्बरों की ज़बानी उन लोगों पर निरन्तर लानत हुई, जिन्होंने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की मुख़ालफ़त की, या जिन्होंने उनको हद से आगे बढ़ाकर खुदा तआला की सिफ़ात का शरीक बना दिया।

आख़िरी दोनों आयतों में काफ़िरों के साथ गहरी दोस्ती और दिली ताल्लुक की मनाही और उसके विनाशकारी परिणामों का बयान फ़रमाया गया, जिसमें इसकी तरफ़ भी इशारा हो सकता

है कि बनी इस्राईल की यह सारी कजरवी (दिदी चाल, नाफरमानी) और गुमराही नतीजा था उनके ग़लत किस्म के माहौल और काफ़िरों के साथ दिली दोस्ती करने का, जिसने उनको तबाही के गड्ढे से धकेल दिया था।

كَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
 وَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 إِنَّا لَمَعْنَا فِيهَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ
 يُخَلِّتَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ فَآتَاهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 حُلِيِّنَ فِيهَا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

ल-तजिदन्-न अशदन्नासि अदा-वतल्-
 लिल्लजी-न आमनुल्-यहू-द वल्लजी-न
 अशरकू व ल-तजिदन्-न अकर-बहुम्
 मवदतल्-लिल्लजी-न आमनुल्लजी-न
 कालू इन्ना नसारा, ज़ालि-क बिअन्-न
 मिन्हुम् किस्सीसी-न व रुहबानव्-व
 अन्नहुम् ला यस्तकिबरून (82)

पारा (7) व इज़ा समिज़ू

व इज़ा समिज़ू मा उन्ज़ि-ल इतरसूलि
 तरा अअयु-नहुम् तफीज़ु मिनद्दमज़ि
 मिम्मा अ-रफू मिनल्-हदिक यकूलू-न
 रब्बना आमन्ना फ़क्तुब्ना मअश्-
 शाहिदीन (83) व मा लना ला

तू पायेगा सब लोगों से ज्यादा दुश्मन-
 मुसलमानों का यहूदियों को और मुश्रिकों
 को, और तू पायेगा सबसे नज़दीक
 मुहब्बत में मुसलमानों के उन लोगों का
 जो कहते हैं कि हम नसारा (यानी ईसाइ)
 हैं या इस वास्ते कि ईसाईयों में आलिम
 हैं और दुर्वश (नेक लोग) हैं और इस
 वास्ते कि वे तकबुर नहीं करते। (82)

पारा (7) व इज़ा समिज़ू

और जब सुनते हैं उसको जो उतरा सू-
 पर तो देखे तू उनकी आँखोंको नि-
 उबलती हैं आसुओं से, इस वजह से कि
 उन्होंने पहचान लिया हक बात को, कहा
 है ऐ हमारे रब! हम ईमान लाये, सो तू
 लिख हमको मानने वालों के साथ। (83)

नुअ्मिनु बिल्लाहि व मा जा-अना
मिनल्हकि व नत्मशु अय्युद्वि-लना
रब्बुना मजल्-कौमिस्सालिहीन (84)
फ़-असाबहु मुल्लाहु बिमा कालू
जन्नातिन् तजरी मिन् तस्तिहल्-
अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा, व
जालि-क जज़ाउल् मुहिसनीन (85)
वल्लजी-न क-फ़रु व कज़्जबू
बिआयातिना उलाइ-क अस्हाबुल्
जहीम (86) ❀

और हमको क्या हुआ कि यकीन न लायें
अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो पहुँची
हमको हक़ से और उम्मीद रखें इसकी कि
दाख़िल करे हमको हमारा सब साथ नेक
बदलों के। (84) फिर उनको बदले में
दिये अल्लाह ने इस कहने पर ऐसे बाग़
कि जिनके नीचे बहती हैं नहरें, रहा करें
उनमें ही, और यह है बदला नेकी करने
वालों का। (85) और जो लोग इनकारी
हुए और झुठलाने लगे हमारी आयतों को
वे हैं दोज़ख़ के रहने वाले। (86) ❀

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

ऊपर यहूदियों का मुशिरक लोगों से दोस्ती रखना ज़िक्र हुआ था, आगे उनका मय मुशिरकों के मुसलमानों से दुश्मनी रखना बयान हुआ है, जो इस दोस्ती का असली सबब था। और चूँकि हर मामले में कुरआन मजीद अदल व इन्साफ़ का सबसे बड़ा दाजी (दावत देने वाला) है, इसलिये यहूदियों व ईसाईयों में भी सब को एक दर्जे में शुमार नहीं किया, जिसमें कोई खूबी थी उसका भी इज़हार किया गया। मसलन ईसाईयों की एक खास जमाअत में उन यहूदियों के मुकाबले में तास्तुब का कम होना, और उन ईसाईयों में जिन्होंने हक़ कुबूल कर लिया था उनका बेहतरीन बदले और प्रशंसा का पात्र होना। और यह खास जमाअत हब्शा के ईसाईयों की है, जिन्होंने मुसलमानों को जबकि मदीना की हिजरत से पहले वे अपना वतन मक्का छोड़कर हब्शा चले गये थे, कुछ तकलीफ़ नहीं दी, और जो और ईसाई ऐसा ही हो वह भी इन्हीं के हुक्म में दाख़िल है। और अज़रामें से जिन्होंने हक़ कुबूल कर लिया था वह नजाशी बादशाह और उनके साथी हैं, जो कि हब्शा में भी कुरआन सुनकर रोये और मुसलमान हो गये। फिर तीस आदमी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कुरआन सुनकर रोये और इस्लाम कुबूल किया, यही इस आयत का शाने नुज़ूल (उतरने का मौका और सबब) है।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(मोमिनों के अलावा में) तमाम आदमियों से ज्यादा मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाले आप इन यहूदियों और इन मुशिरकों को पाएँगे। और उन (मोमिनों के अलावा आदमियों) में मुसलमानों के साथ दोस्ती रखने के ज्यादा करीब (औरों के मुकाबले में) उन लोगों को पाईएगा

जो अपने को ईसाई कहते हैं (ज्यादा करीब का यह मतलब है कि दोस्त तो वे भी नहीं, मगर दूसरे जिक्र किये गये काफ़िरों से ग़नीमत हैं)। यह (दोस्ती से ज्यादा करीब होना और दुश्मनी में कम होना) इस सबब से है कि उन (ईसाईयों) में बहुत-से (इल्म से दोस्ती रखने वाले) आलिम हैं और बहुत-से दुनिया से बेताल्लुक (दुर्वेश), (और जब किसी क़ौम में ऐसे लोग ख़ूब अधिक होते हैं तो अ़वाम में भी हक़ के साथ ज्यादा बैर व विरोध नहीं रहता चाहे ख़्यास व अ़वाम हक़ को कुबूल भी न करें)। और (यह इस सबब से है कि) ये (ईसाई) लोग तकब्बुर करने वाले नहीं हैं (किस्सीसीन व रुहबान से जल्दी मुतास्सिर हो जाते हैं, और साथ ही तबाज़ो का ख़ास्सा है हक़ बात के सामने नर्म हो जाना, इसलिये उनको दुश्मनी ज्यादा नहीं)। पस किस्सीसीन व रुहबान यानी उलेमा व बुजुर्गों का वजूद इशारा है असल काम करने वाले सबब की तरफ़, और तकब्बुर न करना उनकी काबलियत की तरफ़, जबकि इसके विपरीत यहूदियों व मुश्रिकों के अन्दर दुनिया की मुहब्बत है और वे घमण्डी हैं। और अगरचे यहूदियों में भी कुछ सच्चे और अल्लाह वाले उलेमा थे जो मुसलमान हो गये थे, लेकिन उनकी तायदाद कम होने की वजह से अ़वाम में उनका असर नहीं पहुँचा था, इसलिये उनमें दुश्मनी व बैर है, जो सबब हो जाता है सख़्त दुश्मनी का, इसी लिये यहूदी तो मोमिन ही कम हुए और मुश्रिकों में से जब दुश्मनी व बैर निकल गया तब मोमिन होना शुरू हुए)।

सातवाँ पारा (व इज़ा समिअू)

और (बाज़े उनमें जो कि आख़िर में मुसलमान हो गये थे ऐसे हैं कि) जब वे उस (कलाम) को सुनते हैं जो कि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की तरफ़ भेजा गया है (यानी कुरआन) तो आप उनकी आँखें आँसुओं से बहती हुई देखते हैं, इस सबब से कि उन्होंने हक़ (दीन, यानी इस्लाम) को पहचान लिया (मतलब यह कि हक़ को सुनकर मुतास्सिर होते हैं और) (यूँ) कहते कि ऐ हमारे रब! हम मुसलमान हो गये, तो हमको भी उन लोगों के साथ लिख लीजिए (यानी उनमें शुमार कर लीजिए) जो (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और कुरआन के हक़ हो) की तस्दीक़ करते हैं। और हमारे पास कौनसा उज़्र (मजबूरी और बहाना) है कि हम अल्लाह (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअ़त की तालीम के अनुसार) और जो हक़ (दीन) हमको (अब) पहुँचा है उस पर ईमान न लाएँ, और (फिर) इस बात की उम्मीद (भी) रखें कि हमारा रब हमको नेक (मकुबूल) लोगों के साथ दाख़िल कर देगा (बल्कि यह उम्मीद इस्लाम में मौकूफ़ है, इसलिये मुसलमान होना ज़रूरी है)। सो उन (लोगों) को अल्लाह तआला उनके (इ) एतिकाद रखने और) कौल के बदले में (जन्नत के) ऐसे बाग़ देगे जिनके (महलों के) नीचे नहर जारी होंगी, (और) ये उनमें हमेशा-हमेशा को रहेंगे, और नेक काम करने वालों की यही जज़ा (बदला) है। और (इनके विपरीत) जो लोग काफ़िर रहे और हमारी आयतों (और अहक़ाम) को झूठा कहते रहे वे लोग दोज़ख़ (में रहने) वाले हैं।

मजारिफ व मसाईल

यहूदियों व ईसाईयों में से कुछ लोगों की हक-परस्ती

इन आयतों में मुसलमानों के साथ दुश्मनी या दोस्ती के मेयार से उन अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) का जिक्र फरमाया गया है जो अपनी हक-परस्ती और खुदा से डरने की वजह से मुसलमानों से बुग़ज व दुश्मनी नहीं रखते थे, मगर इन गुणों वाले लोग यहूदियों में बहुत कम (यानी न होने के बराबर) थे, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम वगैरह। ईसाईयों में तुलनात्मक ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा थी, ख़ुसूसन हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक ज़माने में मुल्क हब्शा का बादशाह नजाशी और वहाँ के सरदारों व अ़वाम में ऐसे लोगों की बड़ी तायदाद थी, और इसी सबब से जब मक्का मुकर्रमा के मुसलमान कुरैश के जुल्मों से तंग आ गये तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको हब्शा की तरफ़ हिज़रत कर जाने का मशिवरा दिया, और फरमाया कि मैंने सुना है कि हब्शा का बादशाह न खुद जुल्म करता है न किसी को किसी पर जुल्म करने देता है, इसलिये मुसलमान कुछ समय के लिये वहाँ चले जायें।

इस मशिवरे पर अमल करते हुए पहली मर्तबा ग्यारह हज़रत हब्शा की तरफ़ निकले, जिनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी साहिबा (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बेटी) हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा भी शामिल थीं। उसके बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के नेतृत्व में मुसलमानों का एक बड़ा काफ़िला जो औरतों के अलावा बयासी मर्दों पर मुश्तमिल था, हब्शा पहुँच गया। हब्शा के बादशाह और वहाँ के रहने वालों ने उनका शरीफ़ाना स्वागत किया और ये लोग अमन व सुकून से वहाँ रहने लगे।

मक्का के कुरैश के गुस्से व आक्रोश ने उनको इस पर भी न रहने दिया कि ये लोग किसी दूसरे मुल्क में अपनी ज़िन्दगी सुकून से गुज़ार लें। उन्होंने अपना एक वफ़द (प्रतिनिधि मण्डल) बहुत से तोहफ़े देकर हब्शा के बादशाह के पास ख़ाना किया, और यह दरख़्वास्त की कि इन मुसलमानों को अपने मुल्क से निकाल दें। मगर हब्शा के बादशाह ने हालात की तहकीक की और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों से इस्लाम और पैग़म्बरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हालात मालूम किये। उन हालात और इस्लाम की तालीमात को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इज़ील की पेशीनगी के पूरी तरह मुवाबिक़ पाया, जिसमें हज़रत ख़ालमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनकर तशरीफ़ लाने का जिक्र और उनकी तालीमात का मुख़ासर ख़ाका, और उनका और उनके सहाबा का हुलिया वगैरह जिक्र हुआ था। इससे मुतास्तिर होकर हब्शा के बादशाह ने कुरैशी वफ़द के हदिये-तोहफ़े (उपहार) वापस कर दिये और उनको साफ़ जवाब दे दिया कि मैं ऐसे लोगों को अपने मुल्क से निकालने का कभी हुक्म नहीं दे सकता।

हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की तक़रीर का हब्शा के बादशाह पर असर

हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नजाशी के दरबार में इस्लाम को उसकी तालीमात का एक मुख़्तसर मगर जामे ख़ाका खींच दिया था, और फिर इन हज़रत वहाँ रहने ने न सिर्फ़ उसके दिल में बल्कि वहाँ के हाकिमों, सरदारों और अचाम सबके दिल में इस्लाम और पैग़म्बरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सच्ची मुहब्बत व सम्मान पैदा कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना तय्यिबा की तरफ़ हिजरत फ़रमाई और वहाँ आपका और सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुल्मईन हो जाना मालूम हुआ और हब्शा के मुहाजिरीन ने मदीना तय्यिबा जाने का इरादा किया तो हब्शा के बादशाह नजाशी ने उनके साथ अपने मज़हब के ईसाईयों के बड़े-बड़े उलेमा, बुजुर्गों का एक वफ़द (जमाअत) हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में भेजा, जो आदिमियों पर मुश्तमिल था, जिनमें बासठ हज़रत हब्शा के और आठ मुल्क शाम के थे।

हब्शा के बादशाह के वफ़द की दरबारे नबी में हाज़िरी

यह वफ़द (जमाअत और प्रतिनिधि मण्डल) रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक दुर्वेशाना और राहिवाना लिबास में हाज़िर हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इनको सूर: यासीन पढ़कर सुनाई। ये लोग सुनते जाते थे और इनकी आँखों से आंसू जारी थे। सब ने कहा कि यह कलाम उस कलाम से कितना मिलता-जुलता है जो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होता था, और ये सब के सब मुसलमान हो गये।

इनकी वापसी के बाद हब्शा के बादशाह नजाशी ने भी इस्लाम का ऐलान कर दिया और अपना एक ख़त देकर अपने बेटे को एक दूसरे वफ़द का सरदार बनाकर भेजा, मगर बद-किस्ती देखिये कि यह कश्ती दरिया में ग़र्क़ हो गयी। ग़र्क़ कि हब्शा के बादशाह और हाकिमों व अचाम ने इस्लाम और मुसलमानों के साथ न सिर्फ़ शरीफ़ाना और न्यायपूर्ण सुलूक किया बल्कि आख़िरकार खुद भी मुसलमान हो गये।

मुफ़त्सिरीन की अक्सरियत ने फ़रमाया कि ये आयतें इन्हीं हज़रत के बारे में नाज़िल हुई हैं

وَلْتَجِدْنَ آقْرِبَهُمْ مَّوَدَّةَ بِلَدَيْنِ لَمَّا دُخِرُوا فَالْوَألِدَيْنِ إِنا نَبْصُرُ

और बाद की आयतों में उनका अल्लाह तआला के ख़ौफ़ से रोना और हक़ को क़ुबूल करना बयान फ़रमाया गया है। इस पर भी मुफ़त्सिरीन की अक्सरियत की सहमति है कि अगर ये आयतें नजाशी और उसके भेजे हुए वफ़द (प्रतिनिधि मण्डल) के बारे में नाज़िल हुई हैं तो उन अलफ़ाज़ में ज़मूम हैं, इसलिये इसका हुक्म उन तमाम ईसाईयों के लिये आम और शामिल है जो अहले-हब्शा की तरह हक़-परस्त और इन्साफ़-पसन्द हों। यानी इस्लाम से पहले इंजील पर अनल

करने वाले थे और इस्लाम आने के बाद इस्लाम की पैरवी करने लगे।

यहूदियों में भी अगरचे चन्द हज़रात इसी शान के मौजूद थे जो हज़रत मूसा के दौर में तीरात पर आमिल रहे, फिर इस्लाम आने के बाद इस्लाम के दायरे में शामिल हो गये, लेकिन यह इतनी कम तायदाद थी कि उम्मतों और कौमों के जिक्र के बख्त उसको जिक्र नहीं किया जा सकता है। बाकी यहूदियों का हाल खुला हुआ था, वे मुसलमानों की दुश्मनी और जड़ काटने में सबसे आगे थे, इसी लिये आयत के शुरू में यहूदियों का यह हाल जिक्र फ़रमाया:

لَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ.

यानी मुसलमानों की दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त यहूदी हैं।

खुलासा-ए-कलाम यह हुआ कि इस आयत में ईसाईयों की एक खास जमाअत की तारीफ़ फ़रमाई गयी है, जो अल्लाह से डरने और हक़-परस्ती की हामिल थी, इसमें नजाशी और उसके साथी व मददगार भी दाखिल हैं, और दूसरे ईसाई भी जो इन गुणों और सिफ़्तों वाले थे, या आने वाले ज़माने में दाखिल हों! लेकिन इसके यह मायने न आयतों से निकलते हैं और न हो सकते हैं कि ईसाई चाहे कैसे भी गुमराह हो जायें और इस्लाम-दुश्मनी में कितने ही सख्त कदम उठायें उनको बहरहाल मुसलमानों का दोस्त समझा जाये, और मुसलमान उनकी दोस्ती की तरफ़ हाथ बढ़ायें, क्योंकि यह तो पूरी तरह ग़लत और वाकिआत के कतई खिलाफ़ है, इसी लिये इमाम अबू बक्र जस्सास रहमतुल्लाहि अलैहि ने अहकामुल-कुरआन में फ़रमाया कि कुछ जाहिल लोग जो यह ख्याल करते हैं कि इन आयतों में बिना किसी क़ैद के ईसाईयों की तारीफ़ है और वे हर हाल में यहूदियों से बेहतर हैं, यह सरासर जहालत है, क्योंकि अगर आम तौर पर दोनों जमाअतों के मज़हबी अक़ीदों की तुलना की जाये तो ईसाईयों का मुशिरक होना ज्यादा स्पष्ट है, और मुसलमानों के साथ मामलात को देखा जाये तो आजकल के आम ईसाईयों ने भी इस्लाम की दुश्मनी में यहूदियों से कम हिस्सा नहीं लिया, हाँ यह सही है कि ईसाईयों में ऐसे लोगों की अधिकता हुई है जो अल्लाह से डरने वाले और हक़-परस्त थे, इसी के नतीजे में उनको इस्लाम क़बूल करने की तौफ़ीक़ हुई, और ये आयतें उन दोनों जमाअतों के बीच इसी फ़र्क को ज़ाहिर करने के लिये नाज़िल हुई हैं। खुद इसी आयत के आख़िर में कुरआन ने इस हक़ीक़त को इन अलफ़ाज़ में स्पष्ट फ़रमा दिया है:

ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيْنَ وَرَهْبَانًا وَآتَاهُمْ لَا يَسْكُرُونَ.

यानी जिन ईसाईयों की तारीफ़ इन आयतों में की गयी है इसकी वजह यह है कि उनमें उलेमा और खुदा से डरने वाले, दुनिया से अलग-थलग रहने वाले हज़रात हैं, और उनमें तक़बुर नहीं कि दूसरों की बात पर ग़ौर करने के लिये तैयार न हों। मुक़ाबले से मालूम हुआ कि यहूदियों के ये हालात न थे, उनमें खुदा से डरना और हक़-परस्ती न थी, उनके उलेमा ने भी बजाय दुनिया को छोड़ने के अपने इल्म को सिर्फ़ रोज़गार और दुनिया कमाने का ज़रिया बना लिया था, और दुनिया समेटने में ऐसे मस्त हो गये थे कि हक़ व नाहक़ और हलाल व हराम की भी परवाह न रही थी।

कौम व मिल्लत की असली रूह हक-परस्त उलेमा और बुजुर्ग हजरात हैं

ज़िक्र हुई आयत के बयान से एक अहम बात यह भी मालूम हुई कि कौम व मिल्लत की असली रूह हक-परस्त, खुदा से डरने वाले उलेमा व बुजुर्ग हैं। उनका वजूद पूरी कौम की ज़िन्दगी है, जब तक किसी कौम में ऐसे उलेमा व बुजुर्ग मौजूद हों जो दुनियावी इच्छाओं के पीछे न चलें, खुदा से डरना उनका मक़ाम हो तो वह कौम खैर व बरकत से मेहरूम नहीं होती।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ۝ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

या अय्युहल्लजी-न आमनू ला
तुहरिमु तय्यिबाति मा अ-हल्लल्लाहु
लकुम् व ला तअतदू, इन्नल्ला-ह ला
युहिब्बुल्-मुअ्तदीन (87) व कुलू
मिम्मा र-ज़-ककुमुल्लाहु हलालन्
तय्यिबं-वत्तकुल्लाहल्लजी अन्तुम्
बिही मुअ्मिनून (88)

ऐ ईमान वाले! मत हराम ठहराओ वे मज्बूत चीजें जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये हलाल कर दीं और हद से न बढ़ो, बेशक अल्लाह पसन्द नहीं करता हद से बढ़ने वालों को। (87) और खाओ अल्लाह के दिये हुए में से जो चीज हलाल पाकीजा हो, और डरते रहो अल्लाह से जिस पर तुम ईमान रखते हो। (88)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

यहाँ तक अहले किताब के बारे में गुफ्तगू थी, आगे फिर कुछ ऊपर के अहकाम की तरफ वापसी है जिनका ज़िक्र कुछ शुरु सूत में और कुछ बीच में भी हुआ है। और इस मक़ाम की खुसूसियत के एतिबार से एक खास ताल्लुक भी मन्कूल है, वह यह कि ऊपर तारीफ के मक़ाम में रहबानियत (दुनिया से क़िनारा कर लेने) का ज़िक्र है, अगरचे वह इस एतिबार से दुनिया की मुहब्बत को छोड़ देने का एक खास हिस्सा है, लेकिन संदेह था कि कोई रहबानियत की बराबर की खुसूसियात (जैसे आजकल के जोग और लिबास व आबादी वगैरह से आजाद होने) को क़बिले तारीफ न समझ ले, इसलिये इस जगह पर इस हलाल चीजों के हराम कर लेने की मनाही ज्यादा मुनासिब मालूम हुई। (बयानुल-कुरआन, संक्षिप्त रूप से)

खुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला ने जो चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं (चाहे वो खाने-पीने और पहनने की किस्म से हों या निकाह करने की किस्म से हों) उनमें मज़ेदार (और पसन्दीदा) चीज़ों को (कसम व अहद करके अपने नफ़्सों पर) हराम मत करो, और (शरीअत की) हदों से (जो कि हलाल व हराम करने के बारे में मुकरर हैं) आगे मत निकलो, बेशक अल्लाह तआला (शरीअत की) हद से निकलने वालों को पसन्द नहीं करते। और खुदा तआला ने जो चीज़ें तुमको दी हैं उनमें से हलाल पसन्दीदा चीज़ें खाओ (बरतो), और अल्लाह तआला से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो (यानी हलाल चीज़ को हराम करना अल्लाह की रज़ा के खिलाफ़ है, इससे डरो और यह अपराध मत करो)।

मआरिफ़ व मसाईल

दुनिया से बेताल्लुकी अगर अल्लाह की बताई हुई हदों के अन्दर हो तो जायज़, वरना हराम है

ज़िक्र हुई आयतों में यह बर्तलाया गया है कि अगरचे दुनिया को छोड़ देना और लज़्ज़तों व इच्छाओं से किनारा करना एक दर्जे में महबूब व पसन्दीदा है, मगर इसमें अल्लाह की तय की हुई हदों (सीमाओं) से बढ़ना नापसन्दीदा और हराम है, जिसकी तफ़सील यह है:

किसी हलाल चीज़ को हराम करार देने के तीन दर्जे

किसी हलाल चीज़ को हराम करार देने के तीन दर्जे हैं- एक यह कि एतिकाद के तौर पर उसको हराम समझ लिया जाये। दूसरे यह कि ज़बान से किसी चीज़ को अपने लिये हराम करे, जैसे कसम खा ले कि ठण्डा पानी न पियूँगा या फ़ुलों किस्म का हलाल खाना न खाऊँगा, या फ़ुलों जायज़ काम न करूँगा। तीसरे यह कि एतिकाद और ज़बान तो कुछ न हो सिर्फ़ अमली तौर पर हमेशा के लिये किसी हलाल चीज़ को छोड़ देने का इरादा करे।

पहली सूरत में अगर उस चीज़ का हलाल होना निश्चित और यकीनी दलीलों से साबित हो तो उसको हराम समझने वाला अल्लाह के क़ानून की खुली मुखालिफ़त की वजह से काफ़िर हो जायेगा।

दूसरी सूरत में अगर कसम के अलफ़ाज़ खाकर उस चीज़ को अपने ऊपर हराम करार दिया है तो कसम ही जायेगी। कसम के अलफ़ाज़ बहुत हैं, जो मसाईल की किताबों में विस्तृत तौर पर मज़कूर हैं। उनमें से एक मिसाल यह है कि स्पष्ट तौर पर कहे कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि फ़ुलों चीज़ न खाऊँगा, या फ़ुलों काम न करूँगा। या यह कहे कि मैं फ़ुलों चीज़ या फ़ुलों काम को अपने ऊपर हराम करता हूँ। इसका हुक्म यह है कि बिना ज़रूरत ऐसी कसम खाना गुनाह है, उस पर लाज़िम है कि इस कसम को तोड़ दे और कसम का कफ़ारा अदा करे

जिसको तफसील आगे आयेगी।

तीसरी किस्म जिसमें एतिकाद और कौल से किसी हलाल को हराम न किया हो, बल्कि अमल में ऐसा मामला करे जैसा हराम के साथ किया जाता है, कि हमेशा के लिये उसके छोड़ने का इरादा और पाबन्दी करे। इसका हुक्म यह है कि अगर हलाल को छोड़ना सवाब समझता तो यह बिदअत और रहबानियत है, जिसका बड़ा गुनाह होना कुरआन व सुन्नत में बयान हुआ है, उसके खिलाफ करना वाजिब और ऐसी पाबन्दी पर कायम रहना गुनाह है। हाँ अगर ऐसी पाबन्दी सवाब की नीयत से न हो बल्कि किसी दूसरी वजह से हो, जैसे किसी जिस्मानी या रूहानी बीमारी के सबब से किसी खास चीज को हमेशा के लिये छोड़ दे तो इसमें कोई गुनाह नहीं, कुछ सूफिया-ए-किराम और बुजुर्गों से हलाल चीजों के छोड़ने की जो रिवायतें मन्कूल हैं वे सब इसी किस्म में दाखिल हैं कि उन्होंने अपने नफ्स के लिये उन चीजों को नुकसानदेह समझा या किसी बुजुर्ग ने नुकसानदेह बतलाया, इसलिये इलाज के तौर पर छोड़ दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं।

आयत के आखिर में फरमाया:

وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۗ

यानी अल्लाह की हदों (सीमाओं) से आगे न बढ़ो, क्योंकि अल्लाह तआला ऐसे बढ़ने वाले को पसन्द नहीं करते।

हद से बढ़ने का मतलब यही है कि किसी हलाल चीज को बिना किसी उज़्र (मजबूरी) के सवाब समझकर छोड़ दे, जिसको नावाफिक आदमी तक़वा समझता है, और अल्लाह तआला के नज़दीक वह हद से बढ़ना और नाजायज़ है। इसलिये दूसरी आयत में इरशाद है:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۗ

यानी जो हलाल पाक रिज़क अल्लाह तआला ने आपको दिया है उसको खाओ और अल्लाह तआला से जिस पर तुम्हारा ईमान है, डरते रहो।

इस आयत में स्पष्ट फरमा दिया कि हलाल पाक चीजों का सवाब समझकर छोड़ देना तक़वा नहीं, बल्कि तक़वा इसमें है कि उनको अल्लाह तआला की नेमत समझकर इस्तेमाल करे और शुक्र अदा करे, हाँ किसी जिस्मानी या रूहानी बीमारी की वजह से बतौर इलाज किसी चीज को छोड़े तो वह इसमें दाखिल नहीं।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا

عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

أَوْ خُرُوجُ رَبْوَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، وَاحْفَظُوا

أَيْمَانَكُمْ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लिव फी
 ऐमानिकुम् व लाकिंय्युआखिजुकुम्
 बिमा अ क क लु मु लू - ऐ मा - न
 फ-कफ़ारतुहू इत्आमु अ-श-रति
 मसाकी-न मिन् औ-सति मा
 तुत्अिमु-न अस्लीकुम् औ किस्वतुहुम्
 औ तहरीरु र-क-बतिन्, फ-मल्लम्
 यजिद् फसियामु सलासति अय्यामिन्,
 ज़ालि-क कफ़ारतु ऐमानिकुम् इज़ा
 हलफ़तुम् व हफ़ज़ू ऐमानकुम्,
 कज़ालि-क युबरियनुल्लाहु लकुम्
 आयातिही लअल्लकुम् तश्कुरून (89)

नहीं पकड़ता तुमको अल्लाह तुम्हारी
 बेहूदा क़समों पर लेकिन पकड़ता है उस
 पर जिस क़सम को तुमने मज़बूत बाँधा
 सो उसका कफ़ारा खाना देना है दस
 मोहताजों को औसत दर्जे का खाना, जो
 देते हो अपने घर वालों को या कपड़ा
 पहना देना दस मोहताजों को, या एक
 गर्दन आज़ाद करनी, फिर जिसको मयस्सर
 न हो तो रोज़े रखने हैं तीन दिन के, यह
 कफ़ारा है तुम्हारी क़समों का जब क़सम
 खा बैठो, और हिफ़ाज़त रखो अपनी
 क़समों की, इसी तरह बयान करता है
 अल्लाह तुम्हारे लिये अपने हुक्म ताकि
 तुम एहसान मानो। (89)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक़

ऊपर हलाल और पाक चीज़ों का ज़िक्र था, चूँकि यह हराम करना कई बार क़सम के ज़रिये
 होता है इसलिये आगे क़सम खाने का हुक्म बयान हुआ है।

खुलासा-ए-तफसीर

अल्लाह तआला तुम्हारी (दुनियावी) पकड़ नहीं फ़रमाते (यानी कफ़ारा वाजिब नहीं करते)
 तुम्हारी क़समों में लख "यानी बेअसर" क़सम (तोड़ने) पर, लेकिन (ऐसी) पकड़ इस पर फ़रमाते
 हैं कि तुम क़समों को (आगे की बात पर) मज़बूत करो (और फिर तोड़ दो), सो उस (क़सम के
 तोड़ने) का कफ़ारा (यह है कि) दस मोहताजों को खाना देना है दरमियानी दर्जे का जो अपने
 घर वालों को (मामूली तौर पर) खाने को दिया करते हो, या उन (दस मोहताजों) को कपड़ा देना
 (औसत दर्जे का) या एक गर्दन (यानी एक गुलाम या बाँदी) आज़ाद करना (यानी तीनों में से
 जिसको चाहे इख्तियार कर ले) और जिसको (इन तीनों में से एक भी) हासिल न हो तो (उसका
 कफ़ारा) तीन दिन के (लगातार) रोज़े हैं। यह (जो मज़कूर हुआ) कफ़ारा है तुम्हारी (ऐसी)
 क़समों का, जबकि तुम क़सम खा लो (और फिर उसको तोड़ दो), और (चूँकि यह कफ़ारा
 वाजिब है इसलिये) अपनी क़समों का ख्याल रखा करो (कभी ऐसा न हो कि क़सम को तोड़ दो
 और कफ़ारा न दो, और अल्लाह तआला ने जिस तरह तुम्हारी दुनियावी व दीनी मस्तेहतों की

रियायत करके बयान फरमाया है) इसी तरह अल्लाह तआला तुम्हारे वास्ते अपने (दूसरे) अहकाम (भी) बयान फरमाते हैं ताकि तुम (इस नैमत यानी मख्तूक की मस्लेहतों की रियायत का) अम्न अदा करो।

मआरिफ व मसाईल

कसम खाने की चन्द सूतों और उनसे संबन्धित अहकाम

इस आयत में कसम खाने की चन्द सूतों का बयान है। कुछ का बयान सूर: ब-करह में भी गुजर चुका है, और खुलासा सब का यह है कि अगर किसी पहले गुजरे वाकिए पर जान-बूझकर झूठी कसम खाये, इसको फुकहा की इस्तिलाह में यमीन-ए-गमूस कहते हैं। मतलब एक शख्स ने कोई काम कर लिया है, और वह जानता है कि मैंने यह काम किया है, और जान-बूझकर कसम खा ले कि मैंने यह काम नहीं किया, यह झूठी कसम सख्त गुनाह है और दुनिया व आखिरत के बवाल का सबब है, मगर इस पर कोई कफ़ारा वाजिब नहीं है, तौबा व इस्तिग़फ़ार लाज़िम है। इसी लिये इसको फुकहा की इस्तिलाह में यमीन-ए-गमूस कहा जाता है, क्योंकि गमूस के मायने डुबा देने वाले के हैं, यह कसम इनसान को गुनाह और कफ़ार में गर्क कर देने वाली है।

दूसरी सूत यह है कि किसी गुजरे वाकिए पर अपने नज़दीक सच्चा समझकर कसम खा ली और वास्तव में वह ग़लत हो। मतलब किसी माध्यम से यह मालूम हुआ कि फुलों शक़्त गया है, उस पर भरोसा करके उसने कसम खा ली कि वह आ गया है, फिर मालूम हुआ कि असलियत के खिलाफ़ है, इसको यमीन-ए-लग्व कहते हैं। इसी तरह बिना इरादे के जबान लफ़्ज़ कसम निकल जाये तो इसको भी यमीन-ए-लग्व कहा जाता है। इसका हुक्म यह है कि इस पर कफ़ारा है न गुनाह।

तीसरी सूत कसम की यह है कि आने वाले ज़माने में किसी काम के करने या न करने कसम खाये इसको यमीन-ए-मुन्अकिदा कहा जाता है। इसका हुक्म यह है कि इस कसम तोड़ने की सूत में कफ़ारा वाजिब होता है, और कुछ सूतों में इस पर गुनाह भी होता है, में नहीं होता।

इस जगह कुरआने करीम की उक्त आयत में बज़ाहिर लग्व से वही कसम मुराद है कि पर कफ़ारा नहीं, चाहे गुनाह हो या न हो। क्योंकि 'अक्कल्लुमुल-ऐमान' (जिस कसम को तुम मज़बूत बाँधा हो) के मुकाबिले में मज़कूर है, जिससे मालूम हुआ कि यहाँ पकड़ से मुराद दुनिया की पकड़ है, जो कफ़ारे की सूत में होती है।

और सूर: ब-करह की आयत में इरशाद है:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْفُغْرِ بَلَىٰ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ

इसमें लग्व से मुराद वह कसम है जो बिना इरादे के जबान से निकल जाये, या ज

नज़दीक सच्ची बात समझकर कसम खा ले मगर वह हकीकत में गलत निकले। इसके मुक़ाबले में वह कसम बयान हुई है जिसमें जान-बूझकर झूठ बोला गया हो, जिसको यमीन-ए-ग़मूस कहते हैं। इसलिये इस आयत का हासिल यह हुआ कि यमीन-ए-लग्व पर तो कोई गुनाह नहीं, बल्कि गुनाह यमीन-ए-ग़मूस पर है, जिसमें इरादा करके झूठ बोला गया हो। तो सूर: ब-क़रह में आख़िरत के गुनाह का हुक्म बयान है, और सूर: मायदा की उक्त आयत में दुनियावी हुक्म यानी कफ़ारे का। जिसका हासिल यह हुआ कि यमीन-ए-लग्व पर अल्लाह तआला तुमसे पूछगछ और पकड़ नहीं करता, यानी कफ़ारा वाजिब नहीं करता, बल्कि कफ़ारा सिर्फ़ उस कसम पर लाज़िम करता है जो आने वाले ज़माने में किसी काम के करने या न करने के बारे में आयोजित की हो और फिर उसको तोड़ दिया हो। इसके बाद कफ़ारे (बदले) की तफ़सील इस तरह इरशाद फरमाई है:

لَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.

यानी तीन कामों में से कोई एक अपने इख़्तियार से कर लिया जाये- अव्वल यह कि दस मिस्कीनों को दरमियानी दर्जे का खाना सुबह व शाम दो वक़्त खिला दिया जाये, या यह कि दस मिस्कीनों को सतर ढाँपने के बक़दर कपड़ा दे दिया जाये। मसलन एक पाजामा या तहबन्द या लम्बा कुर्ता। या किसी गुलाम को आज़ाद कर दिया जाये।

इसके बाद इरशाद है:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

यानी अगर किसी कसम तोड़ने वाले को इस माली कफ़ारे के अदा करने पर कुदरत (ताक़त व गुंजाईश) न हो कि न दस मिस्कीनों को खाना खिला सके न कपड़ा दे सके और न गुलाम आज़ाद कर सके तो फिर उसका कफ़ारा यह है कि तीन दिन रोज़े रखे। कुछ रिवायतों में इस जगह तीन रोज़े लगातार रखने का हुक्म आया है, इसी लिये इमामे आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि और कुछ दूसरे इमामों के नज़दीक कसम के कफ़ारे के तीन रोज़े लगातार होने ज़रूरी हैं।

उक्त आयत में कसम के कफ़ारे के बारे में अव्वल लफ़ज़ इतज़ाम आया है, और इतज़ाम के भायने अरबी लुग़त के एतिबार से खाना खिलाने के भी आते हैं और किसी को खाना दे देने के भी, इसलिये फुकह हज़रात ने इस आयत का यह मफ़हम करार दिया है कि कफ़ारा देने वाले को दोनों बातों का इख़्तियार है, कि दस मिस्कीनों की दावत करके खाना खिलाये, या खाना उनकी मिल्कियत में दे दे। मगर पहली सूत में यह ज़रूरी है औसत दर्जे का खाना जो वह आम तौर पर अपने घर खाता है दस मिस्कीनों को दोनों वक़्त पेट भरकर खिला दे, और दूसरी सूत में एक मिस्कीन को एक फितरे के बराबर दे दे। मसलन पौने दो सैर गेहूँ या उसकी कीमत, तीनों में से जो चाहे इख़्तियार करे, लेकिन रोज़ा रखना सिर्फ़ उस सूत में काफी हो सकता है जबकि इन तीनों में से किसी पर कुदरत (ताक़त व गुंजाईश) न हो।

कसम टूटने से पहले कफ़ारे की अदायेगी मोतबर नहीं

आयत के आखिर में तंबीह के लिये दो बातें इरशाद फरमायी गयी हैं। पहली:

ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِّأَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

यानी यह है कफ़ारा तुम्हारी कसम का जब तुमने कसम खाई।

इमामे आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि और दूसरे ज्यादातर इमामों के नज़दीक इसका मतलब यह है कि जब तुम किसी आगे आने वाले वक़्त में काम करने या न करने पर हलफ़ करो (कसम खाओ) और फिर उसके खिलाफ़ हो जाये तो उसका कफ़ारा वह है जो ऊपर जिक्र किया गया है। इसका ह्रासिल यह है कि कफ़ारे की अदायेगी कसम टूटने के बाद होनी चाहिये, कसम तोड़ने से पहले अगर कफ़ारा दे दिया जाये तो वह मोतबर न होगा। वजह यह है कि कफ़ारा लाज़िम होने का सबब कसम तोड़ना है, जब तक कसम नहीं टूटी तो कफ़ारा वाजिब ही नहीं हुआ। तो जैसे वक़्त से पहले नमाज़ नहीं होती, रमज़ान से पहले रमज़ान का रोज़ा नहीं होता, इसी तरह कसम टूटने से पहले कसम का कफ़ारा भी अदा नहीं होता।

इसके बाद इरशाद फरमाया:

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ

यानी अपनी कसमों की हिफ़ाज़त करो।

मतलब यह है कि अगर किसी चीज़ की कसम खा ली है तो बिना शर्ई या तबई ज़रूरत के कसम को न तोड़ो। और कुछ हज़रात ने फरमाया कि इससे मुराद यह है कि कसम खाने में जल्द-बाजी से काम न लो, अपनी कसम की हिफ़ाज़त करो, जब तक सख़्त मजबूरी न हो कसम न खाओ। (तफसीर-ए-मज़हरी)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝

या अय्युहल्लजी-न आमनू इन्नमल्-
खामरु वल्-मैसिरु वल्-अन्साबु
वल्-अज़्लामु रिज्सुम्-मिन् अ-मलिश्-
-शैतानि फज़्तनिबूहु लअल्लकुम्
तुफिलहून (90) इन्नमा युरीदुशैतानु

ऐ इमान वालो! यह जो है शराब और
जुआ और बुत और पाँसे सब मन्दे का
हैं शैतान के, सो इनसे बचते रहो ताकि
तुम निजात पाओ। (90) शैतान तो यहा
चाहता है कि डाले तुम में दुश्मनी और

अंयूकि-अ बैनकुमुल्-अदा-व-त
 वल्-बग्ज़ा-अ फिल्दामि वल्मैसिरि
 व यसुददकुम् अन् जिक्विरल्लाहि व
 अनिस्सलाति फ-हल् अन्तुम् मुन्तहून
 (91) व अतीजुल्ला-ह व अतीजुर-
 -रसू-ल वस्ज़रू फ-इन् तवल्लैतुम्
 फज़्लमू अन्नमा अला रसूलिनल्
 बलागुल्-मुबीन (92)

बैर शराब और जुए के द्वारा, और रोके
 तुमको अल्लाह की याद से और नमाज
 से, सो अब भी तुम बाज़ आओगे। (91)
 और हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म
 मानो रसूल का और बचते रहो, फिर
 अगर तुम फिर जाओगे तो जान लो कि
 हमारे रसूल का जिम्मा सिर्फ पहुँचा देना
 है खोलकर। (92)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से जोड़

ऊपर हलाल चीज़ों के विशेष तौर पर छोड़ देने की मनाही थी, आगे कुछ हराम चीज़ों के इस्तेमाल की मनाही है।

खुलासा-ए-तफसीर

ऐ ईमान वाले! (बात यही है कि) शराब और जुआ और बुत (बगैरह) और कुर्आ डालने के तौर (ये सब) गन्दे शैतानी काम हैं, सो इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुमको (इनके नुकसानात से बचने की वजह से जो आगे बयान हुए हैं) कामयाबी हो। (और वह नुकसानात दुनियावी भी हैं और दीनी भी, जिनका बयान यह है कि) शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिये से तुम्हारे आपस (के बर्ताव) में दुश्मनी और (दिलों में) बुग़ज़ पैदा कर दे (चुनाँचे ज़ाहिर है कि शराब में तो अक्ल नहीं रहती, गाली-गलोज़ दंगा-फ़साद हो जाता है, जिससे बाद में भी तबई तौर पर नासज़गी बाकी रहती है, और जुए में जो शख्स मग़लूब होता है उसको ग़ालिब आने वाले पर रंज व गुस्सा आता है, और जब उसको रंज होगा दूसरे पर भी उसका असर पहुँचेगा। यह तो दुनियावी नुकसान हुआ) और (शैतान यूँ चाहता है कि इसी शराब और जुए के ज़रिये से) अल्लाह तआला की याद से और नमाज़ से (जो कि अल्लाह की याद का सबसे बेहतर तरीक़ा है) तुमको रोक दे। (चुनाँचे यह भी ज़ाहिर है, क्योंकि शराब में तो उसके होश ही अपनी जगह नहीं होते और जुए में ग़ालिब यानी ऊपर रहने वाले को तो सुरूर व नशा इस क़द्र होता है कि वह उसमें डूबा रहता है, और मग़लूब को हारने और पस्त होने का रंज व ग़म और फिर ग़ालिब आने की कोशिश इस दर्जा होती है कि उससे छुटकारा नहीं होता, यह दीनी नुकसान हुआ। जब ये ऐसी बुरी चीज़ें हैं) सो (बतलाओ) अब भी बाज़ (नहीं) आओगे? और तुम (तमाप अहकाम में) अल्लाह तआला की इताअत करते रहो और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की इताअत

करते रहे और (हुक्म की मुखालफ़त व उल्लंघन से) एहतियात रखो। और अगर (फ़रमाँबरदार से) मुँह मोड़ोगे तो यह जान रखो कि हमारे रसूल के जिम्मे (हुक्म का) सिर्फ़ साफ़-साफ़ पहुँचा देना था (और वह इसको बखूबी अन्जाम दे चुके और तुमको अहकाम पहुँचा चुके, अब तुम्हारे पास किसी उज़्र की गुंजाईश नहीं रही)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

कायनात की पैदाईश इनसान के लाभ उठाने के लिये है

इन आयतों में बतलाना यह मन्ज़ूर है कि मालिके कायनात ने सारी कायनात को इनसान की ख़िदमत के लिये पैदा फ़रमाया और हर एक चीज़ को इनसान की खास-खास ख़िदमत लगा दिया है, और इनसान को कायनात का मख़दूम बनाया है। इनसान पर सिर्फ़ एक पाबन्दा लगा दी कि हमारी मख़्लूक़ात से नफ़ा उठाने की जो हदें हमने मुक़र्रर कर दी हैं उनसे आगे बढ़ना। जिन चीज़ों को तुम्हारे लिये हलाल और पाक बना दिया है उनसे परहेज़ करना बेअदब और नाशुक्रि है, और जिन चीज़ों के किसी खास इस्तेमाल को हराम करार दे दिया है उसे ख़िलाफ़वर्ज़ी (हुक्म के ख़िलाफ़) करना नाफ़रमानी और बग़ावत है। बन्दे का काम यह है कि मालिक की हिदायत के मुताबिक़ उसकी मख़्लूक़ात (बनाई हुई और पैदा की हुई चीज़ों) इस्तेमाल करे, इसी का नाम बन्दगी है।

पहली आयत में शराब, जुआ, बुत, और जुए के तीर, चार चीज़ों का हराम होना बयान है। इसी मज़मून की एक आयत तकरीबन ऐसे ही अलफ़ाज़ के साथ सूर: ब-क़रह में भी आ चुकी है, जो यह है:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

इसमें इन चार चीज़ों को रिजूस फ़रमाया। रिजूस अरबी भाषा में ऐसी गन्दी चीज़ को कहा जाता है जिससे इनसान की तबीयत को धिन और नफ़रत पैदा हो। ये चारों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनसान ज़रा भी सही अक़्ल और सलामती वाली तबीयत रखता हो तो खुद-बखुद ही इन चीज़ों से उसको धिन और नफ़रत होगी।

'अज़लाम' की वज़ाहत

उन चार चीज़ों में से एक अज़लाम है जो ज़लम् की जमा (बहुवचन) है। अज़लाम उन तीरों को कहा जाता है जिन पर कुर्आ डालकर अरब में जुआ खेलने की रस्म जारी थी, जिसकी सूचना यह थी कि दस आदमी साझे में एक ऊँट जिबह करते थे, फिर उसका गोश्त तकसीम करने के लिये बजाय इसके कि दस हिस्से बराबर करके तकसीम करते, उसमें इस तरह जुआ खेलते कि दस अदद तीरों में सात तीरों पर कुछ मुक़र्रर हिस्सों के निशानात बना लेते थे, किसी पर एक किसी पर दो या तीन और तीन तीरों को सादा रखा होता था। उन तीरों को तरक़श में डालकर

हिलाते थे, फिर एक-एक साझी के लिये एक-एक तीर तरकश में से निकालते और जितने हिस्सों का तीर किसी के नाम पर निकल आये वह उन हिस्सों का हकदार समझा जाता था, और जिसके नाम पर सादा (खाली) तीर निकल आये वह हिस्से से मेहरूम रहता था। जैसे आजकल बाजारों में लॉटरी के तरीके पर बहुत सी किस्में जारी हैं, इस तरह की कुर्आ-अन्दाजी किमार यानी जुआ है, जो कुरआने करीम की हिदायत के अनुसार हराम है।

कुर्आ डालने की जायज सूरत

हैं एक तरह की कुर्आ-अन्दाजी जायज और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है। वह यह कि जब हुक्क सब के बराबर हों और हिस्से भी बराबर तकसीम कर दिये गये हों, फिर उनमें से हिस्सों का निर्धारण कुर्आ-अन्दाजी के द्वारा कर लिया जाये। मसलन एक मकान चार साझियों में तकसीम करना है तो कीमत के लिहाज से चार हिस्से बराबर लगा लिये गये, अब यह मुतैयन करना कि कौनसा हिस्सा किस साझी के पास रहे, इसको मुतैयन करना अगर आपस में समझौते और रज़ामन्दी से न हो तो यह भी जायज है कि कुर्आ-अन्दाजी करके जिसके नाम पर जिस तरफ का हिस्सा निकल आये उसको दे दिया जाये। या किसी चीज़ के इच्छुक एक हजार हैं और सब के हुक्क बराबर हैं, मगर जो चीज़ तकसीम करनी है वो कुल सौ है, तो इसमें कुर्आ-अन्दाजी (लॉटरी) से फैसला किया जा सकता है।

अज़लाम की कुर्आ-अन्दाजी के जरिये गोश्त तकसीम करने की जाहिलाना रस्म की हुर्मत (हराम होना) सूर: मायदा ही की एक आयत में पहले आ चुकी है:

وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ.

खुलासा यह है कि उक्त आयत में जिन चार चीज़ों का हराम होना मज़कूर है उनमें से दो यानी "मैसिर" और "अज़लाम" नतीजे के एतिबार से एक ही हैं, बाकी दो में एक "अनसाब" है जो "नुसुब" की जमा (बहुवचन) है। ऐसी चीज़ को नुसुब कहा जाता है जो इबादत के लिये खड़ी की गयी हो, चाहे बुत हो या कोई पेड़, पत्थर वगैरह।

शराब और जुए की जिस्मानी और खहानी खराबियाँ

आयत के शाने नुजूल (उतरने के मौके और सबब) और इसके बाद वाली आयत से मालूम होता है कि इस आयत में असल मकसूद दो चीज़ों की हुर्मत (हराम होना) और खराबियों का बयान करना है, यानी शराब और जुआ। अनसाब यानी बुतों का जिक्र उसके बाद इसलिये मिला दिया गया है कि सुनने वाले समझ लें कि शराब और जुए का मामला ऐसा सख्त जुर्म है जैसे बुतों को पूजना।

हदीस की किताब इब्ने माजा की एक हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया:

شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَتَنِ.

“यानी शराब पीने वाला ऐसा मुजरिम है जैसे बुत को पूजने वाला।”

और कुछ रिवायतों में है:

شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْأَلْبَتِ وَالْعُزَى.

“यानी शराब पीने वाला ऐसा है जैसा लतें व उज्जा की पूजा करने वाला।”

खुलासा-ए-कलाम यह हुआ कि यहाँ शराब और जुए की सख्त हुर्मत और उनकी रूह और जिस्मानी खराबियों का बयान है। पहले रूहानी और मानवी खराबियाँ ‘रिजूसुम रि अ-मलिशैतानि’ के अलफ़ाज़ में बयान कीं, जिनका मफ़हूम यह है कि ये चीज़ें सही फ़ितरत नज़दीक गन्दी, काबिले नफ़रत चीज़ें और शैतानी जाल हैं, जिनमें फंस जाने के बाद इनसे बेशुमार बुराईयों और घातक खराबियों के गड्ढे में जा गिरता है। ये रूहानी खराबियाँ बयान फरमाने के बाद हुक्म दिया गया:

فَاجْتَنِبُوا.

कि जब ये चीज़ें ऐसी हैं तो इनसे परहेज़ करो और बचो।

आखिर में फरमाया:

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ.

जिसमें बतला दिया गया कि तुम्हारी दुनिया व आखिरत की फ़लाह और कामयाबी इसी पर निर्भर है कि इन चीज़ों से परहेज़ करते रहो।

इसके बाद दूसरी आयत में शराब और जुए के दुनियावी और ज़ाहिरी नुकसानात व खराबियों का बयान इस तरह बयान फरमाया गया:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُرْغِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ.

“यानी शैतान यह चाहता है कि तुम्हें शराब और जुए में मुबल्ला करके तुम्हारे बीच बुग़ज़ दुश्मनी की बुनियादें डाल दे।”

• इन आयतों का नुज़ूल (अल्लाह की तरफ़ से उतरना) भी कुछ ऐसे ही वाकिअत के बारे हुआ है कि शराब के नशे में ऐसी हरकतें सादिर हुईं जो आपसी नाराज़गी व गुस्से और लि लड़ाई-झगड़े का सबब बन गयीं, और यह कोई इत्तिफ़ाकी घटना नहीं थी बल्कि शराब के नशे जब आदमी अक्ल खो बैठता है तो उससे ऐसी हरकतों का हो जाना लाजिमी जैसा हो जाता है।

इसी तरह जुए का मामला है कि हारने वाला अगरचे अपनी हार मानकर उस वक़्त नुक़स उठा लेता है, मगर अपने मुक़ाबिले पर नाराज़गी व गुस्से और नफ़रत व दुश्मनी उसके लाज़ि असरात में से है। हज़रत क़तादा रह: इस आयत की तफ़सीर में फरमाते हैं कि कुछ अरब व की आदत थी कि जुए में अपने बाल-बच्चों, घर वालों और माल व सामान सब को हार इन्तिहाई दुख व परेशानी की जिन्दगी गुज़ारते थे।

आयत के आखिर में फिर इन चीज़ों की एक और खराबी इन अलफ़ाज़ में इरशाद फरमाई:

وَيَتَصَدَّقُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

“यानी ये चीज़ें तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज़ से ग़ाफ़िल कर देती हैं।”

यह ख़राबी बज़ाहिर रूहानी और आख़िरत की ख़राबी है, जिसको दुनियावी ख़राबी के बाद होवारां ज़िक्र फ़रमाते हैं। इसमें इशारा हो सकता है कि असल काबिले गौर और विचारनीय यह ज़िन्दगी है जो हमेशा रहने वाली है, अक़्लमन्द के नज़दीक उसी की बेहतरी वांछित और पसन्दीदा होनी चाहिये, और उसी के ख़राब होने से डरना चाहिये। दुनिया की चन्द दिन की ज़िन्दगी की ख़ूबी न कोई काबिले फ़ख्र चीज़ है, न ख़राबी ज़्यादा काबिले रंज व ग़म है, क्योंकि इसकी दोनों हालतें चन्द दिन में ख़त्म हो जाने वाली हैं।

और यह भी कहा जा सकता है कि अल्लाह के ज़िक्र और नमाज़ से ग़फ़लत यह दुनिया व आख़िरत और जिस्म व रूह दोनों के लिये नुक़सानदेह है। आख़िरत और रूह के लिये नुक़सानदेह होना तो ज़ाहिर है कि अल्लाह से ग़ाफ़िल, बेनमाज़ी की आख़िरत तबाह और रूह मुर्दा है, और ज़रा गौर से देखा जाये तो अल्लाह से ग़ाफ़िल की दुनिया भी बबाले जान होती है कि जब अल्लाह से ग़ाफ़िल होकर उसका सबसे बड़ा और अहम मक़सद माल व दौलत और इज़्ज़त व रुतबा हो जाये तो वे इतने बखेड़े अपने साथ लाते हैं कि वे खुद अपनी जगह एक मुस्तफ़िल ग़म होते हैं जिसमें मुब्तला होकर इनसान अपने असल मक़सद यानी राहत व आराम और इत्मीनान व सुकून से मेहरूम हो जाता है, और राहत व आराम के उन असबाब में ऐसा मस्त हो जाता है कि खुद राहत को भी भूल जाता है। और अगर किसी वक़्त यह माल व दौलत या इज़्ज़त व रुतबा जाते रहें या इनमें कमी आ जाये तो इनके ग़म और रंज की इन्तिहा नहीं रहती। गुर्ज़ कि यह ख़ालिस दुनियादार इनसान दोनों हालतों में रंज व फ़िक्र और ग़म व परेशानी में घिरा रहता है:

अगर दुनिया नबाशद दर्द-मन्देम

वगर बाशद ब-मेहरश पा-ए-बन्देम

यानी अगर दुनिया न हो तो एक ही ग़म है उसके न होने का, और अगर दुनिया हो तो वह मुस्तफ़िल एक अज़ाब, फंदा और बेड़ी है। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

बख़िलाफ़ उस शख्स के जिसका दिल अल्लाह की याद से रोशन और नमाज़ के नूर से सुन्वर है। दुनिया के माल व दौलत और रुतबे व पद उसके कदमों पर गिरते हैं, और उनको सही राहत व आराम पहुँचाते हैं, और अगर ये चीज़ें जाती रहें तो उनके दिल इससे मुतास्सिर नहीं होते। उनका यह जाल होता है:

न शादी दाद सामाने न ग़म आवुर्द नुक़साने

ब-पेशे हिम्मते मा हर चे आमद बूद महमाने

यानी न कोई फ़ायदा हमें खुशी में मस्त कर सकता है और न कोई नुक़सान रंज व ग़म का कारण बन सकता है। हम अपनी हिम्मत व ज़ुर्त से हर पेश आने वाली हालत का ज़िन्दा दिली से सामना करते हैं। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

खुलासा यह है कि अल्लाह के जिक्र और नमाज़ से गफ़लत अगर गौर से देखा जाये तो आखिरत और दुनिया दोनों के एतियार से खराबी है, इसलिये मुम्किन है कि 'रिजसुम गि अ-मलिशैतानि' से ख़ालिस आखिरत का और रुहानी नुक़सान बयान करना मक़सूद हो, और 'यूकि-अ बैनकुमुल-अदाव-त वल्बगज़ा-अ' से ख़ालिस दुनियावी और जिस्मानी ख़राबी बतला हो, और 'यसुद्वकुम् अन् जिक्विरल्लाहि व अनिस्सलाति' से दीन व दुनिया की संयुक्त तबाही बरबादी का जिक्र करना मक़सूद हो।

यहाँ यह बात भी काबिले गौर है कि अल्लाह के जिक्र में तो नमाज़ भी दाख़िल है, कि नमाज़ को अलग से बयान करने में क्या हिक्मत है? वजह यह है कि इसमें नमाज़ की अहमि और अल्लाह के जिक्र की तमाम किस्मों में अफ़ज़ल व बेहतर होने की तरफ़ इशारा करने लिये नमाज़ को मुस्तक़िल तौर पर जिक्र फ़रमाया गया है।

और तमाम दीनी और दुनियावी, जिस्मानी और रुहानी ख़राबियों की तफ़सील बतलाने बाद उन चीज़ों से बाज़ रखने की हिदायत एक अजीब दिल को छू लेने वाले अन्दाज़ से फ़रमाया है। इरशाद होता है:

قَهْلَ اَنْتُمْ مُتَهَرُونَ

यानी जब ये सारी ख़राबियाँ तुम्हारे इल्म में आ गयीं तो अब भी इनसे बाज़ आओगे।

इन दोनों आयतों में शराब और जुए वगैरह की हुर्मत (हराम होना) और सख़्त मनाही का बयान था, जो अल्लाह के कानून की एक धारा है। तीसरी आयत में इस हुक्म को आसान करने और इस पर अमल को आसान बनाने के लिये कुरआने करीम ने अपने बयान के ख़ास अन्दाज़ के तहत इरशाद फ़रमाया:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

जिसका हासिल यह है कि अल्लाह तआला और उसके रसूल की इताअत (फ़रमाँबरदारी) का हुक्म तुम्हारे फ़ायदे के लिये है, अगर तुम न मानो तो न अल्लाह जल्ल शानुहू का कोई नुक़सान है न उसके रसूल का। अल्लाह तआला का इस नफ़े व नुक़सान से ऊपर होना तो जाहिर रसूल के बारे में किसी को यह ख़्याल हो सकता था कि जब उनकी बात न मानी गयी तो उन्हें अज़्र व सवाब या क़द्र व मक़ाम में शायद कुछ फ़र्क आ जाये, इस शुब्हे को दूर करने के लिये इरशाद फ़रमाया:

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

यानी अगर तुम में से कोई भी हमारे रसूल की बात न माने तब भी उनकी क़द्र व रुतबे कोई फ़र्क नहीं आता। क्योंकि जितना काम उनके सुपुर्द था वह कर चुके, यानी साफ़-साफ़ तौर पर बाज़ेह करके अल्लाह तआला के अहकाम पहुँचा देना। उसके बाद जो शख्स नहीं मानता अपना नुक़सान करता है, हमारे रसूल का इससे कुछ नहीं बिगड़ता।

۱۲
ع
۲

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكْمٌ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَتَخَذُ بِالْغَيْبِ عِشْرًا مِمَّنْ
 ذَلِكَ فَكَذَلِكَ عَذَابُ الْيَوْمِ ﴿٩٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
 فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ
 أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا يَبْدُؤُا وَبِالْأَصْرِ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ
 اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ
 صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

लै-स अलल्लजी-न आमनू व
 अमिलुस्सालिहाति जुनाहुन् फ़ीमा
 तअिमू इज़ा मत्तकौ व आमनू व
 अमिलुस्सालिहाति सुम्मत्तकौ व
 आमनू सुम्मत्तकौ व अहसनू वल्लाहु
 युहिब्बुल्-मुत्सिनीन. (93) ❀

या अय्युहल्लजी-न आमनू
 ल-यब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशै इम्
 मिनस्सैदि तनालुहू ऐदीकुम् व
 रिमाहुकुम् लि-यअ-लमल्लाहु
 मय्यखाफुहू बिलौबि फ-मनिअत्तदा
 बअ-दजालि-कफ-लहू अजाबुन्
 अलीम (94) या अय्युहल्लजी-न
 आमनू ला तकतुलुस्सै-द व अन्तुम्
 हुरमुन्, व मन् क-त-लहू मिन्कुम्

जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये
 उन पर गुनाह नहीं उसमें जो कुछ पहले
 खा चुके जबकि आईन्दा को डर गये और
 ईमान लाये और नेक अमल किये, फिर
 डरते रहे और यकीन किया फिर डरते रहे
 और नेकी की, और अल्लाह दोस्त रखता
 है नेकी करने वालों को। (93) ❀

ऐ ईमान वाले! अलबत्ता तुम को
 आजमायेगा अल्लाह एक बात से उस
 शिकार में कि जिस पर पहुँचे हैं हाथ
 तुम्हारे और नेजे तुम्हारे, ताकि मालूम करे
 अल्लाह कि कौन उससे डरता है बिन
 देखे, फिर जिसने ज्यादाती की उसके बाद
 तो उसके लिये दर्दनाक अज़ाब है। (94)
 ऐ ईमान वाले! न मारो शिकार जिस
 वक्त-तुम हो एहराम में, और जो कोई
 तुम में उसको मारे जानकर तो उस पर

मु-तअम्मिदन् फ-जजाउम्-मिस्तु मा
 क-त-ल मिनन्न-अमि यस्कुमु बिही
 जवा अदलिम्-मिन्कुम् हद्यम्
 बालिगल्-कअ-बति औ कफफारतुन्
 तआमु मसाकी-न औ अद्लु जालि-क
 सियामल्-लियजू-क व बा-ल अमिही,
 अफल्लाहु अम्मा स-लफ, व मन्
 आ-द फ-यन्तकिमुल्लाहु मिन्हु,
 वल्लाहु अजीजुन् जुन्तिकाम (95)
 उहिल्-ल लकुम् सैदुल्बस्त्रि व तआमुहू
 मताअल्-लकुम् व लिस्सय्या-रति व
 हरि-म अलैकुम् सैदुल्बस्त्रि मा दुम्तुम्
 हुरुमन्, वत्तकुल्लाहल्लजी इलैहि
 तुहशरून (96)

बदला है उस मारे हुए के बराबर जानवरों
 में से, जो तजवीज करें दो मोतब,
 आदमी तुम में से, इस तरह से कि वह
 बदले का जानवर नियाज के तौर पर
 पहुँचाया जाये काबे तक, या उस पर
 कफफारा है चन्द मोहताजों को खिलाना,
 या उसके बराबर रोजे ताकि चखे सर्ज,
 अपने काम की, अल्लाह ने माफ किया,
 जो कुछ हो चुका और जो कोई फिर
 करेगा उससे बदला लेगा अल्लाह, और
 अल्लाह जबरदस्त है बदला लेने वाला।
 (95) हलाल हुआ तुम्हारे लिए दरिया का
 शिकार और दरिया का खाना, तुम्हारे
 फायदे के वास्ते और सब मुसाफिरों के,
 और हराम हुआ तुम पर जंगल का
 शिकार जब तक तुम एहराम में रहो, और
 डरते रहो अल्लाह से जिसके पास तुम
 जमा होगे। (96)

इन आयतों के मजमून का पीछे से संबन्ध

तफसीर लुबाब में मुस्नद अहमद से हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से
 मन्कूल है कि जब ऊपर की आयत में शराब व जुए के हराम होने का हुक्म नाजिल हो चुका तो
 कुछ लोगों ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! बहुत से आदमी जो कि शराब पीते थे और जुए को
 माल खाते थे, और इनके हराम होने से पहले मर गये, और अब मालूम हुआ कि ये चीजें हराम
 हैं, उनका क्या हाल होगा? इस पर आयत नम्बर 93 नाजिल हुई।

और पीछे आयत:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ

(यानी आयत 87) में पाक व हलाल चीजों को हराम करने की मनाही का जिक्र था। अ

आयत:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْئُوتَنَّكُمْ اللَّهُ بِمَا فِي بَيْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(यानी आयत 94) से बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तआला को मुकम्मल इख्तियार हासिल

है कि खास हालत में खास-खास चीज़ों को हराम करार दे दें। (तफ़सीर बयानुल-कुरआन)

खुलासा-ए-तफ़सीर

ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, उस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जिसको वे खाते-पीते हों (और इस वक़्त वह हलाल हो अगरचे बाद में हराम हो जाये, और उनको गुनाह कैसे होता) जबकि (गुनाह को चाहने वाली कोई चीज़ मौजूद न हो बल्कि एक रोकने वाली चीज़ मौजूद हो, वह यह कि) वे लोग (खुदा के ख़ौफ़ से उस वक़्त की नाजायज़ चीज़ों से) परहेज़ रखते हों, और (दलील इस ख़ौफ़ की यह हो कि वे लोग) ईमान रखते हों (जो कि खुदा से डरने का सबब है) और नेक काम करते हों (जो कि अल्लाह के ख़ौफ़ की निशानी है, और इसी हालत पर वे उग्र भर रहें। चुनाँचे अगर वह हलाल चीज़ जिसको पहले खाते-पीते थे आगे कभी चलकर हराम हो जाये तो) फिर (उससे भी इसी ख़ौफ़े खुदा के सबब) परहेज़ करने लगते हों और (उस ख़ौफ़ की भी दलील पहले की तरह यही हो कि वे लोग) ईमान रखते हों, फिर परहेज़ करने लगते हों और ख़ूब नेक अमल करते हों (जो कि मौक़ूफ़ हैं ईमान पर। पस यहाँ भी सबब और निशानी ख़ौफ़े खुदा की इकट्ठी हैं। मतलब यह कि हर बार के दोबारा-तिबारा हराम होने में उनका यही अमल दरामद हो, कुछ दो-तीन बार की खुसूसियत नहीं। पस बावजूद रुकावट और निरन्तर बाधा के हमारे फ़ज़ल से बहुत दूर की बात है कि वे गुनाहगार हों) और (उनका फ़रमाँबरदारी और नेकी इख़्तियार करने का यह खास तरीका सिर्फ़ गुनाह के लाज़िम होने से रुकावट ही नहीं बल्कि सवाब मिलने और अल्लाह के महबूब हो जाने को भी चाहता है, क्योंकि) अल्लाह तआला ऐसे नेक काम करने वालों से मुहब्बत रखते हैं (पस उनमें नापसन्दीदा होने का शुब्हा व गुमान तो कब हो सकता है, ये तो नापसन्दीदगी की हालत के बजाय महबूब होने का दर्जा रखते हैं)।

ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला किसी कद्र शिकार से तुम्हारा इम्तिहान करेगा जिन तक (तुमसे दूर-दूर न भागने के सबब) तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुँच सकेंगे (इम्तिहान का मतलब यह कि एहराम की हालत में जंगली और गैर-पालतू जानवरों के शिकार करने को तुम पर हराम करके जैसा कि आगे इसकी वज़ाहत आ रही है, उन गैर-पालतू जानवरों को तुम्हारे आस-पास फिराते रहेंगे) ताकि अल्लाह तआला (जाहिरी तौर पर भी) मालूम करें कि कौन शख्स उससे (यानी उसके अज़ाब से) बिन देखे डरता है (और हराम काम करने से जो कि अज़ाब का सबब है, बचता है। इसी से आशिक़ तौर पर यह भी मालूम हो गया कि यह शिकार हराम है) तो जो शख्स इस (हराम होने) के बाद (जिस पर इम्तिहान व परीक्षा होना भी दलालत कर रहा है, शरीअत की) हद से निकलेगा (यानी मना किये हुए शिकार का अपराधी होगा) उसके वास्ते दर्दनाक सज़ा (मुकरर) है। (चुनाँचे शिकारी जानवर इसी तरह आस-पास लगे फिरते थे, चूँकि सहाबा में बहुत से शिकार के आदी थे इसमें उनकी इताअत का इम्तिहान हो रहा था, जिसमें वे पूरे उतरे। आगे मनाही को और स्पष्ट रूप से बयान किया है कि) ऐ ईमान वालो! (जंगली)

शिकार को (उन्को छोड़कर जिनको शरीअत ने इस हुक्म से अलग कर दिया) क़त्ल मत करो जबकि तुम एहराम की हालत में हो (इसी तरह जबकि वह शिकार हरम में हो चाहे कि एहराम में न हो, उसका भी यही हुक्म है)। और जो शख्स तुम में से उसको जान-बूझकर क़त्ल करेगा तो उस पर (उसके फ़ेल की) सज़ा और जुर्माना वाजिब होगा, जो कि (कीमत के एहि से) बराबर होगा उस जानवर (की कीमत) के जिसको उसने क़त्ल किया है, जिस (के अन्ग) का फ़ैसला तुम में से दो मोतबर शख्स कर दें (जो कि दीनदारी में भी क़ाबिले एतिबार हों) और समझदारी व अनुभव में भी। फिर उस क़ातिल को अनुमानित कीमत के बाद इख़्तियार है (या) (उस कीमत का कोई ऐसा ही जानवर ख़रीद ले कि) वह जुर्माने (का जानवर) खास चौपायों से हो (यानी ऊँट, गाय भैस, भेड़, बकरी। नर हो या मादा) शर्त यह है कि नियाज़ के तौर पर काबा (शरीफ़ के पास) तक (यानी हरम के अन्दर) पहुँचाई जाए, और चाहे (उस कीमत के बराबर ग़ल्ला) कम्फ़ारा (अदा करने के तौर पर जो) कि ग़रीबों को दे दिया जाये, (यानी एहि मिस्कीन को एक सदका-ए-फ़ित्र के बराबर दिया जाये) चाहे उस (ग़ल्ले) के बराबर रोज़े रूके लिए जाएँ, (बराबरी की सूरत यह है कि हर मिस्कीन के हिस्से यानी फ़ितरे के बदले में एक रोज़ा और यह जुर्माना व सज़ा इसलिये मुकर्रर की है) ताकि अपने किए की शामत का मज़ा चखे। (बख़िलाफ़ उस शख्स के जिसने जान-बूझकर इरादे से शिकार न किया हो, कि अगर उस पर भी बदला तो यही वाजिब है मगर वह फ़ेल की सज़ा नहीं, बल्कि मौके और मक़ाम के सम्मानीय यानी हरम का शिकार, जो कि हरम की वजह से सम्मानीय या एहराम की वजह से सम्मानित हो गया है, उसका जि़सान और बदला है, और उस बदले के अदा कर देने से जो गुज़र गया अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। और जो शख्स फिर ऐसी ही हरकत करेगा (चिन्ति ज़्यादातर किसी काम को दोबारा करने में पहली बार की तुलना में ज़्यादा जुरत पाई जाती है) तो (इस वजह से उक्त बदले व जुर्माने के अलावा जो कि असल फ़ेल या मक़ाम का बदला आख़िरत में) अल्लाह उससे (इस जुरत का) इन्तिक़ाम लेंगे, (अलबत्ता अगर तौबा कर ले तो इन्तिक़ाम की वजह ख़त्म हो जायेगी) और अल्लाह तआला ज़बरदस्त हैं, इन्तिक़ाम ले सकते हैं।

तुम्हारे लिए (एहराम की हालत में) दरिया (यानी पानी) का शिकार पकड़ना और उसको खाना (सब) हलाल किया गया है, तुम्हारे फ़ायदा उठाने के वास्ते (और तुम्हारे) और मुसाफ़िरो के (लाभान्वित होने के) वास्ते, (कि सफ़र में इसी को तोशा बनायें) और खुश्की का शिकार (अगरचे कुछ सूरतों में खाना हलाल हो मगर) पकड़ना (या उसमें सहयोगी बनना) तुम्हारे लिए हराम किया गया, जब तक कि तुम एहराम की हालत में हो। और अल्लाह तआला (किसके मुख़ालफ़त यानी नाफ़रमानी करने) से डरो, जिसके पास जमा (करके हाज़िर) किए जाओगे।

मआरिफ़ व मसाईल

गहरी नज़र रखने वाले उलेमा ने लिखा है कि तक़वा (यानी दीनी एतिबार से नुक़सान बचाने वाली चीज़ों से बचने और परहेज़ करने के) कई दर्जे हैं, और ईमान व यकीन के दर्जे भी कुम्ब

व कमजोरी के लिहाज से अलग-अलग हैं। तजुबे और शरई अहकामात से साबित है कि जिस कद्र आदमी जिफ्र व फिक्र, नेक अमल और अल्लाह के रास्ते में जिहाद में तरक्की करता है उसी कद्र खुदा के खौफ और उसकी बड़ाई व जलाल के तसव्वुर से दिल पुर होता और इमान व यकीन मजबूत होता रहता है। अल्लाह तआला की तरफ बढ़ने के दर्जों की इसी तरक्की व बुलन्दी की तरफ इस आयत में तक्वा और इमान को दोहराकर इशारा फरमाया और अल्लाह से ताल्लुक कायम करने के आखिरी मकाम "एहसान" और उसके फल व परिणाम पर भी तंबीह फरमा दी। (तफ्सीरे उस्मानी)

मसला: शिकार जो कि हरम और एहराम में हराम है, आम है, चाहे खाया जाने वाला यानी हलाल जानवर हो या न खाया जाने वाला यानी हराम (आयत में बिना किसी क़ैद और शर्त के होने की वजह से)।

मसला: 'शिकार' उन जानवरों को कहा जाता है जो वहशी (जंगली और गैर-पालतू) हों, आदतन इनसानों के पास न रहते हों। पस जो पैदाईशी तौर पर घरेलू और पालतू हों जैसे भेड़, बकरी, गाय, ऊँट, इनका जिबह करना और खाना दुरुस्त है।

मसला: अलबत्ता जो दलील से अलग और बाहर हो गये हैं और उनको पकड़ना, क़त्ल करना हलाल है, जैसे दरियाई जानवर का शिकार, अल्लाह तआला के कौल के मुताबिक:

أَجَلٌ لَكُمْ مِنَ الْبَحْرِ

(हलाल हुआ तुम्हारे लिये पानी का शिकार) और बाजे खुशकी के जानवर जैसे कौआ और चील और भेड़िया और साँप और बिच्छू और काटने वाला कुत्ता, इसी तरह जो दरिन्दा खुद हमला करे उसका क़त्ल भी जायज़ है। हदीस में इनको इस हुक्म से बाहर रखने का जिक्र है।

मसला: जो हलाल शिकार हरम से बाहर और एहराम की हालत के अलावा किया जाये उसका खाना एहराम वाले को जायज़ है, जब यह उसके क़त्ल वगैरह में सहयोगी या सलाहकार या बतलाने वाला न हो। हदीस में ऐसा ही इरशाद है, और आयत के अलफ़ाज़ 'ला तक्तूलू' (मत क़त्ल करो) में भी इसकी तरफ इशारा है। क्योंकि यहाँ 'ला तक्तूलू' (मत क़त्ल करो) फरमाया है 'ला तअकुलू' (मत खाओ) नहीं फरमाया।

मसला: हरम के शिकार को जिस तरह जान-बूझकर क़त्ल करने पर जज़ा (बदला) वाजिब है इसी तरह ग़लती से या भूल में भी वाजिब है। (रुहुल-मआनी)

मसला: जैसे पहली बार में जज़ा (बदला) वाजिब है इसी तरह दूसरी तीसरी बार क़त्ल करने में भी वाजिब है।

मसला: जज़ा (बदले) का हासिल यह है कि जिस ज़माने और जिस ज़गह में यह जानवर क़त्ल हुआ है बेहतर तो यह है कि दो आदिल शख्सों से और जायज़ यह भी है कि एक ही आदिल (इन्साफ़ करने वाले और अनुभवी) शख्स से उस जानवर की कीमत का अन्दाज़ा और अनुमान कराये, फिर उसमें यह तफ्सील है कि वह मक्तूल जानवर अगर न खाया जाने वाला (यानी हराम) है तब तो यह कीमत एक बकरी की कीमत से ज्यादा वाजिब न होगी, और अगर

वह जानवर खाया जाने वाला (यानी हलाल) था तो जिस कद्र तखमीना होगा वह सब वाजिब होगा। और दोनों हाल में आगे उसको तीन सूतों में इख्तियार है- चाहे तो उस कीमत को कोई जानवर कुरबानी की शर्तों के मुताबिक खरीद ले और हरम की सीमाओं के अन्दर जिबह करके गरीबों को बाँट दे। या उस कीमत के बराबर गुल्ला सदका-ए-फित्र की शर्तों के मुताबिक हर मिस्कीन (गरीब व ज़रूरत मन्द) को आधा साअ के बराबर दे दे, और या हर गरीब व ज़रूरत मन्द को आधा साअ के हिसाब से जितने गरीबों को वह गुल्ला पहुँच सकता हो उतने गिनती करके रोजे रख ले। और गुल्ला तकसीम करने और रोजों में हरम की कैद नहीं, और अगर कीमत आधा साअ से भी कम वाजिब हुई है तो इख्तियार है चाहे एक गरीब को दे दे या एक रोज़ा रख ले।

नोट:- आधा साअ का वज़न हमारे वज़न के एतिबार से पौने दो सैर होता है।

मसला: उक्त तखमीने में जितने मिस्कीनों (गरीबों और खाने तक के ज़रूरत मन्दी) का हिस्सा करार पाये अगर उनको दो वक्त पेट भरकर खाना खिलाये तब भी जायज़ है।

मसला: अगर इस कीमत के बराबर जिबह के लिये जानवर तजबीज़ किया, मगर कुछ कीमत बच गयी तो उस बाकी बची में इख्तियार है चाहे दूसरा जानवर खरीद ले, या उसका गुल्ला दे दे, या गुल्ले के हिसाब से रोजे रख ले। जिस तरह क़त्ल में जज़ा (बदला) वाजिब है इसी तरह ऐसे जानवर को ज़ख्मी करने में भी अन्दाज़ा कराया जायेगा कि इससे जानवर की किस कद्र कीमत कम हो गयी, उस कीमत की मिक़दार में फिर वही ज़िक्र हुई तीन सूतों जायज़ होंगी।

मसला: एहराम वाले को जिस जानवर का शिकार करना हसम है उसका जिबह करना भी हराम है, अगर उसको जिबह करेगा तो उसका हुक़म मुर्दार के जैसा होगा।

मसला: अगर जानवर के क़त्ल होने की जगह जंगल है तो जो आबादी उससे करीब हो वहाँ के एतिबार से तखमीना (कीमत व नुक़सान का अनुमान) किया जायेगा।

मसला: इशारा करना, बताना और शिकार में मदद करना भी शिकार करने की तरह हराम है। (यानी हरम में या एहराम वाले के लिये। हिन्दी अनुवादक)

جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ
وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ كُلَّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ۝ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثِ ۗ فَاتَّقُوا
اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْحَحُونَ ۝

ज-अलल्लाहुल् कअ-बतल् बैतल्-
 हरा-म कियामल् लिन्नासि वशशरल्-
 हरा-म वल्हद्-य वल्कलाइ-द, जालि-क
 लितअल्मू अन्नल्ला-ह यअल्मु मा
 फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि व
 अन्नल्ला-ह बिकुल्लि शैइन् अलीम
 (97) इअल्मू अन्नल्ला-ह शदीदुल्-
 अिकाबि व अन्नल्ला-ह गफूर्रहीम
 (98) मा अलर्सूलि इल्लल्-बलागु,
 वल्लाहु यअल्मु मा तुब्दू-न व मा
 तक्तुमून (99) कुल् ला यस्तविल्-
 खबीसु वत्तय्यिबु व लौ अअज-ब-क
 कस्तुल्-खबीसि फत्तकुल्ला-ह या
 उलिल्-अल्बाबि लअल्लकुम्
 तुफिल्लहून (100) ❀

अल्लाह ने कर दिया काबे को जो कि घर
 है बुजुर्गी वाला कियाम का सबब लोगों
 के लिये, और बड़ाई वाले महीनों को और
 कुरबानी को जो कि काबे की नियाज हो,
 और जिनके गले में पट्टा डालकर ले-
 जायें काबे को, यह इसलिए ताकि तुम
 जान लो बेशक अल्लाह को मालूम है जो
 कुछ है आसमान और ज़मीन में, अल्लाह
 हर चीज़ से ख़ूब वाकिफ़ है। (97) जान
 लो बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है
 और बेशक अल्लाह बख़्शने वाला
 मेहरबान है। (98) रसूल के जिम्मे नहीं
 मगर पहुँचा देना, और अल्लाह को मालूम
 है जो तुम ज़ाहिर में करते हो और जो
 छुपाकर करते हो। (99) तू कह दे कि
 बराबर नहीं नापाक और पाक अगरचे
 तुझको भली लगे नापाक की अधिकता,
 सो डरते रहो अल्लाह से ऐ अक्लमन्दो
 ताकि तुम्हारी निजात हो। (100) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

खुदा तआला ने काबा को जो कि अदब का मकान है, लोगों (की मस्लेहतों) के कायम रहने
 का सबब करार दे दिया और (इसी तरह) इज़्जत वाले महीने को भी, और (इसी तरह) हरम में
 कुरबानी होने वाले जानवर को भी, और (इसी तरह) उन (जानवरों) को भी जिनके गले में (इस
 निशानी के लिये) पट्टे हों (कि ये अल्लाह की नियाज हैं, हरम में जिबह होंगे) यह (करारदाद
 अलाया और दुनियावी मस्लेहतों के) इस (दीनी मस्लेहत के) लिये (भी) है ताकि (तुम्हारा
 एतिकाद दुरुस्त और पुख्ता हो इस तरह से कि तुम उन मस्लेहतों से दलील हासिल करके) इस
 बात का यकीन (शुरूआती या आखिरी दर्जे में) कर लो कि बेशक अल्लाह तआला तमाम
 आसमानों और ज़मीन के अन्दर की चीज़ों का (पूरा) इल्म रखते हैं, (क्योंकि ऐसा हुक्म मुकर्रर
 करना जिसमें आइन्दा की ऐसी मस्लेहतों की रियायत रखी गयी हो कि जिनको इनसानी अक्लें न
 सोच सकें दलील है इल्मी सिफ़त के कामिल होने की) और (इन जिक्क की गयी मालूमात के

साथ कामिल इल्म के ताल्लुक से दलील लेकर यकीन कर लो कि) बेशक अल्लाह तआला सब चीजों को खूब जानते हैं (क्योंकि इन मालूमात की जानकारी पर किसी चीज ने बाखबर नहीं किया। मालूम हुआ कि ज़ाती इल्म का ताल्लुक तमाम मालूम चीजों के साथ बराबर होता है) तुम यकीन जान लो कि अल्लाह तआला सज़ा भी सख्त देने वाले हैं, और अल्लाह तआला बड़े मगफिरत वाले (और) रहमत वाले भी हैं (तो उनके अहकाम के खिलाफ मत किया करो और जो कभी-कभार हो गया हो तो शर्ई कायदे के मुताबिक उससे तौबा कर लो)।

रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के जिम्मे तो सिर्फ पहुँचाना है (सो वह खूब पहुँचा चुके, अब तुम्हारे पास कोई उज़्र व बहाना नहीं रहा) और अल्लाह सब जानते हैं जो कुछ तुम (ज़बान या अपने बदनी अंगों से) ज़ाहिर करते हो, और जो कुछ (दिल में) छुपाकर रखते हो (सो तुमको चाहिये कि फरमाँबरदारी ज़ाहिर व बातिन दोनों से करो)। आप (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनसे यह भी) फ़रमा दीजिए कि नापाक और पाक (यानी गुनाह और इताअत या गुनाह करने वाला और इताअत करने वाला) बराबर नहीं; (बल्कि बुरा नापसन्दीदा है और अच्छा मकबूल है। पस इताअत करके मकबूल बनना चाहिये, नाफरमानी करके नापसन्दीदा न होना चाहिये) अगरचे (ऐ देखने वाले) तुझको नापाक की कसरत "यानी ज़्यादा होना" (जैसा कि दुनिया में अक्सर यही उत्पन्न होता है) ताज्जुब में डालती हो (कि बावजूद नापसन्दीदा होने के यह अधिक क्यों है, मगर यह समझ लो कि अधिकता जो किसी हिक्मत से है अच्छा और पसन्दीदा होने की दलील नहीं, जब अधिकता पर मदार नहीं, या यह कि जब अल्लाह तआला के इल्म व सज़ा पर भी बाखबर हो गये) तो (उसको मत देखो बल्कि) खुदा तआला (के हुक्म के खिलाफ करने) से डरते रहो ऐ अक्लमन्दो! ताकि तुम (पूरे तौर से) कामयाब हो जाओ (और यह कामयाबी जन्नत और अल्लाह तआला की रज़ा है)।

मआरिफ़ व मसाईल

अमन व इत्मीनान के चार असबाब

पहली आयत में हक़ तआला ने चार चीजों को लोगों के बाकी व कायम रहने और अमन व इत्मीनान का सबब बतलाया है।

अव्वल काबा। लफ़्ज़ काबा अरबी भाषा में ऐसे मकान (घर) को कहते हैं जो चौकोर हो। अरब में कबीला-ए-ख़सुअम का बनाया हुआ एक और मकान भी इसी नाम से नामित था, जिसको काबा-ए-यमानिया कहा जाता था, इसी लिये बैतुल्लाह को उस काबे से अलग और फर्क करने के लिये लफ़्ज़ काबा के साथ अलबैतुल-हराम का लफ़्ज़ बढ़ाया गया।

लफ़्ज़ कियाम और कव्वाम इस्मे मस्दर है। यह उस चीज़ को कहा जाता है जिस पर किसी चीज़ का ठहराव और बाकी रहना निर्भर हो। इसलिये 'कियामल् लिन्नासि' के मायने यह हुए कि काबा और उससे संबन्धित चीज़ें लोगों के कियाम व कव्वाम (बाकी व कायम रहने) का सबब और

जरिया हैं।

और लफ्ज "नासुन" लुगत में आम इनसानों के लिये बोला जाता है। इस जगह मौके की जरूरत की वजह से खास मक्का वाले या अरब वाले भी मुराद हो सकते हैं और आम दुनिया के इनसान भी। और जाहिर यही है कि पूरे जहान के इनसान इसमें दाखिल हैं, अलबत्ता मक्का और अरब वाले एक खास विशेषता रखते हैं, इसलिये आयत का मतलब यह हो गया कि अल्लाह तआला ने काबा बैतुल्लाह और जिन चीजों का जिक्र आगे आता है, उनको पूरी इनसानी दुनिया के लिये बाकी व ठहराव और अमन व सुकून का जरिया बना दिया है। जब तक दुनिया का हर मुल्क, हर खिल्ले और हर दिशा के लोग इस बैतुल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह होकर नमाज़ अदा करते रहें और बैतुल्लाह का हज होता रहे, यानी जिन पर हज फर्ज़ हो वे हज अदा करते रहें उस वक़्त तक यह पूरी दुनिया कायम और महफूज़ रहेगी। और अगर एक साल भी ऐसा हो जाये कि कोई हज न करे या कोई शख्स बैतुल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह होकर नमाज़ अदा न करे तो पूरी दुनिया पर सार्वजनिक अज़ाब आ जायेगा।

बैतुल्लाह पूरे आलम का सुतून है

इसी मज़मून को तफसीर के इमाम हज़रत अता रहमतुल्लाहि अलैहि ने इन अलफ़ाज़ में बयान फरमाया है:

لو تركوه عاماً واحداً لم ينظروا ولم يؤخروا. (بحر محیط)

इससे मालूम हुआ कि मानवी (बातिनी और रूहानी) तौर पर बैतुल्लाह इस पूरे आलम का सुतून और स्तंभ है, जब तक इसकी तरफ़ तवज्जोह और इसका हज होता रहेगा दुनिया कायम रहेगी, और अगर किसी वक़्त बैतुल्लाह का यह एहतियाम (इज्जत व सम्मान) खत्म हुआ तो दुनिया भी खत्म कर दी जायेगी। रहा यह मामला कि दुनिया के निज़ाम और बैतुल्लाह में जोड़ और ताल्लुक क्या है? सो इसकी हकीकत मालूम होनी ज़रूरी नहीं, जिस तरह मकनातीस और तोहे और कस्बा (एक किस्म का गोंद जो रगड़ने पर लकड़ी को अपनी तरफ़ खींचता है) और तिनके के आपसी संबन्ध की हकीकत किसी को मालूम नहीं, मगर वह एक ऐसी हकीकत है जो देखने और अनुभव में आती है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। बैतुल्लाह और दुनिया के निज़ाम (व्यवस्था) के आपसी ताल्लुक की हकीकत का समझना भी इनसान के कब्ज़े में नहीं, वह कायनात के पैदा करने वाले के बतलावे ही से मालूम हो सकती है। बैतुल्लाह का पूरे आलम के बाकी रहने के लिये सबब होना तो एक रूहानी चीज़ है, जाहिरी नज़रे इसको नहीं पा सकती, लेकिन अरब और मक्का वालों के लिये इसका अमन व सलामती का जरिया होना लम्बे तजुर्बात और आँखों से देखे वाकिआत से साबित है।

बैतुल्लाह का वजूद विश्व-शांति का सबब है

आम दुनिया में अमन स्थापित करने की सूरत हुकूमतों के कानून और उनकी पकड़ होती

है। उसकी वजह से डाकू, चोर और कत्ल व गारतगरी करने वाले की जुरत नहीं होती, लेकिन अरब के जाहिली (इस्लाम जाहिर होने से पहले दौर) में न कोई बाकायदा हुकूमत कायम थी और न आम अमन के लिये कोई सार्वजनिक क़ानून था। सियासी निज़ाम सिर्फ़ क़बाईली बुनियादों पर कायम था, एक क़बीला दूसरे क़बीले की जान व माल इज़्ज़त व आबरू सब ही चीज़ों पर ज़व चाहे हमला कर सकता था, इसलिये किसी क़बीले के लिये किसी वक़्त अमन व इत्मीनान का मौक़ा न था। अल्लाह तआला ने अपनी कामिल कुदरत से मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह के हुकूमत के कायम-मक़ाम अमन का सबब बना दिया। जिस तरह हुकूमत के क़ानून की ख़िलाफ़वर्जी (उल्लंघन) करने की जुरत कोई समझदार इनसान नहीं कर सकता, इसी तरह बैतुल्लाह शरीफ़ की इज़्ज़त व सम्मान हक़ तआला ने जाहिलीयत के ज़माने में भी आम लोगों के दिलों में इस तरह जमा दिया था कि इसके एहतियाम (इज़्ज़त व सम्मान) के लिये अपनी सारी भावनाओं और इच्छाओं को पीछे डाल देते थे।

ज़माना-ए-जाहिलीयत (इस्लाम से पहले ज़माने) के अरब वाले जो अपनी लड़ाई-भिड़ाई और क़बाईली तास्सुब में पूरी दुनिया में मशहूर थे, अल्लाह तआला ने बैतुल्लाह और उससे जुड़ी चीज़ों की इतनी इज़्ज़त व सम्मान उनके दिलों में जमा दी थी कि उनका कैसा भी जानी दुश्मन या सख़्त से सख़्त मुजरिम हो अगर वह हरम शरीफ़ में दाख़िल हो जाये तो हद से ज़्यादा ग़म व गुस्से के बावजूद उसको कुछ न कहते। बाप का क़ातिल हरम में बेटे को मिलता तो बेटा नीची नज़रें करके गुज़र जाता था।

इसी तरह जो शख़्स हज व उमरा के लिये निकला हो या जानवर हरम शरीफ़ में कुरबानी के लिये लाया गया हो उसका भी इतना ही एहतियाम अरब में आम था कि कोई बुरे से बुरा शख़्स भी उसको कोई तकलीफ़ न पहुँचाता था, और अगर वह जानी दुश्मन भी है तो ऐसी हालत में जबकि उसने हज व उमरे की कोई निशानी एहराम या पट्टा बाँधा हुआ हो, उसको बिल्कुल भी कुछ न कहते थे।

सन् 6 हिजरी में यानी जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहाबा-ए-किराम की एक ख़ास जमाअत के साथ उमरे का एहराम बाँधकर बैतुल्लाह के इरादे से ख़ाना हुए और हरम की सीमाओं के करीब हुदैबिया के मक़ाम पर पड़ाव डालकर हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु को चन्द साथियों के साथ मक्का भेजा कि मक्का के सरदारों से कह दें कि मुसलमान इस वक़्त किसी जंग की नीयत से नहीं बल्कि उमरा अदा करने के लिये आये हैं, इसलिये उनकी राह में कोई रुकावट न होनी चाहिये।

कुरैश के सरदारों ने बहुत-बहुत-मुवाहसे और आपस की लम्बी बातों के बाद अपना एक नुमाईन्दा हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में भेजा। हुज़ुरे पाक ने उसको देखा तो फ़रमाया कि यह शख़्स बैतुल्लाह से संबन्धित चीज़ों का ख़ास लिहाज़ रखने वाला है इसलिये अपने कुरबानी के जानवर जिन पर कुरबानी की निशानी लगा रखी है इसके सामने कान दे। उसने जब ये कुरबानी के जानवर देखे तो इक़रार किया कि बेशक उन लोगों को बैतुल्लाह

है हरगिज़ नहीं रोकना चाहिये।

खुलासा यह है कि सम्मानित हरम का एहतिराम ज़माना-ए-जाहिलीयत में भी अल्लाह तआला ने उनके दिलों में ऐसा रख दिया था कि उसकी वजह से अमन व अमान कायम रहता था। इस एहतिराम के नतीजे में सिर्फ़ हरम शरीफ़ के अन्दर आने जाने वाले और वे लोग सुरक्षित हो जाते थे जो हज व उमरा के लिये निकले हैं, और हज की कोई निशानी उनपर मौजूद है। बाहरी दुनिया के लोगों को इससे कोई नफ़ा अमन व इत्मीनान का हासिल न होता था लेकिन अरब में जिस तरह बैतुल्लाह के मकान और उसके आस-पास के सम्मानित हरम का एहतिराम आम था इसी तरह हज के महीनों का भी खास एहतिराम (सम्मान) था कि इन महीनों को 'अश्हुर-ए-हुरम' (इज़्ज़त व सम्मान वाले महीने) कहते थे। इनके साथ रजब (इस्लामी कैलेंडर के सातवें महीने) को भी कुछ लोगों ने शामिल कर लिया था, इन महीनों में हरम से बाहर भी क़त्ल व क़िताल को सारा अरब हराम समझता और परहेज़ करता था।

इसी लिये क़ुरआने करीम ने 'क़ियामल् लिन्नासि' होने में काबे के साथ तीन और चीज़ों को शामिल फ़रमाया है- अव्वल 'अश्हुरल् हरा-म' यानी इज़्ज़त व सम्मान का महीना। यहाँ चूँकि लफ़्ज़ "शह्र" मुफ़रद (यानी एक महीने के लिये) लाया गया है इसलिये आम मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया है कि इस जगह "शह्रे हराम" से मुराद ज़िलहिज्जा का महीना है, जिसमें हज के अरकान व आमाल अदा किये जाते हैं। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि लफ़्ज़ अगरचे मुफ़रद (यानी एक वचन वाला) है मगर इससे मुराद जिन्स है, इसलिये सब ही अश्हुरे हुरम (इज़्ज़त के महीने) इसमें दाख़िल हैं।

दूसरी चीज़ "हदयु" है। "हदयु" उस जानवर को कहा जाता है जिसकी क़ुरबानी हरम शरीफ़ में की जाये। ऐसे जानवर जिस शख्स के साथ हों अरब वालों का मामूल था कि उसको कुछ न कहते थे, वह अमन व इत्मीनान के साथ सफ़र करता और अपना मक़सद पूरा कर सकता था। इसलिये हदयु भी अमन व शांति के कायम करने का एक सबब हुई।

तीसरी चीज़ "क़लाईद" हैं। क़लाईद क़लादा की जमा (बहुवचन) है। गले के हार को क़लाईद कहा जाता है। अरब के जाहिली ज़माने की रस्म यह थी कि जो शख्स हज के लिये निकलता तो अपने गले में एक हार बतौर पहचान के डाल लेता था, ताकि उसको देखकर लोग समझ लें कि यह हज के लिये जा रहा है, कोई तकलीफ़ न पहुँचायें। इसी तरह क़ुरबानी के जानवरों के गले में भी इस तरह के हार डाले जाते थे उनको भी क़लाईद कहते हैं। इसलिये क़लाईद भी अमन व सुकून के कायम करने का एक ज़रिया बन गये।

और अगर गौर किया जाये तो ये तीनों चीज़ें- शह्रे हराम, हदयु और क़लाईद सबके सब बैतुल्लाह के मुताल्लिकात (संबन्धित चीज़ों) में से हैं। इनका एहतिराम भी बैतुल्लाह के एहतिराम का एक हिस्सा है। खुलासा यह है कि बैतुल्लाह और उससे संबन्धित चीज़ों को अल्लाह तआला ने पूरे इंसानी जगत के लिये उमूमन और अरब और मक्का वालों के लिये खास तौर पर उनके तामाम दीनी व दुनियावी मामलों के लिये जमाव और मज़बूती कायम करने वाला बना दिया है।

فِيَمَا لِلنَّاسِ

“कियामल् लिन्नासि” (लोगों के लिये कायम रहने का सबब) की तफसीर में कुछ मुफ़्तिरीन ने फ़रमाया है कि इससे मुराद यह है कि बैतुल्लाह और सम्मानित हरम सब के लिये अमन की जगह बनाया गया है। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इससे मुराद मक्का वालों के लिये रिज़्क की फ़रावानी है, कि वावजूद इसके कि उस ज़मीन में कोई चीज़ पैदा नहीं होती मगर अल्लाह तआला दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पहुँचाते रहते हैं।

कुछ ने कहा कि मक्का वाले जो कि बैतुल्लाह के खादिम और मुहाफ़िज़ कहलाते थे उनको लोग अल्लाह वाले समझकर हमेशा उनके साथ ताज़ीम (सम्मान) का मामला करते थे, ‘कियामल् लिन्नासि’ से उनका यह खास सम्मान मुराद है।

इमाम अब्दुल्लाह राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि इन सब अक़वाल में कोई टकराव और भिन्नता नहीं, लफ़ज़ ‘कियामल् लिन्नासि’ के मफ़हूम में ये सब चीज़ें दाख़िल हैं, कि अल्लाह तआला ने बैतुल्लाह को सब लोगों की बका व कियाम और जिन्दगी व आख़िरत की बेहतरी व कामयाबी का ज़रिया बनाया है, और अरब व मक्का वालों को विशेष रूप से उसकी ज़ाहिरी व रूहानी बरकतों से नवाज़ा है।

आयत के आख़िर में इरशाद फ़रमाया:

ذَلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

यानी हमने बैतुल्लाह को और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को लोगों के लिये अमन व अमान और कायम व बाकी रहने का ज़रिया बना दिया है, जिसको अरब वाले खास तौर पर अपनी खुली आँखों देखते रहते हैं। यह इसलिये कहा गया कि सब लोग यह जान लें कि अल्लाह तआला ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को पूरा-पूरा जानते हैं और वहीं उसका इन्तिज़ाम कर सकते हैं।

दूसरी आयत में इरशाद फ़रमाया गया:

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

यानी समझ लो कि अल्लाह तआला सख्त अज़ाब वाले हैं और यह कि अल्लाह तआला बहुत मग़फ़िरत करने वाले रहम फ़रमाने वाले हैं।

इसमें बतला दिया कि जो अहकाम हलाल व हराम के दिये गये हैं वो पूरी तरह हिक्मत व मस्लेहत के मुताबिक हैं, उनके पालन ही में तुम्हारे लिये ख़ैर (भलाई) है, उनके खिलाफ़ करने में सख्त ववाल व अज़ाब है। साथ ही यह भी बतला दिया कि इनसानी भूल और गुफ़ूलत से कोई गुनाह हो जाये तो अल्लाह तआला फ़ौरन अज़ाब नहीं देते, बल्कि तौबा करने वालों और शर्मिन्दा होने वालों के लिये मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुला हुआ है।

तीसरी आयत में इरशाद फ़रमाया:

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ.

यानी “हमारे रसूल के जिम्मे तो इतना ही काम है कि हमारे अहकाम मख़्लूक को पहुँचा दें

किर वे मानें न मानें, इसका नफ़ा व नुक़सान उन्हीं को पहुँचता है। उनकी नाफ़रमानों से हमारे रसूल का कुछ नुक़सान नहीं। और यह भी समझ लो कि अल्लाह तआला को कोई फ़रेव नहीं दिया जा सकता, वह तुम्हारे जाहिर व बातिन और खुले और छुपे हर काम से वाकिफ़ हैं।

चौथी आयत में इरशाद फ़रमाया:

قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَيْثُ وَالطَّيْبُ

अरबी भाषा में तय्यिब और ख़बीस दो एक दूसरे के मुक़ाबले के लफ़्ज़ हैं। तय्यिब हर चीज़ के उम्दा और बेहतरीन को और ख़बीस हर चीज़ के रद्दी और ख़राब को कहा जाता है। इस आयत में अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक ख़बीस से मुराद हराम या नापाक है, और तय्यिब से मुराद हलाल और पाक। आयत के मायने यह हो गये कि अल्लाह तआला के नज़दीक बल्कि हर सलीम अक्ल वाले के नज़दीक पाक व नापाक या हलाल व हराम बराबर नहीं हो सकते।

इस जगह लफ़्ज़ ख़बीस और तय्यिब अपने आम होने के एतिबार से हराम व हलाल माल व दौलत को भी शामिल है और अच्छे बुरे इनसानों को भी, और भले बुरे आमाल व अख़्लाक को भी। आयत का मतलब स्पष्ट है कि किसी सही व सलीम अक्ल के नज़दीक नेक व बद और भला बुरा बराबर नहीं होता, इसी फ़ितरी क़ानून के मुताबिक़ अल्लाह तआला के नज़दीक हलाल व हराम या पाक व नापाक चीज़ें बराबर नहीं। इसी तरह अच्छे और बुरे आमाल व अख़्लाक बराबर नहीं, इसी तरह नेक व बद इनसान बराबर नहीं।

आगे इरशाद फ़रमाया:

وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَيْثِ

यानी अगरचे देखने वालों को कई बार ख़राब और ख़बीस चीज़ों की अधिकता मरऊब कर देती है, और अपने आस-पास ख़बीस व ख़राब चीज़ों के फैल जाने और ग़ालिब आ जाने के सबब उन्हीं को अच्छा समझने लगते हैं, मगर यह इनसानी इल्म व शऊर की बीमारी और एहसास का कसूर होता है।

आयत के उतरने का मौक़ा व सबब

आयत के शाने नुज़ूल (उतरने के मौक़े और सबब) के मुताल्लिक़ कुछ रिवायतों में है कि जब इस्लाम में शराब को हराम और उसकी ख़रीद व फ़रोख़्त को भी वर्जित करार दे दिया गया तो एक शख़्स ने जिसका कारोबार शराब बेचने का था, और इसकी कमाई से उसने कुछ माल जमा कर रखा था, हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह! यह माल जो शराब की तिजारत से मेरे पास जमा हुआ है अगर मैं इसको किसी नेक काम में ख़र्च करूँ तो क्या वह मेरे लिये मुफ़ीद होगा? हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर तुम इसको हज या जिहाद वगैरह में ख़र्च करोगे तो वह अल्लाह के नज़दीक मच्छर के एक पर के बराबर भी कीमत न रखेगा, अल्लाह तआला पाक और हलाल चीज़ के सिवा किसी चीज़ को कुबूल नहीं फ़रमाते।

हराम माल की यह वेकद्री तो आखिरत के एतिबार से हुई और अगर गहरी नज़र से देखा जाये और सब कामों के आखिरी अन्जाम को सामने रखा जाये तो मालूम होगा कि दुनिया के कारोबार में भी हलाल व हराम माल बराबर नहीं होते। हलाल से जितने फ़ायदे, अच्छे परिणाम और सही मायनों में आराम व राहत नसीब होती है वह कभी हराम से नहीं होती।

तफसीर दुर्र मन्सूर में इब्ने अबी हातिम के हवाले से नक़ल किया है कि ताबिईन (सहाबा किराम की जियारत करने वालों) के ज़माने के खलीफ़ा-ए-राशिद हज़रत उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने जब पूर्व के शासकों के ज़माने के लगाये हुए नाजायज़ टैक्स बन्द किये और जिन लोगों से नाजायज़ तौर पर माल लिये गये थे वो वापस किये और सरकारी बैतुल-माल ख़ाली हो गया और आमदनी बहुत सीमित हो गयी तो एक राज्य के गवर्नर ने उनकी खिदमत में ख़त लिखा कि बैतुल-माल की आमदनी बहुत घट गयी है, फ़िक्र है कि हुकूमत के काम-धंधे किस तरह चलेंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने जवाब में यही आयत तहरीर फ़रमा दी:

لَا يَسْتَوِي الْخَيْبُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَيْبِ

और लिखा कि तुमसे पहले लोगों ने जुल्म व ज़्यादती के ज़रिये जितना ख़ज़ाना भरा था तुम उसके मुक़ाबले में अदल व इन्साफ़ कायम करके अपने ख़ज़ाने को कम कर लो और कोई परवाह न करो, हमारी हुकूमत के काम इसी कम मात्रा से पूरे होंगे।

यह आयत अगरचे एक ख़ास वाक़िए के बारे में नाज़िल हुई है कि आंकड़ों की कमी ज़्यादती कोई चीज़ नहीं, अधिकता व फ़िल्लत से किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को नहीं जाँचा जा सकता, इनसानों के सर पर हाथ गिन करके 51 हाथों को 49 के मुक़ाबले में हक़ व सच्चाई का मेयार नहीं कहा जा सकता।

बल्कि अगर दुनिया के हर तब्क़े के हालात पर ज़रा भी नज़र डाली जाये तो सारे आलम में भलाई की मिक्दार (मात्रा) और तायदाद कम और बुराई की तायदाद में अधिकता नज़र आयेगी। ईमान के मुक़ाबले में कुफ़्र, नेकी व पाकीज़गी और ईमानदारी व सच्चाई के मुक़ाबले में गुनाह व बदकारी, अदल व इन्साफ़ के मुक़ाबले में जुल्म व सितम, इल्म के मुक़ाबले में जहालत, अक्ल के मुक़ाबले में बेअक्ली की अधिकता दिखाई देगी, जिससे इसका यकीन लाजिमी हो जाता है कि किसी जमाअत की अददी अधिकता उसके अच्छे या हक़ पर होने की क़तई दलील नहीं हो सकती, बल्कि किसी चीज़ की अच्छाई और बेहतरी उस चीज़ और उस जमाअत के ज़ाती हालात व कैफ़ियात पर दायर होती है, हालात व कैफ़ियात अच्छी हैं तो वह अच्छी और बुरी हैं तो बुरी है। कुरआने करीम ने इसी हकीक़त को 'व लौ अज़ुज-ब-क कस्तुल-खबीस' के अलफ़ाज़ में स्पष्ट फ़रमा दिया है।

हाँ अदद (संख्या व मात्रा) की अधिकता को इस्लाम ने भी कुछ मौक़ों में निर्णायक करार दिया है। वह उस जगह जहाँ दलील की कुव्वत और ज़ाती खूबियों की तुलना का फ़ैसला करने

वाला कोई ताकत व इख्तियार का मालिक हाकिम न हो, ऐसे मौकों पर अजाम का झगड़ा चुकाने के लिये अददी कसरत (बहुसंख्या) को तरजीह दे दी जाती है। जैसे इमाम (मुसलमानों के अमीर व हाकिम) को मुकरर करने का मसला है, वहाँ कोई इमाम व अमीर फैसला करने वाला मौजूद नहीं, इसलिये कई बार झगड़ा खत्म करने के लिये बहुमत को तरजीह दे दी गयी। यह हरगिज़ नहीं कि जिस चीज़ को ज्यादा तायदाद (संख्या) के लोगों ने इख्तियार कर लिया वही चीज़ हलाल, जायज़ और हक है।

आयत के आखिर में इरशाद फरमाया:

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

यांनी ऐ अक्ल वालो! अल्लाह से डरो। जिसमें इशारा फरमा दिया कि किसी चीज़ की अददी (गिनती और मात्रा) की अधिकता का पसन्दीदा होना या कसरत को किल्लत के मुकाबले में हक व सही का मेयार करार देना अक्लमन्दों का काम नहीं। इसी लिये अक्लमन्दों को खिताब करके उनको इस ग़लत रवैये से रोकने के लिये 'फ़त्तकुल्ला-ह' (यांनी अल्लाह से डरने) का हुक्म दिया गया।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّلَ لَكُمْ

تَسْوَأٌ ۖ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝
 قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۝ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ
 وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِرٍ ۖ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ وَكَثْرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तस्अलू
 अन् अश्या-अ इन् तुब्-द लकुम्
 तसुअकुम् व इन् तस्अलू अन्हा ही-न
 युनज़लुल्-कुरआनु तुब्-द लकुम्,
 अफ़ल्लाहु अन्हा, वल्लाहु ग़फ़ूरुन्
 हलीम (101) कद् स-अ-लहा कौमुम्
 मिन् कब्लिकुम् सुम्-म-अस्बहू बिहा
 काफ़िरीन (102) मा ज-अलल्लाहु
 मिम्-बही-रतिव्-व ला साइ-बतिव्-व
 ला वसीलतिव्-व ला हामिन्-व

ऐ ईमान वालो! मत पूछो ऐसी बातें कि
 अगर तुम पर खोली जायें तो तुमको बुरी
 लगें, और अगर पूछोगे ये बातें ऐसे वक़्त
 में कि कुरआन नाज़िल हो रहा है तो तुम
 पर जाँहिर कर दी जायेगी, अल्लाह ने
 उनसे दरगुज़र की है और अल्लाह बख़्शाने
 वाला बरदाश्त करने वाला है। (101)
 ऐसी बातें पूछ चुकी है एक जमाअत
 तुमसे पहले, फिर हो गये उन बातों से
 इनकार करने वाले। (102) नहीं मुकरर
 किया अल्लाह ने बहीरा और न सायबा

लाकिन्नल्लज़ी-न क-फ़रू यफ़तरू-न
अलल्लाहिल्-कज़ि-ब, व अक्सरुहुम्
ला यअक़िलून (103)

और न वसीला और न हामी, व लेकिन
काफ़िर बाँधते हैं अल्लाह पर बोहतान,
और उनमें दूसरों को अक़ल नहीं। (103)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हे इमान वालो! ऐसी (फ़ुजूल) बातें मत पूछो (जिनमें यह संदेह व गुमान हो कि) अगर तुमसे ज़ाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हारी नागवारी का सबब हो (यानी यह शुद्ध हो कि जवाब तुम्हारी मन्शा के खिलाफ़ आया तो तुम्हें बुरा लगेगा) और (जिनमें यह शुद्ध व गुमान हो कि) अगर तुम (वही और) कुरआन के नाज़िल होने के ज़माने में (कारामद बातें) पूछो तो तुमसे ज़ाहिर कर दी जाएँ (यानी सवाल करने में तो यह दूसरा शुद्ध व गुमान हो कि जवाब मिल जाये और जवाब मिलने में यह पहला शुद्ध हो कि बुरा लगे, और ये दोनों गुमान व शुद्धे जो मजमूर तौर पर सवाल करने से रोकने की वजह हैं, वास्तविक हैं, पस ऐसा सवाल मना है। ख़ैर) गुज़रे हुए सवालात (जो इस वक़्त तक कर चुके हो वो तो) अल्लाह ने माफ़ कर दिये (मगर आईन्दा मत करना) और अल्लाह तआला बड़ी मग़फ़िरत वाले हैं (इसलिये पहले के गुज़रे हुए सवालात माफ़ कर दिये और) बड़े बरदाश्त करने वाले हैं (इसलिये अगर आईन्दा हुक्म के खिलाफ़ करने पर दुनिया में सज़ा न दें तो धोखे में मत पड़ जाना कि आगे भी कोई अज़ाब और सज़ा न होगी)। ऐसी बातें तुमसे पहले (ज़माने में) अन्य (उम्मतों के) लोगों ने भी (अपने पैग़म्बरों से) पूछी थीं, फिर (उनको जवाब मिला तो) उन बातों का हक़ पूरा न किया (यानी उन जवाबों में जो अहक़ाम से संबन्धित थे उनके मुवाफ़िक़ अमल न किया, और जो वाकिआत से संबन्धित थे उनसे मुतास्सिर न हुए, पस कहीं तुमको भी ऐसी ही नौबत न पेश आये, इसलिये बेहतरी इसी में है कि ऐसे सवालात छोड़ दो) अल्लाह तआला ने न बहीरा को मशरूअ "यानी जायज़ और मुफ़रर" किया है और न सायबा को और न वसीला को और न हामी को, लेकिन जो लोग काफ़िर हैं वे (इन रस्मों के बारे में) अल्लाह तआला पर झूठ लगाते हैं (कि खुदा तआला इन आमाल से खुश हैं), और उनमें के अक्सर (काफ़िर) (दीन की) अक़ल नहीं रखते (और उससे काम नहीं लेते, बल्कि केवल अपने बड़ों की देखा-देखी ऐसी जहालतें करते हैं)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

बेज़रूरत सवाल करने की मनाही

इन आयतों में इस बात पर तंबीह की गयी है कि कुछ लोगों को अल्लाह के अहक़ाम में बिना ज़रूरत खोद-कुरेद करने और बाल की खाल निकालने का शौक होता है, और जो अहक़ाम नहीं दिये गये उनके बारे में बग़ैर किसी तकाज़े और ज़रूरत के सवालात किया करते हैं। इस

आयत में उनको यह हिदायत दी गयी कि वे ऐसे सवालात न करें जिनके परिणाम में उन पर कोई मशक्कत पड़ जाये या उनको खुफिया राजों के इज़हार से रुस्वाई हो।

शाने नुजूल

इन आयतों का शाने नुजूल (उतरने का मौका और सबब) मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत के मुताबिक यह है कि जब हज के फ़र्ज होने का हुक्म नाज़िल हुआ तो अकरा बिन हाबिस रज़िअल्लाहु अन्हु ने सवाल किया कि क्या हर साल हमारे जिम्ने हज फ़र्ज है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके सवाल का जवाब न दिया, उन्होंने फिर दोबारा सवाल किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फिर भी ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमाई। उन्होंने तीसरी मर्तबा फिर सवाल किया तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नाराज़गी के साथ तंबीह फ़रमाई कि अगर मैं तुम्हारे जवाब में यह कह देता कि हाँ हर साल हज फ़र्ज है तो ऐसा ही हो जाता, और फिर तुम उसको पूरा न कर सकते। इसके बाद इरशाद फ़रमाया कि जिन चीज़ों के बारे में मैं तुम्हें कोई हुक्म न दूँ उनको इसी तरह रहने दो, उनमें खोद-कुरेद करके सवालात न करो। तुमसे पहले कुछ उम्मतें इसी ज़्यादा सवालात करने के ज़रिये हलाक हो चुकी हैं, कि जो चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल ने फ़र्ज नहीं की थीं सवाल कर-करके उनको फ़र्ज करा लिया, और फिर उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी (उल्लंघन) में मुब्तला हो गये। तुम्हारा तरीका और मामूल यह होना चाहिये कि जिस काम का मैं हुक्म दूँ उसको अपनी हिम्मत भर पूरा करो और जिस चीज़ से मना कर दूँ उसको छोड़ दो (मुराद यह है कि जिन चीज़ों के बारे में कोई हुक्म न दिया जाये उनके बारे में खोद-कुरेद न करो)।

हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद नुबुव्वत

और वही का सिलसिला ख़त्म है

इस आयत में बयान हो रहे हुक्म के तहत यह भी इरशाद फ़रमाया गया कि:

وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلْكُمْ

यानी कुरआन उतरने के ज़माने में अगर तुम ऐसे सवालात करोगे तो वही (अल्लाह की तरफ़ से आने वाले पैग़ाम व अहकामात) से उनका जवाब आ जायेगा। इसमें कुरआन नाज़िल होने के ज़माने के साथ शर्त लगाकर इसकी तरफ़ इशारा फ़रमा दिया कि कुरआन उतरने के अमल के पूरा होने के बाद नुबुव्वत और वही का सिलसिला बन्द कर दिया जायेगा।

ख़त्म-ए-नुबुव्वत और वही के सिलसिले के बन्द हो जाने के बाद ऐसे सवालात का अगरचे यह असर न होगा कि नये अहकाम आ जायें या जो चीज़ें फ़र्ज नहीं हैं वो फ़र्ज हो जायें, या वही के ज़रिये किसी का खुफिया राज़ ज़ाहिर हो जाये, लेकिन ज़रूरत के सबब सवालात तैयार कर-करके उनकी तहकीकात और खोजबीन में पड़ना या बेज़रूरत चीज़ों के मुताल्लिक सवालात

करना नुबुव्वत के सिलसिले के खत्म होने के बाद भी बुरा, नापसन्दीदा और मना ही रहेगा, क्योंकि इसमें अपना और दूसरों का वक्त बरबाद करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

مِنْ حَسَنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

यानी मुसलमान होने की एक खूबी यह है कि आदमी फुजूल बातों को छोड़ देता है।

इससे मालूम हुआ कि बहुत से मुसलमान जो बिल्कुल फुजूल चीजों की तहकीक (खोद-कुरेद) में लगे रहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा (माँ) का क्या नाम था, और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लम्बाई-चौड़ाई कितनी थी, जिनका कोई असर इनसान के अमल पर नहीं, ऐसे सवालात करना बुरा और नापसन्दीदा है, खास तौर पर जबकि यह भी मालूम हो कि ऐसे सवालात करने वाले हज़रात अक्सर ज़रूरी और दीन के अहम मसाल्ल से बेखबर होते हैं। फुजूल कामों में पड़ने का नतीजा यही होता है कि आदमी ज़रूरी कामों से मेहरूम हो जाता है। रहा यह मामला कि फुक़हा (कुरआन व हदीस से मसाल्ल व अहक़ाम निकालकर उम्मत के सामने पेश करने वाले) हज़रात ने खुद ही बहुत सी ज़ेहनी और फ़र्ज़ की हुई सूरतें मसाल्ल की निकाल कर और सवालात कायम करके उनके अहक़ाम बयान कर दिये हैं, सो यह बेज़रूरत चीज़ न थी, आने वाले वाकिआत ने बतला दिया कि आने वाली नस्लों को उनकी ज़रूरत थी, इसलिये वो फुजूल और बेमक़सद सवालात न थे। इस्लाम की तालीमात में यह भी एक तालीम है कि इल्म हो या अमल, कोई काम हो या कलाम जब तक उसमें कोई दीनी या दुनियावी फ़ायदा सामने न हो उसमें लगकर वक्त बरबाद न करें।

बहीरा, सायबा वगैरह की तफ़सील

बहीरा, सायबा, वसीला, हामी, ये सब जाहिलीयत (इस्लाम आने से पहले) ज़माने की रस्मों और निशानात से संबन्धित हैं। मुफ़सिरीन (कुरआन के व्याख्यापकों) ने इनकी तफ़सीर में बहुत इख़िलाफ़ किया है, मुम्किन है इनमें से हर एक लफ़्ज़ का हुक्म मुख़लिफ़ सूरतों पर होता हो, हम सिर्फ़ सईद बिन मुसैयब रह. की तफ़सीर सही बुख़ारी से नक़ल करते हैं।

बहीरा: जिस जानवर का दूध बुतों के नाम पर वक्फ़ (समर्पित) कर देते थे, कोई अपने काम में न लाता था।

सायबा: जो जानवर बुतों के नाम पर हमारे ज़माने के साँड की तरह छोड़ दिया जाता था।

हामी: नर ऊँट जो एक खास ग़िज़ती के बराबर जुफ़ती (ऊँटनियों से संभोग) कर चुका हो, उसे भी बुतों के नाम पर छोड़ देते थे।

वसीला: जो ऊँटनी निरन्तर मादा बच्चा जने बीच में नर बच्चा पैदा न हो उसे भी बुतों के नाम पर छोड़ देते थे।

इसके अलावा यह कि ये चीज़ें शिर्क की निशानियों में से थीं-

जिस जानवर के गोश्त या दूध या सवारी वगैरह से लाभान्वित होने को हक़ तआला ने

जायज़ रखा उसके हलाल व हराम होने में अपनी तरफ़ से कैंदें और शर्तें लगाना गोया अपने लिये शरीअत व कानून बनाने के पद को तजवीज़ करना था, और एक बड़ा जुल्म यह था कि अपनी इन मुशिरकाना रस्मों को हक़ तआला की रज़ा और निकटता का ज़रिया तसव्वुर करते थे। इसका जवाब दिया गया कि अल्लाह तआला ने हरगिज़ ये रस्में मुकरर नहीं कीं, इनके बड़ों ने खुदा पर यह बोहतान बाँधा, और अक्सर बेअक्ल अ़वाम ने इसे कुबूल कर लिया। गर्ज़ कि यहाँ यह तंवीह की गयी कि जिस तरह फुजूल व वेकार सवालात करके शरई अहकाम में तंगी और सख़ी करना जुर्म है, इससे कहीं बढ़कर यह जुर्म है कि शरई हुक्म के बग़ैर महज़ अपनी राय और इच्छा से हलाल व हराम तजवीज़ कर लिये जायें। (फ़वाइदे उस्मानी)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
 أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ
 مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ فَرَجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

व इज़ा की-ल लहुम् तआलौ इत्ता
 मा अन्ज़लल्लाहु व इत्तरसूलि कालू
 हस्बुना मा वजदना अलैहि आबा-
 -अना, अ-व लौ का-न आबाउहुम्
 ला यअलमू-न शैअंव-व ला यस्तदून
 (104) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू
 अलैकुम् अन्फु-सकुम् ला यज़ुरुकुम्
 मन् जल्-ल इज़स्तदैतुम्, इलल्लाहि
 मर्जिअुकुम् जमीअन् फयुनब्बिउकुम्
 बिमा कुन्तुम् तअमलून (105)

और जब कहा जाता है उनको कि आओ उसकी तरफ़ जो कि अल्लाह ने नाज़िल किया और रसूल की तरफ़, तो कहते हैं हमको काफी है वह जिस पर पाया हमने अपने बाप-दादाओं को, भला अगर उनके बाप-दादे न कुछ इल्म रखते हों और न राह जानते हों तो भी ऐसा ही करेंगे? (104) ऐ ईमान वाले! तुम पर लाज़िम है फ़िक्र अपनी जान का, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ता जो कोई गुमराह हुआ जबकि तुम हुए राह पर, अल्लाह के पास लौटकर जाना है तुम सब को, फिर वह जतला देगा तुमको जो कुछ तुम करते थे। (105)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक

ऊपर रस्मों के पुजारी काफ़िरों की एक जहालत का जिक्र था, और ऐसी-ऐसी जहालतें उनकी बहुत सारी थीं, जिनको सुनकर मोमिनों को रंज और अफ़सोस होता था, इसलिये आये मोमिनों को इसके बारे में इरशाद है कि तुम क्यों इस ग़म में पड़े हो, तुमको अपनी इस्लाह (सुधार) का और दूसरों की इस्लाह में जहाँ तक हिम्मत व युस्अत हो कोशिश करने का हुक्म है,

बाकी कोशिश पर फल और परिणाम सामने लाना तुम्हारे इख्तियार से खारिज है, इसलिये "कोई खुद कुन कारे बेगाना मकुन" (अपना काम करते रहो और दूसरों के काम में मत पड़ो) का अमल करो।

खुलासा-ए-तफ़सीर

जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह तआला ने जो अहकाम नाज़िल फ़रमाए हैं उनकी तरफ़ और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की तरफ़ (जिन पर वो अहकाम नाज़िल हुए हैं) रुजू करो, (जो बात उससे हक़ साबित हो हक़ समझो और जो बातिल हो बातिल समझो) तो कहते हैं कि हमको (उन अहकाम और रसूल की ज़रूरत नहीं, हमको) वही (तरीका) काफी है जिस पर हमने अपने बड़ों को देखा है। (हक़ तआला फ़रमाते हैं कि) क्या (वह तरीका उनके लिये हर हाल में काफी है) चाहे उनके बड़े (दीन की) न कुछ समझ रखते हों और न (किसी आसमानी किताब की) हिदायत रखते हों? ऐ ईमान वालो! अपनी (इस्लाह की) फ़िक्र करो, (असल काम तुम्हारे जिम्मे यह है, बाकी दूसरों की इस्लाह के मुताल्लिक़ यह है कि जब तुम अपनी तरफ़ से अपनी ताक़त व गुंजाईश के मुताबिक़ इस्लाह की कोशिश कर रहे हो मगर दूसरे पर असर नहीं होता तो तुम असर पैदा होने और परिणाम सामने आने की फ़िक्र में न पड़ो क्योंकि) जब तुम (दीन की) राह पर चल रहे हो (और दीन की ज़रूरी चीज़ों को अदा कर रहे हो इस तरह कि अपनी इस्लाह कर रहे हो और दूसरों की इस्लाह में भी कोशिश कर रहे हो) तो जो शख्स (तुम्हारी सुधारक कोशिश के बावजूद भी) गुमराह रहे तो उस (के गुमराह रहने) से तुम्हारा कोई नुक़सान नहीं, (और जैसा कि इस्लाह वगैरह में हद से ज़्यादा फ़िक्र व ग़म से मना किया जाता है ऐसे ही हिदायत से नाउम्मीद होने की सूरत में गुस्से में आकर दुनिया ही में उन पर सज़ा नाज़िल होने की तमन्ना करना भी मना है, क्योंकि हक़ व बातिल का मुकम्मल फैसला तो आख़िरत में होगा, चुनाँचे) अल्लाह ही के पास तुम सब को जाना है, फिर वह तुम सब को जतला देगे जो-जो तुम सब किया करते थे (और जतलाकर हक़ पर सवाब और बातिल पर अज़ाब का हुक्म नाफ़िज़ फ़रमा देंगे)।

मअरिफ़ व मसाईल

इन आयतों के उतरने का मौका और सबब

जाहिलीयत (इस्लाम आने से पहले ज़माने) की रस्मों में एक अपने बाप-दादा की पैरवी (अनुसरण) भी थी, जिसने उनको हर बुराई में मुब्तला और हर भलाई से मेहरूम रखा था। तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में इब्ने अबी हातिम के हवाले से नक़ल किया है कि उनमें से कोई खुश नसीब अगर हक़ बात को मानकर मुसलमान हो जाता तो उसको यूँ शर्म दिलाई जाती थी कि तूने अपने बाप-दादों को बेवक़ूफ़ उहराया, कि उनके तरीके को छोड़कर दूसरा तरीका (दीन और रास्ता) इख्तियार कर लिया, उनकी इस गुमराही दर गुमराही पर यह आयत नाज़िल हुई:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا.

यानी जब उनको कहा जाता कि तुम अल्लाह तआला की नाज़िल की हुई सच्चाईयों और अहकाम और रसूल की तरफ़ रूजू करो जो हर हैसियत से हिक्मत व मस्तेहत और तुम्हारे लिये बेहतरी व फ़लाह की गारंटी देने वाले हैं तो उनके पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं होता कि हमको तो वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप-दादा को देखा है।

यह वह शैतानी दलील पकड़ना है जिसने लाखों इनसानों को मामूली समझ-बूझ और इल्म व हुनर रखने के बावजूद गुमराह किया। कुरआने करीम ने इसके जवाब में इरशाद फ़रमाया:

أُولَٰئِكَ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا.

गौर करने वालों के लिये कुरआन के इस एक जुमले ने किसी शख्स या जमाअत की इक्तदा (पैरवी) करने का एक सही उसूल बयान करके अन्धों के लिये बीनाई का और जाहिल व गाफ़िल के लिये हकीकत को ज़ाहिर करने का मुकम्मल सामान उपलब्ध करा दिया है, वह यह कि यह बात तो माकूल है कि न जानने वाले जानने वालों की, नावाकिफ़ लोग वाकिफ़ लोगों की पैरवी करें, जाहिल आदमी अलिम की पैरवी करे, लेकिन यह कोई माकूल बात नहीं कि इल्म व अक्ल और हिदायत के मेयार से हटकर अपने बाप-दादा या किसी भाई-बन्धु की पैरवी को अपना तरीका-ए-कार बना लिया जाये, और बग़ैर यह जाने हुए कि यह मुक्त्तदा (जिसकी पैरवी की जा रही है) खुद कहाँ जा रहा है, और हमें कहाँ पहुँचायेगा, उसके पीछे लग लिया जाये।

इसी तरह कुछ लोग किसी की पैरवी और अनुसरण का मेयार लोगों की भीड़ को बना लेते हैं, जिस तरफ़ यह भीड़ देखी उसी तरफ़ चल पड़े। यह भी एक अनुचित हरकत है, क्योंकि अक्सरियत तो हमेशा दुनिया में बेवकूफ़ों या कम-अक्लों की और अमल के लिहाज़ से बुरे आमाल वालों की रहती है, इसलिये लोगों की भीड़ हक़ व नाहक़ या भले-बुरे की तमीज़ का मेयार नहीं हो सकती।

ना-अहल को मुक्त्तदा बनाना तबाही को दावत देना है

कुरआन-ए-करीम के इस जुमले ने सब को एक वाज़ेह हिक्मत का सबक़ दिया कि इनमें से कोई चीज़ मुक्त्तदा व पेशवा बनाने के लिये हरगिज़ काफी नहीं, बल्कि हर इनसान पर सबसे पहले तो यह लाज़िम है कि अपनी जिन्दगी का मक़सद और अपने सफ़र का मुख़ मुतैयन करे, फिर उस मक़सद को हासिल करने के लिये यह देखे कि कौन ऐसा इनसान है जो उस मक़सद का रास्ता जानने वाला भी हो और उस रास्ते पर चल भी रहा हो। जब कोई ऐसा इनसान मिल जाये तो बेशक़ उसके पीछे लग लेना उसको मन्ज़िले मक़सूद पर पहुँचा सकता है। यही हकीकत है पुज्जहिद इमामों की तक्लीद (पैरवी) की, कि वे दीन को जानने वाले भी हैं और उस पर अमल करने वाले भी। इसलिये न जानने वाले उनकी पैरवी करके दीन के मक़सद यानी अल्लाह व रसूल के अहकाम की पैरवी को हासिल कर सकते हैं, और जो रास्ते से भटका हुआ हो,

मन्जिले मकसूद को खुद ही न जानता हो, या जान-बूझकर मन्जिल की विपरीत दिशा में चल रहा हो उसके पीछे चलना हर अक्लमन्द के नजदीक अपनी कोशिश व अमल को ज़ाया करना, बल्कि अपनी तबाही को दावत देना है। इस इल्म व हिक्मत और रोशन-ख्याली के ज़माने में भी अफ़सोस है कि लिखे-पढ़े और होश: व अक्ल वाले लोग इस हकीकत को नज़र-अन्दाज़ किये हुए हैं, और आजकी बरबादी और तबाही का सबसे बड़ा सबब ना-अहल (अयोग्य) और ग़लत मुक्तदाओं और लीडरों के पीछे चलना है।

पैरवी करने का मेयार

कुरआने करीम के इस जुमले ने किसी की पैरवी करने का निहायत माकूल और स्पष्ट मेयार दो चीज़ों को बनाया है, इल्म और इहतिदा। इल्म से मुराद मन्जिले मकसूद और उस तक पहुँचने के तरीकों का जानना है और इहतिदा से मुराद उस मकसद की राह पर चलना, यानी सही इल्म पर सीधा अमल।

खुलासा यह हुआ कि जिस शख्स को मुक्तदा बनाओ तो पहले यह देखो कि जिस मकसद के लिये उसको मुक्तदा बनाया है वह उस मकसद और उसके तरीके से पूरी तरह वाकिफ़ भी है या नहीं? फिर यह देखो कि वह उसकी राह पर चल भी रहा है? और उसका अमल अपने इल्म के मुताबिक़ है भी या नहीं?

ग़र्ज़ कि किसी को मुक्तदा बनाने के लिये सही इल्म और सीधे अमल के मेयार से जाँचना ज़रूरी है, सिर्फ़ बाप-दादा होना या बहुत से लोगों का लीडर होना, या माल व दौलत वाला होना या हुकूमत व सल्तनत वाला होना, इनमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जिसको पैरवी का मेयार समझा जाये।

किसी की आलोचना करने का असरदार तरीका

कुरआने करीम ने इस जगह बाप-दादा की पैरवी के आदी लोगों की ग़लती को वाज़ेह फ़रमाया और इसके साथ ही किसी दूसरे पर तन्कीद (आलोचना) और उसकी ग़लती ज़ाहिह करने का एक खास असरदार तरीका भी बतला दिया, जिससे सामने वाले के दिल को तकलीफ़ या उसको गुस्सा व नाराज़गी न हो। क्योंकि बाप-दादा के दीन की पैरवी करने वालों के जवाब में यूँ नहीं फ़रमाया कि तुम्हारे बाप-दादा जाहिल या गुमराह हैं, बल्कि एक सवालिया उनवाज़ बनाकर इशारा फ़रमाया कि क्या बाप-दादा की पैरवी उस हालत में भी कोई माकूल बात हो सकती है जबकि बाप-दादा न इल्म रखते हों न अमल।

मख़्लूक़ के सुधार की फ़िक्र करने वालों को एक तसल्ली

दूसरी आयत में मख़्लूक़ के सुधार की फ़िक्र में सब कुछ कुरबान करने वाले मुसलमानों को तसल्ली दी गयी है कि जब तुमने हक़ की तब्लीग़ व तालीम में अपनी हिम्मत भर कोशिश कर

तो और नसीहत व खैरख्वाही का हक़ अदा कर दिया तो फिर भी अगर कोई गुमराही पर जमा रहे तो तुम उसकी फ़िक्र में न पड़ो। उस हालत में दूसरों की गुमराही या ग़लत काम करने से तुम्हारा कोई नुक़सान न होगा। इरशाद फ़रमाया:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا بَصُرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

यानी ऐ मुसलमानो! तुम अपनी फ़िक्र करो, जब तुम राह पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह रहे तो उससे तुम्हारा कोई नुक़सान नहीं।

इस आयत के ज़ाहिरी अलफ़ाज़ से चूँकि यह समझा जाता है कि हर इनसान को सिर्फ़ अपने अमल और अपनी इस्लाह (सुधार) की फ़िक्र काफी है, दूसरे कुछ भी करते रहें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, और यह बात कुरआने करीम की बेशुमार स्पष्टताओं के खिलाफ़ है, जिन में नेक और अच्छे काम का हुक्म करने और बुरे कामों से रोकने को इस्लाम का अहम फ़रीज़ा और इस उम्मत की दूसरों से अलग खुसूसियत फ़रार दिया है, इसी लिये इस आयत के नाज़िल होने पर कुछ लोगों को शुद्धे पेश आये, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवालनात किये गये, आपने वज़ाहत फ़रमाई कि यह आयत नेक और अच्छे कामों का हुक्म करने के विरुद्ध नहीं, अच्छे कामों का हुक्म करना और बतलाना छोड़ दोगे तो मुजरिमों के साथ तुम भी पकड़ लिये जाओगे। इसी लिये तफ़सीर बहर-ए-मुहीत में हज़रत सईद इब्ने जुबैर रह. से आयत की यह तफ़सीर नक़ल की है कि तुम अपने शरई वाजिबात को अदा करते रहो जिनमें जिहाद और अच्छे कामों का हुक्म करना भी दाख़िल है। यह सब कुछ करने के बाद भी जो लोग गुमराह रहें तो तुम पर कोई नुक़सान नहीं। कुरआने करीम के अलफ़ाज़ 'इज़स्तदैतुम' में ग़ौर करें तो यह तफ़सीर खुद वाज़ेह हो जाती है। क्योंकि इसके मायने यह हैं कि जब तुम राह पर चल रहे हो तो दूसरों की गुमराही तुम्हारे लिये नुक़सान देने वाली नहीं, और ज़ाहिर है कि जो शख्स नेक काम का हुक्म करने के फ़रीज़े को छोड़ दे वह राह पर नहीं चल रहा है।

तफ़सीर दुरै-मन्सूर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकिआ नक़ल किया है कि उनके सामने किसी ने यह सवाल किया कि फुलॉ-फुलॉ हज़रात में आपस में सख़्त झगड़ा है, एक दूसरे को मुशिक कहते हैं, तो हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि क्या तुम्हारा यह ख़्याल है कि मैं तुम्हें कह दूँगा कि जाओ उन लोगों से जंग करो, हरगिज़ नहीं! जाओ उनको नमी के साथ समझाओ, कुबूल करें तो बेहतर और न करें तो उनकी फ़िक्र छोड़कर अपनी फ़िक्र में लग जाओ। फिर यही आयत आपने ज़वाब के सबूत में तिलावत फ़रमाई।

गुनाहों की रोक-थाम के बारे में

हज़रत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक ख़ुतबा

आयत के ज़ाहिरी अलफ़ाज़ से ऊपरी तज़र में जो शुद्ध हो सकता था उसको देखते हुए हज़रत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ख़ुतबे में इरशाद फ़रमाया कि तुम लोग इस आयत को पढ़ते हो और इसको बेमौका इस्तेमाल करते हो, कि अच्छे काम का हुक्म करने की

ज़रूरत नहीं, ख़ूब समझ लो कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम से सुना है कि जो लोग कोई गुनाह होता हुआ देखें और (अपनी हिम्मत व ताक़त के मुताबिक) उसको रोकने की कोशिश न करें तो क़रीब है कि अल्लाह तआला मुजरिमों के साथ उन दूसरे लोगों को भी अज़ाब में पकड़ ले।

यह रिवायत तिर्मिज़ी, इब्ने माजा में मौजूद है और अबू दाऊद के अलफ़ाज़ में इस तरह है कि जो लोग किसी ज़ालिम को जुल्म करते हुए देखें और उसको जुल्म से (अपनी ताक़त के मुताबिक) न रोकें तो अल्लाह तआला सब को अज़ाब में पकड़ लेंगे।

मारुफ़ और मुन्कर के मायने

पीछे गुज़री तफ़सील से यह बात मालूम हो चुकी कि हर मुसलमान पर यह लाज़िम है कि वह मुन्कर यानी नाजायज़ कामों और बातों की रोक-धाम करे या कम से कम उनसे नफ़रत का इज़हार करे। अब यह मालूम कीजिए कि मारुफ़ और मुन्कर किसको कहते हैं।

लफ़ज़ मारुफ़ मारिफ़ा से और मुन्कर इनकार से लिया गया है। मारिफ़ा कहते हैं किसी चीज़ को ग़ौर व फ़िक्क करके समझने या पहचानने को, इसके मुक़ाबले में इनकार कहते हैं न समझने या न पहचानने को। ये दोनों लफ़ज़ एक-दूसरे के सामने और मुक़ाबले के समझे जाते हैं। कुरआने करीम में एक जगह इरशाद है:

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا.

यानी अल्लाह की कामिल कुदरत की निशानियाँ और नज़ारे देखकर उसकी नेमतों को पहचानते हैं, मगर फिर दुश्मनी व बैर के सबब इनकार करते हैं। गोया उन नेमतों को जानते नहीं।

इससे मालूम हुआ कि लुग़त के मायने के एतिबार से मारुफ़ के मायने पहचानी हुई चीज़ के हैं, और मुन्कर के मायने न पहचानी हुई चीज़ के। इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने मुफ़रदातुल-कुरआन में इसी की मुनासबत से शरई परिभाषा में मारुफ़ व मुन्कर के यह मायने बयान फ़रमाये हैं कि मारुफ़ हर उस फ़ैल (काम) को कहा जाता है जिसका अच्छा होना अक़ल या शरीअत से पहचाना हुआ हो, और मुन्कर हर उस फ़ैल का नाम है जो अक़ल व शरीअत के हिसाब से ओपरा और न पहचाना हुआ हो, यानी बुरा समझा जाता हो। इसलिये 'अमर बिल्मारुफ़' के मायने अच्छे काम की तरफ़ बुलाने के और 'नही अनिल-मुन्कर' के मायने बुरे काम से रोकने के हो गये।

कुरआन व हदीस में ग़ौर व फ़िक्क करने वालों के विभिन्न

अक़वाल में कोई शरई बुराई नहीं होती

लेकिन इस जगह गुनाह व सवाब या फ़रमाँबरदागी व नाफ़रमानी के बजाय मारुफ़ व

मुन्कर का लफ्ज इस्तेमाल करने में शायद इस तरह इशारा हो कि वो वारिक, गहरे और इज्तिहादी मसाले जिनमें कुरआन व सुन्नत के संक्षिप्त या गौर-स्पष्ट होने की वजह से दो रायें हो सकती हैं, और इसी बिना पर उनमें उम्मत के फुक्हा के अकवाल अलग-अलग और भिन्न हैं, वो इस दायरे से खारिज हैं। इज्तिहाद करने वाले इमाम जिनकी इज्तिहाद की सलाहियत व मर्तवा उम्मत के उलेमा में मानी हुई है, अगर किसी मसले में उनके दो अलग-अलग कौल हों तो उनमें से किसी को भी शरीअत के खिलाफ नहीं कहा जा सकता, बल्कि उस मसले के दोनों पक्ष मारुफ (अच्छाई) में दाखिल हैं। ऐसे मसाले में एक राय को वरीयता प्राप्त समझने वाले के लिये यह हक नहीं है कि दूसरे पर ऐसा इनकार (एतिराज व बुराई) करे जैसा गुनाह पर किया जाता है। यही वजह है कि सहाबा व ताबिईन में बहुत से वैचारिक मतभेद और एक-दूसरे के विपरीत अकवाल (रायों) के बावजूद यह कहीं मन्कूल नहीं कि वे एक-दूसरे पर फ़ासिक या गुनाहगार होने का फ़तवा लगाते हों। बहस व खोजबीन और मुनाजरे व मुकालमे सब कुछ होते थे, और हर एक अपनी राय के बेहतर व वरीयता प्राप्त होने की वजह बयान करता और दूसरे पर एतिराज करता था, लेकिन कोई किसी को इस इखिलाफ (मतभेद) की वजह से गुनाहगार न समझता था।

खुलासा यह है कि इज्तिहादी इखिलाफ (वैचारिक मतभेद) के मौकों पर यह तो हर इल्म रखने वाले को इख्तियार है कि जिस जानिब को बेहतर और वरीयता प्राप्त समझे उसे इख्तियार करे, लेकिन दूसरे के फ़ेल को मुन्कर (बुरा और गुनाह) समझकर उस पर इनकार करने (यानी उसको ग़लत कहने) का किसी को हक नहीं है। इससे वाज़ेह हुआ कि गौर व फ़िक्र वाले मसाले में लड़ाई-झगड़े या आपसी नफ़रत फैलाने वाले लेख और मज़ामीन 'अमर बिलमारुफ़' या 'नही अनिल-मुन्कर' में दाखिल नहीं। इन मसाले को जंग का मोर्चा बनाना सिर्फ़ नावाक़फ़ियत या जहालत ही की वजह से होता है।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ

الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرِينَ مِمَّنْ غَيْرُكُمْ إِن كُنْتُمْ صُرِّبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْ بَيْنَكُمْ مَصِيبَةَ

الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهَا مِّنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقِيمُونَ بِاللَّهِ إِن رَّبَّكُمْ لَا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا

تَكُنْ شَهَادَةُ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لِينِ الْأَشْيَاءِ ۝ فَإِنْ عُرِيَ عَلَىٰ أَهْلِهَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَأَخْرَجَ يَقُومُونَ مَقَامَهَا

مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَادُ فَيُقْسِمُونَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِّنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا لِذَلِكَ

إِذَا لِينِ الظَّالِمِينَ ۝ ذَلِكَ لِأَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ آيْمَانِهِمْ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

या अय्युहल्लजी-न आमनू शहादतु
 बैनिकुम् इजा ह-ज़-र अ-ह-दकुमुल्-
 -मौतु हीनल्-वसिय्यतिस्नानि ज़वा
 अदलिम् मिन्कुम् औ आख़रानि मिन्
 गैरिकुम् इन् अन्तुम् ज़रब्तुम्
 फ़िल्अर्जि फ़-असाबल्कुम् मुसीबतुल्-
 -मौति, तह्विसूनहुमा मिम्-बअदिस-
 -सलाति फ़युक्समानि बिल्लाहि
 इनिरतब्तुम् ला नशतरी बिही
 स-मनव्-व लौ का-न ज़ा कुरबा व
 ला नक्तुमु शहा-दतल्लाहि इन्ना
 इज़ल्-लमिनल्-आसिमीन (106)
 फ़-इन् अुसि-र अला अन्नहुमस्तहक्का
 इस्मन् फ़-आख़रानि यक़ूमानि
 मक्का-महुमा मिनल्लजीनस्तहक्-क
 अलैहिमुल्-औलयानि फ़युक्समानि
 बिल्लाहि ल-शहादतुना अहक्कु मिन्
 शहादतिहिमा व मअ्तदैना इन्ना
 इज़ल् लमिनज़ज़ालिमीन (107)
 ज़ालि-क अदना अय्यअतू विशशहा-
 -दति अला वज्हिहा औ यखाफू अन्
 तुरद्-द ऐमानुम् बअ-द ऐमानिहिम्,
 वत्तकुल्ला-ह वस्मअू, वल्लाहु ला
 यह्दिल् कौमल् फ़ासिकीन (108) ❀

ऐ ईमान वालो! जबकि पहुँचे किसी को
 तुम में मौत, तो वसीयत के वक़्त तुम्हारे
 दरमियान दो शख़्स मोतबर गवाह होने
 चाहियें तुम में से, या दो गवाह और हों
 तुम्हारे अलावा। अगर तुमने सफ़र किया
 हो मुल्क में फिर पहुँचे तुमको मुसीबत
 मौत की, तो खड़ा करो उन दोनों को
 नमाज़ के बाद, वे दोनों क़सम खायें
 अल्लाह की, अगर तुमको शुब्हा पड़े कहे
 कि हम नहीं लेते क़सम के बदले माल
 अगरचे किसी की हमसे रिश्तेदारी भी हो,
 और हम नहीं छुपाते अल्लाह की गवाही,
 नहीं तो हम बेशक गुनाहगार हैं। (106)
 फिर अगर ख़बर हो जाये कि वे दोनों
 हक़ बात दबा गये तो दो गवाह और
 खड़े हों उनकी जगह उनमें से कि जिनका
 हक़ दबा है, जो सबसे ज़्यादा करीब हों
 मृतक के, फिर क़सम खायें अल्लाह की
 कि हमारी गवाही ज़्यादा हक़ और सही है
 पहलों की गवाही से, और हमने ज़्यादाती
 नहीं की, नहीं-तो हम बेशक ज़ालिम हैं।
 (107) इसमें उम्मीद है कि अदा करें
 गवाही को ठीक तरह और डरें कि उल्टी
 पड़ेगी क़सम हमारी उनकी क़सम के बाद,
 और डरते रहो अल्लाह से और सुन रखो,
 और अल्लाह नहीं चलाता सीधी राह पर
 नाफ़रमानों को। (108) ❀

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

ऊपर दीनी मस्लेहतों से संबन्धित अहकाम थे, आगे दुनियावी मस्लेहतों से संबन्धित कुछ अहकाम का जिक्र किया गया है, और इसमें इशारा कर दिया कि हक़ तआला अपनी रहमत से अन्जाम व आखिरत की इस्लाह (सुधार व बेहतरी) की तरह अपने बन्दों की दुनियावी ज़िन्दगी की इस्लाह भी फ़रमाते हैं। (तफ़सीर बयानुल-कुरआन)

इन आयतों के नाज़िल होने का मौक़ा व सबब

जिक्र हुई आयतों के नुज़ूल (उतरने) का वाकिआ यह है कि 'बुदेल' नाम का एक शख्स जो मुसलमान था, दो शख्सों तमीम व अदी के साथ जो उस वक़्त ईसाई थे, व्यापार के मक़सद से मुल्के शाम की तरफ़ गया। शाम पहुँचकर बुदेल बीमार हो गया, उसने अपने माल की सूची बनाकर सामान में रख दी, और अपने दोनों साथियों को इत्तिला न की। बीमारी जब ज़्यादा बढ़ी तो उसने दोनों ईसाई साथियों को वसीयत की कि मेरा सारा सामान मेरे वारिसों को पहुँचा देना। उन्होंने सारा सामान लाकर वारिसों के हवाले कर दिया, मगर चाँदी का एक प्याला जिस पर सोने का मुलम्मा या फूल-बूटे थे, उसमें से निकाल लिया। वारिसों को सूची सामान में से मिली, उन्होंने इन दोनों से पूछा कि मरने वाले ने कुछ माल फ़रोख़्त किया था या कुछ ज़्यादा बीमार रहा कि इलाज वगैरह में ख़र्च हुआ हो? इन दोनों ने इसका जवाब नफ़ी में दिया। आख़िर मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अदालत में पेश हुआ।

चूँकि वारिसों के पास गवाह न थे तो इन दोनों ईसाईयों से क़सम ली गयी कि हमने मृतक के माल में किसी तरह की ख़ियानत (चोरी) नहीं की, न कोई चीज़ उसकी छुपाई। आख़िर क़सम पर फ़ैसला उनके हक़ में कर दिया गया। कुछ समय के बाद ज़ाहिर हुआ कि वह प्याला उन दोनों ने मक्का में किसी सुनार के हाथ बेचा है, जब सवाल हुआ तो कहने लगे कि हमने मरने वाले से ख़रीद लिया था। चूँकि ख़रीदारी के गवाह मौजूद न थे इसलिये हमने पहले इसका जिक्र नहीं किया, कि कहीं हमें झूठ न बना दिया जाये।

मथियत के वारिसों ने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ रुजू किया। अब पहली सूरत के विपरीत ये दोनों जिनको मरने वाले ने माल पहुँचाने की वसीयत की थी, ख़रीदारी के दावेदार और वारिस इसके इनकारी थे। गवाही मौजूद न होने की वजह से वारिसों में से दो शख्सों ने जो मरने वाले से ज़्यादा करीब थे क़सम खाई कि प्याला मथियत की मिल्क था, और ये दोनों ईसाई अपनी क़सम में झूठे हैं। चुनाँचे जिस कीमत पर उन्होंने फ़रोख़्त किया था (यानी एक हजार दिरहम पर) वह वारिसों को दिलाई गयी।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वाले! तुम्हारे आपस (के मामलात) में (जैसे वारिसों को माल सुपुर्द करने के लिये) दो शख्सों का वसी "यानी जिसको वसीयत की गई हो, वसीयत पर अमल करने वाला" होना

मुनासिब है (अगरचे बिल्कुल वसी न बनाना भी जायज़ है), जबकि तुममें से किसी का मौत आने लगे (यानी) जब वसीयत करने का वक़्त हो (और) वे दो शख्स ऐसे हों कि दीनदार हों और तुममें से (यानी मुसलमानों में से) हों या गैर-कौम के दो शख्स हों, अगर (मुसलमान न मिलें, जैसे) तुम कहीं सफ़र में गए हो फिर तुम पर मौत का वाक़िआ पड़ जाए, (और ये सब चीज़ें वाजिब नहीं, मगर मुनासिब और बेहतर हैं, वरना जिस तरह बिल्कुल वसी न बनाना जायज़ है इसी तरह अगर एक वसी हो या आदिल न हो या वतन में होने की हालत में गैर-मुस्लिम को बनाये सब जायज़ है। फिर इन वसी बनाये गये लोगों का यह हुक्म है कि) अगर (ऐ वारिसो! किसी वजह से) तुमको (उन पर) शुब्हा हो तो (ऐ मुक़द्दिमे के फैसला करने वाले! इस तरह फैसला करो कि पहले वारिसों से चूँकि वे दावा करने वाले (वादी) हैं इस बात पर गवाह तलाव कर लो कि उन्होंने फुल्लौ चीज़ मसलन जाम "यानी प्याला" ले लिया है। और अगर वे गवाह न ला सकें तो उन वसी लोगों से चूँकि उन पर दावा किया गया है, इस तरह क़सम लो कि) उन दोनों (वसीयों) को नमाज़ के बाद (मसलन असर की नमाज़ के बाद) रोक लो, (क्योंकि अक्सर उस वक़्त भजना ज़्यादा होता है, तो झूठी क़सम खाने वाला कुछ न कुछ शर्माता है, और वक़्त भी सम्मानित है, कुछ इसका भी ख़्याल होता है, और इस बरकत वाले वक़्त और लोगों की अधिकता से मक़सूद क़सम में मज़बूती लाना है) फिर दोनों (इस तरह) खुदा की क़सम खाएँ कि (क़सम के अलफ़ाज़ के साथ यह कहें कि) हम इस क़सम के बदले में (दुनिया का) कोई नफ़ा नहीं लेना चाहते (कि दुनिया का नफ़ा हासिल करने के लिये क़सम में सच बोलने को छोड़ दें) अगरचे (इस वाक़िए में हमारा) कोई रिश्तेदार भी (क्यों न) होता, (जिसकी मस्लेहत को अपनी मस्लेहत समझकर हम झूठी क़सम खाते और अब तो कोई ऐसा भी नहीं, जब दोहरी मस्लेहतों की वजह से भी हम झूठ न बोलते तो एक मस्लेहत के लिये तो हम क्यों ही झूठ बोलेंगे) और अल्लाह की (तरफ़ से जिस) बात (के कहने का हुक्म है उस) को हम छुपाकर न रखेंगे (वरना) हम (अगर ऐसा करें तो) इस हालत में सख़्त गुनाहगार होंगे। (यह कौली एतिबार से क़सम में सख़्ती व मज़बूती लाना है और इससे उद्देश्य इस बात को ध्यान में लाना और इस तरफ़ तवज्जोह दिलाना है कि झूठ बोलना हराम और सच से काम लेना वाजिब है, साथ ही अल्लाह तआला की बड़ाई की तरफ़ ध्यान करना जिससे इनसान झूठ बोलने से बाज़ रहे। अब दोनों तरह के गाढ़े और मज़बूत इकरार के बाद अगर हाकिम की राय हो तो सिर्फ़ असल मज़मून की क़सम खायें, मसलन यह कहें कि मरने वाले ने हमको प्याला नहीं दिया और इसी पर मुक़द्दिमे का फैसला कर देना चाहिये। चुनाँचे इस आयत के वाक़िए में ऐसा ही हुआ)।

फिर (उसके बाद) अगर (किसी माध्यम से जाहिरी तौर पर) इसकी इत्तिला हो कि वे दोनों (वसी) किसी गुनाह के करने वाले हुए हैं (मसलन आयत वाले वाक़िए में जिसको पहले ज़िक्र कर दिया गया है, जब प्याला मक्का में मिला और दोनों वसीयों ने मालूम करने पर मृतक से ख़रीदने का दावा किया जिससे मृतक से ले लेने का इकरार लाज़िम आता है, और वह उनके पहले कौल के ख़िलाफ़ है जिसमें लेने ही से बिल्कुल इनकार किया था, चूँकि नुक़सान पहुँचाने

का इकरार हुज्जत है, इसलिये जाहिरन उनका चोर और झूठा होना मालूम हुआ) तो (ऐसी सूरत में मुकद्दिमे का रुख बदल जायेगा। वसी जो कि पहले मुद्आ-अलैह थे अब खरीदने के दावेदार हो गये, और वारिस जो कि पहले चोरी करने के दावेदार थे अब मुद्आ-अलैह "यानी जिस पर दावा किया जाये" हो गये, इसलिये अब फैसले की यह सूरत हो गयी कि पहले वंसीयों से खरीदने के गवाह तलब किये जायें, और जब वे गवाह पेश न कर सकें तो) उन (वारिस) लोगों में से जिनके मुकाबले में (उन वसीयों-की तरफ से उक्त) गुनाह का काम हुआ था और (जो कि शरई तौर पर मीरास के हकदार हों, जैसे आयत वाले वाकिए की सूरत में) दो शख्स (थे) जो सब (वारिसों) में (मीरास के हकदार होने के एतिबार से) ज्यादा करीब हैं, जहाँ (कसम खाने के लिये) वे दोनों (वसी) खड़े हुए थे (अब) ये दोनों (हलफ उठाने के लिये) खड़े हों, फिर दोनों (इस तरह) खुदा की कसम खाएँ कि (हलफ के अलफाज के साथ यह कहें कि) यकीनन हमारी यह कसम (जो कि जाहिरी व बातिनी तौर पर शक व शुब्हे से बिल्कुल पाक है) इन दोनों (वसीयों) की उस कसम से ज्यादा सच्ची और दुरुस्त है (क्योंकि इसकी हकीकत का अगरचे हमको इल्म नहीं, लेकिन जाहिरन तो वह संदिग्ध हो गयी) और हम (हक बात में) ज़रा भी हद से नहीं बढ़े, (वरना) हम (अगर ऐसा करें तो) उस हालत में सख्त ज़ालिम होंगे (क्योंकि पराया माल जान-बूझकर बिना मालिक की इजाजत के ले लेना जुल्म है, यह भी एक तरह की सख्ती है जो हाकिम की राय पर है। फिर असल मजमून पर कसम ली जाये, जिसके अलफाज इस वजह से कि ये दूसरे के फेल पर कसम खा रहे हैं ये होंगे कि खुदा की कसम हमारे इल्म में मृतक ने इन दावेदारों के हाथ प्याला फरोख्त नहीं किया, और चूँकि इल्म के सही या गलत होने पर कोई जाहिरी सबील नहीं हो सकती इसलिये उसके सही और वास्तविक होने पर ज्यादा ताकीद के साथ कसम ली गयी, जैसे लफज़ "अहक्कु" इसकी तरफ इशारा कर रहा है। जिसका हासिल यह हुआ कि इसका मदार चूँकि मेरे ही ऊपर है इसलिये मैं कसम खाता हूँ कि जैसे इसमें जाहिरी झूठ का सबूत नहीं हो सकता इसी तरह हकीकत में झूठ भी नहीं है। और इससे यह मालूम हुआ कि यहाँ हलफ उठाना इल्म पर है, और चूँकि इसका झूठ बिना इकरार के कभी साबित नहीं हो सकता इसलिये इसमें जो हक-तलफ़ी होगी वह सख्त दर्जे का जुल्म होगा, हो सकता है कि यहाँ ज़ालिमीन "यानी जुल्म करने वाले" इसी लिये कहा गया हो)।

यह (कानून जो आयतों के मजमूए में बयान हुआ है) बहुत करीब ज़रिया है इस बात का कि वे (वसी) लोग वाकिए को ठीक तौर पर जाहिर कर दें (अगर जायद माल उनको नहीं सौंपा गया है तो कसम खा लें, और अगर सौंपा गया है तो गुनाह से डरकर इनकार कर दें। यह हिक्मत तो वसी लोगों से कसम व हलफ लेने में है) या इस बात से डरकर (कर कसम खाने से) जाएँ कि उनसे कसम लेने के बाद (वारिसों पर) कसम मुतवज्जह की जाएगी (फिर हमको शर्मिन्दा और हल्का होना पड़ेगा। यह हिक्मत है वारिसों से कसम लेने और हलफ दिलाने में, और इन सब सूरतों में हकदार को उसका हक पहुँचाया है जो कि शरीअत का हुक्म और फसद है। क्योंकि अगर वसीयों को हलफ दिलाने का शरीअत में न होता और वसी लोग माल के मुपुर्द करने में सच्चे होते तो उनसे तोहमत दूर करने का कोई तरीका न होता, और अगर वे

झूठे होते तो वारिसों के हक को साबित करने का कोई तरीका न होता, और अब सच्चे होने के वक़्त वे बरी हो जाते, और झूठे होने के वक़्त शायद झूठी क़सम से डरकर इनकार कर जायें तो वारिसों का हक़ साबित हो जाता है। और अगर शरीअत में वारिसों से हलफ़ व क़सम लेने का हुक्म न होता और शरअन उनका हक़ होता तो हक़ के साबित करने की कोई सूरत न थी। और अगर शरअन उनका हक़ न होता तो वसीयों का हक़ साबित होने का कोई तरीका न था। और अब वारिसों का हक़ होने के वक़्त उनका हक़ साबित हो सकता है और हक़ न होने के वक़्त क़सम खाने का इनकार करने से वसीयों का हक़ साबित हो जायेगा। पस दो सूरतें वसीयों से हलफ़ व क़सम लेने की हिक्मत में हैं, और "यअतू बिश्शहादति" (पेश करें गवाही) दोनों को शामिल है, और दो सूरतें वारिसों के हलफ़ दिलाने और क़सम खाने की हिक्मत में हैं, जिनमें की दूसरी सूरत तो वसीयों के हलफ़ उठाने की पहली सूरत में दाख़िल है, और पहली सूरत "औ यखाफू" (यानी क़सम के उल्टे पड़ने) में दाख़िल है। पस दोनों फ़रीकों से क़समें लेने और हलफ़ उठवाने में तमाम हालतों की रियायत हो गयी। और अल्लाह तआला से डरो (और मामलात व हुक्क़ में झूठ मत बोलो) और (उनके अहक़ाम को) सुनो (यानी मानो), और (अगर ख़िलाफ़ करोगे तो गुनाहगार हो जाओगे) अल्लाह तआला गुनाहगार लोगों की (क़ियामत के दिन नेक और फ़रमाँबरदारों के दर्जों की तरफ़) रहनुमाई न करेंगे (बल्कि निजात पाने के वक़्त भी उनसे कम रहेंगे, तो ऐसा घाटा और नुक़सान क्यों ग़वारा करते हो)।

मआरिफ़ व मसाईल

मसला 1. मृतक (मरने वाला) जिस शख़्स को माल सुपुर्द करके उसके मुताल्लिक़ किसी को देने-दिलाने के लिये कह जाये वह वसी है, और वसी एक शख़्स भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी।

मसला 2. वसी का मुसलमान और आदिल (मोतबर व इन्साफ़ पसन्द) होना चाहें सफ़र की हालत हो या घतन में रहने की, अफ़ज़ल है, लाज़िम नहीं।

मसला 3. नज़अ (मरने के करीब वक़्त) में जो किसी ज़ायद चीज़ को साबित करने वाला हो वह मुद्ई (दावेदार) और दूसरा मुद्आ-अलैह (जिस पर दावा किया गया हो) कहलाता है।

मसला 4. अब्बल मुद्ई (दावा करने वाले) से ग़वाह लिये जाते हैं, अगर शरई क़ानून के मुवाफ़िक़ वह पेश कर दे तो मुक़द्दिमा वह पाता है, और अगर पेश न कर सके तो मुद्आ-अलैह से क़सम ली जाती है और मुक़द्दिमा वह पाता है। अलबत्ता अगर वह क़सम से इनकार कर जाये तो फिर मुद्ई (दावेदार) मुक़द्दिमा पा लेता है।

मसला 5. क़सम को किसी खास वक़्त या जगह के साथ पाबन्द करने या उसमें सख़्ती से काम लेने, जैसा कि ज़िक्र हुई आयत में किया गया है, हाकिम की राय पर है, लाज़िम नहीं। इस आयत से भी इस चीज़ का अनिवार्य होना साबित नहीं होता और दूसरी आयतों व रियायतों से भी इसका मुतलक़ (बिना किसी शर्त व क़ैद के) होना साबित है।

मसला 6. अगर मुद्आ-अलैह (जिस पर दावा किया गया है) किसी ग़ैर के फ़ैल के बारे में

कसम खाये तो अलफ़ाज़ ये होते हैं कि मुझको इस फ़ेल (काम) की ख़बर व सूचना नहीं।

मसला 7. अगर मीरास के मुक़द्दिमे में वारिस मुद्अ-अलैहि हों तो जिनको शरअन मीरास पहुँचती है उन पर कसम आयेगी, चाहे वह एक हो या अनेक, और जो वारिस नहीं उन पर कसम न होगी। (तफ़सीर बयानुल-कुरआन)

एक काफ़िर की गवाही दूसरे काफ़िर के मामले में माननीय है

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اِنَّ ذٰوِ اَعْدَلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنٍ مِّنْ

غَيْرِكُمْ.....

इस आयत में मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि जब तुम में से किसी को मौत आने लगे तो दो ऐसे आदमियों को दसी बनाओ जो तुम में से हों और नेक हों। और अगर अपनी कौम के आदमी (यानी मुसलमान) नहीं हैं तो ग़ैर कौम (यानी काफ़िरों में) से बनाओ।

इससे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह मसला निकाला है कि काफ़िरों की गवाही उनमें से एक-दूसरे के हक़ में जायज़ है, क्योंकि इस आयत में काफ़िरों की गवाही मुसलमानों पर जायज़ करार दी है, जैसा कि 'औ आख़रानि मिन् ग़ैरिक्म' से ज़ाहिर है, तो काफ़िरों की गवाही उनमें से एक की दूसरे पर और भी ज़्यादा जायज़ है, लेकिन बाद में आयत:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَدَّ اَيْتَمٌ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اٰجَلٍ مُّسْمًى فَاكْتَبُوْهُ..... وَاسْتَشْهِدُوْا شٰهِيْدِيْنَ مِّنْ رِّجَالِكُمْ

से काफ़िरों की गवाही मुसलमानों पर ख़त्म और निरस्त हो गयी, लेकिन काफ़िरों की एक-दूसरे पर इसी तरह बत्की है। (तफ़सीरे कुतुबी, अहकामुल-कुरआन, इमाम जस्सास की)

इमाम साहिब के मसलक की ताईद इस हदीस से भी होती है कि एक यहूदी ने ज़िना कर लिया तो उसके लोगों ने उसका चेहरा काला करके हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दरबार में पेश किया। आपने उसकी हालत देखकर वजह मालूम फ़रमाई तो उन्होंने कहा कि इसने ज़िना किया है। आप सल्ल. ने गवाहों की गवाही के बाद उसको रजम (पत्थरों से मार-मारकर ख़त्म) करने का हुक्म दिया। (जस्सास)

जिस शख्स पर किसी का हक़ हो वह उसको कैद करा सकता है

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

تَحْسِبُوْنَهُمَا

“तहबिसूनहुमा” (तो खड़ा करो उन दोनों को) इस आयत से एक उसूल मालूम हुआ कि जिस आदमी पर किसी का कोई हक़ वाजिब हो उसको उस हक़ की खातिर ज़रूरत के वक़्त कैद किया जा सकता है। (तफ़सीरे कुतुबी)

अल्लाह तआला के कौल “मिम्-बअदिस्सल्लाति” में सल्लात से असर की नमाज़ मुराद है।

इस वक्त को इख्तियार करने की वजह यह है कि उस वक्त का अहले किताब (यहूदी व ईसाई) बहुत सम्मान करते थे, झूठ बोलना ऐसे वक्त में खुसूसन उनके यहाँ मना था। इससे मालूम हुआ कि कसम में किसी खास वक्त या खास जगह वगैरह को कैद लगाकर उसको मजबूत और पुख्ता करना जायज़ है। (तफसीरे कुतुबी)

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا

أَجَبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَتَكَلَّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۝ وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝ وَإِذْ تَخَلَّقْنَا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَفَنَّفَخْنَا فِيهَا مِنْ طَيْرٍ بِإِذْنِي وَتَتَّبَعِي الْأَكْمَامَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۝ وَإِذْ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۝ وَإِذْ كَفَفْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

यौ-म यज्मअल्लाहरुसु-ल फ़-यकूलु
 मा जा उजिब्लुम्, कालू ला अिलु-म
 लना, इन्न-क अन्-त अल्लामुल्-
 गुयूब (109) इज़् कालल्लाहु या
 अीसब्-न मर्यमज़्कुर निज़् मती
 अलै-क व अला वालिदति-क। इज़्
 अव्यत्तु-क बिरुहिल्कुदुसि,
 तुकल्लिमुन्ना-स फिल्मस्दि व कस्तान्
 व इज़् अल्लम्तुकल्-किता-ब
 वल्-हिक्म-त वतौरा-त वल्डन्जी-ल व
 इज़् तख्लुकु मित्ततीनि कहै-अतित्तरि
 बि-इज़्नी फ़तन्फुखु फ़ीहा फ़-तकूनु
 तैरम् बि-इज़्नी व तुबिरुल्-अक्म-ह
 वल्अब्-स बि-इज़्नी व इज़् तुख्रिजुल्

जिस दिन अल्लाह जमा करेगा सब पैगम्बरों को फिर कहेगा- तुमको क्या जवाब मिला था? वे कहेंगे हमको खबर नहीं तू ही है छुपी बातों को जानने वाला। (109) जब कहेगा अल्लाह ऐ ईसा मरियम के बेटे! याद कर मेरा एहसान जो हुआ है तुझ पर और तेरी माँ पर, जब मदद की मैंने तेरी पाक रूह से, तू कलाम करता था लोगों से गोद में और बड़ी उम्र में, और जब सिखाई मैंने तुझको किताब और गहराई की बातें और तौरात और इन्जील, और जब तू बनाता था गारे से जानवर की सूरत मेरे हुक्म से फिर फूँक मारता था उसमें तो वह हो जाता उड़ने वाला मेरे हुक्म से, और अच्छा करता था माँ के पेट से पैदा होने वाले अंधे को, और कोढ़ी को मेरे हुक्म से, और जब

-मौता बि-इज़्नी व इज़् कफ़फ़तु बनी
इस्राई-ल अन्-क इज़् जिअ्तहुम्
बिल्बटियनाति फ़ कालल्लजी-न
क-फ़रु मिन्हुम् इन् हाज़ा इल्ला
सिह्रुम्-मुबीन (110)

निकाल खड़ा करता था मुर्दों को मेरे
हुक्म से, और जब रोका मैंने बनी
इसाईल को तुझसे, जब तू लेकर आया
उनके पास निशानियाँ तो उनमें जो
काफ़िर थे कहने लगे- और कुछ नहीं यह
तो खुला जादू है। (110)

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

ऊपर विभिन्न अहकाम का जिक्र हुआ और बीच में उन पर अमल की तरगीब और उनके खिलाफ़ करने पर डराया गया। इसी की ताकीद के लिये अगली आयत में कियामत के होलनाक वाकिआत याद दिलाते हैं ताकि इताअत (फ़रमाँबरदारी) का ज्यादा सबब और मुखालफ़त से ज्यादा रोक बने। और कुरआन मजीद का अवसर यही अन्दाज़ है। फिर सूरात के ख़त्म में अहले किताब की एक गुफ़्तगू और बातचीत जिक्र फ़रमायी है जो पहले गुज़री अनेक आयतों में जिक्र हो चुका, जिससे अहले किताब को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कुछ मज़ामीन सुनाना मक़सद है, जिनसे उनकी अब्दियत (बन्दा होने) को साबित करना और खुदा होने की नफ़ी करना है (अगरचे इस गुफ़्तगू का मौक़ा कियामत में पेश आयेगा)।

खुलासा-ए-तफसीर

(वह दिन भी कैसा होलनाक होगा) जिस दिन अल्लाह तआला पैग़म्बरों को (मय उनकी उम्मतों के) जमा करेंगे, फिर (उन उम्मतों में जो नाफ़रमान होंगे तो उनको डाँट-डपट सुनाने को उन पैग़म्बरों से) इरशाद फ़रमाएँगे कि तुमको (इन उम्मतों की तरफ़ से) क्या जवाब मिला था? वे अर्ज़ करेंगे कि (ज़ाहिरी जवाब तो हमें मालूम है, लेकिन इनके दिल की) हमको कुछ ख़बर नहीं, (उसको आप ही जानते हैं, क्योंकि) आप बेशक छुपी बातों को जानने वाले हैं। (मतलब यह कि एक दिन ऐसा होगा और आमाल व हालात की तफ़तीश होगी, इसलिये तुमको मुखालफ़त व नाफ़रमानी से डरते रहना चाहिये, और उसी रोज़ ईसा अलैहिस्सलाम से एक ख़ास गुफ़्तगू होगी) जबकि अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाएँगे कि ऐ मरियम के बेटे ईसा! मेरा इनाम याद करो (ताकि उसकी लज्जत ताज़ा हो) जो तुम पर और तुम्हारी माँ पर (विभिन्न वक्तों में विभिन्न सूरातों से हुआ है, जैसे) जबकि मैंने तुमको रुहुल-कुदुस (यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम) से इमदाद और ताईद दी। (और) तुम आदमियों से (दोनों हालातों में बराबर) कलाम करते थे (माँ की) गोद में भी और बड़ी उम्र में भी (दोनों कलामों में कुछ फ़र्क न था) और जबकि मैंने तुमको (आसमानी) किताबें और समझ की बातें और (खासकर) तौरात और इन्ज़ील तालीम कीं। और जबकि तुम मेरे हुक्म से गारे से एक शक्ल बनाते थे जैसे परिन्दे की शक्ल होती है, फिर तुम

उस (बनाई हुई शक्त) के अन्दर मेरे हुक्म से फूँक मार देते थे जिससे वह (सचमुच का जानदार) परिन्दा बन जाता था, और तुम मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे जन्म के अन्धे को और कोढ़ (जुजाम) के बीमार को, और जबकि तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को (कब्रों से) निकाल (और जिन्दा करके) खड़ा कर लेते थे, और जबकि मैंने बनी इस्राईल (मैं से जो आपके मुखालिफ़ थे उन) को तुमसे (यानी तुम्हारे क़त्ल और हलाक करने से) बाज़ रखा, जब (उन्होंने तुमको नुक़सान पहुँचाना चाहा जबकि) तुम उनके पास (अपनी नुबुव्वत की) दलीलें (यानी भोजिजे) लेकर आए थे। फिर उनमें जो काफ़िर थे उन्होंने कहा था कि ये (भोजिजे) सिवाय खुले जादू के और कुछ भी नहीं।

मआरिफ़ व मसाईल

क़ियामत में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से सबसे पहले सवाल होगा

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ

(जिस दिन अल्लाह तआला पैग़म्बरों को जमा करेगा) क़ियामत में अगरचे शुरू से आख़िर तक पैदा होने वाले तमाम इन्सान एक खुले मैदान में खड़े होंगे, और किसी ख़िल्ले, किसी मुल्क और किसी ज़माने का इन्सान हो वह उस मैदान में हाज़िर होगा, और सबसे उनके उम्र भर के आमाल का हिसाब लिया जायेगा, लेकिन बयान में ख़ास तौर पर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का जिक़्र किया गया:

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ

यानी उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाह तआला सब रसूलों को हिसाब के लिये जमा फ़रमायेंगे।

मुराद यह है कि जमा तो सारे आलम को किया जायेगा मगर सबसे पहले सवाल अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से होगा, ताकि पूरी मख़्लूक देख ले कि आजके दिन कोई हिसाब और सवाल व जवाब से अलग नहीं। फिर रसूलों से जो सवाल किया जायेगा वह यह है कि 'मा ज़ा उजिबतुम यानी जब आप लोगों ने अपनी-अपनी उम्मतों को अल्लाह तआला और उसके दीने हक़ की तरफ़ बुलाया तो उन लोगों ने आपको क्या जवाब दिया था? और क्या उन्होंने आपके बतलाये हुए अहक़ाम पर अमल किया? या इनकार व मुखालफ़त की?

इस सवाल के मुखातब अगरचे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम होंगे लेकिन वास्तव में उनकी उम्मतों को सुनाता मक़सद होगा, कि उम्मतों ने जो आमाल नेक या बुरे किये हैं उनकी गवाही सबसे पहले उनके रसूलों से ली जायेगी। उम्मतों के लिये यह वक़्त बड़ा नाजुक होगा, कि वह तो इस होश खो देने वाले हंगामे में अपने नबियों की शफ़ाअत की अपेक्षा कर रहे होंगे, उधर अम्बिया-ए-क़िराम ही से उनके बारे में यह सवाल हो जायेगा तो ज़ाहिर है कि अम्बिया-ए-क़िराम कोई गुलत या वास्तविकता के ख़िलाफ़ बात तो कह नहीं सकते, इसलिये मुजरिमों और

गुनाहगारों को अन्देशा यह होगा कि जब खुद नबी ही हमारे अपराधों के गवाह बनेंगे तो अब कौन है जो कोई शफ़ाअत (सिफ़ारिश) या मदद कर सके।

अम्बिया अलैहिमुस्सलाम इस सवाल का जवाब यह देंगे:

قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

यानी हमें उनके ईमान व अमल का कोई इल्म नहीं, आप खुद ही तमाम ग़ैब की चीजों से पूरे बाख़बर हैं।

एक शुब्हा और उसका जवाब

यहाँ सवाल यह है कि हर रसूल की उम्मत के वे लोग जो उनकी वफ़ात के बाद पैदा हुए उनके बारे में तो नबियों का यह जवाब सही और साफ़ है, कि उनके ईमान व अमल से वे बाख़बर नहीं, क्योंकि ग़ैब का इल्म अल्लाह तआला के सिवा किसी को नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी तायदाद उम्मत में उन लोगों की भी तो है जो खुद नबियों की अनथक कोशिशों से उन्हीं के हाथ पर मुसलमान हुए, और फिर उनके अहकाम की पैरवी उनके सामने करते रहे। इसी तरह वे काफ़िर जिन्होंने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की बात न मानी और मुख़ालफ़त व दुश्मनी से पेश आये, उनके बारे में यह कहना कैसे सही होगा कि हमें उनके ईमान व अमल का इल्म नहीं।

तफ़सीर बहर-ए-मुहीत में है कि इमाम अबू अब्दुल्लाह राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसके जवाब में फ़रमाया कि यहाँ दो चीज़ें अलग-अलग हैं- एक इल्म, जिसके मायने कामिल यकीन के हैं और दूसरे ग़ालिब गुमान, और ज़ाहिर है कि एक इनसान किसी दूसरे इनसान के सामने होने के बावजूद उसके ईमान व अमल की गवाही अगर दे सकता है तो सिर्फ़ ग़लबा-ए-गुमान के एतिबार से दे सकता है, वरना दिलों का राज़ और असल ईमान जिसका ताल्लुक़ दिल से है वह तो किसी को यकीनी तौर पर बग़ैर अल्लाह तआला की वही के मालूम नहीं हो सकता। हर उम्मत में मुनाफ़िकों के ग़िरोह रहे हैं, जो ज़ाहिर में ईमान भी लाते थे और अहकाम की पैरवी भी करते थे, मगर उनके दिलों में ईमान न था, और न पैरवी का कोई जज़्बा। वहाँ जो कुछ था सब दिखावा था, हाँ दुनिया के तमाम अहकाम उनकी ज़ाहिरी हालत के हिसाब से जारी होते थे। जो शख़्स अपने आपको मुसलमान कहे और अल्लाह के अहकाम की पैरवी करे, और इस्लाम व ईमान के खिलाफ़ उससे कोई कौल व फ़ेल साबित न हो, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतें उसको सच्चा और नैक मोमिन कहने पर मजबूर थे, चाहे वह दिल में सच्चा मोमिन हो या मुनाफ़िक़। इसी लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظُّوَاهِرِ وَاللّٰهُ مُتَوَلٰى السَّرَائِرِ

“यानी हम तो आमाल की ज़ाहिरी हालत पर हुक्म जारी करते हैं, दिलों के छुपे राज़ों का निगरान व वाकिफ़ खुद अल्लाह जल्ल शानुहु है।”

इसी उसूल के तहत दुनिया में तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी जगह लेने वाले

उनके खुलफ़ा और उलेमा जाहिरी आमाल पर अच्छा गुमान रखते हुए किसी के नेक मोमिन होने की गवाही दे सकते थे, लेकिन आज वह दुनिया का जहान जिसका सारा मदार गुमान पर था खत्म हो चुका, यह मेहशर का मैदान है जहाँ बाल की खाल निकाली जायेगी, असलियतों और सच्चाईयों को जाहिर किया जायेगा। मुजरिमों के मुक़ाबले में पहले दूसरे लोगों से गवाहियाँ ली जायेंगी, उनसे अगर मुजरिम मुत्मईन न हुआ और अपने जुर्म को क़बूल न किया तो खास किस्म के सरकारी गवाह सामने लाये जायेंगे, उनके मुँह और ज़बान पर तो ख़ामोशी की मोहर लगा दी जायेगी और मुजरिम के हाथ, पाँव और ख़ाल से गवाही ली जायेगी। वे हर फ़ैल की पूरी हकीकत बयान कर देंगे। जैसा कि कुरआन पाक में फ़रमाया है:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

उस वक़्त इनसानों को मालूम होगा कि मेरे तमाम आज़ा (बदनी हिस्से और अंग) ख़ुल-आलमीन की ख़ुफ़िया पुलिस थे। उनके बयान के बाद इनकार की कोई सूरत बाक़ी न रहेगी।

खुलासा यह कि उस जहान का कोई हुक्म केवल गुमान और अन्दाज़े पर नहीं चलेगा बल्कि इल्म व यकीन पर हर चीज़ का मदार होगा। और यह अभी मालूम हो चुका कि किसी शख्स के ईमान व अमल का असली और यकीनी इल्म सिवाय अल्लाह तआला के कोई नहीं जानता, इसलिये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से जब मेहशर में यह सवाल होगा कि 'मा जा उजिबतुम' (यानी जब आप लोगों ने अपनी-अपनी उम्मतों को अल्लाह तआला और उसके दीने हक़ की तरफ़ बुलाया तो उन लोगों ने आपको क्या जवाब दिया था?) तो वे इस सवाल की हकीकत को पहचान लेंगे कि यह सवाल दुनिया में नहीं हो रहा जिसका जवाब गुमान की बुनियाद पर दिया जा सके, बल्कि यह सवाल मेहशर में हो रहा है, जहाँ यकीन के सिवा कोई बात चलने वाली नहीं, इसलिये उनका यह जवाब कि हमें उनके मुताल्लिक कोई इल्म नहीं, यानी यकीनी इल्म नहीं, बिल्कुल बजा और दुरुस्त है।

एक सवाल और उसका जवाब

अम्बिया हज़रात की इन्तिहाई शफ़क़त का ज़हूर

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि उम्मतों के मानने और न मानने, फ़रमाँबरदारी या नाफ़रमानी के जो वाक़िआत उनके सामने पेश आये उनसे जिस तरह का इल्म ग़ालिब गुमान के मुताबिक़ उनको हासिल हुआ, इस सवाल के जवाब में वह तो बयान कर देना चाहिये था, सिफ़ उस इल्म के यकीन के दर्जे को अल्लाह तआला के हवाले किया जा सकता है। मगर यहाँ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी मालूमात और पेश आये वाक़िआत का कोई ज़िक्र ही नहीं किया, सब कुछ अल्लाह के इल्म के हवाले करके ख़ामोश हो गये।

हिक्मत इसमें यह थी कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अपनी उम्मतों और अल्लाह की आम मख़्लूक पर बेइन्तिहा मेहरबान होते हैं, उनके मुताल्लिक ऐसी कोई बात अपनी ज़बान से कहना

नहीं चाहेंगे जिससे ये लोग पकड़ में आ जायें। हाँ कोई मजबूरी ही होती तो कहना पड़ता, यहाँ यकीनी इल्म न होने का उज़्र मौजूद था, इस उज़्र से काम लेकर अपनी ज़बानों से अपनी उम्मतों के खिलाफ़ कुछ कहने से बच सकते थे, इस तरह इससे बच गये।

मेहशर में पाँच चीज़ों का सवाल

खुलासा यह कि इस आयत में क़ियामत के घबराहट वाले मन्ज़र की एक झलक सामने कर दी गयी है कि हिसाब के कटहरे में अल्लाह तआला के सबसे ज्यादा नेक व मक़बूल रसूल खड़े हैं और काँप रहे हैं तो दूसरों का क्या हाल होगा। इसलिये उस दिन की फ़िक्र आज से करनी चाहिये और उम्र के इन फुर्सत वाले लम्हात को उस हिसाब की तैयारी के लिये ग़नीमत समझना चाहिये। तिरमिज़ी शरीफ़ की एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ. عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ

مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ.

“यानी किसी आदमी के क़दम मेहशर में उस वक़्त तक आगे न सरक सकेंगे जब तक उससे पाँच सवालों का जवाब न ले लिया जाये- एक यह कि उसने अपनी उम्र के बड़े हिस्से और उसके रात-दिन को किस काम में ख़र्च किया। दूसरे यह कि खास तौर पर जवानी का ज़माना जो अमल की ताक़त का ज़माना था, उसको किन कामों में ख़र्च किया। तीसरे यह कि सारी उम्र में जो माल उसको हासिल हुआ वह कहाँ और किन हलाल या हराम तरीकों से कमाया। चौथे यह कि माल को किन जायज़ या नाजायज़ कामों में ख़र्च किया। पाँचवें यह कि अपने इल्म पर क्या अमल किया?”

अल्लाह तआला ने अपनी बेहिसाब रहमत व शफ़क़त से इस इम्तिहान के सवालनात का पर्चा भी पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़रिये उम्मत को बतला दिया, अब उनका काम सिर्फ़ इतना रह गया कि इन सवालनात का हल सीख लें और उसे महफूज़ रखें। इम्तिहान से पहले ही सवालनात बतला देने के बाद भी कोई उनमें फ़ेल हो जाये तो उससे ज्यादा मेहलूम कौन हो सकता है।

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से विशेष सवाल व जवाब

पहली आयत में तो आम नबियों का हाल और उनसे सवाल व जवाब का तज़क़िरा था, दूसरी आयत में और उसके बाद सूरत के ख़त्म तक की नौ आयतों में विशेष तौर पर बनी इसाईल के आख़िरी पैग़म्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़क़िरा और उन पर अल्लाह तआला के खुसूसी इनामों की कुछ तफ़सील का बयान है, और मेहशर में उनसे एक खुसूसी सवाल और उसके जवाब का ज़िक्र है, जो अगली आयतों में आ रहा है।

इस सवाल व जवाब का हासिल भी बनी इस्राईल और तमाम मख्लूक को यह हौलनाक मन्ज़र दिखलाना है कि उस मैदान में जब रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह (यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम) से सवाल होता है कि आपकी उम्मत ने जो आपको खुदा का शरीक बनाया, तो वह सारी इज़्ज़त व अज़मत वाले और मासूम व नबी होने के बावजूद किस कद्र घबराकर अपनी बराअत (बेगुनाही) अल्लाह की बारगाह में पेश फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा नहीं बार-बार विभिन्न और अलग-अलग उनवानात से इसकी नफ़ी करते हैं कि मैंने उनको यह तालीम न दी थी। पहले अर्ज किया:

سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّ

“यानी पाक हैं आप, मेरी क्या मजाल थी कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे हक़ न था।”

अपनी बराअत (बरी होने) का दूसरा पहलू इस तरह इख़्तियार फ़रमाते हैं कि खुद हक़ तआला को अपना गवाह बनाकर कहते हैं कि अगर मैं ऐसा कहता तो आपको ज़रूर इसका इल्म होता, क्योंकि आप तो मेरे दिल के भेद से भी वाकिफ़ हैं, कौल व फ़ैल का तो क्या कहना, आप तो ग़ैब की चीज़ों के ख़ूब जानने वाले हैं।

अल्लाह की बारगाह में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब

इस सारी तम्हीद (भूमिका) के बाद असल सवाल का जवाब देते हैं:

यानी यह कि मैंने उनको वही तालीम दी थी जिसका आपने मुझे हुक्म फ़रमाया था:

اِنْ اَعْبُدُ وَاللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ

यानी अल्लाह तआला की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी।

फिर इस तालीम के बाद जब तक मैं उन लोगों के अन्दर रहा तो मैं उनके कामों और बातों का गवाह था (उस वक़्त तक इनमें कोई ऐसा न कहता था) फिर जब आपने मुझे उठा लिया तो फिर ये लोग आप ही की निगरानी में थे, आप ही इनके कामों और बातों से पूरे वाकिफ़ हैं।

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कुछ विशेष इनामों का जिक्र

उन आयतों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस सवाल व जवाब का जिक्र किया गया है उससे पहले उन विशेष इनामों का भी जिक्र है जो खुसूसी तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ़ से हुए और मौजिज़ों की शक़ल में उनको अता फ़रमाये गये। इस पूरे के पूरे बयान में एक तरफ़ खुसूसी इनामों का और दूसरी तरफ़ जवाब-तलबी का मुन्ज़र दिखलाकर बनी इस्राईल की उन दोनों कौमों को तंबीह की गयी है जिनमें से एक ने तो उनकी तौहीन की और तरह-तरह की तोहमतें लगायीं और सताया, और दूसरी कौम ने उनको खुदा या खुदा का बेटा बना दिया। इनामों का जिक्र करके पहली कौम को और सवाल व जवाब का जिक्र करके दूसरी कौम को तंबीह की गयी। यहाँ जिन इनामों का तफ़सीली जिक्र कई आयतों में किया गया उनके

से एक जुमला ज्यादा काविले गौर है, जिसमें इरशाद हुआ है:

تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا

यानी एक खुसूसी मोजिजा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया वह यह है कि आप लोगों से बच्चा होने की हालत में भी कलाम करते हैं, और अधेड़ उम्र होने की हालत में भी।

इसमें पहली बात का मोजिजा (करिश्मा) और खुसूसी इनाम होना तो ज़ाहिर है, पैदाईश के शुरू के दौर में बच्चे कलाम करने के काबिल नहीं हुआ करते, कोई बच्चा माँ की गोद या पालने में बोलने लगे तो यह उसकी खास विशेषता होगी। अधेड़ उम्र में बोलना या कलाम करना जो बयान हुआ है वह तो कोई काबिले जिक्र चीज नहीं, हर इन्सान उस उम्र में बोला ही करता और कलाम करता है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खुसूसी हाल पर गौर करें तो इसका भी मोजिजा (करिश्मा) होना वाज़ेह हो जायेगा। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अधेड़ उम्र को पहुँचने से पहले ही दुनिया से उठा लिये गये, अब यहाँ के इन्सानों से उनका कलाम करना अधेड़ उम्र को पहुँचने के बाद तब ही हो सकता है जब वह दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लायें, जैसा कि मुसलमानों का मुत्तफ़िका अक़ीदा है, और कुरआन व सुन्नत की वज़ाहतों से साबित है। इससे मालूम हुआ कि जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन में कलाम करना मोजिजा था इसी तरह अधेड़ उम्र में कलाम करना भी, इस दुनिया में दोबारा आने की वजह से मोजिजा (अल्लाह की एक निशानी और करिश्मा) ही है।

وَأذْأَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ۝ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
 يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۚ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ۝ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا
 مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا
 عَيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ، وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ۝ قَالَ اللَّهُ إِنَّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ
 فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا بَاطِلًا أَعَذَّبْتُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

व इज़् औहेतु इलल्-हवारिय्यी-न-अन्
 आमिन् वी व बि-रसूली कालू
 आमन्ना वशहद् बिअन्नना मुस्लिमून
 (111) इज़् कालल्-हवारिय्यू-न या
 आसब्-न मर्य-म हल् यस्ततीजु

और जब मैंने दिल में डाल दिया हवारियों
 के कि ईमान लाओ मुझ पर और मेरे
 रसूल पर तो कहने लगे- हम ईमान लाये
 और तू गवाह रह कि हम फ़रमाँबरदार
 हैं। (111) जब कहा हवारियों ने ऐ ईसा

रब्बु-क अंयुनज़िज़-ल अलैना
 माइ-दतम्-मिनस्समा-इ, कालत्तकुल्ला-ह
 इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन (112) कालू
 नुरीदु अन् नअकु-ल मिन्हा व
 तत्मइन्-न कुलूबुना व नअल-म अन्
 कद् सदक्तना व नकू-न अलैहा
 मिनश्शाहिदीन। (113) ❖ काल-
 अीसब्नु मर्यमल्लाहुम्-म रब्बना
 अन्जि ल् अलैना माइ-दतम्
 मिनस्समा-इ तकूनु लना अीदल्
 लि-अव्वलिना व आख़ारिना व
 आयतम्-मिन्-क वरज़ुकना व अन्-त
 खैरुरज़िकीन (114) कालल्लाहु
 इन्नी मुनज़िज़लुहा अलैकुम्
 फ-मय्यक्फुर बअदु मिन्कुम् फ-इन्नी
 उअज़िज़बुहू अज़ाबल्-ला उअज़िज़बुहू
 अ-हदम् मिनल्-अालमीन (115) ❁

मरियम के बेटे! तेरा खबर कर सकता है कि
 उतारे हम पर ख़्वाब भरा हुआ आसमान
 से, बोला डरो अल्लाह से अगर हो तुम
 ईमान वाले। (112) बोले कि हम चाहते हैं
 कि खायें उसमें से और मुत्मईन हो जायें
 हमारे दिल, और हम जान लें कि तूने हम
 से सच कहा, और रहें हम उस पर गवाह।
 (113) ❖ कहा ईसा मरियम के बेटे ने ऐ
 अल्लाह खबर हमारे! उतार हम पर ख़्वाब
 भरा हुआ आसमान से कि वह दिन ईद
 रहे हमारे लिये पहलों और पिछलों के
 वास्ते, और निशानी हो तेरी तरफ़ से,
 और रोज़ी दे हमको और तू ही है सबसे
 बेहतर रोज़ी देने वाला। (114) कहा
 अल्लाह ने- मैं बेशक उतारूँगा वह ख़्वाब
 तुम पर फिर जो कोई तुममें नाशुकी करेगा
 उसके बाद तो मैं उसको वह अज़ाब दूँगा
 जो किसी को न दूँगा जहान में। (115) ❁

खुलासा-ए-तफसीर

और जबकि मैंने हवारियों को (इंजील में तुम्हारी ज़बानी) हुक्म दिया कि तुम मुझ पर और
 मेरे रसूल (ईसा अलैहिस्सलाम) पर ईमान लाओ। उन्होंने (जवाब में तुमसे) कहा कि हम (खुदा
 और रसूल-यानी आप पर) ईमान लाये, आप गवाह रहिये कि हम (खुदा के और आपके) पूरे
 फ़रमाँबरदार हैं। (वह वक़्त याद करने के काबिल है) जबकि हवारियों ने (हज़रत ईसा
 अलैहिस्सलाम से) अर्ज किया कि ऐ ईसा इब्ने मरियम! क्या आपके खबर ऐसा कर सकते हैं
 (यानी ऐसा होने में कोई बात ख़िलाफ़े हिक्मत होने वगैरह की इससे बाधा तो नहीं) कि हम पर
 आसमान से दस्तरख़्वाब (यानी कुछ खाना पका पकाया) नाज़िल फ़रमा दें? आपने फ़रमाया खुदा
 तआला से डरो अगर तुम ईमान वाले हो (मतलब यह कि तुम तो ईमान वाले हो इसलिये खुदा

से डरो और मोजिजों की फरमाईश से जो कि बिना जरूरत होने की वजह से खिलाफे अंदब है वचो। वे बोले कि (हमारा मकसद बेजरूरत फरमाईश करना नहीं है, बल्कि एक मस्तेहत से इसकी दरख्वास्त करते हैं, वह यह कि) हम (एक तो) यह चाहते हैं कि (बरकत हासिल करने को) उसमें से खाएँ और (दूसरे यह चाहते हैं कि) हमारे दिलों को (ईमान पर) पूरा इत्मीनान हो जाये। और (मतलब इत्मीनान का यह है कि) हमारा यह यकीन और बढ़ जाए कि आपने (अपने रसूल होने के दावे में) हमसे सच बोला है (क्योंकि जिस कद्र दलीलें बढ़ती जाती हैं दावे का यकीन बढ़ता जाता है)। और (तीसरे यह चाहते हैं कि) हम (उन लोगों के सामने जिन्होंने यह मोजिजा नहीं देखा) गवाही देने वालों में से हो जाएँ (कि हमने ऐसा मोजिजा देखा है ताकि उनके सामने रिसालत को साबित कर सकें, और उनकी हिदायत का यह जरिया बन जाये)।

ईसा इब्ने मरियम (अलैहिस्सलाम) ने (जब देखा कि इस दरख्वास्त में उनका मकसद सही है तो हक तआला से) दुआ की- ऐ अल्लाह! ऐ हमारे परवर्दिगार! हम पर आसमान से दस्तरख्वान (यानी खाना) नाजिल फरमाईये कि वह (दस्तरख्वान) हमारे लिए यानी हम में जो अब्वल (यानी मौजूदा जमाने में) हैं और जो बाद (के जमाने में आने वाले) हैं सब के लिए ईद (यानी एक खुशी की बात) हो जाए। (हाजिरीन की खुशी तो खाने से और दरख्वास्त कुबूल होने से और बाद वालों की खुशी अपने पूर्वजों पर इनाम होने से, और यह मकसद तो खास है मोमिनों के साथ) और (मेरी पैगम्बरी पर) आपकी तरफ से एक निशानी हो जाये (कि मोमिनों का यकीन बढ़ जाये और उपस्थित व गैर-उपस्थित इनकार करने वालों पर हुज्जत हो जाये, और यह मकसद मोमिनों वगैरह सब के लिये आम है)। और आप हमको (वह दस्तरख्वान यानी खाना) अता फरमाईये, और आप सब अता करने वालों से अच्छे हैं (क्योंकि सब का देना अपने फायदे के लिये और आपका देना मख्लूक के फायदे के लिये है, इसलिये हम अपने नफे और फायदे को सामने करके आपसे दस्तरख्वान की दरख्वास्त करते हैं)। हक तआला ने (जवाब में) इरशाद फरमाया कि (आप लोगों से कह दीजिए कि) मैं वह खाना (आसमान से) तुम लोगों पर नाजिल करने वाला हूँ, फिर जो शख्स तुम में से हक न पहचानने का जुर्म करेगा (यानी उसके वाजिब हकूक को अक्ली और अमली तौर पर अदा न करेगा) तो मैं उसको ऐसी सजा दूँगा कि वह सजा (इस वक़्त के) दुनिया जहान वालों में से किसी को न दूँगा।

मआरिफ व मसाईल

मोमिन को मोजिजों का मुतालबा नहीं करना चाहिये

अल्लाह तआला ने फरमाया:

قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُتْمَ مُؤْمِنِينَ

जब हवारियों (हजरत ईसा के सहाबा और उनके मददगारों) ने ईसा अलैहिस्सलाम से आसमान से मायदा (दस्तरख्वान) के उतरने का मुतालबा किया तो आपने जवाब में फरमाया कि

अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह तआला से डरते रहो। इससे मालूम हुआ कि ईमान वाले बन्दे को यह मुनासिब नहीं कि वह इस किस्म की फ़रमाईश करके खुदा तआला को आजमावे, और उससे करिश्मों और चमत्कारों का मुतालबा करे, बल्कि उसको चाहिये कि रोज़ी वगैरह को उन्हीं साधनों और माध्यमों से तलब करे जो कुदरत ने मुकरर कर रखे हैं।

जब नेमत असाधारण और बड़ी हो तो नाशुक्री का वबाल भी बड़ा होता है

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

فَإِنِّي آعَذِبُهُ عَذَابًا لَّا آعَذِبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ

इस आयत से मालूम हुआ कि जब नेमत ग़ैर-मामूली (असाधारण) और निराली होगी तो उसकी शुक्रगुजारी की ताकीद भी मामूली से बहुत बढ़कर होनी चाहिये, और नाशुक्री पर अज़ाब भी ग़ैर-मामूली और निराला आयेगा।

मायदा (खाने से भरा दस्तारख़्वान) आसमान से नाज़िल हुआ था या नहीं? इस बारे में मुफ़स्सिरीन हज़रत का मतभेद है। अक्सरियत की राय है कि नाज़िल हुआ था। चुनाँचे तिर्मिज़ी शरीफ़ की हदीस में हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है कि मायदा आसमान से नाज़िल हुआ, उसमें रोटी और गोश्त था। और इस हदीस में यह भी है कि उन लोगों ने (यानी उनमें से कुछ ने) ख़ियानत (बद-दियानती) की और अगले दिन के लिये उठाकर रखा, पस बन्दर और सुअर की सूरत में बदल गये। (अल्लाह तआला हमें अपने ग़ज़ब से अपनी पनाह में रखे)

और इस हदीस से यह भी मालूम होता है कि वे उसमें से खाते भी थे, जैसा कि "नअकुलु" (हम उसमें से खायें) में उनकी यह ग़र्ज़ भी ज़िक्र हुई है, अलबत्ता आगे के लिये रख लेना मना (वर्जित) था। (तफ़सीर बयानुल-कुरआन)

وَرَأَىٰ أَنَّهُ قَالَ لِيُعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي

وَأُمِّي الْهَيْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ بَحْثٌ وَإِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ إِنَّ تَعْلَامَهُمْ فِائِمٌ عِبَادِكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

व इज़् कालल्लाहु या अीसब्-न
 मर्य-म अ-अन्-त कुल्-त लिन्नासित्
 तखिज़्नी व उम्मि-य इलाहैनि मिन्
 दूनिल्लाहि, क़-ल सुब्हान-क मा
 यकूनु ली अन् अक्-ल मा लै-स ली
 बिहकिन्, इन् कुन्तु कुल्लुहू फ-कद्
 अलिम्तहू तअलमु मा फी नफ्सी व
 ला अअलमु मा फी नफिस-क,
 इन्न-क अन्-त अल्लामुल्-गुयूब
 (116) मा कुल्लु लहुम् इल्ला मा
 अमरतनी बिही अनिअबुदुल्ला-ह
 रब्बी व रब्बकुम् व कुन्तु अलैहिम्
 शहीदम् मा दुम्तु फीहिम् फ-लम्मा
 तवफ़ैतनी कुन्-त अन्तरकी-ब
 अलैहिम्, व अन्-त अला कुल्लि
 शैइन् शहीद (117) इन् तुअज़िज़्हुम्
 फ-इन्नहुम् अिबादु-क व इन् तगिफ़्र
 लहुम् फ-इन्न-क अन्तल् अज़ीज़ुल्-
 हकीम (118)

और जब कहेगा अल्लाह ऐ ईसा मरियम
 के बेटे! क्या तूने कहां लोगों को कि
 ठहरा तो मुझको और मेरी माँ को दो
 माबूद सिवाय अल्लाह के? कहा तू पाक
 है मुझको यह लायक नहीं कि कहूँ ऐसी
 बात जिसका मुझको हक़ नहीं। अगर मैंने
 यह कहा होगा तो तुझको ज़रूर मालूम
 होगा, तू जानता है जो मेरे जी में है और
 मैं नहीं जानता जो तेरे जी में है, बेशक तू
 ही है जानने वाला छुपी बातों का। (116)
 मैंने कुछ नहीं कहा उनको मगर जो तूने
 हुक्म किया कि बन्दगी करो अल्लाह की
 जो रब है मेरा और तुम्हारा, और मैं
 उनकी ख़बर रखने वाला था जब तक
 उनमें रहा, फिर जब तूने मुझको उठा
 लिया तो तू ही था ख़बर रखने वाला
 उनकी, और तू हर चीज़ से ख़बरदार है।
 (117) अगर तू उनको अज़ाब दे तो वे
 बन्दे हैं तेरे, और अगर तू उनको माफ़
 कर दे तो तू ही है ज़बरदस्त हिक्मत
 वाला। (118)

खुलासा-ए-तफसीर

और (वह वक़्त भी जिक्र के काबिल है) जबकि अल्लाह तआला (कियामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से काफ़िर ईसाईयों को सुनाने के लिये) फ़रमाएँगे कि ऐ ईसा इब्ने मरियम! (इन लोगों में जिनका अकीदा तस्लीस का था, यानी अल्लाह तआला के साथ ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहस्सलाम को खुदाई में शरीक मानते थे) क्या तुमने इन लोगों से कह दिया था कि खुदा के अलावा मुझको (यानी ईसा अलैहिस्सलाम को) और मेरी माँ (यानी हज़रत मरियम) को भी दो माबूद करार दे लो? (ईसा अलैहिस्सलाम) अर्ज़ करेंगे कि (तौबा-तौबा मैं) तो

(खुद अपने अक्कीदे में) आप (को शरीक से पाक समझता हूँ और हैं जैसा कि आप वास्तव में भी) पाक हैं (तो ऐसी हालत में) मुझको किसी तरह मुनासिब न था कि मैं ऐसी बात कहता जिस (के कहने) का मुझको कोई हक नहीं, (न अपने अक्कीदे के लिहाज से क्योंकि मैं एक खुदा का कायल हूँ और न अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के एतिबार से क्योंकि मुझको ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया गया था। और इस न कहने की मेरी दलील यह है कि) अगर मैंने (वास्तव में) यह कहा होगा तो आपको इसका (यकीनन) इल्म होगा, (मगर जब आपके इल्म में भी मैंने नहीं कहा तो वास्तव में भी नहीं कहा, और कहने की सूरत में आपको इसका इल्म होना इसलिये जरूरी है क्योंकि) आप तो मेरे दिल के अन्दर की बात भी जानते हैं (तो जो ज़बान से कहता उसका इल्म तो क्यों न होता) और मैं (तो दूसरी मख्लूक़ात की तरह इतना आजिज़ हूँ कि) आपके इल्म में जो कुछ है उसको (बिना आपके बतलाये हुए) नहीं जानता, (जैसे दूसरी मख्लूक़ात का भी यही हाल है, पस) तमाम ग़ैबों के जानने वाले आप ही हैं (तो जब अपना इस कद्र बेबस होना और आपका कामिल होना मुझको मालूम है तो खुदा होने में शिकत का दावा कैसे कर सकता हूँ। यहाँ तक तो इस बात के कहने की नफ़ी हुई, आगे इसके उलट कहने को साबित करने का बयान है कि) मैंने तो इनसे और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ़ वही (बात) जो आपने मुझसे कहने को फरमाया था, कि तुम अल्लाह की बन्दगी (इख़्तियार) करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है।

(यहाँ तक तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी हालत के मुताल्लिक अर्ज़ किया, आगे उन लोगों की हालत के मुताल्लिक अर्ज़ करते हैं। क्योंकि 'क्या तूने कहा कि ठहरा लो मुझे और मेरी माँ को माबूद' में अगरचे ज़ाहिर में तो सवाल इसका है कि आपने ऐसा कलिमा कहा है या नहीं? लेकिन इशारे के तौर पर इसका भी सवाल मालूम होता है कि यह अक्कीदा-ए-तस्लीस "तीन खुदाओं के मानने का अक्कीदा" कहाँ से पैदा हुआ। पस ईसा अलैहिस्सलाम इस बारे में यूँ अर्ज़ करेंगे कि) और मैं उन (की हालत) पर बा-ख़बर (अवगत) रहा जब तक उनमें (मौजूद) रहा, (तो उस वक़्त तक का हाल तो मैंने खुद देखा है उसके बारे में बयान कर सकता हूँ) फिर जब आपने मुझको उठा लिया (यानी पहली बार में तो जिन्दा आसमान की तरफ़ और दूसरी बार में वफ़ात के तौर पर) तो (उस वक़्त सिर्फ़) आप इन (के हालात) पर मुत्तला रहे, (उस वक़्त की मुझको ख़बर नहीं कि इनकी गुमराही का सबब क्या हुआ और क्योंकर हुआ) और आप हर चीज़ की पूरी ख़बर रखते हैं। (यहाँ तक तो अपना और उनका मामला अर्ज़ किया आगे उनके और हक़ तआला के मामलात के मुताल्लिक अर्ज़ करते हैं कि) अगर आप इनको (इस अक्कीदे पर) सज़ा दें तो (तब भी आप मुख़्तार हैं, क्योंकि) ये आपके बन्दे हैं, (और आप इनके मालिक, और मालिक को हक़ है कि बन्दों को उनके जराइम पर सज़ा दे) और अगर आप इनको माफ़ी फरमा दें तो (तब भी आप मुख़्तार हैं, क्योंकि) आप ज़बरदस्त (कुदरत वाले) हैं, (तो माफ़ी पर भी कादिर हैं और) हिक्मत वाले (भी) हैं (तो आपकी माफ़ी भी हिक्मत के मुवाफ़िक़ होगी, इसलिये इसमें भी कोई बुराई नहीं हो सकती। मतलब यह है कि दोनों हाल में आप मुख़्तार हैं)

में कुछ दखल नहीं देता। गर्ज कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहली अर्जी "पाक है तू मुझको लायक नहीं....." में उन तीन खुदाओं के मानने वालों के अक्दीदे और इसकी तालीम देने से अपना बरी और बेताल्लुक होना, दूसरी अर्जी 'जब तक मैं इनमें रहा इनकी खबर रखने वाला था.....' में उनके इस तीन खुदाओं वाले अक्दीदे के सबब को तफ़सील से जानने से बरी और बेखबर होने तक से, और तीसरी अर्जी 'अगर तू इनको अज़ाब दे तो ये तेरे बन्दे हैं.....' में अपनी कोई राय और इच्छा तक ज़ाहिर करने से बरी और अलग होना ज़ाहिर कर दिया, और यही उद्देश्य था हक़ तआला का ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इन बातों और गुप्तगू के करने से। पस इससे उन काफ़िरो को अपनी नादानी पर पूरी सख़्ती व डॉट-डपट और अपनी नाकामी पर हसरत व मायूसी होगी)।

मआरिफ़ व मसाईल

इन आयतों से मालूम होने वाली चन्द अहम बातें

अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰ..... الخ

"और जब कहेगा अल्लाह तआला ऐ ईसा मरियम के बेटे!"

अल्लाह तआला हर चीज़ को जानने वाले हैं, लिहाज़ा ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल इसलिये नहीं फ़रमा रहे कि उनको मालूम नहीं है, बल्कि इससे मक़सद उनकी ईसाई क़ौम की मलामत और उन्हें फटकार लगाना है कि जिसको तुम खुदा और माबूद मान रहे हो वह खुद तुम्हारे अक्दीदे के खिलाफ़ अपनी बन्दगी का इकरार कर रहा है, और तुम्हारे बोहतान (इल्ज़ाम) से वह बरी है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

فَلَمَّا تَوَلَّيْتِي كُنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की मौत या आसमान पर उठाने वगैरह की बहस सूर: आले इमरान में आयत नम्बर 55 के तहत गुज़र चुकी है, वहाँ देख लिया जाये।

"फलम्मा तवफ़ैतनी....." इस आयत से ईसा अलैहिस्सलाम की मौत और आसमान पर उठाने के इनकार पर दलील पकड़ना सही नहीं है, इसलिये कि यह गुप्तगू कियामत के दिन होगी, और उस वक़्त आसमान से उतरने के बाद आपको असली मौत हासिल हो चुकी होगी। मुनाज़ि इमाम इब्ने कसीर ने हज़रत अबू मूसा अश़री रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से एक हीस नक़ल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब कियामत का दिन होगा तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतें बुलाई जायेंगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया जायेगा, फिर अल्लाह तआला उनको अपनी नेमतें याद दिलायेगा और उनको नज़दीक करके फ़रमायेगा कि ऐ ईसा मरियम के बेटे!

أَذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ

(याद कर मेरा एहसान जो हुआ है तुझ पर और तेरी माँ पर.....) यहाँ तक कि फ़रमावेगा:

يٰٓيٰسَىٰ اِبْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاٰمِيَ الْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

(क्या तूने कहा लोगों को कि ठहरा लो मुझको और मेरी माँ को दो माबूद अल्लाह के अलावा?) हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे कि परवर्दिगार मैंने नहीं कहा है। फिर ईसाईयों से सवाल होगा तो ये लोग कहेंगे कि हाँ इसने हमको यही हुक्म दिया था। उसके बाद उनको दोज़ख की तरफ़ हँका जायेगा।

अल्लाह तआला का कौल:

اِنْ تَعْلَبِيْهِمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ

यानी आप अपने बन्दों पर जुल्म और बेजा सख़्ती नहीं कर सकते, इसलिये अगर इनको सज़ा देंगे तो यह पूरी तरह इन्साफ़ व हिक्मत पर आधारित होगा, और मान लीजिये कि माफ़ कर दें तो यह माफ़ी भी किसी मजबूरी या बेबसी की वजह से न होगी क्योंकि आप ज़बरदस्त और ग़ालिब हैं, इसलिये कोई मुजरिम आपकी पकड़ और कब्ज़े से निकलकर भाग नहीं सकता कि उस पर आप काबू न पा सकें। और चूँकि हकीम (हिक्मत वाले) हैं, इसलिये यह भी मुम्किन नहीं कि किसी मुजरिम को यँही बेमौका छोड़ दें। बहरहाल जो फैसला आप इन मुजरिमों के हक़ में करेंगे वह बिल्कुल हकीमाना और कादिराना होगा।

हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का यह कलाम चूँकि मेहशर में होगा जहाँ काफ़िरों के हक़ में कोई शफ़ाअत और रहम वगैरह की फ़रियाद नहीं हो सकती, इसलिये हज़रत मसीह ने "अज़ीजुन हकीम" की जगह "ग़फ़ूरुर्हीम" वगैरह सिफ़ात को इख़्तियार नहीं फ़रमाया, जबकि इसके विपरीत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में अपने परवर्दिगार से अर्ज़ किया था:

رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(ऐ परवर्दिगार इन बुतों ने बहुत से आदमियों को गुमराह कर दिया, तो जो उनमें से मेरे ताबे हुआ वह मेरा आदमी है और जिसने मेरी नाफ़रमानी की तो फिर तू ग़फ़ूरुर्हीम है) यानी अभी मौका है कि तू अपनी रहमत से आगे चलकर उनकी तौबा और हक़ की तरफ़ लौटने की तौफ़ीक़ देकर पिछले गुनाहों को माफ़ फ़रमा दे। (फ़वाइद उस्मानी)

इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मर्तबा पूरी रात एक ही आयत पढ़ते रहे, और वह आयत 'इन् तुअज़िज़ुहुम् फ़इन्नहुम् इबादु-क.....' है (यानी यही आयत नम्बर 118 थी जिसकी यह तफ़सीर बयान हो रही है)। फिर जब सुबह हुई तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! आप यही आयत पढ़ते रहे, रुकूअ इसी से और सज्दे इसी से करते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गयी, तो फ़रमाया कि मैंने अपने परवर्दिगार से अपने वास्ते शफ़ाअत की दरख़्वास्त की तो मुझे अता फ़रमाई, और वह इन्शा-अल्लाह तआला मिलने वाली है ऐसे शख़्स के वास्ते जिसने अल्लाह तआला के साथ किसी चीज़ को शरीक न किया हो।

दूसरी रिवायत में आता है कि आपने यह आयत (नम्बर 118) पढ़कर आसमान की तरफ हाथ उठाये और कहा "अल्लाहुम्-म उम्मी" यानी मेरे पाक परवर्दिगार मेरी उम्मत की तरफ रहमत की नज़र फरमा, और आप रोने लगे। इस पर अल्लाह तआला ने हज़रत जिब्रील के ज़रिये रोने की वजह मालूम फरमाई, तो आपने जिब्रील अमीन को अपनी उम्मत के बारे में सवाल से आगाह किया, इस पर अल्लाह तआला ने हज़रत जिब्रील से फरमाया कि फिर जाओ और (हज़रत) मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम्) से कह दो कि हम जल्द ही तुम्हारी उम्मत के बारे में तुमको रज़ामन्द कर देंगे, और तुमको नाखुश न करेंगे।

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

क़ालल्लाहु हाज़ा यौमु यन्फ़अुस्-
सादिकी-न सिद्कुहुम्, लहुम्
जन्नातुन् तजरी मिन् तस्तिहल्-अन्हारु
ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन्,
रज़ियल्लाहु अन्हुम् व रज़ू अन्हु,
ज़ालिकल् फ़ौज़ुल् अज़ीम (119)
लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि व
मा फ़ीहिन्-न, व हु-व अला कुल्लि
शैइन् क़दीर (120) ❀

फरमाया अल्लाह ने यह दिन है कि काम
आएगा सच्चों के उनका सच, उनके लिये
हैं बाग़ जिनके नीचे बहती हैं नहरें, रहा
करेंगे उन्हीं में हमेशा, अल्लाह राज़ी हुआ
उनसे और वे राज़ी हुए उससे, यही है
बड़ी कामयाबी। (119) अल्लाह ही के
लिये सल्तनत है आसमानों की और ज़मीन
की और जो कुछ उनके बीच में है, और
वह हर चीज़ पर क़ादिर है। (120) ❀

14
85
2

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक़

ऊपर दोनों रूक़अ में कियामत के दिन, आमाल व अहवाल का हिसाब व किताब और
सवाल व जवाब का ज़िक्र है, अब आगे उस तफ़्तीश व जाँच का नतीजा ज़िक्र किया जाता है।

खुलासा-ए-तफ़्सीर

(ज़िक्र हुई इस तमाम बातचीत और गुफ़्तगू के बाद) अल्लाह तआला इरशाद फरमाएंगे कि
यह (कियामत का दिन) वह दिन है कि जो लोग (दुनिया में अक्कीदों, आमाल और अपने
अक़वाल के) सच्चे थे (कि वह सच्चा होना अब ज़ाहिर हो रहा है, जिनमें नबी इज़रात जिनसे

खिताब हो रहा है और मोमिन लोग जिनके इमान की नबी व फ़रिश्ते सब गवाही देंगे, सब दाखिल हैं। और इसमें रसूलों और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक की तरफ भी इन गुफ्तगुओं में इशारा हो गया। गर्ज़ कि ये सब हज़रात जो दुनिया में सच्चे थे) इनका सच्चा होना (आज) इनके काम आएगा (और वह काम आना यह है कि) इनको (जन्नत के) बाग़ (रहने को) मिलेंगे जिनके (महलों के) नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वे हमेशा-हमेशा के लिये रहेंगे। (और वे नेमतें उनको क्यों न मिलें क्योंकि) अल्लाह उनसे राज़ी और खुश और वे अल्लाह तआला से राज़ी और खुश हैं (और जो शख्स राज़ी और पसन्दीदा हो उसको ऐसी ही नेमतें मिलती हैं)। यह (जो कुछ ज़िक्र हुआ) बड़ी भारी कामयाबी है (कि दुनिया की कोई कामयाबी इसके बराबर नहीं हो सकती। अब सूरत खत्म होने को है। पूरी सूरत में कुछ बुनियादी और ऊपर के अहकाम बयान हुए हैं, इसलिये आखिर में यह बयान फ़रमाया गया है कि चूँकि अल्लाह तआला पूरी कायनात का मालिक है, इसलिये उसे ये अहकाम देने का हक़ है और बन्दों को ये अहकाम पूरी तरह मानने चाहियें। क्योंकि अल्लाह तआला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं, वह नाफ़रमानी की सूरत में सज़ा और फ़रमाँबरदारी की सूरत में इनाम देने पर कादिर हैं। चुनाँचे फ़रमाया गया अल्लाह ही की हुकूमत है आसमानों की और ज़मीन की, और उन चीज़ों की जो इन (आसमानों और ज़मीन) में मौजूद हैं, और वह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं।

मआरिफ़ व मसाईल

फ़ायदा

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ

आम तौर पर हकीकत के मुताबिक़ कौल को सच्चाई और खिलाफ़े हकीकत को झूठ समझा जाता है, लेकिन कुरआन व सुन्नत से मालूम होता है कि सच और झूठ आम है यानी कौल और अमल दोनों को शामिल है। चुनाँचे इस हदीस में खिलाफ़े हकीकत अमल को झूठ कहा गया है:

مَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يَعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبِي زُورٍ

“यानी अगर कोई अपने आपको ऐसे ज़ेवर से सजाये जो उसको नहीं दिया गया, यानी किसी ऐसी सिफ़त या अमल का दावा करे जो उसमें नहीं है तो गोया उसने झूठ के दो कपड़े पहने।” (मिशकात शरीफ़)

एक दूसरी हदीस में ज़ाहिर में और तन्हाई में अच्छी तरह नमाज़ पढ़ने वाले को सच्चा बन्दत कहा गया है। इरशाद है:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ وَصَلَّى فِي السِّرِّ فَأَحْسَنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا عَبْدِي حَقًّا (مشكوة)

“यानी जो आदमी ऐलानिया (सबके सामने) अच्छी तरह नमाज़ पढ़ता है और वह तन्हाई में भी इसी तरह अदा करता है तो ऐसे आदमी के बारे में अल्लाह फ़रमाते हैं कि यह मेरा सचमुच बन्दत है।”


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

यानी अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वे अल्लाह से। एक हदीस में आता है कि जन्नत मिलने के बाद अल्लाह तआला फ़रमायेंगे कि बड़ी नेमत यह है कि मैं तुमसे राज़ी हुआ, अब कभी तुम पर नाराज़ न हूँगा।

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

यानी यही बड़ी कामयाबी है। ज़ाहिर है कि इससे बढ़कर और क्या कामयाबी होगी कि मालिक व ख़ालिक राज़ी हैं। बस अल्लाह ही के लिये है शुरू और आख़िर की तमाम तारीफ़ें।

(अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूर: मायदा की तफ़सीर पूरी हुई)




الاسماء الحسنى فادعوه بها .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 وَتَقَدَّسَ لَكَ عِلْمُكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 وَتَقَدَّسَ لَكَ عِلْمُكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

We lillahi asma ulhusna fad uhu biha

* सूरः अन्आम *

यह सूरत मदनी है। इसमें 165 आयतें
और 20 रुकूअ हैं।



"Työkkaitu 'alā Khāliqj"

सूर: अन्आम

سُورَةُ الْأَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ (١) الْوَاقِعَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَنْتَرُونَ ۝ وَهُوَ اللَّهُ
فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ
آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ
أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

सूर: अन्आम मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 165 आयतें और 20 रुकूअ हैं।

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लजी ख-लकस्-
-समावाति वलअर्-ज व ज-अलज्-
-जुलुमाति वन्नू-र, सुम्मल्लजी-न
क-फरु बिरब्बिहिम् यअदिलून (1)
हुवल्लजी ख-ल-ककुम् मिन् तीनिन्
सुम्-म कजा अ-जलन् व अ-जलुम्
मुसम्मन् अिन्दहू सुम्-म अन्तुम्
तम्तरून (2) व हुवल्लाहु फिस्समावाति
व फिलअर्जि यअलमु सिरकुम् व
जहरकुम् व यअलमु मा तक्सिबून
(3) व मा तअतीहिम् मिन् आयतिम्
मिन् आयाति रब्बिहिम् इल्ला कानू

सब तारीफें अल्लाह के लिये हैं जिसने
पैदा किये आसमान और जमीन और
बनाया अंधेरा और उजाला, फिर भी ये
काफिर अपने रब के साथ औरों को
बराबर किए देते हैं। (1) वही है जिसने
पैदा किया तुमको मिट्टी से फिर मुक़र्र
कर दिया एक वक़्त और एक मुदत
मुक़र्र है अल्लाह के नज़दीक, फिर भी
तुम शक करते हो। (2) और वही है
अल्लाह आसमानों में और जमीन में,
जानता है तुम्हारा छुपा और खुला और
जानता है जो कुछ तुम करते हो। (3)
और नहीं आई उनके पास कोई निशानी

अन्हा मुअ्रिजीन (4) फ़-क़द् कज़्ज़बू
बिल्हविक लम्मा जा-अहुम् फ़सौ-फ़
यअ्तीहिम् अम्बा-उ मा कानू बिही
यस्तहिज़ऊन (5)

उनके रब की निशानियों में से मगर करते हैं उससे बेपरवाही। (4) सो बेशक झुठलाया उन्होंने हक़ को जब उन तक पहुँचा, सो अब आई जाती है उनके आगे हकीकत उस बात की जिस पर हंसते थे। (5)

खुलासा-ए-तफसीर

तमाम तारीफें अल्लाह ही के लायक हैं जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरियों को और नूर को बनाया। फिर भी काफ़िर लोग (इबादत में दूसरों को) अपने रब के बराबर करार देते हैं। वह (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुम (सब) को (आदम अलैहिस्सलाम के माध्यम से) मिट्टी से बनाया, फिर (तुम्हारे मरने का) एक वक़्त मुक़र्र किया, और (दोबारा ज़िन्दा होकर उठने का) मुक़र्र वक़्त खास उसी के (यानी अल्लाह ही के) नज़दीक (मालूम) है, फिर भी तुम (में से कुछ) शक़ रखते हो (कि क़ियामत को असंभव समझते हो हालाँकि जिसने पहली ज़िन्दगी बख़्शी दोबारा ज़िन्दगी देना उसके लिये क्या मुश्किल है) और वही है अल्लाह (सच्चा माबूद) आसमानों में भी और ज़मीन में भी, (यानी और सब माबूद बातिल हैं) वह तुम्हारे छुपे हालात को भी और ज़ाहिरी हालात को भी (बराबर तौर पर) जानते हैं, और (विशेष तौर पर तुम जो कुछ ज़ाहिर में या बातिन में) अमल करते हो (जिस पर जज़ा व सज़ा का मदार है) उसको जानते हैं। और उन (काफ़िरों) के पास कोई निशानी भी उनके रब की निशानियों में से नहीं आती, मगर वे उससे मुँह ही मोड़ लेते हैं। सो (चूँकि यह उनकी आदत बनी हुई है) उन्होंने उस सच्ची किताब (यानी कुरआन) को भी झूठा बतलाया जबकि वह उनके पास पहुँची। सो (उनका यह झुठलाना ख़ाली न जायेगा बल्कि) जल्दी ही उनको ख़बर मिल जाएगी उस चीज़ की जिसके साथ ये लोग मज़ाक़-ठट्टा किया करते थे (इससे मुराद अज़ाब है जिसकी ख़बर कुरआन में सुनकर हंसते थे, और इसकी ख़बर मिलने का मतलब यह है कि जब अज़ाब नाज़िल होगा तो इस ख़बर का सच और सही होना आँखों से देख लेंगे)।

मआरिफ़ व मसाईल

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि सूर: अन्आम की एक खुसूसियत यह है कि वह पूरी सूरत सिवाय चन्द आयतों के एक ही बार में मक्का में इस तरह नाज़िल हुई है कि सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके साथ में तस्बीह पढ़ते हुए आये थे। तफ़सीर के इमामों में से इमाम मुजाहिद, कलबी, कतादा रहमतुल्लाहि अलैहिम वगैरह का भी तक़रीबन यही कौल है।

अबू इस्हाक अस्फ़राईनी ने फ़रमाया कि यह सूरत तौहीद (अल्लाह के अकेला माबूद और

खुदा होने) के तमाम उसूल व नियम पर मुश्तमिल है। इस सूरात को कलिमा अल्हम्दु लिल्लाहि से शुरू किया गया, जिसमें यह ख़बर दी गयी है कि सब तारीफ़ें अल्लाह तआला के लिये हैं, और इस ख़बर से मक़सद लोगों को हम्द (तारीफ़) की तालीम देना है, और तालीम के इस खास तरीक़े में इस तरफ़ इशारा है कि वह किसी की हम्द व तारीफ़ का मोहताज नहीं, कोई तारीफ़ करे या न करे वह अपने ज़ाती कमाल के एतिबार से खुद-बखुद काबिले तारीफ़ है। इस जुमले के बाद आसमान व ज़मीन और अंधेरे, उजाले के पैदा करने का ज़िक्र फ़रमाकर उसके महमूद (तारीफ़ का हक़दार) होने की दलील भी बतला दी कि जो ज़ात इस अज़ीम कुदरत व हिक़मत वाली है वही हम्द व तारीफ़ की मुस्तहक़ हो सकती है।

इस आयत में "समावात" (यानी आसमानों) को जमा (बहुवचन) और "अर्ज़" (ज़मीन) को मुफ़रद (एक वचन) ज़िक्र फ़रमाया है। अगरचे दूसरी आयत में आसमान की तरह ज़मीन के भी सात होने का ज़िक्र मौजूद है, शायद इसमें इस तरफ़ इशारा हो कि सात आसमान अपनी शक़ल व सूरात और दूसरी सिफ़ात के एतिबार से आपस में बहुत विशेषता रखते हैं, और सातों ज़मीनें एक दूसरे की हमशक़ल और एक तरह की हैं, इसलिये उनको एक अ़दद के जैसा क़रार दिया गया। (तफ़्सीरे मज़हरी)

इसी तरह "जुलुमात" (अंधेरियों) को जमा (बहुवचन) और "नूर" (रोशनी और उजाले) को मुफ़रद (एक वचन) ज़िक्र फ़रमाने में इस तरफ़ इशारा है कि नूर का मतलब है सही रास्ता और सिराते मुस्तकीम, और वह एक ही है, और जुलुमात से इशारा है ग़लत रास्ते की तरफ़, और वो हज़ारों हैं। (तफ़्सीरे मज़हरी व बहरे मुहीत)

यहाँ यह बात भी काबिले गौर है कि आसमानों और ज़मीन के बनाने को लफ़ज़ 'ख-ल-क' (पैदा किया) से ताबीर किया गया है और अंधेरे व उजाले के बनाने को लफ़ज़ "ज-अ-ल" (बनाने) से। इसमें इस तरफ़ इशारा है कि अन्धेरे और उजाले, आसमान व ज़मीन की तरह मुस्तक़िल अपनी ज़ात से कायम रहने वाली चीज़ें नहीं, बल्कि पेश आने वाली हालतों और सिफ़ात में से हैं, और 'जुलुमात' (अंधेरों) को 'नूर' से पहले शायद इसलिये ज़िक्र फ़रमाया गया कि इस जहान में असल 'जुलुमात' हैं, और नूर खास-खास चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जब वो चीज़ें सामने होती हैं रोशनी पैदा होती है, जब नहीं होती तो अन्धेरा रहता है।

मक़सद इस आयत का तौहीद की हकीक़त और उसकी स्पष्ट दलील को बयान फ़रमाकर दुनिया की उन तमाम कौमों को तंबीह करना है जो या तो सिर से तौहीद (कायनात का एक माबूद होने) की कायल नहीं, या कायल होने के बावजूद तौहीद की हकीक़त को छोड़ बैठी हैं।

मजूस (आग को पूजने वाले) दुनिया के दो ख़ालिक (पैदा करने वाले) मानते हैं- यज़दान और अहरमन। यज़दान को ख़ैर का पैदा करने वाला और अहरमन को बुराई का पैदा करने वाला क़रार देते हैं, और इन्हीं दोनों को नूर व जुल्मत का भी नाम देते हैं।

हिन्दुस्तान के मुशिक़ तैंतीस करोड़ देवताओं को खुदा का शरीक बनाते हैं। आर्य समाज वाले तौहीद (एक खुदा के होने और उसी के लायक़े इबादत होने) के कायल होने के बावजूद

रूह और माद्रे को क़दीम (न खत्म होने वाला) और खुदा तआला को कुदरत व खल्फ़त (ताक़त व इख़्तियार और पैदा करने वाला होने) से आज़ाद करार देकर तौहीद की हक़ीक़त से हट गये। इसी तरह ईसाई तौहीद के कायल होने के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को खुदा तआला का शरीक व साझी बनाने लगे, और फिर तौहीद के अक़ीदे को थामने के लिये उनको एक तीन और तीन एक का गैर-माकूल नज़रिया इख़्तियार करना पड़ा। और अरब के मुशिक लोग तो खुदाई की तफ़सीम में यहाँ तक आगे बढ़े कि हर पहाड़ का हर पत्थर उनके नज़दीक़ इनसानी मख़्लूक़ का माबूद बन सकता था। गर्ज़ कि इनसान जिसको अल्लाह तआला ने तमाम कायनात का मख़दूम और तमाम मख़्लूकात से बेहतर बनाया था, यह जब राह से भटका तो इसने न सिर्फ़ चाँद, सूरज और सितारों को बल्कि आग, पानी और पेड़, पत्थर यहाँ तक कि कीड़ों-मकोड़ों को अपना मस्जूद व माबूद (सज्दे और इबादत के लायक), ज़रूरतों को पूरा करने वाला और मुशिकलों को हल करने वाला बना लिया।

कुरआने करीम ने इस आयत में अल्लाह तआला को आसमान व ज़मीन का ख़ालिक़ और अंधेरे उजाले का बनाने वाला बतलाकर इन सब ग़लत ख्यालात को नकार दिया, कि नूर व जुल्मत (रोशनी व अंधेरा) और आसमान व ज़मीन और उनमें पैदा होने वाली तमाम चीज़ें अल्लाह तआला की पैदा की हुई और बनाई हुई हैं, तो फिर उनको कैसे खुदा तआला का शरीक व साझी किया जा सकता है।

पहली आयत में बड़े जहान यानी पूरी दुनिया की बड़ी-बड़ी चीज़ों को अल्लाह तआला की मख़्लूक़ व मोहताज बतलाकर इनसान को तौहीद के अक़ीदे का सही सबक़ दिया गया है। उसके बाद दूसरी आयतों में इनसान को बतलाया है कि तेरा वजूद खुद एक छोटी सी दुनिया है, अगर उसी की शुरूआत और अंत और रहने-सहने पर नज़र करे तो अक़ीदा-ए-तौहीद एक खुली हक़ीक़त बनकर सामने आ जाये। इसमें इरशाद फ़रमाया:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا

यानी अल्लाह ही वह ज़ात है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी के ख़मीर से पैदा फ़रमाकर उनमें जान डाल दी, और आम इनसानों की ग़िज़ा मिट्टी से निकलती है, ग़िज़ा से नुत्फ़ा (वीर्य का क़तरा) और नुत्फ़े से इनसान की तख़लीक़ (पैदाईश) अमल में आती है।

हज़रत अबू मूसा अश़अरी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक ख़ास मात्रा से पैदा फ़रमाया, जिसमें पूरी ज़मीन के हिस्से शामिल किये गये हैं। यही वजह है कि आदम की औलाद रंग व रूप और अख़्लाक़ व आदात में भिन्न और अगल-अलग हैं, कोई काला कोई गोरा, कोई सुख़, कोई सख़्त कोई नर्म, कोई अच्छी ख़स्तत व आदत वाला, कोई बुरी तबीयत वाला होता है। (तफ़सीरे मज़हरी, इब्ने अदी की रिवायत से, हसन सनद के साथ)

यह तो इनसान की शुरूआती पैदाईश का जिक्र था, इसके बाद इन्तिहा की दो मन्जिलों का जिक्र है- एक इनसान की व्यक्तिगत इन्तिहा (आखिरी हद और अंत) जिसको मौत कहा जाता है, दूसरी पूरी इनसानी बिरादरी और उसके कायनाती सेवकों सब के मजमूए की इन्तिहा, जिसको कियामत कहा जाता है। इनसान की व्यक्तिगत इन्तिहा के लिये फरमाया:

ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا

यानी इनसान की पैदाईश के बाद अल्लाह तआला ने उसकी बका व जिन्दगी के लिये एक मियाद निर्धारित कर दी है। उस मियाद पर पहुँचने का नाम मौत है, जिसको अगरचे इनसान नहीं जानता मगर अल्लाह के फरिश्ते जानते हैं, बल्कि खुद इनसान भी इस हैसियत से अपनी मौत को जानता है कि हर वक्त हर जगह अपने आस-पास इनसानों को मरते देखता है।

इसके बाद पूरे आलम की इन्तिहा यानी कियामत का जिक्र इस तरह फरमाया:

وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ.

यानी एक और मियाद मुकरर है, जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह तआला के पास है, उसकी मियाद का पूरा इल्म न किसी फरिश्ते को है न किसी इनसान को।

कलाम का खुलासा यह है कि पहली आयत में 'आलम-ए-अक्बर' यानी पूरी दुनिया का हाल यह बतलाया गया कि वह अल्लाह तआला की पैदा की हुई और बनाई हुई है, और दूसरी आयत में इसी तरह 'आलम-ए-असगर' यानी इनसान का अल्लाह की मख्लूक होना बयान फरमाया। फिर इनसान को गुफ़लत से जगाने के लिये यह बतलाया कि हर इनसान की एक खास उम्र है जिसके बाद उसकी मौत यकीनी है और यह ऐसी चीज़ है जिसका देखना और अनुभव हर इनसान को अपने आस-पास में हर वक्त होता रहता है। "व अ-जलुम् मुसम्मन् इन्दहू" में यह हिदायत दी गयी है कि इनसान की व्यक्तिगत मौत से पूरे आलम की उमूमी मौत यानी कियामत पर दलील लेना एक वैचारिक और तबई चीज़ है, इसलिये कियामत के आने में किसी शक की गुंजाईश नहीं। इसलिये आयत के आखिर में फरमाया:

ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ.

यानी ऐसी स्पष्ट दलीलों के बावजूद तुम कियामत के बारे में शक और शुब्हात निकालते हो।

तीसरी आयत में पहली दो आयतों के मजमून का नतीजा बयान फरमाया है कि अल्लाह ही यह ज्ञात है जो आसमानों और ज़मीन में इबादत व फरमाँबरदारी के लायक है, और वही तुम्हारे ज़ाहिर व बातिन के हर हाल और हर कौल व फ़ेल से पूरा वाकिफ़ है।

चौथी आयत में गुफ़लत में पड़े इनसान की हठधर्मी और खिलाफ़े हक़ ज़िद की शिकायत इस तरह फरमाई गयी है कि:

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

यानी अल्लाह तआला की तौहीद की स्पष्ट दलीलों और खुली निशानियों के वावजूद इनकारी इनसानों ने यह तरीका इख्तियार कर रखा है कि अल्लाह तआला की तरफ से जो भी निशानी उनकी हिदायत के लिये भेजी जाती है वे उससे मुँह फेर लेते हैं, उसमें ज़रा गौर नहीं करते।

पाँचवीं आयत में इसी गुफ़लत से काम लेने की और अधिक तफ़सील कुछ वाकिआत की तरफ इशारा करके बयान फ़रमाई है कि:

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ.

यानी जब हक़ उनके सामने आया तो उन्होंने हक़ को झुठला दिया। हक़ से मुराद कुरआन भी हो सकता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पवित्र जात भी।

क्योंकि हुज़ूरे पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शुरू उम्र से आख़िर तक उन्हीं अरब के कबीलों के बीच रहे। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा उन्हीं की आँखों के सामने आया उनको यह भी पूरी तरह मालूम था कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी इनसान से बिल्कुल कोई तालीम हासिल नहीं की, यहाँ तक कि अपना नाम भी खुद न लिखते थे। पूरे अरब में आपका लक़ब (उपनाम) उम्मी मशहूर था। चालीस साल की उम्र इसी हाल में उनके बीच गुज़री कि न कभी शे'र व शायरी से दिलचस्पी हुई न कभी कोई इल्म व तालीम से लगाव हुआ। फिर चालीस साल पूरे होते ही अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़बान मुबारक से वो हक़ाईक़ (सच्चाईयाँ और हकीकतें) व मआरिफ़ और उलूम व फ़ुनून जारी हो गये कि दुनिया के बड़े-बड़े माहिर फ़लॉस्फ़र (बुद्धिमान और विज्ञानी) भी उनके सामने आजिज़ नज़र आये। अरबी भाषा व साहित्य के तमाम माहिर लोगों को अपने लाये हुए कलाम का मुक़ाबला करने के लिये चुनौती दे दी। ये लोग जो हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शिकस्त देने के लिये अपनी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू, औलाद व ख़ानदान सब कुछ कुरबान करने के लिये हर वक़्त तुले रहते थे, उनमें से किसी की यह ज़ुरत न हुई कि इस चुनौती को कुबूल करके कुरआन की एक आयत की मिसाल ही पेश कर दें।

इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और कुरआन का अपना वजूद खुद हक़क़ानियत (सच्चाई) की बहुत बड़ी निशानी थी। इसके अलावा हुज़ूरे पाक के हाथों हज़ारों मोजिजे (अल्लाह की तरफ से जाहिर होने वाले करिश्मे) और खुली-खुली निशानियाँ ऐसी जाहिर हुईं जिनका इनकार कोई अक्लमन्द और इन्साफ़ पसन्द इनसान नहीं कर सकता, मगर उन लोगों ने इन सारी निशानियों को पूरी तरह झुठला दिया। इसी लिये इस आयत में इरशाद फ़रमाया:

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ.

आयत के आख़िर में उनके कुफ़्र व इनकार और झुठलाने के दुरे अन्जाम की तरफ़ इशारा करने के लिये इरशाद फ़रमाया:

فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ.

घानी आज तो ये अन्जाम से गाफिल लोग रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के मोजिजों और आपकी लाई हुई हिदायतों और कियामत व आखिरत सब का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बहुत जल्द वह वक़्त आने वाला है जब ये सारे तथ्य और हकीकतें इनकी आँखों के सामने आ जायेंगी, कियामत कायम होगी, ईमान व अमल का हिसाब देना होगा और हर शख्स अपने किये की जज़ा व सज़ा पायेगा। मगर उस वक़्त का यकीन व इकरार उनके काम न आयेगा, क्योंकि वह अमल का दिन नहीं बल्कि बदले का दिन होगा। अभी गौर व फिक्र की फुर्तत खुदा तआला ने दे रखी है इसको ग़नीमत समझकर अल्लाह की आयतों (और निशानियों) पर ईमान लाने ही में दुनिया व आखिरत की कामयाबी है।

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ تَكُنُّهُمْ فِي الْاَرْضِ
مَا لَمْ تَكُنْ لَكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا وَّجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ وَاَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قُرْطٰنٍ فَلَسُوْهُ
بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَاَقَالُوْا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَّلَوْ
اَنْزَلْنَا لَکَآ لِقٰضِيَ الْاَمْرِ تُمْ لَا يَنْظُرُوْنَ ۝ وَاَوْجَعْنٰهُ مَلٰکًا جَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَبَّسْنٰ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُوْنَ ۝
وَلَقَدْ اَسْتَزَيَّرُوْا بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحٰقَ بِالَّذِيْنَ سَخَرُوْا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ قُلْ
سَيُرَوُّا فِي الْاَرْضِ تُمْ اَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْمُکَذِّبِيْنَ ۝

अलम् यरौ कम् अहलकना मिन्
कब्लिहिम् मिन् करनिम् मक्कन्नाहुम्
फिल्अर्जि मा लम् नुमक्किल्लकुम् व
अर्सल्ससमा-अ अलैहिम् मिद्रारं-व-
जअ लनल्-अन्हा-र तजरी मिन्
तहितहिम् फ-अहलकनाहुम्
बिजुनूबिहिम् व-अन्शअना मिम्-
बअदिहिम् करनन् आखरीन (6) व
लौ नज़ज़ल्ला अलै-क किताबन् फी
किस्तासिन् फ-ल-मसूहु बिऐदीहिम्

क्या देखते नहीं कि कितनी हलाक कर दीं हमने उनसे पहले उम्मतें जिनको जमा दिया था हमने मुल्क में इतना कि जितना तुमको नहीं जमाया, और छोड़ दिया हमने उन पर आसमान को लगातार बरसता हुआ, और बना दीं हमने नहरें बहतीं हुई उनके नीचे, फिर हलाक किया हमने उनको उनके गुनाहों पर और पैदा किया हमने उनके बाद और उम्मतों को। (6) और अगर उतारें हम तुझ पर लिखा हुआ कागज़ फिर छू लें वे उसको अपने हाथों से तो ज़रूर कहेंगे काफ़िर- यह नहीं है

लक़ाललज़ी-न क-फ़रू इन् हाज़ा
इल्ला सिह्रम् मुबीन (7) व कालू
लौ ला उन्ज़ि-ल अलैहि म-लकुनु, व
लौ अन्ज़ल्ला म-लकल् लकुज़ियल्-
अम्रु सुम्-म ला युन्ज़रून (8) व लौ
जअल्लाहु म-लकल् ल-जअल्लाहु
रजुलं-व ल-लबस्ना अलैहिम् मा
यल्बिसून (9) व ल-कदिस्तुहिज़-अ
बिरुसुलिम्-मिन् कब्लि-क फ़हा-क
बिल्लज़ी-न सख़िरू मिन्हुम् मा कानू
बिही यस्तहिज़ऊन (10) ❀

कुल् सीरू फ़िल्अर्ज़ि सुम्मन्ज़ुरू कै-फ़
का-न आकि-बतुल् मुकज़िबीन (11)

मगर खुला जादू। (7) और कहते हैं- क्यों
नहीं उतरा इस पर कोई फ़रिश्ता और
अगर हम उतारें फ़रिश्ता तो तय हो जाये
किस्सा, फिर उनको मोहलत भी न मिले।
(8) और अगर हम रसूल बनाकर भेजते
किसी फ़रिश्ते को तो वह भी आदमी ही
की सूरत में होता, और उनको इसी शुब्हे
में डालते जिसमें अब पड़ रहे हैं। (9)
और बिला शुब्हा हंसी करते रहे हैं रसूलों
से तुझसे पहले, फिर घेर लिया उनसे हंसी
करने वालों को उस चीज़ ने कि जिस पर
हंसा करते थे। (10) ❀

तू कह दे कि सैर करो (घूमो-फ़िरो) मुल्क
में, फिर देखो क्या अन्जाम हुआ झुठलाने
वालों का। (11)

खुलासा-ए-तफ़्सीर

क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम उनसे पहले कितनी जमाअतों को (अज़ाब से) हलाक कर चुके हैं, जिनको हमने ज़मीन (यानी दुनिया) में ऐसी (जिस्मानी और माली) ताक़त दी थी कि तुमको वह ताक़त नहीं दी। और हमने उन पर ख़ूब बारिशें बरसाई, और हमने उनके (खेत और बाग़ों के) नीचे से नहरें जारी कीं, (जिससे खेती और फलों की ख़ूब तरक्की हुई और वे खुशहाली की जिन्दगी बसर करने लगे) फिर (इस ताक़त व कुदरत और सामान व साधनों के होते हुए) हमने उनको उनके गुनाहों के सबब (तरह-तरह के अज़ाब से) हलाक कर डाला, और उनके बाद दूसरी जमाअतों को पैदा कर दिया। (तो अगर तुम पर भी अज़ाब नाज़िल कर दें तो ताज़्जुब क्या है? और इन लोगों के बैर व दुश्मनी की यह हालत है कि) अगर हम कागज़ पर लिखी हुई कोई तहरीर आप पर नाज़िल फ़रमाते फिर उसको ये लोग अपने हाथों से छू भी लेते (जैसा कि इनका मुतालबा था कि लिखी हुई किताब आसमान से आ जाये, और हाथों से छू लेने का ज़िक्र करके नज़र बन्दी के शुब्हे को भी दूर कर दिया) तब भी ये काफ़िर लोग यही कहते कि यह कुछ भी नहीं, मगर खुला जादू है (क्योंकि जब बात मानने का इरादा ही नहीं तो हर दलील में कोई न कोई नई बात निकाल लेना क्या मुश्किल है)।

और ये लोग यूँ कहते हैं कि इन (पैग़म्बर) के पास कोई फ़रिश्ता (जिसको हम देखें और बातें सुनें) क्यों नहीं भेजा गया? (हक़ तआला फ़रमाते हैं) और अगर हम कोई फ़रिश्ता (इसी तरह) भेज देते तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता, फिर (फ़रिश्ते के नाज़िल होने के बाद) इनको ज़रा भी मोहलत न दी जाती। (क्योंकि अल्लाह की आदत यह है कि जिन लोगों का मुँह माँगा मोजिज़ा दिखला दिया गया अगर फिर भी उन्होंने ईमान से इनकार किया तो फ़ौरन बिना मोहलत के अज़ाब से हलाक कर दिया जाता है, और जब तक ऐसा मतलूबा मोजिज़ा न देखें तो दुनिया में मोहलत मिलती रहती है) और अगर हम इस (पैग़ाम पहुँचाने वाले) को फ़रिश्ता ही करार देते (कि उसको फ़रिश्ते की शक़ल में भेजें तो उसकी हैबत इनसानों से बरदाश्त न हो) तो (इसलिये) हम उस (फ़रिश्ते) को आदमी ही (की शक़ल) बनाते, और हमारे इस फ़ेल से फिर उन पर वही शुब्हा और एतिराज़ होता जो शुब्हा व एतिराज़ अब कर रहे हैं (यानी उस फ़रिश्ते को इनसान समझकर फिर भी एतिराज़ करते, गर्ज़ कि फ़रिश्ते का नाज़िल होना जिसका ये मुतालबा करते हैं अगर इसको पूरा कर दिया जाये तो इनको इससे कोई फ़ायदा तो इसलिये नहीं हो सकता कि फ़रिश्ते को फ़रिश्ते की शक़ल में देखने पर इनको कुदरत नहीं, और इनसान की शक़ल में भेजने से इनका शुब्हा और एतिराज़ दूर नहीं होगा। और दूसरी तरफ़ इनको नुक़सान यह पहुँचेगा कि न मानने पर खुद ही अज़ाब के मुस्तहिक़ हो जायेंगे)।

और (आप इनके बेहूदा मुतालबों से ग़म न करें क्योंकि) वाकई आप से पहले जो पैग़म्बर हुए हैं उनका भी (मुख़ालिफ़ों की तरफ़ से) हंसी और मज़ाक़ उड़ाया गया है, फिर जिन लोगों ने उनसे हंसी-मज़ाक़ किया था उनको उस अज़ाब ने आ घेरा जिसका ये मज़ाक़ उड़ाते थे (जिससे मालूम हुआ कि इनके इस व्यवहार से अम्बिया को कोई नुक़सान नहीं पहुँचता, बल्कि ये खुद इन्हीं के लिये अज़ाब और मुसीबत है)।

(और अगर ये लोग पहली उम्मतों पर आये अज़ाब का इनकार करने लगें तो) आप (इनसे) फ़रमा दीजिए कि ज़रा ज़मीन में चलो-फिरो, फिर देख लो कि झुठलाने वालों का क्या अन्जाम हुआ।

मअरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में अल्लाह के अहक़ाम और रसूलों की तालीमात से मुँह मोड़ने वालों या मुख़ालफ़त करने वालों पर सख़्त सज़ा की धमकी का ज़िक़्र था, इन आयतों में उन्हीं इन्कारियों का रुख़ अपने आस-पास के हालात और पहले ज़माने के ऐतिहासिक वाकिआत की तरफ़ फ़ेरकर उनको इबत व नसीहत हासिल करने का मौक़ा दिया गया है। बिला शुब्हा दुनिया की तारीख़ इबतों (सीख लेने) की एक किताब है, जिसको अगर समझ से काम लेकर देखा जाये तो यह हजारों नसीहतों से ज़्यादा असरदार नसीहत है। एक अक्लमन्द का यह जुमला बहुत ही पसन्दीदा है कि “दुनिया एक बेहतरीन किताब है और ज़माना बेहतरीन शिक्षक।”

यही वजह है कि कुरआने करीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस्से और तारीख़ है, लेकिन

आम तौर पर ग़फ़लत में डूबे इन्सान ने दुनिया की तारीख़ को भी एक तफ़रीही मशग़ले को हैसियत से ज़्यादा अहमियत नहीं दी, बल्कि इस नसीहत व हिक्मत की बेहतरीन किताब को भी अपनी ग़फ़लत व नाफ़रमानी का एक ज़रिया बना लिया। पिछले किस्सों और कहानियों का वा तो सिर्फ़ यह काम रह गया कि नींद से पहले उनको नींद लाने वाली दवा की जगह इस्तेमाल किया जाये, और या फिर ख़ाली समय में दिल बहलाने और वक़्त गुज़ारने का मशग़ला बना दिया जाये।

शायद इसी लिये क़ुरआने करीम ने दुनिया की तारीख़ की रूह को इबत व नसीहत के लिये लिया है, मगर आम दुनिया की तारीख़ी और अफ़सानवी किताबों की तरह नहीं, जिनमें किस्सा बयान करना या तारीख़ पेश करना खुद ही एक मक़सद होता है, इसी लिये तारीख़ी वाकिआत को निरन्तर किस्से की सूत से बयान नहीं फ़रमाया, बल्कि किस्से का जितना टुकड़ा जिस मामले और जिस हाल से सम्बन्धित था वहाँ उतना ही टुकड़ा ज़िक्र कर दिया, फिर किसी दूसरी जगह उस किस्से का दूसरा टुकड़ा वहाँ की मुनासबत से बयान फ़रमा दिया। इसमें इस हकीकत की तरफ़ इशारा हो सकता है कि कोई ख़बर या किस्सा कभी खुद मक़सूद नहीं होता, बल्कि हर ख़बर से कोई हुक्म या किसी काम की मनाही और हर वाकिए के इज़हार से कोई अमली नतीजा निकालना मक़सद होता है, इसलिये उस वाकिए का जितना हिस्सा इस मक़सद के लिये ज़रूरी है उसको पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने हालात का जायज़ा लो और गुज़रे वाकिआत से सबक़ हासिल करके अपनी इस्लाह (सुधार) करो।

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में से पहली आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के डायरेक्ट मुखातब यानी मक्का वालों के बारे में यह इरशाद फ़रमाया कि क्या इन लोगों ने अपने से पहले गुज़रने वाली क़ौमों का हाल नहीं देखा, जिससे इनको सीख व नसीहत हासिल होती। और देखने से मुराद उनके हाल पर ग़ौर व फ़िक्र करना है, क्योंकि वे क़ौमों इस वक़्त तो उनके सामने नहीं थीं जिनको वे देख सकते। इसके बाद पहली क़ौमों की हलाकत व बरबादी का ज़िक्र फ़रमाया:

كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قُرُونٍ

- यानी हमने इनसे पहले कितने क़ौमों (ज़मानों) को हलाक कर दिया।

लफ़ज़ क़र्न उस ज़मानत को भी कहा जाता है जो एक वक़्त और एक ज़माने में इकट्ठी मौजूद हो, और ज़माने के एक लम्बे हिस्से को भी, जिसके बारे में दस साल से लेकर सौ साल तक के विभिन्न अक़वाल हैं। मगर कुछ वाकिआत और हदीस की रिवायतों से ताईद इसकी होती है कि लफ़ज़ क़र्न सौ साल के लिये बोला जाता है, जैसा कि एक हदीस में है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अब्दुल्लाह बिन बिशर भाज़नी को फ़रमाया था कि तुम एक क़र्न ज़िन्दा रहोगे, और वह पूरे एक सौ साल ज़िन्दा रहे। और हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक बच्चे को दुआ दी कि क़र्न भर ज़िन्दा रहो तो वह पूरे सौ साल ज़िन्दा रहा।

जलोमा की अवसरियत ने हदीस:

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

का यही मतलब बयान किया है कि हर कर्न को सौ साल माना गया है।

इस आयत में पहले गुजरी कौमों के बारे में अव्वल यह बतलाया गया कि उनको हक़ तआला ने ज़मीन में वह वुस्अत व कुव्वत (खुशहाली और ताक़त) और जिन्दगी गुज़ारने के सामान व साधन अता फ़रमाये थे, जो बाद के लोगों को नसीब भी नहीं हुए। लेकिन जब उन्हीं ने रसूलों को झुठलाया और अल्लाह के अहक़ाम का उल्लंघन किया तो यह सारा मक़ाम व मर्तबा और माल व दौलत अल्लाह के अज़ाब के सामने बेकार साबित हुआ, और सब के सब नेस्त व नाबूद होकर रह गये। तो आज के मुखातब मक्का वाले जिनको न आद व समूद कौमों जैसी ताक़त व कुव्वत हासिल है, न शाम व यमन मुल्कों वालों जैसी खुशहाली, उनको पहले गुजरी कौमों के वाकिआत से सबक़ हासिल करना और अपने आमाल का जायज़ा लेना चाहिये, कि मुखातफ़त व नाफ़रमानी करके इनका क्या अन्जाम होगा।

आयत के आख़िर में इरशाद फ़रमाया:

وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

यानी अल्लाह जल्ल शानुहू की कामिल कुदरत का सिर्फ़ यही तसरूफ़ नहीं था कि बड़ी-बड़ी दबदबे व शान और हुकूमत व सल्तनत की मालिक और डीलडोल व ताक़त वाली कौमों को आँख़ झपकते में हलाक़ व बरबाद कर दिया, बल्कि उनको हलाक़ करते ही उनकी जगह दूसरी कौमों पैदा करके ऐसी तरह बसा दिया कि देखने वालों को यह भी महसूस न हो सका कि यहाँ से कोई इनसान कम भी हुआ है।

और हक़ तआला की इस कुदरत व हिक्मत को वैसे तो हर ज़माने में हर वक़्त में देखा जाता रहता है कि रोज़ाना हज़ारों लाखों इनसान हलाक़ होते रहते हैं, मगर कहीं ख़ालीपन नज़र नहीं आता, कहीं यह महसूस नहीं होता कि यहाँ के आदमी हलाक़ हो गये तो इसमें बसने वाले न रहे:

खुदा जाने यह दुनिया जलवा-गाहे नाज़ है किसकी?

हज़ारों उठ गये रौनक़ वही बाकी है मज्लिस की

एक मर्तबा अरफ़ात के मैदान में जहाँ तक़रीबन दस लाख इनसानों का मजमा था, इस तरफ़ नज़र गयी कि आज से तक़रीबन-सत्तर-अस्ती साल पहले इस सारे मजमे में से किसी इनसान का वजूद न था, और इस जगह पर तक़रीबन इतने ही इनसान दूसरे मौजूद थे, जिनका आज नाम व निशान नहीं है। इस तरह इनसानों के हर इज्तिमे (भीड़) और लोगों के हर झुरमुट को जब उसके अतीत-व-भविष्य के साथ मिलाकर देखा जाये तो एक बहुत ही असरदार नसीहत करने वाला नज़र आता है। सो कैसी शान है अल्लाह की जो तमाम बनाने वालों से बढ़कर बनाने वाला है।

दूसरी आयत एक खास वाकिए में नाज़िल हुई, कि अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया न
 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के सामने एक मुखालफ़त भरा मुतालबा पेश किया और
 कहा कि मैं आप पर उस वक्त तक ईमान नहीं ला सकता जब तक कि मैं यह वाकिए न देख
 लूँ कि आप आसमान में चढ़ जायें, और वहाँ से हमारे सामने एक किताब लेकर आयें, जिसमें
 मेरा नाम लेकर यह हो कि मैं आपकी तस्दीक करूँ। और यह सब कहकर यह भी कह दिया कि
 अगर आप यह सब कुछ कर भी दिखायें मैं तो तब भी मुसलमान होता नज़र नहीं आता।

और अजीब इतिफ़ाक़ यह है कि फिर यही सज्जन मुसलमान हुए और ऐसे हुए कि इस्लाम
 के ग़ाज़ी (मुजाहिद) बनकर ग़ज़वा-ए-तार्ईफ़ में शहीद हुए।

कौम के ऐसे बेजा मुखालफ़त भरे मुतालबे और मज़ाक़ उड़ाने के रंग में गुप्तगू व बातचीत
 ने माँ-बाप से ज़्यादा मेहरबान रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के मुबारक दिल पर
 क्या असर किया होगा, इसका सही अन्दाज़ा हम नहीं कर सकते, सिर्फ़ वह शख्स महसूस कर
 सकता है जिसको कौम की बेहतरी व कामयाबी की फ़िक्र रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व
 सल्लाम की तरह लगी हो।

इसी लिये इस आयत में आपको तसल्ली देने के लिये इरशाद फ़रमाया गया कि इनके ये
 मुतालबे किसी ग़र्ज़ और मक़सद के लिये नहीं, न इनको अमल करना मक़सूद है। इनका हाल
 तो यह है कि जो कुछ ये तलब कर रहे हैं अगर इससे भी ज़्यादा आपकी सच्चाई की स्पष्ट सूतें
 इनके सामने आ जायें तब भी ये कुबूल न करें। मसलन हम उनकी फ़रमाईश के मुताबिक़
 आसमान से काग़ज़ पर लिखी हुई किताब उतार दें और सिर्फ़ यही नहीं कि वे आँखों से देख लें
 जिसमें नज़र-बन्दी या जादू वगैरह का शुब्हा रहे, बल्कि वे उस किताब को अपने हाथों से छूकर
 भी देख लें कि सिर्फ़ ख़्याल नहीं, हकीक़त है। मगर चूँकि उनकी सारी बातें सिर्फ़ दुश्मनी व
 मुखालफ़त की वजह से हैं तो फिर भी यही कहेंगे कि:

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

“यानी यह तो खुला हुआ जादू है।”

तीसरी आयत के उतरने का भी एक वाकिए है कि यही अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया, नज़र
 बिन हारिस और नौफ़ल बिन ख़ालिद एक मर्तबा इकट्ठे होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व
 सल्लाम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और यह मुतालबा पेश किया कि हम तो आप पर तब ईमान
 लायेंगे जबकि आप आसमान से एक किताब लेकर आयें और उसके साथ चार फ़रिश्ते आयें जो
 इसकी ग़वाही दें कि यह किताब अल्लाह ही की तरफ़ से आई है, और यह कि आप अल्लाह के
 रसूल हैं।

इसका जवाब हक़ तआला ने एक तो यह दिया कि ये ग़ाफ़िल लोग ऐसे मुतालबे करके
 अपनी मौत व तबाही को दावत दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का क़ानून यह है कि जब कोई कौम
 किसी पैग़म्बर से किसी खास मोज़िजे का मुतालिबा करे, और अल्लाह तआला की तरफ़ से

उनका माँगा हुआ मोजिज़ा दिखला दिया जाये, तो अगर वे फिर भी मानने और इस्लाम लाने में ज़रा सी भी देरी करें तो फिर उनको सार्वजनिक अज़ाब के ज़रिये हलाक कर दिया जाता है। यह कौम (यानी मक्का वाले) भी यह मुतालबा किसी नेक नीयती से तो कर न रही थी, जिससे मान लेने की उम्मीद की जाती, इसलिये फ़रमाया:

لَوَاتَرْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ الْأَمْرُ لَكُمْ لَا يَنْظُرُونَ.

यानी अगर हम इनका माँगा हुआ मोजिज़ा दिखला दें कि फ़रिश्ते भेज दें और यह कौम मानने वाली तो है नहीं, तो उस मोजिज़े को देखने के बाद भी जब यह खिलाफ़वर्ज़ी करेगी तो अल्लाह का हुक्म इनके हलाक करने के लिये जारी हो जायेगा, और उसके बाद इनको ज़रा सी भी मोहलत न दी जायेगी। इसलिये इनको समझना चाहिये कि इनकी माँगी हुई कोई निशानी अगर जाहिर नहीं की गयी तो इसमें इनकी ख़ैर (भलाई) है।

इसी बात का एक दूसरा जवाब चौथी आयत में दूसरे अन्दाज़ से यह दिया गया कि ये सवाल करने वाले अजीब बेवक़ूफ़ हैं कि फ़रिश्तों के नाज़िल करने का मुतालबा करते हैं, क्योंकि फ़रिश्तों के नाज़िल होने की दो सूरतें हैं- एक तो यह कि फ़रिश्ता अपनी असली शक्ल व सूरत में सामने आ जाये तो उसकी हैबत (डर और दहशत) को तो कोई इनसान बरदाश्त नहीं कर सकता, बल्कि दहशत के मारे फ़ौरन मर जाने का ख़तरा है।

दूसरी सूरत यह है कि फ़रिश्ता इनसानी शक्ल में आये, जैसे जिब्रीले अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास बहुत मर्तबा इनसानी शक्ल में आये हैं, तो उस सूरत में इस सवाल करने वाले को जो एतिराज़ आप सल्ल. पर है वही उस फ़रिश्ते पर भी होगा, कि यह उसको एक इनसान ही समझेगा।

इन तमाम दुश्मनी भरे और मुख़ालफ़त पर आधारित सवालात के जवाब देने के बाद पाँचवीं आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तसल्ली के लिये इरशाद फ़रमाया कि यह मज़ाक उड़ाने और तकलीफ़ पहुँचाने का मामला जो आपकी कौम आपके साथ कर रही है कुछ आप ही के साथ खास नहीं, आप से पहले भी सबरसूलों को ऐसे दिल दुखाने वाले और हिम्मत तोड़ने वाले वाकिआत से साबका पड़ा है, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और अन्जाम यह हुआ कि मज़ाक उड़ाने वाली कौम को उस अज़ाब ने आ पकड़ा जिसका वे मज़ाक उड़ाया करते थे।

खुलासा यह है कि आपका काम अहकाम की तब्लीग़ है, वह करके आप अपने दिल को फ़ारिग़ फ़रमा लें, उसका असर किसी ने कुछ लिया या नहीं इसकी निगरानी आपके जिम्मे नहीं, इसलिये इसमें मशगूल होकर आप अपने दिल को रन्जीदा और दुखी न करें।

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَكُمْ إِلَى
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَا مَا سَكَنَ فِي الْبَيْتِ وَالنَّهَارِ
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ أَلْتَأْتُونَ شُرَكَاءَ اللَّهِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يَطْعَمُهُ
 قُلْ إِنِّي أَصْرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الشُّرَكِيِّينَ ۝

कुल्-लिमम्-मा फिस्समावाति वल्अर्जि
 कुल्-लिल्लाहि, क-त-ब अला
 नफिसहिररहम-त, ल-यज्मअन्नकुम्
 इला यौमिल्-कियामति ला रै-ब फीहि,
 अल्लजी-न खासिरु अन्फु-सहुम्
 फहुम् ला युअ्मिनून (12) व लहू मा
 स-क-न फिल्लैलि वन्नहारि, व
 हुवस्समीअुल् अलीम (13) कुल्
 अगैरल्लाहि अत्तद्दिअु वलिय्यन्
 फातिरिस्समावाति वल्अर्जि व हु-व
 युत्अिमु व ला युत्अमु, कुल् इन्नी
 उमिरतु अन् अकू-न अब्व-ल मन्
 अस्त-म व ला तकूनन्-न मिनल्-
 मुशिरकीन (14)

पूछ कि किसका है जो कुछ कि है
 आसमानों और ज़मीन में, कह दे अल्लाह
 का है। उसने लिखी है अपने जिम्मे
 मेहरबानी, अलबत्ता तुमको इकट्ठा कर
 देगा कियामत के दिन तक कि उसमें कुछ
 शक नहीं, जो लोग नुकसान में डाल चुके
 अपनी जानों को वही इमान नहीं लाते।
 (12) और अल्लाह ही का है जो कुछ कि
 आराम पकड़ता है रात में और दिन में,
 और वही है सब कुछ सुनने वाला जानने
 वाला। (13) तू कह दे क्या और किसी
 को बनाऊँ अपना मददगार अल्लाह के
 अलावा, जो बनाने वाला है आसमानों
 और ज़मीन का और वह सबको खिलाता
 है और उसको कोई नहीं खिलाता। कह
 दे कि मुझको हुक्म हुआ है कि सबसे
 पहले हुक्म मानूँ और तू हरगिज़ न हो
 शिर्क वाला। (14)

खुलासा-ए-तफसीर

आप (इन मुख़ालिफ़ों से हुज्जत पूरी करने के तौर पर) कहिये कि जो कुछ आसमानों और
 ज़मीन में मौजूद है, यह सब किसकी मिल्क है? (अब्वल तो वे भी यही जवाब देंगे जिससे तौहीद
 साबित होगी, और अगर किसी वजह से जैसे मग़लूब होने के डर से जवाब न दें तो) आप कह
 दीजिए कि सब अल्लाह ही की मिल्क है, (और उनसे यह भी कह दीजिए कि) उसने (यानी
 अल्लाह तआला ने अपने फज़ल से तौबा करने वालों के साथ) मेहरबानी फ़रमाना अपने ऊपर

लाज़िम फ़रमा लिया है। (और यह भी कह दीजिए कि अगर तुमने तौहीद को कुबूल न किया तो फिर सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि) तुमको खुदा तआला क़ियामत के दिन (क़ब्रों से ज़िन्दा उठाकर मैदाने हशर में) जमा करेंगे (और क़ियामत की हालत यह है कि) उसमें कोई शक नहीं, (मगर) जिन लोगों ने अपने को (यानी अपनी अक्ल व नज़र को) जाया (यानी बेकार) कर दिया है सो वे ईमान न लाएँगे। (और उनसे हुज़्जत पूरी करने के तौर पर यह भी कहिये कि) और उसी की (यानी अल्लाह ही की मिल्क) है सब जो कुछ रात और दिन में रहते हैं। (इसके और इससे पहली आयत 'कुल्-लिमम्-मा फ़िस्समावाति.....' के मजमूए का हासिल यह निकाला कि जितनी चीज़ें किसी जगह में हैं या किसी ज़माने में हैं सब अल्लाह की मम्लूक हैं) और वही है बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला।

(फिर तौहीद यानी अल्लाह के एक और तन्हा माबूद होने को साबित करने के बाद उनसे) आप कहिए कि क्या अल्लाह के सिवा जो कि आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले हैं और जो (सब को) खाने को देते हैं और उनको कोई खाने को नहीं देता, (क्योंकि वह खाने पीने की आवश्यकता से बालातर हैं, तो क्या ऐसे अल्लाह के सिवा) किसी को अपना माबूद करार दूँ? (आप इनकार के इस सवालिया अन्दाज़ की वज़ाहत में खुद) फ़रमा दीजिए (कि मैं ग़ैरुल्लाह को माबूद कैसे करार दे सकता हूँ जो अक्ल व क़िताबी हुक्म के खिलाफ़ है) कि मुझको यह हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं इस्लाम कुबूल करूँ (जिसमें तौहीद का अक़ीदा भी आ गया) और (मुझको यह कहा गया है कि) तुम मुश्रिकों में से हरगिज़ न होना।

मआरिफ़ व मसाईल

आयत 'कुल्-लिमम्-मा फ़िस्समावाति.....' (यानी आयत नम्बर 12) में काफ़िरों से सवाल किया गया है कि आसमान व ज़मीन और उनकी तमाम कायनात का मालिक कौन है? फिर खुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़बाने मुबारक से यह जवाब इरश़ाद फ़रमाया कि सब का मालिक अल्लाह है। काफ़िरों के जवाब का इन्तिज़ार करने के बजाय खुद ही जवाब देने की वजह यह है कि यह जवाब मक्का के काफ़िरों के नज़दीक भी मुसल्लम (माना हुआ) है, वे अगरचे शिर्क व बुत-परस्ती में मुब्तला थे मगर ज़मीन व आसमान और तमाम कायनात का मालिक अल्लाह तआला ही को मानते थे।

لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

में लफ़्ज़ "इला" या तो "फ़ी" (में) के मायने में है, और मुराद यह है कि अल्लाह तआला तमाम पहलों और बाद वालों को क़ियामत के दिन में जमा फ़रमा देंगे, और या क़ब्रों में जमा करना मुराद है, तो मतलब यह होगा कि क़ियामत तक सब इनसानों को क़ब्रों में जमा करते रहेंगे, यहाँ तक कि क़ियामत के दिन में सब को ज़िन्दा करेंगे। (तफ़सीरे कुर्तुबी)

كَتَبَ عَلَي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फरमाया कि जब अल्लाह तआला ने मख़्लूक़ात को पैदा फरमाया तो एक तहरीर अपने जिम्मे वायदे के तौर पर लिख ली, जो अल्लाह तआला ही के पास है, जिसका मज़मून यह है:

إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَلَى غَضَبِي

यानी मेरी रहमत मेरे गुज़ब पर ग़ालिब रहेगी। (तफ़सीरे कुतुबी)

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

इसमें इशारा है कि आयत के शुरू में जो अल्लाह तआला की रहमत आम होने का जिक्र है काफ़िर व मुश्रिक अगर उससे मेहरूम हुए तो वे खुद अपने अमल से मेहरूम हुए, उन्होंने रहमत के हासिल करने का यकीनी तरीका यानी ईमान इख़्तियार नहीं किया। (तफ़सीरे कुतुबी)

وَلَهُ مَأْسَكَنٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

यहाँ या तो सुकून से मुराद जमाव और ठहराव है, यानी जो चीज़ जहान के रात और दिन में मौजूद है वह सब अल्लाह ही की मिल्क है, और यह भी हो सकता है कि मुराद सुकून व हरकत का मज़मूआ हो, यानी 'मा स-क-न व मा तहर-क' और जिक्र सिर्फ़ सुकून का किया गया हरकत जो उसके मुक़ाबिल है वह खुद-बखुद समझ में आ सकती है।

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ مَنْ يُصِرْ

عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْبَیِّنُ ۝ وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

وَإِنْ يَسْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۝ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۝ قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۝ وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ

بِهِ وَمَنْ بَلَغَ مِنْكُمْ لَتَشْهَدُوا ۝ أَلَمْ تَرَ أَنِّي أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ مُوسَىٰ بِنُورٍ مِّنَ السَّمَاءِ ۝ وَكَانَ

وَأَنَا وَرَأَيْتُ بَرِيءًا مِّمَّا تَشْرِكُونَ ۝ الَّذِينَ اتَّبَعْتُمُ الْكُتُبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۝ الَّذِينَ

خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۝ إِنَّهُ

لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

وقف لازم

कुल् इन्नी अखाफु इन् असेतु रब्बी अजा-ब यौमिन् अज़ीम (15) मय्युसरफ़ अन्हु यौमइज़िन् फ-क़द्	तू कह मैं डरता हूँ अगर नाफरमानी करूँ अपने रब की एक बड़े दिन के अज़ाब से। (15) जिस पर से टल गया वह अज़ाब उस दिन तो उस पर रहम कर दिया
---	--

रहि-महू, व जालिकल् फौजुल्-मुबीन
 (16) व इय्यम्सस्कल्लाहु बिज्जुरिन्
 फला काशि-फ लहू इल्ला हु-व, व
 इय्यम्सस्-क बिखैरिन् फहु-व अला
 कुल्लि शैइन् कदीर (17) व हुवल्ल-
 काहिरु फौ-क अिबादिही, व हुवल्ल
 हकीमुल्-खाबीर (18) कुल् अय्यु
 शैइन् अवबरु शहा-दतन्, कुलिल्लाहु,
 शहीदुम् बैनी व बैनकुम्, व ऊहि-य
 इलय्-य हाज़ल् कुरआनु
 लिउन्जि-रकुम् बिही व मम्-ब-ल-ग,
 अइन्नकुम् लतशहदू-न अन्-न
 मअल्लाहि आलि-हतन् उख़रा, कुल्
 ला अशहदु कुल् इन्नमा हु-व इलाहुंव्
 -वाहिदुंव्-व इन्ननी बरीउम् मिम्मा
 तुशिरकून। (19) अल्लजी-न
 आतैनाहुमुल् किता-ब यअरिफून्हू
 कमा यअरिफू-न अब्नाअहुम्।
 अल्लजी-न खासिरु अन्फु-सहुम्
 फहुम् ला युअमिनून (20) ❀

व मन् अज़लमु मिम्-मनिफ़तरा
 अलल्लाहि कज़िबन् औ कज़ज़-ब
 बिआयातिही, इन्नहू ला युफ़िलहुज़्-
 ज़ालिमून (21)

अल्लाह ने, और यही है बड़ी कामयाबी।
 (16) और अगर पहुँचा दे तुझको अल्लाह
 कुछ सख़्ती तो कोई उसको दूर करने
 वाला नहीं सिवाय उसके, और अगर
 तुझको पहुँचा दे भलाई तो वह हर चीज़
 पर कादिर है। (17) और उसी का जोर
 है अपने बन्दों पर और वही है बड़ी
 हिक्मत वाला, सब की ख़बर रखने वाला।
 (18) तू पूछ सबसे बड़ा गवाह कौन है,
 कह दे अल्लाह गवाह है मेरे और तुम्हारे
 बीच और उत्तरा है मुझ पर यह कुरआन
 ताकि तुमको इससे ख़बरदार कर दूँ और
 जिसको यह पहुँचे, क्या तुम गवाही देते
 हो कि अल्लाह के साथ माबूद और भी
 हैं? तू कह दे मैं तो गवाही न दूँगा। कह
 दे वही है माबूद एक, और मैं बेज़ार हूँ
 तुम्हारे शिर्क से। (19) जिनको हमने दी
 है किताब वे पहचानते हैं उसको जैसे
 पहचानते हैं अपने बेटों को। जो लोग
 नुक़सान में डाल चुके अपनी जानों को
 वही ईमान नहीं लाते। (20) ❀
 और उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन है जो
 बोहतान बाँधे अल्लाह पर या झुठला दे
 उसकी आयतों को, बेशक भलाई नसीब
 नहीं होती ज़ालिमों को। (21)

खुलासा-ए-तफसीर

आप कह दीजिए कि मैं अगर अपने रब का कहना न मानूँ (कि इस्लाम व ईमान के हुक्म
 की तामील न करूँ या शिर्क में मुब्तला हो जाऊँ) तो मैं एक बड़े दिन (यानी कियामत) के

अज़ाब से डरता हूँ। (यह ज़ाहिर है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम मासूम हैं, इस्लाम व ईमान के खिलाफ शिर्क व नाफरमानी का सादिर होना आप से मुम्किन नहीं, मगर यहाँ सुनाना आम उम्मत को है, कि मासूम नबी भी अल्लाह के अज़ाब से खौफ रखते हैं। फिर फरमाया कि वह अज़ाब ऐसा है कि) जिस शख्स से उस दिन वह अज़ाब हटाया जाएगा तो उस पर अल्लाह तआला ने बड़ा रहम किया और यह (अज़ाब का हट जाना और अल्लाह की रहमत का मुतवज्जह हो जाना) खुली कामयाबी है (इसमें उस रहमत का बयान भी हो गया जिसका जिक्र इससे पहले 'क-त-ब अला नफिसिर्हिर्ह-म-त' में आया है)। और (आप उनको यह भी सुना दीजिए कि ऐ इन्सान) अगर अल्लाह तआला तुझको कोई तकलीफ (दुनिया या आखिरत में) पहुँचा दें तो उसका दूर करने वाला सिवाय अल्लाह तआला के कोई नहीं (वही चाहें तो दूर करें या न करें और जल्द करें या देर में करें)। और अगर तुझको (इसी तरह) वह (यानी अल्लाह तआला) कोई नफ़ा पहुँचा दें (तो उसका भी कोई हटाने वाला नहीं, जैसा कि दूसरी जगह है 'ला राद्-द लिफज़िल्ली' क्योंकि) वह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं।

(और उक्त मज़मून की ताकीद के लिये यह भी फ़रमा दीजिए कि) और वही अल्लाह तआला (कुदरत के एतिबार से) अपने बन्दों के ऊपर ग़ालिब (व बरतर) हैं, और (इल्म के एतिबार से) वही बड़ी हिक्मत वाले (और) पूरी ख़बर रखने वाले हैं। (पस वह इल्म से सब का हाल जानते हैं और कुदरत से सब को जमा कर लेंगे और हिक्मत से मुनासिब जज़ा व सज़ा देंगे) आप (तौहीद व रिसालत के इन इनकारियों से) कहिए कि (अच्छा यह तो बतलाओ कि) गवाही देने के लिए सबसे बढ़कर चीज़ कौन है? (जिसकी गवाही देने पर सब का झगड़ा ख़त्म हो जाये। इसका जवाब ज़ाहिर है यही होगा कि अल्लाह तआला सबसे बढ़कर हैं, फिर) आप कहिए कि मेरे और तुम्हारे बीच (जिस मसले में विवाद व मतभेद है उसमें वही) अल्लाह तआला गवाह है, (जिसकी गवाही सबसे बढ़कर है) और (उनकी गवाही यह है कि) मेरे पास यह कुरआन वही के तौर पर (अल्लाह की तरफ़ से) भेजा गया है ताकि मैं इस कुरआन के ज़रिये से तुमको और जिस-जिसको यह कुरआन पहुँचे उन सब को (उन सज़ाओं से) डराऊँ (जो तौहीद व रिसालत के इनकार पर इसमें मज़कूर हैं, क्योंकि कुरआन मजीद के मोजिज़ा होने और इसके जैसा बनाने से सारी दुनिया का अज़िज़ होना अल्लाह तआला की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम के सच्चा होने पर फ़ितरी गवाही हो गयी, और कुरआनी मज़ामीन से इसकी कानूनी गवाही हो गयी) क्या तुम (इस बड़ी गवाही के बाद भी) जो कि तौहीद को शामिल है) तौहीद के बारे में सचमुच यही गवाही दोगे कि अल्लाह तआला के साथ (इबादत के लायक होने में) कुछ और माबूद भी (शरीक) हैं? (और अगर वे हठधर्मी से इस पर भी कह दें कि हाँ हम तो यही गवाही देंगे तो उस वक़्त उनसे बहस करना फ़ुज़ूल है, बल्कि सिर्फ़) आप (अपने अक्कीदे को ज़ाहिर करने के लिये) कह दीजिए कि मैं तो गवाही नहीं देता। आप कह दीजिए कि बस वह तो एक ही माबूद है, और बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेज़ार हूँ। (और आपकी रिसालत के बारे में जो ये लोग कहते हैं कि हमने यहूदियों व ईसाईयों से पूछकर देख लिया तो इस मामले की तहकीक़ यह है कि)

जिन लोगों को हमने किताब (तौरात व इंजील) दी है वे सब लोग (इस) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। (लेकिन जब इतनी बड़ी गवाही के होते हुए अहले किताब की गवाही पर मदार ही नहीं तो उसके न होने से भी कोई दलील नहीं पकड़ी जा सकती, और ऐसी बड़ी गवाही के होते हुए भी) जिन लोगों ने अपने को ज़ाया कर लिया है सो वे ईमान न लाएँगे (अक्ल को ज़ाया करने से मतलब यह है कि उसको बेकार कर दिया, अक्ल से काम नहीं लिया)।

और उससे ज्यादा और कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह तआला पर झूठ बोहतान बाँधे या अल्लाह तआला की आयतों को झूठा बतलाए। ऐसे बेइन्साफों का (हाल यह होगा कि) उनको (क़ियामत के दिन) छुटकारा न मिलेगा (बल्कि हमेशा के अज़ाब में गिरफ़्तार रहेंगे)।

मआरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में अल्लाह जल्ल शानुहू की कामिल कुदरत का ज़िक्र करके उस पर ईमान लाने और शिर्क से बचने का हुक्म दिया गया था। ज़िक्र हुई आयतों में से पहली आयत में इस हुक्म के खिलाफ़ करने का अज़ाब एक ख़ास अन्दाज़ से बयान फ़रमाया गया है, कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुक्म दिया गया कि आप लोगों से कह दीजिए कि अगर मान लो मैं भी अपने रब के हुक्म की मुख़ालफ़त करूँ तो मुझे भी क़ियामत के अज़ाब का ख़ौफ़ है। यह ज़ाहिर है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर गुनाह से मासूम (सुरक्षित) हैं, आप से नाफ़रमानी हो ही नहीं सकती, लेकिन आपकी तरफ़ मन्सूब करके उम्मत को यह बतलाना है कि इस हुक्म की खिलाफ़वर्ज़ी पर जब तमाम नबियों के सरदार को माफ़ नहीं किया जा सकता तो और किसी की क्या मजाल है।

इसके बाद फ़रमाया:

مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ.

यानी मेहशर के दिन का अज़ाब हद से ज्यादा हीलनाक और सख़्त है, जिस शख्स से यह अज़ाब टल गया तो समझिये कि उस पर अल्लाह की बड़ी रहमत हो गयी:

وَذَلِكَ الْقُرْآنُ الْمُنِينُ

यानी यही बड़ी और खुली कामयाबी है।

यहाँ कामयाबी से मुराद जन्नत में दाख़िल होना है। इससे मालूम हुआ कि अज़ाब से निजात और जन्नत का दाख़िला एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।

दूसरी आयत में इस्लाम का एक बुनियादी अक्दीदा बयान किया गया है कि हर नफ़े और नुक़सान का मालिक दर हकीक़त सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहू है, कोई शख्स किसी को हकीक़त के एतिबार से न मामूली सा भी नफ़ा पहुँचा सकता है न ज़रा सा भी नुक़सान, और ज़ाहिर में जो किसी को किसी के हाथ से नफ़ा या नुक़सान पहुँचता नज़र आता है वह सिर्फ़ एक ज़ाहिरी सूत और हकीक़त के सामने एक आड़ से ज़ायद कोई हैसियत नहीं रखता:

कारे जुल्फ़े तुस्त मुश्क अफ़शानी अम्मा आशिकाँ
मस्तेहत रा तोहमते बर आहू-ए-चीं बस्ता अन्द

मुश्क से खुशबू बिखेरना यह तेरी कुदरत की कारीगरी है मगर कुछ कम-नज़र और हकीकत से नावाकिफ़ लोग चीन के हिरण की तरफ़ इसकी निस्वत करते हैं।

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

यह अक़ीदा भी इस्लाम के उन क्रांतिकारी अक़ीदों में से है जिसने मुसलमानों को सारी मख़्लूक से बेनियाज़ और सिर्फ़ ख़ालिफ़ का नियाज़-मन्द बनाकर उनकी एक ऐसी बेमिसाल अलबेली जमाअत तैयार कर दी जो फ़क्र व फ़ाक़े और तंगदस्ती में भी सारे जहान पर भारी है, किसी के सामने सर झुकाना नहीं जानती:

फ़क्र में भी सर-बसर फ़ख़र व गुरूर व नाज़ हूँ

किसका नियाज़ मन्द हूँ सबसे जो बेनियाज़ हूँ

कुरआन मजीद में जगह-जगह यह मज़मून विभिन्न उनयानों के साथ बयान फ़रमाया गया है। एक आयत में इरशाद है:

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ لَهُمْ مِنْ آيَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

“यानी अल्लाह तआला ने जो रहमत लोगों के लिये खोल दी उसको कोई रोकने वाला नहीं और जिसको रोक दे उसको कोई खोलने वाला नहीं।”

सही हदीसों में है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी दुआओं में अक्सर यह कहा करते थे:

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

“यानी ऐ अल्लाह! जो आपने दिया उसको कोई रोकने वाला नहीं और जो आपने रोक दिया उसका कोई देने वाला नहीं, और किसी कोशिश वाले की कोशिश आपके मुकाबले में नफ़ा नहीं दे सकती।”

इमाम बग़वी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस आयत के तहत हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक सवारी पर सवार हुए और मुझे अपने पीछे बैठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद मेरी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया कि ऐ लड़के! मैंने अर्ज़ किया हाज़िर हूँ, क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया कि तुम अल्लाह को याद रखो! अल्लाह तुमको याद रखेगा। तुम अल्लाह को याद रखोगे तो उसको हर हाल में अपने सामने पाओगे। तुम अमन व अफ़ियत और आराम के वक़्त अल्लाह तआला को पहचानो तो तुम्हारी मुसीबत के वक़्त अल्लाह तआला तुमको पहचानेगा। जब तुमको सवाल करना हो तो सिर्फ़ अल्लाह से सवाल करो, और मदद माँगनी हो तो सिर्फ़ अल्लाह से मदद माँगो। जो कुछ दुनिया में होने वाला है तकदीर का क़लम उसको लिख चुका है, अगर सारी मख़्लूक़ात मिलकर इसकी कोशिश करें कि तुमको ऐसा नफ़ा पहुँचा दें जो अल्लाह तआला

न तुम्हारे हिस्से में नहीं रखा तो वे हरगिज़ ऐसा न कर सकेंगे, और अगर वे सब मिलकर इसकी कोशिश करें कि तुमको ऐसा नुक़सान पहुँचायें जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो हरगिज़ इस पर कुदरत न पायेंगे। अगर तुम कर सकते हो कि यकीन के साथ सब पर अमल करो तो ऐसा ज़रूर कर लो, अगर इस पर कुदरत नहीं तो सब करो, क्योंकि अपनी तबीयत के खिलाफ़ चीज़ों पर सब करने में बड़ी ख़ैर व बरकत है। और ख़ूब समझ लो कि अल्लाह तआला की मदद सब के साथ है, और मुसीबत के साथ राहत और तंगी के साथ फ़राख़ी है (यह हदीस तिर्मिज़ी और मुस्नद अहमद में भी सही सनद के साथ बयान हुई है)।

अफ़सोस है कि कुरआन के इस स्पष्ट ऐलान और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्रभर की तालीमात के बावजूद यह उम्मत फिर इस मामले में भटकने लगी। सारे खुदाई इख़्तियारात मख़्लूक़ात को बाँट दिये। आज ऐसे मुसलमानों की बहुत बड़ी तायदाद है जो मुसीबत के वक़्त बजाय खुदा तआला को पुकारने के और उससे दुआ माँगने के, अनेक नामों की दुहाई देते और उन्हीं से मदद माँगते हैं। खुदा तआला की तरफ़ ध्यान तक नहीं होता। अम्बिया व औलिया के वसीले से दुआ माँगना दूसरी बात है, वह जायज़ है, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीमात में इसके सुबूत मौजूद हैं, लेकिन डायरेक्ट किसी मख़्लूक़ को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिये पुकारना, उससे अपनी हाजतें माँगना, इस कुरआनी हुक्म के खिलाफ़ खुली बगावत है। अल्लाह तआला मुसलमानों को सही रास्ते पर कायम रखे।

आयत के आख़िर में फ़रमाया:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

यानी अल्लाह तआला ही अपने सब बन्दों पर ग़ालिब व कादिर है, और सब उसके मोहताज और उसकी कुदरत के अधीन हैं।

यही वजह है कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा इन्सान चाहे अल्लाह का खास रसूल हो या दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह हो, अपने हर इस्तेमाल में कामयाब नहीं होता, और उसकी हर इच्छा पूरी नहीं होती।

वह हकीम भी है कि उसके तमाम काम पूरी तरह हिक्मत हैं, और हर चीज़ को जानने वाला भी है। इसमें लफ़ज़ "काहिर" से अल्लाह तआला की कामिल कुदरत का और लफ़ज़ "ख़बीर" से उसके बेइन्तिहा इल्म का बयान करके बतला दिया कि कमाल की तमाम सिफ़ात उसकी कुदरत में सीमित हैं और अल्लाह तआला इन दोनों में बेमिसाल है।

पौचवीं आयत के नाज़िल होने का एक खास वाक़िआ आम मुफ़स्सरीन ने नक़ल किया है, एक मर्तबा मक्का वालों का एक प्रतिनिधि मण्डल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पास आया और कहने लगा कि आप जो अल्लाह का रसूल होने का दावा करते हैं इस पर क्या गवाह कौन है? क्योंकि हमें कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो आपकी तस्दीक़ करता हो, और हमने यहूदियों से और ईसाईयों से इसकी तहकीक़ में पूरी कोशिश की।

इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि:

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً.

यानी आप कह दीजिए कि अल्लाह से बढकर किसकी गवाही होगी, जिसके कब्जे में तमाम जहान और सब का नफा व नुकसान है। फिर आप कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह गवाह है, और अल्लाह की गवाही से मुराद वो मोजिजे और खुली निशानियाँ हैं जो अल्लाह तआला ने हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सच्चा रसूल होने के मुताल्लिक जाहिर फरमाई। इसी लिये इसके बाद मक्का वालों को खिताब करके यह इरशाद फरमाया:

أَنْتُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخْرَى.

यानी क्या अल्लाह तआला की इस गवाही के बाद भी तुम उसके खिलाफ इसकी गवाही देते हो कि अल्लाह तआला के साथ दूसरे माबूद भी हैं, अगर ऐसा है तो अपने अन्जाम को तुम समझो, मैं तो ऐसी गवाही नहीं दे सकता:

قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ.

यानी आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला यक्ता (बेमिस्त) माबूद है जिसका कोई शरीक नहीं।

और इरशाद फरमाया:

وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ

यानी मुझ पर वही (अल्लाह के पैग़ाम) के तौर पर कुरआन भेजा गया, ताकि इसके जरिये मैं तुमको अल्लाह के अज़ाब से डराऊँ, और उन लोगों को डराऊँ जिनको कियामत तक यह कुरआन पहुँचेगा।

इससे साबित हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खातमुन्नबिय्यीन और आखिरी पैग़म्बर हैं, और कुरआने करीम अल्लाह तआला की आखिरी किताब है, कियामत तक इसकी तालीम और तिलावत बाकी रहेगी, और लोगों पर इसकी पैरवी लाज़िम रहेगी।

हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि जिस शख्स को कुरआन पहुँचा गया वह ऐसा हो गया जैसे उसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जियारत कर ली, और एक हदीस में है कि जिस शख्स को कुरआन पहुँचा गया मैं उसका नज़ीर (यानी डराने वाला) हूँ। इसी लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा-ए-किराम को ताकीद फरमाई:

يَلْفُوا عَنِّي وَلَوِ اتَّابَأَ.

यानी मेरे अहकाम व तालीमात लोगों तक पहुँचाओ अगरचे एक ही आयत हो।

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला उस शख्स को तरोताज़ा और सेहतमन्द रखे जिसने मेरा कोई मक़ाला (हदीस और बात) सुना फिर उसको याद रखा फिर उसको उम्मत तक

पहुँचा दिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी खुद किसी कलाम के मफहूम को इतना नहीं समझता जितना बाद में आने वाला समझता है जिसको यह कलाम उसने पहुँचाया है।

आखिरी आयत में उन लोगों के इस कौल की तरदीद (रद्द किया गया) है कि हमने यहूदियों व ईसाईयों से सबसे तहकीक़ कर ली, कोई भी आपकी सच्चाई और नुबुव्वत की गवाही नहीं देता। इसके बारे में इरशाद फ़रमाया:

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ

यानी यहूदी व ईसाई तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ऐसा पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं।

वजह यह है कि तौरात व इंजील में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पूरा हुलिया शरीफ़, आपके असली वतन फिर हिजरत के मक़ाम का, और आपकी आदतों व अख़लाक़ और आपके कारनामों का ऐसा तफ़सीली ज़िक्र है कि उसके बाद किसी शक व शुब्हे की गुंजाईश नहीं रहती, बल्कि सिर्फ़ हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही का ज़िक्र नहीं, आपके सहाबा-ए-किराम के हालात का विस्तृत तज़क़िरा तक तौरात व इंजील में मौजूद है। इसलिये इसकी कोई संभावना नहीं कि जो शख्स तौरात व इंजील को पढ़ता और उन पर ईमान रखता हो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को न पहचाने।

इस जगह हक़ तआला ने मिसाल देते हुए यह इरशाद फ़रमाया कि जैसे लोग अपने बच्चों को पहचानते हैं। यह नहीं फ़रमाया कि जैसे बच्चे अपने माँ-बाप को पहचानते हैं। वजह यह है कि माँ-बाप की पहचान अपने बच्चों के लिये सबसे ज़्यादा तफ़सीली और यक़ीनी होती है, बच्चों के बदन का हर हिस्सा माँ-बाप के सामने आता और रहता है, वे बचपन से लेकर जवानी तक उनके हाथों और गोद में परवरिश पाते हैं, इसलिये वे जितना अपनी औलाद को पहचान सकते हैं उतना औलाद उनको नहीं पहचान सकती।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु जो पहले यहूदियों में दाख़िल थे, फिर मुसलमान हो गये। हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे सवाल किया कि अल्लाह तआला ने कुरआन में ख़बर दी है कि तुम लोग हमारे रसूल को ऐसा पहचानते हो, जैसे अपनी औलाद को, इसकी क्या वजह है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि हाँ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला की बयान की हुई सिफ़ात और निशानियों के साथ जानते हैं जो अल्लाह तआला ने तौरात में नाज़िल फ़रमाई हैं, इसलिये इसका इल्म हमें यक़ीनी और क़तई तौर पर है, बख़िलाफ़ अपनी औलाद के कि उसमें शुब्हा हो सकता है कि यह हमारी औलाद है भी या नहीं।

हज़रत ज़ैद बिन सअना जो अहले किताब में से हैं, इन्होंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तौरात व इंजील की बयान की हुई सिफ़ात ही के ज़रिये पहचाना था, सिर्फ़ एक वस्फ़ (सिफ़त और गुण) ऐसा था जिसकी इनको पहले तस्दीक़ नहीं हो सकी थी, इम्तिहान के बाद

तस्दीक हुई। वह यह कि आपका संयम व बरदाश्त आपके गुस्से पर गालिब होगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में पहुँचकर तजुर्बा किया तो यह सिफत भी पूरी तरह आप में पाई, उसी वक़्त मुसलमान हो गये।

आयत के आखिर में फ़रमाया कि ये अहले किताब (यानी: यहूदी व ईसाई) जो पूरी तरह रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पहचानने के बावजूद मुसलमान नहीं होते, ये अपने हाथों अपने आपको बरबाद कर रहे और ख़सारे में पड़ रहे हैं। यही मतलब है इस इरशाद का "अल्लजी-न ख़सिरु अन्फु-सहुम् फ़हुम् ला युअ्मिनुन"।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فَتْنُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا إِلَهِيَّةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَهُمْ يَبْهَتُونَ عَنْهُ وَيَتَنَوَّنَ عَنْهُ، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

व यौ-म नश्शुरुहुम् जमीअन् सुम्-म
नकूलु लिल्लजी-न अशरकू ऐ-न
शु-रकाउ-कुमुल्लजी-न कुन्तुम्
तज़्जुमून (22) सुम्-म लम् तकुन्
फिलतुहुम् इल्ला अन् कालू वल्लाहि
रब्बिना मा कुन्ना मुश्रिकीन (23)
उन्ज़ुर कै-फ़ क-ज़बू अला
अन्फुसिहिम् व ज़ल्-ल अन्हुम् मा
कानू यफ़तरून (24) व मिन्हुम्
मंय्यस्तमिअु इलै-क व जअल्ला अला
कुलूबिहिम् अकिन्नतन् अंय्यफ़हूहु
व फ़ी आज़ानिहिम् वकरन्, व इंय्यरौ

और जिस दिन हम जमा करेंगे उन सब को फिर कहेंगे उन लोगों को जिन्होंने शिर्क किया था- कहाँ हैं तुम्हारे शरीक जिनका तुमको दावा था। (22) फिर न रहेगा उनके पास कोई फ़रेब मगर यही कि कहेंगे- कसम है अल्लाह की जो हमारा रब है, हम न थे शिर्क करने वाले। (23) देखो तो कैसा झूठ बोले अपने ऊपर और खोई गयीं उनसे वे बातें जो बनाया करते थे। (24) और बाज़े उनमें कान लगाये रहते हैं तेरी तरफ़ और हमने उनके दिलों पर डाल रखे हैं पर्दे, ताकि उसको न समझें और रख दिया उनके कानों में

कुल्-ल आयतिल् ला युअ्मिनु बिहा,
हत्ता इज़्जा आरु-क युजादिलून-क
यकूलुल्लज़ी-न क-फ़रु इन् हाज़ा
इल्ला असातीरुल् अव्वलीन (25) व
हुम् यन्हौ-न अन्हु व यन्औ-न अन्हु
व इय्युह्लिकू-न इल्ला अन्फु-सहुम् व
मा यशअरुन (26)

बोझ, और अगर देख लें तमाम निशानियाँ
तो भी ईमान न लायें उन पर यहाँ तक कि
जब आते हैं तेरे पास तुझसे झगड़ने को
तो कहते हैं वे काफ़िर- नहीं है यह मगर
कहानियाँ पहले लोगों की। (25) और ये
लोग रोकते हैं उससे और भागते हैं उससे
और नहीं हलाक (व तबाह) करते मगर
अपने आपको, और नहीं समझते। (26)

खुलासा-ए-तफ़सीर

मुशिरक लोगों के कामयाब न होने की कैफ़ियत

और (वह वक़्त भी याद करने के काबिल है) जिस दिन हम उन तमाम मख़्लूकों को (मैदाने
हशर में) जमा करेंगे, फिर हम मुशिरकों से (किसी माध्यम से या बिना माध्यम के धमकी और
झिड़की के तौर पर) कहेंगे कि (बतलाओ) तुम्हारे वे साझी जिनके माबूद होने का तुम दावा करते
थे कहाँ गये? (कि तुम्हारी सिफ़ारिश नहीं करते जिस पर तुमको भरोसा था) फिर उनके शिरक
का अन्जाम इसके सिवा कुछ भी (ज़ाहिर) न होगा कि वे (उस शिरक से खुद बेज़ारी और नफ़रत
का इज़हार करेंगे और घबराहट के आलम में) यूँ कहेंगे कि अल्लाह की अपने परवर्दिगार की
क़सम! हम मुशिरक न थे। (हक़ तअ़ाला ने फ़रमाया ताज्जुब की नज़र से) ज़रा देखो तो किस
तरह (खुला) झूठ बोला अपनी जानों पर, और जिन चीज़ों को तराशा करते थे (यानी उनके बुत
और जिनको वे खुदा का शरीक ठहराते थे) वे सब उनसे ग़ायब हो गईं।

(इसी तरह कुरआन का इनकार करने पर उनकी इस तरह बुरा-भला कहा गया:)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ

और इन (मुशिरकों) में बाजे ऐसे हैं कि (आपके कुरआन पढ़ने के वक़्त उसके सुनने के
लिये) आपकी तरफ़ कान लगाते हैं और (चूँकि यह सुनना हक़ की इच्छा के लिये नहीं महज़
तमाशे या मजाक उड़ाने की नीयत से होता है इसलिये इससे उनको कुछ नफ़ा नहीं होगा, चुनाँचे)
अब इनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं इस (कुरआन के मक़सद) से, कि वे उसको समझें और
उनके कानों में डाट दे रखी है (कि वे इसको हिदायत के लिये नहीं सुनते)।

यह तो उनके दिलों और कानों की हालत थी, अब उनकी बीनाई और निगाह को देखो)
और अगर वे लोग (आपकी नुबुव्वत के सच्चा होने की) तमाम दलीलों को (भी) देख लें तो भी
उन पर भी ईमान न लाएँ। (इनकी दुश्मनी की नौबत) यहाँ तक (पहुँची है) कि जब ये लोग

आपके पास आते हैं तो आप से ख्वाह-मख्वाह झगड़ते हैं (इस तौर पर कि) ये लोग जो काफिर हैं यूँ कहते हैं कि यह (कुरआन) तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बे-सन्द बातें हैं जो पहलों से (मन्कूल) चली आ रही हैं (यानी मजहब वाले पहले से ऐसी बातें करते चले आये हैं कि माबूद एक ही है और यह कि इन्सान खुदा का पैगम्बर हो सकता है, कियामत में फिर जिन्दा होना है, जिसका हासिल दुश्मनी और झुठलाना है। आगे इससे भी आगे बढ़कर झगड़ने और दूसरों को भी हिदायत से रोकने का काम शुरू किया) और ये लोग इस (कुरआन) से औरों को भी रोकते हैं और खुद भी (नफरत जाहिर करने के लिये) इससे दूर रहते हैं, और (इन हरकतों से) ये लोग अपने ही को तबाह कर रहे हैं और (अपनी बेवकूफी और हद से बड़ी हुई नफरत के सबब) कुछ खबर नहीं रखते (कि हम किसका नुकसान कर रहे हैं, हमारे इस फल से रसूल और कुरआन का तो कुछ बिगड़ता नहीं)।

मआरिफ व मसाईल

पिछली आयत में यह बयान हुआ था कि जालिमों और काफिरों को फ़लाह नसीब न होगी। उपर्युक्त आयतों में इसकी तफसील व तशरीह है। पहली और दूसरी आयत में उस सबसे बड़े इम्तिहान का जिक्र है जो मेहशर में रब्बुल-आलमीन के सामने होने वाला है। इरशाद फ़रमाया:

يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا.

यानी वह दिन याद रखने के काबिल है जिसमें हम इन सब को यानी इन मुशिरकों को और इनके बनाये हुए माबूदों को इकट्ठा करेंगे:

ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ.

यानी फिर हम उनसे यह सवाल करेंगे कि तुम जिन माबूदों को हमारा साझी व शरीक और अपनी जरूरतों को पूरी करने वाला और मुशिकल-कुशा समझा करते थे आज वे कहाँ हैं? तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते?

इसमें लफ़्ज़ "सुम्-म" इख्तियार फ़रमाया गया है जो बाद के और देर के लिये इस्तेमाल होता है। इससे मालूम हुआ कि मेहशर में जमा होने के बाद फौरन ही सवाल जवाब नहीं होगा, बल्कि लम्बे समय तक हैरत व कश्मकश के आलम में खड़े रहेंगे, मुद्दत के बाद हिसाब किताब और सवालात शुरू होंगे।

एक हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा जबकि अल्लाह तआला तुम्को मैदाने हशर में ऐसी तरह जमा कर देंगे जैसे तीरों को तर्कश में जमा कर दिया जाता है। और पचास हजार साल इसी तरह रहेंगे। और एक रिवायत में है कि कियामत के दिन एक हजार साल सब अन्धेरे में रहेंगे, आपस में बातचीत भी न कर सकेंगे। (यह रिवायत हाकिम ने मुस्तदरक में और बैहकी ने जिक्र की है)

इस रिवायत में जो पचास हजार और एक हजार का फ़र्क है यही फ़र्क कुरआन की

आयतों में भी बयान हुआ है। एक जगह इरशाद है:

كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

“यानी उस दिन की मिकदार पचास हजार साल होगी।” और दूसरी जगह इरशाद है:

إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ

“यानी एक दिन तुम्हारे रब के पास एक हजार साल का होगा।”

और वजह इस फर्क की यह है कि यह दिन तकलीफ़ की सख्ती व मशक्कत के एतिबार से लम्बा होगा, और मेहनत व मशक्कत के दर्जे अलग-अलग होंगे, इसलिये बाज़ों के लिये यह दिन पचास हजार साल का और बाज़ों के लिये एक हजार साल का महसूस होगा।

खुलासा यह है कि इस सबसे बड़ी इम्तिहान गाह (परीक्षालय) में अब्बल तो एक लम्बा समय ऐसा गुज़रेगा कि इम्तिहान शुरू ही न होगा, यहाँ तक कि ये लोग तमन्ना करने लगेंगे कि किसी तरह इम्तिहान और हिसाब जल्द हो जाये, अन्जाम कुछ भी हो, यह असमंजस और दुविधा की तकलीफ़ तो जाये। इसी बड़े ठहरने और लम्बे समय की तरफ़ इशारा करने के लिये लफ़्ज़ “सुम्-म” के साथ फ़रमाया “सुम्-म नक़ूलु”। इसी तरह दूसरी आयत में मुशिरकों की तरफ़ से जो जवाब ज़िक्र किया गया है वह भी लफ़्ज़ “सुम्-म” के साथ आया है, जिससे मालूम हुआ कि वे लोग भी बड़े अन्तराल के बाद बहुत ग़ौर व फ़िक्र और सोच-विचार करके यह जवाब देंगे:

وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

“यानी अल्लाह रब्बुल-आलमीन की कसम खाकर कहेंगे कि हम तो मुशिरक न थे।”

इस आयत में उनके जवाब को लफ़्ज़ ‘फ़ित्नतुन’ से ताबीर फ़रमाया है, और यह लफ़्ज़ इम्तिहान व आजमाईश के लिये भी बोला जाता है, और किसी पर आशिक व फ़िदा हो जाने के लिये भी, और यहाँ दोनों मायने मुराद हो सकते हैं। पहली सूरत में उनके इम्तिहान के जवाब को इम्तिहान से ताबीर कर दिया गया है, और दूसरी सूरत में मुराद यह होगी कि ये लोग दुनिया में उन बुतों और खुद अपने बनाये हुए भाबूदों पर फ़िदा थे, अपने जान व माल उन पर कुरबान करते थे, मगर आज वह सारी मुहब्बत व दीवानगी ख़त्म हो गयी, और इनका जवाब सिवाय इसके कुछ न हुआ कि उनसे अपने बरी और बेताल्लुक होने का दावा करें।

उनके जवाब में एक अजीब चीज़ यह है कि मैदाने कियामत के हौलनाक मनाज़िर और रब्बुल-आलमीन की कामिल कुदरत के अजीब व ग़रीब वाकिआत देखने के बाद उनको यह जुरत से हुई कि रब्बुल-आलमीन के सामने खड़े होकर झूठ बोलें और वह भी इस ढिट्टाई के साथ कि इसी की बुलन्द जात की कसम भी खाकर कह रहे हैं कि हम मुशिरक नहीं थे।

आम मुफ़सिरीन ने इसके जवाब में फ़रमाया कि उनका यह जवाब कुछ अक्ल व होश और अन्जाम को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि घबराहट में बोखलाहट की बिना पर है, और ऐसी हालत में आदमी जो कुछ मुँह में आये बोला करता है। लेकिन मैदाने हशर के आम वाकिआत व हालात को ग़ौर करने के बाद यह भी कहा जा सकता है कि अल्लाह तआला ने ही उनकी पूरी कैफ़ियत

और हालत को सामने लाने के लिये उनको यह कुदरत भी दे दी कि वे आजादाना जो चाहें कहें जिस तरह दुनिया में कहा करते थे, ताकि कुफ़्र व शिर्क के ज़बरदस्त गुनाह के साथ उनका यह ऐब भी मेहशर वालों के सामने आ जाये कि ये झूठ बोलने में भी अपना जवाब नहीं रखते, कि इस हौलनाक मौके पर भी झूठ बोलने से नहीं झिझकते। कुरआन मजीद की एक दूसरी आयत:

يَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ

से इसी की तरफ़ इशारा होता है। जिसके मायने यह हैं कि ये लोग जिस तरह मुसलमानों के सामने झूठी कसमें खा जाते हैं इसी तरह खुद रब्बुल-आलमीन के सामने भी झूठी कसम खाने से न चूकेंगे।

मेहशर में जब ये कसमें खाकर अपने शिर्क व कुफ़्र से इनकारी हो जायेंगे तो उस वक्त अल्लाह तआला उनके मुँहों पर खामोशी की मोहर लगा देंगे और उनके बदनी हिस्सों व अंगों, हाथ-पाँव को हुक्म देंगे कि तुम गवाही दो कि ये लोग क्या-क्या करते थे। उस वक्त साबित होगा कि हमारे हाथ-पाँव, आँख, कान ये सब के सब खुदा तआला की खुफ़िया पुलिस थी। वे तमाम आमाल और कामों को एक-एक करके सामने रख देंगे, इसी के बारे में सूर: यासीन में इरशाद है:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

कुदरत के इस मन्ज़र को देखने के बाद किसी को यह जुरत न रहेगी कि फिर कोई बात छुपाये या झूठ बोले।

कुरआन मजीद में दूसरी जगह इरशाद है:

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

“यानी उस दिन वे अल्लाह से कोई बात न छुपा सकेंगे।”

इसका मतलब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही बतलाया कि पहले तो ख़ूब झूठ बोलेंगे और झूठी कसमें खायेंगे, लेकिन जब खुद उनके हाथ-पाँव उनके खिलाफ़ गवाही देंगे तो उस वक्त कोई ग़लत बात कहने की जुरत न रहेगी।

गर्ज़ कि अहकमुल-हाकिमीन (यानी अल्लाह तआला) की अदालत में मुजरिम को अपना बयान देने का पूरा मौका आजादी के साथ दिया जायेगा, और जिस तरह वह दुनिया में झूठ बोलता था उस वक्त भी उसका यह इख़्तियार उससे न छीना जायेगा, क्योंकि अल्लाह तआला उसके झूठ का पर्दा खुद उसके हाथ-पाँव के हवाले से खोल देंगे।

यही वजह है कि मौत के बाद जो पहला इम्तिहान क़ब्र में मुन्कर-नकीर फ़रिश्तों के सामने होगा, जिसको दाख़िला इम्तिहान (प्रवेश परीक्षा) कहा जा सकता है, उसके बारे में हदीस में है कि मुन्कर-नकीर जब काफ़िर से सवाल करेंगे 'भन् रब्बु-क व मा दीनु-क' यानी तेरा रब कौन है और तेरा दीन क्या है? तो काफ़िर कहेगा 'इह हाह ला अदरी' यानी हाय-हाय मैं कुछ नहीं जानता। इसके उलट मोमिन 'रब्बियल्लाहु व दीनियलु इस्लामु' से जवाब देगा (यानी मेरा रब

अल्लाह है और मेरा दोन इस्लाम है)। मालूम होता है कि इस इम्तिहान में किसी को झूठ बोलने की जुरत न होगी, वरना काफिर भी वही जवाब दे सकता था जो मुसलमान ने दिया। बजह यह है कि वे इम्तिहान लेने वाले फ़रिश्ते होंगे, न वे ग़ैब का इल्म रखते हैं और न ऐसी कुदरत कि हाथ-पाँव की गवाही ले लें। अगर वहाँ झूठ बोलने का इख़्तियार इनसान को होता तो फ़रिश्ते तो उसके जवाब के मुताबिक़ ही अमल करते और वह निज़ाम बिगड़ जाता, जबकि मैदाने हशर के इम्तिहान का मामला इसके विपरीत है कि वहाँ सवाल व जवाब डायरेक्ट अलीम व ख़बीर और कादिर मुतलक़ (यानी अल्लाह तआला) के साथ होगा, वहाँ कोई झूठ बोले भी तो चल नहीं सकेगा।

तफ्सीर बहरे-मुहीत और तफ्सीरे-मज़हरी में कुछ हज़रात का यह कौल भी नक़ल किया है कि झूठी क़समें खाकर अपने शिर्क से इनकार करने वाले वे लोग होंगे जो खुले तौर पर किसी मख़्लूक को खुदा या खुदा का नायब नहीं कहते थे, मगर उनका अमल यह था कि खुदाई के तारे इख़्तियारात मख़्लूक को बाँट रखे थे, और उन्हीं से अपनी हाजतें माँगते, उन्हीं के नाम की नज़्र व नियाज़ करते, उन्हीं से रोज़ी, तन्दुरुस्ती, औलाद और सारी मुरादे माँगा करते थे। ये लोग अपने आपको मुश्रिक न समझते थे, इसलिये मैदाने हशर में भी क़सम खाकर यही कहेंगे कि हम मुश्रिक न थे, फिर अल्लाह तआला उनकी रुस्वाई को वाज़ेह फ़रमायेंगे।

दूसरा सवाल इस आयत में यह होता है कि कुरआन पाक की कुछ आयतों से मालूम होता है कि अल्लाह जल्ल शानुहू काफ़िर व बदकार लोगों से कलाम न फ़रमायेंगे, और इस आयत से साफ़ यह मालूम हो रहा है कि उनसे ख़िताब और कलाम होगा।

जवाब यह है कि ख़िताब व कलाम इज़्ज़त व सम्मान के तौर पर या दुआ की कुबूलियत के लिये न होगा, डाँट-डपट के ख़िताब की नफ़ी इस आयत में मुराद नहीं। और यह भी कहा जा सकता है कि यह ख़िताब जो इस आयत में मज़कूर है फ़रिश्तों के माध्यम से हो, और जिस आयत में ख़िताब और अल्लाह के कलाम करने की नफ़ी की गई है उसमें मुराद डायरेक्ट कलाम करना है।

आयत के आख़िर में इरशाद फ़रमाया:

انظر كيف كذبوا على أنفسهم و ضلّ عنهم ما كانوا يفترون

इसमें रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िताब है कि आप देखिये कि उन लोगों ने अपनी जानों पर कैसा झूठ बोला है, और जो कुछ वह अल्लाह पर बोहतान बाँधा करते थे आज सब ग़ायब हो गया। अपनी जानों पर झूठ बोलने से मुराद यह है कि बवाल उस झूठ का उन्हीं की जानों पर पड़ने वाला है, और बोहतान बाँधने से मुराद यह भी हो सकता है कि दुनिया उनको अल्लाह का साज़ी व शरीक ठहराना एक इल्ज़ाम धरना और बोहतान बाँधना था, आज कीकत सामने आकर उस झूठ बोलने और बोहतान लगाने की कलाई खुल गयी। और यह भी हो सकता है कि बोहतान बाँधने से मुराद झूठी क़सम है जो मेहशर में खाई थी, फिर हाथों पैरों और बदनी अंगों की गवाही से वह झूठ खुल गया।

और कुछ हज़राते मुफ़सिरीन ने फ़रमाया कि इफ़तिरा (झूठ बोलने) से मुराद मुशिरकों को वो तावीलें (उल्टी-सीधी बातें बनाना) हैं जो अपने झूठे माबूदों के बारे में दुनिया में किया करते थे। मिसाल के तौर पर:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ.

“यानी हम इन बुतों को खुदा समझकर इनकी इबादत नहीं करते, बल्कि इसलिये करते हैं कि ये हमें अल्लाह तआला से सिफ़ारिश करके करीब कर देंगे।”

मेहशर में यह झूठ इस तरह खुल गया कि उनकी सबसे बड़ी मुसीबत के वक़्त किसी ने न उनकी सिफ़ारिश की, न उनके अज़ाब में कुछ कमी का ज़रिया बने।

यहाँ एक सवाल यह है कि इस आयत से तो यह मालूम होता है कि जिस वक़्त ये सवाल व जवाब होंगे उस वक़्त झूठे माबूद ग़ायब होंगे, कोई सामने न होगा, और कुरआन मजीद की एक आयत में इरशाद है:

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ.

“यानी क़ियामत में हक़ तआला का हुक्म यह होगा कि जमा कर दो ज़ालिमों को और उनके साथियों को और उनको जिनकी ये लोग इबादत किया करते थे।”

इससे मालूम होता है कि मेहशर में बातिल और झूठे माबूद भी हाज़िर व मौजूद होंगे।

जवाब यह है कि इस आयत में उनके ग़ायब होने से मुराद यह है कि मददगार व शरीक या सिफ़ारिश करने वाले की हैसियत से ये ग़ायब होंगे कि उन लोगों को कोई नफ़ा न पहुँचा सकेंगे, वैसे हाज़िर व मौजूद होंगे। इस तरह दोनों आयतों में कोई टकराव न रहा। और यह भी हो सकता है कि एक वक़्त में ये सब एक जगह जमा कर दिये जायें फिर अलग-अलग हो जायें, और यह सवाल अलग और जुदा होने के बाद किया जाये।

इन दोनों आयतों में यह बात खुसूसियत के साथ याद रखने की है कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने मुशिरकों को हशर के हौलनाक मैदान में जो यह इख़्तियार दिया कि वे आज़ादाना जो चाहें कह सकें, यहाँ तक कि झूठी क़सम खाकर उन्होंने शिर्क से इनकार कर दिया। इसमें शायद इस तरफ़ भी इशारा है कि झूठ बोलने की आदत एक ऐसी ख़बीस आदत है जो छूटती नहीं, यहाँ तक कि ये लोग जो दुनिया में मुसलमानों के सामने झूठी क़समें खा लिया करते थे यहाँ भी बाज़ न आये और अल्लाह की पूरी मख़्लूक के सामने इनकी रुस्वाई हुई। इसी लिये कुरआन व हदीस में झूठ बोलने पर सख़्त सज़ा की धमकी और निंदा फ़रमाई गयी है। कुरआन में जगह-जगह झूठे परलानत के अलफ़ाज़ आये हैं, और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि झूठ से बचो, क्योंकि झूठ फ़ुजूर (गुनाह) का साथी है, और झूठ और फ़ुजूर दोनों जहन्नम में जायेंगे।

(सही इब्ने हिब्बान)

और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया गया कि वह अमल क्या है जिससे आदमी दोज़ख़ में जायें? आपने फ़रमाया कि वह अमल झूठ है। (मुस्नद अहमद) और

मेराज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक शख्त को देखा कि उसकी दोनों बाँहें चीर दी जाती हैं, वो फिर ठीक हो जाती हैं, फिर चीर दी जाती हैं, इसी तरह यह अमल उसके साथ कियामत तक होता रहेगा। आपने हज़रत जिब्रील-ए-अमीन से मालूम किया कि यह कौन है? तो उन्होंने फ़रमाया कि यह झूठ बोलने वाला है।

और मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि आदमी पूरा मोमिन उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक झूठ को बिल्कुल न छोड़ दे, यहाँ तक कि मज़ाक़ दिल्लगी में भी झूठ न बोले।

और बैहकी वग़ैरह में सही सनद से नक़ल किया गया है कि मुसलमान की तबीयत में और बुरी ख़स्तते तो हो सकती हैं मगर ख़ियानत (चोरी व बददियानती) और झूठ नहीं हो सकता। और एक हदीस में है कि झूठ इन्सान के रिज़क़ को घटा देता है।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ.....الخ

“और ये लोग रोकते हैं उससे.....” आम मुफ़स्सिरीन इमाम ज़हहाक, क़तादा, मुहम्मद बिन हनफ़िया रहमतुल्लाहि अलैहिम के नज़दीक यह आयत मक्का के आम काफ़िरो के बारे में नज़िल हुई है, जो लोगों को कुरआन सुनने और उस पर अमल करने से रोकते थे, और खुद भी उससे दूर-दूर रहते थे। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह भी मन्कूल है कि यह आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा अबू तालिब और दूसरे उन चचाओं के बारे में है जो लोगों को आप सल्ल. को तकलीफ़ पहुँचाने से रोकते और आपकी हिमायत करते थे। मगर न कुरआन पर ईमान लाते न इस पर अमल करते। इस सूरत में ‘यन्हौ-न अन्हु’ (रोकते थे उस से) में उस से मुराद कुरआने करीम के बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम होंगे।

(तफ़सीरे मज़हरी, इब्ने अबी हातिम की सईद बिन अबी हिलाल वाली रिवायत के हवाले से)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا لَئِنَّا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا

وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ

قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا

بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَسِّرْنَا عَلَىٰ مَا فَرَقْنَا فِيهَا ۝ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ

عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۝ إِلَّا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ۝ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ

لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۝ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

व लौ तरा इज़् वुकिफू अलन्नारि
 फ़क़ालू या-लैतना नुरदूदु व ला
 नुकज़िज़-ब बिआयाति रब्बिना व
 नकू-न मिनल् मुअ्मिनीन (27) बल्
 बदा लहुम् मा कानू युख्फू-न मिन्
 कब्लु, व लौ रुदू लआदू लिमा नुहू
 अन्हु व इन्नहुम् लकाज़िबून (28)
 व क़ालू इन् हि-य इल्ला हयातुनद्-
 दुन्या व मा नह्नु बिमब्बूसीन (29)
 व लौ तरा इज़् वुकिफू अला
 रब्बिहिम्, का-ल अलै-स हाजा
 बिल्हकि, क़ालू बला व रब्बिना,
 का-ल फ़जूकुल्-अजा-ब बिमा
 कुन्तुम् तक्फ़ुरून (30) ❀
 कद् ख़सिरल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिलिका-
 -इल्लाहि, हत्ता इज़ा जाअतुहुमुस्-
 -सा-अतु बग्-ततन् क़ालू या
 हस्-तना अला मा फ़र्तना फीहा व
 हुम् यस्मिलू-न औज़ारहुम् अला
 जुहूरिहिम्, अला सा-अ मा यज़िरून
 (31) व मल्हयातुद्दुन्या इल्ला
 लअिबुव्-व लह्वुन्, व लद्दारुल्-
 आख़ि-रतु ख़ौरुल् लिल्लज़ी-न
 यत्तकू-न, अ-फ़ला तअक़िलून (32)

और अगर तू देखे जिस वक़्त कि खड़े
 किए जायेंगे वे दोज़ख़ पर, पस कहेंगे ऐ
 काश हम फिर भेज दिये जायें और हम न
 झुठलायें अपने रब की आयतों को और
 हो जायें हम ईमान वालों में। (27) कोई
 नहीं! बल्कि जाहिर हो गया जो छुपाते थे
 पहले, और अगर फिर भेजे जायें तो फिर
 भी वही काम करें जिससे मना किये गये
 थे, और वे बेशक झूठे हैं। (28) और
 कहते हैं कि हमारे लिये जिन्दगी नहीं
 मगर यही दुनिया की, और हमको फिर
 नहीं जिन्दा होना। (29) और काश कि
 तू देखे जिस वक़्त वे खड़े किये जायेंगे
 अपने रब के सामने, फ़रमायेगा- क्या यह
 सच नहीं? कहेंगे क्यों नहीं, क़सम है
 अपने रब की। फ़रमायेगा तो चलो
 अज़ाब बदले में अपने कुफ़्र के। (30) ❀
 तबाह हुए वे लोग जिन्होंने झूठ जाना
 मिलना अल्लाह का, यहाँ तक कि जब आ
 पहुँचेगी उन पर क़ियामत अचानक तो
 कहेंगे ऐ अफ़सोस! कैसी कोताही हमने
 उसमें की और वे उठायेंगे अपने बोझ
 अपनी पीठों पर, ख़बरदार हो जाओ कि
 बुरा बोझ है जिसको वे उठायेंगे। (31)
 और नहीं है जिन्दगानी दुनिया की मगर
 खेल और जी बहलाना, और आख़िरत का
 घर बेहतर है परहेज़गारों के लिये, क्या
 तुम नहीं समझते। (32)

खुलासा-ए-तफसीर

और अगर आप (इनको) उस वक्त देखें (तो बड़ा हैतनाक वाकिआ नज़र आये) जबकि ये (इनकारी लोग) दोज़ख के पास खड़े किए जाएँगे (और करीब होगा कि जहन्नम में डाल दिये जायें) तो (हज़ारों तमन्नाओं के साथ) कहेंगे- क्या अच्छी बात हो कि हम (दुनिया में) फिर वापस भेज दिए जाएँ। और (अगर ऐसा हो जाए तो) हम (फिर) अपने परवर्दिगार की आयतों (जैसे कुरआन वगैरह) को झूठा न बताएँ और हम (ज़रूर) ईमान वालों में से हो जाएँ। (हक़ तआला फ़रमाते हैं कि इनकी यह तमन्ना और वायदा सच्ची दिलचस्पी और फ़रमाँबरदारी के इरादे से नहीं) बल्कि (इस वक्त एक मुसीबत में फंस रहे हैं कि) जिस चीज़ को इससे पहले (दुनिया में) दबाया (और मिटाया) करते थे वह इनके सामने आ गई है। (मुराद उस चीज़ से आखिरत का अज़ाब है, जिसकी धमकी और सज़ा की चेतावनी कुफ़्र व नाफ़रमानी पर दुनिया में इनको दी जाती थी। और दबाने से मुराद इनकार है, मतलब यह है कि इस वक्त जान को बन रही है इसलिये जान बचाने को ये सारे वायदे हो रहे हैं, और दिल से हरगिज़ वायदा पूरा करने का इरादा नहीं, यहाँ तक कि) अगर (मान लो) ये लोग फिर वापस भी भेज दिए जाएँ तब भी ये वही काम करें जिससे इनको मना किया गया था (यानी कुफ़्र व नाफ़रमानी) और यकीनन ये लोग (इन वायदों में) बिल्कुल झूठे हैं (यानी न इस वक्त वायदा पूरा करने का इरादा न दुनिया में जाकर वायदा पूरा करने की इनसे संभावना और अपेक्षा है)। और ये (इनकारी लोग) कहते हैं कि जीना और कहीं नहीं सिर्फ यही फ़िलहाल का जीना है, और हम (इस ज़िन्दगी के ख़त्म होने के बाद भी) ज़िन्दा न किए जाएँगे (जैसा कि नबी हज़रात फ़रमाते हैं)। और अगर आप (उनको) उस वक्त देखें (तो बड़ा अजीब वाकिआ नज़र आये) जबकि वे अपने रब के सामने खड़े किए जाएँगे और अल्लाह तआला फ़रमाएगा कि (कहो) क्या यह (क़ियामत के दिन दोबारा ज़िन्दा होना) हकीक़त और वास्तविक चीज़ नहीं है? वे कहेंगे बेशक (हकीक़त है) कसम अपने रब की! अल्लाह तआला फ़रमाएगा तो अब अपने कुफ़्र के बदले अज़ाब चखो (उसके बाद दोज़ख में भेज दिये जायेंगे)।

बेशक (सख़्त) घाटे में पड़े वे लोग जिन्होंने अल्लाह तआला से मिलने को (यानी क़ियामत के दिन ज़िन्दा होकर खुदा तआला के सामने पेशी को) झुठलाया (और यह झुठलाना थोड़े दिनों रहेगा) यहाँ तक कि जब वह मुकर्ररा वक्त (यानी क़ियामत का दिन) अपने से संबन्धित मामलात के साथ उन पर अचानक (बिना सूचना के) आ पहुँचेगा (उस वक्त सारे दावे और झुठलाना ख़त्म हो जायेंगे और) कहने लगेंगे कि हाय अफ़सोस हमारी उस कोताही (और ग़फ़लत) पर जो इस (क़ियामत) के बारे में (हम से) हुई। और हालत उनकी यह होगी कि वे अपने (कुफ़्र व नाफ़रमानी का) बोझ अपनी कमर पर लादे होंगे। ख़ूब सुन लो कि बुरी होगी वह चीज़ जिसको अपने ऊपर लादेंगे। और दुनियावी ज़िन्दगानी तो कुछ भी नहीं सिवाय खेल-कूद और तमाशे के (इस वजह से कि न यह बाकी रहने वाली है और न कोई मुस्तक़िल नफ़ा देने वाली) और पिछला घर (यानी आखिरत) मुत्तकियों के लिए बेहतर है। क्या तुम सोचते समझते नहीं हो?

मआरिफ़ व मसाईल

इस्लाम के तीन बुनियादी उसूल हैं- तौहीद (अल्लाह को एक माबूद मानने पर यकीन व ईमान), रिसालत (हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अल्लाह का नबी व रसूल होने पर ईमान), आख़िरत के अक़ीदे पर ईमान। बाकी सब अक़ीदे इन्हीं तीनों के अन्दर दाख़िल हैं। और ये वो उसूल हैं जो इनसान को उसकी अपनी हक़ीक़त और जिन्दगी के मक़सद से परिचित कराके उसकी जिन्दगी में बदलाव पैदा करते हैं और उसको एक सीधी और साफ़ राह पर खड़ा कर देते हैं। इनमें भी अमली तौर पर आख़िरत का अक़ीदा और उसमें हि़साब, जज़ा व सज़ा का अक़ीदा एक ऐसा इन्क़िलाबी अक़ीदा है जो इनसान के हर अमल का रुख़ एक खास अन्दाज़ पर फेर देता है। यही वजह है कि कुरआने करीम के तमाम मज़ामीन इन्हीं तीन में घूमते रहते हैं। ज़िक्र की हुई आयत में खुसूसियत के साथ आख़िरत का सवाल व जवाब, वहाँ के सख़्त और लम्बे समय तक रहने वाले सवाब व अज़ाब का और फ़ानी दुनिया की हक़ीक़त का बयान है।

पहली आयत में इनकार करने वाले मुजरिमों का यह हाल बयान फ़रमाया गया है कि आख़िरत में जब उनको दोज़ख़ के किनारे खड़ा किया जायेगा और वे अपने गुमान व ख़्याल से भी ज़्यादा हौलनाक अज़ाब को देखेंगे तो वे यह तमन्ना ज़ाहिर करेंगे कि काश हमें फिर दुनिया में भेज दिया जाता तो हम अपने रब की भेजी हुई आयतों और अहक़ाम को न झुठलाते बल्कि उन पर ईमान लाते और मोमिनों में दाख़िल हो जाते।

दूसरी आयत में अलीम व ख़बीर अहक़मुल-हाकिमीन (यानी अल्लाह तआला) ने उनकी इस घबराई हुई तमन्ना की पोल इस तरह खोली कि इरशाद फ़रमाया- ये लोग जैसे हमेशा से झूठ के आदी थे ये अपने इस कौल और तमन्ना में भी झूठे हैं, और बात इसके अलावा नहीं है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ज़रिये जो तथ्य इनके सामने लाये गये थे और ये लोग उनको जानने पहचानने के बावजूद महज़ हठधर्मी से या दुनिया के लालच की वजह से उन तथ्यों और सच्चाईयों पर पर्दा डालने की कोशिश किया करते थे आज वो सब एक-एक करके इनके सामने आ गये। अल्लाह जल्ल शानुहु के बेमिस्त होने और उसकी कामिल कुदरत के सुबूत और निशानियाँ आँखों से देखें, नबियों की सच्चाई को देखा, आख़िरत में दोबारा जिन्दा होने का मसला जिसका हमेशा इनकार रहता था अब हक़ीक़त बनकर सामने आ गया, जज़ा व सज़ा का मामला देखा, दोज़ख़ को देखा तो अब इनके पास इनकार व मुख़ालफ़त की कोई हुज्जत और दलील बाकी न रही, इसलिये यूँ ही कहने लगे कि काश हम फिर दुनिया में वापस हो जाते तो मोमिन होकर लौटते।

लेकिन इनके पैदा करने वाले अलीम व ख़बीर (सब कुछ जानने वाले और हर चीज़ की ख़बर रखने वाले) मालिक ने फ़रमाया कि अब तो ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मान लो इनको दोबारा दुनिया में भेज दिया जाये तो ये फिर अपने इस कौल व करार को भूल जायेंगे, और फिर सब कुछ वही करेंगे जो पहले किया था, और जिन हराम चीज़ों से इनको रोका गया था ये फिर

उनमें मुक्तला हो जायेंगे। इसलिये इनका यह कहना भी एक झूठ और फरेब है।

उनके इस कौल को झूठ फरमाना परिणाम के लिहाज से भी हो सकता है कि ये जो वायदा अब कर रहे हैं कि अगर दोबारा दुनिया में लौटाये जायें तो झुठलायेंगे नहीं, मगर ऐसा होगा नहीं, ये वहाँ जाकर फिर भी झुठलायेंगे ही। और इस झुठलाने का यह मतलब भी हो सकता है कि इस वक्त भी जो कुछ ये लोग कह रहे हैं सच्चे इरादे से नहीं बल्कि केवल वयती मुसीबत को टालने के तौर पर अजाब से बचने के लिये कह रहे हैं, दिल में अब भी इनका इरादा नहीं।

तीसरी आयत में जो यह इरशाद फरमाया:

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا

(और कहते हैं कि हमारे लिये सिर्फ यही दुनिया की ज़िन्दगी है) इसका ताल्लुक "अदू" के साथ है, जिसके मायने यह हैं कि अगर इनको दोबारा भी दुनिया में लौटा दिया जाये तो फिर दुनिया में पहुँचकर यही कहेंगे कि हम तो इस दुनिया की ज़िन्दगी के सिवा किसी दूसरी ज़िन्दगी को नहीं मानते, बस यहीं की ज़िन्दगी ज़िन्दगी है, दोबारा हम को ज़िन्दा नहीं किया जायेगा।

यहाँ एक सवाल यह होता है कि जब कियामत में दोबारा ज़िन्दा होने को और फिर हिसाब किताब और जज़ा व सज़ा को आँखों से देख चुकेंगे, तो यह कैसे मुम्किन होगा कि फिर यहाँ आकर उसका इनकार कर दें।

जवाब यह है कि इनकार करने के लिये यह लाज़िम नहीं है कि वास्तव में उनको इन वाकिआत और हकीकतों का यकीन न रहे, बल्कि जिस तरह आज बहुत से काफ़िर व मुजरिम लोग इस्लामी सच्चाईयों का पूरा यकीन रखते हुए सिर्फ अपने बैर व दुश्मनी के सबब इनकार व झुठलाने पर जमे हुए हैं, इसी तरह ये लोग दुनिया में वापस आने के बाद कियामत कायम होने और दोबारा ज़िन्दा और आखिरत के तमाम हालात का पूरा यकीन रखने के बावजूद सिर्फ शरारत और दुश्मनी से फिर झुठलाने पर उतर आयेंगे, जैसा कि कुरआने करीम ने इसी मौजूदा ज़िन्दगी में कुछ काफ़िरों के बारे में इरशाद फरमाया है:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

“यानी ये लोग हमारी आयतों का इनकार तो कर रहे हैं मगर इनके दिलों में उनके हक होने का पूरा यकीन है।”

जैसे यहूदियों के बारे में इरशाद फरमाया है, कि वे खातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे ये लोग अपने बेटों को पहचाना करते हैं, मगर इसके बावजूद आपकी मुखालफत पर तुले हुए हैं।

खुलासा यह है कि कायनात के खालिक (यानी अल्लाह तआला) अपने हमेशा से मौजूद जाती इल्म से जानते हैं कि इन लोगों का यह कहना कि दोबारा दुनिया में भेज दिये जायें तो नेक मोमिन हो जायेंगे, बिल्कुल झूठ और फरेब है। अगर इनके कहने के मुताबिक दोबारा दुनिया को पैदा करके इनको उसमें छोड़ दिया जाये तो ये फिर वही सब कुछ करेंगे जो पहली ज़िन्दगी

में किया था।

तफसीरे मजहरी में तबरानी के हवाले से यह रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नकल की है कि हिसाब किताब के वक़्त हक़ तआला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इन्साफ़ की तराजू के पास खड़ा करके फ़रमायेंगे कि अपनी औलाद के आमाल का खुद मुआयना करें और जिस शख्स के नेक आमाल उसके गुनाहों से एक ज़रा भी बढ़ जायें तो उसको आप जन्नत में पहुँचा सकते हैं। और हक़ तआला का इरशाद होगा कि मैं जहन्नम के अज़ाब में सिर्फ़ उसी शख्स को दाख़िल करूँगा जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि वह अगर दोबारा दुनिया में भेजा दिया जाये तो फिर भी वही हरकतें करेगा जो पहले कर गया है।

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ

हदीस की रिवायतों में है कि क़ियामत के दिन नेक लोगों के आमाल उनकी सवारी बन जायेगी, और बदकारों के बुरे आमाल भारी बोझ की शक़्ल में उनके सरों पर लादे जायेंगे।

यहाँ यह बात ख़ास तौर से काबिले ज़िक्र है कि काफ़िर व गुनाहगार मैदाने हशर में अपनी जान बचाने के लिये बोखलाहट के साथ विभिन्न और अनेक बातें करेंगे, कहीं झूठी कसमें खा जायेंगे, कहीं यह तमन्ना करेंगे कि दोबारा दुनिया में लौटा दिये जायें, मगर यह कोई न कहेगा कि हम अब ईमान ले आये और अब नेक अमल किया करेंगे। क्योंकि यह हकीकत बहुत आसानी और स्पष्टता के साथ उनके सामने आ जायेगी कि आख़िरत का जहान अमल की जगह नहीं, और यह कि ईमान का सही होना उसी वक़्त तक है जब तक ईमान ग़ैब के साथ हो, देखने के बाद की तस्दीक तो अपने देखने पर अमल है, खुदा और रसूल की तस्दीक नहीं। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की रज़ा, उसके फल और इनामात यानी हमेशा का ऐश व राहत, दुनिया में अमन व इत्मीनान की उम्दा ज़िन्दगी और आख़िरत में जन्नत का परवाना हासिल करना सिर्फ़ दुनिया की ज़िन्दगी के ज़रिये हो सकता है, न इससे पहले रूहों के आलम में इसका हासिल करना मुम्किन है और न इससे गुज़रने के बाद आख़िरत के जहान में इसको हासिल किया जाना मुम्किन है।

इससे वाज़ेह हो गया कि दुनिया की ज़िन्दगी बहुत बड़ी नेमत और सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, जिसमें यह अज़ीमुश्शान सौदा ख़रीदा जा सकता है। इसी लिये इस्लाम में खुदकुशी हARAM और मौतकी दुआ या तमन्ना करना मना है। इसमें खुदा तआला की एक भारी नेमत की ताशुक़ी है। कुछ बुजुर्गों के हालात में है कि वफ़ात के करीब मौलाना जामी रहमतुल्लाहि अलैहि का यह शेर उनकी ज़बान पर था:

बा दो रोज़े ज़िन्दगी जामी नशुद सैरे ग़मत

वह चे खुश बूदे कि उम्रे जावेदानी दाशतेम

यानी दो दिन की ज़िन्दगी तेरे ग़म में शरीक होने के लिये काफ़ी नहीं। क्या ही अच्छा होता हमें एक लम्बी ज़िन्दगी नसीब होती। मुहम्मद इमरान कासमी बिज़ानवी

इससे यह भी वाज़ेह हो गया कि उक्त आयतों में से आखिरी आयत में और दूसरी अनेक कुरआनी आयतों में जो दुनिया की ज़िन्दगी को खेल-तमाशा फ़रमाया है, या बहुत सी हदीसों में दुनिया की जो बुराई आई है इससे मुराद दुनियावी ज़िन्दगी के वो लम्हात और घड़ियाँ हैं जो अल्लाह तआला के ज़िक्र से ग़फ़लत में गुज़रें, वरना जो वक़्त अल्लाह तआला की फ़रमाँबरदारी व ज़िक्र में गुज़रता है उसके बराबर दुनिया की कोई नेमत व दौलत नहीं:

दिन वही दिन है शब वही शब है

जो तेरी याद में गुज़र जाये

एक हदीस से भी इसकी ताईद होती है जिसमें इरशाद है:

الدُّنْيَا مَلْعُونٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ عَالِمٍ أَوْ مَعْتَلِمٍ.

“यानी दुनिया भी मलऊन (यानी अल्लाह की रहमत से दूर) है, और जो कुछ इसमें है सब मलऊन है, मगर अल्लाह की याद और आलिम या तालिबे इल्म।”

और अगर गौर से देखा जाये तो आलिम और तालिबे इल्म भी ज़िक्रुल्लाह ही में दाख़िल हो जाते हैं, क्योंकि इल्म से वही इल्म मुराद है जो अल्लाह तआला की रज़ा का सबब बने। तो ऐसे इल्म का सीखना और सिखाना दोनों ही ज़िक्रुल्लाह में दाख़िल हैं, बल्कि इमाम-जज़री रह. की बज़ाहत के मुताबिक़ दुनिया का हर वह काम जो अल्लाह तआला की इताअत यानी शरीअत के अहकाम की तालीम के मुताबिक़ किया जाये वह सब ज़िक्रुल्लाह ही में दाख़िल है। इससे मालूम हुआ कि दुनिया के सब ज़रूरी काम, रोज़ी कमाने के तमाम जायज़ तरीक़े और दूसरी ज़रूरतें जो शरीअत की हदों और सीमाओं से बाहर न हों, वे सब ज़िक्रुल्लाह में दाख़िल हैं। बाल-बच्चे, घर वाले, रिश्तेदार, यार-दोस्त, पड़ोसी और मेहमान वगैरह के हुक्क की अदायेगी को सही हदीसों में सद्के और इबादत से ताबीर फ़रमाया गया है।

हासिल यह हुआ कि इस दुनिया में हक़ तआला की इताअत और ज़िक्रुल्लाह के सिवा कोई चीज़ अल्लाह तआला के नज़दीक़ पसन्दीदा नहीं। उस्ताज़े मोहतरम हज़रत मौलाना अनवर शाह साहिब कुद्दिस सिर्हु ने ख़ूब फ़रमाया है:

बगुज़र अज़ यादे गुल व गुलबन कि हेचम याद नेस्त

दर ज़मीन व आसमाँ जुज़ ज़िक्रे हक़ आबाद नेस्त

कि फूल और चमन का तज़क़िरा फुज़ूल है क्योंकि मुझे अब कुछ याद नहीं। ज़मीन व आसमान (यानी पूरे जहान) में सिवाय हक़ तआला के ज़िक्र के कोई भी काबिले तवज्जोह और बाकी रहने वाली चीज़ नहीं है। मुहम्मद इमरान कासमी-बिज्ञानवी

खुलासा-ए-कलाम यह है कि इस दुनिया में ऐसी चीज़ जो हर इन्सान को हासिल है और सबसे ज़्यादा कीमती और प्यारी है, वह उसकी ज़िन्दगी है। और यह भी मालूम है कि हर इन्सान की ज़िन्दगी का एक सीमित वक़्त है, और यह भी मालूम है कि अपनी ज़िन्दगी की सही हद किसी को मालूम नहीं कि सत्तर साल होगी या सत्तर घण्टे, या एक साँस की भी मोहलत न मिलेगी।

दूसरी तरफ यह मालूम हो गया कि अल्लाह की रज़ा की कीमती दौलत जो दुनिया व आखिरत की राहत व ऐश और हमेशा के आराम की ज़ामिन (गारंटी देने वाली) है, वह सिर्फ़ इसी सीमित दुनियावी ज़िन्दगी में हासिल की जा सकती है। अब हर इनसान जिसको अल्लाह तआला ने अक़ल व होश दिया है, खुद फैसला कर सकता है कि ज़िन्दगी के इन सीमित तम्हात और घड़ियों को किस काम में खर्च करना चाहिये, बिला शुक्ल अक़ल का तकाज़ा यही होगा कि इन कीमती वक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा उस काम में खर्च किया जाये जिससे अल्लाह तआला की रज़ा हासिल हो, बाकी काम जो इस ज़िन्दगी को बरकरार रखने के लिये ज़रूरी हैं उनको ज़रूरत के मुताबिक़ ही इख़्तियार किया जाये।

एक हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَرَضِيَ بِالْكَفَافِ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

“यानी अक़लमन्द होशियार वह आदमी है जो अपने नफ़स की निगरानी और जायज़ा लेता रहे और ज़रूरत पूरी होने के बराबर रोज़ी कमाने पर राज़ी हो जाये और मौत के बाद की ज़िन्दगी के लिये सारा अमल (यानी काम करने की ताक़त) वक्फ़ कर दे।”

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ

الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبِرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَايِ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ كِبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ وَالْبُؤَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَالِكُمْ ۚ مَا فَحَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۚ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ۚ وَمَن يَشَاءِ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنزَلْنَا عَلَىٰ أُمَّتِكُمْ السَّاعَةَ أَوَّعَرْنَا اللَّهُ تَدْعُونَ ۚ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ إِنِّي آتَاكُمْ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۝

कद् नअलमु इन्नहू ल-यह्जुनुकल्लजी
यकूलू-न फ़-इन्नहुम् ला युक्ज़िज़बून-क

हमको मालूम है कि तुझको गुम में डालती हैं उनकी बातें सो वे तुझको नहीं झुठलाते लेकिन ये ज़ालिम तो अल्लाह की

व लाकिन्नज्जालिमी-न बिआयाति-
 -ल्लाहि यज्हुदून (33) व ल-कद्
 कुज्जिबत् रुसुलुम् मिन् कब्लि-क
 फ-स-बरु अला मा कुज्जिबू व ऊजू
 हत्ता अताहुम् नस्रुना व ला मुबदि-ल
 लि-कलिमातिल्लाहि व ल-कद् जाअ-क
 मिन् न-बइल् मुर्सलीन (34) व इन्
 का-न कबु-र अलै-क इअराजुहुम्
 फ-इनिस्-ततअ-त अन् तब्तगि-य
 न-फकन् फिलुअर्जि औ सुल्लमन्
 फि स्समा-इ फ-तअ तियहुम्
 बिआयतिन्, व लौ शाअल्लाहु
 ल-ज-म-अ हुम् अलल्हुदा फ ला
 तकूनन्-न मिनल्-जाहिलीन (35) ●
 इन्नमा यस्तजीबुल्लजी-न यस्मअ-न,
 वल्मौता यब्असुहुमुल्लाहु सुम्-म
 इलैहि युर्जअून (36) व कालू लौ ला
 नुज्जि-ल अलैहि आयतुम् मिर्बिबीही,
 कुल् इन्नल्ला-ह कादिरुन् अला
 अय्युनज्जि-ल आयतव्-व लाकिन्-न
 अक्स-रहुम् ला यअलमून (37) व
 मा मिन् दाब्बतिन् फिलुअर्जि व ला
 ताइरिंध्यतीरु बि-जनाहैहि इल्ला
 उ-ममुन् अम्सालुकुम्, मा फर्तुना

आयतों का इनकार करते हैं। (33)-और
 झुठलाये गये हैं बहुत से रसूल तुझसे
 पहले, पस सब करते रहे झुठलाने पर
 और तकलीफ पहुँचाने पर यहाँ तक कि
 पहुँची उनको हमारी मदद, और कोई नहीं
 बदल सकता अल्लाह की बातें, और
 तुझको पहुँच चुके हैं कुछ हालात रसूलों
 के। (34) और अगर तुझ पर गराँ (भारी
 और नागवार) है उनका मुँह फेरना तो
 अगर तुझसे हो सके कि ढूँढ निकाले कोई
 सुरंग ज़मीन में या कोई सीढ़ी आसमान
 में, फिर ला दे उनके पास एक मोजिज़ा,
 और अगर अल्लाह चाहता तो जमा कर
 देता सब को सीधी राह पर सो तू मत हो
 नादानों में। (35) ● मानते वही हैं जो
 सुनते हैं, और मुर्दों को जिन्दा करेगा
 अल्लाह, फिर उसकी तरफ लाये जायेंगे।
 (36) और कहते हैं- क्यों नहीं उतरी उस
 पर कोई निशानी उसके रब की तरफ से,
 कह दे कि अल्लाह को क़ुदरत है इस
 बात पर कि उतारे निशानी लेकिन उनमें
 अक्सर नहीं जानते। (37) और नहीं है
 कोई चलने वाला ज़मीन में और न कोई
 परिन्दा कि उड़ता है अपने दो बाजूओं से
 मगर हर एक उम्मत है तुम्हारी तरह,
 हपने नहीं छोड़ी लिखने में कोई चीज़,

फिल्किताबि मिन् शैइन् सुम्-म इला
 रब्बिहिम् युहशरून (38) वल्लजी-न
 कज़्जबू बिआयातिना सुम्मुं-व
 बुक्मुन् फिज़्जुलुमाति, मय्य-शइल्लाहु
 युज़्जलिहू, व मय्यशअ यज़्जल्हु अला
 सिरातिम् मुस्तकीम (39) कुल्
 अ-रए-तकुम् इन् अताकुम्
 अज़्जाबुल्लाहि औ अतत्कुमुस्सा-अतु
 अगैरल्लाहि तद्अ-न इन् कुन्तुम्
 सादिकीन (40) बल् इय्याहु तद्अ-न
 फ-यक्शिफु मा तद्अ-न इलैहि इन्
 शा-अ व तन्सौ-न मा
 तुशिरकून (41) ❀

फिर सब अपने रब के सामने जमा होंगे।
 (38) और जो झुठलाते हैं हमारी आयतों
 को वे बहरे और गूंगे हैं अंधेरो में, जिस
 को चाहे अल्लाह गुमराह करे और जिस
 को चाहे डाल दे सीधी राह पर। (39) तू
 कह- देखो तो अगर आये तुम पर अज़ाब
 अल्लाह का, या आये तुम पर कियामत,
 क्या अल्लाह के सिवा किसी और को
 पुकारोगे? बताओ अगर तुम सच्चे हो।
 (40) बल्कि उसी को पुकारते हो, फिर
 दूर कर देता है उस मुसीबत को जिसके
 लिये उसको पुकारते हो अगर चाहता है,
 और तुम भूल जाते हो (उनको) जिनको
 शरीक करते थे। (41) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

काफ़िरों की बेहूदा बातों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम
 को अल्लाह की तरफ से तसल्ली

हम खूब जानते हैं कि आपको इन (काफ़िरों) की बातें गुमगीन करती हैं। सो (आप गुम में
 न पड़िये बल्कि इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कीजिए, क्योंकि) ये लोग (डायरेक्ट) आपको
 झूठ नहीं कहते, लेकिन ये जालिम तो अल्लाह तआला की आयतों का (जान-बूझकर) इनकार
 करते हैं (अगरचे इससे आपको झुठलाना भी लाज़िम आता है मगर इतना असल मकसद
 अल्लाह की आयतों को झुठलाना है, जैसा कि इनमें के कुछ लोग मसलन अबू जहल इसके
 इकरारी भी हैं। और जब इनका असल मकसद अल्लाह की आयतों को झुठलाना है तो इनका
 यह मामला खुद अल्लाह तआला के साथ हुआ, यह खुद ही इनको समझ लेंगे, आप क्यों गुम में
 मुब्तला हो) और (काफ़िरों का यह झुठलाना कोई नई बात नहीं, बल्कि) बहुत-से पैगम्बर जो
 आप से पहले हुए हैं उनको भी झुठलाया जा चुका है, सो उन्होंने इस पर सब्र ही किया कि
 उनको झुठलाया गया, और उनको (तरह-तरह की) तकलीफें पहुँचाई गईं, यहाँ तक कि हमारी

मदद उनको पहुँची (जिससे मुखालिफ मगलूब हो गये, उस वक्त तक वे सब ही करते रहे) और (इसी तरह सब करने के बाद आपको भी अल्लाह की मदद पहुँचेगी, क्योंकि) अल्लाह तआला की बातों (यानी वायदों) को कोई बदलने वाला नहीं (और इमदाद का वायदा आप से हो चुका है, जैसा कि फरमाया- 'ल-अग़लिबन्-न अ-न व रुसुली') और आपके पास कुछ पैगम्बरों के वाजे किस्से (कुरआन में) पहुँच चुके हैं (जिनसे अल्लाह की इमदाद और मुखालिफों का आखिरकार मगलूब होना साबित हो जाता है। और हासिल इस तसल्ली का यह है कि अल्लाह तआला का वायदा है कि शुरू के चन्द दिन के सब के बाद वह अपने रसूलों को इमदाद भेज देते हैं, जिससे दुनिया में भी हक़ का गुलबा होता है और बातिल मगलूब हो जाता है, और आखिरत में भी उनको इज्जत व कामयाबी मिलती है। आपके साथ भी यही मामला होने वाला है, आप दुखी व लीदा न हों। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को चूँकि तमाम इनसानों के साथ शफ़क़त व मुहब्बत हद से ज्यादा थी, आप बावजूद इस तसल्ली के यह चाहते थे कि ये मुश्रिक लोग अगर मौजूदा मोजिजों और नुबुव्वत की दलीलों पर संतुष्ट होकर ईमान नहीं लाते तो जिस किस्म के मोजिजों का ये मुतालबा करते हैं वही मोजिजे ज़ाहिर हो जायें, शायद ये ईमान ले आयें, और इस एतिबार से उनका कुफ़ देखकर सब्र न आता था, इसलिये अगली आयतों में अल्लाह तआला ने बतला दिया कि अल्लाह की हिक्मत के तकाज़े के सबब उनके फ़रमाईशी मोजिजे ज़ाहिर न किये जायेंगे, आप थोड़ा सा सब्र करें, उनके ज़ाहिर होने की फ़िक्र में न पड़ें। चूनांचे फ़रमाया- 'व इन का-न कबु-र अलै-क' कि) और अगर आपको (इनकार करने वालों का) मुँह मोड़ना (व इनकार) नागवार गुज़रता है (और इसलिये जी चाहता है कि उनके फ़रमाईशी मोजिजे ज़ाहिर हो जायें) तो अगर आपको यह ताक़त है कि ज़मीन में (जाने को) कोई सुरंग या आसमान में (जाने को) कोई सीढ़ी ढूँढ लो, (फिर उसके ज़रिये ज़मीन या आसमान में जाकर वहाँ से) कोई मोजिजा (फ़रमाईशी मोजिजों में से) ले आओ तो (बेहतर है आप ऐसा) कर लो, (यानी हम तो उनकी ये फ़रमाईशें ज़रूरत न होने और हिक्मत के तकाज़े के सबब पूरी नहीं करते, अगर आप यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ये मुसलमान ही हो जायें तो आप खुद इसका इन्तिज़ाम कीजिए) और अगर अल्लाह को (तक़दीरी तौर पर) मन्ज़ूर होता तो इन सब को वही रास्ते पर जमा कर देता (लेकिन चूँकि ये खुद ही अपना भला नहीं चाहते इसलिये तक़दीरी तौर पर अल्लाह तआला को यह मन्ज़ूर नहीं हुआ, फिर आपके चाहने से क्या होता है) सो आप इस फ़िक्र को छोड़िये और) नादानों में से न होइए (हक़ व हिदायत की बात को तो) वही लोग चुन लें करते हैं जो (हक़ बात को हक़ की तलब के इरादे से) सुनते हैं, और (अगर इस इनकार, मुँह मोड़ने की पूरी सज़ा उनको दुनिया में न मिली तो क्या हुआ आखिर एक दिन) मुर्दों को अल्लाह तआला जिन्दा करके उठाएँगे, फिर वे सब अल्लाह ही की तरफ़ (हिसाब के लिये) लाए जायेंगे।

और ये (इनकारी) लोग (दुश्मनी के तौर पर) कहते हैं कि इन पर (हमारे फ़रमाईशी मोजिजों में से) कोई मोजिजा क्यों नज़िल नहीं किया गया? आप फ़रमा दीजिए कि अल्लाह

तआला को बेशक इस पर पूरी क़ुदरत है कि वह (ऐसा ही) मोजिज़ा नाज़िल फ़रमाएँ, लेकिन उनमें अक्सर (इसके अन्जाम से) बेख़बर हैं (इसलिये ऐसी दरख़्वास्त कर रहे हैं। और वह अन्जाम यह है कि अगर फिर भी ईमान न लायेंगे तो सब फ़ौरन हलाक कर दिये जायेंगे, जैसा कि अल्लाह तआला का फ़रमान है:

وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَائِمًا لَّفَضِيَ الْأَمْرُ

हासिल यह है कि उनका फ़रमाईशी मोजिज़ा जाहिर करने की ज़रूरत तो इसलिये नहीं कि पहले मोजिज़े काफ़ी हैं। जैसा कि अल्लाह तआला का कौल है:

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا..... الخ

और हम जानते हैं कि ये फ़रमाईशी मोजिज़ों पर भी ईमान न लायेंगे, जिससे फ़ौरी अज़ाब के मुस्तहक़ हो जायेंगे, इसलिये हिक्मत का तकाज़ा यह है कि इनका फ़रमाईशी मोजिज़ा जाहिर न किया जाये। और आयत के आख़िर में 'व ला तकूनन्-न भिनत्-जाहिलीन' फ़रमाना मुहब्बत व शफ़क़त के तौर पर है। लफ़ज़ जहालत अरबी भाषा में इस आम मायने के लिये भी इस्तेमाल होता है, बख़िलाफ़ उर्दू भाषा के। इसलिये इसका तर्जुमा लफ़ज़ जहल या जहालत से करना अदब के ख़िलाफ़ है। अगली आयतों में तंबीह के लिये क़ियामत और तमाम मख़्लूक के दोबारा ज़िन्दा होकर जमा होने का ज़िक्र है) और जितने क़िस्म के जानदार ज़मीन पर (चाहे खुशकी में या पानी में) चलने वाले हैं और जितने क़िस्म के परिन्दे (जानवर) हैं कि अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं उनमें कोई क़िस्म ऐसी नहीं जो कि (क़ियामत के दिन ज़िन्दा होकर उठने में) तुम्हारी ही तरह के ग़िरोह न हों, और (अगरचे ये सब अपनी अधिकता की वजह से आम बोलचाल में बेइन्तिहा हो लेकिन हमारे हिसाब में सब चढ़े हुए हैं क्योंकि) हमने (अपने) दफ़तर (लौह-ए-महफ़ूज़) में कोई चीज़ (जो क़ियामत तक होने वाली है बिना लिखे) नहीं छोड़ी (अगरचे अल्लाह तआला को लिखने की कोई ज़रूरत न थी, उनका हमेशा का और हर चीज़ को अपने घेरे में लेने वाला इलाक़ ही काफ़ी है लेकिन लिखने के ज़रिये दर्ज कर लेना आम लोगों की समझ के ज़्यादा करीब है) फिर (उसके बाद अपने निर्धारित वक़्त पर) सब (इनसान और जानवर) अपने परवर्दिगार के पास जमा किए जाएँगे।

(आगे फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तसल्ली का मज़मून है) और लोग हमारी आयतों को झुठलाते हैं वे तो (हक़ सुनने से) बहरे (जैसे), और (हक़ कहने से) (जैसे) हो रहे हैं, (और इसकी वजह से) तरह-तरह की अंधेरियों में (गिरफ़्तार) हैं (क्योंकि क़ुफ़्र एक अंधेरी है और इनमें मुख़लिफ़ क़िस्म के क़ुफ़्र जमा हैं, फिर क़ुफ़्र की उन क़िस्मों की वजह से) बेराह कर दें और जिसको चाहें (अपने फ़ज़ल से) सीधी राह पर लगा दें। आप (शुश्रूक़ों से) कहिए कि (अच्छा) अपना हाल तो बतलाओ कि अगर तुम पर खुदा का कोई अज़ाब आ पड़े या तुम पर क़ियामत ही आ पहुँचे तो क्या (उस अज़ाब और क़ियामत

इहशत को हटाने के वास्ते) खुदा के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर तुम (शिरक के दावे में) सच्चे हो (तो चाहिये कि उस वक्त भी गैरुल्लाह ही को पुकारो, लेकिन ऐसा हरगिज़ न होगा) बल्कि (उस वक्त तो) खास उसी को पुकारने लगे। फिर जिस (आफत) के (हटाने) के लिए तुम (उसको) पुकारो अगर वह चाहे तो उसको हटा भी दे (और न चाहे तो न भी हटाये)। और जिन-जिन को तुम (अब अल्लाह का) शरीक ठहराते हो (उस वक्त) उन सब को भूल-भाल जाओ।

मआरिफ व मसाईल

ज़िक्र हुई आयतों में से पहली आयत में जो यह फ़रमाया है:

فَاتِهِمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ

यानी ये काफ़िर दर हकीकत आपको नहीं झुठलाते बल्कि अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं। इसका वाकिआ तफ़सीरे मज़हरी में इमाम सुदी रहमतुल्लाहि अलैहि की रिवायत से यह नक़ल किया है कि एक मर्तबा कुरैश के काफ़िरों में के दो सरदार अज़स बिन शुरैक और अबू जहल की मुलाक़ात हुई, तो अज़स ने अबू जहल से पूछा कि ऐ अबुल-हिकम (अरब में अबू जहल अबुल-हिकम के नाम से पुकारा जाता था, इस्लाम में उसके कुफ़ व दुश्मनी के सबब उसे अबू जहल का लक़ब दिया गया) यह तन्हाई का मौका है, मेरे और तुम्हारे कलाम को कोई तीसरा नहीं सुन रहा है, मुझे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह (यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में अपना ख़्याल सही-सही बतलाओ कि उनको सच्चा समझते हो या झूठ?

अबू जहल ने अल्लाह की क़सम खाकर कहा कि बिला शुब्हा मुहम्मद सच्चे हैं, उन्होंने उम्रभर में कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन बात यह है कि कुरैश कबीले की एक शाखा बन् क़ुसई में सारी खूबियाँ और कमालात जमा हो जायें, बाकी कुरैश ख़ाली रह जायें इसको हम कैसे बरदाश्त करें? झण्डा बनी क़ुसई (क़ुसई की औलाद) के हाथ में है, हरम में हाजियों को पानी पिलाने की अहम खिदमत उनके हाथ में है, बैतुल्लाह की दरबानी और उसकी चाबी उनके हाथ में है, अब अगर नुबुव्वत भी हम उन्हीं के अन्दर तस्लीम कर लें तो बाकी कुरैश के पास क्या रह जायेगा।

एक दूसरी रिवायत नाजिया इब्ने कअ़ब से मन्कूल है कि अबू जहल ने एक मर्तबा खुद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि हमें आप पर झूठ का कोई गुमान नहीं, और हम आपको झुठलाते हैं, हाँ हम उस किताब या दीन को झुठलाते हैं जिसको आप लाये हैं।

(तफ़सीरे मज़हरी)

इन रिवायतों की बिना पर आयत को अपने असली मफ़हूम में भी लिया जा सकता है कि ये काफ़िर आपको नहीं बल्कि अल्लाह की आयतों को झुठलाया करते हैं। और इस आयत का यह

मतलब भी हो सकता है कि ये काफिर अगरचे जाहिर में आप ही को झुठलाया करते हैं, मगर हकीकत में आपको झुठलाने का अन्जाम खुद अल्लाह तआला और उसकी आयतों का झुठलाना है, जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- "जो शख्स मुझे तकलीफ पहुँचाता है वह हकीकत में अल्लाह तआला को तकलीफ पहुँचाने के हुक्म में है।"

और छठी आयत (यानी नम्बर 38) 'व मा मिन् दाब्बतिन्.....' से मालूम हुआ कि कियामत के दिन इनसानों के साथ तमाम जानवर भी जिन्दा किये जायेंगे, और इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम और बैहकी ने हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि कियामत के दिन तमाम जानवर, चौपाये और परिन्दे भी दोबारा जिन्दा किये जायेंगे, और अल्लाह तआला का इन्साफ़ इस हद तक है कि अगर किसी सींग वाले जानवर ने बिना सींग वाले जानवर को दुनिया में मारा था तो आज उसका बदला उससे लिया जायेगा (इसी तरह दूसरे जानवरों के आपसी जुल्म व ज्यादतियों का इन्तिकाम लिया जायेगा)। और जब उनके आपस के हुकूक व जुल्मों के बदले और इन्तिकाम हो चुकेंगे तो उनको हुक्म होगा कि सब मिट्टी हो जाओ, और तमाम जानवर उसी वक़्त फिर मिट्टी का ढेर होकर रह जायेंगे। यही वह वक़्त होगा जबकि काफिर कहेगा 'या लैतनी कुन्तु तुराबा' यानी काश मेरा भी यही मामला हो जाता कि मुझे मिट्टी बना दिया जाता, और दोज़ख के अज़ाब से बच जाता।

और इमाम बग़वी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक दूसरी रिवायत में हजरत अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु ही से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि कियामत के दिन सब हक़ वालों के हक़ अदा किये जायेंगे यहाँ तक कि बिना सींग की बकरी का बदला सींग वाली बकरी से भी लिया जायेगा।

मख़्लूक़ के हुकूक़ की हद से ज़्यादा अहमियत

यह सब को मालूम है कि जानवर किसी शरीअत और अहकाम के मुकल्लफ़ (पाबन्द) नहीं इनके मुकल्लफ़ सिर्फ़ इनसान और जिन्न हैं। और जाहिर है कि ग़ैर-मुकल्लफ़ (यानी जो कानून का पाबन्द न हो) से जज़ा व सज़ा का मामला नहीं हो सकता, इसी लिये उलेमा ने फरमाया है कि मेहशर में जानवरों का बदला उनके मुकल्लफ़ होने की वजह से नहीं बल्कि रब्बुल-आलमीन के अदल व इन्साफ़ की वजह से है, कि एक जानदार किसी जानदार पर कोई जुल्म करे तो उसका बदला दिलाया जायेगा, बाकी उनके किसी और अमल पर जज़ा व सज़ा न होगी।

इससे मालूम हुआ कि अल्लाह की मख़्लूक़ के आपसी हुकूक़ और जुल्म व ज्यादती का मामला इतना संगीन है कि ग़ैर-मुकल्लफ़ जानवरों को भी इससे आज़ाद नहीं किया गया, मगर अफ़सोस है कि बहुत से दीनदार और इबादत-गुज़ार आदमी भी इसमें लापरवाही बरतते हैं।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَضَرَّعُونَ ۝ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ۝ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ
 بَغْتَةً فَاذَاهُمْ مُبِلِسُونَ ۝ فَتَطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

व ल-कद् अरसलना इला उ-मभिम्
 मिन् कब्लि-क फ-अख्रज्नाहुम् बिल्-
 बअसा-इ वज्ररा-इ लअल्लहुम्
 य-तजरअून (42) फलौ ला इज़्
 जाअहुम् बअसुना तजरअू व लाकिन्
 क-सत् कुलूबुहुम् व जय्य-न
 लहुमुशशैतानु मा कानू यअ्मलून
 (43) फ-लम्मा नसू मा जुक्किरु
 बिही फतह्ना अलैहिम् अब्बा-ब कुल्लि
 शैइन्, हत्ता इजा फरिहू बिमा ऊतू
 अख्रज्नाहुम् बग्-ततन् फ-इजा हुम्
 मुब्लिसून (44) फकुति-अ दाबिरुल्
 कौमिल्लजी-न ज-लम्, वल्हम्दु
 लिह्लाहि रब्बिल्-आलमीन (45)

और हमने रसूल भेजे थे बहुत सी उम्मतों
 पर तुझसे पहले, फिर उनको पकड़ा हमने
 सख्ती में और तकलीफ में ताकि वे
 गिड़गिड़ायें। (42) फिर क्यों न गिड़गिड़ाये
 जब आया उन पर हमारा अज़ाब, लेकिन
 सख्त हो गये दिल उनके और भले कर
 दिखलाये उनको शैतान ने जो काम वे
 कर रहे थे। (43) फिर जब वे भूल गये
 उस नसीहत को जो उनको की गई थी,
 खोल दिये हमने उन पर दरवाज़े हर चीज़
 के, यहाँ तक कि जब वे खुश हुए उन
 चीज़ों पर जो उनको दी गयीं, पकड़ लिया
 हमने उनको अचानक, पस उस वक्त वे
 रह गये ना-उम्मीद। (44) फिर कट गई
 जड़ उन ज़ालिमों की, और सब तारीफें
 अल्लाह ही के लिये हैं जो पालने वाला है
 सारे जहान का। (45)

खुलासा-ए-तफसीर

और हमने आपसे पहली उम्मतों की तरफ भी पैगम्बर भेजे थे (मगर उन्होंने उनको न
 माना) तो हमने उनको तंगदस्ती और बीमारी से पकड़ा ताकि वे ढीले पड़ जाएँ (और अपने कुफ्र
 व नाफरमानी से तौबा कर लें)। सो जब उनको हमारी सज़ा पहुँची थी वे ढीले क्यों न पड़े? (कि
 उनका जुर्म माफ हो जाय) लेकिन उनके दिल तो (वैसे ही) सख्त (के सख्त) रहे और शैतान
 उनके आमाल को उनके ख्याल में (बदस्तूर) संवार (और अच्छा बना) करके दिखलाता रहा। फिर
 जब वे लोग (बदस्तूर) उन चीज़ों को भूले (और छोड़े) रहे जिनकी उनको (पैगम्बरों की तरफ से)

नसीहत की जाती थी (यानी ईमान व नेकोकारी) तो हमने उन पर (ऐश व आराम की) हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब उन चीजों पर जो कि उनको मिली थीं वे ख़ूब इतरा गये (और लापरवाही व सुस्ती में उनका कुफ़्र और बढ़ गया, उस वक़्त) तो हमने उनको अचानक (बेगुमान अज़ाब में) पकड़ लिया, (और सख़्त अज़ाब नाज़िल किया जिसका जिक्र कुरआन में जगह-जगह आया है) फिर तो वे बिल्कुल भौंचक्के रह गए। फिर (उस अज़ाब से) ज़ालिम लोगों की जड़ (तक) कट गई और अल्लाह का शुक्र है जो तमाम जहानों का परवरिगार है (कि ऐसे ज़ालिमों का पाप कटा जिनकी वजह से दुनिया में नहसत फैली थी)।

मआरिफ़ व मसाईल

ज़िक्र की गयी आयतों में शिर्क व कुफ़्र को रद्द व बातिल करना और तौहीद को साबित करना एक ख़ास अन्दाज़ में किया गया है कि पहले मक्का के मुशिरकों से सवाल किया गया कि अगर तुम पर आज कोई मुसीबत आ पड़े, मसलन खुदा तआला का अज़ाब इसी दुनिया में तुम पर आ जाये, या मौत या कियामत का हौलनाक हंगामा बरपा हो जाये, तो अपने दिलों में गौर करके बतलाओ कि तुम उस वक़्त अपनी मुसीबत को दूर करने के लिये किसको पुकारोगे और किससे उम्मीद रखोगे कि वह तुम्हें अज़ाब और मुसीबत से निजात दिलाये? क्या ये पत्थर के खुद गढ़े हुए बुत या मख़्लूक़ में से दूसरे लोग जिनको तुमने खुदा तआला की हैसियत दे रखी है, उस वक़्त तुम्हारे काम आयेंगे और तुम इनसे फ़रियाद करोगे? या सिर्फ़ एक अल्लाह जल्ल शानुहू को ही उस वक़्त पुकारोगे।

इसका जवाब किसी अक़्त व होश रखने वाले इन्सान की तरफ़ से उसके अलावा हो ही नहीं सकता जो खुद हक़ तआला ने उनकी तरफ़ से ज़िक्र फ़रमाया है कि उस आम मुसीबत के वक़्त बड़े से बड़ा मुशिरक भी सब बुतों और खुद गढ़े हुए माबूदों को भूल जायेगा, और सिर्फ़ खुदा तआला को पुकारेगा। तो अब नतीजा ज़ाहिर है कि ये तुम्हारे बुत और वे माबूद जिनको तुमने खुदा तआला की हैसियत दे रखी है और इनको ही अपना मुशिकल-कुशा और ज़रूरत पूरी करने वाला जानते और कहते हो, जब उस बड़ी मुसीबत के वक़्त तुम्हारे काम न आये और तुम्हें यह ज़रूरत व हिम्मत भी न हो सकी कि इनको अपनी इमदाद के लिये बुलाओ, तो फिर इनकी इबादत और इनकी मुशिकल-कुशाई (परेशानियों और मुशिकलों को हल करना) किस दिन काम आयेंगी।

यह मज़मून पहले बयान हुई आयतों का खुलासा है। उनमें फ़र्ज करने और थोड़ी देर के लिये मान लेने के तौर पर यह बतलाया गया है कि तुम्हारे कुफ़्र व शिर्क और नाफ़रमानी की सज़ा में तुम पर इसी दुनिया की ज़िन्दगी में भी अज़ाब आ सकता है, और मान लो ज़िन्दगी में अज़ाब न आया तो कियामत का आना तो यकीनी है, जहाँ इन्सान के सब आमाल और कामों का जायज़ा लिया जायेगा, और जज़ा व सज़ा के अहक़ाम नाफ़िज़ होंगे।

यहाँ कियामत से मुराद परिचित कियामत के मायने भी हो सकते हैं और यह भी हो सकता

है कि तफ़ज़ साअत से इस जगह छोटी क़ियामत मुराद हो जो हर इनसान की मौत पर कायम हो जाती है, जैसा कि मशहूर है कि:

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ

“यानी जो शख्स मर गया उसकी क़ियामत तो आज ही कायम हो गयी।”

क्योंकि क़ियामत के हिसाब व किताब का शुरूआती नमूना भी क़ब्र व बर्ज़ख में सामने आ जायेगा और वहाँ की जज़ा व सज़ा के नमूने भी यहीं से शुरू हो जायेंगे।

हासिल यह है कि नाफ़रमानी करने वालों को इन आयतों में सचेत किया गया है कि अपनी इस नाफ़रमानी के साथ बेफ़िक्र होकर मत बैठो, हो सकता है कि इसी दुनिया की ज़िन्दगी में तुम पर अल्लाह तआला का कोई अज़ाब आ जाये, जैसे पिछली उम्मतों पर आया है। और यह भी न हो तो फिर मौत या क़ियामत के बाद का हिसाब तो यकीनी है।

लेकिन अपनी ज़िन्दगी के सीमित समय और इसमें पेश आने वाले बहुत ही सीमित अनुभवों पर पूरी दुनिया और पूरे आलम को अन्दाज़ा करने वाले इनसान की तबीयत ऐसी चीज़ों में बहाने बनाने वाली होती है, वे नबियों के डराने और चेतावनियों को फर्जी और वहमी ख्यालात कहकर टाल जाते हैं। खासकर जबकि ऐसे हालात भी हर ज़माने में सामने आते हैं कि बहुत से लोग अल्लाह तआला और उसके रसूल की खुली नाफ़रमानियों के बावजूद फूल-फल रहे हैं, दुनिया में माल व दौलत, इज़्ज़त व शान सब कुछ उनको हासिल है। एक तरफ़ यह नज़ारा और दूसरी तरफ़ अल्लाह के पैग़म्बर की यह चेतावनी और डरावा कि नाफ़रमानी करने वालों पर अज़ाब आया करते हैं, जब इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तो उनकी बहाने बनाने वाली तबीयत और शैतान उनको यही सिखाते हैं कि पैग़म्बर का कौल एक फरेब या वहमी ख्याल है।

इसके जवाब के लिये ऊपर बयान हुई आयतों में हक़ तआला ने पिछली उम्मतों के वाक़िआत और उन पर जारी होने वाला कुदरती कानून बयान फ़रमाया है। इरशाद फ़रमाया:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَا مِنْهُمُ بِالضَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

“यानी हमने आप से पहले भी अपने रसूल दूसरी उम्मतों की तरफ़ भेजे, और दो तरह से उनका इम्तिहान लिया गया- अव्वल कुछ सज़ा और तकलीफ़ उन पर डालकर यह देखा गया कि तकलीफ़ व मुमीबत से घबराकर भी ये अल्लाह तआला की तरफ़ मुतवज्जह होते हैं या नहीं। जब वे इसमें फेल हुए और बजाय अल्लाह तआला की तरफ़ रुजू होने (लौ लगाने) और संरक्षी से बाज़ आने के वे और ज़्यादा उसमें खो गये तो अब उनका दूसरी किस्म का इम्तिहान लिया गया कि उन पर दुनियावी ऐश व आराम के दरवाज़े खोल दिये गये, और दुनिया की ज़िन्दगी से मुताल्लिक़ उनको सब कुछ दे दिया गया कि शायद ये लोग नेमतों को देखकर अपने मोहसिन (एहसान करने वाले) और नेमतें देने वाले को पहचानें, और इस तरह उनको खुदा याद आये, लेकिन वे इस इम्तिहान में भी नाकाम साबित हुए। अपने मोहसिन और नेमतें देने वाले को पहचानने और उसका शुक्र अदा करने के बजाय वे ऐश व आराम की भूल-भुलैयाँ में ऐसे खो

गये कि अल्लाह और रसूल के पैग़ामात व तालीमात को पूरी तरह भुला बैठे, और चन्द दिन ज़ं-
ऐश में दीवाने हो गये। जब दोनों तरह के इम्तिहान व आजमाईश में नाकाम रहने के बाद उन
पर हर तरह की हुज्जत पूरी हो गयी तो अल्लाह तआला के अज़ाब में अचानक पकड़ लिये गये,
और ऐसे नेस्त व नाबूद कर दिये गये कि उनकी नस्ल का सिलसिला भी बाकी न रहा।

यह अज़ाब पिछली उम्मतों पर अक्सर इस तरह आया कि कभी आसमान से कभी ज़मीन
से कभी किसी दूसरी सूरत से एक आम अज़ाब आया और पूरी क़ौम की क़ौम उसमें भस्म
होकर रह गयी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी क़ौम को पानी के ऐसे आम तूफ़ान ने घेर
लिया जिससे पहाड़ों की चोटियाँ भी सुरक्षित न रह सकीं। क़ौमे आद पर हवा का सख्त तूफ़ान
आठ दिन तक लगातार रहा जिससे उनका कोई फ़र्द बाकी न बचा। क़ौमे समूद को एक
ख़ौफ़नाक आवाज़ के ज़रिये तबाह कर दिया गया। क़ौमे लूत की पूरी बस्ती को उलट दिया गया
जो आज तक उर्दुन के इलाक़े में एक अजीब किस्म के पानी की सूरत में मौजूद है, जिसमें कोई
जानवर मेंढक मछली वगैरह ज़िन्दा नहीं रह सकता। इसी लिये उसको बहर-ए-मय्यित के नाम
से नामित किया जाता है और बहर-ए-लूत के नाम से भी।

ग़र्ज़ कि पिछली उम्मतों की नाफ़रमानियों की सज़ा अक्सर तो उन विभिन्न प्रकार के
अज़ाबों की शकल में आयी जिसमें एक ही वक़्त में पूरी क़ौम तबाह व बरबाद हो गयी, और
कभी ऐसा भी हुआ कि वे देखने में तबई मौत से मर गये और आगे कोई उनका नाम लेने वाला
भी बाकी न रहा।

ज़िक्र की गयी आयत में यह भी बतला दिया कि अल्लाह रब्बुल-आलमीन किसी क़ौम पर
आम और सार्वजनिक अज़ाब अचानक और एक दम से नहीं भेजते बल्कि चेतावनी के तौर पर
थोड़ी-थोड़ी सज़ायें नाज़िल फ़रमाते हैं, जिनके ज़रिये अच्छे और नेक-बख़्त लोग अपनी ग़फ़लत से
बाज़ आकर सही रास्ते पर लग सकें। और यह भी मालूम हो गया कि जो तकलीफ़ और
मुसीबत दुनिया में सज़ा के तौर पर दी जाती है उसकी सूरत अगरचे सज़ा की होती है लेकिन
हकीकत उसकी भी सज़ा नहीं होती, बल्कि ग़फ़लत से चौंकाने और जगाने के लिये होती है, जो
कि पूरी तरह अल्लाह की रहमत का तकाज़ा है। कुरआन मजीद की एक दूसरी आयत में
अल्लाह तआला का इरशाद है:

وَلَذِيقْنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“यानी हम उनको बड़ा अज़ाब चखाने से पहले एक छोटा सा अज़ाब चखाते हैं ताकि वे
अब भी हकीकत को समझकर अपने ग़लत रास्ते से बाज़ आ जायें।”

इन्हीं आयतों से यह शुब्हा भी दूर हो गया कि यह दुनिया तो दारुल-जज़ा (बदले की जगह)
नहीं बल्कि दारुल-अमल (अमल करने का मक़ाम) है, यहाँ तो नेक व बद और ख़ैर व शर एक
ही पल्ले में तुलते हैं, बल्कि बुरे नेकों से अच्छे रहते हैं, फिर इस दुनिया में सज़ा जारी होने का
क्या मतलब है? जवाब वाज़ेह है कि असल जज़ा व सज़ा तो उसी क़ियामत के दिन में होगी,

जिसका नाम ही यौमुद्दीन यानी बदले का दिन है, लेकिन कुछ तकलीफें अज़ाब के नमूने के तौर पर, और कुछ राहतें सवाब के नमूने के तौर पर इस दुनिया में भी अल्लाह की रहमत के तकाज़े के सबब भेज दी जाती हैं। और कुछ अल्लाह वालों ने तो यह फ़रमाया है कि दुनिया की जितनी लज़तें और राहतें हैं, वो भी सब नमूना हैं जन्नत की राहतों का, ताकि इनसान को उनकी तरफ़ दिलचस्पी और लगाव पैदा हो। और जितनी तकलीफें, परेशानियाँ, रंज व ग़म इस दुनिया में हैं वो भी सब के सब नमूने हैं आख़िरत के अज़ाब के, ताकि इनसान को उनसे बचने का एहतिमाम पैदा हो, वरना वग़ैर किसी नमूने के न किसी चीज़ की तरफ़ किसी को शौक व दिलचस्पी दिलाई जा सकती है और न किसी चीज़ से डराया जा सकता है।

ग़र्ज़ कि दुनिया की राहत व परेशानी हकीकत में सज़ा व जज़ा नहीं, बल्कि सज़ा व जज़ा के नमूने हैं। और यह पूरी दुनिया आख़िरत का शोरूम है जिसमें ताजिर अपने माल के नमूने दिखाने के लिये दुकान के सामने लगाता है, ताकि उनको देखकर ख़रीदार को रुचि पैदा हो। मालूम हुआ कि दुनिया का रंज व राहत हकीकत में सज़ा व जज़ा नहीं बल्कि ख़ालिक़ से कटी हुई मख़्लूक़ का रिश्ता फिर अपने ख़ालिक़ से जोड़ने की एक तदबीर है:

ख़ल्क़ रा बा तू चुनीं बदख़ू कुनन्द

ता तुरा नाचार रु आँ सू कुनन्द

यानी मख़्लूक़ से जो तुझे परेशानी व तकलीफ़ पहुँचती है यह भी दर असल इसकी एक तदबीर है कि इनसान अपने पैदा करने वाले की तरफ़ मुतवज्जह हो और ग़ैरुल्लाह से अपनी उम्मीदें तोड़ ले। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

खुद ज़िक्र की हुई आयत के आख़िर में भी इस हिक्मत का ज़िक्र 'लअल्लहुम य-तज़रऊन' के जुमले में फ़रमाया गया है, यानी हमने उन पर जो मेहनत व मुसीबत दुनिया में डाली उसका मन्शा दर हकीकत अज़ाब देना न था बल्कि यह था कि मुसीबत में तबई तौर पर हर शख्स को खुदा याद आया करता है, इसलिये उस मेहनत में डालकर अपनी तरफ़ मुतवज्जह करना मकसूद था। इससे मालूम हुआ कि दुनिया में जो तकलीफ़ व मुसीबत बतौर अज़ाब के भी किसी शख्स या जमाअत पर आती है उसमें भी एक पहलू से अल्लाह की रहमत अपना काम करती है।

इसके बाद तीसरी आयत में जो यह इरशाद फ़रमाया गया:

فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ

कि जब उनकी फ़रमानी हद से गुज़रने लगी तो अब एक ख़तरनाक आज़ाईश में उनको मुब्तला किया गया, कि उन पर दुनिया की नेमतों, राहतों और कामयाबियों के दरवाज़े खोल दिये गये।

इसमें इस बात पर आस इनसानों को चेतावनी दी गयी है कि दुनिया में किसी शख्स या जमाअत पर ऐश व आराम की अधिकता देखकर धोखा न खाये, कि यही लोग सही रास्ते पर हैं, और यही कामयाब जिन्दगी के मालिक हैं, बल्कि बहुत सी बार यह हालत अज़ाब में मुब्तला

उन नाफ़रमानों की भी होती है जिनको सख़्त सज़ा में अचानक पकड़ना तय कर लिया जाता है। इसी लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम यह देखो कि किसी शख़्स पर नेमत व दौलत बरस रही है, हालाँकि वह अपने गुनाहों और नाफ़रमानियों पर जमा हुआ है, तो समझ लो कि उसके साथ इस्तिदराज (ढील दिये जाने का मामला) हो रहा है, यानी उसका ऐश व आराम उसको सख़्त अज़ाब में पकड़े जाने की एक निशानी है।

(मुस्तद अहमद, तफ़सीर इब्ने कसीर)

और तफ़सीर के इमाम अल्लामा इब्ने जरीर रह. ने हज़रत उबादा इब्ने सामित रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

“जब अल्लाह तआला किसी क़ौम को बाक़ी रखना और बढ़ाना चाहते हैं तो दो गुण उनमें पैदा कर देते हैं- एक हर काम में ऐतिदाल और दरमियानी राह चलना, दूसरे आबरू व पाकदामनी। यानी ख़िलाफ़े हक़ चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़। और जब अल्लाह तआला किसी क़ौम को हलाक व बरबाद करना चाहते हैं तो उन पर ख़ियानत (चोरी और बददियानती) के दरवाज़े खोल देते हैं। यानी वे अपनी ख़ियानतों और बुरे आमाल के बावजूद दुनिया में कामयाब नज़र आते हैं।”

आख़िरी आयत में फ़रमाया कि जब अल्लाह तआला का आ़ाम अज़ाब आया तो ज़ालिमों की नस्ल तक काट दी गयी, और इसके आख़िर में फ़रमाया ‘वलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आलमीन’ जिसमें इशारा किया गया कि मुजरिमों और ज़ालिमों पर जब कोई अज़ाब व मुसीबत आये तो यह पूरे आ़ालम (दुनिया) के लिये एक नेमत है, जिस पर लोगों को अल्लाह तआला का शुक्र अदा करना चाहिये।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَظْمَكُمْ

عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ ۝ قُلْ

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْتَهُ أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَا تُرْسِلُ

الرُّسُلَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ فَمَنْ أَمِنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ بِنَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

कुल् अ-रऐतुम् इन् अ-ख़ाज़ल्लाहु

सम्अकुम् व अब्सारकुम् व ख़-त-म

अला कुलूबिकुम् मन् इलाहुन्

गैरुल्लाहि यअतीकुम् बिही, उन्ज़ुर

तू कह- देखो तो अगर छीन ले अल्लाह

तुम्हारे कान और आँखें और मोहर कर दे

तुम्हारे दिलों पर, तो कौन ऐसा रब है

अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे ये चीज़ें ला

कै-फ़ नुसरिफुल्-आयाति सुम्-म हुम्
 यस्दिफून् (46) कुल् अ-रऐतकुम् इन्
 अताकुम् अज़ाबुल्लाहि बग्-ततन्
 औ जह-रतन् हल् युह्लकु इल्लल्
 कौमुज़्-ज़ालिमून् (47) व मा
 नुरसिलुल्-मुरसली-न इल्ला
 मुबशिशरी-न व मुन्ज़िरी-न फ़-मन्
 आम-न व अस्ल-ह फ़ला ख़ौफ़ुन्
 अलैहिम् व ला हुम् यस्ज़नून् (48)
 वल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना
 यमस्सुहुमुल्-अज़ाबु बिमा कानू
 यफ़सुकून् (49)

देवे, देख हम क्योंकर तरह-तरह से चयान
 करते हैं बातें फिर भी वे किनारा करते
 हैं। (46) तू कह- देखो तो अगर आये
 तुम पर अज़ाब अल्लाह का अचानक या
 जाहिर होकर, तो कौन हलाक होगा
 ज़ालिम लोगों के सिवा। (47) और हम
 रसूल नहीं भेजते मगर खुशी और डर
 सुनाने को, फिर जो कोई ईमान लाया
 और संवर गया तो न डर है उन पर और
 न वे ग़मगीन हों। (48) और जिन्होंने
 झुठलाया हमारी आयतों को उनको
 पहुँचेगा अज़ाब इसलिए कि वे नाफ़रमानी
 करते थे। (49)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप (उनसे यह भी) कहिए कि यह बतलाओ कि अगर अल्लाह तआला तुम्हारी सुनने और
 देखने की कुव्वत बिल्कुल ले ले (कि न तुमको कुछ सुनाई दे न दिखाई दे) और तुम्हारे दिलों पर
 मोहर कर दे (कि तुम दिल से किसी चीज़ को समझ न सको) तो अल्लाह तआला के सिवा और
 कौन माबूद है कि ये (चीज़ें) तुमको फिर से दे दे (जब तुम्हारे इकरार से भी कोई ऐसा नहीं फिर
 कैसे किसी को इबादत का हक़दार समझते हो)? आप देखिए तो हम किस (किस) तरह दलीलों
 को विभिन्न अन्दाज़ से पेश कर रहे हैं, फिर (भी) (इन दलीलों में गौर करने और इनके नतीजे
 को तस्लीम करने से) ये मुँह मोड़ते हैं। आप (इनसे यह भी) कहिए कि यह बतलाओ अगर तुम
 पर अल्लाह तआला का अज़ाब आ पड़े, चाहे बेख़बरी में या ख़बरदारी में तो क्या सिवाय ज़ालिम
 लोगों के (उस अज़ाब से) और भी कोई हलाक किया जाएगा (मतलब यह है कि अगर अज़ाब
 आया तो वह तुम्हारे जुल्म की वजह से तुम पर ही पड़ेगा, मोमिन बचे रहेंगे, इसलिये तुमको होश
 करना चाहिये और इस ग़लत-फ़हमी में न रहना चाहिये कि मुसीबत जब आती है तो
 परेशानी का एहसास ज्यादा नहीं होता इसलिये अगर अज़ाब आ ही गया तो उसमें हमारे साथ
 मुसलमान भी तो मुब्तला होंगे)।

और हम पैग़म्बरों को (जिनकी पैग़म्बरी यकीनी दलीलों से साबित कर चुके हैं) सिर्फ़ इस
 वास्ते भेजा करते हैं कि वे (ईमान और इताअत करने वालों को अल्लाह की रज़ा और जन्नत

की नेमतों की) खुशखबरी दें और (कुफ़ व नाफरमानी करने वालों को अल्लाह की नाराज़ी से) डराएँ (इसलिये नहीं भेजते कि हुज्जत पूरी हो जाने के बाद भी मुखालिफ़ लोग दुश्मनी व विरोध के तौर पर जो उल्टी-सीधी फ़रमाइशें किया करें वे सब को पूरा करके दिखाया करें) फिर (उन पैग़म्बरों की खुशखबरियाँ देने और डराने के बाद) जो शख्स ईमान ले आए और (अपनी हालत का अक़ीदे और अमल के एतिबार से) सुधार कर ले, सो उन लोगों को (आखिरत में) कोई अन्देशा नहीं और न वे ग़मगीन होंगे। और जो लोग (इस खुशखबरी देने और डराने के बाद भी) हमारी आयतों को झूठा बतलाएँ उनको (कई बार तो दुनिया में भी बरना आखिरत में तो ज़रूर) अज़ाब लगता है, इस वजह से कि वे ईमान के दायरे से निकल जाते हैं।

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ؕ إِنِ
 اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يَأْتِي إِلَىٰ قُلُوبِهِمْ هَلْ يُسْتَوَىٰ الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ؕ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۗ وَأَنْذِرِيهِ الَّذِينَ
 يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

कुल् ला अकूलु लकुम् अिन्दी
 ख़जाइनुल्लाहि व ला अज़्लमुल्-
 गै-ब व ला अकूलु लकुम् इन्नी
 म-लकुन् इन् अत्तबिअु इल्ला मा
 यूहा इलय्-य, कुल् हल् यस्तविल्-
 अज़्-मा वल्-बसीरु, अ-फ़ ला
 त-तफ़क्करुन (50) ❀

व अन्ज़िरु बिहिल्लज़ी-न यख़ाफू-न
 अय्युहशरु इला रब्बिहिम् लै-स लहुम्
 मिन् दूनिही वलिय्युव्-व ला शफीअुल्
 -लअल्लहुम् यत्तकून् (51) ❀

तू कह- मैं नहीं कहता तुमसे कि मेरे पास हैं खज़ाने अल्लाह के, और न मैं जानूँ ग़ैब की बात, और न मैं कहूँ तुमसे कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं उसी पर चलता हूँ जो मेरे पास अल्लाह का हुक्म आता है। तू कह दे- कब बराबर हो सकता है अंधा और देखने वाला, सो क्या तुम ग़ौर नहीं करते? (50) ❀

और ख़बरदार कर दे इस कुरआन से उन लोगों को जिनको डर है इसका कि वे जमा होंगे अपने रब के सामने इस तरह पर कि अल्लाह के सिवा न कोई उनका हिमायती होगा और सिफ़ारिश करने वाला, ताकि वे बचते रहें। (51)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप (इन मुखालिफ़ लोगों से) कह दीजिए कि न तो मैं तुमसे यह कहता हूँ कि मेरे पास खुदा तआला के खज़ाने हैं (कि जो कुछ मुझसे माँगा जाये वह अपनी कुदरत से दे दूँ) और न मैं तमाम ग़ैबों को जानता हूँ (जो अल्लाह तआला की विशेषता है), और न मैं तुमसे यह कहता हूँ

कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उसकी पैरवी कर लेता हूँ जो मेरे पास वही आती है। (जिसमें वही के अहकाम पर खुद अमल करना भी दाखिल है और दूसरों को दावत देना भी, जैसा कि पिछले तमाम नबियों का भी यही हाल था। फिर) आप कहिए कि अन्धा और देखने वाला कहीं बराबर हो सकता है? (और जब यह बात सब को मुसल्लम है) तो क्या तुम (आँखों वाला बनना नहीं चाहते? और इस जिक्र हुई तकरीर में पूरा) गौर (हक के तलब करने के इरादे से) नहीं करते? (कि हक स्पष्ट हो जाये और तुम देखने वालों में दाखिल हो जाओ)। और अगर (इस पर भी वे अपनी दुश्मनी और मुखालफत से बाज न आयें तो उनसे बहस-मुवाहसा बन्द कर दीजिए और आपका जो असली काम है अल्लाह के अहकाम की तब्लीग का उसमें मशगूल हो जाईये, और) ऐसे लोगों को (कुफ़ व नाफरमानी पर अल्लाह के अज़ाब से खास तौर से) डराईए (जो यकीनी और एतिकादी तौर पर या कम से कम गुमान व संभावना के दर्जे में) इस बात से अन्देशा (डर) रखते हैं (कि कियामत में) अपने रब के पास ऐसी हालत से जमा किए जाएँगे कि गैरुल्लाह में से (जिस जिसको मददगार या सिफारिश करने वाला काफ़िरों ने समझा था उस वक्त उनमें से) न कोई उनका मददगार होगा और न कोई (मुस्तक़िल) शफ़ाअत करने वाला, शायद ये लोग (अज़ाब से) डर जाएँ (और कुफ़ व नाफरमानी से बाज आ जायें)।

मआरिफ़ व मसाईल

अरब के काफ़िरों की तरफ़ से दुश्मनी के तौर पर

फ़रमाईशी मोजिज़ों का मुतालबा

मक्का के काफ़िरों के सामने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बेशुमार मोजिज़े (ऐसी खुदाई निशानियाँ जिनके करने से हर ताक़त अज़िज़ रहे) और अल्लाह तआला की स्पष्ट आयतों का ज़हूर हो चुका था। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यतीमी की हालत में दुनिया में तशरीफ़ लाना, लिखने-पढ़ने से बिल्कुल अलग एक बिल्कुल उम्मी होकर रहना, ऐसी ज़मीन में पैदा होना जिसके आस-पास भी न कोई आलिम था न इल्मी-मर्कज़, उम्र-शरीफ़ के चालीस साल इसी पूरी तरह उम्मी होने के आलम में सारे मक्का वालों के सामने रहना, फिर चालीस साल के बाद एक दम से आपकी ज़बाने मुबारक से ऐसा अक्लों को हैरान कर देने वाला हकीमाना कलाम जारी होना जिसके उम्दा और ऊँचे मक़ाम वाला होने ने अरब के तमाम साहित्यकारों और अरबी कलाम के विद्वानों को चैलेंज देकर हमेशा के लिये उनके मुँहों पर मोहर लगा दी, और जिसके दानाई भरे मायनों और कियामत तक की इन्सानी ज़रूरतों की रियायत के साथ पूर्ण इन्सान की ज़िन्दगी का ऐसा अमली प्रोग्राम जिसको इन्सानी अक्ल व दिमाग़ हरगिज़ तैयार नहीं कर सकता, न सिर्फ़ वैचारिक और फ़िक्री हैसियत से जमा करके पेश किया, बल्कि अमली तौर पर भी दुनिया में पूरी तरह कामयाबी के साथ राईज करके दिखला दिया। और वह इन्सान जो अपनी इन्सानियत को भुलाकर बैल, बकरी, घोड़े, गधे की तरह अपनी ज़िन्दगी का

मकसद सिर्फ खाने, पीने, सोने, जागने को करार दे चुका था, उसको सही इन्सानियत का सबक दिया, उसका रुख उस बुलन्द उद्देश्य की तरफ फेर दिया जिसके लिये उसकी पैदाईश अमल में आई थी। इस तरह रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिन्दगी का हर दौर और उसमें पेश आने वाले काबिले कद्र वाकिआत में से हर एक एक मुस्तकिल मोजिजा और अल्लाह की निशानी थी, जिसके बाद किसी इन्साफ-पसन्द अक्लमन्द के लिये अतिरिक्त किसी निशानी व मोजिजे के तलब करने की कोई गुंजाईश बाकी न थी।

लेकिन कुरैश के काफिरों ने इसके बावजूद दूसरी किस्म के मोजिजे अपनी इच्छा के मुताबिक तलब किये, उनके मतलूबा मोजिजों में से भी कुछ को हक तआला ने खुले तौर पर अमल में लाकर दिखला दिया। चाँद के दो टुकड़े करने का मुतालबा किया था, चाँद को टुकड़े करने का मोजिजा न सिर्फ कुरैश ने बल्कि उस वक़्त की दुनिया में रहने वालों की बड़ी तायदाद ने आँखों से देख लिया।

लेकिन उनके मुतालबे के मुताबिक ऐसा अजीमुश्शान मोजिजा जाहिर होने के बावजूद वे अपने उसी कुफ़ व गुमराही और मुखालफ़त व दुश्मनी पर जमे रहे और अल्लाह तआला की इस खुली निशानी को एक खुला जादू कहकर नज़र-अन्दाज़ कर दिया, और इन सब चीज़ों को देखने और समझने-बूझने के बावजूद उनकी तरफ़ से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रोज़ नये-नये मोजिजों का मुतालबा रहता था। और जैसा कि पिछली आयतों में गुज़रा है:

لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ فَادِرٌ عَلَيَّ أَنْ يَنْزِلَ آيَةٌ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

यानी ये लोग कहते हैं कि अगर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सचमुच अल्लाह के रसूल हैं तो इनका कोई मोजिजा क्यों जाहिर नहीं होता। कुरआन ने उनके जवाब में हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुक्म दिया कि आप उन लोगों को बतला दें कि अल्लाह तआला की कुदरत में तो सब कुछ है, उसने जिस तरह तुम्हारे माँगे बगैर खुद ही बेशुमार खुली निशानियाँ और मोजिजे नाज़िल फरमा दिये, इसी तरह वह तुम्हारे मतलूबा मोजिजे भी नाज़िल फरमा सकता है, लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि अल्लाह का क़ानून इस बारे में यह है कि जब किसी कौम का मतलूबा मोजिजा दिखला दिया जाये और फिर वह इस पर भी ईमान न लायें तो उनको फौरी अज़ाब में पकड़ लिया जाता है। इसलिये कौम की मस्तेहत इसमें थी और है कि उनके मतलूबा मोजिजे जाहिर न किये जायें, मगर बहुत से लोग जो इस बारीक हिकमत से जाहिल व बेखबर हैं उनका इसरार यही रहता है कि हमारा मतलूबा मोजिजा दिखलाया जाये।

ऊपर बयान हुई आयतों में उन लोगों के ऐसे ही सवालों और मुतालबों का जवाब एक खास अन्दाज़ से दिया गया है।

मक्का के काफिरों ने रसूलें करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से विभिन्न वक़्तों में तीन मुतालबे पेश किये थे- अब्बल यह कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो मोजिजे के द्वारा हमारे लिये तमाम दुनिया के खज़ाने जमा करा दीजिए। दूसरे यह कि अगर आप वाकई सच्चे

रसूल हैं तो हमारे भविष्य में पेश आने वाले तमाम मुफ़ीद या नुक़सानदेह हालात व वाक़िआत बता दीजिए ताकि हम मुफ़ीद चीज़ों के हासिल करने और नुक़सानदेह सूरतों से बचने का इन्तिज़ाम पहले ही कर लिया करें। तीसरे यह कि हमारी समझ में नहीं आता कि हमारी ही कौम का एक इन्सान जो हमारी ही तरह माँ-बाप से पैदा हुआ, और तमाम इन्सानी सिफ़ात खाने पीने, बाज़ारों में फिरने वग़ैरह में हमारे साथ शरीक है, वह अल्लाह का रसूल बन जाये। कोई फ़रिश्ता होता जिसकी पैदाईश और सिफ़ात व गुण हम सबसे अलग और नुमायाँ होते तो हम उसको खुदा तआला का रसूल और अपना पेशवा मान लेते।

इन तीनों सवालों के जवाब में इरशाद हुआ:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. إِن تَبِعُوا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ.

यानी रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हिदायत दी गयी कि उन लोगों के बेकार और बेहूदा सवालों के जवाब में आप उनसे साफ़ कह दीजिए कि तुम जो मुझसे दुनिया के खज़ानों का मुतालबा करते हो तो मैंने कब यह दावा किया है कि अल्लाह तआला के सब खज़ाने मेरे हाथ में हैं। और तुम जो यह मुतालबा करते हो कि भविष्य में पेश आने वाले हर मुफ़ीद या नुक़सानदेह मामले और वाक़िए को मैं तुम्हें बतला दूँ तो मैंने कब यह दावा किया है कि मैं हर ग़ैब की चीज़ को जानता हूँ। और तुम जो मुझमें फ़रिश्तों की मख़सूस सिफ़ात देखना चाहते हो तो मैंने कब कहा है कि मैं फ़रिश्ता हूँ।

खुलासा यह है कि मुझसे दलील उस चीज़ की माँगी जा सकती है जिसका मैंने दावा किया है, यानी यह कि मैं अल्लाह तआला का रसूल हूँ, उसकी भेजी हुई हिदायतें इन्सानों को पहुँचाता हूँ और खुद भी उन पर अमल करता हूँ दूसरों को भी इसकी ताकीद करता हूँ। चुनाँचे इसके लिये एक दो नहीं बेशुमार स्पष्ट दलीलें पेश की जा चुकी हैं।

इस रिसालत के दावे के लिये न यह ज़रूरी है कि अल्लाह का रसूल अल्लाह के सब खज़ानों का मालिक हो जाये, और न यह ज़रूरी है कि वह खुदा तआला की तरह ग़ैब की हर छोटी बड़ी चीज़ से वाक़िफ़ हो, और न यह ज़रूरी है कि वह इन्सानी और बशरी सिफ़ात से अलग कोई फ़रिश्ता हो, बल्कि रसूल का मन्सब (मक़ाम और ओहदा) सिर्फ़ इतना है कि वह अल्लाह तआला की तरफ़ से भेजी हुई वही की पैरवी करे, जिसमें खुद उस पर अमल करना भी वाख़िल है और दूसरों को उस पर अमल करने की दायत देना भी।

इस हिदायत नामे से रिसालत के मक़ाम व मर्तबे की हकीकत को भी वाज़ेह फ़रमा दिया गया, और रसूल के बारे में जो ग़लत तसव्युरात (धारणायें) उन लोगों ने कायम कर रखे थे उनको भी दूर कर दिया गया, और इसके तहत ही मुसलमानों को भी यह हिदायत कर दी गयी कि वे ईसाईयों की तरह अपने रसूल को खुदा न बनायें और खुदाई का मालिक न करार दें। उनकी बड़ाई व मुहब्बत का तकाज़ा भी यही है कि उनके मुताल्लिक़ यहूदियों व ईसाईयों की

तरह कमी-बेशी में और हद से बढ़ने में न पड़ जायें, कि यहूदियों ने तो अपने नबियों के कल्ल तक से गुरेज़ न किया, और ईसाईयों ने अपने रसूल को खुदा बना दिया।

इसके पहले जुमले में जो यह इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला के ख़जाने मेरे हाथ में नहीं, इन ख़जानों से क्या मुराद है? उलेमा-ए-तफसीर ने बहुत सी चीज़ों के नाम लिये हैं, मगर खुद कुरआने करीम ने जहाँ अल्लाह के ख़जानों का ज़िक्र किया है तो उसमें फ़रमाया है:

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَ نَاخِرَاتِنَا.

“यानी कोई चीज़ दुनिया की ऐसी नहीं जिसके ख़जाने हमारे पास न हों।”

इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के ख़जानों का मफ़हूम दुनिया की तमाम चीज़ों को शामिल है, कुछ खास चीज़ों को मुतैयन नहीं किया जा सकता। और जिन मुफ़स्सरीन हज़रात ने मख़सूस चीज़ों के नाम लिये हैं वो भी बतौर मिसाल के है, इसलिये इख़्तिलाफ़ कुछ नहीं। और जब इस आयत ने यह बतला दिया कि खुदाई के सारे ख़जाने तमाम रसूलों के सरदार और तमाम नबियों के इमाम हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ में भी नहीं हैं तो फिर उम्मत के किसी बुजुर्ग या वली के मुताल्लिक यह ख़्याल करना कि वह जो चाहें कर सकते हैं, जिसको जो चाहें दे सकते हैं, खुली हुई जहालत है।

आखिरी जुमले में फ़रमाया:

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ.

“यानी मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं फ़रिश्ता हूँ जिसकी वजह से तुम इनसानी सिफ़ात को देखकर रिसालत का इनकार करते हो।”

बीच के जुमले में बात का अन्दाज़ बदल कर बजाय इसके कि:

لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ.

फ़रमाया जाता, यानी यह कि मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं ग़ैब को जानता हूँ। इरशाद यूँ फ़रमाया गया कि:

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ.

यानी मैं ग़ैब को नहीं जानता।

अबू हय्यान ने तफसीर बहरे-मुहीत में कलाम के इस अन्दाज़ के बदलने की एक बारीक वजह यह बयान फ़रमायी है कि तमाम खुदाई ख़जानों का मालिक होना या न होना, इसी तरह किसी शख्स का फ़रिश्ता होना या न होना, ये चीज़ें तो देखने और महसूस करने से ताल्लुक रखती हैं, मुखातब लोग भी सब जानते थे कि अल्लाह तआला के ख़जाने सब आपके हाथ में नहीं, और आप फ़रिश्ते भी नहीं, सिर्फ़ दुश्मनी व मुख़ालफ़त की वजह से इसका मुतालबा करते थे। उनके जवाब में यह कह देना काफी था कि मैंने कभी इसका दावा नहीं किया कि मैं अल्लाह के ख़जानों का मालिक हूँ या यह कि मैं फ़रिश्ता हूँ।

लेकिन इल्म-ए-गैब का मसला ऐसा न था, क्योंकि वे लोग अपने नजूमियों, ज्योतिषियों के बारे में भी इसका एतिकाद रखते थे कि वे गैब को जानते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में ऐसा एतिकाद रखना कुछ दूर की बात न थी, खासकर जबकि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़बान से उन्होंने बहुत सी गैब की खबरें भी सुनी थीं, और उनके हकीकत के मुताबिक होने को अपनी आँखों से भी देखा था, इसलिये यहाँ सिर्फ दावे और कौल की नफी करने को काफी न समझा, बल्कि असल फ़ेल की नफी की गयी और यह फ़रमाया:

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ

यानी मैं गैब को नहीं जानता। इसमें उनकी इस ग़लत-फ़हमी को भी दूर कर दिया कि अल्लाह तआला की तरफ़ से वही के द्वारा या दिल में बात डालने के ज़रिये जिन गैब की चीज़ों का इल्म किसी फ़रिश्ते या रसूल या वली को दे दिया जाये कुरआनी इस्तिलाह में उसको इल्मे गैब या उसके जानने वाले को अलिमुल-गैब नहीं कहा जा सकता।

इसी से यह बात भी स्पष्ट हो गयी कि इस मामले में किसी मुसलमान को कलाम नहीं हो सकता कि अल्लाह तआला ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गैब की हजारों लाखों चीज़ों का इल्म अता फ़रमाया था, बल्कि तमाम फ़रिश्तों और पहलों व बाद वालों को जितना इल्म दिया गया है उन सबसे ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इल्म अता फ़रमाया गया है। यही पूरी उम्मत का अकीदा है। हाँ इसके साथ ही कुरआन व सुन्नत की बेशुमार वज़ाहतों और बयानात के मुताबिक पहले और बाद के तमाम इमामों और बुजुर्गों का यह भी अकीदा है कि तमाम कायनात का मुकम्मल इल्म सिर्फ़ हक़ तआला शानुहू की मख़्सूस सिफ़त है। जिस तरह उसके ख़ालिक व राज़िक और कादिरे मुतलक़ होने में कोई फ़रिश्ता या रसूल उसके बराबर नहीं हो सकता, इसी तरह उसके क़ामिल इल्म में भी कोई उसके बराबर नहीं हो सकता। इसी लिये अल्लाह तआला के सिवा किसी फ़रिश्ते या पैग़म्बर को गैब की लाखों चीज़ें मालूम होने के बावजूद अलिमुल-गैब नहीं कहा जा सकता।

खुलासा यह है कि सरवरे कायनात, तमाम रसूलों के सरदार, इमामुल-अम्बिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कमालात के बारे में बड़ा जामे जुमला यह है कि “बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख़्तसर।”

(यानी मुख़्तसर बात यह है कि अल्लाह तआला के बाद सबसे आला व बुलन्द मक़ाम आप ही का है। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी)

इल्मी कमालात में भी यही है कि खुदा तआला के बाद तमाम फ़रिश्तों और नबियों व रसूलों से आपका इल्म बढ़ा हुआ है, मगर खुदा तआला के बराबर नहीं, बराबरी का दावा करना ईसाईयत की तरह हद से बढ़ने वाला चलन है।

आयत के आख़िर में यह इरशाद फ़रमाया कि अंधा और बीना (दिखने वाला) बराबर नहीं हो सकते। मतलब यह है कि नफ़्सानी ज़ब्वात और मुख़ालफ़त व दुश्मनी को छोड़कर हकीकत को

देखो ताकि तुम्हारा शुमार अन्धों में न रहे, तुम आँखों वाले और समझ वाले हो जाओ और वही बीनाई तुम्हें ज़रा से गौर व फ़िक्र से हासिल हो सकती है।

दूसरी आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह हिदायत दी गयी है कि इन स्पष्ट बयानात के बाद भी अगर ये लोग अपनी जिद से बाज़ न आयें तो इनसे बहस व मुबाहसे को बन्द कर दीजिए और जो असली काम है रिसालत का यानी तब्लीग़ उसमें मशगूल हो जाईये, और तब्लीग़ व डराने का रुख़ उन लोगों की तरफ़ फेर दीजिए जो कियामत में अल्लाह तआला के सामने पेशी और हिसाब किताब का अक़ीदा रखते हैं, जैसे मुसलमान या वे लोग जो कम से उसके इनकारी नहीं, बतौर गुमान व संभावना के ही सही, कम से कम उनको खतरा तो है कि शायद हमारे आमाल का हमसे हिसाब लिया जाये।

खुलासा यह है कि कियामत के बारे में तीन तरह के आदमी हैं- एक वे जो यकीनी तौर पर उसका एतिकाद व यकीन रखते हैं। दूसरे वे जो शक व असमंजस में हैं। तीसरे वे जो बिल्कुल इनकारी हैं। और तब्लीग़ व डराने का हुक्म नबियों को अगरचे इन तीनों तब्कों के लिये आम है जैसे कि कुरआन के बहुत से इरशादात से याज़ेह है, लेकिन पहले दो तब्कों में चूँकि असर कुबूल करने की उम्मीद ज़्यादा है, इसलिये इस आयत में खास तौर पर उनकी तरफ़ तवज्जोह करने की हिदायत फ़रमाई गयी। जैसा कि इरशाद है:

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ.

और खबरदार कर दे इस कुरआन से उन लोगों को जिनको डर है कि वे जमा होंगे अपने रब के सामने.....।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ

فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ

بَيْنَانِ الْبَيْنِ اللَّهُ يَأْعَلُمُ الشَّاكِرِينَ ۝ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ

رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ

عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝

व ला तत्रुदिल्लजी-न यद्अ-न

रब्बहुम् बिल्गदाति वलअशिरिय

युरीदू-न वज्हहू, मा अलै-क मिन्

और मत दूर कर उन लोगों को जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह और शाम, चाहते हैं उसकी रज़ा, तुझ पर नहीं है उनके हिसाब में से कुछ और न तेरे

हिसाबिहिम् मिन् शैइव्-व मा मिन्
 हिसाबि-क अलैहिम् मिन् शैइन्
 फतरु-दहुम् फ-तकू-न मिनज़्-
 ज़ालिमीन (52) व कज़ालि-क
 फतन्ना बअज़हुम् बिबअज़िल्-
 लि-यकूलू अ-हाउला-इ मन्नल्लाहु
 अलैहिम् मिम्-बैनिना, अलैसल्लाहु
 बि-अज़ल-म बिश्शाकिरीन (53) व
 इज़ा जा-अकल्लज़ी-न युअ्मिन्-न
 बिआयातिना फकुल् सलामुन्
 अलैकुम् क-त-ब रब्बुकुम् अला
 नफ़िसहिर्रह्म-त अन्नहू मन् अमि-ल
 मिन्कुम् सूअम् बि-जहालतिन् सुम्-म
 ता-ब मिम्-बअदिही व अस्त-ह
 फ-अन्नहू गफ़ूरु-रहीम (54) व
 कज़ालि-क नुफ़स्सिलुल्-आयाति व
 लितस्तबी-न सबीलुल्-मुज़िमीन (55) ❀

हिसाब में से उन पर है कुछ कि तू
 उनको दूर करने लगे, पस हो जायेगा तू
 बेइन्साफों में। (52) और इसी तरह हमने
 आजमाया है बाज़े लोगों को बाज़ों से
 ताकि कहें- क्या यही लोग हैं जिन पर
 अल्लाह ने फज़ल किया हम सब में? क्या
 नहीं है अल्लाह ख़ूब जानने वाला शुक्र
 करने वालों को। (53) और जब आयें
 तेरे पास हमारी आयतों के मानने वाले तू
 कह दे- तो सलाम है तुम पर लिख लिया
 है तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को
 कि जो कोई करे तुम में से बुराई न
 जानने की वजह से फिर उसके बाद तौबा
 कर ले और नेक हो जाये तो बात यह है
 कि वह है बख़्शने वाला मेहरबान। (54)
 और इसी तरह हम तफ़सील से बयान
 करते हैं आयतों को और ताकि खुल
 जाये तरीका गुनाहगारों का। (55) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और उन लोगों को (अपनी मज्लिस से) न निकालिये जो सुबह व शाम (यानी पाबन्दी के
 साथ) अपने परवर्दिगार की इबादत करते हैं, जिससे खास उसकी रज़ामन्दी का इरादा रखते हैं
 और कोई गुर्ज रुतबे व माल की नहीं। यानी उनकी इबादत में पाबन्दी और हमेशगी भी है और
 इख़्लास भी, और इख़्लास अगरचे अन्दरूनी चीज़ है मगर निशानियों और आसार से पहचाना भी
 जा सकता है, और जब तक इख़्लास न होने की कोई दलील नहीं, इख़्लास ही का गुमान रखना
 चाहिये) और उन (के अन्दर) का हिसाब (और तफ़तीश) ज़रा भी आप से मुताल्लिक और
 आपका हिसाब ज़रा भी उनसे मुताल्लिक नहीं कि आप उनको निकाल दें (यानी अगर उनके
 अन्दरूनी इख़्लास की जाँच और तफ़तीश आपके जिम्मे होती तो इसकी गुंजाईश थी कि जिनके

इज़्हास की तहकीक़ न हो जाये उनको अलग कर-दें, मगर वह आपके जिम्मे नहीं, और दूसरे कोई वजह उनको निकालने के सही होने की मौजूद नहीं। और चूँकि हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उम्मत के मुख्बी हैं, और मुख्बी के लिये अपने मातहतों के हालात को तफ़्तीश करने का शुब्हा व गुमान हो सकता था, मगर इसका उल्टा यह कि वे लोग अपने पैग़म्बर की बातनी हालत की तफ़्तीश करें, इसका कोई गुमान व संभावना ही नहीं, इसलिये वह क़तई सही नहीं है। इस जगह एक संभावित और ख़्याली चीज़ को एक यकीनी चीज़ के साथ बराबर करार देकर उसकी नफ़ी की गयी ताकि उसका ग़लत और नकारात्मक होना भी यकीनी हो जाये) वरना (उनके निकालने से) आप नामुनासिब काम करने वालों में हो जाएँगे।

और (हमने जो मोमिनों को ग़रीब और काफ़िरो को रईस बना रखा है जो बज़ाहिर ख़्याल व गुमान के तफ़्ज़े के खिलाफ़ है) तो (इसकी वजह यह है कि) इसी तरीक़े पर हमने (उनमें से) एक (यानी काफ़िरो) को दूसरे (यानी मोमिनों) से इम्तिहान में डाल रखा है (यानी इस तर्ज़े-अमल में इम्तिहान है काफ़िरो का) ताकि ये लोग (मोमिनों के बारे में) कहा करें कि क्या ये लोग हैं कि हम सब में से (चुन करके) इनपर अल्लाह ने (अपना) फ़ज़ल किया है? (यानी अपने दीने इस्लाम के लिये इनको चुना है) क्या यह बात नहीं है कि अल्लाह तआला हक़ पहचानने वालों को ख़ूब जानता है? (इन ग़रीब लोगों ने अपने असली इनाम व मेहरबानी करने वाले का हक़ पहचाना, हक़ की तलब में लग गये, दीने हक़ और अल्लाह के यहाँ कुबूलियत से सम्मानित किये गये, और उन रईसों और मालदारों ने नाशुक्री और कुफ़्र किया, वे इस नेमत से मेहरूम रहे)। और वे लोग जब आपके पास आएँ जो कि हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो आप (उनको खुशख़बरी सुनाने के लिये) यूँ कह दीजिए कि तुम पर सलामती है (यानी काफ़िरो पर जो कि हर तरह की आख़िरत की मुसीबतों में पड़ेंगे उनसे तुम सुरक्षित हो, और दूसरे यह भी कि) तुम्हारे रब ने (अपने फ़ज़ल व करम से) मेहरबानी फ़रमाना (और तुमको नेमतें देना) अपने जिम्मे मुक़रर कर लिया है (यहाँ तक) कि जो शख्स तुम में से कोई बुरा काम कर बैठे (जो कि) नादानी से (हो जाता है, क्योंकि खिलाफ़े हुक्म करना अमली जहालत है मगर) फिर वह उसके बाद तौबा कर ले (और आगे के लिये अपने आमाल का) सुधार रखे (इसमें यह भी आ गया कि अगर वह तौबा टूट जाये तो फिर तौबा कर ले) तो अल्लाह तआला की यह शान है कि (उसके लिये भी) वह बड़े मग़फ़िरत करने वाले है (कि गुनाह की सज़ा भी माफ़ कर देंगे) और बड़ी रहमत वाले है (कि तरह-तरह की नेमतें भी देंगे)। और (जिस तरह हमने इस जगह पर मोमिनों और काफ़िरो के हाल और अन्जाम की तफ़्सील बयान कर दी) इसी तरह हम आयतों की (जो कि दोनों फ़रीक़ के हाल व अन्जाम पर मुश्तमिल हों) तफ़्सील बयान करते रहते हैं (ताकि मोमिनों का तरीक़ा भी ज़ाहिर हो जाये) और ताकि मुजरिमों का तरीक़ा (भी) ज़ाहिर हो जाए (और हक़ व बातिल के वाज़ेह होने से हक़ को तलाश करने वाले को हक़ का पहचानना आसान हो जाये)।

मआरिफ़ व मसाईल

घमण्ड व जाहिलीयत का खात्मा और इज़्जत व ज़िल्लत का इस्लामी मेयार
इस्लाम में अमीर व ग़रीब का कोई भेदभाव नहीं

जिन लोगों ने इनसान होने के बावजूद इनसानियत को नहीं पहचाना बल्कि इनसान को दुनिया के अनेक जानवरों में से एक होशियार जानवर करार दिया, जिसने दूसरे जानवरों को अपना ताबेदार व महकूम बनाकर सबसे ख़िदमत ली, उनके नज़दीक इनसान की तख़लीक़ (पैदाईश) का मक़सद इसके सिवा हो ही क्या सकता है कि वे एक जानवर की तरह खाने पीने, सोने जागने और दूसरे हैवानी ज़ुबात को इस्तेमाल करने ही को ज़िन्दगी का मक़सद समझें। और जब ज़िन्दगी का मक़सद सिर्फ़ यही हो तो यह भी ज़ाहिर है कि इस दुनिया में अच्छे बुरे, बड़े छोटे, इज़्जतदार व बेइज़्जत, शरीफ़ व कमीने के पहचानने का मेयार यही हो सकता है कि जिसके पास खाने पीने, पहनने बरतने का सामान ज़्यादा हो वह कामयाब, इज़्जत वाला और शरीफ़ है, और जिसके पास ये चीज़ें कम हों वह बेइज़्जत, ज़लील और नामुराद व नाकाम है।

इन्साफ़ की बात यह है कि इस अक़ीदे व सोच पर अख़्लाक़ और नेक आमाल की कोई बहस ही इनसान के शरीफ़ और इज़्जतदार होने में नहीं आती, बल्कि वही अमल नेक अमल और अख़्लाक़ अच्छा अख़्लाक़ होगा जिसके ज़रिये ये हैवानी मक़सिद अच्छी तरह पूरे हो सकें।

इसी लिये तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनके लाये हुए दीन व मज़हब का पहला और आखिरी सबक़ यही रहा है कि इस ज़िन्दगी के बाद एक दूसरी ज़िन्दगी है जो हमेशा रहने वाली और ख़त्म न होने वाली होगी, वहाँ की राहत भी मुकम्मल और हमेशा के लिये होगी और तकलीफ़ व अज़ाब भी मुकम्मल और हमेशा के लिये। दुनिया की ज़िन्दगी खुद मक़सद नहीं, बल्कि दूसरी ज़िन्दगी में जो सामान काम आने वाला है उसको जमा करना इस चन्द दिन की ज़िन्दगी का असली मक़सद है:

रहा मरने की तैयारी में मसरूफ़ मेरा काम और इस दुनिया में था क्या

और इनसान व हैवान में यही विशेष फ़र्क़ है कि हैवानात को अगली ज़िन्दगी की कोई फ़िक्र नहीं, बख़िलाफ़ इनसान के कि इसकी सबसे बड़ी फ़िक्र अक्ल व होश वालों के नज़दीक दूसरी ज़िन्दगी को बनाना और संवारना है। इसी अक़ीदे व नज़रिये पर शराफ़त व घटिया पन और इज़्जत व ज़िल्लत का मेयार ज़ाहिर है कि ज़्यादा खाना पीना या ज़्यादा माल व दौलत जमा कर लेना नहीं होगा, बल्कि अच्छे अख़्लाक़ और नेक आमाल होंगे, जिन पर आखिरत की इज़्जत का मदार है।

दुनिया जिस वक़्त भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की हिदायतों व तालीमात और आखिरत के अक़ीदे से ग़ाफ़िल हुई तो इसका तबई नतीजा सामने आ गया कि इज़्जत व दौलत और शरीफ़ व घटिया होने का मेयार सिर्फ़ रोटी और पेट रह गया, जो इसमें कामयाब है वह शरीफ़ व इज़्जतदार कहलाता है, जो इसमें नाकाम या अधूरा है वह ग़रीब, बेइज़्जत, घटिया व ज़लील

समझा जाता है।

इसलिये हर ज़माने में सिर्फ दुनियावी जिन्दगी की भूल-भुलैयाओं में फंसे हुए इनसानों ने मालदार को इज़्जतदार व शरीफ़ और ग़रीब व फ़कीर को बेइज़्जत व घटिया करार दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने ईमान लाने वाले ग़रीब लोगों को इसी मेयार से ज़लील व घटिया कहकर यह एतिराज़ किया कि हम इन कम-दर्जा लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई पैग़ाम सुनायें तो इन ग़रीब-ग़ुरबा को अपने पास से निकाल दीजिए:

قَالُوا آئُونُ مِنْ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ.

“यानी यह कैसे हो सकता है कि हम आप पर ऐसी हालत में ईमान ले आयें जबकि आपके पैरोकार घटिया और कम-दर्जे के लोग हैं।”

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके इस दिल को छील देने वाले कलाम का जवाब मख़्सूस पैग़म्बराना अन्दाज़ में यह दिया:

وَمَا عَلِمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْْمَلُوْنَ، اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ.

“यानी मैं उनके आमाल से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं कि यह फैसला कर सकूँ कि वे घटिया हैं या शरीफ़ व इज़्जत वाले, बल्कि हर शख्स के अमल की हकीकत और उसका हिसाब मेरे रब ही को मालूम है, जो दिलों के भेद का जानकार है।”

नूह अलैहिस्सलाम ने उन जाहिल और घमण्डी, इनसानी शराफ़त व रज़ालत की हकीकत से नावाकिफ़ लोगों का रुख़ एक स्पष्ट हकीकत की तरफ़ फेरकर यह बतला दिया कि शरीफ़ व रज़ील (घटिया और बेइज़्जत) के अलफ़ाज़ तुम लोग इस्तेमाल करते हो और इनकी हकीकत से वाकिफ़ियत नहीं। बस ऐसे वाले को शरीफ़ और ग़रीब को रज़ील कहने लगे, हालाँकि शराफ़त व रज़ालत (घटिया व बेक़द्र होने) का मेयार पैसा नहीं, बल्कि आमाल व अख़्लाक़ हैं। इस मौके पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम यह फ़रमा सकते थे कि आमाल व अख़्लाक़ के मेयार पर ये लोग तुम से ज़्यादा शरीफ़ व इज़्जत वाले हैं, लेकिन तब्लीग़ व सुधार के पैग़म्बराना अन्दाज़ ने इसकी इजाज़त न दी कि ऐसा जुमला कहें जिससे मुखातब गुस्से में भड़क जाये, इसलिये सिर्फ़ इतना फ़रमा दिया कि रज़ालत का मदार तो कामों व आमाल पर है और मैं उनके आमाल से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं, इसलिये उनके शरीफ़ या रज़ील (घटिया) होने का फैसला नहीं कर सकता।

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी हर ज़माने में कौम के ग़रीब लोग चाहे वे अपने अख़्लाक़ व आमाल के एतिबार से कितने ही शरीफ़ और इज़्जत वाले हों मगर दुनिया के पुजारी, घमण्डी लोग उनको हकीर व ज़लील कहते आये हैं, और यही वे लोग हैं जिन्होंने अपनी अक़ल व समझ और अच्छे अख़्लाक़ की बिना पर हर ज़माने में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की दावत कुबूल करने में पहल की, यहाँ तक कि धर्मों और मिल्लतों के इतिहास पर नज़र रखने वालों के नज़दीक किसी पैग़म्बर के सच्चा और हक़ पर होने की एक दलील यह बन गयी कि उसके शुरू के मानने वाले और पैरोकार कौम के ग़रीब लोग हों। यही वजह थी कि जब रूम के बादशाह

हिरकल के पास हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पत्र मुबारक इस्लाम की दावत के लिये पहुँचा और उसने आपकी हक्कानियत और सच्चाई की तहकीक करनी चाही तो जानकार लोगों से हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में जो सवालत किये उनमें से एक सवाल यह भी था कि उनके अक्सर मानने वाले गरीब अंवाम हैं या कौम के बड़े लोग? जब उसको बतलाया गया कि गरीब लोग हैं तो उसने कहा 'हुम अतबाउरुसुलि' यानी रसूलों के शुरू के पैरोकार यही लोग हुआ करते हैं।

हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दौर में फिर यही सवाल खड़ा हुआ। उपरोक्त आयतों में इसी का जवाब खास हिदायतों के साथ मजकूर है।

अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने इमाम इब्ने जरीर की रिवायत से नकल किया है कि कुरैश के काफिरों में के चन्द सरदार- उतबा, शैबा, इब्ने रबीआ, मुत्इम बिन अदी और हारिस बिन नौफल वगैरह हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा अबू तालिब के पास आये और कहा- आपके भतीजे मुहम्मद की बात सुनने और मानने से हमारे लिये एक रुकावट यह भी है कि उनके आस-पास हर वक्त वे लोग रहते हैं जो या तो हमारे गुलाम थे, हमने उनको आजाद कर दिया, और या वे लोग हैं जो हमारे ही रहम व करम पर जिन्दगी गुज़ारते थे, उन हकीर व जलील लोगों के होते हुए हम उनकी मज्लिस में शरीक नहीं हो सकते, आप उनसे कह दें कि अगर हमारे आने के वक्त वे उन लोगों को मज्लिस से हटा दिया करें तो हम उनकी बात सुनें और गौर करें।

चचा अबू तालिब ने हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उनकी बात नकल की तो हज़रत फारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह राय दी कि इसमें क्या हर्ज है, कुछ दिनों के लिये आप यह भी करके देखें। ये लोग तो अपने बेतकल्लुफ़ चाहने वाले हैं, उन लोगों के आने के वक्त मज्लिस से हट जाया करेंगे।

इस पर उक्त आयत नाज़िल हुई, जिसमें सख़्ती के साथ ऐसा करने से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मना फ़रमा दिया गया। आयत के उतरने के बाद फारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को माज़िरत करनी पड़ी कि मेरी राय ग़लत थी।

और ये गरीब लोग जिनके बारे में यह गुफ़्तगू हुई उस वक्त हज़रत बिलाल हब्शी, सुहैब रूमी, अम्मार बिन यासिर, सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा, सबीह मौला उसैद, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, मिक़दाद इब्ने अमर, मसऊद बिन अल्क़ारी, जुशिमालैन वगैरह सहाबा-ए-क़िराम थे, जिनकी इज़्ज़त व शराफ़त का परवाना आसमान से नाज़िल हुआ और कुरआन में इसी के बारे में दूसरी जगह इसकी ताकीद इन अलफ़ाज़ में आई है:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطِعْ مَنْ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَابْعِ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرَهُ فُرْطًا

जिसमें हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह हिदायत दी गयी है कि "आप अपने

नफ्स को उन लोगों में बाँध रखें जो सुबह व शाम यानी हर वक्त अपने रब की इबादत करते हैं इख्लास के साथ। आप अपनी नज़रें उनके सिवा किसी पर न डालिये। जिसकी गर्ज यही हो सकती है कि दुनिया की जिन्दगी की रौनक मकसूद हो, और ऐसे लोगों की बात न मानिये जिनके दिलों को हमने अपने जिक्र से गफलत में डाल दिया, और जो अपनी नफ्सानी इच्छाओं के पीछे चलने में लग गये, और जिनका काम ही हदों से निकल जाना है।”

जिक्र की हुई आयत में उन गरीब लोगों की सिफत यह बतलाई कि वे सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। इसमें सुबह व शाम से मुराद मुहावरे के मुताबिक दिन रात के तमाम वक्त हैं, और पुकारने से मुराद इबादत करना है। और रात दिन की इस इबादत के साथ यह कैद भी लगा दी कि 'युरीदू-न वज्हू' जिससे बतला दिया कि इबादत में जब तक इख्लास न हो उसका कोई एतिबार नहीं।

आयत के आखिर में जो यह इरशाद फरमाया गया कि उनका हिसाब आपके जिम्मे नहीं, और आपका हिसाब उनके जिम्मे नहीं। इब्ने अतीया और जमख़शरी वगैरह की तहकीक के मुताबिक इसमें "हिसाबहुम" और "अलैहिम" में "उन" से इशारा मुशिरकों के सरदारों की तरफ है जो गरीब मुसलमानों को मज्लिस से हटा देने की फरमाईश किया करते थे। तो हक़ तआला ने हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बतला दिया कि ये लोग चाहे ईमान लायें या न लायें आप गरीब मुसलमानों के मुकाबले में इनकी परवाह न करें, क्योंकि इनके हिसाब की जिम्मेदारी आप पर नहीं, जैसा कि आपके हिसाब की जिम्मेदारी इन पर नहीं। अगर यह जिम्मेदारी आप पर होती, यानी इनके मुसलमान न होने पर आप से सवाल और पूछगछ होती तो उस सूरत में आप मुशिरकों के सरदारों की खातिर गरीब मुसलमानों को मज्लिस से हटा सकते थे, और जब ऐसा नहीं तो उनको मज्लिस से हटाना खुली बेइन्साफी है। अगर आप ऐसा करें तो आपका शुमार बेइन्साफ़ लोगों में हो जायेगा।

दूसरी आयत में इरशाद फरमाया गया कि हमने इसी तरह एक को दूसरों के ज़रिये इम्तिहान में डाल रखा है, ताकि कुरैश के सरदार खुदा तआला की इस ज़बरदस्त कुदरत का तमाशा देखें, कि गरीब मुसलमान जिनको वे हकीर व ज़लील समझते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी करने से किस मकाम पर पहुँचें, और दुनिया व आखिरत में उनको कैसी इज्जत हासिल हुई। और वे यह कहते फिरें कि क्या यही गरीब लोग अल्लाह के इनाम व इकराम के मुस्ताहिक थे कि हम सब इज्जतदार और बड़े लोगों को छोड़कर इनको नवाज़ा गया।

अल्लामा कश्शाफ़ वगैरह की तहकीक के मुताबिक उनका यह कौल उस परीक्षा व इम्तिहान का नतीजा है जो कमजोरों और मुसलमानों के ज़रिये उनका लिया गया था। वे उस इम्तिहान में नाकाम हुए, बजाय इसके कि कुदरत के इस प्रदर्शन पर गौर करके इस नतीजे पर पहुँचते कि शरफ़त व रज़ालत माल व दौलत वगैरह पर मौकूफ़ नहीं, बल्कि उसका मदार अख़लाक व आमाल पर है, वे उल्टा अल्लाह तआला पर यह इल्जाम लगाने लगे कि सम्मान व इकराम के हक़दार तो हम थे, हमें छोड़कर उनको सम्मान क्यों दिया गया? हक़ तआला ने इसके जवाब में

फिर उनको असल हकीकत की तरफ इस जुमले से मुतवज्जह फरमाया:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

यानी अल्लाह तआला खूब जानते हैं कि कौन लोग हक को पहचानने वाले और शुक्रगुजार हैं। मतलब यह है कि हकीकत के एतिबार से शरीफ व इज्जतदार वह शख्स है जो अपने मोहसिन (एहसान करने वाले) का हक पहचाने और शुक्रगुजार हो, और वही इनाम व सम्मान का हकदार है, न कि वह जो रात-दिन अपने मोहसिन और नेमत देने वाले की नेमतों में खेलने के बावजूद उसकी नाफरमानी करता है।

चन्द अहकाम और हिदायतें

ऊपर जिक्र हुई आयतों से चन्द अहकाम व हिदायतें समझ में आती हैं:

अव्वल यह कि किसी के फटे कपड़े या जाहिरी खस्ता हालत को देखकर उसको हकीर व जलील समझने का किसी को हक नहीं, बहुत सी बार ऐसे लिबास में ऐसे लोग भी होते हैं जो अल्लाह के नजदीक निहायत सम्मानित व मकबूल हैं। एक हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि बहुत से शिकस्ता हालत वाले, गुबार में भरे हुए लोग ऐसे भी होते हैं कि वे लोग अल्लाह के मकबूल हैं, अगर किसी काम के लिये कसम खा बैठें कि ऐसा होगा तो अल्लाह तआला उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाते हैं।

दूसरे यह कि शराफत व घटियापन का मेयार महज दुनिया की दौलत व मालदारी को समझना इनसानियत की तौहीन है, इसका असल मदार अख्लाक और नेक आमाल पर है।

तीसरे यह कि किसी कौम के सुधारक और मुबल्लिग (प्रचारक) के लिये अगरचे सार्वजनिक तब्लीग भी जरूरी है, जिसमें मुवाफिक मुखालिफ, मानने वाले और न मानने वाले सब मुखातब हों, लेकिन उन लोगों का हक पहले है जो उसकी तालीमात को अपनाकर उस पर चल रहे हों, दूसरों की खातिर उनको पीछे करना या नजर-अन्दाज करना जायज नहीं। मसलन गैर-मुस्लिमों की तब्लीग के लिये नावाक़िफ मुसलमानों की तालीम व इस्लाह को पीछे नहीं करना चाहिये।

चौथे यह कि अल्लाह तआला के इनाम शुक्रगुजारी के हिसाब से बढ़ते हैं, जो शख्स अल्लाह के इनामों की अधिकता और कसरत का तालिब है उस पर लाजिम है कि कौल व अमल से शुक्रगुजारी को अपना शिआर (आदत व चलन) बना ले।

आयत:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ..... الخ

(यानी आयत नम्बर 54) के बारे में तफसीर के इमामों के दो कौल हैं- अक्सर हज़रात ने इन आयतों को पहली आयतों और पहले गुज़रे वाक़िआत ही से सम्बन्धित करार दिया है, और इसकी ताईद में यह रिवायत पेश की है कि जब कुरैश के सरदारों ने चचा अबू तालिब के माध्यम से यह मुतालबा किया कि आपकी मज्लिस में ग़रीब और मामूली दर्जे के लोग रहते हैं,

उनकी सफ़ में बैठकर आपका कलाम हम नहीं सुन सकते, अगर हमारे आने के वक़्त उन लोगों को आप मज्लिस से हटा दिया करें तो हम आपका कलाम सुनें और गौर करें।

इस पर हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह मशिवरा दिया कि इसमें कोई हज़ नहीं, मुसलमान तो अपने सच्चे दोस्त हैं, उनसे कह दिया जायेगा तो कुछ देर के लिये वे मज्लिस से हट जाया करेंगे, मुम्किन है कि इस तरह ये कुरैश के सरदार अल्लाह का कलाम सुनें और मुसलमान हो जायें।

लेकिन पहले गुज़री आयतों में इस मशिवरे के खिलाफ़ यह हुक्म नाज़िल हुआ कि ऐसा हरगिज़ न किया जाये, ऐसा करना जुल्म और बेइन्साफी है। इस हुक्म के नाज़िल होने पर हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी राय और मशिवरे की ग़लती मालूम हुई और डरे कि अल्लाह तआला की मर्जी के खिलाफ़ राय देकर गुनाह हो गया, इसकी माज़िरत पेश करने के लिये हाज़िर हुए।

इस पर उपरोक्त आयतें उनकी तसल्ली के लिये नाज़िल हुईं। जिनका खुलासा यह है कि आप उन लोगों को पहले हुई ग़लती पर पकड़ न होने से मुत्मईन फ़रमा दें, बल्कि सिर्फ़ यही नहीं कि उस ग़लती पर कोई पकड़ नहीं होगी बल्कि अर्रहमुर्राहिमीन की बेशुमार नेमतों का वायदा भी सुना दें, और अर्रहमुर्राहिमीन की बारगाह का यह क़ानून उनको बतला दें कि जब भी कोई मुसलमान जहालत (नादानी और अज्ञानता) से कोई बुरा काम कर बैठे, और फिर अपनी ग़लती पर सचेत होकर उससे तौबा कर ले और आईन्दा के लिये अपने अमल दुरुस्त कर ले तो अल्लाह तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फ़रमा देंगे, और आईन्दा अपनी दुनिया व आख़िरत की नेमतों से भी उसको मेहरूम न फ़रमायेंगे।

इस वज़ाहत के मुताबिक़ ये आयतें उस ख़ास वाक़िए में नाज़िल हुईं जिसका बयान पिछली आयतों में हो चुका है। और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रत ने इन आयतों के मज़मून को एक मुस्तक़िल हिदायत नामे की हैसियत से बयान किया है, जो उन लोगों से सम्बन्धित है जिनसे कोई गुनाह हो गया हो, फिर शर्मिन्दगी हुई और तौबा करके अपने अमल को सही कर लिया।

और अगर गौर किया जाये तो इन दोनों बातों में कोई टकराव नहीं, क्योंकि इस पर सब का इत्तिफ़ाक़ है कि कुरआन मजीद का कोई हुक्म जो किसी ख़ास वाक़िए के बारे में नाज़िल हुआ हो अंगर उसके अलफ़ाज़ और मज़मून आम है तो वह सिर्फ़ उसी वाक़िए के लिये मख़सूस नहीं होता, बल्कि एक आम हुक्म की हैसियत रखता है। इसलिये अगर मान लो मज़क़ूर आयतों का उतरना इसी बयान हुए वाक़िए में हुआ हो तब भी यह हुक्म एक आम उसूल व क़ानून की हैसियत रखता है, जो हर उस गुनाहगार को शामिल है जिसको गुनाह के बाद भी अपनी ग़लती का एहसास हुआ और शर्मिन्दा होकर उसने अपने आगे के अमल को दुरुस्त कर लिया।

अब इन आयतों की पूरी तशरीह (तफ़सीर व व्याख्या) देखिये। पहली आयत में इरशाद है:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

यानी जब वे लोग आपके पास आयें जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं (आयतों से मुराद इस जगह कुरआनी आयतें भी हो सकती हैं और अल्लाह जल्ल शानुहू की कामिल कुदरत की आम निशानियाँ भी) तो ऐसे लोगों के मुताल्लिक़ रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह हिदायत दी गयी कि आप उनको "सलामुन अलैकुम" से खिताब फ़रमायें। यहाँ सलामुन अलैकुम के दो मायने हो सकते हैं- एक यह कि उनको अल्लाह जल्ल शानुहू का सलाम पहुँचा दीजिए, जिसमें उन लोगों का बहुत ज़्यादा सम्मान व इज़्ज़त है, इस सूरत में उन ग़रीब मुसलमानों के दिल टूटने की बेहतरीन भरपाई हो गयी जिनके बारे में कुरैश के सरदारों ने मज्लिस से हटा देने की तजवीज़ पेश की थी, और यह भी मुराद हो सकती है कि आप उन लोगों को सलामती की खुशख़बरी सुना दीजिए कि अगर उन लोगों से अमल में कोताही या ग़लती भी हुई है तो वह माफ़ कर दी जायेगी, और ये हर किस्म की आफ़तों से सलामत रहेंगे।

दूसरे जुमले:

كَبَّ رُبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

मैं इस एहसान पर और ज़्यादा एहसान व इनाम का वायदा इस तरह बयान फ़रमाया गया है कि आप उन मुसलमानों से फ़रमा दें कि तुम्हारे रब ने रहमत करने को अपने जिम्मे लिख लिया है, इसलिये बहुत डरें और घबरायें नहीं। इस जुमले में अब्वल तो रब लफ़ज़ इस्तेमाल फ़रमाकर आयत के मज़मून को मुदल्लल कर दिया, कि अल्लाह तआला तुम्हारा पालने वाला है, और ज़ाहिर है कि कोई पालने वाला अपने पाले हुए को ज़ाया नहीं किया करता। फिर लफ़ज़ रब ने जिस रहमत की तरफ़ इशारा किया था उसको स्पष्ट तौर पर भी ज़िक्र फ़रमा दिया, और वह भी इस उनवान से कि तुम्हारे रब ने रहमत करने को अपने जिम्मे लिख लिया है, और ज़ाहिर है कि किसी शरीफ़ भले इन्सान से भी वायदा-ख़िलाफ़ी नहीं होती तो रब्बुल-आलमीन से कैसे हो सकती है, खासकर जबकि उस वायदे को मुआहदे की सूरत में लिख लिया गया हो।

सही बुख़ारी, मुस्लिम और मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब अल्लाह तआला ने सारी मख़्लूक़ात को पैदा फ़रमाया और हर एक की तकदीर का फैसला फ़रमाया तो एक किताब में जो अर्श पुर अल्लाह तआला के पास है यह लिखा:

إِن رَّحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي

“यानी मेरी रहमत मेरे गुस्से पर ग़ालिब है।”

और हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हमने तौरात में यह लिखा देखा है कि जब अल्लाह तआला ने आसमान, ज़मीन और इनकी सारी मख़्लूक़ात को पैदा फ़रमाया तो अपनी रहमत की सिफ़त के सौ हिस्से करके उसमें से एक हिस्सा सारी मख़्लूक़ात को तकसीम कर दिया और आदमी और जानवर और दूसरी मख़्लूक़ात में जहाँ भी कोई रहमत (शफ़क़त व मेहरबानी) का असर पाया जाता है वह उसी तकसीम शुदा हिस्से का असर है। माँ-बाप और

औलाद में, भाई-बहनों में, शौहर-बीवी में, आप रिश्तेदारों में, पड़ोसियों और दूसरे दोस्तों में जो आपसी हमदर्दी और मुहब्बत व रहमत के ताल्लुकात देखे जाते हैं वो सब उसी एक रहमत के हिस्से के परिणाम हैं, बाकी रहमत के निन्नानवे हिस्से अल्लाह तआला ने खुद अपने लिये रखे हैं। और कुछ रिवायतों में इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस की हैसियत से भी रिवायत किया गया है। इससे इनसान कुछ अन्दाज़ा लगा सकता है कि अल्लाह तआला की रहमत अपनी मख्लूक पर कैसी और किस दर्जे की है।

और यह ज़ाहिर है कि कोई इनसान बल्कि फ़रिश्ता भी अल्लाह जल्ल शानुहू की शान के मुताबिक़ इबादत व ताअत तो अदा कर नहीं सकता, और जो इताअत शान के खिलाफ़ हो वह दुनिया के लोगों की नज़र में बजाय इनाम का सबब होने के नाराज़गी का कारण समझी जाती है। यह हाल तो हमारी इबादत और नेकियों का है कि हक़ तआला शानुहू की बुलन्द बारगाह की निस्बत से देखा जाये तो बुराईयों से कम नहीं, फिर इस पर मज़ीद यह कि वास्तविक बुराईयों और गुनाहों से भी कोई बशर ख़ाली नहीं, हाँ मगर यह कि अल्लाह ही किसी को महफूज़ रखे। इन हालात में इन्साफ़ का तकाज़ा तो यह था कि कोई भी अज़ाब से न बचता, लेकिन हो यह रहा है कि हर इनसान पर अल्लाह तआला की नेमतें हर वक़्त बरस रही हैं, यह सब उसी रहमत का नतीजा है जो परवर्दिगारे आलम ने अपने ज़िम्मे लिख ली है।

तौबा से हर गुनाह माफ़ हो जाता है

इसके बाद कामिल रहमत का खुलासा एक क़ानून की सूत में इस तरह बयान फ़रमाया:

اللّٰهُمَّ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا اَبْجَهَالًا ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَصْلَحَ فَانَّهُ غُفْرٌ رَحِيْمٌ.

यानी जो आदमी जहालत (नादानी और नासमझी) से कोई बुरा काम कर बैठे और उसके बाद वह तौबा कर ले और अपने अमल को दुरुस्त करे तो अल्लाह तआला बहुत मग़फ़िरत करने वाले हैं, उसके गुनाह को माफ़ फ़रमा देंगे, और बहुत रहमत करने वाले हैं, कि सिर्फ़ माफी पर क़िफ़ायत न होगी बल्कि इनामात से भी नवाज़ा जायेगा।

इस आयत में लफ़ज़ जहालत से बज़ाहिर किसी को यह ख़्याल हो सकता है कि गुनाह की माफी का वायदा सिर्फ़ उस सूत में है जबकि नावाक़िफ़यत (नादानी और अज्ञानता) और जहल के सबब कोई गुनाह हो जाये, जान-बूझकर गुनाह करने वाला इस हुक्म में दाख़िल नहीं। लेकिन हकीकत यह नहीं, क्योंकि जहालत से मुराद इस जगह जहालत का अमल है, यानी ऐसा काम कर बैठे जैसा परिणाम से जाहिल और बेख़बर किया करता है, यह ज़रूरी नहीं कि वह वास्तव में जाहिल हो, इसकी ताईद खुद लफ़ज़ जहालत से भी होती है, कि यहाँ लफ़ज़ जहल के बजाय जहालत का लफ़ज़ शायद इसी की तरफ़ इशारा करने के लिये ही इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जहल तो इल्म का मुक़ाबिल है, और जहालत बरदाश्त व वक़ार के मुक़ाबिल है। यानी लफ़ज़ जहालत मुहावरों में बोला ही जाता है अमली जहालत के लिये, और अगर ग़ौर किया जाये तो गुनाह जब भी किसी से होता है तो इस अमली जहालत ही की वजह से होता है, इसी लिये कुछ

बुजुर्गों का कौल है कि जो शख्स अल्लाह व रसूल के किसी हुक्म की खिलाफ़वर्जी करता है वह जाहिल है। इससे यही अमली जहालत मुराद है, नावाक़फ़ियत और बेइल्म होना ज़रूरी नहीं। और कुरआन मजीद और सही हदीसों के बेशुमार खुलासे इस पर दलालत करते हैं कि तौबा करने से हर गुनाह माफ़ हो सकता है, चाहे ग़फ़लत व नादानी की वजह से हो गया हो, या जान-बूझकर नफ़स की शरारत और इच्छा की पैरवी की वजह से।

इस जगह यह बात ख़ास तौर पर काबिले गौर है कि इस आयत में गुनाहगारों से मग़फ़िरत और रहमत का जो वायदा फ़रमाया गया है वह दो चीज़ों के साथ सशर्त है- एक तौबा, दूसरे अमल में सुधार। तौबा के मायने हैं गुनाह पर शर्मिन्दगी के। हदीस में इरशाद है:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ النَّدَمُ

“यानी तौबा नाम है नादिम और शर्मिन्दा होने का।”

दूसरे आगे के लिये अमल को सही करने के। उस अमल को सही करने और सुधारने में यह भी दाख़िल है कि आईन्दा उस गुनाह के पास न जाने का पुख़्ता इरादा और पूरा एहतियाम करे, और यह भी शामिल है कि पिछले गुनाह से जो किसी के हुक्क़ ज़ाया हुए हैं तो जहाँ तक संभव हो उनको अदा करे, चाहे वे हुक्क़ अल्लाह के हों या बन्दों के। अल्लाह के हुक्क़ की मिसाल नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज वग़ैरह फ़राईज़ में कोताही करना है, और बन्दों के हुक्क़ की मिसाल किसी के माल पर नाजायज़ कब्ज़ा करना और इख़्तियार चलाना और ख़र्च करना, किसी की आबरू पर हमला करना, किसी को गाली-गलौज के ज़रिये या किसी दूसरी सूरत से तकलीफ़ पहुँचाना है।

इसलिये तौबा के कामिल होने के लिये जिस तरह यह ज़रूरी है कि पिछले गुनाह पर शर्मिन्दगी के साथ अल्लाह तआला से मग़फ़िरत तलब करे, और आईन्दा के लिये अपने अमल को दुरुस्त रखे, उस गुनाह के पास न जाये। इसी तरह यह भी ज़रूरी है कि जो नमाज़ें या रोज़े ग़फ़लत से छूट गयी हैं उनकी क़ज़ा करे, जो ज़कात नहीं दी गयी वह अब अदा करे, कुरबानी, सदका-ए-फ़ित्र के वाजिबात में कोताही हुई है तो उनको अदा करे। हज फ़र्ज़ होने के बावजूद अदा नहीं किया तो अब अदा करे, और खुद न कर सके तो हज्ज-ए-बदल कराये, और अगर अपने सामने हज्ज-ए-बदल और दूसरी क़ज़ाओं का मौक़ा पूरा न मिले तो वसीयत करे कि उसके वारिस उसके जिम्मे आयद हुए वाजिबात का फ़िदया या हज्ज-ए-बदल का इन्तिजाम करें। ख़ुलासा यह है कि अमल को सही और दुरुस्त करने के लिये सिर्फ़ आईन्दा का अमल दुरुस्त करना काफी नहीं, पिछले फ़राईज़ व वाजिबात को अदा करना भी ज़रूरी है।

इसी तरह बन्दों के हुक्क़ में अगर किसी का माल नाजायज़ तौर पर लिया है तो उसको वापस करे, या उससे माफ़ कराये, और किसी को हाथ या ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाई है तो उससे माफ़ कराये। और अगर उससे माफ़ कराना इख़्तियार में न हो, मसलन वह मर जाये, या किसी जगह चला जाये जिसका इसको पता मालूम नहीं, तो उसकी तदबीर यह है कि उस शख्स

के लिये अल्लाह तआला से दुआ-ए-मग़फ़िरत करते रहने की पाबन्दी करे, इससे उम्मीद है कि हक़ वाला राज़ी हो जायेगा और यह शख़्स उसके हक़ से बरी हो जायेगा।

قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِيَهُمْ أَهْوَاءُكُمْ

قَدْ ضَلَّكَ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ دَيِّقُصُ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ۝ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفَضَيْتُ الْأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۝ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۝

कुल् इन्नी नुहीतु अन् अअबुदल्लजी-न
तद्अ-न मिन् दूनिल्लाहि, कुल् ला
अत्तबिअु अह्वा-अकुम् कद् जलल्लु
इज्व-व मा अ-न मिनल् मुस्तदीन
(56) कुल् इन्नी अला बय्यि-नतिम्
मिरब्बी व कज़्जब्तुम् बिही, मा
अिन्दी मा तस्तअजिलू-न बिही,
इनिल्हुक्मु इल्ला लिल्लाहि, यकुस्तुल्-
हक्-क व हु-व खौरुल्-फ़ासिलीन
(57) कुल् लौ अन्-न अिन्दी मा
तस्तअजिलू-न बिही लकुज़ियल्-अम्ह
बैनी व बैनकुम्, वल्लाहु अज़लमु
बिज़्जालिमीन (58)

तू कह दे मुझको रोका गया है इससे कि बन्दगी करूँ उनकी जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, तू कह दे मैं नहीं चलता तुम्हारी खुशी पर, बेशक अब तो मैं बहक जाऊँगा और न रहूँगा हिदायत पाने वालों में। (56) तू कह दे मुझको शहादत पहुँची मेरे रब की, और तुमने उसको झुठलाया, मेरे पास नहीं है जिस चीज़ की तुम जल्दी कर रहे हो, हुक्म किसी का नहीं सिवाय अल्लाह के, बयान करता है हक़ बात और वह सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। (57) तू कह अगर होती मेरे पास वह चीज़ जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो तो तय हो चुका होता झगड़ा मेरे और तुम्हारे बीच, और अल्लाह ख़ूब जानता है ज़ालिमों को। (58)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप (इन विशेषियों से) कह दीजिए कि मुझे (हक़ तआला की तरफ़ से) इससे मना किया गया है कि मैं उन (माबूदों) की इबादत करूँ जिनकी तुम लोग अल्लाह (की तौहीद) को छोड़कर इबादत करते हो। (और उनके तरीक़े की गुमराही जाहिर करने के लिये) आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे (ग़लत और ग़ैर-हक़) ख़्यालात की पैरवी न करूँगा, क्योंकि (अगर नज़्जु बिल्लाह मैं ऐसा

कहूँ तो) उस हालत में तो मैं बेराह हो जाऊँगा और (सही) राह पर चलने वालों में न रहूँगा। आप (उनसे यह भी) कह दीजिए कि मेरे पास तो (इस इस्लाम मजहब के हक होने पर) मेरे रब की तरफ से एक (काफी) दलील (मौजूद) है, जो मेरे रब की तरफ से (मुझको मिली है, यानी कुरआन मजीद, जो कि मेरा मोजिजा है, जिससे मेरी तस्दीक होती है) और तुम (बिना वजह) इसको झुठलाते हो। (और तुम जो यह कहते हो कि अगर इस्लाम धर्म हक है तो हमारे इनकार पर आसमान से पत्थर बरसें या कोई और सख्त अजाब आये, जैसा कि दूसरी जगह इन अलफाज में इसका जिक्र आया है:

إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِنَّا بِعَذَابِ رَبِّمْ

तो इसका जवाब यह है कि) जिस चीज का तुम तकाजा कर रहे हो (यानी दर्दनाक अजाब) वह मेरे पास (यानी मेरी कुदरत में नहीं) हुक्म किसी का नहीं (चलता) सिवाय अल्लाह तआला के, (और अल्लाह का हुक्म अजाब आने का हुआ नहीं तो मैं कैसे अजाब दिखला दूँ) वह (यानी अल्लाह तआला) हक बात को (दलील से) बतला देता है और सबसे अच्छा फैसला करने वाला वही है (चुनाँचे उसने मेरी रिसालत की स्पष्ट और मजबूत दलील कुरआन करीम भेज दिया, और दूसरे खुले मोजिजे जाहिर फरमा दिये। और सही दलील एक भी काफी होती है इसलिये तुम्हारी फरमाईशी दलीलें जाहिर करने की जरूरत नहीं, इसलिये इस वक्त अजाब नाजिल करने के जरिये फैसला नहीं फरमाया) आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास (यानी मेरी कुदरत में) वह चीज होती जिसका तुम तकाजा कर रहे हो (यानी अजाब) तो (अब तक) मेरे और तुम्हारे आपसी कज़िये का (कभी का) फैसला हो चुका होता, और जालिमों को अल्लाह तआला खूब जानता है (कि किसके साथ क्या मामला किस वक्त किया जाये)।

इन आयतों के मजमून का पीछे से सम्बन्ध

उक्त आयतों में काफ़िरों की तरफ से अजाब के नाजिल होने की जल्दबाजी की फरमाईश और उसका जवाब-खैरुल-फ़ासिलीन (कि वह सबसे अच्छा फैसला करने वाला है) में और अल्लाह तआला की कामिल कुदरत का जिक्र अज़लमु बिज़्जालिमीन (अल्लाह खूब जानता है जालिमों को) में बयान हुआ था। आगे तमाम मालूमात और ताकतों व इख्तियारात पर अल्लाह तआला के इल्म व कुदरत का इहाता बयान किया जाता है।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظَلْمِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ

عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٥٩﴾
 ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۗ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٠﴾

व अिन्दहू मफ़ातिहुल्-ग़ैबि ला
 यअ़लमुहा इल्ला हु-व, व यअ़लमु
 मा फ़िल्बर्रि वल्बस्सि, व मा तस्क़ुतु
 मिंव्व-र-क़तिन् इल्ला यअ़लमुहा व
 ला हब्बतिन् फ़ी जुलुमातिल्-अर्जि व
 ला रत्बिंव्-व ला याबिसिन् इल्ला
 फ़ी किताबिम् मुबीन (59) व
 हुवल्लज़ी य-तवफ़ाकुम् बिल्लैलि व
 यअ़लमु मा जरहतुम् बिन्नहारि
 सुम्-म यब्असुकुम् फ़ीहि लियुक़ज़ा
 अ-जलुम् मुसम्मन् सुम्-म इल्लैहि
 मर्जिअुकुम् सुम्-म युनब्बिअुकुम्
 बिमा कुन्तुम् तअ़मलून (60) ❀

व हुवल्काहिरु फ़ौ-क़ अिबादिही व
 युसिलु अ़लैकुम् ह-फ़-ज़तन्, हत्ता
 इज़ा जा-अ अ-ह-दकुमुल्मातु
 तवफ़त्हु रुसुलुना व हुम् ला
 युफ़रितून (61) सुम्-म रुद्दू
 इल्लल्लाहि मौलाहुमुल्-हक्कि, अला
 लहुल्-हुक्मु, व हु-व अस्स्रअुल्-
 हासिबीन (62)

और उसी के पास चाबियाँ हैं ग़ैब की कि
 उनको कोई नहीं जानता उसके सिवा और
 वह जानता है जो कुछ जंगल और दरिया
 में है, और नहीं झड़ता कोई पत्ता मगर
 वह जानता है उसको, और नहीं गिरता
 कोई दाना ज़मीन के अंधेरों में और न
 कोई हरी चीज़ और न कोई सूखी चीज़,
 मगर वह सब किताबे मुबीन में है। (59)
 और वही है कि कब्जे में ले लेता है
 तुमको रात में और जानता है जो कुछ
 कि तुम कर चुके हो दिन में, फिर तुम
 को उठा देता है उसमें ताकि पूरा हो वह
 वायदा जो मुकर्रर हो चुका है, फिर उसी
 की तरफ़ तुम लौटाये जाओगे, फिर ख़बर
 देगा तुमको उसकी जो कुछ तुम करते
 हो। (60) ❀

और वही ग़ालिब है अपने बन्दों पर और
 भेजता है तुम पर निगहबान, यहाँ तक
 कि जब आ पहुँचे तुम में से किसी को
 मौत तो कब्जे में ले लेते हैं उसको हमारे
 धेजे हुए फ़रिश्ते, और वे कोताही नहीं
 करते। (61) फिर पहुँचाये जायेंगे अल्लाह
 की तरफ़ जो उनका सच्चा मालिक है,
 सुन रखो हुक्म उसी का है और वह बहुत
 जल्द हिसाब लेने वाला है। (62)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और उसी के (यानी अल्लाह तआला के) पास (यानी उसी की कुदरत में) हैं खज़ाने तमाम (सम्भावित) छुपी चीज़ों के (उनमें से जिस चीज़ को जिस वक़्त और जिस क़द्र चाहें ज़हूर में लाते हैं। उन चीज़ों में अज़ाब की किस्में भी आ गयीं। मतलब यह कि किसी को उन चीज़ों पर कुदरत नहीं, और जिस तरह कामिल कुदरत उनके साथ खास है इसी तरह उनका इल्म भी पूरा और कामिल है, चुनौचे) उनको कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह तआला के, और वह तमाम चीज़ों को जानता है जो कुछ खुशकी में हैं और जो कुछ दरियाओं में हैं, और कोई पत्ता (तक दरख़्त से) नहीं गिरता मगर वह उसको भी जानता है, और कोई दाना (तक) ज़मीन के अंधेरे वाले हिस्सों में नहीं पड़ता, और न कोई तर और खुशक चीज़ (जैसे फल वगैरह) गिरती है, मगर ये सब किताबे-मुबीन (यानी लौहे-महफूज़) में (दर्ज) हैं। और वह (यानी अल्लाह तआला) ऐसा है कि (अक्सर) रात में (सोने के वक़्त) तुम्हारी (नफ़्सानी) रूह को (जिससे एहसास व समझ मुताल्लिक है) एक तरह से क़ब्ज़ कर देता है, (यानी बेकार कर देता है) और जो कुछ दिन में करते हो उसको (हमेशा के लिये) जानता है, फिर तुमको जगा उठाता है ताकि (इसी सोने जागने के दौरों से दुनियावी ज़िन्दगी की) मुक़र्ररा मियाद "यानी निर्धारित समय" पूरी कर दी जाए। फिर उसी (अल्लाह) की तरफ़ (मर कर) तुमको जाना है, फिर तुमको बतला देगा जो कुछ तुम (दुनिया में) किया करते थे (और उसके मुनासिब जज़ा और सज़ा जारी करेगा)।

और वही (अल्लाह तआला कुदरत से) अपने बन्दों के ऊपर ग़ालिब (व बरतर) हैं और (ऐ बन्दो!) तुम पर (तुम्हारे आमाल और जान की) निगरानी रखने वाले (फ़रिश्ते) भेजते हैं, (जो ज़िन्दगी भर तुम्हारे आमाल को भी देखते हैं और तुम्हारी जान की भी हिफ़ाज़त करते हैं) यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुँचती है तो (उस वक़्त) उसकी रूह हमारे भेजे हुए (फ़रिश्ते) क़ब्ज़ कर लेते हैं, और वे ज़रा भी कोताही नहीं करते (बल्कि जिस वक़्त हिफ़ाज़त का हुक्म था हिफ़ाज़त करते रहे, जब मौत का हुक्म हो गया तो यही मुहफ़िज़ रूह क़ब्ज़ करने वाले फ़रिश्तों के साथ मिल जाते हैं)। फिर सब अपने असली मालिक अल्लाह के पास लाए जाएंगे। ख़ूब सुन लो कि (उस वक़्त) फैसला उसी का (यानी अल्लाह ही का) होगा (और कोई दख़ल न दे सकेगा) और वह बहुत जल्द हिसाब ले लेगा।

मआरिफ़ व मुसाईल

गुनाहों से बचने का बेहतरीन नुस्खा

दुनिया के तमाम धर्मों में इस्लाम की विशेषता, खास फ़र्क और इसका सबसे बड़ा रुकन तौहीद (अल्लाह तआला को एक मानने और अकेला माबूद करार देने का) अक़ीदा है। और यह भी ज़ाहिर है कि सिर्फ़ अल्लाह तआला की ज़ात को एक और अकेला जानने का नाम तौहीद नहीं, बल्कि उसको कमाल की तमाम सिफ़ात में वाहिद व बेमिस्तल मानने और उसके सिवा किसी

मख़्लूक को उन सिफ़ात-ए-कमाल में उसका साझी व शरीक न समझने का तौहीद कहते हैं।

अल्लाह तआला की सिफ़ात-ए-कमाल- जिन्दगी, इल्म, कुदरत, सुनना, देखना, इरादा, मर्ज़ो, पैदा करना बनाना और रिज़क़ वगैरह, वह इन सब सिफ़ात में ऐसा कामिल है कि उसके सिवा कोई मख़्लूक किसी सिफ़ात में उसके बराबर नहीं हो सकती। फिर इन सिफ़ात में भी दो सिफ़ातें सबसे ज़्यादा नुमायाँ और विशेष हैं- एक इल्म, दूसरे कुदरत। उसका इल्म भी तमाम मौजूद गैर-मौजूद, ज़ाहिर और छुपे, बड़े और छोटे हर ज़र्रे-ज़र्रे पर हावी और उसको अपने घेरे में लिये हुए है, और उसकी कुदरत भी इन सब पर पूरी-पूरी मुहीत (छाई हुई) है। ज़िक्र हुई दो आयतों में इन्हीं दो सिफ़ातों का बयान है, और ये दो सिफ़ातें ऐसी हैं कि अगर इनसान अल्लाह तआला की इन दो सिफ़ातों पर मुकम्मल यकीन पैदा कर ले और ज़ेहन में बैठा ले तो उससे कोई गुनाह और जुर्म हो ही नहीं सकता। ज़ाहिर है कि अगर एक इनसान को अपने हर कौल व अमल और उठने-बैठने में हर कदम पर यह ध्यान रहे कि एक अलीम व ख़बीर कादिरे मुतलक मुझे हक़ वक़्त देख रहा है, और मेरे ज़ाहिर व बातिन और दिल के इरादे और ख़याल तक से वाकिफ़ है तो यह ध्यान कभी उसका कदम उस कादिरे मुतलक की नाफ़रमानी की तरफ़ न उठने देगा। इसलिये ये दोनों आयतें इनसान को पूरा इनसान बनाने और उसके आमाल व अख़लाक को सही करने और सही रखने में एक लाजवाब और बेहतरीन नुस्खा हैं।

पहली आयत में इरशाद फ़रमाया:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

लफ़ज़ मफ़ातेह के दो मायने हो सकते हैं- एक ख़ज़ाना और दूसरे कुंजी (चाबी)। इसी लिये कुछ मुफ़स्सरीन और अनुवादकों ने इसका तर्जुमा ख़ज़ानों से किया है और कुछ ने कुंजियों से और हासिल दोनों का एक ही है, क्योंकि कुंजियों का मालिक होने से भी ख़ज़ानों का मालिक होना मुराद होता है।

कुरआनी परिभाषा में इल्म-ए-ग़ैब और अ़ाम मुतलक़ कुदरत

सिर्फ़ अल्लाह तआला की ख़ास सिफ़ात है, कोई मख़्लूक

इसमें शरीक नहीं

लफ़ज़ ग़ैब से मुराद वो चीज़ें हैं जो अभी वजूद में नहीं आयीं, या वजूद में तो आ चुकी हैं मगर अल्लाह तआला ने उन पर किसी को बाख़बूर नहीं होने दिया। (तफ़्सीरे मज़हरी)

पहली किस्म की मिसाल वो तमाम हालात व वाकिआत हैं जो कियामत से संबन्धित हैं, या कियामत में आगे पेश आने वाले वाकिआत से ताल्लुक़ रखते हैं। मसलन यह कि कौन, कब और कहाँ पैदा होगा, क्या-क्या काम करेगा, कितनी उम्र होगी, उम्र में कितने साँस लेगा, कितने कदम उठायेगा, कहाँ मरेगा, कहाँ दफ़न होगा, रिज़क़ किसको कितना और किस वक़्त मिलेगा,

वारिश किस वक्त, कहाँ और कितनी होगी।

और दूसरी किस्म की मिसाल वह हमल (गर्भ) है जो औरत के पेट में वजूद तो इख्तियार कर चुका है मगर यह किसी को मालूम नहीं कि लड़का है या लड़की, खूबसूरत है या बदसूरत, नेक-तबीयत है या बद-खस्तत। इसी तरह और ऐसी चीजें जो वजूद में आ जाने के बावजूद मख्लूक के इल्म व नज़र से गायब हैं।

عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ

के मायने यह हुए कि अल्लाह के पास हैं खज़ाने ग़ैब के। उसके पास होने से मुराद उसकी मिल्क और कब्ज़े में होना है। मतलब यह हुआ कि ग़ैब के खज़ानों का इल्म भी उसके कब्ज़े में है और उनको वजूद व ज़हूर में लाना भी उसी की कुदरत में है कि कब-कब और कितना-कितना वजूद में आयेगा, जैसा कि कुरआने करीम की एक दूसरी आयत में मज़कूर है:

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

यानी हमारे पास हर चीज़ के खज़ाने हैं मगर हम हर चीज़ को एक खास अन्दाज़ से नाज़िल करते हैं।

खुलासा यह है कि इस जुमले से हक़ तआला का बेमिसाल इल्मी कमाल भी साबित हो गया और कुदरत का कमाल भी, और यह भी कि यह मुकम्मल इल्म और मुतलक़ कुदरत सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहू की सिफ़त है, और किसी को हासिल नहीं हो सकती। आयत में लफ़्ज़ "अिन्दहू" को पहले लाकर अरबी ग्रामर के हिसाब से इस तरफ़ इशारा कर दिया गया कि यह इल्म व कुदरत सिर्फ़ उसी के लिये खास है। आगे इस इशारे का खुलासा करके स्पष्ट तौर पर बयान करके दिल में बैठा दिया गया। इरशाद फ़रमाया:

لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

यानी उन ग़ैब के खज़ानों को अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता।

इसलिये इस जुमले से दो बातें साबित हुईं- अब्बल हक़ तआला का तमाम ग़ैब की चीज़ों पर मुकम्मल इल्म के साथ बाख़बर होना और उन सब पर कामिल कुदरत के साथ कादिर होना, दूसरे हक़ तआला शानुहू की जात के सिवा किसी मख्लूक या किसी चीज़ को ऐसा इल्म व कुदरत हासिल न होना।

कुरआन की इस्तिलाह (परिभाषा) में लफ़्ज़ ग़ैब के जो मायने (तफसीरे मज़हरी के हवाले से) ऊपर बयान किये गये हैं, कि वो चीज़ें जो अभी वजूद में नहीं आयीं या आ चुकी हैं मगर अभी तक किसी मख्लूक पर उनका ज़हूर नहीं हुआ, अगर इन मायनों को सामने रखा जाये तो ग़ैब के मसले पर ऊपरी नज़र में जो-जो शुब्हात अचाम को पेश आया करते हैं खुद-बखुद ख़त्म हो जायें।

लेकिन आम तौर पर लोग लफ़्ज़ ग़ैब के लुगवी (शाब्दिक) मायने लेते हैं कि जो चीज़ हमारे इल्म व नज़र से गायब हो, चाहे दूसरों के नज़दीक उसका इल्म हासिल करने के माध्यम मौजूद

हों, उसको भी ग़ैब कहने लगते हैं। इसके नतीजे में तरह-तरह के शुब्हात सामने आते हैं। मसलन इल्मे नुजूम (सितारों का इल्म), हाथों और माथे की लकीरों वगैरह से जो आने वाले वक्त के वाकिआत का इल्म हासिल किया जाता है, या कश्फ़ व इल्हाम के ज़रिये (चमत्कारिक तौर पर) किसी शख्स को भविष्य के वाकिआत का इल्म हो जाता है, या मानसून का रुख और उसकी ताकत व रफ्तार को देखकर मौसम विभाग के विशेषज्ञ होने वाली बारिश वगैरह के मुताल्लिक़ भविष्यवाणियाँ करते हैं, और उनमें बहुत सी बातें सही भी हो जाती हैं। ये सब चीज़ें अ़वाम की नज़र में इल्मे ग़ैब होती हैं, इसलिये उक्त आयत पर ये शुब्हात होने लगते हैं कि कुरआन मजीद ने तो इल्मे ग़ैब को अल्लाह तआला की पाक ज़ात की विशेषता बतलाया है, और देखने व अनुभव में यह दूसरों को भी हासिल मालूम होता है।

जवाब स्पष्ट है कि कश्फ़ व इल्हाम या वही के ज़रिये अगर अल्लाह तआला ने अपने किसी बन्दे को किसी आईन्दा होने वाले वाकिए की इत्तिला दे दी तो कुरआनी इस्तिलाह में वह इल्मे ग़ैब न रहा। इसी तरह संसाधनों व उपकरणों के ज़रिये जो इल्म हासिल किया जा सके वह भी कुरआनी परिभाषा के लिहाज़ से इल्मे ग़ैब नहीं। जैसे मौसम विभाग की खबरें, या नब्ज़ देखकर बीमार के छुपे हालात बतला देना। वजह यह है कि मौसम विभाग को या किसी हकीम डॉक्टर को ऐसी खबरें देने का मौका तब ही हाथ आया जब इन वाकिआत का माद्दा पैदा होकर ज़ाहिर हो जाता है। फ़र्क़ इतना है कि अभी उसका ज़हूर आम नहीं होता, उपकरणों के ज़रिये अहले फ़न को ज़ाहिर होता है, अ़वाम बेख़बर रहते हैं। और जब यह माद्दा ताक़तवर हो जाता है तो इसका ज़हूर आम हो जाता है। यही वजह है कि मौसम विभाग महीने दो महीने के बाद होने वाली बारिश की खबर आज नहीं दे सकता, क्योंकि अभी उस बारिश का माद्दा सामने नहीं आया। इसी तरह कोई हकीम डॉक्टर साल दो साल पहले की खाई हुई, या दो साल बाद खाई जाने वाली दवा या ग़िज़ा वगैरह का पता आज नब्ज़ देखकर नहीं दे सकता, क्योंकि उसका कोई असर आदतन नब्ज़ में नहीं होता।

खुलासा यह है कि ये सब चीज़ें वो हैं कि किसी चीज़ के आसार व निशानात देखकर उसके वजूद की खबर दे दी जाती है, और जब उसके आसार व निशानात और माद्दा ज़ाहिर हो चुका तो अब वह ग़ैब में शामिल न रहा, बल्कि मुशाहदे (देखने और अनुभव) में आ गया, अलबत्ता बारीक या हल्का व कमज़ोर होने की वजह से आम देखने और अनुभव में अभी नहीं आया, जब ताक़त पकड़ लेगा तो आम मुशाहदे में भी आ जायेगा।

इसके अलावा इन सब चीज़ों से हासिल होने वाली जानकारी सब कुछ होने के बाद भी अनुमान और अन्दाज़े ही की हैसियत रखती है, इल्म जो यकीन का नाम है वह इनमें से किसी चीज़ से किसी को हासिल नहीं होता। यही वजह है कि इन खबरों के ग़लत होने के बेशुमार वाकिआत रोज़ाना पेश आते रहते हैं।

रहा सितारों वगैरह का इल्म तो उसमें जो चीज़ें हिसाब लगाने से मुताल्लिक़ हैं उनका इल्म तो इल्म है, मगर वो ग़ैब नहीं। जैसे हिसाब लगाकर कोई यह कहे कि आज पाँच बजकर

इक्तालीस मिनट पर सूरज निकलेगा या फुल्लों महीने में फुल्लों तारीख़ को चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण होगा, जाहिर है कि यह एक महसूस चीज़ की रफ़्तार का हिसाब लगाकर वक़्त को निर्धारित करना ऐसा ही है जैसे हम हवाई जहाज़ों और रेलों के किसी पोर्ट या स्टेशन पर पहुँचने की ख़बर दे देते हैं। इसके अलावा सितारों वगैरह से जो ख़बरें मालूम करने का दावा किया जाता है वह धोखे के सिवा कुछ नहीं, सौ झूठ में एक सच निकल आना कोई इल्म नहीं।

हमल (गर्भ) में लड़का है या लड़की, इसके बारे में भी बहुत से अहले फ़न कुछ कहा करते हैं, मगर तजुर्बा गवाह है कि इसका दर्जा भी वही अनुमान और अन्दाजे का है, यकीनी नहीं। और, सौ में दो चार का सही हो जाना एक तबई चीज़ है, वह किसी इल्म व जानकारी से ताल्लुक नहीं रखता।

हाँ जब एक्सरे के उपकरण ईजाद हुए तो कुछ लोगों का ख़्याल था कि शायद उसके ज़रिये हमल का नर या मादा होना मालूम हो जाया करेगा, मगर तजुर्बे ने साबित कर दिया कि एक्सरे के उपकरण भी यह मुतैयन नहीं कर सकते कि हमल में लड़का है या लड़की।

इज़ाफ़ा:- आजकल चूँकि ऐसी मशीनें और साईंसी ईजादात सामने आ चुकी हैं जिनसे यकीनी तौर पर लिंग का निर्धारण हो जाता है और यह मालूम हो जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की, और यहाँ तक कि अगर वह किसी बीमारी से पीड़ित है तो वह भी जाँच वगैरह से जाहिर हो जाती है। लेकिन इससे भी कुरआन के इस दावे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ग़ैब का जानने वाला सिर्फ़ अल्लाह तआला है। क्योंकि बच्चे की जिन्स (लिंग) ग़ैब कहाँ वह तो सिर्फ़ एक पर्दे में है, मशीन के द्वारा उस पर्दे के अन्दर झाँक कर देखा जा सकता है तो वह ग़ैब कहाँ रहा। अगर एक कमज़ोर नज़र वाले आदमी को बिना चश्मा लगाये कुछ दिखाई न दे और चश्मा लगाकर चीज़ें दिखाई दें तो क्या उन चीज़ों को ग़ैब का हिस्सा कहा जायेगा? हरगिज़ नहीं।

ग़ैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। कोई मशीन नहीं बता सकती कि माँ के पेट में पल रहा बच्चा बादशाह होगा या फ़कीर, नेक होगा या बद, कितनी उम्र वाला होगा, कितना रिज़क खा पायेगा, किसी का कातिल होगा या मक्तूल, बाप-दादा बनेगा या नहीं, जन्मती होगा या दोज़खी। इन सब चीज़ों का इल्म सिर्फ़ खुदा तआला को है और खुदा तआला ही को रहेगा।

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

खुलासा यह है कि जो चीज़ कुरआनी इस्तिलाह में ग़ैब है उसका सिवाय खुदा तआला के किसी को इल्म नहीं, और जिन चीज़ों का इल्म लोगों को कुछ असबाब व उपकरणों के ज़रिये आदतन हासिल हो जाता है वह दर हकीकत ग़ैब नहीं, चाहे सार्वजनिक ज़हूर ज़हूर होने की वजह से उसको ग़ैब कहते हों।

इसी तरह किसी रसूल व नबी को वही (अल्लाह के पैग़ाम) के ज़रिये या किसी वली को क़श्फ़ व इल्हाम के ज़रिये (अल्लाह की तरफ़ से कोई बात दिल में डालने या कोई हालत व वाकिआ खोल देने की वजह से) जो ग़ैब की कुछ चीज़ों का इल्म दे दिया गया तो वह ग़ैब की हदों से निकल गया, उसको कुरआन में ग़ैब के बजाय ग़ैब की ख़बरें कहा गया है। जैसा कि

अनेक आयतों में मजकूर है:

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ

इसलिये जिक्र हुई आयत में 'ला यअलमुहा इल्ला हु-व' यानी ग़ैब के ख़जानों को सिवाय अल्लाह तआला के कोई नहीं जानता, इसमें किसी शुद्धे या हुक्म से अलग होने की गुंजाईश नहीं।

इस जुमले में तो हक़ जल्ल शानुहू की यह खुसूसी सिफ़त बतलाई गयी है कि वह आलिमुल-ग़ैब है, हर ग़ैब को जानता है। बाद के जुमलों में ग़ैब के मुक़ाबिल इल्मे शहादत यानी हाज़िर व मौजूद चीज़ों के इल्म का बयान है कि उनके इल्म में भी अल्लाह जल्ल शानुहू की यह खुसूसियत है कि उसका इल्म हर चीज़ को अपने इल्म व कुदरत के घेरे में लिये हुए है, कोई ज़रा उससे बाहर नहीं। इरशाद फ़रमाया कि वही जानता है हर उस चीज़ को जो खुशकी में है और उस चीज़ को जो दरिया में है, और किसी पेड़ का कोई पत्ता नहीं गिरता जिसका इल्म उसको न हो। इसी तरह कोई दाना जो ज़मीन के अंधेरे हिस्से में छुपा है वह भी उसके इल्म में है, और हर तर व खुशक में तमाम कायनात का ज़रा-ज़रा उसके इल्म में है और लौहे-महफूज़ में लिखा हुआ है।

खुलासा यह है कि इल्म के मुताल्लिक दो चीज़ें हक़ तआला की खुसूसियतों (विशेषताओं) में से हैं, जिनमें कोई फ़रिश्ता या रसूल या कोई दूसरी मख़्लूक़ शरीक़ नहीं। एक इल्मे ग़ैब, दूसरे मौजूद चीज़ों का मुकम्मल इल्म। जिससे कोई ज़रा छुपा नहीं। पहली आयत में इन्हीं दोनों मख़्सूस सिफ़ात का बयान इस तरह इरशाद फ़रमाया गया है कि उसके पहले जुमले (वाक्य) में पहली खुसूसियत का बयान है:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

और बाद के जुमलों (वाक्यों) में तमाम कायनात व मौजूदात के मुकम्मल इल्म का जिक्र इस तरह फ़रमाया कि पहले इरशाद हुआ:

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

यानी अल्लाह तआला ही जानता है हर उस चीज़ को जो खुशकी में है और जो दरिया में है। इससे मुराद तमाम कायनात व मौजूदात है। जैसे सुबह व शाम का लफ़ज़ बोलकर पूरा समय और पूरब व पश्चिम का लफ़ज़ बोलकर पूरी ज़मीन मुराद ली जाती है, इसी तरह खुशकी और दरिया बोलकर मुराद इससे पूरे आलम की कायनात व मौजूदात हैं। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानुहू का इल्म तमाम कायनात पर मुहीत (फैला हुआ और उसको घेरे हुए) है।

आगे इसका और अधिक खुलासा और वज़ाहत इस तरह बयान फ़रमाई कि अल्लाह तआला का तमाम कायनात पर इल्मी घेराव सिर्फ़ यही नहीं कि बड़ी-बड़ी चीज़ों का उसको इल्म हो, बल्कि हर छोटी से छोटी, छुपी चीज़ भी उसके इल्म में है। फ़रमाया:

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

यानी सारे जहान में किसी पेड़ का कोई पत्ता नहीं गिरता जो उसके इल्म में न हो। मुराद यह है कि हर पेड़ का हर पत्ता गिरने से पहले और गिरने के वक़्त और गिरने के बाद उसके इल्म में है। वह जानता है कि पत्ता पेड़ पर लगा हुआ कितनी मर्तबा उलट-पुलट होगा और कब और कहाँ गिरेगा और फिर वह किस-किस हाल से गुज़रेगा। गिरने का जिक्र शायद इसी लिये किया गया है कि उसके तमाम हालात की तरफ़ इशारा हो जाये, क्योंकि पत्ते का पेड़ से गिरना उसके पलने-वढ़ने और नवाती ज़िन्दगी का आखिरी हाल है, आखिरी हाल का जिक्र करके तमाम हालात की तरफ़ इशारा कर दिया गया।

उसके बाद इरशाद फ़रमाया:

وَلَا حَيَّةٌ فِي ظِلْمِ الْأَرْضِ

यानी हर वह दाना जो ज़मीन की गहराई और अंधेरी में कहीं पड़ा है वह भी उसके इल्म में है। पहले पेड़ के पत्ते का जिक्र किया जो आम नज़रों के सामने गिरता है, उसके बाद दाने का जिक्र किया जो काश्तकार ज़मीन में डालता है, या खुद-बखुद कहीं ज़मीन की गहराई और अंधेरी में छुप जाता है, उसके बाद फिर तमाम कायनात पर अल्लाह तआला के इल्म का हावी होना तर और खुशक के उनवान से जिक्र फ़रमाया, और फ़रमाया कि ये सब चीज़ें अल्लाह के नज़दीक किताबे मुबीन में लिखी हुई हैं। किताब-ए-मुबीन से मुराद कुछ हज़रते मुफ़स्सिरीन के नज़दीक लौह-ए-महफूज़ है, और कुछ ने फ़रमाया कि इससे अल्लाह का इल्म मुराद है। और इसको किताबे मुबीन से इसलिये ताबीर किया गया है कि जैसे लिखी हुई चीज़ सुरक्षित हो जाती है, उसमें भूल-चूक की गुंजाईश नहीं रहती, इसी तरह अल्लाह जल्ल शानुहू का यह इल्मे मुहीत तमाम कायनात के ज़र्रे-ज़र्रे का सिर्फ़ अन्दाज़े और अनुमान का नहीं बल्कि यकीनी है।

कुरआन मजीद की बहुत सी आयतें इस पर सुबूत हैं कि इस तरह का कामिल इल्म जिससे कायनात का कोई ज़रा और उसका कोई हाल खारिज न हो, यह सिर्फ़ हक़ तआला की पाक जात के साथ मख़सूस है। सूर: लुक़मान में है:

إِنَّمَا أَنْتَ تُكَلِّمُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ عَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ. إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ.

“यानी अगर कोई दाना राई के बराबर हो फिर वह पत्थर के अन्दर छुपा हो या आसमानों में या ज़मीन में कहीं हो, अल्लाह तआला उन सब को जमा कर लेंगे, बेशक अल्लाह तआला लतीफ़ (बारीकी से देखने वाला) और हर चीज़ से ख़बरदार है।”

आयतुल-कुर्सी में है:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ.

“यानी अल्लाह तआला सब इनसानों के अगले और पिछले सब हालात से वाकिफ़ हैं और सारे इनसान मिलकर उसके इल्म में से किसी एक चीज़ का भी इहाता नहीं कर सकते, सिवाय उतने इल्म के जो अल्लाह तआला किसी को देना चाहें।”

सूर: यूनुस में है:

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

“यानी एक ज़र्रे के बराबर भी कोई चीज़ ज़मीन व आसमान में आपके रब के इल्म से जुदा (बाहर) नहीं है।”

और सूर: तलाक़ में है:

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

“यानी अल्लाह तआला का इल्म हर चीज़ पर मुहीत (छाया हुआ और उसको घेरे हुए) है।”

इसी तरह बेशुमार आयतों में यह मज़मून विभिन्न उनवानों से आया हुआ है। खुलासा यह है कि इन आयतों में बड़ी वज़ाहत और स्पष्टता के साथ यह बयान फ़रमा दिया गया है कि ग़ैब का इल्म (जिसको कुरआन में ग़ैब कहा गया है और उसकी तफ़सीर ऊपर गुज़र चुकी है) या तमाम कायनात का इल्मे मुहीत सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहू की मख़सूस सिफ़त है, किसी फ़रिश्ते या रसूल के इल्म को उसी तरह हर ज़र्-ए-कायनात पर हावी व शामिल समझना वह ईसाईयों की तरह रसूल को खुदा का दर्जा दे देना है और खुदा तआला के बराबर करार दे देना है, जो कुरआने करीम की वज़ाहत के मुताबिक़ शिर्क है। सूर: शुअरा में शिर्क की यही हकीकत बयान फ़रमाई गयी है:

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ اِذْ نَسُوْنٰكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

“यानी कियामत के दिन मुश्रिक लोग कहेंगे कि खुदा की कसम हम सख़्त गुमराही में थे कि तुमको यानी बुतों को रब्बुल-आलमीन के बराबर करते थे।”

बिला शुब्हा अल्लाह तआला ने अपने नबियों को और खास तौर पर खातमुल-अम्बिया हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ग़ैब की हज़ारों लाखों चीज़ों का इल्म अता फ़रमाया है, और सब फ़रिश्तों और अम्बिया से ज़्यादा अता फ़रमाया है, लेकिन यह ज़ाहिर है कि खुदा तआला के बराबर किसी का इल्म नहीं, न हो सकता है, वरना फिर यह रसूल की ताज़ीम (सम्मान) का वह गुलू (हद से बढ़ा हुआ दर्जा) होगा जो ईसाईयों ने इख़्तियार किया, कि रसूल को खुदा के बराबर ठहरा दिया, इसका नाम शिर्क है। हम इससे अल्लाह की पनाह चाहते हैं।

यहाँ तक पहली आयत का बयान था, जिसमें अल्लाह जल्ल शानुहू की इल्म की सिफ़त की खुसूसियत का बयान है, कि वह हर ग़ैब व हाज़िर और कायनात के हर ज़र्रे-ज़र्रे पर हावी है। दूसरी आयत में इसी तरह हक़ तआला की कुदरत की सिफ़त और उसके कादिर मुतलक होने का बयान है जो उसी की जात के साथ मख़सूस है। इशाराद है:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِقَاضِيٍّ أَجَلٍ مُّسَمًّى.

“यानी अल्लाह तआला हर रात में तुम्हारी रूह को एक तरह से कब्ज़ कर लेता है, और फिर सुबह को जगाकर उठा देता है, ताकि तुम्हारी निर्धारित उम्र पूरी कर दे। और फिर दिन भर में तुम जो कुछ करते रहते हो वह सब उसके इल्म में है। यह अल्लाह तआला ही की कामिल कुदरत है कि इनसान के जीने, मरने और मरकर दोबारा ज़िन्दा होने का एक नमूना हर रोज़

उसके सामने आता रहता है। हदीस में नींद को मौत की बहन फरमाया है, और यह हकीकत है कि नींद इनसान के तमाम कुव्वतों को ऐसे ही बेकार कर देती है जैसे मौत।

इस आयत में हक तआला ने नींद और फिर उसके बाद जागने की मिसाल पेश फरमाकर इनसान को इस पर चेताया है कि जिस तरह हर रात और हर सुबह में हर शख्स व्यक्तिगत तौर पर मरकर जीने की एक मिसाल को अपनी आँखों से देखता है, इसी तरह पूरे आलम की सामूहिक मौत और फिर सामूहिक जिन्दगी को समझ लो, जिसको कियामत कहा जाता है। जो ज्ञात इस पर कादिर है उसकी कामिल कुदरत से वह भी कोई दूर की और नामुम्किन चीज नहीं। इसी लिये आयत के आखिर में फरमाया:

ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

यानी फिर तुमको अल्लाह तआला ही की तरफ लौटकर जाना है, फिर वह तुमको जतलायेगा जो तुम अमल किया करते थे।”

मुराद यह है कि आमाल का हिसाब होगा, फिर उस पर जज़ा व सज़ा होगी।

तीसरी आयत में इसी मज़मून की और अधिक तफसील इस तरह बयान फरमाई है कि अल्लाह तआला अपने सब बन्दों पर एक ग़ालिब कुव्वत रखता है, जब तक उसको उनका जिन्दा रखना मन्ज़ूर होता है तो हिफ़ाज़त करने वाले फ़रिश्ते उनकी हिफ़ाज़त के लिये भेज देता है, किसी की मजाल नहीं जो उसको नुक़सान पहुँचाये, और जब किसी बन्दे का उम्र का तयशुदा वक़्त पूरा हो जाता है तो यही हिफ़ाज़त करने वाले फ़रिश्ते उसकी मौत का ज़रिया बन जाते हैं, और अब उसकी मौत के असबाब उपलब्ध करने में ज़रा कमी नहीं करते। और फिर मरकर ही मामला ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि 'रुद्दू इलल्लाहि' यानी दोबारा जिन्दा होकर फिर अल्लाह तआला के पास हाज़िर किये जायेंगे। इस जगह अहकमुल-हाकिमीन के सामने पेशी और उम्रभर के हिसाब का जब ख़्याल किया जाये तो किसकी मजाल है जो पूरा उत्तर सके, और अज़ाब से बच निकले। इसलिये इसके साथ ही इरशाद फरमाया:

إِلَى اللَّهِ مَوْتُهُمُ الْحَقُّ

यानी अल्लाह तआला सिर्फ़ हाकिम और अहकमुल-हाकिमीन ही नहीं, वह अपने बन्दों के मौला भी हैं जो हर मौके पर उनकी मदद भी करते हैं।

उसके बाद फरमाया:

إِلَٰهَ الْحُكْمِ

कि बेशक फैसला और हुक्म सिर्फ़ उसी का है। यहाँ यह ख़्याल हो सकता था कि एक ज्ञात और अरबों इनसानों की पूरी-पूरी उम्रों का हिसाब, निपटेगा किस तरह? इसलिये इसके बाद फरमाया:

وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

यानी अल्लाह तआला के कामों को अपने कामों पर अन्दाज़ा करना जहालत है, वह बहुत जल्द सब हिसाब पूरा फ़रमा लेंगे।

قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
لَّيِّنًا أُنَجِّنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ قُلِ اللَّهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ
تَشْكُرُونَ ۝

कुल् मंयुनज्जीकुम् मिन् जुलुमातिल्-
बर्ि वल्-बस्त्रि तदुअूनहू तजरुअंप्-व
खुफयतन् ल-इन् अन्जाना मिन्
हाजिही ल-नकूनन्-न मिनश्शाकिरीन
(63) कुलिल्लाहु युनज्जीकुम् मिन्हा
व मिन् कुल्लि कर्बिन् सुम्-म अन्तुम्
तुशिरकून (64)

तू कह- कौन तुमको बचा लाता है जंगल
के अंधेरों से और दरिया के अंधेरों से
उस वक़्त में कि पुकारते हो तुम उसको
गिड़गिड़ाकर और चुपके से, कि अगर
हमको बचा ले इस बला से तो यकीनन
हम ज़रूर एहसान मानेंगे। (63) तू कह
दे- अल्लाह तुमको बचाता है उससे और
हर सख़्ती से, फिर भी तुम शिर्क करते
हो। (64)

खुलासा-ए-तफ़सीर

आप (उन लोगों से) कहिए कि वह कौन है जो तुमको खुशकी और दरिया की अंधेरियों
(यानी सख़्तियों) से उस हालत में निजात देता है कि तुम उसको (निजात देने के लिये) पुकारते
हो (कभी) आज़िज़ी ज़ाहिर करके और (कभी) चुपके-चुपके, (और यूँ कहते हो) कि (ऐ
अल्लाह!) अगर आप हमको इन (अंधेरियों) से (इस बार) निजात दे दें तो (फिर) हम ज़रूर हक
पहचानने (पर कायम रहने) वालों में से हो जाएँगे (यानी आपकी तौहीद के जो कि बड़ा हक
पहचानना है, कायम रहें। और इस सवाल का जवाब यूँकि मुतैयन है और वे लोग भी कोई
दूसरा जवाब न देंगे इसलिये) आप (ही) कह दीजिए कि खुदा तआला ही तुमको उनसे निजात
देता है, (जब कभी निजात मिलती है) और (इन जिक्र हुई अंधेरियों की ही क्या खुसूसियत है
बल्कि) हर ग़म से (वही निजात देता है, मगर) तुम (ऐसे हो कि) फिर भी (निजात पाने के बाद
बदस्तूर) शिर्क करने लगते हो (जो कि आला दर्जे की हक को न पहचानने वाली बात है, और
वायदा किया था हक पहचानने का। ग़र्ज़ यह कि सख़्तियों में तुम्हारे इकरार से तौहीद का हक
होना साबित हो जाता है, फिर इनकार ध्यान और तवज्जोह के काबिल कब है)।

मआरिफ व मसाईल

अल्लाह के इल्म और उसकी कामिल कुदरत की कुछ निशानियाँ

पिछली आयतों में अल्लाह जल्ल शानुहू के इल्म व कुदरत का कमाल और उनकी वेमिसाल वुस्तुत बयान की गयी थी। मजकूर आयतों में इसी इल्म व कुदरत के कुछ आसार और निशानियों व प्रदर्शनों का बयान है।

पहली आयत में लफज़ "जुलुमात, जुल्मत" की जमा (बहुवचन) है, जिसके मायने हैं अंधेरी। "जुलुमातिल-बरि वल्बहरि" के मायने खुशकी और दरिया की अंधेरियाँ हैं। चूँकि अंधेरी की मुखलिफ़ किस्में हैं- रात की अंधेरी, घटा बादल की अंधेरी, गर्द व गुबार की अंधेरी और दरिया में मौजों की अंधेरी। इन तमाम किस्मों को शामिल करने के लिये लफज़ "जुलुमात" जमा (बहुवचन) इस्तेमाल फरमाया गया है।

अगरचे इनसान के सोने और आराम करने के लिये अंधेरा भी एक नेमत है, लेकिन आम हालात में इनसान का काम रोशनी ही से चलता है, और अंधेरी सब कामों से बेकार करने के अलावा बहुत सी मुसीबतों और आफतों का सबब बन जाती है, इसलिये अरब के मुहावरे में लफज़ जुलुमात मुसीबतों और हादसों व आफतों के लिये बोला जाता है। इस आयत में भी मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत ने यही मायने बयान फरमाये हैं।

आयत का मतलब यह हुआ कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने मक्का के मुश्रिकों को चेतावनी देने और उनकी ग़लत हरकतों पर आगाह करने के लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुक्म दिया कि वह उन लोगों से यह सवाल करें कि खुशकी और दरियाओं के सफ़रों में जब भी वे किसी मुसीबत में घिर जाते हैं, और उस वक़्त तमाम बुतों को भूलकर सिर्फ़ अल्लाह तआला को पुकारते हैं, कभी खुलकर अपनी पस्ती व अजिजी को स्वीकार करते हैं और कभी दिल-दिल में इसका इकरार करते हैं कि इस मुसीबत से तो सिवाय खुदा तआला के कोई नहीं बचा सकता। और इस ख़्याल के साथ यह भी वायदा करते हैं कि अगर अल्लाह तआला ने हमें इस मुसीबत से निजात दे दी तो हम शुक्रगुजारी और हक़ पहचानने को अपना शेवा बना लेंगे। यानी अल्लाह तआला के शुक्रगुज़ार होंगे, उसी को अपना कारसाज़ समझेंगे, उसके सिवा किसी को उसका शरीक न समझेंगे। क्योंकि जब हमारी मुसीबत में कोई काम न आया तो हम उनकी पूजा-पाट क्यों करें। तो अब आप उनसे पूछिये कि उन हालात में कौन उनको मुसीबतों और हलाकत से निजात देता है? चूँकि उनका जवाब मुतैयन और मालूम था कि वे इस आसान सी बात का इनकार नहीं कर सकते कि खुदा तआला के सिवा कोई बुत या देवता उस हालत में उनके काम नहीं आया, इसलिये दूसरी आयत में हक़ तआला ने खुद ही रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इरशाद फरमाया कि आप ही कह दीजिए कि सिर्फ़ अल्लाह तआला ही तुम्हें उस मुसीबत से निजात देंगे, बल्कि तुम्हारी हर तकलीफ़ व परेशानी और बेचैनी को वही दूर

फरमायेंगे। मगर इन सब खुली हुई निशानियों के बावजूद फिर जब तुमको निजात और आराम मिल जाता है तो तुम फिर शिर्क में मुब्तला हो जाते हो, और बुतों की पूजा-पाट में लग जाते हो, यह कैसी ग़द्दारी और ख़तरनाक किस्म की जहालत है।

इन दोनों आयतों में अल्लाह तआला की कामिल कुदरत का बयान भी है कि हर इनसान को हर मुसीबत और तकलीफ़ से निजात देने पर उसको पूरी कुदरत है, और यह भी कि हर किस्म की मुसीबतों, तकलीफ़ों और परेशानियों को दूर करना सिर्फ़ अल्लाह तआला ही के हाथ में है, और यह भी कि यह एक ऐसी खुली हुई हकीकत और आसानी से समझ में आने वाली बात है कि सारी उम्र बुतों और देवताओं को पूजने और पुकारने वाले भी जब किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाते हैं उस वक़्त वे भी सिर्फ़ खुदा तआला ही को पुकारते हैं, और उसी की तरफ़ मुतवज्जह हो जाते हैं।

एक सबक लेने वाली बात

मुश्रिक लोगों का यह चलन उनकी ग़द्दारी के एतिबार से कितना ही बड़ा जुर्म हो मगर मुसीबत पड़ने के वक़्त सिर्फ़ अल्लाह तआला की तरफ़ तवज्जोह और हकीकत को स्वीकार करना हम मुसलमानों के लिये एक सबक लेने वाली बात है कि हम अल्लाह तआला पर इमान रखने के बावजूद मुसीबतों के वक़्त भी खुदा तआला को याद नहीं करते, बल्कि हमारा सारा ध्यान मादी सामानों में गुम होकर रह जाता है। हम अगरचे मूरतों और तस्वीरी बुतों को अपना कारसाज़ नहीं समझते, मगर ये मादी सामान और असबाब व यंत्र भी हमारे लिये बुतों से कम नहीं, जिनकी फ़िक्रों में हम ऐसे गुम हैं कि खुदा तआला और उसकी कामिल कुदरत की तरफ़ कभी ध्यान नहीं होता।

हादसों और मुसीबतों का असली इलाज

हम हर बीमारी में सिर्फ़ डॉक्टरों और दवाओं को और हर तूफ़ान और सैलाब के वक़्त सिर्फ़ मादी सामानों को अपना कारसाज़ समझकर उसी की फ़िक्र में ऐसे गुम हो जाते हैं कि मालिके कायनात की तरफ़ ध्यान तक नहीं जाता। हालाँकि कुरआन मजीद ने बार-बार स्पष्ट अलफ़ाज़ में यह बयान फरमाया है कि दुनिया की मुसीबतें और हादसे उमूमन इन्सानों के बुरे आमाल के परिणामों और आखिरत की सज़ा का हल्का सा नमूना होते हैं। और इस लिहाज़ से ये मुसीबतें मुसलमानों के लिये एक तरह की रहमत होते हैं, कि उनके जरिये ग़ाफ़िल इन्सानों को चौंकाया जाता है, ताकि वे अब भी अपने बुरे आमाल का जायज़ा लेकर उनसे बाज़ आने की फ़िक्र में लग जायें, और आखिरत की बड़ी और सख़्त सज़ा से बच जायें। इसी मज़मून के लिये कुरआन करीम का इरशाद है:

وَلَنُذِيقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“यानी हम लोगों को थोड़ा सा अज़ाब करीब दुनिया में चखा देते हैं आखिरत के बड़े

अज़ाब से पहले, ताकि वे अपनी ग़फ़लत और बुराईयों से बाज़ आ जायें।”

कुरआन मजीद की एक आयत में इरशाद है:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ.

“यानी जो मुसीबत तुमको पहुँचती है वह तुम्हारे बुरे आमाल का नतीजा है, और बहुत से बुरे आमाल को अल्लाह तआला माफ़ फ़रमा देते हैं।” (सूर: शूरा)

इस आयत के बयान में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि:

“क़सम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि किसी इन्सान को जो किसी लकड़ी से मामूली ख़राश लगती है, या क़दम को कहीं ठोकर लग जाती है, या किसी नस में दर्द हो जाता है, यह सब किसी गुनाह का असर होता है, और जो गुनाह अल्लाह तआला माफ़ फ़रमा देते हैं वो बहुत हैं।”

काज़ी बैज़ावी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि इससे मुराद यह है कि मुज़रिमों और गुनाहगारों को जो बीमारियाँ और आफ़तें पेश आती हैं वो सब गुनाहों के आसार होते हैं, और जो लोग गुनाहों से बचे हुए या सुरक्षित हैं उनकी बीमारियाँ और आफ़तें उनके सब्र व जमाव के इस्तिहान और जन्नत के बुलन्द दर्जे अता करने के लिये होते हैं।

खुलासा यह है कि आम इन्सान जो गुनाहों से ख़ाली नहीं उनको जो भी बीमारियाँ और हादसे व मुसीबतें या तकलीफ़ें और परेशानियाँ पेश आती हैं वो सब गुनाहों के परिणाम और आसार हैं।

इसी से यह भी मालूम हो गया कि तमाम मुसीबतों और परेशानियों का और हर किस्म के हादसों और आफ़तों का असली और वास्तविक इलाज यह है कि अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ़ रुजू किया जाये, पिछले गुनाहों से इस्तिग़फ़ार और आईन्दा उनसे परहेज़ करने का पुख़्ता इरादा करें, और अल्लाह तआला ही से मुसीबतों के दूर होने की दुआ करें।

इसके यह भायने नहीं कि मादी असबाब दया, इलाज और मुसीबतों से बचने की मादी तदबीरें बेकार हैं, बल्कि मतलब यह है कि असल कारसाज़ हक़ तआला को समझें और मादी असबाब को भी उसी का इनाम समझकर इस्तेमाल करें कि सब असबाब और यंत्र व उपकरण उसी के पैदा किये हुए हैं, और उसी की अज़ा की हुई नेमतें हैं, और उसी के हुक़म और मर्ज़ी के ताबे होकर इन्सान की ख़िदमत करते हैं। आग, हवा, पानी, मिट्टी और दुनिया की तमाम ताकतें सब अल्लाह तआला के फ़रमान के अधीन हैं, बग़ैर उसके इरादे के न आग जला सकती है, न पानी बुझा सकता है, न कोई दवा नफ़ा दे सकती है न कोई ग़िज़ा नुक़सान पहुँचा सकती है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ख़ूब फ़रमाया है:

खाक व बाद व आब व जातिश बन्दा अन्द

बा मन व तू मुर्दा, बा हक़ जिन्दा अन्द

(यानी आग पानी मिट्टी हवा सब अपने काम में लगे हुए हैं। अगरचे ये हमें बेजान और

मुर्दा नज़र आते हैं मगर अल्लाह तआला ने इनके मुनासिब इन सब को ज़िन्दगी और एहतास दिया है। (मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी)

तजुर्वा गवाह है कि जब इनसान अल्लाह तआला से ग़ाफ़िल होकर सिर्फ़ मादी सामानों के पीछे पड़ जाता है तो जैसे-जैसे ये सामान बढ़ते हैं परेशानियाँ और मुसीबतें और बढ़ती हैं।

मर्ज़ बढ़ता गया जूँ-जूँ दवा की

व्यक्तिगत तौर पर किसी दवा या इंजेक्शन का किसी वक़्त मुफ़ीद साबित होना या किसी मादी तदबीर का कामयाब हो जाना ग़फ़लत व नाफ़रमानी के साथ भी मुम्किन है, लेकिन जब मजमूई हैसियत से पूरी मख़्लूक़े खुदा के हालात का जायज़ा लिया जाये तो ये सब चीज़ें नाकाम नज़र आती हैं। मौजूदा ज़माने में इनसान को राहत पहुँचाने और उसकी हर तकलीफ़ को दूर करने के लिये कैसे-कैसे उपकरण और सामान ईजाद किये गये हैं और किये जा रहे हैं कि अब से पचास साल पहले के इनसान को इनका वहम व गुमान भी न हो सकता था। बीमारियों के इलाज के लिये नई-नई तेज़ असर वाली दवायें और तरह-तरह के इंजेक्शन और बड़े-बड़े माहि डॉक्टर और उनके लिये जगह-जगह अस्पतालों की अधिकता कौन नहीं जानता कि अब से पचास-साठ बरस पहले का इनसान इन सबसे मेहरूम था, लेकिन मजमूई हालात का जायज़ा लिया जाये तो इन उपकरणों व सामान से मेहरूम इनसान इतना बीमार और कमज़ोर न था जितना आज का इनसान बीमारियों का शिकार है।

इसी तरह आज आम बवाओं के लिये तरह-तरह के टीके मौजूद हैं, हादसों से इनसान को बचाने के लिये आग बुझाने वाले इंजन और मुसीबत के वक़्त फ़ौरी इत्तिला और फ़ौरी इमदाद के ज़रिये और सामान की फ़रावानी है, लेकिन जितना-जितना यह मादी सामान बढ़ता जाता है इनसान हादसों और आफ़तों का शिकार पहले से ज़्यादा होता जाता है। वजह इसके सिवा नहीं कि पिछले दौर में ख़ालिके कायनात से ग़फ़लत और खुली नाफ़रमानी इतनी न थी कि जितनी अब है। वे राहत के सामान को खुदा तआला का अतीया (दिया हुआ) समझकर शुक्रगुज़ारी के साथ इस्तेमाल करते थे, और आजका इनसान बगावत के साथ इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिये उपकरणों और सामान की अधिकता इसको मुसीबत से नहीं बचाती।

खुलासा यह है कि मुसलमानों को मुशिरकों के इस वाकिए से सीख हासिल करनी चाहिये कि मुसीबत के वक़्त वे भी खुदा ही को याद करते थे, मोमिन का काम यह है कि अपनी तमाम मुसीबतों और तकलीफ़ों को दूर करने के लिये मादी सामान और तदबीरों से ज़्यादा अल्लाह तआला की तरफ़ रुजू करे, वरना अन्जाम वही होगा जो रोज़ाना देखने में आ रहा है, कि तदबीर मजमूई हैसियत से उल्टी पड़ती है। सैलाबों को रोकने और उनके नुक़सानात से बचने की हजार तदबीरों की जाती हैं मगर वो आते हैं और बार-बार आते हैं। बीमारियों के इलाज की नई-नई तदबीरों की जाती हैं मगर बीमारियाँ रोज़-बरोज़ बढ़ती जाती हैं। चीज़ों की महंगाई को ख़त्म करने के लिये हजारों तदबीरों की जाती हैं और वो देखने में प्रभावी भी मालूम होती हैं लेकिन मजमूई हैसियत से नतीजा यह है कि महंगाई रोज़-बरोज़ बढ़ती जाती है। चोरी, डकैती

अग्वा, रिश्कत लेने, चोर बाजारी को रोकने के लिये कितनी माही तदबीरें आज हर हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, मगर हिसाब लगाईये तो हर रोज़ इन अपराधों में इजाफ़ा होता नज़र आता है। काश आज का इन्सान सिर्फ़ व्यक्तिगत, ऊपरी और सरसरी नफ़े नुक़सान के स्तर से ज़रा ऊपर होकर हालात का जायज़ा ले तो उसको साबित होगा कि मजमूई हैसियत से हमारी माही तदबीरें सब नाकाम हैं बल्कि हमारी मुसीबतों में इजाफ़ा कर रही हैं। फिर इस कुरआनी इलाज पर नज़र करे कि मुसीबतों से बचने की सिर्फ़ एक ही राह है, कि ख़ालिके कायनात की तरफ़ हज़ू किया जाये, माही तदबीरों को भी उसी की अता की हुई नेमत के तौर पर इस्तेमाल किया जाये, इसके सिवा सलामती की कोई सूरत नहीं।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ
شَيْعًا وَيُزَيِّقَ بَعْضَكُمْ بِأَسْبَعْضٍ ۚ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۖ وَكَذَّبَ بِهِ
قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۗ لِكُلِّ نَبِيٍّ مِّمَّا تَسْتَقِرُّنَّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ

कुल् हुवल-कादिरु अला अय्यबुअ-स
अलैकुम् अजाबम् मिन् फौकिकुम्
औ मिन् तस्ति अरजुलिकुम् औ
यल्बि-सकुम् शि-यअंव-व युज़ी-क
बअज़कुम् बअ-स बअज़िन्, उन्जुर
कै-फ़ नुसरिफुल्-आयाति लअल्लहुम्
यफ़कहून (65) व कज़-ब बिही
कौमु-क व हुवलहक्कु, कुल् लस्तु
अलैकुम् बि-वकील (66) लिकुल्लि
न-बइम् मुस्तकररुंव-व सौ-फ़
तअलमून (67)

तू कह- उसी को कुदरत है इस पर कि
भेजे तुम पर अजाब ऊपर से या तुम्हारे
पाँव के नीचे से, या भिड़ा दे तुमको
अलग-अलग फिकें करके और चखा दे एक
को लड़ाई एक की, देख किस-किस तरह
से हम बयान करते हैं आयतों को ताकि
वे समझ जायें। (65) और उसको झूठ
बतलाया तेरी कौम ने हालाँकि वह हक
है। तू कह दे कि मैं नहीं तुम पर दारोगा।
(66) हर एक ख़बर का एक निर्धारित
वक़्त है और करीब है कि उसको जान
लोगे। (67)

खुलासा-ए-तफ्सीर

आप (यह भी) कहिए कि (जिस तरह वह निजात देने पर कादिर है उसी तरह) इस पर भी
वही कादिर है कि तुम पर (तुम्हारे कुफ़ व शिर्क की वजह से) कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज
दे (जैसे पत्थर या हवा या तूफ़ानी बारिश), या तुम्हारे पाँव तले (जो ज़मीन है उस) से, (ज़ाहिर
कर दे, जैसे जलजला या गर्क हो जाना, और इन अजाबों के करीबी असबाब तो अल्लाह के

सिवा किसी के इख्तियार में नहीं, कभी न कभी ऐसा होगा चाहे दुनिया में या आखिरत में) या कि तुमको (स्वार्थों के भिन्न होने की वजह से अलग-अलग) गिरोह-गिरोह करके सब को (आपस में) भिड़ा दे (यानी लड़वा दे), और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई (के जरिये मज़ा) चखा दे। (और इसका करीबी सबब इख्तियारी काम है, और या सब आफतें जमा कर दे। गर्ज कि निजात देना और अज़ाब में मुब्तला करना दोनों उसी की कुदरत में हैं। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) आप देखिए तो सही हम किस (किस) तरह (तौहीद की) दलीलों को मुख़ालिफ़ पहलुओं से बयान करते हैं, शायद वे (लोग) समझ जाएँ। और (अल्लाह तआला के अज़ाब देने पर कादिर होने और कुफ़्र व शिर्क के अज़ाब का सबब होने को जानने के बावजूद) आपकी कौम (कुरैश और अरब भी) उस (अज़ाब) को झुठलाते हैं (और उसके उत्पन्न व ज़ाहिर न होने के मोतकिद हैं) हालाँकि वह यकीनी (तौर पर ज़ाहिर होने वाला) है। (और इसको सुनकर वे यूँ कह सकते हैं कि कब होगा तो) आप (यूँ) कह दीजिए कि मैं तुम पर (अज़ाब लाने के लिये) तैनात नहीं किया गया हूँ (कि मुझको विस्तृत इत्तिला हो या मेरे इख्तियार में हो, अलबत्ता) हर ख़बर (की निशानी) के ज़ाहिर होने का एक वक़्त (अल्लाह के इल्म में निर्धारित) है, और जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा (कि यह अज़ाब आया)।

मअरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में अल्लाह जल्ल शानुहू के बेहिसाब इल्म और बेमिसाल कुदरत का यह असर ज़िक्र हुआ था कि हर इनसान की हर मुसीबत को वही दूर कर सकता है, और मुसीबत के वक़्त जो उसको पुकारता है वह अल्लाह तआला की इमदाद अपनी आँखों के सामने देखता है। क्योंकि उसको तमाम कायनात पर कुदरत भी कामिल है और तमाम मख़्लूक पर रहमत भी कामिल, उसके सिवा न किसी को कामिल कुदरत हासिल है और न तमाम मख़्लूक पर रहमत व शफ़कत।

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में कामिल कुदरत के दूसरे रुख़ का बयान है कि जैसे अल्लाह तआला की कुदरत में यह है कि कोई अज़ाब कोई मुसीबत और कैसी ही बड़ी से बड़ी आफ़त हो उसको टाल सकता है, इसी तरह उसको इस पर भी कुदरत हासिल है कि जब किसी फ़र्द या जमाअत को उसकी सरकशी की सज़ा और अज़ाब में मुब्तला करना चाहे तो हर किस्म का अज़ाब उसके लिये-आसान है। किसी मुजरिम को सज़ा देने के लिये दुनिया के हाकिमों की तरह उसको न किसी पुलिस और फ़ौज की हाजत है और न किसी मददगार की ज़रूरत। इसी मज़मून को इस तरह बयान फ़रमाया है:

هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّعْتَبَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبَسَكُمْ سِيعًا

यानी अल्लाह तआला इस पर भी कादिर है कि भेज दे तुम पर कोई अज़ाब तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पाँव तले से, या तुम्हें विभिन्न पार्टियों में बाँटकर आपस में भिड़ा दे और एक को दूसरे के हाथ से अज़ाब में हलाक कर दे।

अल्लाह के अज़ाब की तीन किस्में

यहाँ अल्लाह के अज़ाब की तीन किस्मों का जिक्र है- एक जो ऊपर से आये, दूसरे जो नीचे से आये, तीसरे जो अपने अन्दर से फूट पड़े। फिर लफ़्ज़ "अज़ाबन" से इस जगह अरबी ग्रामर के एतिबार से इस पर भी सचेत कर दिया कि इन तीनों किस्मों में भी अनेक और विभिन्न किस्में और सूरतें हो सकती हैं।

मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया कि ऊपर से अज़ाब आने की मिसालें पिछली उम्मतों में बहुत सी गुज़र चुकी हैं, जैसे कौमे नूह पर बारिश का सख़्त सैलाब आया और कौमे आद पर तूफ़ान का तूफ़ान मुसल्लत हुआ, और कौमे लूत पर ऊपर से पत्थर बरसाये गये, आले फ़िरऔन पर खून और मेंढक वगैरह बरसाये गये, अस्थाबे फ़ील ने जब मक्का पर चढ़ाई की तो परिन्दों के ज़रिये उन पर ऐसी कंकरें बरसाई गयीं जिनसे वे सबके सब खाये हुए भूसे की तरह होकर रह गये।

इसी तरह नीचे से आने वाले अज़ाब की भी पिछली कौमों में अनेक सूरतें गुज़र चुकी हैं। कौमे नूह पर तो ऊपर का अज़ाब तूफ़ान, बारिश के साथ और नीचे का अज़ाब ज़मीन का पानी उबलना शुरू हो गया। गर्ज कि ऊपर और नीचे के दोनों अज़ाब में एक ही वक़्त में गिरफ़्तार हो गये, और कौमे फ़िरऔन पाँव तले के अज़ाब में गर्क की गयी। क़ारून भी मय अपने खज़ानों के इसी अज़ाब में गिरफ़्तार हुआ, और ज़मीन के अन्दर धंस गया।

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और मुजाहिद रह. वगैरह तफ़सीर के तफ़्सीरों ने फ़रमाया कि ऊपर के अज़ाब से मुराद यह है कि ज़ालिम बादशाह और बेरहम हाकिम मुसल्लत हो जायें, और नीचे के अज़ाब से मुराद यह है कि अपने नौकर, गुलाम और खिदमत करने वाले या मातहत मुलाज़िम बेवफ़ा, ग़दार, कामचोर, बददियानती और ख़ियानत करने वाले बर्बाद हो जायें।

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चन्द इरशादात से भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की इस तफ़सीर की ताईद होती है। मिश्कात शरीफ़ में शुअबुल-ईमान इब्ने क़ैसी के हवाले से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद मन्कूल है:

كَمَا تَكُونُونَ كَذَلِكَ يَوْمَ عَالِيكُمْ

"यानी जैसे तुम्हारे आमाल भले या बुरे होंगे वैसे ही हाकिम और अमीर तुम पर मुसल्लत किये जायेंगे।"

अगर तुम नेक और अल्लाह तआला के फ़रमाँबरदार होंगे तो तुम्हारे हाकिम व अमीर भी नेक-दिल, इन्साफ़-पसन्द होंगे, और तुम बुरे अमल वाले होंगे तो तुम पर हाकिम भी बेरहम और ज़ालिम मुसल्लत कर दिये जायेंगे। अरबी की मशहूर कहावत 'अअ्मालुकुम उम्पालुकुम' का यही मतलब है।

और मिश्कात शरीफ़ में "हिल्या अबी नुऐम" के हवाले से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

“अल्लाह तआला फ़रमाता है कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैं सब बादशाहों का मालिक और बादशाह हूँ। सब बादशाहों के दिल मेरे हाथ में हैं, जब मेरे बन्दे मेरी इताअत करते हैं तो मैं उनके बादशाहों और हाकिमों के दिलों में उनकी शफ़क़त व रहमत डाल देता हूँ। और जब मेरे बन्दे मेरी नाफ़रमानी करते हैं तो मैं उनके हाकिमों के दिल उन पर सख़्त कर देता हूँ। वे उनको हर तरह का बुरा अज़ाब चखाते हैं। इसलिये तुम हाकिमों और अमीरों को बुरा कहने में अपने समय को ज़ाया न करो, बल्कि अल्लाह तआला की तरफ़ रुजू और अपने अमल के सुधार की फ़िक्र में लग जाओ, ताकि तुम्हारे सब कामों को दुरुस्त कर दे।”

इसी तरह अबू दाऊद, नसाई में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

“जब अल्लाह तआला किसी अमीर और हाकिम का भला चाहते हैं तो उसको अच्छा वज़ीर और अच्छा नायब दे देते हैं कि अगर अमीर से कुछ भूल हो जाये तो वह उसको याद दिला दे, और जब अमीर सही काम करे तो वह उसकी मदद करे। और जब किसी हाकिम व अमीर के लिये कोई बुराई मुक़द्दर होती है तो बुरे आदमियों को उसके सहयोगी व सलाहकार और मातहत बना दिया जाता है।” (हदीस)

इन रिवायतों और ज़िक्र हुई आयत की उपर्युक्त तफ़सीर का हासिल यह है कि इनसान को जो तकलीफ़ें और मुसीबतें अपने हाकिमों के हाथों पहुँचती हैं, वह ऊपर से आने वाला अज़ाब है, और जो अपने मातहतों और मुलाज़िमों के ज़रिये पहुँचती हैं वह नीचे से आने वाला अज़ाब है। ये सब कोई इत्तिफ़ाकी हादसे नहीं होते बल्कि एक क़ानूने इलाही के ताबे इनसान के आमाल की सज़ा होते हैं। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि जब मुझसे कोई गुनाह हो जाता है तो मैं उसका असर अपने नौकर और अपनी सवारी के घोड़े और बोग़ उठाने वाले गधे के मिज़ाज में महसूस करने लगता हूँ कि ये सब मेरी नाफ़रमानी करने लगते हैं। मौलाना रूमी रह. ने फ़रमाया कि:

खल्क़ रा बा तू चुनीं बदखू कुन्द

ता तुरा नाचार रू आँ सू कुन्द

यानी अल्लाह तआला दुनिया में तुम्हारे ऊपर हुकूमत व इख़्तियार रखने वाले हाकिमों या मातहत मुलाज़िमों के ज़रिये तुम्हारे खिलाफ़े मिज़ाज, तकलीफ़देह मामलात का ज़ाहिरी अज़ाब तुम पर मुसल्लत करके दर हकीकत तुम्हारा रुख़ अपनी तरफ़ फेरना चाहते हैं, ताकि तुम होशियार हो जाओ और अपने आमाल को दुरुस्त करके आख़िरत के बड़े अज़ाब से बच जाओ।

खुलासा यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तफ़सीर के मुताबिक़ हाकिमों का जुल्म व ज़्यादती ऊपर से आने वाला अज़ाब है, और मातहत मुलाज़िमों की बेईमानी, कामचोरी, ग़दारी, नीचे से आने वाला अज़ाब है। और दोनों का इलाज एक ही है

कि सब अपने-अपने आमाल का जायजा लें और अल्लाह तआला की नाफरमानी और ग़लत रास्ते पर चलने से बाज़ आ जायें तो कुदरत खुद ऐसे हालात पैदा कर देगी कि यह मुसीबत दूर हो, वरना सिर्फ़ माद्दी तदबीरों के ज़रिये इनके सुधार की उम्मीद अपने नफ़्स को धोखा देने के सिवा कुछ नहीं, जिसका तजुर्बा हर वक़्त हो रहा है।

ऊपर और नीचे के अज़ाब की जो अनेक तफ़सीरें आपने अभी सुनी हैं दर हकीकत उनमें कोई इख़्तिलाफ़ (भिन्नता और टकराव) नहीं, क्योंकि लफ़ज़ "अज़ाबन" जो इस आयत में आया है दर हकीकत इन तमाम तफ़सीरों पर हावी है। आसमान से बरसने वाले पत्थर, खून, आग और पानी का सैलाब और आला हाकिमों का जुल्म व ज़्यादती, ये सब ऊपर से आने वाले अज़ाब में दाख़िल हैं, और ज़मीन फटकर किसी कौम का उसमें धंस जाना या पानी ज़मीन से उबल कर गर्क हो जाना, या मातहत मुलाज़िमों के हाथों मुसीबत में मुब्तला हो जाना, ये सब नीचे से आने वाले अज़ाब हैं।

अज़ाब की तीसरी किस्म जो इस आयत में ज़िक्र की गयी है वह यह है:

أَوَّلِيَّكُمْ شِيَعًا.

यानी तुम्हारी विभिन्न और अनेक पार्टियाँ बनकर आपस में भिड़ जायें, और आपस में एक दूसरे के लिये अज़ाब बन जायें। इसमें लफ़ज़ "थलिब-सकुम" लबि-स से बना है, जिसके असली मायने छुपा लेने और ढाँप लेने के हैं। इसी मायने में लिबास उन कपड़ों को कहा जाता है जो इनसान के बदन को ढाँप लें। और इसी वजह से 'इलिबास' शुब्हे व संदेह के मायने में इस्तेमाल होता है, जहाँ किसी कलाम की मुराद छुपी हो, साफ़ और स्पष्ट न हो।

और लफ़ज़ "शि-य-अ" "शीअतुन" की जमा (बहुवचन) है, जिसके मायने हैं किसी का पैरो और ताबे। कुरआन मजीद में है:

وَأَنَّ مِنْ شِيَعِهِ لِابْرَاهِيمَ.

"यानी नूह अलैहिस्सलाम के नक़्शे क़दम पर चलने वाले हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम।"

इसी लिये आम बोलचाल और मुहावरे में लफ़ज़ शिया ऐसी जमाअत के लिये बोला जाता है जो किसी खास गर्ज के लिये जमा हों, और उस गर्ज में एक दूसरे के मददगार हों, जिसका मुहावरे वाला तर्जुमा आजकल की भाषा में फ़िर्का या पार्टी है।

इसी लिये आयत का तर्जुमा यह हो गया कि अज़ाब की एक किस्म यह है कि कौम अनेक और विभिन्न पार्टियों में बंटकर आपस में भिड़ जाये, इसी लिये जब यह आयत ज़ाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह-सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुसलमानों को खिताब करके फ़रमाया:

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

"यानी तुम मेरे बाद फिर काफ़िरों जैसे न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगे।"

(इब्ने अबी हातिम, हज़रत ज़ैद बिन असलम की रिवायत से, तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ जा रहे थे। हमारा गुजर वनू मुआविया की मस्जिद पर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मस्जिद में तशरीफ ले गये और दो रकअत नमाज़ पढ़ी। हमने भी दो रकअत अदा की। उसके बाद आप दुआ में मशगूल हो गये और बहुत देर तक दुआ करते रहे, उसके बाद इरशाद फरमाया कि मैंने अपने रब से तीन चीजों का सवाब किया- एक यह कि मेरी उम्मत को गर्क करके हलाक न किया जाये, अल्लाह तआला ने वह दुआ कुबूल फरमाई। दूसरे यह कि मेरी उम्मत को सूखे और भूख के जरिये हलाक न किया जाये, यह भी कुबूल फरमा ली। तीसरी दुआ यह कि मेरी उम्मत आपस के जंग व झगड़े में तबाह न हो, मुझे इस दुआ से रोक दिया गया। (तफसीरे मजहरी, तफसीरे बगवी के हवाले से)

इसी मजमून की एक हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है जिसमें तीन दुआओं में से एक दुआ यह है कि मेरी उम्मत पर किसी दुश्मन को मुसल्लत न फरमा दे जो सबको तबाह व बरबाद कर दे। यह दुआ कुबूल हुई, और आपस में न भिड़ जाये इस दुआ को मना कर दिया गया।

इन रिवायतों से साबित हुआ कि उम्मते मुहम्मदिया पर उस किसम के अज़ाब तो न आयें जैसे पिछली उम्मतों पर आसमान या ज़मीन से आये, जिससे उनकी पूरी कौम तबाह व बरबाद हो गयी। लेकिन एक अज़ाब दुनिया में इस उम्मत पर भी आता रहेगा, वह अज़ाब आपस की लड़ाई-झगड़े और फ़िर्कों और पार्टियों का आपस में भिड़ना है। इसी लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उम्मत को फ़िर्कों और पार्टियों में बंटकर आपसी टकराव और जंग व जदल से मना करने में इन्तिहाई ताक़ीद से काम लिया है, और हर मौक़े पर इससे डराया है कि तुम पर खुदा तआला का अज़ाब इस दुनिया में अगर आयेगा तो आपस ही की जंग व जदल (लड़ाई-झगड़े) के जरिये आयेगा।

सूर: हूद की एक आयत में यह मजमून और भी ज़्यादा वज़ाहत से आया है:

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ

“यानी लोग हमेशा आपस में इख़िलाफ़ (विवाद) ही करते रहेंगे सिवाय उन लोगों के जिन्हें पर अल्लाह तआला ने रहमत फ़रमाई।” (सूर: हूद)

इससे बाज़ेह हुआ कि जो लोग आपस में (बिना शर्ई वजह के) इख़िलाफ़ (झगड़ा और विवाद) करते हैं वे अल्लाह की रहमत से मेहरूम या दूर हैं।

एक आयत में इरशाद है:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

दूसरी आयत में इरशाद है:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا

इन तमाम आयतों और रिवायतों का हासिल यह है कि इख़िलाफ़ (झगड़ा और विवाद) बड़ी मन्हूस और बुरी चीज़ है। आज दीनी और दुनियावी हर हैसियत से मुसलमानों की पस्ती और

वस्वादी के कारणों पर गौर किया जाये तो अक्सर मुसीबतों का सबब यही आपस का इख़िलाफ़ और बिखराव नज़र आयेगा। हमारी बंद-आमालियों के नतीजे में यह अज़ाब हम पर मुसल्लत हो गया कि वह कौम जिसकी एकता का मर्कज़ और केन्द्र एक कलिमा यानी 'ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुरसूलुल्लाह' था। इस कलिमे को मानने वाला ज़मीन के किसी खिल्ले में हो, किसी भाषा का बोलने वाला हो, किसी रंग का हो, किसी नस्ल व खानदान से मुताल्लिक हो, सब भाई-भाई थे। पहाड़ व दरिया की कठिन मन्ज़िलें उनकी एकता में बाधा न थीं, नसब व खानदान, रंग व भाषा का भेद उनमें राह में रुकावट न था, उनकी कौमो एकता सिर्फ़ इस कलिमे से जुड़ी थी। अरबी, मिस्री, शामी, तुर्की, हिन्दी, चीनी की तर्सीमें सिर्फ़ पहचान और परिचय के लिये थीं और कुछ नहीं। बकौल इक़बाल मरहूम के:

दुर्वेश-ए-खुदा मस्त, न शरकी है न ग़रबी
घर उसका न दिल्ली न सफ़ाहान न समरकन्द

आज दूसरी कौमों की साज़िशों, मक्कारियों और लगातार कोशिशों ने फिर उनको नस्ली, भाषाई और वतनी कौमियतों में बाँट दिया, और फिर उनमें से भी हर एक कौम व जमाअत अपने अन्दर भी बिखराव और फूट का शिकार होकर अनेक पार्टियों में बंट गयी। वह कौम जिसका चलन और पहचान गैरों से भी माफ़ी व दरगुज़र और कुरबानी था और झगड़े से बचने के लिये अपने बड़े से बड़े हक़ को छोड़ देती थी, आज इसके बहुत से अफ़राद ज़रा-ज़रा सी घटिया व ज़लील इच्छाओं के पीछे बड़े से बड़े ताल्लुक़ को कुरबान कर देते हैं। यही वह स्वार्थ और इच्छाओं का इख़िलाफ़ (झगड़ा) है जो कौम व मिल्लत के लिये मन्हूस और इस दुनिया में नक़द अज़ाब है।

हैं इस जगह यह समझ लेना भी ज़रूरी है कि वह इख़िलाफ़ (विवाद और मतभेद) जिसको कुरआन में अल्लाह का अज़ाब और रहमते खुदावन्दी से मेहरूमी फ़रमाया गया है, वह वह इख़िलाफ़ है जो उसूल और अक़ीदों में हो या नफ़्सानी इच्छाओं और स्वार्थों की वजह से हो। इसमें वह मतभेद दाख़िल नहीं जो कुरआन व सुन्नत के बतलाये हुए इज्तिहादी उसूल के मातहत ऊपर के मसाईल में उम्मत के फ़ुकहॉ (मसाईल के माहिर उलेमा) के अन्दर पहली सदी हिजरी से सहाबा व ताबिईन में होता चला आता है। जिनमें दोनों पक्षों की हुज्जत कुरआन व सुन्नत और इजमा (उम्मत की किसी मसले पर सर्वसम्मति) से है, और हर एक की नीयत कुरआन व सुन्नत के अहक़ाम की तामील है; मगर कुरआन व सुन्नत के संक्षिप्त और अस्पष्ट अलफ़ाज़ की ताबीर और उनसे आंशिक और निकलने वाले मसाईल के समझने, वज़ाहत करने और अहक़ाम निकालने में इस सिलसिले की कोशिश व राय का इख़िलाफ़ (मतभेद) है। ऐसे ही इख़िलाफ़ को एक हदीस में रहमत फ़रमाया गया है।

किताब 'जामे सगीर' में नसर मक्दसी, बैहकी और इमामुल-हरमैन के हवाले से यह रिवायत नक़ल की गयी है:

اِخْتِلَافٌ اَنْبِيَّيْ رَحْمَةٌ

कि "मेरी उम्मत का इख़िलाफ़ रहमत है।"

उम्मते मुहम्मदिया की विशेषता इसलिये इख़्तियार फ़रमाई गयी कि इस उम्मत के सच्चे उलेमा और मुत्तकी फ़ुक़हा में जो इख़िलाफ़ (मतभेद) होगा वह हमेशा कुरआन व सुन्नत के उसूलों के मातहत होगा, और सच्ची नीयत और इख़्लास के साथ होगा। माल व ओहदे और मर्तबे की कोई नफ़्सानी गर्ज उनके इख़िलाफ़ का सबब न होगी। इसलिये वह किसी जंग व जदल (लड़ाई-झगड़े) का सबब भी न बनेगा, बल्कि अल्लामा अब्दुरऊफ़ मुनावी व्याख्यापक जामे सगीर की तहकीक़ के मुताबिक़ उम्मत के फ़ुक़हा के विभिन्न और अनेक मस्लकों (विचारधाराओं) का वह दर्जा होगा जो पहले ज़माने में नबियों की मुख़लिफ़ शरीअतों का था, कि अलग-अलग होने के बावजूद सब की सब अल्लाह ही के अहकाम थे। इसी तरह उम्मत के मुत्तहिदीन के विभिन्न और अलग-अलग मस्लक कुरआन व सुन्नत के उसूलों के मातहत होने की वजह से सब के सब खुदा और रसूल ही के अहकाम कहलायेंगे।

इस इज्तिहादी इख़िलाफ़ (वैचारिक मतभेद) की भिसाल महसूस चीज़ों में ऐसी है जैसे शहर की बड़ी सड़कों को चलने वालों की आसानी के लिये विभिन्न हिस्सों में बाँट दिया जाता है। एक हिस्से पर बसें चलती हैं, दूसरे पर दूसरी गाड़ियाँ या ट्राम। इसी तरह साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों के लिये रोड का अलग एक हिस्सा होता है, एक रोड की कई हिस्सों में यह तकसीम भी अगरचे ज़ाहिरी तौर पर एक इख़िलाफ़ (भिन्नता और अलग-अलग होने) की सूत है, मगर चूँकि सब का रुख़ एक ही दिशा में है और हर एक पर चलने वाला एक ही मन्ज़िले मक़सूद पर पहुँचेगा, इसलिये रास्तों का यह इख़िलाफ़ (अलग-अलग होना) बजाय नुक़सानदेह होने के मुफ़ीद और चलने वालों के लिये गुंजाईश व रहमत है।

यही वजह है कि मुत्तहिद इमामों और फ़ुक़हा-ए-उम्मत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि उनमें से किसी का मस्लक बातिल (ग़ैर-हक़) नहीं, और जो लोग उसकी पैरवी करते हैं, उनको दूसरों के नज़दीक गुनाहगार कहना जायज़ नहीं। मुत्तहिद इमामों और फ़ुक़हा-ए-उम्मत के मज़हबों के इख़िलाफ़ (भिन्नता) का हासिल इससे ज़्यादा नहीं कि एक मुत्तहिद ने जो मस्लक इख़्तियार किया है वह उसके नज़दीक राजेह (वरीयता प्राप्त) है, मगर उसके मुक़ाबिल दूसरे मुत्तहिद के मस्लक को भी वह बातिल नहीं कहते, बल्कि एक दूसरे का पूरा सम्मान व आदर करते हैं। दीनी मसाईल के माहिर सहाबा व ताबिईन और चारों इमामों के बेशुमार हालात व वाकिआत इस पर गवाह और सबूत हैं कि फ़िक्ही मस्लक बहुत से मसाईल में अलग और भिन्न होने और इल्मी बहसों जारी रहने के बावजूद एक दूसरे का मुक़म्मल एतिक़ाद व एहतियाम करते थे। लड़ाई-झगड़े और दुश्मनी व अदावत का वहाँ कोई शुब्हा व गुमान ही न था। फ़ुक़हा के मज़हबों के मानने और अनुसरण करने वालों में भी जहाँ तक सही इल्म व दयान्त रहे उनके भी आपसी मामलात ऐसे ही रहे।

यह इख़िलाफ़ (मतभेद) है जो रहमत ही रहमत और लोगों के लिये गुंजाईश व सहूलत का ज़रिया और बहुत से मुफ़ीद परिणामों का हासिल है। और हकीक़त यही है कि ऊपर के अहकाम

में राबियों का इख़िलाफ़ जहाँ तक अपनी हद के अन्दर रहे वह कोई नुक़सानदेह वीज़ नहीं, बल्कि मसले के विभिन्न और अनेक पहलुओं को खोलने और सही नतीजे पर पहुँचने में मददगार है, और जहाँ सच्चाई परस्त और समझदार अक्लमन्द जमा होंगे वहाँ यह मुम्किन ही नहीं कि किसी मसले में उनका इख़िलाफ़ (मतभेद) न हो। ऐसा क़ानून या तो बेअक्लों में हो सकता है जिनको कोई समझ-बूझ न हो, या बेदीनों में हो सकता है जो किसी पार्टी वगैरह की रियायत से अपने ज़मीर (विवेक) के ख़िलाफ़ राय में इत्तिफ़ाक़ का इज़हार करें।

राय का इख़िलाफ़ (मतभेद) जो अपनी हदों के अन्दर हो, यानी कुरआन व सुन्नत के क़तई और एतिकादी मसाईल और क़तई अहक़ाम में न हो, सिर्फ़ ऊपर के ग़ौर व फ़िक्र के मसाईल में हो, जिनमें कुरआन व सुन्नत की तालीमात ख़ामोश या ग़ैर-स्पष्ट हैं, और वह भी लड़ाई-झगड़े और एक दूसरे को बुरा-भला कहने की हद तक न पहुँचे तो वह बजाय नुक़सानदेह होने के मुफ़ीद और एक नेमत व रहमत है। जैसे इस कायनात की तमाम चीज़ें शक़ल व सूरत, रंग व बू और ख़ासियत व लाभदायक होने में अलग-अलग और एक दूसरे से भिन्न हैं, हैवानों में लाखों अलग-अलग प्रजातियाँ, इन्सानों में मिज़ाजों और पेशों, काम-धंधों और रहन-सहन के तरीकों में भिन्नता, यह सब इस कायनात की रौनक बढ़ाने वाले और बेशुमार फ़ायदों के असबाब हैं।

बहुत से लोग जो इस हकीक़त से वाक़िफ़ नहीं वे इमामों के मज़हबों और उलेमा-ए-हक़ के फ़तवों में इख़िलाफ़ (मतभेद और भिन्नता) को भी अपमान की नज़र से देखते हैं। उनको यह कहते सुना जाता है कि उलेमा में इख़िलाफ़ है तो हम किधर जायें। हालाँकि बात बिल्कुल साफ़ है कि जिस तरह किसी बीमार के मामले में डॉक्टरों हकीमों का मतभेद होता है तो हर शख़्स यह मालूम करने की कोशिश करता है कि उनमें से फ़न्नी एतिबार से ज़्यादा माहिर और तज़ुर्बेकार कौन है, बस उसका इलाज करते हैं, दूसरे डॉक्टरों को बुरा नहीं कहते। मुक़दिमे के वकीलों में मतभेद हो जाता है तो जिस वकील को ज़्यादा काबिल और तज़ुर्बेकार जानते हैं उसके कहने पर अमल करते हैं, दूसरों को बुरा कहते नहीं फिरते। यही उसूल यहाँ होना चाहिये। जब किसी मसले में उलेमा के फ़तवे मुख़लिफ़ (अलग-अलग और भिन्न) हो जायें तो जहाँ तक संभव हो तहकीक़ करने के बाद जिस आलिम को इल्म और तक़वे में दूसरों से ज़्यादा और बेहतर समझें उसकी पैरवी करें और दूसरे उलेमा को बुरा-भला कहते न फिरें।

हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने 'आलामुल-मुवक्किईन' में नक़ल किया है कि माहिर मुफ़्ती का चयन और मतभेद की सूरत में उनमें से उस शख़्स के फ़तवे को तरज़ीह देना जो उसके नज़दीक़ इल्म और तक़वे में सबसे ज़्यादा हो, यह काम हर मामले वाले मुसलमान के जिम्मे खुद लाज़िम है। उसका काम यह तो नहीं कि उलेमा के फ़तवों में से किसी फ़तवे को तरज़ीह दे, लेकिन यह उसी का काम है कि मुफ़्तीयों और उलेमा में से जिसको अपने नज़दीक़ इल्म और इमानदारी के एतिबार से ज़्यादा बेहतर जानता है उसके फ़तवे पर अमल करे, मगर दूसरे उलेमा और मुफ़्तीयों को बुरा कहता न फ़िरे, ऐसा अमल करने के बाद अल्लाह के नज़दीक़ वह बिल्कुल बरी है, अगर हकीक़त में कोई ग़लती फ़तवा देने वाले से हो भी गयी तो उसका

वही जिम्मेदार है।

खुलासा-ए-कलाम यह है कि न हर इख़िलाफ़ पूरी तरह बुरा और न हर इत्तिफ़ाक़ बिना किसी शर्त के पसन्दीदा और मतलूब है। अगर चोर, डाकू, बागी एक जमाअत बनाकर आपस में एकजुट और सहमत हो जायें तो कौन नहीं जानता कि उनका यह इत्तिफ़ाक़ बुरा और क़ौम के लिये तबाही लाने वाला है, और उसके खिलाफ़ जो कोशिश व कार्रवाई अ़वाम या पुलिस वर्गों की तरफ़ से उस जमाअत की मुख़ालफ़त में होती है, तो उनके इत्तिफ़ाक़ से यह असहमति और मुख़ालफ़त हर अ़वलमन्द की नज़र में अच्छी और मुफ़ीद है।

मालूम हुआ कि ख़राबी राय के इख़िलाफ़ (मतभेद होने) में नहीं और न किसी एक राय पर अ़मल करने में है, बल्कि सारी ख़राबियाँ दूसरों के बारे में बदगुमानी और बुरा-भला कहने से पैदा आती हैं जो इल्म व ईमानदारी और सच्चाई की तलाश की कमी और अपने स्वार्थों व इच्छाओं की अधिकता का नतीजा होता है। और जब किसी क़ौम या जमाअत में यह सूरत पैदा हो जाती है तो उनके लिये यह रहमत का इख़िलाफ़ भी अ़ज़ाब के इख़िलाफ़ की सूरत में बदल जाता है, और मुसलमानों की पार्टियाँ बनकर एक दूसरे के खिलाफ़ जंग व जदल में और कई बार मार-काट तक में मुब्तला हो जाते हैं, और एक दूसरे के खिलाफ़ बुरा-भला कहने और दिल दुखाने वाली बातें कहने को तो मज़हब की हिमायत समझ लिया जाता है, हालाँकि मज़हब का इस हद से बढ़ने और ज़्यादाती से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि यह वही झगड़ा है जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सख़ी के साथ मना फ़रमाया है। सही हदीसों में इसको क़ौमों की गुमराही का सबब फ़रार दिया है। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

दूसरी आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बिरादरी यानी मक्का के क़ुरैश की हक़ की मुख़ालफ़त का ज़िक़्र करके हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह हिदायत फ़रमाई गयी कि ये लोग जो आप से अ़ज़ाब के आने का निर्धारित वक़्त पूछते हैं, आप इनसे फ़रमा दें कि मैं इस काम के लिये मुसल्लत नहीं किया गया, बल्कि हर बात का एक वक़्त अल्लाह के इल्म में मुक़रर (तयशुदा) है, वह अपने वक़्त पर हो रहेगी, और उसका नतीजा तुम्हारे सामने आ जायेगा।

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ

يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِنَّمَا يُنْسِيكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝
 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذَكَرْ لَهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَذَرِ الَّذِينَ
 اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرِيَّةٌ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۚ
 لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدَلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۚ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 أُسِيلُوا ۚ إِنَّمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ قُلِ الدُّعَاؤُا مِنْ دُونِ

اللّٰهُ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللّٰهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ
 فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا ۚ لَآ أَصْحَابٌ يَدْعُونَكَ فِي الْهُدَىٰ ۚ ائْتِنَا ۚ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللّٰهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ
 وَأَمْرًا لِّلسَّلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝
 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۗ قَوْلَهُ الْحَقُّ ۗ وَلَهُ
 الْمُلْكُ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّوْرِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

व इज़ा रएतल्लजी-न यख़ूजू-न फी
 आयातिना फ़-अज़रिज़् अन्हुम् हत्ता
 यख़ूजू फी हदीसिन् गैरिही, व इम्मा
 युन्सियन्नकशशैतानु फ़ला तक़ुद्
 बअदज़िज़्करा मअल्-कौमिज़्जालिमीन
 (68) व मा अलल्लजी-न यत्तकू-न
 मिन् हिसाबिहिम् मिन् शैइव्-व
 लाकिन् जि़करा लअल्लहुम् यत्तकू-न
 (69) व ज़रिल्लजीनत्त-ख़जू दीनहुम्
 लअिबव्-व लह्वव्-व गरल्हुमुल्
 हयातुद्दुन्या व ज़किर् बिही अन्
 तुब्स-ल नफ़सुम्-बिमा क-सबत् लै-स
 लहा मिन् दूनिल्लाहि वलिय्युव्-व ला
 शफ़ीअुन् व इन् तअदिल् कुल्-ल
 अदलिल्-ला युअ़्ज़ाज़् मिन्हा,
 उला-इकल्लजी-न उब्सलू बिमा
 क-सबू लहुम् शराबुम् मिन् हमीमिव्-
 व अज़ाबुन् अलीमुम् बिमा कानू

और जब तू देखे उन लोगों को कि
 झगड़ते हैं हमारी आयतों में तो उनसे
 किनारा कर यहाँ तक कि वे मशगूल हो
 जायें किसी और बात में, और अगर
 भुला दे तुझको शैतान तो मत बैठ याद
 आ जाने के बाद ज़ालिमों के साथ। (68)
 और परहेज़गारों पर नहीं है झगड़ने वालों
 के हिसाब में से कोई चीज़ लेकिन उनके
 जिम्मे नसीहत करनी है ताकि वे डरें।
 (69) और छोड़ दे उनको जिन्होंने बना
 रखा है अपने दीन को खेल और तमाशा
 और धोखा दिया उनको दुनिया की
 जिन्दगी ने, और नसीहत कर उनको
 क़ुरआन से ताकि गिरफ़्तार न हो जाये
 कोई अपने किये में, कि न हो उसके
 लिये अल्लाह के सिवा कोई हिमायती और
 न सिफ़ारिश करने वाला, और अगर बदले
 में दे सारे बदले तो कुबूल न हों उससे,
 वही लोग हैं जो गिरफ़्तार हुए अपने किये
 में, उनको पीना है गर्म पानी और अज़ाब

यक्फुरून (70) ❀

कुल् अ-नद्अू मिन् दूनिल्लाहि मा
ला यन्फ़अुना व ला यज़ुरुना व
नुरद्दु अला अअ़्क़ाबिना बअ़-द
इज़् हदानल्लाहु कल्लज़िस्-तह्यत्हुश-
-शयातीनु फ़िल्अर्ज़ि हैरा-न लहू
अस्हाबुंयू-यद्अूनहू इलल्-हुदअ़्तिना,
कुल् इन्-न हुदल्लाहि हुवल्लुदा, व
उमिरना लिनुस्लि-म लिरब्बिल्
अलमीन (71) व अन्
अकीमुस्सला-त वत्तकूहु, व हुवल्लज़ी
इलैहि तुहशरून (72) व हुवल्लज़ी
ख़ा-लक़स्समावाति वलअर्-ज
बिल्हक्कि, व यौ-म यकूलु कुन्
फ़-यकून। ▲ कौलुहुल्-हक्कु, व
लहुल्मुल्कु यौ-म युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि,
आलिमुल्-ग़ैबि वशहा-दति, व हुवल्ल
हकीमुल्-ख़बीर (73)

है दर्दनाक बदले में कुफ़्र के। (70) ❀
तू कह दे क्या हम पुकारें अल्लाह के
सिवा उनको जो न नफ़ा पहुँचा सके
हमको और न नुक़सान, और क्या फिर
जायें हम उल्टे पाँव इसके बाद कि अल्लाह
सीधी राह दिखा चुका हमको, उस शख़्स
की तरह जिसको रस्ता भुला दिया हो
जिन्नों ने जंगल में जबकि वह हैरान है,
उसके साथी बुलाते हों उसको रास्ते कि
तरफ़ कि चला आ हमारे पास। तू कह दे
कि अल्लाह ने जो राह बतलाई वही सीधी
राह है, और हमको हुक्म हुआ है कि
ताबे रहें परवर्दिगारे आलम के। (71) और
यह कि कायम रखो नमाज़ को और डरते
रहो अल्लाह से और वही है जिसके सामने
तुम सब इकट्ठे होगे। (72) और वही है
जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन
को ठीक तौर पर, और जिस दिन कहेगा
कि हो जा तो वह हो जायेगा। ▲ उसी
की बात सच्ची है और उसी की सल्तनत
है जिस दिन फूँका जायेगा सूर, जानने
वाला है छुपी और खुली बातों का, और
वही है हिक्मत वाला, जानने वाला। (73)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुख़ातब!) जब तू उन लोगों को देखे जो हमारी आयतों (और अहक़ाम) में ऐब
ढूँढ रहे हैं तो उन लोगों (के पास बैठने) से किनारा करने वाला हो जा, यहाँ तक कि वे किसी
और बात में लग जाएँ। और अगर तुझको शैतान भुला दे (यानी ऐसी मज्लिस में बैठने की
मनाही याद न रहे) तो (जब याद आये) याद आने के बाद फिर ऐसे ज़ालिम लोगों के पास मत
बैठ (बल्कि फ़ौरन उठ खड़ा हो)। और (अगर वास्तव में कोई दुनियावी या दीनी ज़रूरत ऐसी

मज्लिस में जाने की हो तो उसका हुक्म यह है कि) जो लोग (शरीअत की मना की हुई बातों से जिनमें बिना ज़रूरत ऐसी मज्लिसों में जाना भी दाखिल है) एहतियात रखते हैं उन पर इन (बुरा-भला कहने वालों और झुठलाने वालों) की पूछताछ (और बुरा कहने के गुनाह) का कोई असर न पहुँचेगा। (यानी ज़रूरत के सबब वहाँ जाने वाले मुनाहगार न होंगे) व लेकिन (अपनी ताक़त के मुताबिक) उनके जिम्मे नसीहत कर देना है शायद कि वे (ताने देने वाले) भी (इन खुराफ़ात से) एहतियात करने लगे (चाहे इस्लाम कुबूल करके चाहे उनके लिहाज़ से), और (झुठलाने वालों की मज्लिस ही की कुछ तख़्सीस नहीं, बल्कि) ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग रह जिन्होंने अपने (इस) दीन को (जिसका मानना उनके जिम्मे फ़र्ज़ था यानी इस्लाम को) लस्य-व-लअ़िब "यानी खेल-तमाशा" बना रखा है, (कि उसके साथ मज़ाक करते हैं) और दुनियावी जिन्दगी ने उनको धोखे में डाल रखा है (कि उसकी लज़्ज़तों में मशगूल हैं, और आख़िरत के इनकारी हैं, इसलिये इस मज़ाक का अन्जाम नज़र नहीं आता)। और (किनारा करने और ताल्लुकात ख़त्म करने के साथ ऐसे लोगों को) इस कुरआन के ज़रिये से (जिसका ये मज़ाक उड़ा रहे हैं) नसीहत भी करता रह ताकि कोई शख्स अपने (बुरे) किरदार के सबब (अज़ाब में) इस तरह न फंस जाए कि अल्लाह के अलावा कोई न उसका मददगार हो न सिफ़ारिश करने वाला, और (यह कैफ़ियत हो कि) अगर (मान लो) दुनिया भर का मुआवज़ा भी दे डाले (कि उसको खर्च करके अज़ाब से बच जाये) तब भी उससे न लिया जाए (तो नसीहत से यह फ़ायदा है कि बुरे आमाल के अन्जाम पर चौकना हो जाता है, आगे मानना न मानना दूसरा जाने। चुनाँचे) ये (मज़ाक उड़ाने वाले) ऐसे ही हैं कि (नसीहत न मानी और) अपने (बुरे) किरदार के सबब (अज़ाब में) फंस गये (जिसका आख़िरत में इस तरह ज़हूर होगा कि) उनके लिए पीने के लिए बहुत तेज़ (खौलता हुआ) पानी होगा और (उसके अलावा और अन्दाज़ से भी) दर्दनाक सज़ा होगी अपने कुफ़्र के सबब (कि बुरा किरदार यही है, जिसका एक हिस्सा दीन का मज़ाक उड़ाना था)।

आप (सब मुसलमानों की तरफ़ से इन मुशिरकों से) कह दीजिए कि क्या हम अल्लाह के सिवा (तुम्हारी मर्ज़ी के मुवाफ़िक) ऐसी चीज़ की इबादत करें कि न वह (उसकी इबादत करने की सूरत में) हमको नफ़ा पहुँचा सके (यानी नफ़ा पहुँचाने पर कादिर हो) और न वह (उसकी इबादत न करने की सूरत में) हमको नुक़सान पहुँचा सके (यानी नुक़सान पहुँचाने पर कादिर हो)। इससे मुराद झूठे और बातिल खुदा हैं कि उनमें से कुछ को तो बिल्कुल ही कुदरत नहीं और जिनको कुछ है तो वह उनकी जाती और अपनी नहीं, और माबूद में कम से कम अपने मुवाफ़िक और मुख़ालिफ़ को नफ़ा व नुक़सान पहुँचाने की तो कुदरत होनी चाहिये। तो क्या हम ऐसों की इबादत करें और क्या (अल्लाह की पनाह) हम (इस्लाम से) इसके बाद उल्टे फिर जाएँ कि हमको खुदा तआला ने (हक़ रास्ते की) हिदायत कर दी है? (यानी अव्वल तो शिर्क खुद ही बुरी चीज़ है, फिर खुसूसन इस्लाम अपना लेने के बाद तो और ज़्यादा बुरा है, वरना हमारी तो वह मिसाल ही जाये) जैसे कोई शख्स हो कि उसको शैतानों ने कहीं जंगल में (बहका कर रोह

से) बेराह कर दिया हो और वह भटकता फिरता हो, (और) उसके कुछ साथी भी हों कि वे उसको ठीक रास्ते की तरफ़ (पुकार-पुकार कर) बुला रहे हों कि (इधर) हमारे पास आ, (मगर वह इस दर्जे हैरान है कि न समझता है न आता है। हासिल यह कि जैसे यह शख्स राह पर था और राह जानने वाले अपने साथियों से बिछुड़कर जंगलों में भटकाने वालों के हाथों में पड़कर बेराह हो गया, और वे साथी अब भी उसको राह पर लाते हैं, मगर वह नहीं आता। अगर हम इस्लाम को छोड़ दें तो हमारी हालत भी ऐसी ही हो जाये कि इस्लाम के रास्ते पर होकर अपने हादी पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अलग हों, और गुमराह करने वालों के पंजे में गिरफ़्तार होकर गुमराह हो जायें, और वह हादी फिर भी ख़ैरख़्वाही के नाते इस्लाम की दावत देते रहें और हम गुमराही को न छोड़ें। यानी क्या हम तुम्हारी मर्जी पर अमल करके अपनी ऐसी मिसाल बना लें? आप (उनसे) कह दीजिए कि (जब इस मिसाल से मालूम हुआ कि राह से बेराह होना बुरा है और यह) यकीनी बात है कि सही रास्ता वह खास अल्लाह ही का (बतलाया हुआ) रास्ता है, (और वह इस्लाम है। पस यकीनन उसका छोड़ना बेराह होना है, फिर हम कब छोड़ सकते हैं) और (आप कह दीजिए कि हम शिर्क कैसे कर सकते हैं) हमको (तो) यह हुक्म हुआ है कि हम परवर्दिगारे आलम के पूरे फ़रमाँबरदार हो जाएँ (जो इस्लाम में रहकर ही हो सकता है)।

और यह (हुक्म हुआ है) कि नमाज़ की पाबन्दी करो (जो कि तौहीद पर ईमान की सबसे ज़ाहिर निशानी है) और (यह हुक्म हुआ है कि) उससे (यानी अल्लाह से) डरो, (यानी मुख़ालफ़त न करो, जिसमें सबसे बढकर शिर्क है) और वही (अल्लाह) है जिसके पास तुम सब (क़ियामत के दिन क़ब्रों से निकलकर हिसाब के लिये) जमा किए जाओगे (वहाँ मुशिरकों को अपने शिर्क का ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा)। और वही (अल्लाह) है जिसने आसमानों को और ज़मीन को फ़ायदे वाला बनाकर पैदा किया, (जिसमें बड़ा फ़ायदा यह है कि उससे ख़ालिक के वजूद और तौहीद पर दलील पकड़ी जाये, पस यह भी तौहीद की एक दलील है) और (ऊपर जो क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा होने की ख़बर दी है उसको भी कुछ दूर की बात और मुहाल मत समझो, क्योंकि वह खुदाई ताक़त के सामने इस क़द्र आसान है कि) जिस वक़्त वह (यानी अल्लाह तआला) इतना कह देगा कि (हश्र) तू हो जा, बस वह (हश्र फ़ौरन) हो पड़ेगा। उसका (यह) कहना असरदार है (ख़ाली नहीं जाता)। और (हश्र के दिन) जबकि सूर में (अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार फ़रिश्ते की) फूँक मारी जाएगी, सारी हुक्ूमत (हकीक़त में भी और ज़ाहिर में भी) खास उसी (अल्लाह) की होगी, (और वह अपनी हुक्ूमत से ईमान वालों और मुशिरकों का फ़ैसला करेगा)। यह (अल्लाह) छुपी हुई और ज़ाहिर चीज़ों का जानने वाला है (पस मुशिरकों के हालात व आमाल का भी उसको इत्म है), वही है बड़ी हिक्मत वाला (इसलिये मुनासिब मुनासिब जज़ा हर एक को देगा, और वही है) पूरी ख़बर रखने वाला (इसलिये किसी बात या मामले को उससे छुपा लेना मुम्किन नहीं)।

मआरिफ़ व मसाईल

बेदीन और ग़लत लोगों की मज्लिसों से परहेज़ का हुक्म

उपर्युक्त आयतों में मुसलमानों को एक अहम उसूली हिदायत दी गयी है कि जिस काम का हुद करना गुनाह है उसके करने वालों की मज्लिस में शरीक रहना भी गुनाह है, इससे परहेज़ करना और बचना चाहिये। जिसकी तफ़सील यह है कि:

पहली आयत में लफ़ज़ 'यखूज़ू-न' ख़ौज़ से बना है, जिसके असली मायने पानी में उतरने और उसमें गुज़रने के हैं, और बेहूदा व फुज़ूल कामों में दाख़िल होने को भी ख़ौज़ कहा जाता है। क़ुरआने करीम में यह लफ़ज़ उमूमन इसी मायने में इस्तेमाल हुआ है:

وَكُنَّا نَخْرُضُ مَعَ الْحَائِضِينَ.

और:

فِي خَوَاصِّهِمْ يَلْعَبُونَ.

वगैरह आयतें इसका सबूत हैं।

इसी लिये "ख़ौज़ फ़िल-आयाति" का तर्जुमा इस जगह ऐब तलाश करने या झगड़ने का किया गया है। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन लोगों को देखें जो अल्लाह तआला की आयतों में सिर्फ़ खेल-तमाशे और मज़ाक उड़ाने के लिये दख़ल देते हैं और ऐब दिफ़ालते हैं तो आप उनसे अपना रुख़ फेर लें।

इस आयत का आम ख़िताब हर मुखातब को है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी दाख़िल हैं और उम्मत के अफ़राद भी, और दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िताब भी आम मुसलमानों को सुनाने के लिये है वरना आप तो बचपन में भी कभी ऐसी मज्लिसों में शरीक नहीं हुए। इसलिये किसी मनाही की आपको ज़रूरत न थी।

फिर बातिल वाले लोगों की मज्लिस से रुख़ फेरने की विभिन्न सूरतें हो सकती हैं- एक यह कि उस मज्लिस से उठ जायें, दूसरे यह कि वहाँ रहते हुए किसी दूसरे शग़ल में लग जायें, उनकी तरफ़ ध्यान न करें, लेकिन आयत के आख़िर में बतला दिया गया कि मुराद पहली ही सूरत में है कि उनकी मज्लिस में बैठे न रहें, वहाँ से उठ जायें।

आयत के आख़िर में फ़रमाया कि अगर तुमको शैतान भुलाये, यानी भूलकर उनकी मज्लिस में शरीक हो गये, चाहे इस तरह कि ऐसी मज्लिस में शरीक होने की मनाही याद न रही, या इस तरह कि यह याद न रहा कि ये लोग अपनी मज्लिस में अल्लाह तआला की आयतों और सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खिलाफ़ तज़किरे किया करते हैं, तो इस सूरत में जिस वक़्त भी याद आ जाये उसी वक़्त उस मज्लिस से उठ जाना चाहिये। याद आ जाने के बाद वहाँ रहना गुनाह है। एक दूसरी आयत में भी यही मजमून इरशाद हुआ है, और उसके आख़िर में फ़रमाया है कि अगर तुम वहाँ बैठे रहे तो तुम भी उन्हीं जैसे हो।

भुलाये बैठे हैं। अगर आखिरत और कियामत का यकीन हांता तो वे हरगिज़ ये हरकतें न करते-

इस आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आम मुसलमानों को दो हुक्म दिये गये हैं- अव्वल यह कि ऐसे लोगों से अलग रहें जिसका बयान मज़कूर जुमले में आ चुका है। दूसरे यह कि सिर्फ़ उन लोगों से किनारा करना और वास्ता छोड़ देना भी काफी नहीं, बल्कि सकारात्मक रुख अपनाते हुए यह भी ज़रूरी है कि कुरआन के ज़रिये उनको नसीहत भी करते रहें और खुदा तआला के अज़ाब से डरते भी रहें।

आयत के आखिर में उस अज़ाब की तफ़्सील इस तरह बयान फ़रमाई कि अगर इनकी यही हालत रही तो ये अपने बुरे आमाल के जाल में खुद फंस जायेंगे। आयत में इस जगह "अन् तुब्स-ल" का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है, जिसके मायने कैद हो जाने और फंस जाने के हैं।

चूँकि दुनिया में इनसान इसका आदी है कि अगर कभी कोई ग़लती या जुल्म किसी पर कर बैठा है और उसकी सज़ा उसके सामने आ गयी तो सज़ा से बचने के लिये तीन किस्म के साधन इख़्तियार करता है। कभी अपनी जमाअत और जत्थे का जोर उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके अपने जुल्म की सज़ा और परिणाम से बचने की कोशिश करता है, और अगर इससे बेबस हो गया तो बड़े लोगों की सिफ़ारिश से काम लेता है, और यह भी न चली तो फिर यह कोशिश करता है कि अपने को सज़ा से बचाने के लिये कुछ माल ख़र्च करे।

अल्लाह तआला ने इस आयत में बतला दिया कि खुदा के मुजरिम के लिये सज़ा से बचाने वाला न कोई दोस्त अज़ीज़ हो सकता है, न किसी की सिफ़ारिश बग़ैर अल्लाह तआला की इजाज़त के चल सकती है, और न कोई माल कुबूल किया जा सकता है। बल्कि अगर सारे जहान का माल भी उसके कब्ज़े में हो और वह उस सारे माल को सज़ा से बचने का फ़िदया (बदला) बनाना चाहे तब भी यह फ़िदया उससे कुबूल न किया जायेगा।

आयत के आखिर में फ़रमाया:

أُولَئِكَ الَّذِينَ أُسْلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ، بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ.

यानी ये वे लोग हैं जो अपने बुरे आमाल की सज़ा में पकड़ लिये गये हैं, इनको पीने के लिये जहन्नम का खौलता हुआ पानी मिलेगा। जिसके मुताल्लिक़ दूसरी आयत में है कि वह उनकी अंतड़ियों के टुकड़े-टुकड़े उड़ा देगा, और उस पानी के अलावा दूसरे भी दर्दनाक किस्म के अज़ाब होंगे उनके कुफ़्र व इनकार के बदले में।

इस आखिरी आयत से यह भी मालूम हुआ कि जो लोग आखिरत से ग़ाफ़िल सिर्फ़ दुनिया की ज़िन्दगी में मस्त और मगन हैं, उनकी दोस्ती और पास बैठना भी इनसान के लिये घातक और खतरनाक है। इसका अन्जाम यह है कि उनकी सोहबत में रहने वाला भी उस अज़ाब का शिकार होगा जिसमें वे मुब्तला हैं।

इन तीनों आयतों का हासिल मुसलमान को बुरे माहौल और बुरी सोहबत से बचाना है, जो इनसान के लिये हलाक करने वाला ज़हर है। कुरआन व हदीस की बेशुमार वज़ाहतों के अलावा

मुशाहदा और तजुर्वा इसका गवाह है कि इनसान को तमाम बुराईयों और जराईम में मुब्तला करने वाली चीज़ उसकी बुरी सोसाईटी और बुरा माहौल है, जिसमें फंसने के बाद इनसान पहले तो अपने ज़मीर और दिल की आवाज़ के खिलाफ़ बुराईयों में मुब्तला हो जाता है और फिर जब आदत पड़ जाती है तो यह बुराई का एहसास भी ख़त्म हो जाता है, बल्कि बुराई को भलाई और भलाई को बुराई समझने लगता है, जैसा कि एक हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि जब कोई शख्स शुरु में गुनाह में मुब्तला होता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता (काला धब्बा और बिन्दू) लग जाता है और जैसे सफ़ेद कपड़े में एक सियाह नुक्ता हर शख्स को नागवार होता है उसको भी गुनाह से दिल में नागवारी पैदा होती है, लेकिन जब एक के बाद दूसरा और तीसरा गुनाह करता चला जाता है और पिछले गुनाह से तौबा नहीं करता तो एक के बाद एक सियाह नुक्ते (काले धब्बे) लगते चले जाते हैं, यहाँ तक कि दिल की नूरानी तख़्ती बिल्कुल सियाह हो जाती है, और इसका नतीजा यह होता है कि उसको भले-बुरे की तमीज़ नहीं रहती। कुरआन मजीद में इसी को लफ़्ज़ "रा-न" से ताबीर फ़रमाया है:

كَأَبْلٍ رَّانٍ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

“यानी उनके दिलों में उनके बुरे आमाल की वजह से जंग लग गया कि अब सलाहियत ही ख़त्म हो गयी।”

और जहाँ तक ग़ौर किया जाये इनसान को इस हालत पर पहुँचाने वाली चीज़ अक्सर उसका ग़लत माहौल और बुरी सोहबत (संगत) होती है। अल्लाह तआला हमें उससे अपनी पनाह में रखे। इसी लिये बच्चों के मुरब्बियों (पालने वालों और अभिभावकों) का फ़र्ज़ है कि बच्चों को ऐसे माहौल और सोसाईटी से बचाने की पूरी कोशिश करें।

अगली तीन आयतों में भी तौहीद और आख़िरत को साबित करने और शिर्क के बातिल होने को बयान किया गया है, जो तजुर्मे से ज़ाहिर है।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِزْرًا اتَّخَذُ أَصْنَامًا إِيَّاهُ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ مَكَّ

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ

الْمُوقِنِينَ ۝ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، قَالَ هَذَا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ

الْأَفْلِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لِي بِرَبِّهِدِينِي رَبِّي لَا كُونَنَّ

مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ

يَقَوْمِ إِنِّي بَرِّئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۝ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَحَاجَّةٌ قَوْمُهُ، قَالَ اتَّخَذْتَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدِينِي، وَلَا أَخَافُ مَا

تُشْرِكُونَ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ وَعِلْمُهُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝ وَكَيْفَ

أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَآيُ
الْقَرِيقِينَ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

व इज़् का-ल इब्राहीमु लि-अबीहि
आज़-र अ-तत्तख़िज़् अस्नामन्
आलि-हतन् इन्नी अरा-क व कौम-क
फी जलालिम् मुबीन (74) व
कज़ालि-क नुरी इब्राही-म
म-लकूतस्समावाति वल्लअज़ि व
लियकू-न मिनल् मूकिनीन (75)
फ़-लम्मा जन्-न अलैहिल्लैलु रआ
कौ-कबन् का-ल हाज़ा रब्बी
फ़-लम्मा अ-फ़-ल का-ल ला
उहिब्बुल्-आफ़िलीन (76) फ़-लम्मा
रअल्-क-म-र बाज़िगन् का-ल हाज़ा
रब्बी फ़-लम्मा अ-फ़-ल का-ल
ल-इल्लम् यहिदनी रब्बी ल-अकूनन्-न
मिनल् कौमिज़्जाल्लीन (77)
फ़-लम्मा रअश्शम्-स बाज़ि-ग़तन्
का-ल हाज़ा रब्बी हाज़ा अक्बरु
फ़-लम्मा अ-फ़-लत् का-ल या कौमि
इन्नी बरीउम् मिम्मा तुशिकून् (78)
इन्नी वज्जस्तु वज्हि-य लिल्लज़ी
फ़-तरस्समावाति वल्लअर्-ज़ हनीफ़्-
व मा अ-न मिनल्-मुशिकीन (79)

और याद कर जब कहा इब्राहीम ने अपने
बाप आज़र को- क्या तू मानता है बुतों
को खुदा? मैं देखता हूँ कि तू और तेरी
कौम खुली गुमराह हैं। (74) और इसी
तरह हम दिखाने लगे इब्राहीम को
आसमानों और ज़मीन की अजीब चीज़ें
और ताकि उसको यकीन आ जाये। (75)
फिर जब अंधेरा कर लिया उस पर रात
ने, देखा उसने एक सितारा बोला- यह है
रब मेरा, फिर जब वह ग़ायब हो गया तो
बोला मैं पसन्द नहीं करता ग़ायब हो
जाने वालों को। (76) फिर जब देखा
चाँद चमकता हुआ, बोला यह है रब मेरा,
फिर जब वह ग़ायब हो गया बोला अगर
न हिदायत करेगा मुझको मेरा रब तो
बेशक मैं रहूँगा गुमराह लोगों में। (77)
फिर जब देखा सूरज झलकता हुआ, बोला
यह है रब मेरा, यह सबसे बड़ा है। फिर
जब वह ग़ायब हो गया बोला ऐ मेरी
कौम मैं बेजार हूँ उनसे जिनको तुम
शरीक करते हो। (78) मैंने मुतवज्जह कर
लिया अपने मुँह को उसी की तरफ
जिसने बनाये आसमान और ज़मीन, सबसे
एक तरफ़ होकर, और मैं नहीं हूँ शिर्क

व हाज्जहू कौ मुहू, का-ल
अतुहाज्जून्नी फिल्लाहि व कद्
हदानि, व ला अखाफु मा तुशिरकून
बिही इल्ला अय्यशा-अ रब्बी शैअनु,
वसि-अ रब्बी कुल-ल शैइन् अिल्मन्,
अ-फला त-तजक्करून (80) व
कै-फ अखाफु मा अशरक्तुम् व ला
तखाफू-न अन्नकुम् अशरक्तुम्
बिल्लाहि मा लम् युनज्जिल् बिही
अलैकुम् सुल्तानन्, फ-अय्युल्
फरीकैनि अहक्कु बिल्-अम्नि इन्
कुन्तुम् तज्जलमून। (81)

करने वाला। (79) और उससे झगड़ा किया उसकी कौम ने, बोला क्या तुम मुझसे झगड़ा करते हो अल्लाह के एक होने में, और वह मुझको समझा चुका और हैं डरता नहीं हूँ उनसे जिनको तुम शरीक करते हो उसका, मगर यह कि मेरा रब ही कोई तकलीफ पहुँचानी चाहे, इहाता कर लिया है मेरे रब के इल्म ने सब चीजों का, क्या तुम नहीं सोचते?

(80) और मैं क्योंकि डरूँ तुम्हारे शरीकों से और तुम नहीं डरते इस बात से कि शरीक करते हो अल्लाह का उनको जिसकी नहीं उतारी उसने तुम पर कोई दलील, अब दोनों फिकों (पक्षों) में कौन मुस्तहिक है दिल के सुकून का, बोलो अगर तुम समझ रखते हो। (81)

खुलासा-ए-तफसीर

और (वह वक्त भी याद करने के काबिल है) जब इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने अपने बाप आजर (नाम वाले) से फरमाया कि क्या तू बुतों को माबूद करार देता है? बेशक मैं तुझको और तेरी सारी कौम को (जो इस एतिक्राद में तेरे शरीक हैं) खुली गलती में देखता हूँ। (और सितारों के मुताल्लिक आगे गुफ्तगू आयेगी, बीच में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सही नज़र वाला होना बयान फरमाया जिसका पहले और बाद के किस्से से ताल्लुक है। फरमाते हैं) और हमने ऐसे ही (कामिल) तौर पर इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को आसमानों और ज़मीन की मख्लूक़ात (अल्लाह को पहचानने की नज़र से) दिखलाई ताकि वह (ख़ालिक की जात व सिफ़ात के) पहचानने वाले हो जाएँ) और ताकि (अल्लाह की पहचान में अधिक ज़्यादाती होने से) पूराभ्यकीन करने वालों में से हो जाएँ। (आगे सितारों के बारे में गुफ्तगू है जो कि मुशिरकों के साथ मुनाज़रे का पूरक और आखिरी हिस्सा है। ऊपर की गुफ्तगू तो बुतों के बारे में हो चुकी) फिर (उसी दिन या किसी और दिन) जब उन पर (इसी तरह और सब पर) रात का अंधेरा छा गया तो उन्होंने एक सितारा देखा (कि चमक रहा है), आपने (अपनी कौम से मुख़ातिब होकर) फरमाया कि (तुम्हारे ख़्याल के मुवाफ़िक) यह मेरा (और तुम्हारा) रब (और मेरे हालात में उलटफेर करने वाला) है? (बहुत अच्छा, अब थोड़ी देर में हकीकत भालूम हुई जाती है। चुनाँचे थोड़े वक्त के बाद वह आसमानी

किनारे में जा छुपा) सो जब वह छुप गया तो फरमाया कि मैं छुप जाने वालों से मुहब्बत नहीं रखता (और मुहब्बत रब होने के एतिकाद व यकीन का लाजिमी हिस्सा है, पस हासिल यह हुआ कि मैं उसको रब नहीं समझता)।

फिर (उसी रात में या किसी दूसरी रात में) जब चाँद को देखा (कि) चमकता हुआ (निकला है) तो (पहले ही की तरह) फरमाया कि (तुम्हारे ख्याल के मुवाफिक) यह मेरा (और तुम्हारा) रब (और तमाम हालात में अपना इख्तियार चलाने वाला) है? (बेहतर! अब थोड़ी देर में इसकी कैफियत भी देखना। चुनाँचे वह भी छुप गया) सो जब वह छुप गया तो आपने फरमाया कि अगर मेरा (असली) रब मुझको हिदायत न करता रहे (जैसा कि अब तक हिदायत करता रहता है) तो मैं भी (तुम्हारी तरह) गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊँ। फिर (यानी अगर चाँद का किस्सा उसी सितारे के किस्से की रात का था तब तो किसी रात की सुबह को, और अगर चाँद का किस्सा उसी सितारे के किस्से की रात का न था तो चाँद के किस्से की रात की सुबह को या उसके अलावा किसी और रात की सुबह को) जब सूरज को देखा (कि बड़ी चमक-दमक और शान से) चमकता हुआ (निकला है) तो (पहली दो बार की तरह फिर) आपने फरमाया कि (तुम्हारे ख्याल के मुवाफिक) यह मेरा (और तुम्हारा) रब (और हमारे हालात में अमल-दखल करने वाला) है? (और) यह तो (ज़िक्र हुए) सब (सितारों) से बड़ा है (इस पर बात और मुनाज़रे का ख़ात्मा हो जायेगा, अगर इसका रब होना बातिल हो गया तो छोटों का रब होना तो बदर्जा औला बातिल हो जायेगा। गर्ज़ कि शाम हुई तो वह भी गुरूब हो गया) सो जब वह छुप गया तो फरमाया- ऐ मेरी क़ौम! बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेज़ार (और नफ़रत करने वाला) हूँ (यानी उससे अपना बरी और बेताल्लुक होना ज़ाहिर करता हूँ, एतिकाद व यकीन के एतिबार से तो हमेशा से बेज़ार ही थे) मैं (सब तरीकों से) एक तरफ़ होकर अपना (ज़ाहिर का और दिल का) रुख उस (ज़ात) की तरफ़ (करना तुमसे ज़ाहिर) करता हूँ जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया, और मैं (तुम्हारी तरह) शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ (न एतिकाद व यकीन से न कौल व अमल से)। और उनसे उनकी क़ौम ने (बेहूदा) हुज्जत करनी शुरू की (वह यह कि यह पुरानी रस्म है, हमने अपने बाप-दादा को इसी राह पर पाया है, वगैरह.....) आपने (पहली बात के जवाब में तो यह) फरमाया कि क्या तुम अल्लाह (की तौहीद) के मामले में मुझसे (बातिल) हुज्जत करते हो? हालाँकि उसने मुझको (सही दलील हासिल करने का) तरीका बतला दिया है (जिसको मैं तुम्हारे सामने पेश कर चुका हूँ, और सिर्फ़ पुरानी रस्म होना उस तर्क देने का जवाब नहीं हो सकता। फिर उससे हुज्जत करना तुम्हारे लिये बेकार और मेरे नज़दीक ना-काबिले तवज्जोह है)। और (दूसरी बात के जवाब में यह फरमाया कि) मैं उन चीज़ों से जिनको तुम अल्लाह तआला के साथ (इबादत के हक़दार होने में) शरीक बनाते हो, नहीं डरता (कि वे मुझको कोई तकलीफ़ या नुक़सान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि उनमें खुद कुदरत व ताक़त की सिफ़त ही मौजूद नहीं है, और अगर किसी चीज़ में हो भी तो उस कुदरत का ज़ाती और मुस्तक़िल होना नहीं पाया जाता), लेकिन हँ अगर मेरा परवर्दिगार ही कोई मामला चाहे (तो वह

दूसरी बात है, वह हो जायेगा, लेकिन इससे झूठ और बातिल माबूदों की कुदरत का सुबूत या उनसे खौफ की ज़रूरत कब लाज़िम आई, और) मेरा परवर्दिगार (जिस तरह कादिरे मुतलक है जैसा कि इन चीज़ों से मालूम हुआ इसी तरह वह) हर चीज़ को अपने इल्म (के घेरे) में (भी) घेरे हुए है। (गर्ज़ कि कुदरत व इल्म दोनों उसी के साथ खास हैं, और तुम्हारे खुदाओं को न कुदरत हासिल है न इल्म) क्या तुम (सुनते हो और) फिर (भी) ख्याल नहीं करते?

और (जिस तरह मेरे न डरने की वजह यह है कि तुम्हारे वे माबूद इल्म व कुदरत से विल्कुल कोरे हैं, इसी तरह यह बात भी तो है कि मैंने कोई काम डर का किया भी तो नहीं, तो फिर) मैं उन चीज़ों से कैसे डरूँ जिनको तुमने (अल्लाह तआला के साथ इबादत का हकदार होने और रब होने का यकीन करने में) शरीक बनाया है, हालाँकि (तुमको डरना चाहिये दो वजह से- अव्वल यह कि तुमने डर का काम यानी शिर्क किया है, जिस पर अज़ाब लागू होता है, दूसरे खुदा का आलिम और कादिर होना मालूम हो चुका है, मगर) तुम इस बात (के बवाल) से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह तआला के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक ठहराया है जिन (के माबूद होने) पर अल्लाह तआला ने कोई दलील (लफ़्ज़ी या मानवी) नाज़िल नहीं फ़रमाई। (मतलब यह है कि डरना चाहिये तुमको, और तुम उल्टा मुझको डराते हो) सो (इस तक़रीर के बाद इन्साफ़ से सोचकर बतलाओ कि) इन (ज़िक्र हुई) दो जमाअतों में से (यानी मुशिकों और ईमान वालों में से) अमन का (यानी इसका कि उस पर खौफ़ वाके न हो) ज्यादा हकदार कौन है? (और खौफ़ भी वह जो वास्तव में काबिले एतिबार है, यानी आख़िरत का) अगर तुम (कुछ) ख़बर रखते हो।

मआरिफ़ व मसाईल

इनसे पहली आयतों में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अरब के मुशिकों को खिताब और बुत-परस्ती छोड़कर सिर्फ़ खुदा की इबादत की दावत का बयान था। इन आयतों में इसी हक़ की दावत की ताईद एक खास अन्दाज़ में फ़रमाई गयी है, जो तबई तौर पर अरब वालों के लिये लुभावनी और रोचक हो सकती है। वह यह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम अरब के पुर्खे हैं और इसी लिये सारा अरब उनके आदर व सम्मान पर हमेशा से एकमत चला आया है। इन आयतों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस मुनाज़रे का ज़िक्र किया गया है जो उन्होंने बुत-परस्ती (भूर्ति पूजा) और सितारों की पूजा के खिलाफ़ अपनी कौम के साथ किया था, और फिर सब को तौहीद (एक अल्लाह को मानने) का सबक़ दिया था।

पहली आयत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजर से कहा कि तुमने अपने हाथों के बनाये हुए बुतों को अपना माबूद (पूज्य) बना लिया है, मैं तुमको और तुम्हारी सारी कौम को गुमराही में देखता हूँ।

मशहूर यह है कि आजर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद (पिता) का नाम है और अक्सर इतिहासकारों ने उनका नाम तारिख़ बतलाया है, और यह कि आजर उनका लक़ब (उपनाम) है। और इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि और पहले उलेमा में से एक जमाअत का

कहना यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिख और चचा का नाम आजर है। उनका चचा आजर नमरूद के मंत्रालय में शामिल होने के बाद शिर्क में मुब्तला हो गया था, और चचा को बाप कहना अरबी मुहावरों में आम है। इसी मुहावरे के तहत आयत में आजर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप फ़रमाया गया है। जुर्कानी ने शरह मवाहिब में इसके कई सुबूत और तथ्य भी नक़ल किये हैं।

अक़ायद व आमाल के सुधार की दावत अपने घर और अपने ख़ानदान से शुरू करनी चाहिये

आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हों या चचा, बहरहाल नसबी तौर पर उनके आदरनीय और काबिले एहतियाम बुजुर्ग थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हक़ की दावत अपने घर से शुरू फ़रमाई, जैसा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी इसका हुक्म हुआ है:

وَالَّذُرْعَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ

यानी अपने करीबी रिश्तेदारों को खुदा के अज़ाब से डराइये। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस हुक्म के मुताबिक़ सबसे पहले अपने ख़ानदान ही को सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर हक़ की दावत के लिये जमा फ़रमाया।

तफ़सीर 'बहर-ए-मुहीत' में है कि इससे यह भी मालूम हुआ कि अगर ख़ानदान के कोई सम्मानीय और काबिले एहतियाम बुजुर्ग दीन के सही रास्ते पर न हों तो उनको सही रास्ते की तरफ़ दावत देना एहतियाम (इज़्ज़त व आदर) के खिलाफ़ नहीं, बल्कि हमदर्दी व ख़ैरख़ाही का तकाज़ा है। और यह भी मालूम हुआ कि हक़ की दावत और इस्लाह (सुधार) का काम अपने करीबी लोगों से शुरू करना नबियों की सुन्नत है।

दो कौमी दृष्टिकोण,

मुसलमान एक कौम और काफ़िर दूसरी कौम है

साथ ही इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान और कौम की निस्वत अपनी तरफ़ करने के बजाय बाप से यह कहा कि तुम्हारी कौम गुमराही में है। इसमें उस अज़ीम क़ुरबानी की तरफ़ इशारा है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा की राह में अपनी मुशिक़ बिरादरी से ताल्लुक तोड़ करके अदा की और अपने अमल से बतला दिया कि मुस्लिम कौमियत इस्लाम के रिश्ते से कायम होती है, नसबी और वतनी कौमियतें अगर इससे टकरायें तो वे सब छोड़ देने के काबिल हैं:

हज़ार ख़ेश कि बेगाना अज़ खुदा बाशद
फ़िदाई यक़ तने बेगाना कि आशना बाशद

हजारों अपने जो कि खुदा तआला से बेगाने हों उस एक जान पर निसार व कुरवान हैं जो कि अल्लाह तआला की फरमाँवरदार है। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

कुरआने करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाकिए को जिक्र करके आईन्दा आने वाली उम्मतों को हिदायत की है कि वे भी उनके नक्शे-कदम पर चलें। इरशाद है:

فَكَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ لَهُمْ إِبْرَاءُ أَوْ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

यानी उम्मते मुहम्मदिया के लिये बेहतरीन नमूना और काबिले पैरवी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का यह अमल कि उन्होंने अपनी नसबी और वतनी बिरादरी से साफ़ कह दिया कि हम तुमसे और तुम्हारे ग़लत माबूदों से बेज़ार (अलग और नफरत करने वाले) हैं, और हमारे तुम्हारे बीच नफरत व दुश्मनी की दीवार उस वक़्त तक रुकावट है जब तक तुम एक अल्लाह की इबादत इख़्तियार न कर लो।

मालूम हुआ कि यही दो कौमी नज़रिया है जिसने पाकिस्तान बनवाया है, इसका ऐलान सबसे पहले हज़रत ख़लीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया है, उम्मते मुहम्मदिया और दूसरी तमाम उम्मतों ने हिदायत के अनुसार यही तरीका इख़्तियार किया, और आम तौर पर मुसलमानों में इस्लामी कौमियत परिचित हो गयी। हज्जतुल-विदा के सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को एक काफ़िला मिला, आपने पूछा कि तुम किस कौम से हो? तो उसने जवाब दिया 'नहनु कौमुम् मुस्लिमून' (यानी हम मुस्लिम कौम हैं। बुख़ारी) इसमें अरब के पिछले दस्तूर के मुताबिक़ किसी कबीले या ख़ानदान का नाम लेने के बजाय "मुस्लिमून" कह कर उस असली कौमियत को बतला दिया जो दुनिया से लेकर आख़िरत तक चलने वाली है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस जगह अपने बाप से ख़िताब के वक़्त तो बिरादरी की निस्बत उनकी तरफ़ करके अपनी बेज़ारी का ऐलान फ़रमाया और जिस जगह कौम से अपनी बेज़ारी और ताल्लुक़ तोड़ने का ऐलान करना था वहाँ अपनी तरफ़ मन्सूब करके ख़िताब किया, जैसे कि अगली आयत में है:

يَقَوْمِ إِنِّي بُرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ

यानी ऐ मेरी कौम! मैं तुम्हारे शिर्क से बेज़ार हूँ। इसमें इसकी तरफ़ इशारा है कि अगरचे नसब और वतन के लिहाज़ से तुम मेरी कौम हो, लेकिन तुम्हारे शिर्क वाले आमाल ने मुझे तुम्हारी बिरादरी से ताल्लुक़ ख़त्म करने पर मजबूर कर दिया।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बिरादरी और उनके बाप-दोहरे शिर्क में मुब्तला थे कि बुतों की भी पूजा करते थे और सितारों की भी, इसी लिये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हीं दोनों मसलों पर अपने बाप और अपनी कौम से मुनाज़रा (बहस-मुबाहसा) किया।

पहले बुत-परस्ती का गुमराही होना जिक्र फ़रमाया, अगली आयतों में सितारों का काबिले इबादत न होना बयान फ़रमाया, और इससे पहले एक आयत में भूमिका बाँधने के तौर पर हक़ तआला ने हज़रत इब्राहीम की एक ख़ास शान और इत्म व समझ में आला मुक़ाम होने का

जिक्र इस तरह फरमाया:

وَكَذَلِكَ نُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ

यानी हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की मख्लूक़ात को इस तरह दिखला दिया कि उनको सब चीज़ों की हकीकत स्पष्ट तौर पर मालूम हो जाये, और उनका यकीन मुकम्मल हो जाये। इसी का नतीजा था जो बाद की आयतों में एक अजीब अन्दाज़ के मुनाज़रे की शकल में इस तरह ज़िक्र हुआ है।

तब्लीग़ व दावत में हिक्मत व तदबीर से काम लेना नबियों का तरीका और सुन्नत है

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ وَٱكْرَمٰكِبًا. قَالَ هٰذَا رَبِّي

यानी एक रात में जब अंधेरा छा गया और एक सितारे पर नज़र पड़ी तो अपनी कौम को सुनाकर कहा कि यह सितारा मेरा रब है? मतलब यह था कि तुम्हारे ख्यालात व अक़ीदों के मुवाफ़िक़ यही मेरा और तुम्हारा रब यानी पालने वाला है? अब थोड़ी देर में इसकी हकीकत देख लेना। चुनाँचे कुछ देर के बाद वह छुप गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौम पर हुज़्जत कायम करने का खुला मौका हाथ आया, और फरमाया:

لَا أَحِبُّ ٱلْأَفْلِينَ

मतलब यह है कि मैं गुरुब हो (छुप) जाने वाली चीज़ों से मुहब्बत नहीं रखता, और जिसको खुदा या माबूद बनाया जाये ज़ाहिर है कि वह सबसे ज़्यादा मुहब्बत व एहतिराम और बड़ाई का हकदार होना चाहिये। मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक शे'र में इसी वाक़िए को बयान फरमाया है:

खलील आसा दरे मुल्के यकीं ज़न

नवा-ए-त्ता उहिब्बुल-आफ़िलीन रन

उसके बाद फिर किसी दूसरी रात में चाँद चमकता हुआ नज़र आया तो फिर अपनी कौम को सुनाकर वही तरीका इख़्तियार फरमाया और कहा कि (तुम्हारे अक़ीदे के मुताबिक़) यह मेरा रब है? मगर इसकी हकीकत भी कुछ देर के बाद सामने आ जायेगी। चुनाँचे जब चाँद गुरुब हो गया तो फरमाया- अगर मेरा रब मुझे हिदायत न करता रहता तो मैं भी तुम्हारी तरह गुमराहों में दाख़िल हो जाता, और चाँद ही को अपना रब और माबूद समझ बैठता, लेकिन उसके उगने व छुपने के बदलने वाले हालात ने मुझे सचेत कर दिया कि यह सितारा भी काबिले इबादत नहीं।

इस आयत में इसकी तरफ़ भी इशारा कर दिया कि मेरा रब कोई दूसरी चीज़ है जिसकी तरफ़ से मुझे हिदायत होती रहती है।

उसके बाद एक दिन सूरज को निकलते हुए देखा तो फिर कौम को सुनाकर उसी तरीके पर

फरमाया कि (तुम्हारे ख्यालात के मुताबिक) यह मेरा रब है? और यह तो सबसे बड़ा है, मगर इस बड़े की हकीकत व हैसियत भी जल्द ही तुम्हारे सामने आ जायेगी। चुनाँचे सूरज भी अपने वक़्त पर गुरुब हो गया तो कौम पर आखिरी हुज्जत पूरी करने के बाद अब असल हकीकत को वाजेह तौर पर बयान फरमा दिया कि:

يَقَوْمِ إِنِّي بُرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ.

यानी ऐ मेरी कौम! मैं तुम्हारे इन मुशिकाना ख्यालात से बेज़ार हूँ, कि तुमने खुदा तआला की मख्लूक़ात को ही खुदाई का शरीक बना रखा है।

उसके बाद इस हकीकत को बतला दिया कि मेरा और तुम्हारा रब (पालने वाला) उन तमाम मख्लूक़ात में से कोई नहीं हो सकता जो खुद अपने यजूद में दूसरे की मोहताज हैं, और हर वक़्त हर पल चढ़ने उतरने और निकलने छुपने की तब्दीली में घिरी हुई हैं, बल्कि हमारा सब का रब वह है जिसने आसमानों और ज़मीन और उनमें पैदा होने वाली तमाम मख्लूक़ात को पैदा किया है। इसलिये मैंने अपना रुख तुम्हारे खुद गढ़े और तैयार किये हुए सब बुतों और बदलने व प्रभावित होने वाले सितारों से फेरकर सिर्फ़ एक खुदा वह्दहू ला शरीक लहू की तरफ़ कर लिया है, और मैं तुम्हारी तरह शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ।

मुनाज़रे के इस वाक़िए में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैग़म्बराना समझ व नसीहत से काम लेकर एक बार ही में उनके सितारों को पूजने को ग़लत या गुमराही नहीं फ़रमाया, बल्कि एक ऐसा अन्दाज़ इख़्तियार किया जिससे हर अक्लमन्द इनसान का दिल व दिमाग़ खुद मुतास्सिर होकर हकीकत को पहचान ले। हाँ बुत-परस्ती के खिलाफ़ बात करने में शुरू ही में सख़ी इख़्तियार फ़रमाई और अपने बाप और पूरी कौम के गुमराही पर होना साफ़ तौर पर बयान कर दिया। वजह यह थी कि बुत-परस्ती (मूर्ति पूजा) का नामाकूल और गुमराही होना बिल्कुल वाजेह और खुला हुआ था, बख़िलाफ़ सितारों की पूजा के कि उसकी गुमराही इतनी वाजेह और स्पष्ट नहीं थी।

यहाँ यह बात भी क़ाबिले गौर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों की पूजा के खिलाफ़ अपनी कौम के सामने जो दलील बयान फ़रमायी है उसका हासिल यह है कि जो चीज़ अदलती-बदलती रहती हो और उसके हालात अदल-बदल होते रहते हों, और वह अपनी हरकतों में किसी दूसरी ताक़त के ताबे हो, वह हरगिज़ इस लायक़ नहीं कि उसको अपना रब करार दें। दलील देने के इस अन्दाज़ में सितारों के निकलने, छुपने और बीच की तमाम हालतों से दलील पकड़ी जा सकती थी कि वे अपनी हरकतों (चाल वगैरह) में खुदमुख्तार नहीं, किसी के हुक़म के ताबे एक खास चाल पर चल रहे हैं, लेकिन हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इन तमाम हालात व कैफ़ियतों में से तर्क देने के लिये उन सितारों के छुपने को पेश किया, क्योंकि उनका गुरुब (छुपना और अस्त होना) अ़वाम की नज़रों में एक तरह से उनका ज़वाल (खात्मा) समझा जाता है, और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का दलील देने और समझाने का आम अन्दाज़ वह होता है जो अ़वाम के ज़ेहनों पर असर डालने वाला हो। वे फ़लसफ़ियाना तथ्यों और वास्तविकताओं के

पीछे ज्यादा नहीं पड़ते, बल्कि आम जेहनों के मुताबिक खिताब फरमाते हैं। इसलिये उन सितारों की बेबसी और बेअसर होना साबित करने के लिये उनके गुरूब होने को पेश किया, वरना उनके बेबस और बेक़ुदरत होने पर तो उनके निकलने और उदय होने से भी दलील दी जा सकती थी, और उसके बाद गुरूब (छुपने और अस्त होने) से पहले जितनी तब्दीलियाँ पेश आती हैं उनसे भी इस पर दलील पकड़ी जा सकती है।

इस्लाम के प्रचारकों के लिये चन्द हिदायतें

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुनाज़रे (वहस करने) के इस अन्दाज़ से उलेमा और इस्लामी प्रचारकों के लिये चन्द अहम हिदायतें हासिल हुईं: अब्बल यह कि कौमों की तब्दील व सुधार में न हर जगह सख़ी मुनासिब है न हर जगह नमी, बल्कि हर एक का एक मौका और एक हद है। चुनाँचे बुत-परस्ती के मामले में हज़रत खलीलुल्लाह ने सख़्त अलफ़ाज़ इस्तेमाल फ़रमाये हैं, क्योंकि उसकी गुमराही आम देखने में आने वाली चीज़ है, और सितारों की पूजा के मामले में ऐसे सख़्त अलफ़ाज़ इस्तेमाल नहीं फ़रमाये, बल्कि एक खास तदबीर से मामले की हकीकत को कौम के ज़हन में बैठाया, क्योंकि ग्रहों और सितारों का बेबस और बेइख़्तियार होना इतना वाज़ेह और खुला हुआ नहीं था जितना खुद अपने आप तैयार किये हुए बुतों का। इससे मालूम हुआ कि अ़वाम अगर किसी ऐसी ग़लती में मुब्तला हों जिसका ग़लती और गुमराही होना आम नज़रों में वाज़ेह न हो तो आलिम और मुबल्लिग़ (इस्लामी प्रचारक) को चाहिये कि सख़ी के बजाय उनके शुब्हात को दूर करने की तदबीर करे।

दूसरी हिदायत इसमें यह है कि हक़ और हकीकत के इज़हार के लिये इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को यूँ ख़िताब नहीं किया कि तुम ऐसा करो, बल्कि अपना हाल बतला दिया कि मैं तो इन निकलने और छुपने के चक्कर में रहने वाली चीज़ों को माबूद करार नहीं दे सकता, इसलिये मैंने अपना रुख़ एक ऐसी हस्ती की तरफ़ कर लिया है जो इन सब चीज़ों को पैदा करने वाली और पालने वाली है। मक़सद तो यह था कि तुमको भी ऐसा ही करना चाहिये, मगर हकीमाना अन्दाज़ में स्पष्ट तौर पर ख़िताब से परहेज़ फ़रमाया, ताकि वे ज़िद पर न आ जायें। इससे मालूम हुआ कि सुधारक और मुबल्लिग़ (इस्लामी प्रचारक) का सिर्फ़ यह काम नहीं कि हक़ बात को जिस तरह चाहे कह डाले, बल्कि उस पर लाज़िम है कि ऐसे अन्दाज़ से कहे जो लोगों के लिये असरदार और प्रभावी हो।

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ

لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَاسَ

كُلِّمْنَا الصَّالِحِينَ ۝ وَاسْمِعِيلَ ۝ وَالْيَسَعَ ۝ وَيُوشَعَ ۝ وَ لُوطًا ۝ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَمِن آبَائِهِمْ وَ
 ذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۝ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۝ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَ
 الذِّبْقَةَ ۝ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ۝

अल्लजी-न आमनू व लम् यल्बिसू
 ईमानहुम् बिजुल्मिन् उलाइ-क लहुमुल्-
 अम्नु व हुम् मुस्तदून (82) ❀
 व तिल्-क हुज्जतुना आतैनाहा
 इब्राही-म अला कौमिही, नरफ़ु
 द-रजातिम् मन्-नशा-उ, इन्-न
 रब्ब-क हकीमुन् अलीम (83) व
 वहब्ना लहू इस्हा-क व यज़्कू-ब,
 कुल्लन् हदैना व नूहन् हदैना मिन्
 कब्लु व मिन् जुरिय्यातिही दावू-द व
 सुलैमा-न व अय्यू-ब व यूसु-फ़ व
 मूसा व हारून-न, व कजालि-क
 नज्जिल् मुहिसनीन (84) व
 ज़-करिया व यहया व अीसा व
 इलया-स कुल्लुम् मिनस्सालिहीन
 (85) व इस्माअी-ल वल्य-स-अ-ब
 यूसु-स व लूतन्, व कुल्लन् फ़ज्जल्ला
 अलल् अलमीन (86) व मिन्
 आबाइहिम् व जुरिय्यातिहिम् व

जो लोग यकीन ले आये और नहीं मिला
 दिया उन्होंने अपने यकीन में कोई
 नुकसान, उन्हीं के वास्ते है दिल का सुकून
 और वही हैं सीधी राह पर। (82) ❀
 और यह हमारी दलील है जो कि हमने दी
 थी इब्राहीम को उसकी कौम के मुकाबले
 में। दर्जे बुलन्द करते हैं हम जिसके चाहें,
 तेरा रब हिक्मत वाला है, जानने वाला।
 (83) और बख़्शा हमने इब्राहीम को
 इस्हाक और याकूब, सबको हमने हिदायत
 दी, और नूह को हिदायत की हमने उन
 सबसे पहले और उसकी औलाद में
 सुलैमान और अय्यूब और यूसुफ़ और
 मूसा और हारून को, और हम इसी तरह
 बदला दिया करते हैं नेक काम-वालों
 को। (84) और ज़करिया और यहया और
 इसा और इलियास को, सब हैं नेकबख़्तों
 में। (85) और इस्माईल और अल-यसअ
 और यूसुस को और लूत को, और सब
 को हमने बुजुर्गी दी सारे जहान वालों
 पर। (86) और हिदायत की हमने बाजों
 को उनके बाप-दादाओं में से और उनकी

इख्वानिहिम् वज्तबैनाहुम् व हदैनाहुम्
 इला सिरातिम् मुस्तकीम (87)
 जालि-क हुदल्लाहि यहदी बिही
 मंय्यशा-उ मिन् जिबादिही, व लौ
 अशरकू ल-हबि-त अन्हुम् मा कानू
 यअमलून (88) उला-इकल्लजी-न
 आतैनाहुमुल्-किता-ब वल्हुक्-मं
 वन्नुबुव्व-त फ-इय्यक्फुर बिहा
 हा-उला-इ फ-कद् वक्कल्ला बिहा
 कौमल्लैसू बिहा बिकाफिरीन (89)

औलाद में से और भाईयों में से, और
 उनको हमने पसन्द किया और सीधी राह
 चलाया। (87) यह अल्लाह की हिदायत है
 इस पर चलाता है जिसको चाहे अपने
 बन्दों में से, और अगर ये लोग शिर्क
 करते तो यकीनन जाया हो जाता जो
 कुछ इन्होंने किया था। (88) यही लोग
 थे जिनको दी हमने किताब और शरीअत
 और नुबुव्वत, फिर अगर इन बातों को न
 मानें मक्का वाले तो हमने इन बातों के
 लिये मुकर्रर कर दिये हैं ऐसे लोग जो
 इनसे इनकार करने वाले नहीं हैं। (89)

खुलासा-ए-तफसीर

जो लोग (अल्लाह पर) ईमान रखते हैं और अपने (इस) ईमान को शिर्क के साथ नहीं
 मिलाते, ऐसों ही के लिए (कियामत में) अमन है और वही (दुनिया में सीधे) रास्ते पर (चल रहे)
 हैं। (और वे सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले हैं, बखिलाफ मुश्रिकीन के कि अगरचे एक तरह
 से वे भी खुदा पर ईमान रखते हैं क्योंकि खुदा के कायल हैं, लेकिन शिर्क भी करते हैं जिससे
 शरई ईमान का इनकार हो जाता है। जब एक अल्लाह को मानने वाले काबिले अमन हैं सो इस
 सूरत में खुद तुम डरो, न कि मुझको डराते हो, हालाँकि न तुम्हारे खुदा इस काबिल कि उनसे
 डरा जाये, न मैंने कोई काम डर का किया, और न दुनिया का खौफ काबिले एतिबार। और
 तुम्हारी हालत तीनों एतिबार से खौफ और डरने के काबिल है)।

और यह (दलील जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद पर कायम की थी) हमारी (दी हुई)
 हुज्जत (दलील) थी जो हमने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को उनकी कौम के मुकाबले में दी थी।
 (जब हमारी दी हुई थी तो यकीनन आला दर्जे की थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या
 खुसूसियत है) हम (तो) जिसको चाहते हैं (इल्मी व अमली) मर्तबों में बढ़ा देते हैं (चुनाँचे तमाम
 नबियों को दर्जों की यह बुलन्दी अता फरमाई) बेशक आपका रब बड़ा हिक्मत वाला, बड़ा इल्म
 वाला है (कि हर एक का हाल और सलाहियत जानता है और हर एक के मुनासिब उसको
 कमाल अता फरमाता है)। और (हमने जैसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जाती इल्म व अमल का
 कमाल दिया, इसी तरह अतिरिक्त कमाल भी दिया कि उनके बड़ों और औलाद में से बहुतों को
 कमाल दिया, चुनाँचे) हमने उनको (एक बेटा) इस्हाक और (एक पोता) याकूब (दिया, और इससे)

दूसरी औलाद की नफ़ी नहीं होती, और दोनों साहिबों में से) हर एक को (हक़ रास्ते की) हमने हिदायत की। और (इब्राहीम से) पहले ज़माने में हमने नूह (अलैहिस्सलाम) को (जिनका इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पुर्खों में होना मशहूर है और असल की बड़ाई उसकी नस्ल में भी प्रभावी होती है, हक़ रास्ते की) हिदायत की, और उन (यानी इब्राहीम) की औलाद (चाहे वह औलाद लुगवी या उर्फ़ी या शरई) में से (आखिर तक जितनों का जिक्र है सब को हक़ रास्ते की हिदायत की, यानी) दाऊद (अलैहिस्सलाम) को और (उनके बेटे) सुलैमान (अलैहिस्सलाम) को और अय्यूब (अलैहिस्सलाम) को और यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) को और मूसा (अलैहिस्सलाम) को और हारून (अलैहिस्सलाम) को (हक़ रास्ते की हिदायत की), और (जब ये हिदायत पर चले तो हमने इनको बेहतरीन बदला भी दिया जैसे सवाब और अल्लाह की ज़्यादा निकटता, और जिस तरह नेक कामों पर उनको जज़ा दी) इसी तरह हम नेक काम करने वालों को बदला दिया करते हैं।

और साथ ही (हमने हक़ रास्ते की हिदायत की) ज़करिया (अलैहिस्सलाम) को और (उनके बेटे) यस्या (अलैहिस्सलाम) को और ईसा (अलैहिस्सलाम) को और इलियास (अलैहिस्सलाम) को, और ये सब (हज़रात) पूरे शाईस्ता "यानी तहज़ीब वाले और अख़्लाक व मुरव्वत वाले नेक" लोगों में थे। और (हमने सही रास्ते की हिदायत की) इस्माईल (अलैहिस्सलाम) को और यसअ (अलैहिस्सलाम) को और यूनस (अलैहिस्सलाम) को और लूत (अलैहिस्सलाम) को, और (इनमें से) हर एक को (उन ज़मानों के) तमाम जहान वालों पर हमने (नुबुव्वत से) फज़ीलत दी और साथ ही इन (जिक्र शुदा हज़रात) के कुछ बाप-दादों को और कुछ औलाद को और कुछ भाईयों को (हक़ रास्ते की हमने हिदायत की), और हमने इन (सब) को मक़बूल बनाया और हमने इन सब को सही रास्ते (यानी दीने हक़) की हिदायत की।

(और वह दीन जिसकी इन सब को हिदायत हुई थी) अल्लाह की (जानिब से जो) हिदायत (होती है) वह यही (दीन) है, अपने बन्दों में से जिसको चाहे इसकी हिदायत (यानी मन्ज़िल पर पहुँचाने की सूरत में) करता है, (चुनाँचे अब जो लोग मौजूद हैं उनको भी इसी की हिदायत इस मायने में हुई कि उनको सही रास्ता दिखा दिया, फिर मन्ज़िल पर पहुँचना या न पहुँचना उनका काम है, मगर उनमें से कुछ ने उसको छोड़कर शिर्क इख़्तियार कर लिया) और (शिर्क इस कदम नापसन्द चीज़ है कि अम्बिया के अलावा दूसरे लोग तो किस गिनती में हैं) अगर (थोड़ी देर को मान लें कि) ये (उपर्युक्त अम्बिया) हज़रात भी (नऊजु बिल्लाह) शिर्क करते तो जो कुछ ये (नेक) आमाल किया करते थे उनके वह सब बेकार हो जाते।

(आगे नुबुव्वत के मसले की तरफ़ इशारा है कि) ये (जितने जिक्र हुए) ऐसे थे कि हमने इन (के मजमूए) को (आसमानी) किताब और हिक़मत (के उलूम) और नुबुव्वत अता की थी, (तो नुबुव्वत ताज्जुब की चीज़ नहीं जो यह काफ़िर लोग आपका इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मिसालें मौजूद हैं) सो अगर (नज़ीर और मिसाल मौजूद होने पर भी) ये लोग (आपकी) नुबुव्वत का इनकार करें तो (आप गुम न कीजिए क्योंकि) हमने इसके (मानने के) लिए बहुत-से ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं (यानी मुहाजिरीन व अन्सार सहाबा) जो इसके इनकारी नहीं हैं।

मआरिफ़ व मसाईल

उपर्युक्त आयतों में से शुरू की आयतों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाज़रा अपने बाप आजर और नमरूद की पूरी कौम के साथ मज़कूर था। जिसमें उनकी बुत-परस्ती (मूर्ति पूजा) और सितारों को पूजने के खिलाफ़ यकीनी सबूत पेश करने के बाद उक्त आयतों में अपनी कौम को खिताब फ़रमाया कि तुम मुझे अपने बुतों से डराते हो कि मैं इनका इनकार करूँगा तो ये मुझे बरबाद कर देंगे, हालाँकि न बुतों में इसकी कुदरत है और न मैंने कोई काम ऐसा किया है जिसके नतीजे में मुझे कोई मुसीबत पहुँचे, बल्कि डरना तुम्हें चाहिये कि तुमने जुर्म भी ऐसा सख्त किया है कि अल्लाह की मख़्लूक बल्कि मख़्लूक की बनाई हुई चीज़ों को खुदा का शरीक और बराबर कर दिया, और फिर खुदा तआला का अलीम व ख़बीर और कादिर मुतलक होना भी किसी अक्ल वाले से छुपा नहीं तो अब तुम जो सोचकर बतलाओ कि अमन और इत्मीनान का हक़दार कौन है, और डरना किसको चाहिये?

इन आयतों में से पहली आयत में यह मज़मून इरशाद फ़रमाया कि अज़ाब से सुरक्षित व मुत्मईन सिर्फ़ वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह पर ईमान लायें, और फिर अपने ईमान में किसी जुल्म की मिलावट न करें। हदीस में है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो सहाबा-ए-किराम सहम गये और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! हम में से कौन ऐसा है जिसने कोई जुल्म अपनी जान पर गुनाह के ज़रिये नहीं किया, और इस आयत में अज़ाब से बचने की यह शर्त है कि ईमान के साथ कोई जुल्म न किया हो, तो फिर हमारी निजात की क्या सबील है? हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम आयत का सही मतलब नहीं समझे, आयत में जुल्म से मुराद शिर्क है जैसा कि एक दूसरी आयत में इरशाद है:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

इसलिये आयत की मुराद यह है कि जो शख्स ईमान लाये और फिर उसमें अल्लाह तआला की जात व सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराये, वह अज़ाब से महफूज़ और हिदायत पाने वाला है।

खुलासा यह है कि बुतों, पत्थरों, दरख़्तों, सितारों, दरियाओं को पूजने वाली मख़्लूक अपनी बेवकूफी से इन चीज़ों को इख़्तियार वाला समझती है, और इनकी इबादत छोड़ने से इसलिये डरती है कि कहीं ये चीज़ें हमें कोई नुक़सान न पहुँचा दें। हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने गुर की बात उनको बतलाई कि खुदा तआला जो तुम्हारे हर काम से बाख़बर भी है और तुम्हारे हर भले-बुरे पर पूरी तरह कादिर भी है उससे तो तुम डरते नहीं, कि उसकी नाफ़रमानी करने से कोई मुसीबत आ जायेगी, और जिन चीज़ों में न इल्म है न कुदरत उनसे ऐसे डरते हो? यह सिवाय बेअवली के और क्या है। डरना सिर्फ़ अल्लाह तआला से चाहिये, और जिसका उस पर ईमान हो वह किसी ख़तरे में नहीं।

इस आयत में 'व लम् यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन्' फ़रमाया है। इसमें जुल्म से तो रूख़ते

क़रीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वज़ाहत के मुवाफ़िक़ शिर्क़ मुराद है, आम गुनाह मुराद नहीं। लेकिन लफ़ज़ "बिजुलिम्न्" को बिना खास किये लाकर अरबी भाषा के ग्रामर के मुताबिक़ आम कर दिया, जो हर किस्म के शिर्क़ को शामिल है, और लफ़ज़ "लम् यल्बिसू" लबि-स से बना है जिसके एक मायने हैं "ओढ़ना" या गड़मड़ कर देना, और आयत की मुराद यह है कि जो आदमी अपने इमान में किसी किस्म का शिर्क़ मिला दे यानी खुदा तआला को कभाल की तमाम सिफ़ात के साथ मानने के बावजूद ग़ैरुल्लाह को भी उनमें से कुछ सिफ़ात को अपने अन्दर रखने वाला समझे वह इस अमन व इमान से ख़ारिज है।

इस आयत से मालूम हुआ कि शिर्क़ सिर्फ़ यही नहीं कि खुले तौर पर मुशिरक व बुत-परस्त हो जाये, बल्कि वह आदमी भी मुशिरक है जो अगरचे किसी बुत की पूजा-पाट नहीं करता और इस्लाम का कलिमा पढ़ता है, मगर किसी फ़रिश्ते या रसूल या किसी वलीयुल्लाह को अल्लाह की कुछ खास सिफ़ात का शरीक ठहराये। इसमें उन अ़वाम के लिये सख़्त तंबीह (चेतावनी) है जो औलिया-अल्लाह और उनके मज़ारों को हाजत पूरी करने वाला समझते हैं और अ़मलन उनको ऐसा समझते हैं कि गोया खुदाई के इख़्तियारात उनके हवाले कर दिये गये हैं। अल्लाह तआला हमें इससे अपनी पनाह में रखे।

दूसरी आयत में हक़ तआला ने इरशाद फ़रमाया कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम के मुनाज़रे में खुली फ़तह पाई और उनको लाजवाब कर दिया, यह हमारा ही इनाम था कि उनको सही नज़रिया अ़ता किया, फिर उसके स्पष्ट दलाईल बतला दिये। किसी को अपनी अ़क़ल व समझ या तकरीर और बयान के जोर पर नाज़ न होना चाहिये, बग़ैर खुदा तआला की इमदाद के किसी का बेड़ा पार नहीं होता, हक़ीक़तों और तथ्यों को समझने के लिये और उन तक रसाई पाने के लिये सिर्फ़ इनसानी अ़क़ल काफ़ी नहीं, जिसको हर दौर में देखा जाता रहा है कि बड़े-बड़े माहिर फ़लॉस्फ़र गुमराही के रास्ते पर पड़ जाते हैं और बहुत से अनपढ़ जाहिल सही अ़क़ीदे और नज़रिये के पाबन्द हो जाते हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने ख़ूब फ़रमाया है:

बेइनायात-ए-हक़ व ख़ासान-ए-हक़

गर मलक बाशद सियाह हस्तश वरक़

कि जब तक अल्लाह और अल्लाह वालों की इनायत और नज़रे करम न हो अगर कोई फ़रिश्ता भी हो तब भी उसका नामा-ए-आमाल सियाह ही रहेगा। हिन्दी अनुवादक

आयत के अंख़िर में फ़रमाया:

نَرَفَعُ دَرَجَتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ

यानी हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलन्द कर देते हैं। इसमें इशारा है कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को जो पूरे आलम में और कियामत तक आने वाली नस्लों में खास इज़्ज़त व मक़ाम अ़ता हुआ कि यहूदी, ईसाई, मुसलमान, बुद्धमत वाले वग़ैरह सब के सब उनके ऊँचे

मआरिफ व मसाईल

उपर्युक्त आयतों में से शुरू की आयतों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाज़रा अपने बाप आजर और नमरूद की पूरी कौम के साथ मज़कूर था। जिसमें उनकी बुत-परस्ती (मूर्ति पूजा) और सितारों को पूजने के खिलाफ़ यकीनी सुबूत पेश करने के बाद उक्त आयतों में अपनी कौम को खिताब फ़रमाया कि तुम मुझे अपने बुतों से डराते हो कि मैं इनका इनकार करूँगा तो ये मुझे बरबाद कर देंगे, हालाँकि न बुतों में इसकी कुदरत है और न मैंने कोई काम ऐसा किया है जिसके नतीजे में मुझे कोई मुसीबत पहुँचे, बल्कि डरना तुम्हें चाहिये कि तुमने जुर्म भी ऐसा सख्त किया है कि अल्लाह की मख़्लूक बल्कि मख़्लूक की बनाई हुई चीज़ों को खुदा का शरीक और बराबर कर दिया, और फिर खुदा तआला का अलीम व ख़बीर और कादिर मुतलक होना भी किसी अक्ल वाले से छुपा नहीं तो अब तुम जो सोचकर बतलाओ कि अमन और इल्मीनान का हक़दार कौन है, और डरना किसको चाहिये?

इन आयतों में से पहली आयत में यह मज़मून इरशाद फ़रमाया कि अज़ाब से सुरक्षित व मुत्मईन सिर्फ़ वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह पर ईमान लायें, और फिर अपने ईमान में किसी जुल्म की मिलावट न करें। हदीस में है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो सहाबा-ए-किराम सहम गये और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! हम में से कौन ऐसा है जिसने कोई जुल्म अपनी जान पर गुनाह के ज़रिये नहीं किया, और इस आयत में अज़ाब से बचने की यह शर्त है कि ईमान के साथ कोई जुल्म न किया हो, तो फिर हमारी निजात की क्या सबील है? हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम आयत का सही मतलब नहीं समझे, आयत में जुल्म से मुराद शिर्क है जैसा कि एक दूसरी आयत में इरशाद है:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

इसलिये आयत की मुराद यह है कि जो शख्स ईमान लाये और फिर उसमें अल्लाह तआला की जात व सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराये, वह अज़ाब से महफूज़ और हिदायत पाने वाला है।

खुलासा यह है कि बुतों, पत्थरों, दरख़्तों, सितारों, दरियाओं को पूजने वाली मख़्लूक अपनी बेवक़ूफी से इन चीज़ों को इख़्तियार वाला समझती है, और इनकी इबादत छोड़ने से इसलिये डरती है कि कहीं ये चीज़ें हमें कोई नुक़सान न पहुँचा दें। हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने गुर की बात उनको बतलाई कि खुदा तआला जो तुम्हारे हर काम से बाख़बर भी है और तुम्हारे हर भले-बुरे पर पूरी तरह कादिर भी है उससे तो तुम डरते नहीं, कि उसकी नाफ़रमानी करने से कोई मुसीबत आ जायेगी, और जिन चीज़ों में न इल्म है न कुदरत उनसे ऐसे डरते हो? यह सिवाय बेअक्ली के और क्या है। डरना सिर्फ़ अल्लाह तआला से चाहिये, और जिसका उस पर ईमान हो वह किसी ख़तरे में नहीं।

इस आयत में 'व लम् यत्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन्' फ़रमाया है। इसमें जुल्म से तो रसूल

करिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वज़ाहत के मुवाफ़िक़ शिर्क़ मुराद है, आम गुनाह मुराद नहीं। लेकिन लफ़ज़ "बिजुल्मिन्" को बिना ख़ास किये लाकर अरबी भाषा के ग्रामर के मुताबिक़ आम कर दिया, जो हर किस्म के शिर्क़ को शामिल है, और लफ़ज़ "लम् यल्बिसू" लबि-स से बना है जिसके एक मायने हैं "ओढ़ना" या गड़मड़ कर देना, और आयत की मुराद यह है कि जो आदमी अपने ईमान में किसी किस्म का शिर्क़ मिला दे यानी खुदा तआला को कमाल की तमाम सिफ़ात के साथ मानने के बावजूद ग़ैरुल्लाह को भी उनमें से कुछ सिफ़ात को अपने अन्दर रखने वाला समझे वह इस अमन व ईमान से ख़ारिज है।

इस आयत से मालूम हुआ कि शिर्क़ सिर्फ़ यही नहीं कि खुले तौर पर मुश्रिक व बुत-परस्त हो जाये, बल्कि वह आदमी भी मुश्रिक है जो अगरचे किसी बुत की पूजा-पाट नहीं करता और इस्लाम का कलिमा पढ़ता है, मगर किसी फ़रिश्ते या रसूल या किसी वलीयुल्लाह को अल्लाह की कुछ ख़ास सिफ़ात का शरीक ठहराये। इसमें उन अ़वाम के लिये सख़्त तंबीह (चेतावनी) है जो ओलिया-अल्लाह और उनके मज़ारों को हाजत पूरी करने वाला समझते हैं और अमलन उनको ऐसा समझते हैं कि गोया खुदाई के इख़्तियारत उनके हवाले कर दिये गये हैं। अल्लाह तआला हमें इससे अपनी पनाह में रखे।

दूसरी आयत में हक़ तआला ने इरशाद फ़रमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम के मुनाज़रे में खुली फ़तह पाई और उनको लाजवाब कर दिया, यह हमारा ही इनाम था कि उनको सही नज़रिया अ़ता किया, फिर उसके स्पष्ट दलाईल बतला दिये। किसी को अपनी अक्ल व समझ या तक़रीर और बयान के जोर पर नाज़ न होना चाहिये, बग़ैर खुदा तआला की इमदाद के किसी का बेड़ा पार नहीं होता, हकीक़तों और तथ्यों को समझने के लिये और उन तक़ रसाई पाने के लिये सिर्फ़ इनसानी अक्ल काफ़ी नहीं, जिसको हर दौर में देखा जाता रहा है कि बड़े-बड़े माहिर फ़लॉस्फ़र गुमराही के रास्ते पर पड़ जाते हैं और बहुत से अनपढ़ जाहिल सही अ़कीदे और नज़रिये के पाबन्द हो जाते हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ख़ूब फ़रमाया है:

बेइनायात-ए-हक़ व ख़ासान-ए-हक़

गर मलक़ बाशद सियाह हस्तश वरक़

कि जब तक अल्लाह और अल्लाह वालों की इनायत और नज़रे करम न हो अगर कोई फ़रिश्ता भी हो तब भी उसका नामा-ए-आमाल सियाह ही रहेगा। हिन्दी अनुवादक

आयत के आख़िर में फ़रमाया:

رَفَعُ دَرَجَتٍ مِّنْ نُّسَاءٍ

यानी हम जिसके चाहते हैं दर्जे वुल्न्द कर देते हैं। इसमें इशारा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो पूरे आलम में और कियामत तक आने वाली नस्लों में ख़ास इज़्ज़त व इक़्राम अ़ता हुआ कि यहूदी, ईसाई, मुसलमान, बुद्धमत वाले वगैरह सब के सब उनके ऊँचे

मक़ाम और पवित्रता के कायल और उनका सम्मान करते चले आये हैं, यह भी हमारा ही फज़ल व इनाम है, किसी की मेहनत व कोशिश का इसमें दखल नहीं।

इसके बाद की छह आयतों में सत्रह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सूची शुमार की गयी है जिनमें से कुछ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप-दादा (पुर्खे) हैं और अक्सर उनकी औलाद हैं, और कुछ उनके भाई-भतीजे हैं। इन आयतों में एक तरफ़ तो इन हज़रत का हिदायत पर होना, नेक लोगों में होना, सही रास्ते पर होना बयान फ़रमाया गया है, और यह बतलाया गया है कि इनको अल्लाह तआला ने ही अपने दीन की ख़िदमत के लिये चुना और कुबूल फ़रमा लिया है, और दूसरी तरफ़ यह जतलाया गया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में अपने बाप, बिरादरी और वतन को छोड़ दिया था तो अल्लाह तआला ने आख़िरत के बुलन्द दर्जे और हमेशा की और बेमिसाल राहतों से पहले दुनिया में भी उनको अपनी बिरादरी से बेहतर बिरादरी और वतन से बेहतर वतन अता फ़रमाया, और यह बड़ा सम्मान अता फ़रमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद क़ियामत तक जितने अम्बिया व रसूल भेजे गये वे सब उनकी औलाद में हैं। एक शाखा जो हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम से चली उसमें बनी इस्माईल के तमाम अम्बिया आये और दूसरी शाखा जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से चली उसमें तमाम इनसानों के सरदार और नुबुव्वत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पैदा हुए और यह सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद व नस्ल हैं। इससे यह भी मालूम हुआ कि अगरचे इज़्ज़त व ज़िल्लत और निजात व अज़ाब का असल मदार इनसान के अपने जाती आमाल पर है लेकिन बाप-दादा (यानी पूर्वजों) में किसी नबी, वली का होना या औलाद में आलिमों और नेक लोगों का होना भी एक बड़ी नेमत है, और इससे भी इनसान को फ़ायदा पहुँचता है।

इन सत्रह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में जिनकी फ़ेहरिस्त उक्त आयतों में दी गयी है एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूर्वज हैं, बाकी सब को उनकी औलाद फ़रमाया है:

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ. الْآيَةَ.

इसमें एक शुब्हा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हो सकता है कि वह बग़ैर बाप के पैदा होने की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुत्री-औलाद में से हैं, यानी पोते नहीं बल्कि नवासे हैं, तो उनको औलाद व नस्ल कहना कैसे सही होगा? इसका जवाब ज्यादातर उलेमा व फ़ुक़हा ने यह दिया है कि लफ़ज़ ज़ुर्रियत पोतों और नवासों दोनों को शामिल है, और इसी से दलील पकड़ी है कि हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ुर्रियत (नस्ल) में दाख़िल हैं।

दूसरा शुब्हा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में है कि वह औलाद में नहीं बल्कि भतीजे हैं। लेकिन इसका जवाब भी स्पष्ट है कि उर्फ़ (आम बोलचाल) में चचा को बाप और भतीजे को

वेदा कहना बहुत ही आम जानी-पहचानी बात है।

ज़िक्र हुई आयतों में हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के इनामात बयान फ़रमा कर एक तरफ़ तो कुदरत का यह क़ानून बतला दिया गया कि जो शख्स अल्लाह तआला की राह में अपनी महबूब (प्यारी और पसन्दीदा) चीज़ों को क़ुरबान करता है अल्लाह तआला उसको दुनिया में भी उससे बेहतर चीज़ें अता फ़रमा देते हैं। दूसरी तरफ़ मक्का के मुशिरकों को यह हालात सुनाकर इस तरफ़ हिदायत करना मक़सूद है कि तुम लोग मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात नहीं मानते तो देखो जिनको तुम भी सब बड़ा मानते हो यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका पूरा ख़ानदान वे सब यही कहते चले आये हैं कि काबिले इबादत सिर्फ़ एक यानी हक़ तआला की जात है, उसके साथ किसी को इबादत में शरीक करना या उसकी मख्सूस सिफ़ात का साज़ी बतलाना कुफ़्र व गुमराही है। तुम लोग खुद अपने अक़ीदे और मानी हुई बातों के अनुसार भी मुल्ज़िम हो।

आठवीं आयत में यही मज़मून इरशाद फ़रमाया गया और उसके आख़िर में हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली देने के लिये इरशाद फ़रमाया:

فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ

यानी अगर आपके कुछ मुख़ातब आपकी बात नहीं मानते और पहले गुज़रे तमाम अम्बिया की हिदायतें पेश कर देने के बावजूद इनकार ही पर तुले हुए हैं तो आप ग़म न करें, क्योंकि हमने आपकी दावत व हिदायत को मानने और अपनाने के लिये एक बड़ी क़ौम को बना और तैयार कर रखा है, वे कुफ़्र व इनकार के पास न जायेंगे। इसमें नबी करीम के मुबारक ज़माने में मौजूद मुहाजिरीन व अन्सार सहाबा भी दाख़िल हैं और क़ियामत तक आने वाले मुसलमान भी। और यह आयत इन सब लोगों के लिये फ़ख़ व सम्मान की बात है कि अल्लाह तआला ने इनको तारीफ़ के मक़ाम में ज़िक्र फ़रमाया है। या अल्लाह हमें भी उन्हीं लोगों में शामिल फ़रमा और उन्हीं के साथ हमारा हशर फ़रमा। आमीन

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاتِهِمْ

اقتداهم قُلْ لَا اسْتِغْنَاءَ عَلَيْهِمْ أَجْرَادُهُمْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْزِيَ قَرِاطِينَ تَبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلَيْتُم مَّالَهُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ وَإِبَادُكُم مَّا قِيلَ اللَّهُ تَبَدُّوا فِي حُوفِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ بِبُرْكَ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ

الْبُوتِ وَالْمَالِكَةِ بِأَسْطُوَ الْأَيْدِيهِمْ، أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

उला-इकल्लजी-न हदल्लाहु फ़बिहुदाहु-
-मुक्तदिह, कुल् ला अस्अलुकुम्
अलैहि अजरन्, इन् हु-व इल्ला
ज़िकरा लिल्-आलमीन (90) ❀

व मा क-दरुल्ला-ह हक्-क कदरिही
रज़् कालू मा अन्ज़लल्लाहु अला
ब-शरिम् मिन् शैइन्, कुल् मन्
अन्ज़लल्-किताबल्लजी जा-अ बिही
मूसा नूरं-व हुदल्-लिन्नासि
तज्जलूनहू कराती-स तुब्दूनहा व
तुख्फू-न कसीरन् व अल्लिम्तुम् मा
लम् तअलमू अन्तुम् व ला
आबाउकुम्, कुलिल्लाहु सुम्-म
ज़रहुम् फ़ी ख़ौज़िहिम् यल्लअबून
(91) व हाज़ा किताबुन् अन्ज़ल्लाहु
मुबारकुम्-मुसदिकुल्लजी बै-न यदैहि
व लितुन्जि-र उम्भल्कुरा व मन्
हौलहा, वल्लजी-न युअ्मिन्-न
बिल्आख़ि-रति युअ्मिन्-न बिही व

ये वे लोग थे जिनको हिदायत की
अल्लाह ने, सो तू चल उनके तरीके पर।
तू कह दे कि मैं नहीं माँगता तुमसे इसपर
कुछ मज़दूरी, यह तो सिर्फ़ नसीहत है
जहान के लोगों को। (90) ❀

और नहीं पहचाना उन्होंने अल्लाह को
पूरा पहचानना, जब कहने लगे कि नहीं
उतारी अल्लाह ने किसी इनसान पर कोई
चीज़, तू पूछ कि किसने उतारी वह
किताब जो मूसा लेकर आया था, रेशन
थी और हिदायत थी लोगों के वास्ते,
जिसको तुमने पन्ने-पन्ने करके लोगों को
दिखलाया और बहुत सी बातों को तुमने
छुपा रखा था और तुमको सिखला दीं
जिनको न जानते थे तुम और न तुम्हारे
बाप दादा, तू कह दे कि अल्लाह ने
उतारी फिर छोड़ दे उनको अपनी
खुराफ़ात में खेलते रहें। (91) और यह
कुरआन किताब है जो कि हमने उतारी
बरकत वाली, तस्दीक करने वाली उनकी
जो इससे पहली हैं, और ताकि डरा दे
मक्का वालों को और उसके आस-पास
वालों को और जिनको यकीन है

हुम् अला सलातिहिम् युहाफिज़ून
 (92) व मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ़तरा
 अलल्लाहि कज़िबन् औ का-ल
 ऊहि-य इलय-य व लम् यू-ह इलैहि
 शैउव-व मन् का-ल स-उन्ज़िलु
 मिस-ल मा अन्ज़लल्लाहु, व लौ तरा
 इज़िज़्ज़ालिमू-न फी ग-मरातिल्-मौति
 वल्मलाइ-कतु बासितू ऐदीहिम्
 अख़िरजू अन्फु-सकुम्, अल्यौ-म
 तुज़्ज़ौ-न अज़ाबल्हूनि बिमा कुन्तुम्
 तकूलू-न अलल्लाहि ग़ैरल्-हक्कि व
 कुन्तुम् अन् आयातिही तस्तक्बिरून
 (93) व ल-कद् जिअ्तुमूना फुरादा
 कमा ख़लक्नाकुम् अव्व-ल मरतिव-व
 तरक्तुम् मा ख़व्वल्नाकुम् वरा-अ
 ज़ुहूरिकुम् व मा नरा म-अकुम्
 शु-फ़आ-अकुमुल्लज़ी-न ज़अम्तुम्
 अन्नहुम् फ़ीकुम् शु-रका-उ,
 लक़त्त-क़त्त-अ बैनकुम् व ज़ल्-ल
 अन्कुम् मा कुन्तुम् तज़्ज़ुमून (94) ❀

आख़िरत का, वे इस पर ईमान लाते हैं
 और वे हैं अपनी नमाज़ से ख़बरदार
 (यानी नमाज़ की हिफ़ाज़त करने वाले)।
 (92) और उससे ज़्यादा ज़ालिम कौन जो
 बाँधे अल्लाह पर बोहतान या कहे कि
 मुझ पर वही उतरी और उस पर वही नहीं
 उतरी कुछ भी, और जो कहे कि मैं भी
 उतारता हूँ उसके जैसा जो अल्लाह ने
 उतारा, और अगर तू देखे जिस वक़्त कि
 ज़ालिम हों मौत की सख़ितयों में और
 फ़रिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे हैं कि
 निकालो अपनी जानें, आज तुमको बदले
 में मिलेगा ज़िल्लत का अज़ाब इस सबब
 से कि तुम कहते थे अल्लाह पर झूठी
 बातें और उसकी आयतों से तक़ब्बुर
 करते थे। (93) और यकीनन तुम हमारे
 पास आ गये एक-एक होकर जैसे हमने
 पैदा किया था तुमको पहली बार, और
 छोड़ आये तुम जो कुछ असबाब हमने
 तुमको दिया था अपनी पीठ के पीछे,
 और हम नहीं देखते तुम्हारे साथ
 सिफ़ारिश करने वालों को जिनको तुम
 बतलाया करते थे कि उनका तुम में
 साझा है, लाज़िमी तौर पर कट गया है
 तुम्हारा ताल्लुक़ और जाते रहे जो दावे
 कि तुम किया करते थे। (94) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(और हम जो गुम न करने को और सब्र करने को कहते हैं तो वजह यह है कि सब
 अम्बिया ने ऐसा ही किया है, चुनाँचे) ये हज़रत (जिनका जिक़्र हुआ है) ऐसे थे जिनको अल्लाह
 तआला ने (सब्र की) हिदायत की थी, सो (इस बारे में) आप भी उन्हीं के तरीक़े (यानी सब्र) पर
 चलिये (चूँकि आपको भी इसकी हिदायत की गयी है, क्योंकि इनसे न आपको नफ़ा न कोई

नुक़सान है जिसकी वजह से ग़म और बेसब्री हो। और इस मज़मून के इज़हार के वास्ते इनसे तब्लीग़ के वक़्त) आप (यह भी) कह दीजिए कि मैं तुमसे इस (कुरआन की तब्लीग़) पर कोई मुआवज़ा नहीं चाहता (जिसके मिलने से नफ़ा और न मिलने से नुक़सान हो, बिना किसी गर्ज़ के नसीहत करता हूँ)। यह कुरआन तो तमाम जहान वालों के वास्ते सिर्फ़ एक नसीहत है (जिसको मानने से तुम्हारा ही नफ़ा और न मानने से तुम्हारा ही नुक़सान है)।

और इन (इनकार करने वाले) लोगों ने अल्लाह तआला की जैसी क़द्र पहचानना-याजिब थी वैसी क़द्र न पहचानी, जबकि (मुँह भरकर) यूँ कह दिया कि अल्लाह ने किसी इनसान पर कोई चीज़ (यानी कोई किताब) अभी नाज़िल नहीं की। (यह कहना क़द्र न पहचानना इसलिये है कि इससे नुबुव्वत के मसले का इनकार लाज़िम आता है, और नुबुव्वत का इनकारी अल्लाह तआला को झुठलाता है, और हक़ की तस्दीक़ याजिब है। पस इसमें ज़रूरी क़द्र पहचानने में ख़लल डालना हुआ। यह तो तहकीकी जवाब था, और इल्ज़ामी चुप कर देने वाला जवाब देने के लिये) आप (उनसे) यह कहिए कि (यह तो बतलाओ कि) वह किताब किसने नाज़िल की है जिसको मूसा (अलैहिस्सलाम) लाए थे? (यानी तौरात, जिसको तुम भी मानते हो) जिसकी यह कैफ़ियत है कि वह (खुद) नूर (की तरह स्पष्ट) है और (जिनकी हिदायत के लिये वह आई थी उन) लोगों के लिए वह (शरीअत का बयान करने की वजह से) हिदायत है, जिसको तुमने (अपनी नफ़सानी इच्छाओं के लिये) अलग-अलग पन्नों में रख छोड़ा है, जिन (में जितने और पन्नों को चाहा उन) को ज़ाहिर कर देते हो (जिसमें तुम्हारे मतलब के खिलाफ़ कोई बात न हुई) और बहुत-सी बातों को (जो अपने मतलब के खिलाफ़ हैं, यानी जिन पन्नों में वो लिखी हुई हैं उनको) छुपाते हो। और (इस किताब की बदौलत) तुमको बहुत-सी ऐसी बातें तालीम की गईं जिनको (किताब मिलने से पहले) न तुम (यानी बनी इस्राईल की क़ौम जो कि आयत के उतरने के वक़्त मौजूद थी) जानते थे और न तुम्हारे (क़रीबी सिलसिले के) बड़े (जानते थे)। मतलब यह कि जिस तौरात की यह हालत है कि उसको अब्बल तो तुम मानते हो, दूसरे नूर व हिदायत होने की वजह से मानने के काबिल भी है, तीसरे हर वक़्त तुम्हारे इस्तेमाल में है, अगरचे वह इस्तेमाल शर्मनाक है, लेकिन उसकी वजह-से इनकार की गुंजाईश तो नहीं रही, चौथे तुम्हारे हक़ में वह बड़ी नेमत और मन्नत की चीज़ है, उसी की बदौलत आलिम बने बैठे हो, इस हैसियत से भी इसमें इनकार की गुंजाईश नहीं, यह बतलाओ कि उसको किसने नाज़िल किया है। और चूँकि इस सवाल का जवाब ऐसा मुतैयन है कि वे लोग भी इसके सिवा कोई जवाब न देते, इसलिये खुद ही जवाब देने के लिये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम को हुक्म है कि) आप (वही) कह दीजिए कि अल्लाह तआला ने (उक्त किताब को) नाज़िल फ़रमाया है (और इससे उनका आम दावा बातिल हो गया)। फिर (यह जवाब सुनाकर) उनको उनके मशग़ले में बेहूदगी के साथ लगा रहने दीजिए (यानी आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गयी, न मानें तो आप फ़िक्र में न पड़ें हम खुद ही समझ लेंगे)।

और (जिस तरह तौरात हमारी नाज़िल की हुई किताब थी इसी तरह) यह (कुरआन) भी (जिसको यहूदी लोग उपर्युक्त क़ौल से झुठलाना चाहते हैं) ऐसी ही किताब है जिसको हमने

(आप पर) नाज़िल किया है, जो बड़ी (ख़ैर व) बरकत वाली है (चुनाँचे इस पर इमान लाना और अमल करना कामयाबी और दोनों जहान में फ़ायदे की चीज़ है और) अपने से पहली (नाज़िल हुई) किताबों (के अल्लाह की ओर से नाज़िल होने) की तस्दीक़ करने वाली है, (सो हमने इस कुरआन को मख़्लूक के नफ़े और पहले नाज़िल हुई आसमानी किताबों की तस्दीक़ के लिये नाज़िल फ़रमाया) और (इसलिये नाज़िल फ़रमाया) ताकि आप (इसके ज़रिये से) मक्का वालों को और उसके आस-पास वालों को (खुसूसियत के साथ अल्लाह के अज़ाब से जो कि मुख़ालफ़त पर होगा) डराएँ (और वैसे सार्वजनिक रूप से भी डरायें) ताकि आप दुनिया वालों के लिये डराने वाले हो जायें। और (आपके डराने के बाद अगरचे सब इमान न लायें लेकिन) जो लोग आख़िरत का (पूरा) यक़ीन रखते हैं (जिससे अज़ाब का अन्देशा हो जाये और उससे बचने की फ़िक्र पड़ जाये और हमेशा निजात के रास्ते की तलब और हक़ के मुतैयन करने की धुन लग जाये, चाहे किसी किताबी दलील से या अक्ल की रहनुमाई से), ऐसे लोग (तो) इस (कुरआन) पर इमान ले (ही) आते हैं और (इमान व यक़ीन के साथ इसके आमाल के भी पाबन्द होते हैं, क्योंकि अज़ाब से निजात का पूरे मजमूए पर वायदा किया गया है। चुनाँचे) वे अपनी नमाज़ की पूरी पाबन्दी करते हैं (और जब इस इबादत पर जो कि हर रोज़ पाँच बार आती है और भारी गुज़रने वाली है, पाबन्दी करते हैं तो दूसरी इबादतों के जो कि कभी-कभी आती और आसान हैं और अच्छी तरह पाबन्द होंगे। हासिल यह कि किसी के मानने न मानने की फ़िक्र न कीजिए, जो अपना भला चाहेंगे मान लेंगे, जो न चाहेंगे न मानेंगे। आप अपना काम कीजिए)।

और उस शख्स से ज़्यादा कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह तआला पर झूठ तोहमत लगाये (और पूरी तरह नुबुव्वत या ख़ास नुबुव्वत का इनकारी हो, जैसा कि ऊपर कुछ लोगों का कौल आया है कि 'अल्लाह ने किसी इनसान पर कुछ नाज़िल नहीं किया' और कुछ का कौल था कि 'क्या अल्लाह तआला ने एक इनसान को रसूल बनाकर भेजा है?') या यूँ कहे कि मुझ पर वही आती है, हालाँकि उसके पास किसी भी बात की वही नहीं आई (जैसे मुसैलमा कज़ाब वगैरह) और (इसी तरह उससे भी ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा) जो शख्स (यूँ) कहे कि जैसा कलाम अल्लाह तआला ने (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दावे के अनुसार उन पर) नाज़िल किया है उसी तरह का मैं भी ला (-कर दिखा-) ता हूँ, (जैसा कि नज़र या अब्दुल्लाह कहता था जिसका ज़िक्र हुआ। गर्ज कि ये सब लोग बड़े ज़ालिम हैं) और (ज़ालिमों का हाल यह है कि) अगर आप (उनको) उस वक़्त देखें (तो बड़ा हौलनाक मन्ज़र दिखलाई दे) जबकि ये ज़ालिम लोग (जिनका ज़िक्र हुआ) मौत की (रुहानी) सख़्तियों में (गिरफ़्तार) होंगे और (मौत के) फ़रिश्ते (जो मलकुल-मौत के मददगार हैं इनकी रूह निकालने के वास्ते इनकी तरफ़) अपने हाथ बड़ा रहे होंगे (और सख़्ती के ज़ाहिर करने को यूँ कहते जाते होंगे कि) हाँ (जल्दी) अपनी जानें निकालो, (कहाँ बचाते फिरते थे। देखो) आज (मरने के साथ ही) तुमको ज़िल्लत की सज़ा दी जाएगी (यानी जिसमें जिस्मानी तकलीफ़ भी हो और रुहानी ज़िल्लत भी हो), इस सबब से कि तुम अल्लाह तआला के जिम्मे झूठी (-झूठी) बातें बकते थे। (जैसे यही कि अल्लाह ने किसी पर कुछ

नहीं उतारा, या यह कि ऐसा कलाम तो मेरे ऊपर भी नाज़िल होता है, या यह कि ऐसी वही तो मैं भी ला सकता हूँ। वगैरह-वगैरह) और तुम उसकी (यानी अल्लाह तआला की) आयतों (के कुबूल करने) से (जो कि हिदायत का सबब थी) घमण्ड करते थे।

(यह कैफ़ियत तो मौत के वक़्त होगी) और (जब क़ियामत का दिन होगा तो अल्लाह तआला फ़रमायेंगे) तुम हमारे पास (यार व मददगार से) अकेले-अकेले (होकर) आ गये (और इस हालत से आये) जिस तरह हमने तुमको पहली बार (दुनिया में) पैदा किया था (कि न बदन पर कपड़ा न पाँव में जूता) और जो कुछ हमने तुमको (दुनिया में साज़ व सामान) दिया था (जिस पर तुम भूले बैठे थे) उसको अपने पीछे ही छोड़ आए, (साथ कुछ न ला सके। मतलब यह कि माल व दौलत के भरोसे पर न रहना, यह सब यहीं रह जायेगा) और (तुममें जो कुछ को अपने झूठे माबूदों की शफ़ाअत का भरोसा था सो) हम तो तुम्हारे साथ (इस वक़्त) तुम्हारे उन शफ़ाअत करने वालों को नहीं देखते (जिससे साबित हुआ कि वास्तव में भी वे तुम्हारे साथ नहीं हैं), जिनके बारे में तुम दावे रखते थे कि वे तुम्हारे मामले में (हमारे) शरीक हैं (कि तुम्हारा इबादत का जो मामला हमारे साथ होता था वही उनके साथ होता था), वाक़ई तुम्हारे (और उनके) बीच में तो ताल्लुक ख़त्म हो गया (कि आज तुम उनसे बेज़ार और वे तुमसे बेज़ार, शफ़ाअत क्या करेंगे), और वह तुम्हारा दावा (जो ऊपर ज़िक्र हुआ) सब तुमसे गया-गुज़रा हुआ (कुछ काम का निकला, तो अब तुम पर पूरी-पूरी मुसीबत पड़ेगी)।

मआरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में हज़रत ख़लीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के अज़ीमुश्शान इनामात और उनके बुलन्द दर्जों का ज़िक्र था, जिनमें पूरी इन्सानी नस्ल को उमूमन और मक्का वालों और अरब के लोगों को विशेष रूप से अमली सूरत में यह दिखलाना मकसूद था कि जो शख्स अल्लाह तआला की मुकम्मल इताअत को अपनी ज़िन्दगी का मकसद बना ले और उसके लिये अपनी प्यारी व पसन्दीदा चीज़ों की कुरबानी पेश करे, जैसे हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पेश की कि माँ-बाप और कौम व वतन सब को अल्लाह के लिये छोड़ दिया, फिर बैतुल्लाह के निर्माण की अज़ीम ख़िदमत के लिये मुल्के शाम के हरेभरे इलाकों को छोड़कर मक्का के रेगिस्तान को इख़्तियार किया, बीवी और बच्चे को जंगल में छोड़कर चले जाने का हुक्म हुआ तो फौरी तामीलकी, इक्लौते प्यारे बेटे की कुरबानी का हुक्म हुआ तो अपने इख़्तियार की हद तक उसकी मुकम्मल तामील करके दिखाई, ऐसे इताअत-गुज़ारों का असल बदला तो क़ियामत के बाद जन्नत ही में मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी हक़ तआला उनको वह मर्तबा और दौलत अता फ़रमाते हैं जिसके सामने सारी दुनिया की दौलतें फीकी पड़ जाती हैं।

हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम व बिरादरी को अल्लाह के लिये छोड़ा तो इसके बदले में उनको अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की जमाअत मिली जो ज़्यादातर उनकी औलाद ही में हैं। इराक़ और शाम के वतन को छोड़ा तो अल्लाह का घर और अमन वाला शहर और

उम्मुल-कुरा यानी मक्का नसीब हुआ। उनकी कौम ने उनको जलील करना चाहा तो इसके बदले में उनको सारी दुनिया और कियामत तक आने वाली नस्लों का इमाम और पेशवा बना दिया कि दुनिया की मुखलिफ़ कौमें और धर्म आपस के बड़े-बड़े मतभेदों और विवादों के बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सम्मान व आदर पर सहमत चले आये हैं।

इस सिलसिले में सत्रह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की फ़ेहरिस्त शुमार की गयी थी जिनमें से ज्यादातर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद व नस्ल में दाखिल हैं, और यह बतलाया गया था कि ये सब वह बुजुर्ग हस्तियाँ हैं जिनको हक़ तआला ने सारे आलम के इनसानों में से अपने दीन की खिदमत के लिये चुना और उनको सीधा रास्ता दिखलाया है।

उपर्युक्त आयतों में से पहली आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिताब फ़रमाकर मक्का वालों को सुनाया गया है कि किसी कौम के पूर्वज केवल पूर्वज (बाप-दादा) होने की हैसियत से पैरवी के काबिल नहीं हो सकते, कि उनके हर कौल व फ़ेल को अनुसरणीय समझा जाये, जैसा कि उमूमन अरब के लोगों और मक्का वालों का ख्याल था, बल्कि पैरवी और अनुसरण के लिये पहले यह जानना ज़रूरी है कि हम जिसकी पैरवी करते हैं वह खुद भी हिदायत के सही रास्ते पर है या नहीं। इसलिये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की एक मुख़्तसर फ़ेहरिस्त शुमार करके फ़रमाया गया:

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

यानी यही वे लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है। फिर फ़रमाया:

فِيهِدَاهُمْ أَقْبَدَهُ.

यानी आप भी इनकी हिदायत और काम के तरीके को इख़्तियार फ़रमायें।

इसमें एक हिदायत तो अरब वालों और तमाम उम्मत को यह है कि बाप-दादा की पैरवी की वहम-परस्ती को छोड़ें और खुदा तआला की तरफ़ से हिदायत याफ़्ता बुजुर्गों की पैरवी करें।

दूसरी हिदायत खुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को है कि आप भी इन्हीं पहले गुज़रे अम्बिया का तरीका इख़्तियार फ़रमायें।

यहाँ यह बात काबिले गौर है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की शरीअतों में ऊपर के अहकाम में आंशिक इख़्तिलाफ़ात (भिन्नतायें) पहले भी होते रहे और इस्लामी शरीअत में भी उनसे भिन्न और अलग बहुत से अहकाम नाज़िल हुए हैं, तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पहले अम्बिया के तरीके पर चलने और अमल करने का क्या मतलब हुआ? दूसरी आयतों और हदीस की रिवायतों के पेशे नज़र इसका जवाब यह है कि यहाँ तमाम ऊपर के और आंशिक अहकाम में पहले अम्बिया का तरीक़-ए-कार इख़्तियार करने का हुक्म नहीं, बल्कि दीन की उसूलो बातों- तौहीद, रिसालत और आखिरत के मामलात में उनका तरीका इख़्तियार करना मकसूद है, जो किसी पैग़म्बर की शरीअत में अदल-बदल नहीं हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक तमाम अम्बिया का यही एक

अकीदा और तरीका रहा है, बाकी ऊपर के अहकाम जिनमें कोई तब्दीली नहीं की गयी, उनमें भी तरीका-ए-कार संयुक्त रहा और जिनमें हालात के बदलने की वजह से वक्त और हिक्मत के तकाजे से कोई दूसरा हुक्म दिया गया उसकी तामील की गयी।

यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल यह था कि जब तक आपको वही के जरिये कोई खास हिदायत न आती थी तो आप ऊपर के मामलात (अहकाम व मसाईल) में भी पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के तरीके पर चलते थे। (तफसीरे मजहरी वगैरह)

इसके बाद हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खुसूसियत के साथ एक ऐसे ऐलान का हुक्म दिया गया जिसका ऐलान पहले तमाम अम्बिया भी करते चले आये हैं, वह यह कि:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

यानी मैं तुम्हारी जिन्दगी संवारने के लिये जो हिदायतें तुम्हें दे रहा हूँ इस पर तुमसे कोई फीस और मुआवजा नहीं लेता, तुम इसको मान लो तो मेरा कोई नफा नहीं, और न मानो तो कोई नुकसान नहीं। यह तो तमाम दुनिया जहान के लोगों के लिये नसीहत व खैरख्वाही का पैगाम है। तालीम व तब्दीग पर कोई मुआवजा (बदला) न लेना तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में हमेशा संयुक्त मामला चला आया है, और तब्दीग के प्रभावी व असरदार होने में इसका बड़ा दखल है।

दूसरी आयत उन लोगों के जवाब में आई है जिन्होंने यह कह दिया था कि अल्लाह तआला ने कभी किसी बशर (इन्सान) पर कोई किताब नाज़िल ही नहीं फरमाई। यह किताबों और रसूलों का किस्सा सिरे से ग़लत है।

इसके कहने वाले अगर मक्का के बुत-परस्त (मूर्तियों के पुजारी) हैं जैसा कि अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, तो मामला ज़ाहिर है कि वे किसी किताब और नबी के कायल न थे, और अगर यहूदी हैं जैसा कि दूसरे मुफ़स्सरीन ने यही कौल इख़्तियार फरमाया और आयत के मज़मून का सिलसिला बज़ाहिर इसकी ताईद में है तो फिर उनका ऐसा कहना सिर्फ़ गुस्से और झुंझलाहट का नतीजा था, जो खुद उनके भी मज़हब के खिलाफ़ था। इमाम बग़वी रहमतुल्लाहि अलैहि की एक रिवायत में है कि इसी लिये यहूदी भी उस शख्स से नाराज़ हो गये जिसने यह बात कही थी, और इसी ग़लती की वजह से उसको धर्मगुरु बनने के ओहदे से हटा दिया था।

इस आयत में हक़ तआला ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से फरमाया कि जिन लोगों ने यह बेहूदां बात कही उन्होंने हक़ तआला को पहचानने की तरह नहीं पहचाना, वरना यह गुस्ताख़ाना बात उनके मुँह से न निकलती। आप उन लोगों से जो बिल्कुल ही आसमानी किताबों का इनकार करते हैं यह कह दीजिए कि अगर बात यही है कि अल्लाह तआला ने किसी इन्सान पर कोई किताब नहीं भेजी, तो यह बतलाओ कि यह तौरात जिसको तुम भी मानते हो और इसी की वजह से क़ौम के चौधरी बने बैठे हो, यह किसने नाज़िल की है? और साथ ही यह भी

बतला दिया कि तुम वह टेढ़े चलने वाले हो कि जिस किताब तौरात को तुम आसमानी किताब कहते और मानते हो उसके साथ भी तुम्हारा यह मामला है कि तुमने उसको बंधी हुई किताब के बजाय अलग-अलग पन्नों में लिख छोड़ा है, ताकि जब तुम्हारा जी चाहे किसी पन्ने को बीच से निकाल दो, और उसमें लिखे अहकाम का इनकार कर दो। जैसे तौरात की वो आयतें जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की निशानियों और सिफात के बारे में थीं उनको तुमने निकाल दिया है। आयत के आखिरी जुमले 'तज्जलूनहू कराती-स' का यही मतलब है। करातीस कितास की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं पन्ना और वरक, कागज़।

इसके बाद उन्हीं लोगों को मुख़ातब करके फ़रमाया:

وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ.

यानी कुरआन के जरिये तुम्हें तौरात व इंजील से ज़ायद भी वह इल्म दिया गया है जिसकी न तुम्हें इससे पहले ख़बर थी, न तुम्हारे बाप-दादों को।

आयत के आखिर में फ़रमाया:

قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ.

यानी इस सवाल का जवाब कि जब अल्लाह ने कोई किताब ही नहीं भेजी तो तौरात किसने नाज़िल की? वे तो क्या देंगे, आप ही फ़रमा दीजिए कि अल्लाह तआला ने ही नाज़िल फ़रमाई है। और जब उन पर हुज्जत पूरी हो गयी तो आपका काम ख़त्म हो गया, अब वे जिस बेहूदा और बेकार काम में लगे हुए हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए।

अल्लाह तआला की तरफ़ से नाज़िल होने वाली किताबों के बारे में उन पर हुज्जत पूरी करने के बाद तीसरी आयत में इरशाद फ़रमाया:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكًا مُصَدِّقًا لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا.

यानी जिस तरह तौरात का खुदा तआला की तरफ़ से नाज़िल होना उन्हें भी तस्लीम है इसी तरह यह कुरआन भी हमने नाज़िल किया है, और इसके हक़ व सच्चा होने के वास्ते उनके लिये यह गवाही और सुबूत काफ़ी है कि कुरआन उन सब चीज़ों की तस्दीक करता है जो तौरात व इंजील में नाज़िल हुई हैं। और तौरात व इंजील के बाद इसके नाज़िल करने की ज़रूरत इसलिये हुई कि ये दोनों किताबें तो बनी इस्राईल के लिये भेजी गयी थीं, उनकी दूसरी शाखा बनी इसमाईल जो अरब कहलाते हैं और उम्मुल-कुरा यानी मक्का और उसके आस-पास बसते हैं, उनकी हिदायत के लिये कोई खास पैग़म्बर और किताब अब तक न आई थी, अब यह कुरआन उनके लिये खुसूसन और पूरे आलम के लिये उमूमन नाज़िल किया गया है। मक्का मुअज़्ज़मा को कुरआने करीम ने उम्मुल-कुरा फ़रमाया, यानी तमाम शहरों और बस्तियों की जड़ और बुनियाद। इसकी वजह यह है कि तारीख़ी रिवायतों के मुताबिक़ इस कायनात की पैदाईश में ज़मीन की पैदाईश की शुरुआत यहीं से हुई है, साथ ही यह कि सारे आलम का क़िब्ला और इबादत में तवज्जोह का मर्कज़ और केन्द्र यही है। (तफ़्सीरे मज़हरी)

'उम्मुल-कुरा' के साथ 'व मन् हौलहा' फरमाया, यानी भक्का के चारों तरफ, जिसमें दुनिया- पूरव व पश्चिम और उत्तर व दक्षिण दाखिल है।

आयत के आखिर में इरशाद फरमाया:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.

यानी जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वे कुरआन पर भी ईमान लाते हैं और अपनी नमाजों की पाबन्दी करते हैं। इसमें यहूदियों और मुशिरक लोगों की एक संयुक्त बीमारी पर तंबीह की गयी है कि यह बेफिक्री कि जिसको चाहा माना जिसको चाहा रद्द कर दिया और उसके खिलाफ मोर्चा बना लिया, यह इस रोग का असर है कि वे आखिरत पर ईमान नहीं रखते। जिस शख्स का आखिरत और हिसाब के दिन पर ईमान होगा उसको खुदा का खौफ जरूर इस तरफ मुतवज्जह करेगा कि दलीलों में गौर करे, और हक बात को कुबूल करने में बाप-दादा की जाहिलीयत वाली रस्मों की परवाह न करे।

और अगर गौर किया जाये तो आखिरत से बेफिक्री ही तमाम बीमारियों की जड़ है। कुफ्र शिर्क भी इसी का नतीजा होता है और सारे गुनाह और नाफरमानियाँ भी। आखिरत पर यकीन रखने वाले से अगर कभी कोई गलती और गुनाह हो भी जाता है तो उसका दिल तड़प उठता है और आखिरकार तौबा करके आगे के लिये गुनाह से बचने का पुख्ता अहद करता है। और हकीकत में खौफे खुदा और आखिरत की फिक्र ही वह चीज़ है जो इनसान को इनसान बनाती और बुराईयों से रोक कर रखती है। इसी लिये कुरआने करीम की कोई सूरत बल्कि कोई रकूअ भी शायद इससे खाली नहीं कि जिसमें आखिरत की फिक्र की तरफ मुतवज्जह न किया गया हो। या अल्लाह! हमें भी इस आखिरत की फिक्र में से हिस्सा नसीब फरमा। आमीन

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى • يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ • ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ الْإِصْبَاجِ • وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا • ذَٰلِكُمْ قَدِيرُ الْعِزِّ الْعَلِيِّ • وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ • غَدِيدًا فَضَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ • وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا • قَد فَضَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

इन्नुल्ला-ह फालिकुल्-हब्बि वन्नवा,
युखिरजुल् हय-य मिनल्-मय्यिति व
मुखिरजुल्-मय्यिति मिनल्-
हय्यि, जालिकुमुल्लाहु फ-अन्ना

अल्लाह है कि फोड़ निकालता है दाना
और गुठली, निकालता है मुर्दे से जिन्दा
और निकालने वाला है जिन्दे से मुर्दा, यह
है अल्लाह, फिर तुम किधर बहके जाते

तुअफ़कून (95) फ़ालिकुल्-इस्बाहि
 व ज-अलल्लै-ल स-कनंव्-वशशम्-स
 वल्क-म-र हुस्बानन्, ज़ालि-क
 तक्दीरुल्-अज़ीज़िल्-अलीम (96) व
 हुवल्लज़ी ज-अ-ल लकुमुन्नूजूं-म
 लितस्तदू बिहा फी जुलुमातिल्-बर्
 वल्बहिर, कद् फ़स्सलूनल्-आयाति
 लिक्वैमिंय्-यअल्मून (97) व
 हुवल्लज़ी अन्श-अकुम् मिन् नफ़िसं
 -वाहि-दतिन् फ़मुस्त-करूरुं-व
 मुस्तौदअुन्, कद् फ़स्सलूनल्-आयाति
 लिक्वैमिंय्-यफ़कहून (98)

हो? (95) फोड़ निकालने वाला सुबह की रोशनी का, और उसने रात बनाई आराम को और सूरज और चाँद हिसाब के लिये, यह अन्दाज़ा रखा हुआ है ताक़तवर ख़बरदार का। (96) और उसी ने बना दिये तुम्हारे वास्ते सितारे कि उनके माध्यम से रास्ता मालूम करो अंधेरो में जंगल और दरिया के, यकीनन हमने खोल कर बयान कर दिये पते उन लोगों के लिये जो जानते हैं। (97) और वही है जिसने तुम सब को पैदा किया एक शख्स से, फिर एक तो तुम्हारा ठिकाना है और एक अमानत रखे जाने की जगह, यकीनन हमने खोलकर सुना दिये पते उस कौम को जो सोचते हैं। (98)

खुलासा-ए-तफ़सीर

वेशक अल्लाह तआला फाड़ने वाला है दाने और गुठलियों को (यानी ज़मीन में दबाने के बाद जो दाना या गुठली फूटती है यह अल्लाह ही का काम है)। वह जानदार (चीज़) को बेजान (चीज़) से निकाल लाता है (जैसे आदमी के बदन से वीर्य का क़तरा ज़ाहिर होता है) और वह जान (चीज़) को जानदार (चीज़) से निकालने वाला है। अल्लाह यही है (जिसकी ऐसी कुदरत है) सो तुम (उसकी इबादत छोड़कर) कहाँ (गैरुल्लाह की इबादत की तरफ) उल्टे चले जा रहे हो? वह (अल्लाह तआला) सुबह (सादिक) का (रात में से) निकालने वाला है (यानी रात खत्म होती है और सुबह सादिक ज़ाहिर होती है) और उसने रात को राहत की चीज़ बनाई है (कि तुम थके-थकाये सोकर आराम पाते हैं) और सूरज और चाँद (की रफ़्तार) को हिसाब से रखा है। यानी उनकी रफ़्तार निर्धारित है जिससे समय के तय और मुक़रर करने में सहूलियत हो (यह हिसाब से उनकी रफ़्तार हो) तय की हुई बात है ऐसी ज़ात की जो कि कादिर (-ए-मुतलक) है (कि इस तरह हरकत पैदा करने पर उसको कुदरत है और) बड़े इल्म वाला है (कि इस रफ़्तार को मसूहेतें और हिक्मतें जानता था इसलिये इस ख़ास अन्दाज़ पर मुक़रर कर दिया)। और वह (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुम्हारे (फ़ायदे के) लिए सितारों को पैदा किया (और वह फ़ायदा यह है) ताकि तुम उनके ज़रिये से (रात के) खुशक़ी और दरिया के अंधेरो में रास्ता मालूम कर सको,

बेशक हमने (ये तौहीद व इनाम की) ये दलीलें खूब खोल-खोलकर बयान कर दी हैं, (और अगरचे पहुँचेंगी सब को मगर लाभदायक) उन (ही) लोगों के लिए (होंगी) जो (भले-बुरे की कुछ) खबर रखते हैं (क्योंकि गौर ऐसे ही लोग किया करते हैं)। और वह (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुम (सब) को (असल में) एक शख्स से (जो कि आदम अलैहिस्सलाम हैं) पैदा किया, फिर (आगे पैदाईश व नस्ल बढ़ने का इस तरह सिलसिला जारी चला आ रहा है कि तुममें से हर शख्स के लिये माद्रे के तौर पर) एक जगह ज्यादा रहने की है (यानी माँ का पेट) और एक जगह थोड़ा रहने की (यानी बाप की पीठ, जैसा कि अल्लाह तआला फरमाते हैं 'मिम्-बैनिस्सुल्ब')। वंशक हमने (तौहीद व इनाम की) ये दलीलें (भी) खूब खोल-खोलकर बयान कर दी हैं (सब के लिये, मगर इनका नफा भी पहले के अनुसार) उन (ही) लोगों के लिए (होगा) जो समझ-बूझ रखते हैं (यह तफसील हो गयी जिन्दा को निकालने की मुर्दे से और मुर्दे को निकालने की जिन्दा से)।

मआरिफ व मसाईल

पिछली आयतों में काफिरों और मुशिरकों की हठधर्मी तथा तथ्यों, हकीकतों और परिणामों से गफलत का तज़क़िरा था, और इन सब खराबियों की असल बुनियाद खुदा तआला और उसके बेमिसाल इल्म व कुदरत से बेखबरी है। इसलिये जिक्र हुई चार आयतों में हक़ तआला ने गाफ़िल इनसान के इस रोग का इलाज इस तरह फरमाया है कि अपने बेपनाह इल्म और अजीम कुदरत के चन्द नमूने और इनसान पर अपने इनामात व एहसानात का एक सिलसिला जिक्र फरमाया, जिनमें मामूली सा गौर करने से हर सही फितरत रखने वाला इनसान खालिके कायनात की अज़मत और बेमिसाल कुदरत का और इस बात का कायल हुए बग़ैर नहीं रह सकता कि ये अज़ीमुश्शान कारनामे सारी कायनात में सिवाय खुदा तआला के किसी की कुदरत में नहीं।

पहली आयत में इरशाद फरमाया:

إِنَّ اللَّهَ فَلَقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى

यानी अल्लाह तआला फाड़ने वाला है दाने को और गुठलियों को। इसमें कुदरत का एक हैरत-अंगेज़ करिश्मा बतलाया गया है कि सूखी गुठली को फाड़कर उसके अन्दर से हरा-भरा पेड़-पौधा निकाल देना सिर्फ़ उसी पाक ज़ात का काम है जो इस कायनात को बनाने वाली है, इनसान की कोशिश व अमल को इसमें कोई दख़ल नहीं। काश्तकार की सारी कोशिशों का हासिल इससे ज्यादा नहीं होता कि दाने और गुठली के अन्दर से जो नाजुक कौंपल खुदा की कुदरत ने निकाली है उसकी राह से बाधायें और नुक़सान देने वाली चीज़ों को दूर कर दे। ज़मीन को हल वग़ैरह के ज़रिये नर्म करना, फिर खाद डालना, पानी देना, इन सब कामों का असर ज्यादा से ज्यादा यही है कि निकलने वाली नाजुक कौंपल की राह में कोई रुकावट बाकी न रहे। बाकी असल काम कि दाना और गुठली फटकर उसमें से दरख़्त की कौंपल निकले और फिर उसमें रंग-बिरंग के अजीब व ग़रीब पत्ते और फिर ऐसे फल-फूल लगें कि इनसान की अक़ल व दिमाग़ उसका एक पत्ता या एक पंखड़ी बनाने से आजिज़ है। इसमें ज़ाहिर है कि किसी इनसानो

अमल को देखल नहीं। इसी लिये कुरआन में एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.

यानी क्या तुम उन दानों को नहीं देखते जिनको तुम मिट्टी में डाल देते हो कि उनको तुमने बोया और बनाया है या हमने?

दूसरा जुमला यह इरशाद फरमाया:

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ.

यानी अल्लाह तआला ही बेजान चीजों में से जानदार चीजों को पैदा करता है। बेजान से मुराद नुत्फ़ा (वीर्य का कतरा) या अण्डा है, जिनसे इनसान और हैवानात की पैदाईश होती है। इसी तरह जानदारों से बेजान चीजें निकाल देता है। यहाँ बेजान चीजों से मुराद वही नुत्फ़ा और अण्डा है, कि वह जानदार चीजों से निकलता है।

इसके बाद फरमाया:

ذَلِكُمْ اللَّهُ فَاتَى تُوفُّكُونَ.

यानी ये सब काम सिर्फ एक अल्लाह तआला के किये और बनाये हुए हैं। फिर यह जानते बूझते हुए तुम किस तरफ़ बहके चले जा रहे हो कि खुद गढ़े और बनाये हुए बुतों को अपना मुश्किल हल करने वाला और हाजत पूरी करने वाला माबूद कहने लगे।

दूसरी आयत में इरशाद है:

فَلْيُقِ الْأَصْبَاحَ.

'फालिकु' के मायने फाड़ने वाला और 'इस्बाह' के मायने यहाँ सुबह के वक़्त के हैं। 'फालिकुल-इस्बाहि' के मायने हैं फाड़ने वाला सुबह का। यानी गहरी अंधेरी की चादर को फाड़कर सुबह का निकालने वाला। यह भी उन कामों और आमाल में से है जिनमें जिन्नात व इनसान और सारी कायनात की कुव्वतें बेहकीक़त हैं, और हर आँखों वाला देखकर यह समझने पर मजबूर है कि रात की अंधेरी के बाद सुबह का उजाला पैदा करने वाला न कोई इनसान हो सकता है न फ़रिश्ता, न कोई दूसरी मख़्लूक, बल्कि यह सिर्फ़ उस हस्ती का काम है जो सारे ब्रह्मण की पैदा करने वाली और अद्वल व समझ की हदों से ऊपर है।

मख़्लूक़ात के आराम के लिये रात की कुदरती और जबरी

निर्धारण एक अज़ीम नेमत है

उसके बाद इरशाद फरमाया:

وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا.

लफ़ज़ 'सकन' सुकून से निकला है। हर ऐसी चीज़ को सकन कहा जाता है जिस पर पहुँच कर इनसान को सुकून व इत्मीनान और राहत हासिल हो। इसी लिये इनसान के रहने के घर को

कुरआन में 'सकन' फरमाया है:

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مَسْكَناً

क्योंकि इनसान का घर चाहे एक झोंपड़ी ही हो, वहाँ पहुँचकर इनसान को आदतन सुकून व राहत हासिल होती है। इसलिये इस जुमले के मायने यह हो गये कि अल्लाह तआला ने रात को हर जानदार के लिये सुकून व राहत की चीज़ बनाई है। 'फ़ालिकुल-इस्वाहि' (सुबह के फाड़ने वाले) में उन नेमतों का जिक्र था जो इनसान दिन के उजाले से हासिल करता है, रात की अंधेरी में नहीं हो सकती। उसके बाद:

جَعَلَ الْإِلَّيْ سَكْناً

फरमाकर इस तरफ इशारा फरमा दिया कि जिस तरह दिन का उजाला एक अज़ीम नेमत है, कि उसके जरिये इनसान अपने सब कारोबार करता है, इसी तरह रात की अंधेरी को भी बुरा न जानो, वह भी एक बड़ी नेमत है, कि उसमें दिन भर का थका मॉदा इनसान आराम करके इस क़ाबिल हो जाता है कि आने वाले कल में फिर ताज़गी और चुस्ती के साथ काम कर सके, वरना इनसानी फितरत लगातार मेहनत को बरदाश्त नहीं कर सकती।

रात की अंधेरी को राहत के लिये मुतैयन कर देना एक मुस्तक़िल नेमत और अल्लाह तआला की ग़ालिब कुदरत का एक ख़ास प्रतीक व निशान है, मगर यह नेमत रोज़ाना बिना माँगे मिल जाती है इसलिये इनसान का ध्यान भी कभी नहीं जाता कि यह कितना बड़ा एहसान व इनाम है। गौर कीजिए कि अगर हर शख्स अपने इख्तियार व इरादे से अपने आराम का वक़्त निर्धारित करता तो कोई सुबह को आठ बजे सोने का इरादा करता, कोई बारह बजे, कोई चार बजे और कोई रात के विभिन्न हिस्सों में, जिसका नतीजा यह होता कि रात-दिन के चौबीस घंटों में कोई भी ऐसा घंटा न आता जिसमें इनसानी कारोबार, मेहनत मज़दूरी, कारख़ाने और फैक्ट्रियाँ न चल रही होतीं, जिसका लाज़िमी नतीजा यह होता कि सोने वालों के आराम में भी ख़लल आता और काम करने वालों के काम में भी। सोने वालों के आराम में काम करने वालों के शोर शराबे और खड़के व धमाके के ख़लल डालते और काम करने वालों के काम में उन लोगों की गैर-हाज़िरी ख़लल डालती जो उस वक़्त सो रहे हैं। इसके अलावा सोने वालों के बहुत से वो काम रह जाते जो उनके सोने के वक़्त में ही हो सकते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहू की ग़ालिब कुदरत ने न सिर्फ़ इनसान पर बल्कि हर जानदार पर रात के वक़्त नींद का ग़ुलबा ऐसा मुसल्लत कर दिया कि वह काम छोड़कर सो जाने के लिये मजबूर होता है। शाम होते ही हर परिन्दा, दरिन्दा और चौपाये अपने-अपने ठिकाने और घर का रुख करते हैं, हर इनसान जबरी तौर पर काम छोड़कर आराम करने की फ़िक्र में लगता है, पूरी दुनिया में एक सन्नाटा छा जाता है, रात की अंधेरी नींद और आराम में मददगार साबित होती है, क्योंकि आदतन ज़्यादा रोशनी में नींद नहीं आती।

गौर कीजिए कि अगर सारी दुनिया की हुकूमतें और अ़वाम मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों

के जरिये सोने का कोई एक वक़्त मुक़रर करना चाहते तो 'अव्वल तो इसमें दुश्वारियाँ कितनी होतीं, दूसरे अगर सारे इनसान किसी समझौते के पाबन्द होकर एक निर्धारित वक़्त में सोया करते तो जानवरों को उस समझौते का पाबन्द कौन बनाता, और वे खुले फिरते तो सोने वाले इनसानों और उनके सामानों का क्या हशर होता? यह अल्लाह जल्ल शानुहू ही की ग़ालिब कुदरत है जिसने ज़बरी तौर पर हर इनसान और हर जानदार पर एक निर्धारित वक़्त में नींद मुसल्लत करके इन अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों की ज़रूरत से बेनियाज़ कर दिया। फ़तबारकल्लाहु अह्सनुल् ख़ालिकीन।

सूरज और चाँद का हिसाब

इरशाद फ़रमाया:

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا.

“हुस्बान” मस्दर है, हिसाब करने और गिनने के मायने में आता है। मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने सूरज व चाँद के निकलने व छुपने और उनकी रफ़्तार को एक ख़ास हिसाब से रखा है, जिसके जरिये इनसान सालों, महीनों, दिनों और घन्टों का बल्कि मिनटों और सैकिण्डों का हिसाब आसानी से लगा सकता है।

यह अल्लाह जल्ल शानुहू ही की ग़ालिब कुदरत का अमल है कि इन विशाल और अजीमुशशान नूरानी कुरों (ग्रहों) और इनकी हरकतों को ऐसे स्थिर और मज़बूत अन्दाज़ से रखा है कि हजारों साल गुज़र जाने पर भी इनमें कभी एक मिनट या एक सैकिण्ड का फ़र्क नहीं आता। इनकी मशीनरी को न किसी वर्कशॉप की ज़रूरत पड़ती है, न पुर्जे घिसने और बदलने से कोई साबका पड़ता है। ये दोनों नूर के कुरे अपने-अपने दायरे में एक निर्धारित रफ़्तार के साथ चल रहे हैं:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ.

हजारों साल में भी इनकी रफ़्तार में एक सैकिण्ड का फ़र्क नहीं आता। अफ़सोस कि कुदरत के इस स्थिर और अपरिवर्तित सिस्टम ही से इनसान धोखा खा गया कि इन्हीं चीज़ों को अपने वजूद में मुस्तक़िल बल्कि माबूद व मकसूद बना बैठा। अगर इनका यह निज़ाम कभी-कभी टूटा करता, इनकी मशीनरी दुरुस्त करने के लिये कुछ दिनों या घन्टों के अन्तराल (ब्रेक) हुआ करते तो इनसान समझ लेता कि यह मशीन खुद-बखुद नहीं चल रही, बल्कि इन कुरों के स्थिर और न बदलने वाले निज़ाम ने इनसान की नज़रों को चकाचौंध कर दिया, और अपनी तरफ़ लगा लिया, यहाँ तक कि वह इसको भूल बैठा कि:

कोई महबूब है इस पर्दा-ए-जंगारी में

(यानी इस कारख़ाने के पीछे कोई इसका बनाने और चलाने वाला मौजूद है। हिन्दी अनुवादक) आसमानी किताबें और अम्बिया व रसूल इत्तको इसी हकीकत से आगाह करने के लिये भेज़े गए।

कुरआने करीम के इस इरशाद ने इस तरफ भी इशारा कर दिया कि सालों और महीनों का हिसाब सूरज से भी हो सकता है और चाँद से भी, दोनों ही अल्लाह जल्ल शानुहू के इनामात हैं। यह दूसरी बात है कि आम अनपढ़ दुनिया की सहूलत और उनको हिसाब किताब की उलझन से बचाने के लिये इस्लामी अहकाम में चाँद के महीने व साल इस्तेमाल किये गये, और चूँकि इस्लामी तारीख और इस्लामी अहकाम सब का मदार चाँद के हिसाब पर है इसलिये उम्मत पर फर्ज है कि वह इस हिसाब को कायम और बाकी रखे, दूसरे सूरज वगैरह के हिसाबत वगैरह अगर किसी ज़रूरत से इख्तियार किये जायें तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन चाँद के हिसाब को बिल्कुल नज़र-अन्दाज़ करना और मिटा देना बहुत बड़ा गुनाह है, जिससे इनसान को यह भी खबर न रहे कि रमज़ान कब आयेगा और ज़िलहिज्जा और मुहर्रम कब।

आयत के आखिर में फरमाया:

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

यानी यह हरकतों व रफ्तार का हैरत-अंगेज़ स्थिर निज़ाम जिसमें कभी एक मिनट और सैकिण्ड का फर्क न आये, यह उसी पाक ज़ात की क़ुदरत का करिश्मा हो सकता है जो हर चीज़ पर ग़ालिब और ताक़त रखने वाली भी है, और हर चीज़ और हर काम की जानने वाली भी।

तीसरी आयत में इरशाद है:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

यानी सूरज व चाँद के अलावा दूसरे सितारे भी अल्लाह जल्ल शानुहू की कामिल क़ुदरत के खास निशान हैं, और उनके पैदा करने में हजारों हिक्मतों में से एक हिक्मत यह भी है कि इनसान अपने खुशकी और पानी के सफ़रों में जहाँ रात की अंधेरी के वक़्त दिशाओं का पता लगाना भी आसान नहीं रहता, इन सितारों के ज़रिये अपने रास्ते मुतैयन कर सकता है। तजुर्बा गवाह है कि आज इस मशीनरी के ज़माने में भी इनसान सितारों की हिदायत (रहनुमाई) से बेनियाज़ नहीं है।

इस आयत में भी इनसान की इस ग़फ़लत और कम-समझी पर तंबीह की गयी है कि ये सितारे भी किसी बनाने वाले और चलाने वाले के फ़रमान के ताबे चल रहे हैं, न अपने वजूद में मुस्तक़िल हैं न अपने बाकी रहने और काम करने में। जो लोग सिर्फ़ इन्हीं पर अपनी नज़रें जमाकर बैठ रहे और इनके बनाने वाले की तरफ़ नज़र न की वे बहुत ही छोटी नज़र रखने वाले और धोखे में मुब्तला हैं।

आनाँ कि बजुज रू-ए-तू जाये नगरानन्द

कोताह-नज़र अंद चे कोताह-नज़र अन्द

इसके बाद इरशाद फरमाया:

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

यानी हमने क़ुदरत की दलीलें और निशानियाँ ख़ूब खोल-खोलकर बयान कर दी हैं उन लोगों

के लिये जो खबर रखते हैं। इसमें इशारा फ़रमा दिया कि जो लोग इन खुली-खुली निशानियों से भी अल्लाह तआला को नहीं पहचानते वे बेखबर और बेहोश हैं।

चौथी आयत में इरशाद है:

وَمَوَالِدِي أَنشَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ.

मुस्तकर, करार से बना है। उस जगह को मुस्तकर कहते हैं जो किसी चीज़ के लिये ठहरने का मक़ाम हो। और मुस्तौदअ़् वदीअत से निकला है, जिसके मायने हैं किसी के पास अस्थायी तौर पर चन्द दिन रख देने के। तो मुस्तौदअ़् उस जगह को कहा जायेगा जहाँ कोई चीज़ आरज़ी (वक्ती) तौर पर चन्द दिन रखी जाये।

यानी अल्लाह तआला ही वह पाक जात है जिसने इनसान को एक जान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फ़रमाया, फिर इसके लिये एक मुस्तकर यानी एक मुद्दत तक रहने की जगह बना दी, और एक मुस्तौदअ़् यानी चन्द दिन रहने की जगह।

कुरआने करीम के अलफ़ाज़ तो यही हैं, इनकी ताबीर व तफ़सीर में बहुत सी गुंजाईशें हैं, इसी लिये तफ़सीर के उलेमा के अक़वाल इसमें विभिन्न और अनेक हैं, किसी ने फ़रमाया कि मुस्तौदअ़् (चन्द दिन रहना) माँ का पेट, और मुस्तकर (ठहरने की जगह) यह दुनिया है। किसी ने फ़रमाया कि मुस्तौदअ़् क़ब्र है और मुस्तकर आख़िरत का जहान, और भी अनेक अक़वाल हैं और कुरआनी अलफ़ाज़ में सब की गुंजाईश है। हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि अलैहि ने तफ़सीर-ए-मज़हरी में इसको तरज़ीह दी कि मुस्तकर आख़िरत का मक़ाम जन्नत या दोज़ख़ है, और इनसान की शुरूआती पैदाईश से आख़िरत तक जितने चरण और दर्जे हैं वे सब मुस्तौदअ़् यानी चन्द दिन के ठहरने की जगह हैं, चाहे माँ का पेट हो या ज़मीन पर रहने सहने की जगह या क़ब्र व बर्ज़ख़। कुरआने करीम की एक आयत से भी इसकी तरज़ीह मालूम होती है, जिसमें फ़रमाया:

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ.

यानी तुम एक दर्जे से दूसरे दर्जे की तरफ़ हमेशा चढ़ते रहोगे। जिसका हासिल यह है कि आख़िरत के जहान से पहले-पहले इनसान अपनी पूरी ज़िन्दगी में एक मुसाफ़िर की हैसियत रखता है, जो ज़ाहिरी सुकून व करार के वक़्त भी दर हकीक़त अपनी उम्र के सफ़र की मन्ज़िलें तय कर रहा है:

मुसाफ़िर हूँ कहा जाना है, नावाक़िफ़ हूँ मन्ज़िल से

अज़ल से फिरते-फिरते गोर तक पहुँचा हूँ मुश्किल से

इस आख़िरी आयत में ज़ाहिरी टिप-टॉप और मख़्लूक़ात की चमक-दमक और रंगीनियों में मशगूल होकर अपने असली ठिकाने और खुदा व आख़िरत से गाफ़िल हो जाने वाले की आँखें खोल दी गयी हैं, ताकि वह हकीक़त को पहचाने और दुनिया के धोखे व फ़रेब से निजात पाये।

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ
 خَبثًا مَتَرًا كِبَاءً، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا
 وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَجَعَلُوا لِلَّهِ
 شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا آلَهُ بَيْنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ۝ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ، إِنِّي بَيِّنٌ لَكُمْ لَكُمْ اللَّهُ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ذَلِكُمْ اللَّهُ
 رَبُّكُمْ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَاعْبُدُوهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

व हुवल्लजी अन्ज-ल मिनस्समा-इ
 माअन् फ-अखरज्ना बिही नबा-त
 कुल्लि शैइन् फ-अखरज्ना मिन्हु
 खाजिरन् नुखिरजु मिन्हु हब्बम्
 मु-तराकिबन् व मिनन्नखिल मिन्
 तलिअहा किन्वानुन् दानियतुव्-व
 जन्नातिम् मिन् अअनाबिन्-व
 वज्जैतू-न वरुम्मा-न मुशतबिहव्-व
 गै-र मु-तशाबिहिन्, उन्जुरू इला
 स-मरिही इजा अस्म-र व यन्जिही,
 इन्-न फी जालिकुम् लआयातिल्-
 लिकौमिन्युअ्मिन्नुन (99) व ज-अलू
 लिल्लाहि शु-रकाअल्-जिन्-न व
 ख-ल-कहुम् व ख-रकू लहू बनी-न
 व बनातिम् बिगैरि अिल्मिन्, सुब्हानहू
 व तआला अम्मा यसिफून् (100) ❀
 बदीअुस्सभावाति वल्अर्जि, अन्ना
 यकूनु लहू व-लदुव्-व लम् तकुल्लहू

और उसी ने उतारा आसमान से पानी,
 फिर निकाली हमने उससे उगने वाली हर
 चीज़, फिर निकाली उसमें से सब्ज खेती
 जिससे हम निकालते हैं दाने एक पर एक
 चढ़ा हुआ, और खजूर के गांभे में से फल
 के गुच्छे झुके हुए, और बाग़ अंगूर के
 और जैतून के और अनार के आपस में
 मिलते-जुलते और अलग-अलग भी, देखो
 हर एक दरख्त के फल को जब वह फल
 लाता है और उसके पकने को, इन चीज़ों
 में निशानियाँ हैं ईमान वालों के वास्ते।
 (99) और ठहराते हैं अल्लाह के शरीक
 जिन्नों को हालाँकि उसने उनको पैदा
 किया है और गढ़ते हैं उसके वास्ते बेटे
 और बेटियाँ जहालत से, वह पाक है और
 बहुत दूर है उन बातों से जो ये लोग
 बयान करते हैं। (100) ❀

नये अन्दाज पर बनाने वाला आसमान
 और ज़मीन का, क्योंकर हो सकता है
 उसके बेटा हालाँकि उसके कोई औरत
 नहीं, और उसने बनाई हर चीज़, और

साहि-बतुन्, व ख-ल-क कुल्-ल शैइन्
 व हु-व बिकुल्लि शैइन् अलीम (101)
 ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम् ला इला-ह
 इल्ला हु-व ख़ालिकु कुल्लि शैइन्
 फ़अबुदूहु व हु-व अला कुल्लि
 शैइन्-वकील (102)

वह हर चीज़ से वाकिफ़ है। (101) यही
 अल्लाह तुम्हारा रब है, नहीं है कोई माबूद
 सिवाय उसके, पैदा करने वाला हर चीज़
 का, सो तुम उसी की इबादत करो और
 वह हर चीज़ पर कारसाज़ है। (102)

खुलासा-ए-तफसीर

और वह (अल्लाह) ऐसा है जिसने आसमानों (की तरफ) से पानी बरसाया, फिर हमने उस (एक ही पानी) के जरिये से हर किस्म के (रंग-बिरंगे) पेड़-पौधों को (ज़मीन से) निकाला। (एक ही पानी एक ही मिट्टी से इतनी विभिन्न किस्म के पेड़-पौधे जिनके रंग व बू, जायका, फ़ायदे बेहद मुख़लिफ़ हैं, कुदरत का किस कदर अजीब करिश्मा है)। फिर हमने उस (कौंपल) से (जो शुरू में ज़मीन से निकलती है, जिसको कुछ जगहों में सूई या खूँटी कहते हैं और रंग में पीली होती है) हरी डाली निकाली कि उस (शाख) से हम ऊपर-तले चढ़े हुए दाने निकालते हैं। (यह तो ग़ल्लों की कैफ़ियत है, जिसका ज़िक्र संक्षिप्त रूप से फ़ालिकुल-हब्बि वन्नवा में आ चुका) और खजूर के दरख़्तों से (यानी उनके गुफ़े में से) गुच्छे निकलते हैं, जो (बोझ के मारे) नीचे को लटक जाते हैं। और उसी पानी से हमने अंगूरों के बाग़ (पैदा किये) और जैतून और अनार के दरख़्त पैदा किए जो कि (बाजे अनार और बाजे जैतून फल की सूरत शक़ल व मात्रा व रंग वगैरह के एतिबार से) एक-दूसरे से मिलते-जुलते होते हैं और (बाजे) एक-दूसरे से मिलते-जुलते नहीं होते। ज़रा हर एक के फल को तो देखो जब वह फलता है (कि उस वक़्त बिल्कुल कच्चा अस्वादिष्ट, फ़ायदा उठाने के काबिल नहीं होता) और (फिर) उसके पकने को देखो (कि उस वक़्त सब गुणों में कैसा कामिल हो गया, यह भी खुदा की कुदरत का ज़हूर है) उन (चीज़ों) में (भी अल्लाह के एक होने की) दलीलें (मौजूद) हैं (और गोया तब्लीग़ के एतिबार से सब के लिये हैं मगर फ़ायदा उठाने के एतिबार से) उन (ही) लोगों के लिए (हैं) जो ईमान (लाने की फ़िक्र) रखते हैं (यह भेयों और फलों का बयान हुआ जिनका ज़िक्र मुख़सर तौर पर वन्नवा में आ चुका है)।

और (मुशिक) लोगों ने (अपने एतिक़ाद में) शैतानों को (ऐसे) अल्लाह का (जिसकी सिफ़ात व काम ऊपर बयान हुए) शरीक करार दे रखा है (कि उनके बहकाने से शिकर करते हैं और खुदा के मुक़ाबले में उनके कहने पर चलते हैं) हालाँकि उन लोगों को (खुद उनके इकरार के मुवाफ़िक़ भी) खुदा (ही) ने पैदा किया है, (जब पैदा करने वाला कोई और नहीं तो माबूद भी कोई और न होना चाहिये)। और उन (मुशिकों में से कुछ) लोगों ने (अपने एतिक़ाद में) अल्लाह के हक़ में

बेटे और बेटियाँ बिना सन्द के गढ़ रखे हैं (जैसे ईसाई हज़रत मसीह को और कुछ यहूदी हज़रत उज़ैर को खुदा का बेटा और अरब के मुशरिक लोग फ़रिश्तों को खुदा की बेटियाँ कहते थे) यह इन बातों से पाक और बरतर है जिनको ये लोग (खुदा तआला की शान में) बयान करते हैं (यानी यह कि उसका कोई शरीक हो या उसके कोई औलाद हो)।

वह आसमानों और ज़मीनों का बनाने वाला (यानी नेस्त से हस्त करने वाला) है (और दूसरा कोई बनाने वाला नहीं, पस माबूद भी कोई और न होगा। इससे तो शरीक की नफ़ी हुई, और औलाद की नफ़ी की दलील यह है कि औलाद की हकीकत यह है कि मियाँ-बीवी हों और उन दोनों के मिलाप से तीसरी जानदार चीज़ पैदा हो, तो) उसके (यानी अल्लाह के) औलाद कहाँ हो सकती है? हालाँकि उसकी कोई बीवी तो है नहीं, और अल्लाह तआला ने (जैसे इन लोगों को पैदा किया और ज़मीन व आसमान को पैदा किया, इसी तरह उसने) हर चीज़ को पैदा किया, और (जिस तरह वह पैदा करने और बनाने में अकेला और बेमिसाल है इसी तरह इस सिफ़त में भी बेमिसाल है कि) वह हर चीज़ को ख़ूब जानता है (उसके आगाज़ को भी और अन्जाम को भी, और इस गुण में भी उसका कोई शरीक नहीं, और पैदा करना बिना इल्म और जानकारी के हो नहीं सकती, इससे भी साबित हुआ कि और कोई ख़ालिक नहीं)। यह (ज़ात जिसकी कामिल सिफ़तें बयान की गयीं, यह) है अल्लाह तुम्हारा रब, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हर चीज़ का पैदा करने वाला (जैसा कि ऊपर बयान हुआ। जब ये सिफ़तें अल्लाह ही में हैं) तो तुम उस (ही) की इबादत करो, और (फिर यह कि) वह (ही) हर चीज़ का (असली) कारसाज़ है (दूसरा कोई कारसाज़ भी नहीं। पस उसकी इबादत करोगे तो वह तुमको असली और वास्तविक नफ़ा पहुँचायेगा और कोई दूसरा क्या दे देगा। गर्ज़ कि ख़ालिक भी वही, अलीम भी वही, वकील भी वही, और ये सब चीज़ें चाहती हैं कि माबूद भी वही हो)।

मआरिफ़ व मसाईल

इन मज़ामीन में एक अजीब तरतीब की रियायत है। वह यह कि यहाँ तीन किस्म की कायनात का ज़िक्र है- निचली कायनात, ऊपर की कायनात और फ़िज़ाई कायनात यानी आसमानी स्पेस में पैदा होने वाली चीज़ें। और बयान शुरू किया नीचे की चीज़ों से, क्योंकि वो हम से ज़्यादा करीब हैं, और फिर उसके दो हिस्से किये- एक बयान ज़मीन से उगने वाली घास, पौधों और दरख़्तों बाग़ों वगैरह का, दूसरे हैवानात- इनसान और जानवरों का। अब्बल को दूसरे के मुकाबले में पहले बयान किया क्योंकि दूसरे वाला पहले से ज़्यादा गहरा है क्योंकि उसके अन्दर रह है, चुनाँचे नुत्फ़े (वीर्य के कतरे) के विभिन्न मर्हले (चरण) और हालात तबीबों व हकीमों के समझने और जानने के साथ मख़सूस हैं, बख़िलाफ़ नबातात (पेड़-पौधे और ज़मीन से उगने वाली चीज़ों) के, कि इनके बढ़ने, फलने फूलने वगैरह को आम तौर से सब ही देखते और महसूस करते हैं। फिर आसमानी फ़िज़ा की कायनात को ज़िक्र किया- सुबह व शाम। फिर ऊपर की कायनात का ज़िक्र किया- सूरज, चाँद और सितारे। फिर चूँकि नीचे वाली कायनात की चीज़ें

इन्सान की नज़रों और अनुभव में ज्यादा आती हैं इसको दोबारा ज़िक्र करके इस पर ख़त्म फ़रमाया। मगर पहले वह संक्षिप्त रूप से ज़िक्र हुआ था अब तफ़सील से ज़िक्र किया गया। लेकिन तफ़सील की तरतीब में संक्षिप्त वाली तरतीब के उलटा कर दिया गया, कि जानदारों के बयान को आगे किया और पेड़-पौधों और उगने वाली चीज़ों के बयान को पीछे। मुम्किन है कि इसका आधार यह हो कि इस विस्तृत बयान में नेमत के इज़हार का उनबान इख़्तियार किया गया है तो इस हेंसियत से जिस पर नेमत की गयी वह मक़सूद और अनुसरणीय होने की वजह से पहले ज़िक्र करने के काबिल हो और नबातात (वनस्पति और ज़मीन से उगने वाली चीज़ों) में पहली तरतीब बाकी है कि ग़ल्लों (दानों) की कौफ़ियत दाने और गुठली से पहले बयान हुई, और बारिश का बीच में ज़िक्र आना नबातात (ज़मीन से उगने वाली चीज़ों पेड़-पौधों वगैरह) के ताबे है। और इसमें एक और बारीक बात यह भी हो सकती है कि बारिश की विभिन्न और अनेक हेंसियतें हैं, शुरूआत के एतिबार से तो वह ऊपर की कायनात से संबन्धित और अन्जाम व आख़िर के एतिबार से नीचे की कायनात से संबन्धित और दूरी व अपनी चाल के एतिबार से फ़िज़ाई कायनात (अंतरिक्ष) से संबन्धित है।

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ

رَبِّكُمْ، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝ وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيَاتِ وَ
لِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّمَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَأَعْرِضْ عَنِ
الْمُشْرِكِينَ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝

ला तुद्रिकुहुल्-अब्सारु व हु-व
युद्रिकुल्-अब्सा-र व हुवल्ल-लतीफुल्-
खाबीर (103) कद् जा-अकुम्
बसा-इरु मिरिब्बिकुम् फ-मन् अब्स-र
फ़लिनफ़िसही व मुन् अमि-य
फ़-अलैहा, व मा अ-न अलैकुम्
बि-हफ़ीज़ (104) व कज़ालि-क
नुसरिफ़ुल्-आयाति व लियकूलू
दरसु-त व लिनुबय्यि-नहू लिक्ौमियू-
यअलमून (105) इत्तबिअ् मा

नहीं पा सकतीं उसको आँखें और वह पा
सकता है आँखों को, और वह बहुत ही
लतीफ़ और ख़बर रखने वाला है। (103)
तुम्हारे पास आ चुकीं निशानियाँ तुम्हारे
रब की तरफ़ से, फिर जिसने देख लिया
सो अपने वास्ते और जो अन्धा रहा सो
अपने नुक़सान को, और मैं नहीं तुम पर
निगहबान। (104) और यूँ तरह-तरह से
समझाते हैं हम आयतें और ताकि वे कहें
कि तूने किसी से पढ़ा है, और ताकि
स्पष्ट कर दें हम इसको समझ वालों के

ऊहि-य इलै-क मिर्रिब्बि-क ला इला-ह
इल्ला हु-व व अज़्रिज़् अ़निल्
मुशिरकीन (106) व लौ शाअल्लाहु
मा अशरकू, व मा जअल्ना-क
अ़लैहिम् हफ़ीज़न् व मा अन्-त
अ़लैहिम् ब-वकील (107)

वास्ते। (105) और तू चल उस पर जो
हुक्म तुझको आये तेरे रब का, कोई
माबूद नहीं सिवाय उसके, और मुँह फेर ले
मुशिरकों से। (106) और अगर अल्लाह
चाहता तो वे लोग शिर्क न करते, और
हमने नहीं किया तुझको उनपर निगाहबान
और नहीं है तू उनपर दारोगा। (107)

खुलासा-ए-तफसीर

(और उसके जानने वाला होने की और उसमें बेमिसाल होने की यह कैफ़ियत है कि) उसको तो किसी की निगाह नहीं घेर सकती (दुनिया में तो इस तरह कि कोई देख ही नहीं सकता, जैसा कि शरीअत की दलीलों से साबित है, और आख़िरत में इस तरह कि जन्नत वाले अगरचे देखेंगे जैसा कि यह भी शरई दलीलों से साबित है, लेकिन घेरना मुहाल रहेगा, और जिस आँखों से देखे जाने वाली चीज़ के ज़ाहिर का घेरना नज़र के ज़रिये मुहाल हो तो उसकी अन्दरूनी हकीकत का ज़ाहिर के मुक़ाबले में इहाता करना और पता लगाना और भी नामुम्किन होगा, क्योंकि अन्दरूनी हकीकत तो ज़ाहिर से कहीं ज्यादा छुपी होती है, उसका अक्ल से पता लगाना और भी मुश्किल है, क्योंकि अक्ली एहसास में आँखों से देखने के मुक़ाबले में ग़लती करने की ज्यादा संभावना है, इसलिये यह ज्यादा मुहाल है) और वह (यानी अल्लाह तआला) सब निगाहों को (जो कि उसके इहाते से आजिज़ थीं लाज़िमी तौर पर) घेर लेता है (इसी तरह और चीज़ों को भी अपने इल्म के घेरे में लिये हुए है जैसा कि फ़रमाया 'व हु-व बिकुल्लि शैइन् अ़लीम') और (इस बात से कि वह सबको घेरे हुए है और उसको कोई घेरने वाला नहीं, लाज़िम आ गया कि) वही बड़ा बारीक देखने वाला, ख़बर रखने वाला है (और कोई दूसरा नहीं, और इल्म का वह कमाल और इन्तिहा है जिसमें अल्लाह तआला बेमिसाल है। आप इन लोगों से कह दीजिए कि) अब बिला शुक्ल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से हक़ देखने के ज़रिये "यानी माध्यम" (यानी तौहीद व रिसालत के हक़ होने की अक्ली व किताबी दलीलें) पहुँच चुके हैं, सो जो शख्स (उनके ज़रिये से हक़ को) देख लेगा वह अपना फ़ायदा करेगा, और जो शख्स अन्धा रहेगा वह अपना नुक़सान करेगा, और मैं तुम्हारा (यानी तुम्हारे आमाल का) निगराँ नहीं हूँ (यानी जैसे निगरानी करने वाले के ज़िम्मे होता है कि ग़लत और बेहूदा हरकत न करने दे, यह मेरे ज़िम्मे नहीं, मेरा काम सिर्फ़ तब्लीग़ है)।

और (देखिये) हम इस (बेहतरीन) अन्दाज़ पर दलीलों को विभिन्न पहलुओं से बयान करते हैं (ताकि आप सब को पहुँचा दें) और ताकि ये (इनकार करने वाले तास्सुब से) यूँ कहें कि आपने किसी से (इन मज़ामीन को) पढ़ लिया है, (मतलब यह कि ताकि इन पर और ज्यादा

इल्ज़ाम हो कि हम तो इस तरह स्पष्ट करके हक़ को साबित करते थे और तुम फिर बेकार के बहाने बनाते थे) और ताकि हम इस (कुरआन के मज़ामीन) को समझदारों के लिए ख़ूब ज़ाहिर कर दें (यानी कुरआन के नाज़िल करने के तीन फ़ायदे हैं- एक यह कि आपको तब्लीग़ का अज़्र मिले, दूसरे यह कि इनकार करने वालों पर ज़्यादा जुर्म कायम हो, तीसरे यह कि अक़्लमन्द और समझदार हक़ के इच्छुकों पर हक़ ज़ाहिर हो जाये। पस) आप (यह न देखिये कि कौन मानता है और कौन नहीं मानता) खुद उस रास्ते पर चलते रहिये जिस (पर चलने) की वही आपके रब की तरफ़ से आपके पास आई है, (और इस रास्ते में बड़ी चीज़ यह यकीन रखना है कि) अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और (इस रास्ते में तब्लीग़ का हुक्म भी दाख़िल है) और (इस पर कायम रहकर) मुशिरकों की तरफ़ ख़्याल न कीजिए (कि अफ़सोस! उन्होंने कुबूल क्यों न किया) और (वजह ख़्याल न करने की यह है कि) अगर अल्लाह तआला को मन्ज़ूर होता तो ये शिर्क न करते, (लेकिन इन लोगों के बुरे आमाल की वजह से अल्लाह तआला को मन्ज़ूर हुआ कि इनको सज़ा दें, इसलिये ऐसा ही सामान जमा कर दिया, फिर क्या आप उनको मुसलमान बना सकते हैं?) और (आप इस फ़िक्र में पड़े ही क्यों) हमने आपको उन (के आमाल) का निगराँ नहीं बनाया और न आप (उन आमाल पर अज़ाब देने के हमारी तरफ़ से) उन पर मुख़्तार हैं (पस जब आप से संबन्धित न उनके ज़राईम और अपराधों की तफ़तीश है और न उनकी सज़ा का हुक्म है, फिर आपको क्यों परेशानी और चिंता है)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

सूर: अन्ज़ाम की इन पाँच आयतों में से पहली आयत में इब्सार बसर की जमा (बहुवचन) है, जिसके मायने हैं निगाह और देखने की कुव्वत। और इदराक के मायने पा लेना, पकड़ लेना, इहाता कर लेना हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस जगह इदराक की तफ़सीर इहाता कर लेना बयान फ़रमाई है। (बहरे मुहीत)

आयत के मायने यह हो गये कि सारी मख़्लूक़ात जिन्नात, इनसान, फ़रिश्ते और तमाम हैवानात की निगाहें मिलकर भी अल्लाह जल्ल शानुहू को इस तरह नहीं देख सकतीं कि ये निगाहें उसकी ज़ात का इहाता (घेराव) कर लें, और अल्लाह तआला तमाम मख़्लूक़ात की निगाहों को पूरी तरह देखते हैं, और उनका देखना उन सब पर मुहीत (घेरे हुए) है। इस मुख़्तसर आयत में हक़ तआला की दो विशेष सिफ़तों का ज़िक्र है- अव्वल यह कि सारी कायनात में किसी की निगाह बल्कि सब की निगाहें मिलकर भी उसकी ज़ात का इहाता नहीं कर सकतीं।

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर जहान के सारे इनसान और जिन्नात और फ़रिश्ते और शैतान जब से पैदा हुए और जब तक पैदा होते रहेंगे, ये सब के सब मिलकर एक सफ़ में खड़े हो जायें तो सब मिलकर भी उसकी ज़ात का अपनी निगाह में इहाता (घेराव) नहीं कर सकते।

(तफ़सीरे-मज़हरी, इब्ने अबी हातिम के हवाले से)

और यह खास सिफ़त हक़ ज़ल्ल शानुहू की ही हो सकती है, वरना निगाह को अल्लाह तआला ने ऐसी कुव्वत बख़्शी है कि छोटे से छोटे जानवर की छोटी से छोटी आँख दुनिया के बड़े से बड़े कुरे को देख सकती और निगाह से उसका इहाता कर सकती है। सूरज व चाँद कितने बड़े-बड़े कुरे (ग्रह) हैं कि ज़मीन और सारी दुनिया की इनके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है, मगर हर इनसान बल्कि छोटे से छोटे जानवर की आँख इन कुरों को इसी तरह देखती है कि निगाह में इनका इहाता (घेराव) हो जाता है।

और हकीक़त यह है कि निगाह तो इनसानी हवास (महसूस करने वाली कुव्वतों) में से एक हास्सा है, जिससे सिर्फ़ महसूस चीज़ों का इल्म हासिल हो सकता है, हक़ तआला की पाक ज़ात तो अक्ल व वहम के इहाते से भी ऊपर है, उसका इल्म इस आँख के हास्से (महसूस करने वाली कुव्वत) से कैसे हासिल हो:

तू दिल में आता है समझ में नहीं आता
बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है

हक़ तआला की ज़ात व सिफ़ात असीमित हैं, और इनसानी हवास और अक्ल व ख़्याल सब सीमित चीज़ें हैं। जाहिर है कि एक असीमित किसी सीमित चीज़ में नहीं समा सकता, इसी लिये दुनिया के बुद्धिमान और फ़लॉस्फ़र जिन्होंने अक्ली दलीलों से कायनात के पैदा करने वाले का पता लगाने और उसकी ज़ात व सिफ़ात के समझने और पाने के लिये अपनी उम्रें तहकीक़ व खोज में खर्च कीं, और सूफ़िया-ए-किराम (अल्लाह वाले) जिन्होंने कश्फ़ व मुराक़बों के रास्ते से इस मैदान की सैर की, सब के सब इस पर सहमत हैं कि उसकी ज़ात व सिफ़ात की हकीक़त को न किसी ने पाया न पा सकता है। मौलाना रूमी रह. ने फ़रमाया:

दूर बीनान-ए-बारगाहे अलस्त ग़ैर अज़ीं पै न बुर्दा अन्द कि हस्त
और हज़रत शैख़ सअदी रह. ने फ़रमाया:
चे शबहा नशिस्तम दरीं सैर गुम कि हैरत गिरफ़्त आस्तीनम कि कुम

अल्लाह तआला के दीदार का मसला

इनसान को हक़ तआला की ज़ियारत (दीदार और दर्शन) हो सकती है या नहीं? इस मसले में अहले-सुन्नत वल-जमाअत के तमाम उलेमा का अक़ीदा यह है कि इस दुनिया में हक़ तआला की ज़ात का दीदार और ज़ियारत नहीं हो सकती। यही वजह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह दरख़्वास्त की कि "रब्बि अरिनी" (ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझे अपनी ज़ियारत करा दीजिए) तो जवाब में इरशाद हुआ कि "लन तरानी" (आप हरगिज़ मुझे नहीं देख सकते)। जाहिर है कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को जब यह जवाब मिलता है तो फिर और किसी इनसान व जिन्न की क्या मजाल है। अलबत्ता आख़िरत में मोमिनों को हक़ तआला की ज़ियारत होना सही व मज़बूत और मुतवातिर हदीसों से साबित है, और खुद कुरआन करीम में मौजूद है:

وَجُورَةٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ.

“क़ियामत के दिन बहुत से चेहरे तरोताज़ा और खुश होंगे और अपने रब की तरफ़ देख रहे होंगे।”

हाँ मगर काफ़िर और इनकारी लोग उस दिन भी सज़ा के तौर पर हक़ तआला के दीदार से मुशरफ़ (सम्मानित) न होंगे जैसा कि कुरआने करीम की एक आयत में है:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ.

“यानी काफ़िर उस दिन अपने रब की ज़ियारत से आड़ में और मेहरूम होंगे।”

और आख़िरत में हक़ तआला की ज़ियारत मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर होगी। मेहशर के मैदान में भी और जन्नत में पहुँचने के बाद भी, और जन्नत वालों के लिये सारी नेमतों से बड़ी नेमत हक़ तआला की ज़ियारत (दिखना) होगी।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब जन्नत वाले जन्नत में दाख़िल हो जायेंगे तो हक़ तआला उनसे फ़रमायेंगे कि जो नेमतें जन्नत में मिल चुकी हैं उनसे ज़ायद और कुछ चाहिये तो बतलाओ, कि हम वह भी दे दें। ये लोग अर्ज़ करेंगे- या अल्लाह! आपने हमें दोज़ख़ से निजात दी, जन्नत में दाख़िल फ़रमाया, इससे ज़्यादा हम और क्या चाहें? उस वक़्त बीच से पर्दा उठा दिया जायेगा और सब को अल्लाह तआला की ज़ियारत होगी, और जन्नत की सारी नेमतों से बढ़कर यह नेमत होगी। यह हदीस सही मुस्लिम में हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्कूल है।

और सही बुख़ारी की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक रात चाँद की चाँदनी में तशरीफ़ रखते थे, और सहाबा-ए-क़िराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का मजमा था, आपने चाँद की तरफ़ नज़र फ़रमाई और फिर फ़रमाया कि (आख़िरत में) तुम अपने रब को इसी तरह आँखों से देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो।

तिर्मिज़ी और मुस्नद अहमद की एक हदीस में हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि अल्लाह तआला जिन लोगों को जन्नत में खास दर्जा अता फ़रमायेंगे उनको रोज़ाना सुबह व शाम हक़ तआला की ज़ियारत (दिखना) नसीब होगी।

खुलासा यह है कि दुनिया में किसी को हक़ तआला की ज़ियारत नहीं हो सकती, और आख़िरत में सब जन्नत वालों को होगी। और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब मेराज की रात में ज़ियारत हुई वह भी दर हकीकत आख़िरत के जहान ही की ज़ियारत है, जैसा कि शैख़ मुहीयुद्दीन इब्ने अरबी ने फ़रमाया कि दुनिया सिर्फ़ इस जहान का नाम है जो आसमानों के अन्दर घिरा हुआ है, आसमानों से ऊपर आख़िरत का मक़ाम है, वहाँ पहुँचकर जो ज़ियारत हुई उसको दुनिया की ज़ियारत नहीं कहा जा सकता।

अब सवाल यह रहता है कि जब कुरआन की आयत ‘ता तुदरिक्हुल-अब्साह’ से यह मालूम हुआ कि इनसान को अल्लाह तआला का दीदार हो ही नहीं सकता तो फिर क़ियामत में कैसे

होगा? इसका स्पष्ट जवाब यह है कि कुरआन की आयत के यह मायने नहीं कि इनसान के लिये हक़ तआला का दीदार और ज़ियारत नामुम्किन है, बल्कि आयत के मायने यह है कि इनसानी निगाह उसकी ज़ात का इहाता नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी ज़ात असीमित और इनसान की नज़र सीमित है।

कियामत में भी जो ज़ियारत होगी वह ऐसी तरह होगी कि नज़र इहाता नहीं कर सकेगी, और दुनिया में इनसान और उसकी नज़र में इतनी कुव्वत नहीं जो इस तरह के दीदार को भी बरदाश्त कर सके। इसलिये दुनिया में तो दीदार बिल्कुल ही नहीं हो सकता, और आखिरत में निगाह में ताक़त पैदा हो जायेगी तो दीदार व ज़ियारत हो सकेगी, मगर नज़र में ज़ाते हक़ का इहाता (घेराव करना) उस वक़्त भी न हो सकेगा।

दूसरी सिफ़त हक़ तआला शानुहू की इस आयत में यह बयान फ़रमाई है कि उसकी नज़र सारी कायनात पर मुहीत (फैली हुई और उसको घेरे हुए) है। दुनिया का कोई ज़र्रा उसकी नज़र से छुपा हुआ नहीं। यह मुकम्मल इल्म और इल्मी इहाता भी हक़ तआला शानुहू की ही विशेषता है, उसके सिवा किसी मख़्लूक को कायनात की तमाम चीज़ों और ज़र्रे-ज़र्रे का इल्म न कभी हासिल हुआ, न हो सकता है। क्योंकि वह मख़सूस सिफ़त है अल्लाह तआला की।

इसके बाद इरशाद फ़रमाया:

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

लतीफ़ अरबी लुग़त के एतिबार से दो मायनों में इस्तेमाल किया जाता है- एक मायने मेहरबान, दूसरे कसीफ़ के मुक़ाबले में, यानी वह चीज़ जो हवास के ज़रिये महसूस व मालूम नहीं की जा सकती।

और ख़बीर के मायने हैं ख़बर रखने वाला। इस जुमले के मायने यह हो गये कि अल्लाह तआला लतीफ़ हैं, इसी लिये हवास (महसूस करने वाली कुव्वतों) के ज़रिये उनको नहीं पाया और महसूस किया जा सकता। और ख़बीर हैं, इसलिये सारी कायनात का कोई ज़र्रा उनके इल्म व ख़बर से बाहर नहीं। और अगर लतीफ़ के मायने इस जगह मेहरबान के लिये जायें तो इशारा इस तरफ़ होगा कि अल्लाह तआला अगरचे हमारी हर बात व काम बल्कि इरादे और ख़्याल से भी वाकिफ़ हैं, जिसका तकाज़ा यह था कि हम हर गुनाह पर पकड़े जाया करते, मगर चूँकि वह लतीफ़ व मेहरबान भी हैं, इसलिये हर गुनाह पर पकड़ नहीं फ़रमाते।

दूसरी आयत में लफ़्ज़ बसाइर, बसीरत की जमा (बहुवचन) है, जिसके मायने हैं अख़्त व समझ। यानी वह कुव्वत जिसके ज़रिये इनसान ग़ैर-महसूस चीज़ों का इल्म हासिल कर सकता है। बसाइर से मुराद आयत में वो दलीलें और माध्यम व सूत्र हैं जिनसे इनसान हक़ और हकीकत को मालूम कर सके। आयत के मायने यह है कि अल्लाह तआला की तरफ़ से तुम्हारे पास हक़ देखने के माध्यम और सूत्र पहुँच चुके हैं, यानी कुरआन आया, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आये, आपके मौजिजे आये, आपके अख़्लाक व माभलात और तालीमात देखने और

अनुभव में आये, ये सब हक़ देखने और जानने के ज़रिये (माध्यम और सूत्र) हैं।

तो जो शख्स इन सूत्रों और माध्यमों से काम लेकर अक्ल व समझ वाला बन गया, उसने अपना नफ़ा हासिल कर लिया, और जो इन माध्यमों और सूत्रों को छोड़कर हक़ से अन्धा रहा तो उसने अपना ही नुक़सान किया।

आयत के आख़िर में फ़रमाया कि 'मैं तुम्हारा निगराँ नहीं'। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसके जिम्मेदार नहीं कि लोगों को ज़बरदस्ती करके बुरे कामों से रोक ही दें, जैसे निगराँ और मुहाफ़िज़ का काम होता है, बल्कि रसूल का मन्सबी फ़रीज़ा सिर्फ़ अहक़ाम का पहुँचा देना और समझा देना है, फिर कोई अपने इख़्तियार से उनको माने या न माने, यह उसकी जिम्मेदारी है।

तौहीद व रिसालत पर जो स्पष्ट दलीलें पिछली आयतों में बयान हो चुकी हैं, तीसरी आयत में उनकी तरफ़ इशारा करके फ़रमाया गया:

كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ

यानी हम इसी तरह दलीलों को विभिन्न पहलुओं से बयान करते हैं।

इसके बाद फ़रमाया गया:

وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلَيْسِنَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

जिसका हासिल यह है कि सारा हिदायत का सामान मोजिज़ों और दलीलों, बेमिसाल किताब कुरआन और एक बिल्कुल बिना पढ़े-लिखे की मुबारक ज़बान से ऐसे उलूम व तथ्यों का इज़हार जिनसे सारी दुनिया के बुद्धिमान, फ़लॉस्फ़र और अक्लमन्द अज़िज़ हैं, ऐसा उम्दा कलाम जिसमें कियामत तक आने वाले जिन्नात व इनसानों को चैलेंज किया गया कि उसकी एक छोटी सी सुरत जैसा कलाम कोई बना सके तो लाये, और सारी दुनिया इससे अज़िज़ रही। यह सब हक़ देखने और समझने का सामान ऐसा था कि हर हठधर्म इनकारी को भी रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़दमों पर गिर जाना चाहिये था, लेकिन जिन लोगों की तबीयत में गुमराही और टेढ़ था, वे यह कहने लगे कि ये उलूम तो आपने किसी से पढ़ लिये हैं।

साथ ही यह भी फ़रमा दिया:

وَلَيْسِنَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

जिसका हासिल यह है कि अक्लमन्द जिनकी अक्ल दुरुस्त और समझ सही सलामत है, उनके लिये यह बयान लाभदायक और मुफ़ीद साबित हुआ। खुलासा यह है कि हिदायत का सामान तो सब के सामने रखा गया मगर सही समझ न रखने वालों ने उससे फ़ायदा न उठाया, जो समझ रखने वाले लोग उसके ज़रिये दुनिया के रहबर बन गये।

चौथी आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हिदायत है कि आप यह न देखिये कि कौन मानता है और कौन नहीं मानता, आप खुद उस तरीक़े पर चलते रहिये जिस तरीक़े पर चलने के लिये आपके पास आपके रब की तरफ़ से वही नाज़िल हुई है। जिसमें बड़ी

चीज़ यह एतिकाद (यकीन लाना) है कि अल्लाह के सिवा कोई इयादत के लायक नहीं। साथ ही उस वही में तब्लीग़ का हुक्म भी दाख़िल है, उस पर कायम रहकर मुशिरकों की तरफ़ ख़्याल न कीजिए कि अफ़सोस! उन्होंने क्यों कुबूल न किया।

पाँचवीं आयत में इसकी वजह यह बतलाई गयी कि अगर अल्लाह तआला को तकदीरी तौर पर यह मन्ज़ूर होता कि सब इनसान मुसलमान हो जायें तो ये शिरक न कर सकते, लेकिन उनके बुरे आमाल की वजह से अल्लाह तआला को यह मन्ज़ूर था कि उनको सज़ा मिले तो ऐसा ही सामान जमा कर दिया। फिर आप उनको कैसे मुसलमान बना सकते हैं, और आप इस फ़िक्र में पड़ें क्यों, हमने आपको उनके आमाल का निगराँ नहीं बनाया, और न आप उन आमाल पर अज़ाब देने के हमारी तरफ़ से मुख़्तार हैं। इसलिये आपको उनके आमाल से चिंता न होनी चाहिये।

وَلَا تُسَبِّحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ

عِلْمٍ، كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَأَسْمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِكُمْ لَئِنْ جَاءَ تَهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَنَقَلِبُ أَفْقَادَهُمْ وَإِبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَلَذُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْبَهُونَ ۝

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْهَوَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ۝ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غَرُورًا وَأَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝ وَلِتَضَعِي إِلَيْهِ آفِدَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُونَ ۝

व ला तसुब्बुल्लज़ी-न यद्ज़ू-न मिन्
दूनिल्लाहि फ़-यसुब्बुल्ला-ह अद्वम्-
बिगैरि इल्मिन्, कज़ालि-क ज़य्यन्ना
लिकुल्लि उम्मतिन् अ-म-लहुम्
सुम्-म इला रब्बिहिम् मर्जिअुहुम्
फ़-युनब्बिउहुम् बिमा कानू यअमलून
(108) व अक्समू बिल्लाहि जह-द

और तुम लोग बुरा न कहो उनको जिनकी ये पूजा करते हैं अल्लाह के सिवा, पस वे बुरा कहने लगेंगे अल्लाह को बेअदबी से बिना समझे, इसी तरह हमने अच्छा बना दिया हर एक फ़िरक़ की नज़र में उनके आमाल को, फिर उन सब को अपने रब के पास पहुँचना है, तब वह जतला देगा उनको जो कुछ वे करते थे। (108) और वे कसमें खाते हैं अल्लाह की

ऐमानिहिम् ल-इन् जाअहुम् आयतुल्
लयुअमिनुन्-न बिहा, कुल् इन्नमल्-
आयातु जिन्दल्लाहि व मा
युशिअरुकुम् अन्नहा इजा जाअत् ला
युअमिनून (109) व नुकल्लिबु
अफइ-द-तहुम् व अब्तारहुम् कमा
तम् युअमिनु बिही अच्च-ल
मरतिव्-व न-ज़रुहुम् फी तुग्यानिहिम्
यअमहून (110) ❀

ताकीद से कि अगर आये उनके पास
कोई निशानी तो ज़रूर उस पर ईमान
लायेंगे, तू कह दे कि निशानियाँ तो
अल्लाह के पास हैं और ऐ मुसलमानों
तुमको क्या खाबर है कि जब वो
निशानियाँ आयेंगी तो ये लोग ईमान ले
ही आयेंगे। (109) और हम उलट देंगे उन
के दिल और उनकी आँखें जैसे कि ईमान
नहीं लाये निशानियों पर पहली बार, और
हम छोड़े रखेंगे उनको उनकी सरकशी
(नाफरमानी) में बहकते हुए। (110) ❀

पारा नम्बर आठ (व लौ अन्नना)

व लौ अन्नना नज़ज़ल्ला इलैहिमुल्-
मलाइ-क-त व कल्ल-महुमुल्-मौता व
हशरना अलैहिम् कुल्-ल शैइन्
कुबुलम् मा कानू लियुअमिनु इल्ला
अंयशा-अल्लाहु व लाकिन्-न
अक्स-रहुम् यज्हलून (111) व
कज़ालि-क जअल्ला लिक्लिलि
नबियिन् अदुव्वन् शयातिनल्-इन्सि
वल्जिन्नि यूही बअज़ुहुम् इला
बअज़िन् जुक्रफल्-कौलि गुररन्, व
लौ शा-अ रब्बु-क मा फ-अलूहु
फ-ज़रुहुम् व मा यफ्तरून (112) व
लितस्गा इलैहि अफइ-दतुल्लज़ी-न ला

और अगर हम उतारें उन पर फ़रिश्ते
और बातें करें उनसे मुर्दे और जिन्दा कर
दें हम हर चीज़ को उनके सामने तो भी
ये लोग हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं
मगर ये कि चाहे अल्लाह, लेकिन उनमें
अक्सर जाहिल हैं। (111) और इसी तरह
कर दिया हमने हर नबी के लिये दुश्मन
शरीर आदमियों को और जिन्नों को, जो
कि सिखलाते हैं एक दूसरे को मुलम्मा
की हुई (यानी चिकनी-चुपड़ी) बातें फ़रेब
देने के लिये, और अगर तेरा रब चाहता
तो वे लोग यह काम न करते, सो तू छोड़
दे वे जानें और उनका झूठ। (112) और
इसलिए कि माईल हों उन-मुलम्मा की
(चिकनी-चुपड़ी) बातों की तरफ उन लोगों

युअ्मिनु-न बिल्-आख़िरति व
लियर्जौहु व लियक्तरिफू मा हुम्
मुक्तरिफून् (113)

के दिल जिनको यकीन नहीं आख़िरत का
और वे उसको भी पसन्द कर लें और किये
जायें जो कुछ बुरे काम कर रहे हैं। (113)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और गाली मत दो उन (बातिल माबूदों) को जिनकी ये (मुश्रिक) लोग खुदा (की तौहीद) को छोड़कर इबादत करते हैं "यानी उनके माबूदों को" क्योंकि (तुम्हारे ऐसा करने से) फिर वे जहालत की वजह से हद से गुज़र कर (यानी गुस्ते में आकर) अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी करेंगे। (और इसका ताज्जुब न किया जाये कि ऐसी गुस्ताखी करने वालों को साथ के साथ सज़ा क्यों नहीं मिल जाती, क्योंकि) हमने (दुनिया में तो) इसी तरह (जैसा हो रहा है) हर तरीके वालों को उनका अमल (भला हो या बुरा हो) पसन्दीदा बना रखा है (यानी ऐसे असवाब जमा हो जाते हैं कि हर एक को अपना तरीका पसन्द है। इससे मालूम हुआ कि यह आलम असल में परीक्षा और इम्तिहान का है, पस इसमें सज़ा ज़रूरी नहीं) फिर (अलबत्ता अपने वक्त पर) अपने रब ही के पास उन (सब) को जाना है, सो (उस वक्त) वह उनको जतला देगा जो कुछ भी वे (दुनिया में) किया करते थे (और मुजरिमों को सज़ा दे देगा)। और उन (इनकार करने वाले) लोगों ने अपनी कसमों में बड़ा जोर लगाकर अल्लाह की कसम खाई कि अगर उनके (यानी हमारे) पास (यानी उनके फ़रमाईशी निशानों में से) कोई निशानी (ज़हूर में) आ जाए तो वे (यानी हम) ज़रूर ही उस (निशान) पर ईमान ले आएँगे (यानी निशान ज़ाहिर करने वाले की नुबुव्वत को मान लेंगे)। आप (जयाब में) कह दीजिए कि निशानियाँ सब खुदा तआला के कब्जे में हैं (वह उनमें जिस तरह चाहे तसरुफ़ फ़रमा दे दूसरे को दख़ल देना और फ़रमाईश करना बेजा है, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं कि किसका ज़ाहिर होना हिक्मत है और किसका ज़ाहिर न होना हिक्मत है। अलबत्ता रसूलों के भेजने के वक्त मुतलक़ तौर पर किसी निशान को ज़ाहिर कर देना इसमें हिक्मत यकीनी है, सो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत के सच्चा होने पर अल्लाह तआला बहुत से निशान ज़ाहिर फ़रमा चुके हैं जो कि दलालत के लिये काफी हैं। बस यह उनकी फ़रमाईश का जवाब हो गया) और (चूँकि मुसलमानों के दिल में ख़्याल था कि अच्छा हो अगर यह निशान ज़ाहिर हो जाये, शायद ये लोग ईमान ले आयें। उनको ख़िताब फ़रमाते हैं कि) तुमको इसकी क्या ख़बर (बल्कि हमको ख़बर है) कि वो (फ़रमाईशी) निशान जिस वक्त (ज़हूर में) आ जाएँगे, ये लोग (अपने हद से बढ़े हुए बुग़ज़ और दुश्मनी के सबब) तब भी ईमान न लाएँगे। और (उनके ईमान न लाने की वजह से) हम भी उनके दिलों को (हक़ तलाश करने के इरादे से) और निगाहों को (हक़ देखने की नज़र से) फेर देंगे (और उनका यह ईमान न लाना ऐसा है) जैसा कि ये लोग इस (कुरआन) पर (जो कि बहुत बड़ा मोज़िजा और निशानी है) पहली बार (जबकि यह आया) ईमान नहीं लाए (तो अब ईमान न

तफ़सीर
लाने व
के लिये
(य परे
अ
क्या क
फ़रिश्तों
मुर्दे (जि
हमार प
अल्लाह
92 म र
बीजा व
ताकर उ
अगर खु
मुख़ालफ़
इस वक्त
इसलिये
(कि इमा
है)। जोर
बल्कि जि
शैतान पै
औला
आदि-वों
(इससे मु
होती-वों
जो इ-का
इसमें कुछ
हमारा य
काम-व
हिक्मत-है
नुबुव्वत-क
म में

लाने को दूर की बात मत समझो) और (निगाहों को वेकार करने का मतलब जाहिरी तौर पर वेकार करना नहीं है, बल्कि मुराद यह है कि) हम उनको उनकी नाफ़रमानी (और कुफ़्र) में हैरान (व परेशान) रहने देंगे (ईमान की तौफ़ीक़ न होगी कि यह भी मानवी तौर पर वेकार करना है)।

आठवाँ पारा (व लौ अन्नना)

और (इनको दुश्मनी व बैर की तो यह कैफ़ियत है कि) अगर हम (एक फ़रमाईशी निशान क्या कई-कई और बड़े-बड़े फ़रमाईशी निशान भी जाहिर कर देते, मसलन यह कि) उनके पास फ़रिश्तों को भेज देते (जैसा कि वे कहते हैं कि अगर हमारे पास फ़रिश्ते उतर आते) और उनसे मुँदे (जिन्दा होकर) बातें करने लगते (जैसा कि वे कहते हैं कि हमारे बाप-दादा को जिन्दा करके हमारे पास लाओ और उनसे हमारी बात कराओ) और (यह तो सिर्फ़ इतना ही कहते हैं कि अल्लाह तआला को और फ़रिश्तों को हमारे सामने लाओ जैसा कि सूर: बनी इस्राईल की आयत 92 में उनका कौल नक़ल किया गया है) हम (इसी पर बस न करते बल्कि ग़ैब में) मौजूद तमाम चीज़ों को (जिसमें जन्नत व दोज़ख़ सब ही कुछ आ गया) इनके पास इनकी आँखों के सामने लाकर जमा कर देते (कि सब को खुल्लम-खुल्ला देख लेते) तब भी ये लोग ईमान न लाते, हाँ अगर खुदा ही चाहे (और इनकी तकदीर बदल दे) तो और बात है। (पस जब उनकी दुश्मनी व मुख़ालफ़त और शरारत की यह कैफ़ियत है और खुद भी वे इसको जानते हैं कि हमारी नीयत इस वक़्त भी ईमान लाने की नहीं तो इसका तकाज़ा यह था कि निशानों की फ़रमाईश न करते इसलिये कि इसका कोई फ़ायदा नहीं) लेकिन उनमें से अक्सर लोग जहालत की बातें करते हैं (कि ईमान लाने का तो इरादा नहीं फिर ख़्वाह-मख़्वाह की फ़रमाईशें, इसका जहालत होना जाहिर है)। और (ये लोग जो आप से दुश्मनी रखते हैं यह कोई नई बात आप ही के लिये नहीं हुई, बल्कि जिस तरह ये आप से दुश्मनी रखते हैं) इसी तरह हमने हर नबी के लिए दुश्मन बहुत-से शैतान पैदा किए, कुछ आदमी (जिनसे असल मामला था) और कुछ जिन्न, (शैतान और उसकी औलाद) जिनमें से बाजे (यानी शैतान और उसका लश्कर) दूसरे बाजों को (यानी काफ़िर आदमियों को) चिकनी-चुपड़ी बातों का बस्वसा डालते रहते थे ताकि उनको धोखे में डाल दें (इससे मुराद कुफ़्र व मुख़ालफ़त की बातें हैं कि जाहिर में नफ़्स को अच्छी और भली मालूम होती थीं और अन्दर में तबाह करने वाली थीं, और यही धोखा है। जब यह कोई नई बात नहीं तो इसका ग़म न कीजिए कि आपके साथ ये लोग ऐसे मामलात क्यों करते हैं, असल यह है कि इसमें कुछ हिक्मतें हैं, इस वजह से इनको ऐसे मामलात पर कुदरत भी हो गयी है) और अगर तुम्हारा परवर्दिगार (यह) चाहता (कि ये लोग ऐसे मामलात पर कादिर न रहें) तो (फिर) ये ऐसे काम न कर सकते (मगर कुछ हिक्मतों की वजह से इनको कुदरत दे दी है)। सो (जब इसमें हिक्मतें हैं तो) इन लोगों को और जो कुछ ये (दीन के बारे में) बोहतान लगा रहे हैं (जैसे खुब्रत का इनकार जिससे दुश्मनी जाहिर हो रही है) इसको आप रहने दीजिए (इसकी फ़िक्र व ग़म में न पड़िये, हम खुद निर्धारित वक़्त पर मुनासिब सज़ा देंगे, कि उन हिक्मतों में से एक यह

भी है)।

और (वे शैतान उन काफ़िर आदमियों के दिल में इसलिये बुरा ख्याल डालते थे) ताकि उस (फ़रेब भरी बात) की तरफ़ उन लोगों के दिल माईल हो जाएँ जो आख़िरत पर (जैसा चाहिये वैसा) यकीन नहीं रखते (इससे मुराद काफ़िर लोग हैं; चाहे वे अहले किताब हों, क्योंकि जैसा चाहिये उनको भी यकीन नहीं, वरना नुवुव्वत के इनकार करने की जिस पर क़ियामत में सज़ा होगी कभी ज़रत न करते)। और ताकि (दिली मैलान के बाद) उसको (दिल के यकीन से भी) पसन्द कर लें, और ताकि (यकीन व एतिकाद के बाद) उन कामों के करने वाले (भी) हो जाएँ जिनको वे करते थे।

मअरिफ़ व मसाईल

बयान हुई आयतों में से पहली आयत एक ख़ास वाकिए में नाज़िल हुई है, और इसमें एक अहम उसूली मसले की हिदायत दी गयी है, कि जो काम खुद करना जायज़ नहीं उसका सबब और ज़रिया बनना भी जायज़ नहीं।

आयत का शाने नुज़ूल (उतरने का मौक़ा और सबब) अल्लामा इब्ने जरीर की रिवायत के मुताबिक़ यह है कि जब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चाचा मोहतरम अबू तालिब मौत की बीमारी में थे तो कुरैश के मुशिक सरदार जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुश्मनी और तकलीफ़ पहुँचाने में लगे हुए थे, और क़त्ल की साज़िशें करते रहते थे, उनको यह फ़िक्र हुई कि अबू तालिब की वफ़ात हमारे लिये एक मुशिकल मसला बन जायेगी, क्योंकि उनके बाद अगर हम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को क़त्ल करें तो यह हमारी इज़्ज़त व शराफ़त के खिलाफ़ होगा, लोग कहेंगे कि अबू तालिब के सामने तो इनका कुछ बिगाड़ न सके, उनकी मौत के बाद अकेला पाकर क़त्ल कर दिया। इसलिये अब वक़्त है कि हम मिलकर खुद अबू तालिब ही से कोई निर्णायक बात कर लें।

यह बात तक़रीबन हर लिखा पढ़ा मुसलमान जानता है कि अबू तालिब अगरचे मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की न सिर्फ़ मुहब्बत बल्कि इज़्ज़त व क़द्र भी उनके दिल में जमी हुई थी, और आपके दुश्मनों के मुक़ाबले में मज़बूत ढाल बने रहते थे।

चन्द कुरैशी सरदारों ने यह मशिवरा करके अबू तालिब के पास जाने के लिये एक जमाअत गठित की, जिसमें अबू सुफ़ियान, अबू जहल, अमर बिन आस वगैरह कुरैशी सरदार शामिल थे। अबू तालिब से इस जमाअत की मुलाक़ात के लिये वक़्त लेने का काम एक शख़्स मुत्तलिब नाम के को सुपुर्द हुआ। उसने अबू तालिब से इजाज़त लेकर इस जमाअत को वहाँ पहुँचाया।

जमाअत ने अबू तालिब से कहा कि आप हमारे बड़े और सरदार हैं, और आपको मालूम है कि आपके भतीजे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हमें और हमारे माबूदों को सज़ा तकलीफ़ पहुँचा रखी है, हम चाहते हैं कि आप उनको बुलाकर समझा दें कि वह हमारे माबूदों को बुरा न कहें तो हम इस पर सुलह कर लेंगे कि वह अपने दीन पर जिस तरह चाहें अमल

करें, जिसको चाहें माबूद बनायें, हम उनको कुछ न कहेंगे।

अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने पास बुलाया और कहा कि वे आपकी बिरादरी के सरदार आये हैं। हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस जमाअत से मुख़ातिब होकर फ़रमाया कि आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा यह है कि आप हमें और हमारे माबूदों को छोड़ दें, बुरा भला न कहें, और हम आपको और आपके माबूद को छोड़ देंगे, इस तरह आपसी मुख़ालफ़त ख़त्म हो जायेगी।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अच्छा यह बतलाओ कि अगर मैं तुम्हारी यह बात मान लूँ तो क्या तुम एक ऐसा कलिमा (वाक्य और बात) कहने के लिये तैयार हो जाओगे जिसके कहने से तुम सारे अरब के मालिक हो जाओगे, और अरब से बाहर की दुनिया के लोग भी तुम्हारे ताबे और कर दाता बन जायेंगे?

अबू जहल बोला कि ऐसा कलिमा एक नहीं हम दस कहने को तैयार हैं, बतलाईये वह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "ला इला-ह इल्लल्लाहु" यह सुनते ही सब नाराज़ और गुस्सा हो गये। अबू तालिब ने भी हुजुर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि मेरे भतीजे! इस कलिमे के सिवा कोई और बात कहो, क्योंकि आपकी क़ौम इस कलिमे से घबरा गयी है।

आपने फ़रमाया- चचा जान! मैं तो इस कलिमे के सिवा कोई दूसरा कलिमा नहीं कह सकता। अगर ये लोग आसमान से सूरज को उतार लायें और मेरे हाथ में रख दें तब भी मैं इस कलिमे के सिवा कोई दूसरा हरगिज़ न कहूँगा। मक़सद यह था कि इनको मायूस कर दें।

इस पर ये लोग नाराज़ होकर कहने लगे या तो आप हमारे माबूदों (बुतों) को बुरा कहने से बाज़ आ जाइये वरना हम आपको भी गालियाँ देंगे और उस ज़ात को भी जिसका आप अपने आपको रसूल बतलाते हैं। इस पर यह आयत नाज़िल हुई:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.

यानी आप उन बुतों को बुरा न कहें जिनको इन लोगों ने खुदा बना रखा है, जिसके नतीजे में वे अल्लाह तआला को बुरा कहने लगे अपनी गुमराही और बेसमझी की वजह से।

इसमें "ला तसुब्बू" लफ़ज़ "सब्ब" से निकला है, जिसके मायने हैं गाली देना। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो अपने फ़ितरी अख़्लाक की बिना पर पहले ही इसके पाबन्द थे, कभी बचपन में भी किसी इन्सान बल्कि किसी जानवर के लिये भी गाली का लफ़ज़ आपकी मुबारक ज़बान पर जारी नहीं हुआ, मुम्किन है कुछ सहाबा-ए-क़िराम की ज़बान से कभी कोई ख़ाख़ कलिमा निकल भी गया हो जिसको मक्का के मुशिरकों ने गाली से ताबीर किया, और मुँशी सरदारों के इस मण्डल (जमाअत) ने हुजुर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने इस मामले को रखकर यह ऐलान कर दिया कि आप हमारे बुतों को बुरा भला कहने से बाज़ न आयेंगे तो हम आपके खुदा को बुरा भला कहेंगे।

इस पर कुरआनी हुक्म यह नाज़िल हुआ, जिसके ज़रिये मुसलमानों को रोक दिया गया कि वे मुशिरकों के बातिल और झूठे माबूदों के बारे में कोई सख्त कलिमा न कहा करें। इस आयत में यह बात खास तौर से काबिले ध्यान है कि इससे पहली आयत में खुद हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिताब हो रहा था, मसलन इरशाद है:

اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ.

और:

اغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.

और:

مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا.

और:

مَا آتَتْ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ بَوَكِيلًا.

इन तमाम कलिमों में हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुखातब थे, कि आप ऐसा करें या ऐसा न करें। इसके बाद इस आयत में खिताब का अन्दाज़ रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से फेरकर आम मुसलमानों की तरफ़ कर दिया गया। फ़रमाया "ला तसुबू" इसमें इशारा इस बात की तरफ़ है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तो कभी किसी को गाली दी ही नहीं थी, उनको डायरेक्ट इस कलाम का मुखातब बनाना उनकी दिली तकलीफ़ का सबब हो सकता है, इसलिये खिताब आम कर दिया गया, और तमाम सहाबा-ए-किराम भी इसमें एहतियात फ़रमाने लगे। (तफ़सीर बहरे मुहीत)

रहा यह मामला कि कुरआने करीम की बहुत सी आयतों में बुतों का तज़क़िरा सख्त अलफ़ाज़ में आया है, और वो आयतें मन्सूख़ (रद्द) भी नहीं, उनकी तिलावत अब भी होती है।

इसका जवाब यह है कि कुरआनी आयतों में जहाँ कहीं ऐसे अलफ़ाज़ आये हैं वो मुनाज़रे के तौर पर किसी हकीकत को स्पष्ट करने के लिये लाये गये हैं, वहाँ किसी का दिल दुखाना मक़सद नहीं है, और न कोई समझदार इनसान उनसे यह नतीजा निकाल सकता है कि इसमें बुतों की बुरा कहना या मुशिरकों को चिड़ाना मन्ज़ूर है। और यह एक ऐसा खुला हुआ फ़र्क़ है जिसको हर भाषा के मुहावरे वाले आसानी से समझ सकते हैं कि कभी किसी शख्स का कोई ऐब या बुराई किसी मसले की सफ़ाई और उसको स्पष्ट करने के लिये ज़िक्र की जाती है, जैसे आम तौर पर अदालतों में हर रोज़ सामने आता रहता है, लेकिन अदालत के सामने होने वाले बयान को दुनिया में कोई आदमी यह नहीं कहता कि फुल्लों ने फुल्लों को गाली दी है। इसी तरह डॉक्टर और हकीमों के सामने इनसान के बहुत से ऐसे ऐब बयान किये जाते हैं कि उनको दूसरी जगह और दूसरी तरह कोई बयान करेगा तो गाली समझी जाये, लेकिन इलाज की गर्ज़ से उनके बयान करने को कोई गाली देना नहीं कहता।

इसी तरह कुरआने करीम ने जगह-जगह बुतों के बेहिस व बेशऊर और बेइल्म व बेकुदरत

और वेवस होने को इस अन्दाज़ में वयान फ़रमाया है कि समझने वाले हकीकत को समझ लें, और न समझने वालों की ग़लती या कम-समझी वाज़ेह हो जाये। जिसके नतीजे में कुरआन पाक में इरशाद हुआ है:

ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ.

“यानी यह बुत भी कमज़ोर हैं और इनके चाहने वाले भी कमज़ोर” या यह इरशाद हुआ है:

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ.

“यानी तुम और जिन बुतों की तुम इबादत करते हो वो सब जहन्नम का ईंधन हैं।”

यहाँ भी किसी को बुरा-भला कहना मकसूद नहीं, गुमराही और ग़लती का बुरा अन्जाम वयान करना मकसूद है। और फुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) ने स्पष्ट फ़रमाया है कि अगर कोई शख्स इस आयत को भी मुशिरकों के चिड़ाने के लिये पढ़े तो उसके लिये उस वक़्त यह तिलावत करना भी वर्जित बुरा-भला कहने के हुक्म में दाख़िल और नाजायज़ है। जैसे बुरी जगहों में कुरआन की तिलावत का नाजायज़ होना सब को मालूम है। (तफ्सीर रूहुल-मआनी)

मज़मून का खुलासा यह है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़बान और कुरआने करीम में तो न पहले कभी ऐसा आया था जिसको लोग गाली समझें, और न आईन्दा आने का कोई ख़तरा था, हाँ मुसलमानों से इसकी संभावना थी उनको इस आयत ने ऐसा करने से रोक दिया।

इस वाक़िए और इस पर कुरआनी हिदायत ने एक बड़े इल्म का दरवाज़ा खोल दिया, और चन्द उसूली मसाईल इससे निकल आये।

किसी गुनाह का सबब बनना भी गुनाह है

मसलन एक उसूल यह निकल आया कि जो काम अपनी जात के एतिबार से जायज़ बल्कि किसी दर्जे में अच्छा भी हो मगर उसके करने से कोई फ़साद (ख़राबी) लाज़िम आता हो, या उसके नतीजे में लोग बुराई और गुनाह में मुब्तला होते हों, वह काम भी मना और वर्जित हो जाता है। क्योंकि झूठे मंजूरीयों यानी बुतों को बुरा कहना कम से कम जायज़ तो ज़रूर है, और ईमानी गैरत के तकाज़े से कहा जाये तो शायद अपनी जात में सवाब और अच्छा भी हो, मगर चूँकि इसके नतीजे में यह अन्देशा हो गया कि लोग अल्लाह जल्लु शानुहु को बुरा कहेंगे तो बुतों को बुरा कहने वाले इस बुराई का सबब बन जायेंगे, इसलिये इस अजायज़ काम को भी मना कर दिया गया।

इसकी एक और मिसाल भी हदीस में इस तरह आई है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा-ए-किराम को मुखातब करके फ़रमाया कि कोई शख्स अपने माँ-बाप को गाली न दे। सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! यह तो किसी शख्स से मुश्क़िन ही नहीं कि अपने माँ-बाप को गाली दे। फ़रमाया कि हाँ इनसान खुद तो उनको गाली नहीं देता, लेकिन जब

वह किसी दूसरे शख्स के माँ-बाप को गाली दे और उसके नतीजे में वह दूसरा इसके माँ-बाप को गाली दे, तो उस गाली दिलवाने का सबब यह बेटा बना, तो यह भी ऐसा ही है जैसे इसने खुद गाली दी।

इसी मामले की एक दूसरी मिसाल हुजुरे पाक के दौर में यह पेश आई कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत आयशा सिदीका रजियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के ज़माने के किसी हादसे में ध्वस्त हो गया था तो मक्का के कुरैश ने हुजुरे पाक की नुबुव्वत से पहले उसकी तामीर कराई। इस तामीर में चन्द्र चीजें हजरत इब्राहीम की तामीर की बुनियादों के खिलाफ़ हो गयीं- एक तो यह कि जिस हिस्से को हतीम कहा जाता है यह भी बैतुल्लाह का हिस्सा है, तामीर में इसको पैसा कम होने को बिना पर छोड़ दिया। दूसरे बैतुल्लाह शरीफ़ के दो दरवाजे पूर्वी और पश्चिमी थे, एक दाखिला होने के लिये दूसरा बाहर निकलने के लिये, जाहिलीयत के लोगों ने पश्चिमी दरवाजा बन्द करके सिर्फ़ एक कर दिया, और वह भी ज़मीन की सतह से ऊँचा कर दिया, ताकि बैतुल्लाह शरीफ़ में दाखिला सिर्फ़ उनकी मर्जी व इजाज़त से हो सके। हर शख्स बिना किसी रोक-टोक के न जा सके। हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि बैतुल्लाह की मौजूदा तामीर को गिराकर हजरत खलीलुल्लाह की तामीर के बिल्कुल मुताबिक़ बना दूँ, मगर खतरा यह है कि तुम्हारी कौम यानी आम अरब अभी-अभी मुसलमान हुए हैं, बैतुल्लाह को गिराने से कहीं उनके दिलों में कुछ शुब्हात न पैदा हो जायें, इसलिये मैंने अपने इरादे को छोड़ दिया।

ज़ाहिर है कि बैतुल्लाह की तामीर को इब्राहीमी बुनियादों के मुताबिक़ बनाना एक नेकी और सवाब का काम था, मगर इस पर लोगों की नावाक़फ़ियत के सबब एक ख़तरे की संभावना देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस इरादे को छोड़ दिया। इस वाक़िए से भी यही उसूल समझ में आया कि अगर किसी जायज़ बल्कि सवाब के काम पर कोई ख़राबी और विवाद लाज़िम आता हो तो वह जायज़ काम भी मना हो जाता है।

लेकिन इस पर एक मज़बूत इश्क़ाल (शुब्हा) है, जिसको तफ़सीर रूहुल-मआनी में अबू मन्सूर से नक़ल किया है। वह यह कि अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर जिहाद व क़िताल लाज़िम फ़रमाया है, हालाँकि क़िताल (लड़ाई और जंग) का यह लाज़िमी नतीजा है कि मुसलमान किसी ग़ैर-मुस्लिम को क़त्ल करने का इरादा करेगा तो वे मुसलमानों को क़त्ल करेंगे, और मुसलमान का क़त्ल हaram है, तो इस उसूल पर जिहाद भी मना और वर्जित हो जाना चाहिये। ऐसे ही हमारी इस्लामी तब्लीग़ और कुरआन की तिलावत पर तथा अज़ान और नमाज़ पर बहुत से काफ़िर मज़ाक़ उड़ाते हैं, तो क्या हम उनके इस गुलत रवैये की बिना पर अपनी इबादतों को छोड़ देंगे?

इसका जवाब खुद अबू मन्सूर ने यह दिया है कि यह इश्क़ाल एक ज़रूरी शर्त के नज़र-अन्दाज़ कर देने से पैदा हो गया। शर्त यह है कि वह जायज़ काम जिसको किसी ख़राबी

लाज़िम आने की वजह से मना कर दिया गया है वह इस्लाम के मक़ासिद और ज़रूरी कामों में से न हो। जैसे बातिल और झूठे माबूदों को बुरा कहना, इससे इस्लाम का कोई मक़सद जुड़ा हुआ नहीं, इसलिये जब इस पर किसी दीनी ख़राबी का ख़तरा लाहिक़ हुआ तो उन कामों को छोड़ दिया गया। और जो काम ऐसे हैं कि इस्लाम में खुद मक़सूद हैं, या कोई इस्लामी उद्देश्य उसपर निर्भर है, अगर दूसरे लोगों की ग़लत चाल से उन पर कोई विगाड़ और ख़राबी लाज़िम भी होती नज़र आये तो उन मक़ासिद को हरगिज़ छोड़ा न जायेगा, बल्कि इसकी कोशिश की जायेगी कि वे काम तो अपनी जगह जारी रहें और पेश आने वाली ख़राबियाँ जहाँ तक मुम्किन हो बन्द हो जायें।

यही वजह है कि एक मर्तबा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि और इमाम मुहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि दोनों हज़रात एक जनाजे की नमाज़ में शिर्कत के लिये चले। वहाँ देखा कि मर्दों के साथ औरतों का भी इज्तिमा है, उसको देखकर इब्ने सीरीन वापस हो गये मगर हज़रत हसन बसरी ने फ़रमाया कि लोगों की ग़लत रविश की वजह से हम अपने ज़रूरी काम कैसे छोड़ दें। नमाजे जनाजा फ़र्ज़ है उसको इस ख़राबी की वजह से नहीं छोड़ा जा सकता, हाँ जहाँ तक संभव हो इसकी कोशिश की जायेगी कि यह ख़राबी और बुराई मिट जाये। यह वाकिआ भी तफ़सीर रूहुल-मआनी में नक़ल किया गया है।

इसलिये इस उसूल का खुलासा जो उपर्युक्त आयत से निकला है यह हो गया कि जो काम अपनी ज़ात में जायज़ बल्कि नेकी व सवाब भी हो मगर शरीअत के मक़ासिद (उद्देश्य और ज़रूरी कामों) में से न हो, अगर उसके करने पर कुछ ख़राबियाँ लाज़िम आ जायें तो वह काम छोड़ देना वाजिब हो जाता है, बख़िलाफ़ शरई मक़ासिद के कि वह ख़राबियों के लाज़िम आने की वजह से नहीं छोड़े जा सकते।

इस उसूल से उम्मत फ़ुक़हा (उलेमा और कुरआन व हदीस से मसाईल निकालने वाले हज़रात) ने हज़ारों मसाईल के अहकाम निकाले हैं। फ़ुक़हा ने फ़रमाया है कि किसी शख्स का बेटा नाफ़रमान हो और वह यह जानता हो कि उसको किसी काम के करने के लिये कहूँगा तो इनकार करेगा और उसके ख़िलाफ़ करेगा जिससे उसका सख्त गुनाहगार होना लाज़िम आयेगा, तो ऐसी सूरत में बाप को चाहिये कि उसको हुक्म के अन्दाज़ में किसी काम के करने या छोड़ने को न कहे, बल्कि नसीहत के अन्दाज़ में इस तरह कहे कि फुलौ काम कर लिया जाये तो बहुत अच्छा हो। ताकि इनकार या ख़िलाफ़ करने की सूरत में एक नई नाफ़रमानी का गुनाह उस पर आयद न हो जाये। (खुलासतुल-फ़तावा)

इसी तरह किसी को वज़ज़ व नसीहत करने में भी अगर अन्दाजे और हालात से यह मालूम हो जाये कि वह नसीहत कुबूल करने के बजाय कोई ऐसा ग़लत अन्दाज़ इख़्तियार करेगा जिसके ज़तीजे में वह और ज़्यादा गुनाह में मुब्तला हो जायेगा तो ऐसी सूरत में नसीहत छोड़ देना बेहतर है। इमाम बुख़ारी रह. ने सही बुख़ारी में इस विषय पर एक मुस्तक़िल बाब रखा है:

باب من ترك بعض الاختيار مخالفة ان يقصر فهم بعض الناس فيقولوا في اثمنا

यानी कई बार जायज़ बल्कि अच्छी चीज़ों को इसलिये छोड़ दिया जाता है कि उसमें कम-समझ अंवाम को किसी ग़लत-फ़हमी में मुब्तला हो जाने का ख़तरा होता है, बशर्ते कि वह काम इस्लामी मक़ासिद में दाख़िल न हो।

मगर जो काम इस्लामी मक़ासिद में दाख़िल हैं चाहे फ़राईज़ व वाजिबात हों या मुअक्कदा सुन्नतें या दूसरी किस्म की इस्लामी पहचान की चीज़ें, अगर उनके अदा करने से कुछ कम-समझ लोग ग़लती में मुब्तला होने लगें तो उन कामों को हरगिज़ न छोड़ा जायेगा, बल्कि दूसरे तरीकों से लोगों की ग़लत-फ़हमी और ग़लत काम करने को दूर करने की कोशिश की जायेगी।

इस्लाम के शुरू ज़माने के वाकिआत ग़वाह हैं कि नमाज़ व तिलावत और तब्लीगे इस्लाम की वजह से मक्का के मुशिरकों को गुस्सा आता और वे बिफरते थे मगर इसकी वजह से इन इस्लाम के अहकाम और पहचानों को कभी नहीं छोड़ा गया, बल्कि खुद उक्त आयत के शाने नुज़ूल में जो वाकिआ अबू जहल वगैरह कुरैश के सरदारों का ज़िक्र किया गया है उसका हासिल यही था कि कुरैशी सरदार इस पर सुलह करना चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तौहीद (अल्लाह को एक मानने) की तब्लीग़ करना छोड़ दें, जिसके जवाब में आपने फ़रमाया कि मैं यह काम किसी हाल में नहीं कर सकता चाहे वे सूरज और चाँद लाकर मेरे हाथ पर रख दें।

इसलिये यह मसला इस तरह साफ़ हो गया कि जो काम इस्लामी मक़ासिद में दाख़िल हैं अगर उनके करने से कुछ लोग ग़लत-फ़हमी का शिकार होते हों तो उन कामों को हरगिज़ न छोड़ा जायेगा, हों जो काम इस्लामी मक़ासिद में दाख़िल नहीं, और उनके छोड़ देने से कोई दीनी मक़सद ख़त्म नहीं होता ऐसे कामों को दूसरों की ग़लत-फ़हमी या ग़लत काम करने के अन्देश की वजह से छोड़ दिया जायेगा।

पिछली आयतों में इसका ज़िक्र था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खुले हुए मोजिजे और अल्लाह तआला की रेशन निशानियों के बावजूद हठधर्म लोगों ने अपनी ज़िद और हठधर्मी का एक नया रूप यह बदला कि हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से खास-खास किस्म के मोजिजे दिखलाने का मुतालबा किया, जैसा कि इमाम इब्ने जरीर रह. ने नक़ल किया है कि कुरैश के सरदारों ने मुतालबा किया कि अगर आप हमें यह मोजिजा दिखला दें कि सफ़ा पहाड़ पूरा सोना हो जाये तो हम आपकी नुबुव्वत व रिंसालत को मान लेंगे और मुसलमान हो जायेंगे।

हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अच्छा पक्का वायदा करो कि अगर यह मोजिजा जाहिर हो गया तो तुम सब मुसलमान हो जाओगे? उन्होंने कसमें खा लीं, आप अल्लाह तआला से दुआ करने के लिये खड़े हो गये कि इस पहाड़ को सोना बना दीजिए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आये कि अगर आप चाहें तो हम अभी इस पूरे पहाड़ को सोना बना दें लेकिन अल्लाह के कानून के मुताबिक इसका यह नतीजा होगा कि अगर फिर भी ये ईमान न लाये तो सब पर सार्वजनिक अज़ाब नाज़िल करके हलाक कर दिया जायेगा, जैसे पिछली कौमों में हमेशा होता रहा है, कि उन्होंने किसी खास मोजिजे का मुतालबा किया, यह

दिखाया गया, और वे फिर भी इनकारी हो गये तो उन पर खुदा तआला का कहर व अजाब नाज़िल हो गया। रहमतुल्-लिल्आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चूँकि उन लोगों की आदतों और हठधर्मी से वाकिफ़ थे, शफ़क़त के तकाज़े से आपने फ़रमाया कि अब मैं इस मोज़िज़े की दुआ नहीं करता। इस वाकिफ़ पर यह आयत नाज़िल हुई:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

जिसमें काफ़ि़रों के कौल की नक़ल की है कि उन्होंने मतलूबा मोज़िज़ा ज़ाहिर होने पर मुसलमान हो जाने के लिये क़समें खा लीं। इसके बाद की आयत:

إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ اللَّهِ

में उनके कौल का जवाब है कि मोज़िज़े और निशानियाँ सब अल्लाह तआला के इख़्तियार में हैं, और जो मोज़िज़े ज़ाहिर हो चुके हैं वो भी उसी की तरफ़ से थे, और जिनका मुतालबा किया जा रहा है उन पर भी वह पूरी तरह क़ादिर है, लेकिन अक्ल व इन्साफ़ के एतिबार से उनको ऐसा मुतालबा करने का कोई हक़ नहीं, क्योंकि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल होने के दावेदार हैं, और इस दावे पर बहुत सी दलीलें और शहादतें मोज़िज़ों की सूत में पेश फ़रमा चुके हैं, अब दूसरे फ़रीक़ को इसका तो हक़ है कि उन दलीलों और शहादतों पर जिरह करे, उनको ग़लत साबित करे, लेकिन उन पेश की हुई शहादतों (सुबूतों) में कोई जिरह न करें और फिर यह मुतालबा करें कि हम तो दूसरी शहादतें चाहते हैं, यह ऐसा होगा जैसे अदालत में जिस पर दावा किया गया है वह दावेदार के पेश किये हुए गवाहों पर तो कोई जिरह न करे, मगर यह कहे कि मैं तो इन गवाहों की गवाही नहीं मानता, बल्कि फुलॉ विशेष शख़्स की गवाही पर बात मानूँगा। इसको कोई अदालत सुनवाई के क़ाबिल न समझेगी।

इसी तरह नुबुव्वत व रिसालत पर बेशुमार स्पष्ट निशानियाँ और मोज़िज़े ज़ाहिर हो जाने के बाद जब तक उन मोज़िज़ों को ग़लत साबित न करें, उनको यह कहने का हक़ नहीं कि हम तो फुलॉ किस्म का मोज़िज़ा देखेंगे तब ईमान लायेंगे।

इसके बाद आयतों के आख़िर तक मुसलमानों को तंबीह और ख़िताब है कि तुम्हारा काम हक़ दीन पर खुद कायम रहना और दूसरों को सही तरीक़े से पहुँचा देना है, फिर भी अगर वे हठधर्मी करने लगे तो उनकी फ़िक्र में नहीं पड़ना चाहिये, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाता नहीं, अगर ज़बरदस्ती बनाना होता तो अल्लाह तआला से ज़्यादा ज़बरदस्त कौन है, वह खुद ही सब को मुसलमान बना देते। और इन आयतों में मुसलमानों को मुत्मईन करने के लिये यह भी बतला दिया गया कि अगर हम उनके माँगे हुए मोज़िज़ों को भी बिल्कुल खुले और वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर कर दें तब भी वे ईमान न लायेंगे, क्योंकि उनका इनकार किसी ग़लत-फ़हमी या नावाक़िफ़ियत की वजह से नहीं, बल्कि ज़िद, दुश्मनी और हठधर्मी से है, जिसका इलाज किसी मोज़िज़े से नहीं हुआ करता। आख़िरी आयत 'व लौ अन्नना नज़ज़ल्ला इलैहिमुल-शलाइ-कतु' में इसी मज़मून का बयान है कि अगर हम उनको उनके फ़रमाईशी मोज़िज़े सब

दिखला दें, बल्कि उनसे भी ज्यादा फ़रिश्तों से उनकी मुलाकात और मुर्दों से गुफ्तगू करा दें, तब भी वे मानने वाले नहीं। बाद की दो आयतों में हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तसल्ली दी गयी है कि ये लोग अगर आप से दुश्मनी रखते हैं तो कुछ ताज्जुब की बात नहीं, पिछले तमाम अम्बिया के, भी दुश्मन होते चले आये हैं। आप इससे दुखी और परेशान न हों।

أَفَعَيَّرَ اللَّهُ أَبْتَعَى حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ

الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَزَّلَ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْمُنْزَرِينَ ۝ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ۝ وَإِنْ تَطْمَأَنَّ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ إِنْ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

अ-फ़गैरल्लाहि अब्तगी ह-कमंव-व
हुवल्लजी अन्ज़-ल इलैकुमुल्-किता-ब
मुफ़स्सलन्, वल्लजी-न आतैनाहुमुल्-
किता-ब यअल्-मू-न अन्नहू
मुनज़ज़लुम्-मिररब्बि-क बिल्हक्कि
फ़ला तकूनन्-न मिनल्-मुत्तरीन
(114) व तम्मत् कलि-मतु रब्बि-क
सिद्कं-व अद्लन्, ला मुबदि-ल
लि-कलिमातिही व हुवस्समीअुल्-
अलीम (115) व इन् तुतिअ् अक्स-र
मन् फ़िल्-अर्जि युज़िल्लू-क अन्
सबीलिल्लाहि, इय्यत्तबिअू-न
इल्लज़ज़न्-न व इन् हुम् इल्ला
यख़रसून (116) इन्-न रब्ब-क हु-व
अअ्लमु मयज़िल्लु अन् सबीलिही व
हु-व अअ्लमु बिल्मुस्तदीन (117)

सो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को मुन्सिफ़ (जज) बनाऊँ हालाँकि उसी ने उतारी तुम पर खुली किताब, और जिन लोगों को हमने किताब दी है वे जानते हैं कि यह उतरी है तेरे रब की तरफ़ से ठीक, सो तू मत हो शक करने वालों में। (114) और तेरे रब की बात पूरी सच्ची है और इन्साफ़ की, कोई बदलने वाला नहीं उसकी बात को, और वही है सुनने वाला जानने वाला। (115) और अगर तू कहना मानेगा अक्सर उन लोगों का जो दुनिया में हैं तो तुझको बहका देंगे अल्लाह की राह से, वे सब तो चलते हैं अपने ख़याल पर और सब अटकल ही दौड़ाते हैं। (116) तेरा रब ख़ूब जानने वाला है उसको जो बहकता है उसकी राह से, और वही ख़ूब जानने वाला है उनको जो उसकी राह पर हैं। (117)

खुलासा-ए-तफ़सीर

(आप कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे बीच जो रिसालत के मुक़द्दिमे में विवाद है कि मैं सरकारी हुक्म से उसका दावेदार हूँ और तुम इनकार करते हो, और यह मुक़द्दिमा अहकमुल-हाकिमीन की बारगाह से मेरे हक़ में इस तरह तय और फ़ैसल हो चुका है कि मेरे इस दावे पर काफी सबूत और दलील, यानी सब को अज़िज़ कर देने वाला कुरआन खुद कायम फ़रमा दिया है और तुम फिर भी नहीं मानते) तो क्या (तुम यह चाहते हो कि मैं इस खुदाई फ़ैसले को काफी न करार दूँ और) अल्लाह तआला के सिवा किसी और फ़ैसला करने वाले को तलाश करूँ? हालाँकि वह ऐसा (कामिल फ़ैसला कर चुका) है कि उसने एक कामिल किताब (जो अपने बेमिसाल होने में) कामिल (है) तुम्हारे पास भेज दी है (जो अपने मोजिज़ा होने की वजह से नुबुव्वत पर इशारा करने में काफी है, पर उसके दो कमाल तो ये हैं, सब को अपने जैसा कलाम बनाने से अज़िज़ करने वाली और अल्लाह तआला की तरफ़ से उतरी हुई होना, और इसके अलावा और एतिबार से भी कामिल है। और उससे जो हिदायत व तालीम के दूसरे उद्देश्य जुड़े हुए हैं उनके लिये काफी है, चुनाँचे) उसकी (एक यानी तीसरी कमाल की) हालत यह है कि उसके मज़ामीन (जो दीन के बारे में अहम हैं) ख़ूब साफ़-साफ़ बयान किए गए हैं। और (कमाल की चौथी ख़ूबी उसकी यह है कि पहली आसमानी किताबों में उसकी ख़बर दी गयी थी जो निशानी है उसके अहम और शान वाली होने की, चुनाँचे) जिन लोगों को हमने किताब (यानी तौरात व इंजील) दी है वे इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि यह (कुरआन) आपके रब की तरफ़ से हक़ के साथ भेजा गया है (इसको जानते तो सब हैं, फिर जिनमें हक़ कहने की सिफ़त थी उन्होंने ज़ाहिर भी कर दिया, और जो मुख़ालिफ़ व दुश्मन थे वे ज़ाहिर न करते थे) सो आप शुब्हा करने वालों में न हों। और (कमाल की पाँचवी ख़ूबी इसकी यह है कि) आपके रब का (यह) कलाम हकीक़त और एतिदाल के एतिबार से (भी) कामिल है, (यानी उलूम व अक़ीदों में वास्तविकता और ज़ाहिरी व बातिनी आमाल में एतिदाल लिये हुए है। और इसके कमाल का छठा वस्फ़ यह है कि) इसके (इस) कलाम का कोई बदलने वाला नहीं, (यानी किसी की तब्दीली और कमी-बेशी करने से इसको अल्लाह बचाने वाला है। जैसा कि अल्लाह ने फ़रमाया कि हम ही इसकी हिफ़ाज़त करने वाले हैं) और (ऐसी कामिल दलील पर भी जो लोग ज़बान और दिल के झुठलाने से पेश आयें) वह (यानी अल्लाह तआला उनकी बातों को) ख़ूब सुन रहे हैं (और उनके अक़ीदों को) ख़ूब जान रहे हैं (अपने वक़्त पर उनको काफी सज़ा देंगे)।

और (बावजूद दलीलों के खुल जाने और स्पष्ट हो जाने के) दुनिया में अक्सर लोग ऐसे (इनकारी और गुमराह) हैं कि अगर (मान लो) आप उनका कहना मानने लयें तो वे आपको अल्लाह की राह (रास्ते) से बेराह कर दें (क्योंकि वे खुद गुमराह हैं, चुनाँचे अक़ीदों में) वे सिर्फ़ बेअसल ख़्यालात पर चलते हैं, और (बातों में) बिल्कुल अन्दाज़े की और ख़्याली बातें करते हैं। (और उनके मुकाबले में खुदा के कुछ बन्दे सही राह पर भी हैं और) यकीनन आपका रब उसको

(भी) खूब जानता है जो उसको (बतलाई हुई सीधी) राह से बेराह हो जाता है, और वह (हो) उनको भी खूब जानता है जो उसकी (बतलाई हुई) राह पर चलते हैं (पस गुमराहों को सजा मिलेगी और सही राह वालों को इनाम व सम्मान से नवाजा जायेगा)।

मआरिफ व मसाईल

पिछली आयतों में इसका जिक्र था कि मक्का के मुशिक लोग रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और कुरआन के हक व सही होने पर खुले-खुले मोजिजे और दलीलें देखने और जानने के बावजूद हठधर्मी से यह मुतालबा करते हैं कि फुल्लौ-फुल्लौ किस्म के खास मोजिजे हमें दिखलाये जायें तो हम मानने को तैयार हैं। कुरआने करीम ने उनकी बेकार की और गुलत बहस का यह जवाब दिया कि जो मोजिजे ये अब देखना चाहते हैं हमारे लिये उनका जाहिर करना भी कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन ये हठधर्म लोग उनको देखने के बाद भी नाफरमानी से बाज़ न आयेंगे और अल्लाह के क़ानून के अनुसार इसका नतीजा फिर यह होगा कि इन सब पर अज़ाब आ जायेगा।

इसी लिये रहमतुल-लिल्आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके माँगे हुए मोजिजों के जाहिर करने से शफ़क़त की बिना पर इनकार कर दिया, और जो मोजिजे व दलाईल अब तक उनके सामने आ चुके हैं उन्हीं में गौर करने की तरफ़ उनको दावत दी। जिक्र हुई आयतों में उन दलीलों का बयान है जिनसे बहुत आसानी से कुरआने करीम का हक़ और अल्लाह का कलाम होना साबित है।

पहली आयत में जो इरशाद फ़रमाया उसका हासिल यह है कि मेरे और तुम्हारे बीच रिसालत व नुबुव्वत के मुक़द्दमे में विवाद है, मैं इसका दावेदार हूँ और तुम इनकारी। और यह मुक़द्दिमा अस्कमुल-हाकिमीन (यानी अल्लाह तआला) के इजलास से मेरे हक़ में इस तरह तय और फैसल हो चुका है कि मेरे इस दावे पर कुरआन का मोजिजा और बेनज़ीर होना काफी सुबूत और दलील है, जिसने दुनिया की तमाम कौमों को चेलेंज किया कि अगर इसके अल्लाह का कलाम होने में किसी को शुब्हा है तो इस कलाम की एक छोटी सी सूरात या आयत का मुक़ाबला करके दिखलाओ। जिसके जवाब में तमाम अरब अज़िज़ रहा, और वे लोग जो हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पस्त करने (नीचा दिखाने) के लिये अपनी जान, माल, औलाद, आबरू सब कुछ कुरबान कर रहे थे उनमें से एक भी ऐसा न निकला कि कुरआन के मुक़ाबले के लिये एक दो आयत बनाकर पेश करदेता। यह खुला हुआ मोजिजा क्या हक़ कुबूल करने के लिये काफी न था, कि एक उम्मी (बिना पढ़ा-लिखा) जिसने कहीं किसी से तालीम नहीं पाई, उसके पेश किये हुए कलाम के मुक़ाबले से पूरा अरब बल्कि पूरा जहान अज़िज़ हो जाये। यह दर हकीक़त अस्कमुल-हाकिमीन की अदालत से इस मुक़द्दिमे का स्पष्ट फैसला है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और कुरआन अल्लाह जल्ल शानुहू का कलाम है।

पहली आयत में इसी के मुताल्लिक फरमाया:

أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتِغَىٰ حَكْمًا

यानी क्या तुम यह चाहते हो कि मैं अल्लाह तआला के इस फैसले के बाद किसी और फैसला करने वाले को तलाश करूँ? यह नहीं हो सकता। इसके बाद कुरआने करीम की चन्द ऐसी खुसूसियात (विशेषताओं) का जिक्र किया गया है जो खुद कुरआने करीम के हक और अल्लाह का कलाम होने का सुबूत हैं। मसलन फरमाया:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

जिसमें कुरआने करीम के चार खुसूसी (विशेष) कमालात का बयान है। अक्वल यह कि वह अल्लाह तआला की तरफ से नाज़िल किया हुआ है। दूसरे यह कि वह एक कामिल किताब और मोजिज़ा है कि सारा जहान उसके मुक़ाबले से आजिज़ है। तीसरे यह कि तमाम अहम और उसूली मज़ामीन उसमें बहुत विस्तार और स्पष्ट रूप से बयान किये गये हैं। चौथे यह कि कुरआने करीम से पहले अहले किताब (यानी यहूदी व ईसाई) भी यकीन के साथ जानते हैं कि कुरआन अल्लाह तआला की तरफ से नाज़िल किया हुआ हक कलाम है, फिर जिनमें कोई सच्चाई और हक कहने की सिफ़त थी उन्होंने इसका जाहिर भी कर दिया, और जो लोग मुखालिफ़ व विरोधी थे वे बावजूद यकीन के इसका इज़हार न करते थे।

कुरआने करीम की इन चार सिफ़ात को बयान करने के बाद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिताब है:

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

यानी इन स्पष्ट और खुली दलीलों के बाद आप शुब्हा करने वालों में न हों।

यह जाहिर है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो किसी वक़्त भी शुब्हा करने वालों में न थे, न हो सकते थे, जैसा कि खुद हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद तफसीर इब्ने कसीर में है कि "न मैंने कभी शक किया और न कभी सवाल किया।" मालूम हुआ कि यहाँ अगरचे लफ़्ज़ों में खिताब हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को है लेकिन दर हकीकत सुनाना दूसरों को मकसूद है। और आपकी तरफ़ निस्बत करने से मुबालगा और ताकीद करना मन्ज़ूर है कि जब हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ऐसा कहा गया तो दूसरों की क्या हस्ती है जो कोई शक कर सकें।

दूसरी आयत में कुरआने हकीम की दो और विशेष सिफ़ात का बयान है जो कुरआन के अल्लाह का कलाम होने का काफी सुबूत हैं। इरशाद है:

رَتَمْتُ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ

यानी कामिल है कलाम आपके रब का, सच्चाई और इन्साफ़ और एतिदाल के एतिबार से। उसके कलाम को कोई बदलने वाला नहीं।

लफ़्ज़ "रतमत्" में कामिल होने का बयान है, और "कलि-मतु रब्बि-क" से मुराद कुरआन

है। (तफ़सीर बहरे मुहीत, हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु की रियायत से)

कुरआन के कुल मजामीन दो किस्म के हैं- एक वो जिनमें दुनिया की तारीख़ के सबक़ लेने वाले वाकिआत व हालात और नेक आमाल पर वायदा और बुरे आमाल पर सज़ा की धमकी बयान की गयी है, दूसरे वो जिनमें इन्सान की बेहतरी व कामयाबी के लिये अहक़ाम बयान किये गये हैं। इन दोनों किस्मों के मुताल्लिक़ कुरआन मजीद की ये दो सिफ़तें बयान फ़रमायीं:

صِدْقًا وَعَدْلًا

सिद्क़ का ताल्लुक़ पहली किस्म से है, यानी जितने वाकिआत व हालात या वायदे बर्दा कुरआन में बयान किये गये हैं वो सब सच्चे और सही हैं, उनमें किसी ग़लती की संभावना नहीं। और अदल का ताल्लुक़ दूसरी किस्म यानी अहक़ाम से है, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह जल्ल शानुहु के तमाम अहक़ाम अदल पर आधारित हैं, और लफ़ज़ अदल का मतलब दो मायने को शामिल है- एक इन्साफ़ जिसमें किसी पर जुल्म और हक़-तल्फ़ी न हो, दूसरे एतिदाल कि न बिल्कुल इन्सान की नफ़सानी इच्छाओं के ताबे हों; और न ऐसे जिनको इन्सानी ज़ुब़ात और उसकी फ़िलती कुव्वतें बरदाश्त न कर सकें। जिसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के तमाम अहक़ाम इन्साफ़ और एतिदाल पर आधारित हैं, न उनमें किसी पर जुल्म है, और न उनमें ऐसी शिद्दत और तकलीफ़ है जिसको इन्सान बरदाश्त न कर सके। जैसे एक दूसरी जगह इरशाद है:

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا

“यानी अल्लाह तआला किसी शख़्स को उसकी वुस्अत व ताक़त से ज़्यादा किसी अमल की तकलीफ़ नहीं देते।”

इसके साथ ही इस आयत में लफ़ज़ तम्मत लाकर यह भी बतला दिया कि सिर्फ़ यही नहीं कि कुरआने करीम में सिद्क़ व अदल की सिफ़ात मौजूद हैं, बल्कि वह इन सिफ़ात में हर हैसियत से कामिल व मुकम्मल है।

और यह बात कि तमाम कुरआनी अहक़ाम दुनिया की तमाम कौमों के लिये और क़ियामत तक आने वाली नस्लों और बदलने वाले हालात के लिये इन्साफ़ पर भी आधारित हों और एतिदाल पर भी, यह अगर ज़रूरी भी गौर किया जाये तो सिर्फ़ अहक़ामे खुदावन्दी ही में हो सकता है। दुनिया की कोई क़ानून बनाने वाली असेम्बली (विधान सभा) तमाम मौजूदा और आईन्दा पेश आने वाले हालात का न पूरा अन्दाज़ा लगा सकती है, और न उन सब हालात की रियायत करके कोई क़ानून बना सकती है। हर मुल्क व कौम अपने मुल्क और अपनी कौम के भी सिर्फ़ मौजूदा हालात को सामने रखकर क़ानून बनाती है, और उन क़वानीन में भी तज़ुर्बा करने के बाद बहुत सी चीज़ें अदल व एतिदाल के ख़िलाफ़ महसूस होती हैं तो उनको बदलना पड़ता है, दूसरी कौमों और दूसरे मुल्कों या आने वाले हालात की पूरी रियायत करके ऐसा क़ानून तैयार करना जो हर कौम हर मुल्क हर हाल में अदल व एतिदाल की सिफ़ात लिये हुए हो, यह इन्सानी फ़िक़र व सोच से ऊपर और बाहर है, सिर्फ़ हक़ तआला शानुहु के ही क़लाम में ही

सकता है। इसलिये कुरआने करीम की यह पाँचवीं सिफ़त कि इसमें बयान किये हुए पिछले और आने वाले तमाम वाक़िआत और वायदा वईद सब सच्चे हैं, इनमें वास्तव के खिलाफ़ होने का मामूली सा भी शुब्हा नहीं हो सकता, और इसके बयान किये हुए तमाम अहक़ाम पूरी दुनिया और कियामत तक आने वाली नस्लों के लिये अदल व एतिदाल लिये हुए हैं, न इनमें किसी पर जुल्म है, न एतिदाल व दरमियानी चाल (यानी सही राह) से बाल बराबर भी हद से निकलना है, यह अपने आप में खुद कुरआन के अल्लाह का कलाम होने का मुकम्मल सुबूत है।

उठी सिफ़त यह बयान फरमाई:

لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَتِهِ

यानी अल्लाह तआला के कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं। बदलने की एक सूरत तो यह हो सकती है कि कोई इसमें ग़लती साबित करे, इसलिये बदला जाये, या यह कि कोई दुश्मन ज़बरदस्ती इसको बदल डाले। अल्लाह तआला का कलाम इन सब चीज़ों से ऊपर और पाक है, उसने खुद वायदा फ़रमाया है कि:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“यानी हमने ही कुरआन को नाज़िल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं।”

फिर किसकी मजाल है कि खुदा की हिफ़ाज़त को तोड़कर उसमें कोई बदलाव या कमी-बेशी कर सके। चुनाँचे चौदह सौ बरस इस पर गुज़र चुके हैं, और हर दौर हर ज़माने में कुरआन के मुखालिफ़ इसके मानने वालों की तुलना में तायदाद में भी ज़्यादा रहे हैं, कुव्वत में भी, मगर किसी की मजाल नहीं हो सकी कि कुरआन के एक ज़बर ज़ेर में फ़र्क पैदा कर सके। हाँ बदलने की एक तीसरी सूरत यह भी हो सकती थी कि खुद हक़ तआला की तरफ़ से इसको मन्सूख़ (रद्द और निरस्त) करके बदल दिया जाये, इसी लिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि इस आयत में इसकी तरफ़ इशारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आख़िरी पैग़म्बर और कुरआन आख़िरी किताब है, इसके बाद नस्ख़ (बदलाव) का कोई गुमान व गुंजाईश नहीं, जैसा कि कुरआने करीम की दूसरी आयतों में यह मज़मून और भी ज़्यादा बज़ाहत के साथ आया है।

आयत के आख़िर में फ़रमाया:

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

यानी अल्लाह जल्लशानुहू उस तमाम गुफ़्तगू को सुनते हैं जो ये लोग कर रहे हैं, और सब के हालात और भेदों से वाकिफ़ हैं, हर एक के अमल का बदला उसके मुताबिक़ देंगे।

तीसरी आयत में हक़ तआला ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इत्तिला दी कि ज़मीन पर बसने वाले इनसानों की अक्सरियत गुमराही पर है, आप इससे मरऊब न हो, उनकी बातों पर कान न धरें, कुरआन ने अनेक जगहों पर इस मज़मून को बयान फ़रमाया है। एक जगह इरशाद है:

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ

दूसरी जगह इरशाद है:

وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

मतलब यह है कि आदतन इन्सान पर अददी अक्सरियत का रौब गालिब हो जाता है, और उनकी इताअत करने (बात मानने) लगता है, इसलिये हुजुरे प्राक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिताब किया गया कि:

“दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनका कहना मानने लगे तो वे आपको अल्लाह की राह से बेराह कर दें, क्योंकि वे अकीदों व नज़रियात में महज़ ख्यालात और वहमों के पीछे चलते हैं, और अहकाम में सिर्फ अन्दाजे और अटकल से काम लेते हैं, जिनकी कोई बुनियाद नहीं।”

खुलासा यह है कि आप उनकी अददी अक्सरियत (अधिक संख्या होने) से मरऊब होकर उनकी मुवाफ़कत का ख्याल भी न फरमायें, क्योंकि ये सब बेउसूल और बेराह चलने वाले हैं। आयत के आखिर में फरमाया कि:

“यकीनन आपका रब उसको खूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो जाता है और वह उसको भी खूब जानता है जो उसकी राह पर चलता है, पस जैसे गुमराहों को सज़ा मिलेगी, सीधी राह वालों को इनाम व सम्मान हासिल होगा।”

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا يَظُنُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۝

फ-कुलू मिम्मा जुकिरस्मुल्लाहि
अलैहि इन् कुन्तुम् बिआयातिही
मुअ्मिनीन (118) व मा लकुम्
अल्ला तअकुलू मिम्मा जुकिरस्मुल्लाहि
अलैहि व कद् फस्स-ल लकुम् मा
हर-म अलैकुम् इल्ला भज्जुरिरतुम्

सो तुम खाओ उस जानवर में से जिस पर नाम लिया गया है अल्लाह का अगर तुमको उसके हुकमों पर ईमान है। (118) और क्या सबब है कि तुम नहीं खाते उस जानवर में से कि जिस पर नाम लिया गया है अल्लाह का, और वह स्पष्ट कर चुका है जो कुछ उसने तुम पर हराम

इलैहि, व इन्-न कसीरल्-लयुज़िल्लू-न
 बिअह्वाइहिम् बिगैरि अिल्मिन्,
 इन्-न रब्ब-क हु-व अअल्मु
 बिल्मुअ्तदीन (119) व ज़रू
 जाहिरल्-इस्मि व बाति-नहू,
 इन्नल्लजी-न यक्सबूनल्-इस्-म
 सयुज्ज़ौ-न बिमा कानू यक्तरिफून
 (120) व ला तअकुलू मिम्मा लम्
 युज़्करिस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहू
 लफिस्कून्, व इन्नशशयाती-न
 लयूहू-न इला औलिया-इहिम्
 लियुजादिलूकुम् व इन् अतअ्तुमूहुम्
 इन्नकुम्-लमुशिरकून (121) ❀

किया है मगर जबकि मजबूर हो जाओ
 उसके खाने पर, और बहुत लोग बहकाते
 फिरते हैं अपने ख्यालात पर बिना
 तहकीक के, तेरा सब ही खूब जानता है
 हद से बढ़ने वालों को। (119) और छोड़
 दो खुला हुआ गुनाह और छुपा हुआ, जो
 लोग गुनाह करते हैं जल्द ही सज़ा पायेंगे
 अपने किये की। (120) और उसमें से न
 खाओ जिस पर नाम नहीं लिया गया
 अल्लाह का, और यह खाना गुनाह है,
 और शैतान दिल में डालते हैं अपने
 रफ़ीकों (साथियों और दोस्तों) के ताकि
 वे तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुमने
 उनका कहा माना तो तुम भी मुशिरक
 हुए। (121) ❀

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

ऊपर आयत नम्बर 116 (अगर तू कहना मानेगा.....) में गुमराह लोगों का कहना मानने से पूरी तरह मना किया गया था, आगे एक वाकिए के सबब एक खास मामले में उनकी पैरवी करने और बात मानने से मना फरमाते हैं। वह खास वाकिया जिबह किये और बिना जिबह किये हुए कें हलाल होने का है। वाकिया यह है कि काफ़िरो ने मुसलमानों में शक डालना चाहा कि अल्लाह के मारे हुए जानवर को तो खाते नहीं हो और अपने मारे हुए यानी जिबह किये हुए को खाते हो? (अबू दाऊद व हाकिम, इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से) कुछ मुसलमानों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में यह शुब्हा नकल किया, इस पर ये आयतें "लमुशिरकून" (यानी आयत नम्बर 121) तक नाज़िल हुईं। (अबू दाऊद, तिरमिज़ी इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से)।

जवाब का हासिल यह है कि तुम मुसलमान हो अल्लाह के अहकाम की पाबन्दी करते हो, और अल्लाह तआला ने हलाल व हराम की तफ़सील बतला दी है, पस उस पर चलते रहो, हलाल पर हराम होने का और हराम पर हलाल होने का शुब्हा मत करो, और मुशिरकों के शुब्हा डालने की तरफ़ ध्यान ही मत दो।

और इस जवाब की तहकीक यह है कि उसूली और बुनियादी चीज़ों के साबित करने के

लिये तो अक्ली दलीलें चाहियें और उसूल के साबित हो जाने के बाद आमाल और ऊपर के अहकाम में सिर्फ नकली (किताबी और खुदा व रसूल की बतलाई हुई) दलीलें काफी हैं, अक्ली दलीलों की जरूरत नहीं, बल्कि कई बार वह नुकसानदेह है, क्योंकि उससे शुब्हों के दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि ऊपर के अहकाम में कतई दलील की कोई सवील नहीं, अलबत्ता अगर कोई हक का तालिब और दिल की तसल्ली चाहने वाला हो तो उसके सामने नसीहत व बयान के तौर पर पेश कर देने में हर्ज नहीं, लेकिन जब यह भी न हो बल्कि बहस-मुबाहसे और झगड़ने की सूरत हो तो अपने काम में लगना चाहिये और एतिराज करने वाले की तरफ ध्यान न देना चाहिये। हाँ अगर एतिराज करने वाला किसी हुक्म व मसले का अक्ली कतई दलील के मुखालिफ होना साबित करना चाहे तो उसका जवाब दावा करने वाले के जिम्मे होगा, मगर मुशिरकों के शुब्हे में इसकी गुंजाईश व संभावना ही नहीं, इसलिये इस जवाब में सिर्फ मुसलमानों को ऊपर जिक्र हुए कायदे के अनुसार खिताब है, कि ऐसी खुराफात पर नजर मत करो, हक के मोतकिद और आमिल रहो। इस बिना पर इस जगह में मुशिरकों के शुब्हे का जवाब स्पष्ट तौर पर बयान न होने से कोई शुब्हा नहीं हो सकता, मगर इस पर भी उसकी तरफ इशारा कर दिया गया है। जहाँ "कुलू" (खाओ) में "जुकिरस्मुल्लाहि" (जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है) और "ला तअकुलू" (मत खाओ) में "लम् युज्करिस्मुल्लाहि" (जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है) मजकूर है, और यह आदत से और दूसरी दलीलों से मालूम होता है कि अल्लाह का नाम लेना जिबह करने के वक़्त होगा, और अल्लाह का नाम न लिये जाने की तहकीक (पता लगाने) की दो सूरतें होंगी- जिबह न होना और जिबह के वक़्त अल्लाह के नाम का जिक्र न होना। पस शुब्हे के जवाब का हासिल यह हुआ कि हलाल होने का मदार दो चीज़ों के मजमूए पर है- जिबह जो नजिस (नापाक) खून को निकाल कर गन्दगी से पाक कर देता है और वह नजासत (गन्दगी और नापाकी) ही मनाही का सबब थी, दूसरे अल्लाह का नाम लेना जो कि बरकत के लिये मुफीद है, जो कि खून वाले जानवरों में हलाल होने की शर्त है, और किसी चीज़ के वजूद के लिये उसकी बाधा और रुकावट का दूर करना और शर्त का पाया जाना दोनों चीज़ें जरूरी हैं। पस इस मजमूए (यानी दोनों चीज़ों के पाये जाने) से हिल्लत (हलाल होना) साबित होगी।

खुलासा-ए-तफसीर

(और जब ऊपर काफिरों की पैरवी का बुरा होना मालूम हो गया) सो जिस (हलाल) जानवर पर (जिबह के वक़्त) अल्लाह का नाम (बिना किसी दूसरे की शिकत के) लिया जाए उसमें से (बेतकल्लुफ) खाओ (और उसको मुबाह व हलाल समझो) अगर तुम उसके अहकाम पर ईमान रखते हो (क्योंकि हलाल को हराम जानना खिलाफे ईमान है) और तुमको कौनसी चीज़ (अकीदे के एतिबार से) इसका सबब हो सकती है कि तुम ऐसे जानवर में से न खाओ जिस पर (जिबह के वक़्त) अल्लाह का नाम (बिना किसी को शरीक किये हुए) लिया गया हो, हालाँकि अल्लाह

तआला ने (दूसरी आयत में) उन सब जानवरों की तफ्सील बतला दी है जिनको तुम पर हराम किया है, मगर जब तुमको सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी हलाल हैं, (और उस तफ्सील में यह अल्लाह का नाम लेने के साथ जिबह किया हुआ दाखिल नहीं, फिर इसके खाने में एतिक़ाद के तौर पर क्यों तबीयत में नागवारी हो)। और (उन लोगों के शुब्हात की तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दो क्योंकि) यह यकीनी बात है कि बहुत-से आदमी (और उन ही में से ये भी हैं, अपने साथ दूसरों को भी) अपने ग़लत ख्यालात (की बिना पर) से बिना किसी सन्द के गुमराह करते (फिरते) हैं। (लेकिन आखिर कहाँ तक खैर मनायेंगे) इसमें कोई शुब्हा नहीं कि आपका स्व (ईमान की) हद से निकल जाने वालों को (जिनमें ये भी हैं) खूब जानता है (पस एक ही बार में सज़ा देगा)।

और तुम जाहिरी गुनाह को भी छोड़ो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो (मसलन हलाल को हराम यकीन करना बातिनी गुनाह है जैसे कि इसके विपरीत भी) बिना शुब्हा जो लोग गुनाह कर रहे हैं उनको उनके किए की जल्द ही (कियामत में) सज़ा मिलेगी। और उन (जानवरों) में से मत खाओ जिन पर (उक्त तरीके के अनुसार) अल्लाह का नाम न लिया गया हो (जैसा कि मुशिक लोग ऐसे जानवरों को खाते हैं) और यह चीज़ (यानी बिना अल्लाह के नाम के जिक्र किये जिबह किये हुए में से खाना) नाफरमानी (की बात) है, (ग़र्ज़ कि न छोड़ने में उनकी पैरवी करो और न अमल में) और (उन लोगों के शुब्हात इसलिये काबिले तवज्जोह नहीं कि) यकीनन शयातीन (यानी जिन्न) अपने (उन) दोस्तों (और पैरवी करने वालों) को (ये शुब्हात) तालीम कर रहे हैं, ताकि ये तुमसे (बेकार) झगड़ा करें (यानी अव्वल तो ये शुब्हात शरई हुक्म के खिलाफ हैं, दूसरे उनकी ग़र्ज़ सिर्फ़ झगड़ा करना है इसलिये काबिले तवज्जोह नहीं), और अगर (खुदा न करे) तुम (अकीदों या आमाल में) उन लोगों की इताअत (बात मानना और फरमाँबरदारी) करने लगे तो यकीनन तुम मुशिक हो जाओ (क्योंकि उस सूरत में तुम खुदा की तालीम पर दूसरे की तालीम को तरजीह दोगे, जबकि तरजीह देना तो दूर की बात है बराबर समझना भी शिक है। यानी उनकी बात मानना और पैरवी करना ऐसी बुरी चीज़ है इसलिये उसके शुरूआती क़दम यानी उधर ध्यान देने और तवज्जोह करने से भी बचना चाहिये)।

मआरिफ व मसाईल

مَا ذَكَرْنَا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ

(जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो) में इख्तियारी और गैर-इख्तियारी दोनों तरह का जिब्रह करना दाखिल है। गैर-इख्तियारी और मजबूरी वाले जिब्रह से मुराद यह कि जैसे तीर, बाज़ और कुत्ते के ज़रिये शिकार किया हुआ जबकि उसके छोड़ने के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ी जाये। इसी तरह जिक्र करने में हकीकी और हुक्मी जिक्र सब दाखिल हैं (हकीकी तो यही है कि स्पष्टता से अल्लाह नाम ही लिया जाये, और हुक्म से मुराद यह है कि स्पष्ट लफ़्ज़ अल्लाह न कहा जाये लेकिन अल्लाह का जिक्र दूसरे लफ़्ज़ों में किया जाये जो अल्लाह का नाम लेने ही के

हुक़्म में है, या दिल में विस्मिल्लाह हो और पढ़ने का इरादा हो मगर शिकारी जानवर छोड़ने वक़्त ज़वान पर न आये भूल से रह जाये। हिन्दी अनुवादक)। पस इमाम अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक जिस पर विस्मिल्लाह भूल से छूट जाये वह उसमें दाख़िल है जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है, अलवत्ता जान-बूझकर छोड़ देने से इमाम साहिब के नज़दीक हराम होता है।

اَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

अ-व मन् का-न मैतन् फ़-अस्थैनाहु व
जअल्ना लहू नूरं यम्शी बिही
फिन्नासि कमम्म-सलुहू फिज़्जुलुमाति
लै-स बिख़ारिजिम् मिन्हा, कज़ालि-क
ज़ुय्यि-न लिल्काफ़िरी-न मा कानू
यअ्मलून (122)

भला एक शख़्स जो कि मुर्दा था फिर हमने उसको ज़िन्दा कर दिया और हमने उसको दी रोशनी कि लिये फिरता है उसको लोगों में, बराबर हो सकता है उसके कि जिसका हाल यह है कि पड़ा है अंधेरों में? वहाँ से निकल नहीं सकता, इसी तरह अच्छे बना दिये गये हैं काफ़िरो की निगाह में उनके काम। (122)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐसा शख़्स जो कि पहले मुर्दा (यानी गुमराह) था फिर हमने उसको ज़िन्दा (यानी मुसलमान) बना दिया, और हमने उसको एक ऐसा नूर (यानी ईमान) दे दिया कि वह उसको लिये हुए आदमियों में चलता फिरता है (यानी हर वक़्त वह उसके साथ रहता है, जिससे वह सब नुक़सानात से जैसे गुमराही वग़ैरह से महफ़ूज़ व सुरक्षित और बेफ़िक़र फिरता है, तो) क्या ऐसा शख़्स (बदहाली में) उस शख़्स की तरह हो सकता है जिसकी हालत यह है कि वह (गुमराही की) अंधेरियों में (घिरा हुआ) है, (और) उनसे निकलने ही नहीं पाता। (मुराद यह कि वह मुसलमान नहीं हुआ। और इसका ताज्जुब न किया जाये कि कुफ़्र के अंधेरा होने के बावजूद वह इस पर क्यों कायम रहा, वजह यह है कि जिस तरह मोमिनों को उनका ईमान अच्छा मालूम होता है) इसी तरह काफ़िरो को उनके (कुफ़्र वग़ैरह के) आमाल अच्छे मालूम हुआ करते हैं (चुनाँचे इसी वजह से ये मक्का के सरदार जो आपसे बेकार की फ़रमाईशें और शुब्हे व झगड़े-बहसें पेश करते रहते हैं, अपने कुफ़्र को अच्छा ही समझकर उस पर डटे और अड़े हुए हैं)।

मज़ारिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में पहले इसका ज़िक़्र आया था कि इस्लाम के विरोधी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम और क़ुरआन के खुले-खुले मोजिजे (अल्लाह की तरफ़ से आई निशानियाँ और

व्यवहारिक चीजें) देखने के बावजूद जिद और हठधर्मी से नये-नये मोजिजों का मुतालबा करते हैं। इसके बाद कुरआन ने बतलाया कि अगर ये लोग वाकई हक के तलबगार होते तो जो मोजिजे इनकी आँखों के सामने आ चुके हैं वो इनको हक रास्ता दिखाने के लिये काफी से भी ज्यादा थे। फिर उन मोजिजों का बयान आया।

मज़कूरा आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और कुरआन पर ईमान लाने वालों और कुफ़ व इनकार करने वालों के कुछ हालात व ख्यालात और दोनों के अच्छे व बुरे अन्जाम का बयान और मोमिन व काफ़िर और इमान व कुफ़ की हकीकत को मिसालों में समझाया गया है। मोमिन और काफ़िर की मिसाल जिन्दा और मुर्दा से और इमान व कुफ़ की मिसाल रोशनी और अंधेरी से दी गयी है। यह कुरआनी मिसालें हैं जिनमें कोई शायरी नहीं, एक हकीकत का इज़हार है।

मोमिन जिन्दा है और काफ़िर मुर्दा

इस मिसाल देने में मोमिन को जिन्दा और काफ़िर को मुर्दा बतलाया गया है। वजह यह है कि इनसान, हैवानात और पेड़-पौधों वगैरह में अगरचे जिन्दगी की किस्में और शक्तें विभिन्न और अलग-अलग हैं लेकिन इतनी बात से कोई समझदार इनसान इनकार नहीं कर सकता कि उनमें से हर एक की जिन्दगी किसी खास मक़सद के लिये है, और कुदरत ने उसमें उस मक़सद को हासिल करने की पूरी क्षमता और सलाहियत रखी है। कुरआन की आयत:

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ.

में इसी का बयान है कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने इस कायनात की हर चीज़ को पैदा फ़रमाया और उसको जिस मक़सद के लिये पैदा फ़रमाया था उस तक पहुँचने की उसको पूरी हिदायतें दे दीं। जिनके मातहत हर मख़्लूक अपने-अपने जिन्दगी के मक़सद और अपनी-अपनी इयूटी का हक़ अदा कर रही है। इस जहान में ज़मीन, पानी, हवा और आग, इसी तरह आसमानी मख़्लूक़ात और चाँद-सूरज और तमाम सितारे अपनी-अपनी इयूटी पूरी तरह पहचान कर अपने फ़राईज़ अदा कर रहे हैं। और यही इयूटी की अदायेगी उनमें से हर चीज़ की जिन्दगी का सबूत है, और जिस वक़्त जिस हाल में उनमें से कोई चीज़ अपनी इयूटी अदा करना छोड़ दे तो वह जिन्दा नहीं बल्कि मुर्दा है। पानी अगर अपना काम प्यास बुझा देना और मैल-कुचैल दूर करना वगैरह छोड़ दे तो वह पानी नहीं कहलायेगा। आग जलना और जलाना छोड़ दे तो वह आग नहीं रहेगी, पेड़ और घास उगना और बढ़ना फिर फल-फूल लाना छोड़ दे तो वह पेड़ और घास नहीं रहेगी, क्योंकि उसने अपनी जिन्दगी के मक़सद को छोड़ दिया, तो वह एक बेजान 'मुर्दे' की तरह हो गयी।

तमाम कायनात का तफ़्सीली जायज़ा लेने के बाद एक इनसान जिसमें कुछ भी अक्ल व शक़र हो इस बात पर गौर करने के लिये मजबूर होगा कि इनसान की जिन्दगी का मक़सद क्या है और उसकी इयूटी क्या है, और यह कि अगर वह अपने मक़सदे जिन्दगी को पूरा कर रहा है

तो वह जिन्दा कहलाने का हक्दार है, और उसको पूरा नहीं करता तो वह एक मुर्दा लाश से ज्यादा कोई हकीकत नहीं रखता।

अब सोचना यह है कि इनसान का मकसदे जिन्दगी क्या और इसके फराईज क्या हैं। और ऊपर बयान हुए उसूल के मुताबिक यह मुतयन है कि अगर वह अपने मकसदे जिन्दगी और ड्यूटी को अदा कर रहा है तो जिन्दा है, वरना मुर्दा कहलाने का मुस्तहिक है। जिन बेअकल लोगों ने इनसान को दुनिया की एक अपने आप उगने वाली घास या एक होशियार किस्म का जानवर करार दे दिया है और उनके नजदीक एक इनसान और गधे कुत्ते में कोई फर्क नहीं, उन सब का मकसदे जिन्दगी उन्होंने अपनी नफ्सानी इच्छाओं को पूरा करना, खाना पीना, सोना जागना, फिर मर जाना ही करार दे लिया है, वे तो अकल व शऊर वालों के नजदीक काविले खिताब नहीं। दुनिया के अकलमन्द चाहे किसी मजहब व मिल्लत और किसी विचारधारा से ताल्लुक रखते हों, दुनिया की पैदाईश से आज तक इनसान के कायनात का मखदूम और तमाम मख्लूक़ात से बेहतर होने पर एक राय चले आये हैं, और यह जाहिर है कि अफज़ल व आला उसी चीज़ को समझा और कहा जा सकता है, जिसका मकसदे जिन्दगी आला व अफज़ल होने के एतिबार से नुमायाँ हो, और हर समझ-बूझ वाला इनसान यह भी जानता है कि खाने पीने, सोने जागने, रहने सहने, ओढ़ने पहनने में इनसान को दूसरे जानवरों से कोई खास फर्क और विशेषता हासिल नहीं, बल्कि बहुत से जानवर इससे बेहतर और इससे ज्यादा खाते पीते हैं, इससे बेहतर कुदरती लिबास में हैं, इससे बेहतर हवा व फिज़ा में रहते बसते हैं, और जहाँ तक अपने नफे नुकसान के पहचानने का मामला है उसमें भी हर जानवर बल्कि हर दरख्त एक हद तक शऊर व एहसास वाला है। मुफ़ीद (लाभदायक) चीज़ों के हासिल करने और नुकसानदेह चीज़ों से बचने की खास सलाहियत अपने अन्दर रखता है, इसी तरह दूसरों के लिये नफ़ा पहुँचाने के मामले में तो तमाम हैवानात और पेड़-पौधों का क़दम बजाहिर इनसान से भी आगे नज़र आता है, कि उनके गोश्त, खाल, हड्डी, पट्ठे और दरख्तों की जड़ से लेकर शाखों और पत्तों तक हर चीज़ मख्लूक़ के लिये कारामद और उनकी ज़रूरियाते जिन्दगी पैदा करने में बेशुमार फ़ायदे अपने अन्दर रखती है, बख़िलाफ़ इनसान के कि न इसका गोश्त किसी के काम आता है न खाल, न बाल न हड्डी न पट्ठे।

अब देखना यह है कि इन हालात में फिर यह इनसान किस बिना पर कायनात का मखदूम और तमाम मख्लूक़ात से बेहतर ठहरता है। अब हकीकत पहचानने की मन्ज़िल करीब आ पहुँची, ज़रा सा गौर करें तो मालूम होगा कि इन सारी चीज़ों के अकल व शऊर की पहुँच सिर्फ़ मौजूदा जिन्दगी के वक्ती और अस्थायी नफे नुकसान तक है, और इसी जिन्दगी में वह दूसरों के लिये लाभदायक नज़र आती है। इस दुनिया की जिन्दगी से पहले क्या था, और बाद में क्या आने वाला है, इस मैदान में जमादात (बेजान चीज़ें), नबातात (पेड़-पौधे) तो क्या किसी बड़े से बड़े होशियार जानवर की अकल व शऊर भी काम नहीं देती, और न इस मैदान में उनमें से कोई चीज़ किसी के लिये कारामद या मुफ़ीद हो सकती है, बस यही वह मैदान है जिसमें कायनात के

मखदूम और तमाम मख्लूक़ात से वेहतर यानी इन्सान को काम करना है, और इसी से इसकी विशेषता और श्रेष्ठा दूसरी मख्लूक़ात से स्पष्ट हो सकती है।

मालूम हुआ कि इन्सान की ज़िन्दगी का मक़सद पूरे आलम के आग़ाज़ व अन्जाम को सामने रखकर सब के नतीजों और परिणामों पर नज़र डालना और यह मुतैयन करना है कि मजमूई एतिबार से क्या चीज़ नफ़ा देने वाली और मुफ़ीद है और कौनसी चीज़ नुक़सानदेह और और तकलीफ़ देने वाली है, फिर इस सूझ-बूझ के साथ खुद अपने लिये भी मुफ़ीद चीज़ों को हासिल करना और नुक़सानदेह चीज़ों से बचना और दूसरों को भी उन मुफ़ीद चीज़ों की तरफ़ दावत देना और बुरी चीज़ों से बचाने का एहतिमाम करना है। ताकि हमेशा की राहत व सुकून और इत्मीनान की ज़िन्दगी हासिल हो सकें। और जब इन्सान का मक़सदे ज़िन्दगी और इन्सानी कमाल का यह मेयारी फ़ायदा खुद हासिल करना और दूसरों को पहुँचाना है, तो अब कुरआन की यह तमसील (मिसाल देना) हकीक़त बनकर सामने आ जाती है कि ज़िन्दा सिर्फ़ वह शख्स है जो अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाये, और दुनिया की शुरूआत व इन्तिहा और इसमें मजमूई एतिबार से नफ़े व नुक़सान को अल्लाह की वही की रोशनी में पहचाने, क्योंकि सिर्फ़ इन्सानी अक्ल ने न कभी इस मैदान को सर किया है न कर सकती है। दुनिया के बड़े-बड़े अक्लमन्द व बुद्धिजीवी और विज्ञानियों ने अन्जामकार इसका इकरार किया है।

और जब मक़सदे ज़िन्दगी के एतिबार से ज़िन्दा सिर्फ़ वह शख्स है जो अल्लाह की वही का ताबेदार और मोमिन हो तो यह भी मुतैयन हो गया कि जो ऐसा नहीं वह मुर्दा कहलाने का हक़दार है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ख़ूब फ़रमाया है:

ज़िन्दगी अज़ बहरे ताअत व बन्दगीस्त बेइबादत ज़िन्दगी शर्मिन्दगीस्त
आदमियत लह्म व शह्म व पोस्त नेस्त आदमियत जुज़ रज़ा-ए-दोस्त नेस्त

यानी ज़िन्दगी का मक़सद ही अपने पैदा करने वाले की इबादत व बन्दगी है, और जो ज़िन्दगी अपने इस मक़सद को पूरा न करे उसको आगे चलकर अपनी नाकामी के सबब बड़ी शर्मिन्दगी उठानी पड़ेगी। सिर्फ़ गोश्त-पोस्त और हड्डी-चर्बी से बने इस जिस्म का नाम आदमी नहीं, आदमी तो वह है जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने में लगा हुआ है।

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

यह मोमिन व काफ़िर की कुरआनी मिसाल थी, कि मोमिन ज़िन्दा और काफ़िर मुर्दा है। दूसरी मिसाल ईमान व कुफ़ की नूर और अंधेरी के साथ दी गयी है।

ईमान नूर है और कुफ़ अंधेरी

ईमान को नूर और कुफ़ को जुल्मत और अंधेरी करार दिया गया है। ज़रा गौर किया जाये तो यह मिसाल भी कोई ख़्याली मिसाल नहीं, एक हकीक़त का बयान है। यहाँ भी रोशनी और अंधेरी के असल मक़सद पर गौर किया जाये तो हकीक़त सामने आ जायेगी कि रोशनी का

मक़सद यह है कि उसके ज़रिये नज़दीक व दूर की चीज़ों को देख सकें, जिसके परिणाम स्वरूप नुक़सान देने वाली चीज़ों से बचने और मुफ़ीद चीज़ों को इख़्तियार करने का मौक़ा मिले।

अब ईमान को देखो कि वह एक नूर है जिसकी रोशनी तमाम आसमानों, ज़मीन और इन सबसे बाहर की तमाम चीज़ों पर हावी है। सिर्फ़ यही रोशनी पूरे आलम के अन्जाम और तमाम बातों के सही पारेणामों को दिखा सकती है, जिसके साथ यह नूर हो तो वह खुद भी तमाम नुक़सानदेह और हानिकारक चीज़ों से बच सकता है और दूसरों को भी बचा सकता है। और जिसको यह रोशनी हासिल नहीं वह खुद अंधेरे में है। कायनात के मजमूए और पूरी ज़िन्दगी के एतिबार से क्या चीज़ लाभदायक है क्या नुक़सानदेह इसका वह कोई फ़र्क नहीं कर सकता, सिर्फ़ पास-पास की चीज़ों को टटोल कर कुछ पहचान सकता है। मौजूदा दुनिया की ज़िन्दगी यही आस-पास का माहौल है, काफ़िर इस ज़िन्दगी और इसके नफ़े नुक़सान को तो पहचान लेता है मगर बाद में आने वाली हमेशा की ज़िन्दगी की उसको कुछ ख़बर नहीं, न उसके नफ़े व नुक़सान का उसे कुछ इल्म है। कुरआने करीम ने इसी मज़मून के लिये इरशाद फ़रमाया है:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ

यानी ये लोग दुनियावी ज़िन्दगी के ज़ाहिर और इसके ख़रे-खोटे को तो कुछ पहचानते हैं मगर आख़िरत के जहान से पूरी तरह ग़ाफ़िल हैं।

दूसरी एक आयत में पिछली इनकारी और काफ़िर उम्मतों का ज़िक्र करने के बाद कुरआने करीम ने फ़रमाया है:

وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

यानी आख़िरत के मामले में ऐसी सख़्त ग़फ़लत और बेअद्वली बरतने वाले इस दुनिया में बेवकूफ़ व नादान न थे, बल्कि रोशन ख़्याल लोग थे। मगर यह ज़ाहिरी सतही रोशन ख़्याली सिर्फ़ दुनिया की चन्द रोज़ की ज़िन्दगी के संवारने ही में काम दे सकती थी आख़िरत की हमेशा की ज़िन्दगी में इसने कुछ काम न दिया।

इस तफ़सील को सुनने के बाद कुरआन मजीद की ज़िक्र हुई आयत को फिर एक मर्तबा पढ़ लीजिए:

أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

मतलब यह है कि वह शख्स जो पहले मुर्दा यानी काफ़िर था, फिर हमने उसको ज़िन्दा कर दिया, यानी मुसलमान बना दिया, और हमने उसको एक ऐसा नूर यानी ईमान दे दिया जिसको लिये हुए वह लोगों में फिरता है, क्या उस शख्स के बराबर हो सकता है जिसकी मिसाल ऐसी है कि वह तरह-तरह की अंधेरियों में घिरा हुआ है, जिनसे निकलने नहीं पाता। यानी कुफ़ की अंधेरियों में मुब्तला है, वह खुद ही अपने नफ़े नुक़सान को नहीं पहचानता, और हलाकत से नहीं बच सकता, दूसरों को क्या नफ़ा पहुँचा सकता है।

ईमान के नूर का फायदा दूसरों को भी पहुँचता है

इस आयत (यानी आयत नम्बर 122 जिसकी तफसीर बयान हो रही है) में:

نُورًا يَمْشِي بِهٖ فِي النَّاسِ

फरमाकर इस तरफ भी हिदायत कर दी गयी है कि ईमान का नूर सिर्फ किसी मस्जिद या खानकाह या गोशे व हुजरे के साथ मखूस नहीं, जिसको अल्लाह तआला ने यह नूर दिया है वह इसको लेकर सब जगह लोगों की भीड़-भाड़ में लिये फिरता है, और हर जगह इस रोशनी से खुद भी फायदा उठाता है और दूसरों को भी फायदा पहुँचाता है। नूर किसी जुल्मत (अंधेरी) से दब नहीं सकता, जैसा कि देखा जाता है कि एक टिमटिमाता हुआ चिराग भी अंधेरे में मगलूब नहीं होता, हाँ उसकी रोशनी दूर तक नहीं पहुँचती, तेज रोशनी होती है तो दूर तक फैलती है, कम होती है तो थोड़ी जगह को रोशन करती है, मगर अंधेरी पर बहरहाल ग़ालिब ही रहती है, अंधेरी उस पर ग़ालिब नहीं आती। वह रोशनी ही नहीं जो अंधेरी से मगलूब हो जाये। इसी तरह वह ईमान ही नहीं जो कुफ़्र से मगलूब या मरऊब हो जाये। यह ईमानी नूर इनसानी ज़िन्दगी के हर शोबे (क्षेत्र), हर हाल और हर दौर में उसके साथ है।

इसी तरह इस मिसाल में एक और इशारा यह भी है कि जिस तरह रोशनी का फायदा हर इन्सान व हैवान को इरादा व बेइरादा हर हाल में कुछ न कुछ पहुँचता है, फर्ज करो कि न रोशनी वाला यह चाहता है कि दूसरे को फायदा पहुँचे, न दूसरा यह इरादा करके निकला है कि उसकी रोशनी से मुझे फायदा पहुँचे, मगर जब रोशनी किसी के साथ होगी तो उससे जबरी और कुदरती तौर पर सब को ही फायदा पहुँचेगा। इसी तरह मोमिन के ईमान से दूसरों को भी कुछ न कुछ फायदा पहुँचता है, चाहे उसको एहसास हो या न हो। आयत के आखिर में इरशाद फरमाया:

كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

यानी इन स्पष्ट खुली हुई दलीलों के बावजूद इनकारी और काफिर जो बात को नहीं मानते इसकी वजह यह है कि "हर एक अपने ख्याल व एतिकाद के साथ लगाव रखता है" शैतान और नफ़सानी इच्छाओं ने उनकी नज़रों में उनके बुरे आमाल ही को खूबसूरत और भला बनाकर रखा है, जो सख्त धोखा है। नऊजु बिल्लाहि मिन्हा

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ الْكَاذِبِينَ يَكْفُرُونَ فِيهَا

وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلَ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۗ وَمَنْ يَرِدْ أَنْ

يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

व कज़ालि-क जअल्ना फ़ी कुल्लि
कर्यतिन् अकाबि-र मुज़िमीहा
लियम्कुरु फ़ीहा, व मा यम्कुरु-न
इल्ला बिअन्फुसिहिम् व मा यश्अरुन
(123) व इज़ा जाअहुम् आयतुन्
कालू लन्-नुअ्मि-न हत्ता नुअ्ता
मिस्-ल मा ऊति-य रुसुलुल्लाहि।
अल्लाहु अअल्मु हैसु यज्अल्
रिसाल-तहू, सयुसीबुल्लजी-न अज़्मू
सगारुन् अिन्दल्लाहि व अज़ाबुन्
शदीदुम् बिमा कानू यम्कुरुन (124)
फमंयुरिदिल्लाहु अंय्यस्दि-यहू यशरह
सद्-रहू लिदइस्तामि व मंयुरिद्
अंय्युजिल्लहू यज्अल् सद्-रहू
ज्दियकन् ह-रजन् कअन्नमा
यस्सअ-अदु फिस्समा-इ, कज़ालि-क
यज्अलुल्लाहुरिज्-स अलल्लजी-न ला
युअ्मिनुन (125)

और इसी तरह किये हैं हमने हर बस्ती में
गुनाहगारों के सरदार कि हीले किया करें
वहाँ, और जो हीले करते हैं सो अपनी ही
जान पर, और नहीं सोचते। (123) और
जब आती है उनके पास कोई आयत तो
कहते हैं कि हम हरगिज़ न मानेंगे जब
तक कि न दिया जाये हमको जैसा कुछ
कि दिया गया है अल्लाह के रसूलों को,
अल्लाह ख़ूब जानता है उस मौके को
जहाँ भेजे अपने पैग़ाम, जल्द ही पहुँचेगी
गुनाहगारों को ज़िल्लत अल्लाह के यहाँ
और अज़ाब सख़्त, इस वजह से कि वे
मक्र करते थे। (124) सो जिसको अल्लाह
चाहता है कि हिदायत करे तो खोल देता
है उसके सीने को इस्लाम कुबूल करने के
वास्ते, और जिसको चाहता है कि गुमराह
करे तो कर देता है उसके सीने को तंग
बहुत ज़्यादा तंग, गोया वह जोर से
चढ़ता है आसमान पर, इसी तरह डालेगा
अल्लाह अज़ाब को ईमान न लाने वालों
पर। (125)

खुलासा-ए-तफ़्सीर

और (यह कोई नई बात नहीं, जिस तरह मक्के के सरदार इन अपराधों के मुजरिम हो रहे हैं
और उनके असर से दूसरे लोग शामिल हो जाते हैं) इसी तरह हमने (पहली उम्मतों में भी) हर
बस्ती में वहाँ के रईसों 'यानी बड़े लोगों और सरदारों' ही को (पहले) जुर्मों का करने वाला
बनाया (फिर उनके असर से और अ़वाम भी उनसे मिल गये) ताकि वे लोग वहाँ (नबियों को

नुकसान पहुँचाने के लिये) शरारतें किया करें (जिनसे उनका सजा का हकदार होना खूब साबित हो जाये)। और वे लोग (अगरचे अपने ख्याल में दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं लेकिन वास्तव में) अपने ही साथ शरारत कर रहे हैं (क्योंकि इसका बवाल तो उन्हीं को भुगतना पड़ेगा) और (जहालत की हद यह कि) उनको (इसकी) ज़रा ख़बर नहीं। और (इन मक्का के काफ़िरों का जुर्म यहाँ तक बढ़ गया है कि) जब इनको कोई आयत पहुँचती है तो (बावजूद इसके कि वह अपने बेमिसाल होने की वजह-से नुबुव्वत पर दलालत करने में काफ़ी होती, मगर: ये लोग फिर भी) यूँ कहते हैं कि हम (इस नबी पर) हरगिज़ ईमान न लाएँगे जब तक कि हमको भी ऐसी ही चीज़ (न) दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी जाती है (यानी अल्लाह की वही, ख़िताब या सहीफ़ा व किताब जिसमें हमको आप पर ईमान लाने का हुक्म हो, और इस कौल का बड़ा जुर्म होना ज़ाहिर है कि झुठलाने और दुश्मनी व तकब्बुर और गुस्ताख़ी सब इसके अन्दर मौजूद है। आगे अल्लाह तआला इस कौल को रद्द फ़रमाते हैं कि) उस मौके को तो खुदा ही खूब जानता है जहाँ अपना पैग़ाम (वही के ज़रिये से) भेजता है, (क्या हर कोई इस सम्मान के काबिल हो गया "जब तक खुदा तआला न बख़्शे"। आगे इस जुर्म की सजा का बयान है कि) जल्द ही उन लोगों को जिन्होंने यह जुर्म किया है खुदा के पास पहुँचकर (यानी आख़िरत में) जिल्लत पहुँचेगी, (जैसा कि उन्होंने अपने को नबी के मुक़ाबले में इज़्ज़त व नुबुव्वत का मुस्तहिक़ समझा था) और उनकी शरारतों के मुक़ाबले में सख़्त सजा (मिलेगी)।

सो (ऊपर जो मोमिन व काफ़िर का हाल बयान हुआ है, इससे यह मालूम हुआ कि) जिस शख्स को अल्लाह तआला (निजात के) रास्ते पर डालना चाहते हैं उसके सीने (यानी दिल) को इस्लाम (कुबूल करने) के लिए खोल देते हैं (कि उसके कुबूल करने में टाल-मटोल और असमंजस में नहीं पड़ता और वह ज़िक्र हुआ नूर यही है) और जिसको (तक़दीरी तौर पर) बेराह रखना चाहते हैं उसके सीने (यानी दिल) को (इस्लाम के कुबूल करने से) तंग (और) बहुत तंग कर देते हैं (और उसको इस्लाम लाना ऐसा मुसीबत नज़र आता है) जैसे कोई (फ़र्ज़ करो) आसमान में चढ़ना (चाहता) हो (और चढ़ा नहीं जाता और जी तंग होता है, और मुसीबत का सामना होता है। पस जैसे उस शख्स से चढ़ा नहीं जाता) इसी तरह अल्लाह ईमान न लाने वालों पर (चूँकि उनके कुफ़्र और शरारत के सबब) फटकार डालता है (इसलिये उनसे ईमान नहीं लाया जाता)।

मआरिफ़ व मसाईल

पिछली आयत के आख़िर में यह ज़िक्र था कि यह दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ जिस तरह अच्छे और नेक आमाल के साथ कुछ मेहनत व मशक्कत लगी हुई है, उनकी राह में यहाँ रुकावटें पेश आती हैं, इसी तरह बुरे आमाल के साथ चन्द दिन की नफ़सानी लज़्ज़तें और इच्छाओं का एक फ़रेब होता है जो हकीकत और अन्जाम से ग़ाफ़िल इनसान की नज़र में उन बुरे आमाल ही को सजा-संवार कर बेश-कर देता है, और दुनिया के बड़े-बड़े होशियार इसमें

मुक्तला हो जाते हैं।

उक्त आयतों में से पहली आयत में इसका बयान है कि इसी इम्तिहान और आजमाईश का एक रुख यह भी है कि इस दुनिया की शुरूआत से यूँ ही होता चला आया है कि हर बस्ती के रईस व मालदार और बड़े लोग ही हकीकत और अन्जाम से गाफिल चन्द दिन की फानी लज़्ज़तों में मस्त होकर अपराधों को करते हैं और अ़वाम की आदत यह होती है कि बड़े लोगों के पीछे चलने और उनकी नक़ल उतारने ही को अपनी बेहतरी और कामयाबी समझते हैं, और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनके नायब उलेमा व बुजुर्ग जो उनको उनके बुरे आमाल से रोकना और उसके अन्जाम की तरफ़ मुतवज्जह करना चाहते हैं, ये बड़े लोग उनके खिलाफ़ तरह-तरह की शरारतें किया करते हैं, जो देखने में तो उन बुजुर्गों के खिलाफ़ शरारतें और साज़िशें और उनके दिल दुखाने का सामान होता है, लेकिन अन्जाम के एतिबार से इन सब का कबाल खुद उन्हीं की तरफ़ लौटता है, और अक्सर दुनिया में भी इसका ज़हूर हो जाता है।

इस इरशाद में मुसलमानों को इस पर तंबीह की गयी है कि दुनिया के बड़ों, रईसों और मालदारों की रीस न करें, उनके पीछे चलने की आदत छोड़ें, अन्जाम पर नज़र रखने को चलन बनायें और भले-बुरे को खुद पहचानें।

साथ ही रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह तसल्ली देना मकसूद है कि कुरैश के सरदार जो आपकी मुखालफ़त पर लगे हुए हैं इससे आप दुखी और परेशान न हों, इसलिये कि यह कोई नई बात नहीं, पिछले नबियों को भी ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है, और आखिरकार वे रुस्वा और जलील हुए और अल्लाह का कलिमा बुलन्द हुआ।

दूसरी आयत में उन्हीं कुरैशी सरदारों की एक ऐसी गुफ़्तगू का जिक्र है जो हक़ के मुक़ाबले में महज़ हठधर्मी और मज़ाक़ उड़ाने के अन्दाज़ में थी, फिर उसका जवाब दिया गया है।

इमाम बग़वी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत क़तादा की रिवायत से नक़ल किया है कि कुरैश के सबसे बड़े सरदार अबू जहल ने एक मर्तबा कहा कि बनू अ़ब्दे मुनाफ़ (यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़ानदान) से हमने हर मोर्चे पर मुक़ाबला किया, जिसमें कभी हम उनसे पीछे नहीं रहे, लेकिन अब वे यूँ कहते हैं कि तुम शराफ़त व बुजुर्गी में हमारा मुक़ाबला इसलिये नहीं कर सकते कि हमारे ख़ानदान में एक नबी आये हैं, जिनको अल्लाह तआला की तरफ़ से वही आती है। फिर कहा कि मैं अल्लाह की क़सम खाता हूँ कि हम कभी उनकी पैरवी और अनुसरण न करेंगे, जब तक खुद हमारे पास ऐसी ही वही न आने लगे जैसी उनके पास आती है। उक्त आयत में:

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُلَ اللَّهِ

का यही मतलब है।

नुबुव्वत व रिसालत मेहनत से हासिल की जाने वाली और इख्तियारी चीज़ नहीं, बल्कि एक ओहदा है.....

नुबुव्वत व रिसालत मेहनत से हासिल की जाने वाली और इख्तियारी चीज़ नहीं, बल्कि एक ओहदा है, जिसके अंता करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह तआला के हाथ में है

कुरआने करीम ने यह कौल नकल करने के बाद जवाब दिया:

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ.

यानी अल्लाह तआला ही जानता है कि वह अपनी रिसालत व नुबुव्वत किसको अंता फरमाये। मतलब यह है कि उस बेवकूफ ने अपनी जहालत से यह समझ रखा है कि नुबुव्वत और पैगम्बरी खानदानी शराफत या कौम की सरदारी और मालदारी के जरिये हासिल की जा सकती है, हालाँकि नुबुव्वत अल्लाह तआला की खिलाफत का ओहदा है, जिसका हासिल करना किसी के इख्तियार में नहीं, कितने ही कमालात हासिल कर लेने के बाद भी कोई अपने इख्तियार से या कमाल के जोर से नुबुव्वत व रिसालत हासिल नहीं कर सकता, वह खालिस हक जल्ल शानुहू की अंता है, वह जिसको चाहते हैं अंता फरमा देते हैं।

इससे साबित हुआ कि रिसालत व नुबुव्वत कोई मेहनत से हासिल की जाने वाली और इख्तियारी चीज़ नहीं, जिसको इल्मी, अमली कमालात या मुजाहदे व मेहनत वगैरह के जरिये हासिल किया जा सके। कोई शख्स विलायत के मकामात में कितनी ही ऊँची परवाज़ करके भी नुबुव्वत हासिल नहीं कर सकता, बल्कि वह महज़ फज़ले खुदावन्दी है जो खुदावन्दी इल्म व हिक्मत के मातहत खास बन्दों को दिया जाता है। हाँ यह जरूरी है कि जिस शख्स को हक तआला के इल्म में यह मकाम और ओहदा देना मन्ज़ूर होता है उसको शुरू ही से इसके क़ाबिल बनाकर पैदा किया जाता है। उसके अख़्लाक व आमाल की खास तरबियत की जाती है।

आयत के आखिर में इरशाद फरमाया:

سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ إِنَّمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ.

इसमें लफज़ संगार हासिले मस्दर है, जिसके मायने हैं ज़िल्लत व रुस्वाई। इस जुमले के मायने यह हैं कि ये हक के विरोधी जो आज अपनी कौम में बड़े और सरदार कहलाते हैं जल्द ही इनकी बड़ाई और इज़्ज़त खाक में मिलने वाली है। इनको अल्लाह तआला के पास सख्त ज़िल्लत व रुस्वाई पहुँचने वाली है, और सख्त अज़ाब होने वाला है।

अल्लाह के पास का मतलब यह भी हो सकता है कि कियामत के दिन जब ये अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे तो ज़लील व रुस्वा होकर हाज़िर होंगे, और फिर उनको सख्त अज़ाब दिया जायेगा। और यह मायने भी हो सकते हैं कि अगरचे इस वक़्त देखने में ये बड़े इज़्ज़तदार और सरदार हैं लेकिन अल्लाह की तरफ़ से इनको सख्त ज़िल्लत व रुस्वाई पहुँचने वाली है। वह दुनिया में भी हो सकती है और आखिरत में भी, जैसा कि आम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मुखालिफों

के मुताल्लिक़ दुनिया की तारीख़ में इसको देखा जाता रहा है, कि अंततः उनके मुखालिफ़ दुनिया में भी ज़लील हुए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बड़े-बड़े विरोधी जो अपनी इज़्ज़त की डींग मारा करते थे, एक-एक करके या तो इस्लाम के दायरे में दाख़िल हो गये, और जो न हुए तो ज़लील व रुस्वा होकर हलाक़ हुए। अबू जहल, अबू लहब वगैरह कुरैश के सरदारों का हाल दुनिया के सामने आ गया, और मक्का फ़तह होने ने उन सब की कमरें तोड़ दीं।

दीन में दिली इत्मीनान और उसकी पहचान

तीसरी आयत में अल्लाह तआला की तरफ़ से हिदायत पाने वालों और गुमराही पर जमे रहने वालों के कुछ हालात और निशानियाँ बतलाई गयी हैं। इरशाद फ़रमाया:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.

“यानी जिस शख्स को अल्लाह तआला हिदायत देना चाहते हैं उसका सीना इस्लाम के लिये खोल देते हैं।”

इमाम हाकिम ने मुस्तद्रक में और इमाम बैहकी ने शुअबुल-ईमान में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से शरह-सदर यानी सीना इस्लाम के लिये खोल देने की तफ़सीर मालूम की। आपने फ़रमाया कि अल्लाह तआला मोमिन के दिल में एक रोशनी डाल देते हैं, जिससे उसका दिल हक़ बात को देखने समझने और कुबूल करने के लिये खुल जाता है (यानी वह हक़ बात को आसानी से कुबूल करने लगता है और ख़िलाफ़ हक़ से नफ़रत और घबराहट होने लगती है)। सहाबा-ए-किराम ने अर्ज किया कि क्या इसकी कोई निशानी भी है जिससे वह शख्स पहचाना जाये जिसको शरह-सदर हासिल हो गया है? फ़रमाया हाँ! निशानी यह है कि उस शख्स की सारी रुचि आख़िरत और उसकी नेमतों की तरफ़ हो जाती है, दुनिया की बेजा इच्छाओं और फ़ानी लज़्ज़तों से घबराता है, और मौत के आने से पहले मौत की तैयारी करने लगता है। फिर फ़रमाया:

وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ.

यानी जिस शख्स को अल्लाह तआला गुमराही में रखना चाहते हैं उसका दिल तंग और सख्त तंग कर देते हैं। उसको हक़ बात का कुबूल करना और उस पर अमल करना ऐसा कठिन होता है जैसे किसी इन्सान का आसमान में चढ़ना।

इमाम तफ़सीर कल्बी ने फ़रमाया कि “उसका दिल तंग होने का यह मतलब है कि उसमें हक़ और भलाई के लिये कोई रास्ता नहीं रहता।” यह मज़मून हज़रत फ़ारूक़े आजम रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मन्कूल है, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जब वह अल्लाह का ज़िक़्र सुनता है तो उसको घबराहट होने लगती है, और जब कुफ़्र व शिर्क की बातें सुनता है तो उनमें दिल लगता है।

सहाबा किराम को दीन में दिली इत्मीनान हासिल था,

इसलिये शक व शुब्हात बहुत कम पेश आये

यही वजह थी कि सहाबा-ए-किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अज्मईन जिनको हक तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सोहबत और डायरेक्ट शागिर्दी के लिये चुना था उनको इस्लामी अहकाम में शुब्हात और वस्वसे कम से कम पेश आये। सारी उम्र में सहाबा-ए-किराम ने जो सवालात रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने पेश किये वो गिने-चुने चन्द हैं। वजह यह थी कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सोहबत के फ़ैज़ से अल्लाह तआला की बड़ाई और मुहब्बत का गहरा नक़श (छाप) उनके दिलों में बैठ गया था, जिसके सबब उनको शरह-सदर (दिल के इत्मीनान) का मक़ाम हासिल था, उनके दिल अपने आप ही हक व बातिल का मेयार बन गये थे। हक को आसानी के साथ फौरन कुबूल करते और बातिल उनके दिलों में रास्ता न पाता था। फिर जैसे-जैसे रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दौर से दूरी होती चली गयी, शक व शुब्हों ने राह पानी शुरू की। अक़ीदों के मतभेद और झगड़े पैदा होने शुरू हुए।

शक व शुब्हात के दूर करने का असली तरीका बहस व

मुबाहसा नहीं दिली इत्मीनान को हासिल करना है

आज पूरी दुनिया इन शक व शुब्हात के घेरे में फंसी हुई है और बहस व मुबाहसे की राह से इसको हल करना चाहती है जो इसका सही रास्ता नहीं:

फ़ल्सफ़ी को बहस के अन्दर खुदा मिलता नहीं

डोर को सुलझा रहा है पर सिरा मिलता नहीं

रास्ता वही है जो सहाबा-ए-किराम और उम्मत के बुजुर्गों ने इख़्तियार फ़रमाया कि अल्लाह तआला की कामिल कुदरत और उनके इनाम को ध्यान में रखकर उसकी बड़ाई व मुहब्बत दिल में पैदा की जाये तो शुब्हात अपने आप खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि खुद कुरआने करीम ने रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह दुआ माँगने की तालीम फ़रमाई है:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

“रब्बि शरह ली सदरी” यानी ऐ मेरे परवर्दिगार मेरा सीना खोल दीजिए।

आयत के आखिर में फ़रमाया:

كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّحْمَنَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

यानी इसी तरह अल्लाह तआला ईमान न लाने वालों पर फ़टकार डाल देता है। हक बात उनके दिल में नहीं उतरती और हर बुराई और बेहूदगी की तरफ़ दौड़-दौड़कर जाते हैं।

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ۗ لَهُمْ دَارُ
السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يُبْعَثُ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ
مِنَ الْإِنْسِ ۗ وَقَالَ أَوْلِيؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْمِعْ بَعْضًا بِبَعْضٍ ۗ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي
أَجَلْتَ لَنَا ۗ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

व हाजा सिरातु रब्बि-क मुस्तकीमनु,
कद् फ़स्सल्लल्-आयाति लिकौमिंय्-
यज़्जककलून (126) लहुम् दारुस्सलामि
अिन्-द रब्बिहिम् व हु-व वलिय्युहुम्
बिमा कानू यअमलून (127) व यौ-म
यहशुरुहुम् जमीअन् या मअशरल्-
जिन्नि कदिस्तक्सरतुम् मिनल्-इन्सि
व का-ल औलियाउहुम् मिनल्-इन्सि
रब्बनस्तमूत-अ बअजुना बिबअज़िंव
-व बलगना अ-ज-लनल्लजी अज्जल्-त
लना, कालन्नारु मस्वाकुम् ख़ालिदी-न
फ़ीहा इल्ला मा शाअल्लाहु, इन्-न
रब्ब-क हकीमुन् अलीम (128)

और यह है रास्ता तेरे रब का सीधा, हम
ने स्पष्ट कर दिया निशानियों को गौर
करने वालों के वास्ते। (126) उन्हीं के
लिये है सलामती का घर अपने रब के
यहाँ और वह उनका मददगार है, उनके
आमाल की वजह से। (127) और जिस
दिन जमा करेगा उन सब को, फ़रमायेगा
ऐ जिन्नात की जमाअत! तुमने बहुत कुछ
अपने ताबे कर लिये आदमियों में से, और
आदमियों में से उनसे दोस्ती रखने वाले
कहेंगे- ऐ हमारे रब! काम निकाला हम में
एक ने दूसरे से और हम पहुँचे अपने उस
वायदे को जो तूने हमारे लिये मुकर्रर
किया था। फ़रमायेगा- आग है तुम्हारा
घर, रहा करोगे उसी में मगर जब चाहे
अल्लाह, यकीनन तेरा रब हिकमत वाला,
ख़बर रखने वाला है। (128)

ख़ुलासा-ए-तफसीर

और (ऊपर जो इस्लाम का जिक्र है तो) यही (इस्लाम) आपके रब का (बतलाया हुआ)
सीधा रास्ता है (जिस पर चलने से निजात होती है, जिसका जिक्र 'फ़मंय्युरिदिल्ला-ह अय्यहदियह'
(यानी पीछे गुज़री आयत नम्बर 125) में है। और इसी सिराते मुस्तकीम की वज़ाहत के लिये)
हमने नसीहत हासिल करने वालों के वास्ते इन आयतों को साफ़-साफ़ बयान कर दिया (जिससे
वे इसके बेमिसाल और चमत्कारी होने की तस्दीक करें और फिर इसके मज़ामीन पर अमल
करके निजात हासिल करें। यही तस्दीक व अमल पूरा सिराते मुस्तकीम है, बखिलाफ़ उनके

जिनको नसीहत हासिल करने की फ़िक्र ही नहीं, उनके वास्ते न यह काफी न दूसरी दलीलें और निशानियाँ काफी। आगे उन मानने वालों की जज़ा का ज़िक्र है जैसा कि न मानने वालों की सज़ा ऊपर कई जुमलों में ज़िक्र हुई है। पस इरशाद है कि) उन लोगों के वास्ते उनके रब के पास (पहुँचकर) सलामती (यानी अमन व बका) का घर (यानी जन्नत) है, और वह (यानी अल्लाह तआला) उनसे उनके (अच्छे और नेक) आमाल की वजह से मुहब्बत रखता है। और (वह दिन याद करने के काबिल है) जिस दिन अल्लाह तआला तमाम मख़्लूकों को जमा करेंगे (और उनमें से खास तौर पर काफ़िरों को हाज़िर करके उनमें जो जिन्नाती शैतान हैं उनसे झिड़की और डाँट के तौर पर कहा जायेगा कि) ऐ जिन्नात की जमाअत! तुमने इनसानों (को गुमराह करने) में बड़ा हिस्सा लिया (और उनको ख़ूब बहकाया। इसी तरह इनसानों से पूछा जायेगा कि ऐ आदम की औलाद! क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत मत करना, उसके कहने पर मत चलना? गर्ज़ कि जिन्नाती शैतान भी इकरार करेंगे) और जो इनसान उन (जिन्नाती शैतानों) के साथ ताल्लुक रखने वाले थे वे (इकरार के तौर पर) कहेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! (आप सही फ़रमाते हैं, वाकई इस गुमराही के मामले में) हममें से एक ने दूसरे से (नफ़सानी) फ़ायदा हासिल किया था (चुनाँचे गुमराह इनसानों को अपने कुफ़्रिया व शिर्किया अक्वीदों में लज़्ज़त आती है और गुमराह करने वाले शैतानों को इससे मज़ा मिलता है कि हमारा कहना मान लिया गया), और (वास्तव में हम इनके बहकाने से कियामत के इनकारी थे, लेकिन वह इनकार ग़लत साबित हुआ। चुनाँचे) हम अपनी इस मुकर्ररा मियाद "यानी निर्धारित समय" तक आ पहुँचे जो आपने हमारे लिए तय और निर्धारित फ़रमाई थी (यानी कियामत)। वह (यानी अल्लाह तआला सारे काफ़िर जिन्नों और काफ़िर इनसानों से) फ़रमाएँगे कि तुम सब का ठिकाना दोज़ख़ है, जिसमें हमेशा-हमेशा को रहोगे (कोई निकलने का रास्ता व तदबीर नहीं), हाँ अगर खुदा ही को (निकालना) मन्ज़ूर हो तो दूसरी बात है (लेकिन यह यकीनी है कि खुदा भी नहीं चाहेगा, इसलिये हमेशा उसी में रहा करो)। बेशक आपका रब बड़ा हिक्मत वाला, बड़ा इल्म वाला है (इल्म से सब के जुर्मों की जानकारी रखता है और हिक्मत से मुनासिब सज़ा देता है)।

मआरिफ़ व मसाईल

बयान हुई आयतों में से पहली आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिताब करके इरशाद फ़रमाया:

وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا

"यानी यह रास्ता तेरे रब का है सीधा।"

इसमें लफ़्ज़ "हाज़ा" से बकौल हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कुरआन की तरफ़ और बकौल हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम की तरफ़ इशारा है। (रुहुल-मआनी)

मायने यह हैं कि यह कुरआन या इस्लामी शरीअत जो आपको दी गयी है यह रास्ता आपके रब का है, यानी ऐसा रास्ता है जिसको आपके परवर्दिगार ने अपनी हिक्मते बालिगा से तजवीज़ फ़रमाया और इसको पसन्द किया है। इसमें रास्ते की निस्वत परवर्दिगार की तरफ़ करके इस तरफ़ इशारा फ़रमा दिया कि कुरआन और इस्लाम का जो क़ानून और अमल का तरीक़ा आपको दिया गया है इस पर अमल करना कुछ अल्लाह तआला के फ़ायदे के लिये नहीं बल्कि अमल करने वालों के फ़ायदे के लिये परवर्दिगारी की शान के तकाज़े की बिना पर है। इसके ज़रिये इन्सान की ऐसी तरबियत करना मक़सूद है जो उसकी हमेशा की बेहतरी और कामयाबी की ज़ामिन हो।

फिर इसमें लफ़ज़ रब की निस्वत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ करके आप पर एक खास लुत्फ़ व इनायत का इज़हार फ़रमाया गया है कि आपके परवर्दिगार ने यह रास्ता तजवीज़ फ़रमाया है। इस निस्वत का लुत्फ़ ज़ौक़ वाले ही महसूस कर सकते हैं कि एक बन्दे को अपने रब और माबूद की तरफ़ कोई मामूली सी निस्वत (ताल्लुक़) हासिल हो जाना भी उसके लिये बहुत बड़े फ़ख़ की चीज़ है, और अगर तमाम जहानों का रब और कायनात का माबूद अपने आपको उसकी तरफ़ मन्सूब करे कि मैं तेरा हूँ तो उसकी किस्मत का क्या कहना। हज़रत हसन निज़ामी रहमतुल्लाहि अलैहि इसी मक़ाम से फ़रमाते हैं:

बन्दा हसन बसद् जुबान गुफ़्त कि बन्दा-ए-तू अम

तू ब-जुबाने खुद बगो कि बन्दा-नवाज़ कीस्ती

इसके बाद इस कुरआनी रास्ते का यह हाल लफ़ज़ "मुस्तक़ीम" से बयान किया गया कि यह रास्ता सीधा रास्ता है। इसमें भी मुस्तक़ीम को सिरात की सिफ़त के तौर पर लाने के बजाय हाल के तरीके से ज़िक्र करके इस तरफ़ इशारा कर दिया कि जो रास्ता परवर्दिगारे आलम का तजवीज़ किया हुआ है उसमें सिवाय मुस्तक़ीम और सीधा होने के और कोई गुमान व संदेह ही नहीं सकता। (तफ़सीर रुहुल-मआनी व बहरे मुहीत)

इसके बाद फ़रमाया:

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

यानी हमने नसीहत कुबूल करने वालों के वास्ते इन आयतों को साफ़-साफ़ और खोलकर बयान कर दिया है।

"फ़स्सलना" तफ़सील से बना है। तफ़सील के असली मायने ये हैं कि मज़मून का टुकड़े-टुकड़े करके एक-एक फ़स्ल (हिस्से) को अलग-अलग बयान किया जाये। इस तरीके पर पूरा मज़मून ज़ेहन में बैठ जाता है। इसलिये तफ़सील का हासिल साफ़-साफ़ बयान करना हो गया। मतलब यह है कि हमने बुनियादी और उसूली मसाले को साफ़-साफ़ तफ़सील के साथ बयान कर दिया है, जिसमें कोई संक्षिप्तता और अस्पष्टता बाकी नहीं छोड़ी। इसमें 'गौर करने और नसीहत हासिल करने वालों के लिये' फ़रमाकर यह बतला दिया कि अगरचे कुरआनी

इरशादात बिल्कुल स्पष्ट और साफ़ हैं, लेकिन इनसे फ़ायदा उन्हीं लोगों ने उठाया जो नसीहत हासिल करने के इरादे से कुरआन में गौर करते हैं, ज़िद और दुश्मनी या बाप-दादा की रस्मों की बेजान पैरवी के पर्दे उनके बीच में रुकावट नहीं होते।

दूसरी आयत में इरशाद फ़रमाया:

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ.

यानी जिन लोगों का ऊपर जिक्र किया गया है कि वे कुरआनी हिदायतों को ज़ेहन ख़ाली करके नसीहत हासिल करने के लिये देखते और सुनते हैं, और इसके लाज़िमी नतीजे के तौर पर इन हिदायतों को कुबूल करते हैं, उनके लिये उनके रब के पास दारुस्सलाम का इनाम मौजूद और सुरक्षित है। इसमें लफ़्ज़ 'दार' के मायने घर और 'सलाम' के मायने तमाम आफ़तों, मुसीबतों और मेहनतों से सुरक्षित रहने के हैं, इसलिये दारुस्सलाम उस घर को कहा जा सकता है जिसमें किसी तकलीफ़ व मशक्कत, रंज व ग़म और आफ़त व मुसीबत का गुज़र न हो, और ज़ाहिर है कि वह जन्नत ही हो सकती है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि सलाम अल्लाह जल्ल शानुहु का नाम है, और दारुस्सलाम के मायने हैं अल्लाह का घर, और ज़ाहिर है कि अल्लाह का घर अमन व सलामती की जगह होती है, इसलिये मायनों का हासिल यह भी हो गया कि वह घर जिसमें अमन व सुकून और सलामती व इत्मीनान हो। जन्नत को दारुस्सलाम फ़रमाकर इस तरफ़ इशारा कर दिया कि जन्नत ही सिर्फ़ वह जगह है जहाँ इन्सान को हर किस्म की तकलीफ़, परेशानी, तकलीफ़ और हर ख़िलाफ़े तबीयत चीज़ से मुकम्मल और हमेशा की सलामती हासिल होती है, जो दुनिया में न किसी बड़े से बड़े बादशाह को कभी हासिल हुई और न बड़े से बड़े नबी व रसूल को। क्योंकि इस फ़ानी दुनिया का यह आलम ऐसी मुकम्मल और हमेशा वाली राहत का मक़ाम ही नहीं।

इस आयत में यह बतलाया गया है कि उन नेकबख्त लोगों के लिये उनके रब के पास दारुस्सलाम (अमन व सलामती का घर) है। रब के पास होने के यह मायने भी हो सकते हैं कि यह दारुस्सलाम यहाँ नक़द नहीं मिलता बल्कि जब वे क़ियामत के दिन अपने रब के पास जायेंगे उस वक़्त मिलेगा। और यह मायने भी हो सकते हैं कि दारुस्सलाम का फ़ायदा ग़लत नहीं हो सकता, रब्बे करीम इसका ज़ामिन (गारंटर) है, वह उसके पास सुरक्षित है। और इसमें इस तरफ़ भी इशारा है कि उस दारुस्सलाम की नेमतों और राहतों को आज कोई तसव्वुर में भी नहीं ला सकता, रब ही जानता है, जिसके पास यह ख़ज़ाना महफ़ूज़ है।

और इस दूसरे मायने के हिसाब से इस दारुस्सलाम का मिलना क़ियामत और आख़िरत पर शौकूफ़ नहीं मालूम होता, बल्कि यह भी हो सकता है कि रब्बे करीम जिसको चाहें इसी आलम में दारुस्सलाम नसीब कर सकते हैं, कि तमाम आफ़तों और मुसीबतों से अमन नसीब फ़रमा दें।

चाहे इस तरह कि दुनिया में कोई आफ़त व मुसीबत ही उनको न पहुँचे जैसा कि पहले नवियों और अल्लाह के वलियों में इसकी भी नज़ीरें और मिसालें मौजूद हैं, और या इस तरह कि आख़िरत की नेमतों को उनके सामने ध्यान में लाकर उनकी निगाह को ऐसा हकीकत पहचानने वाला बना दिया गया जिससे दुनिया की चन्द दिन की तकलीफ़ व मुसीबत उनकी नज़रों में बेहकीकत और नाक़ाबिले तवज्जोह चीज़ नज़र आने लगती है। मुसीबतों के पहाड़ भी उनके सामने एक तिनके से कम रह जाते हैं।

दुनिया की तकलीफ़ों के मुक़ाबले में जो इनामात मिलने वाले हैं वो उनके सामने ऐसे ज़ेहन में बैठ जाते हैं कि ये तकलीफ़ें भी उनको मज़ेदार मालूम होने लगती हैं। और यह कोई नामुम्किन और दूर की चीज़ नहीं, देखो आख़िरत की हमेशा की नेमतें तो बड़ी चीज़ हैं, यह दुनिया की फ़ानी और चन्द दिन की राहत का तसव्वुर इनसान के लिये कैसी-कैसी मेहनत व मशक्कत को मज़ेदार बना देता है कि सिफ़ारिशें और रिश्तों पेश करके आज़ादी की राहत को कुरबान करता है, और नींद व आराम को ख़त्म करने वाली नौकरी व मज़दूरी की मेहनत को शौक से तलब करता है, और इस मेहनत के मिल जाने पर प्रसन्न व शुक्रगुज़ार होता है, क्योंकि उसके सामने इकत्तीस दिन पूरे हो जाने के बाद हासिल होने वाली तन्व्याह की लज़्ज़त होती है, वह लज़्ज़त इस नौकरी व मज़दूरी की सब कड़वाहटों को मज़ेदार बना देती है। कुरआन मजीद की आयत:

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ

की एक तफ़सीर यह भी है कि खुदा तआला से डरने वालों को दो जन्नतें मिलेंगी- एक आख़िरत में, दूसरी दुनिया में। दुनिया की जन्नत यही होती है कि अब्बल तो उसके हर काम में अल्लाह तआला की मदद शामिल होती है, हर काम आसान होता नज़र आता है, और कभी चन्द दिन की तकलीफ़ व मशक्कत या नाकामी भी होती है तो आख़िरत की नेमतों के मुक़ाबले में वह भी उनको लज़ीज़ (मज़ेदार) नज़र आती है, जिससे यह तकलीफ़ भी राहत की सूत इख़्तियार कर लेती है।

खुलासा यह है कि इस आयत में नेक लोगों के लिये उनके रब के पास दारुस्सलाम होने का जो ज़िक्र है वह दारुस्सलाम आख़िरत में तो यकीनी और मुतयन है, और यह भी हो सकता है कि इस दुनिया में भी उनको दारुस्सलाम का लुत्फ़ दे दिया जाये।

आयत के आख़िर में इरशाद फ़रमाया:

وَهُمْ فِيهَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

यानी उनके नेक आमाल की वजह से अल्लाह तआला उनका संपरस्त व ज़िम्मेदार और हिमायती व मददगार हो जाता है। उनकी सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं।

तीसरी आयत में मैदाने हशर के अन्दर तमाम जिन्नात और इनसानों को जमा करने के बाद

दोनों गिरोहों से एक सवाल व जवाब का जिक्र है कि अल्लाह तआला जिन्नाती शैतानों को खिताब करके उनके जुर्म का इज़हार इस तरह फ़रमायेंगे कि तुमने इनसानों की गुमराही में बड़ा हिस्सा लिया है। इसके जवाब में जिन्नात क्या कहेंगे कुरआन ने इसका जिक्र नहीं किया, ज़ाहिर यही है कि अलीम व ख़बीर (सब कुछ जानने वाले और हर चीज़ की ख़बर रखने वाले यानी अल्लाह तआला) के सामने इक़रार करने के सिवा चारा क्या है। मगर उनका इक़रार जिक्र न करने में यह इशारा है कि इस सवाल पर वे ऐसे हैरान हो जायेंगे कि जवाब के लिये ज़बान न उठ सकेगी। (तफ़सीर रूहुल-मआनी)

इसके बाद इनसानी शैतानों यानी वे लोग जो दुनिया में शैतानों के ताबे रहे, खुद भी गुमराह हुए और दूसरों की गुमराही का सबब बनते रहे, उन लोगों की तरफ़ से अल्लाह की बारगाह में एक जवाब जिक्र किया गया है। अगरचे सवाल इनसानी शैतानों से नहीं किया गया, मगर ज़िम्नी खिताब की वजह से उन लोगों ने जवाब दिया। मगर ज़ाहिर यह है कि खुद इनसान दिखने वाले शैतानों से भी सवाल होगा, जिसका जिक्र स्पष्ट तौर पर अगरचे यहाँ नहीं है मगर सूर: यासीन की इस आयत में बयान हुआ है:

أَلَمْ أَعِهْدْ إِلَيْكُمْ يٰٓأٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ

“यानी ऐ इनसानो! क्या हमने तुमसे रसूलों के वास्ते से यह न कहा था कि शैतान की परवी न करना।”

जिससे मालूम हुआ कि इनसानी शैतानों से भी इस मौके पर सवाल होगा और वे जवाब में इक़रार करेंगे कि बेशक हमसे यह जुर्म हुआ कि हमने शैतानों की बात मानी, और यह कहेंगे कि बेशक जिन्नाती शैतानों ने हमसे और हमने उनसे दोस्ताना ताल्लुकात रखकर एक दूसरे से नफ़ा हासिल किया। इनसानी शैतानों ने तो उनसे यह फ़ायदा हासिल किया कि दुनिया की लज़्ज़तें हासिल करने की राहें सीखीं, और कहीं-कहीं जिन्नाती शैतानों की दुहाई देकर या किसी दूसरे तरीके से उनसे इमदाद भी हासिल की। जैसे बुत-परस्त हिन्दुओं में बल्कि बहुत से जाहिल मुसलमानों में भी ऐसे तरीके परिचित हैं जिनके ज़रिये शैतानों और जिन्नात से बाज़ कामों में इमदाद ले सकते हैं, और जिन्नाती शैतानों ने इनसानों से यह फ़ायदा हासिल किया कि उनकी बात मानी गयी और यह इनसानों को अपने ताबे बनाने में कामयाब हो गये, यहाँ तक कि वे मौत और आखिरत को भूल बैठे, और उस वक़्त उन लोगों ने इक़रार किया कि जिस मौत और आखिरत को हम शैतानों के बहकाने से भूल बैठे थे अब वह सामने आ गयी। इस पर अल्लाह तआला का इरशाद होगा:

النّٰرُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اِلَّا مَشَآءَ اللّٰهِ. اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ

“यानी तुम दोनों गिरोहों के जुर्म की सज़ा अब यह है कि तुम्हारा ठिकाना आग है, जिसमें हमेशा रहोगे, मगर यह कि अल्लाह तआला ही उससे किसी को निकालना चाहे।”

लेकिन दूसरी आयतों में कुरआन गवाह है कि अल्लाह तआला भी नहीं चाहेगा, इसलिये

हमेशा ही रहना पड़ेगा।

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾
 لِيُعْشَرَ الْبَيْنَ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
 هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَعَدَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
 كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَٰلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفُورُونَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّنَّا
 عَمَلٌ وَّ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

व कज़ालि-क नुवल्ली बज़ज़-
 ज़ालिमी-न बज़ज़म् बिमा कानू
 यक्सिबून (129) ❀

या मज़शरल्-जिन्नि वल्-इन्सि अलम्
 यअतिकुम् रुसुलुम् मिन्कुम् यकुसू-न
 अलैकुम् आयाती व युन्जिरूनकुम्
 लिका-अ यौमिकुम् हाज़ा, कालू
 शहिदना अला अन्फुसिना व
 गर्हमुल्-हयातुददुन्या व शहिदू
 अला अन्फुसिहिम् अन्नहुम् कानू
 काफिरीन (130) ज़ालि-क अल्लम्
 यकुरब्बु-क मुस्लिक्लकुरा बिजुल्मिं
 व अह्लुहा गाफिलून (131) व
 लिकुल्लिन् द-रजातुम्-मिम्मा अमिलू
 व मा-रब्बु-क बिगाफिलिन् अम्मा
 यअमलून (132)

और इसी तरह हम साथ मिलायेंगे
 गुनाहगारों को एक दूसरे के, उनके
 आमाल के सबब। (129) ❀

ऐ जिन्नों और इनसानों की जमाअत!
 क्या नहीं पहुँचे थे तुम्हारे पास रसूल तुम
 ही में के? कि सुनाते थे तुमको मेरे हुक्म
 और डराते थे तुमको इस दिन के पेश
 जाने से। कहेंगे कि हमने इक़रार किया
 अपने गुनाह का, और उनको धोखा दिया
 दुनिया की जिन्दगी ने और कायल हो
 गये अपने ऊपर इस बात के कि वे
 काफिर थे। (130) यह इस वास्ते कि
 तेरा ख हलाक करने वाला नहीं बस्तियों
 को उनके जुल्म पर और वहाँ के लोग
 बेखबर हों। (131) और हर एक के लिये
 दर्जे हैं उनके अमल के और तेरा ख
 बेखबर नहीं उनके काम से। (132)

खुलासा-ए-तफसीर

और (जिस तरह दुनिया में गुमराही के लिहाज़ से सब में ताल्लुक व निकटता थी) इसी तरह

(दोज़ख में) हम कुछ काफिरों को कुछ के करीब (और इकट्ठा) रखेंगे उनके (कुफ़्रिया) आमाल के सबब।

(यह उक्त खिताब तो जिन्नात और इनसानों को उनके एक-दूसरे के साथ संबन्धित हालात के एतिबार से था, आगे हर एक को उसके जाती और व्यक्तिगत हालात के एतिबार खिताब है कि) ऐ जिन्नात और इनसानों की जमाअत! (हाँ यह तो बतलाओ जो तुम कुफ़्र व इनकार करते रहे तो) क्या तुम्हारे पास तुम्हीं में से पैगम्बर नहीं आए थे जो तुमसे मेरे (अक़ीदों व आमाल से संबन्धित) अहकाम बयान किया करते थे, और तुमको इस आज के दिन (के पेश आने) की खबर दिया करते थे (फिर क्या वजह कि तुम कुफ़्र व इनकार से बाज़ न आये)? वे सब अर्ज़ करेंगे कि हम अपने ऊपर (जुर्म का) इकरार करते हैं (हमारे पास उज़्र और बचाव की कोई वजह नहीं। आगे अल्लाह तआला उनको इस मुसीबत के पेश आने का सबब बतलाते हैं) और उनको (यहाँ) दुनियावी जिन्दगानी ने भूल में डाल रखा है (कि दुनियावी लज़्ज़तों को सबसे बड़ा मकसद समझ रखा है आखिरत की फ़िक्र ही नहीं) और (इसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ) ये लोग इकरार करेंगे कि वे (यानी हम) काफ़िर थे (और ग़लती पर थे, मगर वहाँ के इकरार से क्या होता है, अगर दुनिया में ज़रा ग़फ़लत दूर कर लें तो उस बुरे दिन का क्यों सामना हो। आगे रसूलों के भेजने में जिसका ऊपर ज़िक्र था अपनी रहमत का इज़हार फ़रमाते हैं कि) यह (रसूलों का भेजना) इस वजह से है कि आपका रब किसी बस्ती वालों को (उनके) कुफ़्र के सबब (दुनिया में भी) ऐसी हालत में हलाक नहीं करता कि उस बस्ती के रहने वाले (अल्लाह के अहकाम से रसूलों के न आने के कारण) बेख़बर हों। (पस आखिरत का अज़ाब जो कि बहुत सख्त है होता ही नहीं, इसलिये रसूलों को भेजते हैं ताकि उनको बुराईयों और जुर्मों की इत्तिला हो जाये। फिर जिसको अज़ाब हो उसका हकदार होने की वजह से हो। चुनाँचे आगे फ़रमाते हैं) और (जब रसूल आ गये और इत्तिला हो गयी फिर जैसा-जैसा कोई करेगा तो अच्छे बुरे जिन्नात और इनसानों में से) हर एक के लिए (जज़ा व सज़ा के वैसे ही) दर्जे हैं उनके आमाल के सबब, और आपका रब उनके आमाल से बेख़बर नहीं है।

मआरिफ़ व मसाईल

बयान हुई आयतों में से पहली आयत में लफ़्ज़ "नुवल्ली" के अरबी लुगत के एतिबार से दो तर्जुमे हो सकते हैं- एक मिला देने और करीब कर देने के और दूसरे मुसल्लत कर देने के। तफ़सीर के इमामों सहाबा व ताबिइन से भी दोनों तरह की रिवायतों में इसकी तफ़सीर "नुक़ल" की गयी है।

मेहशर में लोगों की जमाअतें आमाल व अख़लाक की बुनियाद

पर होंगी, दुनियावी ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं

हज़रत सईद बिन जुबैर और हज़रत क़तादा वगैरह ने पहला तर्जुमा इख़्तियार करके आयत

का यह मतलब करार दिया है कि कियामत के दिन अल्लाह तआला के यहाँ सामूहिक एकतायें यानी लोगों की जमाअतें और पार्टियाँ नस्ली या वतनी या रंग व भाषा की बिना पर नहीं बल्कि आमाल व अख़्लाक के एतिबार से होंगी। अल्लाह तआला का फ़रमाँबरदार मुसलमान जहाँ कहीं होगा वह मुसलमानों का साथी होगा, और नाफ़रमान काफ़िर जहाँ कहीं होगा वह काफ़िरों का साथी होगा, चाहे उनकी नस्ल और नसब में, वतन और भाषा में, रंग और सामाजिक रहन-सहन में कितनी ही दूरी और भिन्नता हो।

फिर मुसलमानों में भी नेक, दीनदार दीनदारों के साथ होगा, और गुनाहगार, बुरे आमाल वाला बुरे आमाल वालों के साथ लगा दिया जायेगा। सूर: "तकवीर" में जो इरशाद है:

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.

यानी लोगों के जोड़े और जमाअतें बना दी जायेंगी। इसका यही मतलब है कि आमाल व अख़्लाक के एतिबार से मेहशर वाले विभिन्न जमाअतों में तकसीम हो जायेंगे।

हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि "एक किस्म के आमाल नेक या बद करने वाले एक साथ कर दिये जायेंगे। नेक आदमी नेकों के साथ जन्नत में, और बुरे आमाल वाले दूसरे बुरे किरदार वालों के साथ जहन्नम में पहुँचा दिया जायेगा।" और इस मज़मून की ताईद के लिये फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरआन करीम की आयत:

أَحْسَرُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ.

से दलील पकड़ी, जिसका मज़मून यही है कि कियामत के दिन हुक्म होगा कि ज़ालिमों को और उनके जैसे अमल करने वालों को जहन्नम में ले जाओ।

बयान हुई आयत के मज़मून का खुलासा यह है कि अल्लाह तआला कुछ ज़ालिमों को दूसरे ज़ालिमों का साथी बनाकर एक जमाअत कर देंगे, अगरचे नस्ली और वतनी एतिबार से उनमें कितनी भी दूरी हो।

और एक दूसरी आयत में यह बात भी स्पष्ट तौर पर बयान फ़रमा दी है कि मेहशर में यह दुनियावी और रस्मी एकता जो आज लोगों में नस्ल, वतन, रंग, भाषा वगैरह की बुनियादों पर कायम है, यह सब पूरी तरह टूट जायेगी। कुरआन पाक में फ़रमाया है:

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِقُونَ.

यानी जब कियामत कायम होगी तो जो लोग आपस में एकजुट और मुत्तफ़िक हैं वे अलग-अलग हो जायेंगे।

दुनिया में भी आमाल व अख़्लाक का सामूहिक मामलात में असर

और यह पौजूदा रिश्तों, नातों और रस्मी संगठनों का कट जाना कियामत के दिन में तो स्पष्ट और मुकम्मल तौर पर सब के सामने आ ही जायेगा, मगर दुनिया में भी इसका एक

मामूली सा नमूना हर जगह पाया जाता है कि नेक आदमी को नेकों से मुनासबत होती है, उन्हीं की जमाअत और समाज से जुड़ा होता है, और इस तरह नेक कामों में उसके लिये रास्ते खुलते नज़र आते हैं और इरादा मज़बूत होता जाता है। इसी तरह बुरे किरदार वाले को अपने ही जैसे बुरे किरदार वालों से ताल्लुक और लगाव होता है, वह उन्हीं में उठता बैठता है, और उनकी सोहबत से उसकी बद-अमली व बद-अख्लाकी में रोज़ नया इज़ाफ़ा होता रहता है और नेकी के रास्ते उसके सामने से बन्द होते जाते हैं। यह उसके बुरे अमल की नक़द सज़ा इसी दुनिया में मिलती है।

खुलासा यह है कि नेक व बद आमाल की एक जज़ा सज़ा तो आखिरत में मिलेगी और एक जज़ा सज़ा नक़द इसी दुनिया में इस तरह मिल जाती है कि नेक आदमी को काम के साथी भी नेक और दियानतदार नसीब हो जाते हैं जो उसके काम को चार चाँद लगा देते हैं, और बुरे और बदनीयत आदमी को हाथ-पाँव और काम के साथी भी उसी जैसे मिलते हैं जो उसको और भी ज्यादा गहरे गढ़े में धकेल देते हैं।

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब अल्लाह तआला किसी बादशाह और हाकिम से राज़ी होते हैं तो उसको अच्छे वज़ीर और अच्छा अमला (काम करने वाले अफ़राद) दे देते हैं जिससे उसकी हुकूमत के सब काम-धंधे दुरुस्त और तरक्की करने वाले हो जाते हैं, और जब किसी से अल्लाह तआला नाराज़ होते हैं तो उसका अमला और काम करने वाले साथी बुरे मिलते हैं, बुरे अफ़सरो से पाला पड़ता है, वह अगर कोई अच्छा काम करने का इरादा भी करता है तो उस काम पर क़ाबू नहीं पाता।

एक ज़ालिम को दूसरे ज़ालिम के हाथ से सज़ा मिलती है

ज़िक्र की गयी आयत का यह मतलब तर्जुमे के एतिबार से है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर, हज़रत इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुम तथा मालिक बिन दीनार रह. वगैरह से इस आयत की तफ़सीर दूसरे तर्जुमे के एतिबार से यह नक़ल की गयी है कि अल्लाह तआला बाज़े ज़ालिमों को दूसरे ज़ालिमों पर मुसल्लत कर देता है, और इस तरह एक ज़ालिम को दूसरे ज़ालिम के हाथ से सज़ा दिलवा देता है।

यह मज़मून भी अपनी जगह सही, दुरुस्त और कुरआन व हदीस के दूसरे इरशादात के मुताबिक है। एक हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

كَمَا تَكُونُونَ كَذَلِكَ يَوْمَ مَرَعَلِكُمْ

जैसे तुम होगे वैसे ही हाकिम तुम पर मुसल्लत होंगे।

तुम ज़ालिम व बदकार होगे तो तुम्हारे हाकिम भी ज़ालिम व बदकार ही होंगे और तुम नेक अमल और नेक किरदार वाले होगे तो अल्लाह तआला तुम्हारे हाकिम नेक और रहम-दिल इन्साफ़ का मिज़ाज रखने वाले लोगों को बना देंगे।

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह तआला किसी कौम का भला चाहते हैं तो उन पर बेहतरीन हाकिम और सरदारों (शासकों) का कब्जा व हुकूमत कायम फरमाते हैं, और जब किसी कौम का बुरा चाहते हैं तो उन पर बदतराइन हाकिम व बादशाहों को मुसल्लत कर देते हैं। (तफसीर बहरे मुहीत)

तफसीर रुहुल-मआनी में है कि फुकहा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा व इमामों) ने इस आयत में इस पर दलील पकड़ी है कि जब रिआया और अयाम अल्लाह तआला से बग़ी और उसके नाफरमान होकर जुल्म व ज्यादती में मुब्तला हो जाते हैं तो अल्लाह तआला उन पर जालिम हाकिमों को मुसल्लत करके उनके हाथों उनको सजा दिलवाते हैं।

और इमाम इब्ने कसीर रह. ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान नकल किया है कि:

مَنْ آَعَانَ ظَالِمًا سَلَطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

“यानी जो शख्स किसी जालिम के जुल्म में उसकी मदद करता है तो अल्लाह तआला उसी जालिम को उसके सताने के लिये उस पर मुसल्लत कर देते हैं, और उसी के हाथ से उसको सजा दिलवाते हैं।”

दूसरी आयत में एक सवाल व जवाब का जिक्र है जो मेहशर में जिन्नात और इन्सानों को मुखातब करके किया जायेगा, कि तुम जो कुफ़ और अल्लाह तआला की नाफरमानी में मुब्तला हुए इसका क्या सबब है? क्या तुम्हारे पास हमारे रसूल नहीं पहुँचे जो तुम्हारी कौम में से थे, जो मेरी आयतें तुमको पढ़-पढ़कर सुनाते और आजके दिन की हाजिरी और हिसाब से डराते थे? इसके जवाब में उन सब की तरफ से रसूलों के आने और हक़ का पैग़ाम सुनाने का और इसके बावजूद कुफ़ व नाफरमानी में मुब्तला होने का इक़्रार जिक्र किया गया है, और उनकी तरफ से कोई वजह और सबब इस ग़लत काम करने का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि हक़ तआला ने ही इसकी वजह यह बतलाई है कि:

وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا.

यानी उन लोगों को दुनिया की ज़िन्दगी और लज़्ज़तों ने धोखे में डाल दिया, कि वह उसी को सब कुछ समझ बैठे जो हकीकत में कुछ न था, और अन्जाम व परिणाम से गाफिल हो गये।

बकौल अक्बर इलाहाबादी परहम:

थी फकत ग़फलत ही ग़फलत, ऐश का दिन कुछ न था

हम उसे सब कुछ समझते थे वह लेकिन कुछ न था

इस आयत में एक बात तो यह काबिले गौर है कि कुछ दूसरी आयतों में तो यह बयान हुआ है कि मुशिरकों से जब मेहशर में उनके कुफ़ व शिर्क के बारे में सवाल होगा तो वे अपने जुर्म से मुकर जायेंगे, और अल्लाह के दरबार में कसम खाकर यह झूठ बोलेंगे कि:

وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ.

“यानी कसम है हमारे परवर्दिगार अल्लाह तआला की, हम मुश्रिक हरगिज़ न थे।”

और इस आयत से मालूम होता है कि वे अपने कुफ़ व शिर्क का शर्मिन्दगी के साथ इकरार कर लेंगे। इन दोनों में बज़ाहिर टकराव और भिन्नता मालूम होती है, मगर दूसरी आयतों में इसकी वज़ाहत व खुलासा इस तरह मौजूद है कि शुरू में जब उनसे सवाल होगा तो मुकर जायेंगे, मगर उस वक़्त अल्लाह तआला अपनी कामिल कुदरत से उनकी ज़बानें बन्द कर देंगे, हाथों, पैरों और दूसरे अंगों से गवाही लेंगे, अल्लाह तआला की कामिल कुदरत से उनको बोलने की ताकत अता होगी और वो साफ़-साफ़ उसके सारे आमाल का कच्चा-चिट्ठा बयान कर देंगे, और उस वक़्त जिन्नात व इनसान को यह मालूम होगा कि हमारे हाथ-पाँव और कान और ज़बान सब कुदरत के कारख़ाने की खुफिया पुलिस के अफ़राद थे, जिन्होंने सारे मामलात और हालात की सच्ची और सही गवाहियाँ दे दीं, तो अब उनको इनकार करने की कोई गुंजाईश न रहेगी, उस वक़्त ये सब लोग अपने जुर्म का साफ़-साफ़ इकरार कर लेंगे।

क्या जिन्नात में भी रसूल होते हैं?

दूसरी बात इस जगह काबिले गौर यह है कि इस आयत में हक़ तआला ने जिन्नात और इनसानों की दोनों जमाअतों को ख़िताब करके यह फ़रमाया है कि क्या हमारे रसूल तुम्हारे पास नहीं पहुँचे? जो तुम्हारी ही क़ौम से थे। इससे यह ज़ाहिर होता है कि जिस तरह इनसानों के रसूल इनसान और बशर भेजे गये हैं इसी तरह जिन्नात के रसूल जिन्नात की क़ौम से भेजे गये हैं। इस मसले में तफ़सीर के उलेमा के अक़वाल भिन्न और अलग-अलग हैं। कुछ हज़रात का कहना यह है कि रसूल और नबी सिर्फ़ इनसान ही हुए और होते चले आये हैं, जिन्नात की क़ौम में से कोई शख़्स डायरेक्ट रसूल नहीं हुआ, बल्कि ऐसा हुआ है कि इनसानी रसूल और पैग़म्बर का कलाम अपनी क़ौम को पहुँचाने के लिये जिन्नात की क़ौम में कुछ लोग हुए हैं जो दर हकीकत रसूलों के कासिद और पैग़ाम पहुँचाने वाले होते थे, एक तरह से उनको भी रसूल कह दिया जाता है। इन हज़रात की दलील कुरआन मजीद की उन आयतों से है जिनमें जिन्नात की ऐसी बातें बयान हुई हैं कि उन्होंने नबी का कलाम या कुरआन सुनकर क़ौम को पहुँचाया।

मसलन यह आयत:

وَلَوْ أَلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ
 और सूर: जिन्न की यह आयत:

فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ

वगैरह।

लेकिन उलेमा की एक जमाअत इस आयत के ज़ाहिरी मायने के एतिबार से इसकी भी कायल है कि ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले हर गिरोह के रसूल उसी गिरोह में से होते थे, इनसानों के विभिन्न वर्गों में इनसानी रसूल आते थे, और जिन्नात के

मुख्तलिफ़ वर्गों में जिन्नात ही में से रसूल होते थे। हज़रत ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह खुसूसियत है कि आपको सारे आलम के इनसानों और जिन्नात का बाहिद (अकेला) रसूल बनाकर भेजा गया और वह भी किसी एक ज़माने के लिये नहीं बल्कि कियामत तक पैदा होने वाले तमाम जिन्नात व इनसान आपकी उम्मत हैं, और आप ही सब के रसूल व पैग़म्बर हैं।

हिन्दुओं के अवतार भी उमूमन जिन्नात हैं,

उनमें किसी रसूल व नबी होने का गुमान व संभावना है

तफ़सीर के इमामों में से इमाम कलबी और इमाम मुजाहिद रह. वगैरह ने इसी कौल को इख़्तियार किया है, और काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने तफ़सीरे मज़हरी में इसी कौल को इख़्तियार करते हुए फ़रमाया है कि इस आयत से साबित होता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात के रसूल जिन्नात ही की कौम में से होते थे, जबकि यह साबित है कि ज़मीन पर इनसानों से हज़ारों साल पहले से जिन्नात आबाद थे और वे भी इनसानों की तरह शरई अहकाम के पाबन्द और जिम्मेदार हैं, तो अक्ल व शरीअत का तकाज़ा है कि उनमें अल्लाह तआला के अहकाम पहुँचाने वाले रसूल व पैग़म्बर हों।

हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने फ़रमाया कि हिन्दुस्तान के हिन्दू जो अपनी वेद की तारीख़ हज़ारों साल पहले की बतलाते हैं और अपने मुक्त्तदा व बुजुर्ग जिनको वे अवतार कहते हैं, उसी ज़माने के लोगों को बताते हैं, कुछ नामुम्किन और दूर की बात नहीं कि वे यही जिन्नात के रसूल व पैग़म्बर हों और उन्हीं की लाई हुई हिदायतें किसी किताब की सूरत में जमा की गयी हों। हिन्दुओं के अवतारों की जो तस्वीरें और मूर्तियाँ मन्दिरों में रखी जाती हैं वो भी इसी अन्दाज़ की हैं, कि किसी के कई चेहरे हैं, किसी के बहुत से हाथ-पाँव हैं, किसी के हाथी की तरह सूण्ड है, जो आम इनसानी शक्लों से बहुत अलग और भिन्न हैं। और जिन्नात का ऐसी शक्लों में अवतरित होना कुछ मुहाल बात नहीं। इसलिये कुछ बर्इद नहीं कि उनके अवतार जिन्नात की कौम में आये हुए रसूल या उनके नायब हों और उनकी किताब भी उनकी हिदायतों का मजमूआ हो, फिर धीरे-धीरे जैसे दूसरी किताबों में रद्दोबदल और कमी-बेशी हो गयी, उसमें भी रद्दोबदल करके शिर्क व बुत-परस्ती दाख़िल कर दी गयी हो।

बहरहाल अगर वह असल किताब और रसूल जिनकी सही हिदायतें भी मौजूद होती तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी बनकर तशरीफ़ लाने और उमूमी रिसालत के बाद वह भी मन्सूख (निरस्त) और नाकाबिले अमल ही हो जाती, और असल शक्ल बदल जाने और कमी-बेशी हो जाने के बाद तो उसका नाकाबिले अमल होना खुद ही वाज़ेह है।

तीसरी आयत में यह बतलाया गया है कि इनसानों और जिन्नात में रसूल भेजना अल्लाह तआला के अदल व इन्साफ़ और रहमत का तकाज़ा है कि वह किसी कौम पर वैसे ही अज़ाब

नहीं भेज देते जब तक कि उनको पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के जरिये गुफ़लत व गुमराही से जगा न दिया जाये और हिदायत की रोशनी उनके लिये न भेज दी जाये।

चौथी आयत का मफ़हम स्पष्ट है कि अल्लाह तआला के नज़दीक इनसानों और जिन्नात में हर तब्के (वर्ग और जमाअत) के लोगों के दर्जे मुकरर हैं, और ये दर्जे उनके आमाल ही के मुताबिक़ रखे गये हैं, उनमें से हर एक की जज़ा व सज़ा उन्हीं आमाल के पैमाने के मुताबिक़ होगी।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبِكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ

مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخِرِينَ ۝ إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأْتِي ۚ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُغْلِبُهُ الظَّالِمُونَ ۝ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

व रब्बुकल्-गुनिय्यु जुरस्मति,
इय्यशअ् युज़िहब्कुम् व यस्तख़लिफ्
मिम्-बअदिकुम् मा यशा-उ कमा
अन्श-अकुम् मिन् जुरिय्यति कौमिन्
आख़रीन (133) इन्-न मा तू-अदू-न
लआतिव्-व मा अन्तुम् बिमुअजिज़ीन
(134) कुलु या कौमिअमलू अला
मकानतिकुम् इन्नी आमिलुन् फसौ-फ
तअ लमू-ज मन तकूलु लहू
आकि-बतुद्दारि, इन्हू ला
युफिलहुज्-ज़ालिमून (135) व ज-अलू
लिल्लाहि मिम्मा ज-र-अ मिन्नल-हर्सि
वल-अन्आमि नसीबन् फकालू हाज़ा

और तेरा रब बेपरवाह है रहमत वाला,
चाहे तो तुमको ले जाये और तुम्हारे पीछे
कायम कर दे जिसको चाहे जैसा कि
तुमको पैदा किया औरों की औलाद से।
(133) जिस चीज़ का तुमसे वायदा किया
जाता है वह ज़रूर आने वाली है और
तुम अज़िज़ नहीं कर सकते। (134) तू
कह दे- ऐ लोगो! तुम काम करते रहो
अपनी-जगह पर मैं भी काम करता हूँ,
सो जल्द ही-जान लोगे तुम कि किसको
मिलता है आक़बत (अन्जाम) का घर,
यकीनन अल्लाह होगा ज़ालिमों का।
(135) और मुकरर करते हैं अल्लाह
का उसकी पैदा की हुई खेती
और जानवरों में एक हिस्सा, फिर कहते

लिल्लाहि बिज़्ज़ुमिहिम् व हाज़ा
लिशु-रकाइना फ़मा का-न
लिशु-रकाइहिम् फ़ला यसिलु
इलल्लाहि व मा का-न लिल्लाहि
फ़हु-व यसिलु इला शु-रकाइहिम्,
सा-अ मा यहकुमून (136)

हैं यह हिस्सा अल्लाह का है अपने ख्याल
में, और यह हमारे शरीकों का है, सो जो
हिस्सा उनके शरीकों का है वह तो नहीं
पहुँचता अल्लाह की तरफ़ और जो
अल्लाह का है वह पहुँच जाता है उनके
शरीकों की तरफ़, क्या ही बुरा इन्साफ़
करते हैं। (136)

खुलासा-ए-तफसीर

और आपका रब (रसूलों को कुछ इसलिये नहीं भेजता कि नऊज़ु बिल्लाह वह इबादत का
मोहताज है, वह तो) बिल्फुल गनी है। (बल्कि इसलिये भेजता है कि वह) रहमत वाला (भी) है,
(अपनी रहमत से रसूलों को भेजा ताकि उनके जरिये से लोगों को नफ़ा व नुक़सान देने वाली
चीज़ें मालूम हो जायें, फिर नफ़ा और फ़ायदा देने वाली चीज़ों से लाभान्वित हों और नुक़सान देने
वाली चीज़ों से महफूज़ रहें। सो इसमें बन्दों ही का फ़ायदा है। और बाकी उनका गनी व
बेपरवाह होना तो ऐसा है कि) अगर वह चाहे तो तुम सब को (दुनिया से अचानक) उठा ले और
तुम्हारे बाद जिस (मख़्लूक) को चाहे तुम्हारी जगह (दुनिया में) आबाद कर दे, जैसा (कि इसकी
नज़ीर पहले से मौजूद है) कि तुमको (जो कि अब मौजूद हो) एक दूसरी कौम की नस्ल से पैदा
किया है (कि उनका कहीं पता नहीं और तुम उनकी जगह मौजूद हो, और इसी तरह यह
सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन यह सिलसिला दर्जा-बदर्जा और एक खास रफ़्तार से कायम
है, अगर हम चाहें अचानक भी ऐसा कर दें, क्योंकि किसी के होने न होने से हमारा कोई काम
अटका नहीं पड़ा। पस रसूलों का भेजना हमारी ज़रूरत व आवश्यकता की वजह से नहीं, तुम्हारी
ज़रूरत की वजह से है। तुमको चाहिये कि उनकी तस्दीक और उनकी पैरवी करके भलाई और
नेकबख्ती हासिल करो और कुफ़्र व इनकार के नुक़सान से बचो, क्योंकि) जिस चीज़ का (रसूलों
के द्वारा) तुमसे वायदा किया जाता है (यानी कियामत और अज़ाब) वह बेशक आने वाली चीज़
है, और (अगर तुमको यह गुमान व वंहस हो कि अगरचे कियामत आये मगर हम कहीं भाग
जायेंगे, हाथ न आयेंगे, जैसे कि दुनिया में हाकिमों का मुजरिम कभी ऐसा कर सकता है, तो खूब
समझ लो कि) तुम (खुदा तआला को) आजिज़ नहीं कर सकते (कि उसके हाथ न आओ। और
अगर हक़ मुतयन हो जाने की दलीलें कायम और खड़ी होने के बावजूद किसी को इसमें कलाम
हो कि कुफ़्र ही का तरीका अच्छा है इस्लाम का बुरा है, फिर कियामत से क्या अन्देशा, तो ऐसे
लोगों के जवाब में) आप (आखिरी बात) यह फरमा दीजिए कि ऐ मेरी कौम! (तुम जानो।
बेहतर है) तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो, मैं भी (अपने तरीके पर) अमल कर रहा हूँ।

सो अब जल्दी ही तुमको मालूम हुआ जाता है कि इस जहान (के आमाल) का अन्जाम किसके लिए नफ़ा देने वाला होगा। यह यकीनी बात है कि हक-तल्फ़ी करने वालों को कभी फ़लाह "यानी कामयाबी" न होगी (और सबसे बढ़कर अल्लाह की हक-तल्फ़ी है, और यह बात सही दलीलों में थोड़ा सा ग़ौर करने से भी मालूम हो सकती है कि इस्लाम का तरीका हक-तल्फ़ी है या कुफ़्र का तरीका। और जो दलीलों में भी ग़ौर न करे उससे इतना कह देना काफी है कि बहुत जल्द तुम इस बुरे अमल का अन्जाम जान लोगे)।

और (अल्लाह तआला ने) जो खेती (वगैरह) और मवेशी (जानवर) पैदा किए हैं, इन (मुश्रिक) लोगों ने उनमें से कुछ हिस्सा अल्लाह (के नाम) का मुकर्रर किया (और कुछ बुतों के नाम का मुकर्रर किया, हालाँकि पैदा करने में कोई शरीक नहीं) और अपने गुमान के मुताबिक कहते हैं कि यह तो अल्लाह का है (जो कि मेहमानों और मसाकीन और मुसाफ़िर वगैरह आम ज़रूरतों के मौकों में खर्च होता है) और यह हमारे माबूदों का है (जिसके खर्च करने के मौके खास हैं)। फिर जो चीज़ उनके माबूदों (के नाम) की होती है वह तो अल्लाह (नाम के हिस्से) की तरफ़ नहीं पहुँचती (बल्कि इत्तिफ़ाक़न मिल जाने से भी अलग निकाल ली जाती है) और जो चीज़ अल्लाह (के नाम) की होती है वह उनके माबूदों (के नाम के हिस्से) की तरफ़ पहुँच जाती है, उन्होंने क्या बुरी तजवीज़ निकाल रखी है। (क्योंकि अब्बल तो अल्लाह का पैदा किया हुआ दूसरे के नाम क्यों जाये, दूसरे फिर जितना अल्लाह का हिस्सा निकाला है उसमें से भी घट जाये। और अगर ज़रूरत मन्द व बेज़रूरत मन्द होना इसका आधार है तो मोहताज यानी ज़रूरतमन्द मानकर फिर उसको माबूद समझना और ज़्यादा बड़ी बेवकूफी है)।

मआरिफ़ व मसाईल

इससे पहली आयत में यह बयान हुआ था कि अल्लाह जल्ल शानुहू का हमेशा से यह दस्तूर रहा है कि जिन्नात व इनसान की हर कौम में अपने रसूल और अपनी हिदायतें भेजी हैं, और जब तक रसूलों के ज़रिये उनको पूरी तरह सचेत व आगाह नहीं कर दिया गया उस वक़्त तक उनके कुफ़्र व शिर्क और मासियत व नाफ़रमानी पर उनको कभी सज़ा नहीं दी।

उक्त आयतों में से पहली आयत में यह बतलाया गया है कि रसूलों और आसमानी किताबों के तमाम सिलसिले कुछ इसलिये नहीं थे कि रब्बुल-आलमीन को हमारी इबादत और इताअत की आवश्यकता और ज़रूरत थी, या उसका कोई काम हमारी इताअत पर मौकूफ़ था। नहीं! वह बिल्कुल बेनियाज और गनी है, मगर उसके कामिल इस्तिग़ना और बेनियाजी (यानी हर ज़रूरत से ऊपर और सबसे बेपरवाह होने) के साथ उसमें एक रहमत की सिफ़त भी है और सारे आलम के वजूद में लाने, फिर बाकी रखने और उनकी ज़ाहिरी और बातिनी, मौजूदा और आईन्दा की तमाम ज़रूरतों को बिना माँगे पूरा करने का सबब भी रहमत की सिफ़त है, वरना बेचारा इनसान अपनी ज़रूरतों को खुद पैदा करने के काबिल तो क्या होता इसको तो अपनी तमाम ज़रूरतों के भागने का भी सलीका नहीं। खास तौर पर वजूद की नेमत जो अता की गयी है इसका तो बिना

माँगे मिलना बिल्कुल ही स्पष्ट है कि किसी इनसान ने कहीं अपने पैदा होने की दुआ नहीं माँगी, और न वजूद से पहले दुआ माँगने का कोई तसव्वुर हो सकता है। इसी तरह इनसान की तख्लीक (पैदाईश) जिन अंगों से की गयी है आँख, कान, हाथ, पाँव, दिल, दिमाग क्या ये चीजें किसी इनसान ने माँगी थीं, या कहीं उसको माँगने का शऊर व सलीका था? कुछ नहीं, बल्कि:

मा नबूदेम व तक़ाज़ा-ए-मा न बूद

लुत्फे तू नागुफ़ता-ए-मा मी शनवद

न हमारा कोई वजूद था और न हमारी कुछ माँग और तक़ाज़ा था। यह तेरा लुत्फ व करम है कि तू हमारी बिना माँगी ज़रूरत व तक़ाज़े सुन लेता और अपनी रहमत से उसे कुबूल फ़रमाता है। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

अल्लाह तआला सबसे बेनियाज़ है, कायनात की पैदाईश

सिर्फ उसकी रहमत का नतीजा है

बहरहाल इस आयत में 'रब्बुल-ग़निय्यु' के अलफ़ाज़ से अल्लाह तआला की बेनियाज़ी बयान करने के साथ 'जुर्स्मति' का इज़ाफ़ा करके यह बतला दिया कि वह अगरचे तुम सबसे बल्कि सारी कायनात से बिल्कुल बेपरवाह और बेनियाज़ है, लेकिन बेनियाज़ी के साथ वह रहमत वाला भी है।

किसी इनसान को अल्लाह ने बेनियाज़ नहीं बनाया, इसमें बड़ी हिक्मत है, इनसान बेनियाज़ हो जाये तो जुल्म करता है

और यह उसी पाक ज़ात का कमाल है वरना इनसान की आदत यह है कि अगर वह दूसरों से बेनियाज़ और बेपरवाह हो जाये तो उसको दूसरों के नफ़े नुक़सान और रंज व राहत की कोई परवाह नहीं रहती, बल्कि उसी हालत में वह दूसरों पर जुल्म व सितम के लिये आमादा हो जाता है। कुरआने करीम की एक आयत में इरशाद है:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ

यानी इनसान जब अपने आपको बेनियाज़ और दूसरों से बेज़रूरत मन्द पाता है तो वह सरकशी और नाफ़रमानी पर आमादा हो जाता है। इसी लिये हक़ तआला ने इनसान को ऐसी ज़रूरतों में जकड़ दिया है जो दूसरों की इमदाद के बग़ैर पूरी ही नहीं हो सकतीं। बड़े से बड़ा बादशाह और हाकिम नौकरों चाकरों और चपरासियों का मोहताज है, बड़े से बड़ा मालदार और मिल भालिक मज़दूरों का मोहताज है, सुबह को जिस तरह एक मज़दूर और रिक़शा चलाने वाला कुछ पैसे हासिल करके मोहताजी दूर करने के लिये रोज़गार की तलाश में निकलता है ठीक उसी तरह बड़े मालदार जिनको सरभायेदार कहा जाता है वे मज़दूर और रिक़शा और गाड़ी सवारी की

तलाश में निकलते हैं। कुदरत ने सब को मोहताजी की एक जन्जीर में जकड़ा हुआ है, हर एक दूसरे का मोहताज है, किसी का किसी पर एहसान नहीं और यह न होता तो न कोई मालदार किसी को एक पैसा देता और न कोई मजदूर किसी का ज़रा सा बोझ उठाता। यह तो सिर्फ हक़ तआला शानुहू की सिफ़ते कमाल है कि पूरी तरह हर चीज़ से बेज़रूरत मन्द और बेनियाज़ होने के बावजूद रहमत वाला है। इस जगह रहमत वाला होने के बजाय अगर रहमान या रहीम का लफ़्ज़ लाया जाता तब भी कलाम का मक़सद अदा हो जाता, लेकिन ग़नी होने के साथ रहमत की सिफ़त के जोड़ की ख़ास अहमियत ज़ाहिर करने के लिये 'रहमत वाला' का उनवान इख़्तियार फ़रमाया गया, कि वह ग़नी और मुकम्मल बेनियाज़ होने के बावजूद रहमत की सिफ़त भी मुकम्मल रखता है, और यही सिफ़त रसूलों और किताबों के भेजने का असल सबब है।

इसके बाद यह भी बतला दिया कि जिस तरह उसकी रहमत आम और पूर्ण है इसी तरह उसकी कुदरत हर चीज़ और हर काम पर हावी है। अगर वह चाहे तो तुम सबको एक आन में फ़ना कर सकता है, और सारी मख़्लूक़ के फ़ना कर देने से भी उसके कारख़ाना-ए-कुदरत में मामूली सा फ़र्क़ नहीं आता। फिर अगर वह चाहे तो मौजूदा सारी कायनात को फ़ना करके इनकी जगह दूसरी मख़्लूक़ इसी तरह उसी आन में पैदा करके खड़ी कर दे, जिसकी एक नज़ीर इनसान के हर दौर में उसके सामने रहती है, कि आज जो करोड़ों इनसान ज़मीन के चप्पे-चप्पे पर आबाद और जिन्दगी के तमाम क्षेत्रों और मैदानों के विभिन्न कारोबार को चला रहे हैं, अगर अब से एक सौ साल पहले की तरफ़ ग़ौर किया जाये तो मालूम होगा कि उस वक़्त भी यह दुनिया इसी तरह आबाद थी, और सब काम चल रहे थे, मगर मौजूदा आबाद करने वालों और काम चलाने वालों में से कोई न था। एक दूसरी क़ौम थी जो आज ज़मीन के नीचे है, और जिसका आज नाम व निशान भी नहीं मिलता। और मौजूदा दुनिया उसी पहली क़ौम की नस्त से पैदा की गयी है। अल्लाह का इरशाद है:

إِنْ يَشَاءُ رَبُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ

यानी अगर अल्लाह तआला चाहें तो तुम सब को ले जायें। ले जाने से मुराद ऐसा फ़ना कर देना है कि नाम व निशान तक गुम हो जाये। और इसी लिये यहाँ हल्लाक़ करने या मार देने का ज़िक्र नहीं फ़रमाया बल्कि ले जाना इरशाद फ़रमाया, जिसमें पूरी तरह फ़ना और बेनाम व निशान कर देने की तरफ़ इशारा है।

इसी आयत में अल्लाह तआला के ग़नी और बेनियाज़ होने का, फिर रहमत वाला होने का और फिर कामिल कुदरत का मालिक होने का बयान करने के बाद दूसरी आयत में नाफ़रमानों और हुक्म न मानने वालों को तंबीह की गयी है कि:

إِنَّ مَا تَدْعُونَ لَاتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

यानी अल्लाह तआला ने तुमको जिस अज़ाब से डराया है वह ज़रूर आने वाला है, और तुम सब मिलकर भी खुदाई अज़ाब को नहीं टाल सकते।

तीसरी आयत में फिर उनको ग़फ़लत से चौकाने का एक दूसरा तरीका इख़्तियार करके इरशाद फ़रमाया:

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ مَنْ تَكُوۡنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُوۡنَ .

जिसमें रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िताब है कि आप इन मक्का वालों से कह दीजिए कि ऐ मेरी कौम! अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम्हें इख़्तियार है न मानो और अपनी हालत पर अपने अक्कीदे और दुश्मनी के मुताबिक़ अमल करते रहो, मैं भी अपने अक्कीदे के मुताबिक़ अमल करता रहूँगा। मेरा इसमें कोई नुक़सान नहीं, मगर बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जायेगा कि आख़िरत के जहान की निजात और फ़लाह किसको हासिल होती है। यह ख़ूब समझ लो कि ज़ालिम यानी हक़-तल्फ़ी करने वाले कभी फ़लाह (कामयाबी) नहीं पाया करते।

और इमामे तफ़सीर इब्ने कसीर रह. ने इस आयत की तफ़सीर में इस तरफ़ भी इशारा फ़रमाया कि इस जगह आयत में:

مَنْ تَكُوۡنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ

फ़रमाया है:

عَاقِبَةُ الدَّارِ الْاٰخِرَةِ .

नहीं फ़रमाया। इससे मालूम होता है कि आख़िरत के घर से पहले दुनिया के घर में भी अन्जामकार फ़लाह व कामयाबी अल्लाह के नेक बन्दों ही को हासिल होती है, जैसा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम के हालात इस पर गवाह व सुबूत हैं कि थोड़े ही समय में तमाम कुव्वत व सत्ता वाले मुख़ालिफ़ उनके सामने ज़लील हुए, उनके मुल्क इनके हाथों पर फ़तह हुए, खुद हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दौर में तमाम अरब इलाक़े आपकी मातहत में आ गये। यमन और बेहरीन से लेकर शाम की सीमाओं तक आपकी हुकूमत फैल गयी, फिर आपके ख़लीफ़ाओं और सहाबा-ए-किराम के हाथों तक़रीबन पूरी दुनिया इस्लाम के झण्डे के नीचे आ गयी, और अल्लाह तआला का यह वायदा पूरा हुआ:

كَتَبَ اللّٰهُ لَآغْلِبَنَّ اَنَا وَّرَسُوۡلِىْ .

यानी अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं ग़ालिब आऊँगा और मेरे रसूल ग़ालिब आयेंगे। और दूसरी आयत में इरशाद है:

اِنَّا لَنَنْصُرُ رَسُوۡلَنَا وَّالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَّيَوْمِ النُّصْرَةِ اِنَّا لَمَعْلَمُوۡنَ .

यानी हम अपने रसूलों की मदद करेंगे, और उन लोगों की जो ईमान लाये, इस दुनिया में भी और उस दिन में भी जबकि आमाल के हिसाब पर गवाही देने वाले गवाही पर खड़े होंगे, यानी कियामत के दिन।

चौथी आयत में अरब के मुशिकों की एक खास गुमराही और ग़लत चलन पर तंबीह फ़रमाई गयी है। अरब वालों की आदत यह थी कि खेती और बायों से तथा तिजारतों से जो

कुछ पैदावार होती थी, उसमें से एक हिस्सा अल्लाह तआला के लिये और एक हिस्सा अपने बुतों के लिये निकाला करते थे। अल्लाह तआला के नाम का हिस्सा गरीबों व फकीरों और मिस्कीनों पर खर्च करते और बुतों के नाम का हिस्सा बुतखाने के पुजारियों और निगहबानों पर खर्च किया करते थे।

अब्वल तो यही जुल्म कुछ कम न था कि सारी चीजें पैदा तो खुदा तआला ने फरमायीं और हर चीज की पैदावार उसने अता फरमायी, फिर उसकी दी हुई चीजों में बुतों को शरीक कर दिया। इस पर अतिरिक्त सितम पर सितम यह था कि अगर कभी पैदावार में कुछ कमी आ जाये तो उस कमी को अल्लाह के हिस्से पर यह कहकर डाल देते कि अल्लाह तआला तो बेपरवाह और बेज़ूरत मन्द है, वह हमारी चीजों का मोहताज नहीं। और बुतों का हिस्सा भी पूरा कर लेते, और खुद अपने इस्तेमाल का हिस्सा भी। और कभी ऐसा होता कि बुतों के हिस्से में से या अपने हिस्से में से कोई चीज अल्लाह के हिस्से में पड़ जाती तो उसको हिसाब पूरा करने के लिये उसमें से निकाल लेते थे, अगर कभी मामला इसके उलट हो जाये कि अल्लाह के हिस्से में से कोई चीज अपने हिस्से या बुतों के हिस्से में पड़ जाये तो उसको वहीं रहने देते और यह कहते कि अल्लाह तआला तो गनी है उसके हिस्से में से कुछ कम भी हो जाये तो हर्ज नहीं। कुरआने करीम ने उनकी इस गुमराही और ग़लत हरकत को जिक्र करके फरमाया:

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

यानी उन लोगों का यह फैसला किस कद्र बुरा और भोण्डा है कि जिसने उनको और उनकी सारी चीजों को पैदा किया, अब्वल तो उसके साथ दूसरों को शरीक कर दिया, फिर उसके हिस्से को भी दूसरी तरफ़ विभिन्न बहानों से मुत्तकिल कर दिया।

काफ़िरों की इस चेतावनी में मुसलमानों के लिये सबक

यह तो अरब के मुशिकों की एक गुमराही और ग़लत तरीके पर तंबीह की गयी है। इसके साथ इसके तहत में उन मुसलमानों के लिये भी सबक लेने और चौंकने वाली बात है जो अल्लाह की दी हुई जिन्दगानी और उसके बख़ो हुए बदनी अंगों की पूरी ताकत को विभिन्न हिस्सों में बाँटते हैं, उम्र और वक्त का एक हिस्सा अल्लाह और उसकी इबादत के लिये मख़सूस करते हैं, हालाँकि हक़ तो उसका यह था कि उम्र के सारे वक्त और लम्हे उसी की इबादत और आजत के लिये वक्फ़ (समर्पित) होते। इन्सानी ज़रूरतों और मजबूरियों के लिये इसमें से कोई वक्त अपने लिये भी निकाल लेते, और हक़ तो यह है कि फिर भी उसके शुक्र का हक़ अदा न होता, मगर यहाँ तो हमारी हालत यह है कि दिन रात के चौबीस घन्टों में से अगर हम कोई हिस्सा अल्लाह की याद और इबादत के लिये मुक़र्र भी कर लेते हैं तो जब कोई ज़रूरत पेश आती है तो उसमें न अपने कारोबार में कोई हर्ज डाला जाता है, न आराम के वक्तों में, सारा मुला उस वक्त पर पड़ता है जो नमाज़, तिलावत या इबादत के लिये मुक़र्र किया था। कोई

काम पेश आये, या बीमारी या कोई दूसरी ज़रूरत तो सबसे पहले उसका असर उस वक्त पर पड़ता है जो हमने जिफ्रुल्लाह या इबादत के लिये मख्सूस किया था। यह कैसा ग़लत फैसला और कितनी नाशुकी और हक-तल्फ़ी है। अल्लाह तआला हमको और सब मुसलमानों को इससे महफूज़ रखे।

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْثُوهُمْ

وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ
وَحَرْتٌ حَجْرَةٌ لَا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بَرْعِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ
الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۚ وَإِن يَكُن مِّمَّةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاؤُهُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ
وَصَفَّهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا
رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

व कज़ालि-क ज़य्य-न लि-कसीरिम्-
मिनल्-मुशिकी-न कत्-ल औलादिहिम्
शु-रकाउहुम् लियुरदूहुम् व लियल्बिसू
अलैहिम् दीनहुम्, व लौ शाअल्लाहु
मा फ़-अलूहु फ़-ज़रहुम् व मा
यफ़तरून (137) व कालू हाज़िही
अन्आमुव्-व हरसुन् हिज़रुल्ला
यत्अमुहा इल्ला-मन्-नशा-उ
बिजअमिहिम् व अन्आमुन् हरिमत्
ज़ुहूरुहा व अन्आमुल्ला
यज़कुरुनस्मल्लाहि अलैहफितराअन्
अलैहि, सयज़्ज़ीहिम् बिमा कानू
यफ़तरून (138) व कालू मा फी

और इसी तरह सजा दिया बहुत से मुशिरकों की निगाह में उनकी औलाद के कत्ल को उनके शरीकों ने, ताकि उनको हलाक करें और रत्ता-मिता दें उन पर उनके दीन को, और अल्लाह चाहता तो वे यह काम न करते, सो छोड़ दे वे जानें और उनका झूठ। (137). और कहते हैं कि ये मवेशी और खेती मना है, इसको कोई न ख़ाये मगर जिसको हम चाहें उनके ख़याल के मुवाफ़िक, और बाज़े मवेशी (जानवरों) की पीठ पर चढ़ना हराम किया और बाज़े मवेशी के ज़िबह के वक्त नाम नहीं लेते अल्लाह का अल्लाह पर बोहतान बाँधकर, बहुत जल्द वह सजा देगा उनको इस झूठ की। (138) और कहते हैं जो बच्चा इन

बुतूनि हाज़ि हिल्-अन्आमि
 खालि-सतुल् लिज़ुकूरिना व मुहरमुन्
 अला अज़वाजिना व इंट्यकुम्
 मै-ततन् फहुम् फीहि शु-रका-उ,
 सयज़्जीहिम् वस्फहुम्, इन्नहू हकीमुन्
 अलीम (139) कद् खासिरल्लजी-न
 क-तलू औलादहुम् स-फहम् बिगैरि
 अलिंम्-व हरमू मा र-ज़-कहुमुल्लाहु-
 फ़तिरा-अन् अलल्लाहि, कद् ज़ल्लू
 व मा कानू मुस्तदीन (140) ❀ ❖

मवेशी (जानवरो) के पेट में है उसको तो
 खास हमारे मर्द ही खायें और वह हराप
 है हमारी औरतों पर, और जो बच्चा मुर्दा
 हो तो उसके खाने में सब बराबर हैं। वह
 सज़ा देगा उनको उनकी तक़रीरों की, वह
 हिक्मत वाला जानने वाला है। (139)
 बेशक ख़राब हुए जिन्होंने क़त्ल किया
 अपनी औलाद को नादानी से बग़ैर समझे
 और हराम ठहरा लिया उस रिज़्क को जो
 अल्लाह ने उनको दिया बोहतान बाँधकर
 अल्लाह पर, बेशक वे गुमराह हुए और न
 आये सीधी राह पर। (140) ❀ ❖

इन आयतों के मज़मून का पीछे से ताल्लुक़

पिछली आयतों में मुश्रिकों के ग़लत और बातिल शिर्क व कुफ़्र भरे अक़ीदों का बयान था, इन आयतों में उनकी अमली ग़लतियों और जाहिलाना रस्मों का ज़िक्र है। जाहिलीयत की जिन रस्मों का ज़िक्र इन आयतों में आया है वो ये हैं:-

अव्वल ग़ल्ले और फल में से कुछ हिस्सा अल्लाह के नाम का निकालते और कुछ बुतों और जिन्नात के नाम का, फिर अगर इत्तिफ़ाक़ से अल्लाह के हिस्से में से कुछ हिस्सा बुतों के हिस्से में मिल जाता तो उसको उसी तरह मिला रहने देते थे, और अगर मामला इसके उलट होता तो उसको निकाल कर फिर बुतों के हिस्से को पूरा कर देते थे और बहाना यह था कि अल्लाह तआला तो ग़नी है उसका हिस्सा कम हो जाने से उसका कोई नुक़सान नहीं, और दूसरे शरीक मोहताज हैं, उनका हिस्सा न घटना चाहिये। इस बुरी रस्म का बयान उक्त आयतों में से पहली आयत में आ चुका।

दूसरी रस्म यह थी कि बहीरा, सायबा जानवरो को बुतों के नाम पर छोड़ते और यह कहते कि यह काम अल्लाह तआला की रज़ा के लिये है। इसमें भी बुतों का हिस्सा यह था कि बादत उनकी थी और अल्लाह का हिस्सा यह हुआ कि इसको अल्लाह की रज़ा समझते थे।

तीसरी रस्म अपनी लड़कियों को क़त्ल कर डालने की थी।

चौथी रस्म कुछ खेत बुतों के नाम वक्फ़ कर देते और कहते कि इसके खर्च का असल काम सिर्फ़ मर्द हैं, औरतों को इसमें से कुछ देना न देना हमारी मर्जी पर है, उनको मुतालबे का हक़ नहीं।

पाँचवीं रस्म इसी तरह का अमल मवेशी जानवरों में करते थे कि कुछ को मर्दों के लिये मख्सूस करार देते थे।

छठी रस्म जिन चौपाये जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ देते तो उन पर सवारी और बोझ ढोने को हराम समझते थे।

सातवीं रस्म कुछ चौपाये जानवर मख्सूस थे जिन पर किसी मौके में भी अल्लाह का नाम न लेते थे, न दूध निकालने के वक़्त, न सवार होते वक़्त, न जिबह करने के वक़्त।

आठवीं रस्म यह थी कि जिन जानवरों का नाम बहीरा या सायबा रखकर बुतों के नाम पर छोड़ते उनके जिबह के वक़्त अगर बच्चा पेट से जिन्दा निकलता तो उसको भी जिबह कर लेते, मगर उसको सिर्फ मर्दों के लिये हलाल और औरतों के लिये हराम समझते थे, और अगर बच्चा मुर्दा निकला तो वह सब के लिये हलाल होता था।

नवीं रस्म कुछ जानवरों का दूध भी मर्दों के लिये हलाल और औरतों के लिये हराम समझते थे।

दसवीं रस्म बहीरा, सायबा, वसीला और हामी चार किस्म के जानवरों की ताज़ीम (सम्मान) को इबादत समझते थे।

(ये सब रिवायतें दुर्गे मन्सूर और रूहुल-मअानी में हज़रत इब्ने अब्बास, इमाम मुजाहिद, इब्ने जैद और सुदी से इब्ने मुन्ज़िर, इब्ने अबी शैबा और इब्ने हुमैद के हवाले से नक़ल की गयी हैं)

(अज़ बयानुल-कुरआन)

खुलासा-ए-तफसीर

और इसी तरह बहुत-से मुशिरकों के ख़्याल में उनके (शैतान) माबूदों ने अपनी औलाद के कत्ल करने को अच्छा और पसन्दीदा बना रखा है (जैसा कि जाहिलीयत में लड़कियों को कत्ल या जिन्दा दफ़न कर देने की रस्म थी) ताकि (इस बुरे काम के करने के सबब) वे (शैतान) उन (मुशिरकों) को (अज़ाब का हक़दार बनाकर) बरबाद करें, और ताकि उनके तरीके को ख़ल्ल-मल्ल कर दें (कि हमेशा ग़लती में फंसे रहें, और आप उनकी इन बुरी हरकतों से दुखी व परेशान न हों, क्योंकि) अगर अल्लाह तआला को (इनका भला) मन्ज़ूर होता तो ये ऐसा काम न करते। तो आप इनको और जो कुछ ये ग़लत बातें बना रहे हैं (कि हमारा यह फ़ैल बहुत अच्छा है) यूँ ही रहने दीजिए (कुछ फ़िक्र न कीजिए हम खुद समझ लेंगे)। और वे अपने (बमतिल) ख़्याल पर यह भी कहते हैं कि ये (मख्सूस) मवेशी हैं और (मख्सूस) खेत हैं, जिनका इस्तेमाल हर शाख़ का जायज़ नहीं, इनको कोई नहीं खा सकता सिवाय उनके जिनको हम चाहें (जैसा कि रस्म नम्बर चार और पाँच में ऊपर बयान हुआ) और कहते हैं कि ये (मख्सूस) मवेशी हैं जिन पर (अल्लाह) का नाम नहीं लेना चाहिये, चुनाँचे इसी यकीन व एतिकाद की वजह से उन पर सवारी या बोझ ढोने का काम हराम कर दिया गया है, और (मख्सूस) मवेशी हैं जिन पर ये लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते (जैसा कि रस्म नम्बर सात में बयान हुआ। और ये सब बातें) सिर्फ अल्लाह पर

बोहतान बाँधने के तौर पर (कहते) हैं (बोहतान बाँधना इसलिये कि वे इन कामों को अल्लाह की रज़ा व खुशनूदी का सबब समझते थे), अभी अल्लाह तआला उनको उनके बोहतान बाँधने की सज़ा दिये देता है (अभी इसलिये कहा कि कियामत जो कि आने वाली है दूर नहीं, और कुछ कुछ सज़ा तो मरते ही शुरू हो जायेगी)। और वे (यूँ भी) कहते हैं कि जो चीज़ इन मवेशियों के पेट में (से निकलती) है (जैसे दूध या बच्चा) वह ख़ालिस हमारे मर्दों के लिए (हलाल) है और हमारी औरतों पर हARAM है, और अगर वह (पेट का निकला हुआ बच्चा) मुर्दा है तो उस (से नफ़ा उठाने के जायज़ होने) में (मर्द व औरत) सब बराबर हैं, (जैसा कि रस्म नम्बर आठ और नौ में बयान हुआ), अभी अल्लाह तआला उनको उनकी (इस) ग़लत-बयानी की सज़ा दिये देता है (ग़लत-बयानी की वही तक़रीर है जो बोहतान बाँधने के बारे में ऊपर गुज़री, और अब तक जो सज़ा नहीं दी तो वजह यह है कि) बेशक वह बड़ा हिक्मत वाला है (कुछ हिक्मतों के सबब मोहलत दे रखी है, और अभी सज़ा न देने से कोई यूँ न समझे कि उसको ख़बर नहीं, क्योंकि वह) बड़ा इल्म वाला है (उसको सब ख़बर है)।

(आगे बतौर खुलासे और अन्जाम के फ़रमाते हैं कि) चाक़ई वे लोग ख़राबी में पड़ गये जिन्होंने (इन ज़िक्र हुए कामों को तरीक़ा बना लिया कि) अपनी औलाद को महज़ अपनी बेवक़ूफी की वजह से, बिना किसी (माक़ूल व मक़बूल) सनद के क़त्ल कर डाला, और जो (हलाल) चीज़ें उनको अल्लाह तआला ने खाने-पीने को दी थीं उनको (एतिक़ाद या अमल में) हARAM कर लिया (जैसा कि ऊपर बयान हुई रस्मों और रस्म नम्बर दस में है कि मन्शा सब का एक ही है, बयान हुआ और यह मजमूआ) महज़ अल्लाह पर तोहमत बाँधने के तौर पर (हुआ, जैसा कि ऊपर औलाद को क़त्ल करने में बोहतान बाँधना और कुछ जानवरों के हARAM कर लेने में तोहमत लगाना अलग-अलग भी आ चुका है), बेशक ये लोग गुमराही में पड़ गए और (यह गुमराही नई नहीं बल्कि पुरानी है, क्योंकि पहले भी ये) कभी राह पर चलने वाले नहीं हुए (पस ज़ल्लू में रास्ते का खुलासा और मा कानू में उसकी ताकीद और ख़सिरू में बुरे अन्जाम का खुलासा जो कि अज़ाब है, ज़िक्र किया गया)।

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّتٍ مَّعْرُوشَتٍ

وغير معرّوشة والنخل والزروع مختلفا أكله والزيتون والرمان مثايبها وغير مثايبها

كلوا من ثمره إذا أنشأ وأتواحقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب السرفين

الأنعام حمولة وفرشاة كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

व हुवल्लजी अन्श-अ जन्नातिम्

और उसी ने पैदा किये बाग़ जो टटियों (बाड़ों) पर चढ़ाये जाते हैं और जो

मअरूशातिव्-व गै-र मअरूशातिव्

टटियों पर नहीं चढ़ाये जाते, और खजूर

वन्नख़-ल वज़ज़र-अ मुख़तलिफ़न्
उकुलुहू वज़ज़ैतू-न वरुम्मा-न
मु-तशाबिहं-व ग़ै-र मु-तशाबिहिन्,
कुलू मिन् स-मरिही इज़ा अस्म-र व
आतू हक्कहू यौ-म हसादिही व ला
तुस्रिफू इन्नहू ला युहिब्बुल्-
मुस्रिफ़ीन (141) व मिनल्-अन्आमि
हमूलतं-व फ़रशन्, कुलू मिम्मा
र-ज़-ककुमुल्लाहु व ला तत्तबिअू
ख़ुतुवातिशशैतानि, इन्नहू लकुम्
अदुव्वुम् मुबीन (142)

के पेड़ और खेती कि विभिन्न हैं उनके
फल, और पैदा किया जैतून को और
अनार को एक दूसरे के जैसा और अलग-
अलग भी, खाओ उनके फल में से जिस
वक्त फल लायें और अदा करो उनका
हक जिस दिन उनको काटो और बेजा
खर्च न करो, उसको पसन्द नहीं आते
बेजा खर्च करने वाले (141) और पैदा
किये मवेशी (जानवरों) में बोझ उठाने
वाले और ज़मीन से लगे हुए, खाओ
अल्लाह के रिज़्क में से और मत चलो
शैतान के कदमों पर, वह तुम्हारा खुला
दुश्मन है। (142)

खुलासा-ए-तफसीर

और वही (अल्लाह पाक) है जिसने बाग़ पैदा किए, वे भी जो टटियों "यानी बाँस या सरकन्डों के बने हुए बाड़े व झोंपड़ी" पर चढ़ाए जाते हैं, (जैसे अंगूर) और वे भी जो टटियों पर नहीं चढ़ाए जाते, (या तो इसलिये कि बेलदार नहीं जैसे तनेदार दरख़्त, या बावजूद बेलदार होने के आदत नहीं, जैसे ख़रबूज़ा, तरबूज़ वगैरह) और ख़जूर के पेड़ और खेती (भी उसने पैदा किये) जिनमें खाने की चीज़ें अलग-अलग तरीक़े की (हासिल) होती हैं, और जैतून और अनार (भी उसी ने पैदा किये) जो (अनार-अनार) आपस में (और जैतून-जैतून आपस में रंग, मज़े और शक़ल व मात्रा में से कुछ सिफ़तों में कभी) एक-दूसरे के जैसे भी होते हैं और (कभी) एक-दूसरे के जैसे नहीं होते, (और अल्लाह ने इन चीज़ों को पैदा करके इजाज़त दी है कि) इन सब की पैदावार खाओ (चाहे उसी वक्त से सही) जब वह निकल आए (और पकने भी न पाये) और (यकीनन इसके साथ इतना ज़रूर है कि) उसमें (शरीअत के हिसाब से) जो हक़ वाजिब है (यानी खैर-खैरात) वह उसके काटने (और तोड़ने) के दिन (ग़रीबों को) दिया करो। और (इस देने में भी शरई इजाज़त की) हद से मत गुज़रो, यकीनन वह (यानी अल्लाह तआला शरई-इजाज़त की) हद से गुज़रने वालों को ना-पसन्द करते हैं।

और (जिस तरह बाग़ और खेत अल्लाह ने पैदा किये हैं इसी तरह हैवानात भी, चुनौचे) मवेशियों में ऊँचे क़द के (भी) और छोटे क़द के (भी) उसी ने पैदा किये, और उनके बारे में भी बाग़ों और खेतों की तरह इजाज़त दी कि) जो कुछ अल्लाह तआला ने तुमको दिया है (और

शरीअत के एतिबार से हलाल किया है उसको) खाओ, और (अपनी तरफ़ से हराम करने के अहकाम तराश कर) शैतान के कदम से कदम मिलाकर मत चलो, बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है (कि तुमको हक़ दलीलों के स्पष्ट होने के बावजूद गुमराह कर रहा है)।

मआरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में मक्का के मुश्रिकों की इस गुमराही का जिक्र था कि अल्लाह तआला के पैदा किये हुए जानवरों और उसकी अता की हुई नेमतों में उन जालिमों ने अपने खुद बनाये और तैयार किये हुए बेजान बेशऊर बुतों को अल्लाह तआला का साझी करार देकर जो चीज़ वे बतौर इबादत या सदका-खैरात के निकालते हैं उनमें एक हिस्सा अल्लाह तआला का और दूसरा हिस्सा बुतों का रखते हैं। फिर अल्लाह के हिस्से को भी विभिन्न हीलों हवालों से बुतों के हिस्से में डालते हैं। इसी तरह की और बहुत सी जाहिलाना रस्मों को शरई क़ानून की हैसियत दे रखी है।

बयान हुई आयतों में से पहली आयत में अल्लाह तआला ने नबातात (वनस्पति) और दरख़्तों की मुख़लिफ़ किस्में और उनके फ़ायदों व फल की पैदाईश में अपनी कामिल क़ुदरत के हैस्त-अंगेज़ कमालात का जिक्र फ़रमाया और दूसरी आयत में इसी तरह जानवरों और मवेशी की विभिन्न और अनेक किस्मों की पैदाईश का जिक्र फ़रमाकर उनकी गुमराही पर चौंकाया कि उन बेअक़ल लोगों ने कैसे कादिरे मुतलक़, अलीम व ख़बीर (यानी अल्लाह तआला) के साथ कैसे बेख़बर, बेशऊर, बेजान और बेबस चीज़ों को उसका शरीक व साझी बना डाला है।

और फिर उनको सिराते मुस्तक़ीम और अमल की सही राह की तरफ़ हिदायत फ़रमाई कि जब इन चीज़ों के पैदा करने और तुमको अता करने में कोई साझी व शरीक नहीं तो इबादत में उनको शरीक ठहराना हद से ज्यादा नेमत की नाशुक़ी और जुल्म है। जिसने ये चीज़ें पैदा करके तुमको अता फ़रमायीं और तुम्हारे लिये इनको ऐसा ताबे कर दिया कि जिस तरह चाहो इनको इस्तेमाल कर सको, और फिर इन सब चीज़ों को तुम्हारे लिये हलाल कर दिया, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उसकी इन नेमतों से फ़ायदा उठाने के वक़्त उसके शुक्र के हक़ को याद रखो और अदा करो, शैतानी ख़्यालात और जाहिलाना रस्मों को अपना दीन न बनाओ।

पहली आयत में अन्श-अ के मायने पैदा किया और मारुशात अर्श से बना है, जिसके मायने उठाने के और बुलन्द करुज़ी के हैं। मारुशात से मुराद दरख़्तों की वो बेलें हैं जो टटियों पर चढ़ाई जाती हैं, जैसे अंगूर और कुछ तरकारियाँ। और इसके मुकाबले में ग़ैर-मारुशात में वो सब दरख़्त शामिल हैं जिनकी बेलें ऊपर नहीं चढ़ाई जाती, चाहे वो तनेदार दरख़्त हों जिनकी बेलें ही नहीं या बेलदार हों मगर उनकी बेलें ज़मीन ही पर फैलती हैं ऊपर नहीं चढ़ाई जाती, जैसे तरबूज, ख़रबूजा वगैरह।

और नख़ल के मायने ख़जूर का दरख़्त, और ज़रूज़ हर किस्म की खेती, और जैतून जैतून के पेड़ को भी कहते हैं और उसके फल को भी, और रुम्पान अनार को कहा जाता है।

इन आयतों में हक़ तआला ने पहले तो बाग़ों में पैदा होने वाले दरख़्तों की दो किस्में बयान

फरमायीं- एक वो जिनकी बेलें ऊपर चढ़ाई जाती हैं, दूसरी वो जिनकी बेलें चढ़ाई नहीं जाती। इसमें अपनी हिक्मते बालिगा और कुदरत के भेदों की तरफ इशारा है कि एक ही मिट्टी और एक ही पानी और एक ही हवा फिजा से कैसे-कैसे विभिन्न अन्दाज के पौधे पैदा फरमाये, फिर उनके फलों की तैयारी और हरियाली व ताजगी और उनमें रखे हुए हजारों गुणों व विशेषताओं की रियायत से किसी दरख्त का मिजाज ऐसा कर दिया कि जब तक बेल ऊपर न चढ़े अब्बल तो फल आता ही नहीं, और आ भी जाये तो बढ़ता और बाकी नहीं रहता, जैसे अंगूर वगैरह। और किसी का मिजाज ऐसा बना दिया कि उसकी बेल को ऊपर चढ़ाना भी चाहो तो न चढ़े, और चढ़ भी जाये तो उसका फल कमजोर हो जाये, जैसे खरबूजा तरबूज वगैरह। और कुछ दरख्तों को मजबूत तनों पर खड़ा करके इतना ऊँचा ले गये कि आदमी की कोशिशों और कारीगरी से इतना ऊँचा ले जाना आदतन मुम्किन न था। और दरख्तों का यह विभिन्न प्रकार का होना महज इत्तिफाकी नहीं बल्कि बड़ी हिक्मत के साथ उनके फलों के मिजाज की रियायत से है। कुछ फल ज़मीन और मिट्टी ही में बढ़ते और पकते हैं, और कुछ को मिट्टी लगना खराब कर देता है। कुछ के लिये ऊँची शाखों पर लटक कर निरन्तर ताज़ा हवा खाना, सूरज की किरनों और सितारों के नूर से रंग हासिल करना ज़रूरी है, हर एक के लिये कुदरत ने उसके मुनासिब इन्तिज़ाम फरमा दिया। वाकई अल्लाह तआला बहुत ही खूब बनाने और पैदा करने वाले हैं।

इसके बाद खुसूसी तौर पर नख़ल और ज़रअ यानी खजूर के पेड़ और खेती का जिक्र फरमाया। खजूर का फल आम तौर पर तबीयत की खुशी के लिये भी खाया जाता है और ज़रूरत के वक़्त इससे पूरी गिज़ा का काम भी लिया जा सकता है। और खेती में पैदा होने वाली जिनसों से उमूमन इनसानों की गिज़ा और जानवरों का चारा हासिल किया जाता है, इन दोनों को जिक्र करने के बाद फरमाया:

مُخْتَلَفًا اَكْلًا

इसमें "उकुलुहू" (उसका खाना) में "उस" से मुराद "ज़रअ" (खेती) भी हो सकती है और "नख़ल" (खजूर) भी। बहरहाल मुराद दोनों ही हैं। मायने यह हैं कि खजूरो में विभिन्न किस्में और हर किस्म का अलग-अलग जायका है, और खेती में तो सैकड़ों किस्में और हर किस्म के जायके और फायदे विभिन्न हैं। एक ही पानी हवा, एक ही ज़मीन से निकलने वाले फलों में इतना अजीमुश्शान फर्क और फिर हर किस्म के फायदों और गुणों का हेरत-अंगेज़ भिन्नता और अलग-अलग होना एक मामूली समझ रखने वाले इनसान को यह तस्लीम करने पर मजबूर कर देता है कि उनको पैदा करने वाली कोई ऐसी अजीमुश्शान और अक्लों में न आने वाली हस्ती है जिसके इल्म व हिक्मत का अन्दाज़ा भी इनसान नहीं लगा सकता।

इसके बाद दो चीज़ें और जिक्र फरमायीं "ज़ैतून" और "रुम्मान" (यानी अनार)। जैतून का फल फल भी है तरकारी भी, और उसका तेल सब तेलों से ज़्यादा साफ़, निथुरा और उम्दा होने

के साथ बेशुमार फायदों व गुणों वाला है। हजारों बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। इसी तरह अनार के फायदे और गुण बेशुमार हैं जिनको अंजाम व ख्वास सब जानते हैं। इन दोनों फलों का जिक्र करके फरमाया:

مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ.

यानी इनमें से हर एक के फल कुछ ऐसे होते हैं जो रंग और जायके के एतिबार से मिले जुले (एक जैसे) होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके रंग और जायके विभिन्न और अलग-अलग होते हैं। और यह कुछ दानों का रंग व मज़ा और मात्रा में एक जैसा और कुछ का अलग-अलग होना अनार में भी पाया जाता है, जैतून में भी।

इन तमाम किस्मों के दरख्तों और फलों का जिक्र फरमाकर इस आयत में इनसान को दो हुक्म दिये गये- पहला हुक्म तो खुद इनसान की इच्छा और नफ्त के तकाज़े को पूरा करने वाला है। फरमाया:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ.

यानी इन दरख्तों और खेतियों के फलों को खाओ जब वो फलदार हो जायें। इसमें इशारा फरमा दिया कि इन तमाम प्रकार और समस्त किस्मों के दरख्तों के पैदा करने वाले मालिक को अपनी कोई ज़रूरत पूरी नहीं करनी बल्कि तुम्हारे ही फायदे के लिये पैदा किया है, सो तुम्हें इख्तियार है इनको खाओ और फायदा उठाओ। “जब वो फल लायें” फरमाकर इस तरफ इशारा फरमा दिया कि दरख्तों की शाखों और लकड़ियों में से फल निकाल लाना तुम्हारे तो बस का काम नहीं, जब वो फल अल्लाह के हुक्म से निकल आयें तो उनके खाने का इख्तियार उसी वक़्त हासिल हो गया, चाहे वो अभी पक्के भी न हों।

जमीन का उश्र

दूसरा हुक्म यह दिया गया:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.

“आतू” के मायने हैं “लाओ” या “अदा करो” और हसाद कहते हैं “खेती कटने या फलों के तोड़ने के वक़्त को।” और हक्कहू- (उसके हक) के “उस” से हर उस खाने की चीज़ की तरफ इशारा है जिनका जिक्र ऊपर आया है। मायने यह है कि इन सब चीज़ों को खाओ पियो इस्तेमाल करो, मगर एक बात याद रखो कि खेती कटने या फल तोड़ने के वक़्त उसका हक भी अदा किया करो। हक से मुराद गरीबों व मिस्कीनों पर सदका करना है, जैसा कि एक दूसरी आयत में आम अलफाज़ के साथ इरशाद है:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلْمَسْأَلِ وَالْمَحْرُومِ.

“यानी नेक बन्दों के मालों में निर्धारित हक होता है माँगने वाले और न माँगने वाले फकीरों (गरीबों) व मिस्कीनों का।”

इस सद्के से मुराद आम सद्का-ख़ैरात है, या वह सद्का जो ज़मीन की ज़कात या उश्र कहलाता है, इसमें तफ़सीर के इमामों, सहाबा व ताबिईन के दो कौल हैं- कुछ हज़रत ने पहले कौल को इख़्तियार फ़रमाया है और वजह यह क़रार दी है कि यह आयत मक्की है और ज़कात का फ़रीज़ा मदीना तय्यिबा की हिजरत के दो साल बाद लागू हुआ है। इसलिये यहाँ हक़ से मुराद ज़मीन की ज़कात का हक़ नहीं हो सकता। और कुछ हज़रत ने इस आयत को मदीनी आयतों में शुमार फ़रमाया और हक़ से मुराद ज़मीन की ज़कात और उश्र को क़रार दिया।

इमामे तफ़सीर इब्ने कसीर रह. ने अपनी तफ़सीर में और इब्ने अरबी उन्दुलुसी ने अपनी तफ़सीर अहकामुल-कुरआन में इसका फ़ैसला इस तरह फ़रमाया है कि आयत चाहे मक्की हो या मदीनी, दोनों सूरतों में इस आयत से ज़मीन की ज़कात यानी उश्र मुराद हो सकता है। क्योंकि उनके नज़दीक ज़कात के वाजिब होने का असल हुक्म मक्का में नाज़िल हो चुका था। सूर: मुज़म्मिल की आयत ज़कात के हुक्म पर मुश्तमिल है जो सब के नज़दीक मक्की है, अलबत्ता ज़कात की मिक़दार और निसाब का निर्धारण वग़ैरह हिजरत के बाद हुआ, और इस आयत से सिर्फ़ इतना मालूम होता है कि ज़मीन की पैदावार पर अल्लाह तआला की तरफ़ से कोई हक़ लागू किया गया है, उसकी मिक़दार का निर्धारण इसमें बयान नहीं हुआ। इसलिये मिक़दार (मात्रा) के मामले में यह आयत मुख़्तसर और संक्षिप्त है, और मक्का मुअज़्ज़मा में इस मात्रा के निर्धारण की यहाँ ज़रूरत भी इसलिये न थी कि वहाँ मुसलमानों को यह इत्मीनान हासिल न था कि ज़मीनों और बाग़ों की पैदावार सहूलत के साथ हासिल कर सकें, इसलिये उस ज़माने में तो रिवाज वही रहा जो पहले नेक लोगों में चला आता था, कि खेती काटने या फल तोड़ने के वक़्त जो ग़रीब-ग़ुर्बा वहाँ जमा हो जाते उनको कुछ दे देते थे, कोई ख़ास मात्रा मुतय्यन न थी। इस्लाम से पहले दूसरी उम्मतों में भी खेती और फलों में इस तरह का सद्का देने का रिवाज कुरआन करीम की आयत:

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ

(यानी सूर: अल-क़लम आयत 17) में बयान हुआ है। हिजरत के दो साल बाद जिस तरह दूसरे मालों के निसाब और ज़कात की मात्रा की तफ़सीलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह की तरफ़ से आई वही के अनुसार बयान फ़रमाई, इसी तरह ज़मीन की ज़कात का बयान फ़रमाया, जो हज़रत मुआज़ बिन जबल और इब्ने उमर और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम की रिवायत से हदीस की तमाम किताबों में मन्कूल है। फ़रमाया:

مَا سَقَتِ السَّمَاءُ فِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالسَّائِبَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

यानी बारिश वाली ज़मीनों में जहाँ सिंचाई का कोई सामान नहीं सिर्फ़ बारिश पर पैदावार का मदार है, उन ज़मीनों की पैदावार का दसवाँ हिस्सा बतौर ज़कात निकालना वाजिब है। और जो ज़मीनें कुँओं से सींची जाती हैं उनकी पैदावार का बीसवाँ हिस्सा वाजिब है।

ज़कात के क़ानून में इस्लामी शरीअत ने हर किस्म की ज़कात में इस बात को बुनियादी

उसूल के तौर पर इस्तेमाल किया है कि जिस पैदावार में मेहनत और खर्च कम है उसमें ज़कात की मात्रा ज्यादा और जितनी मेहनत और खर्च किसी पैदावार पर बढ़ता जाता है उतनी ही ज़कात की मात्रा कम होती जाती है। मिसाल के तौर पर यूँ समझिये कि अगर किसी को कोई पुराना खज़ाना मिल जाये, या सोने चाँदी वगैरह की खान निकल आये तो उसका पाँचवाँ हिस्सा बतौर ज़कात के उसके जिम्मे लाज़िम है, क्योंकि मेहनत और खर्च कम और पैदावार ज्यादा है। उसके बाद बारिश वाली ज़मीन का नम्बर है, जिसमें मेहनत और खर्च कम से कम है, उसकी ज़कात पाँचवें हिस्से से आधी यानी दसवाँ हिस्सा कर दिया गया। उसके बाद वह ज़मीन है जिसको कुएँ से या नहर का पानी खरीदकर उससे सैराब किया जाता है, इसमें मेहनत और खर्च बढ़ गया तो ज़कात उससे भी आधी कर दी गयी, यानी बीसवाँ हिस्सा। उसके बाद आम नक़द सोना या चाँदी और तिजारत का माल है, जिनके हासिल करने और बढ़ाने पर खर्च भी काफी होता है और मेहनत भी ज्यादा, इसलिये उसकी ज़कात इसकी आधी यानी चालीसवाँ हिस्सा कर दिया गया।

कुरआन की उक्त आयत और हदीस की उक्त रिवायत में ज़मीन की पैदावार के लिये कोई निसाब मुकर्रर नहीं फ़रमाया, इसी लिये इमामे आजम अबू हनीफ़ा रह. और इमाम अहमद बिन हम्बल रह. का मज़हब यह है कि ज़मीन की पैदावार चाहे थोड़ी हो या ज्यादा, बहरहाल उसकी ज़कात निकालना ज़रूरी है। कुरआन की सूर: ब-करह वाली आयत जिसमें ज़मीन की ज़कात का जिक्र है वहाँ भी उसके लिये कोई निसाब बयान नहीं हुआ। इरशाद है:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“यानी खर्च करो अपनी हलाल कमाई में से और उस चीज़ में से जो हमने तुम्हारे लिये ज़मीन से निकाली है।”

तिजारती मालों और मवेशी (जानवरों) के लिये तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने निसाब बयान फ़रमा दिया, कि साढ़े बायन तौले चाँदी से कम में ज़कात नहीं, चालीस बकरियों, पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं, लेकिन ज़मीन की पैदावार के मुताल्लिक जो बयान ऊपर की हदीस में आया है उसमें कोई निसाब नहीं बतलाया गया, इसलिये हर थोड़े व ज्यादा में से ज़मीन की ज़कात यानी दसवाँ या बीसवाँ हिस्सा निकालना वाजिब है।

आयत के आखिर में फ़रमाया:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“यानी हद से जायद खर्च न करो, क्योंकि अल्लाह तआला फुज़ूल खर्ची करने वाले लोगों को पसन्द नहीं करते।”

यहाँ सवाल यह है कि अल्लाह की राह में अगर कोई शख्स अपना सारा माल बल्कि जान भी खर्च कर दे तो इसको इसराफ़ (फुज़ूल खर्ची) नहीं कहा जा सकता, बल्कि हक़ की अदायेगी कहना भी मुश्किल है, फिर इस जगह इसराफ़ से मना करने का क्या मतलब है? जवाब यह है

कि किसी खास क्षेत्र और मौके में इसराफ़ का नतीजा आदतन दूसरे मौकों में कमी व कोताही हुआ करता है। जो शख्स अपनी इच्छाओं में बेझिझक हद से जायद खर्च करता है वह उमूमन दूसरों के हुक्क अदा करने में कोताही किया करता है, यहाँ उसी कोताही से रोका गया है। यानी एक तरफ़ कोई आदमी अपना सारा माल अल्लाह की राह में लुटाकर खाली हो बैठे तो बाल-बच्चों, घर वालों और रिश्तेदारों बल्कि खुद अपने नफ़्स के हुक्क कैसे अदा करेगा, इसलिये हिदायत यह की गयी कि अल्लाह की राह में खर्च करने में भी एतिदाल (दरमियानी राह) से काम ले, ताकि सब हुक्क अदा हो सकें।

ثَنِيَّةُ زَوَاجٍ مِنَ الصَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ وَقُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَمَ امْرَأَتَيْنِ أَمَا
 اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ وَيَتَوْنِي يَعْلِمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ
 الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَقُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَمَ امْرَأَتَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ ۝ أَمْ كُنْتُمْ
 شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْنَاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

समानिय-त अज्वाजिन् मिनज्जअनि-
 -सनेनि व मिनल्-मज्जि सनेनि,
 कुल् आज्ज-करैनि हर-म अमिल्-
 उन्सयैनि अम्मशत-मलत् अलैहि
 अर्हामुल्-उन्सयैनि, नब्बिऊनी
 बिअिल्मिन् इन् कुन्तुम् सादिकीन
 (143) व मिनल् इबिलिसनेनि व
 मिनल् ब-करिसनेनि, कुल्
 आज्ज-करैनि हर-म अमिल्-उन्सयैनि
 अम्मशत-मलत् अलैहि अर्हामुल्-
 उन्सयैनि, अम् कुन्तुम् शु-हदा-अ
 इज्ज वस्साकुमुल्लाहु बिहाजा फ-मन्
 अज्जलमु मिम्-मनिफ्तरा अलल्लाहि

पैदा किये आठ नर और मादा, भेड़ में से दो और बकरी में से दो, पूछ तू कि दोनों नर (अल्लाह ने) हराम किये हैं या दोनों मादा या वह बच्चा कि उस पर मुश्तमिल हैं बच्चेदानी दोनों मादाओं की, बतलाओ मुझको सनद अगर तुम सच्चे हो। (143) और पैदा किये ऊँट में से दो और गाय में से दो, पूछ तू दोनों नर हराम किये हैं या दोनों मादा या वह बच्चा कि उस पर मुश्तमिल हैं बच्चेदानी दोनों मादाओं की, क्या तुम हाजिर थे जिस वक़्त तुमको अल्लाह ने यह हुक्म दिया था? फिर उस से ज्यादा ज़ालिम कौन जो बोहतान बाँधे अल्लाह पर झूठ ताकि लोगों को गुमराह

कजि बल्-लियुजिल्लन्ना-स बिगैरि
अिल्मिन्, इन्नल्ला-ह ता यस्दिल्
कौमज्जालिमीन (144) ❀

करे बिना तहकीक के, बेशक अल्लाह
हिदायत नहीं करता ज़ालिम लोगों
को। (144) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

(और ये मवेशी) आठ नर व मादा (पैदा किए) यानी भेड़ (और दुबे) में दो किस्म (नर व मादा) और बकरी में दो किस्म (नर व मादा)। आप (उनसे) कहिए कि (यह तो बतलाओ कि) क्या अल्लाह तआला ने इन (दोनों जानवरों के) दोनों नरों को हARAM कहा है या दोनों मादा को (हARAM कहा है), या उस (बच्चे) को जिसको दोनों मादा (अपने) पेट में लिए हुए हैं (वह बच्चा नर हो या मादा। यानी तुम जो विभिन्न प्रकार के हARAM होने के दावेदार हो तो क्या यह हARAM होने का हुक्म अल्लाह तआला ने फरमाया है) तुम मुझको किसी दलील से तो बतलाओ, अगर (अपने दावे में) तुम सच्चे हो। (यह तो छोटे कद वाले के बारे में बयान हुआ आगे बड़े कद वालों का बयान है कि भेड़ बकरी में भी नर व मादा पैदा किये, जैसा कि बयान हुआ) और (इसी तरह) ऊँट में दो किस्म (एक नर और एक मादा) और गाय (-भैंस) में दो किस्म (एक नर और एक मादा पैदा किये)। आप (इनसे इस बारे में भी) कहिए कि (यह तो बतलाओ कि) क्या अल्लाह तआला ने इन दोनों (जानवरों के) नरों को हARAM कहा है या दोनों मादा को (हARAM कहा है), या उस (बच्चे) को जिसको दोनों मादा (अपने) पेट में लिए हुए हों (वह बच्चा नर हो या मादा। इसका भी वही मतलब है कि तुम जो विभिन्न प्रकार के हARAM होने के दावेदार हो तो क्या यह हARAM होना अल्लाह तआला ने फरमाया है? इस पर कोई दलील कायम करनी चाहिये, जिसके दो तरीके हैं- एक तो यह कि किसी रसूल व फरिश्ते के वास्ते से हो, सो नुबुव्वत व वही के मसले से तो तुमको इनकार ही है, इस सूरत को तो तुम इख्तियार कर नहीं सकते, पस दूसरा तरीका दावा करने के लिये मुतैयन हो गया कि खुद खुदा तआला ने बिना वास्ते के तुमको यह अहकाम दिये हों, तो क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जिस वक्त अल्लाह तआला ने इस (हARAM व हलाल होने) का हुक्म दिया? (और ज़ाहिर है कि इसका दावा भी नहीं हो सकता, पस साबित हो गया कि उनके पास कोई दलील नहीं)। तो (इस बात के साबित होने के बाद कि इस दावे पर कोई दलील नहीं, यकीनी बात है कि) उससे ज्यादा (और) कौन ज़ालिम (और झूठा) होगा जो अल्लाह तआला पर बिना दलील (हलाल व हARAM होने के बारे में) झूठ तोहमत लगाए? ताकि लोगों को गुमराह करे (यानी यह शख्स बड़ा ज़ालिम होगा और) यकीनन अल्लाह तआला ज़ालिम लोगों को (आखिरत में जन्नत का) रास्ता न दिखलाएँगे (बल्कि दोज्ख में भेजेँगे। पस ये लोग भी इस जुर्म की सजा में दोज्ख में जायेंगे)।

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْزُرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالغَنَمِ
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِغَيْرِ
وَأَنَا لَصَادِقُونَ ۝ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ
الْجَارِمِينَ ۝

कुल ला अजिदु फी मा ऊहि-य
इलय्-य मुहरमन् अला ताअिमिन्-
यत्-अमुहु इल्ला अय्यकू-न मै-ततन्
औ दमम्-मस्फूहन् औ लह-म
खिन्जीरिन् फ-इन्नहू रिज्सुन् औ
फिस्कन् उहिल्-ल लिगैरिल्लाहि बिही
फ-मनिज्जुत्-र गै-र बागिन्-व ला
आदिन् फ-इन्-न रब्ब-क गुफूरुरहीम
(145) व अलल्लजी-न हादू हरमना
कुल-ल जी जुफुरिन् व मिनल्-
ब-करि वल्-नमि हरमना अलैहिम्
शुहू-महुमा इल्ला मा ह-मलत्
जुहूरुहुमा अविल्-हवाया औ
मख्त-ल-त बिअजिमन्, जालि-क
जजै नाहुम् बिबगियहिम् व इन्ना
लसादिकून् (146) फ-इन् कज्जबू-क
फ-कुरब्बुकुम् जू रस्मतिन्-वासि-अतिन्

तू कह दे कि मैं नहीं पाता उस वही में
जो कि मुझको पहुँची है किसी चीज़ को
हराम खाने वाले पर जो उसको खाये,
मगर यह कि वह चीज़ मुर्दार हो या
बहता हुआ खून या सुअर का गोشت कि
वह नापाक है या नाजायज़ ज़बीहा जिस
पर नाम पुकारा जाये अल्लाह के सिवा
किसी और का, फिर जो कोई भूख से
बेइख्तियार हो जाये, न नाफरमानी करे
और न ज़्यादती करे तो तेरा रब बड़ा
साफ करने वाला है बहुत मेहरबान। (145)
और यहूद पर हमने हराम किया था हर
एक नाखून वाला जानवर और गाय और
बकरी में से हराम की थी उन पर उनकी
चर्बी मगर जो लगी हो पुश्त पर या
अंतड़ियों पर, या जो चर्बी कि मिली हुई
हो हड्डी के साथ, यह हमने उनको सज़ा
दी थी उनकी शरारत पर, और हम सच
कहते हैं। (146) फिर अगर तुझको
झुठलाये तो कह दे कि तुम्हारे रब की

व ला युरद्दु बअसुहू अनिल्
कौमिल्-मुजरिमीन (147)

रहमत में बड़ी वुस्तअत है, और नहीं टलेगा
उसका अजाब गुनाहगार लोगों से। (147)

खुलासा-ए-तफसीर

आप कह दीजिए कि (जिन हैवानात के बारे में बात हो रही है उनके मुताल्लिक) जो कुछ अहकाम वही के जरिये से मेरे पास आए हैं उनमें तो मैं किसी खाने वाले के लिए कोई हराम (गिजा) नहीं पाता जो उसको खाए (चाहे मर्द हो या औरत), मगर (इन चीजों को जरूर हराम पाता हूँ वो) यह कि वह मुर्दार (जानवर) हो (यानी जिसका जिबह करना वाजिब हो इसके बावजूद वह शरई तरीके के बगैर जिबह हुए मर जाये), या बहता हुआ खून हो, या सुअर का गोश्त हो, क्योंकि वह (यानी सुअर) बिल्कुल नापाक है (इसी लिये उसके सब अंग नापाक और हराम हैं, और ऐसा नजिस नजिसुल-ऐन कहलाता है), या जो (जानवर वगैरह) शिक का जरिया हो (इस तरह) कि अल्लाह के अलावा किसी और (की निकटता व रजा हासिल करने) के लिए नामजद कर दिया गया हो (सो ये सब हराम हैं)। फिर (भी इसमें इतनी आसानी रखी है कि) जो शख्स (भूख से बहुत ही) बेताब हो जाए, शर्त यह है कि न तो (खाने में) मजे का तालिब हो और न (जरूरत की मात्रा से) आगे बढ़ने वाला हो तो (इस हालत में इन हराम चीजों से खाने में भी उस शख्स को कुछ गुनाह नहीं होता) वाकई आपका रब (उस शख्स के लिये) माफ करने वाला, रहम करने वाला है (कि ऐसे वक़्त में रहमत फ़रमाई कि गुनाह की चीज़ में से गुनाह उठा दिया)।

और यहूदियों पर हमने नाखून वाले तमाम जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी (के अंगों) में से इन दोनों की चर्बियाँ उन (यहूद) पर हमने हराम कर दी थीं, मगर वह (चर्बी इस हुक्म से अलग थी) जो इन (दोनों) की पुश्त पर या अंतड़ियों में लगी हो, या जो (चर्बी) हड्डी से मिली हो, (बाकी सब चर्बी हराम थी, सो इन चीजों को हराम करना अपने आप में मुकसद न था, बल्कि) उनकी शरारत के सबब हमने उनको यह सजा दी थी, और हम यकीनन सच्चे हैं। फिर (इस जिक्र हुई तहकीक के बाद भी) अगर ये (मुशिक लोग नऊजु बिल्लाह इस मजमून में सिर्फ इस बजह से) आपको झूठ कहे (कि उन पर अजाब नहीं आता) तो आप (जवाब में) फ़रमा दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी ज़बरदस्त रहमत वाला है (कुछ हिक्मतों से जल्दी पकड़ नहीं फ़रमाता), और (इससे यूँ न समझो कि हमेशा यूँ ही बचे रहेंगे, जब वह जिधरित वक़्त आ जायेगा फिर उस वक़्त) उसका अजाब मुजिरम लोगों से (किसी तरह) न टलेगा।

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۗ
 كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۗ
 إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۗ قُلْ فَلِلَّهِ الحُجَّةُ البَالِغَةُ ۗ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
 أَجْمَعِينَ ۗ قُلْ هَلَمْ شَهِدْنَا كَمَا الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۗ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ۗ
 وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۗ

स-यकूलुल्लजी-न अशरकू लौ
 शाअल्लाहु मा अशरकना व ला
 आबाउना व ला हरमना मिन् शैइन्,
 कजालि-क कज्जबल्लजी-न मिन्
 कब्लिहिम् हत्ता ज़ाकू बअसना, कुल
 हल् अिन्दकुम् मिन् अिल्मिन्
 फ-तुख्रिजूहु लना इन् तत्तबिअू-न
 इल्लज्जन्-न व इन् अन्तुम् इल्ला
 तख्रसून (148) कुल् फलिल्लाहिल्-
 हुज्जतुल्-बालि-ग़तु फ़लौ शा-अ
 ल-हदाकुम् अज्मअीन (149) कुल्
 हलुम्-म शु-हदा-अकुमुल्लजी-न
 यशहदू-न अन्नल्ला-ह हर-म हाजा
 फ-इन् शहिदू फ़ला तशहदू म-अहुम्
 व ला तत्तबिअू अह्वा-अल्लजी-न
 कज्जबू बिआयातिना वल्लजी-न ला
 युअ्मिन्-न बिल् आखिर-रति व हुम्
 बिरब्लिहिम् यअदिलून (150) ❀

अब कहेंगे मुशिरक अगर अल्लाह चाहता
 तो शिर्क न करते हम और न हमारे बाप
 दादे, और न हम हराम कर लेते कोई
 चीज़, इसी तरह झुठलाया किये इनसे
 पहले यहाँ तक कि उन्होंने चखा हमारा
 अज़ाब। तू कह दे कि कुछ इल्म भी है
 तुम्हारे पास कि उसको हमारे आगे जाहिर
 करो, तुम तो खालिस अटकल पर चलते
 हो और सिर्फ अन्दाजे ही करते हो।
 (148) तू कह दे- पस अल्लाह का इल्जाम
 पूरा है, सो अगर वह चाहता तो हिदायत
 कर देता तुम सब को। (149) तू कह कि
 लाओ अपने गवाह जो गवाही दें इस बात
 की कि अल्लाह ने हराम किया है इन
 चीज़ों को, फिर अगर वे ऐसी गवाही दें
 तो भी तू एतिबार न कर उनका, और न
 चल उनकी खुशी पर जिन्होंने झुठलाया
 हमारे हुक्मों को और जो यकीन नहीं
 करते आखिरत का, और वे अपने स्व के
 बराबर करते हैं औरों को। (150) ❀

इसकी तरफ़ इशारा कर रहा है)। फिर अगर (इतिफ़ाक़ से किसी को फ़र्जी झूठे गवाह बनाकर ले आयेँ और) वे (गवाह इसकी) गवाही (भी) दे दें तो (चूँकि वह गवाही यकीनन बेक़ायदा और ख़ाली बात बनाना होगा, क्योंकि देखना भी नहीं पाया जा रहा और न देखने के बराबर कोई चीज़ सामने आ रही है, इसलिये) आप उस गवाही को न सुनें। और (जब उनका झूठा होना वाज़ेह है जैसा कि 'व ला हरमना' से ज़ाहिर है, और इसी तरह 'व कज़ालि-क कज़्ज़बल्लज़ी-न....' इस पर दलालत कर रहा है, और बहुत सी आयतों से उनका आख़िरत का इनकारी और मुश्रिक होना ज़ाहिर है तो ऐ मुखातब!) ऐसे लोगों के बातिल ख़्यालात की (जिनका बातिल और ग़लत होना अभी साबित हो चुका) पैरवी मत करना जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं और जो आख़िरत पर इमّान नहीं रखते (और इसी सबब से निडर होकर हक़ की तलाश नहीं करते) और वे (इबादत का हक़दार होने में) अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते (यानी शिर्क करते) हैं।

قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ

شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ،
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمًا
فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

कुल तआलौ अतलु मा हर-म रब्बुकुम्
अलैकुम् अल्ला तुशिरकू बिही
शैअव-व बिल्वालिदैनि इहसानन् व
ला तक्तुलू औ लादकुम् मिन्
इम्लाकिन्, नहनु नरज़ुकुकुम् व
इय्याहुम् व ला तक्रबुल्-फवाहि-श
मा ज-ह-र मिन्हा व मा ब-त-न व
ला तक्तुलुन्नफ्सल्लती हरमल्लाहु

तू कह- तुम आओ मैं सुना दूँ जो हराम
किया है तुम पर तुम्हारे रब ने, कि शरीक
न करो उसके साथ किसी चीज़ को, और
माँ-बाप के साथ नेकी करो और मार न
डालो अपनी औलाद को ग़रीबी की वजह
से, हम रिज़क़ देते हैं तुमको और उनको,
और पास न जाओ बेहयाई के काम के
जो ज़ाहिर हो उसमें से और जो छुपा हो,
और मार न डालो उस जान को जिसको

खुलासा-ए-तफसीर

ये मुशिरक यूँ कहने को हैं कि अगर अल्लाह तआला को (बतौर रज़ा के यह मामला) मन्ज़ूर होता (कि हम शिर्क और चीज़ों को हराम न करें, यानी अल्लाह तआला शिर्क न करने और चीज़ों को हराम न करने को पसन्द करते और शिर्क व हराम करने को नापसन्द करते) तो न हम शिर्क करते और न हमारे बाप-दादा (शिर्क करते), और न हम (और न हमारे बुजुर्ग) किसी चीज़ को (जिनका जिक्र ऊपर आ चुका है) हराम कह सकते। (इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला इस शिर्क व हराम करने से नाराज़ नहीं। अल्लाह तआला जवाब देते हैं कि यह दलील पकड़ना और तर्क देना इसलिये ग़लत है कि इससे रसूलों का झुठलाना लाज़िम आता है, पस ये लोग रसूल को झुठला रहे हैं, और जिस तरह यह कर रहे हैं) इसी तरह जो (काफिर) लोग इनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने भी (रसूलों को) झुठलाया था, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अज़ाब का मज़ा चखा (चाहे दुनिया में, जैसा कि अक्सर पहले काफिरों पर अज़ाब नाज़िल हुआ है, या मरने के बाद तो ज़ाहिर ही है। और यह इशारा है इस तरफ़ कि उन लोगों के कुफ़्रिया काम और बातों के मुक़ाबले में सिर्फ़ जुबानी जवाब और मुनाज़ारे पर बस न किया जायेगा, बल्कि पहले वालों की तरह अमली सज़ा भी दी जायेगी, चाहे दुनिया में भी या सिर्फ़ आख़िरत में। आगे दूसरे जवाब देने के लिये इरशाद है कि) आप (उनसे) कहिए कि क्या तुम्हारे पास (इस मुक़द्दमे पर कि किसी काम को कर लेने की क़ुदरत देना इस बात को लाज़िम है कि उससे अल्लाह खुश है) कोई दलील है? (अगर है) तो उसको हमारे सामने ज़ाहिर करो। (असल यह है कि दलील वगैरह कुछ भी नहीं) तुम लोग सिर्फ़ ख़्याली बातों पर चलते हो, और तुम बिल्कुल अटकल से बातें बनाते हो।

(और दोनों जवाब देकर) आप (उनसे) कहिए कि पस (दोनों जवाबों से मालूम हुआ कि) पूरी हुज्जत अल्लाह ही की रही (और तुम्हारी हुज्जत बातिल हो गयी) फिर (इसका तकाज़ा तो यह था कि तुम सब राह पर आ जाते मगर इसकी तौफ़ीक़ खुदा ही की तरफ़ से है) अगर वह चाहता तो तुम सब को राह (सही रास्ते) पर ले आता (मगर हक़ तआला की बहुत सी हिक्मतें हैं, किसी को तौफ़ीक़ दी किसी को नहीं दी, अलबत्ता हक़ का इज़हार और इख़्तियार व इरादे का अता फ़रमाना सब के लिये आम है। आगे नकली (यानी कित्ताबी या शरई तौर पर बयान हुई) दलील के मुतालबे के लिये इरशाद फ़रमाते हैं कि) आप (उनसे) कहिए कि (अपनी अक्ली दलील का हाल तो तुमको मालूम हुआ, अच्छा अब कोई सही दलीले नकली पेश करो जैसे) अपने गवाहों को लाओ जो इस बात पर (बाक़ायदा) गवाही दें कि अल्लाह तआला ने इन (जिक्र की हुई चीज़ों) को हराम कर दिया है। (बाक़ायदा गवाही वह है जो देखने पर आधारित हो या ऐसी निश्चित दलील पर जो यकीन का फ़ायदा देने में देखने के बराबर हो, जैसा कि:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَضَعَكُم

इल्ला बिल्हिक, ज़ालिकुम् वस्साकुम्
 बिही लअल्लकुम् तअकिलून (151)
 व ला तकरबू मालल्-यतीमि इल्ला
 बिल्लती हि-य अस्सनु हत्ता यब्लु-ग
 अशुद्दहू व औफुल्-कै-ल वल्मीज़ा-न
 बिल्किस्ति ला नुकल्लिफु नफ़सन्
 इल्ला वुसअहा व इज़ा कुल्लुम्
 फअदिलू व लौ का-न ज़ा कुरबा व
 बि-अहिदल्लाहि औफू, ज़ालिकुम्
 वस्साकुम् बिही लअल्लकुम्
 तजक्कसून (152) व अन्-न हाज़ा
 सिराती मुस्तकीमन् फत्तबिअहु व ला
 तत्तबिअुस्सुबु-ल फ-तफ़र-क बिकुम्
 अन् सबीलिही, ज़ालिकुम् वस्साकुम्
 बिही लअल्लकुम् तत्तकून (153)

हराम किया है अल्लाह ने मगर हक पर,
 तुमको यह हुक्म किया है ताकि तुम
 समझो। (151) और पास न जाओ यतीम
 के माल के मगर इस तरह से कि बेहतर
 हो, यहाँ तक कि पहुँच जाये वह अपनी
 जवानी को और पूरा करो माप और तौल
 को इन्साफ़ से, हम किसी के जिम्मे वही
 चीज़ लाज़िम करते हैं जिसकी उसको
 ताकत हो, और जब बात कहो तो हक
 की कहो अगरचे वह अपना करीब ही हो,
 और अल्लाह का अहद पूरा करो, तुमको
 यह हुक्म कर दिया है ताकि तुम नसीहत
 पकड़ो। (152) और हुक्म किया कि यह
 राह है मेरी सीधी, सो इस पर चलो,
 और मत चलो और रस्तों पर कि तुमको
 जुदा कर देंगे अल्लाह के रास्ते से, यह
 हुक्म कर दिया है तुमको ताकि तुम बचते
 रहो। (153)

खुलासा-ए-तफसीर

आप (उनसे) कहिए कि आओ मैं तुमको वो चीज़ें पढ़कर सुनाऊँ जिनको तुम्हारे रब ने तुम
 पर हराम फरमाया है, वो (चीज़ें ये हैं कि एक) यह कि अल्लाह तआला के साथ किसी चीज़को
 शरीक मत ठहराओ (पस शरीक ठहराना हराम हुआ)। (दूसरे यह कि) और माँ-बाप के साथ
 एहसान किया करो (पस उनसे बुरे अन्दाज़ से पेश आना और बुरा व्यवहार करना हराम हुआ)।
 और (तीसरे यह कि) अपनी आलाद को गुर्बत व तंगी के सबब (जैसा कि जाहिलीयत में अक्सर
 आदत थी) कत्ल मत किया करो, (क्योंकि) हम तुमको और उनको (दोनोंको तयशुदा) रिज्क
 देंगे, (वे तुम्हारे निर्धारित रिज्क में शरीक नहीं हैं, फिर क्यों कत्ल करते हो? पस कत्ल करना
 हराम हुआ)। और (चौथे यह कि) बेहयाई (यानी बदकारी) के जितने तरीके हैं उनके पास भी
 मत जाओ (पस जिना करना हराम हुआ), चाहे वे खुले तौर पर हों या छुपे तौर पर हों, (वो
 तरीके यही हैं)। और (पाँचवे यह कि) जिसका खून करना अल्लाह तआला ने हराम कर दिया है

उसको कत्ल मत करो मगर (शरई) हक पर (कत्ल जायज है। जैसे खून के बदले खून में या शादीशुदा होने की सूरत में जिना करने और उसके साबित हो जाने पर संगसार करने में। पस नाहक कत्ल करना हराम हुआ)। इस (सब) का तुमको (अल्लाह तआला ने) ताकीदी (यानी बहुत जोर देकर) हुक्म दिया है ताकि तुम (इनको) समझो (और समझकर अमल कसो)।

और (छठे यह कि) यतीम के माल के पास मत जाओ (यानी उसमें तसरुफ मत करो) मगर ऐसे तरीके से (इख्तियार चलाने और खर्च करने की इजाजत है) जो कि (शरई तौर पर) अच्छा और पसन्दीदा है (जैसे उसके काम में लगाना, उसकी हिफाजत करना, और कुछ सरपरस्तों और वसीयत वालों को इसमें यतीम के लिये तिजारत करने की भी इजाजत है) यहाँ तक कि वह अपने बालिग होने की उम्र को पहुँच जाए (उस वक्त तक इन जिक्र हुए तसरुफात की भी इजाजत है, और फिर उसका माल उसको दे दिया जायेगा शर्त यह कि वह बेअकल और नासमझ न हो। पस यतीम के माल में गैर-शरई दखल-अन्दाजी और खर्च करना हराम हुआ)। और (सातवें यह कि) नाप और तौल पूरी-पूरी किया करो इन्साफ के साथ (कि किसी का हक अपने पास न रहे, और न आये, पस इसमें दगा करना हराम हुआ। और ये अहकाम कुछ कठिन और मुश्किल नहीं, क्योंकि) हम (तो) किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा (अहकाम की) तकलीफ (भी) नहीं देते (फिर क्यों इन अहकाम में कोताही की जाये)। और (आठवें यह कि) जब तुम (फैसला या गवाही वगैरह के मुताल्लिक कोई) बात किया करो तो (उसमें) इन्साफ (का ख्याल) रखा करो, चाहे वह शख्स (जिसके मुकाबले में वह बात कह रहे हो तुम्हारा) रिश्तेदार ही हो (पस खिलाफे इन्साफ करना हराम हुआ)। और (नौवें यह कि) अल्लाह तआला से जो अहद किया करो (जैसे कसम या मन्नत वगैरह बशर्ते कि वह जायज हो) उसको पूरा किया करो (पस इसका पूरा न करना हराम हुआ)। इन (सब) का तुमको अल्लाह तआला ने ताकीदी (बहुत सख्ती और जोरदार अन्दाज़ में) हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखो (और अमल करो)।

और यह (भी कह दीजिए) कि (कुछ इन्हें अहकाम की तख्सीस नहीं बल्कि) यह दीन (इस्लाम और इसके तमाम अहकाम) मेरा रास्ता है, (जिसकी तरफ मैं अल्लाह के हुक्म से दावत देता हूँ) जो कि (बिल्कुल) सीधा (और सही) है, सो इस राह पर चलो और दूसरी राहों पर मत चलो कि वो (राहें) तुमको उसकी (यानी अल्लाह की) राह से (जिसकी तरफ मैं दावत देता हूँ) जुदा (और दूर) कर देंगी। इसका तुमको अल्लाह तआला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम (इस राह के खिलाफ करने से) एहतियात रखो।

मआरिफ व मसाइल

इन आयतों से पहले तकरीबन दो तीन रूकूअ में लगातार यह सज्मून बयान हो रहा है कि गाफिल और जाहिल इनसान ने जमीन व आसमान की सारी चीजों के पैदा करने वाले अहकमुल-हाकिमीन का नाजिल किया हुआ कानून छोड़कर अपने बाप-दादा की और मन-घढ़त रस्मों को अपना दीन बना लिया। जिन चीजों को अल्लाह तआला ने हराम किया था उनको जायज

समझकर इस्तेमाल करने लगे, और बहुत सी चीजें जिनको अल्लाह तआला ने हलाल करार दिया था उनको अपने ऊपर हराम कर लिया। और कुछ चीजों को मर्दों के लिये जायज़ और औरतों के लिये हराम, कुछ को औरतों के लिये हलाल और मर्दों के लिये हराम करार दे दिया।

इन तीन आयतों में उन चीजों का बयान है जिनको अल्लाह तआला ने हराम करार दिया है। तफसीली बयान में नौ चीजों का जिक्र है, उसके बाद दसवाँ हुक्म इस तरह बयान फरमाया गया कि:

هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

“यानी यह दीन मेरा सीधा रास्ता है, इस पर चलो।”

जिसमें रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लाये हुए और बतलाये हुए दीन व शरीअत की तरफ इशारा करके तमाम हलाल व हराम और जायज़ व नाजायज़, मक्रूह व मुस्तहब (नापसन्द और पसन्दीदा) चीजों की तफसील को इसके हवाले कर दिया कि शरीअते मुहम्मदिया ने जिस चीज को हलाल बतलाया उसको हलाल और जिसको हराम करार दिया उसको हराम समझो, अपनी तरफ से हलाल व हराम के फैसले न करते फिरो।

फिर जिन दस चीजों का तफसीली बयान इन आयतों में आया है उनमें असल मक़सद तो हराम चीजों का बयान करना है, जिसका तकाज़ा यह था कि उन सब को मना करने के लफज़ से मनाही के उनवान से बयान किया जाता, लेकिन कुरआने करीम ने अपने खास हकीमाना अन्दाज़ के मातहत उनमें से चन्द चीजों को हुक्म देने के अलफ़ाज़ में बयान फरमाया है और मुराद यह है कि इसके खिलाफ़ करना हराम है। (तफसीरे कश्शाफ़) इसकी हिक्मत आगे मालूम हो जायेगी। वो दस चीजें जिनकी हुर्मत (हराम होने) का बयान इन आयतों में आया है ये हैं:

1. अल्लाह तआला के साथ इबादत व इताअत में किसी को शरीक व साझी ठहराना।
2. माँ-बाप के साथ अच्छा बर्ताव न करना।
3. ग़रीबी व तंगदस्ती के डर से औलाद को क़त्ल कर देना।
4. बेहयाई के काम करना।
5. किसी को नाहक़ क़त्ल करना।
6. यतीम का माल नाजायज़ तौर पर खा जाना।
7. नाप-तौल में कमी करना।
8. गवाही या फैसला या दूसरे कलाम में बेइन्साफी करना।
9. अल्लाह तआला के अहद को पूरा न करना।
10. अल्लाह तआला के सीधे रास्ते का छोड़कर दायें बायें दूसरे रास्ते इख्तियार करना।

जिक्र हुई आयतों की अहम विशेषतायें

हज़रत कअब अहबार रस्मतुल्लाहि अलैहि जो तौरात के माहिर आलिम हैं। पहले यहूदी थे फिर मुसलमान हुए, वह फरमाते हैं कि कुरआन मजीद की ये आयतें जिनमें दस हराम चीजों का

बयान है, अल्लाह की किताब तौरात बिस्मिल्लाह के बाद इन्हीं आयतों से शुरू होती है। और कहा गया है कि यही वो दस कलिमे हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए थे।

कुरआन के व्याख्यापक हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि यही वो मोहकम आयतें हैं जिनका जिक्र सूर: आले इमरान में आया है कि जिन पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल-अम्बिया हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक तमाम अम्बिया की शरीअतें सहमत रही हैं। इनमें से कोई चीज़ किसी मज़हब व मिल्लत और किसी शरीअत में मन्सूख (रद्द व निरस्त) नहीं हुई। (तफसीर बहरे मुहीत)

ये आयतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वसीयत नामा हैं

और तफसीर इब्ने कसीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है, उन्होंने फ़रमाया कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ऐसा वसीयत नामा देखना चाहे जिस पर आपकी मोहर लगी हुई हो तो वह इन आयतों को पढ़ ले। इनमें वह वसीयत मौजूद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उम्मत को दी है।

और हाकिम ने हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा-ए-किराम को खिताब करके फ़रमाया: "कौन है जो मुझसे तीन आयतों पर बैअत करे।" फिर यही तीन आयतें तिलावत फ़रमाकर इरशाद फ़रमाया कि "जो शख्स इस बैअत को पूरा करेगा तो उसका अज़्र अल्लाह तआला के जिम्मे हो गया।"

अब इन दस चीज़ों का तफसीली बयान और तीनों आयतों की तफसीर देखिये। इन आयतों की शुरूआत इस तरह की गयी है:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ

इसमें "तआलौ" का तर्जुमा है "आ जाओ" और असल में यह कलिमा ऐसे वक़्त बोला जाता है जबकि कोई बुलाने वाला ऊँची जगह खड़ा होकर नीचे वालों को अपने पास बुलाये। इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि इस दावत को कुबूल करने में उन लोगों के लिये बरतरी और बुलन्दी है। मायने ये है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिताब करके फ़रमाया गया कि आप इन लोगों से कह दीजिए कि आ जाओ ताकि मैं तुम्हें वो चीज़ें पढ़कर सुना दूँ जो अल्लाह तआला ने तुम पर हराम की हैं। ये डायरेक्ट अल्लाह तआला की तरफ से आया हुआ पैग़ाम है, इसमें किसी के अन्दाज़े और गुमान या क्यास का दखल नहीं, ताकि तुम उनसे बचने का एहतिमाम करो और बेकार में अपनी तरफ से अल्लाह की हलाल चीज़ों को हराम करते न फ़िरो।

इस आयत का खिताब अगरचे डायरेक्ट मक्का के मुशिकों की तरफ़ है, मगर खिताब का मज़मून आम है, और तमाम इनसानों को शामिल है, चाहे मोमिन हों या काफ़िर, अरब हों या गैर-अरब, और मौजूदा हाज़िर लोग हों या आईन्दा आने वाली नस्लें। (तफ़सीर बहरे मुहीत)

सबसे पहला बड़ा गुनाह शिर्क है जिसको हराम किया गया है

इस एहतिमाम के साथ खिताब करके हराम व मना की गयी चीज़ों की फ़ेहरिस्त में सबसे पहले यह इरशाद फ़रमाया:

الْأَشْرُكُ أَيْبَهُ شَيْئًا

यानी सबसे पहला काम यह है कि अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक और साझी न समझो। न अरब के मुशिकों की तरह बुतों को खुदा बनाओ, न यहूदियों व ईसाईयों की तरह नबियों को खुदा या खुदा का बेटा कहो, न दूसरों की तरह फ़रिश्तों को खुदा की बेटियाँ करार दो, न जाहिल अ़वाम की तरह नबियों और वलियों को इल्म व कुदरत की सिफ़त में अल्लाह तआला के बराबर करार दो।

शिर्क का मतलब और उसकी किस्में

तफ़सीरे मज़हरी में है कि लफ़ज़ "शैअन" (किसी चीज़ को) के मायने यहाँ यह भी हो सकते हैं कि शिर्क की किसी किस्म खुली या छुपी में मुब्तला न हो। खुले शिर्क को तो सब जानते हैं कि किसी ग़ैरुल्लाह को इबादत और इत्ताअत में या उसकी मख़सूस सिफ़ात में अल्लाह तआला के बराबर या उसका साझी करार देना है, और छुपा शिर्क यह है कि अपने कारोबार और दीनी व दुनियावी मक़ासिद (मामलात और उद्देश्यों) में और नफ़े नुक़सान में अगरचे अक़ीदा तो यही हो कि कारसाज़ अल्लाह तआला है, मगर अमली तौर पर दूसरों को कारसाज़ समझे और सारी कोशिशें दूसरों ही से लगाकर रखे। या इबादत में रियाकारी करे कि दूसरों को दिखाने के लिये नमाज़ वग़ैरह को अच्छा करके पढ़े, या सदका ख़ैरात नामापाने के ख़्याल से करे, या अमली तौर पर नफ़े नुक़सान का मालिक किसी ग़ैरुल्लाह को करार दे। शैख़ सअदी रह. ने इसी मज़मून को इस तरह ब़यान फ़रमाया है:

दरी नौए अज़ शिर्क पौशीदा अस्त कि ज़ैदम ब-बख़्शीद व उमरम् बख़स्त
यानी इसमें भी एक किस्म का शिर्क छुपा हुआ है कि आदमी यूँ समझे कि मुझे ज़ैद ने कुछ
बख़्श दिया और उमर ने नुक़सान पहुँचा दिया।

बल्कि हकीकत इसके सिवा नहीं कि बख़्शिश या नुक़सान जो कुछ है वह कादिर मुतलक
हक़ तआला की तरफ़ से है, ज़ैद और उमर पर्दे हैं जिनके अन्दर से बख़्शिश या नुक़सान का
ज़हर होता है, वरना जैसा कि सही हदीस में है कि अगर सारी दुनिया के तमाम जिन्नात व
इनसान मिलकर तुमको कोई ऐसा नफ़ा पहुँचाना चाहें जो अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये मुक़दर
नहीं फ़रमाया तो मजाल नहीं कि पहुँचा सकें। इसी तरह अगर सारी दुनिया के जिन्नात व

इनसान मिलकर तुमको कोई ऐसा नुकसान पहुँचाना चाहें जो अल्लाह तआला ने नहीं चाहा तो यह भी किसी से मुम्किन नहीं।

खुलासा यह है कि खुला शिर्क और छुपा शिर्क दोनों से इन्तिहाई परहेज करना चाहिये, और शिर्क में जिस तरह बुतों वगैरह की पूजा-पाट दाखिल है इसी तरह अम्बिया व औलिया को इल्म व कुदरत वगैरह में अल्लाह तआला के बराबर समझना भी शिर्क में दाखिल है। अगर खुदा न करे किसी का अकीदा ही ऐसा हो तो खुला और जाहिरी शिर्क है, और अकीदा न हो मगर अमल इस तरह का है तो छुपा और अन्दरूनी शिर्क कहलायेगा। इस मकाम में सबसे पहले शिर्क से बचने की हिदायत की गयी है, वजह यह है कि शिर्क ऐसा जुर्म है जिसके बारे में कुरआन का फैसला है कि इसकी माफी नहीं, इसके सिवा दूसरे गुनाहों की माफी विभिन्न असबाब से हो सकती है। इसी लिये हदीस में हजरत उबादा बिन सामित रजियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू दर्दा रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- अल्लाह तआला के साथ किसी को साझी न करार दो अगरचे तुम्हारे टुकड़े कर दिये जायें, या तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाये, या तुम्हें जिन्दा जला दिया जाये।

दूसरा गुनाह माँ-बाप से बदसलूकी है

इसके बाद दूसरी चीज़ यह इरशाद फरमाई:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

यानी माँ-बाप के साथ एहसान का मामला और अच्छा बर्ताव करो। मकसद तो इस जगह यह है कि माँ-बाप के साथ एहसान का मामला करो, इसमें इस तरफ इशारा करना है कि माँ-बाप के हक में सिर्फ इतना ही काफी नहीं कि उनकी नाफरमानी न करो और तकलीफ न पहुँचाओ, बल्कि अच्छे सुलूक और आजिजी वाले बर्ताव के जरिये उनको राजी रखना और खुश रखना फर्ज है, जिसका बयान दूसरी जगह कुरआने करीम में इस तरह आया है:

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ.

“यानी उनके सामने अपने बाजू फरमाँबरदारी के तौर पर पस्त करो।”

इस आयत में माँ-बाप को तकलीफ पहुँचाने और सताने को शिर्क के बाद दूसरे नम्बर का जुर्म करार दिया है, जैसा कि एक दूसरी आयत में उनकी इताअत और आराम पहुँचाने को अल्लाह तआला ने अपनी इबादत के साथ मिलाकर बयान फरमाया है:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

“यानी आपके रब ने यह फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो, और माँ-बाप के साथ एहसान का मामला करो।”

और एक जगह इरशाद फरमाया:

أَنِ اشْكُرْ لِي وَرَبِّكَ إِلَى الْمَصِيرِ.

“यानी मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ-बाप का, फिर मेरी ही तरफ लौटकर आना है।” यानी अगर इसके खिलाफ करोगे तो सज़ा पाओगे।

बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु-की रिवायत है कि उन्होंने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि सबसे अफज़ल और बेहतर अमल कौनसा है? आपने फ़रमाया “नमाज़ को उसके (मुस्तहब) वक़्त में पढ़ना।” फ़रमाते हैं कि मैंने फिर सवाल किया कि इसके बाद कौनसा अमल अफज़ल है? तो फ़रमाया “माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक।” फिर पूछा कि इसके बाद कौनसा अमल है? फ़रमाया “अल्लाह के रास्ते में जिहाद।”

सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मज़कूर है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन मर्तबा फ़रमाया:

رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ.

यानी ज़लील हो गया, ज़लील हो गया, ज़लील हो गया।

सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! कौन ज़लील हो गया? फ़रमाया वह शख्स जिसने अपने माँ-बाप को या उनमें से एक को बुढ़ापे के ज़माने में पाया और फिर वह जन्नत में दाखिल न हुआ।

मतलब यह है कि बुढ़ापे के ज़माने में माँ-बाप की खिदमत से जन्नत का मिलना यकीनी है। बड़ा मेहरूम व ज़लील है वह शख्स जिसने इतनी सस्ती जन्नत को हाथ से खो दिया। सस्ती इसलिये कि माँ-बाप जो औलाद पर तबई तौर से खुद ही मेहरबान होते हैं वे ज़रा सी खिदमत से बहुत खुश हो जाते हैं, उनका खुश रखना किसी बड़े अमल का मोहताज नहीं। और बुढ़ापे की कैद इसलिये कि जिस वक़्त माँ-बाप तन्दुरुस्त और ताक़तवर हैं, और अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करते हैं बल्कि औलाद की भी माली और जानी इमदाद कर देते हैं उस वक़्त तो न खिदमत के वे मोहताज हैं न उस खिदमत का कोई खास वज़न है, काबिले कद्र खिदमत उस वक़्त ही हो सकती है जबकि वे बुढ़ापे की वजह से मोहताज (ज़रूरत मन्द) हों।

तीसरा हराम, औलाद का क़त्ल करना

तीसरी चीज़ जिसका हराम होना इन आयतों में बयान हुआ है वह औलाद का क़त्ल है, और मुनासबत यह है कि इससे पहले माँ-बाप के हक़ का बयान था जो औलाद के जिम्मे है और इसमें औलाद के हक़ का बयान है जो माँ-बाप के जिम्मे है। औलाद के साथ बदसुलूकी का बदतरिन मामला वह था जो जाहिलीयत में उसका जिन्दा दफ़न करने या क़त्ल करने का जारी था। इस आयत में इससे रोका गया है। इरशाद फ़रमाया:

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ. نَحْنُ نَرِزُقُكُمْ وَاَبَاءَكُمْ.

“यानी गुर्बत की वजह से अपनी औलाद को क़त्ल न करो, हम तुमको भी रिज़क देंगे और उनको भी।”

जाहिलीयत के ज़माने में बेरहमी और संगदिली की यह बदतरीन रस्म चल पड़ी थी कि जिसके घर में लड़की पैदा होती तो उसको इस शर्म के ख़ौफ़ से कि किसी को दामाद बनाना पड़ेगा, जिन्दा को गड्ढे में दफ़न कर देते थे, और कई बार इस ख़ौफ़ से कि औलाद के लिये जिन्दगी की ज़रूरतें और खाने-पीने का सामान जमा करने में मुश्किलें पेश आयेंगी, ये संगदिल लोग अपने बच्चों को अपने हाथ से क़त्ल कर देते थे। कुरआने करीम ने इस रस्म को मिटाया और जो इरशाद ऊपर मज़कूर हुआ उसमें उनके इस ज़ेहनी रोग का भी इलाज कर दिया, जिसके सबब वे इस बदतरीन जुर्म के अपराधी होते थे कि बच्चों को खाना कहाँ से खिलायेंगे, अल्लाह तआला ने इस आयत में बतला दिया कि खाना खिलाने और रिज़्क पहुँचाने के असली जिम्मेदार तुम नहीं, यह काम डायरेक्ट हक़ तआला का है, तुम खुद अपने रिज़्क और खाने में भी उसी के मोहताज हो, वह देता है तो तुम बच्चों को भी दे देते हो, वह अगर तुम्हें न दे तो तुम्हारी क्या मजाल है कि एक दाना गेहूँ या चावल का खुद पैदा कर लो। ज़मीन के अन्दर से बीज को एक कौंपल की सूरत में मनों मिट्टी को चीर-फाड़कर निकालना फिर उसको दरख़्त की सूरत देना, फिर उस पर फूल-फल लगाना किसका काम है? क्या माँ-बाप यह काम कर सकते हैं? यह तो सब कादिर मुतलक की क़ुदरत व हिक्मत के करिश्मे हैं, इन्सान के अमल का इसमें क्या दख़ल है। वह तो सिर्फ़ इतना कर सकता है कि ज़मीन को नर्म कर दे और दरख़्त निकले तो पानी दे दे और उसकी हिफ़ाज़त कर ले, मगर फूल-फल पैदा करने में तो उसका मामूली सा भी दख़ल नहीं। मालूम हुआ कि माँ-बाप की यह सोच ग़लत है कि हम बच्चों को रिज़्क देते हैं, बल्कि अल्लाह तआला ही के ग़ैब के ख़ज़ाने से माँ-बाप को भी मिलता है, औलाद को भी। इसलिये इस जगह माँ-बाप को पहले ज़िक्र किया कि हम तुमको भी रिज़्क देंगे और उनको भी। माँ-बाप को पहले लाने में इसकी तरफ़ भी इशारा हो सकता है कि तुमको रिज़्क इसलिये दिया जाता है कि तुम बच्चों को पहुँचाओ, ज़ैसा कि एक हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

إِنَّمَا نَصْرُونَ وَتَرْزُقُونَ بِضَعْفَاءِ كُمْ

“यानी तुम्हारे कमज़ोर लोगों के तुफ़ैल में अल्लाह तआला तुम्हारी भी मदद फ़रमाते हैं और तुम्हें रिज़्क देते हैं।”

कुरआने करीम में सूर: बनी इस्राईल में भी यही मज़मून इरशाद फ़रमाया गया है। मगर वहाँ रिज़्क के मामले में औलाद को पहले ज़िक्र फ़रमाया है:

نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

“यानी हम उनको भी रिज़्क देंगे और तुमको भी।”

इसमें भी इसकी तरफ़ इशारा है कि रिज़्क देने के पहले मुस्तहिक़ हमारे नज़दीक वे कमज़ोर बच्चे हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं की खातिर तुम्हें रिज़्क दिया जाता है।

औलाद की तालीमी अख़्लाकी तरबियत न करना और बेदीनी के लिये आज़ाद छोड़ देना भी एक तरह से औलाद का क़त्ल है

औलाद के क़त्ल का जुर्म और सख़्त गुनाह होना जो इस आयत में बयान फ़रमाया गया है वह ज़ाहिरी क़त्ल करने और मार डालने के लिये तो ज़ाहिर ही है, और ग़ौर किया जाये तो औलाद को तालीम व तरबियत न देना जिसके नतीजे में खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आख़िरत की फ़िक्र से ग़ाफ़िल रहे, बद-अख़्लाकियों और बेहयाईयों में गिरफ़्तार हो यह भी औलाद के क़त्ल से कम नहीं। कुरआने करीम ने उस शख्स को मुर्दा करार दिया है जो अल्लाह को न पहचाने, और उसकी इताअत न करे। आयत:

أَوْ مَن كَانَ مِيثًا فَاجْتَنَهُ.

में इसी का बयान है। जो लोग अपनी औलाद के आमाल व अख़्लाक के दुरुस्त करने पर तवज्जोह नहीं देते उनको आज़ाद छोड़ते हैं, या ऐसी ग़लत तालीम दिलाते हैं जिसके नतीजे में इस्लामी अख़्लाक तबाह हों वे भी एक हैसियत से औलाद को क़त्ल करने के मुजरिम हैं। और ज़ाहिरी क़त्ल का असर तो सिर्फ़ दुनिया की चन्द दिन की ज़िन्दगी को तबाह करता है, यह क़त्ल इन्सान की आख़िरत की और हमेशा की ज़िन्दगी को तबाह कर देता है।

चौथा हराम बेहयाई का काम है

चौथी चीज़ जिसके हराम होने का इन आयतों में बयान है वो बेहयाई के काम हैं। इसके मुताल्लिक़ इरशाद फ़रमाया:

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ.

यानी बेहयाई के जितने तरीके हैं उनके पास भी मत जाओ, चाहे वो खुले तौर पर हों या छुपे तौर पर।

'फ़वाहिश' फ़ाहिशा की जमा है, और लफ़ज़ फ़ुहश, फ़हशा और फ़ाहिशा सब मस्दर हैं जिनका उर्दू में तर्जुमा बेहयाई से किया जाता है। और कुरआन व हदीस की परिभाषा में हर ऐसे बुरे काम के लिये ये अलफ़ाज़ बोले जाते हैं जिसकी बुराई और ख़राबी के असरात बुरे हों और दूर तक पहुँचें। इमाम राग़िब रहमतुल्लाहि अलैहि ने "मुफ़दातुल-कुरआन" में और इब्ने असीर ह. ने निहाया में यही मायने बयान फ़रमाये हैं। कुरआने करीम में जगह-जगह फ़ुहश और फ़हशा की मनाही आई है। एक आयत में इरशाद है:

يَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

एक जगह इरशाद है:

حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ.

वगैरह।

फुहश और फहशा के इस अमाम मफहूम में तमाम बड़े गुनाह दाखिल हैं, चाहे ज़बान और कहने से मुताल्लिक हों या कामों से। और ज़ाहिर से मुताल्लिक हों या बातिन और दिल से। बदकारी और बेहयाई के जितने काम हैं वो भी सब इसमें दाखिल हैं। इसी लिये आम ज़बानों पर यह लफज़ बदकारी के मायने में बोला जाता है। कुरआन की इस आयत में फ़वाहिश के करीब जाने से भी रोका गया है, इसको अगर आम मफहूम में लिया जाये तो तमाम बुरी खस्ततें और गुनाह चाहे ज़बान के हों चाहे हाथ-पाँव वगैरह के, और चाहे दिल से मुताल्लिक हों, सभी इसमें दाखिल हो गये। और अगर अमाम में मशहूर यानी बेहयाई के मायने लिये जायें तो इसके मायने बदकारी और उसकी तरफ़ ले जाने वाले असबाब मुराद होंगे।

फिर इसी आयत में फ़वाहिश की तफ़सीर में यह भी फ़रमा दिया:

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

पहली तफ़सीर के मुताबिक़ ज़ाहिरी फ़वाहिश से ज़बान और हाथ-पाँव वगैरह के तमाम गुनाह मुराद होंगे, और बातिनी फ़वाहिश से मुराद वो गुनाह होंगे जो दिल से मुताल्लिक हैं, जैसे हसद, कीना, हिर्स, नाशुक्री, बेसब्री वगैरह।

और दूसरी तफ़सीर के मुताबिक़ ज़ाहिरी फ़वाहिश से मुराद वो बेहयाई के काम होंगे जिनको खुलेआम किया जाता है, और बातिनी वो जो छुपाकर किये जायें। खुली बदकारी में उसकी तरफ़ ले जाने वाली चीज़ें या उसके साथ की दूसरी बुराईयाँ सब दाखिल हैं। बुरी नीयत से किसी औरत की तरफ़ देखना, हाथ वगैरह से छूना, उससे इस तरह की बातें करना सब इसमें दाखिल हैं, और बातिनी बेहयाई में वो ख्यालात और इरादे और उनको पूरा करने की खुफ़िया तदबीरें दाखिल हैं जो किसी बेहयाई और बदकारी के सिलसिले में अमल में लाई जायें।

और कुछ मुफ़त्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया कि ज़ाहिरी फ़वाहिश से वो बेहयाई के काम मुराद हैं जिनका बुरा होना आम तौर पर मशहूर व मालूम है और सब जानते हैं, और बातिनी फ़वाहिश से मुराद वो काम हैं जो अल्लाह के नज़दीक बेहयाई के काम हैं, अगरचे आम तौर पर उनको लोग बुरा नहीं जानते, या आम लोगों को उनका हराम होना मालूम नहीं। मसलन बीवी को तीन तलाक़ देने के बाद बीवी बनाकर रख छोड़ा या किसी ऐसी औरत से निकाह कर लिया जो शर्ई तौर पर उसके लिये हलाल नहीं।

खुलासा यह है कि यह आयत फ़वाहिश के असल मफहूम के एतिबार से तमाम ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों को और आम मशहूर मफहूम के एतिबार से बदकारी व बेहयाई के जितने तरीक़े खुले या छुपे हुए हैं उन सब को शामिल है, और हुक्म इसमें यह दिया गया है कि इन चीज़ों के पास भी न जाओ। पास न जाने से मुराद यह है कि ऐसी मज्लिसों और ऐसे जगहों से भी बचो जहाँ जाकर इसका खतरा हो कि हम गुनाह में मुब्तला हो जायेंगे, और ऐसे कामों से भी बचो जिनसे उन गुनाहों का रास्ता निकलता हो। हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

مَنْ حَامٍ حَوْلَ حِمَىٰ أَوْ شَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ

“यानी जो शख्स किसी वर्जित और प्रतिबन्धित जगह के आस-पास घूमता है तो कुछ बर्द नहीं कि वह उसमें दाखिल भी हो जाये।”

इसलिये एहतियात का तकाज़ा यही है कि जिस जगह का दाखिला मना और प्रतिबन्धित है उस जगह के आस-पास भी न फिरे।

पाँचवाँ हराम नाहक़ किसी को क़त्ल करना है

हराम होने वाली चीज़ों में से पाँचवीं चीज़ नाहक़ किसी को क़त्ल करना है। इसके बारे में इरशाद फ़रमाया:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“यानी जिस शख्स का खून अल्लाह ने हराम कर दिया है उसको क़त्ल मत करो, हाँ मगर हक़ पर।” और इस हक़ की तफ़सील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक हदीस में बयान फ़रमाई है जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बुख़ारी व मुस्लिम ने नक़ल की है, वह यह कि आपने फ़रमाया- किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं मगर तीन चीज़ों से- एक यह कि वह शादीशुदा होने के बावजूद बदकारी में मुब्तला हो जाये। दूसरे यह कि उसने किसी को नाहक़ क़त्ल कर दिया हो, उसके बदले में मारा जाये। तीसरे यह कि अपना दीने हक़ छोड़कर मुर्तद हो गया (यानी इस्लाम लाकर फिर उससे फिर गया) हो।

हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु जिस वक़्त बाग़ियों के घेरे में घिरे हुए थे और ये लोग उनको क़त्ल करना चाहते थे, उस वक़्त भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को यह हदीस सुनाकर कहा कि अल्लाह का शुक्र है मैं इन तीनों चीज़ों से बरी हूँ। मैंने इस्लाम लाने के बाद तो क्या ज़माना-ए-जाहिलीयत में भी कभी बदकारी नहीं की, और न मैंने किसी को क़त्ल किया, और न कभी मेरे दिल में यह वस्वसा (ख़्याल) आया कि मैं अपने दीने इस्लाम को छोड़ दूँ। फिर तुम मुझे किस बिना पर क़त्ल करते हो?

और बेवजह क़त्ल करना जैसे मुसलमान का हराम है इसी तरह उस ग़ैर-मुस्लिम का क़त्ल भी ऐसा ही हराम है जो किसी इस्लामी मुल्क में मुल्क के क़ानून का पाबन्द होकर रहता है, या जिससे मुसलमानों का समझौता है।

तिमिज़ी और इब्ने माज़ा में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद मन्कूल है कि जो किसी ज़िम्मी ग़ैर-मुस्लिम को क़त्ल कर दे उसने अल्लाह तआला के अहद को तोड़ दिया, और जो शख्स अल्लाह के अहद को तोड़ दे वह जन्नत की खुशबू भी न सूँघ सकेगा, हालाँकि जन्नत की खुशबू सत्तर साल की दूरी तक पहुँचती है।

इस एक आयत में दस में से पाँच हराम व नाजायज़ चीज़ों का बयान फ़रमाने के बाद

इरशाद फरमाया:

ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“यानी इन चीजों का अल्लाह तआला ने तुमको ताकीदी (ज़ोर देकर बहुत अहमियत के साथ) हुक्म दिया है ताकि तुम समझो।”

छठा हराम, यतीम का माल नाजायज़ तौर पर खाना

दूसरी आयत में छठे हुक्म यतीम का माल नाजायज़ तौर पर खाने की हुर्मत के मुताल्लिक इरशाद फरमाया:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

“यानी यतीम के माल के पास न जाओ मगर ऐसे तरीके से जो अच्छा है, यहाँ तक कि वह अपने बालिग होने की उम्र को पहुँच जाये।”

इसमें यतीम नाबालिग बच्चों के वली और पालने वाले को खिताब है कि वह उनके माल को एक आग समझे और नाजायज़ तौर पर उसके खाने और लेने के पास भी न जाये, जैसा कि दूसरी एक आयत में इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ आया है कि जो लोग यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर जुल्म से खाते हैं वे अपने पेटों में आग भरते हैं।

अलबत्ता यतीम के माल की हिफ़ाज़त करना और किसी ऐसी जायज़ तिजारात या कारोबार में लगाकर बढ़ाना जिसमें नुक़सान का ख़तरा आदतन न हो, यह तरीका अच्छा और ज़रूरी है, यतीम के वली को ऐसा करना चाहिये।

इसके बाद यतीम के माल की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी की हद बतला दी:

حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

यानी यहाँ तक कि वह अपने बालिग होने की उम्र को पहुँच जाये तो वली की ज़िम्मेदारी खत्म हो गयी, उसका माल उसके सुपर्द कर दिया जाये।

लफ़ज़ अशद् के असली मायने कुव्वत के हैं, और इसकी शुरूआत उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक बालिग हो जाने से हो जाती है। जिस वक़्त बच्चे में बालिग होने की निशानियाँ पायी जायें या उसकी उम्र पन्द्रह साल की पूरी हो जाये, उस वक़्त उसको शरई तौर पर बालिग करार दिया जायेगा।

लेकिन बालिग हो जाने के बाद यह देखा जायेगा कि उसमें अपने माल की हिफ़ाज़त और सही जगहों में खर्च करने की सलाहियत पैदा हो गयी है या नहीं, अगर सलाहियत देखी जाये तो बालिग होते ही उसका माल उसके सुपर्द कर दिया जाये, और अगर यह सलाहियत अभी उसमें मौजूद नहीं तो पच्चीस साल की उम्र तक माल की हिफ़ाज़त वली के ज़िम्मे है। इस बीच में जिस वक़्त भी उसको माल की हिफ़ाज़त और कारोबार की लियाक़त पैदा हो जाये तो माल उसको दिया जा सकता है, और अगर पच्चीस साल तक भी उसमें यह सलाहियत पैदा न हो तो

फिर इमामे आजम अबू हनीफा रस्मतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक उसका माल हर हाल में उसको दे दिया जाये, बशर्ते कि उसके अन्दर यह सलाहियत न होना दीवानगी और जुनून (पागलपन) की हद तक न पहुँची हो। और कुछ इमामों के नज़दीक उस वक़्त भी माल उसको सुपुर्द न किया जाये, बल्कि शरई काज़ी उसके माल की हिफ़ाज़त किसी जिम्मेदार आदमी के सुपुर्द कर दे।

यह मज़मून कुरआन मजीद की एक दूसरी आयत से लिया गया है, जिसमें फ़रमाया है:

أَسْتَمُّ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ -

यानी यतीम बच्चों में बालिग़ होने के बाद अगर तुम यह सलाहियत देखो कि वे अपने माल की खुद हिफ़ाज़त कर सकते हैं और किसी कारोबार में लगा सकते हैं तो उनका माल उनके सुपुर्द कर दो। इस आयत ने बतलाया कि सिर्फ़ बालिग़ होना माल सुपुर्द करने के लिये काफी नहीं, बल्कि माल की हिफ़ाज़त और कारोबार की काबलियत शर्त है।

सातवाँ हराम नाप-तौल में कमी

सातवाँ हुक्म इस आयत में नाप-तौल को इन्साफ़ के साथ पूरा करने का है। इन्साफ़ का मतलब यह है कि देने वाला दूसरे फ़रीक़ के हक़ में कोई कमी न करे और लेने वाला अपने हक़ से ज्यादा न ले। (तफ़सीर रूहुल-मआनी)

चीज़ों के लेन-देन में नाप-तौल में कमी-ज्यादती को कुरआन ने सख़्त हराम करार दिया है, और इसके खिलाफ़ करने वालों के लिये सूर: मुतफ़िफ़ीन में सख़्त वईद (धमकी) आई है।

मुफ़स्सिरे कुरआन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन लोगों को जो तिजारत में नाप-तौल का काम करते हैं ख़िताब करके इरशाद फ़रमाया कि नाप और तौल यह वो काम हैं जिनमें बेइन्साफ़ी करने की वजह से तुमसे पहले कई उम्मतें अल्लाह के अज़ाब के ज़रिये तबाह हो चुकी हैं (तुम इसमें पूरी एहतियात से काम लो)। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

अफ़सरोँ, मुलाज़िमों, मज़दूरोँ का अपनी तयशुदा ड्यूटी और जिम्मेदारी

में कोताही करना भी नाप-तौल में कमी करने के हुक्म में है

याद रहे कि नाप-तौल की कमी जिसको कुरआन में ततफ़ीफ़ कहा गया है सिर्फ़ डण्डी मारने और कम नापने के साथ मख़सूस नहीं, बल्कि किसी के जिम्मे दूसरे का जो हक़ है उसमें कमी करना भी ततफ़ीफ़ में दाख़िल है जैसा कि मुवत्ता इमाम मालिक में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि एक शख्स को नमाज़ के अरकान में कमी करते हुए देखा तो फ़रमाया कि तुमने ततफ़ीफ़ कर दी, यानी जो हक़ वाजिब था वह अदा नहीं किया। इसको नक़ल करके इमाम मालिक रस्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं:

لِكُلِّ شَيْءٍ رِفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ

यानी हक का पूरा देना और कमी करना हर चीज़ में होता है, सिर्फ नाप-तौल में ही नहीं। इससे मालूम हुआ कि जो मुलाज़िम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, वक़्त चुराता है, या काम में कोताही करता है, वह कोई वज़ीर व अमीर हो या मामूली मुलाज़िम, और वह कोई दफ़्तरी काम करने वाला हो या इल्मी और दीनी ख़िदमत, जो हक़ उसके जिम्मे है उसमें कोताही करे तो वह भी मुतफ़िफ़ीन (हक़ मारने और नाप-तौल में कमी करने) में दाख़िल है। इसी तरह मजदूर जो अपनी मुकर्ररा ख़िदमत में कोताही करे वह भी इसमें दाख़िल है।

इसके बाद फ़रमाया:

لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“यानी हम किसी शख्स को उसकी ताक़त से ज्यादा किसी चीज़ का हुक्म नहीं देते।” यानी हदीस की रिवायतों में इसका यह मतलब बयान किया गया है कि जो शख्स अपने इख़्तियार की हद तक नाप-तौल का पूरा-पूरा हक़ अदा करे तो अगर इसके बावजूद ग़ैर-इख़्तियारी तौर पर कोई मामूली कमी-बेशी हो जाये तो वह माफ़ है, क्योंकि वह उसकी कुदरत व इख़्तियार से बाहर है। और तफ़सीरे मज़हरी में है कि इस जुमले का इज़ाफ़ा करने से इशारा इस तरफ़ है कि हक़ के अदा करने के वक़्त एहतियात इसमें है कि कुछ ज्यादा दे दिया जाये, ताकि कमी का शुब्हा न रहे, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने एक ऐसे ही मौक़े पर वज़न करने वाले को हुक्म दिया कि:

زِنْ وَأَوْجِعْ

“यानी तौलो और झुकता हुका तौलो।”

(अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, सुवैद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से)

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम की आम आदत यही थी कि जिस किसी का कोई हक़ आपके जिम्मे होता तो उसके अदा करने के वक़्त उसके हक़ से जायद अदा फ़रमाने को पसन्द फ़रमाते थे, और बुख़ारी की एक हदीस में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फ़रमाया:

“अल्लाह तआला उस शख्स पर रहमत करे जो बेचने के वक़्त भी नर्म हो कि हक़ से ज्यादा दे और ख़रीदने के वक़्त भी नर्म हो कि हक़ से ज्यादा न ले, बल्कि कुछ मामूली कमी भी हो तो राज़ी हो जाये।”

मगर यह हुक्म अख़लाकी है कि देने में ज्यादा दे और लेने में कम भी ही तो इग़ड़ा करे, कानूनी चीज़ नहीं कि आदमी ऐसा करने पर मजबूर हो। इसी बात की तरफ़ इशारा करने के लिये कुरआन में यह इरशाद फ़रमाया कि हम किसी को उसकी ताक़त से ज्यादा चीज़ का हुक्म नहीं देते। यानी दूसरे को उसके हक़ से ज्यादा अदा करना और अपने हक़ में कमी पर राज़ी हो जाना कोई ज़बरी (लाज़िमी) हुक्म नहीं, क्योंकि आम लोगों को ऐसा करना आसान नहीं।

आठवाँ हुक्म अदल व इन्साफ़ है इसके खिलाफ़ करना हARAM है

इरशाद फरमाया:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ.

“यानी जब तुम बात कहो तो हक़ की कहो, अगरचे वह अपना रिश्तेदार ही हो।”

इस जगह किसी खास बात का जिक्र नहीं, इसी लिये मुफ़्तिरीन की अक्सरियत के नज़दीक यह हर किस्म की बात को शामिल है, चाहे वह बात किसी मामले की गवाही हो या हक़िम की तरफ़ से फैसला या आपस में मुक़्तलिफ़ किस्म की गुफ़्तगू, इन सब में कुरआन का इरशाद यह है कि हर जगह, हर हाल में बात करते हुए हक़ व इन्साफ़ का ख़्याल रहना चाहिये। किसी मुक़द्दमे की गवाही या फैसले में हक़ व इन्साफ़ कायम रखने के मायने ज़ाहिर हैं कि गवाह को जो बात यकीनी तौर पर मालूम है वह अपनी तरफ़ से किसी लफ़ज़ की कमी-बेशी किये बग़ैर जितना मालूम है साफ़-साफ़ कह दे, अपनी अटकल और गुमान को दख़ल न दे, और इसकी फ़िक्र न करे कि इससे किसको फ़ायदा पहुँचेगा और किसको नुक़सान। इसी तरह किसी मुक़द्दमे का फैसला करना है तो गवाहों को शर्ई उसूल पर जाँचने के बाद जो कुछ उनकी शहादत (गवाही) से तथा दूसरी किस्म के इशारात से साबित हो उसके मुताबिक़ फैसला करे, गवाही और फैसला दोनों में न किसी की दोस्ती और मुहब्बत हक़ बात कहने से रुकावट हो, और न किसी की दुश्मनी और मुख़ालफ़त। इसी लिये इस जगह यह जुमला बढ़ाया गया:

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ.

यानी अगरचे वह आदमी जिसके मुक़द्दमे की गवाही देना या फैसला करना है वह तुम्हारा रिश्तेदार ही हो, तब भी हक़ व इन्साफ़ को न गवाही में हथ से जाने दो और न फैसले में।

इस आयत के मक़सद में झूठी गवाही और हक़ के खिलाफ़ फैसले से रोकना है। झूठी गवाही के बारे में अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद नक़ल फरमाया है:

“झूठी गवाही शिर्क के बराबर है।” यह तीन मर्तबा फरमाया। और फिर यह आयत तिलावत फरमाई:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ.

“यानी बुत-परस्ती के गन्दे अकीदे से बचो और झूठ बोलने से, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बज़ाते हुए।”

इसी तरह हक़ के खिलाफ़ फैसला करने के बारे में अबू दाऊद ने हज़रत बरीदा रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद नक़ल किया है:

“काज़ी (यानी मुक़द्दमों का फैसला करने वाले) तीन किस्म के हैं- उनमें से एक जन्नत में जायेगा और दो जहन्नम में। जिसने मामले की तहकीक़ शरीअत के मुवाफ़िक़ करके हक़ को

पहचाना फिर हक़ के मुताबिक़ फैसला किया वह जन्नती है, और जिसने तहकीक़ करके हक़ बात को जान तो लिया, मगर जान-बूझकर फैसला उसके खिलाफ़ किया वह दोख़ी है। और इसी तरह वह काज़ी जिसको इल्म न हो या तहकीक़ और ग़ौर-फ़िक़्र में कमी की और जहालत (अज्ञानता) से कोई फैसला दे दिया वह भी जहन्नम में जायेगा।”

कुरआन मजीद की दूसरी आयतों में इसी मज़मून को और भी ज़्यादा स्पष्ट और ताकीद के साथ बयान फ़रमाया गया है कि गवाही या फैसले में किसी की दोस्ती, रिश्तेदारी और ताल्लुक़ का या दुश्मनी और मुख़ालफ़त का कोई असर न होना चाहिये। जैसे एक जगह इरशाद है:

وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

“यानी हक़ बात अगरचे खुद तुम्हारे खिलाफ़ हो या माँ-बाप और दूसरे रिश्तेदारों के खिलाफ़ हो, उसके कहने में रुकावट न होनी चाहिये।”

इसी तरह एक दूसरी आयत में हुक्म है:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

“यानी किसी क़ौम की दुश्मनी तुम्हें इन्साफ़ के खिलाफ़ गवाही देने या फैसला करने पर आमादा न कर दे।” और गवाही और फैसले के अलावा आपस की गुफ़्तगुओं में हक़ व इन्साफ़ कायम रखने का मतलब यह है कि उसमें झूठ न बोले, किसी की ग़ीबत न करे, ऐसी बात न बोले जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे, या किसी को जानी या माली नुक़सान पहुँचे।

नवाँ हुक्म अल्लाह के अ़हद को पूरा करना, यानी अ़हद

तोड़ने का हराम होना

नवाँ हुक्म इस आयत में अल्लाह तआला के अ़हद को पूरा करने और अ़हद तोड़ने से बचने का है। इरशाद फ़रमाया:

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا

“यानी अल्लाह तआला के अ़हद को पूरा करो।”

अल्लाह के अ़हद से मुराद वह अ़हद भी हो सकता है जो कायनात के पहले दिन में हर इन्सान से लिया गया जिसमें सब इन्सानों से कहा गया था, “अलस्तु बि-रब्बिकुम” “क्या मैं तुम्हारा परवर्दिगार नहीं हूँ।” सब ने जवाब दिया “बला” “यानी बेशक आप हमारे रब और परवर्दिगार हैं।”

इस अ़हद का तकाज़ा यही है कि परवर्दिगार के किसी हुक्म की नाफ़रमानी न करें। जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उनको सारे कामों से मुक़द्दम और अहम जानें, और जिन कामों से मना फ़रमाया है उनके पास भी न जायें, और उनके शुब्हों से भी बचते रहें। खुलासा इस अ़हद का यह है कि अल्लाह तआला की मुकम्मल इताअत (फ़रमाँबरदारी) करें।

और यह भी हो सकता है कि वे खास-खास अहद जिनका जिक्र कुरआन के विभिन्न मौकों में फ़रमाया गया है मुराद हों, और उन्हीं में से ये तीन आयतें भी हैं जिनकी तफ़सीर आप देख रहे हैं (जिनमें दस अहकाम ताकीद के साथ बयान फ़रमाये गये हैं)।

उलेमा ने फ़रमाया कि इस अहद में नज़्र और मन्नत का पूरा करना भी दाख़िल है जो एक इन्सान अपनी तरफ़ से अल्लाह तआला के साथ करता है, कि फुल्लों काम करूँगा या नहीं करूँगा (कुरआन मजीद की एक दूसरी आयत में इसको स्पष्ट रूप से भी जिक्र फ़रमाया है):

يُؤْتُونَ بِالتَّذْرِ

“यानी अल्लाह के नेक बन्दे अपनी मन्नतों को पूरा किया करते हैं।”

(खुलासा यह है कि यह नवाँ हुक्म शुमार में तो नवाँ हुक्म है, मगर हकीकत के एतिबार से शरीअत के वाजिब व ज़रूरी अहकाम के करने और मना की गयी चीज़ों से रुकने और बचने को शामिल है)।

इस दूसरी आयत के आख़िर में फ़रमाया:

ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“यानी इन कामों का तुमको अल्लाह तआला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखो।”

तीसरी आयत में दसवाँ हुक्म बयान किया गया है। फ़रमाया:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.

“यानी यह दीने मुहम्मदी मेरा सीधा रास्ता है, सो इस राह पर चलो, और दूसरी राहों पर मत चलो, कि वो राहें तुमको अल्लाह की राह से जुदा (अलग और दूर) कर देंगी।”

इसमें तफ़ज़ हाज़ा (यह) का इशारा दीने इस्लाम या कुरआन की तरफ़ है, और यह भी हो सकता है कि सूर: अन्आम की तरफ़ इशारा हो, क्योंकि इसमें भी इस्लाम के पूरे उसूल (बुनियादी अहकाम) तौहीद, रिसालत और शरई अहकाम के उसूल बयान हुए हैं (और मुस्तकीम दीन के उस रास्ते की सिफ़त है जिससे इस तरफ़ इशारा कर दिया गया है कि दीने इस्लाम के लिये मुस्तकीम होना लाज़िमी वस्फ़ है इसके बाद फ़रमाया “फ़ल्लबिऊहु” यानी जब यह मालूम हो गया कि दीने इस्लाम मेरा रास्ता है और वही मुस्तकीम और सीधा रास्ता है तो अब मन्ज़िले मकसूद का सीधा रास्ता हाथ आ गया, इसलिये सिर्फ़ इसी रास्ते पर चलो)।

फ़िर फ़रमाया:

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ.

“सुबुल” सबील की जमा (बहुवचन) है, इसके मायने भी रास्ते के हैं। मुराद यह है कि अल्लाह तआला तक पहुँचने और उसकी रज़ा हासिल करने का असली रास्ता तो एक ही है, लेकिन दुनिया में लोगों ने अपने-अपने ख्यालात से अनेक और विभिन्न रास्ते बना रखे हैं, तुम उन रास्तों में से किसी रास्ते पर न चलो, क्योंकि ये रास्ते हकीकत में खुदा तआला तक पहुँचने

के नहीं हैं, इसलिये जो इन रास्तों पर चलेगा वह अल्लाह के रास्ते से दूर जा पड़ेगा।

तफसीरे मजहरी में फरमाया है कि कुरआने करीम नाजिल करने और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के भेजने का मन्शा तो यह है कि लोग अपने ख्यालात और अपने इरादों और तजवीजों को कुरआन व सुन्नत के ताबे करें, और अपनी जिन्दगियों को इनके साँचे में ढालें, लेकिन हो यह रहा है कि लोगों ने कुरआन व सुन्नत को अपने ख्यालात और तजवीजों के साँचे में ढालने की ठान ली, जो आयत या हदीस अपने मन्शा के खिलाफ नज़र आई उसको तावीलें (उल्टा-सीधा मतलब बयान) करके अपनी इच्छा के मुताबिक बना ली। यहीं से दूसरी गुमराह करने वाली राहें पैदा होती हैं, जो बिदअतों और शुब्हात की राहें हैं, उन्हीं से बचने के लिये इस आयत में हिदायत की गयी है।

मुस्नद दारमी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत ने नकल किया है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक सीधा खत (लकीर) खींचा और फरमाया कि यह अल्लाह का रास्ता है, फिर उसके दायें-बायें और खत खींचे और फरमाया कि ये सुबुल हैं (यानी वो रास्ते जिन पर चलने से इस आयत में मना फरमाया है) और फरमाया कि इनमें से हर रास्ते पर एक शैतान मुसल्लत है, जो लोगों को सीधे रास्ते से हटाकर उस तरफ बुलाता है और उसके बाद आपने दलील के तौर पर इस आयत को तिलावत फरमाया।

आयत के आखिर में फिर इरशाद फरमाया:

ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

यानी अल्लाह तआला ने इसका तुमको ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम एहतियात रखो।

तीनों आयतों की तफसीर और इनमें बयान किये हुए दस बुनियादी मुहरमात (हराम होने वाली बातों) का बयान पूरा हो गया, आखिर में कुरआन करीम के इस अन्दाजे बयान पर भी एक नज़र डालिये कि इस जगह दस अहकाम बयान किये थे, उनको आजकल की कानून की किताबों की तरह दस धाराओं में नहीं लिख दिया, बल्कि पहले पाँच हुक्म बयान करने के बाद फरमाया:

ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

और फिर और चार हुक्म बयान फरमाने के बाद फिर इसी जुमले को दोबारा इस फर्क के साथ जिक्र किया कि "ताकिलून" के बजाय "तजक्कलून" फरमाया और फिर आखिरी हुक्म एक मुस्तकिल आयत में बयान फरमाकर फिर इसी जुमले को इस फर्क के साथ दोहराया कि "तजक्कलून" के बजाय "तत्तकलून" फरमाया।

कुरआने करीम के इस हकीमाना अन्दाजे बयान में बहुत सी हिक्मतें हैं।

अब्वल यह कि कुरआने करीम दुनिया के आम कानूनों की तरह महज़ हाकिमाना कानून नहीं, बल्कि मुरब्बियाना कानून है। इसी लिये हर कानून के साथ उसको आसान करने की तदबीर भी बतलाई जाती है, और अल्लाह तआला की पहचान और आखिरत की फिक्र ही वह

चीज है

तीनों अ

फिर

इ

नाफ

5. सि

फरम. 1,

इसति.

काम तो

इतर

नाप-ल

के अ-द

च

अमल भी

"तज-क

"तज-क

तोस

बचने को

इच्छा आ

तत्तकून"

आर

लिये कुछ

मोहर किये

चीज है जो इनसान को क़ानून की पाबन्दी पर छुपे या खुले में मजबूर करने वाली है। इसी लिये तीनों आयतों के आखिर में ऐसे कलिमात लाये गये जिनसे इनसान का रुख इस फ़ानी दुनिया से फिरकर अल्लाह तआला और आखिरत की तरफ़ हो जाये।

पहली आयत में जो पाँच अहकाम बयान किये गये हैं: 1. शिर्क से बचना। 2. माँ-बाप की नाफ़रमानी से बचना। 3. औलाद के क़त्ल करने से बचना। 4. बेहयाई के कामों से बचना। 5. किसी का नाहक ख़ून करने से बचना। इनके आखिर में तो लफ़ज़ "ताकिलून" इस्तेमाल फ़रमाया, क्योंकि इस्लाम आने से पहले ज़माने के लोग इन चीज़ों को कोई ऐब ही न जानते थे, इसलिये इशारा किया गया कि बाप-दादा की चलाई हुई रस्मों और ख़्यालों को छोड़कर अक्ल से काम लो।

दूसरी आयत में चार अहकाम बयान हुए यानी 1. यतीम के माल को नाहक न खाना। 2. नाप-तौल में कमी न करना। 3. बात कहने में हक़ और सच्चाई का लिहाज़ रखना। 4. अल्लाह के अहद को पूरा करना।

ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके ज़रूरी होने को तो ये जाहिल भी जानते थे, और इनमें कुछ लोग अमल भी करते थे, मगर अक्सर इनमें ग़फ़लत बरती जाती थी, और ग़फ़लत का इलाज है "तज़क़िरा" यानी खुदा व आखिरत की याद, इसलिये इस आयत के आखिर में लफ़ज़ "तज़क़रून" फ़रमाया।

तीसरी आयत में सिराते मुस्तक़ीम को इख़्तियार करने और उसके ख़िलाफ़ दूसरी राहों से बचने की हिदायत है, और सिर्फ़ ख़ौफ़े खुदा ही ऐसी चीज़ है जो इनसान को अपने ख़्यालात व इच्छाओं से रोकने का सही ज़रिया हो सकती है। इसलिये इसके आखिर में "लअल्लकुम ततक़ून" इरशाद फ़रमाया।

और तीनों जगह वसीयत का लफ़ज़ लाया गया जो ताकीदी हुक्म को कहा जाता है, इसी लिये कुछ सहाबा किराम ने फ़रमाया कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मोहर किया हुआ वसीयत नामा देखना चाहे वह ये तीन आयतें पढ़ ले।

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَ
تَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَالَمٍ يُوقِنُونَ ۝ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُوكًا
فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ إِنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا
وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِكُمْ كَغَافِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ
فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۝ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ
عَنْهَا فَسَجَّزَى الَّذِينَ يَصْدِفُونَ ۝ عَنِ الْيَتِيمِ سَوَاءٌ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ۝

सुम्-म आतैना मूसल्-किता-ब
तमामन् अलल्लजी अहस-न व
तफसीलल्-लिकुल्लि शैइव्-व
रहम-तल् लअल्लहुम् बिलिका-इ
रब्बिहिम् युअ्मिनुन (154) ❀

व हाजा किताबुन् अन्जलनाहु
मुबारकुन् फत्तबिअूहु वक्तकू
लअल्लकुम् तुरहमून (155) अन्
तकूलू इन्नमा उन्जिलल्-किताबु
अला ताइ-फतैनि मिन् कब्लिना व
इन् कुन्ना अन् दिरा-सतिहिम्
लगाफिलीन (156) औ तकूलू लौ
अन्ना उन्जि-ल अलैनल्-किताबु
लकुन्ना अहदा मिन्हुम् फ-कद्
जाअकुम् बय्यि-नतुम् मिर्बिबिकुम् व
हुदव्-व रहमतुन् फ-मन् अजलमु
मिम्मन् कज्ज-ब बिआयातिल्लाहि व
स-द-फ अन्हा, स-नज्जिल्लजी-न
यस्दिफू-न अज् आयातिना सूअल्-
अजाबि बिमा कानू यस्दिफून् (157)

फिर दी हमने मूसा को किताब वास्ते
पूरा करने नेमत के नेक काम वालों पर,
और वास्ते हर चीज की तफसील के,
और हिदायत और रहमत के लिये ताकि
वे लोग अपने रब के मिलने का यकीन
करें। (154) ❀

और एक यह किताब है कि हमने उतारी
बरकत वाली सो इस पर चलो और डरते
रहो ताकि तुम पर रहमत हो। (155) इस
वास्ते कि कभी तुम कहने लगे कि
किताब जो उतरी थी सो उन्हीं दो फिकों
पर जो हमसे पहले थे और हम को तो
उनके पढ़ने-पढ़ाने की खबर ही न थी।
(156) या कहने लगे कि अगर हम पर
उतरती किताब तो हम तो राह पर चलते
उनसे बेहतर, सो आ चुकी तुम्हारे पास
हुज्जत तुम्हारे रब की तरफ से, और
हिदायत और रहमत, अब उससे ज्यादा
जालिम कौन जो झुठलाये अल्लाह की
आयतों को और उनसे कतराये, हम
सजा देंगे उनको जो हमारी आयतों से
कतराते हैं बुरा अजाब बदले में उस
कतराने के। (157)

खुलासा-ए-तफसीर

फिर (शिरक के ब्रातिल होने के मजमून के बाद हम नुबुव्वत के मसले में कलाम करते हैं कि
हमने सिर्फ आपको अकेला नबी नहीं बनाया, जिस पर ये लोग इस कद्र शोर व हंगामा मचा रहे
हैं, बल्कि आप से पहले हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बनाकर) किताब (तौरात) दी
थी, जिससे अमल करने वालों पर (हमारी) अच्छी तरह नेमत पूरी हो (कि अमल करके पूरा

ह. तब
(उत्त
व. ती
य. तीन
उ. के
जि. क
(इ. के
(अ. र
लो (
कि. ब
उत्त
पुह. म
तो. र
कम.
नहीं. तु
(जो). रह
किता.
बतल.
हमारी अ
बदी. न

गुफ्त
थी, कर्गेवि
यह है कि
एहतिमाम
अम. अमर
करना ताजि
ससे यद
नबी बनाक
माम समूल
शिकादों
ही होता

सवाब हासिल करें) और सब (ज़रूरी) अहकाम की (उसके ज़रिये से) तफ़सील हो जाए, और (उसके ज़रिये से सब को) रहनुमाई हो और (मानने वालों के लिये) रहमत हो। (हमने इन गुणों वाली किताब इसलिये दी) ताकि वे लोग (यानी बनी इस्राईल) अपने रब की मुलाकात होने पर यकीन लाएँ (और मुलाकात के यकीन से सब अहकाम पर अमल करें)। और (जब उसका और उसके पूरक इंजील का दौर ख़त्म हो चुका उसके बाद) यह (कुरआन मजीद) एक किताब है जिसको हमने (आपके पास) भेजा, बड़ी ख़ैर व बरकत वाली, सो (अब) इसकी पैरवी करो और (इसके खिलाफ़ करने के बारे में खुदा से) डरो, ताकि तुम पर (अल्लाह तआला की) रहमत हो। (और हमने यह कुरआन इसलिये भी नाज़िल किया कि अगर यह नाज़िल न होती तो) कभी तुम लोग (कियामत में कुफ़्र व शिर्क पर अज़ाब होने के वक़्त) यूँ कहने लगते कि (आसमानी) किताब तो सिर्फ़ हमसे पहले जो दो फ़िक़े (यहूदी व ईसाई) थे उन पर नाज़िल हुई थी और हम उनके पढ़ने-पढ़ाने से बिल्कुल बेख़बर थे (इसलिये हमको तौहीद का पता ही न चला) या (और पहले मोमिनों को सवाब मिलने के वक़्त) यूँ कहते कि अगर हम पर कोई किताब नाज़िल होती तो हम इन (पहले मोमिनों) से भी ज़्यादा राह पर होते (और अक़ीदों व आमाल में इनसे ज़्यादा कमाल हासिल करके सवाब के हक़दार होते) सो (याद रखो कि) अब (तुम्हारे पास कोई उज़्र नहीं) तुम्हारे पास (भी) तुम्हारे रब के पास से एक किताब (जिसके अहकाम) स्पष्ट (हैं) और (जो) रहनुमाई का ज़रिया (है) और (खुदा की) रहमत (है) आ चुकी है। सो (ऐसी काफ़ी शाफ़ी किताब आने के बाद) उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जो हमारी इन आयतों को झूठा बतलाए (और दूसरों को भी) इससे रोके? हम अभी (यानी आख़िरत में) उन लोगों को जो कि हमारी आयतों से रोकते हैं उनके इस रोकने के सबब सज़ा सज़ा देंगे (यह सज़ा इस रोकने से बढ़ी वरना सिर्फ़ झुठलाना भी सज़ा का सबब है)।

मआरिफ़ व मसाईल

ग़फ़लत और लापरवाही की वजह यह नहीं कि तौरात व इंजील अरब वालों की भाषा में न थी, क्योंकि तर्जुमे के ज़रिये से मज़ामीन की इत्तिला मुम्किन है, बल्कि ऐसा ही है। असल वजह यह है कि अहले किताब (यहूदियों व ईसाईयों) ने अरब वालों की तालीम व तौहीद का कभी एहतिमाम नहीं किया, और इत्तिफ़ाक़न कान में कोई मजमून पड़ जाना आदतन सचेत होने में कम असर रखता है, अगरचे इस कदर सचेत होने और चौकने पर उसकी तलब और गौर फ़िक़रना वाजिब हो जाता है, और इसी बिना पर तौहीद के छोड़ने पर अज़ाब मुम्किन था। और इससे यह लाज़िम नहीं आता कि हज़रत मूसा और हज़रत ईसा को उम्मी तौर पर सब के लिये नबी बनाकर भेजा गया था, क्योंकि यह हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ इमाम उसूल व अहकाम के मजमूए के एतिबार से ख़ास है, वरना उसूल (बुनियादी बातों और इत्तिफ़ादों) में तमाम नबियों की पैरवी सारी मख़बूक पर वाजिब है। पर इस बिना पर अज़ाब नहीं होता, लेकिन यह उज़्र सरसरी नज़र में पेश किया जा सकता था, अब इसकी भी गुंजाईश न

रही और अल्लाह की हुज्जत पूरी हो गयी।

और दूसरा कौल:

لَوْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَكَتَأْهَدَىٰ مِنْهُمْ

के मुताल्लिक एक सवाल व जवाब उन लोगों के बारे में सूर: मायदा के तीसरे रूकूअ के आखिर में गुजर चुका है जो हज़रत ईसा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बीच के ज़माने के हैं, जिस ज़माने में कि कोई नबी नहीं आया, कि ये लोग बख़्शे जायेंगे या नहीं। इसकी तफसील वहाँ देख ली जाये।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ

بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ

أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انظُرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝

हल् यन्ज़ुरु-न इल्ला अन्
तअत्ति-यहु मुल्मलाइ-कतु औ
यअत्ति-य रब्बु-क औ यअत्ति-य
बअज़ु आयाति रब्बि-क, यौ-म
यअती बअज़ु आयाति रब्बि-क ला
यन्फअु नफ्सन् ईमानुहा लम् तकुन्
आम-नत् मिन् कब्लु औ क-सबत्
फी ईमानिहा ख़ैरन्, कुलित्तजिरु
इन्ना मुन्तजिरुन (158)

काहे की राह देखते हैं लोग मगर यही कि उन पर आयें फ़रिश्ते या आये तेरा रब या आये कोई निशानी तेरे रब की, जिस दिन आयेगी निशानी तेरे रब की, काम न आयेगा किसी के उसका ईमान लाना, जो कि पहले से ईमान न लाया था, या अपने ईमान में कुछ नेकी न की थी। तू कह दे कि तुम राह देखो हम भी राह देखते हैं। (158)

खुलासा-ए-तफसीर

ये लोग (जो कि किताब, खुली निशानियों के नाज़िल होने और हक के स्पष्ट हो जाने के बाद भी ईमान नहीं लाते, अपने ईमान लाने के लिये) सिर्फ़ इस बात के मुन्तज़िर (मालूम होते) हैं (यानी ऐसा रुके हुए हैं जैसे कोई इन्तिज़ार कर रहा हो) कि इनके पास फ़रिश्ते आएँ या इनके पास आपका रब आए (जैसा कि क़ियामत में हिसाब के वक़्त वाक़े होगा) या आपके रब की कोई बड़ी निशानी (जिनमें से क़ियामत भी है) आए (मुराद इस बड़ी निशानी से सूरज का पश्चिम से निकलना है। मतलब यह हुआ कि क्या ईमान लाने में क़ियामत के आने या उसके करीब होने का इन्तिज़ार है? सो उसके बारे में सुन रखें कि) जिस दिन आपके रब की यह

प्र
उ
र
उ
तौ
से
ने
कु
ज
औ
कि
हम
इ

सू
आ
इ
कर
चुके
कि
मो
की
स
पर

य
पा
हुं
के
जाय

या

(जिक्र हुई) बड़ी निशानी आ पहुँचेगी (उस दिन) किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके काम न आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता (बल्कि उसी दिन ईमान लाया हो), या (ईमान तो पहले से भी रखता हो लेकिन) उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल न किया हो (बल्कि बुरे आमाल और गुनाहों में मुब्तला हो, और उस दिन उनसे तौबा करके नेक आमाल शुरू करे, तो उसकी तौबा कुबूल न होगी। और इससे पहले अगर गुनाहों से तौबा करता तो मोमिन होने की बरकत से तौबा कुबूल हो जाती, मालूम हुआ कि तौबा का कुबूल होना ईमान की बरकतों और फायदों में से है, उस वक्त ईमान ने यह खास नफा न दिया, और जब कियामत की निशानी ईमान कुबूल करने और तौबा करने से रुकावट और बाधा हो गयी तो खास कियामत तो और भी ज्यादा इन चीजों से रुकावट और बाधा होगी, फिर इन्तिज़ार काहे का। और अगर इस धमकाने और डाँट पर भी ईमान न लायें तो) आप (और अतिरिक्त डाँट-डपट के तौर पर) फरमा दीजिए कि (खैर! बेहतर) तुम (इन चीजों के) मुन्तज़िर रहो (और मुसलमान नहीं होते तो मत होओ), हम भी (इन चीजों के) मुन्तज़िर हैं (उस वक्त तुम पर मुसीबत पड़ेगी, और हम ईमान वाले इन्शा-अल्लाह तआला निजात पाने वाले होंगे)।

मआरिफ व मसाईल

सूर: अन्आम का अक्सर हिस्सा मक्का वालों और अरब के मुशिरकों के अक्दीदों और आमाल की इस्लाह (सुधार) और उनके शुब्हात व सवालात के जवाब में नाज़िल हुआ है।

इस पूरी सूरत और खासकर पिछली आयतों में मक्का और अरब के बाशिन्दों पर बाजेह कर दिया गया कि तुम रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मोजिज़े और निशानियाँ देख चुके, पिछली किताबों और पहले अम्बिया की भविष्यवाणियाँ आपके बारे में सुन चुके, फिर एक बिल्कुल बिना पढ़े-लिखे की ज़बान से कुरआन की स्पष्ट आयतें सुन चुके, जो एक मुस्तकिल मोजिज़ा बनकर आया, अब हक व सच्चाई की राहें तुम्हारे सामने खुल चुकीं और खुदा तआला की हुज्जत तुम पर पूरी हो चुकी, अब ईमान लाने में किस चीज़ का इन्तिज़ार है।

इस मज़मून को इस जिक्र हुई आयत में बहुत ही असरदार अन्दाज़ में इस तरह बयान फरमाया:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَأِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ

“यानी ये लोग क्या इसका इन्तिज़ार कर रहे हैं कि मौत के फरिश्ते इनके पास पहुँच जायें, या इसका इन्तिज़ार कर रहे हैं कि कियामत की कुछ आखिरी निशानियाँ देख लें। रब्बे करीम का मैदाने कियामत में फैसले के लिये तशरीफ़ फरमा होना कुरआन मजीद की कई आयतों में बयान हुआ है। सूर: ब-करह में इसी मज़मून की आयत इस तरह आई है:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ

“यानी क्या ये लोग इसका इन्तिज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह तआला बादलों के साये में

इनके पास आ जाये और फ़रिश्ते आ जायें और लोगों के लिये जन्नत व दोज़ख़ का जो फैसला होना है वह हो जाये।”

अल्लाह तआला का मैदाने क़ियामत में तशरीफ़ फ़रमा होना किस शान और किस कैफ़ियत के साथ होगा इसका इन्सानी अक्ल इहाता नहीं कर सकती, इसलिये सहाबा-ए-किराम और उम्मत के बुजुर्गों का मस्तक़ इस किस्म की आयतों के मुताल्लिक़ यह है कि जो कुरआन में ज़िक्र किया गया है उस पर ईमान लाया जाये और यक़ीन किया जाये और उसकी कैफ़ियतों को अल्लाह के इल्म के हवाले किया जाये। मसलन इस आयत में यह यक़ीन किया जाये कि अल्लाह तआला मैदाने क़ियामत में जज़ा व सज़ा के फैसले लिये तशरीफ़ फ़रमा होंगे, और इसमें बहस और फ़िक्र न की जाये कि किस कैफ़ियत, किस अन्दाज़ और किस दिशा में होंगे।

इस आयत में आगे इरशाद फ़रमाया:

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا.

इसमें सचेत किया और चौंकाया है कि अल्लाह तआला की कुछ निशानियाँ सामने आ जाने के बाद तौबा का दरवाज़ा बन्द हो जायेगा। जो शख्स उससे पहले ईमान नहीं लाया अब ईमान लायेगा तो कुबूल नहीं होगा, और जो शख्स ईमान तो ला चुका था मगर नेक अमल नहीं किये थे वह अब तौबा करके आईन्दा नेक अमल का इरादा करेगा तो उसकी भी तौबा कुबूल न होगी। खुलासा यह है कि काफ़िर अपने कुफ़्र से या गुनाहगार अपने गुनाह व नाफ़रमानी से अगर उस वक़्त तौबा करना चाहेगा तो वह तौबा कुबूल न होगी।

सबब यह है कि ईमान और तौबा सिर्फ़ उस वक़्त तक कुबूल हो सकती है जब तक वह इन्सान के इख़्तियार में है, और जब अल्लाह के अज़ाब का और आख़िरत की हकीकतों का सामना हो गया तो हर इन्सान ईमान लाने में और गुनाह से बाज़ आने पर खुद-बखुद मजबूर हो गया, मजबूरी का ईमान और तौबा काबिले कुबूल नहीं।

कुरआन मजीद की बेशुमार आयतों में बयान हुआ है कि दोज़ख़ वाले दोज़ख़ में पहुँचकर फ़रियाद करेंगे, और बड़े बड़े वायदे करेंगे कि अगर हमें अब दुनिया में दोबारा लौटा दिया जाये तो हम ईमान और नेक अमल के सिवा कुछ न करेंगे। मगर सब का जवाब यही होगा कि ईमान व अमल का वक़्त ख़त्म हो चुका और अब जो कुछ कह रहे हो मजबूर होकर कह रहे हो। इसका एतिबार नहीं।

इसी आयत की तफ़सीर में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद मन्कूल है कि जिस वक़्त क़ियामत की आख़िरी निशानियों में से यह निशानी जाहिर होगी कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम की ओर से निकलेगा तो उसको देखते ही सारे ज़हान के काफ़िर ईमान का क़लिमा पढ़ने लगेंगे और सारे नाफ़रमान फ़रमाँबरदार बन जायेंगे, लेकिन उस वक़्त का ईमान और तौबा काबिले कुबूल न होगा। (तफ़सीरे बग़वी, हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की सनद से)

इस आयत में इतनी बात तो कुरआनी वज़ाहत से मालूम हो गयी कि कुछ निशानियाँ ऐसी जाहिर होंगी जिनके बाद तौबा का दरवाज़ा बन्द हो जायेगा, किसी काफ़िर या फ़ासिक (बदकार

व गुनाहगार) की तौबा कुबूल न होगी, लेकिन कुरआने करीम ने इसकी वज़ाहत नहीं फ़रमाई कि वह कौनसी निशानी है।

सही बुख़ारी में इसी आयत की तफ़सीर में हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से यह हदीस नक़ल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि:

“क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक यह वाक़िआ पेश न आ जाये कि सूरज पश्चिम की तरफ़ से निकले। जब लोग यह निशानी देखेंगे तो सब ईमान ले आयेंगे, यही वह वक़्त होगा जिसके लिये कुरआन में यह इरशाद है कि उस वक़्त किसी नफ़्स को ईमान लाना नफ़ा नहीं देगा।”

इसकी तफ़सील सही मुस्लिम में हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से इस तरह नक़ल की गयी है कि एक मर्तबा सहाबा किराम क़ियामत की निशानियों का तज़क़िरा आपस में कर रहे थे, हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ ले आये, उस वक़्त आपने फ़रमाया कि क़ियामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक तुम दस निशानियाँ न देख लो-

1. सूरज का पश्चिम की तरफ़ से निकलना। 2. एक ख़ास किस्म का धुआँ। 3. दाब्बुल-अर्ज़ (ज़मीन से निकलने वाला एक अजीब जानवर)। 4. याजूज माजूज का निकलना। 5. ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। 6. दज़्जाल का निकलना। 7, 8, 9. तीन जगहों पर ज़मीन का धंस जाना- एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक अरब के इलाक़े में। 10. एक आग जो अदन के क़अर (गहरे हिस्से) से निकलेगी और लोगों को आगे-आगे हंका कर ले चलेगी।

और मुस्नद अहमद में हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इन निशानियों में सबसे पहले पश्चिम की तरफ़ से सूरज का निकलना और दाब्बुल-अर्ज़ (ज़मीन से एक अजीब जानवर) का निकलना सामने आयेगा।

इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तज़क़िरे में और हाफ़िज़ इब्ने हज़र ने शरह बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से यह भी नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इस वाक़िआ यानी पश्चिम की तरफ़ से सूरज निकलने के बाद एक सौ बीस साल तक दुनिया क़ायम रहेगी। (तफ़सीर रुहुल-मआनी)

इस तफ़सील के बाद यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब ज़िंदा होंगे तो सही रिवायतों के अनुसार आप लोगों को ईमान की दावत देंगे और लोग ईमान कुबूल करेंगे, और पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम (कानून) राज़ होगा। जाहिर है कि अगर उस वक़्त का ईमान मक़बूल न हो तो यह दावत और लोगों का इस्लाम में दाख़िल होना सब ग़लत जाता है।

तफ़सीर रुहुल-मआनी में तो इसका यह जवाब इख़्तियार किया है कि पश्चिम की तरफ़ से सूरज निकलने का वाक़िआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने के काफ़ी ज़माने के बाद होगा, और उसी वक़्त तौबा का दरवाज़ा बन्द होगा।

और अल्लामा बिल्कीनी रह. वगैरह ने फरमाया कि यह बात भी असंभव नहीं है कि ईमान और तौबा कुबूल न होने का यह हुक्म जो सूरज के पश्चिम की तरफ से निकलने के वक्त होगा आखिर जमाने तक वाकी न रहे, बल्कि कुछ अरसे के बाद यह हुक्म बदल जाये और ईमान व तौबा कुबूल होने लगे। (रुहुल-मआनी) वल्लाहु आलम

खुलासा-ए-कलाम यह है कि जिक्र हुई आयत में अगरचे इसकी वजाहत नहीं की गयी कि जिस निशानी के जाहिर होने के बाद तौबा कुबूल न होगी वह कौनसी निशानी है, मगर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बयान से स्पष्ट हो गया कि इससे मुराद सूरज का पश्चिम की ओर से निकलना है।

और कुरआने करीम ने खुद क्यों इसकी वजाहत न कर दी? तफसीर बहरे मुहीत में है कि इस जगह कुरआन का बात को गैर-वाजेह (अस्पष्ट) रखना ही ग्राफिल इनसान को चौंकाने में ज्यादा मुफीद है ताकि उसको हर नये पेश आने वाले वाकिए से इस पर तंबीह होती रहे और तौबा में जल्दी करे।

इसके अलावा इस अस्पष्टता और संक्षिप्तता से एक और फायदा यह भी है कि इस पर तंबीह हो जाये कि जिस तरह पूरे आलम के लिये पश्चिम से सूरज के निकलने पर तौबा का दरवाजा बन्द हो जायेगा इसी तरह इसका एक नमूना हर इनसान के लिये व्यक्तिगत तौर पर तौबा के बन्द हो जाने का उसकी मौत के वक्त पेश आता है।

कुरआने करीम ने एक दूसरी आयत में इसको वाजेह तौर पर भी बयान फरमा दिया है:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ النَّاسَ.

“यानी उन लोगों की तौबा कुबूल नहीं होती जो गुनाह करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ जाये तो कहता है कि मैं अब तौबा करता हूँ।”

और इसी के खुलासे में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

إِنَّ تَوْبَةَ الْعَبْدِ تُقْبَلُ مَا لَمْ يُغْرَرْ.

“यानी, बन्दे की तौबा उस वक्त तक कुबूल होती रहती है जब तक उसकी रूह हलक में आकर गरगरा-ए-मौत की सूरत पैदा न हो जाये।”

इससे मालूम हुआ कि रूह निकलने के वक्त जब साँस आखिरी हो उस वक्त भी चूँकि मौत के फरिश्ते सामने आ जाते हैं, उस वक्त भी तौबा कुबूल नहीं होती। और यह भी जाहिर है कि यह सूरतेहाल भी अल्लाह की तरफ से एक अहम निशानी है, इसलिये उक्त आयत में:

بَعْضَ آيَاتِ رَبِّكَ.

(तिरे रब की निशानियों में से कोड़ी) में यह मौत का वक्त भी दाखिल है, जैसा कि तफसीर बहरे मुहीत में कुछ उलेमा का यह कौल नकल भी किया है, और कुछ बुजुर्गों ने फरमाया है:

عَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ.

“यानी जो शख्स मर गया उसकी कियामत तो उसी वक़्त कायम हो गयी।” क्योंकि अमल का घर खत्म हुआ और आमाज के बदले का कुछ नमूना कब्र ही से शुरू हो गया।

यहाँ अरबी भाषा के एतिबार से यह बात भी काबिले गौर है कि इस आयत में पहले फरमाया:

أَوَيَاتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ.

और फिर इसी जुमले को दोहराकर फरमाया:

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا.

इसमें कलाम को मुख़्तसर नहीं किया गया बल्कि “तेरे रब की कोई निशानी” को दोबारा लाया गया। इससे मालूम होता है कि पहले कलिमे जो “कुछ निशानियाँ” बयान हुई हैं वो और हैं और दूसरे कलिमे की “कुछ निशानियाँ” पहली से अलग हैं। इससे इस तफसील की तरफ़ इशारा हो सकता है जो अभी आपने हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से पढ़ी है कि कियामत की दस निशानियाँ बहुत अहम हैं, उनमें से आखिरी निशानी पश्चिम की तरफ़ से सूरज का निकलना है जो तौबा का दरवाज़ा बन्द होने की निशानी है।

आयत के आखिर में इरशाद फरमाया:

قُلْ أَنْتَظِرُونَ وَأَنَا مُنْتَظِرٌ.

इसमें रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिताब है, कि आप उन लोगों से कह दीजिए कि अल्लाह की सारी हुज्जतें पूरी हो जाने के बाद भी अगर तुम्हें मौत या कियामत का इन्तिज़ार है तो यह इन्तिज़ार करते रहो, हम भी इसी का इन्तिज़ार करेंगे कि तुम्हारे साथ तुम्हारे रब का क्या मामला होता है।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا أَنتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ وَإِنَّا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ.

ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا

يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

इन्ल्लजी-न्न फरकू दीनहुम् वकानू

शि-यअल्लस्-त-मिन्हुम् फी शैइन्,

इन्नमा अफ्रुहुम् इलल्लाहि सुम्-म

पुनब्बिउहुम् बिमा कानू यफ़अलून

(159) मन् जा-अ बिल्ह-स-नति

जिन्होंने राहें निकालीं अपने दीन में और

हो गये बहुत से फिके, तुझको उनसे कुछ

ताल्लुक नहीं, उनका काम अल्लाह ही के

हवाले है, फिर वही जतला देगा उनको

जो कुछ वे करते थे। (159) जो कोई

लाता है एक नेकी तो उसके लिये उसका

फ-लहू अशरु अम्सालिहा व मन् जा-अ
बिस्सय्यि-अति फला युज्जा इल्ला
मिस्लहा व हुम् ला युज़्लमून (160)

दस गुना है, और जो कोई लाता है एक
बुराई सो सज़ा पायेगा उसके बराबर,
और उन पर जुल्म न होगा। (160)

खुलासा-ए-तफसीर

वेशक जिन लोगों ने अपने दीन को (जिसका उनको पाबन्द किया गया है) जुदा-जुदा कर दिया (यानी हक दीन को उसकी पूरी शक्ति में कुबूल न किया, चाहे सब को छोड़ दिया या कुछ को, और शिर्क व कुफ़्र और बिद्अत के तरीके इख्तियार कर लिये) और (अलग-अलग) गिरोह-गिरोह बन गये, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं (यानी आप उनसे बरी हैं, आप पर कोई इल्जाम नहीं)। बस (वे खुद अपने अच्छे बुरे के जिम्मेदार हैं, और) उनका मामला अल्लाह तआला के हवाले है (वह देखभाल रहे हैं), फिर (कियामत में) वह उनको उनका किया हुआ जतला देंगे (और हुज्जत कायम करके अज़ाब का हकदार होना जाहिर कर देंगे)। जो शख्स नेक काम करेगा तो उसको (सबसे कम दर्जा यह है कि) उसके दस हिस्से मिलेंगे (यानी ऐसा समझा जायेगा कि गोया वह नेकी दस बार की और एक नेकी पर जिस क़द्र सवाब मिलता अब दस हिस्से जैसे सवाब के मिलेंगे)। और जो शख्स बुरा काम करेगा सो उसको उसके बराबर ही सज़ा मिलेगी (ज्यादा न मिलेगी)। और उन लोगों पर (जाहिरी तौर पर भी) जुल्म न होगा (कि कोई नेकी दर्ज न हो, या कोई बुराई ज्यादा करके लिख ली जाये)।

मजारिफ़ व मसाईल

सूर: अन्जाम का ज्यादातर हिस्सा मक्का के मुशिरकों के खिताब और उनके सवाल व जवाब के मुताल्लिक़ आया है, जिसमें उनको यह हिदायत की गयी थी कि इस वक़्त अल्लाह तआला का सीधा रास्ता सिर्फ़ कुरआन और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी में सीमित है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले अम्बिया के ज़माने में उनका और उनकी किताब व शरीअत का इत्तिबा (पैरवी) निजात का मदार था, आज सिर्फ़ आपकी और आपकी शरीअत की पैरवी निजात का मदार है। अक्ल से काम लो और इस सीधे रास्ते को छोड़कर दायें-बायें के ग़लत रास्तों को इख्तियार न करो, वरना वे रास्ते तुम्हें खुदा तआला से दूर कर देंगे।

उक्त आयतों में से पहली आयत में एक आम खिताब है, जिसमें अरब के मुशिरक, यहूदी व ईसाई और मुसलमान सब दाखिल हैं। इन सब को मुखातब करके अल्लाह के सीधे रास्ते से मुँह फेरने और बागी होने वालों का बुरा अन्जाम बयान किया गया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हिदायत की गयी है कि आपका उन ग़लत रास्तों पर चलने वालों से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिये। फिर उनमें ग़लत रास्ते वो भी हैं जो सिराते मुस्तकीम से बिल्कुल

विपरीत दिशा की तरफ ले जाने वाले हैं, जैसे मुशिक लोगों और अहले किताब के रास्ते, और वो रास्ते भी हैं जो विपरीत दिशा में तो नहीं मगर सीधे रास्ते से हटाकर दायें-बायें ले जाने वाले हैं, वो शुब्हात और बिदअतों के रास्ते हैं, वो भी इनसान को गुमराही में डाल देते हैं।

इरशाद फरमाया:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“यानी वे लोग जिन्होंने राहें निकालीं अपने दीन में और हों गये बहुत से फिके, तुझको उनसे कुछ सरोकार नहीं, उनका काम अल्लाह ही के हवाले है, फिर वह जतलायेगा उनको जो कुछ वे करते थे।”

इस आयत में ग़लत रास्तों पर पड़ने वालों के मुताल्लिक अक्बल तो यह बतला दिया कि अल्लाह का रसूल उनसे बरी है, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उनका कोई ताल्लुक नहीं। फिर उनको यह सख़्त वईद (सज़ा की धमकी) सुनाई कि उनका मामला बस खुदा तआला के हवाले है, वही उनको कियामत के दिन सज़ा देगे।

दीन में फूट डालना और फिके बन जाना जो इस आयत में जिक्र हुआ है, इससे मुराद यह है कि दीन की उसूलों और बुनियादी बातों की पैरवी को छोड़कर अपने ख्यालात और इच्छाओं के मुताबिक या शैतानी फरेब व धोखे में मुब्तला होकर दीन में कुछ नई चीज़ें बढ़ा दे या कुछ चीज़ों को छोड़ दे।

दीन में बिदअत ईजाद करने पर सख़्त वईद

तफसीरे मज़हरी में है कि इसमें पिछली उम्मतों के लोग भी दाखिल हैं, जिन्होंने अपने दीन के उसूल (बुनियादी चीज़ों) को छोड़ करके अपनी तरफ से कुछ चीज़ें मिला दी थीं, और इस उम्मत के बिदअती भी जो दीन में अपनी तरफ से बेबुनियाद चीज़ों को शामिल करते रहते हैं। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक हदीस में इस मज़मून को इस तरह वाज़ेह फरमाया है कि:

“मेरी उम्मत को भी वही हालात पेश आयेंगे जो बनी इस्राईल को पेश आये। जिस तरह के अमाल में वे मुब्तला हुए मेरी उम्मत के लोग भी मुब्तला होंगे। बनी इस्राईल बहत्तर-फिकों बंट गये थे, मेरी उम्मत के तिहत्तर फिके हो जायेंगे। जिनमें से एक फिके के अलावा सब ज़ख में जायेंगे। सहाबा-ए-क़िराम ने अर्ज किया कि वह निजात पाने वाला फिके कौनसा है? फरमाया:

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

यानी वह जमाअत जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगी वह निजात पायेगी। (इस हदीस को तिर्मिज़ी, अबू दाऊद ने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नकल किया है।)

और तवरानी ने मोतबर सनद से हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फ़रमाया कि इस आयत में जिन फ़िक्रों का ज़िक्र है वे बिदअत वाले और अपनी इच्छाओं व ख़्यालात के ताबे नये तरीके ईजाद करने वाले हैं। यही मज़मून हज़रत अबू हु़रैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से सही सनद के साथ मन्कूल है। इसी लिये रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दीन में नये-नये तरीके अपनी तरफ़ से ईजाद करने (निकालने) को बड़ी ताकीद के साथ मना फ़रमाया है।

इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी वगैरह ने हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

“तुम में से जो लोग मेरे बाद ज़िन्दा रहेंगे वे बहुत झगड़े और विवाद देखेंगे, इसलिये (मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि) तुम मेरी सुन्नत और खुलफ़ा-ए-राशिदीन की सुन्नत को मज़बूती से पकड़े हुए इसी के मुताबिक़ हर काम में अमल करो, नये-नये तरीकों से बचते रहो, क्योंकि दीन में नयी पैदा की हुई हर चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है।”

एक हदीस में इरशाद फ़रमाया कि जो शख्स जमाअत से एक बालिशत भर जुदा हो गया उसने इस्लाम का निशान अपनी गर्दन से निकाल दिया। (अबू दाऊद व अहमद)

तफ़सीरे मज़हरी में है कि जमाअत से मुराद इस हदीस में सहाबा की जमाअत है। वजह यह है कि अल्लाह तआला ने हमारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रसूल बनाकर भेजा, और आपको क़ुरआन अता फ़रमाया, और क़ुरआन के अलावा दूसरी वही अता फ़रमाई, जिसको हदीस या सुन्नत कहा जाता है। फिर क़ुरआन में बहुत सी आयतें संक्षिप्त या अस्पष्ट हैं, उनकी तफ़सीर व बयान को अल्लाह तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़रिये बयान करने का वायदा फ़रमाया:

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ بِمَا يَتَّبِعُونَ

का यही मतलब है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ुरआन के मुश्किल मक़ामात और अस्पष्ट (ग़ैर-वाज़ेह) बातों की तफ़सीर और अपनी सुन्नत की तफ़सीलात अपने अप्रत्यक्ष शागिदों यानी सहाबा-ए-किराम को अपने कौल व अमल के ज़रिये सिखलायीं, इसलिये सहाबा की अवसरियत का अमल अल्लाह की पूरी शरीअत का बयान और तफ़सीर है।

इसलिये मुसलमान की सआदत (भलाई और नेकबख़्ती) इसी में है कि हर काम में किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह की पैरवी करे, और जिस आयत या हदीस की मुराद में सदेह व शुब्हा हो उसमें उसको इख़्तियार करे जिसको सहाबा-ए-किराम की बड़ी जमाअत ने इख़्तियार फ़रमाया हो।

इसी पवित्र उसूल को नज़र-अन्दाज़ कर देने से इस्लाम में अनेक और विभिन्न फ़िक्रें पैदा हो गये कि सहाबा के अमल और उनकी तफ़सीरों (शरई वज़ाहतों और खुलासों) को नज़र-अन्दाज़

करके अपनी तरफ़ से जो जी में आया—उसको कुरआन व सुन्नत का मफ़हूम (मतलब) करार दे दिया, यही वो गुमराही के रास्ते हैं जिनसे कुरआने करीम ने बार-बार रोका और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उग्रभर बड़ी ताकीद के साथ मना फ़रमाया, और इसके खिलाफ़ करने वालों पर लानत फ़रमाई।

हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया— छह आदमियों पर मैं लानत करता हूँ, अल्लाह तआला भी उन पर लानत करे। एक वह शख्स जिसने किताबुल्लाह में अपनी तरफ़ से कुछ बढ़ा दिया (यानी चाहे कुछ अलफ़ाज़ बढ़ा दिये या मायने में ऐसी ज़्यादती कर दी जो सहाबा की तफ़सीर व बयान के खिलाफ़ है)। दूसरे वह शख्स जो अल्लाह की तकदीर का इनकारी हो गया। तीसरे वह शख्स जो उम्मत पर ज़बरदस्ती मुसल्लत हो जाये ताकि इज़्ज़त दे दे उस शख्स को जिसको अल्लाह ने जलील किया है, और जिल्लत दे दे उस शख्स को जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। चौथे वह शख्स जिसने अल्लाह के हराम को हलाल समझा, यानी मक्का के हरम शरीफ़ में क़त्ल व क़िताल किया, या शिकार खेला। पाँचवें वह शख्स जिसने मेरी आल-औलाद की बेहुर्मती की। छठे वह शख्स जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया।

एक दूसरी आयत में इरशाद फ़रमाया:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

पिछली आयत में इसका बयान था कि सिराते मुस्तक़ीम से फिर जाने वालों को कियामत के दिन में अल्लाह तआला ही उनके आमाल की सज़ा देंगे।

इस आयत में आखिरत की जज़ा व सज़ा का करीमाना उसूल इस तरह बयान फ़रमाया है कि जो शख्स एक नेक काम करेगा उसको दस गुना बदला दिया जायेगा, और जो एक गुनाह करेगा उसका बदला सिर्फ़ एक गुनाह के बराबर दिया जायेगा।

सही बुखारी और मुस्लिम, नसाई और मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया— तुम्हारा रब तआला रहीम है, जो शख्स किसी नेक काम का सिर्फ़ इरादा करे उसके लिये एक नेकी लिख ली जाती है, चाहे अमल करने की नौबत भी न आये। फिर जब वह उस नेक काम को कर ले तो दस नेकियाँ उसके नामा-ए-आमाल में लिख दी जाती हैं। और जो शख्स किसी गुनाह का इरादा करे, मगर फिर उस पर अमल न करे तो उसके लिये भी एक नेकी लिख दी जाती है, और गुनाह का अमल भी करे तो एक गुनाह लिख दिया जाता है, या उसको भी मिटा दिया जाता है। इस माफ़ करने और करम के होते हुए अल्लाह के दरबार में वही शख्स हलाक हो सकता है जिसने हलाक होने ही की ठान रखी है। (इब्ने कसीर)

एक हदीसे कुदसी में हज़रत अबूजर रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से इरशाद है:

“जो शख्स एक नेकी करता है उसको दस नेकियों का सवाब मिलता है, और इससे भी आदा। और जो शख्स एक गुनाह करता है तो उसकी सज़ा सिर्फ़ एक ही गुनाह के बराबर

मिलेगी, या मैं उसको भी माफ़ कर दूँगा। और जो शख्स इतने गुनाह करके मेरे पास आये जिनसे सारी ज़मीन भर जाये और मग़फ़िरत का तालिब हो तो मैं इतनी ही मग़फ़िरत से उसके साथ मामला करूँगा। और जो शख्स मेरी तरफ़ एक बलिश्त क़रीब होता है मैं एक हाथ उसकी तरफ़ बढ़ता हूँ। और जो शख्स एक हाथ मेरी तरफ़ आता है मैं उसकी तरफ़ एक बाअ के बराबर आता हूँ (बाअ कहते हैं दोनों हाथों के फैलाव को)। और जो शख्स मेरी तरफ़ झपट कर आता है मैं उसकी तरफ़ दौड़कर आता हूँ।”

हदीस की इन रिवायतों से मालूम हुआ कि नेकी की जज़ा में दस तक की ज़्यादाती जो इस आयत में बयान हुई है अदना हद का बयान है, और अल्लाह तआला अपने रहम व करम से इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, और देंगे, जैसा कि दूसरी रिवायतों से सत्तर गुना या सात सौ गुना तक साबित होता है।

इस आयत के अलफ़ाज़ में यह बात भी क़ाबिले ग़ौर है कि यहाँ लफ़ज़ “जा-अ बिल्ह-स-नति” फ़रमाया है “अमि-ल बिल्ह-स-नति” नहीं फ़रमाया। तफ़सीर बहरे मुहीत में है कि इससे इस तरफ़ इशारा जाता है कि महज़ किसी नेक या बुरे काम को कर लेने पर यह जज़ा व सज़ा नहीं दी जायेगी, बल्कि जज़ा व सज़ा के लिये मौत के वक़्त तक उस नेक अमल या बुरे अमल का कायम रहना शर्त है, जिसका नतीजा यह है कि अगर किसी शख्स ने कोई नेक अमल किया लेकिन फिर उसके किसी गुनाह की शामत से वह अमल ज़ाया हो गया तो वह उस अमल पर जज़ा का मुस्तहिक़ नहीं रहा। जैसे अल्लाह की पनाह कुफ़्र व शिर्क तो सारे ही नेक आमाल को बरबाद कर देता है, उसके अलावा और भी बहुत से गुनाह ऐसे हैं जो बाज़े नेक आमाल को बातिल और बेअसर कर देते हैं। जैसे कुरआने करीम में है:

لَا تَبْطُلُوا صِدْقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ.

“यानी तुम अपने सदकों को एहसान जतलाकर या तकलीफ़ पहुँचाकर बातिल और ज़ाया न करो।”

इससे मालूम हुआ कि सदके का नेक अमल एहसान जताने या तकलीफ़ पहुँचाने से बातिल और ज़ाया हो जाता है। इसी तरह हदीस में है कि मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें करना नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा लेती है। इससे मालूम हुआ कि मस्जिद में जो नेक आमाल नवाफ़िल और तस्बीह वगैरह के किये हैं, वो दुनिया की बातें करने से ज़ाया (बरबाद) हो जाते हैं।

इसी तरह बुरे आमाल से अगर तौबा कर ली तो वह गुनाह नामा-ए-आमाल से मिटा दिया जाता है, मौत के वक़्त तक बाकी नहीं रहता। इसलिये इस आयत में यह नहीं फ़रमाया कि “कोई अमल करे नेक या बुरे तो उसको जज़ा या सज़ा मिलेगी” बल्कि यूँ फ़रमाया कि “जो शख्स हमारे पास लायेगा नेक अमल तो दस गुना सवाब पायेगा, और हमारे पास लायेगा बुरा अमल तो एक ही अमल की सज़ा पायेगा।” अल्लाह तआला के पास लाना उसी वक़्त होगा जब

तफ़सीर

वह अम

न लाये

आ

...

...

...

नेक अम

शुद्ध व

...

...

...

...

...

...

...

...

...

कुल

सिरति

मिल

का-न

इन्

व म

(162)

उमिरनु

(163)

रब्बु-व

ला लवि

अलैह

वह अमल आखिर तक कायम और बाकी रहे, नेक अमल को जाया करने वाली कोई चीज पेश न आये। और बुरे अमल से तौबा व इस्तिगफार न करे।

आयत के आखिर में फरमाया:

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

यानी उच्चतम अदालत में इसकी संभावना नहीं कि किसी पर जुल्म हो सके, न किसी के नेक अमल के बदले में कमी की संभावना है, न किसी के बुरे अमल में उससे जायद सजा का शुब्हा व गुमान है।

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هَذَا دِينًا قِيمًا

مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ بَعْضُ رِيبًا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۝ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفًا فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۝ وَإِنَّهُ لَكَغُفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

تَفْسِيرُ

कुल् इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम् मुस्तकीम। दीनन् कि-यमम् मिल्ल-त इब्राही-म हनीफन् व मा का-न मिनल् मुशिरकीन (161) कुल् इन्-न सलाती व नुसुकी व मथ्या-य व ममाती लिल्लाहि रब्बिल्-आलमीन (162) ला शरी-क लहू व बिजालि-क उमिरतु व अ-न अव्वलुल् मुस्लिमीन (163) कुल् अगै रल्लाहि अब्गी रब्ब्व-व हु-व रब्बु कुल्लि शैइन्, व ला तक्सिबु कुल्लु नफिसन् इल्ला अलैहा व ला तजिरु वाजि-रतुव-

तू कह दे- मुझको सुझाई मेरे रब ने राह सीधी, दीन सही मिल्लत इब्राहीम की, जो एक ही तरफ का था और न था शरीक करने वालों में। (161) तू कह- मेरी नमाज़ और मेरी कुरबानी और मेरा जीना और मरना अल्लाह ही के लिये है, जो पालने वाला है जहान का। (162) कोई नहीं उसका शरीक और यही मुझको हुक्म हुआ और मैं सबसे पहले फरमाँवरदार हूँ। (163) तू कह- क्या अब मैं अल्लाह के सिवा तलाश करूँ कोई रब, और वही है रब हर चीज़ का, और जो कोई गुनाह करता है सो वह उसके जिम्मे पर है, और

-विज़्-र उख़्ुरा सुम्-म इला रब्बिकुम्
 मरजिअुकुम् फ़युनब्बिउकुम् बिमा
 कुन्तुम् फ़ीहि तख़्तलिफ़ून (164) व
 हुवल्लज़ी ज-अ-लकुम् ख़ला-इफ़ल्-
 अर्जि व र-फ़-अ बअज़कुम् फ़ौ-क
 बअज़िन् द-रजातिल् लियब्नु-वकुम्
 फ़ी मा आताकुम्, इन्-न रब्ब-क
 सरीअुल्-अिकाबि व इन्नहू
 ल-ग़फ़ूरर्हीम (165) ❁ ●

बोझ न उठायेगा एक शख्स दूसरे का,
 फिर तुम्हारे रब के पास ही सब को
 लौटकर जाना है, सो वह जतला देगा
 जिस बात में तुम झगड़ते थे। (164)
 और उसी ने तुमको नायब किया है
 ज़मीन में और बुलन्द कर दिये तुम में
 दर्जे एक के एक पर, ताकि आजमाये तुम
 को अपने दिये हुए हुक्मों में, तेरा रब
 जल्द अज़ाब करने वाला है, और वही
 बख़्शने वाला मेहरबान है। (165) ❁ ●

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता (वही के ज़रिये से) बतला दिया है (जो दलीलों से साबित होने के सबब) एक मज़बूत दीन है, जो इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का तरीका है, जिसमें ज़रा भी टेढ़ापन नहीं, और वह (इब्राहीम अलैहिस्सलाम) शिर्क करने वालों में से न थे। (और) आप (उस ज़िक्र हुए दीन की किसी कद्र तफ़सील के लिये) फ़रमा दीजिए कि (उस दीन का हासिल यह है कि) यकीनन मेरी नमाज़ और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना यह सब ख़ालिस अल्लाह तआला ही का है, जो सारे जहान का मालिक है (उसके इबादत का हक़दार होने या रब होने के तसरूफ़ात में) उसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी (ज़िक्र हुए दीन पर रहने) का हुक्म हुआ है, और (हुक्म के मुवाफ़िक) मैं (उस दीन वालों में) सब मानने वालों से पहला (मानने वाला) हूँ।

आप (इन बातिल की तरफ़ बुलाने वालों से) फ़रमा दीजिए कि क्या (तौहीद व इस्लाम की हकीकत वाज़ेह हो जाने के बाद तुम्हारे कहने से) मैं खुदा तआला के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूँ (यानी नऊजु बिल्लाह शिर्क इख़्तियार कर लूँ)? हालाँकि वह हर चीज़ का मालिक है, (और सब चीज़ें उसकी मम्लूक हैं और मम्लूक मालिक का साज़ी नहीं हो सकता) और (तुम जो कहते हो कि तुम्हारा गुनाह हमारे सर, सो यह बिल्कुल बेकार की बात है कि करने वाला पाक साफ़ रहे और सिर्फ़ दूसरा गुनाहगार हो जाये, बल्कि बात यह है कि) जो शख्स भी कोई अमल करता है वह उसी पर रहता है, और कोई दूसरे (के गुनाह) का बोझ न उठाएगा (बल्कि सब अपनी-अपनी भुगतेंगे) फिर (सब के अमल कर चुकने के बाद) तुम सब को अपने रब के पास जाना होगा। फिर वह तुमको जतला देंगे जिस-जिस चीज़ में तुम झगड़ा करते थे (कि कोई किसी दीन को हक़ बतलाता था और कोई किसी को, वहाँ अमली इत्तिहा से फैसला

कर दिया जायेगा कि हक वालों को निजात और बातिल वालों को सजा होगी)।

और वह (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में इख्तियार वाला बनाया (इस नेमत में तो समानता है) और एक का दूसरे पर (विभिन्न चीजों में) रुतबा बढ़ाया (इस नेमत में एक की दूसरे पर बरतरी है) ताकि (इन नेमतों से जाहिरी तौर पर) तुमको उन चीजों में आजमाए जो (ज़िक्र हुई नेमतों में से) तुमको दी हैं। (आजमाना यह कि कौन उन नेमतों की कद्र करके नेमत देने वाले की इताअत करता है और कौन बेकद्री करके इताअत नहीं करता। पस बाजे फ़रमाँबरदार हुए, बाजे नाफ़रमान हुए और दोनों के साथ मुनासिब मामला किया जायेगा, क्योंकि) यकीनन आपका रब जल्द सजा देने वाला (भी) है, और बेशक वह बड़ी मग़फ़िरत करने वाला, बड़ी मेहरबानी करने वाला (भी) है (पस नाफ़रमानों के लिये सजा है और फ़रमाँबरदारों के लिये रहमत है। और नाफ़रमानी से फ़रमाँबरदारी की तरफ़ आने वालों के लिये मग़फ़िरत है। पस शरई अहकाम के पाबन्द लोगों पर ज़रूरी हुआ कि दीने हक़ के मुवाफ़िक़ इताअत इख्तियार करें, और बातिल और हक़ की मुख़ालफ़त से बाज आयें)।

मअरिफ़ व मसाईल

ये सूर: अन्आम की आखिरी छह आयतें हैं। जिन लोगों ने दीने हक़ में कमी-बेशी करके मुख़ालिफ़ दीन बना लिये थे, और खुद मुख़ालिफ़ गिरोहों और फ़िक़ों में बंट गये थे, उनके मुकाबले पर इनमें से पहली तीन आयतों में दीने हक़ की सही तस्वीर, उसके बुनियादी उसूल और कुछ अहम भाग व ऊपर के अहकाम बयान किये गये हैं। पहली दो आयतों में उसूल (बुनियादी चीजों) का बयान है और तीसरी आयत में उनके अहम ऊपरी अहकाम का ज़िक्र है, और दोनों में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मुख़ातब करके यह इरशाद हुआ है कि आप उन लोगों को यह बात पहुँचा दें।

पहली आयत में इरशाद है:

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“यानी आप कह दीजिए कि मुझे मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया है।” इसमें इशारा फ़रमा दिया कि मैंने तुम्हारी तरह अपने ख़्यालात या बाप-दादा की रस्मों के ताबे होकर यह रास्ता इख्तियार नहीं किया बल्कि मेरे रब ने मुझे यह रास्ता बताया है। और लफ़ज़ “रब” से इस अरफ़ भी इशारा कर दिया कि उसकी शाने रबूबियत का तकाज़ा है कि वह सही रास्ता बताये, और भी अगर चाहें तो उसकी तरफ़ हिदायत के सामान्ज तुम्हारे लिये भी मौजूद हैं।

दूसरी आयत में फ़रमाया:

دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

इसमें लफ़ज़ “कियम” मस्दर है कियाम के मायने में, और मुराद इससे कायम रहने वाला स्थिर है, यानी यह दीन स्थिर व मजबूत है जो अल्लाह की तरफ़ से आई हुई मजबूत बुनियादों पर कायम है, किसी के निजी ख़्यालात नहीं, और कोई नया दीन व मज़हब भी नहीं जिसमें

किसी को शुद्धा हो सके, बल्कि पिछले तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का यही दीन है, विशेष तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इसलिये जिक्र फ़रमाया कि दुनिया के हर मज़हब वाले उनकी इज़्ज़त व इमामत के कायल हैं। मौजूदा फ़िर्कों में से यहूदी, ईसाई, अरब के मुशिक आपस में कितने ही भिन्न हों मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी व इमामत पर सब ही मुत्तफ़िक़ (सहमत) हैं। यही वह इमामत व पेशवाई का मक़ाम है जो अल्लाह तआला ने खुसूसी इनाम के तौर पर उनको दिया है, जैसा कि कुरआन में फ़रमाया:

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.

फिर उनमें से हर फ़िर्का यह साबित करने की कोशिश करता था कि हम इब्राहीमी दीन पर कायम हैं, और हमारा मज़हब ही मिल्लते इब्राहीम है। उनके इस मुग़ालते को दूर करने के लिये फ़रमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो यैरुल्लाह की इबादत से परहेज़ करने वाले और शिर्क से नफ़रत करने वाले थे, और यही उनका सबसे बड़ा कारनामा है, तुम लोग जबकि शिर्क में मुब्तला हो गये, यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, ईसाईयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और अरब के मुशिकों ने हज़ारों पत्थरों को खुदाई का शरीक मान लिया तो फिर किसी को यह कहने का हक़ नहीं रहा कि वह मिल्लते इब्राहीमी का पाबन्द है, हाँ यह हक़ सिर्फ़ मुसलमान को पहुँचता है जो शिर्क व कुफ़्र से बेज़ार (नफ़रत करता और उससे बचता) है।

तीसरी आयत में फ़रमाया:

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

इसमें लफ़्ज़ "नुसुक" के मायने कुरबानी के भी आते हैं और हज के हर फ़ैल (काम और रुक्न) को भी नुसुक कहते हैं। हज के आमाल को "मनासिक" कहा जाता है। और यह लफ़्ज़ उभूमी तौर पर इबादत के मायने में भी इस्तेमाल होता है, इसलिये नासिक आबिद के मायने में भी बोला जाता है। इस जगह इनमें से हर एक मायने मुराद लिये जा सकते हैं, और मुफ़रिसरीन सहाबा व ताबिईन से ये सब तफ़्सीरें मन्कूल भी हैं, मगर सिर्फ़ इबादत के मायने इस जगह ज़्यादा मुनासिब मालूम होते हैं। आयत के मायने यह हो गये कि "मेरी नमाज़ और मेरी तमाम इबादतें और मेरी पूरी ज़िन्दगी और फिर मौत यह सब अल्लाह रब्बुल-आलमीन के लिये है।"

इसमें आमाल में से सबसे पहले नमाज़ का जिक्र किया क्योंकि वह तमाम नेक आमाल की रूह और दीन का सुतून है। उसके बाद तमाम आमाल व इबादात का संक्षिप्त जिक्र फ़रमाया, और फिर इससे आगे बढ़कर पूरी ज़िन्दगी के आमाल व अहवाल का जिक्र किया, और आखिर में मौत का। इन सब का जिक्र करके फ़रमाया कि हमारी ये सब चीज़ें सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल-आलमीन के लिये हैं, जिसका कोई शरीक नहीं, और यही पूरे ईमान और पूरे इख़्लास का नतीजा है कि इनसान अपनी ज़िन्दगी के हर हाल में और हर काम में इसको नज़र के सामने रखे कि मेरा और तमाम जहान का एक रब है, मैं उसका बन्दा और हर वक़्त उसकी नज़र में हूँ। मेरा दिल, दिमाग़, आँख, कान, ज़बान और हाथ-पैर, कलम और क़दम उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ न उठना चाहिये। यह वह ध्यान है कि अगर इनसान इसको अपने दिल व दिमाग़ में बिठा ले तो

सही मायने में इनसान और कामिल इनसान ~~हो~~ जाये, और गुनाह व नफ़रत और जराईम का उसके आस-पास भी गुजर न हो।

तफसीर दुर्गे मन्सूर में इसी आयत के तहत में नक़ल किया है कि हज़रत अबू मूसा अश्शरी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाया करते थे कि मेरा दिल चाहता है कि हर मुसलमान इस आयत को बार-बार पढ़ा करे और इसको अपनी ज़िन्दगी का वज़ीफ़ा बना ले।

इस आयत में नमाज़ और तमाम इबादतों का अल्लाह के लिये होना तो ज़ाहिर है कि उनमें शिर्क या दिखावे या किसी दुनियावी स्वार्थ का दख़ल न होना मुराद है। और ज़िन्दगी और मौत का अल्लाह के लिये होना, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि मेरी मौत व ज़िन्दगी ही उसके कब्ज़ा-ए-कुदरत में है, तो फिर ज़िन्दगी के आमाल व इबादात भी उसी के लिये होना लाज़िम है। और यह मायने भी हो सकते हैं कि जितने आमाल ज़िन्दगी से संबन्धित हैं वे भी सिर्फ़ अल्लाह के लिये हैं, जैसे नमाज़ रोज़ा और लोगों के साथ मामलात के हुक्क व फ़राईज़ वगैरह, और जो आमाल मौत से संबन्धित हैं, यानी वसीयत और अपने बाद के लिये जो हर इनसान कोई निज़ाम चाहता और सोचता है, वह सब अल्लाह रब्बुल-आलमीन के लिये और उसी के अहकाम के ताले है।

फिर फ़रमाया:

وَبِذَلِكَ أَمَرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

“यानी मुझे अल्लाह तआला की तरफ़ से इसी कौल व करार और कामिल इख़्लास का हुक्म दिया गया है, और मैं सबसे पहला फ़रमाँबरदार मुसलमान हूँ।”

मुराद यह है कि इस उम्मत में सबसे पहला मुसलमान मैं हूँ। क्योंकि हर उम्मत का पहला मुसलमान खुद वह नबी या रसूल होता है जिस पर शरीअत की वही नाज़िल की जाती है।

और पहला मुसलमान होने से इस तरफ़ भी इशारा हो सकता है कि मख़्लूक़ात में सबसे पहले रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नूर मुबारक पैदा किया गया है, उसके बाद तमाम आसमान व ज़मीन और मख़्लूक़ात वजूद में आये हैं। जैसा कि एक हदीस में इरशाद है:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى نُورِي (روح المعاني)

कि सबसे पहले अल्लाह तआला ने मेरा नूर पैदा किया। (मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी)

किसी के गुनाह का भार दूसरा नहीं उठा सकता

चौथी आयत में मक्का के मुशिरकों वलीद बिन मुगैरा वगैरह की उस बात का जवाब है जो वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आम मुसलमानों से कहा करते थे कि तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ तो तुम्हारे सारे गुनाहों का भार हम उठा लेंगे। इस पर फ़रमाया:

قُلْ أَغْبِرَ اللَّهُ أَيْبِي رَبِّيَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ

इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इरशाद है कि आप उनसे कह दीजिए कि

क्या तुम मुझसे यह चाहते हो कि तुम्हारी तरह मैं भी अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश कर लूँ? हालाँकि वही सारे जहान और सारी कायनात का रब है। इस गुमराही की मुझसे कोई उम्मीद न रखो। बाकी तुम्हारा यह कहना कि हम तुम्हारे गुनाहों का भार उठा लेंगे यह खुद एक बेवकूफी है, गुनाह तो जो शख्स करेगा उसी के नामा-ए-आमाल में लिखा जायेगा, और वही उसकी सज़ा का मुस्तहिक़ होगा, तुम्हारे इस कहने से वह गुनाह तुम्हारी तरफ़ कैसे मुत्तक़िल हो सकता है। और अगर यह ख़्याल हो कि हिसाब और नामा-ए-आमाल में तो उन्हीं के रहेगा लेकिन मैदाने हशर में उस पर जो सज़ा तय होगी वह सज़ा हम भुगत लेंगे, तो इस ख़्याल को भी इस आयत के अगले जुमले ने रद्द कर दिया। फ़रमाया:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ.

“यानी क़ियामत के दिन कोई शख्स दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठायेगा।”

इस आयत ने मुश्रिकों के बेहूदा कौल का जवाब तो दिया ही है, आ़म मुसलमानों को यह ज़ाबता (नियम व उसूल) भी बतला दिया कि क़ियामत के मामले को दुनिया पर अन्दाज़ा न करो कि यहाँ कोई शख्स जुर्म करके किसी दूसरे के सर डाल सकता है, खुसूसन जबकि दूसरा खुद रज़ामन्द भी हो, मगर अल्लाह की अदालत में इसकी कोई गुंजाईश नहीं, वहाँ एक के गुनाह में दूसरा हरगिज़ नहीं पकड़ा जा सकता। इसी आयत से दलील लेकर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि हरामी बच्चे पर माँ-बाप के जुर्म (यानी जिना) का कोई असर नहीं होगा। यह हदीस इमाम हाकिम ने सही सनद से हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत की है।

और एक मय्यित के जनाजे पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी को रोते हुए देखा तो फ़रमाया कि जिन्दों के रोने से मुर्दे को अज़ाब होता है। इब्ने अबी मुलैका कहते हैं कि मैंने यह कौल हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने नक़ल किया तो उन्होंने फ़रमाया कि तुम एक ऐसे शख्स का यह कौल नक़ल कर रहे हो जो न कभी झूठ बोलता है और न उनकी विश्वसनीयता में कोई शुब्हा किया जा सकता है, मगर कभी सुनने में भी ग़लती हो जाती है, इस मामले में तो कुरआन का वाज़ेह फैसला तुम्हारे लिये काफी है:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ.

“यानी एक का गुनाह दूसरे पर नहीं पड़ सकता। तो किसी जिन्दा आदमी के रोने से बेकसूर मुर्दा किस तरह अज़ाब में फंस सकता है।” (दुर्गे मन्सूर)

आयत के आख़िर में इरशाद फ़रमाया कि “फिर तुम सब को आख़िरकार अपने रब ही के पास जाना है, जहाँ तुम्हारे सारे विवादों का फैसला सुना दिया जायेगा।” मतलब यह है कि बात बनाने और उल्टी-सीधी बहस करने से बाज़ आओ, अपने अन्जाम की फ़िक्र करो।

पाँचवीं और छठी आयत में एक जामे नसीहत पर सूर: अन्आम को ख़त्म किया गया है, और वह यह कि गुज़रे ज़माने की तारीख़ (इतिहास) और पिछली क़ौमों के हालात को उनके सामने लाकर अपने भविष्य की तरफ़ मुतवज्जह फ़रमाया गया है:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرَاضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ.

इसमें लफ्ज़ "खलाईफ़" खलीफ़ा की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं किसी का कायम-मकाम और गद्दी संभालने वाला होना। कि अल्लाह तआला ने ही तुमको तुमसे पहली कौमों की जगह पर आवाद किया है, कोई मकान जमीन जिसको आज तुम अपनी मिल्कियत कहते हो और समझते हो ऐसा नहीं जो कल तुम्हीं जैसे दूसरे इनुसानों की मिल्कियत में न हो, अल्लाह तआला ने उनको हटाकर तुम्हें उनकी जगह बैठाया है, और फिर यह बात भी हर वक्त काबिले गौर है कि तुम में भी सब आदमी बराबर नहीं, कोई ग़रीब है कोई मालदार, कोई ज़लील है कोई इज़्ज़तदार। और यह भी ज़ाहिर है कि अगर मालदारी और इज़्ज़त खुद इनुसान के इख्तियार में होती तो कौनसा इनुसान ग़रीबी और ज़िल्लत को इख्तियार करता, यह दर्जों का फ़र्क भी तुम्हें इसकी ख़बर दे रहा है कि इख्तियार किसी और हस्ती के हाथ में है, वह जिसको चाहे ग़रीब कर दे जिसको चाहे मालदार, जिसको चाहे इज़्ज़त दे जिसको चाहे ज़िल्लत।

आयत के आखिर में फ़रमाया:

لِيَلْوَكُم فِي مَا آتَاكُمْ

यानी तुम्हें दूसरे लोगों की जगह बैठाने और उनके माल व जायदाद का मालिक बन जाने और फिर इज़्ज़त व दौलत के एतिबार से विभिन्न दर्जों में रखने से मक़सद ही यह है कि तुम्हारी आँखें खुलें और इसका इम्तिहान हो कि जो नेमतें पिछले लोगों को हटाकर तुम्हारे सुपुर्द की गयी हैं उनमें तुम्हारा अमल क्या होता है, शुक्रगुज़ारी और फ़रमाँबरदारी का या नाशुक्रा और नाफ़रमानी का?

छठी आयत में इन दोनों हालतों का अन्जाम इस तरह बतला दिया:

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ


"यानी आपका सब नाफ़रमानों पर जल्द अज़ाब भेजने वाला है, और फ़रमाँबरदारों के लिये ग़फ़ूररहीम (माफ़ करने और रहम करने वाला) है।"

सूर: अन्आम का शुरू हम्द (अल्लाह की तारीफ़) से हुआ और ख़त्म मग़फ़िरत पर। अल्लाह तआला हम सब को हम्द की तौफ़ीक़ और मग़फ़िरत से मालामाल फ़रमा दें।

हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- सूर: अन्आम मुकम्मल एक ही बार में नाज़िल हुई, और इस शान के साथ नाज़िल हुई, कि सत्तर हजार फ़रिश्ते इसके साथ में तस्बीह पढ़ते हुए आये। इसी लिये हज़रत फारूक़े आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि सूर: अन्आम कुरआने करीम की अफ़ज़ल (श्रेष्ठ) व आला सूरतों में से है।


कुछ रिवायतों में हज़रत अली करमल्लाहु वज्हू से मन्कूल है कि यह सूरत जिस बीमार पर पढ़ी जाये अल्लाह तआला उसको शिफ़ा देते हैं। व आखिरु दअ्वाना अनिल्-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आलमीन।

(अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि सूर: अन्आम की तफ़सीर पूरी हुई)



* सूरः आराफ़ *

यह सूरत मक्की है। इसमें 206 आयतें
और 24 रुकूअ हैं।



"Twaakkaltu 'alā Khāliqū"

تفاسیر

۱۵۰
تفاسیر

اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلَى
سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ
وَّعَلَى
اٰلِهِ
وَّصَحْبِهِ
وَسَلِّمْ

सूर: आराफ

سُورَةُ الْأَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ ۝ ٢٠٦ آيَاتٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

النَّصَّ ۝ كَتَبْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ ۝
 اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝ وَكَمْ مِّنْ
 قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ۝ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا
 إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَلَنَقْضِيَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ وَعِلْمُ وَمَا
 كُنَّا غَافِلِينَ ۝

सूर: आराफ मक्का में नाजिल हुई। इसमें 206 आयतें और 24 रकूअ हैं।

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलिफ्-लाम्-मीम्-साँद (1) किताबुन्
 उन्जि-ल इलै-क फला यकुन् फी
 सदरि-क ह-रजुम् मिन्हु लितुन्जि-र
 बिही व जिक्रा लिल्मुअमिनीन (2)
 इत्तबिअू मा उन्जि-ल इलैकुम्
 मिर्रब्बिकुम् व ला तत्तबिअू मिन्
 दूनिही औलिया-अ, कलीलम् मा
 तज्ककरून (3) व कम् मिन्
 कयतिन् अह्लकनाहा फजा-अहा
 बअसुना बयातन् औ हुम् का-इलून
 (4) फमा का-न दअ्वाहुम्-इज़्

अलिफ्-लाम्-मीम्-साँद। (1) यह किताब
 उतरी है तुझ पर सो चाहिए कि तेरा जी
 तंग न हो इसके पहुँचाने से, ताकि डराये
 इससे और नसीहत हो ईमान वालों को।
 (2) चलो इसी पर जो उतरा तुम पर
 तुम्हारे रब की तरफ से, और न चलो
 इसके सिवा और साथियों के पीछे, तुम
 बहुत कम ध्यान करते हो। (3) और
 कितनी बस्तियाँ हमने हलाक कर दीं किं
 पहुँचा उन पर हमारा अज़ाब रातों-रात या
 दोपहर को सोते हुए। (4) फिर यही थी
 उनकी पुकार जिस वक़्त कि पहुँचा उन
 पर हमारा अज़ाब कि कहने लगे कि

जा-अहुम् बअसुना इल्ला अन् कालू
 इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन (5)
 फ़-लनस्-अलन्नल्लज़ी-न उर्सि-ल
 इलैहिम् व ल-नस्अलन्नल्-मुरसलीन
 (6) फ़-ल-नकुस्सन्-न अलैहिम्
 बिअलिम्बु-व मा कुन्ना गा-इबीन (7)

बेशक हम ही थे गुनाहगार। (5) सो
 हमको ज़रूर पूछना है उनसे जिनके पास
 रसूल भेजे गये थे, और हमको ज़रूर
 पूछना है रसूलों से। (6) फिर हम उनको
 हालात सुना देंगे अपने इल्म से और हम
 कहीं गायब न थे। (7)

सूरत के मज़ामीन का खुलासा

पूरी सूरत पर नज़र डालने से मालूम होता है कि इसमें ज्यादातर मज़ामीन मआद (यानी आखिरत) और रिसालत से संबन्धित हैं, और पहली ही आयत 'किताबुन उन्ज़ि-ल....' में नुबुव्वत का और आयत नम्बर 6 'फ़-लनस्अलन्नल्लज़ी-न.....' में मआद व आखिरत की तहकीक़ का मज़मून है। और रुकूअ नम्बर चार के आधे से रुकूअ नम्बर छह के ख़त्म तक बिल्कुल आखिरत की बहस है। फिर रुकूअ नम्बर आठ से इक्कीसवीं रुकूअ तक वे मामलात बयान हुए हैं जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों के बीच हुए हैं। ये सब मसले रिसालत से संबन्धित हैं, और इन किस्सों में साथ-साथ नुबुव्वत व रिसालत के इनकारियों की सज़ाओं का भी जिक्र चला आया है, ताकि नुबुव्वत व रिसालत के मौजूदा इनकार करने वालों को सीख हासिल हो। और रुकूअ नम्बर बाईस के आधे से तेईस के ख़त्म तक फिर मआद (यानी आखिरत) की बहस है। सिर्फ़ सातवें और बाईसवीं रुकूअ के शुरू में और आखिरी रुकूअ (यानी नम्बर चौबीस) के अक्सर हिस्से में तौहीद (अल्लाह के एक अकेला माबूद होने के एतिकाद लाने) पर ख़ास बहस है, बाकी बहुत कम हिस्सा सूरत का ऐसा है जिसमें आशिक फ़ुर्द (ऊपर के) अहकाम मौके की मुनासबत से बयान हुए हैं। (तफसीर बयानुल-कुरआन)

खुलासा-ए-तफसीर

अलिफ़-लाम्-मीम्-साद (इसके मायने तो अल्लाह तआला ही के इल्म में हैं और अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बीच एक राज़ है, जिस पर उम्मत-को इत्तिला-नहीं दी गयी, बल्कि इसकी जुस्तजू को भी मंज़ा किया गया)।

كُنْتُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ..... الخ

यह (कुरआन) एक किताब है जो (अल्लाह की तरफ़ से) आपके पास इसलिए भेजी गई है कि आप इसके ज़रिये (लोगों को नाफ़रमानी की सज़ा से) डराएँ, सो आपके दिल में (किसी के न मानने से) बिल्कुल तंगी न होनी चाहिए (क्योंकि किसी के न मानने से आपकी नुबुव्वत के

तफसीर
 असल
 आर
 साबे
 ख व
 आर
 नाज़
 जिना
 ता
 उनके
 ता
 कि वे
 पिस
 निकल
 इफ़रा
 क़ाब
 पैम्ब
 पूजने
 कं डों
 उ... रा
 यमी
 तन्परी
 रुकूअ
 और
 रिगा
 इफ़की
 लक़े
 चाहिये

असल मक़सद में जो कि हक़ बात पहुँचाने का है, कोई खलल नहीं आता, फिर आप क्यों दुखी और परेशान हों। और यह (कुरआन विशेष तौर पर) नसीहत है ईमान वालों के लिए।

(आगे आम उम्मत को खिताब है कि जब कुरआन का अल्लाह की ओर से नाज़िल होना साबित हो गया तो) तुम लोग इस (किताब की हिदायतों का) पालन करो, जो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से आई है (किताब पर अमल करना यह है कि इसकी दिल से तस्दीक़ भी करो और इस पर अमल भी) और खुदा तआला को छोड़कर (जिसने तुम्हारी हिदायत के लिये कुरआन नाज़िल किया) दूसरे रफ़ीकों (साथियों) की पैरवी मत करो, (जो तुमको गुमराह करते हैं, जैसे जिन्नात व इनसानों में के शैतान, मगर बावजूद इस हमदर्दी भरी तंबीह और समझाने के) तुम लोग बहुत ही कम नसीहत मानते हो। और बहुत-सी बस्तियों को (यानी उनके रहने वालों को उनके कुफ़्र और झुठलाने की बिना पर) हमने तबाह कर दिया, और उन पर हमारा अज़ाब (या तो) रात के वक़्त पहुँचा (जो सोने और आराम करने का वक़्त है) या ऐसी हालत में (पहुँचा) कि वे दोपहर के वक़्त आराम में थे (यानी किसी को किसी वक़्त, किसी को किसी वक़्त)। तो जिस वक़्त उन पर हमारा अज़ाब आया उस वक़्त उनके मुँह से सिवाय इसके और कोई बात न निकली थी कि वाकई हम ज़ालिम (और खतावार) थे। (यानी ऐसे वक़्त इकरार किया जबकि इकरार का वक़्त गुज़र चुका था। यह तो दुनियावी अज़ाब हुआ) फिर (उसके बाद आखिरत के अज़ाब का सामान होगा यानी क़ियामत में) हम उन लोगों से (भी) ज़रूर पूछेंगे जिनके पास पैग़म्बर भेजे गए थे (कि तुमने पैग़म्बरों का कहना माना या नहीं) और हम पैग़म्बरों से ज़रूर पूछेंगे (कि तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हारा कहना माना या नहीं? और दोनों सवालों से मक़सद काफ़िरों को डाँट-डपट और तंबीह होगी) फिर हम चूँकि पूरी ख़बर रखते हैं, खुद ही (सब के सामने उनके आमाल को) बयान कर देंगे, और हम (अमल के वक़्त और जगह से) ग़ायब तो न थे।

मआरिफ़ व मसाईल

इस पूरी सूरत पर नज़र डालने से मालूम होता है कि इस सूरत के मज़ामीन ज़्यादातर मआद यानी आखिरत और नुबुव्वत व रिसालत के बारे में हैं। चुनाँचे सूरत के शुरू से छठे रूकूअ तक तकरीबन मआद व आखिरत के मज़मून का बयान हुआ है, फिर आठवें रूकूअ से इक्कीसवें रूकूअ तक पहले अम्बिया के हालात और उनकी उम्मतों के वाकिआत, उनकी जज़ा व सज़ा और उन पर आने वाले अज़ाबों का विस्तार से तज़क़िरा है

فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَزَجٌ

पहली आयत में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिताब फरमाकर यह इरशाद किया गया है कि यह कुरआन अल्लाह की किताब है जो आपके पास भेजी गयी है, आपको इसकी वजह से दिली तंगी न होनी चाहिये। दिली तंगी से मुराद यह है कि कुरआने करीम और उसके अहक़ाम की तब्लीग़ (पहुँचाने) में आपको किसी का डर बाधा और रुकावट न होना चाहिये कि लोग इसको झुठला देंगे और आपको तकलीफ़ देंगे। (मजहरी, अबुल-आलिया की रिवायत से)

इशारा इस बात की तरफ है कि जिसने आप पर यह किताब नाज़िल फ़रमाई है उसने आपकी इमदाद व हिफ़ाज़त का भी इन्तिज़ाम कर दिया है, इसलिये आप क्यों दिल-तंग (दुखी और परेशान) हों। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इस जगह दिली तंगी से मुराद यह है कि कुरआन और इस्लाम के अहकाम सुनकर भी जो लोग मुसलमान न होते थे तो यह हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उम्मत के लिये शफ़क़त व हमदर्दी के सबब भारी गुज़रता था, इसी को दिली तंगी से ताबीर किया गया, और यह बतलाया गया है कि आपका फ़र्ज़ मन्सबी सिर्फ़ तब्लीग़ व दावत का है, जब आपने यह काम कर लिया तो अब यह जिम्मेदारी आपकी नहीं कि कौन मुसलमान हुआ कौन नहीं हुआ, फिर आप क्यों बिना वजह दिल-तंग हों।

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ

यानी क़ियामत के दिन आम लोगों से सवाल किया जायेगा कि हमने तुम्हारे पास अपने रसूल और किताबें भेजी थीं, तुमने उनके साथ क्या मामला किया? और रसूलों से पूछा जायेगा कि जो रिसालत और अल्लाह के अहकाम का पैग़ाम देकर हमने आपको भेजा था वो आप हज़रात ने अपनी-अपनी उम्मतों को पहुँचा दिये या नहीं? (मज़हरी, बैहकी से इब्ने अब्बास के हवाले से) और सही मुस्लिम में हज़रात जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से बयान हुआ है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आखिरी हज के खुतबे (सम्बोधन) में लोगों से सवाल किया कि क़ियामत के दिन तुम लोगों से मेरे बारे में सवाल किया जायेगा कि मैंने तुम लोगों को अल्लाह का पैग़ाम पहुँचा दिया कि नहीं? उस वक़्त तुम इसके जवाब में क्या कहोगे? सब सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि हम कहेंगे कि आपने अल्लाह का पैग़ाम हम तक पहुँचा दिया, और अल्लाह की अमानत का हक़ अदा कर दिया, और उम्मत के साथ ख़ैरख़्वाही का मामला किया। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

اللَّهُمَّ اشْهَدْ

“यानी या अल्लाह! आप गवाह रहें।”

और मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआला मुझसे मालूम फ़रमायेंगे कि क्या मैंने अल्लाह तआला का पैग़ाम बन्दों को पहुँचा दिया, और मैं जवाब में अर्ज़ करूँगा कि मैंने पहुँचा दिया है, इसलिये अब तुम सब इसका एहतिमांम करो कि जो लोग हाज़िर (उपस्थित) हैं वे ग़ायब (अनुपस्थित) लोगों तक मेरा पैग़ाम पहुँचा दें। (तफ़सीरे मज़हरी)

गायब लोगों से मुराद वे लोग हैं जो उस ज़माने में मौजूद थे मगर उस मजलिस में हाज़िर न थे, और वो नस्लें भी जो बाद में पैदा होंगी। उन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पैग़ाम पहुँचाने का मतलब यह है कि हर ज़माने के लोग आने वाली नस्ल को इस पैग़ाम के पहुँचाने का सिलसिला जारी रखें, ताकि क़ियामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों को यह पैग़ाम पहुँच जाये।

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

تفسير

وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ

مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظَاهِرُونَ ۝ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ

جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

वल्वज़नु यौमइज़ि-निल्हक्कु फ़-मन्
सकुलत् मवाज़ीनुहू फ़-उलाइ-क
हुमुल्-मुफ़िलहून (8) व मन् ख़प्फ़त्
मवाज़ीनुहू फ़-उला-इकल्लज़ी-न
ख़ासिरू अन्फु-सहुम् बिमा कानू
बिआयातिना यज़िलमून (9) व
त-क़द् मक्कन्नाकुम् फ़िल्अज़ि व
जअल्ना लकुम् फ़ीहा मआयि-श,
क़लीलम् मा तश्कुरुन (10) ❀

और तौल उस दिन ठीक होगी फिर
जिसकी तौलें भारी हुईं सो वही हैं निजात
पाने वाले। (8) और जिसकी तौलें हल्की
हुईं सो वही हैं जिन्होंने अपना नुक़सान
किया, इस वास्ते कि हमारी आयतों का
इनकार करते थे। (9) और हमने तुमको
जगह दी ज़मीन में और मुक़रर कर दीं
उसमें तुम्हारे लिये रोज़ियाँ, तुम बहुत
कम शुक्र करते हो। (10) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और उस दिन (यानी क़ियामत के दिन आमाल व अक़ीदों का) वज़न भी किया जाएगा (ताकि आम तौर पर हर एक की हालत ज़ाहिर हो जाये) फिर (वज़न के बाद) जिस शख्स का (ईमान का) पल्ला भारी होगा (यानी वह मोमिन होगा) सो ऐसे लोग (तो) कामयाब होंगे (यानी निजात पायेंगे)। और जिस शख्स का (ईमान का) पल्ला हल्का होगा (यानी वह काफ़िर होगा) सो वे लोग होंगे जिन्होंने अपना नुक़सान कर लिया, इस वजह से कि वे हमारी आयतों की इन्कार करते थे। और बेशक हमने तुमको ज़मीन पर रहने के लिए जगह दी और हमने तुम्हारे लिए इस (ज़मीन) में जिन्दगानी का सामान पैदा किया (जिसका तकाज़ा यह था कि तुम इसके शुक्रिये में फ़रमाँवरदार व हुक्मों के पालनकारी होते, लेकिन) तुम लोग बहुत ही कम शुक्र पैदा करते हो (मुराद इससे इताअत है, और क़म्र इसलिये फ़रमाया कि थोड़ा बहुत नेक काम तो अक्सर लोग कर ही लेते हैं, लेकिन इमान न होने के सबब वह काबिले एतिबार नहीं)।

मआरिफ़ व मसाईल

पहली आयत में इरशाद है:

وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

यानी भले-बुरे आमाल का वजन होना उस दिन हक व सही है, इसमें किसी शक व शुक् की गुंजाईश नहीं। इसमें इस तरफ इशारा है कि लोग इससे धोखा न खायें कि वजन और तौल तो उन चीजों की हुआ करती है जिनमें कोई बोझ और भारीपन हो, इनसान के आमाल चाहे अच्छे हों या बुरे उनका कोई जिस्म और वजूद ही नहीं, जिसकी तौल हो सके, फिर आमाल का वजन कैसे होगा? क्योंकि अब्बल तो मालिकुल-मुल्क कादिरे-मुतलक हर चीज पर कादिर है, यह क्या जरूरी है कि जिस चीज को हम न तौल सकें हक तअला भी न तौल सकें। इसके अलावा आजकल तो दुनिया में वजन तौलने के लिये नये-नये उपकरण और आले ईजाद हो चुके हैं, जिनमें न तराजू की जरूरत है, न उनके पल्लों की और न डण्डी की और काँटे की। आज तो इन नये उपकरणों के जरिये वो चीजें भी तौली जाती हैं जिनके तौलने का आज से पहले किसी को ख्याल व गुमान भी न था। हवा तौली जाती है, बिजली की रौ तौली जाती है, सर्दी गर्मी तौली जाती है, इनका मीटर ही इनकी तराजू होती है, अगर हक तअला अपनी कामिल कुदरत से इनसानी आमाल का वजन कर लें तो इसमें क्या मुहाल और ताज्जुब की बात है। इसके अलावा खालिके कायनात को इस पर भी कुदरत है कि हमारे आमाल को किसी वक्त जिस्मानी वजूद और कोई शक्ल व सूरत अता फरमा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम की हदीस की बहुत सी रिवायतें इस पर सुबुत भी हैं कि बर्जख और मेहशर में इनसानी आमाल खास-खास शक्लों और सूरतों में आयेंगे। कब्र में इनसान के नेक आमाल एक हसीन सूरत में उसकी तन्हाई के साथी बनेंगे, और बुरे आमाल साँप बिच्छू बनकर लिपटेंगे। हदीस में है कि जिस शख्स ने माल की जकात नहीं अदा की वह माल एक जहरीले साँप की शक्ल में उसकी कब्र में पहुँचकर उसको डसेगा, और कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ मैं तेरा खजाना हूँ।

इसी तरह मोतबर हदीसों में है कि मैदाने हशर में इनसान के नेक आमाल उसकी सवारी बन जायेंगे, और बुरे आमाल बोझ बनकर उसके सर पर लादे जायेंगे।

एक सही हदीस में है कि कुरआन मजीद की सूर: ब-करह और सूर: आले इमरान मैदाने हशर में दो गहरे बादलों की शक्ल में आकर उन लोगों पर साया करने वाली होंगी जो इन सूरतों के पढ़ने वाले थे।

इसी तरह की हदीस की बेशुमार रिवायतें विश्वसनीय और मोतबर तरीकों से मन्कूल हैं जिनसे मालूम होता है कि इस जहान से गुजर जाने के बाद हमारे ये सारे अच्छे-बुरे आमाल खास-खास शक्लें और सूरतें इख्तियार कर लेंगे, और एक जिस्मानी वजूद के साथ मैदाने हशर में मौजूद होंगे।

कुरआन मजीद के भी बहुत से इरशादात से इसकी ताईद होती है। एक जगह इरशाद है:

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا.

“यानी लोगों ने दुनिया में जो कुछ अमल किया था उसको वहाँ हाज़िर व मौजूद पायेंगे।”

एक आयत में फरमाया:

مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

“यानी जो शख्स एक ज़र्रे के बराबर भी कोई नेकी करेगा तो क़ियामत में उसको देखेगा, और एक ज़र्रे की बराबर भी बुराई करेगा तो क़ियामत में उसको भी देखेगा।”

इन हालात से ज़ाहिर यही है कि इनसान का अमल माददी वजूद के साथ उसके सामने आयेगा, उनमें भी कोई और दूर के मायने बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं, कि आमाल की जज़ा (बदले) को मौजूद पायेगा और देखेगा।

इन हालात में ज़ाहिर है कि इन आमाल का तौला जाना कोई बर्द या मुश्किल चीज़ नहीं रहता, मगर चूँकि थोड़ी सी अक्ल व समझ का मालिक इनसान इसका आदी है कि सारे चीज़ों और मामलात को अपनी मौजूदा हालत और ज़ाहिरी कैफ़ियत पर अन्दाज़ा व ख़्याल करता है, और सब चीज़ों को इसी के पैमाने से जाँचता है। कुरआने करीम ने इसके इसी हाल को इस तरह बयान फ़रमाया है:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ.

यानी ये लोग सिर्फ़ दुनियावी ज़िन्दगी के एक ज़ाहिरी पहलू को जानते हैं वह भी पूरा नहीं, और आख़िरत से बिल्कुल गाफ़िल हैं। दुनियावी ज़िन्दगी के ज़ाहिरी मामलात में तो ज़मीन व आसमान की बातें बनाते हैं, मगर चीज़ों की हकीकत से जो पूरे तौर पर आख़िरत में सामने आने वाली हैं, ये लोग बिल्कुल बेख़बर हैं।

उक्त आयत में इसी लिये एहतिमाम करके यह फ़रमाया गया:

وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ.

ताकि ज़ाहिरी हालात पर नज़र रखने वाला यह इनसान आख़िरत में आमाल के तौले जाने से इनकार न कर बैठे, जो कुरआने करीम से साबित और पूरी उम्मे मुस्लिमा का अक़ीदा है।

कुरआन मजीद में क़ियामत के दिन आमाल का वज़न होने का मसला बहुत सी आयतों में विभिन्न उनवानों से बयान हुआ है और हदीस की रिवायतें इसकी तफ़सीलात में बेशुमार हैं।

आमाल का वज़न होने के बारे में एक शुब्हा और जवाब

आमाल के वज़न होने के बारे में जो तफ़सीली बयान रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों में आया है उसमें एक बात तो यह काबिले गौर है कि हदीस की अनेक रिवायतों में आया है कि मेहशर की इन्साफ़ की तराजू में सबसे बड़ा वज़न कलिमा “ला इला-ह इल्ला-हु मुहम्मदुररसूलुल्लाहि” का होगा। जिस पल्ले में यह कलिमा होगा वह सब पर भारी होगा।

तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, इब्ने हिब्बान, बैहकी और हाकिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर सल्लल्लाहु अन्हु से यह रिवायत नक़ल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेहशर में मेरी उम्मत का एक आदमी सारी मख़्लूक के सामने लाया जायेगा और

उसके निम्नानवे नामा-ए-आमाल लाये जायेंगे, और उनमें से हर नामा-ए-आमाल इतना लम्बा होगा कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है। और ये सब नामा-ए-आमाल बुराईयों और गुनाहों से भरे होंगे। उस शख्स से पूछा जायगा कि इन नामा-ए-आमाल में जो कुछ लिखा है वह सब सही है या नामा-ए-आमाल लिखने वाले फ़रिश्तों ने तुम पर कुछ जुल्म किया है और खिलाफ़े हकीकत कोई बात लिख दी है? वह इक़रार करेगा कि ऐ मेरे परवर्दिगार! जो कुछ लिखा है सब सही है, और दिल में घबरायेगा कि अब मेरी निजात की क्या सूरत हो सकती है? उस वक़्त हक़ तआला फ़रमायेंगे कि आज किसी पर जुल्म नहीं होगा, इन तमाम गुनाहों के मुक़ाबले में तुम्हारी एक नेकी का पर्चा भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें तुम्हारा कलिमा:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

अशहदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्-न मुहम्मदन् अब्दुहु व रसूलुहु

लिखा हुआ है। वह अर्ज़ करेगा कि ऐ परवर्दिगार! इतने बड़े सियाह नामा-ए-आमाल के मुक़ाबले में यह छोटा सा पर्चा क्या वज़न रखेगा? उस वक़्त इरशाद होगा कि तुम पर जुल्म नहीं होगा, और एक पल्ले में वो सब गुनाहों से भरे हुए नामा-ए-आमाल रखे जायेंगे, दूसरे में यह ईमान के कलिमे का पर्चा रखा जायेगा, तो इस कलिमे का पल्ला भारी हो जायेगा और सारे गुनाहों का पल्ला हल्का हो जायेगा। इस वाक़िए को बयान करके रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह के नाम के मुक़ाबले में कोई चीज़ भारी नहीं हो सकती।

(तफसीरे मज़हरी)

और मुस्नद बज़्ज़ार और मुस्तदरक हाकिम में हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जब नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त आया तो उन्होंने अपने लड़कों को जमा करके फ़रमाया कि मैं तुम्हें कलिमा "ला इला-ह इल्लल्लाहु" की वसीयत करता हूँ। क्योंकि अगर सातों आसमान और ज़मीन एक पल्ले में और कलिमा "ला इला-ह इल्लल्लाहु" दूसरे पल्ले में रख दिया जाये तो कलिमे का पल्ला ही भारी रहेगा। इसी मज़मून की हदीस की रिवायतें हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मोतबर सनदों के साथ हदीस की किताबों में नक़ल की गयी हैं। (तफसीरे मज़हरी)

इन रिवायतों का तकाज़ा तो यह है कि मोमिन का पल्ला हमेशा भारी रहेगा, चाहे वह कितने भी गुनाह करे, लेकिन कुरआन मजीद की दूसरी आयतों और हदीस की बहुत सी रिवायतों से साबित होता है कि मुसलमानों की नेकियों और अच्छाईयों को तोला जायेगा, किसी की नेकियों का पल्ला भारी होगा, किसी के गुनाहों का। जिसकी नेकियों का पल्ला भारी रहेगा वह निजात पायेगा, जिसकी बुराईयों और गुनाहों का पल्ला भारी होगा उसको अज़ाब होगा।

मसलन कुरआन मजीद की एक आयत में है:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيبِينَ

“यानी हम क़ियामत के दिन इन्साफ़ की तराजू कायम करेंगे इसलिये किसी शख्स पर मामूली सा भी जुल्म नहीं होगा। जो भलाई या बुराई एक राई के दाने के बराबर भी किसी ने की है वह सब अमल की तराजू में रखी जायेगी, और हम हिसाब के लिये काफी हैं।”

और सूर: कारिआ में है:

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ.

“यानी जिसका नेकियों का पल्ला भारी होगा वह उम्दा ऐश में रहेगा, और जिसका पल्ला नेकी का हल्का होगा उसका मक़ाम दोज़ख़ होगा।”

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन आयतों की तफ़सीर में फ़रमाया कि जिस मोमिन का नेकियों का पल्ला भारी होगा वह अपने आमाल के साथ जन्नत में और जिसका गुनाहों का पल्ला भारी होगा वह अपने आमाल के साथ जहन्नम में भेज दिया जायेगा।

(बैहकी, शुअबुल-ईमान, तफ़सीरे मज़हरी)

और अबू दाऊद में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि अगर किसी बन्दे के फ़र्जों में कोई कमी पाई जाये तो रब्बुल-आलमीन का इरशाद होगा कि देखो इस बन्दे के कुछ नवाफ़िल भी हैं या नहीं, अगर नवाफ़िल मौजूद हैं तो फ़र्जों की कमी को नफ़िलों से पूरा कर दिया जायेगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

इन तमाम आयतों और रिवायतों का हासिल यह है कि मोमिन मुसलमान का पल्ला भी कभी भारी कभी हल्का होगा। इसलिये तफ़सीर के कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि इससे मालूम होता है कि मेहशर में वज़न दो मर्तबा होगा, पहले कुफ़्र व ईमान का वज़न होगा, जिसके ज़रिये मोमिन, काफ़िर का फ़र्क और भेद किया जायेगा, इस वज़न में जिसके नामा-ए-आमाल में सिर्फ़ ईमान का कलिमा भी है उसका पल्ला भारी हो जायेगा, और वह काफ़िरों के गिरोह से अलग कर दिया जायेगा। फिर दूसरा वज़न अच्छे बुरे आमाल का होगा, इसमें किसी मुसलमान की नेकियाँ किसी की बुराईयाँ भारी होंगी, और उसी के मुताबिक़ उसको जज़ा व सज़ा मिलेगी। इस तरह तमाम आयतों और रिवायतों का मज़मून अपनी-अपनी जगह दुरुस्त और एक दूसरे के मुवाफ़िक़ हो जाता है। (तफ़सीर बयानुल-कुरआन)

आमाल का वज़न किस तरह होगा?

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से यह हदीस मन्कूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन कुछ मोटे फ़र्षा आदमी आयेंगे जिनका वज़न अल्लाह के नज़दीक़ एक मच्छर के पर के बराबर भी न होगा, और इसके सुबूत में आपने कुरआने करीम की यह आयत पढ़ी:

فَلَا تَنفَعُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنَانَا.

“यानी क़ियामत के दिन हम उनका कोई वज़न करार न देंगे।” (तफ़सीरे मज़हरी)

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ़ में यह हदीस आई है कि हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इनकी टाँगें ज़ाहिर में कितनी पतली हैं लेकिन कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि क़ियामत की इन्साफ़ की तराजू में इनका वज़न उहुद पहाड़ से भी ज़्यादा होगा।

और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की वह हदीस जिस पर इमाम बुख़ारी ने अपनी किताब को ख़त्म किया है, उसमें यह है कि दो कलिमे ऐसे हैं जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं मगर अमल की तराजू में बहुत भारी हैं, और अल्लाह तआला के नज़दीक महबूब हैं, और वो कलिमे यह हैं:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

सुब्हानल्लाहि व बिहमिद्ही सुब्हानल्लाहिल् अज़ीम

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाया करते थे कि सुब्हानल्लाह कहने से अमल की तराजू का आधा पल्ला भर जाता है, और अल्हम्दु लिल्लाह से बाकी आधा पूरा हो जाता है।

और अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान ने सही सनद के साथ हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अमल की तराजू में अच्छे अख़्लाक के बराबर कोई अमल वज़नी नहीं होगा।

और हज़रत अबूज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हें ऐसे दो काम बताता हूँ जिन पर अमल करना इनसान के लिये कुछ भारी नहीं, और अमल की तराजू में वो सबसे ज़्यादा भारी होंगे- एक अच्छा अख़्लाक, दूसरे ज़्यादा ख़ामोश रहना, यानी बिना ज़रूरत कलाम न करना।

और इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि ने किताबुज्जोहद में हज़रत हाज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास एक मर्तबा जिब्रीले अमीन तशरीफ़ लाये तो वहाँ कोई शख्स अल्लाह के ख़ौफ़ से रो रहा था, तो जिब्रीले अमीन ने फ़रमाया कि इनसान के तमाम आमाल का तो वज़न होगा मगर खुदा व आख़िरत के ख़ौफ़ से रोना ऐसा अमल है जिसको तौला न जायेगा, बल्कि एक आँसू भी जहन्नम की बड़ी से बड़ी आग को बुझा देगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

एक हदीस में है कि मैदाने हशर में एक शख्स हाज़िर होगा, जब उसका नामा-ए-आमाल सामने आयेगा तो वह अपने नेक आमाल को बहुत कम पाकर घबरायेगा कि अचानक एक चीज़ बादल की तरह उठकर आयेगी और उसके नेक आमाल के पल्ले में गिर जायेगी, और उसको बतलाया जायेगा कि यह तेरे उस अमल का फल है जो तू दुनिया में लोगों को दीन के अहकाम व मसाईल बतलाता और सिखाता था, और यह तेरी तालीम का सिलसिला आगे चला तो जिस जिस शख्स ने इस पर अमल किया उन सब के अमल में तेरा हिस्सा भी लगाया गया।

(तफ़सीरे मज़हरी, इब्ने मुबारक की रिवायत से)

तबरानी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख्स जनाज़े के साथ क़ब्रिस्तान तक जाये उसकी अमल की तराजू में दो कीरात रख दी जायेंगी। और दूसरी रिवायतों में है कि उस कीरात का वज़न उहुद पहाड़ के बराबर होगा।

तबरानी ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- इनसान के अमल की तराजू में सबसे पहले जो अमल रखा जायेगा वह अपने अहल व अयाल (घर वालों और बाल-बच्चों) पर खर्च करने और उनकी ज़रूरतें पूरा करने का नेक अमल है।

और इमाम ज़हबी रह. ने हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन उलेमा की रोशनाई जिससे उन्होंने इल्मे दीन और अहकामे दीन लिखे हैं और शहीदों के खून को तौला जायेगा तो उलेमा की रोशनाई का वज़न शहीदों के खून के वज़न से बढ़ जायेगा।

क़ियामत में आमाल का वज़न होने के बारे में हदीस की इस तरह की रिवायतें बहुत हैं, यहाँ चन्द को इसलिये ज़िक्र किया गया है कि इनसे ख़ास-ख़ास आमाल की फ़ज़ीलत और क़द्र व कीमत का अन्दाज़ा होता है।

हदीस की इन तमाम रिवायतों से आमाल के वज़न की कैफ़ियत अलग-अलग मालूम होती है। कुछ से मालूम होता है कि अमल करने वाले इनसान तौले जायेंगे, वे अपने-अपने अमल के एतिबार से हल्के भारी होंगे। और कुछ से मालूम होता है कि उनके नामा-ए-आमाल तौले जायेंगे, और कुछ से साबित होता है कि खुद आमाल जिस्म वाले हो जायेंगे और वे तौले जायेंगे। इमामे तफ़सीर इब्ने कसीर ने ये सब रिवायतें नक़ल करने के बाद फ़रमाया कि यह हो सकता है कि वज़न विभिन्न सूरतों से कई मर्तबा किया जाये, और ज़ाहिर है कि पूरी हक़ीक़त इन मामलात की अल्लाह तआला ही जानते हैं, और अमल करने के लिये उस हक़ीक़त का जानना ज़रूरी भी नहीं, सिर्फ़ इतना ही काफी है कि हमारे आमाल का वज़न होगा, नेक आमाल का पल्ला हल्का रहा तो अज़ाब के मुस्तहिक़ होंगे, यह दूसरी बात है कि हक़ तआला किसीको खुद अपने फ़ज़ल व करम से या किसी नबी या वली की शफ़ाअत से माफ़ फ़रमा दें, और अज़ाब से निजात हो जाये।

जिन रिवायतों में यह बयान हुआ है कि कुछ लोगों को सिर्फ़ ईमान के कलिमें की बदौलत निजात हो जायेगी और सब गुनाह इसके मुक़ाबले में माफ़ ही जायेंगे, यह आम उसूल से अलग इसी विशेष सूरत से संबन्धित है जो आम नियम से अलग मख़सूस फ़ज़ल व करम का प्रतीक है।

इन दोनों आयतों में जिनकी तफ़सीर अभी बयान हुई, गुनाहगारों को मैदाने हशर की रुस्वाई और अल्लाह के अज़ाब से डराया गया था। तीसरी आयत में अल्लाह तआला की नेमतों का ज़िक्र फ़रमाकर हक़ को कुबूल करने और उस पर अमल करने की तरगीब इस तरह दी गयी कि हमने तुमको ज़मीन पर पूरी कुदरत और मालिकाना हक़ व इख़्तियार अता किया, और फिर उसमें तुम्हारे लिये आराम व ऐश के सामान हासिल करने के हज़ारों रास्ते खोल दिये, गोया

रब्बुल-आलमीन ने जमीन को इनसान की तमाम जरूरतों से लेकर तफरीही सामान तक का अजीमुश्शान गोदाम बना दिया है, और तमाम इनसानी जरूरतों को इसके अन्दर पैदा फ़रमा दिया है। अब इनसान का काम सिर्फ़ इतना है कि इस गोदाम से अपनी जरूरतों को निकालने और उनके इस्तेमाल करने के तरीकों को सीख ले। इनसान के हर इल्म व फ़न और साईंस की नई से नई ईजाद का हसिल इसके सिवा कुछ नहीं कि कायनात के पैदा करने वाले की पैदा की हुई चीज़ें जो जमीन के गोदाम में महफूज़ हैं, उनको सलीके के साथ निकाले और सही तरीके से इस्तेमाल करे। बेवकूफ़ और बुरे सलीके वाला आदमी जो इस गोदाम से निकालने का तरीका नहीं जानता, या फिर निकाल कर उसके इस्तेमाल का तरीका नहीं समझता वह उनके लाभ और फ़ायदों से मेहरूम रहता है, समझदार इनसान दोनों चीज़ों को समझकर उनसे नफ़ा उठाता है।

खुलासा यह है कि इनसान की सारी जरूरतें हक़ तआला ने जमीन में पैदा करके रख दी हैं जिसका तकाज़ा यह है कि वह हर वक़्त हर हाल में हक़ तआला का शुक्र-गुज़ार हो, मगर वह ग़फलत में पड़कर अपने ख़ालिक व मालिक के एहसानात को भूल जाता है, और उन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाता है। इसी लिये आयत के आख़िर में शिकायत के तौर पर इरशाद फ़रमाया:

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“यानी तुम लोग बहुत कम शुक्र अदा करते हो।”

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِ

اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ إِنَّكَ مِنَ النَّظِيرِينَ ۝ قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَا تَجِدُهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ قَالَ أَخْرَجْنَا مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۚ لَسَنَ نَسْبِعُكَ مِنْهُمْ لَأَمَلْنَا جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

व ल-कद् खलक्नाकुम् सुम्-म	और हमने तुमको पैदा किया फिर सूतें
सव्वरनाकुम् सुम्-म कुल्ना	बनायीं तुम्हारी, फिर हुक्म किया फ़रिश्तों
लिल्मलाइ-कतिस्जुदू लिआद-म	को कि सज्दा करो आदम को, पस सज्दा
फ़-स-जदू इल्ला इब्ती-स, लम् यकुम्	किया सब ने मगर इब्तीस न था सज्दे
भिनस्साजिदीन (11) का-ल मा	वालों में। (11) कहा तुझको क्या रुकावट

म-न-अ-क अल्ला तस्जु-द इज़्
 अमरतु-क, का-ल अ-न खैरुम्-मिन्हु.
 खलक़तनी मिन्-नारिं-व खलक़तहू
 मिन् तीन (12) का-ल फ़हिबत्
 मिन्हा फ़मा यकूनु ल-क अन्
 त-तकब्ब-र फ़ीहां फ़ख़रुज् इन्न-क
 मिनस्सागिरीन (13) का-ल अन्जिरनी
 इला यौमि युब्असून (14) का-ल
 इन्न-क मिनल्-मुन्ज़रीन (15) का-ल
 फ़बिमा अग़्वैतनी ल-अक्ज़ुदन्-न
 लहुम् सिरातकल्-मुस्तकीम (16)
 सुम्-म लआतियन्नहुम् मिम्-बैनि
 ऐदीहिम् व मिन् खल्फ़िहिम् व अन्
 ऐमानिहिम् व अन् शमा-इलिहिम्, व
 ला तजिदु अक्स-रहुम् शाकिरीन (17)
 कालख़रुज् मिन्हा मज़्ज़मम्- मद्हूरन्,
 ल-मन् तबि-अ-क मिन्हुम्
 लअम्-लअन्-न जहन्न-म मिन्कुम्
 अज्मअीन (18)

थी कि तूने सज्दा न किया जब मैंने हुक्म
 दिया? बोला मैं इससे बेहतर हूँ, मुझको
 तूने बनाया आग से और इसको बनाया
 मिट्टी से। (12) कहा तू उतर यहाँ से,
 तू इस लायक नहीं कि तकब्बुर करे यहाँ,
 पस बाहर निकल तू जलील है। (13)
 बोला कि मुझे मोहलत दे उस दिन तक
 कि लोग कब्रों से उठाये जायें। (14)
 फरमाया तुझको मोहलत दी गई। (15)
 बोला तो जैसा तूने मुझे गुमराह किया है
 मैं भी जरूर बैठूंगा उनकी ताक में तेरी
 सीधी राह पर। (16) फिर उनपर आऊंगा
 उनके आगे से और पीछे से और दायें से
 और बायें से, और न पायेगा अक्सरों को
 उनमें शुक्रगुज़ार। (17) कहा निकल यहाँ
 से बुरे हाल से मरदूद होकर, जो कोई
 उनमें से तेरी राह पर चलेगा तो मैं जरूर
 भरूंगा दोज़ख को तुम सब से। (18)

खुलासा-ए-तफसीर

और हमने तुमको पैदा (करने का सामान शुरू) किया, (यानी आदम अलैहिस्सलाम का मादा बनाया, उसी मादे से तुम सब लोग हो) फिर (मादा बनाकर) हमने ही तुम्हारी सूरत बनाई (यानी उस मादे में आदम अलैहिस्सलाम की सूरत बनाई, फिर वही सूरत उनकी औलाद में चली आ रही है। यह नेमत ईजाद हुई) फिर (जब आदम अलैहिस्सलाम बन गये और नामों के उलूम से सम्मानित हुए तो) हमने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि आदम को (अब) सज्दा करो, (यह इज़्ज़त व सम्मान की नेमत हुई) सो सब ने सज्दा किया सिवाय शैतान के, वह सज्दा करने वालों में

शामिल नहीं हुआ। (अल्लाह तआला ने) फरमाया- तू जो सज्दा नहीं करता, तुझको इससे कौनसी बात रुकावट है, जबकि मैं (खुद) तुझको हुक्म दे चुका। कहने लगा- (वह रुकावट यह है कि) मैं इससे बेहतर हूँ। आपने मुझको आग से पैदा किया है और इस (आदम) को आपने मिट्टी से पैदा किया। (यह शैतानी दलील पकड़ने का पहला मुक़द्दिमा है, और दूसरा मुक़द्दिमा जिसका जिक्र नहीं किया वह यह है कि आग नूरानी होने की वजह से मिट्टी से बेहतर है, तीसरा मुक़द्दिमा यह है कि अफ़ज़ल और बेहतर से निकलने वाली और उसकी औलाद भी ग़ैर-अफ़ज़ल की औलाद और उससे निकलने वाली से अफ़ज़ल होती है, चौथा मुक़द्दिमा यह है कि अफ़ज़ल का सज्दा करना ग़ैर-अफ़ज़ल को नामुनासिब है, इन चारों मुक़द्दिमों को मिलाकर शैतान ने अपने सज्दा न करने की यह दलील बनाई कि मैं अफ़ज़ल व बेहतर हूँ इसलिये ग़ैर-अफ़ज़ल को सज्दा नहीं किया। मगर पहले मुक़द्दिमे के सिवा सारे ही मुक़द्दिमे ग़लत हैं, और पहला मुक़द्दिमा भी आम इनसानों के हक़ में इस मायने के एतिबार से सही है कि इनसान की पैदाईश में ग़ालिब हिस्सा मिट्टी का है, बाकी दलील के तमाम मुक़द्दिमों का ग़लत होना स्पष्ट है, क्योंकि आग का खाक पर अफ़ज़ल होना एक आशिक फ़ज़ीलत तो हो सकती है कुल्ली तौर पर उसको अफ़ज़ल कहना दावा बिना दलील है। इसी तरह अफ़ज़ल से निकलने वाली और उसकी औलाद का अफ़ज़ल होना भी संदिग्ध है, हज़ारों वाकिआत इसके खिलाफ़ सामने आये हैं, कि नेक की औलाद बद और बद की औलाद नेक हो जाती है। इसी तरह यह भी ग़लत है कि अफ़ज़ल को ग़ैर-अफ़ज़ल के लिये सज्दा नामुनासिब है, कई बार मस्लेहतों का तकाज़ा इसके खिलाफ़ होना देखा जाता है)।

(अल्लाह तआला ने) फरमाया (जब तू ऐसा नाफ़रमान है) तो आसमान से उतर, तुझको कोई हक़ हासिल नहीं कि तू इसमें (यानी आसमान में रहकर) तकब्बुर करे, (जहाँ सब फ़रमाँबरदारों ही का मक़ाम है) सो तू (यहाँ से) निकल, (दूर हो) बेशक तू (इस तकब्बुर की वजह से) ज़लीलों में शुमार होने लगा। वह कहने लगा कि मुझे क़ियामत के दिन तक मोहलत दीजिये। (अल्लाह तआला ने) फरमाया कि तुझको मोहलत दी गई। वह कहने लगा इस सबब से कि आपने मुझको (तक्वीनी हुक्म के तहत) गुमराह किया है मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन (के यानी आदम और आदम की औलाद की रहज़नी करने) के लिए आपकी सीधी राह पर (जो कि दीने हक़ है, जाकर) बैठूँगा। फिर उन पर (चारों तरफ़ से) हमला करूँगा, उज़्रके आगे से भी और उनके पीछे से भी, और उनकी दाहिनी तरफ़ से भी और उनकी बाई तरफ़ से भी (यानी उनके बहकाने में कोशिश का कोई पहलू बाकी न छोड़ूँगा ताकि वे आपकी इबादत न करने पायें) और (मैं अपनी कोशिश में कामयाब हूँगा, चुनाँचे) आप उनमें ज़्यादातर को (आपकी नेमतों का) एहसान मानने वाला न पाईएगा। (अल्लाह तआला ने) फरमाया कि यहाँ (आसमान) से ज़लील व रुस्वा होकर निकल, (और तू जो आदम की औलाद को बहकाने को कहता है तो जो तेरा जी चाहे कर ले मैं सबसे बेपरवाह हूँ, न किसी के सही रास्ते पर आने से मेरा कोई फ़ायदा है न गुमराह होने से कोई नुक़सान) जो शख़्स उनमें से तेरा कहना मानेगा मैं ज़रूर तुम सबसे (यानी शैतान और उसकी बात मानने वालों से) जहन्नम को भर दूँगा।

मआरिफ़ व मसाईल

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का यह वाक़िआ जो यहाँ बयान हुआ है इससे पहले सूर: ब-क़रह के चौथे रुकूअ में बयान हो चुका है। इसके बारे में बहुत सी तहकीक़-तलब बातों का बयान यहाँ हुआ है। यहाँ और तहकीक़-तलब बातों का जवाब लिखा जाता है।

शैतान की दुआ़ क़ियामत तक ज़िन्दगी की कुबूल हुई या नहीं, कुबूल होने की सूरत में दो आयतों के आपस में टकराने वाले

अलफ़ाज़ की आपस में मुवाफ़क़त

शैतान ने ऐन उस वक़्त जबकि उस पर नाराज़गी व सज़ा हो रही थी अल्लाह तआला से एक दुआ़ माँगी, और वह भी अजीब दुआ़ कि हशर तक की ज़िन्दगी की मोहलत अता फ़रमा दीजिए। इसके जवाब में जो इरशाद हक़ तआला ने फ़रमाया उसके अलफ़ाज़ इस जगह मज़कूरा आयत में तो सिर्फ़ ये हैं:

إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ.

“यानी तुझको मोहलत दी गयी” इन अलफ़ाज़ से दुआ़ व सवाल के हिसाब से यह समझा जा सकता है कि यह मोहलत हशर तक की दी गयी, जैसा कि उसने सवाल किया था, मगर इसकी वज़ाहत इस आयत में नहीं है कि जिस मोहलत देने का ज़िक्र यहाँ फ़रमाया है वह शैतान के कहने के मुताबिक़ हशर तक है या किसी और मियाद तक, लेकिन एक दूसरी आयत में इस जगह:

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.

के अलफ़ाज़ भी आये हैं, जिनके ज़ाहिर से यह मालूम होता है कि शैतान की माँगी हुई मोहलत क़ियामत तक नहीं दी गयी बल्कि किसी खास मुदत तक दी गयी है जो अल्लाह के इल्म में महफूज़ है। तो हासिल यह हुआ कि शैतान की यह दुआ़ कुबूल तो हुई मगर नामुकम्मल, कि बजाय क़ियामत के दिनों के एक खास मुदत की मोहलत दे दी गयी।

तफ़सीर इब्ने जरीर में एक रिवायत सुदी रह. से मन्कूल है उससे इसी मज़मून की ताईद होती है। उसके अलफ़ाज़ ये हैं:

فَلَمْ يَنْظُرْهُ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ وَلَكِنْ أَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وَهُوَ يَوْمٌ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ الْنَفْخَةَ الْأُولَى

فَصَبَقَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَمَاتَ..... الخ.

“अल्लाह तआला ने शैतान को क़ियामत के दिन तक मोहलत नहीं दी बल्कि एक तयशुदा दिन तक मोहलत दी है और वह दिन वह है जिसमें पहला सूर फूँका जायेगा, जिससे आसमान व ज़मीन वाले सब बेहोश हो जायेंगे और मर जायेंगे।”

इसका खुलासा यह हुआ कि शैतान ने तो अपनी दुआ में उस वक्त तक की मोहलत माँगी थी जबकि दूसरा सूर फूँकने तक तमाम मुर्दों को जिन्दा किया जायेगा, उसी का नाम यौमुल-बअस है, अगर यह दुआ बिल्कुल उसी तरह कुबूल होती तो जिस वक्त एक जात हय्यु व कय्यूम (यानी अल्लाह तआला) के सिवा कोई जिन्दा न रहेगा, और:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

का जहूर होगा, इस दुआ की बिना पर शैतान उस वक्त भी जिन्दा रहता, इसलिये उसकी एक दुआ को कियामत के दिन तक की मोहलत के बजाय सूर फूँके जाने वाले दिन तक की मोहलत से तब्दील करके कुबूल किया गया। जिसका असर यह होगा कि जिस वक्त सारे आलम पर मौत तारी होगी, उस वक्त शैतान को भी मौत आयेगी। फिर जब सब दोबारा जिन्दा होंगे तो वह भी जिन्दा हो जायेगा।

इस तहकीक से वह शुब्हा भी दूर हो गया जो आयत:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ.

से इस दुआ के बारे में पैदा होता है कि बजाहिर दोनों में टकराव हो गया।

लेकिन इस तहकीक का हासिल यह है कि यौमुल-बअस (उठाये जाने के दिन) और यौमुल-वक़्तल-मालूम (निर्धारित दिन) दो अलग-अलग दिन हैं। शैतान ने यौमुल-बअस तक की मोहलत माँगी थी वह पूरी कुबूल न हुई, उसको बदलकर यौमुल-वक़्तल-मालूम तक की मोहलत दी गयी। सय्यिदी हज़रत हकीमुल-उम्मत मौलाना अशरफ़ अली धानवी रह. ने बयानुल-कुरआन में तरजीह इसको दी है कि हकीकत में ये दोनों अलग-अलग दिन हैं, बल्कि पहला सूर फूँके जाने के वक्त से जन्नत व दोज़ख में दाखिल होने तक एक लम्बा दिन होगा, उसके विभिन्न हिस्सों में विभिन्न वाक़िआत होंगे, उन्हीं विभिन्न वाक़िआत की बिना पर उस दिन के हर वाक़िए की तरफ़ निस्बत कर सकते हैं। मसलन उसको सूर फूँके जाने वाला दिन, फना का दिन भी कह सकते हैं और उठाये जाने वाला दिन और बदले का दिन भी। इससे सब शुब्हात खत्म हो गये। फल्हम्दु लिल्लाह।

क्या काफ़िर की दुआ भी कुबूल हो सकती है?

यह सवाल इसलिये पैदा होता है कि कुरआन मजीद की आयत:

وَمَا دَعَوْا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.

से बजाहिर यह समझा जाता है कि काफ़िर की दुआ कुबूल नहीं होती, मगर शैतान के इस वाक़िए और बयान हुई आयत से दुआ के कुबूल होने का शुब्हा जाहिर है। जवाब यह है कि दुनिया में तो काफ़िर की दुआ भी कुबूल हो सकती है, यहाँ तक कि शैतान जैसे "सबसे बड़े काफ़िर" की दुआ भी कुबूल हो गयी, मगर आख़िरत में काफ़िर की दुआ कुबूल न होगी, और जिक्र की गयी आयत:

وَمَا دَعَوْا الْكَافِرِينَ.

आखिरत के बारे में है दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं।

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान के वाकिए के विभिन्न अलफ़ाज़

कुरआन मजीद में यह किस्सा कई जगह आया है, और हर जगह इस सवाल व जवाब के अलफ़ाज़ अलग-अलग हैं, हालाँकि वाक़िआ एक ही है। वजह यह है कि असल वाक़िआ में तो सब जगह एक ही मज़मून है, और हर जगह एक जैसे ही अलफ़ाज़ नक़ल करना ज़रूरी नहीं, मज़मून की रियायत करना भी काफ़ी हो सकता है, मज़मून व मफ़हूम के एक होने के बाद अलफ़ाज़ की भिन्नता ज़्यादा अहमियत देने की चीज़ नहीं।

शैतान को यह जुरत कैसे हुई कि अल्लाह की बारगाह में ऐसी बेधड़क गुफ़्तगू की

रब्बुल-इज़ज़त जल्ल शानुहू की पवित्र बारगाह में फ़रिश्तों और रसूलों को भी हैबत व जलाल की बिना पर दम मारने की मजाल नहीं थी, शैतान को ऐसी जुरत कैसे हो गयी? उलेमा ने फ़रमाया कि यह अल्लाह के क़हर का इन्तिहाई सख़्त प्रतीक है कि शैतान के मरदूद हो जाने के कारण एक ऐसा पर्दा रुकावट हो गया, जिसने उस पर हक़ तआला की बड़ाई व जलाल को छुपा दिया और उस पर बेहयाई मुसल्लत कर दी। (बयानुल-कुरआन संक्षिप्त रूप से)

शैतान का हमला इनसान पर चार दिशाओं में सीमित नहीं, आम है

कुरआन मजीद की उक्त आयत में यह बयान हुआ है कि शैतान ने आदम की औलाद (यानी इनसानों) को गुमराह करने के लिये चार दिशाओं को बयान किया है- आगे पीछे, दायें बायें, लेकिन यहाँ दर हकीकत कोई दिशा सीमित करना मक़सूद नहीं, बल्कि मुराद यह है कि हर तरफ़ से और हर पहलू से। इसलिये ऊपर की जानिब या पाँव तले से गुमराह करने का गुमान व संभावना इसके विरुद्ध नहीं। इसी तरह हदीस में जो यह बयान हुआ है कि शैतान इनसान के बदन में दाख़िल होकर खून की रगों के ज़रिये पूरे इनसानी बदन पर अपना काम करता है, यह भी इसके ख़िलाफ़ नहीं।

ज़िक्र की गयी आयतों में शैतान को आसमान से निकल जाने का हुक्म दो मर्तबा बयान किया गया है। पहले:

فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ

में, दूसरा:

اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُوًّا

में। गालियन पहला कलाम एक तजवीज़ (तय किये गये हुक्म की इत्तिला) है और दूसरे में उसकी तन्फीज़ (लागू करना है)। (बयानुल-कुरआन)

وَيَادِمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِحِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ۝ فَدَلَّهُمَا بِعُرْوَةٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِحُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۝ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۝

व या आदमुस्कुन् अन्-त व
जौजुकल्जन्न-त फ-कुला मिन् हैसु
शिअतुमा व ला तक्रबा हाजिहिश्-
श-ज-र-त फ-तकूना मिनज़्जालिमीन
(19) फ-वस्व-स लहुमश्शैतानु
लियुब्दि-य लहुमा मा वूरि-य अन्हुमा
मिन् सौआतिहिमा व का-ल मा
नहाकुमा रब्बुकुमा अन् हाजिहिश्-
श-ज-रति इल्ला अन् तकूना म-लकैनि
औ तकूना मिनल्-खालिदीन (20) व
कास-महुमा इन्नी लकुमा लमिनन्-
नासिहीन (21) फ दल्लाहुमा
बिगुरुरिन् फ-लम्मा जाकश्श-ज-र-त
बदत् लहुमा सौआतुहुमा व तफिका

और ऐ आदम! रह तू और तेरी औरत
जन्नत में, फिर खाओ जहाँ से चाहो और
पास न जाओ इस दरख्त के, फिर तुम हो
जाओगे गुनाहगार। (19) फिर बहकाया
उनको शैतान ने ताकि खोल दे उन पर
वह चीज़ जो कि उनकी नज़र से छुपी थी
उनकी शर्मगाहों से, और वह बोला कि
तुमको नहीं रोका तुम्हारे रब ने इस
दरख्त से मगर इसी लिए कि कभी तुम
हो जाओ फ़रिश्ते या हो जाओ हमेशा
रहने वाले। (20) और उनके आगे कसम
खाई कि मैं यकीनन तुम्हारा दोस्त हूँ।
(21) फिर माईल कर लिया उनको
फ़रेब से, फिर जब चखा उन दोनों ने
दरख्त को तो खुल गई उन पर उनकी
शर्मगाहें और लगे जोड़ने अपने ऊपर

यख़्तिफ़ानि अलैहिमा मिंव्व-रकिल्-
जन्नति, व नादाहुमा रब्बुहुमा अलम्
अन्हकुमा अन् तिल्कुमश्श-ज-रति
व अकुल्-लकुमा इन्नश्शौता-न
लकुमा अदुव्वुम् मुबीन (22) काला
रब्बना जलम्ना अन्फु-सना व इल्लम्
तग़्फ़िर लना व तरहम्ना ल-नकूनन्-न
मिनल्-खासिरीन (23) कालहिबतू
बअज़ुकुम् लि-बअज़िन् अदुव्वुन् व
लकुम् फिल्अर्जि मुस्तकररुंव्-व
मताअुन् इला हीन (24) का-ल
फीहा तह्यौ-न व फीहा तमूतू-न व
मिन्हा तुख़्रजून (25) ❀

जन्नत के पत्ते और पुकारा उनको उनके
रब ने कहा- मैंने मना न किया था तुमको
इस दरख़्त से और न कह दिया था
तुमको कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन
है। (22) बोले वे दोनों ऐ हमारे रब!
जुल्म किया हमने अपनी जान पर, और
अगर तू हमको न बख़्शे और हम पर रहम
न करे तो हम ज़रूर हो जायेंगे तबाह।
(23) फ़रमाया तुम उतरो, तुम एक दूसरे
के दुश्मन हो गये, और तुम्हारे वास्ते
ज़मीन में ठिकाना और नफ़ा उठाना है एक
वक्त तक। (24) फ़रमाया उसी में तुम
ज़िन्दा रहोगे और उसी में तुम मरोगे और
उसी से तुम निकाले जाओगे। (25) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (हमने (आदम अलैहिस्सलाम को) हुक्म दिया कि ऐ आदम! तुम और तुम्हारी बीवी
(हव्वा) जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो (और जिस चीज़ को चाहो) दोनों आदमी खाओ
और (इतना ख़याल रहे कि) उस (खास) पेड़ के पास (भी) मत जाओ (यानी उसका फल न
खाओ) कभी तुम उन लोगों की गिनती में आ जाओ जिनसे नामुनासिब काम हो जाया करता है।
फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वस्वसा डाला, ताकि (उनको वह प्रतिबन्धित दरख़्त
खिलाकर) उनका पर्दे का बदन जो एक-दूसरे से छुपा हुआ था दोनों के सामने बेपर्दा कर दे,
(क्योंकि उस दरख़्त के खाने की यही तासीर है, चाहे उसके जाती असर के सबब या मनाही की
वजह से)। और (वह वस्वसा यह था कि दोनों से) कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को
इस पेड़ (के खाने) से और किसी सबब से मना नहीं फ़रमाया मगर सिर्फ़ इस वजह से कि तुम
दोनों (इसको खाकर) कहीं फ़रिश्ते न बन जाओ, या कहीं हमेशा ज़िन्दा रहने वालों में से न हो
जाओ (दिल में वस्वसा डालने का हासिल यह था कि इस दरख़्त के खाने से फ़रिश्ता बनने और
हमेशा ज़िन्दा रहने की कुव्वत पैदा हो जाती है, मगर शुरू में आपका वजूद इस ताकतवर गिज़ा
को बरदाश्त करने के लायक न था, इसलिये मना कर दिया गया था, अब आपकी हालत और

कुव्वत में तरक्की हो गयी और आपके अंग और जिस्मानी कुव्वतों में इसको बरदाश्त करने की ताकत पैदा हो गयी, तो अब वह मनाही बाकी न रही। और उन दोनों के सामने (इस बात पर) कसम खाई कि यकीन जानिए मैं आप दोनों का (दिल से) खैरख्वाह "यानी भला चाहने वाला" हूँ। सो (ऐसी बातें बनाकर) उन दोनों को फ़रेब से नीचे ले आया, (नीचे लाना हालत और राय के एतिबार से भी था कि अपनी बुलन्द राय को छोड़कर उस दुश्मन की राय पर माईल हो गये, और मक़ाम के एतिबार से भी कि जन्नत से नीचे की तरफ़ उतारे गये)। पस उन दोनों ने जब पेड़ को चखा तो (फ़ौरन) दोनों के पर्दे का बदन एक-दूसरे के सामने बेपर्दा हो गया (यानी जन्नत का लिबास उतर पड़ा और दोनों शर्मा गये) और (बदन छुपाने के लिये) दोनों अपने (बदन के) ऊपर जन्नत के (दरख़्तों के) पत्ते जोड़-जोड़कर रखने लगे, और (बदन छुपाने के लिये) उनके रब ने उनको पुकारा- क्या मैं तुम दोनों को इस पेड़ (के खाने से) से मना न कर चुका था, और यह न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? (उसके बहकाने से बचते रहना।) दोनों कहने लगे कि ऐ हमारे रब! हमने अपना बड़ा नुक़सान किया (कि पूरी एहतियात और सोच-समझ से काम न लिया) और अगर आप हमारी मग़फ़िरत न करेंगे और हम पर रहम न करेंगे तो वाकई हमारा बड़ा नुक़सान हो जाएगा। अल्लाह तआला ने (आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम से) फ़रमाया कि (जन्नत से) नीचे (ज़मीन पर) ऐसी हालत में जाओ कि तुम (यानी तुम्हारी औलाद) आपस में कुछ कुछ (यानी एक-दूसरे) के दुश्मन रहोगे। और तुम्हारे वास्ते ज़मीन में रहने की जगह (तजवीज़ की गयी) है और (ज़िन्दगी गुज़ारने के असबाब से) फ़ायदा हासिल करना (तजवीज़ हुआ है) एक (खास) वक़्त तक (यानी मौत के वक़्त तक। और यह भी) फ़रमाया कि तुमको वहाँ ही ज़िन्दगी बसर करना है और वहाँ ही मरना है, और उसी में से (कियामत के दिन) फिर ज़िन्दा होकर निकलना है।

मआरिफ़ व मसाईल

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का जो वाकिआ उक्त आयतों में बयान हुआ है बिल्कुल इसी तरह यह सब वाकिआ सूर: ब-क़रह के चौथे रुकूअ में पूरी तफ़सील के साथ आ चुका है, और इसके बारे में जिस क़द्र सवालात व शुब्हात हो सकते हैं उन सब का तफ़सीली जवाब और पूरी वज़ाहत मय दूसरे फ़ायदों के सूर: ब-क़रह की तफ़सीर में लिखे जा चुके हैं, ज़रूरत हो तो वहाँ देख लिया जाये।

يٰٓبَنِيٰٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا

وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذٰكُرُوْنَ ۝ يٰٓبَنِيٰٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنِكُمُ الشَّيْطٰنُ

كَمَا اَخْرَجَ اٰبُوۡنَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهَا لِبَاسًا لِّيُرِيۡهَا سَوْآتِهَا اِنَّهٗ يَرٰكُمۡ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ

حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاۡ لِلَّذِيۡنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

या बनी आद-म कद् अन्जल्ना
 अलैकुम् लिबासंयुवारी सौआतिकुम्
 वरीशन्, व लिबासुत्तक्वा ज़ालि-क
 खैरुन्, ज़ालि-क मिन् आयातिल्लाहि
 लअल्लहुम् यज़्जक्करुन (26) या
 बनी आद-म ला यफ़ितनन्नकुमुशशैतानु
 कमा अख़-ज अ-बवैकुम् मिनल्जन्नति
 यन्ज़ि अु अन्हुमा लिबा-सहुमा
 लियुरि-यहुमा सौआतिहिमा, इन्नहू
 यराकुम् हु-व व क़बीलुहू मिन् हैसु
 ला तरौनहुम्, इन्ना ज़अल्लन्श-
 शयाती-न औलिया-अ लिल्लज़ी-न
 ला युअ्मिनून (27)

ऐ आदम की औलाद! हमने उतारी तुम
 पर पोशाक जो ढाँके तुम्हारी शर्मगाहें
 और उतारे ज़ीनत के कपड़े और लिबास
 परहेज़गारी का वह सबसे बेहतर है, ये
 निशानियाँ हैं अल्लाह की कुदरत की
 ताकि वे लोग गौर करें। (26) ऐ आदम
 की औलाद! न बहका दे तुमको शैतान
 जैसा कि उसने निकाल दिया तुम्हारे माँ-
 बाप को जन्नत से, उतरवा दिये उनसे
 उनके कपड़े ताकि दिखलाये उनको उनकी
 शर्मगाहें, वह देखता है तुमको और
 उसकी कौम जहाँ से तुम उनको नहीं
 देखते, हमने कर दिया शैतानों को साथी
 उन लोगों का जो ईमान नहीं लाते। (27)

खुलासा-ए-तफसीर

ऐ आदम की औलाद! (एक हमारा इनाम यह है कि) हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो कि तुम्हारे पर्दे (यानी पर्दे वाले बदन) को भी छुपाता है और (तुम्हारे बदन के लिये) ज़ीनत का सबब भी (होता) है। और (इस ज़ाहिरी लिबास के अलावा एक मानवी लिबास भी तुम्हारे लिये तजवीज़ किया है जो) तक़वे (यानी दीनदारी) का लिबास (है कि) यह इस (ज़ाहिरी लिबास) से बढ़कर (ज़रूरी) है, (क्योंकि इस ज़ाहिरी लिबास का शर्ई तौर पर वांछित होना उसी तक़वे यानी दीनदारी की एक शाखा है, असल मक़सूद हर हालत में परहेज़गारी का लिबास ही है) यह (लिबास पैदा करना) अल्लाह तआला के (फ़ज़्ल व करम) की निशानियों-में-से है ताकि ये लोग (इस नेमत को) याद रखें (और याद रखकर अपने नेमत देने-वाले और एहसान करने वाले की फ़रमाँबरदारी का हक़ अदा करें और वह फ़रमाँबरदारी का हक़ यही है जिसको तक़वे का लिबास फ़रमाया है)।

ऐ आदम की औलाद! शैतान तुमको किसी ख़राबी में न डाल दे (कि दीन व परहेज़गारी के खिलाफ़ तुमसे कोई काम कराये) जैसा कि उसने तुम्हारे दादा-दादी (यानी आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम) को जन्नत से बाहर करा दिया (यानी उनसे ऐसा काम करा दिया कि उसके नतीजे में वे जन्नत से बाहर हो गये, और बाहर भी) ऐसी हालत से (कराया) कि उनका लिबास

भी उन (के बदन) से उतरवा दिया, ताकि उनको उनके पर्दे का बदन दिखाई देने लगे (जो शरीफ़ इन्सान के लिये बड़ी शर्म व रुस्वाई है। गर्ज कि शैतान तुम्हारा पुराना दुश्मन है, उससे बहुत होशियार रहो और ज्यादा एहतियात इसलिये और भी जरूरी है कि) वह और उसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखता है कि तुम उनको (आदतन) नहीं देखते हो, (ज़ाहिर है कि ऐसा दुश्मन बहुत खतरनाक है, उससे बचने का पूरा एहतिमाम करना चाहिये, और यह एहतिमाम कामिल ईमान और परहेजगारी से हासिल होता है, वह इख्तियार कर लो तो बचाव का सामान हो जायेगा, क्योंकि) हम शैतानों को उन्हीं लोगों का साथी होने देते हैं जो ईमान नहीं लाते। (अगर बिल्कुल ईमान नहीं तो पूरी तरह शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है, और अगर ईमान तो है मगर कामिल नहीं तो उससे कम दर्जे का कब्ज़ा होता है, बखिलाफ़ कामिल मोमिन के कि उस पर शैतान का बिल्कुल काबू नहीं चलता, जैसा कि कुरआन मजीद की एक आयत में इरशाद हुआ है 'इन्नहू लै-स लहू सुल्तानुन अल्लज्जी-न आमनू व अला रब्बिहिम य-तवक्कलून')।

मआरिफ़ व मसाईल

ज़िक्र हुई आयतों से पहले एक पूरे रूकूअ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान मरदूद का वाकिआ बयान फरमाया गया था, जिसमें शैतान के बहकाने का पहला असर यह हुआ था कि आदम व हव्वा अलैहिमस्सलाम का जन्नती लिबास उतर गया और वे नंगे रह गये, और पत्तों से अपने सतर को छुपाने लगे।

उपर्युक्त आयतों में से पहली आयत में हक़ तआला ने तमाम इन्सानों को खिताब करके इरशाद फरमाया कि तुम्हारा लिबास कुदरत की एक अज़ीम नेमत है, इसकी कद्र करो। यहाँ खिताब सिर्फ़ मुसलमानों को नहीं बल्कि आदम की पूरी औलाद को है। इसमें इशारा है कि सतर छुपाना और लिबास इन्सान की फितरी इच्छा और जरूरत है, बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत के भेदभाव के सब ही इसके पाबन्द हैं। फिर इसकी तफ़सील में तीन किस्म के लिबासों का ज़िक्र फरमाया। अब्बल:

لِبَاسًا يُّوَارِي سَوَائِكُمْ.

इसमें युवारी मुवारात से निकला है जिसके मायने छुपाने के हैं। और सौआत सूअतुन् की जमा (बहुवचन) है, इन्सान के उन अंगों को सूअतुन् कहा जाता है जिनके खुलने को इन्सान फितरी तौर पर बुरा और काबिले शर्म समझता है। मतलब यह है कि हमने तुम्हारी बेहतरी और कामयाबी के लिये एक ऐसा लिबास उतारा है जिससे तुम अपने काबिले शर्म अंगों को छुपा सको।

इसके बाद फरमाया "वरीशन्" रीश उस लिबास को कहा जाता है जो आदमी खूबसूरती और अच्छा लगने के लिये इस्तेमाल करता है। मुराद यह है कि सिर्फ़ सतर छुपाने के लिये तो पुख़्तसर सा लिबास काफ़ी होता है, मगर हमने तुम्हें इससे ज्यादा लिबास इसलिये अता किया कि तुम उसके जरिये ज़ीनत व खूबसूरती हासिल कर सको, और अपनी शकल व हालत को अच्छी

और बेहतर बना सको।

इस जगह कुरआने करीम ने "अन्जलना" यानी उतारने का लफ्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है, मुराद इससे अता करना है। यह ज़रूरी नहीं कि आसमान से बना बनाया उतरा हो, जैसे दूसरी जगह "अन्जलूनल्-हदी-द" का लफ्ज़ आया है, यानी हमने लोहा उतारा, जो सब के सामने ज़मीन से निकलता है। अलबत्ता दोनों जगह लफ्ज़ "अन्जलना" फ़रमाकर इस तरफ़ इशारा कर दिया कि जिस तरह आसमान से उतरने वाली चीज़ों में किसी इनसानी तदबीर और कारीगरी को देखल नहीं होता, इसी तरह लिबास का असल मादा जो रूई या ऊन वगैरह है उसमें किसी इनसानी तदबीर को ज़रा बराबर देखल नहीं, वह सिर्फ़ अल्लाह तआला की कुदरत का अतीया (वरदान) है, अलबत्ता इन चीज़ों से अपनी राहत व आराम और मिज़ाज के मुनासिब सर्दी गर्मी से बचने के लिये लिबास बना लेने में इनसानी कारीगरी काम करती है, और वह कारीगरी भी हक़ तआला ही की बतलाई और सिखाई हुई है, इसलिये हकीकत पहचानने वाली निगाह में यह सब हक़ तआला ही का ऐसा अतीया है जैसे आसमान से उतारा गया हो।

लिबास के दो फ़ायदे

इसमें लिबास के दो फ़ायदे बतलाये गये- एक सतर ढाँकना, दूसरे सर्दी गर्मी से हिफ़ाज़त और बदन की सजावट। और पहले फ़ायदे को शुरू में लाकर इस तरफ़ इशारा कर दिया कि इनसानी लिबास का असल मक़सद सतर ढाँकना है, और यही इसकी आम जानवरों से अलग पहचान और फ़र्क़ है, कि जानवरों का लिबास जो कुदरती तौर पर उनके बदन का हिस्सा बना दिया गया है उसका काम सिर्फ़ सर्दी गर्मी से हिफ़ाज़त या ज़ीनत है, सतर ढाँकने का उसमें इतना एहतिमाम नहीं, अलबत्ता खास अंगों (यानी शर्मगाह) की बनावट उनके बदन में इस तरह रख दी है कि बिल्कुल खुले न रहें, कहीं उन पर दुम का पर्दा है कहीं दूसरी तरह का।

और हज़रत आदम व हव्वा और शैतान के बहकाने का वाकिआ बयान करने के बाद लिबास कं ज़िक्र करने में इस तरफ़ इशारा है कि इनसान के लिये नंगा होना और काबिले शर्म हिस्सों का दूसरों के सामने खुलना इन्तिहाई ज़िल्लत व रुस्वाई और बेहयाई की निशानी और तरह-तरह की बुराई और ख़राबी का पहला क़दम है।

इनसान पर शैतान का पहला हमला

इनसान पर शैतान का पहला हमला उसको नंगा करने की सूरत में हुआ। आज भी नई शैतानी तहज़ीब इनसान को नंगा या अर्धनंगा करने में लगी हुई है। और यही वजह है कि शैतान का सबसे पहला हमला इनसान के खिलाफ़ इसी राह से हुआ कि उसका लिबास उतर गया, और आज भी शैतान अपने शागिदों के ज़रिये जब इनसान को गुमराह करना चाहता है तो तहज़ीब व सभ्यता का नाम लेकर सबसे पहले उसको नंगा या अर्धनंगा करके आम सड़कों और गलियों में खड़ा कर देता है, और शैतान ने जिसका नाम तरक्की रख दिया है वह तो औरत को शर्म व

हया से मेहरूम करके मन्ज़रे अम्म पर अर्धनंग हालत में ले आने के बगैर हासिल ही नहीं होती।

ईमान के बाद सबसे पहला फ़र्ज़ सतर का ढाँकना है

शैतान ने इनसान के इस कमज़ोर पहलू को भाँपकर पहला हमला इनसान के सतर ढाँकने पर किया तो इस्लामी शरीअत जो इनसान की हर बेहतरी व कामयाबी की जिम्मेदार है, उसने सतर ढाँकने का एहतिमाम इतना किया कि ईमान के बाद सबसे पहला फ़र्ज़ सतर ढाँकने को करार दिया। नमाज़, रोज़ा, वगैरह सब इसके बाद है।

हज़रत फ़ारुके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब कोई शख्स नया लिबास पहने तो उसको चाहिये कि लिबास पहनने के वक़्त यह दुआ पढ़े:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا وَارَىٰ بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي.

“धानी शुक्र उस जात का जिसने मुझे लिबास दिया जिसके जरिये मैं अपने सतर का पर्दा करूँ और खूबसूरती हासिल करूँ।”

नया लिबास बनाने के वक़्त पुराने लिबास को सदका कर देने का बड़ा सवाब

और फ़रमाया कि जो शख्स नया लिबास पहनने के बाद पुराने लिबास को ग़रीबों व मिस्कीनों पर सदका कर दे तो वह अपनी मौत व ज़िन्दगी के हर हाल में अल्लाह तआला की जिम्मेदारी और पनाह में आ गया। (इब्ने कसीर, मुस्नद अहमद के हवाले से)

इस हदीस में भी इनसान को लिबास पहनने के वक़्त इन्हीं दोनों मस्लेहतों को याद दिलाया गया है, जिसके लिये अल्लाह तआला ने इनसानी लिबास पैदा फ़रमाया है।

सतर ढाँकना पहले दिन से इनसान का फ़ितरी अमल है,

तरक्की का नया फ़ल्सफ़ा ग़लत है

आदम अलैहिस्सलाम के वाकिए और कुरआने करीम के इस इरशाद से यह बात भी वाज़ेह हो गयी कि सतर ढाँकना और लिबास इनसान की फ़ितरी इच्छा और पैदाईशी ज़रूरत है, जो पहले दिन से इसके साथ है, और आजकल के कुछ फ़्लॉस्फ़ों (वैज्ञानिकों) का यह कौल सरासर ग़लत और बेअसल है कि इनसान पहले नंगा फिरा करता था, फिर तरक्की की मन्ज़िलें तय करने के बाद इसने लिबास ईजाद किया।

लिबास की एक तीसरी किस्म

सतर ढाँकने और आराम व सजावट के लिये दो किस्म के लिबासों का ज़िक्र फ़रमाने के

बाद कुरआने करीम ने एक तीसरे लिबास का जिक्र इस तरह फरमाया:

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

कुछ क़िराअतों में "लिबासुत्तक़वा" पढ़ा गया है, तो "अन्ज़लना" के तहत में दाख़िल होकर मायने यह हुए कि हमने एक तीसरा लिबास तक़वे का उतारा है, और मशहूर क़िराअत के एतिबार से मायने ये हैं कि ये दो लिबास तो सब जानते हैं, एक तीसरा लिबास तक़वे का है, और वह सब लिबासों से ज़्यादा बेहतर है। तक़वे के लिबास से मुराद हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत उरवा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तफ़सीर के मुताबिक़ नेक अमल और ख़ौफ़े खुदा है। (तफ़सीर रूहुल-मआनी)

मतलब यह है कि जिस तरह ज़ाहिरी लिबास इनसान के क़ाबिले शर्म बदन के हिस्सों के लिये पर्दा और सर्दी गर्मी से बचने और ख़ूबसूरती हासिल करने का ज़रिया होता है इसी तरह एक मानवी (अन्दरूनी) लिबास नेक अमल और खुदा तआला का ख़ौफ़ है, जो इनसान के अख़्लाकी ऐबों और कमज़ोरियों का पर्दा है, और हमेशा की तकलीफ़ों और मुसीबतों से निजात का ज़रिया है। इसी लिये वह सबसे बेहतर लिबास है।

इसमें इस तरफ़ भी इशारा है कि एक बदकार आदमी जिसमें ख़ौफ़े खुदा न हो और वह नेक अमल का पाबन्द न हो वह कितने ही पर्दों में छुपे मगर अन्जामकार रुस्वा और ज़लील होकर रहता है। जैसा कि इब्ने जरीर रह. ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- "कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मुहम्मद की जान है, जो शख्स कोई भी अमल लोगों की नज़रों से छुपाकर करता है अल्लाह तआला उसको उस अमल की चादर उढ़ाकर ऐलान कर देते हैं। नेक अमल हो तो नेकी का और बुरा अमल हो तो बुराई का।" चादर उढ़ाने से मतलब यह है कि जिस तरह बदन पर ओढ़ी हुई चादर सब के सामने होती है, इनसान का अमल कितना ही छुपा हुआ हो उसके नतीजे और आसार उसके चेहरे और बदन पर अल्लाह तआला ज़ाहिर कर देते हैं, और इस इरशाद की सनद में हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयत पढ़ी:

وَرِيثًا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، ذَٰلِكَ خَيْرٌ، ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

ज़ाहिरी लिबास का भी असल मक़सद तक़वा हासिल करना है

"लिबासुत्तक़वा" के लफ़ज़ से इस तरफ़ भी इशारा पाया जाता है कि ज़ाहिरी लिबास के लिये सतर ढाँकने, ख़ूबसूरती व सजावट हासिल करने सब का असल मक़सद तक़वा (मरहेज़गारी) और अल्लाह तआला का ख़ौफ़ है, जिसका ज़हूर उसके लिबास में भी इस तरह होना चाहिये कि उसमें पूरे सतर का ढाँकना हो, कि क़ाबिले शर्म हिस्सों (अंगों) का पूरा पर्दा हो। जो नंगे भी न रहें और बदन पर लिबास ऐसा चुस्त भी न हो जिसमें ये अंग नंगे होने की तरह नज़र आयें, साथ ही उस लिबास में घमण्ड व गुरूर का अन्दाज़ भी न हो बल्कि तवाज़ो

(विनग्रता) के आसार हों। वेजा खर्च भी न हो, ज़रूरत के मुवाफ़िक कपड़ा इस्तेमाल किया जाय, औरतों के लिये मर्दाना और मर्दानों के लिये ज़नाना लिबास भी न हो जो अल्लाह तआला के नज़दीक नापसन्दीदा और बुरा है, लिबास में किसी दूसरी कौम की नक़ल भी न उतारी गयी हो जो अपनी कौम व मिल्लत से ग़द्दारी और मुँह मोड़ने की अलामत है।

इसके साथ ही अख़्लाक व आमाल का संवारना भी हो जो लिबास का असल मक़सद है। आयत के आख़िर में इरशाद फ़रमाया:

ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.

यानी इनसान को लिबास की ये तीनों किस्में अता फ़रमाना अल्लाह जल्ल शानुहू की कुदरत की निशानियों में से है, ताकि लोग इससे सबक़ हासिल करें।

दूसरी आयत में फिर तमाम इनसानों को ख़िताब करके तंबीह फ़रमाई गयी है कि अपने हर हाल और हर काम में शैतानी फ़रेब से बचते रहो, ऐसा न हो कि वह तुमको फिर किसी फ़ितने में मुब्तला कर दे, जैसा कि तुम्हारे माँ-बाप हज़रत आदम व हव्वा को उसने जन्नत से निकलवाया, और उनका लिबास उतरवाकर उनके सतर खोलने का सबब बना, वह तुम्हारा पुराना दुश्मन है, उसकी दुश्मनी का हमेशा हर वक़्त ख़्याल रखो।

आयत के आख़िर में फ़रमाया:

إِنَّ يَرًاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

इसमें लफ़ज़ क़बील के मायने जमाअत और जत्ये के हैं। जो जमाअत एक ख़ानदान की शरीक हो उसको क़बीला कहते हैं, और आम जमाअतों को क़बील कहा जाता है। मतलब यह है कि शैतान तुम्हारा ऐसा दुश्मन है कि वह और उसके साथी तो तुमको देखते हैं, तुम उनको नहीं देखते, इसलिये उनका मक्र व फ़रेब तुम पर चल जाने की ज़्यादा सम्भावनाएँ हैं।

लेकिन दूसरी आयतों में यह भी बतला दिया गया कि जो लोग अल्लाह तआला की तरफ़ रुजू करने वाले और शैतानी फ़रेब से होशियार रहने वाले हैं, उनके लिये शैतान का जाल बहुत ही कमज़ोर है।

और इस आयत के आख़िर में भी जो यह फ़रमाया कि हमने शैतानों को उनका सरपरस्त (वली) बना दिया है जो ईमान नहीं रखते, इसमें भी इस तरफ़ इशारा है कि ईमान वालों के लिये उसके जाल से बचना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं।

बुजुर्गों में से कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि यह दुश्मन जो हमें देखता है और हम इसको नहीं देख सकते, इसका इलाज हमारे लिये यह है कि हम अल्लाह तआला की पनाह में आ जायें, जो इन शैतानों को और इनकी हर हरकत व गतिविधि को देखता है और शैतान उसको नहीं देख सकता।

और यह इरशाद कि इनसान शैतानों को नहीं देख सकता, आम हालात और आम आदत के एतिबार से है। आदत के खिलाफ़ चमत्कारिक तौर पर कोई इनसान कभी उनको देख ले तो यह

उसके विरुद्ध नहीं, जैसा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में जिन्नात का आना और सवालात करना और इस्लाम कुबूल करना वगैरह हदीस की सही रिवायतों में बयान हुआ है। (तफसीर रुहुल-मआनी)

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا
وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۝ قَرِيبًا هَدَى
وَقَرِيبًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّكُمْ مُهْتَدُونَ ۝ لِيُنْفِىَ أَدْمَ خَذُوا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ السُّرْفِينَ ۝

व इजा फ-अलू फ़ाहि-शतन् कालू
वजदना अलैहा आबा-अना वल्लाहु
अ-म-रना बिहा, कुल् इन्नल्ला-ह ता
यअ्मुरु बिल्फ़हशा-इ, अ-तकूलू-न
अलल्लाहि मा ता तअ्लमून (28)
कुल् अ-म-र रब्बी बिल्किस्ति, व
अकीमू वुजूहकुम् अिन्-द कुल्लि
मस्जिदिं-व-वदूहु मुखिलसी-न
लहुद्दी-न, कमा ब-द-अकुम् तअूदून
(29) फरीकन् हदा व फरीकन्
हक-क अलैहिमुज्जलालतु;
इन्नहुमुत्त-खजुशशयाती-न औलिया-अ
मिन् दूनिल्लाहि व यह्सबू-न अन्नहुम्
मुस्तदून (30) या बनी आद-म खुजू
जीन-तकुम् अिन्-द कुल्लि मस्जिदिं-व

और जब करते हैं कोई बुरा काम तो
कहते हैं कि हमने देखा इसी तरह करते
अपने बाप-दादों को, और अल्लाह ने भी
हमको हुक्म किया है, तू कह दे कि
अल्लाह हुक्म नहीं करता बुरे काम का,
क्यों लगाते हो अल्लाह के जिम्मे वो बातें
जो तुमको मालूम नहीं। (28) तू कह दे
कि मेरे रब ने हुक्म दिया है इन्साफ का,
और सीधे करो अपने मुँह हर नमाज़ के
वक़्त और पुकारो उसको ख़ालिस उसके
फ़रमाँबरदार होकर, जैसा कि तुमको पहले
पैदा किया दूसरी बार भी पैदा होगे। (29)
एक फ़िक्र को हिदायत की और एक
फ़िक्र पर मुँकर हो चुकी गुमराही, उन्होंने
बनाया शैतानों को साथी अल्लाह को
छोड़कर और समझते हैं कि वे हिदायत
पर हैं। (30) ऐ औलाद आदम की! ले
लो अपनी जीनत हर नमाज़ के वक़्त और

-व कुलू वशरबू व ला तुसिफू इन्नहू
ला युहिब्वुल् मुसिफीन (31) ❀

खाओ और पियो और बेजा खर्च न करो,
उसको पसन्द नहीं आते बेजा खर्च करने
वाले। (31) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और वे लोग जब कोई फ़ुहश काम करते हैं (यानी ऐसा काम जिसकी बुराई खुली हुई हो और इनसानी फ़ितरत उसको बुरा समझती हो, जैसे नंगे होकर तवाफ़ करना) तो कहते हैं कि हमने अपने बाप-दादा को इसी तरीक़े पर पाया है और (नऊजु बिल्लाह) अल्लाह तआला ने हमको यही बतलाया है। (ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके जाहिलाना तर्क देने के जवाब में) आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला फ़ुहश "यानी बुरी और बेहूदा" बात की तालीम नहीं देता, क्या (तुम ऐसा दावा करके) खुदा के जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसकी तुम सनद नहीं रखते? आप (यह भी) कह दीजिए कि (तुमने जिन फ़ुहश और ग़लत कामों का हुक्म अल्लाह तआला की तरफ़ मन्सूब किया है वह तो ग़लत है, अब वह बात सुनो जिसका हुक्म वास्तविक तौर पर अल्लाह तआला ने दिया है, वह यह है कि) मेरे रब ने हुक्म दिया है इन्साफ़ करने का, और यह कि तुम हर सज़्दे (यानी इबादत) के वक़्त अपना रुख़ सीधा (अल्लाह की तरफ़) रखा करो, (यानी किसी मख़्लूक़ को उसकी इबादत में शरीक न करो) और उसकी (यानी अल्लाह की) इबादत इस अन्दाज़ पर करो कि उस इबादत को ख़ालिस अल्लाह ही के वास्ते रखा करो। (इस मुख़्तसर जुमले में शरीअत की तमाम हुक्म की हुई बातें संक्षिप्त तौर पर आ गयीं। किस्त में बन्दों के हुक्क़, अकीमू में आमाल व नेक काम, मुख़्लिसीन में अक़ीदे) जिस तरह तुमको अल्लाह तआला ने शुरू में पैदा किया था उसी तरह तुम (एक वक़्त) फिर दोबारा पैदा होगे। कुछ लोगों को तो अल्लाह ने (दुनिया में) हिदायत की है (उनको उस वक़्त जज़ा मिलेगी) और कुछ पर गुमराही साबित हो चुकी है (उनको सज़ा मिलेगी)। उन लोगों ने अल्लाह तआला को छोड़कर शैतानों को अपना साथी बना लिया, और (बावजूद इसके फिर अपने बारे में) ख़्याल रखते हैं कि वो राह पर हैं। ऐ आदम की औलाद! तुम मस्जिद की हर हाज़िरी के वक़्त (नमाज़ के लिये हो या तवाफ़ के लिये) अपना लिबास पहन लिया करो, और (जिस तरह लिबास का न पहनना गुनाह था, ऐसे ही हलाल चीज़ों के खाने पीने को नाजायज़ समझना भी बड़ा गुनाह है, इसलिये हलाल चीज़ों को) ख़ूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो, बेशक़ अल्लाह तआला हद से निकल जाने वालों को पसन्द नहीं करते।

मआरिफ़ व मसाईल

इस्लाम से पहले अरब के जाहिली दौर में शैतान ने लोगों को जिन शर्मनाक और बेहूदा रस्मों में मुब्तला कर रखा था उनमें से एक यह भी थी कि कुरैश के सिवा कोई शख़्स बैतुल्लाह का तवाफ़ अपने कपड़ों में नहीं कर सकता था, बल्कि या तो वह किसी कुरैशी से उसका लिबास

आरियत के तौर पर माँगे या फिर नंगा तवाफ़ करे।

और जाहिर है कि सारे अरब के लोगों को कुरैश के लोग कहाँ तक कपड़े दे सकते थे, इसलिये होता यही था कि ये लोग अक्सर नंगे ही तवाफ़ करते थे, मर्द भी औरतें भी, और औरतें उमूमन रात के अंधेरे में तवाफ़ करती थीं, और अपने इस फ़ेल की शैतानी हिक्मत यह बयान करते थे कि "जिन कपड़ों में हमने गुनाह किये हैं उन्हीं कपड़ों में बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ करना खिलाफ़े अदब है (और ये अक्ल के अंधे यह न समझते थे कि नंगे तवाफ़ करना इससे ज्यादा खिलाफ़े अदब और खिलाफ़े इनसानियत है)। सिर्फ़ कुरैश का कबीला हरम के सेवक होने के नाते इस नंगे होने के क़ानून से अलग समझा जाता था।"

ज़िक्र की गयी आयतों में से पहली आयत इसी बेहूदा रस्म को मिटाने और इसकी ख़राबी को बतलाने के लिये नाज़िल हुई है। इस आयत में फ़रमाया कि जब ये लोग कोई फ़ुहश (बुरा और गंदा) काम करते थे तो जो लोग उनको उस बुरे काम से मना करते तो उनका जवाब यह होता था कि हमारे बाप-दादा और बड़े-बूढ़े यँही करते आये हैं। उनके तरीक़े को छोड़ना आर और शर्म की बात है। और यह भी कहते थे कि हमें अल्लाह तआला ने ऐसा ही हुक्म दिया है।
(इब्ने कसीर)

इस आयत में फ़ुहश (बुरे) काम से मुराद अक्सर मुफ़स्सरीन के नज़दीक यही नंगा तवाफ़ है। और असल में फ़ुहश, फ़हश, फ़हिशा हर ऐसे बुरे काम को कहा जाता है जिसकी बुराई हद को पहुँची हुई हो, और अक्ल व समझ और सलीम फ़ितरत के नज़दीक बिल्कुल वाज़ेह और खुली हुई हो। (तफ़सीरे मज़हरी) और इस दर्जे में अच्छाई बुराई का अक्ली होना सब के नज़दीक मुसल्लम है। (रूहुल-मआनी)

फिर उन लोगों ने इस बेहूदा रस्म के जवाज़ (सही और जायज़ होने) के लिये दो दलीलें पेश कीं, एक अपने बड़ों की पैरवी, कि बाप-दादों के तरीक़े को कायम रखना ही ख़ैर और भलाई है। इसका जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह और खुला हुआ था कि जाहिल बाप-दादों का इत्तिबा (पैरवी) कोई माकूल चीज़ नहीं। ज़रा सी अक्ल व होश रखने वाला इनसान भी इसको समझ सकता है, कि किसी तरीक़े के जवाज़ की यह कोई दलील नहीं हो सकती कि बाप-दादा ऐसा करते थे, क्योंकि अगर किसी तरीक़े और किसी अमल के सही और जायज़ होने के लिये बाप-दादों का तरीक़ा होना काफ़ी समझा जाये तो दुनिया में विभिन्न लोगों के बाप-दादा विभिन्न और एक-दूसरे के विपरीत तरीकों पर अमल किया करते थे। इस दलील से तो दुनिया भर के सारे गुमराह करने वाले तरीक़े जायज़ और सही करार पाते हैं। गर्ज़ कि उन जाहिलों की यह दलील कुछ काबिले तवज्जोह न थी, इसलिये यहाँ कुरआने करीम ने इसका जवाब देना ज़रूरी न समझा और दूसरी रिवायतों में इसका भी जवाब यह दिया गया है कि अगर बाप-दादा कोई जहालत का काम करें तो वह किस तरह पैरवी और अनुसरण के काबिल हो सकता है?

दूसरी दलील उन लोगों ने अपने नंगे तवाफ़ के सही और जायज़ होने पर यह पेश की कि हमें अल्लाह तआला ने ही ऐसा हुक्म दिया है, यह सरासर बोहतान और हक़ तआला के हुक्म के

खिलाफ उसकी तरफ एक ग़लत हुक्म को मन्सूब करना है। इसके जवाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिताब करके इरशाद फ़रमाया:

قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ.

यानी आप फ़रमा दीजिए कि अल्लाह तआला कभी किसी फ़ुहश (बुरे और ग़लत) काम का हुक्म नहीं दिया करते। क्योंकि ऐसा हुक्म देना हिक्मत और शाने कुद्दूसी के खिलाफ़ है। फिर उन लोगों के इस बोहतान, अल्लाह पर झूठ बोलने और बातिल ख्याल को पूरी तरह रद्द करने के लिये उन लोगों को इस तरह तंबीह की गयी:

اتَّقُوا لَوْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

यानी क्या तुम लोग अल्लाह तआला की तरफ़ ऐसी चीज़ों को मन्सूब करते हो जिसका तुमको इल्म नहीं। यानी जिसके यकीन करने के लिये तुम्हारे पास कोई हुज्जत नहीं, और जाहिर है कि बिना तहकीक़ किसी शख्स की तरफ़ भी किसी काम को मन्सूब करना इन्तिहाई दिलेरी और जुल्म है, तो अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ़ किसी नक़ल की ऐसी ग़लत निस्बत करना कितना बड़ा जुर्म और जुल्म होगा। मुज्ताहिदीन हज़रात कुरआनी आयतों से इज्तिहाद (गौर व फ़िक्र करके और ज़ेहनी मेहनत से) जो अहकाम निकालते और बयान करते हैं वो इसमें दाख़िल नहीं, क्योंकि कुरआन के अलफ़ज़ व इरशादात से उनका अहकाम निकालना एक हुज्जत (दलील) के मातहत होता है।

दूसरी आयत में इरशाद फ़रमाया:

قُلْ أَمْرِي بِالْقِسْطِ.

यानी अल्लाह तआला की तरफ़ नंगे तवाफ़ के जायज़ करने की ग़लत निस्बत करने वाले जाहिलों से आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला तो हमेशा क़िस्त का हुक्म दिया करते हैं। क़िस्त के असली मायने इन्साफ़ व एतिदाल के हैं, और इस जगह क़िस्त से मुराद वह अमल है जो कमी-बेशी से ख़ाली हो, यानी न उसमें कोताही हो और न मुकररा हद से आगे निकला गया हो, जैसा कि शरीअत के तमाम अहकाम का यही हाल है। इसलिये लफ़ज़ क़िस्त के मफ़हूम में तमाम इबादतें, नेक काम और शरीअत के आम अहकाम दाख़िल हैं। (रुहुल-मआनी)

इस आयत में क़िस्त यानी इन्साफ़ व एतिदाल का हुक्म बयान करने के बाद उन लोगों की गुमराही और ग़लत रास्ते पर चलने के मुनासिब शरीअत के अहकाम में से दो हुक्म खुसूसियत के साथ बयान फ़रमाये गये। एक:

اقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

और दूसरा:

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

पहला हुक्म इनसान के जाहिरी कामों के बारे में है, और दूसरा उसके दिल और बातिल

(अन्दर) के बारे में है। पहले हुक्म में लफ्ज मस्जिद अक्सर मुफ़्तिरीन के नज़दीक सज्दे व इबादत के मायने में आया है, और मायने यह हैं कि हर इबादत व नमाज़ के वक़्त अपना रुख़ सीधा रखा करो। इसका यह मतलब भी हो सकता है कि नमाज़ के वक़्त अपना रुख़ सीधा ठीक क़िब्ले की तरफ़ करने का एहतिमाम करो, और रुख़ सीधा करने के यह मायने भी हो सकते हैं कि अपने हर कौल व फ़ेल और हर अमल में अपना रुख़ अपने रब के हुक्म के ताबे रखो, उससे इधर उधर न होने पाये। इस मायने के लिहाज़ से यह हुक्म सिर्फ़ नमाज़ के लिये खास नहीं, बल्कि तमाम इबादतों और मामलात को शामिल है।

और दूसरे हुक्म का तर्जुमा यह है कि अल्लाह तआला को इस तरह पुकारो कि इबादत ख़ालिस उसी की हो, उसमें किसी दूसरे की शिर्कत किसी हैसियत से न हो, यहाँ तक कि छुपे शिर्क यानी दिखावे और नमूद से भी पाक हो।

इन दोनों हुक्मों को साथ ज़िक्र करने से इस तरफ़ भी इशारा हो सकता है कि इन्सान पर लाज़िम है कि अपने ज़ाहिर व बातिन दोनों को शरीअत के अहकाम के मुताबिक़ दुरुस्त करे, न सिर्फ़ ज़ाहिरी इताअत बग़ैर इख़्लास के काफी है, और न महज़ इख़्लासे बातिनी बग़ैर ज़ाहिरी इत्तिबा-ए-शरीअत के काफी हो सकता है। बल्कि हर शख्स पर लाज़िम है कि अपने ज़ाहिर को भी शरीअत के मुताबिक़ दुरुस्त करे और बातिन को भी सिर्फ़ अल्लाह तआला के लिये ख़ालिस रखे। इससे उन लोगों की ग़लती वाज़ेह होती है जो शरीअत व तसव्वुफ़ को अलग-अलग तरीक़े समझते हैं, और यह ख़्याल करते हैं कि तसव्वुफ़ के मुताबिक़ बातिन को दुरुस्त कर लेना काफी है, चाहे शरीअत के खिलाफ़ करते रहें। यह खुली गुमराही है।

आयत के आख़िर में इरशाद फ़रमाया:

كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

यानी अल्लाह तआला ने जिस तरह तुम्हें शुरू में पैदा फ़रमाया था इसी तरह क़ियामत के दिन दोबारा तुम्हें ज़िन्दा करके खड़ा कर देंगे, उसकी कामिल कुदरत के आगे यह कोई मुश्किल चीज़ नहीं, और शायद इसी आसानी की तरफ़ इशारा करने के लिये 'युअ़ीदुकुम' के बजाय 'तऊदून' फ़रमाया कि दोबारा पैदा होने के लिये किसी ख़ास कोशिश व अमल की ज़रूरत नहीं। (तफ़्सीर रूहुल-मआनी)

इस जुमले को इस जगह लाने का एक फायदा यह भी है कि शरीअत के अहकाम पर पूरी तरह कायम रहना इन्सान के लिये आसान हो जाये, क्योंकि आख़िरत के ज़हान और क़ियामत और उसमें अच्छे-बुरे आमाल की जज़ा व सज़ा का तसव्वुर ही वह चीज़ है जो इन्सान के लिये हर मुश्किल को आसान और हर तकलीफ़ को राहत बना सकती है, और तजुर्बा गवाह है कि जब तक इन्सान पर यह ख़ौफ़ मुसल्लत न हो न कोई वज़ज़ व नसीहत उसको सीधा कर सकती है, और न किसी क़ानून की पाबन्दी उसको बुराईयों और अपराधों से रोक सकती है।

तीसरी आयत में फ़रमाया कि कुछ लोगों को तो अल्लाह तआला ने हिदायत की है और कुछ पर गुमराही साबित हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना

रफ़ीक़ (साथी) और दोस्त बना लिया, और यह ख्याल रखते हैं कि वे राह पर हैं।

मुराद यह है कि अगरचे अल्लाह जल्ल शानुहू की हिदायत आम थी मगर उन लोगों ने उस हिदायत से मुँह मोड़ा और शैतानों की पैरवी करने लगे, और सितम पर सितम यह हुआ कि वे अपनी बीमारी ही को सेहत और गुमराही को हिदायत ख्याल करने लगे।

इस आयत से मालूम हुआ कि शरीअत के अहकाम से अज्ञानता और नावाक़िफ़ियत कोई उज़्र नहीं। एक शख्स अगर ग़लत रास्ते को सही समझकर पूरे इख़्लास के साथ इख़्तियार करे तो वह अल्लाह के नज़दीक़ माज़ूर नहीं, क्योंकि अल्लाह तआला ने हर शख्स को होश व हवास और अक़ल व समझ इसी लिये दी है कि वह उससे काम लेकर ख़रे-खोटे और ग़लत सही को पहचाने। फिर उसको सिर्फ़ उसकी अक़ल व समझ पर नहीं छोड़ा, अपने अम्बिया भेजे, किताबें नाज़िल फ़रमायीं, जिनके ज़रिये सही व ग़लत और हक़ व बातिल को ख़ूब खोलकर बाज़ेह (स्पष्ट) कर दिया।

अगर किसी शख्स को इस पर शुक्का हो कि एक शख्स जो वास्तव में अपने को हक़ पर समझता हो अगरचे ग़लती पर हो, फिर उस पर क्या इल्ज़ाम है? वह माज़ूर होना चाहिये, क्योंकि उसको अपनी ग़लती की इत्तिला ही नहीं। जवाब यह है कि अल्लाह तआला ने हर इनसान को अक़ल व होश फिर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तालीम अता फ़रमा दी हैं, जिनके ज़रिये कम से कम उसको अपने इख़्तियार किये हुए तरीक़े के ख़िलाफ़ का संदेह, गुमान और शक़ ज़रूर हो जाना चाहिये। अब उसका कसूर यह है कि उसने इन चीज़ों की तरफ़ ध्यान न दिया और जिस ग़लत तरीक़े को इख़्तियार कर लिया था उस पर जमा रहा।

लेकिन जो शख्स हक़ की तलाब व तलाश में अपनी पूरी कोशिश खर्च कर चुका, और फिर भी उसकी नज़र सही रास्ते और हक़ बात की तरफ़ न पहुँची वह मुम्किन है कि अल्लाह तआला के नज़दीक़ माज़ूर हो, जैसा कि इमाम ग़ज़ाली रह. ने अपनी किताब "अल्तफ़रक़तु बैनल-इस्लामि वज़्ज़नदक़ति" में फ़रमाया है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

चौथी आयत में इरशाद फ़रमाया- "ऐ आदम की औलाद! तुम मस्जिद की हर हाज़िरी के वक़्त अपना लिबास पहन लिया करो और ख़ूब खाओ और पियो और हद से न निकलो, बेशक़ अल्लाह तआला हद से निकलने वालों को पसन्द नहीं करते।"

ज़माना-ए-जाहिलीयत (इस्लाम आने से पहले दौर) के अरब वाले जैसा कि बैतुल्लाह का तवाफ़ नंगे होकर करने को सही इबादत और बैतुल्लाह का सम्मान समझते थे इसी तरह उनमें यह रस्म भी थी कि हज के दिनों में खाना पीना छोड़ देते थे, सिर्फ़ इतना खाते-पिये जिससे साँस चलता रहे, खुसूसन घी, दूध और पाकीज़ा ग़िज़ाओं से बिल्कुल परहेज़ करते थे। (इब्ने जरीर)

उनके इस बेहूदा तरीका-ए-कार के ख़िलाफ़ यह आयत नाज़िल हुई, जिसने बतलाया कि नंगे होकर तवाफ़ करना बेहयाई और सख़्त बेअदबी है, इससे परहेज़ करें। इसी तरह अल्लाह तआला की दी हुई पाकीज़ा ग़िज़ाओं से बिना वजह परहेज़ करना भी कोई दीन की बात नहीं, बल्कि उसकी हलाल की हुई चीज़ें अपने ऊपर हराम ठहराना गुस्ताख़ी और इबादत में हद से निकलना

है, जिसको अल्लाह तआला पसन्द नहीं फरमाते। इसलिये हज के दिनों में खूब खाओ पियो, हाँ फुजूल खर्ची न करो, हलाल गिज़ाओं से बिल्कुल बचना भी हद से निकलने में दाखिल है, और हज के असल मकासिद और जिफ्रुल्लाह से गाफिल होकर खाने पीने ही में मशगूल रहना भी बेजा हरकत में दाखिल है।

यह आयत अगरचे अरब के जाहिली दौर की एक खास रस्म नंगेपन को मिटाने के लिये नाज़िल हुई है जिसको वे तवाफ़ के वक़्त बैतुल्लाह की ताज़ीम (अदब व सम्मान) के नाम पर किया करते थे, लेकिन तफसीर के इमामों और उम्मत के फ़ुक्हा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि किसी हुक्म के किसी खास वाक़िए में नाज़िल होने के यह मायने नहीं होते कि वह हुक्म उसी वाक़िए के साथ खास है, बल्कि अलफ़ाज़ के आम होने का एतबार होता है। जो चीज़ें उन अलफ़ाज़ के आम होने में शामिल होती हैं सब पर यही हुक्म आयद होता है।

नमाज़ में सतर ढाँकना फ़र्ज़ है उसके बग़ैर नमाज़ नहीं होती

इसी लिये इस आयत से सहाबा व ताबिईन और मुज्ताहिद की बड़ी जमाअत ने कई अहकाम निकाले हैं। अब्बल यह कि इसमें जिस तरह नंगे होकर तवाफ़ को मना किया गया है, इसी तरह नंगे नमाज़ पढ़ना भी हराम और बातिल है। क्योंकि हदीस में हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है:

الطَوَافُ بِالنِّبْتِ صَلَاةٌ

कि बैतुल्लाह का तवाफ़ करना भी नमाज़ (इबादत) है। (मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी)
इसके अलावा खुद इसी आयत में जबकि लफ़ज़ मस्जिद से मुफ़स्सरीन की अक्सरियत के नज़दीक मुराद सज्दा है, तो सज्दे की हालत में नंगा होने की मनाही खुद आयत में स्पष्टता से आ जाती है, और जब सज्दे में यह हालत वर्जित और मना हुई तो रुकूअ, कियाम, बैठने और नमाज़ के तमाम कामों और हालतों में इसका लाज़िम होना ज़ाहिर है।

फिर रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इरशादात ने इसको और भी वाज़ेह कर दिया। एक हदीस में इरशाद है कि किसी बालिग़ औरत की नमाज़ बग़ैर दुपट्टे के जायज़ नहीं।

(तिर्मिज़ी शरीफ़)

और नमाज़ के अलावा दूसरे हालात में भी सतर ढाँकने का फ़र्ज़ होना दूसरी आयतों व रिवायतों से साबित है, जिनमें से एक आयत इसी सूरत में गुज़र चुकी है:

يَسْبِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْآتِكُمْ

खुलासा यह है कि सतर छुपाना इनसान के लिये पहला इनसानी और इस्लामी फ़र्ज़ है जो हर हालत में इस पर लाज़िम है। नमाज़ और तवाफ़ में और भी ज्यादा फ़र्ज़ है।

नमाज़ के लिये अच्छा लिबास

दूसरा मसला इस आयत में यह है कि लिबास को लफ़ज़ ज़ीनत से ताबीर करके इस तरफ़

भी इशारा फ़रमा दिया गया है कि नमाज़ में अफ़ज़ल व बेहतर यह है कि सिर्फ़ सतर छुपाने पर किफ़ायत न की जाये बल्कि अपनी वुस्अत के मुताबिक़ अच्छा लिबास इख़्तियार किया जाये। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की आदत थी कि नमाज़ के वक़्त अपना सबसे बेहतर लिबास पहनते थे, और फ़रमाते थे कि अल्लाह तआला जमाल को पसन्द फ़रमाते हैं, इसलिये मैं अपने रब के लिये जीनत व जमाल इख़्तियार करता हूँ। और अल्लाह तआला ने फ़रमाया है:

حَدُّوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

मालूम हुआ कि इस आयत से जिस तरह नमाज़ में सतर छुपाने का फ़र्ज़ होना साबित होता है इसी तरह वुस्अत व गुंजाईश के मुताबिक़ साफ़-सुथरा अच्छा लिबास इख़्तियार करने की फ़ज़ीलत और पसन्दीदा होना भी साबित होता है।

नमाज़ में लिबास के मुताल्लिक़ चन्द मसाले

तीसरा मसला इस जगह यह है कि सतर जिसका छुपाना इन्सान पर हर हाल में और ख़ास तौर पर नमाज़ व तवाफ़ में फ़र्ज़ है, उसकी हद क्या है? कुरआने करीम ने मुख़्तसर तौर पर सतर छुपाने का हुक्म देकर इसकी तफ़सीलात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हवाले किया। आपने तफ़सील के साथ इरशाद फ़रमाया कि मर्द का सतर नाफ़ से लेकर घुटनों तक और औरत का सतर सारा बदन है, सिर्फ़ चेहरा, दोनों हथेलियाँ और क़दम इससे बाहर हैं।

हदीस की रिवायतों में यह सब तफ़सील मज़कूर है। मर्द के लिये नाफ़ से नीचे का बदन या घुटने खुले हों तो ऐसा लिबास खुद भी गुनाह है और नमाज़ भी उसमें अदा नहीं होती। इसी तरह औरत का सर, गर्दन, बाजू या पिण्डली खुली हो तो ऐसे लिबास में रहना खुद भी नाजायज़ है और नमाज़ भी अदा नहीं होती। एक हदीस में इरशाद है कि जिस मकान में औरत नंगे सर हो वहाँ नेकी के फ़रिश्ते नहीं आते।

औरत का चेहरा, हथेलियाँ और क़दम जो सतर से बाहर करार दिये गये, इसके यह मायने हैं कि नमाज़ में उसके ये हिस्से (अंग) खुले हों तो नमाज़ में कोई ख़लल नहीं आयेगा। इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि ग़ैर-मेहरमों के सामने भी वह बग़ैर शर्ई उज़्र (मजबूरी) के चेहरा खोलकर फिरा करे।

यह हुक्म तो सतर के फ़रीजे के बारे में है, जिसके बग़ैर नमाज़ ही अदा नहीं होती। और चूँकि नमाज़ में सिर्फ़ सतर छुपाना ही मतलूब नहीं, बल्कि जीनत वाला लिबास इख़्तियार करने का इरशाद है, इसलिये मर्द का नंगे सर नमाज़ पढ़ना या मोटे या कोहनियाँ खोलकर नमाज़ पढ़ना मक्रूह है, चाहे कमीज़ ही आधी आस्तीन की हो या आस्तीन चढ़ाई गयी हो, बहरहाल नमाज़ मक्रूह है। इसी तरह ऐसे लिबास में भी नमाज़ मक्रूह है जिसको पहनकर आदमी अपने दोस्तों और अ़याम के सामने जाना काबिले शर्म व आर समझे, जैसे सिर्फ़ बनियान बग़ैर कुर्ते के, अगरचे पूरी आस्तीन भी हो, या सर पर बजाय टोपी के कोई कपड़ा छोटा दस्ती रूमाल बाँध लेना कि कोई समझदार आदमी अपने दोस्तों या दूसरों के सामने इस अन्दाज़ व शक्ल में जाना

पसन्द नहीं करता, तो-अल्लाह रब्बुल-आलमीन के दरबार में जाना कैसे पसन्दीदा हो सकता है। सर, मोँटे, कोहनियाँ खोलकर नमाज़ का मक्रूह होना कुरआनी आयतों के लफ़्ज़ ज़ीनत से भी समझ में आता है और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम की तालीमात से भी।

जिस तरह आयत का पहला जुमला अरब के जाहिली दौर की नंगेपन की रस्म को मिटाने के लिये नाज़िल हुआ, मगर अलफ़ाज़ के आम होने से और बहुत से अहक़ाम व मसाईल इससे मालूम हुए, इसी तरह दूसरा जुमला:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا.

भी अगरचे अरब के जाहिली दौर की इस रस्म को मिटाने के लिये नाज़िल हुआ कि हज के दिनों में अच्छी ग़िज़ा खाने पीने को गुनाह समझते थे, लेकिन अलफ़ाज़ के आम होने से यहाँ भी बहुत से अहक़ाम व मसाईल साबित होते हैं।

खाना पीना ज़रूरत के मुताबिक़ फ़र्ज़ है

अव्वल यह कि खाना पीना शरई हैसियत से भी इनसान पर फ़र्ज़ व लाज़िम है। बावजूद क़ुदरत के कोई शख्स खाना पीना छोड़ दे, यहाँ तक कि मर जाये, या इतना कमज़ोर हो जाये कि वाजिबात (फ़राईज़ और ज़रूरी चीज़ें) भी अदा न कर सके तो यह शख्स अल्लाह के नज़दीक मुजरिम व गुनाहगार होगा।

दुनिया की चीज़ों में असल उनका जायज़ व मुबाह होना है

दुनिया की चीज़ों में असल उनका जायज़ व मुबाह होना है। जब तक किसी दलील से उनका हराम होना या मनाही साबित न हो कोई चीज़ हराम नहीं होती।

इमाम जस्सास की अहक़ामुल-कुरआन की वज़ाहत के मुताबिक़ एक मसला इस आयत से यह निकला कि दुनिया में जितनी चीज़ें खाने पीने की हैं, असल उनमें यह है कि वे सब जायज़ व हलाल हैं। जब तक किसी ख़ास चीज़ की हुर्मत व मनाही किसी शरई दलील से साबित न हो जाये हर चीज़ को जायज़ व हलाल समझा जायेगा। इसकी तरफ़ इशारा इस बात से हुआ कि 'कुलू वशरबू' (खाओ और पियो) का मफ़ऊल (यानी किस चीज़ को खाया जाये) ज़िक्र नहीं फ़रमाया कि क्या चीज़ खाओ पियो। और अरबी ग्रामर के उलेमा की वज़ाहत है कि ऐसे मौक़े पर मफ़ऊल ज़िक्र न करना उसके आम होने की तरफ़ इशारा हुआ करता है कि हर चीज़ खा पी सकते हो सिवाय उन चीज़ों के जिनको स्पष्टता के साथ हराम कर-दिया गया।

(अहक़ामुल-कुरआन, जस्सास)

खाने-पीने में हद से बढ़ना जायज़ नहीं

आयत के आख़िरी जुमले "व ला तुस्रिफू" से साबित हुआ कि खाने पीने की तो इंजाज़त है, बल्कि हुक्म है, मगर साथ ही इस्राफ़ करने की मनाही है। इस्राफ़ के मायने हैं हद से

निकलना। फिर हद से बढ़ने की कई सूरीयें हैं- एक यह कि हलाल से बढ़कर हराम तक पहुँच जाये, और हराम चीज़ों को खाने पीने बरतने लगे। इसका हराम होना ज़ाहिर है।

दूसरे यह कि अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को बिना शर्ह कारण और सबब के हराम समझकर छोड़ दे। जिस तरह हराम का इस्तेमाल जुर्म व गुनाह है इसी तरह हलाल को हराम समझना भी अल्लाह के क़ानून की मुखालफ़त और सख़्त गुनाह है।

(इब्ने कसीर, मज़हरी, रूहुल-मआनी)

इसी तरह यह भी इस्राफ़ है कि भूख और ज़रूरत से ज्यादा खाये पिये। इसी लिये फ़ुक़हा हज़रात (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) ने पेट भरने से जायद खाने को नाजायज़ लिखा है। (अहकामुल-कुरआन वगैरह) इसी तरह यह भी इस्राफ़ के हुक्म में है कि बावजूद ताक़त व इख़्तियार के ज़रूरत से इतना कम खाये जिससे कमज़ोर होकर वाजिबात की अदायेगी की क़ुर्रत न रहे। इन दोनों किस्म के इस्राफ़ (हद से निकलने) को मना करने के लिये कुरआने करीम में एक जगह इरशाद है:

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

“यानी फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं।”

और दूसरी जगह इरशाद है:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“यानी अल्लाह को वे लोग पसन्द हैं जो ख़र्च करने में दरमियानी और बीच का रास्ता रखते हैं, न ज़रूरत की हद से ज्यादा ख़र्च करें और न उससे कम ख़र्च करें।”

खाने-पीने में दरमियानी राह ही दीन व दुनिया के लिये लाभदायक है

हज़रात फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि बहुत खाने पीने से बचो, क्योंकि वह जिस्म को ख़राब करता है, बीमारियाँ पैदा करता है, अमल में सुस्ती पैदा करता है, बल्कि खाने पीने में बीच की राह इख़्तियार करो, इसलिये कि वह जिस्म की सेहत के लिये भी मुफ़ीद है और इस्राफ़ से भी दूर है। और फ़रमाया कि अल्लाह तआला मोटे जिस्म वाले आलिम को पसन्द नहीं फ़रमाते (मुराद यह है कि जो ज्यादा खाने से अपने इख़्तियार से मोटा और फ़र्बा हो गया हो) और फ़रमाया कि आदमी उस वक़्त तक हलाक नहीं होता जब तक कि वह अपनी नपसानी इच्छाओं को दीन पर तरज़ीह न देने लगे। (रूहुल-मआनी, अबी नुएम के हवाले से)

पहले बुजुर्गों ने इस बात को इस्राफ़ (हद से आगे निकलने) में दाख़िल करार दिया है कि आदमी हर वक़्त खाने पीने ही के धंधे में मशगूल रहे, या इसको दूसरे अहम कामों में मुक़दम (आगे और पहले) जाने, जिससे यह समझा जाये कि उसकी ज़िन्दगी का मक़सद यही खाना पीना है। उन्हीं हज़रात का मशहूर मक़ूल है कि “खुरदन बराये ज़ीस्तन अस्त न ज़ीस्तन बराये

खुरदन।" यानी खाना इसलिये है कि जिन्दगी कायम रहे, यह नहीं कि जिन्दगी खाने पीने ही के लिये हो।

एक हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसको भी इस्राफ़ (फुजूल खर्ची और हद से निकलने) में दाखिल फरमाया है कि जब किसी चीज़ को जी चाहे तो उसको जरूर ही पूरा कर ले। फरमाया:

إِنَّ مِنَ الْإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا شِئْتَهُ. (ابن ماجة عن انس).

और इमाम बैहकी ने नक़ल किया है कि हज़रत आयशा सिदीका रज़ियल्लाहु अन्हा को एक मर्तबा हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने देखा कि दिन में दो मर्तबा खाना खाया है, तो इरशाद फरमाया ऐ आयशा! क्या तुम्हें यह पसन्द है कि तुम्हारा शग़ल सिर्फ़ खाना ही रह जाये।

और दरमियानी राह चलने का यह हुकम जो खाने पीने से संबन्धित इस आयत में बयान हुआ है सिर्फ़ खाने पीने के साथ खास नहीं, बल्कि पहनने और रहने सहने के हर काम में दरमियानी हालत पसन्द और महबूब है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जो चाहे खाओ पियो, और जो चाहे पहनो, सिर्फ़ दो बातों से बचो- एक यह कि उसमें इस्राफ़ यानी जरूरत की हद से ज्यादाती न हो, दूसरे गुरूर व इतराहट न हो।

एक आयत से आठ शरई मसाईल

खुलासा यह है कि "कुलू वशरबू व ला तुस्रिफू" के कलिमात से आठ शरई मसाईल निकले- अब्बल यह कि खाना पीना जरूरत के मुताबिक़ फर्ज़ है। दूसरे यह कि जब तक किसी चीज़ की हुर्मत (हराम होना) किसी शरई दलील से साबित न हो जाये हर चीज़ हलाल है। तीसरे यह कि जिन चीज़ों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मना कर दिया उनका इस्तेमाल इस्राफ़ और नाजायज़ है। चौथे यह कि जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं उनको हराम समझना भी इस्राफ़ और गुनाह है। पाँचवें यह कि पेट भर जाने के बाद और खाना नाजायज़ है। छठे यह कि इतना कम खाना जिससे कमज़ोर होकर वाजिबात और जरूरी कामों के करने की क़ुदरत न रहे, दुरुस्त नहीं है। सातवें यह कि हर वक़्त खाने पीने की फ़िक्र में रहना भी इस्राफ़ है। आठवें यह भी इस्राफ़ है कि जब कभी किसी चीज़ को जी चाहे तो जरूर ही उसको हासिल करे।

यह तो इस आयत के दीनी फ़ायदे हैं, और अगर तिब्बी तौर पर गौर किया जाये तो सेहत व तन्दुरुस्ती के लिये इससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं। खाने पीने में एतिदाल (दरमियानी राह) इस्तियार करना) सारी बीमारियों से हिफ़ाज़त है।

तफ्सीर रुहुल-मआनी और मज़हरी वगैरह में है कि अमीरुल-मोमिनीन हाक़न रशीद के पास एक ईसाई तबीब (हकीम, चिकित्सक) इलाज के लिये रहता था, उसने अली बिन हुसैन बिन वाफ़िद से कहा कि तुम्हारी किताब यानी कुरआन में इल्मे तिब्ब का कोई हिस्सा नहीं? हालाँकि हुनेया में दो ही इल्म इल्म हैं- एक धर्मों का इल्म, दूसरा बदनो का इल्म, जिसका नाम तिब्ब है।

अली बिन हुसैन ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने तिब्ब व हिक्मत के सारे फ़न को कुरआन की आधी आयत में जमा कर दिया है, वह यह कि इरशाद फ़रमाया:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

(और तफ़सीर इब्ने कसीर में यह कौल पहले कुछ उलेमा के काले से भी नक़ल किया है) फिर उसने कहा कि अच्छा तुम्हारे रसूल के कलाम में भी तिब्ब के मुताल्लिक़ कुछ है? उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चन्द कलिमात में सारे फ़नने तिब्ब को जमा कर दिया है। आपने फ़रमाया कि मेदा बीमारियों का घर है, और नुक़सानदेह चीज़ों से परहेज़ हर दवा की असल है, और हर बदन को वह चीज़ दो जिसका वह आदी है।

(तफ़सीरे कश्शाफ़, रूहुल-मअानी)

ईसाई तबीब (हकीम) ने यह सुनकर कहा कि तुम्हारी किताब और तुम्हारे रसूल ने जालीनूस के लिये कोई तिब्ब नहीं छोड़ी।

इमाम बैहकी ने शुअबुल-ईमॉन में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- मेदा (पेट) बदन का हौज़ है, सारे बदन की रगें इसी हौज़ से सैराब होती हैं। अगर मेदा ठीक है तो सारी रगें यहाँ से स्वस्थ गिज़ा लेकर लौटेंगी, और वह ख़राब है तो सारी रगें बीमारी लेकर बदन में फैलेंगी।

मुहद्दीसीन ने हदीस की इन रिवायतों के अलफ़ाज़ में कुछ कलाम किया है, लेकिन कम खाने और मोहतात रहने की ताकीदें जो बेशुमार हदीसों में मौजूद हैं उन पर सब का इत्तिफ़ाक़ है।

(तफ़सीर रूहुल-मअानी)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي

اُخْرِجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝

कुल् मन् हर-म जी-नतल्लाहिल्लती
अख़र-ज लिज़िबादिही वत्तय्यिबाति
मिनरिज़कि, कुल् हि-य लिल्लज़ी-न
आमनू फ़ि ल्हयातिद्-दुन्या
ख़ालि-सतय्यौमल्-कियामति,

तू कह किसने हराम किया अल्लाह की
ज़ीनत को जो उसने पैदा की अपने बन्दों
के वास्ते, और सुथरी चीज़ें खाने की, तू
कह ये नेमतें असल में ईमान वालों के
वास्ते हैं दुनिया की ज़िन्दगी में ख़ालिस
उन्हीं के वास्ते हैं क़ियामत के दिन, इसी

कज़ालि-क नुफ़रिसलुल्-आयाति
 लिकौमिंय-यअलमून (32) कुल्
 इन्नमा हर-म रब्बियल्-फवाहि-श मा
 ज-ह-र मिन्हा व मा ब-त-न वल्दिस-म
 वल्बर्-य बिगैरिल्-हक्कि व अन्
 तुशिरकू बिल्लाहि मा लम् युनज़िज़ल्
 बिही सुल्तानव्-व अन् तकूलू
 अलल्लाहि मा ला तअलमून (33) व
 लिकुल्लि उम्मतिन् अ-जलुन् फ-इज़्जा
 जा-अ अ-जलुहुम् ला यस्तअखिरू-न
 सा-अतव्-व ला यस्तकिदमून (34)

तरह तफसील से बयान करते हैं हम
 आयतों उनके लिये जो समझते हैं। (32)
 तू कह दे मेरे रब ने हराम किया है सिर्फ
 बेहयाई की बातों को जो उनमें खुली हुई
 हैं और जो छुपी हुई हैं, और गुनाह को,
 और नाहक की ज्यादाती को, और इस
 बात को कि शरीक करो अल्लाह का ऐसी
 चीज़ को जिसकी उसने सनद नहीं उतारी,
 और इस बात को कि लगाओ अल्लाह के
 जिम्मे वो बातें जो तुमको मालूम नहीं।
 (33) और हर फिके (जमाअत) के वास्ते
 एक वायदा है, फिर जब आ पहुँचेगा
 उनका वायदा, न पीछे सरक सकेंगे एक
 घड़ी और न आगे सरक सकेंगे। (34)

खुलासा-ए-तफसीर

(जो लोग अल्लाह की हलाल की हुई खाने-पीने और पहनने की चीज़ों को बिना दलील
 बल्कि खिलाफे दलील हराम समझ रहे हैं उनसे) आप फरमाईए कि (यह बतलाओ) अल्लाह
 तआला के पैदा किए हुए कपड़ों को, जिनको उसने अपने बन्दों के (इस्तेमाल के) वास्ते बनाया
 है और खाने-पीने की हलाल चीज़ों को (जिनको अल्लाह ने हलाल करार दिया है) किस शख्स ने
 हराम किया है? (यानी हलाल व हराम करार देना तो खालिक और मालिके कायनात का काम
 है, तुम अपनी तरफ से किसी चीज़ को हलाल या हराम कहने वाले कौन हो? उक्त आयतों में
 लिबास और खाने-पीने की चीज़ों को अल्लाह का इनाम करार दिया है, इससे काफ़िरो को यह
 शुब्हा हो सकता था कि यह इनाम तो हमें खूब मिल रहा है, अगर अल्लाह तआला हमसे नाराज़
 होता और हमारे अक़ीदे व आमाल उसके खिलाफ होते तो यह इनाम हमें क्यों मिलता? इस
 शुब्हे के जवाब के लिये फरमाया कि ऐ मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम!) आप उनसे यह
 कह दीजिए कि (अल्लाह के इनामों के मुताल्लिक इस्तेमाल की इजाज़त अल्लाह के यहाँ
 मकबूलियत की दलील नहीं, हाँ जिस इस्तेमाल के बाद कोई वबाल न हो वह मकबूलियत की
 दलील है, और ऐसा इस्तेमाल खालिस ईमान वालों का हिस्सा है, क्योंकि काफ़िर जितना ज्यादा
 दुनियावी नेमतों को इस्तेमाल करते हैं उतना ही उनका वबाल और आखिरत का अज़ाब बढ़ता
 रहता है। इसलिये फरमाया कि) ये चीज़ें (लिबास और खाने-पीने की चीज़ें) इस तौर पर कि

कियामत के दिन (भो नाराज़गी और अज़ाब से) ख़ालिस रहे, दुनियावी ज़िन्दगानी में ख़ालिस ईमान वालों ही के लिए हैं, (बख़िलाफ़ काफ़िर के कि अगरचे दुनिया में उन्होंने अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके ऐश व मस्ती की ज़िन्दगी बसर की, मगर चूँकि इन नेमतों का शुक्र ईमान व इताअत के ज़रिये अदा नहीं किया, इसलिये वहाँ ये नेमतेँ वबाल और अज़ाब वन जावेंगी) हम इसी तरह समझदारों के वास्ते तमाम आयतों को साफ़-साफ़ बयान किया करते हैं।

आप (उनसे यह भी) फ़रमाइए कि (तुमने जिन हलाल चीज़ों को बिना वजह हराम समझ रखा है वो तो अल्लाह ने हराम नहीं कीं) अलबत्ता मेरे रब ने सिर्फ़ (उन चीज़ों को जिनमें से अक्सर में तुम मुब्तला हो) हराम किया है (मसलन) तमाम फ़ुहश "यानी गन्दी और बेहूदा" बातों को, उनमें जो खुले तौर पर हों वो भी (जैसे नंगे होकर तवाफ़ करना) और उनमें जो छुपे तौर पर हों वो भी (जैसे बदकारी), और हर गुनाह की बात को (हराम किया है) और नाहक किसी पर जुल्म करने को (हराम किया है) और इस बात को कि तुम अल्लाह तआला के साथ किसी ऐसी चीज़ को (इबादत में) शरीक ठहराओ जिसकी अल्लाह तआला ने कोई सनद (और दलील) नाज़िल नहीं फ़रमाई (न पूरी तरह और न आंशिक तौर पर), और इस बात को (हराम किया है) कि तुम लोग अल्लाह तआला के जिम्मे ऐसी बात लगा दो जिसकी तुम सनद न रखो (जिस तरह आयत नम्बर 29 में तमाम हुक्म की गयीं चीज़ें जिन पर अमल करना शरअन ज़रूरी है, दाख़िल हो गये। इसी तरह आयत नम्बर 33 में तमाम मना की गयीं बातें जिनकी मनाही है, शामिल हो गयीं), और (अगर इन हराम करार दी गयीं चीज़ों और कामों के करने वालों को फ़ौरन सज़ा न होने से उन चीज़ों के हराम होने में किसी को शुब्हा हो जाये तो उसका जवाब यह है कि अल्लाह के इल्म में) हर ग़िरोह (के हर व्यक्ति की सज़ा) के लिए (अल्लाह की हिक्मत के तहत) एक मुकर्ररा मियाद है, सो जिस वक़्त उनकी (वह) मुकर्ररा मियाद (नज़दीक) आ जाएगी उस वक़्त एक घड़ी न (उससे) पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे (बल्कि फ़ौरन ही सज़ा जारी हो जायेगी। उस मियाद के पहले सज़ा न होना इसकी दलील नहीं कि इन हराम और मना किये गये कामों को करने पर सज़ा न होगी)।

मआरिफ़ व मसाईल

पहली आयत में उन लोगों को तंबीह (चेतावनी) की गयी है जो इबादतों में गुलू (हद से बढ़ना) और खुद अपने हाथों तंगियाँ पैदा करते हैं। अल्लाह तआला की हलाल की हुई चीज़ों से परहेज़ करने और अपने ऊपर हराम करार देने को इबादत व नेकी समझते हैं। जैसे मक्का के मुश्रिक लोग हज के दिनों में तवाफ़ के वक़्त लिबास पहनना ही जायज़ न समझते थे, और अल्लाह तआला की हलाल और अच्छी ग़िज़ाओं से परहेज़ करने को इबादत जानते थे।

ऐसे लोगों को डाँट और फटकार के अन्दाज़ में तंबीह की गयी कि अल्लाह की जीनत यानी उम्दा लिबास जो अल्लाह ने अपने बन्दों के लिये पैदा फ़रमाया है, और पाकीज़ा उम्दा ग़िज़ायें जो अल्लाह ने अता फ़रमाई हैं उनको किसने हराम किया?

उ
जिने
वे जो
और
इस ग
कने
प
पुरत
हूँ
है ए
ऐसे
है कि
रह हा
भर के
जोना
सिर्फ
क
तआला
फ़रमाते
जाएँ
मैले कुं
इं
गुरु से
इस्तेमाल
और
आजम
या पैवन
जो कुछ
बाकी है
रहनुमा
ताकि अ

उम्दा लिबास और लजीज़ खाने से परहेज़ इस्लाम की तालीम नहीं-

मतलब यह है कि किसी चीज़ को हलाल या हराम ठहराना सिर्फ़ उस पाक ज़ात का हक़ है जिसने उन चीज़ों को पैदा किया है, किसी दूसरे की उसमें दख़ल-अन्दाज़ी जायज़ नहीं, इसलिये वो लोग सज़ा व अज़ाब के काबिल हैं जो अल्लाह की हलाल की हुई उम्दा पोशाक या पाकीज़ा और लजीज़ ख़ुराक को हराम समझें, वुस्अत होते हुए फटे हालों गन्दा परागन्दा रहना न कोई इस्लाम की तालीम है न कोई इस्लाम में पसन्दीदा चीज़ है, जैसा कि बहुत से जाहिल ख़्याल करते हैं।

पहले बुजुर्गों और इस्लाम के इमामों में बहुत से अकाबिर जिनको अल्लाह तआला ने माली वुस्अत अता फ़रमाई थी अक्सर उम्दा और कीमती लिबास इस्तेमाल फ़रमाते थे। नबी करीम हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी जब गुंजाईश हुई उम्दा से उम्दा लिबास भी पहना है। एक रिवायत में है कि एक मर्तबा आप बाहर तशरीफ़ लाये तो आपके बदन मुबारक पर ऐसी चादर थी जिसकी कीमत एक हज़ार दिरहम थी। इमामे आजम अबू हनीफ़ा रह. से मन्कूल है कि चार सौ गिन्नी की कीमत की चादर इस्तेमाल फ़रमाई। इसी तरह हज़रत इमाम मालिक रह. हमेशा नफीस और उम्दा लिबास इस्तेमाल फ़रमाते थे, उनके लिये तो किसी सज्जन ने साल भर के लिये तीन सौ साठ जोड़ों का सालाना इन्तिज़ाम अपने जिम्मे लिया हुआ था, और जो जोड़ा इमाम साहिब के बदन पर एक मर्तबा पहुँचता था दोबारा इस्तेमाल न होता था, क्योंकि सिर्फ़ एक दिन इस्तेमाल करके किसी ग़रीब तालिब-इल्म को दे देते थे।

वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि जब अल्लाह तआला किसी बन्दे को अपनी नेमत और वुस्अत अता फ़रमायें तो अल्लाह तआला इसको पसन्द फ़रमाते हैं कि उसकी नेमत का असर उसके लिबास वगैरह में देखा जाये। इसलिये कि नेमत का जाहिर करना भी एक किस्म का शुक्र है। इसके मुक़ाबिल वुस्अत होते हुए फटे पुराने या मैले-कुचैले कपड़े इस्तेमाल करना नाशुक्री है।

हाँ ज़रूरी बात यह है कि दो चीज़ों से बचे, एक दिखावे और नाम करने, दूसरे घमण्ड व ग़ुरूर से, यानी महज़ लोगों को दिखलाने और अपनी बड़ाई जाहिर करने के लिये कीमती लिबास इस्तेमाल न करे। और जाहिर है कि पहले बुजुर्गों इन दोनों चीज़ों से बरी थे।

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और पहले नेक हज़रात में हज़रत फारूक़े आजम रजियल्लाहु अन्हु और कुछ दूसरे सहाबा से जो आम हालात में मामूली किस्म का लिबास या पैवन्द लगे हुए कपड़े इस्तेमाल करना मन्कूल है इसकी दो वजह थीं— एक तो यह कि अक्सर जो कुछ माल आता वह फ़कीरों, मिस्कीनों और दीनी कामों में खर्च कर डालते थे, अपने लिये बाकी ही न रहता था, जिससे उम्दा लिबास आ सके। दूसरे यह कि आप मख़्लूक के पेशवा और रहनुमा थे, इस सादी और सस्ती पोशाक के रखने से दूसरे अमीरों को उसकी तालीम देना था, ताकि आम ग़रीबों व फ़कीरों पर उनकी माली हैसियत का रौब न पड़े।

इसी तरह सूफिया-ए-किराम जो इस रास्ते के शुरुआती लोगों को जीनत वाला लिबास और उम्दा लजीज खानों से रोकते हैं, इसका मन्शा भी यह नहीं कि इन चीजों को हमेशा के लिये छोड़ देना कोई सवाब का काम है, बल्कि नफ्स की इच्छाओं पर काबू पाने के लिये अल्लाह की राह में ऐसे मुजाहदे (तपस्यायें) इलाज व दवा के तौर पर कर दिये जाते हैं, और जब वह इस दर्जे पर पहुँच जाये कि नफ्सानी इच्छाओं पर काबू पा ले कि उसका नफ्स उसको हराम व नाजायज़ की तरफ न खींच सके, तो उस वक़्त तमाम सूफिया-ए-किराम आम नेक बुजुर्गों की तरह उम्दा लिबास और लजीज खानों को इस्तेमाल करते हैं, और उस वक़्त यह पाक रिज़्क उनके लिये अल्लाह की मारिफ़त (पहचानने) और निकटता के दर्जों में रुकावट के बजाय इज़ाफ़े और तरक्की का ज़रिया बनते हैं।

खाने और पहनने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत

खुराक व पोशाक (खाने और पहनने) के बारे में सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा व ताबिईन का खुलासा यह है कि इन चीजों में तकल्लुफ़ न करे, जैसी पोशाक व खुराक आसानी से मयस्सर हो उसको शुक्र के साथ इस्तेमाल करे। मोटा कपड़ा, खुश्क गिज़ा मिले तो यह तकल्लुफ़ न करे कि किसी न किसी तरह अच्छा ही हासिल करे, चाहे कर्ज़ लेना पड़े, या इसकी फ़िक्र में अपने आपको किसी दूसरी मुश्किल में मुब्तला करने की नौबत आये।

इसी तरह उम्दा नफ़ीस लिबास या लजीज गिज़ा मयस्सर आये तो यह तकल्लुफ़ न करे कि उसको जान-बूझकर ख़राब कर ले या उसके इस्तेमाल से परहेज़ करे। जिस तरह अच्छा लिबास और गिज़ा की जुस्तजू तकल्लुफ़ है इसी तरह अच्छे को ख़राब करना या उसको छोड़कर घटिया इस्तेमाल करना भी तकल्लुफ़ और बुरा है।

आयत के अगले जुमले में इसकी एक ख़ास हिक्मत यह बतलाई गयी कि दुनिया की तमाम नेमतें नफ़ीस और उम्दा लिबास, पाकीज़ा और लजीज गिज़ायें दर असल मोमिन फ़रमाँबरदारों ही के लिये पैदा की गयी हैं, दूसरे लोग उनके तुफ़ैल में खा-पी रहे हैं। क्योंकि यह दुनिया दारुल-अमल (अमल करने की जगह) है, दारुल-जज़ा (बदला मिलने की जगह) नहीं, यहाँ खरे-खोटे और अच्छे-बुरे का फ़र्क दुनिया की नेमतों में नहीं किया जा सकता, बल्कि दुनिया के रहमान की नेमतों का यह दस्तरख़ाने आम यहाँ सब के लिये बराबर खुला हुआ है, बल्कि दुनिया में अल्लाह का क़ानून यह है कि अगर मोमिन व फ़रमाँबरदार बन्दों से नेकी और फ़रमाँबरदारी में कुछ कमी हो जाती है तो दूसरे लोग उन पर ग़ालिब आकर दुनियावी नेमतों के खज़ानों पर क़ब्रिज़ हो जाते हैं, और ये लोग फ़क्र व फ़ाके में मुब्तला हो जाते हैं।

मगर यह क़ानून सिर्फ़ इसी दारुल-अमल दुनिया के अन्दर है, और आख़िरत में सारी नेमतें और राहतें सिर्फ़ अल्लाह तआला के फ़रमाँबरदार अल्लाह के हुक्मों का पालन करने वाले बन्दों के लिये मख़सूस होंगी। यही मायने है आयत के इस जुमले के:

قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

यानी आप कह दीजिए कि दुनिया की सब नेमतें दुनिया की ज़िन्दगी में भी दर असल मोमिनों ही का हक हैं, और क़ियामत के दिन तो ख़ालिस इन्हीं के साथ मख़सूस होंगी।

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस जुमले का यह मतलब करार दिया है कि दुनिया की सारी नेमतें और राहतें इस ख़ास कैफ़ियत के साथ कि वह आख़िरत में वबाले जान न बनें सिर्फ़ फ़रमाँबरदार मोमिनों का हिस्सा है, बख़िलाफ़ काफ़िर व बदकार लोगों के कि अगरचे दुनिया में नेमतें उनको भी मिलती हैं बल्कि ज़्यादा मिलती हैं, मगर उनकी ये नेमतें आख़िरत में वबाले जान और हमेशा का अज़ाब बनने वाली हैं, इसलिये नतीजे के एतिबार से उनके लिये यह कोई इज़्ज़त व राहत की चीज़ न हुई।

और मुफ़स्सरीन हज़रात में से कुछ ने इसके यह मायने करार दिये कि दुनिया में सारी नेमतों और राहतों के साथ मेहनत व मशक्कत और फिर ज़वाल (ख़त्म होने और छिन जाने) का ख़तरा और फिर तरह-तरह के रंज व ग़म लगे हुए हैं, ख़ालिस नेमत और ख़ालिस राहत का यहाँ क़जूद ही नहीं। अलबत्ता क़ियामत में जिसको ये नेमतें मिलेंगी वो ख़ालिस होकर मिलेंगी, न उनके साथ कोई मेहनत व मशक्कत होगी और न उनके ख़त्म होने, छिनने या कम होने का कोई ख़तरा, और न उनके बाद कोई रंज व मुसीबत, तीनों मफ़हूम आयत के इस जुमले में खप सकते हैं। और इसी लिये सहाबा व ताबिईन मुफ़स्सरीन ने इनको इख़्तियार किया है।

आयत के आख़िर में फ़रमाया:

كَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“यानी हम अपनी कामिल कुदरत की निशानियाँ समझदार लोगों के लिये इसी तरह तफ़सील व वज़ाहत से बयान किया करते हैं।” जिससे हर आलिम व जाहिल समझ ले। इस आयत में लोगों के गुलू (हद से निकलने) और इन जाहिलाना ख़्यालात की तरदीद थी कि अच्छा लिबास और अच्छा खाना छोड़ने से अल्लाह तआला राजी होते हैं।

इसके बाद दूसरी आयत में कुछ उन चीज़ों का बयान है जिनको अल्लाह तआला ने हराम करार दिया है। और यह हकीकत है कि उनके छोड़ने ही से खुदा तआला की रज़ा हासिल होती है। और इशारा इस बात की तरफ़ है कि ये लोग दोहरी जहालत में मुब्तला हैं, एक तरफ़ तो अल्लाह तआला की हलाल की हुई उम्दा और नफ़ीस चीज़ों को अपने ऊपर बिना वजह हराम करके इन नेमतों से मेहरूम हो गये, और दूसरी तरफ़ जो चीज़ें हकीकत में हराम थीं और जिनके इस्तेमाल से अल्लाह तआला का ग़ज़ब और आख़िरत का अज़ाब परिणाम के तौर पर आने वाला है, उनके इस्तेमाल में मुब्तला होकर आख़िरत का वबाल ख़रीद लिया, और इस तरह दुनिया व आख़िरत दोनों जगह नेमतों से मेहरूम होकर दुनिया व आख़िरत के घाटे और नुक़सान उठाने वाले बन गये। इरशाद फ़रमाया:

إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ

سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“यानी जिन चीज़ों को तुमने ख़्वाह-मख़्वाह हराम ठहरा लिया वे तो हराम नहीं, मगर अल्लाह तआला ने तमाम बेहयाई के कामों को हराम किया है, चाहे वो खुले हुए हों या छुपे हुए। और हर गुनाह के काम को, और नाहक किसी पर जुल्म करने को और अल्लाह तआला के साथ बिना दलील किसी को शरीक ठहराने को, और इस बात को कि तुम लोग अल्लाह तआला के जिम्मे ऐसी बात लगा दो जिसकी तुम सनद न रखो।”

इस तफ़्सील में तफ़्ज़े इस्म के तहत वो तमाम गुनाह आ गये हैं जिनका ताल्लुक़ इनसान की अपनी ज़ात से है, और बग़्युन में वो गुनाह जिनका ताल्लुक़ दूसरों के मामलात और हुक्क़ से हो, और शिर्क और अल्लाह पर बोहतान बाँधने के अक़ीदे का ज़बरदस्त गुनाह होना ज़ाहिर ही है।

इस ख़ास तफ़्सील का ज़िक्र इसलिये भी किया गया है कि इसमें तक़रीबन हर तरह के मुहरमात (हराम की गयी चीज़ें) और गुनाह पूरे आ गये, चाहे अक़ीदे के गुनाह हों या अमल के, और फिर ज़ाती अमल के गुनाह हों या लोगों के हुक्क़। और इसलिये भी कि ये जाहिलीयत के ज़माने के लोग इन सब बुराईयों और हराम कारियों में मुब्तला थे, इस तरह उनकी डबल जहालत को खोला गया, कि हलाल चीज़ों से परहेज़ करते और हराम के इस्तेमाल से नहीं झिझकते।

और दीन में गुलू (हद से निकलना) और नई निकाली हुई बातों (यानी बिदअतों) की यह लाज़िमी विशेषता है कि जो शख्स इन चीज़ों में मुब्तला होते हैं वे दीन की असल और अहम ज़रूरतों से आदतन ग़ाफ़िल हो जाते हैं। इसलिये दीन में गुलू और बिदअत का नुक़सान दोहरा होता है- एक खुद गुलू और बिदअत में मुब्तला होना गुनाह है, दूसरे उसके मुक़ाबले में सही दीन और सुन्नत के तरीक़ों से मेहरूम होना। अल्लाह तआला हमें इन बातों से अपनी पनाह में रखे।

पहली और दूसरी दोनों आयतों में मुशिरक व मुजरिम लोगों के दो ग़लत कामों का ज़िक्र था- एक हलाल को हराम ठहराना, दूसरे हराम को हलाल करार देना। तीसरी आयत में उनके बुरे अन्जाम और आख़िरत की सज़ा व अज़ाब का बयान है। इरशाद फ़रमाया:

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

यानी ये मुजरिम लोग जो हर तरह की नाफ़रमानी के बावजूद अल्लाह तआला की नेमतों में पल रहे हैं, और दुनिया में बज़ाहिर इन पर कोई अज़ाब आता नज़र नहीं आता, अल्लाह के इस दस्तूर व क़ानून से ग़ाफ़िल न रहें कि अल्लाह तआला मुजरिमों को अपनी रहमत से ढील देते रहते हैं, कि किसी तरह ये अपनी हरकतों से बाज़ आ जायें। लेकिन अल्लाह तआला के-इल्म में उस ढील और मोहलत की एक मियाद तय होती है, जब वह मियाद आ पहुँचती है तो एक घड़ी भी आगे पीछे नहीं होती, और ये अज़ाब में पकड़ लिये जाते हैं। कभी दुनिया ही में कोई अज़ाब आ जाता है, और अगर दुनिया में अज़ाब न आया तो मरते ही अज़ाब में दाख़िल हो जाते हैं।

इस आयत में तयशुदा मियाद से आगे पीछे न होने का जो ज़िक्र है यह ऐसा ही मुहाबरा है

जैसे हमारे उर्फ में खरीदार दुकानदार से कहता है कि कीमत में कुछ कमी ज्यादा हो सकती है? जाहिर है कि कीमत की ज्यादाती उसको नहीं चाहिये, सिर्फ कमी को पूछना है, मगर साथ ही ज्यादाती का जिक्र किया जाता है। इसी तरह यहाँ असल मकसद तो यह है कि निर्धारित मियाद के बाद देरी नहीं होगी, और पहले होने का जिक्र देरी के साथ अवाप के मुहावरे के तौर पर कर दिया गया।

يٰٓبَنِيٰٓ اٰدَمَ اِمَّا يٰٓتَيْتَكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْٓۤ اِنَّكُمْ اَنْتُمْ وَاَصْلٰحٌ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَذَبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَسْتَكْبَرُوْا عَلَيْنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰٓءَ عَلٰٓى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَبَٓ بِاٰيٰتِيْهِۦۤ اُولٰٓئِكَ يَبٰٔئُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ حَتّٰى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوْٓا صٰلُوْا عَلَيْنَا وَاَشْهَدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كٰنُوْٓا كٰفِرِيْنَ ۝ قَالَ اَدْخُلُوْٓا فِىْٓ اٰمٍۭ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِبْتِ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ كُلَّمَا دَخَلْتُمْ اُمَّةً لَعَنْتُمْ اٰخِثَهَا حَتّٰى اِذَا اٰرَكُوْٓا فِيْهَا جَبِيْعًاۤ قَالَتْ اٰخِرِيْهِمْ لِاَوْلٰٓئِهِمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَصْحٰبُنَا فَاَتَيْهِمْ عَذٰبًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۗ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَقَالَتْ اَوْلٰٓئِهِمْ لِاٰخِرِيْهِمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَاذْذُقُوْٓا الْعَذٰبَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝

या बनी आद-म इम्मा यअतियन्नकुम्
रुसुलुम्-मिन्कुम् यकुस्तू-न अलैकुम्
आयाती फ़-मनित्तका व अस्त-ह
फला खौफुन् अलैहिम् व ला हुम्
यहज़नून (35) वल्लजी-न कज़्ज़बू
बिआयातिना वस्तवबरू अन्हा
उलाइ-क अस्थाबुन्नारि हुम् फ़ीहा
ख़ालिदून (36) फ़-मन् अज़लमु
मिम्-मनिफ़तरा अलल्लाहि कज़िबन्
औ कज़्ज़-ब बिआयातिही, उलाइ-क

ऐ औलाद आदम की! अगर आयें तुम्हारे पास रसूल तुममें के कि सुनायें तुमको आयतें मेरी तो जो कोई डरे और नेकी पकड़े तो न खौफ होगा उन पर और न वे ग़मगीन होंगे। (35) और जिन्होंने झुठलाया हमारी आयतों को और तकब्बुर किया उनसे, वही हैं दोज़ख में रहने वाले, वे उसी में हमेशा रहेंगे। (36) फिर उससे ज्यादा ज़ालिम कौन जो बोहतान बाँधे अल्लाह पर झूठा, या झुठलाये उसके हुक्मों को, वे लोग हैं कि मिलेगा उनको जो उनका हिस्सा लिखा हुआ है किताब

यनालुहुम् नसीबुहुम् मिनल्-किताबि,
 हत्ता इज़ा जाअत्हुम् रुसुलुना
 य-तवफ़ौनहुम् कालू ऐ-न मा कुन्तुम्
 तदू-न मिन् दूनिल्लाहि, कालू ज़ल्लू
 अन्ना व शहिदू अला अन्फ़ुसिहिम्
 अन्नहुम् कानू काफ़िरीन (37)
 कालदख़ुलू फ़ी उ-ममिन् कद् ख़लत्
 मिन् क़ब्लिकुम् मिनल्-जिन्नि
 वल्इन्सि फ़िन्नारि, कुल्लमा द-ख़लत्
 उम्मतुल्ल-अनत् उख़्तहा, हत्ता
 इज़ददा-रकू फ़ीहा जमीअन् कालत्
 उख़राहुम् लिऊलाहुम् रब्बना
 हा-उला-इ अज़ल्लूना फ़आतिहिम्
 अज़ाबन् जिअफ़म्-मिनन्नारि, का-ल
 लिकुल्लिन् जिअफ़ुव्-व ला किल्ला
 तअलमून (38) व कालत् ऊलाहुम्
 लिउख़राहुम् फ़मा का-न लकुम् अलैना
 मिन् फ़ज़िलन् फ़ज़ूकुल्-अज़ा-ब
 बिमा कुन्तुम् तक्सिबून (39) ❀

में, यहाँ तक कि जब पहुँचें उनके पास
 हमारे भेजे हुए उनकी जान लेने को तो
 कहें क्या हुई वे जिनको तुम पुकारा करते
 थे सिवाय अल्लाह के, बोलेंगे वे हमसे
 खोये गये और इकरार कर लेंगे अपने
 ऊपर कि बेशक वे काफ़िर थे। (37)
 फ़रमायेगा दाख़िल हो जाओ साथ और
 उम्मतों के जो तुमसे पहले हो चुकी हैं
 जिन्न और आदमियों में से दोज़ाह के
 अन्दर। जब दाख़िल होगी एक उम्मत तो
 लानत करेगी दूसरी उम्मत को यहाँ तक
 कि जब गिर चुकेंगे उसमें सारे, तो कहेंगे
 उनके पिछले पहलों को ऐ रब हमारे! हम
 को इन्हीं ने गुमराह किया, सो तू इनको
 दे दोगुना अज़ाब आग का। फ़रमायेगा
 कि दोनों को दोगुना है लेकिन तुम नहीं
 जानते। (38) और कहेंगे उनके पहले
 पिछलों को- पस कुछ न हुई तुमको हम
 पर बड़ाई, अब चख़ो अज़ाब अपनी कमाई
 (यानी आमाल) के सबब। (39) ❀

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(हमने रूहों के आलम ही में कह दिया था) ऐ आदम की औलाद! अगर तुम्हारे पास
 पैग़म्बर आएँ जो तुम्हीं में से होंगे, जो मेरे अहकाम तुम पर बयान करेंगे, सो (उनके आने पर)
 जो शख्स (तुम में उन आयतों को झुठलाने से) परहेज़ रखे और (आमाल की) दुरुस्ती करे,
 (मुराद यह कि पूर्ण रूप से उनकी पैरवी करे) सो उन लोगों पर (आख़िरत में) न कुछ अन्देशा
 (कौं बात वाक़े होने वाली) है और न वे ग़मगीन होंगे। और जो लोग (तुममें से) हमारे उन

ताफ़ीर
 मज़ारिफ़ुल-कुरआन
 जिल्द (3)
 पारा (8)

अहकाम को झूठा बतलाएँगे और उन (के कुबूल करने) से तक्रबुर करेंगे, वे लोग दोज़ख (में रहने) वाले होंगे, (और) वे उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। (जब झुठलाने वालों का सख्त धमकी और अज़ाब का हकदार होना संक्षिप्त रूप से मालूम हो गया सो अब तफसील सुनो कि) उस शख्स से ज्यादा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह तआला पर झूठ बाँधे (यानी जो बात खुदा की कही हुई न हो उसको खुदा की कही हुई कहे) या उसकी आयतों को झूठा बतलाए (यानी जो बात खुदा की कही हुई हो उसको बिना कही बतलाये), उन लोगों के नसीब का जो कुछ (रिज़क और उम्र) (लिखा) है वह उनको (दुनिया में) भित्त जाएगा, (लेकिन आखिरत में मुसीबत ही मुसीबत है) यहाँ तक कि (बर्ज़ख में मरने के वक़्त तो उनकी यह हालत होगी कि) जब उनके पास हमारे भेजे हुए (फ़रिश्ते) उनकी जान कब्ज़ करने आएँगे तो (उनसे) कहेंगे कि (कहो) वे कहाँ गए जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत किया करते थे (अब इस मुसीबत में क्यों नहीं काम आते)? वे (काफ़िर) कहेंगे कि हमसे सब ग़ायब हो गए (यानी वाकई कोई काम न आया) और (उस वक़्त) अपने काफ़िर होने का इक़रार करने लगेंगे (लेकिन उस वक़्त का इक़रार बिल्कुल बेकार होगा। और कुछ आयतों में ऐसे ही सवाल व जवाब का क़ियामत में होना भी मज़कूर है सो दोनों मौकों पर होना मुम्किन है। और क़ियामत में उनका यह हाल होगा कि) अल्लाह फ़रमाएगा कि जो फ़िक्रें (काफ़िरों के) तुमसे पहले गुज़र चुके हैं जिन्नात में से भी और आदमियों में से भी, उनके साथ तुम भी दोज़ख में जाओ (चुनाँचे आगे पीछे सब काफ़िर उसमें दाख़िल होंगे, और यह कैफ़ियत पेश आयेगी कि) जिस वक़्त भी (काफ़िरों की) कोई जमाअत (दोज़ख में) दाख़िल होगी, अपनी जैसी दूसरी जमाअत को (भी जो उन्हीं जैसे काफ़िर होंगे और उनसे पहले दोज़ख में जा चुके होंगे) लानत करेगी, (यानी आपस में हमदर्दी न होगी, बल्कि असल हकीकत के सामने आ जाने की वजह से हर शख्स दूसरे को बुरी नज़र से देखेगा और बुरा कहेगा) यहाँ तक कि जब उस (दोज़ख) में सब जमा हो जाएँगे तो (उस वक़्त) बाद वाले लोग (जो बाद में दाख़िल हुए होंगे और ये वे लोग होंगे जो कुफ़्र में दूसरों के ताबे थे) पहले (दाख़िल होने वाले) लोगों के बारे में (यानी उन लोगों के बारे में जो सरदार और कुफ़्र में पेशवा होने के सबब दोज़ख में पहले दाख़िल होंगे, यह) कहेंगे कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको इन लोगों ने गुमराह किया था, सो इनको दोज़ख का अज़ाब (हमसे) दोगुना दीजिए। (अल्लाह तआला) फ़रमाएँगे कि (इनको दोगुना होने से तुमको कौनसी तसल्ली व राहत हो जायेगी, बल्कि चूँकि तुम्हारा अज़ाब भी हमेशा आनन-फ़ानन बढ़ता जायेगा, इसलिये तुम्हारा अज़ाब भी उनके दोगुने अज़ाब ही जैसा हो गया। पस इस हिसाब से) सब ही का (अज़ाब) दोगुना है, लेकिन (अभी) तुमको (पूरी) ख़बर नहीं। (क्योंकि अभी तो अज़ाब की शुरूआत ही है, उसके बढ़ने को देखा नहीं इसलिये ऐसी बातें बना रहे हो जिनसे मालूम होता है कि दूसरे के अज़ाब के दोगुना होने को अपने लिये गुस्से के ठंडा होने और तसल्ली का ज़रिया समझ रहे हो)। और पहले (दाख़िल होने वाले) लोग बाद वाले (दाख़िल होने वाले) लोगों से (खुदा तआला के इस जवाब से बाख़बर होकर) कहेंगे (कि जब सब की सज़ा की यह हालत है तो) फिर तुमको हम पर (अज़ाब के कम

होने के बारे में) कोई बरतरी नहीं, (क्योंकि कमी न हमारे लिये न तुम्हारे लिये) सो तुम भी अपने (बुरे) आमाल के मुकाबले में (बढ़े हुए) अज़ाब (का मज़ा) चखते रहो।

إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ

لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَبَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُجْرِمِينَ ۝ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَ
نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ تَجْرِي ۚ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا
لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۚ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ وَتُودُّوٓا۟ أَنْ
تَلَٰكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

इन्नल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना
वस्तक्बरु अन्हा ला तुफ़्तहु लहुम्
अब्बाबुस्समा-इ व ला यदख़लूनल्-
जन्न-त हत्ता यलिजल्-ज-मलु फ़ी
सम्मिल्-ख़ियाति, व कज़ालि-क
नज़ज़िल्-मुज़रिमीन (40) लहुम् मिन्
जहन्न-म मिहादुव्-व मिन् फ़ौकिहिम्
ग़वाशिन्, व कज़ालि-क नज़ज़िज़्-
ज़ालिमीन (41) वल्लज़ी-न आमनू व
अमिलुस्-सालिहाति ला नुकल्लिफु
नफ़सन् इल्ला वुसुअहा उलाइ-क
अस्हाबुल्-जन्नति हुम् फ़ीहा ख़ालिदून
(42) व नज़ज़ना मा फ़ी सुदूरिहिम्
मिन् ग़िल्लिन् तज़री मिन्

बेशक जिन्होंने झुठलाया हमारी आयतों को और उनके मुकाबले में तक़बुर किया, न खोले जायेंगे उनके लिये दरवाजे आसमान के और न दाख़िल होंगे जन्नत में यहाँ तक कि घुस जाये ऊँट सूई के नाके में, और हम यूँ बदला देते हैं गुनाहगारों को। (40) उनके वास्ते दोज़ख़ का बिछौना है और ऊपर से ओढ़ना, और हम यूँ बदला देते हैं ज़ालिमों को। (41) और जो ईमान लाये और कीं नेकियाँ हम बोझ नहीं रखते किसी पर मगर उसकी ताक़त के मुवाफ़िक, वही हैं जन्नत में रहने वाले, वे उसी में हमेशा रहेंगे। (42) और निकाल लेंगे हम जो कुछ उनके दिलों में नाराज़गी थी, बहती होंगी उनके नीचे नहरें, और कहेंगे शुक्र अल्लाह का जिसने हमको यहाँ तक पहुँचा

तस्तिहिमुल्-अन्हारु व कालुल्-हम्दु
 लिल्लाहिल्लजी हदाना लिहाजा, व
 मा कुन्ना लिनस्तदि-य लौ ला अन्
 हदानल्लाहु ल-कद् जाअत् रुसुलु
 रब्बिना बिल्हकिक्, व नूदू अन्
 तिल्कुमुल्-जन्नतु ऊरिस्तुमूहा बिमा
 कुन्तुम् तअमलून (43) ▲

दिया और हम न थे राह पाने वाले अगर
 न हिदायत करता हमको अल्लाह, बेशक
 लाये थे रसूल हमारे रब की सच्ची बात।
 और आवाज़ आएगी कि ये जन्नत है,
 वारिस हुए तुम इसके, बदले में अपने
 आमाल के। (43) ▲

खुलासा-ए-तफसीर

(ये हालत तो काफ़िरों के दोज़ख में दाखिल होने की हुई, अब जन्नत से मेहरूमी की कैफ़ियत सुनो कि) जो लोग हमारी आयतों को झूठ बतलाते हैं और उन (के मानने) से तकबुर करते हैं, उन (की रूह के चढ़ने) के लिए (मरने के बाद) आसमान के दरवाज़े न खोले जाएँगे। (यह तो हालत मरने के बाद बर्ज़ख में हुई) और (क़ियामत के दिन) वे लोग कभी जन्नत में न जाएँगे जब तक कि ऊँट सूई के नाके के अन्दर से (न) चला जाये (और यह असंभव है तो उनका जन्नत में दाखिल होना भी असंभव है) और हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। (यानी हमको कोई दुश्मनी न थी, जैसा किया वैसा भुगता। और ऊपर जो दोज़ख में जाना मज़कूर हुआ है वह आग उनको हर तरफ़ से घेरे हुए होगी कि किसी तरफ़ से कुछ राहत न मिले, चुनाँचे यह हाल होगा कि) उनके लिए दोज़ख (की आग) का बिछौना होगा और उनके ऊपर (उसी का) ओढ़ना होगा, और हम ऐसे ज़ालिमों को ऐसी ही सज़ा देते हैं (जिनका जिक्र ऊपर आयत नम्बर 37 में आया है)।

और जो लोग (अल्लाह की आयतों पर) ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए (और ये नेक काम कुछ मुश्किल नहीं, क्योंकि हमारी आदत है कि) हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा कोई काम नहीं बतलाते (यह जुमला बीच में बयान हो रहे मज़मून से अलग था। गर्ज कि) ऐसे लोग जन्नत (में जाने) वाले हैं, (और) वे उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। (और उनकी हालत दोज़ख वालों के जैसी न होगी कि वे वहाँ भी एक दूसरे को लानत मलामत करते रहेंगे, बल्कि उनकी यह कैफ़ियत होगी कि) जो कुछ उनके दिलों में (किसी मामले की वजह से दुनिया में तबई तकाज़े के सबब) गुबार (और रंज) था हम उसको (भी) दूर कर देंगे (कि आपस में उलफ़त व मुहब्बत से रहेंगे और) उनके (मकानों के) नीचे नहरें जारी होंगी और वे लोग (बहुत ही खुशी व सुरूर से) कहेंगे कि अल्लाह का (लाख-लाख) एहसान है जिसने हमको इस मकाम तक पहुँचाया, और हमारी कभी (यहाँ तक) रसाई न होती अगर अल्लाह तआला हमको न

पहुँचाते। (इसमें यह भी आ गया कि यहाँ तक पहुँचने का जो तरीका था ईमान और नेक आमाल वो हमको बतलाया और उस पर चलने की तौफ़ीक़ दी) वाकई हमारे रब के पैग़म्बर सच्ची बातें लेकर आए थे। (चुनाँचे उन्होंने जिन आमाल पर जन्नत का वायदा किया था वह सच्चा साबित हुआ) और उनसे पुकारकर कहा जाएगा कि तुमको यह जन्नत दी गई है तुम्हारे (अच्छे और नेक) आमाल के बदले।

मअरिफ़ व मसाईल

पहले चन्द आयतों में एक अहद व इकरार का ज़िक्र है जो हर इन्सान से उसकी इस दुनिया में पैदाईश से पहले रूहों के आलम में लिया गया था, कि जब हमारे रसूल तुम्हारे पास हमारी हिदायतें और अहकाम लेकर आयें तो उनको दिल व जान से मानना और उनके मुताबिक़ अमल करना। और यह भी बतला दिया गया था कि जो शख्स दुनिया में आने के बाद उस अहद पर कायम रहकर उसके तक़ज़ों को पूरा करेगा वह हर रंज व ग़म से निजात पायेगा और हमेशा की राहत व आराम का मुस्तहिक़ होगा। और जो नबियों को झुठलायेगा या उनके अहकाम से मुँह फेरेगा उसके लिये जहन्नम का हमेशा का अज़ाब मुकरर है। उपर्युक्त आयतों में उस वाक़िफ़ की सूरत का इज़हार है जो इस दुनिया में आने के बाद इन्सानों के विभिन्न गिरोहों ने इख़्तियार की, कि कुछ ने अहद व इकरार को भुला दिया, और उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी की और कुछ उस पर कायम रहे और उसके मुताबिक़ नेक आमाल अन्जाम दिये। इन दोनों फ़रीकों के अन्जाम और अज़ाब व सवाब का बयान इन चार आयतों में है।

पहली और दूसरी आयत में अहद तोड़ने वाले इन्कारियों व मुजरिमों का ज़िक्र है, और आखिरी दो आयतों में अहद पूरा करने वाले मोमिनों व मुत्तकी लोगों का।

पहली आयत में इरशाद फ़रमाया कि जिन लोगों ने नबियों को झुठलाया और हमारी हिदायतों और आयतों के मुकाबले में तक़बुर के साथ पेश आये उनके लिये आसमान के दरवाज़े न खोले जायेंगे।

तफ़सीर बहरे मुहीत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इसकी एक तफ़सीर यह नक़ल फ़रमाई है कि न उन लोगों के आमाल के लिये आसमान के दरवाज़े खोले जायेंगे न उनकी दुआओं के लिये। मतलब यह है कि उनकी दुआ कुबूल न की जायेगी, और उनके आमाल उस मक़ाम पर जाने से रोक दिये जायेंगे जहाँ अल्लाह के नेक बन्दों के आमाल महफ़ूज़ रखे जाते हैं, जिसका नाम कुरआने करीम ने सूर: मुतफ़िफ़ीन में इल्लियीन बतलाया है। और कुरआन मजीद की एक दूसरी आयत में भी इस मज़मून की तरफ़ इशारा है, जिसमें इरशाद है:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

यानी इन्सान के कलिमात-ए-तय्यिबात (अच्छी बातें) अल्लाह तआला के पास ले जाये जाते हैं, और उसका नेक अमल उनको उठाता है। यानी इन्सान के नेक आमाल इसका सबब बनते हैं

कि उसके कलिमात-ए-तय्यिबात हक़ तअ़ाला की खास बारगाह में पहुँचाये जाते हैं।

एक रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा-ए-किराम से इस आयत की तफसीर में यह भी है कि इनकारियों व काफ़िरो की रूहों के लिये आसमान के दरवाज़े न खोले जायेंगे, ये रूहें नीचे पटख दी जायेंगी, और इस मज़मून की ताईद हज़रत बरा बिन अज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की उस हदीस से होती है जिसको अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा और इमाम अहमद रह. ने मुफ़्त्सल नक़ल किया है, जिसका मुख़्तसर बयान यह है कि:-

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी अन्सारी सहाबी के जनाज़े में तशरीफ़ ले गये। अभी क़ब्र की तैयारी में कुछ देर थी तो एक जगह बैठ गये, और सहाबा-ए-किराम आपके गिर्द ख़ामोश बैठ गये। आपने सर मुबारक उठाकर फ़रमाया कि मोमिन बन्दे के लिये जब मौत का वक़्त आता है तो आसमान से सफ़ेद चमकते हुए चेहरों वाले फ़रिश्ते आते हैं, जिनके साथ जन्नत का कफ़न और खुशबू होती है, और वे मरने वाले के सामने बैठ जाते हैं। फिर मौत का फ़रिश्ता इज़राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और उसकी रूह को खिताब करते हैं कि ऐ इत्मीनान वाली रूह! अपने रब की मग़फ़िरत और रज़ा के लिये निकलो। उस वक़्त उसकी रूह इस तरह बदन से आसानी के साथ निकल जाती है जैसे किसी मशकीज़े का दहाना खोल दिया जाये तो उसका पानी निकल जाता है। उसकी रूह को मौत का फ़रिश्ता अपने हाथ में लेकर उन फ़रिश्तों के हवाले कर देता है, ये फ़रिश्ते उसको लेकर चलते हैं, जहाँ उनको कोई फ़रिश्तों का ग़िरोह मिलता है वे पूछते हैं यह पाक रूह किसकी है? ये हज़रत उसका वह नाम व लक़ब लेते हैं जो इज़्ज़त व एहतिराम के लिये उसके वास्ते दुनिया में इस्तेमाल किया जाता था, और कहते हैं कि यह फ़ुलॉ पुत्र फ़ुलॉ है। यहाँ तक कि यह फ़रिश्ते रूह को लेकर पहले आसमान पर पहुँचते हैं और दरवाज़ा खुलवाते हैं। दरवाज़ा खोला जाता है, यहाँ से और फ़रिश्ते भी उनके साथ हो जाते हैं, यहाँ तक कि सातवें आसमान पर पहुँचते हैं। उस वक़्त हक़ तअ़ाला फ़रमाते हैं कि मेरे इस बन्दे का आमाल नामा इल्लिय्यीन में लिखो, और इसको वापस कर दो। यह रूह फिर लौटकर क़ब्र में आती है और क़ब्र में हिसाब लेने वाले फ़रिश्ते आकर इसको बैठाते और सवाल करते हैं, कि तेरा रब कौन है और तेरा दीन क्या है? वह कहता है कि मेरा रब अल्लाह तअ़ाला है और मेरा दीन इस्लाम है। फिर सवाल होता है कि यह बुजुर्ग जो तुम्हारे लिये भेजे गये हैं कौन हैं? वह कहता है यह अल्लाह तअ़ाला के रसूल हैं। उस वक़्त एक आसमानी आवाज़ आती है कि मेरा बन्दा सच्चा है, इसके लिये जन्नत का फ़र्श बिछा दो और जन्नत का लिबास पहना दो और जन्नत की तरफ़ इसका दरवाज़ा खोल दो। उस दरवाज़े से इसको जन्नत की खुशबूएँ आने लगती हैं, और उसका नेक अमल एक हसीन सूरत में उसके पास उसको मानूस करने के लिये आ जाता है।

इसके मुकाबले में काफ़िर व इनकारी का जब मौत का वक़्त आता है तो आसमान से काले रंग के डरावनी सूरत वाले फ़रिश्ते ख़रब किस्म का टाट लेकर आते हैं, और उस शख्स के सामने बैठ जाते हैं। फिर मौत का फ़रिश्ता उसकी रूह इस तरह निकालता है जैसे कोई काँटेदार

टहनी गीली ऊन में लिपटी हुई हो, उसमें से खींची जाये। यह रूह निकलती है तो इसकी वदबू मुद्दार जानवर की वदबू से भी ज्यादा तेज़ होती है। फ़रिश्ते उसको लेकर चलते हैं, रास्ते में जो दूसरे फ़रिश्ते मिलते हैं तो पूछते हैं कि यह किसकी ख़बीस रूह है। ये हज़रात उस वक़्त उसका वह बुरे से बुरा नाम व लक़ब ज़िक्र करते हैं जिसके साथ वह दुनिया में पुकारा जाता था कि यह फुलॉ पुत्र फुलॉ है, यहाँ तक कि सबसे पहले आसमान पर पहुँचकर दरवाज़ा खोलने के लिये कहते हैं तो उसके लिये आसमान का दरवाज़ा नहीं खोला जाता, बल्कि हुक्म यह होता है कि इस बन्दे का आमाल नामा सिज्जीन में रखो, जहाँ नाफ़रमान बन्दों के आमाल नामे रखे जाते हैं, और उस रूह को फेंक दिया जाता है। वह बदन में दोबारा आती है, फ़रिश्ते उसको बैठाकर उससे भी वही सवालात करते हैं जो मोमिन बन्दे से किये थे, यह सब का जवाब यह देता है:

هَاهَا لَا أَدْرِي

यानी मैं कुछ नहीं जानता। उसके लिये जहन्नम का फ़र्श, जहन्नम का लिबास दे दिया जाता है, और जहन्नम की तरफ़ दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जिससे उसको जहन्नम की आँच और गर्मी पहुँचती रहती है, और उसकी कब्र उस पर तंग कर दी जाती है। अल्लाह तआला हमें उससे अपनी पनाह में रखे।

खुलासा यह है कि इस हदीस से मालूम हुआ कि इनकारियों व काफ़िरों की रूहें आसमान तक ले जाई जाती हैं, आसमान का दरवाज़ा उनके लिये नहीं खुलता तो वहीं से फेंक दी जाती है। ज़िक्र की गयी आयत:

لَا تَفْتَحُ لَهُمُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ

का यह मफ़हूम भी हो सकता है कि मौत के वक़्त उनकी रूहों के लिये आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाते।

आयत के आख़िर में उन लोगों के मुताल्लिक़ फ़रमाया:

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ

इसमें लम्बज़ यलि-ज वलूज से बना है, जिसके मायने हैं तंग जगह में घुसना, और जमल ऊँट को कहा जाता है और सम्म सूई के सूराख़ को। मायने यह है कि ये लोग उस वक़्त तक जन्नत में दाख़िल नहीं हो सकते जब तक ऊँट जैसा बड़े जिस्म वाला जानवर सूई के नार्के में दाख़िल न हो जाये। मतलब यह है कि जिस तरह सूई के सूराख़ में ऊँट का दाख़िल होना आदतन असंभव है इसी तरह इनका जन्नत में जाना असंभव है। इससे उन लोगों का जहन्नम के हमेशा के अज़ाब का बयान करना मक़सूद है। इसके बाद उन लोगों के जहन्नम के अज़ाब की और अधिक शिद्दत का बयान इन अलफ़ाज़ से किया गया है:

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ

‘मिहाद’ के मायने फ़र्श और ‘ग़वाश’ ग़ाशिया की जमा (बहुवचन) है, जिसके मायने हैं ढाँप

लेने वाली चीज़ के। मतलब यह है कि इन लोगों का ओढ़ना बिछौना सब जहन्नम का होगा। और पहली आयत जिसमें जन्नत से मेहरूमी का जिक्र था उसके खत्म पर 'व कज़ालि-क नज़ज़िल् मुज़िमीन' फ़रमाया और दूसरी आयत जिसमें जहन्नम के अज़ाब का जिक्र है, उसके खत्म पर 'व कज़ालि-क नज़ज़िज़्ज़ालिमीन' इरशाद फ़रमाया। क्योंकि यह उससे ज्यादा सख्त है।

तीसरी आयत में अल्लाह के अहकाम की पैरवी और पाबन्दी करने वालों का जिक्र है, कि वे लोग जन्नत वाले हैं और जन्नत ही में हमेशा रहेंगे।

शरीअत के अहकाम में आसानी की रियायत

लेकिन उनके लिये जहाँ यह शर्त जिक्र की गयी है कि वे इमान लायें और नेक आमाल करें, इसके साथ ही रहमत व करम से यह भी फ़रमा दिया:

لَا نَكْفُفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

जिसके मायने यह है कि अल्लाह तआला किसी बन्दे पर कोई ऐसा बोझल काम नहीं डालते जो उसकी ताकत से बाहर हो। मक़सद यह है कि नेक आमाल जिनको जन्नत में दाखिल होने के लिये शर्त कहा गया है वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं जो इनसान न कर सके, बल्कि अल्लाह तआला ने शरीअत के अहकाम को हर शोबे में नर्म और आसान कर दिया है। बीमारी, कमजोरी, सफ़र और दूसरी इनसानी ज़रूरतों का हर हुक्म में लिहाज़ रखकर आसानियाँ दी गयी हैं।

और तफ़्सीर बहरे मुहीत में है कि जब इनसान को नेक आमाल का हुक्म दिया गया तो यह गुमान व शुब्हा था कि उसको यह हुक्म इसलिये भारी मालूम हो कि तमाम नेक आमाल हर जगह हर हाल में पूरा करना तो इनसान के बस में नहीं, इसलिये उसके शुब्हे को इन अलफ़ाज़ से दूर कर दिया गया कि हम इनसानी जिन्दगी के तमाम विभिन्न दौरों और हालात का जायज़ा लेकर हर हाल में और हर वक़्त और हर जगह के लिये मुनासिब अहकाम देते हैं जिन पर अमल करना कोई दुश्वार काम नहीं है।

जन्नत वालों के दिलों से आपसी मन-मुटाव निकाल दिये जायेंगे

चौथी आयत में जन्नत वालों के दो ख़ास हाल बयान किये गये- एक यह कि:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ فَجَرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ

“यानी जन्नती लोगों के दिलों में अगर एक दूसरे की तरफ़ से कोई रंजिश या मैल होगा तो हम उसको उनके दिलों से निकाल देंगे। ये लोग एक दूसरे से बिल्कुल खुश भाई-भाई होकर जन्नत में जायेंगे, और बसेंगे।”

सही बुख़ारी में है कि मोमिन लोग जब पुलसिसत से गुज़र कर जहन्नम से निजात हासिल कर लेंगे तो उनको जन्नत व दोज़ख़ के बीच एक पुल के ऊपर रोक लिया जायेगा, और उनमें आपस में अगर किसी से किसी को कोई रंजिश थी, या किसी पर किसी का हक़ था तो यहाँ

पहुँच कर एक दूसरे से बदला और मुआवज़ा लेकर मामलात साफ़ कर लेंगे, और इस तरह हस्त, युग़ज़, कीना वगैरह से पाक साफ़ होकर जन्नत में दाखिल होंगे।

तफसीरे मज़हरी में है कि यह पुल बज़ाहिर पुलसिरात का आखिरी हिस्सा होगा, जो जन्नत से मिला हुआ और करीब है। अल्लामा सुयूती रह. वगैरह ने भी इसी को इख़्तियार किया है।

और उस मक़ाम पर जो हुक्कू के मुतालबे होंगे उनकी अदायेगी ज़ाहिर है कि रुपये-पैसे से न हो सकेगी, क्योंकि वह वहाँ किसी के पास न होगा, बल्कि बुखारी व मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक़ यह अदायेगी आमाल से होगी। हुक्कू के बदले में उसके अमल हक़ वाले को दे दिये जायेंगे, और अगर उसके आमाल इस तरह सब ख़त्म हो गये और लोगों के हुक्कू अभी बाकी रहे तो फिर हक़ वाले के गुनाह उस पर डाल दिये जायेंगे।

एक हदीस में हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसे शख्स को सबसे बड़ा मुफ़लिस (ग़रीब व कंगाल) करार दिया है जिसने दुनिया में नेक आमाल किये लेकिन लोगों के हुक्कू की परवाह नहीं की, इसके नतीजे में तमाम आमाल से ख़ाली और मुफ़लिस होकर रह गया।

हदीस की इस रिवायत में हुक्कू के अदा करने और इन्तिक़ाम (बदले) का आम नियम बयान किया गया है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि सब को यही सूरत पेश आये, बल्कि तफसीर इब्ने कसीर और तफसीरे मज़हरी की रिवायत के मुताबिक़ वहाँ यह सूरत भी मुम्किन होगी कि बिना बदला और मुआवज़ा लिये आपस के दिलों के मैल और मन-मुटाव दूर हो जायें।

जैसा कि कुछ रिवायतों में है कि ये लोग जब पुलसिरात से गुज़र लेंगे तो पानी के एक चश्मे पर पहुँचेंगे और उसका पानी पियेंगे। उस पानी की विशेषता यह होगी कि सब के दिलों से आपसी कीना और मैल धुल जायेगा। इमाम कुतुबी रह. ने आयते करीमा:

وَسَقْمُهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.

की तफसीर भी यही नक़ल की है कि जन्नत के उस पानी से सब के दिलों की रंजिशों और मैल धुल जायेंगे।

हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मर्तबा यह आयत पढ़कर फ़रमाया कि मुझे उम्मीद है कि हम और उस्मान और तल्हा और जुबैर उन्हीं लोगों में से होंगे जिनके सीने जन्नत में दाखिल होने से पहले कदूरतों (दिलों के मैल) से साफ़ कर दिये जायेंगे। (इब्ने कसीर) ये वो हज़रात हैं जिनके आपस में दुनिया में विवाद पेश आये और नौबत जंग तक पहुँच गयी थी।

दूसरा हाल जन्नत वालों का इस आयत में यह बयान किया गया कि जन्नत में पहुँचकर ये लोग इस पर अल्लाह तआला का शुक्र अदा करेंगे कि उसने इनके लिये जन्नत की तरफ़ हिदायत की और उसका रास्ता आसान कर दिया, और कहेंगे कि अगर अल्लाह तआला का फ़ज़ल न होता तो हमारी मजाल न थी कि हम यहाँ पहुँच सकें।

इससे मालूम हुआ कि कोई इन्सान महज़ अपनी कोशिश से जन्नत में नहीं जा सकता, जब तक अल्लाह तआला का फ़ज़ल उस पर न हो, क्योंकि कोशिश खुद उसके कब्जे में नहीं, वह भी महज़ अल्लाह तआला की रहमत व फ़ज़ल ही से हासिल होती है।

हिदायत के विभिन्न-दर्जे हैं जिसका आखिरी दर्जा

जन्नत में दाखिल होना है

इमाम रागिब अस्फहानी ने लफ़्ज़ हिदायत की तशरीह में बड़ी मुफ़ीद और अहम बात फ़रमाई है, कि हिदायत का लफ़्ज़ बहुत आम है, इसके दर्जे विभिन्न और अलग-अलग हैं, और हकीकत यह है कि हिदायत अल्लाह तआला की तरफ़ जाने का रास्ता मिलने का नाम है, इसलिये अल्लाह की निकटता के दर्जे भी जितने अलग-अलग और बेहिसाब हैं, इसी तरह हिदायत के दर्जे भी बेहद अलग-अलग हैं। हिदायत का मामूली दर्जा कुफ़्र व शिर्क से निजात पाना और ईमान लाना है, जिससे इनसान का रुख़ ग़लत रास्ते से फिरकर अल्लाह तआला की तरफ़ हो जाता है। फिर बन्दे और अल्लाह तआला के दरमियान जिस क़द्र फ़ासला है उसको तय करने के हर दर्जे का नाम हिदायत है। इसलिये हिदायत की तलब से किसी वक़्त कोई इनसान यहाँ तक कि नबी और रसूल भी बेज़रूरत नहीं हैं। इसी लिये हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आख़िर उम्र तक 'इहदिनस्सिरातल् मुस्तक़ीम' की तालीम जिस तरह उम्मत को दी खुद भी इस दुआ की पाबन्दी जारी रखी, क्योंकि अल्लाह की निकटता के दर्जों की कोई इन्तिहा नहीं, यहाँ तक कि जन्नत के दाख़िले को भी इस आयत में लफ़्ज़ हिदायत से ताबीर किया गया कि यह हिदायत का आख़िरी मक़ाम है।

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ

وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ ، فَاذِّنْ مُؤَذِّنٌ
 بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ،
 وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ۝ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ
 وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ ۖ لَمَّا دَخَلُوا هُمْ يَطْبَعُونَ ۝ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ
 تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ ، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ
 رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَبَعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ۝ أَهَؤُلَاءِ
 الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝

रफ़ी अरब
 ५
 ६
 १२

व नादा अस्हाबुल्-जन्नति	और पुकारेंगे जन्नत वाले दोज़ख़ वालों
अस्हाबन्नारि अन् क़द् वजदना मा	को कि हमने पाया जो हम से वायदा
व-अ-दना रब्बुना हक्कन् फ़-हल्	किया था हमारे रब ने सच्चा, सो तुमने

वजत्तुम् मा व-अ-द रब्बुकुम्
हक्कन्, कालू न-अम् फ-अज्ज-न
मुअज्जिनुम् बैनहुम् अल्लअ-नतुल्लाहि
अलज्जालिमीन (44) अल्लजी-न
यसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाहि व
यदरूनहा अि-वजन् व हुम्
बिलुआखिरति काफिरून। (45) व
बैनहुमा हिजाबुन् व अलल्-अअुराफि
रिजालुंयअुरिफू-न कुल्लम्-बिसीमाहुम्
व नादौ अस्हाबल्-जन्नति अन्
सलामुन् अलैकुम्, लम् यदखुलूहा व
हुम् यत्मअू-न (46) व इजा सुरिफत्
अब्सारुहुम् तिल्का-अ अस्हाबिन्नारि
कालू रब्बना ला तज्जल्ना मअल्-
कौमिज्जालिमीन (47) ❀

व नादा अस्हाबुल्-अअुराफि
रिजालुंय-यअुरिफूनुहुम् बिसीमाहुम्
कालू मा अगना अन्कुम् जम्भुकुम्
व मा कुन्तुम् तस्तक्बिरून (48)
अ-हाउला-इल्लजी-न अक्सम्तुम् ला
यनालुहुमुल्लाहु बिरस्मतिन्, उदखुलुल्-
जन्न-त ला खौफुन् अलैकुम् व ला
अन्तुम् तह्जून (49)

भी पाया अपने रब के वायदे को सच्चा?
वे कहेंगे कि हाँ! फिर पुकारेगा एक
पुकारने वाला उनके बीच में कि तानत है
अल्लाह की उन जालिमों पर (44) जो
रोकते थे अल्लाह की राह से और दूँढते
थे उसमें कजी (कमी और टेढ़), और वे
आखिरत से इनकारी थे। (45) और
दोनों के बीच में होगी एक दीवार और
आराफ़ के ऊपर मर्द होंगे कि पहचान
लेंगे हर एक को उसकी निशानी से और
वे पुकारेंगे जन्नत वालों को कि सलामती
है तुम पर, वे अभी जन्नत में दाखिल नहीं
हुए और वे उम्मीदवार हैं। (46) और जब
फिरेगी उनकी निगाह दोख़ वालों की
तरफ़ तो कहेंगे ऐ हमारे रब! मत कर हम
को गुनाहगार लोगों के साथ। (47) ❀

और पुकारेंगे आराफ़ वाले उन लोगों को
कि उनको पहचानते हैं उनकी निशानी से,
कहेंगे न काम आई तुम्हारे जमाअत
तुम्हारी और जो तुम तकबुर करते थे।
(48) अब ये वही हैं कि तुम कसम खाया
करते थे कि न पहुँचेगी उनको अल्लाह
की रहमत, चले जाओ जन्नत में न डर है
तुम पर और न तुम ग़मगीन होगे। (49)

खुलासा-ए-तफसीर

और (जब जन्नत वाले जन्नत में जा पहुँचेंगे उस वक़्त वे) जन्नत वाले दोख़ वालों को

(अपनी हालत पर खुशी जाहिर करने को और उनकी हसरत बढ़ाने को) पुकारेंगे कि हमसे जो हमारे रब ने वायदा फ़रमाया था (कि ईमान और नेक आमाल इख़्तियार करने से जन्नत देंगे) हमने तो उसको हकीकत के मुताबिक़ पाया, सो (तुम बतलाओ कि) तुमसे जो तुम्हारे रब ने वायदा किया था (कि कुफ़्र के सबब दोज़ख़ में पड़ोगे) तुमने भी उसको हकीकत के मुताबिक़ पाया (यानी अब तो हकीकत अल्लाह और रसूल की सच्चाई और अपनी गुमराही की मालूम हुई)? वे (दोज़ख़ वाले ज़वाब में) कहेंगे हाँ! (वाक़ई सब बातें अल्लाह और रसूल की ठीक निकलीं) फिर (उन दोज़ख़ियों की हसरत और जन्नतियों की खुशी बढ़ाने को) एक पुकारने वाला (यानी कोई फ़रिश्ता) उन दोनों (फ़रीकों) के बीच में (खड़ा होकर) पुकारेगा कि अल्लाह की मार हो उन ज़ालिमों पर जो अल्लाह की राह (यानी दीने हक़) से मुँह फेरा करते थे, और उस (दीने हक़) में (हमेशा अपने गुमान के मुताबिक़) कज़ी ("यानी टेढ़ और कमी" की बातें) तलाश करते रहते थे (कि उसमें ऐब और एतिराज़ पैदा करें), और वे लोग (इसके साथ) आख़िरत का इनकार करने वाले भी थे (जिसका नतीजा आज भुगत रहे हैं। यह कलाम तो जन्नत वालों का और उनकी ताईद में इस सरकारी मुनादी का ज़िक्र हुआ। आगे आराफ़ वालों का ज़िक्र है)।

और इन दोनों (फ़रीक़ यानी जन्नत वालों और दोज़ख़ वालों) के बीच एक आड़ (यानी दीवार) होगी, (जिसका ज़िक्र सूर: हदीद में है 'फ़जुरि-ब बैनहुम बिसूरिल् लहू बाबुन.....'। उसकी विशेषता यह होगी कि जन्नत का असर दोज़ख़ तक और दोज़ख़ का असर जन्नत तक न जाने देगी, रहा यह कि फिर गुफ़्तगू क्योंकर होगी, सो मुम्किन है कि उस दीवार में जो दरवाज़ा होगा जैसा कि सूर: हदीद में इसका ज़िक्र है, उस दरवाज़े में से गुफ़्तगू और बातचीत हो जाये, या वैसे ही आवाज़ पहुँच जाये)। और (उस दीवार का या उसके ऊपर वाले हिस्से का नाम आराफ़ है, और उस पर से जन्नती और दोज़ख़ी सब नज़र आयेंगे, सो) आराफ़ के ऊपर बहुत-से आदमी होंगे (जिनकी नेकियाँ और बुराईयाँ तराजू में बराबर वज़न की हुई होंगी) वे लोग (जन्नत वालों और दोज़ख़ वालों में से) हर एक को (जन्नत और दोज़ख़ के अन्दर होने की अलावा निशानी के) उनके निशानों से (भी) पहचानेंगे (निशानी यह कि जन्नत वालों के चेहरों पर नूरानियत और दोज़ख़ वालों के चेहरों पर सियाही, अंधकार और मैलापन होगा, जैसा कि एक दूसरी आयत में है 'वुजूहुंय्यौमइज़िन् मुस्फ़ि-स्तुन ज़ाहि-क्तुन.....' और जन्नत वालों को पुकारकर कहेंगे- अस्सलामु अलैकुम। अभी ये (आराफ़ वाले) उसमें (यानी जन्नत में) दाख़िल नहीं हुए होंगे और उसके उम्मीदवार होंगे (चुनाँचे हदीसों में आया है कि उनकी उम्मीद पूरी कर दी जायेगी और जन्नत में जाने का हुक्म हो जायेगा)। और जब उनकी निगाहें दोज़ख़ वालों की तरफ़ जा पड़ेंगी (उस वक़्त दहशत में आकर) तो कहेंगे ऐ हमारे रब! हमको इन ज़ालिम लोगों के साथ (अज़ाब में) शामिल न कीजिए। और (जैसे इन आराफ़ वालों ने ऊपर जन्नत वालों से सलाम व कलाम किया इसी तरह) आराफ़ "जन्नत और दोज़ख़ के बीच एक जगह" वाले (दोज़ख़ियों में) बहुत-से आदमियों को (जो कि काफ़िर होंगे और) जिनको कि उनके निशानों (चेहरे की सियाही और मैला होने) और अन्दाज़ों से पहचानेंगे (कि ये काफ़िर हैं) पुकारेंगे (और)

हमें कि तुम्हारी जमाअत और तुम्हारा अपने को बड़ा समझना (और नबियों की बात न मानना) तुम्हारे कुछ काम न आया (और तुम इसी तकबुर की वजह से मुसलमानों को जलील समझकर यह भी कहा करते थे कि ये बेचारे अल्लाह के फज़ल व करम के हकदार क्या बनेंगे, जैसा कि:

أَهْوَلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَنَّا

से भी यह मज़मून समझ में आता है, तो इन मुसलमानों को अब तो देखो) क्या ये (जो जन्नत में ऐश कर रहे हैं) वही (मुसलमान) हैं जिनके बारे में तुम कसमें खा-खाकर कहा करते थे कि अल्लाह तआला इन पर रहमत न करेगा (तो इन पर तो इतनी बड़ी रहमत हुई कि) इनको यह हुक्म हो गया कि) जाओ जन्नत में (जहाँ चाहो), तुम पर न कुछ अन्देशा है और न तुम मगमगीन होंगे (और इस कलाम में जो रिजालन यानी कुछ आदमियों को खास करके बयान किया गया लिबन इसकी वजह यह मालूम होती है कि अभी तक गुनाहगार मोमिन भी दोज़ख में पड़े होंगे। निशानी इसकी यह है कि जब आराफ़ वाले जन्नत की उम्मीद में हैं मगर जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे, तो गुनाहगार लोग जिनकी बुराईयाँ और गुनाह आराफ़ वालों की बुराईयाँ और गुनाह से ज्यादा हैं, जाहिरन अभी दोज़ख से न निकले होंगे, मगर ऐसे लोग इस कलाम के मुखातब न होंगे। वल्लाहु आलम)।

मआरिफ़ व मसाईल

जब जन्नत वाले जन्नत में और दोज़ख वाले दोज़ख में अपने-अपने ठिकानों पर पहुँच जायेंगे, और जाहिर है कि इन दोनों जगहों में हर हैसियत से बहुत बड़ी रुकावट होगी, लेकिन इसके बावजूद कुरआन की बहुत सी आयतें इस पर गवाह हैं कि इन दोनों मकामात के बीच कुछ ऐसे रास्ते होंगे जिनसे एक दूसरे को देख सकेगा, और उनकी आपस में बातचीत और सवाल व जवाब होंगे।

सूर: सौफ़ात में दो शख्सों का जिक्र मुफ़स्सल आया है जो दुनिया में एक दूसरे के साथी थे लेकिन एक मोमिन दूसरा काफ़िर था, आखिरत में जब मोमिन जन्नत में और काफ़िर जहन्नम में चला जायेगा तो ये एक दूसरे को देखेंगे और बातें करेंगे। इरशाद है:

فَاطَّلَعَ قَرَاهُ فِي سِوَاءِ الْجَحِيمِ. قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لَتَرُدِينَ. وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. أَلَمْ نَأْتِكُمْ بِبَيِّنَاتٍ. إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّةٍ بَيْنَ

जिसके मज़मून का खुलासा यह है कि जन्नती साथी झाँककर दोज़खी साथी को देखेगा तो उसको जहन्नम के बीच में पड़ा हुआ पायेगा, और कहेगा कि कमबख़्त तू यह चाहता था कि मैं भी तेरी तरह बरबाद हो जाऊँ, और अगर अल्लाह तआला का फज़ल न होता तो आज मैं भी तेरे साथ जहन्नम में पड़ा होता। और तू जो मुझसे यह कहा करता था कि इस दुनिया की मौत के

वाह
कि य
उ
(गुफ्त
में हां
अ
हकीक
मलाम
के साथ
एक नई
कद्र न्या
करते थे
अज्ञान
करीम में
ह
फरिश
“यान
मुझे नजर
इसी
जवाब करें
बिल्कुल स
तुम्हारे साम
दिया।
उनके
लान करंग
रास्ते से
निकार किय
जन्नत

वाद कोई जिन्दगी और कोई हिसाब-किताब या सवाब-अजाब होने वाला नहीं, अब देख लिया कि यह क्या हो रहा है।

उक्त आयतों और इनके बाद भी तकरीबन एक रुकूअ तक इसी किस्म के मुकालमे (गुफ्तगूँ) और सवाल व जवाब का तज़क़िरा है, जो जन्नत वालों और जहन्नम वालों के आपस में होंगे।

और यह जन्नत दोज़ख के बीच एक दूसरे को देखने और बातें करने के रास्ते भी दर हकीकत जहन्नम वालों के लिये एक और तरह का अजाब होगा कि चारों तरफ़ से उन पर मलामत होती होगी, और वे जन्नत वालों की नेमतों और राहतों को देखकर जहन्नम की आग के साथ हसरत व अफ़सोस की आग में भी जलेंगे। और जन्नत वालों के लिये नेमत व राहत में एक नई तरह का इज़ाफ़ा होगा कि दूसरे फ़रीक़ की मुसीबत देखकर अपनी राहत व नेमत की क़द्र ज़्यादा होगी, और जो लोग दुनिया में दीनदारों पर हंसा करते थे और उनका मज़ाक़ उड़ाया करते थे, और ये कोई इन्तिकाम न लेते थे, आज उन लोगों को ज़िल्लत व रुस्वाई के साथ अजाब में मुब्तला देखेंगे तो ये हंसेंगे कि उनके अमल की उनको सज़ा मिल गयी। कुरआने करीम में यही मज़मून सूर: मुतफ़िफ़ीन में इस तरह इरशाद हुआ है:

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. عَلَى الْأَرْآئِكِ يَنْظُرُونَ. هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

जहन्नम वालों को उनकी गुमराही पर तंबीह और उनके अहमक़ाना कलिमात पर मलामत फ़रिश्तों की तरफ़ से भी होगी, वे उनको मुखातब करके कहेंगे:

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ.

“यानी यह है वह आग जिसको तुम झुठलाया करते थे। अब देखो कि क्या यह जादू है या तुम्हें नज़र नहीं आता?”

इसी तरह उपर्युक्त आयतों में से पहली आयत में है कि जन्नत वाले जहन्नम वालों से सवाल करेंगे कि हमारे रब ने हमसे जिन नेमतों और राहतों का वायदा किया था हमने तो उनको बिल्कुल सच्चा और पूरा पाया, तुम बतलाओ कि तुम्हें जिस अजाब से डराया गया था वह भी तुम्हारे सामने आ गया या नहीं? वे इफ़रार करेंगे कि बेशक हमने भी उसको देख (यानी पा) लिया।

उनके इस सवाल व जवाब की ताईद में अल्लाह जल्लु शानुहु की तरफ़ से कोई फ़रिश्ता यह ऐलान करेगा कि अल्लाह तआला की लानत और फ़टकार है ज़ालिमों पर, जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, और यह चाहते थे कि उनका रास्ता भी सीधा न रहे, और वे आखिरत का इनकार किया करते थे।

आराफ़ वाले कौन लोग हैं?

जन्नत दोज़ख़ वालों की आपसी गुफ़्तगूँ और बातचीत के तहत एक और बात तीसरी

आयत में यह बतलाई गयी कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जहन्नम से तो निजात पा गये मगर अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए, अलबत्ता उसके उम्मीदवार हैं कि वे भी जन्नत में दाखिल हो जायें, उन लोगों को आराफ़ वाले कहा जाता है।

आराफ़ क्या चीज़ है, इसकी तशरीह सूर: हदीद की आयतों से होती है। जिनसे मालूम होता है कि मेहशर में लोगों के तीन गिरोह होंगे- एक खुले काफ़िर व मुशिरक, उनको तो पुलसिरात पर चलने की नौबत ही न आयेगी, पहले ही जहन्नम के दरवाज़ों से उसमें धकेल दिये जायेंगे। दूसरे मोमिन हज़रात, उनके साथ ईमान के नूर की रोशनी होगी। तीसरे मुनाफ़िक़ लोग, ये चूँकि दुनिया में मुसलमानों के साथ लगे रहे वहाँ भी शुरू में साथ लगे रहेंगे, और पुलसिरात पर चलना शुरू होंगे। उस वक़्त एक सख़्त अंधेरी सब को ढाँप लेगी, मोमिन अपने ईमानी नूर की मदद से आगे बढ़ जायेंगे और मुनाफ़िक़ लोग पुकार कर उनको कहेंगे कि ज़रा ठहरो हम भी तुम्हारी रोशनी से फ़ायदा उठायें। इस पर अल्लाह तआला की तरफ़ से कोई कहने वाला कहेगा कि पीछे लौटो वहाँ रोशनी तलाश करो। मतलब यह होगा कि यह रोशनी ईमान और नेक अमल की है, जिसे हासिल करने का मक़ाम पीछे गुज़र गया। जिन लोगों ने वहाँ ईमान व अमल के ज़रिये यह रोशनी हासिल नहीं की उनको आज रोशनी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसी हालत में मुनाफ़िक़ों और मोमिनों के बीच एक दीवार का घेरा रुकावट और आड़ कर दिया जायेगा, जिसमें एक दरवाज़ा होगा, उस दरवाज़े के बाहर तो सारा अज़ाब ही अज़ाब नज़र आयेगा, और दरवाज़े के अन्दर जहाँ मोमिन हज़रात होंगे वहाँ अल्लाह तआला की रहमतों का नज़ारा और जन्नत की फ़िज़ा सामने होगी। यही मज़मून इस आयत का है:

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَارَ نَقَبَسٍ مِنْ تَوْرِكُمْ. قِيلَ ارجعوا وراةكم فالتمسوا نوراً. فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ.

इस आयत में वह हिसार (घेरा) जो जन्नत वालों और दोजूख वालों के बीच आड़ और रोक बना दिया जायेगा उसको लफ़ज़ सूर से ताबीर किया गया है, और यह लफ़ज़ दर असल शहर पनाह के लिये बोला जाता है, जो बड़े शहरों के गिर्द दुश्मन से हिफ़ाज़त के लिये बड़ी मज़बूत चौड़ी दीवार से बनाई जाती है। ऐसी दीवारों में फौज के हिफ़ाज़ती दस्तों की चौकियाँ भी बनी होती हैं जो हमलावरों से बाख़बर रहते हैं।

सूर: आराफ़ की उक्त आयत में है:

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيْمَتِهِمْ

इन्ने जरीर और दूसरे तफ़सीर के इमामों की तहरीर के मुताबिक़ इस आयत में लफ़ज़ हिजाब से वही हिसार (घेराबन्दी) मुराद है जिसको सूर: हदीद की आयत में लफ़ज़ सूर से ताबीर किया गया है। उस हिसार के ऊपर वाले हिस्से का नाम आराफ़ है, क्योंकि आराफ़ उर्फ़ की जमा (बहुवचन) है, और उर्फ़ हर चीज़ के ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है, क्योंकि वह दूर से

परिचित व नुमायाँ होता है। इस वजाहत से मालूम हुआ कि जन्नत व दोज़ख के बीच रोक होने वाले हिजाब के ऊपर वाले हिस्से का नाम आराफ़ है, और आराफ़ वाली आयत में यह बतलाया गया है कि मेहशर में इस मक़ाम पर कुछ लोग होंगे जो जन्नत व दोज़ख दोनों तरफ़ के हालात को देख रहे होंगे, और दोनों तरफ़ रहने वालों से बातचीत और सवाल व जवाब करेंगे।

अब यह बात कि ये कौन लोग होंगे और उस बीच के मक़ाम में इनको क्यों रोका जायेगा इसमें तफ़सीर के अक़वाल विभिन्न और हदीस की रिवायतें अनेक हैं, लेकिन मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक सही और राजेह यह है कि ये वे लोग होंगे जिनकी नेकियों और बुराईयों के दोनों पल्ले अमल की तराजू में बराबर हो जायेंगे। अपनी नेकियों के सबब जहन्नम से तो निजात पा लेंगे लेकिन बुराईयों और गुनाहों के सबब अभी जन्नत में इनका दाख़िला न हुआ होगा, और आख़िरकार रहमते खुदावन्दी से ये लोग भी जन्नत में दाख़िल हो जायेंगे।

सहाबा-ए-किराम में से हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत इब्ने मसऊद और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम का और दूसरे सहाबा व ताबिईन का यही कौल है, और इसमें हदीस की तमाम रिवायतें भी जमा हो जाती हैं, जो विभिन्न उनवानों से नक़ल की गयी हैं। इमाम इब्ने जरीर रह. ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आराफ़ वालों के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया कि ये वे लोग हैं जिनकी नेकियाँ और बुराईयाँ बराबर होंगी, इसलिये जहन्नम से तो निजात हो गयी मगर जन्नत में अभी दाख़िल नहीं हुए, उनको इस आराफ़ के स्थान पर रोक लिया गया, यहाँ तक कि तमाम जन्नत वालों और दोज़ख वालों का हिसाब और फ़ैसला हो जाने के बाद उनका फ़ैसला किया जायेगा, और आख़िरकार उनकी मग़फ़िरत हो जायेगी और जन्नत में दाख़िल कर दिये जायेंगे। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

और इब्ने मरूया ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया गया कि आराफ़ वाले कौन लोग हैं? आपने फ़रमाया ये वे लोग हैं जो अपने माँ-बाप की मर्जी और इजाज़त के खिलाफ़ जिहाद में शरीक हो गये, और अल्लाह की राह में शहीद हो गये, तो इनको जन्नत के दाख़िले से माँ-बाप की नाफ़रमानी ने रोक दिया और जहन्नम के दाख़िले से अल्लाह के रास्ते में शहादत ने रोक दिया।

इस हदीस और पहली हदीस में कोई टकराव नहीं, बल्कि यह हदीस एक मिसाल है उन लोगों की जिनकी नेकियाँ और गुनाह बराबर दर्जे के हैं, कि एक तरफ़ अल्लाह के रास्ते में शहादत और दूसरी तरफ़ माँ-बाप की नाफ़रमानी, दोनों पल्ले बराबर हो गये। (इब्ने कसीर)

सलाम का मस्नून लफ़ज़

आराफ़ वालों की तशरीह और परिचय मालूम होने के बाद अब असल आयत का मज़मून

देखिये, जिसमें इरशाद है कि आराफ वाले जन्नत वालों को आवाज़ देकर कहेंगे "सलामुन अलैकुम" यह लफ़्ज़ दुनिया में भी आपस में मुलाकात के वक़्त हुआ व सम्मान के तौर पर बोला जाता है, और मस्नून है। और मौत के बाद कब्रों की ज़ियारत के वक़्त भी, और फिर मेहशर और जन्नत में भी, लेकिन कुरआनी आयतों और हदीस की रिवायतों से मालूम होता है कि दुनिया में तो अस्सलामु अलैकुम कहना मस्नून है, और इस दुनिया से गुज़रने के बाद बग़ैर अलिफ़ लाम के सलामुन अलैकुम का लफ़्ज़ मस्नून है, कब्रों की ज़ियारत के लिये जो कलिमा कुरआन मजीद में मज़कूर है वह भी:

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَرَّيْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

आया है, और फ़रिश्ते जब जन्नत वालों का स्वागत करेंगे उस वक़्त भी यह लफ़्ज़ इसी उनवान से आया है:

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

और यहाँ भी आराफ़ वाले जन्नत वालों को इसी लफ़्ज़ के साथ सलाम करेंगे। आगे आराफ़ वालों का यह हाल बतलाया है कि वे अभी जन्नत में दाख़िल नहीं हुए मगर उसके उम्मीदवार हैं। इसके बाद इरशाद है:

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

यानी जब आराफ़ वालों की नज़र जहन्नम वालों पर पड़ेगी और उनके अज़ाब व मुसीबत को देखेंगे तो अल्लाह से पनाह माँगेंगे कि हमें इन ज़ालिमों के साथ न कीजिए।

पाँचवीं आयत में यह भी मज़कूर है कि आराफ़ वाले जहन्नम वालों को खिताब करके बतौर मलामत के यह कहेंगे कि दुनिया में तुमको जिस माल व दौलत और जमाअत व जत्थे पर भरोसा था, और जिनकी वजह से तुम तकब्बुर व गुरूर में मुद्तला थे आज वह तुम्हारे कुछ काम न आया।

छठी आयत में बयान हुआ है:

أَهْلُوا لِيَوْمِ الدِّينِ أَلَمْ يَأْتِهِمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا يَحْزَنُونَ

इसकी तफ़्सीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि जब आराफ़ वालों का सवाल जवाब जन्नत वालों और दोज़ख़ वालों के साथ हो चुकेगा, उस वक़्त रब्बुल-आलमीन दोज़ख़ वालों को खिताब करके यह कलिमात आराफ़ वालों के बारे में फ़रमायेंगे कि तुम लोग कसमें खाया करते थे कि इनकी मग़फ़िरत न होगी और इन पर कोई रहमत न होगी, सो अब देखो हमारी रहमत, और इसके साथ ही आराफ़ वालों को खिताब होगा कि जाओ जन्नत में दाख़िल हो जाओ, न तुम पर पिछले मामलात का कोई ख़ौफ़ होना चाहिये और न आगे का कोई ग़म व फ़िक्र। (तफ़्सीर इब्ने कसीर)

وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۗ قَالُوا إِنَّ
 اللَّهُ حَرَمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 فَالْيَوْمَ نُنَسِّهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا ۖ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝ وَلَقَدْ جِئْتُم بِكِتَابٍ
 فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۗ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ
 يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۗ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا
 لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۗ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

व नादा अस्ताबुन्नारि अस्ताबल्-
 जन्नति अन् अफीजू अलैना मिनल्-
 मा-इ औ मिम्मा र-ज-ककुमुल्लाहु,
 कालू इन्नल्ला-ह हर-महुमा अलल्-
 काफिरीन (50) अल्लज़ीनत्त-खाज़ू
 दीनहुम् लह्वं व-व लअिबं व-व
 गर्ल्हुमुल्-हयातुददुन्या फल्यौ-म
 नन्साहुम् कमा नसू लिक्-अ
 यौमिहिम् हाज़ा व मा कानू
 बिआयातिना यज्हुदून (51) व ल-कद्
 जिअ्नाहुम् बिकिताबिन् फस्सल्लाहु
 अला अिल्मिन् हुदं व-व रस्मतल्-
 लिक्-मिन्-युअ्मिन् (52) हल्
 यन्ज़ुरू-न इल्ला तअ्वी-लहू, यौ-म
 यअ्ती तअ्वीलुहू यकूलुल्लज़ी-न
 नसूहु मिन् कब्लु कद् जाअत् रुसुलु
 रब्बिना बिल्हक्कि फहल्-तना मिन्

और पुकारेंगे दोज़ख़ वाले जन्नत वालों
 को कि बहाओ हम पर थोड़ा सा पानी,
 या कुछ उसमें से जो रोजी तुमको दी
 अल्लाह ने, कहेंगे- अल्लाह ने इन दोनों
 को रोक दिया है काफ़िरों से। (50)
 जिन्होंने ठहराया अपना दीन तमाशा और
 खेल और धोखे में डाला उनको दुनिया
 की जिन्दगी ने, सो आज हम उनको भुला
 देंगे जैसा कि उन्होंने भुला दिया इस दिन
 के मिलने को, और जैसा कि वे हमारी
 आयतों के इनकारी थे। (51) और हमने
 उन लोगों के पास पहुँचा दी है किताब
 जिसको तफ़सील से बयान किया है हमने
 ख़बरदारी से; राह दिखाने वाली और
 रहमत है इमान वालों के लिये। (52)
 क्या अब इसी के मुत्तज़िर हैं कि उसका
 मज़मून जाहिर हो जाये? जिस दिन
 जाहिर हो जायेगा मज़मून कहने लगेंगे वे
 लोग जो उसको भूल रहे थे पहले से-
 बेशक लाये थे हमारे रब के रसूल सच्ची
 बात सो अब कोई हमारी सिफ़ारिश वाले

۷
 ۶
 ۱۳

शु-फ़आ-अ फ़यश्फ़अू लना औ
 नुरददु फ़नअूम-ल ग़ैरल्लज़ी कुन्ना
 नअ-मलु, क़द् ख़सिरू अन्फ़ु-सहुमू
 व ज़ल्-ल अन्हुम् मा कानू
 यफ़तरून (53) ❀

हैं तो हमारी सिफ़ारिश करें, या हम लौटा
 दिये जायें तो हम अमल करें उसके
 विपरीत जो हम कर रहे थे, बेशक तबाह
 किया उन्होंने अपने आपको और गुम हो
 जाएगा उनसे जो वे बोहतान बाँधा करते
 थे। (53) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और (जिस तरह ऊपर जन्नत वालों ने दोज़ख़ वालों से गुफ़्तगू की इसी तरह) दोज़ख़ वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे कि (हम भूख, प्यास और गर्मी के मारे बेदम हुए जाते हैं, खुदा के वास्ते) हमारे ऊपर थोड़ा पानी ही डाल दो (शायद कुछ सुकून हो जाये) या और ही कुछ दे दो जो अल्लाह तआला ने तुमको दे रखा है। (इससे यह लाज़िम नहीं आता कि वे उम्मीद करके माँगेंगे, क्योंकि ज्यादा बेचैनी में उम्मीद के खिलाफ़ बातें भी मुँह से निकला करती हैं) जन्नत वाले (जवाब में) कहेंगे कि अल्लाह तआला ने दोनों चीज़ों (यानी जन्नत के खाने और पीने) की काफ़िरों के लिए बन्दिश कर रखी है। जिन्होंने (दुनिया में) अपने दीन को (जिसका कुबूल करना उनके जिम्मे वाजिब था) लह्व-व-लज़िब "यानी खेल-तमाशे की चीज़" बना रखा था, और जिनको दुनियावी जिन्दगानी ने धोखे (और गुफ़लत) में डाल रखा था (इसलिये दीन की कुछ परवाह ही न की, और यह बदला मिलने की जगह है, जब दीन नहीं तो उसका फल कहाँ। आगे हक़ तआला जन्नत वालों के इस जवाब की तस्दीक़ व ताईद में फ़रमाते हैं) सो (जब उनकी दुनिया में यह हालत थी तो) हम भी आज (कियामत) के दिन उनका नाम न लेंगे (और खाना-पीना बिल्कुल न देंगे) जैसा कि उन्होंने इस (अज़ीमुश्शान) दिन का नाम तक न लिया था, और जैसा कि ये हमारी आयतों का इनकार किया करते थे। और हमने इन लोगों के पास एक ऐसी किताब पहुँचा दी है (यानी कुरआन) जिसको हमने अपने कामिल इल्म से बहुत ही स्पष्ट करके बयान कर दिया है (और यह बयान सबके सुनाने को किया है लेकिन) हिदायत का ज़रिया और रहमत उन (ही) लोगों के लिए (हुआ) है जो (इसको सुनकर) ईमान लाते हैं। (और जो बावजूद हुज्जत पूरी होने के ईमान नहीं लाते, उनकी हालत से ऐसा मालूम होता है कि) उन लोगों को और किसी बात का इन्तिज़ार नहीं सिर्फ़ इस (कुरआन) के आखिरी नतीजे (यानी सज़ा के वायदे) का इन्तिज़ार है (यानी अज़ाब से पहले सज़ा की धमकी से नहीं डरते तो एक तरह से खुद अज़ाब का अपने ऊपर पड़ना चाहते होंगे, सो) जिस दिन इसका (बतलाया हुआ) आखिरी नतीजा पेश आएगा (जिसकी तफ़सील दोज़ख़ वगैरह की ऊपर मज़कूर हुई) उस दिन जो लोग इसको पहले से भूले हुए थे (बिक़रार व परेशान होकर) यूँ कहने लगेंगे कि याक़ई हमारे रब के पैग़म्बर (दुनिया में) सच्ची-सच्ची बातें लाए थे (मगर हमसे बेवकूफी हुई) सो अब क्या हमारा

कोई सिफारिश करने वाला है कि वह हमारी सिफारिश कर दे। या क्या हम फिर (दुनिया में) वापस भेजे जा सकते हैं ताकि हम लोग (फिर दुनिया में जाकर) उन (बुरे) आमाल के उलट जिनको हम किया करते थे दूसरे (नेक) आमाल करें? (अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अब निजात और छुटकारे की कोई सूरत नहीं) बेशक इन लोगों ने अपने को (कुफ्र के) घाटे में डाल दिया, और ये जो-जो बातें बनाते थे (इस वक़्त) सब गुम हो गईं (अब सिवाय सज़ा के और कुछ न होगा)।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يُغْشِي
الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۗ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ
تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

इन्-न रब्बकुमुल्लाहुल्लजी ख-लकस्-
-समावाति वल्-अर्-ज़ फी सित्तति
अय्यामिन् सुम्मस्तवा अलल्-अर्शि,
युग्-शिल्लै लन्नहा-र यत्-लु-बुहू
हसीसंव-व वशशम्-स वल्क-म-र
वन्नुजू-म मुस्ख़ारातिम्-बिअमिही,
अला लहुल्-ख़ाल्कु वल्अम्रु,
तबारकल्लाहु रब्बुल्-आलमीन (54)

बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा किए आसमान और ज़मीन छह दिन में, फिर करार पकड़ा अर्श पर, उढ़ाता है रात पर दिन कि वह उसके पीछे लगा आता है दौड़ता हुआ, और पैदा किए सूरज और चाँद और तारे, ताबेदार अपने हुक्म के, सुन लो उसी का काम है पैदा करना और हुक्म फरमाना, बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो रब है सारे जहान का। (54)

खुलासा-ए-तफसीर

बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और ज़मीन को छह दिन (के बराबर वक़्त) में पैदा किया, फिर अर्श पर (जो एक राज-गद्दी की तरह है, इस तरह) कायम (और जलवा फरमा) हुआ (जो कि उसकी शान के लायक है)। छुपा देता है रात (की अंधेरी) से दिन (की रोशनी) को, (यानी रात की अंधेरी से दिन की रोशनी छुप जाती और खत्म हो जाती है) ऐसे तौर पर कि वह रात उस दिन को जल्दी से आ लेती है (यानी दिन आनन फानन गुज़रता-ख़ालूम होता है, यहाँ तक कि अचानक रात आ जाती है) और सूरज और चाँद और दूसरे सितारों को पैदा किया, ऐसे अन्दाज़ पर कि सब उसके (डायरेक्ट) हुक्म के ताबे हैं। याद रखो अल्लाह के लिए खास है ख़ालिक "यानी पैदा करने वाला" होना और हाकिम होना, बड़ी ख़ूबियों वाले हैं अल्लाह तआला जो तमाम जहान के पालने वाले हैं।

मआरिफ व मसाईल

ज़िक्र हुई आयतों में से पहली आयत में आसमान व ज़मीन और सितारों के पैदा करने और एक खास स्थिर निज़ाम के ताबे अपने-अपने काम में लगे रहने का ज़िक्र और उसके तहत में हक़ तआला की मुतलक़ कुदरत का बयान करके हर अक़ल व समझ रखने वाले इन्सान को यह सोचने और विचार करने की दावत दी गयी है कि जो पाक ज़ात इस अज़ीमुश्शान आलम को अदम (नापैदी) से वजूद में लाने और हकीमाना निज़ाम के साथ चलाने पर कादिर है उसके लिये क्या मुश्किल है कि इन चीज़ों को ख़त्म करके क़ियामत के दिन दोबारा पैदा फ़रमा दे। इसलिये क़ियामत का इन्कार छोड़कर सिर्फ़ उसी ज़ात को अपना रब समझें, उसी से अपनी ज़रूरतें तलब करें, उसी की इबादत करें, मख़्लूक को पूजने की दलदल से निकलें और हकीक़त को पहचानें। इसमें इरशाद फ़रमाया कि "तुम्हारा रब अल्लाह ही है, जिसने आसमान और ज़मीन को छह दिन में पैदा किया।"

आसमान व ज़मीन की पैदाईश में छह दिन की मुद्दत क्यों हुई

यहाँ एक सवाल यह होता है कि अल्लाह जल्ल शानुहू तो इस पर कादिर हैं कि यह सारा जहान एक आन में पैदा फ़रमा दें, खुद कुरआने करीम में मुख़्तलिफ़ उनवानात से यह बात बार-बार दोहराई गयी है। कहीं इरशाद है:

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ مُّبِينٍ

यानी आँख झपकने की मिक़दार में हमारा हुक्म नाफ़िज़ हो जाता है। कहीं फ़रमाया है:

إِذَا أَرَادْنَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

यानी "जब अल्लाह तआला किसी चीज़ को पैदा फ़रमाना चाहते हैं तो फ़रमा देते हैं कि हो जा, वह पैदा हो जाती है।" फिर दुनिया की पैदाईश के लिये छह दिन ख़र्च होने की क्या वजह है?

मुफ़स्सिरे कुरआन हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसका यह जवाब दिया है कि हक़ तआला की कुदरत तो बेशक इस पर हावी है कि यह सब कुछ एक आन में पैदा कर दें लेकिन हिक्मत के तकाज़े से इस आलम की पैदाईश में छह दिन लगाये गये, ताकि इन्सान को दुनिया की व्यवस्था चलाने में तदरीज (दर्जा-ब-दर्जा धीरे-धीरे) किसी काम को करने और पुख़्ताकारी की तालीम दी जाये जैसा कि हदीस में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाया कि ग़ौर व फ़िक्र और वकार व तदरीज के साथ काम करना अल्लाह तआला की तरफ़ से है और जल्दबाज़ी शैतान की तरफ़ से। (तफ़्सीरे मज़हरी, शुअबुल-ईमान वैहकी के हवाले से)

मतलब यह है कि जल्दबाज़ी में इन्सान मसले के हर पहलू पर ग़ौर व फ़िक्र नहीं कर सकता, इसलिये अक्सर काम ख़राब हो जाता है, और शर्मिन्दगी होती है, सोचने व ग़ौर का और सहूलत के साथ जो काम किया जाये उसमें बरकत होती है।

जन्म

दू:

आसमा

कित्त

इस

है जिस

और रा

निकलने

कि अर

होगा कि

इस

बनाये

के दिन

अ

हरकतों

रखने

इस

आखिर

अब्दुल्ल

औ

इतवार

पैदाईश

का याम

उव

इसका

दिन में

नवाजात

ये। इ

ज़मीन व आसमान और सितारों की पैदाईश से पहले दिन रात कैसे पहचाने गये?

दूसरा सवाल यह है कि दिन और रात का वजूद तो सूरज की हरकत से पहचाना जाता है, आसमान और ज़मीन की पैदाईश से पहले जब न सूरज था न चाँद, तो छह दिनों की तायदाद किस हिसाब से हुई?

इसलिये कुछ मुफ़त्सिरीन हज़रत ने फ़रमाया कि छह दिन से मुराद इतना वक़्त और ज़माना है जिसमें छह दिन-रात इस दुनिया में होते हैं। लेकिन साफ़ और बेगुबार बात यह है कि दिन और रात की यह इस्तिलाह (परिभाषा) कि सूरज निकलने से छुपने तक दिन और सूरज छुपने से निकलने तक रात, यह तो इस दुनिया की इस्तिलाह है, दुनिया के बनाने से पहले हो सकता है कि अल्लाह तआला ने दिन और रात की दूसरी निशानियाँ मुकर्रर फ़रमा रखी हों, जैसे जन्नत में होगा कि वहाँ का दिन और रात सूरज की हरकत के ताबे नहीं होगा।

इससे यह भी मालूम हो गया कि यह ज़रूरी नहीं कि वे छह दिन जिनमें ज़मीन व आसमान बनाये गये वे हमारे छह दिन के बराबर हों, बल्कि हो सकता है कि इससे बड़े हों, जैसे आख़िरत के दिन के बारे में कुरआन का इरशाद है कि एक हज़ार साल के बराबर एक दिन होगा।

अबू अब्दुल्लाह राज़ी रह. ने फ़रमाया कि सबसे बड़े फ़लक की हरकत इस दुनिया की हरकतों के मुकाबले में इतनी तेज़ है कि एक दौड़ने वाला इन्सान एक क़दम उठाकर ज़मीन पर रखने नहीं पाता कि फ़लक-ए-आज़म तीन हज़ार मील की दूरी तय कर लेता है। (बहरे मुहीत)

इमाम अहमद, बिन हम्बल और इमाम मुजाहिद रह. का कौल यही है कि यहाँ छह दिन से आख़िरत के छह दिन मुराद हैं, और इमाम ज़हहाक रह. की रिवायत के मुताबिक़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी यही मन्कूल है।

और ये छह दिन जिनमें इस दुनिया की पैदाईश वजूद में आई है, सही रिवायात के मुताबिक़ इतवार से शुरू होकर जुमे पर ख़त्म होते हैं। यौमुस्सब्त यानी शनिवार के अन्दर दुनिया की पैदाईश का काम नहीं हुआ। कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि सब्त के मायने काटने के हैं, इस दिन का यौमुस्सब्त इसी लिये नाम रखा गया कि इस पर काम ख़त्म हो गया।

(तफ़्सीर इब्ने कसीर)

उक्त आयत में ज़मीन व आसमान की पैदाईश छह दिन में मुकम्मल होने का ज़िक्र है, इसकी तफ़्सील सूर: हा-मीम अस्तज़्दा की नवीं और दसवीं आयतों में इस तरह आई है कि दो दिन में ज़मीन बनाई गयी, फिर दो दिन में ज़मीन के ऊपर पहाड़, दरिया, खनिज चीज़ें, दरख़्त, मबातात (पेड़-पौधे) और इन्सान व हैवान के खाने पीने की चीज़ें बनाई गयीं, कुल चार दिन हो गये। इरशाद फ़रमाया:

خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ

और फिर फरमाया:

قَدَّرَ فِيهَا أَفْرَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ.

पहले दो दिन जिनमें ज़मीन बनाई गयी, इतवार और सोमवार हैं और दूसरे दो दिन जिनमें ज़मीन की आबादी का सामान पहाड़, दरिया बनाये गये वह मंगलवार और बुधवार हैं, उसके बाद इरशाद फरमाया:

فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ.

यानी फिर सातों आसमान बनाये दो दिन में। जाहिर है कि ये दो दिन जुमेरात और जुमा होंगे। इस तरह जुमे तक छह दिन हो गये।

आसमान व ज़मीन की पैदाईश (बनाने) का बयान करने के बाद इरशाद फरमाया:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ.

यानी फिर अर्श पर कायम हुआ। इस्तिवा के लफ्ज़ी भायने कायम होने और अर्श शाही तख्त को कहा जाता है। अब रहमान का यह अर्श कैसा और क्या है, और उस पर कायम होने का क्या मतलब है? इसके बारे में बेगुबार और साफ व सही वह मस्लक है जो पहले बुजुर्गों, सहाबा व ताबिईन से और बाद में अक्सर सुफ़िया-ए-किराम हज़रात से मन्कूल है कि इनसानी अक्ल अल्लाह जल्ल शानुहू की ज़ात व सिफ़ात की हकीकत का इहाता करने से आजिज़ है। उसकी खोज में पड़ना बेकार बल्कि नुक़सानदेह है, इन पर संक्षिप्त रूप से यह ईमान लाना चाहिये कि इन अलफ़ाज़ से जो कुछ हक़ तआला की मुराद है वह सही और हक़ है, और खुद कोई मायने मुतैयन करने की फ़िक्र न करे।

हज़रत इमाम मालिक रह. से एक शख्स ने यही सवाल किया कि इस्तिवा अलल्ल-अर्श (अर्श पर कायम होने) का क्या मतलब है? आपने कुछ देर गौर फरमाने के बाद फरमाया कि लफ़ज़ तो मालूम हैं और उसकी कैफ़ियत और हकीकत तक इनसानी अक्ल नहीं पहुँच सकती, और ईमान लाना इन पर वाजिब है। और इसके मुताल्लिक़ कैफ़ियत व हकीकत का सवाल करना बिदअत है। क्योंकि सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ऐसे सवालात नहीं किये। हज़रत सुफ़ियान सौरी, इमाम औज़ाई, लैस बिन सअद, सुफ़ियान इब्ने उयैना, अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह. ने फरमाया कि जो आयतें अल्लाह तआला की ज़ात व सिफ़ात के बारे में आई हैं उनको जिस तरह वो आई हैं उसी तरह बग़ैर किसी वज़ाहत व मतलब के रखकर उन पर ईमान लाना चाहिये। (तफ़सीरे मज़हरी)

इसके बाद आयतें मज़कूरा में फरमाया:

يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا.

यानी अल्लाह तआला ढाँप देते हैं रात को दिन पर, इस तरह कि रात जल्दी के साथ दिन को आ लेती है। मुराद यह है कि रात और दिन का यह ज़बरदस्त बदलाव कि पूरे आलम को नूर से अंधेरे में या अंधेरे से नूर में ले आता है, अल्लाह तआला की ग़ालिब क़ुदरत के तावे

तफ़सीर म
इतना
इस
या
कि सब
इस
बीजों के
अव्वल
हैं चन्ते
आती है,
किये) रह
इनको च
आता है,
वजह
लेये न क
इम स च
तलक ही
प्लट-प्लट
इन च
क कुल्ली
खल्फ
सी के नि
चीज़ को
अल्लाह तआ
ह भी हकी
चीज़ें पै
रे को बस
सुफ़ियान
माही चा
में इरु ती

इतनी जल्दी और आसानी से हो जाता है कि ज़रा देर नहीं लगती।

इसके बाद इरशाद फ़रमाया:

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْحُورَاتٌ ۚ بَأَمْرِهِ

यानी पैदा किया अल्लाह तआला ने सूरज और चाँद और तमाम सितारों को इस हालत पर कि सब के सब अल्लाह तआला के हुक्म के ताबे चल रहे हैं।

इसमें एक अक्ल रखने वाले इन्सान के लिये विचार का मक़ाम है जो मख़्लूक की बनाई हुई चीज़ों को हर वक़्त देखता और अनुभव करता है कि बड़े-बड़े माहिरीन की बनाई हुई मशीनों में अब्बल तो कुछ कमियाँ रहती हैं, और कमियाँ भी न रहें तो कैसी फौलादी मशीनें और कलपुर्जे हों चलते-चलते घिसते हैं, ढीले होते हैं, मरम्मत की ज़रूरत होती है, ग्रीसिंग की ज़रूरत पेश आती है, और इसके लिये कई-कई दिन बल्कि हफ़्तों और महीनों मशीन बेकार (बिना काम किये) रहती है, लेकिन इन खुदाई मशीनों को देखो कि जिस तरह और जिस शान से पहले दिन इनको चलाया था इसी तरह चल रही हैं, न कभी इनकी रफ़्तार में एक मिनट सैकण्ड का फ़र्क आता है, न कभी इनका कोई पुर्जा घिसता टूटता है, न कभी इनको वर्कशॉप की ज़रूरत पड़ती है। वजह यह है कि ये अल्लाह के हुक्म के ताबे होकर चल रही हैं। यानी इनके चलने चलाने के लिये न कोई बिजली की पॉवर दरकार है, न किसी इंजन की मदद ज़रूरी है, ये सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से चल रही हैं, उसी के ताबे हैं। इसमें कोई फ़र्क आना नामुम्किन है, हाँ जब खुद कादिरे मुतलक ही इनके फना करने का इरादा एक निर्धारित वक़्त पर करेंगे तो यह सारा सिस्टम बलट-पुलट और तबाह हो जायेगा, और उसी का नाम कियामत है।

इन चन्द मिसालों के ज़िक्र के बाद हक़ तआला की ज़बरदस्त मुतलक कुदरत का बयान एक कुल्ली कायदे की सूरात में इस तरह किया गया:

إِلَٰهَ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ

ख़ल्क के मायने पैदा करना और अम्र के मायने हुक्म करना हैं। मायने यह हो सकते हैं कि किसी के लिये खास है ख़ालिक होना और हाकिम होना, उसके सिवा कोई दूसरा न किसी मामूली चीज़ को भी पैदा कर सकता है और न किसी पर हुक्म करने का हक़ है (सिवाय उसके कि अल्लाह तआला ही की तरफ़ से हुक्म का कोई खास शोबा किसी के सुपुर्द कर दिया जाये तो वह भी हकीकत के एतिबार से अल्लाह ही का हुक्म है) इसलिये आयत की मुराद यह हुई कि ये सारी चीज़ें पैदा करना भी उसी का काम था, और पैदा होने के बाद इनसे काम लेना भी किसी और के बस की बात न थी, वह भी अल्लाह तआला ही की क़ामिल कुदरत का करिश्मा है।

सूफ़िया-ए-किराम ने फ़रमाया कि ख़ल्क और अम्र दो आलम हैं। ख़ल्क का ताल्लुक़ माद़े और माद़ी चाज़ों से है, और अम्र का ताल्लुक़ लतीफ़ माद़दे से ख़ाली चीज़ों के साथ है। आयत:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

में इसकी तरफ़ इशारा पाया जाता है कि रूह को रब का हुक्म फ़रमाया है। ख़ल्क और

अम्र दोनों का अल्लाह तआला के लिये खास होने का मतलब इस सूरत में यह है कि आसमान व ज़मीन और उनके बीच जितनी चीज़ें हैं ये तो सब मादी हैं, इनकी पैदाईश को खल्क कहा गया, और आसमानों से ऊपर की चीज़ें जो मादे और मादियत से बरी हैं उनकी पैदाईश को लफ़ज़ अम्र से ताबीर किया गया। (तफ़सीर मज़हरी)

आयत के आख़िर में इरशाद फ़रमाया:

تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

इसमें लफ़ज़ तबार-क बरकत से बना है और लफ़ज़ वरकत, बढ़ने, ज्यादा होने, साबित रहने वगैरह के कई मायनों में इस्तेमाल होता है। इस जगह लफ़ज़ तबार-क के मायने बुलन्द व बाला होने के हैं, जो बढ़ने के मायने से भी लिया जा सकता है और साबित रहने के मायने से भी, क्योंकि अल्लाह तआला कायम और साबित भी हैं और बुलन्द व बाला भी। बुलन्द होने के मायने की तरफ़ हदीस के एक जुमले में भी इशारा किया गया है। फ़रमाया:

تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

यहाँ "तबारक-त" की तफ़सीर "तआलै-त" के लफ़ज़ से कर दी गयी है।

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

उद् अ रब्बकुम् त-ज़ रु अ व-व
खुफय-तन्, इन्नहू ला युहिब्बुल्
मुअ्तदीन (55) व ला तुफ़िसदू
फ़िल् अर्जि बअ-द इस्लाहिहा
वद् अहु खौफं व-व त-मअन्, इन्-न
रहमतल्लाहि करीबुम् मिनल्
मुहिसनीन (56)

पुकारो अपने रब को गिड़गिड़ाकर और चुपके-चुपके, उसको पसन्द नहीं आते हद से बढ़ने वाले। (55) और मत ख़राबी डालो ज़मीन में उसकी इस्लाह (सुधार) के बाद, और पुकारो उसको डर और उम्मीद से, बेशक अल्लाह की रहमत नज़दीक है नेक काम करने वालों से। (56)

खुलासा-ए-तफ़सीर

तुम लोग (हर हालत में और हर ज़रूरत में) अपने परवर्दिगार से दुआ किया करो आजिजी जाहिर करके भी और चुपके-चुपके भी। (अलबत्ता यह बात) वाकई (है कि) अल्लाह तआला उन लोगों को ना-पसन्द करते हैं जो (दुआ में अदब की) हद से निकल जाएँ। (मसलन ऐसी चीज़ों की दुआ माँगने लगे जो अक्ली तौर पर नामुम्किन या शरीअत की तरफ़ से हराभ हों) और

दुनिया में बाद इसके कि (तौहीद की तालीम और नबियों के भेजने के द्वारा) इसकी दुरुस्ती कर ली गई है, फसाद मत फैलाओ (यानी हक़ बातों तौहीद वगैरह के मानने और उन पर चलने से जेनकी ऊपर तालीम है दुनिया में अमन कायम होता है, तुम उक्त तालीम को छोड़कर अमन को खराब मत करो) और (जैसा कि तुमको ऊपर खास दुआ करने का हुक्म हुआ है उसी तरह आज़ीज़ की इबादतों का हुक्म किया जाता है कि) उसकी (यानी अल्लाह की) इबादत (जिस तरीके से तुमको बतला दिया है) किया करो, खुदा तआला से डरते और उम्मीदवार रहते हुए (यानी इबादत करके न तो नाज़ और इतराना हो और न मायूसी हो। आगे इबादत की तरगीब है कि) शक अल्लाह की रहमत नज़दीक है नेक काम करने वालों से।

मअरिफ़ व मसाईल

ज़िक्र हुई आयतों में से पहली आयतों में हक़ तआला की कामिल कुदरत के खास-खास ज़ाहिर (ज़ाहिर होने के मौके और निशानियाँ) और अहम इनामात का ज़िक्र था, इन आयतों में उसका बयान है कि जब मुतलक़ कुदरत का मालिक और तमाम एहसानात व इनामात का करने वाला सिर्फ़ रब्बुल-आलमीन है तो मुसीबत और हाजत के वक़्त उसी को पुकारना और उसी से आज़ा करनी चाहिये, उसको छोड़कर किसी दूसरी तरफ़ मुतवज्जह होना जहालत और मेहरूमी है।

इसी के साथ इन आयतों में दुआ के कुछ आदाब भी बतला दिये गये, जिनकी रियायत करने से दुआ के कुबूल होने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है।

लफ़ज़ दुआ अरबी भाषा में किसी को हाजत रवाई (आवश्यकता पूरी करने) के लिये पुकारने के मायने में भी आता है और आ़म याद करने के मायने में भी, और यहाँ दोनों मायने आसानी हो सकते हैं। आयत में इरशाद है:

ادْعُوا رَبَّكُمْ

यानी पुकारो अपने रब को अपनी हाजतों (ज़रूरतों और आवश्यकताओं) के लिये, या याद करो और इबादत करो अपने रब की। पहली सूरत में मायने ये होंगे कि अपनी ज़रूरतें सिर्फ़ अल्लाह तआला से माँगो, और दूसरी सूरत में यह कि ज़िक्र व इबादत सिर्फ़ उसी की करो। ये दोनों तफ़सीरें पहले गुज़रे बुजुर्गों और तफ़सीर के इफ़ामों से मन्कूल भी हैं।

इसके बाद इरशाद फ़रमाया:

تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

तज़र्रोअ के मायने विनम्रता व इन्किसारी और अपनी पस्ती के इज़हार के हैं, और खुफ़िया मायने पोशीदा, छुपा हुआ। जैसा कि उर्दू भाषा में भी यह लफ़ज़ इसी मायने में बोला जाता है। इन दोनों लफ़ज़ों में दुआ व ज़िक्र के लिये दो अहम आदाब का बयान है- अव्वल यह कि आज़ीज़ की कुबूलियत के लिये यह ज़रूरी है कि इनसान अल्लाह तआला के सामने अपनी आज़ीज़ी इन्किसारी और पस्ती का इज़हार करके दुआ करे। उसके अलफ़ाज़ भी आज़ीज़ी व इन्किसारी

वाले हों, अन्दाज़ और तरीका भी तवाज़ो व इन्किसारी का हो, दुआ माँगने की हालत व सूत भी ऐसी ही हो। इससे मालूम हुआ कि आजकल अ़वाम जिस अन्दाज़ से दुआ माँगते हैं अब्बल तो उसको दुआ माँगना ही नहीं कहा जा सकता, बल्कि पढ़ना कहना चाहिये, क्योंकि अक्सर यह भी मालूम नहीं होता कि हम जो कलिमात ज़बान से बोल रहे हैं उनका मतलब क्या है, जैसा कि आजकल आम मस्जिदों में इमामों का मामूल हो गया है कि कुछ अरबी भाषा के दुआ वाले कलिमात उन्हें याद होते हैं, नमाज़ के ख़त्म पर उन्हें पढ़ देते हैं, अक्सर तो खुद उन इमामों को भी उन कलिमात का मतलब व मफ़हूम मालूम नहीं होता और अगर उनको मालूम हो तो कम से कम जाहिल मुक्त्तदी तो उनसे बिल्कुल बेख़बर होते हैं, वे बिना समझे बूझे इमाम के पढ़े हुए कलिमात के पीछे आमीन आमीन कहते हैं। इस सारे तमाशे का हासिल चन्द कलिमात का पढ़ना होता है, दुआ माँगने की जो हकीकत है यहाँ पाई ही नहीं जाती, यह दूसरी बात है कि अल्लाह तआला अपने फ़ज़ल व रहमत से उन बेजान कलिमात ही को कुबूल फ़रमाकर दुआ की कुबूलियत के आसार पैदा फ़रमा दें, मगर अपनी तरफ़ से यह समझ लेना ज़रूरी है कि दुआ पढ़ी नहीं जाती बल्कि माँगी जाती है, इसके लिये ज़रूरी है कि माँगने के ढंग से माँगा जाये।

दूसरी बात यह है कि अगर किसी शख्स को अपने कलिमात के मायने भी मालूम हों और समझकर ही कह रहा हो तो अगर उसके साथ उनवान, अन्दाज़ और सूत व हालते जाहिरी तवाज़ो व इन्किसारी की न हो तो यह दुआ एक ख़ालिस मुतालबा रह जाता है, जिसका किसी बन्दे को कोई हक़ नहीं।

ग़र्ज़ कि पहले लफ़्ज़ दुआ की रूह बतला दी गयी कि वह आजिज़ी व इन्किसारी और अपनी ज़िल्लत व पस्ती का इज़हार करके अल्लाह तआला से अपनी हाजत माँगना है। दूसरे लफ़्ज़ में एक दूसरी हिदायत यह दे गयी कि दुआ का खुफ़िया और आहिस्ता माँगना ज़्यादा बेहतर और कुबूल होने के करीब है, क्योंकि बुलन्द आवाज़ से दुआ माँगने में अब्बल तो तवाज़ो व इन्किसारी बाकी रहना मुश्किल है, दूसरे उसमें दिखावे व शोहरत का भी ख़तरा है। तीसरे उसकी सूते अमल ऐसी है कि गोया यह शख्स यह नहीं जानता कि अल्लाह तआला सुनने और जानने वाले हैं, हमारे जाहिर व बातिन को बराबर तौर पर जानते हैं, हर बात खुफ़िया हो या खुली उसको सुनते हैं, इसलिये ख़ैबर की लड़ाई के मौके पर सहाबा-ए-किराम की आवाज़ दुआ में बुलन्द हो गयी तो आप सल्लुल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि तुम किसी बहरे को या ग़ायब को नहीं पुकार रहे हो जो इतनी बुलन्द आवाज़ से कहते हो, बल्कि एक सुनने वाला और करीब वाला तुम्हारा मुखातब है यानी अल्लाह तआला (इसलिये आवाज़ बुलन्द करना फ़ुज़ूल है)। खुद अल्लाह जल्ल शानुहू ने एक नेक आदमी की दुआ का ज़िक्र इन अलफ़ाज़ से फ़रमाया है:

اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا

यानी "जब उन्होंने रब को पुकारा आहिस्ता आवाज़ से।" इससे मालूम हुआ कि अल्लाह

तआला
जाय।

ह

में औ

आदत

मगर व

रहता।

किसी

पर जत

मगर व

कि व

उनका

इ

अबू व

दुआ व

हज़रत

हुआ कि

कह

उम

सुन्ने

बाद उ

जो उ

होते हैं

अपनी

उनकी

मकर

आमी

सबद न

तरीद

ह

व इ

आहि

जा

तआला को दुआ की यह कैफ़ियत पसन्द है कि पस्त और आहिस्ता आवाज़ से दुआ माँगी जाये।

हज़रत हसन बसरी रस्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि ऐलानिया और आवाज़ से दुआ करने में और आहिस्ता पस्त आवाज़ से करने में सत्तर दर्जे फ़ज़ीलत का फ़र्क है। पहले बुजुर्गों की आदत यह थी कि ज़िक्र व दुआ में बड़ा मुजाहिदा करते और अक्सर वक़्त इसमें मशगूल रहते थे मगर कोई उनकी आवाज़ न सुनता था, बल्कि उनकी दुआयें सिर्फ़ उनके और उनके रब के बीच रहती थीं। उनमें बहुत से हज़रात पूरा कुरआन हिफ़ज़ करते और तिलावत करते रहते थे, मगर किसी दूसरे को ख़बर न होती थी। और बहुत से हज़रात बड़ा इल्मे दीन हासिल करते मगर लोगों पर जतलाते न फिरते थे। बहुत से हज़रात रातों को अपने घरों में लम्बी-लम्बी नमाज़ें अदा करते मगर आने वालों को कुछ ख़बर न होती थी। और फ़रमाया कि हमने ऐसे हज़रात को देखा है कि वे तमाम इबादतें जिनको वे पोशीदा करके अदा कर सकते थे कभी नहीं देखा गया कि उनको ज़ाहिर करके अदा करते हों, उनकी आवाज़ें दुआओं में निहायत पस्त होती थीं।

(तफ़सीर इब्ने कसीर, तफ़सीरे मज़हरी)

इब्ने जुरैज ने फ़रमाया कि दुआ में आवाज़ बुलन्द करना और शोर करना मक्रूह है। इमाम अबू बक्र जस्सास हनफी ने अहकामुल-कुरआन में फ़रमाया कि इस आयत से मालूम हुआ कि दुआ का आहिस्ता माँगना इज़हार करने के मुक़ाबले में अफ़ज़ल है। हज़रत हसन बसरी और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ऐसा ही मन्कूल है, और इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि नमाज़ में सूर: फ़ातिहा के ख़त्म पर जो आमीन कही जाती है उसको भी आहिस्ता कहना अफ़ज़ल है, क्योंकि आमीन भी एक दुआ है।

हमारे ज़माने के मस्जिदों के इमामों को अल्लाह तआला हिदायत फ़रमायें कि कुरआन व सुन्नत की इस तालीम और पहले बुजुर्गों की हिदायतों को पूरी तरह छोड़ बैठे। हर नमाज़ के बाद दुआ की एक बनावटी सी कार्रवाई होती है, बुलन्द आवाज़ से कुछ कलिमात पढ़े जाते हैं, जो दुआ के आदाब के खिलाफ़ होने के अलावा उन नमाज़ियों की नमाज़ में भी ख़लल-अन्दाज़ होते हैं जो इमाम के साथ कुछ रक़अत छूट जाने की वजह से इमाम के फ़ारिग़ होने के बाद अपनी बाकी रही नमाज़ पूरी कर रहे हैं। रस्मों के ग़लबे ने इसकी बुराई और ख़राबियों को उनकी नज़रों से ओझल कर दिया है, किसी खास मौक़े पर खास दुआ पूरी जमाअत से कराना मक़सूद हो तो ऐसे मौक़े पर एक आदमी किसी केंद्र आवाज़ से दुआ के अलफ़ाज़ कहे और दूसरे आमीन कहें, इसमें तो कोई हर्ज नहीं, शर्त यह है कि दूसरों की नमाज़ व इबादत में ख़लल का सबब न बनें, और ऐसा करने की आदत न डालें कि अ़वाम यह समझने लगें कि दुआ करने का तरीक़ा यही है जैसा कि आजकल आम तौर से हो रहा है।

यह बयान अपनी हाजतों के लिये दुआ माँगने का था, अगर दुआ के मायने इस जगह ज़िक्र व इबादत के लिये जायें तो इसमें भी पहले ज़माने के उलेमा की तहकीक़ यही है कि चुपा और आहिस्ता वाला ज़िक्र ज़ाहिरी और आवाज़ वाले ज़िक्र से अफ़ज़ल है, और सूफ़िया-ए-किराम में

शेता बुजुर्ग जो तसब्युफ़ की लाईन के शुरूआती मुसाफ़िर को आवाज़ से ज़िक्र करने की आयत फ़रमाते हैं वह उस शख्स के हाल की मुनासबत से इलाज के तौर पर है, ताकि आवाज़ ज़िक्र करने के ज़रिये सुस्ती व ग़फ़लत दूर हो जाये, और दिल में ज़िक्रुल्लाह के साथ एक आव पैदा हो जाये, वरना अपनी ज़ात में ज़िक्र में आवाज़ से काम लेना उनके यहाँ भी मतलूब (बन्दीदा) नहीं, अगरचे जायज़ है, और उसका जायज़ होना भी हदीस से साबित है, बशर्ते कि में दिखावा व नमूद न हो।

इमाम अहमद बिन हम्बल, इब्ने हिब्वान, वैहकी वग़ैरह ने हज़रत सअद बिन अबी वक्कास सल्लल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي

“यानी बेहतरीन ज़िक्र ख़फ़ी (पोशीदा) है, और बेहतरीन रिज़क़ वह है जो इनसान के लिये क़ाफ़ी हो जाये।”

हाँ खास-खास हालात और वक्तों में आवाज़ की बुलन्दी ही मतलूब और अफ़ज़ल है। उन वक्तों और हालात की तफ़सील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने क़ौल व अमल में वाज़ेह फ़रमा दी है। मसलन अज़ान व तकबीर का बुलन्द आवाज़ से कहना, जहरी नमाज़ों में बुलन्द आवाज़ से कुरआन की तिलावत करना। नमाज़ की तकबीरों, कुरबानी और तशरीक के अंशों की तकबीरों और हज में तल्बिया (तल्बैक अलफ़ाज़) बुलन्द आवाज़ से कहना वग़ैरह। इसी तौर पर फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) ने इस बारे में फ़ैसला यह फ़रमाया है कि जिन हालात और मक़ामात में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने क़ौल या अमल में ज़हर करने की तालीम फ़रमाई है वहाँ तो ज़हर (आवाज़ से) ही करना चाहिये, उसके अलावा दूसरे हालात व मक़ामात में पोशीदा ज़िक्र ही बेहतर व फ़ायदेमन्द है।

आयत के आख़िर में इरशाद फ़रमाया:

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

‘मोतदीन’ एतिदा से निकला है, एतिदा के मायने हैं हद से आगे बढ़ना। मायने यह है कि अल्लाह तआला हद से आगे बढ़ने वालों को पसन्द नहीं फ़रमाते। हद से आगे बढ़ना चाहे दुआ हो या किसी दूसरे अमल में सब का यही हाल है कि वह अल्लाह तआला को पसन्द नहीं, बल्कि अगर ग़ौर से देखा जाये तो दीने इस्लाम नाम ही हदों व शर्तों की पाबन्दी और फ़रमाँबरदारी का है। नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात और तमाम मामलात में शर्ई हदों से आगे बढ़ा जाये तो वो बजाय इबादत के गुनाह बन जाते हैं।

दुआ में हद से निकलने की कई सूरतें हैं- एक यह कि दुआ में लफ़्ज़ी तकल्लुफ़ बरता जाये और के एक वज़न के अलफ़ाज़ वग़ैरह को ज़बरदस्ती इख़्तियार किया जाये, जिससे आजिज़ी व इन्किसारी में फ़र्क़ पड़े। दूसरे यह कि दुआ में ग़ैर-ज़रूरी क़ैदें शर्तें लगाई जायें, जैसे हदीस में है

कि हज़रत रहे हैं कि हूँ तो आप जिसको कु तीसरी ऐसी चीज़ निकलने व जाये। (तफ़ दूसरी

इसमें के मायने कुरआन में निकलना और दरमिय मायने हैं ख

के ता इसकी दुस इम ग सूरतें हो

दूसरे जैसे:

तीसरे अल्लाह तआ और ख़रबी इकस्ती क बरसाकर ज की ज़िन्दगी दूसरे

कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मुगफ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि उनके बेटे इस तरह दुआ माँग रहे हैं कि या अल्लाह! मैं आप से जन्नत में सफ़ेद रंग का दाहिनी तरफ़ वाला महल तलब करता हूँ तो आपने उनको रोका और फ़रमाया कि दुआ में ऐसी क़ैदें शर्तें लगाना हद से आगे बढ़ना है, जिसको कुरआन व हदीस में वर्जित करार दिया गया है। (मज़हरी, इब्ने माजा वगैरह की रिवायत से)

तीसरी सूरात हद से निकलने की यह है कि आम मुसलमानों के लिये बद्दुआ करे या कोई ऐसी चीज़ माँगे जो आम लोगों के लिये नुक़सान देने वाली हो। इसी तरह एक सूरात हद से निकलने की यह भी है जो इस जगह मज़कूर है कि दुआ में बिना ज़रूरत आवाज़ बुलन्द की जाये। (तफ़सीरे मज़हरी, अहकामुल-कुरआन)

दूसरी आयत में इरशाद फ़रमाया:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

इसमें दो लफ़्ज़ एक दूसरे के उलट और मुक़ाबले के आये हैं- सलाह और फ़साद। सलाह के मायने दुरुस्ती और फ़साद के मायने ख़राबी के आते हैं। इमाम राग़िब रह. ने मुफ़रदातुल-कुरआन में फ़रमाया कि फ़साद कहते हैं किसी चीज़ के एतिदाल से निकल जाने को, चाहे यह निकलना थोड़ा सा हो या ज़्यादा, और हर फ़साद में कमी-बेशी का मदार उसी एतिदाल (सही और दरमियानी राह) से निकलने पर है। जिस क़द्र निकलना बढ़ेगा फ़साद बढ़ेगा। इफ़साद के मायने हैं ख़राबी पैदा करना और इस्लाह के मायने दुरुस्ती करना। इसलिये:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

के मायने यह हुए कि "ज़मीन में ख़राबी न पैदा करो बाद इसके कि अल्लाह तआला ने इसकी दुरुस्ती फ़रमा दी है।"

इमाम राग़िब रह. ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला का किसी चीज़ की इस्लाह करने की कई सूरतें होती हैं- एक यह कि उसको पहले ही ठीक-ठीक और दुरुस्त पैदा फ़रमाया हो, जैसे:

وَأَصْلَحَ بِأَمْرِ رَبِّهِمْ

दूसरे यह कि उसमें जो फ़साद (ख़राबी और बिगाड़) आ गया था उसको दूर कर दिया हो, जैसे:

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

तीसरे यह कि उसको सलाह का हुक्म दिया जाये। इस आयत में जो यह इरशाद है कि अल्लाह तआला ने जब ज़मीन की इस्लाह व दुरुस्ती फ़रमा दी तो इसके बाद तुम इसमें फ़साद और ख़राबी न डालो। इसमें ज़मीन की दुरुस्ती करने के दो मफ़हूम हो सकते हैं- एक ज़ाहिरी दुरुस्ती कि ज़मीन को खेती और पेड़ उगाने के काबिल बनाया, उस पर बादलों से पानी बरसाकर ज़मीन से फल-फूल निकाले, इनसान और दूसरे जानदारों के लिये ज़मीन से हर किस्म की ज़िन्दगी की ज़रूरतें और आराम के सामान पैदा किये।

दूसरा मफ़हूम यह है कि ज़मीन की अन्दरूनी और मानवी दुरुस्ती फ़रमाई। इस तरह कि

जमीन पर अपने रसूल, अपनी किताबें और हिदायतें भेजकर इसको कुफ़्र व शिर्क और गुमराही से पाक किया, और हो सकता है कि वे दोनों मफ़हूम यानी ज़ाहिर और बातिन हर तरह को इस्लाह (दुरुस्त करना) इस आयत में मुराद हो, तो अब आयत के मायने ये हो गये कि अल्लाह तआला ने जमीन को ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर दुरुस्त फ़रमा दिया है, अब तुम इसमें अपने गुनाहों और नाफ़रमानियों के ज़रिये फ़साद न मचाओ, और ख़राबी पैदा न करो।

जमीन की दुरुस्ती और ख़राबी क्या है और लोगों के गुनाहों

का इसमें क्या दख़ल है

जिस तरह इस्लाह (दुरुस्त करने) की दो किस्में ज़ाहिरी और बातिनी हैं इसी तरह फ़साद की भी दो किस्में हैं। जमीन की ज़ाहिरी इस्लाह तो यह है कि अल्लाह तआला ने इसको ऐसा जिस्म बनाया है कि न पानी की तरह नर्म है जिस पर ठहराव न हो सके, और न पत्थर लोहे की तरह सख़्त है जिसको खोदा न जा सके। एक दरमियानी हालत में रखा गया है, ताकि इनसान इसको नर्म करके इसमें खेती, पेड़-पौधे और फूल-फल उगा सके, और खोदकर इसमें कुएँ और खन्दकें, नहरें बना सके। मकानात की बुनियादें मज़बूत कर सके। फिर इस जमीन के अन्दर और बाहर ऐसे सामान पैदा फ़रमा दिये जिनसे जमीन की आबादी हो, इसमें सब्जी और दरख़्त और फल फूल उग सकें। बाहर से हवा, रोशनी, गर्मी, सर्दी पैदा की, और फिर बादलों के ज़रिये इस पर पानी बरसाया जिससे दरख़्त पैदा हो सकें। विभिन्न सितारों और सय्यारों की सर्द-गर्म किरणें उन पर डाली गयीं, जिनसे फूलों फलों में रंग और रस भरे गये। इनसान को समझ व अक्ल अता की गयी, जिसके ज़रिये उसने जमीन से निकलने वाले कच्चे मैटेरियल लकड़ी, लोहा, ताँबा, पीतल, एलुमिनियम वगैरह के जोड़-तोड़ लगाकर तैयार की जाने वाली चीज़ों की एक नई दुनिया बना डाली। यह सब जमीन की ज़ाहिरी इस्लाह (सुधार व दुरुस्ती) है जो हक़ तआला ने अपनी कामिल कुदरत से फ़रमाई।

और बातिनी व ख़हानी इस्लाह का मदार अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह के साथ ताल्लुक और उसकी इताअत पर है। इसलिये अल्लाह तआला ने अब्बल तो हर इनसान के दिल में एक माद्दा और जज़्बा खुदा की इताअत (फ़रमाँवरदारी) और याद का रख दिया है। फ़रमाया:

فَاللَّهُمَّهَا فَجُورَ هَا وَ تَقْوَاهَا.

और इनसान के आस-पास के हर ज़र्रे-ज़र्रे में अपनी कामिल कुदरत और अजीब कारीगरी के ऐसे नमूने रखे कि उनको देखकर मामूली समझ व अक्ल रखने वाला भी बोल उठे कि वाकई अल्लाह की ज़ात क्या ही ख़ूब बनाने और पैदा करने वाली है।

इसके अलावा अपने रसूल भेजे, किताबें नाज़िल फ़रमायीं, जिनके ज़रिये मख़बूक का रिश्ता ख़ालिक के साथ जोड़ने का पूरा इन्तिज़ाम फ़रमाया।

इस तरह गोया जमीन की मुकम्मल इस्लाह ज़ाहिरी और बातिनी हो गयी, अब हुक्म यह है

कि हमने इस ज़मीन को दुरुस्त कर दिया है तुम इसको ख़राब न करो।

जिस तरह इस्लाह (दुरुस्त करने और सुधारने) की दो किस्में ज़ाहिरी और बातिनी बयान की गयी हैं इसी तरह इसके मुक़ाबले में फ़साद (बिगाड़ और ख़राबी) की भी दो किस्में ज़ाहिरी और बातिनी हैं, और अल्लाह के इस इरशाद के ज़रिये दोनों ही की मनाही की गयी है।

अगरचे कुरआन और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का असल वज़ीफ़ा और फ़र्ज़ मन्सबी बातिनी सुधार है, और इसके मुक़ाबिल बातिनी फ़साद (ख़राबी और बिगाड़) से रोकना है, लेकिन इस दुनिया में ज़ाहिर व बातिन की बेहतरी व ख़राबी में एक ऐसा ताल्लुक़ है कि एक का फ़साद (ख़राबी) दूसरे के फ़साद का कारण बन जाता है। इसलिये कुरआनी क़ानून व हिदायत ने जिस तरह बातिनी फ़साद के दरवाज़े बन्द किये हैं इसी तरह ज़ाहिरी फ़साद को भी मना फ़रमाया। चोरी, डाका, क़त्ल और बेहयाई के तमाम तरीक़े दुनिया में ज़ाहिरी और बातिनी हर तरह का फ़साद पैदा करते हैं, इसलिये इन चीज़ों पर विशेष रूप से पाबन्दियाँ और सज़ा सज़ायें मुक़रर फ़रमाई, और आ़म गुनाहों और अपराधों को भी मना (वर्जित और प्रतिबन्धित) करार दिया है। क्योंकि हर जुर्म व गुनाह कहीं ज़ाहिरी फ़साद का सबब होता है कहीं बातिनी फ़साद का, और अगर ग़ौर से देखा जाये तो हर ज़ाहिरी फ़साद बातिनी फ़साद का सबब बनता है, और हर बातिनी फ़साद ज़ाहिरी फ़साद का कारण होता है।

ज़ाहिरी फ़साद का बातिनी हालत के लिये वज़ह व सबब होना तो इसलिये ज़ाहिर है कि वह अल्लाह के अहक़ाम की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है, और खुदा तआला की नाफ़रमानी ही का दूसरा नाम फ़सादे बातिनी है। अलबत्ता फ़सादे बातिनी किस तरह फ़सादे ज़ाहिरी का सबब बनता है इसका पहचानना किसी क़द्र ग़ौर व फ़िक़्र का मोहताज है। वज़ह यह है कि यह सारा जहान और इसकी हर छोटी-बड़ी चीज़ सब रब्बुल-आलमीन की बनाई हुई और उसके फ़रमान के ताबे है। जब तक इनसान अल्लाह तआला के फ़रमान के ताबे रहता है तो ये सब चीज़ें इनसान की सही-सही ख़िदमतगार होती हैं, और जब इनसान अल्लाह तआला की नाफ़रमानी करने लगे तो दुनिया की सारी चीज़ें अन्दर ही अन्दर इनसान की नाफ़रमान हो जाती हैं, जिसको बज़ाहिर इनसान अपनी आँख से नहीं देखता लेकिन उन चीज़ों के आसार व विशेषता और परिणाम व फ़ायदों में ग़ौर करने से आसानी से इसका सुबूत मिल जाता है।

ज़ाहिर में तो दुनिया की ये सारी चीज़ें इनसान के इस्तेमाल में रहती हैं। पानी उसके हलक़ में उतरे तो प्यास बुझाने से इनकार नहीं करता, खाना उसकी भूख़ दूर करने से नहीं रुकता, लिबास और मकान उसकी सर्दी गर्मी के आराम मुहैया करने से इनकार नहीं करता। लेकिन परिणाम और नतीजों को देखा जाये तो यूँ मालूम होता है कि इनमें से कोई चीज़ अपना काम पूरा नहीं कर रही। क्योंकि असल मक़सद इन तमाम चीज़ों और इनके इस्तेमाल का यह है कि इनसान को आसाम व राहत मयस्सर आये, उसकी परेशानी और तकलीफ़ दूर हो और बीमारियों को शिफ़ा हो।

अब दुनिया के हालात पर नज़र डालिये तो मालूम होगा कि आजकल राहत और शिफ़ा के

सामान की हद से ज्यादा अधिकता के वावजूद इनसानों की अवसरियत इन्तिहाई परेशानियों और बीमारियों का शिकार है। नये-नये रोग, नई-नई मुसीबतें बरस रही हैं। कोई बड़े से बड़ा इनसान अपनी जगह मुत्मईन और आराम से नहीं है, बल्कि जैसे-जैसे ये सामान बढ़ते जाते हैं उसी अन्दाज़ से मुसीबतें व आफतें और रोग व परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं।

मर्ज बढ़ता गया जूँ-जूँ दवा की

आज का इनसान जिसको ऊर्जा व भाप और दूसरी माद्दी रंगीनियों ने काबू में कर रखा है, जरा इन चीजों से ऊपर उठकर सोचे तो उसको मालूम होगा कि हमारी सारी कोशिशें और सारी बनाई हुई चीजें व ईजादात हमारे असल मकसद यानी इत्मीनान व राहत के हासिल करने में फेल और नाकाम हैं। इसकी वजह सिवाय इस मानवी और बातिनी सबब के नहीं है कि हमने अपने रब और मालिक की नाफरमानी इख्तियार की तो उसकी मख्लूक़ात ने मानवी तौर पर (यानी अन्दर ही अन्दर) हम से नाफरमानी शुरू कर दी।

चूँ अज़ो गश्ती हमा चीज़ अज़ तू गश्त

यानी जब तू उसका नाफरमान बन गया, तूने उससे मुँह मोड़ लिया तो दुनिया की तमाम चीजों ने तुझसे नाता तोड़ लिया, सब ने तेरा साथ छोड़ दिया। (मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी)

कि हमारे लिये असली आराम व राहत मुहैया नहीं करती। मौलाना रूमी रस्मतुल्लाहि अलैहि ने ख़ूब फरमाया है:

खाक व बाद व आब व आतिश बन्दा अन्द

बा मन व तू मुर्दा, बा हक़ जिन्दा अन्द

(यानी आग पानी मिट्टी हवा सब अपने काम में लगे हुए हैं। अगरचे ये हमें बेजान और मुर्दा नज़र आते हैं मगर अल्लाह तआला ने इनके मुनासिब इन सब को जिन्दगी और एहसास दिया है। मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी)

दुनिया की ये सब चीजें अगरचे जाहिर में बेजान व बेशऊर नज़र आती हैं मगर हकीकत में इतना शऊर व समझ इनमें भी है कि मालिक के फ़रमान के ताबे काम करती हैं।

खुलासा-ए-कलाम यह है कि जब गौर से देखा जाये तो हर गुनाह और खुदा तआला से गुफ़लत और उसकी हर नाफ़रमानी दुनिया में न सिर्फ़ बातिनी फ़साद पैदा करती है बल्कि जाहिरी फ़साद भी उसका लाजिमी फल होता है।

और यह कोई शायराना और काल्पनिक सोच नहीं, बल्कि वह हकीकत है जिस पर कुरआन व हदीस गवाह हैं, लेकिन सजा का हल्का सा नमूना इस दुनिया में बीमारियों, बंबाओं, तूफ़ानों, सैलाबों की सूरत में सामने आता रहता है। इसलिये:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

के मफ़हूम में जैसे वे अपराध और गुनाह दाखिल हैं जिनसे जाहिरी तौर पर दुनिया में फ़साद पैदा होता है इसी तरह हर नाफ़रमानी और खुदा तआला से गुफ़लत व नाफ़रमानी भी इसमें शामिल है, इसी लिये उक्त आयत में इसके बाद फरमाया:

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا.

कि अल्लाह तआला को पुकारो खौफ और उम्मीद के साथ। यानी इस तरह कि एक तरफ दुआ के नाफाबिले कुबूल होने का खौफ लगा हो और दूसरी तरफ उसकी रहमत से पूरी उम्मीद भी लगी हुई हो, और यही उम्मीद व खौफ सही रास्ते पर जमे रहने में इनसानी रूह के दो बाजू हैं, जिनसे वह परवाज़ करती और ऊँचे दर्जे हासिल करती है।

और इस इबादत से यह ज़ाहिर है कि उम्मीद व खौफ दोनों बराबर दर्जे में होने चाहियें। और कुछ उलेमा ने फरमाया कि मुनासिब यह है कि ज़िन्दगी और तन्दुरुस्ती के जमाने में खौफ को गालिब रखे, ताकि इताअत में कोताही न हो, और जब मौत का वक़्त करीब आये तो उम्मीद को गालिब रखे, क्योंकि अब अमल की ताक़त रुख़सत हो चुकी है, रहमत की उम्मीद ही उसका अमल रह गया है। (बहरे मुहीत)

और कुछ मुहक्किक्क उलेमा ने फरमाया कि असल मक़सद दीन के सही रास्ते पर कायम रहना और अल्लाह तआला की फरमाँबरदारी पर जमना और पाबन्दी करना है, और इनसानों के मिज़ाज व तबीयतें अलग-अलग होती हैं, किसी को खौफ की ज़्यादाती से यह जमाव और पाबन्दी का मक़ाम हासिल होता है, किसी को मुहब्बत की अधिकता और उम्मीद से, सो जिसको जिस हालत से इस मक़सद में मदद मिले उसको हासिल करने की फ़िक्र करे।

खुलासा यह है कि दुआ के दो आदाब इससे पहली आयत में बतलाये गये- एक अज़िज़ी और गिड़गिड़ाने के साथ होना, दूसरे पोशीदा तौर पर और आहिस्ता होना। ये दोनों सिफ़तें इनसान के ज़ाहिरी बदन से संबन्धित हैं, क्योंकि गिड़गिड़ाने से मुराद यह है कि अपनी दुआ के वक़्त अपनी शक़ल व हालत अज़िज़ी और फ़कीरी वाली बना ले, तकब्बुर व घमण्ड वाली और लापरवाही वाली न हो, और पोशीदा होने का ताल्लुक भी मुँह और जुबान से है।

इस आयत में दुआ के लिये दो आदाब बातिनी और बतलाये गये, जिनका ताल्लुक इनसान के दिल से है। वो यह कि दुआ करने वाले के दिल में इसका ख़तरा भी होना चाहिये कि शायद मेरी दुआ कुबूल न हो, और उम्मीद भी होनी चाहिये कि मेरी दुआ कुबूल हो सकती है, क्योंकि अपनी ख़ताओं और गुनाहों से बेफ़िक्र हो जाना भी ईमान के खिलाफ़ है, और अल्लाह तआला की वसीअ रहमत से मायूस हो जाना भी कुफ़्र है। दुआ की कुबूलियत की तब ही उम्मीद की जा सकती है जबकि इन दोनों हालतों के बीच-बीच रहे।

फिर आयत के आखिर में फरमाया:

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“यानी अल्लाह की रहमत करीब है नेक अमल करने वालों से।”

इसमें इशारा इस बात की तरफ़ है कि अगरचे दुआ के वक़्त खौफ़ और उम्मीद दोनों ही हालतें होनी चाहियें, लेकिन इन दोनों हालतों में से उम्मीद ही की हालत वरीयता प्राप्त है, क्योंकि रब्बुल-आलमीन और तमाम रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले के करम व एहसान में न

कोई कमी है न कन्जूसी। वह बुरे से बुरे इन्सान वल्कि शैतान की भी दुआ कुबूल कर सकता है, हाँ अगर कुबूल न होने का कोई खतरा हो सकता है तो वह अपने बुरे आमाल और गुनाहों की नहूसत से हो सकता है, क्योंकि अल्लाह तआला की रहमत के करीब होने के लिये नेक अमल वाला होना दरकार है।

इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि कुछ आदमी लम्बे-लम्बे सफर करते हैं, और अपनी शकल व सूरत फकीराना बनाते हैं, और अल्लाह के सामने दुआ के लिये हाथ फैलाते हैं, मगर उनका खाना भी हराम है और पीना भी हराम है और लिबास भी हराम का है, सो ऐसे आदमी की दुआ कहाँ कुबूल हो सकती है।

(मुस्लिम, तिर्मिजी, हज़रत अबू हुदैरह की रिवायत से)

और एक हदीस में है कि हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि बन्दे की दुआ उस वक़्त तक कुबूल होती रहती है जब तक वह किसी गुनाह या रिश्ता व ताल्लुक तोड़ने की दुआ न करे, और जल्दबाज़ी न करे। सहाबा-ए-किराम ने मालूम किया कि जल्दबाज़ी का क्या मतलब है? आपने फरमाया- मतलब यह है कि यूँ ख्याल कर बैठे कि मैं इतने समय से दुआ माँग रहा हूँ अब तक कुबूल नहीं हुई, यहाँ तक कि मायूस होकर दुआ छोड़ दे। (मुस्लिम, तिर्मिजी)

और एक हदीस में है कि हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- अल्लाह तआला से जब दुआ माँगे तो इस हालत में माँगे कि तुम्हें उसके कुबूल होने में कोई शक न हो। मुराद यह है कि अल्लाह की रहमत की चुस्त्रत को सामने रखकर दिल को इस पर जमाओ कि मेरी दुआ ज़रूर कुबूल होगी। यह इसके खिलाफ़ नहीं कि अपने गुनाहों की नहूसत के सबब यह खतरा भी महसूस करे कि शायद मेरे गुनाह दुआ के कुबूल होने में आड़े आ जायें। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिथिना व सल्ल-म।

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَأًا ۖ وَيَأْذِنُ رَبُّهُ ۗ وَالَّذِي يَخَبُّ لَأَيِّ خَدَاءٍ ۗ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ ۝

व हुवल्लजी युरसिलुरिया-ह बुशरम्
बै-न यदै रहमतिही, हत्ता इज़्जा
अकल्लत् सहाबन् सिकालन् सुक्नाहु
लि-ब-लदिम् मय्यतिन् फ-अन्जल्ना

और वही है कि चलाता है हवायें
खुशख़बरी लाने वाली बारिश से पहले
यहाँ तक कि जब वो हवायें उठा लाती हैं
भारी बादलों को तो हाँक देते हैं हम उस
बादल को एक मुर्दा शहर की तरफ़, फिर

हि हि
कु रि
नुखे
(57)
नखरि
खब-न
कग
लिफौ

और
को (बारिश
बादलों को
कर उस
अल्लाह त
इसलिये फ
यह सब इ
सल्लम की
इसकी
और दरख्त
लिये फरमा
किलती है,
की तरह ह
लिए (न
पहले ब
कि फर
उनका
इस-पर

बिहिल्मा-अ फ़अख़रज्जा बिही मिन्
कुल्लिस्स-मराति, कज़ालि-क
नुख़्रिजुल्मौता लअल्लकुम् तजक्कसून
(57) वल्ब-लदुत्-तय्यिबु यख़रुजु
नबातुहू बि-इज़्जिन रब्बिही वल्लज़ी
ख़बु-स ला यख़रुजु इल्ला नकिदनु,
कज़ालि-क नुसरिफ़ुल्-आयाति
लिकौमिंध्यश्कुरून (58) ❀

हम उतारते हैं उस बादल से पानी फिर
उससे निकलते हैं सब तरह के फल, इसी
तरह हम निकालेंगे मुर्दों को ताकि तुम
गौर करो। (57) और जो शहर पाकीज़ा
है उसका सब्ज़ा निकालता है उसके रब
के हुक्म से, और जो ख़राब है उसमें नहीं
निकलता मगर नाकिस, यूँ फेर-फेरकर
बतलाते हैं हम आयतें हक़ मानने वाले
लोगों को। (58) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

और वह (अल्लाह) ऐसा है कि अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को भेजता है कि
वो (बारिश की उम्मीद दिलाकर दिल को) खुश कर देती हैं, यहाँ तक कि जब वो हवाएँ भारी
बादलों को उठा लेती हैं तो हम उस बादल को किसी सूखी ज़मीन की तरफ़ हँक ले जाते हैं,
फिर उस बादल से पानी बरसाते हैं, फिर उस पानी से हर किस्म के फल निकालते हैं, (जिससे
अल्लाह तआला की तौहीद और बेपनाह कुदरत मुर्दों को जिन्दा करने की साबित होती है।
इसलिये फ़रमाया) यूँ ही (क़ियामत के दिन) हम मुर्दों को (ज़मीन से) निकाल खड़ा कर देंगे।
यह सब इसलिये सुनाया ताकि तुम समझो (और कुरआन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व
अल्लम की हिदायत अगरचे सब के लिये आम है मगर इससे फ़ायदा उठाने वाले कम लोग होते
हैं) इसकी मिसाल इसी बारिश से समझ लो कि बारिश तो हर ज़मीन पर बरसती है, मगर खेती
और दरख़्त हर जगह नहीं पैदा होते, सिर्फ़ उन ज़मीनों में पैदा होते हैं जिनमें सलाहियत है। इसी
लिये फ़रमाया कि) और जो ज़मीन सुथरी होती है उसकी पैदावार तो खुदा के हुक्म से ख़ूब
निकलती है, और जो ख़राब है उसकी पैदावार (अगर निकली भी) तो बहुत कम निकलती है।
इसी तरह हम (हमेशा) दलीलों को तरह-तरह से बयान करते रहते हैं, (मगर वो सब) उज़्र लोगों
के लिये (नफ़ा देने वाली होती है) जो (उनकी) कद्र करते हैं।

मआरिफ़ व मसाईल

पहले बयान हुई आयतों में हक़ तआला ने अपनी खास-खास और बड़ी-बड़ी नेमतों का
क़ फ़रमाया है, जिसमें आसमान ज़मीन, रात दिन, चाँद सूरज और आम सितारों की पैदाईश
और उनका इनसान की ज़रूरतें मुहैया करने और उसकी ख़िदमत में लगे रहने का तज़क़िरा
है। इस पर तंबीह फ़रमाई है कि जब हमारी सारी ज़रूरतों और सारी राहतों का सामान करने

वाली एक पाक जात है, तो हर हाजत व जरूरत में हमें दुआ व दरख्वास्त भी उसी से करनी चाहिये, और उसी की तरफ रुजू करने को अपने लिये कामयाबी की कुंजी समझना चाहिये।

उपर्युक्त आयतों में से पहली आयत में भी इसी किस्म की अहम और बड़ी नेमतों का जिक्र है, जिस पर इनसान और जमीन की तमाम मख्लूक़ात की ज़िन्दगी व बका का मदार है। मसलन बारिश और उससे पैदा होने वाले दरख्त और खेतियाँ, तरकारियाँ वगैरह, फ़र्क यह है कि पिछली आयतों में उन नेमतों का जिक्र था, जो ऊपर के जहान से संबन्धित हैं, और इसमें उन नेमतों का तज़क़िरा है जो नीचे के जहान से संबन्धित हैं। (बहरे मुहीत)

और दूसरी आयत में एक ख़ास बात यह बतलाई गयी है कि हमारी ये अज़ीमुश्शान नेमतें अगरचे ज़मीन के हर हिस्से पर आम हैं, बारिश जब बरसती है तो दरिया पर भी बरसती है, पहाड़ पर भी, बंजर और ख़राब ज़मीन और उम्दा और बेहतर ज़मीन सब पर बराबर बरसती है, लेकिन खेती, दरख्त, सब्ज़ी सिर्फ़ उसी ज़मीन में पैदा होती है जिसमें उगाने की सलाहियत है, पथरीली ज़मीनें उस बारिश के फ़ैज़ से लाभान्वित नहीं होतीं।

पहली आयत से यह नतीजा निकाल कर बतलाया गया कि जो पाक जात मुर्दा ज़मीन में फलने-फूलने और उगाने की ज़िन्दगी अता फ़रमा देती है, उसके लिये यह क्या मुश्किल है कि जो इनसान पहले से ज़िन्दा थे फिर मर गये, उनमें दोबारा ज़िन्दगी पैदा फ़रमा दे, इसी नतीजे को इस आयत में वाज़ेह तौर पर बतलाया दिया गया। और दूसरी आयत से यह नतीजा निकाला गया कि अल्लाह तआला की तरफ़ से आने वाली हिदायत, आसमानी किताबें और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, फिर उनके नायब उलेमा व बुजुर्गों की तालीम व तरबियत भी बारिश की तरह हर इनसान के लिये आम है, मगर जिस तरह रहमत की बारिश से हर ज़मीन फ़ायदा नहीं उठाती, इसी तरह इस रूहानी बारिश का फ़ायदा भी सिर्फ़ वही लोग हासिल करते हैं जिनमें यह सलाहियत है, और जिन लोगों के दिल पथरीली या रेतीली ज़मीन की तरह उगाने और उपज की काबलियत नहीं रखते वे तमाम स्पष्ट हिदायतों और खुली निशानियों के बावजूद अपनी गुमराही पर जमे रहते हैं।

इस नतीजे की तरफ़ दूसरी आयत के आखिरी जुमले से इरशाद फ़रमाया:

كَلَّا لِكَ نَصْرَفُ الْأَيِّتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

यानी हम इसी तरह अपनी दलीलों (निशानियों) को तरह-तरह से बयान करते हैं उन लोगों के लिये जो क़द्र करते हैं। मतलब यह है कि अगरचे वास्तव में यह बयान तो सब ही के लिये था मगर नतीजे के तौर पर मुफ़ीद होना उन्हीं लोगों के लिये साबित हुआ जिनमें इसकी सलाहियत है, और वे इसकी क़द्र व मर्तबा पहचानते हैं। इस तरह जिक्र हुई दो आयतें आगाज़ व अन्जाम के अहम मसाईल पर मुश्तमिल हो गयीं। अब इन दोनों आयतों को तफ़सील के साथ समझने के लिये सुनिये। पहली आयत में इरशाद है:

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا مِّمَّ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

इसमें रियाह रीह की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं हवा, और बुशरा के मायने वशारत और खुशखबरी, और रहमत से मुराद रहमत की बारिश के हैं। यानी अल्लाह तआला ही है जो भेजता है रहमत की बारिश से पहले हवायें खुशखबरी देने के लिये।

मतलब यह है कि अल्लाह का आम कानून और दस्तूर यह है कि बारिश से पहले ऐसी ठण्डी हवायें भेजते हैं जिनसे खुद भी इनसान को राहत व बशारत होती है, और वे गोया आने वाली बारिश की खबर भी पहले दे देती हैं। इसलिये ये हवायें दो नेमतों का मजमूआ हैं, खुद भी इनसान और आम मख्लूक़ात के लिये नाफ़े व मुफ़ीद हैं, और बारिश के आने से पहले बारिश की खबर भी दे देती हैं। क्योंकि इनसान एक लतीफ़ और नाजुक़ मख्लूक़ है कि उसकी बहुत सी ज़रूरतें बारिश की वजह से बन्द हो जाती हैं, जब बारिश की इत्तिला कुछ पहले मिल जाये तो वह अपना इन्तिज़ाम कर लेता है, इसके अलावा खुद उसका वजूद और उसका सामान बारिश को बरदाश्त करने वाला नहीं, वह बारिश की निशानियाँ देखकर अपने सामान और अपनी जान की हिफ़ाज़त का सामान कर लेता है।

इसके बाद फ़रमाया:

حَتَّىٰ إِذَا أَفَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا

सहाब के मायने बादल और सिक़ाल सकील की जमा (बहुवचन) है, जिसके मायने हैं भारी। यानी जब वे हवायें भारी बादलों को उठा लेती हैं, भारी बादलों से मुराद पानी से भरे हुए बादल हैं, जो हवा के कन्धों पर सवार होकर ऊपर जाते हैं, और इस तरह यह हजारों मन का वज़नी पानी हवा पर सवार होकर ऊपर पहुँच जाता है। और हैरत-अंगेज़ बात यह है कि न उसमें कोई मशीन काम करती है न कोई इनसान उसमें मेहनत करता है, जब अल्लाह तआला का हुक्म हो जाता है तो खुद-बखुद दरिया से बुखारात (मानसून) उठना शुरू हो जाते हैं और ऊपर जाकर बादल बनता है, और यह हजारों बल्कि लाखों गेलन पानी से भरा हुआ जहाज़ अपने आप हवा के कन्धे पर सवार होकर आसमान की तरफ़ चढ़ता है।

इसके बाद फ़रमाया:

سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيْتٍ

सौक़ के मायने किसी जानवर को हाँकने और चलाने के हैं। और बलद् के मायने शहर और बस्ती के हैं, मरियत के मायने मुर्दा।

मायने यह है कि "जब हवाओं ने भारी बादलों को उठा लिया तो हमने उन बादलों को हाँक दिया एक मरे हुए शहर की तरफ़।"

मरे हुए शहर में मुराद वह बस्ती है जो पानी न होने के सबब वीरान हो रही है। और इस जगह बजाय आम ज़मीन के खुसूसियत से शहर और बस्ती का ज़िक्र करना इसलिये मुनासिब मालूम हुआ कि बिजली व बारिश और उनसे ज़मीन को सैराब करने से असल मक़सद इनसान की ज़रूरतें मुहैया करना है जिसका ठिकाना और रहने की जगह शहर है, वरना जंगल की

सरसब्जी (हरा-भरा बनाना) खुद कोई मक़सद नहीं।

यहाँ तक उक्त आयत के मज़मून से चन्द अहंम चीज़ें साबित हुई- अब्बल यह कि बारिश बादलों से बरसती है जैसा कि देखा जाता है। इससे मालूम हुआ कि जिन आयतों में आसमान से बारिश बरसना मज़कूर है, वहाँ भी आसमान लफ़्ज़ से बादल मुराद है, और यह भी कुछ बर्दा नहीं कि किसी वक़्त दरियाई मानसून के बजाय डायरेक्ट आसमान से बादल पैदा हो जायें और उनसे बारिश हो जाये।

दूसरे यह कि बादलों का किसी खास दिशा और खास ज़मीन की तरफ़ जाना यह डायरेक्ट अल्लाह के हुक्म से जुड़ा है, वह जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं जिस क़द्र चाहते हैं बारिश बरसाने का हुक्म दे देते हैं, बादल अल्लाह के फ़रमान की तामील (पालन) करते हैं।

इसका नज़ारा और अनुभव हर जगह इस तरह होता रहता है कि बहुत सी बार किसी शहर या बस्ती पर बादल छाया रहता है, और वहाँ बारिश की ज़रूरत भी होती है लेकिन वह बादल वहाँ एक क़तरा पानी का नहीं देता, बल्कि जिस शहर या बस्ती का कोटा अल्लाह के हुक्म से मुफ़र्र हो चुका है वहीं जाकर बरसता है। किसी की मजाल नहीं कि उस शहर के अलावा किसी और जगह उस बादल का पानी हासिल कर ले।

पुराने और नये फ़लासफ़ा (वैज्ञानिकों) ने मानसून और हवाओं की हरकत के लिये कुछ नियम और उसूल निकाल रखे हैं जिनके ज़रिये वे बतला देते हैं कि फुल्लों मानसून जो फुल्लों समन्दर से उठा है किस तरफ़ जायेगा, कहाँ जाकर बरसेगा, कितना पानी बरसायेगा। आम मुल्कों में मौसम विभाग इसी किस्म की मालूमात मुहैया करने के लिये कायम किये जाते हैं, लेकिन तजुर्बा गवाह है कि मौसम विभाग की दी हुई ख़बरें ज्यादातर ग़लत हो जाती हैं, और जब अल्लाह का हुक्म उनके खिलाफ़ होता है तो उनके सारे उसूल और कायदे धरे रह जाते हैं। हवायें और मानसून अपना रुख़ उनकी दी हुई ख़बरों के खिलाफ़ किसी दूसरी दिशा की तरफ़ फेर लेती हैं और मौसम विभाग महकमे देखते रह जाते हैं।

इसके अलावा जो उसूल व कायदे हवाओं की हरकत के लिये फ़लॉस्फ़ा (वैज्ञानिकों) ने तजवीज़ किये हैं वो भी कुछ इसके विरुद्ध नहीं हैं कि बादलों का उठना और चलना-फिरना अल्लाह के फ़रमान के ताबे है, क्योंकि अल्लाह तआला का क़ानून इस आलम के तमाम कारोबार में यही है कि अल्लाह का हुक्म असबाब (संसाधनों) के पर्दों में ज़ाहिर होता है, उन तबई असबाब से इनसान कोई उसूल व कायदा बना लेता है, वरना हकीकत वही है जो हाफ़िज़ शीराज़ी रह. ने बतलाई है कि:

कारे जुल्फ़े तुस्त मुश्क अफ़शानी अम्मा आशिकाँ

मस्तेहत रा तोहमते बर आहू-ए-यीं बस्ता अन्द

मुश्क से खुशबू बिखेरना यह तेरी कुदरत की कारीगरी है मगर कुछ कम-नज़र और हकीकत से नावाक़िफ़ लोग चीन के हिरण की तरफ़ इसकी निस्वत करते हैं।

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

इसके बाद इरशाद फ़रमाया:

فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

यानी हमने उस मुर्दा शहर में पानी बरसाया फिर उस पानी से हर किस्म के फल-फूल निकाले।

आयत के आखिर में इरशाद फ़रमाया:

كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“यानी हम इसी तरह निकालेंगे मुर्दों को क़ियामत के दिन, शायद तुम समझो।”

मतलब यह है कि जिस तरह हमने मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दा किया और उसमें से दरख्त और फल-फूल निकाले इसी तरह क़ियामत के दिन मुर्दों को दोबारा ज़िन्दा करके निकाल खड़ा करेंगे। और ये मिसालें हमने इसलिये बयान की हैं कि तुम्हें सोचने और गौर करने का मौका मिले।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़ियामत में सूर दो मर्तबा फूँका जायेगा- पहले सूर पर तमाम आलम फना हो जायेगा, कोई चीज़ ज़िन्दा बाकी न रहेगी, और दूसरे सूर पर फिर नये सिरे से नया आलम पैदा होगा और सब मुर्दे ज़िन्दा हो जायेंगे। उक्त हदीस में है कि इन दोनों मर्तबा के सूर के बीच चालीस साल का फ़ासला होगा, और उन चालीस सालों में लगातार बारिश होती रहेगी। इसी अरसे में हर मुर्दा इन्सान और जानवर के बदन के हिस्से (अंग) उसके साथ जमा करके हर एक का मुकम्मल ढाँचा बन जायेगा, और फिर दूसरी मर्तबा सूर फूँकने के वक़्त उन लाशों के अन्दर रूह आ जायेगी, और ज़िन्दा होकर खड़े हो जायेंगे। इस रिवायत का अक्सर हिस्सा बुख़ारी व मुस्लिम में मौजूद है, कुछ हिस्से अबू दाऊद की किताबुल-बअस से लिये गये हैं। दूसरी आयत में इरशाद है:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا

नकिद कहते हैं उस चीज़ को जो बेफ़ायदा भी हो और फिर मात्रा में भी कम हो। मायने यह है कि अगरचे रहमत की बारिश का फ़ैज़ हर शहर हर ज़मीन पर बराबर होता है, लेकिन परिणाम और फल के एतिबार से ज़मीन की दो किस्में होती हैं- एक उम्दा और अच्छी ज़मीन जिसमें उपजाऊ सलाहियत है, उसमें तो हर तरह के फूल-फल निकलते हैं और फ़ायदे हासिल होते हैं। दूसरी वह सख्त या खारी ज़मीन जिसमें उगाने और फलने-फूलने की सलाहियत नहीं, उसमें अब्वल तो कुछ पैदा ही नहीं होता, फिर अगर कुछ हुआ भी तो वह बहुत कम मात्रा में होता है, और जितना पैदा होता है वह भी बेकार और खराब होता है।

आयत के आखिर में इरशाद फ़रमाया:

كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

“यानी हम अपनी कुदरत की दलीलें (निशानियाँ) तरह-तरह से बयान करते हैं, उन लोगों के लिये जो कद्र करने वाले हैं।”

इसमें इशारा है कि अगरचे रहमत की वारिश के आम फ़ैज़ान की तरह अल्लाह की हिदायत और खुली निशानियों का फ़ैज़ (लाभ) भी सब ही इनसानों के लिये आम है, मगर जिस तरह हर ज़मीन वारिश से फ़ायदा नहीं उठाती इसी तरह हर इनसान अल्लाह की हिदायत से नफ़ा हासिल नहीं करता, बल्कि नफ़ा सिर्फ़ वे लोग हासिल करते हैं जो शुक्रगुज़ार और कद्र पहचानने वाले हैं।

जिक्नुम्

मिन्कुपू

व ल अ

फ-कज़्ज

म-अज़्ज

कज़्ज

कौमन् उ

ल-कद् अरसल्ना नूहन् इला कौमिही
फ़का-ल या-कौमिअबुदुल्ला-ह मा
लकुम् मिन् इलाहिन् गैरुह्, इन्नी
अख़्वाफ़ु अलैकुम् अज़ा-ब यौमिन्
अज़ीम (59) कालल्-म-लउ मिन्
कौमिही इन्ना ल-नरा-क फ़ी
ज़लालिम्-मुबीन (60) का-ल या
कौमि लै-स बी ज़लालतुं-व
लाकिन्नी रसूलुम् मिरिब्बिल्-आलमीन
(61) उबल्लिगुकुम् रिसालाति रब्बी
व अन्सहु लकुम् व अज़ल्मु
मिनल्लाहि मा ला तज़ल्मून (62)
अ-व अज़िब्तुम् अन् जा-अकुम्

बेशक भेजा हमने नूह को उसकी कौम
की तरफ़, पस उसने कहा ऐ मेरी कौम!
बन्दगी करो अल्लाह की, कोई नहीं
तुम्हारा माबूद उसके सिवा, मैं ख़ौफ़
करता हूँ तुम पर एक बड़े दिन के अज़ाब
से। (59) बोले सरदार उसकी कौम के-
हम देखते हैं तुझको खुला बहका हुआ।
(60) बोला ऐ मेरी कौम! मैं हरगिज़
बहका नहीं व लेकिन मैं भेजा हुआ हूँ
जहान के परवर्दिगार का। (61) पहुँचाता हूँ
तुमको पैग़ाम अपने रब के, और नसीहत
करता हूँ तुमको और जानता हूँ अल्लाह
की तरफ़ से वो बातें जो तुम नहीं
जानते। (62) क्या तुमको ताज़्जुब हुआ
कि आई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब
की तरफ़ से एक मर्द की जुबानी जो

हमने नू

उस कौम र

हारा माबूद

'सवाअ'

सूरत में)

तान का दि

हम तुमक

और अज़ा

ज़रा भा

को तौहाद

ने परवार्दिग

नहीं बलि

हारा ही नफ

फ़ी) मैं खु

हाह तआल

(तुमका

मून में खु

तो) क्या

ऐसे शख्स

यह नसीह

करुम्-मिर्बिकुम् अला रजुलिम्-
 कुम् लियुन्जि-रकुम् व लि-तत्तकू
 लअल्लकुम् तुर्हमून (63)
 कज़्ज़बूहु फ-अन्जैनाहु वल्लजी-न
 अहू फिल्फुल्कि व अग्रक्नल्लजी-न
 ज़बू बिआयातिना, इन्नुहुम् कानू
 मन् अमीन (64) ❀

तुम्हीं में से है, ताकि वह तुमको डराये
 और ताकि तुम बचो और ताकि तुम पर
 रहम हो। (63) फिर उन्होंने उसको
 झुठलाया, फिर हमने बचा लिया उसको
 और उनको जो कि उसके साथ थे कश्ती
 में, और गर्क कर दिया उनको जो झुठलाते
 थे हमारी आयतों को, बेशक वे लोग थे
 अन्धे। (64) ❀

खुलासा-ए-तफ़सीर

इमने नूह (अलैहिस्सलाम) को (पैग़म्बर बनाकर) उनकी क़ौम की तरफ़ भेजा, सो उन्होंने
 (क़ौम से) फ़रमाया- ऐ मेरी क़ौम! तुम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई
 माबूद होने के लायक नहीं (और बुतों की पूजा छोड़ दो जिनका नाम सूर: नूह में है 'वद्'
 'सवाअ' और 'यगूत्' और 'यऊक' और 'नस्') मुझको तुम्हारे लिए (मेरा कहना न मानने
 रत में) एक बड़े (सख़्त) दिन के अज़ाब का अन्देशा है (कि वह क़ियामत का दिन है या
 का दिन)। उनकी क़ौम के आबरूदार "यानी समाज के बड़े और प्रमुख" लोगों ने कहा
 तुमको खुली ग़लती में (मुब्तला) देखते हैं (कि एक माबूद को मानने की तालीम कर रहे
 अज़ाब का डरावा दिखला रहे हो)। उन्होंने (जवाब में) फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! मुझमें
 भी ग़लती नहीं लेकिन (चूँकि) मैं परवर्दिगारे-आलम का (भेजा हुआ) रसूल हूँ (उसने
 तौहीद पहुँचाने का हुक्म किया है इसलिये अपनी जिम्मेदारी अदा करता हूँ कि) तुमको
 परवर्दिगार के पैग़ाम (और अहकाम) पहुँचाता हूँ (और इस पहुँचाने में मेरी कोई दुनियावी
 ही बल्कि केवल) तुम्हारी ख़ैर-ख़्वाही करता हूँ (क्योंकि एक अल्लाह पर ईमान लाने में
 ही नफ़ा है) और (बड़े दिन के अज़ाब से जो तुमको ताज्जुब होता है तो तुम्हारी ग़लती है
 मैं खुदा की तरफ़ से उन चीज़ों की ख़बर रखता हूँ जिनकी तुमको ख़बर नहीं (तो
 तआला ने मुझको बतला दिया है कि ईमान न लाने से बड़े दिन का अज़ाब वाक़े होगा)।
 तुमको जो मेरे रसूल होने पर मेरे इनसान होने की वजह से इनकार है जैसा कि सूर:
 न में खुलासा है:

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً..... الخ

क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से तुम्हारे पास
 से शख्स के ज़रिये जो तुम्हारी ही जिन्स का (यानी इनसान) है कोई नसीहत की बात आ
 नसीहत की बात यही है जो ऊपर बयान हुई कि ऐ मेरी क़ौम अल्लाह तआला की

बन्दगी करो.....) ताकि वह शख्स तुमको (अल्लाह के हुक्म से अज़ाब से) डराए और ताकि तुम (उसके डराने से) डर जाओ, और ताकि (डरने की वजह से सही राह की मुखालफ़त छोड़ दो जिससे) तुम पर रहम किया जाए।

सो (इस तमाम तंबीह और समझाने के बावजूद) वे लोग उनको झुठलाते ही रहे तो हमने उनको (यानी नूह अलैहिस्सलाम को) और जो लोग उनके साथ कश्ती में थे (तूफ़ान के अज़ाब से) बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया उनको हमने (तूफ़ान में) डुबो दिया, बेशक वे लोग अन्धे हो रहे थे (हक़ व ग़ैर-हक़ और नफ़ा नुक़सान कुछ न सूझता था)।

मआरिफ़ व मसाईल

सूर: आराफ़ के शुरू से यहाँ तक उसूल इस्लाम तौहीद, रिसालत और आख़िरत का मुख़्तलिफ़ उनवानात और दलीलों से सुबूत और लोगों को पैरवी की तरगीब और उसकी मुख़ालफ़त पर वईद और तरहीब (सज़ा की धमकी और डरावा) और उसके तहत में शैतान के गुमराह करने वाले मक्र व फ़रेब का बयान था, अब आठवें रुकूअ से तक़रीबन सूरत के आख़िर तक चन्द अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों का ज़िक्र है जिसमें तमाम अम्बिया का मुत्ताफ़िका तौर पर ज़िक्र हुए उसूल (बुनियादी बातों) तौहीद, रिसालत और आख़िरत की तरफ़ अपनी-अपनी उम्मतों को दावत देना और मानने वालों के अज़्र व सवाब और न मानने वालों पर तरह-तरह के अज़ाब और उनके बुरे अन्जाम का मुफ़स्सल बयान तक़रीबन चौदह रुकूअ में आया है। जिसके अंतर्गत सैंकड़ों उसूली और फ़ुरूई (बुनियादी और उनसे निकलने वाले) मसाईल भी आ गये हैं और मौजूदा कौमों को पिछली कौमों के अन्जाम से इबरत (सबक़ और सीख) हासिल करने का मौका उपलब्ध किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये तसल्ली का सामान हो गया कि पहले सब रसूलों के साथ ऐसे ही मामलात होते रहे हैं।

उक्त आयतें सूर: आराफ़ का आठवाँ रुकूअ पूरा है। इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत के हालात और कही हुई बातों का बयान है।

नबियों के सिलसिले में सबसे पहले नबी अंगरचे आदम अलैहिस्सलाम हैं लेकिन उनके ज़माने में कुफ़्र व गुमराही का मुक़ाबला न था, उनकी शरीअत में ज्यादातर अहक़ाम भी ज़मीन की आबादकारी और इन्सानी ज़रूरतों से संबन्धित थे। कुफ़्र और काफ़िर कहीं मौजूद न थे। कुफ़्र व शिर्क का मुक़ाबला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, और रिसालत व शरीअत की हैसियत से दुनिया में वह सबसे पहले रसूल हैं। इसके अलावा तूफ़ान में पूरी दुनिया गर्क हो जाने के बाद जो लोग बाकी रहे वे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके कश्ती के साथी थे, उन्हीं से नई दुनिया आबाद हुई, इसी लिये उनको आदमे असगर (छोटा आदम) कहा जाता है। यही वजह है कि नबियों के किस्से का आगाज़ भी उन्हीं से किया गया है जिसमें साढ़े नौ सौ बरस की लम्बी उम्र में उनकी पैग़म्बराना जिद्दोज़हद और उस पर उम्मत की अक्सरियत की गुमराही और उसके नतीजे में सिंचाय छोड़े स मोमिनों के बाकी सब का गर्क होना बयान हुआ है। तफ़सील

इसकी यह है।

पहली आयत में इरशाद है:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की आठवीं पुश्त में हैं। मुस्तद्रक हाकिम में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बीच दस कर्न (जमाने) गुज़रे हैं। और यही मज़मून तवरानी ने हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम से नक़ल किया है। (तफसीरे मज़हरी) कर्न आम तौर पर एक सौ साल को कहा जाता है इसलिये इन दोनों के बीच इस रिवायत के मुताबिक एक हज़ार साल का अरसा हो गया। इब्ने जरीर ने नक़ल किया है कि नूह अलैहिस्सलाम की पैदाईश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से आठ सौ छब्बीस साल बाद हुई है और कुरआनी खुलासे के मुताबिक उनकी उम्र नौ सौ पचास साल हुई। और आदम अलैहिस्सलाम की उम्र की मुताल्लिक एक हदीस में है कि चालीस कम एक हज़ार साल है, इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की पैदाईश से नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात तक कुल दो हज़ार आठ सौ छप्पन साल हो जाते हैं। (1) (तफसीरे मज़हरी)

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असली नाम शाकिर और कुछ रिवायतों में सकनू और कुछ में अब्दुल-ग़फ़ार आया है।

इसमें इख़िलाफ़ है कि उनका ज़माना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले है या बाद में। अक्सर सहाबा का कौल यह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले हैं।
(बहरे मुहीत)

मुस्तद्रक हाकिम में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने फ़रमाया- नूह अलैहिस्सलाम को चालीस साल की उम्र में नुबुव्वत अता हुई और तूफ़ान के बाद साठ साल ज़िन्दा रहे।

कुरआन की आयत:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

से साबित है कि नूह अलैहिस्सलाम का भेजा जाना और नुबुव्वत सिर्फ़ अपनी क़ौम के लिये थी, सारी दुनिया के लिये आम न थी, और उनकी क़ौम इराक़ में आबाद बज़ाहिर सभ्य मगर

(1) यह मुद्दत तफसीरे मज़हरी (पेज 367 ज़िल्द 3) से ली गयी है, बज़ाहिर इसके हिसाब में ग़लती हुई है। खुद तफसीरे मज़हरी की बयान की हुई तफसील के अनुसार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1050 साल हुई (क्योंकि 950 साल जो कुरआन में ज़िक्र हुए हैं वो नुबुव्वत के बाद और तूफ़ान से पहले की मुद्दत पर मुश्तमिल हैं। नुबुव्वत चालीस साल की उम्र में मिली और तूफ़ान के बाद भी वह साठ साल ज़िन्दा रहे) इस तरह कुल मुद्दत 2856 के बजाय 2836 बनती है, और अगर हज़रत नूह की कुल उम्र 1050 के बजाय 950 करार दी जाये जैसा कि तफसीर के लेखक ने ज़िक्र किया है तो कुल मुद्दत 2736 करार पाती है।

मुहम्मद तक़ी उस्मानी 12/07/1425 हिजरी

शिक में मुक्ता थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो दावत दी वह यह थी:

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

यानी ऐ मेरी कौम! तुम अल्लाह तआला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अज़ाब का ख़तरा है।

इसके पहले जुमले में अल्लाह तआला की इबादत की तरफ़ दावत है जो तमाम बुनियादों की बुनियाद है। दूसरे जुमले में शिक व कुफ़्र से परहेज़ करने की तालीम है जो उस कौम में वबा की तरह फैल गया था। तीसरे जुमले में उस बड़े अज़ाब के ख़तरे से आगाह करना है जो ख़िलाफ़ वर्ज़ी की सूरत में उनको पेश आने वाला है। इस बड़े अज़ाब से मुराद आख़िरत का अज़ाब भी हो सकता है और दुनिया में तूफ़ान का अज़ाब भी। (तफ़सीरे कबीर)

उनकी कौम ने इसके जवाब में कहा:

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

लफ़ज़ "म-ल-अ" कौम के सरदारों और बिरादरियों के चौधरियों के लिये बोला जाता है। मतलब यह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस दावत के जवाब में कौम के सरदारों ने कहा कि हम तो यह समझते हैं कि आप खुली गुमराही में पड़े हुए हैं कि हमारे बाप दादों के दीन से हमको निकालना चाहते हैं और क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा होने और जज़ा व सज़ा पाने के ख़्यालात ये सब वहम हैं।

इस दिल को दुखाने वाली और जिगर को चीरने वाली गुफ़्तगू के जवाब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पैग़म्बराना लहजे में जो जवाब दिया वह इस्लाम के मुबल्लिग़ों (प्रचारकों) और सुधारकों के लिये एक अहम तालीम और हिदायत है कि उत्तेजित होने की बात पर उत्तेजित और ग़ज़बनाक होने के बजाय सादा लफ़ज़ों में उनके शुब्हात को दूर फ़रमा रहे हैं:

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَيْلَعُكُمْ رَسُولِي وَإِنصَحْ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ

مَا لَا تَعْلَمُونَ

यानी ऐ मेरी कौम! मुझमें कोई गुमराही नहीं, मगर बात यह है कि मैं तुम्हारी तरह बाप-दादा की जहालत भरी रस्मों का पाबन्द नहीं, बल्कि मैं रब्बुल-आलमीन की तरफ़ से रसूल हूँ, जो कुछ कहता हूँ अल्लाह की हिदायात से कहता हूँ और अल्लाह तआला का पैग़ाम तुमको पहुँचाता हूँ जिसमें तुम्हारा ही भला है, न उसमें अल्लाह तआला का कोई फ़ायदा और न मेरी कोई ग़र्ज़। इसमें रब्बुल-आलमीन का लफ़ज़ शिक के अकीदे पर गहरी चोट है कि इसमें ग़ौर करने के बाद न कोई देवी और देवता ठहर सकता है न कोई यज़दान व अहरमन। इसके बाद फ़रमाया कि तुमको जो क़ियामत के अज़ाब में शंकायें हैं उसकी वजह तुम्हारी बेख़बरी और नावाक़फ़ियत है, मुझे अल्लाह तआला की तरफ़ से उसका यकीनी इल्म दिया गया है।

इसके बाद उनके दूसरे शुब्हे का जवाब है जो सूर: मोमिनून में स्पष्ट रूप से मज़कूर है:

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً..... الخ

यानी उनकी क़ौम ने नूह अलैहिस्सलाम की दावत पर एक शुब्हा यह भी किया कि यह तो हमारी ही तरह एक बशर और इन्सान हैं, हमारी ही तरह खाते पीते सोते जागते हैं, इनको हम कैसे अपना मुक्तादा (पेशवा और नबी) मान लें। अगर अल्लाह तआला को हमारे लिये कोई पैग़ाम भेजना था तो वह फ़रिश्तों को भेजते जिनकी विशेषता और बड़ाई हम सब पर वाज़ेह होती। अब तो इसके सिवा कोई बात नहीं कि हमारी क़ौम और नस्ल का एक आदमी हम पर अपनी बरतरी और बड़ाई कायम करना चाहता है।

इसके जवाब में फ़रमाया:

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

यानी क्या तुम्हें इस पर ताज्जुब है कि तुम्हारे रब का पैग़ाम तुम्हारी तरफ़ एक ऐसे शख्स के द्वारा आया जो तुम्हारी ही जिन्स का है ताकि वह तुम्हें डराये और ताकि तुम डर जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाये। यानी उसके डराने से तुम सचेत होकर मुख़ालफ़त छोड़ दो जिसके नतीजे में तुम पर रहमत नाज़िल हो।

मतलब यह है कि यह कोई ताज्जुब की बात नहीं कि इन्सान को रसूल बनाया जाये। अब्बल तो हक़ तआला मुख़्तार मुतलक़ हैं जिसको चाहें अपनी नुबुव्वत व रिसालत अता फ़रमायें, इसमें किसी को चूँ-चरा की मजाल नहीं। इसके अलावा असल मामले पर गौर करो तो वाज़ेह हो जाये कि आम इन्सानों की तरफ़ रिसालत व नुबुव्वत का मक़सद इन्सान ही के ज़रिये पूरा हो सकता है, फ़रिश्तों से यह काम नहीं हो सकता।

क्योंकि रिसालत व नुबुव्वत का असल मक़सद यह है कि अल्लाह तआला की पूरी इताअत और इबादत पर लोगों को कायम कर दिया जाये और उसके अहक़ाम की मुख़ालफ़त से बचाया जाये। और यह तब ही हो सकता है कि उनकी इन्सानी जिन्स का कोई शख्स अमल का नमूना बनकर उनको दिखलाये कि बशरी तकाज़ों और इच्छाओं के साथ भी अल्लाह के अहक़ाम की इताअत और उसकी इबादत जमा हो सकती है। अगर फ़रिश्ते यह दावत लेकर आते और अपनी भिसाल लोगों के सामने रखते तो सब लोगों का यह उज़्र ज़ाहिर था कि फ़रिश्ते तो इन्सानी इच्छाओं से पाक हैं, न उनको भूख-प्यास लगती है, न नींद आती है, न थकान होती है, उनकी तरह हम कैसे बन जायें। लेकिन जब अपना ही एक हम-जिन्स इन्सान तमाम इन्सानी इच्छाएँ और खुसूसियतें रखने के बावजूद अल्लाह के उन अहक़ाम की मुकम्मल इताअत करके दिखलाये तो उनके लिये कोई उज़्र नहीं रह सकता।

इसी बात की तरफ़ इशारा करने के लिये फ़रमाया:

لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا

मतलब यह है कि जिसके डराने से मुतास्सिर होकर लोग डर जायें वह वही हो सकता है जो उनका हम-जिन्स और उनकी तरह इन्सानी खुसूसियतें रखने वाला हो। यह शुब्हा अक्सर उम्मतों

काफ़िरोँ ने पेश किया कि कोई बशर नबी और रसूल नहीं होना चाहिये, और कुरआन ने सब का यही जवाब दिया है। अफ़सोस है कि कुरआन की इतनी स्पष्टताओं के बावजूद आज भी कुछ लोग हुजुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बशरियत (इन्सान होने) का इनकार करने की जुरत करते हैं। मगर जाहिल इन्सान इस हकीकत को नहीं समझता, वह किसी अपने म-जिन्स की बरतरी को तस्लीम करने के लिये तैयार नहीं होता। यही वजह है कि अपने ज़माने के उलेमा और बुजुर्गों से उनके समकालीन होने की बिना पर नफ़रत व अपमान का बर्ताव जाहिलों का हमेशा शेवा (चलन) रहा है।

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के दिल को चीर देने वाले कलाम के जवाब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का यह शफ़क़त और नसीहत भरा ख़ैया भी उनकी बेहिस कौम पर असर डालने वाला न हुआ बल्कि अंधे बनकर झुठलाने ही में लगे रहे। तो अल्लाह तआला ने उन पर तूफ़ान का अज़ाब भेज दिया। इरशाद फ़रमाया:

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ.

यानी नूह अलैहिस्सलाम की ज़ालिम कौम ने उनकी नसीहत व ख़ैरख़्वाही की कोई परवाह न की और बराबर अपने झुठलाने की रविश पर अड़े रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि हमने नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को एक कश्ती में सवार करके तूफ़ान से निजात दे दी और जिन लोगों ने हमारी आयतों (और निशानियों) को झुठलाया था उनको ग़र्क़ कर दिया। बेशक़ ये लोग अंधे हो रहे थे।

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा और उनकी कौम के पानी के तूफ़ान में ग़र्क़ होने और कश्ती वालों की निजात की पूरी तफ़्सील सूर: नूह और सूर: हूद में आयेगी। इस जगह ज़रूरत के मुताबिक़ उसका खुलासा बयान हुआ है। हज़रत ज़ैद बिन असलम फ़रमाते हैं कि कौमे नूह पर तूफ़ान का अज़ाब उस वक़्त आया जबकि वे अपनी अधिकता व ताक़त के एतिबार से भरपूर थे। इराक़ की ज़मीन और उसके पहाड़ उनकी बड़ी संख्या के सबब तंग हो रहे थे। और हमेशा अल्लाह तआला का यही दस्तूर रहा है कि नाफ़रमान लोगों को ढील देते रहते हैं। अज़ाब उस वक़्त भेजते हैं जब वे अपनी बहुसंख्या, कुव्वत और दौलत में इन्तिहा को पहुँच जायें और उसमें मस्त-व मगन हो जायें। (तफ़्सीर इब्ने कसीर)

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में कितने आदमी थे? इसमें रिवायतें भिन्न हैं। अल्लामा इब्ने कसीर रह. ने इब्ने अबी हातिम की रिवायत से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल नक़ल किया है कि अस्सी आदमी थे जिनमें एक का नाम जुरहुम था यह अरबी भाषा बोलता था। (इब्ने कसीर)

कुछ रिवायतों में यह तफ़्सील भी आई है कि अस्सी के अदद में चालीस मर्द और चालीस औरतें थीं। तूफ़ान के बाद ये सब हज़रत मूसल में जिस जगह मुक़ीम हुए उस बस्ती का नाम समानून मशहूर हो गया। (समानून अरबी भाषा में 80 को कहते हैं। मुहम्मद इमरान कासमी)

गर्ज इस जगह नूह अलैहिस्सलाम का मुख्तसर किस्ता बयान फरमाकर एक तो यह बतला दिया कि पहले तमाम अम्बिया की दावत और अक़ीदों की बुनियाद व उसूल एक ही थे। दूसरे यह बतला दिया कि अल्लाह तआला अपने रसूलों की ताईद व हिमायत किस तरह हैरत-अंगेज़ तरीके पर करते हैं कि पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाने वाले तूफ़ान में भी उनकी सलामती को कोई ख़तरा नहीं होता। तीसरे यह वाज़ेह कर दिया कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को झुठलाना अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है। जिस तरह पिछली उम्मतें नबियों को झुठलाने के सबब अज़ाब में गिरफ़्तार हो गयीं आज के लोगों को भी इससे निडर नहीं होना चाहिये।

व इला आदिन् अखाहुम् हूदन्,
का-ल या कौमिअबुदुल्ला-ह मा
लकुम् मिन् इलाहिन् गैरुहू-अ-फ़ला
तत्तकून् (65) कालल्-म-लउल्लजी-न
क-फ़ रु मिन् कौमिही इन्ना
ल-नरा-क फ़ी सफ़ाहतिव्-व इन्ना

और कौम-ए-आद की तरफ़ भेजा उनके भाई हूद को, बोला ऐ मेरी कौम! बन्दगी करो अल्लाह की, कोई नहीं तुम्हारा माबूद उसके सिवा, सो क्या तुम डरते नहीं? (65) बोले सरदार जो काफ़िर थे उसकी कौम में, हम तो देखते हैं तुझको अक़ल नहीं और हम तो तुझको झूठा

मिन्स व कतअना दाबिरल्लजी-न
कज्जबू बिआयातिना व मा कानू
मुअ्मिनीन (72) ❀

साथ थे अपनी रहमत से, और जड़ काटी
उनकी जो झुठलाते थे हमारी आयतों को,
और नहीं मानते थे। (72) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और हमने आद कौम की तरफ उनके (बिरादरी या वतन के) भाई (हजरत) हूद (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बनाकर) भेजा, उन्होंने (अपनी कौम से) फरमाया ऐ मेरी कौम! तुम (सिर्फ) अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद (होने के काबिल) नहीं, (और बुत-परस्ती छोड़ दो जैसा कि आगे 'व न-ज़-र मा का-न यअबुदु आबाउना.....' से मालूम होता है) सो क्या तुम (ऐसे बड़े जबरदस्त जुर्म यानी शिर्क के करने वाले होकर अल्लाह के अज़ाब से) नहीं डरते? उनकी कौम में जो सम्मानित काफिर थे उन्होंने (जवाब में) कहा कि हम तुमको कम-अक्ली में (मुब्तला) देखते हैं (कि तौहीद की तालीम कर रहे हो और अज़ाब से डरा रहे हो) और हम बेशक तुमको झूठे लोगों में से समझते हैं (यानी नऊजु बिल्लाह न तो तौहीद सही मसला है और न अज़ाब का आना सही है)। उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरी कौम! मुझमें ज़रा भी कम-अक्ली नहीं, लेकिन (चूँकि) मैं परवर्दिगारे-आलम का भेजा हुआ पैगम्बर हूँ। (उसने मुझको तौहीद की तालीम और अज़ाब से डराने का हुक्म किया है इसलिये अपना फर्ज अदा करता हूँ कि) तुमको अपने परवर्दिगार के पैगाम (और अहकाम) पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा सच्चा खैरख्वाह हूँ (क्योंकि तौहीद व ईमान में तुम्हारा ही नफ़ा है) और (तुम जो मेरे इनसान होने से मेरी नुबुव्वत का इनकार करते हो जैसा कि सूर: इब्राहीम में कौमे नूह, आद और समूद के जिक्र के बाद है 'कालू इन अन्तुम इल्ला ब-शरुम् मिस्तुना' और सूर: फुत्सिलत में कौमे आद व समूद के जिक्र के बाद है 'कालू लौ शा-अ रब्बुना ल-अन्ज़-ल मलाइ-कतन्.....', तो) क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स के जरिये जो तुम्हारी जिन्स का (यानी आदमी) है कोई नसीहत की बात आ गई? (वह नसीहत की बात वही है जो ऊपर बयान हुई यानी ऐ मेरी कौम एक अल्लाह की इबादत करो.....) ताकि वह शख्स तुमको (अल्लाह के अज़ाब से) डराए? (यानी यह तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्या बशरियत और नुबुव्वत में बैर है ऊपर 'अ-फला तत्तकून' में डराना और चेतावनी थी आगे शौक और रुचि दिलाने का मजमून है)।

और (ऐ कौम) तुम यह हालत याद करो (और याद करके एहसान मानो और इताअत करो) कि अल्लाह तआला ने तुमको नूह की कौम के बाद (रू-ए-जमीन पर) आबाद किया और डील-डोल में तुमको फैलाव (भी) ज्यादा दिया। सो खुदा तआला की (इन) नेमतों को याद करो (और याद करके एहसान मानो और इताअत करो) ताकि तुमको (हर तरह की) कामयाबी हो। वे

कहने लगे कि क्या (ख़ूब) आप हमारे पास इस वास्ते आए हैं कि हम सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत किया करें और जिन (बुतों) को हमारे बाप-दादा पूजते थे हम उन (की इबादत) को छोड़ दें? (यानी हम ऐसा न करेंगे) और हमको (न मानने पर) जिस अज़ाब की धमकी देते हो (जैसा कि 'अ-फ़ला तत्तकून' से मालूम होता है) उस (अज़ाब) को हमारे पास मँगवा दो अगर तुम सच्चे हो।

उन्होंने फ़रमाया कि (तुम्हारी सरकशी की जब यह हालत है तो) बस अब तुम पर खुदा की तरफ़ से अज़ाब और ग़ज़ब आने ही वाला है। (पस अज़ाब के शुब्हे का जवाब तो उस वक़्त मालूम हो जायेगा और बाकी तौहीद पर जो शुब्हा है कि उन बुतों को माबूद कहते हो जिनका नाम तो तुमने माबूद रख लिया है, लेकिन वास्तव में उनके माबूद होने की कोई दलील ही नहीं तो) क्या तुम मुझसे ऐसे (बेहकीकत) नामों के बारे में झगड़ते हो (यानी वो बुत सिर्फ़ नाम के हैं) जिनको तुमने और तुम्हारे बाप-दादा ने (खुद ही) मुकर्रर कर लिया है (लेकिन) इसकी (यानी जिनको तुमने और तुम्हारे बाप-दादा ने कोई (किताबी, पैग़म्बरी या अक्ली) दलील नहीं भेजी। उनके माबूद होने की) खुदा तआला ने कोई (किताबी, पैग़म्बरी या अक्ली) दलील नहीं भेजी। (यानी झगड़े और मुकद्दमे में दावेदार के जिम्मे दलील है और सामने वाले की दलील का जवाब भी, सो तुम न दलील कायम कर सकते हो न मेरी दलील का जवाब दे सकते हो, फिर झगड़ने का क्या मतलब) सो तुम (अब झगड़ा ख़त्म करो और अल्लाह के अज़ाब का) इन्तिज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार कर रहा हूँ। गर्ज़ कि (अज़ाब आया और) हमने उनको और उनके साथियों को (यानी मोमिनों को) अपनी रहमत (व करम) से (उस अज़ाब से) बचा लिया, और उन लोगों की जड़ (तक) काट दी (यानी बिल्कुल हलाक कर दिया) जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था, और वे (अपनी हद से बढ़ी हुई सख़्त-दिली की वजह से) ईमान लाने वाले न थे (यानी अगर हलाक भी न होते तब भी ईमान न लाते। इसलिये हमने उस वक़्त की हिक्मत के तकाज़े के मुताबिक़ उनका ख़ात्मा ही कर दिया)।

मज़ारिफ़ व मसाइल

आद और समूद कौमों का मुख़्तसर इतिहास

आद असल में एक शख़्स का नाम है जो नूह अलैहिस्सलाम की पाँचवीं नस्ल और उनके बेटे साम की औलाद में है। फिर उस शख़्स की औलाद और पूरी कौम आद के नाम से मशहूर हो गयी। कुरआने करीम में आद के साथ कहीं लफ़्ज़ आदे ऊला और कहीं इ-र-म ज़ातिल-इमाद भी आया है। जिससे मालूम होता है कि कौमे आद को इरम भी कहा जाता है। और आदे ऊला के मुकाबले में कोई आदे सानिया भी है। इसकी तहकीक़ में मुफ़स्सिरीन और इतिहासकारों के अक़वाल विभिन्न हैं। ज्यादा मशहूर यह है कि आद के दादा का नाम इरम है उसके एक बेटे यानी अ़िवस की औलाद में आद है, यह आदे ऊला कहलाता है, और दूसरे बेटे जस्सू का बेटा समूद है यह आदे सानी कहलाता है। इस तहकीक़ का हासिल यह है कि आद

और समूद दोनों इरम की दो शाखें हैं। एक शाख को आदे ऊला और दूसरी को समूद या आदे सानिया भी कहा जाता है, और लफ़्ज़ इरम आद व समूद दोनों के लिये संयुक्त है।

और कुछ इतिहासकारों ने फ़रमाया है कि कौमे आद पर जिस वक़्त अज़ाब आया तो उनका एक वफ़्द (गिरोह) मक्का मुअज़्ज़मा गया हुआ था, वह अज़ाब से सुरक्षित रहा, उसको आदे उख़रा कहते हैं। (बयानुल-कुरआन)

और हूद अलैहिस्सलाम एक नबी का नाम है यह भी नूह अलैहिस्सलाम की पाँचवीं नस्ल और साम की औलाद में हैं। कौमे आद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का नसब नामा चौथी पुश्त में साम पर जमा हो जाता है, इसलिये हूद अलैहिस्सलाम आद के नसबी भाई हैं। इसी लिये 'अखाहुम हूदन्' (उनके भाई हूद) फ़रमाया गया।

कौमे आद के तेरह खानदान थे। अम्मान से लेकर हज़रेमूत और यमन तक उनकी बस्तियाँ थीं। उनकी ज़मीनें बड़ी उपजाऊ और हरी-भरी थीं, हर किस्म के बागाँव थे। रहने के लिये बड़े बड़े शानदार महल बनाते थे। बड़े कढ़ावर और भारी-भरकम जिस्म वाले आदमी थे। उक्त आयतों में 'ज़ादकुम फ़िल्खल्कि वस्ततन्' का यही मतलब है। अल्लाह तआला ने दुनिया की सारी ही नेमतों के दरवाज़े उन पर खोल दिये थे, मगर उनकी टेढ़ी समझ ने उन्हीं नेमतों को उनके लिये बबाले जान बना दिया। अपनी ताक़त व शौकत के नशे में बدمस्त होकर 'मन् अशदु मिन्ना कुव्वतन्' (हमसे ज़्यादा ताक़तवर कौन है) की डींग मारने लगे। और रब्बुल-आलमीन जिसकी नेमतों की बारिश उन पर हो रही थी उसको छोड़कर बुत-परस्ती (मूर्ति पूजा यानी शिकी) में मुब्तला हो गये।

हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का नसब-नामा और कुछ हालात

अल्लाह तआला ने उनकी हिदायत के लिये हूद अलैहिस्सलाम को पैग़म्बर बनाकर भेजा जो खुद उन्हीं के खानदान से थे। और अबुल-बरकात जौनी जो अरब के नसबों (नस्लों और खानदानों के हालात) के बड़े मशहूर माहिर हैं, उन्होंने लिखा है कि हूद अलैहिस्सलाम के बेटे यारिब बिन कहतान हैं जो यमन में जाकर आबाद हुए और यमनी कौमे उन्हीं की नस्ल हैं। और अरबी भाषा की शुरुआत उन्हीं से हुई और यारिब की मुनासबत से ही भाषा का नाम अरबी और उसके बोलने वालों को अरब कहा गया। (बहरे मुहीत)

मगर सही यह है कि अरबी भाषा तो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से जारी थी, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के "एक" साथी जुरहुम थे जो अरबी भाषा बोलते थे। (बहरे मुहीत) और यही जुरहुम हैं जिनसे मक्का मुअज़्ज़मा की आबादी शुरू हुई। हाँ यह हो सकता है कि यमन में अरबी भाषा की शुरुआत यारिब बिन कहतान से हुई हो और अबुल-बरकात की तहकीक़ का यही मतलब हो।

हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौमे आद को बुत-परस्ती (मूर्ति पूजा) छोड़कर तौहीद (एक खुदा यानी अल्लाह तआला को मानने को) इख़्तियार करने और जुल्म व ज़्यादती छोड़कर अदल व इन्साफ़ इख़्तियार करने की तालीम व हिदायत फ़रमाई। मगर ये लोग अपनी दौलत व कुव्वत

के नशे में डूबे हुए थे। बात न मानी, जिसके नतीजे में इन पर पहला अज़ाब तो यह आया कि तीन साल तक लगातार बारिश बन्द हो गयी। उनकी ज़मीनें खुश्क रेगिस्तानी बयाबान बन गयीं, बागात जल गये, मगर इस पर भी ये लोग शिर्क व बुत-परस्ती से बाज़ न आये तो आठ दिन और सात रातों तक इन पर सख्त किस्म की आँधी का अज़ाब मुसल्लत हुआ जिसने इनके रहे सहे बागों और महलों को ज़मीन पर बिछा दिया। इनके आदमी और जानवर हवा में उड़ते और फिर सर के बल आकर गिरते थे। इस तरह यह क़ौमे आद पूरी की पूरी हलाक कर दी गयी। उक्त आयतों में जो इरशाद है:

وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا.

यानी हमने झुठलाने वालों की नस्ल काट दी, इसका मतलब कुछ हज़रात ने यही करार दिया है कि उस वक़्त जो लोग मौजूद थे वे सब फ़ना कर दिये गये। और कुछ हज़रात ने इस लफ़्ज़ के ये मायने करार दिये हैं कि आईन्दा के लिये भी क़ौमे आद की नस्ल अल्लाह तआला ने ख़त्म कर दी।

हज़रात हूद अलैहिस्सलाम की बात न मानने और कुफ़्र व शिर्क में मुब्तला रहने पर जब उनकी क़ौम पर अज़ाब आया तो हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने एक हज़ीरा (घेर) में पनाह ली। यह अज़ीब बात थी कि उस तूफ़ानी हवा से बड़े-बड़े महल तो ध्वस्त हो रहे थे मगर उस घेर में हवा निहायत मोतदिल होकर दाख़िल होती थी। हूद अलैहिस्सलाम के सब साथी अज़ाब नाज़िल होने के वक़्त भी उसी जगह मुत्मईन बैठे रहे, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं हुई। क़ौम के हलाक हो जाने के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में मुत्तकिल हो गये और फिर यहीं वफ़ात पाई। (बहरे मुहीत)

क़ौमे आद का अज़ाब हवा के तूफ़ान की सूरत में आना कुरआन मजीद में स्पष्ट तौर पर बयान हुआ है और सूर: मोमिनून में नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र करने के बाद जो इरशाद हुआ है:

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ.

यानी फिर हमने उनके बाद एक और जमाअत पैदा की। ज़ाहिर ग्रह है कि इस जमाअत से मुराद क़ौमे आद है। फिर इस जमाअत के आमाल व अक़वाल बयान फ़रमाने के बाद इरशाद फ़रमाया:

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ.

यानी पकड़ लिया उनको एक सख्त आवाज़ ने। कुरआन के इस इरशाद की बिना पर कुछ हज़राते मुफ़सिरीन ने फ़रमाया कि क़ौमे आद पर सख्त किस्म की डरावनी आवाज़ का अज़ाब मुसल्लत हुआ था, मगर इन दोनों बातों में कोई टकराव नहीं। हो सकता है कि सख्त आवाज़ भी हुई हो और हवा का तूफ़ान भी।

यह मुख़्तसर वाकिआ है क़ौमे आद और हज़रात हूद अलैहिस्सलाम का, इसकी तफ़सील

कुरआनी अलफाज के साथ यह है।

पहली आयत में:

وَالِي عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا. قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. أَفَلَا تَتَّقُونَ.

यानी हमने कौमे आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को हिदायत के लिये भेजा तो उन्होंने फरमाया- ऐ मेरी कौम! तुम सिर्फ अल्लाह तआला की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है, क्या तुम डरते नहीं?

कौमे आद से पहले कौमे नूह का जबरदस्त अजाब अभी तक लोगों के जेहनों से गायब न हुआ था, इसलिये हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अजाब की विशालता और सख्ती बयान करने की जरूरत न थी, सिर्फ इतना फरमाना काफी समझा कि क्या तुम अल्लाह के अजाब से डरते नहीं?

दूसरी आयत में है:

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظَنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِينَ.

यानी कौम के सरदारों ने कहा कि हम आपको बेवकूफी में मुब्तला पाते हैं, और हमारा गुमान यह है कि आप झूठ बोलने वालों में से हैं।

यह तकरीबन ऐसा ही मुकालमा (गुफ्तगू) है जैसा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे किया था, सिर्फ कुछ अलफाज का फर्क है। तीसरी और चौथी आयत में इसका जवाब भी तकरीबन उसी अन्दाज का है जैसा नूह अलैहिस्सलाम ने दिया था। यानी यह कि मुझमें बेवकूफी कुछ नहीं; बात सिर्फ इतनी है कि मैं रब्बुल-आलमीन की तरफ से रसूल और पैगम्बर बनकर आया हूँ उसके पैगामात तुम्हें पहुँचाता हूँ। और मैं वाजेह तौर पर तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। इसलिये तुम्हारी बाप-दादा से चली आई जहालतों और गलतियों में तुम्हारा साथ देने के बजाय मैं तुम्हारी तबीयतों के खिलाफ हक बात तुम्हें पहुँचाता हूँ जिससे तुम बुरा मानते हो।

पाँचवीं आयत में कौमे आद का वही एतिराज जिक्र किया गया है जो उनसे पहले कौमे नूह ने पेश किया था कि हम किसी अपने ही जैसे बशर और इनसान को कैसे अपना बड़ा और पेशवा मान लें, कोई फरिश्ता होता तो मुम्किन था कि हम मान लेते। इसका जवाब भी कुरआने करीम ने वही जिक्र किया है जो नूह अलैहिस्सलाम ने दिया था कि यह कोई ताज्जुब की बात नहीं कि कोई इनसान अल्लाह का नबी व रसूल होकर लोगों को डराने के लिये आ जाये। क्योंकि दर हकीकत इनसान के समझाने बुझाने के लिये इनसान ही का पैगम्बर होना प्रभावी हो सकता है।

इसके बाद उनको वो इनामात याद दिलाये जो अल्लाह तआला ने उस कौम पर फरमाये हैं। इरशाद फरमाया:

وَإِذْ كُرُوا إِذْ جَعَلْنَا مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ذُرِّيَّتَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصِطَةً فَادْكُرُوا الْآيَةَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ.

यानी इस बात को याद करो कि अल्लाह तआला ने तुम्हको कौमे नूह के बाद ज़मीन का

मालिक व काबिज बना दिया और डील-डोल में तुमको फैलाव भी ज्यादा दिया। उसकी इन नेमतों को याद करो तो तुम्हारा भला होगा।

मगर उस नाफरमान गुनाहों में डूबी हुई कौम ने एक न सुनी और वही जवाब दिया जो आम तौर पर गुमराह लोग दिया करते हैं कि क्या तुम यह चाहते हो कि हमसे हमारे बाप-दादा का मजहब छुड़ा दो और सारे देवताओं को छोड़कर हम सिर्फ एक खुदा को मानने लगें? यह तो हमसे न होगा। आप जिस अजाब की धमकी हमें दे रहे हैं उस अजाब को बुला लो अगर तुम सच्चे हो।

छठी आयत में हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब तुम्हारी सरकशी और बेहोशी की यह हालत है तो अब तुम पर खुदा तआला का ग़ज़ब और अज़ाब आया ही चाहता है, तुम भी इन्तिज़ार करो और हम भी अब उसी का इन्तिज़ार करते हैं। कौम के इस उत्तेजना भरे जवाब पर अज़ाब आने की ख़बर तो दे दी लेकिन पैग़म्बराना शफ़क़त व नसीहत ने फिर मजबूर किया, इस कलाम के दौरान में यह भी फ़रमा दिया कि अफ़सोस है तुमने और तुम्हारे बाप-दादों ने बेअक्ल बेजान चीज़ों को अपना माबूद बना लिया जिनके माबूद होने पर न कोई अक्ली दलील है न किताबी और आसमानी। और फिर तुम उनकी इबादत में ऐसे पुख़्ता हो गये कि उनकी हिमायत में मुझसे झगड़ा कर रहे हो।

आखिरी आयत में इरशाद फ़रमाया कि हूद अलैहिस्सलाम की सारी जिद्दोजहद और आद कौम की सरकशी का आखिरी अन्जाम यह हुआ कि हमने हूद अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो उन पर ईमान लाये थे अज़ाब से महफूज़ रखा और झुठलाने वालों की जड़ काट दी, और वे ईमान लाने वाले न थे।

इस किस्से में ग़ाफ़िल इनसानों के लिये खुदा की याद और इताअत में लग जाने की हिदायत और ख़िलाफ़वर्जी करने वालों के लिये सीख लेने का सामान और मुबल्लिगीन व मुस्लिहीन (इस्लाम के प्रचारकों और सुधारकों) के लिये तब्लीग़ व इस्लाह (प्रचार व सुधार) के पैग़म्बराना तरीक़े की तालीम है।

व
म
र
क
ज
ह
जि
म
द
फ
(7)
र
द
ज
मि
नि
-
मु
स्
-
मु
उ
र
उ
म

व इला समूद अखाहुम् सालिहन् ।
 का-ल या कौमिअबुदुल्ला-ह मा
 लकुम् मिन् इलाहिन् गैरुहू, कद्
 जाअत्कुम् बय्यि-नतुम् मिर्रब्बिकुम्,
 हाजिही नाकतुल्लाहि लकुम् आ-यतन्
 फ-ज़रूहा तअकुल् फी अरज़िल्लाहि
 व ला तमस्सूहा बिसूइन्
 फ-यअखु-ज़कुम् अज़ाबुन् अलीम
 (73) वज़कुरू इज़् ज-अ-लकुम्
 खु-लफ़ा-अ मिम्-बअदि आदिंव-व
 बव्व-अकुम् फ़िल्अर्जि तत्तख़िज़्-न
 मिन् सुहूलिहा कुसूरंव-व तन्हितूनल्
 जिबा-ल बुयूतन् फ़ज़कुरू आला-
 -अल्लाहि व ला तअसौ फ़िल्अर्जि
 मुफ़िसदीन (74) कालल्-म-लउल्लज़ीन-
 -स्तक्बरु मिन् कौमिही लिल्लज़ीनस्-
 -तुज़िअफ़ू लिमन् आम-न मिन्हुम्
 अ-तअल्मू-न अन्-न सालिहम्
 मुसलुम्-मिर्रब्बिही, कालू इन्ना बिमा
 उर्सि-ल बिही मुअ्मिन् (75)
 कालल्लज़ीनस्तक्बरु इन्ना बिल्लज़ी
 आमन्तुम् बिही काफ़िरुन् (76)

और समूद की तरफ़ भेजा उनके भाई
 सालेह को। बोला ऐ मेरी कौम! बन्दगी
 करो अल्लाह की, कोई नहीं तुम्हारा
 माबूद उसके सिवा, तुमको पहुँच चुकी है
 दलील तुम्हारे रब की तरफ़ से, यह ऊँटनी
 अल्लाह की है तुम्हारे लिये निशानी, सो
 इसको छोड़ दो कि ख़ाये अल्लाह की
 ज़मीन में और इसको हाथ न लगाओ
 बुरी तरह, फिर तुमको पकड़ेगा दर्दनाक
 अज़ाब। (73) और याद करो जबकि
 तुमको सरदार कर दिया अ़ाद के बाद
 और ठिकाना दिया तुमको ज़मीन में कि
 बनाते हो नरम ज़मीन में महल और
 तराशते हो पहाड़ों के घर, सो याद करो
 एहसान अल्लाह के और मत मचाते फ़िरो
 ज़मीन में फ़साद। (74) कहने लगे सरदार
 जो घमण्डी थे उसकी कौम में, ग़रीब
 लोगों को कि जो उनमें ईमान ला चुके
 थे- क्या तुमको यकीन है कि सालेह को
 भेजा है उसके रब ने? बोले हमको तो
 जो वह लेकर आया उस पर यकीन है।
 (75) कहने लगे वे लोग जो घमण्डी थे-
 जिस पर तुमको यकीन है हम उसको नहीं
 मानते। (76)

खुलासा-ए-तफसीर

और हमने समूद की तरफ़ उनके भाई सालेह (अलैहिस्सलाम) को (पैग़म्बर बनाकर) भेजा।
 उन्होंने (अपनी कौम से) फ़रमाया- ऐ मेरी कौम! तुम (सिर्फ़) अल्लाह की इबादत करो, उसके

सिवा कोई तुम्हारा मावूद (होने के क़ाबिल) नहीं। (उन्होंने एक खास मौजिजे की दरख्वास्त की कि इस पत्थर में से एक ऊँटनी पैदा हो तो हम ईमान लायें, चुनाँचे आपकी दुआ से ऐसा ही हुआ कि वह पत्थर फटा और उसके अन्दर से एक बड़ी ऊँटनी निकली। आपने फरमाया कि) तुम्हारे पास तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ़ से एक साफ़ और खुली दलील (मेरे रसूल होने की) आ चुकी है। (आगे उसका बयान है) यह ऊँटनी है अल्लाह की, जो तुम्हारे लिए दलील (बनाकर जाहिर की गयी) है, (और इसी लिये अल्लाह की ऊँटनी कहलाई कि अल्लाह की दलील है) सो (अलावा इसके कि मेरी रिसालत पर निशानी और सुबूत है खुद इसके भी कुछ हुक्क हैं उनमें से एक यह है कि) इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में (घास चारा) खाती फिरा करे, (इसी तरह अपनी बारी के दिन पानी पीती रहे जैसा कि दूसरी आयत में है) और इसको बुराई (और तकलीफ़ देने) के साथ हाथ भी मत लगाना, कभी तुमको दर्दनाक अज़ाब आ पकड़े।

और (ऐ कौम) तुम यह हालत याद करो (और याद करके एहसान मानो और इत्ताअत करो) कि अल्लाह तआला ने तुमको (कौमे) आद के बाद (रू-ए-जमीन पर) आबाद किया और तुमको ज़मीन पर रहने के लिये (मनमर्जी) ठिकाना दिया कि नर्म ज़मीन पर (भी बड़े-बड़े) महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश-तराशकर उनमें (भी) घर बनाते हो, सो खुदा तआला की (इन) नेमतों को (और दूसरी नेमतों को भी) याद करो (और कुफ़ व शिर्क के ज़रिये) ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ (यानी ईमान ले आओ। मगर बावजूद इस क़द्र समझाने और तंबीह के कुछ ग़रीब लोग ईमान लाये और उनमें और सरदारों में यह गुफ्तगू हुई, यानी) उनकी कौम में जो घमण्डी सरदार थे, उन्होंने ग़रीब लोगों से जो कि उनमें से ईमान ले आए थे पूछा कि क्या तुमको इस बात का यकीन है कि सालेह (अलैहिस्सलाम) अपने रब की तरफ़ से (पैग़म्बर बनाकर) भेजे हुए (आंये) हैं? उन्होंने (जवाब में) कहा कि बेशक हम तो उस (हुक्म) पर पूरा यकीन रखते हैं जो उनको देकर भेजा गया है। वे घमण्डी लोग कहने लगे कि तुम जिस चीज़ पर यकीन लाए हुए हो हम तो उसका इनकार करते हैं।

मज़ारिफ़ व मसाईल

इन आयतों में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद के हालात का तज़क़िरा है, जैसे कि इससे पहले कौमे नूह और कौमे हूद का ज़िक्र आ चुका है, और सूर: आराफ़ के आख़िर तक भी पहले अम्बिया और उनकी कौमों के हालात, अम्बिया की दावते हक़ पर उनके कुफ़ व इनकार के बुरे अन्जाम का बयान है।

उक्त आयतों में से पहली आयत में इरशाद फ़रमाया:

وَالْيَوْمَ نُمُودُ أَخَاهُمْ صَالِحًا

इससे पहले कौमे आद के तज़क़िरे में बयान हो चुका है कि आद व समूद एक ही दादा की औलाद में दो शख्सों का नाम है; उनकी औलाद भी उनके नाम से नामित होकर दो कौमों बन गयीं, एक कौमे आद दूसरी कौमे समूद कहलाती है। अरब के उत्तर पश्चिम में बसते थे और इनके

बड़े शहर का नाम हिज्र था जिसको अब उमूमन मदाईन-ए-सालेह कहा जाता है। कौमे आद की तरह कौमे समूद भी दौलतमन्द, ताकतवर, बहादुर, पत्थर गढ़ने और तामीर के फन में माहिर कौम थी। खुली जमीन पर बड़े-बड़े महल बनाने के अलावा पहाड़ों को खोदकर उनमें तरह-तरह की इमारतें बनाते थे। किताब अर्जुल-कुरआन में मौलाना सय्यिद सुलैमान नदवी ने लिखा है कि उनकी तामीरी यादगारें अब तक बाकी हैं, उनपर इरमी और समूदी खत में कतबे लिखे हैं।

दुनिया की दौलत व मालदारी का नतीजा उमूमन यही होता है कि ऐसे लोग खुदा व आखिरत से गाफिल होकर ग़लत रास्तों पर पड़ जाते हैं। कौमे समूद का भी यही हाल हुआ।

हालाँकि उनसे पहले कौमे नूह के अज़ाब के वाकिआत का तज़क़िरा अभी तक दुनिया में मौजूद था और फिर उनके भाई कौमे आद की हलाकत के वाकिआत तो ताज़ा ही थे, मगर दौलत व कुव्वत के नशे का खास्ता ही यह है कि अभी एक शख्स की बुनियाद ध्वस्त होती है दूसरा उसकी खाक के ढेर पर अपनी तामीर खड़ी कर लेता है और पहले के वाकिआत को भूल जाता है। कौमे आद की तबाही और हलाकत के बाद कौमे समूद उनके मकानों और जमीनों की वारिस बनी और उन्हीं मकामात पर अपने ऐश के घर तैयार किये जिनमें उनके भाई हलाक हो चुके थे, और ठीक वही आमाल व काम शुरू कर दिये जो कौमे आद ने किये थे कि खुदा व आखिरत से गाफिल होकर शिर्क व बुत-परस्ती में लग गये। अल्लाह तआला ने अपनी जारी आदत के मुताबिक उनकी हिदायत के लिये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। सालेह अलैहिस्सलाम नसब व वतन के एतिबार से कौमे समूद ही के एक फ़र्द थे। क्योंकि यह भी साम ही की औलाद में से थे। इसी लिये कुरआने करीम में इनको कौमे समूद का भाई फ़रमाया है।

हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो दावत दी वह वही दावत है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस वक़्त तक के सब अम्बिया देते चले आये हैं जैसा कि कुरआने करीम में है:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

यानी हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि वह लोगों को यह हिदायत करे कि अल्लाह तआला की इबादत करो और बुत-परस्ती से बचो। पहले गुज़रे आम अम्बिया की तरह सालेह अलैहिस्सलाम ने भी कौम से यही फ़रमाया कि अल्लाह तआला को अपना रब और खालिक व मालिक समझो, उसके सिवा कोई भाबूद बनाने के लायक नहीं। फ़रमाया:

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ.

इसके साथ ही यह भी फ़रमाया:

قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ.

यानी अब तो एक खुला हुआ निशान भी तुम्हारे परवर्दिगार की तरफ से तुम्हारे पास आ हुआ है। इस निशान से मुराद एक अजीब व ग़रीब ऊँटनी है, जिसका मुख़ासर ज़िक्र इस

आयत में भी है और कुरआने करीम की विभिन्न सूक्तों में उसकी अधिक तफ़सीलात बयान हुई हैं। वाकिआ उस ऊँटनी का यह था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़वानी के ज़माने से अपनी कौम को तौहीद (एक अल्लाह को मानने और उसकी इबादत) की दावत देनी शुरू की और बराबर इसमें लगे रहे, यहाँ तक कि बुढ़ापे के आसार शुरू हो गये। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बार-बार इसरार से तंग होकर उनकी कौम ने यह तय किया कि इनसे कोई ऐसा मुतालबा करो जिसको यह पूरा न कर सकें और हम इनकी मुखालफ़त में कामयाब हो जायें। मुतालबा यह किया कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो हमारी फुलों पहाड़ी जिसका नाम कातिवा था उसके अन्दर से एक ऐसी ऊँटनी निकाल दीजिए जो दस महीने की गाभन हो और ताक़तवर व तन्दुरुस्त हो।

हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहले तो उनसे अहद लिया कि अगर मैं तुम्हारा यह मुतालबा पूरा करा दूँ तो तुम सब मुझ पर और मेरी दावत पर इमान ले आओगे? जब सब ने इफ़रार और पक्का वायदा कर लिया तो सालेह अलैहिस्सलाम ने दो रकअत नमाज़ पढ़कर अल्लाह तआला से दुआ की कि आपके लिये तो कोई काम दुश्वार नहीं, इनका मुतालबा पूरा फ़रमा दें। दुआ करते ही पहाड़ी के अन्दर हरकत पैदा हुई और उसकी एक बड़ी चट्टान फटकर उसमें से एक ऊँटनी उसी तरह की निकल आई जैसा मुतालबा किया था।

सालेह अलैहिस्सलाम का यह खुला हुआ हैरत-अंगेज़ मोजिज़ा देखकर उनमें से कुछ लोग तो मुसलमान हो गये और बाकी तमाम कौम ने भी इरादा कर लिया कि इमान ले आयें, मगर कौम के चन्द सरदार जो बुतों के खास पुजारी और बुत-परस्ती के मुखिया थे, उन्होंने उनको बहका कर इस्लाम कुबूल करने से रोक दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि कौम ने अहद तोड़ दिया और ख़तरा हुआ कि इन पर कोई अज़ाब आ जायेगा तो पैग़म्बराना शफ़क़त की बिना पर उनको यह नसीहत फ़रमाई कि इस ऊँटनी की हिफ़ाज़त करो, इसको कोई तकलीफ़ न पहुँचाओ तो शायद तुम अज़ाब से महफूज़ रहो, वरना फ़ौरन तुम पर अज़ाब आ जायेगा। यही मज़मून उक्त आयत के इन जुमलों में इरशाद हुआ है:

هَذِهِ نَاقَةٌ لِلَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

यानी यह ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिये दलील (निशानी) है, सो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरा करे। और इसको बुराई के इरादे से हाथ न लगाना वरना तुमको दर्दनाक अज़ाब आ पकड़ेगा। इस ऊँटनी को नाकतुल्लाह (अल्लाह की ऊँटनी) इसलिये कहा गया कि अल्लाह की कामिल कुदरत की दलील और सालेह अलैहिस्सलाम के मोजिज़े के तौर पर हैरत-अंगेज़ तरीके से पैदा हुई। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह फ़रमाया गया कि उनकी पैदाईश भी मोजिज़ाना (चमत्कारी) अन्दाज़ से हुई थी।

“खाती फिरा करे अल्लाह की ज़मीन में” के अन्दर इसकी तरफ़ इशारा है कि इस ऊँटनी के खाने-पीने में तुम्हारी मिल्क और तुम्हारे घर से कुछ नहीं जाता, ज़मीन अल्लाह की है उसकी

पैदावार का पैदा करने वाला वही है, उसकी ऊँटनी को उसकी ज़मीन में आज़ाद छोड़ दो ताकि वह आम चरागाहों में खाती रहे।

कौमे समूह जिस कुएँ से पानी पीते पिलाते थे उसी से यह ऊँटनी भी पानी पीती थी, मगर यह अजीब अन्दाज़ से पैदा शुदा ऊँटनी जब पानी पीती तो पूरे कुएँ का पानी खत्म कर देती थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से यह फैसला फरमा दिया था कि एक दिन यह ऊँटनी पानी पियेगी और दूसरे दिन कौम के सब लोग पानी लेंगे, और जिस दिन यह ऊँटनी पानी पियेगी तो दूसरों को पानी के बजाय ऊँटनी का दूध उतनी मात्रा में मिल जाता था कि वे अपने सारे बर्तन उससे भर लेते थे। कुरआन मजीद में दूसरी जगह इस तक़सीम का ज़िक्र आया है:

وَبَيْنَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُّحْتَضَرٌ

यानी सालेह अलैहिस्सलाम आप अपनी कौम को बतला दें कि कुएँ का पानी उनके और अल्लाह की ऊँटनी के बीच तक़सीम होगा। एक दिन ऊँटनी का और दूसरे दिन पूरी कौम का। और इस तक़सीम पर अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़रिश्तों की निगरानी मुसल्लत होगी ताकि कोई इसके खिलाफ़ न कर सके। और एक दूसरी आयत में है:

هَذِهِ نَاقَةٌ لِّهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شَرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ

यानी यह अल्लाह की ऊँटनी है, एक दिन पानी का हक़ इसका और दूसरे दिन का पानी तुम्हारे लिये तयशुदा व मुक़रर है।

दूसरी आयत में इस वायदा भुलाने वाली नाफ़रमान कौम की ख़ैरख़्वाही और उनको अल्लाह के अज़ाब से बचाने के लिये फिर उनको अल्लाह के इनामात व एहसानात याद दिलाये कि अब भी ये लोग अपनी सरकशी (बुरी हरकतों और नाफ़रमानी) से बाज़ आ जायें। फ़रमाया:

وَإِذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهْلِهَا قُصُورًا وَتَنْجُونَ

الْجِبَالِ بُيُوتًا

इसमें खुलफ़ा ख़लीफ़ा की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं कायम-क़ाम और नायब। और कुसूर क़स्र की जमा है यह ऊँची आलीशान इमारत और महल को कहा जाता है। "तन्हितून" नहत से निकला है जिसके मायने हैं पत्थर तराशना, "जिबाल" जबल की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने पहाड़ के हैं। "बुयूता" बैत की जमा है जो घर के कमरे के लिये बोला जाता है। मायने यह है कि अल्लाह तआला की इस नेमत को याद करो कि उसने कौमे आद को हलाक करके उनकी जगह तुमको बसाया। उनकी ज़मीन और मकानात तुम्हारे कब्ज़े में दे दिये और तुमको यह हुनर और फ़न सिखला दिया कि खुली ज़मीन में बड़े-बड़े महल बना लेते हो और पहाड़ों को तराश कर उनमें कमरे और मकानात बना लेते हो। आयत के आख़िर में फ़रमाया:

فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

यानी अल्लाह की नेमतें याद करो और उनका एहसान मानो। उसकी इताअत इख्तियार करो और ज़मीन में फ़साद फैलाते मत फ़िरो।

अहकाम व मसाईल

उक्त आयतों से चन्द उसूली और उनसे निकलने वाले मसाईल मालूम हुए।

अव्वल यह कि बुनियादी अक़ीदों में तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मुत्ताफ़िक (एक राय) हैं और उनकी शरीअतें एक हैं, सब की दावत तौहीद के साथ अल्लाह की इबादत करना और उसकी खिलाफ़वर्जी (उल्लंघन) पर दुनिया व आख़िरत के अज़ाब से डराना है।

दूसरे यह कि तमाम पिछली उम्मतों में होता भी रहा है कि कौमों के बड़े दौलतमन्द आबरूदार लोगों ने उनकी दावत को कुबूल नहीं किया और उसके नतीजे में दुनिया में भी हलाक व बरबाद हुए और आख़िरत में भी अज़ाब के हक़दार हुए।

तीसरे तफ़सीरे कुर्तुबी में है कि इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की नेमतें दुनिया में काफ़िरों पर भी मुतवज्जह होती हैं, जैसा कि कौमे आद व समूद पर अल्लाह तआला ने दौलत व कुव्वत के दरवाजे खोल दिये थे।

चौथे तफ़सीरे कुर्तुबी ही में है कि इस आयत से मालूम हुआ कि बड़े-बड़े महलों और आलीशान मकानों की तामीर भी अल्लाह तआला की नेमत है और उनका बनाना जायज़ है। यह दूसरी बात है कि अम्बिया व औलिया-अल्लाह ने इसको इसलिये पसन्द नहीं फ़रमाया कि ये चीज़ें इनसान को गुफ़लत में डाल देने वाली हैं। रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जो ऊँची तामीरों के बारे में इरशादात मन्कूल हैं वो इसी अन्दाज़ के हैं।

तीसरी और चौथी आयत में वह गुफ़्तगू और मुबाहसा ज़िक्र किया गया है जो कौमे समूद के दो गिरोहों के बीच हुआ। एक वह गिरोह जो सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था, दूसरा इनकारियों और काफ़िरों का गिरोह। इरशाद फ़रमाया:

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ.

यानी कहा कौमे सालेह में से उन लोगों ने जिन्होंने तकब्बुर किया उन लोगों से जिनको बेइज्जत व कमज़ोर समझा जाता था, यानी जो ईमान लाये थे।

इमाम राज़ी रह. ने तफ़सीरे कबीर में फ़रमाया कि इस जगह इन दोनों गिरोहों के दो गुण कुरआने करीम ने बतलाये मगर काफ़िरों का वस्फ़ (गुण) मारूफ़ के कलिमे से बतलाया "इस्तक्बरू" और मोमिनों का वस्फ़ मजहूल के कलिमे से बतलाया "उस्तुज्ज़िफू" इसमें इशारा पाया जाता है कि काफ़िरों का यह हाल कि वे तकब्बुर करते थे खुद उनका अपना फ़ैल था, जो पकड़ और मलामत के काबिल और अन्जामकार अज़ाब का सबब हुआ। और मोमिनों का जो वस्फ़ ये लोग बयान करते थे कि वे ज़लील व हकीर और कमज़ारे हैं, यह काफ़िरों का कहना है खुद मोमिनों का वास्तविक हाल और वस्फ़ नहीं, जिस पर कोई मलामत हो सके, बल्कि मलामत (बुरा-भला कहना और निंदा करना) उन लोगों पर है जो बिना वजह उनको ज़लील व ज़ईफ़

कहते और समझते हैं। आगे वह बातचीत जो दोनों गिरोहों में हुई यह है कि काफिरों ने मोमिनों से कहा कि क्या तुम वाकई यह जानते हो कि सालेह अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं? मोमिनों ने जवाब दिया कि जो हिदायतें वह अल्लाह की तरफ से देकर भेजे गये हैं हम उन सब पर यकीन व ईमान रखते हैं।

तफसीरे कश्शाफ में है कि कौमे समूद के मोमिनों ने कैसा बेहतरीन और भरपूर जवाब दिया है कि तुम जिस बहस में पड़े हुए हो कि यह रसूल हैं या नहीं, यह बात बहस के काबिल ही नहीं बल्कि आसानी से समझ में आने वाली और यकीनी है, और यह भी यकीनी है कि वह जो कुछ फरमाते हैं वह अल्लाह तआला की तरफ से लाया हुआ पैगाम है। बात कुछ हो सकती है तो यह कि कौन उन पर ईमान लाता है कौन नहीं, सो अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि हम तो उनकी लाई हुई सब हिदायतों पर ईमान रखते हैं।

मगर उनके इस उम्दा और स्पष्ट जवाब पर भी कौम ने वही सरकशी की बात की कि जिस चीज पर तुम ईमान लाये हो हम उसके इनकारी हैं। दुनिया की मुहब्बत और दौलत व कुव्वत के नशे से अल्लाह तआला महफूज रखे कि वह इनसान की आँखों का पर्दा बन जाते हैं और वह आसानी से समझ में आने वाली चीजों का इनकार करने लगता है।

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَاعْتَوَيْنَ أَمْرَ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَصْلِحُ اثْنَانِ بِنَا تَعْدُنَا

إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَأَخَذْتُمُ الرِّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثِيمِينَ ۝ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ
قَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ۝

फ-अ-करुन्नाक-त व अतौ अन्
अभिर रब्बिहिम् व कालू या
सालिहुअतिना बिमा तअिदुना इन्
कुन्-त मिनल्-मुर्सलीन (77)

फ-अ-खजलुमुर्जफतु फ-अस्बहू फी
दारिहिम् जासिमीन (78) फ-तवल्ला

अन्हुम् व काल या कौमि ल-कद्
अब्लगतुकुम् रिसाल-त रब्बी व

नसस्तु लकुम् व लाकिल्ला
तुहिब्बूनन्-नासिहीन (79)

फिर उन्होंने काट डाला ऊँटनी को और फिर गये अपने रब के हुक्म से, और बोलें ऐ सालेह! ले आ हम पर जिस से तू हमको डराता था अगर तू रसूल है। (77)

पस आ पकड़ा उनको जलजले ने फिर सुबह को रह गये अपने घर में अँधे पड़े।

(78) फिर सालेह उल्टा फिरा उनसे और बोला ऐ मेरी कौम! मैं पहुँचा चुका तुम को पैगाम अपने रब का और खैरख्वाही की तुम्हारी लेकिन तुमको मुहब्बत नहीं खैरख्वाहों (भला चाहने वालों) से। (79)

खुलासा-ए-तफसीर

गर्ज कि (न सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाये और न ऊँटनी के हुकूक अदा किये बल्कि) उन्होंने उस ऊँटनी को (भी) मार डाला और अपने परवर्दिगार के हुकूम (मानने) से (भी) सरकशी की (वह हुकूम तौहीद व रिसालत पर ईमान लाना था), और (इस पर यह दुस्साहस किया) कहने लगे कि ऐ सालेह! जिस (अजाब) की आप हमको धमकी देते थे उसको मंगवाईए, अगर आप पैगम्बर हैं (क्योंकि पैगम्बर का सच्चा होना लाज़िमी है)। पस आ पकड़ा उनको जलजले ने, सो अपने घरों में औंधे (के औंधे) पड़े रह गए। उस वक़्त वह (यानी सालेह अलैहिस्सलाम) उनसे मुँह मोड़कर चले और (बतौर हसरत के फ़र्ज़ी खिताब करके) फ़रमाने लगे कि ऐ मेरी कौम! मैंने तो तुमको अपने परवर्दिगार का हुकूम पहुँचा दिया था, (जिस पर अमल करना कामयाबी का ज़रिया था) और मैंने तुम्हारी (बहुत) खैरख्वाही की (कि किस तरह शफ़क़त से समझाया) लेकिन (अफ़सोस तो यह है कि) तुम लोग (अपने) खैरख्वाहों को पसन्द ही नहीं करते थे (इसलिये एक न सुनी और आख़िर यह बुरा दिन देखा)।

मआरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में आ चुका है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ से पहाड़ की एक बड़ी चट्टान फटकर उससे एक अजीब व ग़रीब ऊँटनी पैदा हो गयी थी और अल्लाह तआला ने उस ऊँटनी को भी उस कौम के लिये आख़िरी इम्तिहान इस तरह बना दिया था कि जिस कुँए से सारी बस्ती के लोग और उनके मवेशी (जानवर) पानी हासिल करते थे, यह उसका सारा पानी पी जाती थी, इसलिये सालेह अलैहिस्सलाम ने उनके लिये बारी मुकरर कर दी थी कि एक दिन यह ऊँटनी पानी पिये दूसरे दिन बस्ती वाले।

कौमे समूद उस ऊँटनी की वजह से तकलीफ़ में मुब्तला थे और चाहते थे कि किसी तरह यह हलाक हो जाये, मगर खुद ऐसी हरकत करने से डरते थे कि खुदा तआला का अजाब आ जायेगा।

शैतान का सबसे बड़ा वह फ़रेब जिसमें मुब्तला होकर इनसान अपने होश व अक्ल खो बैठता है वह औरत का फ़ितना है। कौम की दो हसीन व सुन्दर औरतों ने यह बाज़ी लगा दी कि जो शख्स इस ऊँटनी को क़त्ल कर देगा हम और हमारी लड़कियों में से जिसको चाहे वह उसकी है।

कौम के दो नौजवान "मिस्दअ" और "कज़ार" इस नशे में मदहोश होकर उस ऊँटनी को क़त्ल करने के लिये निकले और ऊँटनी के रास्ते में एक पत्थर की चट्टान के नीचे छुपकर बैठ गये। जब ऊँटनी सामने आई तो मिस्दअ ने तीर का वार किया और कज़ार ने तलवार से उसकी टाँगें काटकर क़त्ल कर दिया।

कुरआने करीम ने इसी को कौमे समूद का सबसे बड़ा बदबख़्त करार दिया है:

إِذْ أَنْبَأَتْ أَنْفُسَهَا

क्योंकि इसके सबब पूरी क़ौम अज़ाब में गिरफ़्तार हो गयी।

हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी के क़त्ल का वाकिआ मालूम होने के बाद क़ौम को अल्लाह के हुक्म से बतला दिया कि अब तुम्हारी ज़िन्दगी के सिर्फ़ तीन दिन बाकी हैं:

تَمَتُّوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرٍ مَكْذُوبٍ.

यानी तीन दिन और अपने घरों में आराम कर लो (उसके बाद अज़ाब आने वाला है) और यह वायदा सच्चा है इसमें ख़िलाफ़ की सम्भावना नहीं। मगर जिस क़ौम का वक़्त ख़राब आ जाता है उसके लिये कोई नसीहत व तंबीह कारगर नहीं होती। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के इस इरशाद पर भी उन बदबख़्त लोगों ने मज़ाक़ उड़ाना शुरू किया और कहने लगे कि यह अज़ाब कैसे और कहाँ से आयेगा, और उसकी निशानी क्या होगी?

हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि लो अज़ाब की निशानी और पहचान भी सुन लो। कल जुमेरात के दिन तुम सब के चेहरे बहुत ही पीले हो जायेंगे, मर्द व औरत, बच्चा बूढ़ा कोई इससे अलग न होगा। फिर परसों जुमे के दिन सब के चेहरे ख़ूब लाल हो जायेंगे और तरसों शनिवार को सब के चेहरे बहुत ज़्यादा काले हो जायेंगे। और यह दिन तुम्हारी ज़िन्दगी का आख़िरी दिन होगा। बदनसीब क़ौम ने यह सुनकर भी बजाय इसके कि तौबा व इस्तिग़फ़ार की तरफ़ मुतवज्जह हो जाते, यह फैसला किया कि सालेह अलैहिस्सलाम ही को क़त्ल कर दिया जाये। क्योंकि अगर ये सच्चे हैं और हम पर अज़ाब आना ही है तो हम अपने से पहले इनका काम तमाम क्यों न कर दें, और अगर झूठे हैं तो अपने झूठ का ख़मियाज़ा भुगतें। क़ौम के इस इरादे का तज़क़िरा कुरआन में दूसरी जगह तफ़सील से मौजूद है। क़ौम के इस सर्वसम्मति के फैसले के मातहत कुछ लोग रात को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मकान पर क़त्ल के इरादे से गये मगर अल्लाह तआला ने रास्ते ही में उन पर पत्थर बरसाकर हलाक कर दिया:

وَمَكْرُورًا مَكْرُورًا وَمَكْرُورًا مَكْرُورًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.

यानी उन्होंने भी एक ख़ुफ़िया तदबीर की और हमने भी ऐसी तदबीर की कि उनको उसकी ख़बर न हुई।

और जब जुमेरात की सुबह हुई तो सालेह अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक़ सब के चेहरे ऐसे ज़र्द (पीले) हो गये जैसे गहरा ज़र्द रंग फेर दिया गया हो। अज़ाब की पहली अ़तामत (निशानी) के सच्चा होने के बाद भी ज़ालिमों को इस तरफ़ कोई तवज्जोह न हुई कि अल्लाह तआला पर ईमान लाते और अपनी ग़लत हरकतों से बाज़ आ जाते। बल्कि उनका गुस्सा व आक्रोश हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के प्रति और बढ़ गया और पूरी क़ौम उनके क़त्ल की फ़िक्र में फिरने लगी। अल्लाह तआला अपने क़हर से बचाये उसकी भी निशानियाँ होती हैं कि दिल व दिमाग़ औंधे हो जाते हैं, नफ़े को नुक़सान और नुक़सान को नफ़ा, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने लगते हैं।

आखिरकार दूसरा दिन आया तो भविष्यवाणी के मुताबिक सब के चेहरे सुख हो गये और तीसरे दिन बहुत काले हो गये। अब तो ये सब के सब अपनी जिन्दगी से मायूस होकर इन्तिज़ार करने लगे कि अज़ाब किस तरफ से किस तरह आता है।

इसी हाल में ज़मीन से एक सख्त जलजला आया और ऊपर से सख्त डरावनी चीख और तेज़ आवाज़ हुई जिससे सब के सब एक ही वक़्त में बैठे-बैठे औंधे गिरकर मर गये। जलजले का जिक्र तो इन आयतों में मौजूद है जो ऊपर बयान हुई हैं:

فَاخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ

रज़फ़ा के मायने हैं जलजला।

और दूसरी आयतों में:

فَاخَذَتْهُمْ الصَّبْحَةُ

भी आया है। "सैह" के मायने हैं चीख और सख्त तेज़ आवाज़। दोनों आयतों से मालूम हुआ कि दोनों तरह के अज़ाब उन पर जमा हो गये थे। ज़मीन से जलजला और ऊपर से चीख और तेज़ आवाज़ जिसका नतीजा यह हुआ कि वे औंधे मुँह गिरकर बेजान हो गये और सब के सब अल्लाह के अज़ाब के सामने ढेर हो गये। अल्लाह तआला हमें अपने क़हर और अज़ाब से अपनी हिफ़ाज़त में रखे। आमीन

कौमे समूद के इस किस्से के अहम अंश और हिस्से तो खुद कुरआने करीम की विभिन्न सूरतों में मज़कूर हैं और कुछ हिस्से हदीस की रिवायतों में बयान हुए हैं। कुछ वो भी हैं जो मुफ़त्सिरीन ने इस्राईली रिवायतों से लिये हैं, मगर उन पर किसी वाकिए और हकीकत के सुबूत का मदार नहीं।

सही बुखारी की एक हदीस में है कि ग़ज़वा-ए-तबूक (तबूक की मुहिम) के सफ़र में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम का गुज़र उस मक़ामे हिज़्र पर हुआ जहाँ कौमे समूद पर अज़ाब आया था, तो आपने सहाबा किराम को हिदायत फ़रमाई कि इस अज़ाब से ग्रस्त बस्ती की ज़मीन में कोई अन्दर न जाये और न इसके कुएँ का पानी इस्तेमाल करे।

(तफ़सीरे मज़हरी)

और कुछ रिवायतों में है कि हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि कौमे समूद पर जब अज़ाब आया तो उनमें सिवाय एक शख्स अबू रिग़ाल के कोई नहीं बचा। यह शख्स उस वक़्त हरमे मक्का में पहुँचा हुआ था, अल्लाह तआला ने हरमे मक्का के सम्मान के सबब उस वक़्त इसको अज़ाब से बचा लिया और आखिरकार जब यह हरम से निकला तो वही अज़ाब जो इसकी कौम पर आया था इस पर भी आ गया और यहीं हलाक हो गया। हुज़ुरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों को मक्का से बाहर अबू रिग़ाल की क़ब्र का निशान भी दिखलाया और यह भी फ़रमाया कि इसके साथ एक सोने की छड़ी भी दफ़न हो गयी थी। सहाबा किराम ने क़ब्र खोली तो सोने की छड़ी मिल गयी, वह निकाल ली। इस रिवायत में यह

गी
न
गों
लाने
क
इला
रिवा
काम
आर
धिता
इशर
सल्ल
फरमा
नाज़
रि
कौ
कौ
कौ
व
अ-त

भी है कि तईफ के नागरिक वनू सफीफ इसी अबू रिगाल की औलाद हैं। (तफसीर मजहरी)

इन अज़ाब हुई कौमों की बस्तियों को अल्लाह तआला ने आने वाली नस्लों के लिये इब्रत का निशान बनाकर कायम रखा है और कुरआने करीम ने अरब के लोगों को बार-बार इस पर चौंकाया है कि तुम्हारे शाम के सफ़र के रास्ते पर ये स्थान आज भी दास्ताने इब्रत बने हुए हैं:

لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا

कौमे सालेह के अज़ाब के वाकिए के आखिर में इरशाद है:

فَقَوْلِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُومُ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ

यानी कौम पर अज़ाब नाज़िल होने के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले मोमिन भी उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गये। कुछ रिवायतों में है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ चार हज़ार मोमिन थे, उन सब को लेकर यमन के इलाके हज़रेमूत में चले गये और वहीं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। और कुछ रिवायतों से उनका मक्का मुअज़्ज़मा चला जाना और वहीं वफ़ात होना मालूम होता है।

इब्रत के ज़ाहिर से मालूम होता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने चलते वक़्त अपनी कौम को खिताब करके फ़रमाया कि ऐ मेरी कौम! मैंने तुमको अपने रब का पैग़ाम पहुँचा दिया और तुम्हारी ख़ैरख़्वाही (भलाई) की मगर अफ़सोस तुम ख़ैरख़्वाहों को ही पसन्द नहीं करते।

यहाँ यह सवाल होता है कि जब सारी कौम अज़ाब से हलाक हो चुकी तो अब उनको खिताब करने से क्या फ़ायदा? जवाब यह है कि एक फ़ायदा तो यही है कि इससे लोगों को इब्रत (सीख-हासिल) हो और यह खिताब ऐसा ही है जैसे रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ग़ज़वा-ए-बदर में मरे हुए कुरैशी मुशिरकों को खिताब करके कुछ कलिमात इरशाद फ़रमाये थे। और यह भी मुम्किन है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का यह फ़रमाना अज़ाब के नाज़िल होने और कौम की तबाही से पहले हुआ हो, अगरचे वाकिए के बयान में इसको बाद में ज़िक्र किया है।

و لَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ

بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

مُتَّبِعُونَ ۝ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۝

فَأَبْجَسَتْ مِنْ أَهْلِهَا إِلَّا امْرَأَتَهُ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُجْرِمِينَ ۝

व लूतन् इज़् का-ल लिक्कौमिही	और भेजा लूत को जब कहा उसने अपनी
अ-तअतूनल्-फ़ाहि-श-त मा	कौम को- क्या तुम करते हो ऐसी

स-ब-ककुम् बिहा मिन् अ-हदिम्
 मिनल्-आलमीन (80) इन्नकुम्
 ल-तअतूनरिजा-ल शह्व-तम् मिन्
 दूनिन्निसा-इ, बल् अन्तुम् कौमुम्-
 मुसिफून (81) व मा का-न जवा-ब
 कौमिही इल्ला अन् कालू अख्रिजूहुम्
 मिन् करयतिकुम् इन्नहुम् उनासुं-
 -य-ततहह्रून (82) फ-अन्जैनाहु व
 अहलहू इल्लमूर-अ-तहू कानत्
 मिनल्-गाबिरीन (83) व अम्तरना
 अलैहिम् म-तरन्, फन्जूर कै-फ का-न
 आकि-बतुल्-मुजरिमीन (84) ❀

बेहयाई कि तुमसे पहले नहीं किया उसको
 किसी ने जहान में? (80) तुम तो दौड़ते
 हो मर्दों पर शहवत के मारे औरतों को
 छोड़कर, बल्कि तुम लोग हो हद से
 गुजरने वाले। (81) और कुछ जवाब न
 दिया उसकी कौम ने मगर यही कहा कि
 निकालो इनको अपने शहर से, ये लोग
 बहुत ही पाक रहना चाहते हैं। (82) फिर
 बचा दिया हमने उसको और उसके घर
 वालों को मगर उसकी औरत, कि रह गई
 वहाँ के रहने वालों में। (83) और
 बरसाई हमने उनके ऊपर बारिश यानी
 पत्थरों की, फिर देख क्या हुआ अन्जाम
 गुनाहगारों का। (84) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

और हमने लूत (अलैहिस्सलाम) को (चन्द बस्तियों की तरफ पैगम्बर बनाकर) भेजा जबकि
 उन्होंने अपनी कौम (यानी अपनी उम्मत) से फरमाया- क्या तुम ऐसा फुहश "यांनी गन्दा और
 बुरा" काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में से नहीं किया (यानी)
 तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ इच्छा पूरी करते हो, (और इस काम के करने में यह नहीं
 कि तुमको कोई धोखा हो गया हो) बल्कि (इस बारे में) तुम (इनसानियत की) हद से ही गुजर
 गए हो। और (इन बातों का) उनकी कौम से कोई (माकूल) जवाब न बन पड़ा सिवाय इसके कि
 (आखिर में बेहदगी की राह से) आपस में कहने लगे कि इन लोगों को (यानी लूत अलैहिस्सलाम
 को और उनके साथी मोमिनों को), तुम अपनी (इस) बस्ती में से निकाल दो, (क्योंकि) ये लोग
 बड़े पाक-साफ बनते हैं (और हमको गन्दा बतलाते हैं। फिर गन्दों में पाकों का क्या काम। यह
 बात उन्होंने मजाक उड़ाने के तौर पर कही थी) सो (जब यहाँ तक नौबत पहुँची तो) हमने (उस
 कौम पर अज़ाब नाज़िल किया और) उनको (यानी लूत अलैहिस्सलाम को) और उनके
 मुताल्लिकीन को (यानी उनके घर वालों को और दूसरे ईमान वालों को भी उस अज़ाब से) बचा
 लिया (इस तरह कि वहाँ से निकल जाने का पहले ही हुक्म हो गया) सिवाय उनकी बीवी के, कि
 यह (ईमान न लाने के कारण) उन्हीं लोगों में रही जो अज़ाब में रह गए थे। और (वह अज़ाब जो

व
 उ
 वि
 मु
 क
 कि
 प
 श
 द
 ब
 अ
 फ
 अ
 म
 इ
 त
 अ
 अ

उन पर नज़िल हुआ यह था कि) हमने उनके ऊपर एक नई तरह की बारिश बरसाई (जो कि पत्थरों की थी)। सो (ऐ देखने वाले) देख तो सही उन मुजरिमों का अन्जाम कैसा हुआ (अगर तू गौर से देखेगा तो ताज्जुब करेगा और समझेगा कि नाफ़रमानी का क्या अन्जाम होता है)।

मआरिफ़ व मसाईल

अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों के किस्सों का जो सिलसिला ऊपर से चल रहा है उसका चौथा किस्सा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का है।

लूत अलैहिस्सलाम हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। दोनों का असल वतन पश्चिमी इराक़ में बसरा के करीब अर्ज-ए-बाबिल के नाम से परिचित था, उसमें बुत-परस्ती का आम रिवाज था। खलीलुल्लाह का घराना खुद बुत-परस्ती में मुब्तला था। हक़ तआला ने उनकी हिदायत के लिये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। कौम ने मुखालफ़त की जिसकी नौबत नमरूद की आग तक पहुँची। खुद वालिद ने घर से निकाल देने की धमकियाँ दीं।

अपने घराने में से सिर्फ़ बीबी साहिबा हज़रत सारा और भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुसलमान हुए। आखिरकार इन्हीं दोनों को साथ लेकर वतन से मुल्क शाम की तरफ़ हिजरत फ़रमाई। नहर उर्दुन पर पहुँचने के बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किनआन के इलाक़े में जाकर मुक़ीम हुए जो बैतुल-मुक़दस के करीब है।

हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी हक़ तआला ने नुबुव्वत अता फ़रमाकर उर्दुन और बैतुल-मुक़दस के बीच मक़ाम सुदूम के लोगों की हिदायत के लिये भेजा। यह इलाक़ा पाँच अच्छे बड़े शहरों पर मुश्तमिल था। जिनके नाम सुदूम, अमूरा, अदमा, सबूबीम और बालेअ या सूगर थे। इनके मजमूए को कुरआने करीम ने "मोतफ़िका" और "मोतिफ़कात" के अलफ़ाज़ में कई जगह बयान फ़रमाया है। सुदूम इन शहरों की राजधानी और मर्कज़ समझा जाता था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यहीं क़ियाम फ़रमाया। ज़मीन हरी-भरी और शादाब थी, हर तरह के ग़ल्ले और फलों की कसरत थी (यह तारीख़ी तफ़सीलात तफ़सीर बहरे मुहीत, मज़हरी, इब्ने कसीर, अल्मनार वग़ैरह में बयान हुई हैं)।

इनसान की आम आदत कुरआने करीम ने बयान फ़रमाई है:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ إِنَّ رَأْيَهُ اسْتَغْنَىٰ ۚ

यानी इनसान सरकशी (नाफ़रमानी) करने लगता है जब यह देखता है कि वह किसी का मोहताज नहीं रहा। इन लोगों पर भी हक़ तआला ने अपनी नेमतों के दरवाज़े खोल दिये थे। आम इनसानी आदत के तहत दौलत व मालदारी के नशे में मुब्तला होकर ऐश व इशरत और इच्छा-परस्ती के उस किनारे पर पहुँच गये कि इनसानी ग़ैरत व हया और अच्छे-बुरे की फ़ितरी तमीज़ भी खो बैठे। ऐसी खिलाफ़े फ़ितरत गन्दगियों और बुराईयों में मुब्तला हो गये जो हराम और गुनाह होने के अलावा सही फ़ितरत के लिये काबिले नफ़रत और ऐसे धिन के काम हैं कि आम जानवर भी उसके पास नहीं जाते।

हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने उनकी हिदायत के लिये मामूर फरमाया।
उन्होंने अपनी कौम को खिताब करके फरमाया:

اتَّأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

यानी बतौर तंबीह के फरमाया- क्या तुम ऐसा फुहश (गन्दा और बुरा) काम करते हो जो तुमसे पहले सारे जहान में किसी ने नहीं किया।

जिना के बारे में तो कुरआने करीम ने 'इन्नहू का-न फाहिशतन्' बगैर अलिफ लाम के जिक्र किया है, और यहाँ अलिफ लाम के साथ "अल्फाहिश-त" फरमाकर इसकी तरफ इशारा कर दिया कि यह खिलाफे फितरत बदकारी गोया तमाम बुराईयों का मजमूआ और जिना से ज्यादा सख्त जुर्म है।

फिर यह फरमाया कि यह बदकारी तुमसे पहले सारे जहान में किसी ने नहीं की। अमर बिन दीनार ने फरमाया कि इस कौम से पहले दुनिया में कभी ऐसी हरकत न देखी गयी थी।
(तफसीरे मजहरी)

और न सुदूम वालों से पहले किसी बुरे से बुरे इन्सान का जेहन इस तरफ गया। उमयी खलीफा अब्दुल-मलिक ने कहा कि अगर कुरआन में कौमे लूत का वाकिआ मजकूर न होता तो मैं कभी गुमान नहीं कि सकता था कि कोई इन्सान ऐसा काम कर सकता है। (इब्ने कसीर)

इसमें उनकी बेहयाई पर दो हैसियत से तंबीह की गयी- अब्बल तो यह कि बहुत से गुनाहों में इन्सान अपने माहौल या अपने बड़ों की पैरवी की वजह से मुब्तला हो जाता है अगरचे वह भी कोई शरई उज़्र नहीं, मगर उर्फ में उसको किसी न किसी दर्जे में माजूर कहा जा सकता है। मगर ऐसा गुनाह जो पहले किसी ने नहीं किया न उसके लिये खास असबाब और माहौल है, यह और भी ज्यादा वबाल है। दूसरे इस हैसियत से कि किसी बुरे काम या बुरी रस्म को जो शख्स ईजाद करता (निकालता और शुरू करता) है उस पर अपने फेल का गुनाह और अज़ाब तो होता ही है इसके साथ उन तमाम लोगों का अज़ाब व वबाल भी उसी की गर्दन पर होता है जो कियामत तक उसके फेल से मुतास्सिर होकर गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं।

दूसरी आयत में उनकी इस बेहयाई को ज्यादा वाजेह अल्फाज़ में इस तरह बयान फरमाया कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ जिन्सी इच्छा पूर्ति करते हो। इसमें इशारा कर दिया कि इन्सान की तबई और फितरी इच्छा की पूर्ति और उसको बुझाने के लिये अल्लाह तआला ने एक हलाल और जायज़ तरीका औरतों से निकाह करने का मुकरर फरमा दिया है उसको छोड़कर गैर-फितरी तरीके को इख्तियार करना नफ़्स की खालिस खबासत और जेहन के गन्दा होने का सुबूत है।

इसी लिये सहाबा व ताबिईन और इमाम हज़रात ने इस जुर्म को आम बदकारी से ज्यादा सख्त जुर्म व गुनाह करार दिया है। इमामे आजम अबू हनीफ़ा रह. ने फरमाया कि ऐसा फेल करने वाले को ऐसी ही सज़ा देनी चाहिये जैसी कौम लूत को अल्लाह तआला की तरफ से दी गयी कि आसमान से पत्थर वरसे, ज़मीन का तख़्ता उलट गया। इसलिये उस शख्स को किसी

ऊंचे पहा
इब्ने माज
सल्लल्लाहि

कि

आय

नी

यह है कि
हुआ कि
गये।

स

इस तरह
आकर अ
यह है कि

तीस

सज़ा न
लूत अनै

र या

वाले) नै

मुसलाम

बजान

बजाहि

अज़ाब से

अहल

खुजा

के लि

अपने

मुड़कर

अज़ाब आ

ऊँचे पहाड़ से गिराकर ऊपर से पथराव कर दिया जाये। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिजी, इब्ने माजा में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा काम करने वालों के बारे में फ़रमाया:

فَاتْلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

कि इस काम के करने और कराने वाले दोनों को क़त्ल कर देना चाहिये।

आयत के आखिर में फ़रमाया:

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

यानी तुम ऐसी क़ौम हो जो इनसानियत की हद से गुज़र गयी है। यानी तुम्हारा असल रोग यह है कि तुम हर काम में उसकी हद से निकल जाते हो। जिन्सी इच्छा के बारे में भी ऐसा ही आ कि खुदा तआला की मुकरर की हुई हद से निकल कर ग़ैर-फ़ितरी तरीके में मुब्तला हो जाये।

तीसरी आयत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत के जवाब में उनकी क़ौम का जवाब इस तरह ज़िक्र फ़रमाया गया है कि उन लोगों से कोई माकूल जवाब तो बन नहीं सका, ज़िद में आकर आपस में यह कहने लगे कि ये लोग बड़ी पाकी और सफ़ाई के दावेदार हैं, इनका इलाज यह है कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो।

तीसरी और चौथी आयतों में सुदूम क़ौम के इस ग़लत चलन और बेहयाई की आसमानी ज़ा का ज़िक्र है और यह कि उस पूरी क़ौम पर अल्लाह तआला का अज़ाब नाज़िल हुआ, सिर्फ़ लूत अलैहिस्सलाम और उनके चन्द साथी अज़ाब से महफूज़ रहे। कुरआन पाक के अलफ़ाज़ में:

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ

आया है, यानी हमने लूत और उनके घर वालों को अज़ाब से निजात दी। यह अहल (घर वाले) कौन लोग थे, कुछ हज़रते मुफ़स्सरीन का क़ौल है कि घर वालों में दो लड़कियाँ थीं जो मुसलमान हुई थीं। बीवी भी मुसलमान न हुई थी। कुरआन मजीद की एक दूसरी आयत में:

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

बयान हुआ है कि उन तमाम बस्तियों में एक घर के सिवा कोई मुसलमान न था। इससे स्पष्ट और यही मालूम होता है कि सिर्फ़ लूत अलैहिस्सलाम के घर के आदमी मुसलमान थे जिनको अज़ाब से निजात मिली, उनमें भी बीवी दाख़िल न थी। और कुछ मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया कि इस वाक़े से मुराद आम है, अपने घर वाले और दूसरे मुतल्लिकीन जो मुसलमान हो चुके थे। खुलासा यह है कि गिने-चुने चन्द मुसलमान थे जिनको अल्लाह तआला ने अज़ाब से बचाने के लिये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया कि बीवी के सिवा दूसरे घर वालों और मुसलमानों से जुड़े लोगों को लेकर रात के आखिरी हिस्से में इस बस्ती से निकल जायें और पीछे मुसलमान न देखें, क्योंकि जिस वक़्त आप इस बस्ती से निकल जायेंगे तो बस्ती वालों पर फ़ौरन अज़ाब आ जायेगा।

हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की, अपने घर वालों और मुताल्लिक लोगों को लेकर रात के आखिरी हिस्से में सुदूम से निकल गये। बीबी के मुताल्लिक दो रियायतें हैं- एक यह कि वह साथ चली ही नहीं, दूसरी यह कि कुछ दूर तक साथ चली मगर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ़ पीछे मुड़कर बस्ती वालों का हाल देखना चाहती थी तो उसको अज़ाब ने पकड़ लिया। क़ुरआन मजीद के विभिन्न मक़ामात में इस वाक़िए को संक्षिप्त और विस्तृत अन्दाज़ में बयान फ़रमाया गया है। यहाँ तीसरी आयत में सिर्फ़ इतना ज़िक्र है कि हमने लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों व मुताल्लिकीन को अज़ाब से निजात दे दी मगर उनकी बीबी अज़ाब में रह गयी। निजात देने की यह सूरत कि ये लोग रात के आखिरी हिस्से में बस्ती से निकल जायें और मुड़कर न देखें दूसरी आयतों में बयान हुई है।

चौथी आयत में इस क़ौम पर नाज़िल होने वाले अज़ाब को मुख़्तसर लफ़्ज़ों में सिर्फ़ इतना ज़िक्र किया गया है कि उन पर एक अज़ीब किस्म की बारिश भेजी गयी। और सूर: हूद में इस अज़ाब की मुफ़स्सल कैफ़ियत यह बयान फ़रमाई है:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ. مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةٍ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ

مِنَ الظَّلِيمِينَ يَعْزِبُ.

यानी जब हमारा अज़ाब आ पहुँचा तो ऊपर डाली हमने वह बस्ती ऊपर-नीचे और बरसाये उन पर पत्थर कंकर के एक-दूसरे के ऊपर, निशान लगे हुए तेरे खब के पास से, और नहीं है वह बस्ती इन ज़ालिमों से कुछ दूर।

इससे मालूम हुआ कि ऊपर से पत्थरों की बारिश भी हुई और नीचे से ज़मीन की पूरी परत को जिब्रीले अमीन ने उठाकर औंधा पलट दिया। और जिन पत्थरों की बारिश बरसी वो तह-ब-तह थे, यानी ऐसी लगातार बारिश हुई कि तह-ब-तह जमा हो गये और ये पत्थर निशान लगे हुए थे। कुछ मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया कि हर एक पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जिसकी हलाकत के लिये वह फेंका गया था। और सूर: हिज़्र की आयतों में इस अज़ाब से पहले यह भी बयान हुआ है:

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ.

यानी आ पकड़ा उनको चिंघाड़ ने सूरज निकलते वक़्त।

इससे मालूम हुआ कि पहले आसमान से कोई सख़्त आवाज़ चिंघाड़ की सूरत में आई, फिर उसके बाद दूसरे अज़ाब आये। ज़ाहिर अलफ़ाज़ से यह समझा जाता है कि चिंघाड़ के बाद पहले ज़मीन का तख़्ता उलट दिया गया फिर उस पर उनकी और अधिक ज़िल्लत व रुस्वाई और अपमान के लिये पथराव किया गया। और यह भी मुम्किन है कि पहले पथराव किया गया हो बाद में ज़मीन का तख़्ता उलट दिया गया हो। क्योंकि क़ुरआनी अन्दाज़े बयान में यह ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ का ज़िक्र पहले हुआ हो वह वाक़े होने के एतबार से भी पहले हो।

क़ौम लूत के हौलनाक अज़ाबों में से ज़मीन का तख़्ता उलट देने की सज़ा उनके फ़ुहश व

वेहयाई के अमल के साथ खास मुनासबत भी रखती है, कि उन्होंने एक उल्टे और खिलाफ फितरत काम का अपराध किया है।

सूर: हूद की आयतों के आखिर में कुरआने करीम ने अरब वालों की मजीद तवीह के लिये यह भी फरमाया कि:

وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٌ

यानी वे उल्टी हुई बस्तियाँ इन जालिमों से कुछ दूर नहीं। मुल्क शाम के सफ़र के रास्ते पर हर वक़्त इनके सामने आती हैं, मगर हेरत है कि ये उससे इबरत (सबक) हासिल नहीं करते।

और यह मन्ज़र सिर्फ़ कुरआन नाज़िल होने के ज़माने में नहीं आज भी मौजूद है, वैतुल-मुकदस और नहर उर्दुन के बीच आज भी ज़मीन का यह टुकड़ा बहर-ए-लूत या बहर-ए-मय्यित के नाम से नामित है। इसकी ज़मीन समन्दर की सतह से बहुत ज़्यादा गहराई में है और इसके एक खास हिस्से पर एक दरिया की सूरत में एक अजीब किस्म का पानी मौजूद है, जिसमें कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिन्दा नहीं रह सकता। इसी लिये इसको बहर-ए-मय्यित बोलते हैं। यही मक़ाम सुदूम का बतलाया जाता है। अल्लाह तआला हमें अपने गुस्से व अज़ाब से अपनी पनाह में रखे। आमीन

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن أَمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ وَأذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكذَّبْتُمْ ۗ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۗ وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۗ

व इला मद्यन अखाहुम् शुअैबन्,
का-ल या कौमिअबुदुल्ला-ह मा
लकुम् मिन् इलाहिन् गैरुहू कद्
जाअत्कुम् बय्यि-नतुम् मिरिब्बिकुम्
फ-औफुल्कै-ल वल्मीजा-न व ला
तब्खसुन्ना-स अश्या-अहुम् व ला

और मद्यन की तरफ़ भेजा उनके भाई
शुऐब को, बोला ऐ मेरी कौम! बन्दगी
करो अल्लाह की कोई नहीं तुम्हारा माबूद
उसके सिवा, तुम्हारे पास पहुँच चुकी है
दलील तुम्हारे रब की तरफ़ से, सो पूरी
करो-माप और तौल, और मत घटा कर
दो लोगों को उनकी चीजें और मत

तु फि सदू फि ल् अर्जि बज़् -द
 इस्ताहिहा, ज़ालिकुम् ख़ैरुल्लकुम्
 इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन (85) व ला
 तक़्अदू बिकुल्लि सिरातिन् तूअिदू-न
 व तसुदू-न अन् सबीलिल्लाहि मन्
 आम-न बिही व तब्गूनहा अि-वजन्
 वज़्कुरु इज़् कुन्तुम् क़लीलन्
 फ़-कस्स-रकुम् वन्ज़ुरु कै-फ़ का-न
 आकि-वतुल् मुफ़िसदीन (86) व इन्
 का-न ताइ-फ़तुम् मिन्कुम् आमनू
 बिल्लज़ी उर्सिल्लु बिही व ताइ-फ़तुल्
 -लम् युअ्मिन्ू फ़स्बिरू हत्ता
 यस्कुमल्लाहु बैनना व हु-व ख़ैरुल्-
 हाकिमीन (87)

ख़राबी डालो ज़मीन में उसकी इस्ताह के
 बाद, यह बेहतर है तुम्हारे लिये अगर तुम
 ईमान वाले हो। (85) और मत बैठो
 रास्तों पर कि डराओ और रोको अल्लाह
 के रास्ते से उसको जो कि ईमान लाये
 उस पर और ढूँढो उसमें ऐब, और याद
 करो जबकि थे तुम बहुत थोड़े फिर
 तुमको बढ़ा दिया, और देखो क्या हुआ
 अन्जाम फ़साद करने वालों का। (86)
 और अगर तुममें से एक फ़िर्का ईमान
 लाया उस पर जो मेरे हाथ भेजा गया
 और एक फ़िर्का ईमान नहीं लाया तो सब
 करो जब तक अल्लाह फैसला करे हमारे
 बीच, और वह सबसे बेहतर फैसला करने
 वाला है। (87)

खुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने मदयन (वालों) की तरफ़ उनके भाई शुऐब (अलैहिस्सलाम) को (पैग़म्बर बनाकर)
 भेजा। उन्होंने (मदयन वालों से) फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! तुम (सिर्फ़) अल्लाह तआला की
 इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद (बनने के कायिल) नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे
 परवर्दिगार की तरफ़ से (मेरे नबी होने पर) एक स्पष्ट और खुली दलील (जो कि कोई मोजिज़ा
 है) आ चुकी है। (जब मेरी नुबुव्वत साबित है) तो (शरीअत के अहक़ाम में मेरा कहना मानो।
 चुनाँचे मैं कहता हूँ कि) तुम नाप और तौल पूरी-पूरी किया करो और लोगों का इन चीज़ों में
 नुक़सान मत किया करो (जैसा कि तुम्हारी आदत है), और रू-ए-ज़मीन में इसके बाद कि
 (तालीम व तौहीद, नबियों के भेजने, अदल व इन्साफ़ याजिब होने और नाप-तौल के हुक्क़ अदा
 करने से) इसकी दुरुस्ती (तय) कर दी गई, फ़साद मत फैलाओ (यानी इन अहक़ाम की
 मुख़ालफ़त और कुफ़्र मत करो क्योंकि यह फ़साद और ख़राबी का सबब है)। यह (जो कुछ मैं
 कह रहा हूँ इस पर अमल करना) तुम्हारे लिए (दुनिया व आख़िरत दोनों में) फ़ायदेमन्द है, अगर
 तुम (मेरी) तस्दीक़ करो (जिस पर दलील कायम है और तस्दीक़ करके अमल करो तो उक्त बातें

तफ़सीर
 ने
 र
 ति
 र
 म
 ह
 च
 उ
 त
 न
 त
 रि
 नि
 शु
 त
 आ
 है
 म
 वह
 न
 अ
 क
 कैसे
 मा
 के
 म
 को
 नि
 (कि
 उन
 अ
 पाँच
 वाँ
 ति
 हुआ
 है।
 मह
 अलैहिस्स
 रिश्ता
 रख
 मदयन
 के
 कहते
 हैं।
 र्वा
 उद
 न

दोनों जहान में नफ़ा देने वाली हैं, आख़िरत में तो जाहिर है कि निजात होगी और दुनिया में शरीअत पर अमल करने से अमन व व्यवस्था कायम रहती है, खासकर पूरा नापने तौलने में एतिबार बढ़ने के सबब तिजारत को तरक्की होती है।

और तुम सड़कों पर (इस गर्ज से) मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को (ईमान लाने पर) धमकियाँ दो और (उनको) अल्लाह की राह (यानी ईमान) से रोको, और उस (राह) में कजी "यानी टेढ़ और कमी" (और शुब्हात) की तलाश में लगे रहो (कि बेजा एतिराज़ सोच-सोचकर लोगों को बहकाओ, ये लोग ज़िफ़ हुए गुमराही के साथ इस गुमराह करने में भी मुब्तला थे कि सड़कों पर बैठकर आने वालों को बहकाते कि शुऐब अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाना, नहीं तो हम तुमको मार डालेंगे। आगे नेमत याद दिलाकर दिलचस्पी दिलाने और डराने का मज़मून है यानी) और उस हालत को याद करो जबकि तुम (संख्या में या माल में) कम थे फिर अल्लाह तआला ने तुमको (संख्या या माल में) ज्यादा कर दिया (यह तो ईमान लाने के लिये शौक व दिलचस्पी दिलाना था) और देखो कि कैसा अन्जाम हुआ फ़साद (यानी कुफ़्र व झुठलाने और जुल्म) करने वालों का (जैसे नूह और आद और समूद कौम वाले गुज़र चुके हैं इसी तरह तुम पर अज़ाब आने का अन्देशा है, यह डराना है कुफ़्र पर)। और अगर (तुमको अज़ाब न आने का इस पर शुब्हा हो कि) तुममें से कुछ (तो) उस हुक्म पर जिसको देकर मुझे भेजा गया है, ईमान लाए हैं, और कुछ ईमान नहीं लाए (और फिर भी दोनों फ़रीक़ एक ही हालत में हैं, यह नहीं कि ईमान न लाने वालों पर अज़ाब आ गया हो, इससे मालूम होता है कि आपका अज़ाब से डराना बेबुनियाद है) तो (इस शुब्हे का जवाब यह है कि फ़ौरन अज़ाब न आने से यह कैसे मालूम हुआ कि अज़ाब न आयेगा) ज़रा ठहर जाओ यहाँ तक कि हमारे (यानी दोनों फ़रीकों के) बीच में अल्लाह तआला (अमली) फैसला किए देते हैं (यानी अज़ाब नाज़िल करके मोमिनों को निजात देंगे और काफ़िरो को हत्ताक करेंगे) और वह सब फैसला करने वालों से बेहतर हैं (कि उनका फैसला बिल्कुल मुनासिब ही होता है)।

मआरिफ़ व मसाईल

अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से जिनका सिलसिला पिछली आयतों से चल रहा है, उनमें पाँचवाँ किस्सा हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का है जो उपर्युक्त आयतों में बयान हुआ है।

मुहम्मद बिन इस्हाक़ की रिवायत के मुताबिक़ हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदयन की औलाद में से हैं और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से भी करीबी रिश्ता रखते हैं। मदयन हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं उनकी नस्ल व औलाद भी मदयन के नाम से मशहूर हो गयी, और जिस बस्ती में इनका क़ियाम था उसको भी मदयन कहते हैं। गोया मदयन एक कौम का भी नाम है और एक शहर का भी। यह शहर आज भी पूर्वी उर्दुन के बन्दरगाह मआन के करीब मौजूद है। कुरआने करीम में दूसरी जगह मूसा

अलैहिस्सलाम के किस्से में इरशाद है:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ

इसमें यही वस्ती मुराद है। (इब्ने कसीर) हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को उनके बयान की उम्दगी की वजह से ख़तीबुल-अम्बिया कहा जाता था। (इब्ने कसीर, बहरे मुहीत)

हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम जिस क़ौम की तरफ़ भेजे गये हैं कुरआने करीम ने कहीं उनका अहले-मदयन और अस्हाबे-मदयन के नाम से ज़िक्र किया है और कहीं अस्हाबे-ऐका के नाम से। ऐका के मायने जंगल और वन के हैं।

कुछ मुफ़स्सरीन हज़रात ने फ़रमाया कि ये दोनों क़ौमों अलग-अलग थीं, दोनों की बस्तियाँ भी अलग थीं। हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम इनमें से पहले एक क़ौम की तरफ़ भेजे गये, उनकी हलाकत के बाद दूसरी क़ौम की तरफ़ भेजे गये। दोनों क़ौमों पर जो अज़ाब आया उसके अलफ़ाज़ भी अलग-अलग हैं। मदयन वालों पर कहीं सैहा और कहीं रजफ़ा मज़कूर है और ऐका वालों पर अज़ाबे जुल्ला ज़िक्र किया गया है। सैहा के मायने चिंघाड़ और सख़्त आवाज़ के और रजफ़ा के मायने ज़लज़ले के हैं, और जुल्ला सायबान को कहा जाता है। ऐका वालों पर अज़ाब की यह सूरात हुई कि पहले चन्द दिन उनकी पूरी बस्ती में सख़्त गर्मी पड़ी जिससे सारी क़ौम बिलबिला उठी। फिर उनके पास के जंगल पर एक गहरा बादल आया जिससे उस जंगल में साया हो गया और ठण्डी हवायें चलने लगीं। यह देखकर सारे बस्ती के आदमी उस बादल के साये में जमा हो गये। इस तरह ये खुदाई मुजरिम बग़ैर किसी वारंट और सिपाही के अपने पाँव चलकर अपनी हलाकत की जगह पहुँच गये। जब सब जमा हो गये तो बादल से आग बरसी और ज़मीन में भी ज़लज़ला आया जिससे ये सब हलाक हो गये।

और कुछ मुफ़स्सरीन हज़रात ने फ़रमाया कि मदयन वाले और ऐका वाले एक ही क़ौम का नाम है और अज़ाब की जो तीन किस्में अभी ज़िक्र की गयी हैं तीनों इस क़ौम पर जमा हो गयीं। पहले बादल से आग बरसी फिर उसके साथ सख़्त आवाज़ चिंघाड़ की शक़्त में आई, फिर ज़मीन में ज़लज़ला आया। अल्लामा इब्ने कसीर रह. ने इसी को इख़्तियार किया है।

बहरहाल ये दोनों क़ौमों अलग-अलग हों या एक ही क़ौम के दो नाम हों, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने जो हक़ का पैग़ाम इनको दिया वह पहली और दूसरी आयतों में मज़कूर है। इस पैग़ाम की तफ़्सीर से पहले यह समझ लें कि इस्लाम जो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की संयुक्त दावत है, उसका खुलासा हुकूक की अदायेगी है। फिर हुकूक दो किस्म के हैं— एक डायरेक्ट अल्लाह तआला का हक़ जिसके करने या छोड़ने से इनसानों का कोई ख़ास नफ़ा नुक़सान मुताल्लिक नहीं, जैसे इबादतें नमाज़ रोज़ा वग़ैरह। दूसरे बन्दों के हुकूक जिनका ताल्लुक इनसानों से है। और यह क़ौम इन दोनों हुकूक से बेख़बर और दोनों के ख़िलाफ़ काम कर रही थी।

ये लोग अल्लाह तआला और उसके रसूलों पर ईमान न लाकर अल्लाह के हुकूक की

खिलाफ़वर्जो कर रहे थे और इसके साथ ही ख़रीद व फ़रोख़्त में नाप-तौल घटाकर लोगों के हुक्क को ज़ाया कर रहे थे, और इस पर मज़ीद यह कि रास्तों और सड़कों के धानों पर बैठ जाते और आने वालों को डरा-धमकाकर लूटते और शुऐब अलैहिस्सलाम पर इमान लाने से रोकते थे। इस तरह रू-ए-ज़मीन पर फ़साद मंचा रखा था। ये उनके सख़्त और मुख्य अपराध थे जिनकी इस्लाह (सुधार) के लिये हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को भेजा गया था।

ज़िक्र हुई आयतों में से पहली दो आयतों में इस क़ौम की इस्लाह (सुधार) के लिये हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने तीन बातें फ़रमायीं- अब्वल:

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ.

यानी ऐ मेरी क़ौम तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद बनने के लायक नहीं। यह वही तौहीद की दावत है जो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम देते आये हैं और जो तमाम अकीदों व आमात की रूह है। चूँकि यह क़ौम भी मख़्लूक़ को पूजने में मुब्तला और अल्लाह तआला की ज़ात व सिफ़ात और उसके हुक्क से ग़ाफ़िल थी इसलिये इनको भी सबसे पहले यही पैग़ाम दिया गया। और फ़रमाया:

قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ.

यानी तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से स्पष्ट और खुली दलील आ चुकी है। यहाँ स्पष्ट दलील से मुराद वो मोजिजे हैं जो हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के हाथ पर ज़ाहिर हुए। तफ़सीर बहरे मुहीत में मुख़लिफ़ सूरतें उनके मोजिजों की ज़िक्र की हैं।

दूसरी बात यह फ़रमाई:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ.

इसमें क़ैल के मायने नाप और मीज़ान के मायने वज़न तौलने के हैं, और बख़्स के मायने किसी के हक़ में कमी करके नुक़सान पहुँचाने के हैं। आयत के मायने यह हैं कि तुम नाप-तौल पूरा किया करो और लोगों की चीज़ों में कमी करके उनको नुक़सान न पहुँचाया करो।

इसमें पहले तो एक ख़ास जुर्म से मना फ़रमाया गया जो ख़रीद व फ़रोख़्त के वक़्त नाप-तौल में कमी की सूरत से किया जाता था। बाद में:

لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ.

फ़रमाकर हर तरह के हुक्क में काट-छाँट और कमी-कोताही को आम कर दिया। चाहे वह माल से मुताल्लिक़ हो या इज़्ज़त व आबरू से, या किसी दूसरी चीज़ से। (बहरे मुहीत)

इससे मालूम हुआ कि जिस तरह नाप-तौल में हक़ से कम देना हराम है इसी तरह दूसरे इन्सानी हुक्क में कमी करना भी हराम है। किसी की इज़्ज़त व आबरू पर हमला करना या किसी के दर्जे और रुतबे के मुवाफ़िक़ उसका एहतिराम न करना, जिस-जिसकी इताअत वाजिब है उनकी इताअत में कोताही करना, या जिस शख़्स का सम्मान व अदब वाजिब है उसमें कोताही बरतना, ये सब बातें उसी जुर्म में दाख़िल हैं जो शुऐब अलैहिस्सलाम की क़ौम किया

करती थी। हज्जतुल-विदा के खुतबे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लाम ने लोगों की आबरू को उनके खून के बराबर सम्मानीय और काबिले हिफ़ाज़त करार दिया है, इसका भी हासिल यही है।

कुरआन मजीद में जहाँ "मुतफ़िफ़ीन" और "ततफ़ीफ़" का जिक्र आया है उसमें ये सब चीज़ें दाख़िल हैं। हज़रत फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को जल्दी-जल्दी रुकूज़ सज्दे करते हुए देखा तो फ़रमाया "क़द तफ़फ़ू-त" यानी तूने नाप-तौल में कमी कर दी। (मुवत्ता इमाम मालिक) मुराद यह है कि नमाज़ का जो हक़ था वह तूने पूरा न किया। इसमें नमाज़ के हक़ को पूरा अदा न करने को ततफ़ीफ़ के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया है।

आयत के आख़िर में फ़रमाया:

وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

यानी ज़मीन की दुरुस्ती (ठीक होने) के बाद उसमें फ़साद मत फैलाओ। यह जुमला इसी सूर: आराफ़ में पहले भी आ चुका है, वहाँ इसके मायने की तफ़सील बयान हो चुकी है कि ज़मीन की ज़ाहिरी इस्लाह (बेहतरी और सुधार) हर चीज़ को उसकी सही जगह पर खर्च और इस्तेमाल करने और हदों की रियायत करने और अदल व इन्साफ़ कायम रखने पर मौकूफ़ है, और अन्दरूनी इस्लाह अल्लाह के साथ ताल्लुक और अल्लाह के अहक़ाम का पालन करने पर। इसी तरह ज़मीन का ज़ाहिरी और बातिनी फ़साद इन उसूलों को छोड़ देने से पैदा होता है। शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम ने इन तमाम उसूल को नज़र-अन्दाज़ कर रखा था जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़ाहिरी और बातिनी हर तरह का फ़साद (ख़राबी और बिगाड़) बरपा था। इसलिये उनको यह नसीहत की गयी कि तुम्हारे ये आमाल सारी ज़मीन को ख़राब करने वाले हैं, इनसे बचो। फिर फ़रमाया:

ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

यानी यही बात तुम्हारे लिये फ़ायदेमन्द है अगर तुम मेरी बात मानो। मतलब यह है कि अगर तुम अपनी इन नाजायज़ हरकतों से बाज़ आ जाओ तो इसी में तुम्हारे दीन व दुनिया की बेहतरी और कामयाबी है। दीन और आख़िरत की बेहतरी व कामयाबी तो ज़ाहिर है कि अल्लाह के अहक़ाम पर अमल करने से जुड़ी है और दुनिया की कामयाबी व भलाई इसलिये कि जब लोगों को मालूम हो जायेगा कि फ़ुलॉ शख्स नाप-तौल में और दूसरे हुकूक में ईमानदारी से काम करता है तो बाज़ार में उसकी साख़ कायम होकर उसकी तिजारत को तरक्की होगी।

तीसरी आयत में जो यह इरशाद है कि तुम लोगों को डराने धमकाने और अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिये रास्तों सड़कों पर न बैठा करो। इसका मतलब कुछ मुफ़स्सरीन ने यह करार दिया कि ये दोनों जुमले एक ही मायने को अदा करते हैं कि ये लोग रास्तों पर बैठकर हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के घास आने वालों को रोकते और डराते धमकाते थे, इससे मना किया गया।

लट-
लमत
ग़ीत
भी
नैवि
तपू
की
हक
गने-
दिना
बताक
तथात
अग्ने
साद
वाची
मग
अग्
य
मुजारे
जाता
इनका

और कुछ हज़रत ने फ़रमाया कि उनके ये दो जुर्म अलग-अलग थे। रास्तों पर बैठकर लूट-खसोट भी करते थे और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से रोकते भी थे। पहले जुमले में पहला मज़मून और दूसरे जुमले में दूसरा मज़मून वयान फ़रमाया है। तफ़्सीर बहरे मुहीत वगैरह में इसी को इख़्तियार किया है। और रास्तों पर बैठकर लूट-खसोट करने में इसको भी दाख़िल करार दिया है जो ख़िलाफ़े शरीअत नाजायज़ टैक्स वसूल करने के लिये रास्तों पर चौकियाँ बनाई जाती हैं।

अल्लामा कुतुबी ने फ़रमाया कि जो लोग रास्तों पर बैठकर ख़िलाफ़े शरीअत नाजायज़ टैक्स वसूल करते हैं वे भी क़ौमे शुएब की तरह मुजरिम हैं, बल्कि उनसे ज्यादा ज़ालिम व जाबिर हैं। आयत के आख़िर में फ़रमाया:

وَتَبِعُونَهَا عَوَجًا.

यानी तुम लोग अल्लाह के रास्ते में क़जी (टेढ़ और कमी) की तलाश में लगे रहते हो कि कहीं उंगली रखने की जगह मिले तो एतिराज़ों व शुब्हात के दफ़्तर खोल दें और लोगों को दीने हक़ से बेज़ार करने की कोशिश करें।

इसके बाद आयत के आख़िर में फ़रमाया:

وَإِذْ كُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ.

इसमें उन लोगों की तंबीह के लिये शौक़ दिलाने और डराने के दोनों पहलू इस्तेमाल किये गये- अक्वल तो रुचि पैदा करने और शौक़ दिलाने के लिये अल्लाह तआला की यह नेमत याद दिलाई कि तुम पहले संख्या और आंकड़ों के लिहाज़ से कम थे अल्लाह तआला ने तुम्हारी नस्लें बढ़ाकर एक बड़ी विशाल क़ौम बना दिया। या माल व सामान के एतिबार से कम थे अल्लाह तआला ने दौलत अता फ़रमाकर दूसरों से बेपरवाह कर दिया। फिर डराने के लिये फ़रमाया कि अपने से पहले फ़साद करने वाली क़ौमों के अन्जाम पर नज़र डालो कि क़ौमे नूह क़ौमे आद व समूद क़ौमे लूत पर क्या-क्या अज़ाब आ चुके हैं, ताकि तुम समझ से काम लो।

पाँचवीं आयत में इस क़ौम के एक शुब्हे का जवाब है कि शुएब अलैहिस्सलाम की ईमान वाली दावत के बाद उनकी क़ौम दो हिस्सों में बंट गयी- कुछ ईमान लाये कुछ इनकारी रहे। मगर ज़ाहिरी एतिबार से दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं। दोनों जमाअतें आराम व ऐश में बराबर हैं, अगर इनकारी होना कोई जुर्म होता तो मुजरिम को सज़ा मिलती। इसके जवाब में फ़रमाया:

فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا.

यानी जल्दबाज़ी न करो अल्लाह तआला अपने हिल्म व करम (बरदाश्त और मेहरबानी) से मुजरिमों को मोहलत देते हैं, जब वे बिल्कुल ही सरकश हो जाते हैं तो फिर फैसला कर दिया जाता है। तुम्हारा भी यही हाल है, अगर तुम अपने इनकार से बाज़ न आये तो जल्दी ही इनकारियों पर निर्णायक अज़ाब नाज़िल हो जायेगा।

पारा नम्बर 9 (कालल् म-लउ)

الجزء التاسع - 9

कालल् म-लउल्लजीनस्तक्बरू मिन्
 कौमिही लनुखिरजन्न-क या-शुअैबु
 वल्लजी-न आमनू म-अ-क मिन्
 कर्यतिना औ ल-तअूदुन्-न फी
 मिल्लतिना, का-ल अ-व लौ कुन्ना
 कारिहीन (88) कदिफ्तरैना अलल्लाहि
 कजिबन् इन् अुदना फी मिल्लतिकुम्
 बअू-द इज् नज्जानल्लाहु मिन्हा, व
 मायकूनु लना अन्-नअू-दफीहा
 इल्ला अंग्यशा-अल्लाहु रब्बुना,
 वसि-अ रब्बुना कुल्-ल शौइन्
 अिल्मन्, अलल्लाहि तवक्कलना,
 रब्बनफ्तह बैनना व बै-न कौमिना

बोले सरदार जो घमण्डी थे उसकी कौम
 में, हम जरूर निकाल देंगे ऐ शुऐब तुझको
 और उनको जो कि ईमान लाये तेरे साथ
 अपने शहर से, या यह कि तुम लौट आओ
 हमारे दीन में। बोला क्या हम बेज़ार हों
 तो भी? (88) बेशक हमने बोहतान बाँधा
 अल्लाह पर झूठ अगर लौट आये तुम्हारे
 दीन में बाद इसके कि निजात दे चुका
 हमको अल्लाह उससे, और हमारा काम
 नहीं कि लौट आये उसमें मगर यह कि
 चाहे अल्लाह हमारा रब, घेरे हुए है हमारा
 परवर्दिगार सब चीजों को अपने इल्म में,
 अल्लाह ही पर हमने भरोसा किया। ऐ
 हमारे रब! फैसला कर हम में और हमारी
 कौम में इन्साफ़ के साथ और तू सबसे
 बेहतर फैसला करने वाला है। (89) और

बिल्हदिक व अनु-त खैरुल्-फातिहीन
 (89) व कालल् म-लउल्लजी-न
 क-फरु मिन् कौमिही ल-इनित्तबअतुम्
 शुअैबन् इन्नकुम् इजल्-लखासिरुन
 (90) फ-अ-खजत्हुमुर्ज्फतु फअस्बहू
 फी दारिहिम् जासिमीन (91)
 अल्लजी-न कज़्जूबू शुअैबन् कअल्लम्
 यग्नौ फीहा, अल्लजी-न कज़्जूबू
 शुअैबन् कानू हुमुल्-खासिरीन (92)
 फ-तवल्ला अन्हुम् व का-ल या
 कौमि ल-कद् अब्लात्तुकुम् रिसालाति
 रब्बी व नसह्तु लकुम् फकै-फ आसा
 अला कौमिन् काफिरीन (93) ❀

बोले सरदार जो काफिर थे उसकी कौम
 में- अगर पैरवी करोगे तुम शुऐब की तो
 तुम बेशक खराब होगे। (90) फिर आ
 पकड़ा उनको जलजले ने, पस सुबह को
 रह गये अपने घरों के अन्दर अँधे पड़े।
 (91) जिन्होंने झुठलाया शुऐब को गोया
 कभी बसे ही न थे वहाँ, जिन्होंने
 झुठलाया शुऐब को वही हुए खराब।
 (92) फिर उल्टा फिरा उन लोगों से और
 बोला ऐ मेरी कौम! मैं पहुँचा चुका
 तुमको पैगाम अपने रब के और
 खैरखवाही कर चुका तुम्हारी, अब क्या
 अफसोस करूँ काफिरों पर। (93) ❀

खुलासा-ए-तफसीर

उनकी कौम के घमण्डी सरदारों ने (जो ये बातें सुनीं तो उन्होंने गुस्ताखी के तौर पर) कहा कि ऐ शुऐब! (याद रखिये) हम आपको और आपके साथ जो ईमान वाले हैं उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या (यह हो कि) तुम हमारे मजहब में फिर आ जाओ (तो अलबत्ता हम कुछ न कहेंगे)। यह बात मोमिनों के लिये इसलिये कही कि वे लोग ईमान लाने से पहले के उसी कुफ़्र के तरीके पर थे लेकिन शुऐब अलैहिस्सलाम के हक में बावजूद इसके कि अम्बिया से कभी कुफ़्र सादिर नहीं होता इसलिये कही कि उनके नबी बनने से पहले दावत का काम न करने के सबब वे यही समझते थे कि इनका एतिकाद भी हम ही जैसा होगा। शुऐब (अलैहिस्सलाम) ने जवाब दिया कि क्या (हम तुम्हारे मजहब में आ जाएँगे) अगरचे हम उसको (समझ व दलील से) ना-पसन्द और बुरा (और काबिले नफरत) ही समझते हों (यानी जब उसके बातिल होने पर दलील कायम है तो हम कैसे उसको इख्तियार कर लें)? हम तो अल्लाह पर बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएँ अगर (खुदा न करे) हम तुम्हारे मजहब में आ जाएँ (खास कर) इसके बाद कि अल्लाह तआला ने हमको उससे निजात दी हो (क्योंकि अव्यल तो वैसे ही कुफ़्र को दीने हक समझना यही अल्लाह पर तोहमत लगाना है कि यह दीन अल्लाह की पनाह! अल्लाह को पसन्द

है, खुसूसन मोमिन का काफिर होना, चूँकि जानने और हक़ दलील के साथ कुवूल करने के बाद और ज्यादा तोहमत है, एक तो वही तोहमत दूसरी यह तोहमत कि अल्लाह ने जो मुझको दलील का इल्म दिया था जिसको मैं हक़ समझता था वह ग़लत इल्म दिया था। और शुऐब अलैहिस्सलाम ने वापस लौटने का लफ़्ज़ सब के साथ मिलने या उन लोगों के सवाल के अन्दाज़ में उन्हीं जैसा अन्दाज़ अपनाने के एतिबार से या उनके गुमान को फ़र्ज़ करके बरता) और हमसे मुम्किन नहीं कि उसमें (यानी तुम्हारे मज़हब में) फिर आ जाएँ, लेकिन हाँ यह कि अल्लाह ही ने जो कि हमारा मालिक है हमारे मुक़दर (में) किया हो, (जिसकी मस्लेहत उन्हीं के इल्म में है, तो ख़ैर और बात है) हमारे सब का इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है (उस इल्म से वह सब मुक़दर हुई चीज़ों की मस्लेहतों को जानते हैं, मगर) हम अल्लाह तआला ही पर भरोसा रखते हैं (और भरोसा करके यह उम्मीद करते हैं कि वह हमको देने हक़ पर जमाये रखे। और इससे यह शुब्हा न किया जाये कि उनको अपने ईमान पर ख़ात्मे का यकीन न था, अम्बिया को यह यकीन दिया जाता है, बल्कि इससे मक़सद अपनी अज़िज़ी व इन्किसारी और खुद को अपने मालिक के सुपुर्द कर देने का इज़हार है जो कि नुबुव्वत की विशेषताओं में से है। और अगर इसको दूसरे मोमिनों के एतिबार से लिया जाये तो कोई शुब्हा ही पैदा नहीं होता। यह जवाब देकर जब देखा कि उनसे खिताब करना बिल्कुल बेफ़ायदा है और उनके ईमान लाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं तो उनसे खिताब छोड़कर हक़ तआला से दुआ की कि) ऐ हमारे परवर्दिगार! हमारे और हमारी (इस) कौम के बीच फैसला कर दीजिए (जो कि हमेशा) हक़ के मुवाफ़िक़ (हुआ करता है, क्योंकि खुदाई फैसले का हक़ होना लाज़िम है। यानी अब अमली तौर पर हक़ का हक़ और बातिल का बातिल होना स्पष्ट कर दीजिए), और आप सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं।

और उनकी कौम के (उन्हीं ज़िक्र किए गये) काफ़िर सरदारों ने (शुऐब अलैहिस्सलाम की यह दिल में उतर जाने वाली तक़रीर सुनकर अन्देशा किया कि कहीं सुनने वालों पर इसका असर न हो जाये इसलिये उन्होंने बक़िया काफ़िरों से) कहा कि अगर तुम शुऐब (अलैहिस्सलाम) की राह पर चलने लगोगे तो बेशक़ बड़ा नुक़सान उठाओगे (दीन का भी, क्योंकि हमारा मज़हब हक़ है, हक़ को छोड़ना ख़सारा है, और दुनिया का भी इसलिये कि पूरा नापने-तौलने में बचत कम होगी। गर्ज़ कि वे सब अपने कुफ़्र व जुल्म पर जमे रहे, अब अज़ाब की आमद हुई)। पस उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा, सो अपने घर में (औंधे के औंधे) पड़े रह गये। जिन्होंने शुऐब (अलैहिस्सलाम) को झुठलाया था (और मुसलमानों को उनके घरों से निकालने को आमादा थे खुद) उनकी यह हालत हो गई कि जैसे उन घरों में कभी बसे ही न थे। जिन्होंने शुऐब (अलैहिस्सलाम) को झुठलाया था (और उनकी पैरवी करने वाले को नुक़सान उठाने वाला बतलाते थे खुद) वही घाटे में पड़ गये। उस वक़्त वह (यानी शुऐब अलैहिस्सलाम) उनसे मुँह मोड़कर चले और (हसरत व अफ़सोस के तौर पर फ़र्ज़ी खिताब करके) फ़रमाने लगे कि ऐ मेरी कौम! मैंने तुमको अपने परवर्दिगार के अहक़ाम पहुँचा दिए थे (जिन पर अमल करना हर तरह

इस
का
स
व
उन
ता
कि
ल?
तआ
जा
लाये
देग।
इसाले
अलहि
भी उन
किसी
हमार
हज़रत
रहत
अलैहिस्स
चलन व
है आर
दिया
नापसन्द
मुराद इस
दूसरे
बातिल म
वापस हो
वर्षों
अल्लाह त

की कामयाबी का ज़रिया-था) और मैंने तुम्हारी (बंदी) ख़ैरख्वाही की, (कि किस-किस तरह समझाया गया मगर अफ़सोस तुमने न माना और यह बुरा दिन देखा। फिर उनके कुफ़्र व दुश्मनी वगैरह को याद करके फ़रमाने लगे कि जब उन्होंने अपने हाथों यह मुसीबत ख़रीदी तो) फिर मैं उन काफ़िर लोगों (के हलाक होने) पर क्यों रंज करूँ।

मआरिफ़ व मसाईल

हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम से जब उनकी कौम ने यह कहा कि अगर आप हक़ पर होते तो आपके मानने वाले फलते-फूलते और न मानने वालों पर अज़ाब आता, मगर हो यह रहा है कि दोनों फ़रीक़ बराबर दर्जे में आराम की ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं, तो हम आपको कैसे सच्चा मान लें? इस पर हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि जल्दबाज़ी न करो बहुत जल्दी अल्लाह तआला हमारे तुम्हारे बीच फैसला फ़रमा देंगे। इस पर कौम के घमण्डी सरदारों ने वही बात कही जो हमेशा ज़ालिम घमण्डी कहा करते हैं कि ऐ शुऐब! या तो तुम और जो लोग तुम पर ईमान लाये हैं वे सब हमारे मज़हब में वापस आ जाओ वरना हम तुम सब को अपनी बस्ती से निकाल देंगे।

उनके मज़हब में वापस आना शुऐब अलैहिस्सलाम के मोमिनों की कौम के बारे में तो इसलिये सही बैठता है कि वे सब पहले उन्हीं के मज़हब और तरीक़े पर थे, फिर शुऐब अलैहिस्सलाम की दावत पर मुसलमान हो गये। मगर हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम तो एक दिन भी उनके बातिल मज़हब व तरीक़े पर न रहे थे और न कोई अल्लाह तआला का पैग़म्बर कभी किसी मुश्रिकाना बातिल मज़हब की पैरवी कर सकता है, तो फिर उनके लिये यह कहना कि हमारे मज़हब में वापस आ जाओ ग़ालिबन इस वजह से था कि नुबुव्वत अता होने से पहले हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम उन लोगों की खिलाफ़े हक़ और ग़लत बातों और कामों पर ख़ामोश रहते थे और कौम के अन्दर रले-मिले रहते थे, इसके सबब उनका ख़्याल हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के बारे में भी यह था कि वह भी हमारे ही हम-ख़्याल और हमारे मज़हब पर चलने वाले हैं। ईमान की दावत देने के बाद उनको मालूम हुआ कि उनका मज़हब हमसे अलग है और ख़्याल किया कि यह हमारे मज़हब से फिर गये। हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया 'अ-व लौ कुन्ना कारिहीन' यानी क्या तुम्हारा यह मतलब है कि तुम्हारे मज़हब को नापसन्द और बातिल (ग़ैर-हक़) समझने के बावजूद हम तुम्हारे मज़हब में दाख़िल हो जायें? और मुराद इससे यह है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। यहाँ तक पहली आयत का मज़मून है।

दूसरी आयत में है कि हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फ़रमाया कि तुम्हारे बातिल मज़हब से अल्लाह तआला ने हमें निजात दे दी। इसके बाद अगर हम तुम्हारे मज़हब में वापस हो जायें तो यह हमारी तरफ़ से अल्लाह तआला पर सख़्त झूठा बोहतान (इल्ज़ाम) होगा।

क्योंकि अव्वल तो खुद कुफ़्र व शिर्क को मज़हब बनाना ही यह मायने रखता है कि यह अल्लाह तआला का हुक्म है जो उस पर बोहतान व इल्ज़ाम है। इसके अलावा ईमान लाने और

इल्म व समझ हासिल होने के बाद फिर कुफ्र की तरफ लौटना गया यह कहना है कि पहला तरीका बातिल और ग़लत था, हक़ और सही वह तरीक़ है जिसको अब इख़्तियार किया है। और ज़ाहिर है कि यह दोहरा झूठ और बोहतान है कि हक़ को बातिल कहा और बातिल को हक़।

हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के इस कौल में एक किस्म का दावा था कि हम अब तुम्हारे मज़हब में फिर वापस नहीं हो सकते। और ऐसा दावा करना बज़ाहिर बन्दगी के खिलाफ़ है जो अल्लाह की बारगाह के खास और मक़बूल बन्दों और अल्लाह वालों की शायाने शान नहीं, इसलिये फ़रमाया:

مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا.

यानी हम तुम्हारे मज़हब में हरगिज़ वापस नहीं हो सकते सिवाय इसके कि (खुदा न ख़्वास्ता) हमारे परवर्दिगार ही की मर्ज़ी व इरादा हमारी गुमराही का हो जाये। हमारे रब का इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है। हमने उसी अल्लाह पर भरोसा किया है।

इसमें अपनी आजिज़ी व कमज़ोरी का इज़हार और खुद को अल्लाह को सौंपना और भरोसा करना है जो नुबुव्वत के कमालात में से है, कि हम क्या हैं जो किसी काम के करने या उससे बचने का दावा कर सकें, किसी नेकी का करना या बुराई से बचना सब अल्लाह तआला ही के फ़ज़्ल से है। जैसा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

لَوْلَا اللَّهُ مَا هَدَيْنَا وَلَا نَصَدَقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا.

यानी अगर अल्लाह तआला का फ़ज़्ल न होता तो हमको सही रास्ते की हिदायत न होती, और न हम सद्का-ख़ैरात कर पाते न नमाज़ पढ़ सकते।

यहाँ तक कौम के घमण्डी सरदारों से गुफ़्तगू करने के बाद जब हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को यह अन्दाज़ा हुआ कि इन लोगों पर किसी बात का कोई असर नहीं होता तो अब उनको ख़िताब छोड़कर अल्लाह तआला से यह दुआ की:

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.

यानी ऐ हमारे परवर्दिगार! हमारे और हमारी कौम के बीच फैसला कर दीजिए हक़ के मुवाफ़िक, और आप सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि लफ़ज़ फ़तह के मायने इस जगह फैसला करने के हैं, इसी मायने से फ़ातेह "काज़ी" के मायने में आता है। (बहरे मुहीत) और दर हकीकत इन अलफ़ाज़ से हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से काफ़ि़रों के लिये हलाकत की दुआ की थी जिसको अल्लाह तआला ने कुबूल फ़रमाकर उन लोगों को ज़लज़ले के ज़रिये हलाक कर दिया। दूसरी आयत का मज़मून ख़त्म हुआ।

तीसरी आयत में हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम के घमण्डी सरदारों का एक गुमराह करने वाला कौल यह नक़ल किया है कि वे आपस में कहने लगे, या अपने मानने वालों से कहने लगे कि अगर तुमने शुऐब की पैरवी की तो तुम बड़े बेचकूफ़ जाहिल ठहरोगे।

— (बहरे मुहीत, अता की रिवायत से)

चौथी आयत में इस सरकश कौम के अज़ाब का वाक़िआ इस तरह ज़िक्र फ़रमाया है:

فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جثِيمِينَ

यानी उनको सख़्त और बड़े ज़लज़ले ने आ पकड़ा जिससे वे अपने घरों में औधे पड़े रह गये।

हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम का अज़ाब इस आयत में ज़लज़ले को बतलाया है और दूसरी आयतों में:

فَأَخَذْتَهُمُ عَذَابَ يَوْمِ الظُّلَّةِ

आया है, जिसके मायने यह हैं कि उनको "यौमिज़्जुल्लति" के अज़ाब ने पकड़ लिया। "यौमिज़्जुल्लति" के मायने हैं साये का दिन। जिसका मतलब यह है कि पहले उन पर गहरे बादल का साया आया, जब सब उसके नीचे जमा हो गये तो उसी बादल से उन पर पत्थर या आग बरसाई गयी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन दोनों आयतों में ततबीक़ (जोड़ और मुवाफ़क़त) के लिये फ़रमाया कि शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम पर पहले तो ऐसी सख़्त गर्मी मुसल्लत हुई जैसे जहन्नम का दरवाज़ा उनकी तरफ़ खोल दिया गया हो, जिससे उनका दम घुटने लगा, न किसी साये में चैन आता था न पानी में। ये लोग गर्मी से घबराकर तहख़ानों में घुस गये तो वहाँ ऊपर से भी ज़्यादा सख़्त गर्मी पाई। परेशान होकर शहर से जंगल की तरफ़ भागे, वहाँ अल्लाह तआला ने एक गहरा बादल भेज दिया जिसके नीचे ठण्डी हवा थी। ये सब लोग गर्मी से बदहवास थे, दौड़-दौड़कर उस बादल के नीचे जमा हो गये। उस वक़्त यह सारा बादल आग होकर उन पर बरसा और ज़लज़ला भी आया जिससे ये सब लोग राख का ढेर बनकर रह गये। इस तरह इस कौम पर ज़लज़ले और साये का अज़ाब दोनों जमा हो गये। (बहरे मुहीत)

और कुछ मुफ़सिरीन ने फ़रमाया कि यह भी मुम्किन है कि शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम के विभिन्न हिस्से होकर कुछ पर ज़लज़ला आया और कुछ साये के अज़ाब से हलाक़ किये गये हों।

पाँचवीं आयत में कौमे शुऐब के वाक़िआ से दूसरों को सीख लेने का सबक़ "दिया" गया है जो इस वाक़िआ के बयान करने का असल मक़सद है। फ़रमाया:

الَّذِينَ كَذَّبُوا شَعِيًا كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا

लफ़ज़ "गिना" के एक मायने किसी जगह में आराम के साथ ज़िन्दगी बसर करने के भी आते हैं, इस जगह यही मायने मुराद हैं। मतलब यह है कि ये लोग जिन मकानों में आराम व ऐश की ज़िन्दगी गुज़ारते थे, इस अज़ाब के बाद ऐसे हो गये कि गोया कभी यहाँ आराम व ऐश का नाम ही न था। फिर फ़रमाया:

الَّذِينَ كَذَّبُوا شَعْيًا كَانُوا هُمُ الْخَيْرِينَ

यानी जिन लोगों ने शूऐब अलैहिस्सलाम को झुठलाया वही लोग खसारे (घाटे और नुकसान) पड़े। इशारा इस बात की तरफ है कि ये लोग हज़रत शूऐब अलैहिस्सलाम और उनके मोमिन धियों को अपनी बस्ती से निकाल देने की धमकियाँ दे रहे थे, अन्जाम यह हुआ कि खसारा हीं पर पड़ा।

छठी आयत में फ़रमाया:

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ

यानी कौम पर अज़ाब आता हुआ देखकर शूऐब अलैहिस्सलाम और उनके साथी यहाँ से ल दिये। मुफ़सिरीन की अक्सरियत ने फ़रमाया कि ये हज़रत यहाँ से मक्का मुअज़्ज़मा आये और फिर आखिर तक यहीं क़ियाम रहा।

कौम की हद से ज़्यादा सरकशी और नाफ़रमानी से मायूस होकर शूऐब अलैहिस्सलाम ने ददुआ तो कर दी मगर जब उसके नतीजे में कौम पर अज़ाब आया तो पैग़म्बराना शफ़क़त व हमत के सबब दिल दुखा तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिये कौम को ख़िताब करके फ़रमाया- मैंने तो तुमको तुम्हारे सब के अहक़ाम पहुँचा दिये थे और तुम्हारी ख़ैरख़्वाही (भला माने) में कोई कमी नहीं छोड़ी थी मगर मैं काफ़िर कौम का कहाँ तक ग़म करूँ।

अल्लाह तआला का शुक्र है कि तफ़सीर मजारिफुल-कुरआन की तीसरी जिल्द पूरी हुई।
सूर: आराफ़ का बाकी हिस्सा चौथी जिल्द में आयेगा। इन्शाअल्लाह

